IDBI BANK

CIN: L65190MH2004GOI148838

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : आईडीबीआई टॉवर,
डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड,
मुंबई - 400 005.
टेलिफोन : (+91 22) 6655 3355, 2218 9111
फैक्स : (+91 22) 2218 0411
वेबसाइट : www.idbi.com

IDBI Bank Limited
Regd. Office : IDBI Tower,
WTC Complex, Cuffe Parade,
Mumbai - 400 005.
TEL.: (+91 22) 6655 3355, 2218 9111
FAX : (+91 22) 2218 0411
Website : www.idbi.com

जुलाई १५, २०२०

The Manager (Listing) National Stock Exchange of India Ltd., Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No.C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra(E), Mumbai - 400 051	The Manager (Listing) Bombay Stock Exchange Ltd., 25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai - 400 001

Dear Sir,

Annual Report for FY 2019-20

In terms of Regulation 34 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, please find attached the Annual Report of IDBI Bank for the FY 2019-20 alongwith the Notice of the 16th AGM of the Bank.

Kindly acknowledge receipt and take the above on record.

भवदीय,

कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

15/07/2020

[पवन अग्रवाल]

कंपनी सचिव

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

CIN L65190MH2004GOI148838

[पंजीकृत कार्यालय - आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400 005.

फोन-(022) 66552711 / 3147

ईमेल: idbiequity@idbi.co.in, वेबसाइट: www.idbibank.in]

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि **आईडीबीआई बैंक लिमिटेड** के सदस्यों की 16वीं वार्षिक महासभा **सोमवार, दिनांक 17 अगस्त 2020** को अपराह्न 3.30 बजे पूरी तरह से केवल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) से आयोजित की जाएगी जिसमें निम्नलिखित मदों पर कार्रवाई की जाएगीः

सामान्य कारोबार

1. यथा 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों और उन पर निदेशक मंडल तथा लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टें तथा यथा 31 मार्च 2020 को बैंक के लेखापरीक्षित समेकित वित्तीय विवरणों और उन पर लेखा-परीक्षकों की रिपोर्टें प्राप्त करना, उन पर विचार करना तथा उन्हें स्वीकार करना;

2. श्री राजेश कंडवाल (डीआईएनः 02509203), एलआईसी के नामिती निदेशक की आवर्तन आधार पर पुनर्नियुक्ति, जो आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पात्र होने के कारण उन्होंने स्वयं की पुनर्नियुक्ति का प्रस्ताव किया है

3. लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति करना, उनका पारिश्रमिक निर्धारित करना और इस संबंध में निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे निम्नानुसार एक **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करनाः-

   ''**संकल्प किया जाता है कि** जारी किए गए संबद्ध नियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139-142 और अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, बैंक के संस्था बहिर्नियम व अंतर्नियम तथा तत्समय लागू किसी अन्य कानून या दिशानिर्देश, यदि कोई हों, के अनुसरण में बैंक के निदेशक मंडल को -

   i. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) से इस संबंध में अनुमोदन प्राप्त होने पर बैंक के सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षक(कों) की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति और

   ii. वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (8) के निबंधनों के अनुसार भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) से इस संबंध में अनुमोदन प्राप्त होने पर बैंक की डीआईएफसी, दुबई शाखा के लिए शाखा सांविधिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है.

IDBI BANK LIMITED

CIN L65190MH2004GOI148838

[Regd. Office - IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai - 400 005.

Phone-(022) 66552711 / 3147

e-mail:idbiequity@idbi.co.in, website:www.idbibank.in]

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that the 16th Annual General Meeting of the Members of **IDBI Bank Limited** will be held on **Monday, August 17, 2020** at 3.30 p.m. exclusively through video conferencing (VC)/ other audio visual means (OAVM) to transact the following business :

ORDINARY BUSINESS

1. To receive, consider and adopt the audited financial statements of the Bank for the year ended March 31, 2020 and the Reports of the Board of Directors & Auditors thereon and the audited consolidated financial statements of the Bank and the report of the auditors thereon for the year ended March 31, 2020;

2. To re-appoint Shri Rajesh Kandwal (DIN: 02509203), LIC Nominee Director as rotational Director, who retires by rotation and, being eligible, offers himself for re-appointment

3. To appoint Auditors and fix their remuneration and, in that behalf, to consider and, if thought fit, to pass the following resolution as an **Ordinary Resolution:-**

   "RESOLVED THAT pursuant to Section 139-142 and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 read with the relevant Rules issued in this regard, the Banking Regulation Act, 1949, Memorandum and Articles of Association of the Bank and any other law or guideline applicable, if any, for the time being in force, the Board of Directors of the Bank be and is hereby authorized to –

   i. appoint / re-appoint Statutory Central Auditors of the Bank for the Financial Year 2020-21 as per the approval to be received in this regard from Reserve Bank of India (RBI) and

   ii. appoint/re-appoint Branch Statutory Auditor for Bank's DIFC, Dubai Branch for the Financial Year 2020-21 in terms of Section 143(8) of the Companies Act, 2013 as per the approval to be received in this regard from RBI.

उपर्युक्त नियुक्तियाँ/पुनर्नियुक्तियाँ ऐसे निबंधनों एवं शर्तों तथा पारिश्रमिक पर होंगी जो बैंक का निदेशक मंडल, लेखा-परीक्षा समिति की सिफारिशों पर उपर्युक्त दोनों नियुक्तियों के लिए नियत करे.''

विशेष कारोबार

4. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

''**संकल्प किया जाता है कि** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42, 62(1)(सी) के प्रावधानों और लागू अन्य प्रावधानों, यदि कोई हों, तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018, सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 और/या कोई अन्य सम्बद्ध कानून/दिशानिर्देशों के अनुसरण में और बैंक के बहिर्नियम एवं संस्था अंतर्नियम के अनुसार, तथा इस संबंध में संबद्ध प्राधिकारियों से जरूरी अनुमोदन, यदि कोई हों, के अधीन बैंक के निदेशक मंडल (बोर्ड) को भारत में या विदेश में, प्रस्ताव दस्तावेज/ विवरण पत्र अथवा ऐसे अन्य दस्तावेजों के माध्यम से ₹ 10/- प्रत्येक अंकित मूल्य के कुल ₹ 11000/- करोड़ राशि (प्रीमियम राशि सहित, यदि कोई हो) तक के इक्विटी शेयर, जोकि बाजार मूल्य पर छूट(कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अधीन) या प्रीमियम पर हो, समय-समय पर एक या अधिक श्रृंखलाओं में एक या अधिक वर्तमान शेयरधारकों/सदस्यों, बैंक के कर्मचारियों, पात्र संस्थागत क्रेताओं (क्यूआईबी) [अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यूआईपी) के अनुसार, स्थानन दस्तावेज के माध्यम से तथा ऐसे मूल्य और निबंधनों एवं शर्तों पर जो सेबी (आईसीडीआर) विनियम के सम्बद्ध प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया जाए], या ऐसी अन्य संस्थाओं, प्राधिकरणों, या निवेशकों की अन्य श्रेणी जिन्हें वर्तमान विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार अभिदान के लिए प्राधिकृत किया गया हो, सहित पर यहीं तक सीमित नहीं, को बोर्ड द्वारा उचित समझे गए तरीके से ऑफर, जारी और आबंटन करने के लिए बैंक के शेयरधारकों की सहमति दी जाए और एतद्द्वारा दी जाती है.''

''**यह भी संकल्प किया जाता है** कि ऐसा निर्गम, प्रस्ताव या आबंटन निम्नलिखित माध्यमों अर्थात् सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, पात्र संस्थागत नियोजन, ईएसपीएस, इसोप और/ या निजी नियोजन, अतिरिक्त आबंटन के विकल्प सहित या रहित, के आधार पर इनमें से किसी एक या अधिक माध्यमों से होगा तथा यह कि ऐसा प्रस्ताव, निर्गम, नियोजन और आबंटन लागू और सम्बद्ध कानूनों/दिशानिर्देशों के अनुसार होगा जिसे बोर्ड उपयुक्त समझे.''

''**यह भी संकल्प किया जाता है** कि बोर्ड के पास यह प्राधिकार होगा कि वह लागू और संबद्ध विनियमों /दिशानिर्देशों के अनुसार इक्विटी शेयरों और उनके क्यूआईपी के निर्गम मूल्य और निर्गम मूल्य निर्धारण के लिए सम्बद्ध तारीख तय करे.''

''**यह भी संकल्प किया जाता है कि** किसी क्यूआईपी के संबंध में इक्विटी शेयरों का आबंटन इस संकल्प के पारित होने की तारीख से 12 माह के भीतर पूरा कर लिया जाएगा.''

''**यह भी संकल्प किया जाता है** कि जारी किये जाने वाले उक्त नए इक्विटी शेयर डिमैट रूप में जारी किए जाएंगे और सभी दृष्टियों से बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समरूप होने के अधीन एवं समरूप होंगे तथा बैंक द्वारा घोषित लाभांश, यदि कोई हो, के लिए पात्र होंगे.''

On such terms, conditions and remuneration as the Board of Directors of the Bank may fix for both the above appointments upon recommendation of the Audit Committee."

SPECIAL BUSINESS

4. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as a **Special Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Sections 42, 62(1)(c) and other applicable provisions, if any, of the Companies Act, 2013 and rules framed thereunder, the Banking Regulation Act, 1949, SEBI (ICDR) Regulations, 2018, SEBI (LODR) Regulations, 2015 and/ or any other relevant law/ guideline(s) and in accordance with the Memorandum and Articles of Association of the Bank, and subject to the approvals, if any, of the Relevant Authorities, as may be required in this regard, consent of shareholders of the Bank, be and is hereby accorded to the Board of Directors of the Bank ('the Board') to offer, issue and allot by way of an offer document/prospectus or such other document, in India or abroad, such number of equity shares of the face value of ₹10/- each and aggregating upto ₹ 11000 crore (inclusive of premium amount, if any), whether at a discount (subject to Section 53 of the Companies Act, 2013) or premium to the market price, from time to time in one or more tranches, including but not limited to one or more of the existing shareholders/members, employees of the Bank, Qualified Institutional Buyers (QIBs) [pursuant to a Qualified Institutional Placement (QIP), through a placement document and at such price and such terms and conditions as may be determined in accordance with the relevant provisions of SEBI (ICDR) Regulations] or such other entities, authorities or any other category of investors who are authorized to subscribe to the equity shares of the Bank as per the extant regulations/ guidelines, as deemed appropriate by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT such issue, offer or allotment shall be by one or more of the following modes, i.e., by way of public issue, rights issue, qualified institutional placement, ESPS, ESOP and/or on a private placement basis, with or without over-allotment option and that such offer, issue, placement and allotment be made as per the applicable and relevant laws/guidelines, as the Board may deem fit."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board shall have the authority to decide the issue price and the relevant date for determination of the Issue price including for QIP of the equity shares as per the applicable and relevant regulations/guidelines."

"RESOLVED FURTHER THAT the allotment of equity shares shall be completed within 12 months from the date of passing of this resolution in respect of a QIP."

"RESOLVED FURTHER THAT the said new equity shares shall be issued in demat form and shall be subject to and shall rank pari passu in all respects with the existing equity shares of the Bank and shall be entitled to dividend declared, if any, by the Bank."

''**यह भी संकल्प किया जाता है** कि इक्विटी शेयरों के किसी निर्गम या आबंटन को प्रभावी बनाने के प्रयोजनार्थ बोर्ड को सदस्यों से आगे कोई अनुमोदन प्राप्त किये बिना ऐसे सभी कृत्य, कार्य, मामले और चीजें करने और अपेक्षित एजेंसियों से ऐसे विलेख, दस्तावेज़ तथा करार निष्पादित करने, यदि कोई हों, के लिए, जिसे आवश्यक, उचित या अभीष्ट समझे तथा इक्विटी शेयरों के ऑफर, निर्गम, आबंटन और निर्गम से प्राप्त आय के उपयोग के संबंध में उठने वाले किसी प्रकार के प्रश्न, कठिनाई या संदेह का समाधान करने अथवा उनके समाधान के लिए निर्देश या अनुदेश देने और निबंधनों एवं शर्तों में ऐसे आशोधन, बदलाव, आदि करने, जो बैंक के सर्वोत्तम हित में उपयुक्त और उचित समझे जाएं, के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है.''

''**यह भी संकल्प किया जाता है** कि अभिदान न किए गए ऐसे शेयरों का बोर्ड द्वारा अपने पूर्ण विवेकाधिकार के अधीन ऐसे तरीके से निपटान किया जाए, जिसे बोर्ड उपयुक्त समझे और जो संबद्ध कानूनों/ दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनुमत हो.''

''**यह भी संकल्प किया जाता है** कि बोर्ड को इसके अंतर्गत प्रदत्त अपने सभी या कोई भी अधिकार, बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अथवा उप प्रबंध निदेशक अथवा बैंक के किसी अन्य वरिष्ठ कार्यपालक और/या किसी समिति, जो इस संकल्प के द्वारा प्रदत्त अधिकारों सहित अपने अधिकारों के प्रयोग के लिए गठित की जाए/ की गई है, को शक्तियों को प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है.''

5. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे **विशेष संकल्प** के रूप में पारित करना:

''**संकल्प किया जाता है** कि कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 14 के प्रावधानों और संबंधित अधिनियमों, नियमों तथा विनियमों के अन्य लागू प्रावधानों, यदि कोई हों, और अन्य लागू होने वाले कानून(नों), यदि कोई हों, के अनुसरण में तथा भारतीय रिज़र्व बैंक सहित सांविधिक/ विनियामकीय प्राधिकरणों, जो इस संबंध में अपेक्षित हों, से जरूरी अनुमोदन, यदि कोई हों, की शर्तों पर तथा उसमें ऐसे निबंधनों, शर्तों और संशोधनों, जो उनके द्वारा अनुमोदन प्रदान करने के लिए निर्धारित किया जाए, की शर्तों पर तथा रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार, आईडीबीआई बैंक के संस्था के अंतर्नियम में निम्नानुसार परिवर्तनों के लिए शेयरधारकों की सहमति प्रदान की जाए तथा एतद्द्वारा सहमति प्रदान की जाती है'':

संशोधित अंतर्नियम :

अंतर्नियम 114 (बी)

निदेशक मंडल के सदस्यों में से कम से कम 51% (इक्यावन प्रतिशत) ऐसे व्यक्ति होंगे, जिन्हें बैंककारी विनियमन अधिनियम की धारा 10ए में वर्णित किसी भी विषय का विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव हो तथा वे इन अंतर्नियमों, अधिनियम तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम में वर्णित किसी भी प्रकार की अयोग्यता से प्रभावित न हों.

अंतर्नियम 116 :

i. एलआईसी के अध्यक्ष आईडीबीआई बैंक लि. के पदेन गैर-कार्यपालक गैर-पूर्णकालिक अध्यक्ष होंगे;

ii. बोर्ड द्वारा द्वारा नियुक्त एक पूर्णकालिक प्रबंध निदेशक एवं सीईओ;

iii. बोर्ड द्वारा नियुक्त दो पूर्णकालिक उप प्रबंध निदेशक;

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares, the Board, be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things including execution of such deeds, documents and agreements with the required agencies, if any, as deemed necessary, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise with regard to the offer, issue, allotment of equity shares and utilization of the issue proceeds, and to accept and to give effect to such modifications, variations, etc. as regards the terms and conditions, as deemed fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members."

"RESOLVED FURTHER THAT such of those equity shares as are not subscribed to may be disposed off by the Board, in its absolute discretion, in such manner, as the Board may deem fit and as permissible under relevant laws/guidelines."

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers, herein conferred, to the Managing Director & CEO or to the Deputy Managing Directors or any other Senior Executive of the Bank and/or to any Committee which may be/have been constituted to exercise its powers including the powers conferred by this Resolution."

5. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as a **Special Resolution:**

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 14 of the Companies Act, 2013 (the Act) and other applicable provisions, if any, of the Relevant Acts, Rules and Regulations, and other applicable law(s), if any, and subject to approval of statutory/regulatory bodies including RBI, if any, as may be required in this regard and subject to/ in accordance with such terms, conditions and modifications thereto as may be prescribed by them in granting their approval, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded for alteration of Articles of Association of IDBI Bank as per the direction given by RBI, as follows:

Amended Articles:

Article 114 (b)

Not less than 51% (fifty one percent) of the total number of members of the Board of Directors shall consist of persons, who shall have special knowledge or practical experience in any of the matters mentioned in section 10A of the Banking Regulation Act and who do not suffer from any of the disqualification mentioned in these Articles, the Act and the Banking Regulation Act.

Article 116

i. Chairman of LIC will be an ex-officio Non Executive Non Whole time Chairman of IDBI Bank Ltd.;

ii. One whole time Managing Director & CEO appointed by Board;

iii. Two whole time Deputy Managing Directors appointed by Board;

iv. एलआईसी के एक आधिकारिक नामिती निदेशक;

v. भारत सरकार के दो नामिती निदेशक;

vi. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV के साथ पठित धारा 149 (4) की शर्तों के अनुसार, शेयरधारकों की महासभा में लगातार 4 वर्ष की आरंभिक अवधि के लिए किन्तु विशेष संकल्प के द्वारा अधिकतम 4 वर्ष की अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति की पात्रता के साथ बोर्ड में अधिकतम 8 वर्ष की अवधि के अधीन नियुक्त 8 गैर आवर्तनीय स्वतंत्र निदेशक;

vii. उपर्युक्त क्रम सं. (iii) से (v) तक के पाँच निदेशक 15 निदेशकों (8 स्वतंत्र निदेशकों को घटाकर) की कुल संख्या के लगभग 2/3 होंगे तथा ये कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) के प्रावधानों के अनुसार महासभा में आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के अधीन होंगे तथा पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होंगे;

viii. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 (1) (बी) के प्रावधानों के अनुसार, निदेशक मंडल में कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक होनी चाहिए.

अंतर्नियम 117

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा पूर्णकालिक निदेशक बोर्ड द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट किए अनुसार अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि के लिए पद धारित कर सकेंगे तथा इस प्रकार नियुक्त कोई भी व्यक्ति पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे जोकि कंपनी अधिनियम, बैंककारी विनियमन अधिनियम या इस संबंध में लागू किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित विनियामकीय अनुमोदन के अधीन होंगे.

अंतर्नियम 118

इन अंतर्नियमों में निहित कुछ भी होने के बावजूद, बोर्ड को प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा पूर्णकालिक निदेशकों, जैसी भी स्थिति हो, के कार्यकाल को उनकी अवधि समाप्त होने से पहले किसी भी समय कम से कम तीन महीने के लिखित नोटिस अथवा ऐसे नोटिस के स्थान पर तीन महीने के वेतन और भत्ते प्रदान कर समाप्त करने का अधिकार होगा, तथा प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा पूर्णकालिक निदेशक, जैसी भी स्थिति हो, को भी विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने से पहले किसी भी समय बोर्ड को कम से कम तीन महीने का लिखित नोटिस देने के बाद अपने पद को छोड़ देने का अधिकार होगा, जोकि कंपनी अधिनियम, बैंककारी विनियमन अधिनियम या इस संबंध में लागू किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक विनियामकीय अनुमोदन के अधीन होगा.

अंतर्नियम 119

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा पूर्णकालिक निदेशक बोर्ड द्वारा निर्धारित तथा बोर्ड की नामांकन और पारिश्रमिक समिति द्वारा संस्तुत वेतन एवं भत्ते प्राप्त करेंगे, जोकि अधिनियम और बैंकिंग अधिनियम के अनुसार तथा कंपनी अधिनियम, बैंककारी विनियमन अधिनियम या इस संबंध में लागू किसी अन्य अधिनियम के अंतर्गत विनियामकीय अनुमोदन के अधीन होंगे. .

Article 127

बोर्ड या समिति की किसी बैठक में भाग लेने के लिए निदेशक को देय बैठक शुल्क का निर्धारण समय-समय पर ऐसे शुल्क की अधिकतम सीमा के अंतर्गत बोर्ड द्वारा किया जाएगा जोकि कंपनी अधिनियम,

iv. One Official Nominee Director of LIC;

v. Two Nominee Directors of GoI;

vi. 8 Non Rotational Independent Directors appointed by shareholders in General Meeting in terms of Sec 149(4) read with Schedule IV of Companies Act, 2013 for an initial term of 4 consecutive years but shall be eligible for re-appointment on passing of special resolution for not more than one more term of 4 years, subject to maximum term of 8 years on the Board;

vii. Five Directors at SL. No (iii) to (v) above being nearest to 2/3rd of the total strength of 15 Directors (minus 8 independent directors) shall be subject to retirement by rotation at the AGM in terms of the provisions of Section 152(6) of the Companies Act, 2013 and shall be eligible for re-appointment;

viii. As per the provisions of Section 149(1)(b) of the Companies Act, 2013, at least one Independent Woman Director should be there on the Board of Directors.

Article 117

The Managing Director & CEO and the whole-time directors shall hold office for such term not exceeding five years as the Board may specify in this behalf and any person so appointed shall be eligible for re-appointment, subject to such regulatory approval as may be required under Companies Act, Banking Regulation Act or any other act in force.

Article 118

Notwithstanding anything contained in these Articles, Board shall have the right to terminate the term of office of the Managing Director & CEO and the whole time directors, as the case may be, at any time before the expiry of the term by giving him notice of not less than three months in writing or three months' salary and allowances in lieu of such notice; and the Managing Director & CEO or the whole-time directors, as the case may be, shall also have the right to relinquish his office at any time before the expiry of the term specified by giving to the Board notice of not less than three months in writing, subject to such regulatory approval as may be required under Companies Act, Banking Regulation Act or any other act in force.

Article 119

The Managing Director & CEO and the whole-time directors shall receive such salary and allowances as may be determined by the Board and recommended by the Nomination & Remuneration Committee of the Board in accordance with the Act and the Banking Act, subject to such regulatory approval as may be required under Companies Act, Banking Regulation Act or any other act in force.

Article 127

The sitting fees payable to a Director for attending a meeting of the Board or Committee thereof shall be decided by the Board from time to time within the

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 तथा रिजर्व बैंक द्वारा जारी विनियामकीय दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जाए.

अंतर्नियम 141(ए)

कंपनी सामान्य संकल्प द्वारा किसी निदेशक (नामिती निदेशक को नहीं) को उनके कार्यकाल की अवधि समाप्त होने से पहले हटा सकती है.

अंतर्नियम 143

कंपनी के अध्यक्ष, उपस्थित होने पर बोर्ड व इसकी उन समितियों की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेंगे, जिनके वे सदस्य हों. यदि किसी बैठक के लिए निर्धारित समय के बाद पंद्रह मिनट के भीतर अध्यक्ष उपस्थित नहीं होते हैं, तो उपस्थित निदेशक अपने में से किसी एक का बैठक की अध्यक्षता करने के लिए चयन कर लेंगे.

अंतर्नियम 145

कंपनी सचिव अथवा निदेशकों द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, निदेशक के अनुरोध पर तथा अध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अथवा उनकी अनुपस्थिति में बैंक के पूर्णकालिक निदेशक के परामर्श से निदेशकों की बैठक आयोजित करेंगे.

अंतर्नियम 154(1)

बैंकिंग अधिनियम की धारा 35बी के प्रावधानों और अन्य आवश्यक अनुमोदनों के अधीन, बोर्ड निदेशकों में से किसी एक को प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एमडी एवं सीईओ) के रूप में नियुक्त करेगा तथा उनको कंपनी के सभी मामलों के प्रबंधन का कार्य सौंपा जाएगा. वे आवर्तन के आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी नहीं होंगे..

इसके लिए शर्त यह होगी कि प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अपने अधिकारों का प्रयोग निदेशक मंडल के पर्यवेक्षण, नियंत्रण और निर्देशन में करेंगे.

अंतर्नियम 154(2)

बैंकिंग अधिनियम की धारा 35बी के प्रावधानों और अन्य आवश्यक अनुमोदनों के अधीन, बोर्ड दो उप प्रबंध निदेशक नियुक्त करेगा जो कंपनी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के अधीन और इन अंतर्नियमों के प्रावधानों के अधीन ऐसे अधिकारों और प्राधिकारों का प्रयोग करेंगे जो उनको बोर्ड या प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा प्रत्यायोजित किए जाएं.

अंतर्नियम 154(4)

अध्यक्ष सभी सामान्य बैठकों की अध्यक्षता करेंगे. यदि बैठक के लिए निर्धारित समय के बाद 15 मिनट के भीतर अध्यक्ष उपस्थित नहीं होते हैं तो उपस्थित निदेशक ऐसी बैठक के लिए अपने सदस्यों में से किसी एक का चुनाव अध्यक्ष के रूप में करेंगे.

अंतर्नियम 155

पूर्णकालिक आधार पर नियुक्त प्रबंध निदेशक एवं सीईओ की यदि मृत्यु हो जाती है या वे त्यागपत्र दे देते हैं या अस्वस्थता या अन्य कारणों से अपने दायित्व के निर्वहन में असमर्थ हो जाते हैं या छुट्टी या अन्य कारणों से अनुपस्थित रहते हैं, और परिस्थितिवश उनका पद रिक्त नहीं रखा जा सकता है तो बोर्ड विनियामकीय एजेंसियों के अनुमोदन से, आवश्यक होने पर, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के दायित्व निर्वहन के लिए उपयुक्त व्यवस्था करेगा जो अधिकतम 4 माह की अवधि के लिए होगी.

maximum limits of such fees that may be prescribed by the Companies Act, the Banking Regulation Act, 1949 and regulatory guidelines issued by RBI.

Article 141(a)

The Company may by Ordinary Resolution remove a Director, (not being a nominee director) before the expiry of his period of office.

Article 143

Chairman of the Company, if he is present, shall preside over all the meetings of the Board and the Committee, if he is a member thereof. If at any meeting, the Chairman is not present within fifteen minutes after the time appointed for holding the same, the Directors present shall elect one of their numbers to be the Chairman of such meeting.

Article 145

The Company Secretary or such other Officer of the Company as may be authorised by the Directors shall upon the request of a Director and in consultation with Chairman or in his absence Managing Director and CEO or in his absence Whole Time Director of the Bank convene a meeting of the Directors.

Article 154(1)

Subject to the provisions of Section 35B of the Banking Act and other necessary approval(s), Board shall appoint one of the Directors to be the Managing Director & CEO and he shall be entrusted with the management of the whole of the affairs of the Company, who shall not be liable to retire by rotation.

Provided that the Managing Director & CEO shall exercise his powers subject to the superintendence, control and direction of the Board of Directors.

Article 154(2)

Subject to the provisions of Section 35B of the Banking Act and other necessary approval(s), Board shall appoint two Deputy Managing Directors who shall, subject to the supervision, direction and control of the Managing Director and CEO of the Company and subject to the provisions of these Articles, exercise such powers and authorities and discharge such functions as may be delegated to them by the Board or the Managing Director and CEO.

Article 154(4)

The Chairman shall preside over all the General Meetings. In case, chairman is not present within 15 minutes after the time appointed for holding the same, the Directors present shall elect one of their numbers to be the Chairman of such meeting.

Article 155

Where a person appointed as Managing Director & CEO on whole-time basis, dies or resigns or is by infirmity or otherwise rendered incapable of carrying out his duties or is absent on leave or otherwise, in circumstances not involving the vacation of his office, Board shall, with the approval of the Regulatory Agencies, if required, make suitable arrangements for carrying out the duties of Managing Director & CEO for a total period not exceeding four months.

''**यह भी संकल्प किया जाता है** कि बैंक के निदेशक मंडल को ऐसे सभी कृत्य, कार्य या अन्य चीजें, जो उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए अपेक्षित हों या आवश्यक समझी जाएं या उनसे प्रासंगिक हों, करने या करवाने के लिए इस संबंध में अपने प्राधिकार को बैंक के एमडी एवं सीईओ अथवा बैंक के किसी अधिकारी (अधिकारियों) को प्रत्यायोजित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए तथा एतदद्वारा प्राधिकृत किया जाता है.''

6. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना:

''**संकल्प किया जाता है** कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) और 160(1) के साथ पठित संस्था के अंतर्नियम 116(1)(v) और (vii) के अनुपालन में, बोर्ड में सरकार के नामिती निदेशक के रूप में सुश्री मीरा स्वरूप (डीआईएन 07459492), जो निदेशक के रूप में अपनी अवधि के दौरान आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी होंगी, की नियुक्ति को अनुमोदित किया जाए तथा एतदद्वारा अनुमोदित किया जाता है.''

7. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना:

''**संकल्प किया जाता है** कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160(1),196, 203 के साथ पठित अंतर्नियम 116(1)(iii) और (vii) तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10बी और 35बी के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 04 सितंबर 2019 के पत्र द्वारा और दिनांक 19 सितंबर 2019 को बोर्ड की बैठक में अनुमोदित पारिश्रमिक पर, जैसाकि कारोबार के इस मद के व्याख्यात्मक विवरण में उल्लिखित है, श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज (डीआईएन 02262530) की 20 सितंबर 2019 से 3 वर्षों के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक, जो आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी होंगे, तथा इसके उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति को अनुमोदित किया जाए तथा एतदद्वारा अनुमोदित किया जाता है.''

8. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना:

''**संकल्प किया जाता है** कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 160(1),196, 203 के साथ पठित अंतर्नियम 116(1)(iii) और (vii) तथा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10बी और 35बी के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक के दिनांक 09 जनवरी 2020 के पत्र द्वारा और दिनांक 15 जनवरी 2020 को बोर्ड की बैठक में अनुमोदित पारिश्रमिक पर, जैसाकि कारोबार के इस मद के व्याख्यात्मक विवरण में उल्लिखित है, श्री सुरेश किशिनचंद खटनहार (डीआईएन 03022106) की 15 जनवरी 2020 से 3 वर्षों के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक, जो आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी होंगे, तथा इसके उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति को अनुमोदित किया जाए तथा एतदद्वारा अनुमोदित किया जाता है.''

9. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना:

''**संकल्प किया जाता है** कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) और 160(1) के साथ पठित संस्था के अंतर्नियम 116(1)(v) और (vii) के अनुपालन में, बोर्ड में सरकार के नामिती निदेशक के रूप में श्री अंशुमन शर्मा (डीआईएन 07555065), जो निदेशक के रूप में अपनी अवधि के दौरान आवर्तन के आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी होंगी, की नियुक्ति को अनुमोदित किया जाए तथा एतदद्वारा अनुमोदित किया जाता है.''

"**RESOLVED FURTHER THAT** the Board of Directors of the Bank be and is hereby authorized to do or cause to be done all such acts, deeds and other things including delegating its authority in this regard to MD & CEO or any other officer(s) of the Bank, as may be required or considered necessary or incidental thereto, for giving effect to the aforesaid resolution."

6. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as an **Ordinary Resolution:**

"**RESOLVED THAT** the appointment of Ms Meera Swarup (DIN 07459492) as a Director liable to retire by rotation during her tenure as Government Nominee Director on the Board, in compliance of Article 116(1)(v) &(vii) read with Sections 152(6) and 160(1) of the Companies Act, 2013, be and is hereby approved."

7. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as an **Ordinary Resolution** :

"**RESOLVED THAT** the appointment of Shri Samuel Joseph Jebaraj (DIN 02262530), as a Director liable to retire by rotation and Deputy Managing Director on the Board of IDBI Bank Limited for 3 years w.e.f. September 20, 2019 at the remuneration approved by RBI vide letter dated September 04, 2019 and by Board at the meeting dated September 19, 2019 as elaborated in the explanatory statement to this item of business, in terms of Article 116(1)(iii) & (vii) read with Sections 160(1), 196, 203 of the Companies Act, 2013 and Sections 10B and 35B of the Banking Regulation Act, 1949, be and is hereby approved."

8. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as an **Ordinary Resolution :**

"**RESOLVED THAT** the appointment of Shri Suresh Kishinchand Khatanhar (DIN 03022106), as a Director liable to retire by rotation and Deputy Managing Director on the Board of IDBI Bank Limited, for 3 years w.e.f. January 15, 2020 at the remuneration approved by RBI vide letter dated January 09, 2020 and by Board at the meeting dated January 15, 2020 as elaborated in the explanatory statement to this item of business, in terms of Article 116(1) (iii) & (vii) read with Sections 160(1), 196, 203 of the Companies Act, 2013 and Sections 10B and 35B of the Banking Regulation Act, 1949, be and is hereby approved."

9. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as an **Ordinary Resolution:**

"**RESOLVED THAT** the appointment of Shri Anshuman Sharma (DIN 07555065) as a Director liable to retire by rotation during his tenure as Government Nominee Director on the Board, in compliance of Article 116(1)(v) &(vii) read with Sections 152(6) and 160(1) of the Companies Act, 2013, be and is hereby approved."

10. निम्नलिखित संकल्प पर विचार करना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उसे **सामान्य संकल्प** के रूप में पारित करना:

''**संकल्प किया जाता है** कि कंपनी अधिनियम, 2013, बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949, सेबी विनियम के अधीन लागू प्रावधानों और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अधीन तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मंजूर होने वाले अनुमोदन के अधीन/के अनुसार, यहाँ नीचे प्रस्तावित अनुसार बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ और उप प्रबंध निदेशकों की क्षतिपूर्ति संरचना में संशोधन के अनुमोदन के लिए आईडीबीआई बैंक के निदेशक मंडल को अनुमोदन प्रदान किया जाए तथा एतदद्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाता है.''

प्रस्तावित संशोधन की मुख्य विशेषताएँ :

(i) कैरियर पोस्ट बैंक में संयुक्त सेवा को ध्यान में रखते हुए पात्र पूर्णकालिक निदेशकों को पेंशन संबंधी लाभ:

पेंशन की गणना:

पूर्णकालिक निदेशक के रूप में दी गई सेवा अवधि के लिए पेंशन की गणना, कैरियर पोस्ट बैंक और साथ ही बैंक, जहाँ पूर्णकालिक निदेशक के रूप में तैनात थे, में संयुक्त सेवा को ध्यान में रख कर कल्पित आधार पर बैंक के पेंशन विनियमों के अधीन की जाएगी. इस प्रकार गणना की गई पेंशन और कैरियर पोस्ट बैंक द्वारा भुगतान किए जा रहे पेंशन के अंतर (कैरियर पोस्ट बैंक में सेवा समापन की तारीख को सेवानिवृत्ति की तारीख मानते हुए) का भुगतान उस बैंक द्वारा किया जाएगा जहाँ अधिकारी पूर्णकालिक निदेशक थे.

पेंशन का संराशीकरण :

संराशीकरण के बीच का अंतर मध्यस्थ बैंक या पूर्णकालिक निदेशक जहाँ से सेवानिवृत्त हुए हैं, उस बैंक द्वारा देय होगा. संराशीकरण कैरियर पोस्ट बैंक द्वारा देय होगा.

पेंशन विनियम:

जिस बैंक में पूर्णकालिक निदेशक कार्यरत हैं उस बैंक का पेंशन विनियम आवश्यक परिवर्तनों के साथ पूर्णकालिक निदेशक को पेंशन प्रदान किए जाने लिए के लिए लागू होगा.

उपदान और छुट्टी नकदीकरण :

उपदान और छुट्टी नकदीकरण के भुगतान कैरियर पोस्ट बैंक द्वारा नहीं किए जाएंगे. कैरियर पोस्ट बैंक, अधिकारी को देय उपदान और छुट्टी नकदीकरण की राशि को उस बैंक को अंतरित करेगा जहाँ अधिकारी पूर्णकालिक निदेशक के रूप प्रभार ग्रहण करते हैं. वह बैंक जहाँ से पूर्णकालिक निदेशक सेवानिवृत्त होते हैं, सेवानिवृत्ति के समय कैरियर पोस्ट बैंक में संयुक्त सेवा को ध्यान में रखते हुए उपदान और छुट्टी नकदीकरण का भुगतान करेगा.

(ii) प्रबंध निदेशक एवं सीईओ और उप प्रबंध निदेशकों के लिए क्षतिपूर्ति में संशोधन:

संशोधित क्षतिपूर्ति संरचना में वर्तमान वेतन, भत्ते और अधिवर्षिता लाभ निर्धारित वेतन के साथ जोड़ दिए जाएंगे. आवास, ड्राईवर का वेतन और सेवानिवृति लाभ (भविष्य निधि, उपदान और पेंशन (यदि लागू हो) के मौद्रिक मूल्य मूल्यांकित किए जाएंगे तथा रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रबंध निदेशक एवं सीईओ और उप प्रबंध निदेशक के लिए निर्धारित वेतन के साथ जोड़ दिए जाएंगे. क्षतिपूर्ति में प्रस्तावित वृद्धि परिवर्तनशील वेतन के रूप में होगी (नकदी आधारित तथा ईएसओपी के रूप में दीर्घावधि प्रोत्साहन). लक्षित परिवर्तनशील वेतन संमिश्र, वार्षिक नकदी प्रोत्साहन में एक तिहाई और शेयर आधारित दीर्घावधि प्रोत्साहन

10. To consider and, if thought fit, to pass the following resolution as an **Ordinary Resolution :**

"**RESOLVED THAT** subject to the applicable provisions of the Companies Act, 2013, the Banking Regulation Act, 1949, SEBI Regulations and RBI Guidelines and subject to/in accordance with the approval to be granted by RBI, approval be and is hereby accorded to the Board of Directors of IDBI Bank to approve revision(s) in the compensation structure of MD & CEO and DMDs of the Bank as proposed herein below :

Salient features of the proposed revisions :

(i) Pensionary Benefits to eligible WTDs considering Combined Service in Career Post Bank:

Computation of Pension:

For the period of service rendered as WTD the pension would be notionally calculated for the combined service in the career post Bank as well as the Bank where the officer was posted as WTD as applicable under the Bank's pension regulations. The difference between the pension thus calculated and the pension being paid by the career post Bank (considering the date of cessation in career post Bank as deemed retirement) shall be payable by the Bank where the officer served as WTD.

Commutation of Pension:

Difference between commutation shall be payable by the Intermediary Bank or the Bank from which WTD retired and the commutation paid by the career post Bank.

Pension Regulations:

The pension regulations of the Bank in which the WTD serves shall, mutatis mutandis, apply to the grant of pension to the WTD.

Gratuity and Leave Encashment:

Gratuity and leave encashment shall not be payable by career post Bank. The career post Bank shall transfer gratuity and leave encashment amount payable to officer to the Bank where officer assumes charge as WTD. The Bank at which, the WTD retires shall pay gratuity and leave encashment considering the combined service in career post Bank at the time of retirement.

(ii) Revision in compensation for MD & CEO and DMDs:

Existing pay, allowances and superannuation benefits to be clubbed under Fixed Pay in the revised compensation structure. Monetary value of accommodation, driver's salary and retirement benefits (Provident Fund, Gratuity and pension (if applicable) to be valued and added to the fixed pay of MD & CEO and DMDs as per RBI guidelines. The proposed increase in compensation would be in the form of variable pay (cash based as well as Long term incentives in the form of ESOPs). Target Variable Pay mix to be at 1/3rd in Annual Cash Incentives and 2/3rd in Share-based Long Term

(एलटीआई) में दो तिहाई होगा. इस प्रकार लक्षित कुल क्षतिपूर्ति निम्नानुसार है:

पदनाम	नियत वेतन	परिवर्तनशील वेतन (वार्षिक नकदी आधारित)	परिवर्तनशील वेतन (शेयर आधारित एलटीआई)
एमडी एवं सीईओ	40%	20%	40%
उप प्रबंध निदेशक	46%	18%	36%

मंजूरी की तारीख से परिवर्तनशील वेतन संबंधी आस्थगन/निधान निम्नानुसार प्रस्तावित है:

पदनाम	परिवर्तनशील वेतन (वार्षिक नकदी आधारित)			परिवर्तनशील वेतन (शेयर आधारित एलटीआई)		
	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3	वर्ष 1	वर्ष 2	वर्ष 3
एमडी एवं सीईओ तथा उप प्रबंध निदेशक	50%	25%	25%	25%	25%	50%

विवेकपूर्ण जोखिम लेने संबंधी प्रोत्साहन को ध्यान में रखते हुए प्रस्तावित क्षतिपूर्ति संरचना में मालस एवं क्लाबैक संबंधी प्रावधान का निर्माण किया गया है.

बोर्ड के आदेश से

कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

राकेश शर्मा
एमडी एवं सीईओ
डीआईएन: 06846594

पंजीकृत कार्यालय :
आईडीबीआई बैंक लि.
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड, मुंबई- 400005

दिनांक : 29 जून 2020

टिप्पणियां :

1. मदों के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण (कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अंतर्गत विशेष कारोबार की मदों के लिए विवरण सहित) इसके साथ संलग्न हैं.

2. कोविद-19 महामारी के व्यापक प्रकोप को ध्यान में रखते हुए, सामाजिक दूरी के मानदंड का पालन करना है और एमसीए के दिनांक 08/04/2020, 13/04/2020 और 05/05/2020 के अनुसरण में वार्षिक महासभा (एजीएम) का आयोजन विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) द्वारा या अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) से किया जाएगा. अतः, सदस्य इस वार्षिक महासभा में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से भाग ले सकते हैं.

3. एमसीए द्वारा जारी दिनांक 08 अप्रैल 2020 के परिपत्र के अनुसार, वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक महासभा में भाग लेने वाले सदस्यों के लिए प्रॉक्सी नियुक्त कर उनके लिए बैठक में भाग लेने और मतदान करने की सुविधा उपलब्ध नहीं है. अतः नोटिस के साथ प्रॉक्सी फॉर्म संलग्न नहीं किया गया है. तथापि, निकाय कॉर्पोरेट वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक महासभा में भाग लेने के लिए अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए पात्र हैं और इस प्रकार वे वार्षिक महासभा में भाग लेकर ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मतदान कर सकते हैं.

Incentive (LTI). The target total compensation thus works out to be as under:

Position Title	Fixed Pay	Variable Pay (Annual Cash Based)	Variable Pay (Share-based LTI)
MD & CEO	40%	20%	40%
DMDs	46%	18%	36%

The Deferral/ Vesting of Variable Pay from Grant Date is proposed as under:

Position Title	Variable Pay (Annual Cash Based)			Variable Pay (Share-based LTI)		
	Year 1	Year 2	Year 3	Year 1	Year 2	Year 3
MD & CEO and DMDs	50%	25%	25%	25%	25%	50%

Provision regarding Malus and Clawback has been built in the proposed compensation structure with a view to encourage prudent risk taking.

By Order of the Board
For IDBI Bank Limited

Rakesh Sharma
MD & CEO
DIN: 06846594

Registered Office:
IDBI Bank Limited
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai-400 005

Dated: June 29, 2020

NOTES:

1. Explanatory Statements in respect of items (including the ones for items of Special Business under Section 102 of the Companies Act, 2013) are annexed herewith.

2. In view of massive outbreak of COVID-19 pandemic, social distancing is a norm to be followed and pursuant to MCA Circular dated 08/04/2020, 13/04/2020 and 05/05/2020 Annual General Meeting (AGM) may be held through video conferencing (VC) or other audio visual means (OAVM). Hence, Members can attend and participate in the ensuing AGM through VC/OAVM.

3. Pursuant to Circular dated April 08, 2020, issued by MCA the facility to appoint proxy to attend and cast vote for the members is not available for Members attending the AGM through VC/OAVM. Accordingly, the proxy form is not annexed to this notice However, the Body Corporates are entitled to appoint authorised representatives to attend the AGM through VC/OAVM and participate threat and cast their votes through e-voting.

4. सदस्य, नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन करते हुए बैठक के निर्धारित समय से 30 मिनट पहले और बाद में वीसी/ओएवीएम के माध्यम से महासभा में सहभागिता कर सकते हैं. लागू परिपत्र के अनुसार, वीसी / ओएवीएम के पास महासभा में भाग लेने के लिए कम से कम 1000 सदस्यों को अनुमति देने की क्षमता होगी तथा यह सहभागिता 'पहले आएं, पहले पाएं' आधार पर होगी. इसमें बड़े शेयरधारक (2% या इससे अधिक की शेयरधारिता रखनेवाले शेयरधारक), प्रवर्तक, संस्थागत निवेशक, निदेशक, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, लेखा परीक्षा समिति, नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति और हितधारक संबंध समिति के अध्यक्ष, लेखा परीक्षक आदि शामिल नहीं हैं जिन्हें 'पहले आएं, पहले पाएं' आधार संबंधी प्रतिबंध के बिना महासभा में भाग लेने की अनुमति है.

5. वीसी/ओएवीएम के माध्यम से महासभा में सहभागिता करने वाले सदस्यों की उपस्थिति की कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के अंतर्गत कोरम की गणना करने के प्रयोजन हेतु गणना की जाएगी.

6. बैंक, कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों तथा सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (यथा संशोधित) के विनियम 44 और कंपनी कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020 तथा 5 मई 2020 के परिपत्रों के अनुसरण में महासभा में संपन्न किए जाने वाले कारोबार के संबंध में अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करा रहा है. बैंक ने इस प्रयोजन के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों के जरिए वोटिंग की सुविधा प्रदान करने हेतु प्राधिकृत एजेंसी के रूप में नेशनल सेक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) के साथ करार किया है. सदस्य द्वारा रिमोट ई-वोटिंग प्रणाली का प्रयोग कर मतदान करने की सुविधा एनएसडीएल द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी.

7. कंपनी कार्य मंत्रालय (एमसीए) के दिनांक 13 अप्रैल 2020 के परिपत्र के अनुपालन में वार्षिक महासभा बुलाए जाने की नोटिस बैंक की वेबसाईट www.idbibank.in पर अपलोड किया गया है. यह नोटिस स्टॉक एक्सचेंजों अर्थात् बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड की वेबसाइटों क्रमशः www.bseindia.com तथा www.nseindia.com से भी देखी की जा सकती है. वार्षिक महासभा का नोटिस एनएसडीएल (रिमोट ई-वोटिंग सुविधा उपलब्ध करानेवाली एजेंसी) की वेबसाइट अर्थात् www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है.

8. वार्षिक महासभा में वीसी/ओएवीएम की सुविधा की उपलब्धता एमसीए के दिनांक 8 अप्रैल 2020, 13 अप्रैल 2020 और 5 मई 2020 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू होने वाले प्रावधानों के अनुपालन में है.

9. अंतर्नियम 87 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 में यथा उपबंधित रूप में वार्षिक महासभा के लिए कोरम सभा में कम से कम तीस सदस्यों (एलआईसी के विधिवत् रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि सहित) के वीसी के जरिए उपस्थित होने पर पूरा होगा.

4. The Members can join the AGM in the VC/OAVM mode 30 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. In accordance with the applicable circular, the VC/ OAVM will have a capacity to allow at least 1000 members to participate in the AGM and such participation shall be on first come first serve basis. This will not include large Shareholders (Shareholders holding 2% or more shareholding), Promoters, Institutional Investors, Directors, Key Managerial Personnel, the Chairpersons of the Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee and Stakeholders Relationship Committee, Auditors etc. who are allowed to attend the AGM without restriction on account of first come first serve basis.

5. The attendance of the Members attending the AGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Companies Act, 2013.

6. Pursuant to the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (as amended) and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015 (as amended), and the Circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs dated April 08, 2020, April 13, 2020 and May 05, 2020 the Bank is providing facility of remote e-voting to its Members in respect of the business to be transacted at the AGM. For this purpose, the Bank has entered into an agreement with National Securities Depository Limited (NSDL) for facilitating voting through electronic means, as the authorized agency. The facility of casting votes by a member using remote e-voting system will be provided by NSDL.

7. In line with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) Circular dated April 13, 2020, the Notice calling the AGM has been uploaded on the website of the Bank at www.idbibank.in. The Notice can also be accessed from the websites of the Stock Exchanges, i.e., BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com respectively and the AGM Notice is also available on the website of NSDL (agency for providing the Remote e-Voting facility) i.e. www.evoting.nsdl.com.

8. Providing the facility of VC/OAVM in AGM is in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with MCA Circulars dated April 08, 2020, April 13, 2020 and May 05, 2020.

9. The quorum for the Annual General Meeting, as provided in Section 103 of the Companies Act, 2013 read with Article 87, is thirty members (including a duly authorized representative of the LIC) present in the meeting through VC.

10. शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे शेयर से संबंधित किसी भी मामले के लिए बैंक के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट अर्थात् केफिन टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट सं. 31-32, गच्चीबौली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500 032 [टेलीफोन नं. (040) 67162222, टोल फ्री नं. - 1800-345-4001, फैक्स नं. (040) 23420814, ईमेल:einward.ris@kfintech.com] अथवा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय में बोर्ड विभाग के इक्विटी कक्ष, 22वीं मंजिल, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई-400 005 [टेलीफोन नं. (022) 66553062/3336/3147/2711, ईमेल: idbiequity@idbi.co.in] से संपर्क करें.

11. सदस्यों का रजिस्टर बैंक के पंजीकृत कार्यालय में सभी कार्य दिवसों पर कार्य समय के दौरान पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 1 बजे तक निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगा.

12. यथा संशोधित कंपनी (प्रबंध एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 (नियमावली) के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार:

    i) वार्षिक महासभा की सूचना में दी गई कारोबार की मदों पर इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी और बैंक इस संबंध में सदस्यों को ई-वोटिंग की सुविधा प्रदान कर रहा है.

    ii) रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपने वोट दे चुके सदस्य वार्षिक महासभा में भी भाग ले सकते हैं परंतु वे वार्षिक महासभा में दोबारा अपना वोट देने के पात्र नहीं होंगे.

    iii) लॉगइन आईडी के ब्योरे इस नोटिस में दिए गए हैं.

13. सदस्यों का रजिस्टर और बैंक की शेयर अंतरण बहियाँ मंगलवार, 11 अगस्त 2020 से सोमवार, 17 अगस्त 2020 तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेंगी. नियमावली के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की धारा 108 के प्रावधानों के अनुसार, वार्षिक महासभा सूचना में दी गई कारोबार की मदों पर उन शेयरधारकों द्वारा कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली द्वारा मतदान देकर की जा सकती है जिनके नाम बहियों में सदस्य के रूप में हैं या जो यथा दिनांक 10 अगस्त 2020 (दिनांत), वह तारीख जो रिमोट ई-वोटिंग द्वारा वोट देने के लिए सदस्यों के वोटिंग अधिकार की गणना हेतु निर्दिष्ट तारीख के रूप में निर्धारित है, को शेयरों के हिताधिकारी स्वामी हैं.

रिमोट ई-वोटिंग के लिए सदस्यों हेतु अनुदेश निम्नानुसार हैं:-

रिमोट ई-वोटिंग अवधि बुधवार, 12 अगस्त 2020 को सुबह 9.00 बजे (भारतीय समयानुसार) शुरू होगी और रविवार, 16 अगस्त 2020 को शाम 5.00 बजे (भारतीय समयानुसार) समाप्त होगी. उक्त समयावधि के बाद रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को एनएसडीएल द्वारा वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जाएगा.

मैं एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से किस प्रकार वोट करूं?

एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट करने के तरीके में नीचे निर्दिष्ट किए अनुसार ''दो चरण'' शामिल हैं:

चरण 1 : एसएनडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली के https://www.evoting.nsdl.com/ पर लॉग-इन करें.

10. Shareholders are requested to contact the Registrar & Transfer Agents of the Bank, viz., KFin Technologies Private Limited at their address at Selenium Tower B, Plot No.31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad–500 032 [Tel. No. (040) 67162222, Toll Free No.1800-345-4001, Fax No. (040) 23420814, E-mail:einward.ris@kfintech.com] or the Equity Cell of Board Department of IDBI Bank Ltd. at its Registered Office at IDBI Tower, 22nd floor, B Wing, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai – 400 005 [Tel. No.(022) 66553062/3336/3147/2711, E-mail : idbiequity@idbibank.co.in] with regard to any share related matter.

11. Register of members shall be available for inspection at the Registered Office of the Bank during office hours on all working days between 11 a.m. and 1p.m.

12. In terms of the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 (the Rules) as amended :

    i) The Items of Business given in the AGM Notice shall be transacted through electronic voting system and the Bank is providing e-voting facility to the Members in this regard.

    ii) The members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the AGM, but shall not be entitled to cast their vote again at the AGM.

    iii) Details of login id are given below in this Notice.

13. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Bank will remain closed from Tuesday, August 11, 2020 to Monday, August 17, 2020 (both days inclusive). In terms of the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 (the Act) read with the Rules, the items of Business given in AGM Notice may be transacted through electronic voting system by casting of votes by the Shareholders who appear in the Books as Members or Beneficial Owners of shares as on August 10, 2020 (End of Day), being the Cut-off date fixed for reckoning the voting rights of Members to be exercised by remote e-voting.

THE INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR REMOTE E-VOTING ARE AS UNDER:-

The remote e-voting period begins on and from Wednesday August 12, 2020 at 9.00 A.M. (IST) and ends on Sunday, August 16, 2020 at 5.00 P.M. (IST). The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter.

How do I vote electronically using NSDL e-Voting system?

The way to vote electronically on NSDL e-Voting system consists of "Two Steps" which are mentioned below:

Step 1: Log-in to NSDL e-Voting system at https://www.evoting.nsdl.com/

चरण 2: एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना मतदान करें.

चरण 1 संबंधी विवरण नीचे दिया गया है :

एनएसडीएल ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉग-इन कैसे करें?

1. एनएसडीएल की ई-वोटिंग वेबसाइट पर विजिट करें. अपने पर्सनल कंप्यूटर या मोबाइल पर यूआरएल : https://www.evoting.nsdl.com/ टाइप करते हुए वेब ब्राउज़र खोलें.
2. ई-वोटिंग प्रणाली का होम पृष्ठ एक बार खुल जाने पर ''Login'' आइकॉन पर क्लिक करें जो ''Shareholders'' खंड के अंतर्गत उपलब्ध है.
3. एक नया स्क्रीन खुलेगा. आपको अपना यूजर आईडी, पासवर्ड और स्क्रीन पर दिखाया गया सत्यापन कोड प्रविष्ट करना होगा.

विकल्प के तौर पर, यदि आप एनएसडीएल ईसेवाओं, अर्थात् आईडीईएएस के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपने वर्तमान आईडीईएएस लॉगिन से https://eservices.nsdl.com/ पर लॉग-इन कर सकते हैं. अपने लॉग-इन क्रेडेंशियल का प्रयोग करते हुए एनएसडीएल ईसेवाओं पर लॉग-इन हो जाने पर, e-Voting पर क्लिक कर आप चरण 2, अर्थात् ''Cast your vote electronically'' की तरफ बढ़ सकते हैं.

4. आपके यूजर आईडी संबंधी विवरण नीचे दिये गये हैं:

शेयर धारण करने की पद्धति, अर्थात् डीमैट (एनएसडीएल या सीडीएसएल) या भौतिक	**आपका यूजर आईडी है :**
क) उन सदस्यों के लिए जिनके शेयर एनएसडीएल के डीमैट खाते में हैं.	8 अक्षरों-अंकों से युक्त डीपी आईडी और उसके बाद 8 अंकों का ग्राहक आईडी. उदाहरण के लिए, यदि आपका डीपी आईडी IN300*** और ग्राहक आईडी 12****** है तो आपका यूजर आईडी IN300***12****** होगा.
ख) उन सदस्यों के लिए जिनके शेयर सीडीएसएल डीमैट खाते में हैं.	16 अंकों का लाभार्थी आईडी उदाहरण के लिए, यदि आपका लाभार्थी आईडी 12 ************** है तो आपका यूजर आईडी 12 ************** होगा.
ग) उन सदस्यों के लिए जिनके पास शेयर भौतिक रूप में हैं.	ईवीईएन संख्या और उसके बाद कंपनी के पास पंजीकृत फोलियो संख्या. उदाहरण के लिए, यदि फोलियो संख्या 001*** है और ईवीईएन संख्या 101456 है तो यूजर आईडी 101456001*** होगा.

5. आपका पासवर्ड विवरण नीचे दिया गया है :

   क) यदि आप पहले से ही ई-वोटिंग के लिए पंजीकृत हैं, तो आप अपना वर्तमान पासवर्ड लॉगिन के लिए प्रयोग कर अपना मतदान कर सकते हैं.

Step 2: Cast your vote electronically on NSDL e-Voting system.

Details on Step 1 is mentioned below:

How to Log-in to NSDL e-Voting website?

1. Visit the e-Voting website of NSDL. Open web browser by typing the following URL: https://www.evoting.nsdl.com/ either on a Personal Computer or on a mobile.
2. Once the home page of e-Voting system is launched, click on the icon "Login" which is available under 'Shareholders' section.
3. A new screen will open. You will have to enter your User ID, your Password and a Verification Code as shown on the screen.

Alternatively, if you are registered for NSDL eservices i.e. IDEAS, you can log-in at https://eservices.nsdl.com/ with your existing IDEAS login. Once you log-in to NSDL eservices after using your log-in credentials, click on e-Voting and you can proceed to Step 2 i.e. Cast your vote electronically.

4. Your User ID details are given below :

Manner of holding shares i.e. Demat (NSDL or CDSL) or Physical	**Your User ID is:**
a) For Members who hold shares in demat account with NSDL.	8 Character DP ID followed by 8 Digit Client ID For example if your DP ID is IN300*** and Client ID is 12****** then your user ID is IN300***12******.
b) For Members who hold shares in demat account with CDSL.	16 Digit Beneficiary ID For example if your Beneficiary ID is 12************** then your user ID is 12**************
c) For Members holding shares in Physical Form.	EVEN Number followed by Folio Number registered with the company For example if folio number is 001*** and EVEN is 101456 then user ID is 101456001***

5. Your password details are given below:

   a) If you are already registered for e-Voting, then you can use your existing password to login and cast your vote.

ख) यदि आप एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली का पहली बार प्रयोग कर रहे हैं तो आपको भेजे गए 'प्रारंभिक पासवर्ड' को रिट्रीव करने की आवश्यकता होगी. अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' रिट्रीव करते समय, आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्रविष्ट करना होगा और इसके बाद प्रणाली आपको अनिवार्यतः पासवर्ड बदलने के लिए निर्देश देगी.

ग) आप अपना 'प्रारंभिक पासवर्ड' कैसे रिट्रीव करें ?

(i) यदि आपका ईमेल आईडी आपके डीमैट खाते में या कंपनी के पास पंजीकृत है तो आपका 'प्रारंभिक पासवर्ड' आपके ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा. अपने मेलबॉक्स में एनएसडीएल द्वारा भेजे गए ई-मेल को खोजें. ईमेल और अटैचमेंट, अर्थात् पीडीएफ फाइल खोलें. पीडीएफ फाइल खोलने के लिए पासवर्ड, एनएसडीएल खाते के लिए आपका 8 अंकों का ग्राहक आईडी, सीडीएसएल खाते के लिए ग्राहक आईडी के अंतिम 8 अंक अथवा भौतिक रूप में धारित शेयरों के लिए फोलिओ संख्या है. पीडीएफ फाइल में आपका 'यूजर आईडी' और 'प्रारंभिक पासवर्ड' दिया होगा.

(ii) यदि आपका ईमेल आईडी बैंक / डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत नहीं है, तो आप इस नोटिस में नीचे उल्लिखित चरणों का पालन करें.

6. यदि आप पासवर्ड रिट्रीव नहीं कर पा रहे हैं या आपको 'प्रारंभिक पासवर्ड' प्राप्त नहीं हुआ है या आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो :

क) www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध विकल्प "**Forgot User Details/Password?**" पर क्लिक करें (यदि आपके शेयर एनएसडीएल या सीडीएसएल के पास डीमैट खाते में हैं).

ख) www.evoting.nsdl.com पर "**Physical User Reset Password?**" विकल्प उपलब्ध है (यदि आपके शेयर भौतिक रूप में हैं).

ग) यदि उपर्युक्त दो विकल्पों से भी आपको पासवर्ड नहीं मिलता है तो आप अपने डीमैट खाता संख्या/ फोलियो संख्या, अपने पैन, नाम और पंजीकृत पते का उल्लेख करते हुए evoting@nsdl.co.in पर अपना अनुरोध भेज सकते हैं.

घ) सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर मतदान करने के लिए ओटीपी (वन टाइम पासवर्ड) आधारित लॉगिन का भी प्रयोग कर सकते हैं.

7. अपना पासवर्ड प्रविष्ट करने के बाद, चेक बॉक्स पर चयन करते हुए सहमति के लिए "Agree to Terms and Conditions" पर टिक करें.

8. अब आपको "Login" बटन पर क्लिक करना होगा.

9. "Login" बटन पर क्लिक करने के बाद ई-वोटिंग का होम पृष्ठ खुलेगा.

b) If you are using NSDL e-Voting system for the first time, you will need to retrieve the 'initial password' which was communicated to you. Once you retrieve your 'initial password', you need to enter the 'initial password' and the system will force you to change your password.

c) How to retrieve your 'initial password'?

(i) If your email ID is registered in your demat account or with the company, your 'initial password' is communicated to you on your email ID. Trace the email sent to you from NSDL from your mailbox. Open the email and open the attachment i.e. a .pdf file. Open the .pdf file. The password to open the .pdf file is your 8 digit client ID for NSDL account, last 8 digits of client ID for CDSL account or folio number for shares held in physical form. The .pdf file contains your 'User ID' and your 'initial password'.

(ii) If your email ID is not registered with Bank/ Depository, please follow steps mentioned below in this notice.

6. If you are unable to retrieve or have not received the " Initial password" or have forgotten your password:

a) Click on **"Forgot User Details/ Password?"** (If you are holding shares in your demat account with NSDL or CDSL) option available on www.evoting.nsdl.com.

b) **Physical User Reset Password?"** (If you are holding shares in physical mode) option available on www.evoting.nsdl.com.

c) If you are still unable to get the password by aforesaid two options, you can send a request at evoting@nsdl.co.in mentioning your demat account number/folio number, your PAN, your name and your registered address.

d) Members can also use the OTP (One Time Password) based login for casting the votes on the e-Voting system of NSDL.

7. After entering your password, tick on Agree to "Terms and Conditions" by selecting on the check box.

8. Now, you will have to click on "Login" button.

9. After you click on the "Login" button, Home page of e-Voting will open.

चरण 2 संबंधी विवरण नीचे दिया गया है:

एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना मतदान कैसे करना है ?

1. चरण 1 के अनुसार सफलतापूर्वक लॉगिन करने के बाद आप ई-वोटिंग का होम पेज देख पाएंगे. ''e-voting'' पर क्लिक करें. इसके बाद ''Active Voting Cycles'' पर क्लिक करें
2. ''Active Voting Cycles'' पर क्लिक करने के बाद, आप उन सभी कंपनियों के ''EVEN'', जिनमें आप शेयर धारण करते हैं और जिनके वोटिंग साइकिल सक्रिय स्थिति में हैं, देख पाएंगे.
3. आप उस कंपनी का ''EVEN'' चुनें जिसके लिए आप मतदान करना चाहते हैं.
4. अब वोटिंग पृष्ठ खुलते ही आप ई-वोटिंग के लिए तैयार हैं.
5. उपयुक्त विकल्प, अर्थात् ''Assent'' या ''Dissent'' (सहमत या असहमत) का चयन करते हुए अपना मतदान करें. आप जिन शेयरों के लिए अपना मतदान करना चाहते हैं उनकी संख्या सत्यापित/संशोधित करें तथा ''Submit'' पर क्लिक करें और साथ ही प्रॉम्प्ट किए जाने पर ''Confirm'' पर क्लिक करें.
6. पुष्टिकरण के बाद, ''Vote Cast Successfully'' संदेश प्रदर्शित होगा.
7. आप पुष्टीकरण पृष्ठ पर ''Print'' विकल्प पर क्लिक कर अपने द्वारा किए गए मतदान का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं.
8. संकल्प पर अपने मतदान की पुष्टि करने के बाद आप अपने मतदान में संशोधन नहीं कर सकेंगे.

शेयरधारकों के लिए सामान्य दिशानिर्देश

1 संस्थागत शेयर धारकों (अर्थात् व्यक्ति, एचयूएफ, एनआरआई आदि से भिन्न) से अपेक्षित है कि वे मतदान करने के लिए विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरी(यों) के सत्यापित नमूना हस्ताक्षर के साथ संबंधित बोर्ड संकल्प/ प्राधिकार पत्र आदि की स्कैन प्रति (पीडीएफ, जेपीजी फॉर्मेट) को scrutinizer@snaco.net के जरिये संवीक्षक को भेजें और उसकी प्रति evoting@nsdl.co.in को भेजें.

2. इस बात की पुरजोर सिफ़ारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा उसे गोपनीय रखने में पूरी सावधानी बरतें. सही पासवर्ड प्रविष्ट करने के पाँच असफल प्रयास के बाद ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन निष्क्रिय हो जाएगा. ऐसी स्थिति में इसे रीसेट करने के लिए आपको www.evoting.nsdl.com साइट पर उपलब्ध ''Forgot User Details/Password?'' या ''Physicai User Reset Password?'' के विकल्प पर जाना होगा.

3. किसी भी जानकारी के लिए आप www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड खंड में उपलब्ध 'शेयरधारकों के लिए आम तौर पर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)' तथा 'शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग मैनुअल' देख सकते हैं अथवा टोल फ्री नंबर 1800-222-990 / 91-22-24994545 पर कॉल करें अथवा Pallavid@nsdl.co.in, Amitv@nsdl.co.in (सुश्री पल्लवी म्हात्रे और श्री अमित विशाल) और evoting@nsdl.co.in पर को अनुरोध मेल भेज सकते हैं.

Details on Step 2 is given below:

How to cast your vote electronically on NSDL e-Voting system?

1. After successful login at Step 1, you will be able to see the Home page of e-Voting. Click on e-Voting. Then, click on Active Voting Cycles.
2. After click on Active Voting Cycles, you will be able to see all the companies "EVEN" in which you are holding shares and whose voting cycle is in active status.
3. Select "EVEN" of company for which you wish to cast your vote.
4. Now you are ready for e-Voting as the Voting page opens.
5. Cast your vote by selecting appropriate options i.e. assent or dissent, verify/modify the number of shares for which you wish to cast your vote and click on "Submit" and also "Confirm" when prompted.
6. Upon confirmation, the message "Vote cast successfully" will be displayed.
7. You can also take the printout of the votes cast by you by clicking on the print option on the confirmation page.
8. Once you confirm your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

General Guidelines for shareholders

1 Institutional shareholders (i.e. other than individuals, HUF, NRI etc.) are required to send scanned copy (PDF/JPG Format) of the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. with attested specimen signature of the duly authorized signatory(ies) who are authorized to vote, to the Scrutinizer by e-mail to scrutinizer@snaco.net with a copy marked to evoting@nsdl.co.in.

2. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential. Login to the e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key in the correct password. In such an event, you will need to go through the "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com to reset the password.

3. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222-990/ 91-22-24994545 or send a request to (Ms. Pallavi Mhatre and Mr. Amit Vishal) at Pallavid@nsdl.co.in, Amitv@nsdl.co.in and evoting@nsdl.co.in.

इस नोटिस में निर्दिष्ट संकल्पों के लिए ई-वोटिंग करने हेतु प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और ई-मेल आईडी पंजीकृत कराने के लिए उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनके ईमेल आईडी डिपॉजिटरियों के पास पंजीकृत नहीं हैं:

1. यदि शेयर कागजी स्वरूप में धारित हैं तो कृपया फोलियो संख्या, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन प्रति (मुखपृष्ट और पृष्ठ भाग दोनों), पैन (पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति) ईमेल से idbiequity@idbi.co.in.पर भेजें.

   यदि शेयर डिमैट स्वरूप में धारित हैं तो कृपया डीपीआईडी-सीएलआईडी (16 अंकीय डीपीआईडी + सीएलआईडी अथवा 16 अंकीय लाभार्थी आईडी), नाम, ग्राहक मास्टर अथवा समेकित लेखा विवरण, पैन (पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्व-प्रमाणित स्कैन प्रति) ईमेल से idbiequity@idbi.co.in पर भेजें.

2. विकल्प के तौर पर सदस्य ऊपर पैरा (1) अथवा (2) , जैसी स्थिति हो, में उल्लिखित विवरण उपलब्ध कराते हुए प्रयोक्ता आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करने के लिए evoting@nsdl.co.in पते पर अनुरोध ई-मेल भेज सकते हैं.

वार्षिक महासभा के दिन ई-वोटिंग के लिए सदस्यों हेतु अनुदेश निम्नानुसार हैं:-

1. वार्षिक महासभा के दिन ई-वोटिंग की प्रक्रिया रिमोट ई-वोटिंग के लिए ऊपर दिए गए अनुदेशों के समान है.
2. केवल वे सदस्य/शेयरधारक जो वीसी/ओएवीएम सुविधा के जरिए वार्षिक महासभा में उपस्थित रहेंगे और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से संकल्पों पर मतदान नहीं किए हैं और जो अन्यथा ऐसा करने से वर्जित नहीं हैं, वे वार्षिक महासभा में ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए मतदान करने के लिए पात्र होंगे.
3. जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के जरिए मतदान किया है वे वार्षिक महासभा में भाग लेने के लिए पात्र होंगे. तथापि, वे वार्षिक महासभा में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होंगे.
4. एजीएम के दिन ई-वोटिंग के लिए सुविधा से संबंधित किसी प्रकार की शिकायत के लिए संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का विवरण वही रहेगा जैसा रिमोट ई-वोटिंग के लिए उल्लेख किया गया है.

वीसी/ओएवीएम के जरिए एजीएम में भाग लेने के लिए सदस्यों हेतु अनुदेश निम्नानुसार हैं:

1. सदस्य को एनएसडीएल ई-वोटिंग प्रणाली के जरिए वीसी/ओएवीएम के माध्यम से वार्षिक महासभा में भाग लेने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. सदस्य रिमोट ई-वोटिंग परिचय सूचना का प्रयोग कर https://www.evoting.nsdl.com पर शेयरधारक/सदस्य लॉगिन के अंतर्गत इसे एक्सेस कर सकते हैं. वीसी/ओएवीएम के लिए लिंक शेयरधारक/सदस्य लॉगिन में उपलब्ध होगा जहाँ कंपनी की ईवीईएन प्रदर्शित की जाएगी. कृपया नोट करें कि जिन सदस्यों के पास ई-वोटिंग के लिए प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड नहीं है अथवा जो प्रयोक्ता आईडी और पासवर्ड भूल गए हैं वे नोटिस में उल्लेख किए अनुसार रिमोट ई-वोटिंग अनुदेशों का अनुसरण करते हुए इन्हें पुनः प्राप्त (रिट्रीव) कर लें ताकि अंतिम समय में होने वाली भीड़ से बचा जा सके.

Process for those shareholders whose email ids are not registered with the depositories for procuring user id and password and registration of e mail ids for e-voting for the resolutions set out in this notice :

1. In case shares are held in physical mode please provide Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to idbiequity@idbi.co.in.

   In case shares are held in demat mode, please provide DPID-CLID (16 digit DPID + CLID or 16 digit beneficiary ID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) to idbiequity@idbi.co.in.

2. Alternatively member may send an e-mail request to evoting@nsdl.co.in for obtaining User ID and Password by proving the details mentioned in Point (1) or (2) as the case may be.

INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR e-VOTING ON THE DAY OF THE AGM ARE AS UNDER:-

1. The procedure for e-Voting on the day of the AGM is same as the instructions mentioned above for remote e-voting.
2. Only those Members/ shareholders, who will be present in the AGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolutions through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system in the AGM.
3. Members who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM.
4. The details of the person who may be contacted for any grievances connected with the facility for e-Voting on the day of the AGM shall be the same person mentioned for Remote e-voting.

INSTRUCTIONS FOR MEMBERS FOR ATTENDING THE AGM THROUGH VC/OAVM ARE AS UNDER:

1. Member will be provided with a facility to attend the AGM through VC/OAVM through the NSDL e-Voting system. Members may access the same at https://www.evoting.nsdl.com under shareholders/members login by using the remote e-voting credentials. The link for VC/OAVM will be available in shareholder/members login where the EVEN of Company will be displayed. Please note that the members who do not have the User ID and

इसके अतिरिक्त सदस्य एनएसडीएल की ई-वोटिंग प्रणाली में लॉग करने के लिए ओटीपी आधारित लॉगिन का भी प्रयोग कर सकते हैं.

2. बेहतर अनुभव के लिए सदस्य लैपटॉप के जरिए बैठक में भाग लें तो ज्यादा सहूलियत होगी.

3. इसके अलावा, सदस्यों को कैमरा के लिए अनुमति देनी होगी और अच्छी स्पीड वाले इंटरनेट का प्रयोग करना होगा ताकि बैठक के दौरान किसी प्रकार की रुकावट को टाला जा सके.

4. कृपया नोट करें कि मोबाईल उपकरणों अथवा टैबलेट अथवा मोबाईल हॉटस्पॉट के जरिए जुड़े लैपटॉप से कनेक्ट होने वाले सहभागियों को उनके संबंधित नेटवर्क में उतार-चढ़ाव के कारण ऑडियो/वीडियो की अनुपलब्धता का सामना करना पड़ सकता है. अतः स्थिर वाई-फ़ाई अथवा लैन कनेक्शन का इस्तेमाल करने की सिफारिश की जाती है ताकि ऊपर उल्लेख की गई समस्याओं को कम किया जा सके.

5. बैठक के दौरान वक्ता के रूप में पंजीकरण के लिए इच्छुक शेयरधारक अपने नाम, डिमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाईल नंबर का उल्लेख करते हुए अपने अनुरोध 10 अगस्त 2020 को पूर्वाह्न 9.00 बजे से 12 अगस्त 2020 को अपराह्न 6.00 बजे तक बैंक के ई-मेल पते (idbiequity@idbi.co.in) पर भेज सकते हैं. महासभा के लिए समय की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, बैंक महासभा में वक्ताओं की संख्या सीमित करने का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है.

6. अपने विचार रखने/ प्रश्न पूछने के इच्छुक शेयरधारक अपने नाम, डिमैट खाता संख्या/फोलियो संख्या, ई-मेल आईडी, मोबाईल नंबर का उल्लेख करते हुए अपने प्रश्नों को अग्रिम रूप से बैंक के ई-मेल पते (idbiequity@idbi.co.in) पर 10 अगस्त 2020 को पूर्वाह्न 9.00 बजे से 12 अगस्त 2020 को अपराह्न 6.00 बजे तक भेज सकते हैं. बैंक द्वारा उनके प्रश्नों के समुचित रूप से उत्तर दिए जाएंगे.

7. जिन सदस्यों ने अपने को वक्ता के रूप में पंजीकृत कराया है केवल उन्हीं को बैठक के दौरान अपने विचार रखने/ प्रश्न पूछने की अनुमति दी जाएगी.

8. जिन सदस्यों को वार्षिक महासभा से पहले या महासभा के दौरान वीसी / ओएवीएम के संबंध में सहायता की जरुरत होगी, वे एनएसडीएल को 1800-222-900 पर फोन कर या श्री संजीव यादव को Sanjeevy@nsdl.co.in पर ईमेल भेज कर संपर्क कर सकते हैं.

ऐसे व्यक्तियों के लिए ई-वोटिंग के संबंध में अनुदेश, जो महासभा सूचना के प्रेषण की गणना के लिए निर्दिष्ट (कट-ऑफ) तारीख अर्थात् 10 जुलाई 2020 के बाद और 10 अगस्त 2020 तक (जो शेयरधारकों के मताधिकार की गणना के लिए निर्दिष्ट तारीख है) बैंक के सदस्य बने हैं.

ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 10 जुलाई 2020 (वार्षिक महासभा की सूचना के प्रेषण की गणना के लिए निर्दिष्ट तारीख) से 10 अगस्त 2020 तक (सदस्यों के मताधिकार की गणना के लिए निर्दिष्ट तारीख) की अवधि के दौरान शेयर अर्जित किए हैं और 10 अगस्त 2020 की उक्त निर्दिष्ट तारीख तक सदस्य बने हुए हैं, वे रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं. ऐसे सदस्य अपनी शेयरधारिता के विवरण अर्थात् नाम, धारित शेयरों की संख्या, फोलियो संख्या या डीपी आईडी/ क्लाइंट आईडी संख्या आदि देते

Password for e-Voting or have forgotten the User ID and Password may retrieve the same by following the remote e-Voting instructions mentioned in the notice to avoid last minute rush. Further members can also use the OTP based login for logging into the e-Voting system of NSDL.

2. Members are encouraged to join the Meeting through Laptops for better experience.

3. Further, Members will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.

4. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.

5. Shareholders who would like to register themselves as a speaker during the meeting may send their request mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at (Bank's email id. idbiequity@idbi.co.in) from 9.00 a.m. on August 10, 2020 till 6.00 p.m. on August 12, 2020. Bank reserves the right to restrict the number of speakers depending on the availability of time for the AGM.

6. Shareholders who would like to express their views/have questions may send their questions in advance mentioning their name demat account number/folio number, email id, mobile number at (Bank's email id. idbiequity@idbi.co.in) from 9.00 a.m. on August 10, 2020 till 6.00 p.m. on August 12, 2020. The same will be replied by the Bank suitably.

7. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.

8. Members who need assistance regarding VC/ OAVM, before or during the AGM, can contact NSDL on 1800-222-990 or email to Mr. Sanjeev Yadav at Sanjeevy@nsdl.co.in.

Instructions in respect of e-voting to persons, who have become members of the Bank after the cut-off date for reckoning the dispatch of AGM Notice, i.e., July 10, 2020 and upto August 10, 2020 (being the cut-off date reckoned for voting rights of shareholders)

Persons who have acquired shares during the period from July 10, 2020 (cut-off date for reckoning the dispatch of AGM Notice) till August 10, 2020 (cut-off date for reckoning voting rights of members) and are continuing to be Members as on the said cut-off date of August 10, 2020, can exercise their voting right through remote e-voting. Such Members may obtain the login ID and

हुए evoting@nsdl.co.in पर अनुरोध भेजकर एनएसडीएल से लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं. तथापि, यदि आप रिमोट ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल में पहले से पंजीकृत हैं तो आप अपना वोट देने के लिए अपने मौजूदा प्रयोक्ता आईडी तथा पासवर्ड का प्रयोग कर सकते हैं. यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो www.evoting.nsdl.com पर उपलब्ध ''Forgot User Details/ Password?'' अथवा ''Physical User Reset Password?'' विकल्प का प्रयोग कर उसे रीसेट कर सकते हैं.

कृपया नोट करें कि:

- सदस्यों के मताधिकार 10 अगस्त 2020 की निर्दिष्ट तारीख को बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होंगे..
- कोई भी सदस्य रिमोट ई-वोटिंग के जरिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के बाद भी महासभा में भाग ले सकते हैं, किन्तु उन्हें महासभा में दोबारा वोट देने की अनुमति नहीं होगी.
- सही पासवर्ड प्रविष्ट करने के पाँच असफल प्रयास के बाद ई-वोटिंग वेबसाइट पर लॉगिन निष्क्रिय हो जाएगा. ऐसी स्थिति में इसे रीसेट करने के लिए साइट पर उपलब्ध ''Forgot User Details/ Password?'' अथवा ''Physical User Reset Password?'' विकल्प पर जाना होगा.
- आपके लॉगिन आईडी और मौजूदा पासवर्ड का प्रयोग आपके द्वारा उन कंपनियों द्वारा प्रस्तुत संकल्पों पर अनन्य रूप से ई-वोटिंग के लिए किया जा सकता है जिनमें आप शेयरधारक हैं.
- इस बात की पुरजोर सिफ़ारिश की जाती है कि आप अपना पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को न बताएं तथा उसे गोपनीय रखने में पूरी सावधानी बरतें.
- सदस्य कृपया नोट करें कि रिमोट ई-वोटिंग सुविधा रविवार, 16 अगस्त 2020 को शाम 5:00 बजे (भारतीय मानक समय) से बंद कर दी जाएगी.
- ऐसे सदस्य, जो 10 अगस्त 2020 अर्थात् इस प्रयोजन के लिए नियत निर्दिष्ट तारीख को बैंक के सदस्य नहीं है, वे इस नोटिस को केवल सूचनार्थ समझें.

इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए आप बैंक के रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट केफिन टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नं. 31-32, गच्चीबौली, फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद - 500 032 [टेलीफोन नं. (040) 67162222, टोल फ्री नं. - 1800-345-4001, फैक्स नं. (040) 23420814, ईमेलः einward.ris@kfintech.com] अथवा आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय में बोर्ड विभाग के इक्विटी कक्ष, 22वीं मंजिल, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400 005 (022 - 66553336 / 3062 / 3147/2711) अथवा एनएसडीएल - टोल फ्री नं. 1800 222 990 पर संपर्क करें.

14. बैंक ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया संचालित करने के लिए कंपनी सेक्रेटरीज मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कंपनी की साझेदार सुश्री अपर्णा गाडगिल अथवा उनके न आने की स्थिति में सुश्री अश्विनी वर्तक को संवीक्षक नियुक्त किया है.

password from NSDL by sending a request to evoting@nsdl.co.in by giving their shareholding details, viz., Name, Shares held, Folio No. or DP ID / Client ID No., etc. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting, you can use your existing user ID and password for casting your vote. If you forgot your password, you can reset the same by using "Forgot User Details/Password" or "Physical User Reset Password?" option available on www.evoting.nsdl.com.

Please note that:

- The voting rights of members shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date of August 10, 2020.
- A member may participate in the AGM even after exercising his right to vote through remote e-voting but shall not be allowed to vote again during the AGM.
- Login to e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key-in the correct password. In such an event, you will need to go to "Forgot User Details/Password?" or "Physical User Reset Password?" option available on the website to reset the same.
- Your login id and existing password can be used by you exclusively for e-voting on the resolutions placed by the companies in which you are the shareholder.
- It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep it confidential.
- Members may kindly note that, the remote e-voting facility shall be blocked forthwith on Sunday, August 16, 2020 at 5.00 p.m. (IST).
- The persons, who are not Members of the Bank as on August 10, 2020, i.e., Cut-off date fixed for the purpose, shall treat this Notice as for information only.

For any further details in this regard, you may contact KFin Technologies Private Limited, RTA of the Bank located at Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad–500 032 [Tel. No. (040) 67162222, Toll Free No.1800-345-4001, Fax No. (040) 23420814, E-mail: einward.ris@kfintech.com] or IDBI Bank Ltd., Equity Cell, Board Department, 22nd Floor, B Wing, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai-400 005 (022- 66553336 /3062/3147/2711) or NSDL -Toll Free No. 1800 222 990.

14. The Bank has appointed Ms. Aparna Gadgil or failing her Ms. Ashwini Vartak, Partners of M/s. S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the e-voting process in a fair and transparent manner.

15. संवीक्षक की रिपोर्ट के साथ ई-वोटिंग के परिणाम दिनांक 19 अगस्त 2020 को या उससे पूर्व बैंक की वेबसाइट www.idbibank.in तथा एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर घोषित किए जाएंगे. इसके अलावा ई-वोटिंग के परिणाम उसी दिन भारतीय नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड (एनएसई) तथा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) को भी सूचित किए जाएंगे.

16. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने प्रतिभूति बाजार में प्रत्येक प्रतिभागी द्वारा स्थायी खाता संख्या (पैन) प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है. अतः इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर धारित करनेवाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे उस डिपॉजिटरी सहभागी के पास अपना पैन प्रस्तुत करें जिसके पास उनके डीमैट खाते हैं. भौतिक रूप में शेयर धारित करने वाले सदस्य आईडीबीआई बैंक / केफिन टेक्नोलॉजीस प्रा. लि. को अपना पैन प्रस्तुत कर सकते हैं.

तत्काल ध्यान देने के लिए महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ:

01. कंपनी (निगमन) नियमावली, 2014 के नियम 35 के साथ पठित और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 20 और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 18(3) के साथ पठित धारा 101 की शर्तों के अनुसार, उन सभी सदस्यों से, जिन्होंने आज की तारीख तक ईमेल-आईडी (यों) को बैंक के पास पंजीकृत/ अद्यतन नहीं किया है, अनुरोध किया जाता है कि वे आईडीबीआई बैंक से इलेक्ट्रॉनिक रूप में महासभा की सूचना और/ या अन्य सूचनाएँ प्राप्त करने हेतु उपर्युक्त ब्योरे हमें उपलब्ध कराएं.

02. दिनांक 20 अप्रैल 2018 के सेबी परिपत्र सं. सेबी / एचओ / एमआईआरएसडी / डीओपी1 / सीआईआर / पी / 2018/73 के अनुसार, जिसमें निर्गमकर्ता कंपनी और आरटीए को कागजी रूप में प्रतिभूति धारण करने वाले सभी प्रतिभूति धारकों के पैन कार्ड तथा बैंक खाते के ब्योरों की प्रति एकत्र करने के निर्देश दिये गए थे, बैंक के उन सभी शेयरधारकों जिनके पास शेयर कागजी स्वरूप में हैं से अनुरोध है कि वे पहले जिस शेयरधारक का नाम दिया गया है उसके और अन्य सभी संयुक्त शेयरधारकों के पैन कार्ड की प्रति/प्रतियाँ और बैंक की वेबसाइट www.idbibank.in पर उपलब्ध अपेक्षित फॉर्म में बैंक खाते के ब्योरे (यदि पहले प्रस्तुत न किए हों तो) प्रस्तुत करें. विधिवत भरा हुआ फॉर्म उसमें उल्लखित दस्तावेजों सहित उसमें दिये गए पते पर प्रस्तुत किया जाए. इससे सेबी के उपर्युक्त के अनुपालन और शेयरधारक/कों के अधिदेशित बैंक खाते में रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान पद्धति जैसे ईसीएस [एलईसीएस (स्थानीय ईसीएस)/ आरईसीएस (क्षेत्रीय ईसीएस)/ एनईसीएस (राष्ट्रीय ईसीएस)], नेफ्ट आदि के माध्यम से लाभांश (यदि कोई घोषित किया गया हो) के भुगतान में सुविधा होगी.

03. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124(5) के प्रावधानों के अनुसार और यथा संशोधित निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखांकन, लेखापरीक्षा, अंतरण और धन वापसी) नियमावली, 2016 की शर्तों के अनुसार, सभी अप्रदत्त या अदावित लाभांश जो अंतरण की तारीख से 7 वर्ष तक अदावित लाभांश खाते में पड़े हैं, को धारा 125(1) के अंतर्गत स्थापित खाते में बैंक द्वारा अंतरित कर दिया जाएगा. इसके अनुपालन में इस वर्ष बैंक से वित्तीय वर्ष 2012-13 के अदावित लाभांश को निधि में अंतरित करना अपेक्षित है. शेयरधारक जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए लाभांश

15. The result of e-voting along with Scrutinizer's Report will be announced on or before August 19, 2020 by displaying the same on Bank's Website www.idbibank.in and NSDL's website www.evoting.nsdl.com. The result of e-voting will also be disclosed to National Stock Exchange of India Ltd. and BSE Ltd. on the same day.

16. The Securities and Exchange Board of India (SEBI) has mandated the submission of Permanent Account Number (PAN) by every participant in Securities Market. Members holding shares in electronic form are, therefore, requested to submit their PAN to the Depository Participant with whom they are maintaining Demat accounts. Members holding shares in physical form can submit their PAN to IDBI Bank/ KFin Technologies Pvt. Ltd.

IMPORTANT NOTES FOR URGENT ATTENTION:

01. In terms of Section 20 of the Companies Act, 2013 read with Rule 35 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 and Section 101 read with Rule 18(3) of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, Members, who have not registered / updated their e-mail id(s) with the Bank are requested, to kindly provide the said details in order to receive Notices of General Meetings and / or other communications from IDBI Bank in electronic form.

02. In terms of SEBI Circular No. SEBI/HO/MIRSD/DOP1/CIR/P/2018/73 dated April 20, 2018, directing the issuer company and RTA to collect copy of PAN card and Bank Account details of all security holders holding securities in physical form, all Shareholders of the Bank who hold shares in physical form are requested to furnish the copy/ies of PAN card of first named shareholder & all joint shareholders and furnish Bank account details (if not already furnished) in the requisite form, which is available on Bank's website www.idbibank.in. Duly filled in form, along with the documents mentioned therein, may please be submitted to the addresses provided therein. This will facilitate compliance of SEBI's aforesaid circular and payment of dividend (declared, if any) through RBI approved Electronic mode of payment such as ECS [LECS (Local ECS) /RECS (Regional ECS) / NECS (National ECS)], NEFT etc., in the mandated Bank Account of the Shareholder/s.

03. As per the provisions of Section 124(5) of the Companies Act, 2013 and in terms of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended, all unpaid or unclaimed dividends, for a period of seven years from the date of transfer of such dividend to unclaimed dividend account, shall be transferred by the Bank to the Fund established under Section 125(1). In compliance thereof, this year the Bank is required to transfer unclaimed dividend for the FY 2012-13 to the Fund. The shareholders, who have not yet claimed the dividend for FY 2012-13 are requested

का दावा अभी तक नहीं किया है उनसे अनुरोध है कि वे नियमावली के अनुसार उक्त दावे के लिए बैंक से संपर्क करें. शेयरधारकों के अदावित लाभांश के ब्योरे बैंक की वेबसाइट पर रखे गए हैं.

04. सेबी दिशानिर्देश सभी शेयरधारकों को अपने शेयर डीमैट स्वरूप में रखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं. शेयरधारकों, जिनके शेयर कागजी रूप में हैं, से अनुरोध है कि वे सेबी द्वारा पंजीकृत डिपॉजिटरी भागीदार के पास डीमैट खाता खुलवाने के बाद अपनी शेयरधारिता को कागजी स्वरूप से डीमैट स्वरूप में शीघ्र परिवर्तित करवा लें.

यह स्पष्ट किया जाता है कि रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा लेने के लिए केवल वही शेयरधारक पात्र होंगे जो सदस्यों की बही में दर्ज हैं अथवा जो उपर्युक्त निर्दिष्ट तारीख 10 अगस्त 2020 को शेयरों के लाभार्थी स्वामी हैं.

to approach the Bank for claiming the same in terms of the Rules. The details of unclaimed dividends of the shareholders have been hosted on the Bank's website.

04. SEBI guidelines encourage all shareholders to hold their shares in Demat form. The shareholder/s, who hold their shares in physical form are requested to convert their shareholdings from physical form to Demat form at the earliest, after opening a Demat Account with any SEBI registered Depository Participant.

It is clarified that only the shareholders who appear in the Books as Members or Beneficial Owners of shares as on the Cut-off date of August 10, 2020, will be entitled to avail the facility of remote e-voting.

नोटिस का अनुबंध

सूचना की मदों के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण

1. सूचना की मद संख्या 3 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

बैंक के संस्था अंतर्नियम के नियम 187 के अनुसार यह अपेक्षित है कि बैंक के लेखों की लेखापरीक्षा, एक या अधिक ऐसे लेखापरीक्षकों द्वारा करवायी जाए, जिन्हें बैंक द्वारा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30 (1ए) के निबंधनों के अनुसार रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से नियुक्त किया गया हो. मेसर्स एम. पी. चितले, सनदी लेखाकार, मुंबई (फर्म पंजीकरण सं. 101851डब्ल्यू), मेसर्स के एस अय्यर एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, मुंबई (फर्म पंजीकरण सं.100186डब्ल्यू) तथा मेसर्स जे एल एन यू एस एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, वड़ोदरा (फर्म पंजीकरण सं.101543डब्ल्यू) को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आईडीबीआई बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था और मेसर्स केपीएमजी, सनदी लेखाकार को डीआईएफसी, दुबई शाखा के लिए लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था. ये लेखापरीक्षक 16वीं वार्षिक महासभा की समाप्ति तक अपने पद पर बने रहेंगे. भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अधीन, वर्ष 2020-21 के लिए बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों और डीआईएफसी, दुबई के लिए लेखापरीक्षक की नियुक्ति / पुनर्नियुक्ति की जानी है और ये लेखापरीक्षक इस वर्ष की वार्षिक महासभा की समाप्ति से 17वीं वार्षिक महासभा की समाप्ति तक अपने पद पर बने रहेंगे. वर्तमान में बैंक के प्रधान कार्यालय, शाखाओं और अन्य कार्यालयों के खातों की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्टिंग सहित लेखा परीक्षा के लिए ₹ 3 करोड़ (केवल तीन करोड़ रुपए) वार्षिक पारिश्रमिक और अधिकतम ₹ 36 लाख की प्रतिपूर्ति और लागू दरों पर कर निर्धारित किए गए हैं. तथापि, सांविधिक लेखापरीक्षकों के लिए निबंधन और शर्तें तथा पारिश्रमिक लेखापरीक्षा समिति की सिफ़ारिशों के आधार पर बैंक के निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित किया जाएगा. इस संबंध में प्रस्तावित शुल्क रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुसार और अधीन होगा. यह प्रस्ताव किया जाता है कि सामान्य संकल्प पारित कर निदेशक मंडल को बैंक और डीआईएफसी, दुबई शाखा हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए क्रमशः सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक और लेखापरीक्षक नियुक्त/पुनर्नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया जाए जो लेखापरीक्षा समिति की सिफ़ारिशों और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक से प्राप्त किए जानेवाले अनुमोदन के अनुसार होगा.

निदेशक मंडल वार्षिक महासभा की सूचना की मद सं. 3 में निहित विषय को सामान्य संकल्प के रूप में पारित किये जाने सिफ़ारिश करता है. कोई भी निदेशक या प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संकल्प पारित करवाने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं.

2. सूचना की मद सं. 4 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

(i) समय-समय पर जारी किए गए संबंधित विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक से अपेक्षित है कि वह टियर I पूंजी बनाए रखे. बासेल III मानदंडों के कार्यान्वयन और परिणामी पूंजी प्रभार को देखते हुए, पूंजी पर्याप्तता अनुपात को और मजबूत बनाने के लिए पूंजी बढ़ाने की आवश्यकता है. क्यूआईपी मार्ग के अंतर्गत पूंजी के निर्गम के लिए 20 अगस्त 2019 को आयोजित पिछली वार्षिक महासभा में पारित विशेष संकल्प, क्यूआईपी के लिए सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018 के निबंधनों के अनुसार सिर्फ एक वर्ष के लिए वैध है.

ANNEXURE TO THE NOTICE

Explanatory Statements in respect of items of the Notice

1. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 3 of the Notice

In terms of Article 187 of the Articles of Association, the accounts of the Bank are required to be audited by one or more auditors to be appointed with the prior approval of RBI in terms of Section 30(1A) of the Banking Regulation Act, 1949. M/s M.P. Chitale, Chartered Accountants, Mumbai (Firm Regn. No.101851W), M/s K S Aiyar & Co., Chartered Accountants, Mumbai(Firm Regn. No.100186W) and M/s JLN U S & Co., Chartered Accountants, Vadodara (Firm Regn. No.101543W) were re-appointed as Statutory Central Auditors of IDBI Bank for the year 2019-20 and M/s KPMG, Chartered Accountants were appointed as Auditors for DIFC, Dubai Branch to hold office till the conclusion of 16th Annual General Meeting. Subject to approval of RBI, Statutory Central Auditors of the Bank and Auditors of DIFC, Dubai Branch are to be appointed/ reappointed for the year 2020-21 to hold office from conclusion of this AGM till the conclusion of 17th Annual General Meeting. Presently, the annual remuneration/fee is at ₹ 3 crore (Rupees Three Crore only) plus reimbursement capped at ₹ 36 lakhs and taxes at the applicable rates, for the purpose of audit including reporting on internal financial controls of the Bank's accounts at its head office, branches and other offices. However, the terms & conditions and remuneration of the Statutory Auditors would be as fixed by the Board of Directors of the Bank on the recommendation of the Audit Committee. The proposed fees would also be subject to and in line with the directions of RBI in this regard. By passing an ordinary resolution, it is proposed to authorize the Board of Directors to appoint/ reappoint Statutory Central Auditors of the Bank and Branch Auditors for DIFC, Dubai Branch for FY 2020-21 as recommended by Audit Committee and in line with the RBI approval to be received in this regard.

The Board of Directors recommends passing of the Ordinary Resolution as contained at Item No. 3 of the AGM Notice. None of the Directors, Key Managerial Personnel and their relatives, are whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise in the passing of this resolution.

2. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 4 of the Notice

(i) The Bank is required to maintain its Tier I capital in accordance with the relevant Regulatory guidelines issued from time to time. In view of ongoing implementation of BASEL III norms and consequential capital charge, there is a need to increase the capital to further strengthen the Capital Adequacy Ratio. The Special Resolution passed at the last AGM held on August 20, 2019 for Issue of Capital under QIP route, is valid only for one year in terms of SEBI (ICDR) Regulations, 2018 for QIPs.

(ii) बैंक प्रदत्त पूंजी को बढ़ाने के लिए रिज़र्व बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम और/ अथवा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, से आवश्यक अनुमोदन, यदि कोई हो, प्राप्त करेगा.

(iii) यह संकल्प कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 और 62(1)(सी) के अनुसरण में विशेष संकल्प के रूप में पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित है जो सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 41(4) के के साथ पठित है, बशर्ते कि जब भी बैंक द्वारा दोबारा कोई निर्गम या ऑफर लाया जाता है, तब वर्तमान शेयरधारकों को वह ऑफर आनुपातिक आधार पर दिया जाना चाहिए जब तक कि महासभा में शेयरधारक अन्यथा कोई निर्णय न लें. यदि उक्त संकल्प पारित होता है तो निदेशक मंडल को बैंक की ओर से यह अधिकार होगा कि वह मौजूदा शेयरधारकों को आनुपातिक आधार पर या इतर प्रतिभूतियां जारी और आबंटित कर सके.

(iv) इस संकल्प का उद्देश्य बैंक को सार्वजनिक निर्गम, अधिकार निर्गम, निजी नियोजन आधार पर निर्गम, क्यूआईपी, ईएसपीएस, ईएसओपी आदि के जरिए कुल ₹ 11000 करोड़ (प्रीमियम राशि सहित) के इक्विटी शेयरों को ऑफर करने, निर्गमित करने और आबंटित करने के लिए समर्थ बनाना है.

(v) इस निर्गम से प्राप्त राशि से बैंक समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट रूप में अपनी पूंजी पर्याप्तता आवश्यकता को मजबूत बना सकेगा.

(vi) इस संकल्प का उद्देश्य सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018 में परिभाषित रूप में अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेताओं के पास अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन करने के लिए निदेशक मंडल को अतिरिक्त अधिकार देना है. निदेशक मंडल बैंक के लिए निधि जुटाने हेतु अपने विवेकानुसार शेयरधारकों से नया अनुमोदन प्राप्त किए बिना सेबी (आईसीडीआर) विनियम के अध्याय VI के अंतर्गत निर्धारित इस व्यवस्था को अपना सकता है.

(vii) आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के निबंधनों के अनुसार क्यूआईपी निर्गम के मामले में, क्यूआईपी आधार पर, प्रतिभूतियों का निर्गम ऐसे मूल्य पर किया जाए जो कि "संगत तारीख" से पहले के दो सप्ताहों के दौरान स्टॉक एक्सचेंज में उद्धृत शेयरों के बंद भावों के साप्ताहिक अधिकतम और न्यूनतम मूल्यों के औसत से कम न हो. बोर्ड कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 53 के अधीन सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018 के निबंधनों के अनुसार निर्धारित 'आधार मूल्य' से अधिकतम 5 प्रतिशत छूट पर या ऐसी किसी अन्य छूट पर, जो लागू विनियमों के अंतर्गत अनुमत हो, स्वविवेकानुसार इक्विटी शेयर जारी कर सकता है.

(viii) ''संगत तारीख'' से बैठक की वह तारीख अभिप्रेत होगी जिसमें बोर्ड या बोर्ड की समिति क्यूआईपी निर्गम खोलने के बारे में निर्णय ले.

(ix) सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018 के अनुसार ऐसे क्यूआईपी हेतु विशेष संकल्प की वैधता इस वार्षिक महासभा की तारीख से एक वर्ष तक रहेगी.

(x) अधिकार निर्गम के मामले में निर्गम मूल्य का निर्णय आईसीडीआर विनियम के अध्याय III के प्रावधानों के अनुसार अग्रणी प्रबंधकों के साथ परामर्श कर किया जाएगा.

(ii) The Bank will obtain requisite approval, if any, of RBI, LIC and/or Government of India, Ministry of Finance for increasing the paid up capital.

(iii) The enabling Resolution is proposed to be passed as a Special Resolution pursuant to Sections 42 and 62(1)(c) of the Companies Act, 2013 which, read with Regulation 41(4) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, provides that whenever any further issue or offer is being made by the Bank, the existing shareholders should be offered the same on pro- rata basis unless the shareholders in the General Meeting decide otherwise. The said resolution, if passed, shall have the effect of allowing the Board on behalf of the Bank to issue and allot the securities on pro-rata basis to the existing shareholders or otherwise.

(iv) The Resolution seeks to enable the Bank to offer, issue and allot equity shares aggregating upto ₹ 11000 crore (inclusive of premium amount) by way of public issue, rights issue, issue on private placement basis, QIP, ESPS, ESOP, etc.

(v) The issue proceeds will enable the Bank to strengthen its Capital Adequacy Requirements as specified by RBI from time to time.

(vi) The Resolution further seeks to empower the Board of Directors to undertake a Qualified Institutional Placement with Qualified Institutional Buyers as defined by SEBI (ICDR) Regulations, 2018. The Board of Directors may, in their discretion, adopt this mechanism as prescribed under Chapter VI of the SEBI (ICDR) Regulations for raising funds for the Bank, without seeking fresh approval from the shareholders.

(vii) In case of a QIP issue in terms of Chapter VI of ICDR Regulations, issue of securities, on QIP basis, can be made at a price not less than the average of the weekly high and low of the closing prices of the shares quoted on a stock exchange during the two weeks preceding the "Relevant Date". The Board may, at its absolute discretion, issue equity shares at a discount of not more than five percent or such other discount as may be permitted under applicable regulations to the 'floor price' as determined in terms of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 subject to section 53 of the Companies Act, 2013.

(viii) "Relevant Date" shall mean the date of the meeting in which the Board or Committee of the Board decides to open the QIP Issue.

(ix) As per the SEBI (ICDR) Regulations, 2018 the validity of the Special Resolution is restricted to one year from the date of this AGM for such QIPs.

(x) In case of a rights issue, the issue price would be decided in consultation with the lead manager(s) in accordance with the provisions of Chapter III of the ICDR Regulations.

(xi) क्यूआईपी अथवा अधिकार निर्गम सहित विभिन्न प्रकार के निर्गमों के लिए ऑफर के विस्तृत निबंधन एवं शर्तों को बाजार की वर्तमान स्थितियों और विनियामक जरूरतों पर विचार करते हुए सलाहकारों, अग्रणी प्रबंधकों और हामीदारों तथा ऐसे अन्य प्राधिकारी अथवा प्राधिकारियों, जो भी आवश्यक हों, के परामर्श से निश्चित किया जाएगा.

(xii) चूंकि ऑफर का मूल्य निर्धारण अभी नहीं किया जा सकता और इसे बाद के चरण में निर्धारित किया जाएगा, अतः जारी किये जाने वाले शेयरों के मूल्य का उल्लेख करना संभव नहीं है. तथापि, इसे सेबी (आईसीडीआर) विनियम, 2018, कंपनी अधिनियम, 2013, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों अथवा अन्य लागू या आवश्यक दिशा-निर्देशों / विनियमों / सम्मतियों के अनुसार निर्धारित किया जाएगा.

(xiii) उपर्युक्त कारणों से निर्गम की शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए बोर्ड को पर्याप्त लचीलापन और विवेकाधिकार प्रदान करने के लिए एक समर्थकारी संकल्प पारित करने का प्रस्ताव है.

(xiv) आबंटित इक्विटी शेयर सभी दृष्टियों से बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के समरूप होंगे.

इस उद्देश्य के लिए बैंक को विशेष संकल्प के द्वारा शेयरधारकों की सहमति लेने की आवश्यकता है.

निदेशक मंडल सूचना की मद सं. 4 में दिए गए संकल्पों को पारित करने की सिफारिश करता है. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) की शर्तों के अनुसार यह प्रस्तुत किया जाता है कि बैंक का कोई भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, आईडीबीआई बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, उपर्युक्त संकल्प पारित करवाने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं है.

3. सूचना की मद संख्या 5 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 31 मार्च 2020 के अपने पत्र द्वारा बैंक को यह निर्देश दिए गए हैं कि यह अपने संस्था के अंतर्नियमों में कुछ परिवर्तन कर इन्हें निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बनाए.

निदेशक मंडल ने 18 मई 2020 को संपन्न अपनी बैठक में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्देशित परिवर्तनों पर चर्चा कर इसे अनुमोदित किया है और साथ ही आगामी वार्षिक महासभा में विशेष संकल्प के रूप में शेयरधारकों के अनुमोदन प्राप्त करने का प्रस्ताव किया है. प्रस्तावित परिवर्तन रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन और उनके द्वारा उनके अनुमोदन की सूचना देने के दौरान निर्देशित कोई अन्य परिवर्तन यदि हो, के अनुसार होगा. संस्था अंतर्नियम के नियम 114 (बी), 116, 117, 118, 119, 127, 141(ए), 143, 145, 154(1), 154(2),154(4) तथा 155 के प्रस्तावित संशोधन वार्षिक महासभा की सूचना की मद सं 5 दिए गए हैं.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) की शर्तों के अनुसार यह प्रस्तुत है किया जाता कि बैंक का कोई भी निदेशक या मुख्य

(xi) The detailed terms and conditions for the offer will be determined in consultation with the Advisors, Lead Managers and Underwriters and such other authority or authorities as may be required, considering the prevailing market conditions and other regulatory requirements for various types of issues including rights issue or QIP

(xii) As the pricing of the offer cannot be decided except at a later stage, it is not possible to state the price of shares to be issued. However, the same would be in accordance with the provisions of the SEBI (ICDR) Regulations, 2018, the Companies Act, 2013, the Banking Regulation Act, 1949 or any other guidelines / regulations / consents as may be applicable or required.

(xiii) For reasons aforesaid, an enabling resolution is proposed to be passed to give adequate flexibility and discretion to the Board to finalise the terms of the issue.

(xiv) The equity shares to be allotted shall rank pari-passu in all respects with the existing equity shares of the Bank.

For this purpose, the Bank is required to obtain the consent of the shareholders by means of a Special Resolution.

The Board of Directors recommend passing of the Resolution as contained at Item No. 4 of the notice. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors or Key Managerial Personnel of the Bank or their relatives is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid resolution except to the extent of their shareholding, if any, in IDBI Bank.

3. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 5 of the Notice

RBI, vide letter dated March 31, 2020, has directed the Bank to carry out some alterations in the Articles of Association of the Bank to bring them in line with RBI guidelines for Private Sector Banks.

Board of Directors at their meeting held on May 18, 2020, discussed and approved the alterations as directed by RBI and further proposed the Special Resolution for the approval of the Shareholders to be obtained at the ensuing Annual General Meeting. The proposed alterations would be subject to RBI approval and also in accordance with further modifications, if any, directed by RBI while conveying their approval. The proposed amendments in Articles 114 (b), 116, 117, 118, 119, 127, 141(a), 143, 145, 154 (1), 154 (2), 154 (4) and 155 of the Articles of Association are contained under Item No. 5 of the AGM notice.

In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it is submitted that none of the Directors or Key Managerial

प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, आईडीबीआई बैंक में उनकी शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, उपर्युक्त संकल्प पारित करने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं है.

4. सूचना की मद सं. 6 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

सुश्री मीरा स्वरूप (डीआईएनः 07459492) को भारत सरकार के नामिती निदेशक के रूप में 20 अगस्त 2019 को नियुक्त किया गया और वे भारत सरकार द्वारा इसमें कोई परिवर्तन न किए जाने तक पद धारित करेंगी. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) और 160(1) के साथ पठित संशोधित संस्था अंतर्नियम 116(1) (vii) के अनुपालन में यह प्रस्ताव किया जाता है कि उनको निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए जो बोर्ड में सरकार के नामिती निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी होंगी. सुश्री मीरा स्वरूप का बैंक के बोर्ड में किसी अन्य निदेशक से अथवा किसी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक से कोई पारस्परिक संबंध नहीं हैं. सुश्री मीरा स्वरूप बोर्ड/समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए, अपने वाहन व्यय, यात्रा और ठहरने की व्यवस्था हेतु किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगी.

बोर्ड सुश्री मीरा स्वरूप को निदेशक के रूप में नामित करने की सिफारिश करता है जो सरकार के नामिती निदेशक के अपने कार्यकाल के दौरान आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी होंगी. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के निबंधनों के अनुसार, उल्लेखनीय है कि कोई भी निदेशक (स्वयं सुश्री मीरा स्वरूप को छोड़कर) अथवा, आईडीबीआई बैंक के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उक्त संकल्प पारित करने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं.

5. सूचना की मद सं. 7 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण

श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज (डीआईएनः 02262530) को 20 सितंबर 2019 से 3 वर्ष की अवधि के लिए उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था जो आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी होंगे. दिनांक 4 सितंबर 2019 के भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अनुसार, श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज का पारिश्रमिक ₹ 1,87,600 प्रति माह होगा और उस पर लागू महंगाई भत्ता (वर्तमान में मूल वेतन का 9%) मिलेगा तथा परिलब्धि सुविधाओं के रूप में किराया रहित सुसज्जित आवास सुविधा, कार्यालयीन प्रयोजन के लिए कार, छुट्टी यात्रा रियायत, चिकित्सा लाभ, छुट्टी सहित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के उप प्रबंध निदेशक के लिए लागू अन्य लाभ व शर्तें उनके लिए लागू होंगी. श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज का बैंक के बोर्ड में किसी अन्य निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक से कोई संबंध नहीं है.

बोर्ड, श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज को रिजर्व बैंक और बोर्ड द्वारा अनुमोदित निबंधनों, शर्तों और पारिश्रमिक पर 20 सितंबर 2019 से 3 वर्ष की अवधि के लिए उप प्रबंध निदेशक नियुक्त करने की सिफारिश करता है जो अपने कार्यकाल के दौरान आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी होंगे. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार यह भी उल्लेखनीय है कि आईडीबीआई बैंक का कोई भी निदेशक (स्वयं श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज को छोड़कर) या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज की उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए संकल्प पारित करने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं.

Personnel of the Bank or their relatives is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid resolution except to the extent of their shareholding, if any, in IDBI Bank.

4. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 6 of the Notice

Ms Meera Swarup (DIN: 07459492) was appointed as Government Nominee Director on the Board w.e.f. August 20, 2019 to hold office till the pleasure of Government of India. In compliance of amended Article 116(1) (vii) read with Sections 152(6) and 160(1) of the Companies Act, 2013, it is proposed to appoint her as a Director liable to retire by rotation during her tenure as Government Nominee Director on the Board. Ms. Meera Swarup is not related to any other Director on the Board of the Bank or any Key Managerial Personnel of the Bank. Ms. Meera Swarup shall be entitled to the reimbursement of her transport, travel and stay arrangements for attending Board/ Committee Meetings.

Board recommends the appointment of Ms. Meera Swarup as Director liable to retire by rotation during her tenure as Government Nominee Director on the Board. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it may be mentioned that no Director (other than Ms. Meera Swarup herself) or Key Managerial Personnel of IDBI Bank or their relative is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid resolution.

5. Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 7 of the Notice

Shri Samuel Joseph Jebaraj (DIN: 02262530) was appointed as Deputy Managing Director (DMD), liable to retire by rotation for 3 years w.e.f. September 20, 2019. As per RBI approval dated September 04, 2019, the Remuneration of Shri Samuel Joseph Jebaraj as DMD of IDBI Bank would be ₹ 1,87,600 per month and applicable DA (presently @ 9% of basic pay) and perquisites such as Rent free furnished accommodation, Car for official purpose, Leave Travel Concession, Medical benefits, Leaves and such other benefits and conditions as applicable to the DMD of Public Sector Banks. Shri Samuel is not related to any other Director on the Board of the Bank or any Key Managerial Personnel of the Bank.

Board recommends the appointment of Shri Samuel Joesph Jebaraj as DMD, liable to retire by rotation, for 3 years w.e.f. September 20, 2019 on the RBI and Board approved terms, conditions and remuneration. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it may be mentioned that no Director (other than Shri Samuel himself) or Key Managerial Personnel of IDBI Bank or their relative is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of resolution for appointment of Shri Samuel as DMD.

6. **सूचना की मद संख्या 8 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण**

श्री सुरेश किशिनचंद खटनहार (डीआईएनः 03022106) को 15 जनवरी 2020 से 3 वर्ष की अवधि के लिए उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था जो आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी होंगे. दिनांक 9 जनवरी 2020 के भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के अनुसार, श्री खटनहार का पारिश्रमिक ₹ 1,87,600 प्रति माह होगा और उस पर लागू महंगाई भत्ता (वर्तमान में मूल वेतन का 9%) मिलेगा तथा परिलब्धि सुविधाओं के रूप में किराया रहित सुसज्जित आवास सुविधा, कार्यालयीन प्रयोजन के लिए कार, छुट्टी यात्रा रियायत, चिकित्सा व्यय, छुट्टी सहित सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के उप प्रबंध निदेशक के लिए लागू अन्य लाभ व शर्तें उनके लिए लागू होंगी. श्री खटनहार का बैंक के बोर्ड में किसी अन्य निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक से कोई संबंध नहीं है.

बोर्ड, श्री सुरेश किशिनचंद खटनहार को रिजर्व बैंक और बोर्ड द्वारा अनुमोदित निबंधनों, शर्तों और पारिश्रमिक पर 15 जनवरी 2020 से 3 वर्ष की अवधि के लिए उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश करता है जो अपने कार्यकाल के दौरान आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी होंगे. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के अनुसार यह भी उल्लेखनीय है कि आईडीबीआई बैंक का कोई भी निदेशक (स्वयं श्री खटनहार को छोड़कर) या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, श्री खटनहार की उप प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए संकल्प पारित करने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं.

7. **सूचना की मद सं. 9 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण**

श्री अंशुमन शर्मा (डीआईएनः 07555065) को बोर्ड में भारत सरकार के नामिती निदेशक के रूप में 11 जून 2020 को नियुक्त किया गया और वे भारत सरकार द्वारा इसमें कोई परिवर्तन न किए जाने तक पद धारित करेंगे. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) और 160(1) के साथ पठित संशोधित संस्था अंतर्नियम 116(1)(vii) के अनुपालन में यह प्रस्ताव किया जाता है कि उनको निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाए जो बोर्ड में सरकार के नामिती निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी होंगे. श्री अंशुमन शर्मा का बैंक के बोर्ड में किसी अन्य निदेशक से अथवा किसी मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक से कोई पारस्परिक संबंध नहीं हैं. श्री अंशुमन शर्मा बोर्ड/समिति की बैठकों में उपस्थित होने के लिए अपने वाहन व्यय, यात्रा और ठहरने की व्यवस्था हेतु किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होंगे.

बोर्ड, श्री अंशुमन शर्मा को निदेशक के रूप में नामित करने की सिफारिश करता है जो सरकार के नामिती निदेशक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान आवर्तन आधार पर सेवानिवृत्ति के लिए दायी होंगी. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102(1) के निबंधनों के अनुसार, उल्लेखनीय है कि वे किसी भी निदेशक (स्वयं श्री अंशुमन शर्मा को छोड़कर) अथवा आईडीबीआई बैंक के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके संबंधी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उक्त संकल्प पारित करने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं हैं.

8. **सूचना की मद सं. 10 के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के अधीन व्याख्यात्मक विवरण**

पूर्व में, भारत सरकार द्वारा आईडीबीआई बैंक में नियुक्त पूर्णकालिक निदेशकों (एमडी/डीएमडी) जिनके पास कैरियर पोस्ट बैंक, अर्थात् आईडीबीआई बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में पेंशन का विकल्प था, को पेंशन सुविधाओं, उपदान और छुट्टी नकदीकरण लाभ

6. **Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No. 8 of the Notice**

Shri Suresh Kishinchand Khatanhar (DIN: 03022106) was appointed as Deputy Managing Director (DMD) liable to retire by rotation for 3 years w.e.f. January 15, 2020. As per RBI approval dated January 09, 2020, the Remuneration of Shri Khatanhar as DMD of IDBI Bank would be ₹1,87,600 per month and applicable DA (presently @ 9% of basic pay) and perquisites such as Rent free furnished accommodation, Car for official purpose, Leave Travel Concession, Medical benefits, Leaves and such other benefits and conditions as applicable to the DMD of Public Sector Banks. Shri Khatanhar is not related to any other Director on the Board of the Bank or any Key Managerial Personnel of the Bank.

Board recommends the appointment of Shri Suresh Kishinchand Khatanhar as DMD, liable to retire by rotation, for 3 years w.e.f. January 15, 2020 on the RBI and Board approved terms, conditions and remuneration. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it may be mentioned that no Director (other than Shri Khatanhar himself) or Key Managerial Personnel of IDBI Bank or their relative is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of resolution for appointment of Shri Khatanhar as DMD.

7. **Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No.9 of the Notice**

Shri Anshuman Sharma (DIN: 07555065) was appointed as Government Nominee Director on the Board w.e.f. June 11, 2020 to hold office till the pleasure of Government of India. In compliance of amended Article 116(1) (vii) read with Sections 152(6) and 160(1) of the Companies Act, 2013, it is proposed to appoint him as a Director liable to retire by rotation during his tenure as Government Nominee Director on the Board. Shri Anshuman Sharma is not related to any other Director on the Board of the Bank or any Key Managerial Personnel of the Bank. Shri Anshuman Sharma shall be entitled to the reimbursement of his transport, travel and stay arrangements for attending Board/ Committee Meetings.

Board recommends the appointment of Shri Anshuman Sharma as Director liable to retire by rotation during his tenure as Government Nominee Director on the Board. In terms of Section 102(1) of the Companies Act, 2013, it may be mentioned that no Director (other than Shri Anshuman Sharma himself) or Key Managerial Personnel of IDBI Bank or their relative is, whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise, in the passing of the aforesaid resolution.

8. **Explanatory Statement under Section 102 of the Companies Act, 2013 in respect of Item No.10 of the Notice**

In the past, Whole Time Directors (MD/DMDs) appointed in IDBI Bank by GoI and having pension option in career post Bank, i.e., IDBI Bank or other PSBs were not allowed combined service for pensionary benefits, gratuity and

लेने के लिए संयुक्त सेवा की अनुमति नहीं थी. एलआईसी द्वारा बहुलांश इक्विटी हिस्सेदारी के अधिग्रहण के पश्चात्, जहां एमडी सीईओ/पूर्णकालिक निदेशक (डब्ल्यूटीडी) की नियुक्ति बोर्ड द्वारा आरबीआई के अनुमोदन से की गयी है, इनकी वेतन संरचना पीएसबी में पूर्णकालिक निदेशकों पर लागू समान स्तर पर ही बरकरार रखी गई है. बैंक के बोर्ड ने राष्ट्रीकृत बैंकों में नियुक्त पूर्णकालिक निदेशकों के लिए लागू पेंशन योजना के अनुरूप आईडीबीआई बैंक के वर्तमान और भावी पात्र पूर्णकालिक निदेशकों के लिए एक नीति के रूप में पेंशन की सुविधा प्रदान करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है जो इस संबंध में शेयरधारकों और आरबीआई के अनुमोदन के अधीन होगा. इस विषय पर बैंक ने आरबीआई से अनुमोदन मांगा है.

इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने सभी निजी क्षेत्र के बैंकों (स्थानीय क्षेत्र के बैंक, लघु वित्त बैंक, पेमेंट बैंक सहित) और भारत में परिचालन करने वाले विदेशी बैंकों को संबोधित दिनांक 4 नवंबर 2019 के परिपत्र द्वारा पूर्णकालिक निदेशकों/मुख्य कार्यपालक अधिकारियों/ महत्वपूर्ण जोखिम लेने वाले और नियंत्रण का कार्य करने वाले स्टाफ को पारिश्रमिक संबंधी दिशानिर्देश जारी किए हैं. परिपत्र में बैंकों द्वारा पारिश्रमिक प्रथाओं के संबंध में पालन किए जाने वाले दिशानिर्देश दिये गए हैं जिनमें वित्तीय स्थिरता बोर्ड द्वारा अप्रैल 2009 में जारी सुदृढ़ पारिश्रमिक प्रथाओं के सिद्धांत शामिल हैं. आरबीआई परिपत्र में निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा देय पारिश्रमिक में, अन्य बातों के साथ-साथ, पूर्णकालिक निदेशकों (डब्ल्यूटीडी)/ मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (सीईओ) के लिए 1 अप्रैल 2020 से/उसके बाद प्रारंभ होने वाले वेतन चक्रों को इन दिशानिर्देशों के अनुरूप होने संबंधी निर्देश दिये गए हैं. सीईओ/ डब्ल्यूटीडी/ महत्वपूर्ण जोखिम लेने वाले और अन्य वरिष्ठ प्रबंधन पदों के लिए क्षतिपूर्ति संरचना को उद्योग जगत की प्रथाओं और आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन को ध्यान में रख कर तैयार किया गया है. एमडी/ ड्ब्लूयटीडी हेतु पारिश्रमिक संरचना में प्रस्तावित संशोधन, इस संबंध में शेयरधारकों और आरबीआई के अनुमोदन के अनुसार और उसके अधीन होगा. पारिश्रमिक संरचना में प्रस्तावित संशोधन की मुख्य विशेषताएँ इस सूचना की मद सं 10 में उल्लिखित संकल्प में विस्तृत रूप से दी गयी हैं.

अतः वार्षिक महासभा सूचना की मद सं 10 के अंतर्गत दिए गए संकल्प को बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार एतद्द्वारा पारित करने का प्रस्ताव है. बैंक का कोई भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (एमडी एवं सीईओ, डीएमडी, सीएफओ और कंपनी सचिव को उस स्तर तक छोड़कर जहाँ तक वह उनकी पारिश्रमिक संरचना को प्रभावित करता है) या उनके संबंधी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, आईडीबीआई बैंक में उनके शेयरधारिता, यदि कोई हो, की सीमा को छोड़कर, उपर्युक्त संकल्प पारित करने में वित्तीय या अन्य प्रकार से संबंधित या हितबद्ध नहीं है.

बोर्ड के आदेश से
कृते आईडीबीआई बैंक लिमिटेड

राकेश शर्मा
एमडी एवं सीईओ
डीआईएनः 06846594

पंजीकृत कार्यालय :
आईडीबीआई बैंक लि.
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड, मुंबई- 400005

दिनांक : 29 जून 2020

leave encashment benefit. Following the acquisition of majority equity stake by LIC, while MD CEO /WTDs have been appointed by the Board, with the approval of RBI, their salary structure was retained at the same level as applicable to WTDs in PSBs. The Board of the Bank has approved the proposal for grant of pensionary benefits as a policy to present and future eligible WTDs of IDBI Bank in line with the pension scheme as applicable to WTDs appointed in Nationalized Banks, subject to the approval of shareholders and RBI to be obtained in this regard. The Bank has sought RBI approval in the matter.

Further, RBI, vide circular dated November 4, 2019 addressed to All Private Sector Banks (including Local Area Banks, Small Finance Banks, Payment Banks) and Foreign Banks operating in India issued guidelines on Compensation of Whole Time Directors/ Chief Executive Officers/ Material Risk Takers and Control Function staff. The circular provides guidelines to be followed by Banks with regard to Compensation Practices which include Principles of Sound Compensation Practices issued by The Financial Stability Board in April 2009. The RBI circular mandates that the remuneration payable by private sector banks, inter alia, to Whole Time Directors [WTDs] / Chief Executive Officers [CEOs] for the pay cycles beginning from / after April 01, 2020 shall be compliant with the guidelines. The compensation structure for CEO / WTDs / Material Risk Takers and other senior management positions has been prepared keeping in view industry practices and compliance with the RBI guidelines. The proposed revision in the compensation structure for MD/ WTDs shall be subject to and in accordance with the approval of shareholders and RBI to be obtained in this regard. The salient features of proposed revision in the compensation structure are detailed in the resolution contained under Item No. 10 of the notice.

Hence, resolution given under Item No.10 of the AGM Notice is proposed to be passed as recommended by the Board. No Director or Key Managerial Personnel of the Bank (except MD & CEO, DMDs, CFO and Company Secretary to the extent the proposal affects their compensation structure) or their relatives, is whether directly or indirectly, concerned or interested, financial or otherwise in the passing of the aforesaid resolution.

By Order of the Board
For IDBI Bank Limited

Rakesh Sharma
MD & CEO
DIN: 06846594

Registered Office:
IDBI Bank Limited
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade,
Mumbai-400 005

Dated: June 29, 2020

आगामी वार्षिक महासभा में नियुक्ति के लिए इच्छुक निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

[सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 36(3)(ए) के अनुसार]

सुश्री मीरा स्वरूप	सुश्री मीरा स्वरूप ने वर्ष 1988 में भारतीय लेखापरीक्षा व लेखा सेवा में कार्य ग्रहण किया. वे वर्तमान में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (वित्त) के रूप में कार्यरत हैं. उन्होंने महा निदेशक (पी एंड टी ऑडिट) और भारतीय नियंत्रक और महालेखाकार कार्यालय में महा निदेशक (मुख्यालय) के रूप में भी कार्य किया है. वे गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों में प्रधान महा लेखाकार और महा लेखाकार के रूप में कार्य कर चुकी हैं. सुश्री मीरा स्वरूप वर्ष 2010 से 2012 के दौरान जेनेवा में डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूआईपीओ और आईओएम की बाह्य लेखापरीक्षा हेतु बाहय लेखापरीक्षक निदेशक के रूप में तैनात थीं. उन्होंने 1994-1998 में भारत सरकार में अपनी प्रतिनियुक्ति के दौरान फंड बैंक डिवीजन, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय में उप/संयुक्त निदेशक के रूप में कार्य किया. वे दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र में स्नातकोत्तर हैं और उन्हें राज्य तथा केंद्र सरकार की संस्थाओं के प्रशासन, वित्तीय प्रबंधन और लेखापरीक्षा का व्यापक अनुभव है.
श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज	श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, बी.ई. (ऑनर्स) और एमबीए ने 1998 में एक्ज़िम बैंक में कार्यग्रहण किया और एक्ज़िम बैंक के ऋण प्रशासन एवं मानव संसाधन प्रबंधन समूह के प्रमुख रहे. उन्होंने एक्जिम बैंक के प्रधान कार्यालय में कॉरपोरेट बैंकिंग, एसएमई, ट्रेजरी, लेखा और सूचना प्रौद्योगिकी समूह के कार्यभार संभाला. श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज ने एक्जिम बैंक के बेंगुलुरु हैदराबाद, मिलान और लंदन कार्यालयों में विभिन्न पदों पर कार्य किया. उनके पास ट्रेजरी और संसाधन संग्रहण सहित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व निवेश वित्त, परियोजना वित्त, संरचित ऋण, देयता पक्ष प्रबंधन का 25 वर्ष का व्यापक अनुभव है.

BRIEF RESUME OF DIRECTORS SEEKING APPOINTMENT AT THE FORTHCOMING AGM

[Pursuant to Regulation 36(3)(a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]

Ms. Meera Swarup	Ms. Meera Swarup joined the Indian Audit and Accounts Service in the year 1988. She is presently working as Additional Secretary & Financial Adviser (Finance) in the Ministry of Finance, Government of India. She also held the position of Director General (P&T Audit) and Director General (Hqrs.) in the Office of C&AG of India. She has worked as Principal Accountant General and Accountant General in the States of Gujarat, Rajasthan and Madhya Pradesh. She was posted as Director of External Audit at Geneva, responsible for external audit of WHO, WIPO and IOM during 2010 to 2012. While on deputation to Govt. of India from 1994-1998, she worked as Deputy/Joint Director in the Fund Bank Division, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance. She has a Master's degree in Political Science from University of Delhi and has vast experience in administration, financial management, audit of State & Central Government Organisations.
Shri Samuel Joseph Jebaraj	Shri Samuel Joseph Jebaraj, B.E. (Hons) and MBA, joined Exim Bank in 1998 and headed the Loan Administration and Human Resources Management Groups of the Bank. He has handled Corporate Banking, SME, Treasury, Accounts and Information Technology Groups at the Head Office of Exim Bank. Shri Samuel served in the Bengaluru, Hyderabad, Milan and London Offices of Exim Bank in various capacities. He has over 25 years of professional experience in international trade and investment finance, project finance, structured lending, liability side management, including Treasury and raising of resources.

श्री सुरेश खटनहार	श्री सुरेश किशिनचंद खटनहार एम.कॉम, आईसीडब्ल्यूए और सीएआईआईबी हैं. वे आईडीबीआई बैंक में कार्यपालक निदेशक के रूप में मिड कॉरपोरेट ग्रुप और व्यापार वित्त के प्रमुख के रूप में कार्यरत थे. उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, देना बैंक में 13 वर्ष का अनुभव, पूर्ववर्ती आईडीबीआई बैंक (निजी क्षेत्र का बैंक जिसका विलय आईडीबीआई में हो गया) में 8 वर्ष का अनुभव और आईडीबीआई बैंक में डीएमडी के रूप में नियुक्ति के पूर्व आईडीबीआई बैंक में 14 वर्ष का अनुभव है. श्री खटनहार को रिटेल बैंकिंग कारोबार, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण, कॉरपोरेट बैंकिंग (मिड व बृहत् कॉरपोरेट), व्यापार वित्त जैसे सेवा उन्मुख कार्यों और विभिन्न ट्रेजरी उत्पादों की क्रॉस सेलिंग जैसे कार्यों का अनुभव है. वरिष्ठतम कारोबारी कार्यपालक निदेशक के रूप में वे आईडीबीआई बैंक की महत्वपूर्ण आंतरिक समितियों जैसे - ऋण समितियां, उत्पाद समितियां, परिचालनगत जोखिम, ऋण जोखिम प्रबंधन, आल्को, स्टाफ जवाबदेही व सतर्कता, आईटी खरीद आदि के अतिरिक्त ऋण निगरानी, जोखिम प्रबंधन (सीआरओ), अनुपालन (सीसीओ) और आंतरिक लेखा प्रबंधन (सीएओ) के भी प्रमुख थे.
श्री अंशुमन शर्मा	एक अनुभवी आईआरएस अधिकारी श्री अंशुमन शर्मा ने कर मूल्यांकन, जाँच, प्रशासन और हस्तांतरण मूल्य-निर्धारण के क्षेत्र में पद ग्रहण किया. वर्तमान में वे वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय में निदेशक के रूप में तैनात हैं और उनके पास बीमा और पेंशन सुधार संबंधी पोर्टफोलियो हैं. एक अनुभवी और कुशल अधिकारी के रूप में उनके पास संस्थागत वित्त, इन्फ्रास्ट्रक्चर वित्त में नीतिगत विकास कार्य, निर्यात वित्त, आस्ति पुनर्निर्माण आदि क्षेत्रों में वर्षों का अनुभव है. उन्होंने मझोले और दीर्घावधि निर्यात वित्तपोषण पर दिशानिर्देशों के निर्माण के लिए बनी 'निर्यात ऋण पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यदल' के चीन और रोमानिया में आयोजित सम्मेलनों में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया. प्रबंधन में स्नातकोत्तर श्री शर्मा बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और कई क्षेत्रों रुचि रखते हैं. बैंक और वित्तीय संस्थाओं संबंधी लीडरशिप पर आईआईएम, अहमदाबाद से कोर्स पूरा कर चुके श्री शर्मा स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, इलहाबाद बैंक, आईएफसीआई लिमिटेड और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आईपीपीबी) के बोर्ड में रह चुके हैं. वर्तमान में वे आईडीएफ़सी के बोर्ड में हैं. नए-नए व्यंजन बनाने में रुचि रखने वाले श्री शर्मा पढ़ने, ट्रैकिंग, संगीत और लॉन्ग ड्राइव के शौकीन हैं.

Shri Suresh Khatanhar	Shri Suresh Kishinchand Khatanhar is M. Com., ICWA and CAIIB. He was working with IDBI Bank as Executive Director heading Mid Corporate Group and Trade Finance. He has diversified banking experience with 13 years at Dena Bank, a Public Sector Bank, 8 years at erstwhile IDBI Bank (a private bank which was amalgamated with IDBI) and 14 years at IDBI Bank before his appointment as DMD in IDBI Bank. He has exposure in Retail Banking business, Priority Sector Lending, Corporate Banking (Mid Corporate & Large Corporate), service oriented functions such as Trade Finance and cross selling of various Treasury products. He also headed Credit Monitoring, Risk Management (CRO), Compliance (CCO) and Internal Audit Management (CAO) apart from important Internal Committees as Senior-most Business ED - viz. Credit Committees, Product Committees, Operation Risk, Credit Risk Management, ALCO, Staff Accountability & Vigilance, IT Procurement etc. in IDBI Bank.
Shri Anshuman Sharma	An accomplished IRS officer, Shri Anshuman Sharma has held positions in Tax Assessment, Investigation, Administration and Transfer Pricing. Currently he is posted as Director in Department of Financial Services, Ministry of Finance looking after portfolio of Insurance & Pension Reforms. An experienced and savvy officer with years of experience in areas of Institutional Finance, Policy Development Work in Infrastructure Finance, Export Finance, Asset Reconstruction etc. he has led Indian delegation to China and Romania in International Working Group on Export Credit formed to frame guidelines on medium and long-term export financing. A Post Graduate in Management, he is a multifarious personality with wide ranging interests. Armed with course on Leadership of Banks & Financial Institutions from IIM, Ahmedabad, he has served on the board of State Bank of Travancore, Allahabad Bank, IFCI Ltd and India Post Payments Bank (IPPB). He is currently on the Board of IDFC Ltd. An experimental cook, he enjoys reading, trekking, music and long drives.

आगामी वार्षिक महासभा में नियुक्ति के लिए इच्छुक निदेशकों का विवरण

[सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 36(3) और साधारण बैठकों पर सचिवीय मानक 2 के अनुसार]

निदेशक का नाम	सुश्री मीरा स्वरूप	श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज	श्री सुरेश खटनहार	श्री अंशुमन शर्मा
पदनाम	सरकार की नामिती निदेशक	उप प्रबंध निदेशक	उप प्रबंध निदेशक	सरकार के नामिती निदेशक
जन्म तिथि	15-02-1962	22-06-1968	25-08-1963	21-01-1979
बोर्ड में नियुक्ति की तारीख	20-08-2019	20-09-2019	15-01-2020	11-06-2020
शैक्षणिक योग्यता	एम ए (राजनीति शास्त्र)	बी.ई. (ऑनर्स), एमबीए	एम.कॉम सीएआईआईबी, आईसीडब्ल्यूए	प्रबंधन में स्नातकोत्तर
विशेषज्ञता	अकाउंटेंसी, प्रशासन एवं वित्त	अकाउंटेंसी, बैंकिंग, कारोबार प्रबंधन, एचआर, वित्त, सूचना प्रौद्योगिकी और सेल्स	अकाउंटेंसी, बैंकिंग, जोखिम, कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, वित्त, लघु उद्योग, कारोबार प्रबंधन, प्रशासन एवं कॉरपोरेट अभिशासन	आकाउंटेंसी, अर्थ शास्त्र, बैंकिंग, विधि और विपणन
सूचीबद्ध संस्थाओं में निदेशक पद	शून्य	शून्य	शून्य	आईडीएफ़सी लि.
सूचीबद्ध संस्थाओं की समितियों में सदस्यता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
गैर-कार्यपालक निदेशक की शेयरधारिता	शून्य	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
निदेशकों का पारस्परिक संबंध	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

DETAILS OF DIRECTORS SEEKING APPOINTMENT AT THE FORTHCOMING AGM

[Pursuant to Regulation 36(3) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Secretarial Standard 2 on General Meetings]

Name of Director	Ms Meera Swarup	Shri Samuel Joseph Jebaraj	Shri Suresh Khatanhar	Shri Anshuman Sharma
Designation	Government Nominee Director	Deputy Managing Director	Deputy Managing Director	Government Nominee Director
Date of Birth	15-02-1962	22-06-1968	25-08-1963	21-01-1979
Date of appointment on Board	20-08-2019	20-09-2019	15-01-2020	11-06-2020
Qualification	MA (Political Science)	BE (Hons.), MBA	M.com, CAIIB, ICWA	Post Graduate in Management
Expertise	Accountancy, Administration and Finance.	Accountancy, Banking, Business Management, HR, Finance, Information Technology and Sales	Accountancy, Banking, Risk, Agriculture and Rural Economy, Finance, Small Scale Industry, Business Management, Administration and Corporate Governance	Accountancy, Economics, Banking, Law, and Marketing
Directorship in Listed entities	Nil	Nil	Nil	IDFC Ltd.
Membership in Committees of listed entities	Nil	Nil	Nil	Nil
Shareholding of Non-Executive Directors	Nil	N.A	N.A	N.A
Relationship between directors inter-se	Nil	Nil	Nil	Nil

इस पृष्ठ को जानबूझकर खाली छोड़ा गया है
This page has been intentionally left blank

IDBI BANK

बैंक खाता / ई-मेल पंजीकरण फॉर्म

मैं/हम ____ एतद्द्वारा आईडीबीआई बैंक लि. को प्राधिकृत करता हूँ / करती हूँ / करते हैं कि वे

- एलईसीएस/ आरईसीएस/ एनईसीएस/ एनईएफटी के द्वारा मेरी लाभांश राशि मेरे बैंक खाते में सीधे जमा करें.
- मेरे/ हमारे लाभांश वारंट पर निम्नलिखित ब्योरे प्रिंट करें (यदि जारी किया गया तो)

फोलियो नं.: आईडीबी __________________________

बैंक खाते / ईमेल आईडी के विवरण

1.	बैंक का नाम	:	
2.	शाखा का नाम पता (केवल मैंडेट हेतु)	:	
3.	एमआईसीआर चेक पर दर्शाये अनुसार बैंक और शाखा की 9 अंकों की कोड संख्या	:	
4.	खाता प्रकार (बचत/चालू)	:	
5.	चेकबुक पर दर्शाये अनुसार खाता सं.	:	
6.	शाखा एसटीडी कोड और टेलीफोन नं.	:	
7.	बैंक शाखा का आईएफएससी कोड	:	
8.	सदस्य का ईमेल आईडी	:	
9.	सदस्य का मोबाइल/फोन नंबर	:	

....

सदस्य के हस्ताक्षर

1. 9 अंकों की एमआईसीआर कोड संख्या/ आईएफएससी कोड के सही होने के सत्यापन के लिए कृपया अपने बैंक द्वारा जारी अपने उपर्युक्त खाते से संबन्धित चेक की फोटोकॉपी अथवा निरस्त किया हुआ कोरा चेक संलग्न करें.
2.

ऐसे मामलों में जहां शेयरधारक के पास शेयर भौतिक रूप में हैं, कृपया इनके ब्योरे निम्न को भेजें:	शेयरधारकों द्वारा शेयर डिमैट रूप में धारित किए जाने के मामले में, कृपया इनके ब्योरे निम्नलिखित को भेजें :
केफिन टेक्नोलॉजीस प्रा. लि. सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट नं. 31-32, गच्चीबौली, फायनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, हैदराबाद- 500 032, तेलंगाना.	संबंधित डिपॉजिटरी, जहां आपका डीमैट खाता खोला गया है.

संलग्नक :

1. पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति.
2. निवास-स्थान संबंधी स्व-प्रमाणित प्रति - आधार कार्ड या पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस या मतदाता पहचान पत्र.
3. रद्द रिक्त चेक पन्ना.
4. बैंक द्वारा हस्ताक्षर अनुप्रमाणन पत्र.

BANK ACCOUNT / EMAIL REGISTRATION FORM

I/We ____________________________________ do hereby authorize IDBI Bank Ltd.

- To Credit my dividend amount directly to my Bank account by LECS/RECS/NECS/NEFT.
- To Print the following details on my/our dividend warrant (issued if necessary)

Folio No. : IDB______________________

Particulars of Bank Account / Email ID:

1.	Bank Name	:	
2.	Branch Name Address (for Mandate only)	:	
3.	9 Digit Code number of the Bank & Branch as appearing on the MICR cheque	:	
4.	Account Type (Savings/Current)	:	
5.	Account No. as appearing on the cheque book	:	
6.	Branch STD code & Telephone no.	:	
7.	IFSC Code of Bank Branch	:	
8.	E-mail ID of Member	:	
9.	Mobile / Phone number of Member	:	

…………………………..

Signature of the Member

1. Please attach the photocopy of a cheque or a blank cancelled cheque issued by your Bank relating to your above bank account for verifying the accuracy of the 9 digit MICR code number/IFSC Code.
2.

In case of shareholders holding shares in Physical Mode, please send these details to:	In case of shareholders holding shares in Dematerialised form, please send these details to:
KFin Technologies Pvt. Ltd. Selenium Tower B, Plot No. 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad-500 032 Telangana.	The Depository Participant with whom your Demat Account is maintained.

Enclosures :

1. Self-attested copy of PAN Card
2. Self-attested copy of Residence -AADHAR Card or Passport or Driving License or Voter ID.
3. Cancelled blank cheque leaf.
4. Signature attestation letter from Bank.

नोट / NOTE

नोट / NOTE

IDBI BANK

Bank Aisa Dost Jaisa

वार्षिक रिपोर्ट 2019-20

ANNUAL REPORT 2019-20

एक नई पहचान की ओर

REDEFINING OURSELVES

आईडीबीआई बैंक ने न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी समझौता किया

अहमदाबाद। आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ने 14 जून, 2019 को न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ बैंकेश्योरेंस कॉर्पोरेट एजेंसी समझौता किया। इस समझौते के तहत, आईडीबीआई बैंक द्वारा न्यू इंडिया विभिन्न सामान्य बीमा उत्पाद उपलब्ध कराये जायेंगे। इन उत्पादों को विभिन्न जोखिमों को कम करने और बैंक की 1850 से अधिक शाखाओं के 20 मिलियन से अधिक ग्राहकों को अप्रत्याशित घटनाओं से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने हेतु विशेष तौर पर डिजाइन किया गया है।

इस समझौते के बारे में, आईडीबीआई बैंक के एमडी और सीईओ, श्री राकेश शर्मा ने कहा, ''हमारे ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए, हमें भारत की सबसे बड़ी गैर-जीवन बीमा कंपनी, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ सहयोग करने की खुशी है। न्यू इंडिया की देश-विदेश में दमदार मौजूदगी है। सामान्य बीमा खण्ड में उक्त कंपनी की 15 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी है। यह प्राइसिंग एवं सेवा की दृष्टि से आईडीबीआई बैंक के ग्राहकों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रमुख उपक्रम और अच्छे कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली कपंनी, न्यू इंडिया की साख और इनके भरोसे से आईडीबीआई बैंक और इसके ग्राहकों को विभिन्न तरह के सर्वोत्तम उत्पाद उपलब्ध कराने और बैंक की शुल्कीय आय का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।''?(1)

FINANCIAL RATIOS a lot healthier than other lenders that came out of PCA, says deputy MD Khatanhar, making a case for removal of restrictions

IDBI Turns in a Profit, Hopes for Quick Exit from Corrective Action

Joel.Rebello@timesgroup.com

Looking Up

Q4 RESULTS

Net Profit of ₹135 cr from loss of ₹4,918 cr on-year

NIM: 3.80% from 2.26% on-year

Net NPA: 4.19%

RoA: -4.26% in FY20 from -4.68% in FY19

Capital Adequacy: 13.31%

Mumbai: IDBI Bank is getting closer to exiting the Reserve Bank of India's (RBI) restrictive prompt corrective action (PCA) framework after posting a profit for the first time in 13 quarters.

Though the profit was due to write back of provisions, the bank maintains that its financial ratios are a lot more healthy and it deserves to come out of PCA soon.

"Some other banks were brought out of PCA despite not making profits. We have now delivered on all parameters and are even profitable. It is only return on assets (RoA) where we have to improve. But we will write to RBI pleading our case to released from the PCA restrictions," said Suresh Khatanhar, deputy managing director at IDBI Bank. He was referring to the RBI removing Bank of India, Bank of Maharashtra, Oriental Bank of Commerce, Allahabad Bank and Corporation Bank last year after capital infusion by the government.

PCA is triggered when a bank's capital adequacy ratio falls below 10.25%, net NPAs are above 6% and RoA is negative for two consecutive years. Banks under PCA have to conserve capital and face restrictions on dividend payments, branch expansion, management compensation and credit growth. IDBI has been under PCA since May 2017.

The fourth quarter released on Saturday showed that with a capital adequacy of 13.31% and net NPA of 4.19% the bank has met two of the three parameters to get out of PCA. It made a profit of ₹135 crore in the quarter ended March 2020 from a loss of ₹4,918 crore a year ago, largely due to a ₹1,511 crore of write-back in NPA provisions.

It is only on the RoA that the LIC-owned lender does not qualify. The bank's RoA at the end of March 2020 was -4.26% versus -4.68% a year earlier which means it still has two consecutive years of negative RoA. IDBI Bank officials argue that RoA is an annual calculation and should not stop the RBI from delaying a change in its status.

However, analysts said the bank's recovery is still a work in progress. "Default risks have increased post the Covid-19 crisis and this bank has had a history of NPAs. Though most of it has been provided for with 27% gross NPAs a turnaround is very difficult to believe at this stage," said an analyst with a foreign brokerage.

IDBI Bank posts ₹135 cr profit in Q4

PTI ■ MUMBAI

After being in red for 13 consecutive quarters, LIC-owned IDBI Bank reported a profit after tax of ₹135 crore in the quarter ended March 31, helped by higher interest income. The lender had reported a net loss of ₹4,918 crore in the same quarter last year. "After a long gap of 13 quarters, we have been able to show net profit of ₹135 crore in the March quarter.

The profit would have been higher but for the recoveries that were affected during March due to the COVID-19 situation," the bank's managing director and CEO Rakesh Sharma told reporters.

He said recoveries had fallen short of by ₹700 crore due to the disruptions caused by the coronavirus outbreak. The recoveries and upgradation in the quarter stood at 1,457 crore and ₹328 crore, respectively.

The profit in the quarter was also supported by the reversal of ₹1,500 crore of provisions made for non-performing loans (NPAs). Net interest income (NII) improved by 46 per cent to ₹2,356 crore as against ₹1,609 crore last year same period.

Net interest margin (NIM) improved by 154 basis points to 3.80 per cent for the fourth quarter, 2020 as compared to 2.26 per cent in the year-ago quarter.

For the full year, the bank reported a net loss of Rs 12,887 crore as against ₹ 15,116 crore of loss booked in the financial year 2019.

Gross NPA of the bank stood at 27.53 per cent as against 27.47 per cent . Net NPA improved to 4.19 per cent from 10.11 per cent. Fresh slippage in the quarter stood at ₹727 crore. Provision coverage ratio (PCR) stood at 93.74 per cent.

The lender, which is under RBI's prompt corrective action (PCA) since May 2017, expects to come out of it soon. Sharma said the bank has extended the Reserve Bank of India's moratorium on term loans repayments to all its borrowers

In value terms, 66 per cent of retail borrowers and 97 per cent of MSME and agriculture borrowers have availed the moratorium. It had set aside ₹247 crore for COVID 19 related provisions as mandated by the RBI.

IDBI Bank raises ₹745 crore via tier-II bonds

IDBI Bank has raised ₹745 crore through tier-II bonds to enhance capital adequacy and support business growth. It raised debt capital from market after a gap of two years. Bank officials said the money raised through tier II bond offering was expected to increase Capital Adequacy Ratio (CAR) by about 50 basis points. The CAR stood at 11.98 per cent at end of September 2019. **BS REPORTER**

IDBI BANK (IRAN EXPORTERS' MEET)

IDBI Bank, Chandigarh Zone had conducted Iran Exporters' Meet on 24th September 2019 at James Hotel, Chandigarh which was presided by Ambassador of Islamic Republic of Iran, His Excellency Dr. Ali Chegeni, Executive Director of IDBI Bank, Shri. Suresh Khatanhar and GM (Business) of Chandigarh Zone of IDBI Bank Shri. Rajendra Pujari. IDBI bank enables the exporters to carry out business with Iran as IDBI Bank has been designated by Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, to carry out bilateral trade payments between Indian & Iran.

आईडीबीआई बैंक अपने स्थापना दिवस पर 25 कंप्यूटर दान किए

मुंबई। 1 अक्टूबर, 2019 को अपने स्थापना दिवस के अवसर पर, आईडीबीआई बैंक ने छात्रों के लाभ के लिए धारावी काला किल्ला म्युनिसिपल स्कूल, मुंबई को 25 कंप्यूटर दान किए. इस समारोह में आईडीबीआई बैंक के उप प्रबंध निदेशक श्री सैमुअल जोसेफ उपस्थित थे. इस अवसर पर श्री प्रदीप कुमार दास, कार्यकारी निदेशक, आईडीबीआई बैंक और आईडीबीआई बैंक के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे. समारोह में श्रीमती स्नेहलता डवरे, प्रशासनिक अधिकारी - बीएमसी, श्री सुनील भंगारे, हेड मास्टर और स्कूल के अन्य लोग भी मौजूद रहे.

डिजिटल इंडिया पर सरकार के विचार के अनुरूप, आईडीबीआई बैंक ने इस पहल के तहत स्कूल के सभी बच्चों को ई-लर्निंग के लिए एक्सपोजर मिलना सुनिश्चित किया ताकि वे खुद को आधुनिक शिक्षण तकनीकों के साथ जोड़ सकें।

आईडीबीआई बैंक ने टाटा एआईजी जनरल के साथ कॉर्पोरेट एजेंसी टाई-अप की घोषणा की इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

■ दैनिक अलोदीप, प्रेवि, नई दिल्ली

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ने टाटा एआईजी के साथ 4 जून, 2019 को एक जीवन बीमा और अन्य बीमा उत्पादों को बेचने के लिए कॉर्पोरेट एजेंसी समझौता किया, जो कि विशेष रूप से विभिन्न जोखिमों को कम करने और अप्रत्याशित घटनाओं की स्थिति में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इससे बैंक के 1850 से अधिक शाखाओं के 2 करोड़ ग्राहकों तक लाभ पहुंचेगा।

आईडीबीआई बैंक के एमडी और सीईओ राकेश शर्मा ने इस साझेदारी पर टिप्पणी करते हुए कहा, 'अपने ग्राहकों के हितों को ध्यान में रखते हुए हम टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी करके खुश हैं, जो कि जनरल इंश्योरेंस सेगमेंट में अग्रणी निजी क्षेत्र और भारत के सबसे विश्वसनीय ब्रांडों में से एक है। ग्राहकों की बढ़ती

जरूरतों और अपेक्षाओं के साथ, हम अपने ग्राहकों के लिए अपने उत्पाद की गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए इस रणनीतिक साझेदारी की प्रतीक्षा कर रहे हैं और उन्हें सर्वोत्तम बीमा उत्पादों और सेवा स्तरों में सर्वश्रेष्ठ विकल्प तक पहुंच की पेशकश करते हैं। यह अप्रत्याशित घटनाओं के जोखिमों को कम करने में सामान्य बीमा कवर की आवश्यकतों के बारे में हमारे ग्राहकों की जागरूकता और समझ को और गहरा करेगा, चाहे वह जोखिम खुद के लिए, उनके परिवार, उनकी संपत्ति, संपदा या व्यवसायों के लिए ही क्यों न हो।

साझेदारी के बारे में टिप्पणी करते हुए टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के एमडी और सीईओ नीलेश गर्ग ने कहा, "हमें भारत के सबसे पुराने और सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंकों में से एक आईडीबीआई बैंक के साथ साझेदारी करते हुए खुशी हो रही है, जिसकी देश भर में व्यापक पहुंच है। इससे हम अपने अनूठे समाधान की पहुंच बढ़ा पाएंगे और ग्राहकों को आसानी से उसे हल करने में मदद करने के लिए अनकैप्ड, कम कीमत वाले मार्केट्स में प्रवेश कर सकते हैं। हमने बैंकिंग पारिस्थितिकी तंत्र में साझेदारी का एक मजबूत नेटवर्क बनाया है और हम मानते हैं कि आईडीबीआई की ग्राहक केंद्रितता और हमारे डिजिटल-प्रथम दृष्टिकोण, उत्पाद संवर्धन में विशेषज्ञता और सर्वोत्तम सेवा स्तर बैंक के ग्राहकों के लिए मूल्य की पेशकश को बढ़ाने में मदद करेगी।

IDBI Bank sets up centralized trade processing centre

TEAM B&C | NT

IDBI Bank set up a Centralised Trade Processing Centre (CTPC) recently at its Mumbai office. The CTPC is expected to enable the bank to mitigate operational risks effectively while facilitating higher degree of efficiency in product delivery, minimizing TAT and improving customer service. The bank has deployed an automated work-flow solution with document repository. The CTPC is located at the Nariman Point branch of the bank.

Rakesh Sharma, managing director and chief executive officer, inaugurated the CTPC in the presence of Samuel Joseph and Suresh Khatanhar, deputy managing directors, Rajeev Kumar, executive director- trade finance and other officials of the bank.

Speaking on the occasion, Sharma said "In the current times of continued global economic uncertainty, cost reduction and effective risk management remain key priorities for any organization. Additionally, the ever-changing and increasing responsibility of timely and effective regulatory compliance is a challenge in the area of trade operations. The CTPC is geared to handle the challenges effectively and move to the next level of transaction banking." IDBI Bank is also expected to open the second CTPC shortly at Chennai.

विषयवस्तु

कॉरपोरेट विहंगावलोकन

ii यथा 30 मई 2020 को निदेशक मंडल

iv अध्यक्ष महोदय का संदेश

x प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का संदेश

xvi कुछ प्रमुख गतिविधियां

xx पुरस्कार एवं सम्मान

सांविधिक रिपोर्ट

2 निदेशकों की रिपोर्ट

20 प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण

60 कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट

वित्तीय विवरण

180 एकल वित्तीय विवरण

290 समेकित वित्तीय विवरण

392 पिलर III प्रकटन

Contents

Corporate Overview

ii Board of Directors as on May 30, 2020

iv Message from the Chairman

x Message from the Managing Director & CEO

xvi Some Major Events

xx Awards & Accolades

Statutory Reports

11 Directors' Report

41 Management Discussion and Analysis

121 Corporate Governance Report

Financial Statements

180 Standalone Financial Statements

290 Consolidated Financial Statements

392 Pillar III Disclosures

एक नई पहचान की ओर

आईडीबीआई बैंक अपने विभिन्न अवतारों में कारोबारी परिवेश के साथ-साथ ग्राहकों की बदलती प्राथमिकताओं के अनुरूप अपने को ढालने का निरंतर प्रयास करता रहा है. बदलते समय में प्रासंगिक होने की कोशिश करते हुए बैंक हमेशा हितधारकों के एक मददगार दोस्त के रूप में अपने ब्रांड वादे को पूरा करने के लिए खुद को पुनर्परिभाषित करने में सबसे आगे रहा है.

इस व्यापक मिशन के एक भाग के रूप में बैंक खुद को एक रिटेल-केंद्रित बैंक के रूप में विकसित करने के लिए सजगतापूर्वक अपने कारोबार संमिश्र में लगातार बदलाव ला रहा है ताकि लंबे समय तक निरंतर और लाभदायक संवृद्धि सुनिश्चित की जा सके. साथ ही बैंक खुद को आने वाले कल के महत्वपूर्ण बैंक के रूप में स्थापित करने के लिए अपने परिचालन और कारोबार की पद्धति की फिर से समीक्षा कर रहा है. इस दिशा में बैंक आज के डिजिटल बैंकिंग युग को ध्यान में रखते हुए अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं के साथ-साथ ग्राहकों के सामने आने वाले अनुप्रयोगों के अधिक से अधिक डिजिटलीकरण की ओर भी बढ़ रहा है. बैंक के परिचालन को सुदृढ़ करने के पीछे हमारा उद्देश्य अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं को बेहतर तरीके से समझते हुए उन्हें सहज ग्राहक अनुभव सुनिश्चित कराना है.

इस साल की वार्षिक रिपोर्ट का मुखपृष्ठ बैंक की सतत जारी समुन्नत रूपांतरण यात्रा को प्रकट करता है. बैंक की सफल रूपांतरण गाथा विभिन्न कारोबारी घटकों और उनके द्वारा निभाई गई भूमिकाओं के कारण ही संभव हो सकी है, जिसे गियर्स द्वारा दर्शाया गया है. गियर के विभिन्न आकार यह दर्शाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की भूमिका, चाहे वह बड़ी हो या छोटी, तंत्र के समग्र कामकाज के लिए अर्थात् बैंक के लिए अत्यंत आवश्यक और महत्वपूर्ण है. ये सुव्यवस्थित गियर सपने को साकार बनाने में सहयोगात्मक टीम वर्क के महत्व और एकजुट होकर काम करने की भूमिका पर जोर देते हैं. इस क्रिएटिव में गियरों को चलाने में मानवीय भूमिका यह दर्शाती है कि सेवा-उन्मुख बैंकिंग क्षेत्र में यह कर्मचारियों के सॉफ्ट रिसोर्स ही हैं जो संस्था की किस्मत लिखेंगे.

संक्षेप में, एक कुशल और प्रतिबद्ध कार्यबल, सुपरिभाषित रणनीतियों और डिलिवरेबल्स का सशक्त गठजोड़ तथा परिचालन परिवेश में हुए परिवर्तनों व उभरते अवसरों को समझ कर हितधारक का अधिकतम मूल्यवर्धन करने की प्रबल इच्छाशक्ति ही आगे चलकर यह निर्धारित करेगी कि बैंक अपने को किस प्रकार पुनर्परिभाषित करता है.

Redefining Ourselves

IDBI Bank in its various avatars has consistently endeavoured to align its strategic positioning and initiatives to be in sync with the evolving business environment as well as changing customer preferences. Constantly trying to be relevant in the changing times, the Bank has always been at the forefront in redefining itself to live up to its brand promise of being a friend in need for all its stakeholders.

As a part of this overarching mission, the Bank is consciously calibrating its business mix to evolve into a retail-centric bank so as to ensure sustained and profitable growth in the long run. Concurrently, the Bank has been relooking at its operations and business practices to position itself as the bank of the future. Towards this end, the Bank has been increasingly moving towards a greater degree of digitalisation of its internal processes as well as customer-facing applications, in keeping with today's digital banking era. The intent behind reinventing the Bank's operations is to help in serving its customers better by understanding their needs and ensuring a seamless banking experience and elicit customer delight.

The Annual Report cover for the year seeks to capture this continuing journey of gainful transformation of the Bank. The gears portrayed therein depict the various business constituents and the roles essayed by each one of them in scripting the Bank's successful transformation story. The different sizes of the gears represent that each individual role, be it big or small, is extremely necessary and important for the overall functioning of the whole, that is, the Bank. The well-oiled gears, in a sense, also showcase the importance of collaborative teamwork and putting up a united front to make the dream work. The presence of the human elements, manoeuvring the gears, in the creative, brings home the fact that, in a service-centric banking sector, it is the soft resources or employees who would ultimately script the destiny of the organisation.

In sum, a virtuous confluence of a skilled and committed workforce, well-defined strategies and deliverables and an indomitable will to adapt to changes in the operating environment and emerging opportunities to optimise stakeholder value will continue to define how the Bank redefines itself, going forward.

यथा 30 मई 2020 को निदेशक मंडल
Board of Directors as on May 30, 2020

श्री एम. आर. कुमार
(अध्यक्ष)

Shri M. R. Kumar
(Chairman)

श्री राकेश शर्मा
(प्रबंध निदेशक एवं सीईओ)

Shri Rakesh Sharma
(Managing Director & CEO)

श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज
(उप प्रबंध निदेशक)

Shri Samuel Joseph Jebaraj
(Deputy Managing Director)

श्री सुरेश खटनहार
(उप प्रबंध निदेशक)

Shri Suresh Khatanhar
(Deputy Managing Director)

सुश्री मीरा स्वरूप
Ms. Meera Swarup

श्री सुधीर श्याम
Shri Sudhir Shyam

श्री राजेश कंडवाल
Shri Rajesh Kandwal

श्री ज्ञान प्रकाश जोशी
Shri Gyan Prakash Joshi

डॉ. आशिमा गोयल
Dr. Ashima Goyal

श्री भुवनचन्द्र बी. जोशी
Shri Bhuwanchandra B. Joshi

श्री समरेश परिदा
Shri Samaresh Parida

श्री एन. जंबुनाथन
Shri N. Jambunathan

श्री दीपक सिंघल
Shri Deepak Singhal

श्री संजय गोकुलदास कल्लापुर
Shri Sanjay Gokuldas Kallapur

अध्यक्ष का संदेश
Message from the Chairman

अध्यक्ष का संदेश
Message from the Chairman

एम. आर. कुमार - अध्यक्ष

M. R. Kumar - Chairman

प्रिय शेयरधारको,

मुझे आपके बैंक की 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट के जरिए आप सबसे संवाद करते हुए हार्दिक प्रसन्नता है. मई 2019 में बैंक के अध्यक्ष का पद संभालने के बाद लगभग एक वर्ष का समय हो गया है. वर्ष 2019-20 कई मोर्चों पर चुनौतियों से भरा वर्ष रहा जिसने न केवल बैंकिंग कारोबार करने के तरीकों को बदला बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी व्यापक परिवर्तन किए.

वर्ष के दौरान भारत को कमजोर निवेश और उपभोग मांग के कारण अर्थव्यवस्था में मंदी का सामना करना पड़ा. यह चुनौती और ज्यादा विकराल हो गई क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र आस्ति गुणवत्ता संबंधी समस्याओं से जूझ रहा था जिसके कारण उसकी उधार देने की क्षमताएँ सीमित हो गईं. इसके बावजूद बैंकों ने बैंकिंग क्षेत्र को मजबूती प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए प्रमुख नीतिगत सुधारों, जिनमें विनियामकीय/विधिक सुधार आदि शामिल थे, से लाभ उठाते हुए स्थिर विकास दर हासिल की और ऐसा करते हुए उच्च आर्थिक विकास पथ पर आगे बढ़ने में अपना सहयोग देते हुए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. इन सुधारों के समय ही तकनीकी विकासों, बैंकिंग क्षेत्र में गैर-परंपरागत खिलाड़ियों के प्रवेश और साथ ही तकनीकी रूप से दक्ष ग्राहक वर्ग के उदय ने बैंकों के समक्ष अलग तरह की चुनौतियाँ और अवसर उपस्थित किए हैं. न केवल बैंकिंग व्यवहार में उल्लेखनीय बदलाव आया है जिससे आकांक्षाओं से जुड़ी मांग में वृद्धि हुई है बल्कि बैंकिंग कार्य के पारंपरिक स्वरूप में भी बदलाव आया है और यह अब और अधिक डिजिटल आधारित लेनदेन व्यवहार में बदल गया है.

तथापि, वर्ष 2019-20 विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य संबंधी खतरों में से एक का साक्षी बना जिसने हमारे देश की आर्थिक सेहत पर ही नहीं बल्कि आम लोगों के स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डाला है. कोरोना वायरस प्रकोप के चलते दुनिया भर में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और आने वाले समय में असामान्य चिकित्सकीय और आर्थिक चुनौतियों के साथ-साथ हमारे कारोबार करने के तरीकों को प्रभावित करेगा. भारत में भी इस महामारी के व्यापक प्रकोप को फैलने से रोकने के लिए कई चरणों में राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन घोषित किया गया. तथापि, इस लॉकडाउन के चलते जो पूर्ण ठहराव की स्थिति बनी उससे अधिकांश आर्थिक कार्यकलापों पर कई गुना प्रतिकूल प्रभाव पड़ा और आय की हानि हुई.

यह गौर करने योग्य बात है कि इस प्रकार की असामान्य स्थिति द्वारा उत्पन्न चुनौतियों के प्रति हमारे नीति निर्माता और विनियामक संवेदनशील रहे हैं और उन्होंने प्रभावित आर्थिक क्षेत्रों और साथ ही समाज के विभिन्न वर्गों को सहायता देने के लिए अनेक उपायों की घोषणा की है. भारत सरकार ने *'आत्मनिर्भर भारत अभियान'* नामक व्यापक प्रोत्साहन पैकेज की भी घोषणा की है जिसके तहत व्यापक सुधार घोषित किए गए हैं ताकि भारत आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के रूप में उभर सके. नीति निर्माताओं द्वारा घोषित कुल ₹20 लाख करोड़ से अधिक के विभिन्न प्रोत्साहन उपायों से एमएसएमई जैसे क्षेत्रों, छोटे व्यापारियों, कृषि और उससे जुड़े कार्यकलापों आदि में लगे लोगों को सहायता प्रदान कर मौजूदा चुनौतियों से निपटती हुई अर्थव्यवस्था को मदद मिलने की आशा है.

यद्यपि भारतीय बैंकिंग क्षेत्र पर तात्कालिक रूप से कोई प्रभाव नहीं पड़ा है फिर भी यह अनुमान है कि समय बीतने के साथ कोविद-19 प्रकोप के कारण आर्थिक कार्यकलापों में आनेवाली बाधाओं से बैंकिंग क्षेत्र पर इस

Dear Shareholders,

I am glad to connect with all of you through your Bank's Annual Report for 2019-20. It has been around a year since I assumed the position of Chairman of the Bank in May 2019. The year 2019-20 was a challenging one on several fronts that has brought about changes not just in the way banking is conducted but also the way we conduct ourselves in our daily lives.

During the year, India was confronted with the challenge of a slowing economy on the back of weak investment and consumption demand. The challenge was compounded by the fact that the banking sector was combating asset quality issues which constrained their lending capabilities. However, there was steady progress being made by the banks with Government of India embarking on major policy reforms comprising regulatory/ legal reforms, etc. to strengthen the banking sector and thereby be instrumental in supporting a higher economic growth trajectory. In the midst of these reforms, technological developments, entry of non-traditional players in the banking space as well as emergence of tech-savvy clientele brought about its own set of challenges as also opportunities for the banks. There was a significant shift in not just the banking behaviour that saw growth in aspirational demand but also in the way banking was conducted to a more digital-oriented transactional behaviour.

However, the year 2019-20 also saw one of the world's greatest health threats that has profoundly impacted the economic health of the nation as well as of the people. The coronavirus outbreak has overtaken many lives across the world, presenting an unprecedented medical and economic challenge and will impact how we conduct business going forward. In India too, a nation-wide lockdown was announced in successive phases to contain the risk of widespread outbreak. However, this lockdown has had manifold impact in terms of absolute standstill in most economic activities resulting into loss of income.

It is noteworthy that the policymakers and the regulators have been responsive to the challenges posed by such an unprecedented situation and have announced several measures to support the affected economic sectors as well as segments of the society. The Government has also unveiled a comprehensive stimulus package, christened as *'Atmanirbhar Bharat Abhiyan',* under which wide-ranging reforms have been announced to enable India to emerge as a self-reliant economy. The various stimulus measures announced by the policymakers aggregating over ₹20 lakh crore are expected to help the economy in addressing the present challenges by helping sectors such as MSMEs, small traders, persons engaged in agriculture and allied activities etc.

While there has been no immediate impact on the Indian banking sector, it is anticipated that, going forward, the disruption in economic activities due to the Covid-19 outbreak will affect the banking sector due to its exposure to affected industries and sectors. In this challenging

आपदा से प्रभावित उद्योगों और क्षेत्रों पर इसके एक्सपोजर के कारण प्रभाव पड़ेगा. इस चुनौतीपूर्ण वातावरण में आपका बैंक अपनी वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ बनाने की दिशा में प्रयास करता रहा है. बैंक द्वारा किए गए प्रयासों की झलक इसके वित्तीय कार्य-निष्पादन, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही के परिणामों में देखी जा सकती है. लगातार तेरह तिमाहियों में निवल हानियाँ दर्ज करने के बाद आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही में ₹135 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया है, जो लंबे समय से प्रतीक्षित रूपांतरण की स्थिति के साकार होने का संकेत है. आपके बैंक ने कई अन्य मानदंडों जैसे, पूंजी स्थिति में सुधार, उच्चतर कासा अनुपात, आस्ति बही में रिटेल ऋणों के बढ़ते हिस्से आदि में सुधार दर्शाया है.

नोवल कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते सामने आई चुनौतियों को देखते हुए आपके बैंक ने कई पहल कार्य किए हैं तथा यह अपने हितधारकों की सहायता के लिए ऐसे कई उपाय करना जारी रखेगा. मैं आपका ध्यान आपके बैंक द्वारा शुरू किए गए उपायों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ. विनियामकीय दिशानिर्देशों के अनुसार आपके बैंक ने विभिन्न श्रेणियों के ऐसे उधारकर्ताओं के लिए 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 के दौरान देय होने वाली सभी किस्तों की अदायगी पर ऋण-स्थगन प्रदान किया है, जिन्होंने इसका विकल्प चुना है. एमएसएमई के सामने आ रही चलनिधि संबंधी समस्याओं को देखते हुए आपके बैंक ने कोविद-19 से प्रभावित एमएसएमई इकाइयों की व्यवहार्यता का सावधानीपूर्वक आकलन करते हुए अतिरिक्त ऋण सीमा प्रदान की है. अपने ग्राहकों को निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए आपके बैंक ने वैकल्पिक व्यवस्थाएँ भी की हैं ताकि ग्राहक के अनुरोध पर निरंतर और समयबद्ध कार्रवाई हो सके. आपके बैंक ने अपनी शाखाएँ खुली रखी हैं तथा जो ग्राहक शाखाओं में आकर सेवा प्राप्त करना चाहते हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है. इसके अलावा आपके बैंक ने अपने एटीएम को कार्यरत रखते हुए उनमें पर्याप्त स्टॉक रखा है ताकि ग्राहकों को नकदी आहरण जैसी बुनियादी सेवाएँ मिल सकें. साथ ही, बैंक अपने ग्राहकों को बैंकिंग लेन-देन करने के लिए डिजिटल चैनल का उपयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रहा है. आपका बैंक महामारी में 'क्या करें और क्या न करें' के बारे में जागरूकता लाने के लिए अपने सोशल मीडिया चैनलों का भी प्रयोग कर रहा है. आपके बैंक के स्टाफ सदस्यों ने इस महामारी के विरुद्ध देश की लड़ाई में अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हुए 'आपात स्थिति में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (पीएम केयर्स फंड)' में ₹5.12 करोड़ का अभिदान दिया है. आपका बैंक नीति निर्माताओं और विनियामकों को प्रोत्साहन पैकेज कार्यान्वित करने में सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि जरूरतमंद तबके की सहायता करते हुए देश के पुनर्निर्माण में सहयोग दिया जा सके. आपका बैंक अपनी तरफ से हर संभव यह प्रयास कर रहा है कि अपेक्षित लाभार्थियों को समय पर और किफ़ायती तरीके से सरकारी सहायता पहुँचती रहे. चुनौतियां इतनी महत्वपूर्ण हैं कि इस महामारी का मुकाबला सभी एक साथ मिलकर ही कर सकते हैं.

कोरोना वायरस के प्रकोप ने बैंकिंग क्षेत्र, विशेष रूप से रिटेल बैंकिंग क्षेत्र सहित कारोबार के कामकाज में एक बड़ा परिवर्तन ला दिया है. जैसे-जैसे प्रकोप का व्यापक आर्थिक प्रभाव बहुविध क्षेत्रों में फैल रहा है, बैंक अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं की समीक्षा करने और नए सिरे से भावी रणनीति तैयार करने के लिए विवश हो गए हैं.

सोशल डिस्टेन्सिंग और लॉकडाउन उपायों के कारण डिजिटल चैनल लेन-देनों में वृद्धि हुई है. साथ ही बैंक परंपरागत बैंकिंग कार्य करने

environment, your Bank persevered in its efforts towards strengthening its financial health. The efforts undertaken by the Bank is also reflected in its financial performance, especially in Q4 FY 2019-20. After posting thirteen consecutive quarters of net losses, your Bank posted a net profit of ₹135 crore in Q4 FY 2019-20, marking a much-awaited turnaround. Your Bank has also showed improvement on several other fronts such as improvement in capital position, higher CASA ratio, increasing share of retail loans in the asset book, among other parameters.

Taking cognisance of the challenges posed in the midst of the novel coronavirus outbreak, your Bank has undertaken various initiatives and will continue to implement such measures to help its stakeholders. I would like to draw your attention to some of these measures undertaken by your Bank. In line with the regulatory guidelines, your Bank has extended a moratorium on payment of all instalments falling due between March 1, 2020 and August 31, 2020 for various categories of loans to the borrowers who opted for it. Recognising the liquidity constraints confronting MSMEs, your Bank has also extended additional credit limit to MSMEs affected by Covid-19 after careful assessment of the underlying viability. To support its customers in availing seamless services, your Bank has been implementing alternative work arrangements to allow for uninterrupted and time-bound processing of customer requests. Your Bank has kept its branches open and is following the necessary guidelines to ensure safety of its customers who need to avail services at the branches. In addition, your Bank has kept its ATMs well-stocked and functional to provide basic banking services such as cash withdrawal to its customers. Your Bank has simultaneously been encouraging customers to use digital channels to carry out their banking transactions. Your Bank has also been using its social media channels to spread awareness about do's and don'ts during the pandemic. Your Bank's workforce has shown commitment towards the nation in this fight against the pandemic by contributing ₹5.12 crore towards the Prime Minister's Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund (PM CARES Fund). Your Bank is committed to support the policymakers and regulators in implementing stimulus package benefits to help the nation to rebuild itself by helping out the sections in need. Your Bank intends to do everything in its control to ensure that the government support is reaching the intended beneficiaries in a timely and cost-effective manner. The challenges are significant enough to be addressed by coming together of all to fight against the pandemic.

The coronavirus outbreak has affected a sea-change in the way businesses function, including the banking sector, especially in the retail banking space. As the economic ramifications of the outbreak spread, the banks are compelled to relook at their strategic priorities while also recalibrating the future strategies.

The social distancing and lockdown measures have resulted in a surge in digital channel transactions. At the same time, banks are working out ways to manage traditional banking functions which were typically never

के उपाय भी तलाश रहे हैं, क्योंकि ये रिमोट कार्य के लिए तो बने ही नहीं थे. आस्ति गुणवत्ता में अब नई चिंताएँ उभर रही हैं, क्योंकि कुछ समय से कई उद्योगों का कामकाज बंद हो गया है, जिसके चलते उनके ऋण-चुकौती सामर्थ्य पर विपरीत असर पड़ा है. जहां आस्ति गुणवत्ता में कमी आने से बैंकों के बैलेंस शीट पर दबाव पड़ रहा है, वहीं हाल ही में बैंकों को अपने रिटेल और कॉरपोरेट ऋणों में स्थगन अवधि उपलब्ध कराने संबंधी भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) की पहल से इस प्रभाव को कुछ कम करने में सहायता मिलेगी. इसके अलावा उपभोक्ता के व्यवहार में बहुत बड़ा बदलाव आया है और वह मितव्ययी हो रहा है, जिससे आगे चल कर रिटेल क्षेत्रों में मांग में और भी कमी आ सकती है. इस स्थिति में बैंकों को ऐसी रणनीति बनानी होगी जो इस चुनौतीपूर्ण समय के साथ-साथ कोरोना वायरस संकट के फलस्वरूप ग्राहक की बदलती प्राथमिकताओं को भी संभाल सके.

बैंकिंग क्षेत्र में सबसे पहला और महत्वपूर्ण परिवर्तन सुपुर्दगी चैनलों के संदर्भ में देखा जा सकता है. डिजिटल लेन-देन अथवा कॉल सेंटर जैसे अन्य वैकल्पिक चैनलों के माध्यम से किए जाने वाले लेन-देनों में कई गुना वृद्धि हो सकती है. इसी के साथ शाखाओं में आने वाले व्यक्तियों की संख्या में कमी आ सकती है. अपने दैनंदिन परिचालनों में होने वाले इस परिवर्तन के कारण बैंक अपनी रणनीति बदलते हुए अपने फ्रंट-लाइन स्टाफ का लक्ष्यित बिक्री में उपयोग कर और कुछ रुटीन कामकाज का विकेंद्रीकरण कर उन्हें बैक ऑफिस को दे सकते हैं. इसके अलावा कुछ प्रक्रियाओं के ऑटोमेशन में भी पर्याप्त निवेश करने की जरूरत है ताकि बैंक अपने स्टाफ का अधिक उत्पादक कार्यों में पुनर्नियोजन कर सकें, लागत को कम किया जा सके, बेहतर परिचालन योग्यता प्राप्त हो सके और कार्रवाई समय में सुधार हो सके. इसी के साथ बैंकों को मानव संसाधन रणनीति का विकास करते हुए कर्मचारियों में उपयुक्त कंप्यूटर कौशल तैयार करना होगा तथा यूजर इंटरफेस को इस प्रकार निर्मित करना होगा कि ग्राहक को निर्बाध सेवा मिल सके.

आरबीआई के नीतिगत प्रोत्साहन के बाद बैंकों के पास ऋण की मांग बढ़ सकती है, क्योंकि कारोबार, विशेष रूप से छोटे कारोबारों को अपने परिचालन फिर से शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी. बैंकों को अपनी जोखिम वहन क्षमता और बदलते परिदृश्य को देखते हुए अपने पूंजी आबंटन पर पुनर्विचार करना होगा.

इस अप्रत्याशित स्थिति ने बैंक जमाराशियों की लिक्विडिटी और सुरक्षा के प्रति भी लोगों की प्राथमिकता बढ़ा दी है. इससे बैंकों के सामने अल्प-लागत वाली जमाराशियाँ जुटाने व वेल्थ मैनेजमेंट सॉल्युशन उपलब्ध कराते हुए अपना वॉलेट अंश बढ़ाने का अवसर निर्मित हो गया है. जो बैंक इस अवसर का लाभ उठा पाएंगे, वे कम मार्जिन के इस दौर में अपने कारोबार में अच्छी संवृद्धि कर सकेंगे.

बदलते परिवेश में बैंक भी इन चुनौतियों से बाहर आने और उभरते अवसरों का लाभ उठाने के लिए अपनी रणनीति बनाएगा. आपका बैंक डेटा एनालिटिक्स और प्रौद्योगिकी उन्नयन के आधार पर एक रिटेल-केंद्रित मॉडल की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है. मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में यह रणनीति बैंक के लिए काफी फायदेमंद साबित होगी. यही नहीं, आपका बैंक अपने शेयरधारकों, ग्राहकों, कर्मचारियों सहित अपने सभी हितधारकों के साथ-साथ वृहत्तर समाज को सहयोग देने के लिए सशक्त और परिवर्तनशील बना रहेगा.

designed for remote work. There are looming concerns over asset quality as several industries, being non-operational for a while, would be adversely impacted in their debt servicing capabilities. While the balance sheets of banks may come under pressure due to deterioration in asset quality, recent initiatives by the Reserve Bank of India (RBI) at enabling banks to provide moratorium on retail and corporate loans would help in moderating the impact. Furthermore, there has been a transformative change in consumer behaviour towards more frugality, which implies that the demand from the retail segments may remain dented, going forward. In such a situation, banks need to devise a strategy that addresses the challenging times as well as the change in customer preferences in the aftermath of the coronavirus crisis.

The first and foremost impact on banking can be seen in terms of delivery channels. It may be that digital transactions or transactions through other alternate channels like call centres may witness a manifold growth. Simultaneously, there may be a decline in the footfall in the branches. Such a change in its day-to-day operations may be used strategically by banks to utilise front-line staff for targeted sales and decentralise certain routine activities to back offices. Furthermore, there may be a need to invest heavily in automation of certain processes, which can be beneficial for the banks in terms of redeployment of workforce to more productive avenues, economising cost, driving higher operational efficiencies as well as improving turnaround time. At the same time, banks will also need to develop human resources strategies to on-board executives with appropriate computer skills as well as designers to ideate about user interface to ensure seamless customer experience.

Banks may witness a surge in demand for credit as business, especially small business, seek financial assistance to revive their operations with enabling policy impetus from the RBI. Banks would need to rethink their capital allocation plans in response to their own risk appetite and the changing environment.

The unprecedented situation has also led to growing preference among individuals for the liquidity and safety offered by bank deposits. This presents an emerging opportunity for banks to raise low-cost deposits as well as enhance wallet share by providing wealth management solutions. Banks, which are able to tap this opportunity, would be able to fuel their business growth in an era defined by low margins.

Given the changing environment, the Bank would also accordingly strategise to overcome the challenges and tap the emerging opportunities. Your Bank has been progressively moving towards a retail-oriented model backed by data analytics and technological upgradations. I am confident that this strategy will serve your Bank well in the times ahead. Furthermore, your Bank will strive to remain strong and resilient to support all its stakeholders, including its shareholders, customers, employees as also the community at large.

अपने वर्षों पुराने सफर के दौरान आपके बैंक ने अतीत में कई अप्रत्याशित चुनौतियों का डट कर सामना किया है और हमेशा ही उन पर विजय प्राप्त करता रहा है. मुझे विश्वास है कि आपका बैंक मौजूदा चुनौतियों का भी उसी सफलता के साथ मुकाबला करते हुए उन पर विजय प्राप्त कर सकेगा. मेरा आपके बैंक के सभी हितधारकों से यह अनुरोध है कि वे इसके सभी प्रयासों में अपना सहयोग बनाए रखें. हम सब इस असामान्य स्थिति से उबर कर पहले से कहीं अधिक सशक्त रूप में उभरेंगे.

शुभकामनाओं सहित,

एम. आर. कुमार
अध्यक्ष

Looking back at its journey over the years, your Bank has weathered unprecedented challenges in the past and has always managed to surmount them. I am confident that your Bank would similarly confront and overcome the current challenges with similar success. I request all the stakeholders of your Bank to continue supporting it in all its endeavours. Together, all of us will get through this unprecedented situation and will even emerge stronger than before.

With best wishes,

M. R. Kumar
Chairman

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का संदेश
Message from the Managing Director & CEO

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ का संदेश
Message from the Managing Director & CEO

राकेश शर्मा - प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

Rakesh Sharma - Managing Director & CEO

प्रिय शेयरधारको,

मैं आईडीबीआई बैंक के निदेशक मंडल और प्रबंधन टीम की ओर से आपके समक्ष वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक के कार्य निष्पादन की प्रमुख विशेषताएँ प्रस्तुत कर रहा हूँ. मैंने इसकी शुरुआत वर्ष 2019-20 के दौरान अर्थव्यवस्था की स्थिति पर संक्षिप्त उल्लेख के साथ की है ताकि आपको अपने बैंक की रणनीति और परिचालनगत कार्य निष्पादन को उचित परिप्रेक्ष्य में समझने में मदद मिले.

वर्ष 2019-20 के दौरान अर्थव्यवस्था की स्थिति

वर्ष 2019-20 अप्रत्याशित रूप से चुनौतीपूर्ण रहा जिसमें वित्तीय वर्ष के अधिकांश समय में निजी व्यय की खपत तथा निवेश की मांग उत्तरोत्तर कमजोर होती रही और यह वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही के दौरान कोविद-19 महामारी के कारण और भी ज्यादा कमजोर हो गई. परिणामस्वरूप, कृषि एवं इससे संबद्ध कार्यकलापों और सार्वजनिक क्षेत्र को छोड़ कर, अन्य सभी क्षेत्रों और विशेष कर उद्योग और सेवा क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में सुस्ती छायी रही. चौथी तिमाही कारोबार के लिए विशेष रूप से व्यस्ततम समय रहता है और इसमें पूरे वर्ष के लक्ष्य को पूरा करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 3.1% की तीव्र गिरावट होने से वित्तीय वर्ष 2019-20 की वृद्धि घटकर 4.2% रह गई.

कारोबार रणनीति

परिचालन परिवेश में चुनौतियों के बावजूद आपका बैंक अपनी रणनीतिक प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए दृढ़तापूर्वक आगे बढ़ता रहा. रिटेल-केंद्रित बैंक के रूप में अपनी अपेक्षित स्थिति मजबूत करने के लिए आपका बैंक रणनीतिक रूप से अपने रिटेल, कृषि और एमएसएमई (आरएएम) क्षेत्र में सुधार करता रहा और साथ ही विविध और छोटे-छोटे आस्ति संमिश्र लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने कॉरपोरेट एक्सपोजर को सीमित करता रहा. साथ ही, देयता स्तर पर आपके बैंक ने अपनी कुल जमाराशियों में कम लागत वाले जमाराशि आधार अर्थात् कासा जमाराशियों और रिटेल मीयादी जमाराशियों के हिस्से को बढ़ाना जारी रखा.

आपके बैंक ने नए उत्पादों को शुरू कर न सिर्फ अपनी पेशकशों को बढ़ाया, बल्कि ग्राहकों की बदलती हुई आवश्यकताओं और बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उत्पादों की विभिन्न मौजूदा श्रृंखलाओं में संशोधन भी किये. इसके अतिरिक्त, आपके बैंक ने निर्बाध अनुभव तथा शिकायतों का समयबद्ध और त्वरित निपटान सुनिश्चित करते हुए सभी डिलीवरी चैनलों में उत्तम ग्राहक सेवा प्रदान करने का हमेशा प्रयास किया है. साथ ही, आपके बैंक ने अपने ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उन्हें उपयुक्त उत्पाद उपलब्ध कराने के लिए डेटा एनालिटिक्स का भी प्रयोग किया.

आपका बैंक भविष्य के एक सुस्थिर और लाभकारी संवृद्धि पथ पर अग्रसर होने के लिए भी कार्यरत है. इसके लिए आपके बैंक ने कॉरपोरेट और रिटेल पोर्टफोलियो में वसूली के लिए एक समर्पित टीम का गठन कर अपने आस्ति पोर्टफोलियो में वर्तमान दबाव को कम करने के लिए संकेंद्रित दृष्टिकोण अपनाया है. इसके अतिरिक्त बैंक ने बेहतर आस्ति गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अपनी ऋण निगरानी प्रक्रिया को मजबूत करते हुए सुधार हेतु सक्रिय उपाय भी किए हैं.

अपनी कारोबार रणनीति के व्यापक ढांचे के अंतर्गत आपके बैंक द्वारा की गई पहल के विवरण वार्षिक रिपोर्ट के 'निदेशकों की रिपोर्ट' और 'प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण' खंड में दिए गए हैं. मुझे यह बताते हुए खुशी है कि आपके बैंक द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में किए गए सामूहिक प्रयासों के सकारात्मक परिणाम मिले हैं. मैं आपके के लिए कुछ पैरामीटर यहाँ विशेष रूप से प्रस्तुत करना चाहूँगा.

Dear Shareholders,

On behalf of the Board of Directors and the Management Team of IDBI Bank, I place before you the highlights of your Bank's performance for the financial year 2019-20. I have prefaced it with a short narrative on the state of the economy in 2019-20 to help you appreciate the strategy and operational performance of your Bank in the proper contextual perspective.

State of the Economy during 2019-20

The year 2019-20 was a year of unprecedented challenges, with progressively weakening private consumption expenditure and investment demand for most part of the financial year and significantly worsening in Q4 due to the lockdown on account of the Covid-19 pandemic. Consequently, barring agriculture & allied activities and the public sector, the pace of economic activity remained muted across all other sectors, particularly in industry and services. The steep deceleration in growth in India's Real Gross Domestic Product (GDP) in Q4, typically the busiest quarter with businesses trying to meet year-end targets, to 3.1% pulled down growth to 4.2% for the Financial Year (FY) 2019-20.

Business Strategy

Despite the challenges in the operating environment, your Bank continued to steadfastly work on its strategic priorities. Building on its desired positioning as a retail-focussed bank, your Bank continued to strategically scale up its Retail, Agri and MSME (RAM) asset book while simultaneously limiting its corporate exposure, to help in achieving a diversified and granular asset mix. At the same time, on the liability side, your Bank continued to augment the share of low-cost deposit base, i.e. CASA Deposits and Retail Term Deposits in its Total Deposits.

Your Bank not only expanded its offerings by introducing new products but also revamped the existing gamut of products to reflect the changing as well as emerging needs of its customers. Additionally, your Bank has always strived to ensure excellence in customer service across all its delivery channels by providing hassle-free experience as well as time-bound and expeditious grievance redressal. Simultaneously, your Bank has deployed data analytics to drive targeted sales to its customers based on their customised requirements.

Your Bank has also been working towards securing a stable and profitable future growth path. In doing so, your Bank adopted a focussed approach to resolve the existing stress in its asset portfolio by setting up dedicated teams for driving recovery in corporate and retail portfolio. Apart from this, the Bank has also taken proactive measures to step up its credit monitoring process to ensure better asset quality, going forward.

The initiatives taken by your Bank under the broad contours of its business strategy have been detailed in the Directors' Report and Management Discussion & Analysis sections of the Annual Report. I am pleased to state that the concerted efforts taken by your Bank yielded positive results on several fronts. I would like to highlight some of these parameters for your benefit.

वित्तीय और परिचालनगत विशेषताएँ

समकालीन कारोबार और परिचालनगत वातावरण में अपनी कारोबारी रणनीति के संदर्भ में संगत बने रहने के लिए बैंक ने वर्ष के दौरान अपनी प्राथमिकताओं और परिचालन में परिवर्तन और पुनर्निर्धारण का कार्य जारी रखा ताकि यह एक पसंदीदा रिटेल बैंक के रूप में उभर सके. आपके बैंक का परिचालनगत और वित्तीय कार्य निष्पादन इन पहल कार्यों की सफलता को प्रमाणित करता है. बैंक का कम लागत वाला कासा जमाराशि आधार, मार्च 2019 के अंत के ₹96,730 करोड़ की तुलना में मार्च 2020 के अंत में 10% बढ़ कर ₹1.06 लाख करोड़ हो गया. परिणामस्वरूप, कुल जमाराशियों में कासा जमाराशियों का हिस्सा मार्च 2019 के अंत के 42.54% की तुलना में मार्च 2020 के अंत में उल्लेखनीय रूप से बढ़ कर 47.74% हो गया. साथ ही, रिटेल मीयादी जमा बही मार्च 2019 के अंत के ₹72,923 करोड़ की तुलना में मार्च 2020 के अंत में 5.58% बढ़ कर लगभग ₹76,993 करोड़ हो गई. इसी प्रकार बैंक ने उच्च लागत वाली संस्थागत जमाराशियों पर अपनी निर्भरता को कम किया तथा कुल जमाराशियों में इसका हिस्सा मार्च 2019 के अंत के 25.4% से घटकर मार्च 2020 के अंत में 17.6% रह गया. इससे बैंक को जमाराशियों की लागत वित्तीय वर्ष 2018-19 के 5.44% से घटाकर वित्तीय वर्ष 2019-20 में 5.08% करने तथा निधियों की लागत वित्तीय वर्ष 2018-19 के 5.78% से घटाकर वित्तीय वर्ष 2019-20 में 5.44% करने में मदद मिली.

अपने पोर्टफोलियो संमिश्र को रिटेल के पक्ष में पुनर्निर्धारित करने की रणनीति जारी रखते हुए आपके बैंक के रिटेल की ऋण बही संरचना, कॉरपोरेट अग्रिम की तुलना में मार्च 2019 के अंत के 51:49 की तुलना में मार्च 2020 के अंत में सुधर कर 56:44 हो गई. कुल अग्रिमों में संरचित रिटेल आस्ति (एसआरए) का हिस्सा कुल अग्रिम का 34.44% था तथा इसके अंतर्गत आवास और वैयक्तिक ऋणों में हुई दो अंकीय वृद्धि ने रिटेल बही को बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाई. प्राथमिकता प्राप्त उधार के क्षेत्र में बैंक ने ₹77,586 करोड़ प्राथमिकता प्राप्त अग्रिम के साथ 40% के विनियामकीय पीएसएल लक्ष्य को पार किया जोकि समायोजित निवल बैंक ऋण (एएनबीसी) का 41.69% है.

अधिक रिटेल उन्मुख पोर्टफोलियो संमिश्र की दिशा में बढ़ने के साथ-साथ कुछ रणनीतिक पूंजी संरक्षण उपायों ने आपके बैंक को अपनी जोखिम भारित आस्तियों को मार्च 2019 के अंत के ₹1.83 लाख करोड़ से कम कर मार्च 2020 के अंत में ₹1.59 लाख करोड़ तक करने में मदद की. आपके बैंक की पूंजी स्थिति में सुधार हुआ और जोखिम भारित आस्तियों की तुलना में पूंजी अनुपात (सीआरएआर) और टीयर 1 पूंजी मार्च 2019 की समाप्ति के क्रमशः 11.58% और 9.14% की तुलना में मार्च 2020 की तिमाही में क्रमशः 13.31% और 10.57% हो गई. इस प्रकार दोनों ही अनुपात भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित क्रमशः 10.875% और 8.875% के न्यूनतम स्तरों से अधिक रहे.

आपका बैंक अपनी आस्ति गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए कड़े कदम उठाता रहा है जिसका यहाँ भी सकारात्मक असर पड़ा है. जहां बैंक की सकल अनर्जक आस्तियां (जीएनपीए) मार्च 2019 के अंत के 27.47% की तुलना में मार्च 2020 के अंत में 27.53% रहीं, वहीं तुलन पत्र के आकार में कमी के कारण विभाजक के घटने से निवल अनर्जक आस्तियां (एनएनपीए) मार्च 2019 के अंत के 10.11% की तुलना में सुधर कर मार्च 2020 के अंत में 4.19% हो गईं जो पहली बार एनपीए (एफटीएनपीए) की कड़ी निगरानी और विवेकपूर्ण प्रावधानीकरण के साथ-साथ गहन वसूली उपायों के कारण हो सकीं. आपके बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) मार्च 2019 के अंत के 82.88% की तुलना में मार्च 2020 के अंत में सुधर कर 93.74% हो गया जो निर्विवाद रूप से उद्योग के उच्चतम पीसीआर में से एक है. खातों की गहन निगरानी ने प्रथम

Financial and Operational Highlights

In consonance with its business strategy of staying relevant in the contemporary business and operating environment, the Bank continued to reinvent and redefine its priorities and operations during the year to emerge as the retail bank of choice. Your Bank's operational and financial performance attests to the success of these initiatives. The low-cost CASA deposit base of the Bank grew by 10% to ₹ 1.06 lakh crore as at end-March 2020 from ₹ 96,730 crore as at end-March 2019. Consequently, the share of CASA deposits to total deposits improved significantly to 47.74% as at end-March 2020 from 42.54% as at end-March 2019. At the same time, retail term deposits book was consciously grown by 5.58% to nearly ₹ 76,993 crore as at end-March 2020 from ₹ 72,923 crore as at end-March 2019. Simultaneously, the Bank reduced its reliance on high-cost institutional deposits with its share in total deposits declining to 17.6% as at end-March 2020 from 25.4% as at end-March 2019. These developments helped the Bank in reducing its Cost of Deposits to 5.08% for FY 2019-20 from 5.44% for FY 2018-19 and Cost of Funds to 5.44% for FY 2019-20 from 5.78% for FY 2018-19.

Continuing with its strategy of realigning its portfolio mix in favour of retail, your Bank's loan book composition of retail to corporate advances improved to 56:44 as at end-March 2020 as compared to 51:49 as at end-March 2019. Out of the total advances, Structured Retail Assets (SRA) comprised 34.44% of the total advances and within it, double digit growth in home loan and personal loan facilitated the ramping up of the retail book. On the Priority Sector Lending (PSL) front, the Bank exceeded the regulatory PSL target of 40% with the priority sector advances amounting to ₹ 77,586 crore, aggregating to 41.69% of Adjusted Net Bank Credit (ANBC).

The transition towards a more retail-oriented portfolio mix as well as certain strategic capital conservation measures helped your Bank in reducing its Risk Weighted Assets (RWA) to ₹ 1.59 lakh crore as at end-March 2020 from ₹ 1.83 lakh crore as at end-March 2019. The capital position of your Bank has improved with the Capital to Risk (Weighted) Assets Ratio (CRAR) and Tier 1 capital at 13.31% and 10.57%, respectively, as at end-March 2020 as compared to 11.58% and 9.14% as at end-March 2019. At these levels, both were above the RBI prescribed minimum of 10.875% and 8.875% respectively.

Your Bank has been taking stringent measures to improve its asset quality which has led to positive developments even on this front. While the Gross Non-Performing Assets (GNPAs) of the Bank remained elevated at 27.53% as at end-March 2020 as compared to 27.47% as at end-March 2019 due to reduction in the denominator on account of shrinkage in the balance sheet size, the Net Non-Performing Assets (NNPA) improved to 4.19% as at end-March 2020 as compared to 10.11% as at end-March 2019 as a result of strict monitoring of First Time NPAs (FTNPAs) and robust recovery efforts along with prudential provisioning. Your Bank's Provision Coverage Ratio (PCR) improved to 93.74% as at end-March 2020 from 82.88% as at end-March 2019,

बार एनपीए (एफटीएनपीए) को वित्तीय वर्ष 2018-19 के ₹15,281 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019-20 में कम कर ₹8,384 करोड़ तक लाने में मदद की. एफटीएनपीए/वसूली और अपग्रेडशन अनुपात वित्तीय वर्ष 2018-19 के 184% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019-20 में लगभग आधा होकर 97% हो गया, जिसका अर्थ यह रहा कि एफटीएनपीए के बिल्ड-अप को वसूलियों और अपग्रेड ने कवर कर लिया. बट्टे खाते डाले गए मामलों में वसूली वित्तीय वर्ष 2018-19 के ₹468 करोड़ से सुधर कर वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹827 करोड़ हो गई.

एनपीए के ऊंचे स्तर के बावजूद आपका बैंक अपनी निवल ब्याज मार्जिन (एनआईएम) को वित्तीय वर्ष 2018-19 के 2.03% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019-20 में सुधार कर 2.61% करने में समर्थ रहा. अग्रिमों पर आय भी वित्तीय वर्ष 2018-19 के 8.82% की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019-20 में बढ़कर 9.56% रही.

आपके बैंक द्वारा अपनाए गए रणनीतिक उपायों के परिणामस्वरूप परिचालन लाभ वित्तीय वर्ष 2018-19 के ₹4,052 करोड़ की तुलना में 26% वृद्धि दर्ज कर वित्तीय वर्ष 2019-20 में ₹5,112 करोड़ हो गया. जहां बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए ₹12,887 करोड़ की निवल हानि दर्ज की, यह प्रावधान आवश्यकताओं में कटौती के चलते वित्तीय वर्ष 2018-19 में हुई ₹15,116 करोड़ की निवल हानि की तुलना में कम ही रही. तथापि यह हर्ष की बात है कि आपके बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही में ₹135 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज करते हुए विगत 13 तिमाहियों से दर्ज की गई निवल हानि के मुकाबले एक बहुप्रतीक्षित रूपांतरण दर्शाया है.

त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) रूपरेखा के अंतर्गत प्रगति

आपके बैंक के रणनीतिक प्रयासों में सबसे ज्यादा जोर इस बात पर दिया गया कि अपने कार्य-निष्पादन के बल पर मई 2017 में लगाई गई त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) रूपरेखा से शीघ्र बाहर निकला जाए. आपका बैंक वित्तीय वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही में हासिल की गई उपलब्धि के आधार पर वित्तीय वर्ष 2020-21 में पीसीए रूपरेखा से जल्द ही बाहर निकलने के प्रति सचेत रूप से आशावान है ताकि यह समग्र बहुविध बैंकिंग गतिविधियों के जरिए अपने हितधारक का अधिकतम मूल्यवर्धन कर सके.

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के साथ तालमेल

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) जनवरी 2019 में आपके बैंक की बहुलांश हिस्सेदारी अर्जित करते हुए इसका प्रवर्तक बन गया. इसी के साथ अपनी तरह के ऐसे पहले वित्तीय समूह का गठन हुआ, जो अपने सभी हितधारकों के लाभ के लिए बैंकिंग और बीमा उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला को एक छत के नीचे ले कर आया. दोनों संस्थाओं के बीच आपसी तालमेल के कई क्षेत्रों की परिकल्पना की गई और वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान परस्पर लाभ के कई अभिनिर्धारित क्षेत्रों में कार्रवाई की गई. आपका बैंक बैंकाश्योरेंस चैनल के तहत एलआईसी के लिए एक कॉरपोरेट एजेंट के रूप में कार्य करते हुए एलआईसी के उत्पाद वितरित करने और प्रीमियम संग्रहण के लिए अपने संपर्क बिन्दुओं का लाभ उठा रहा है. आपका बैंक एलआईसी और उसके सैटेलाइट कार्यालयों को नकदी प्रबंधन सेवाएं प्रदान कर रहा है. आपका बैंक एलआईसी के कर्मचारियों और एजेंटों के साथ-साथ उसकी सहायक कंपनियों को भी चालू और बचत खातों के साथ-साथ रिटेल ऋण उत्पादों की पेशकश कर रहा है. इन तालमेलों ने आपके बैंक को कारोबार जुटाने में सहायता करते हुए अपने रिटेल व्यापार और शुल्क आय को बढ़ाने में मदद की है.

which is arguably one of the highest in the industry. Close monitoring of accounts helped in reducing FTNPAs to ₹ 8,384 crore in FY 2019-20 as compared to ₹ 15,281 crore in FY 2018-19. The FTNPA / Recovery plus Upgradation Ratio nearly halved to 97% for FY 2019-20 from 184% for FY 2018-19, implying that recoveries and upgrades more than covered the build-up in FTNPAs. Recovery from written-off cases improved to ₹ 827 crore in FY 2019-20 from ₹ 468 crore in FY 2018-19.

Notwithstanding the elevated level of NPAs, your Bank was able to improve its Net Interest Margin (NIM) to 2.61% for FY 2019-20 as compared to 2.03% for FY 2018-19. The Yield on Advances was also higher at 9.56% for FY 2019-20 as compared to 8.82% for FY 2018-19.

The strategic measures adopted by your Bank helped it in posting a 26% growth in operating profit to ₹ 5,112 crore for FY 2019-20 as compared to ₹ 4,052 crore during FY 2018-19. While the Bank posted a net loss of ₹ 12,887 crore for FY 2019-20, it tapered from a net loss of ₹ 15,116 crore for FY 2018-19, aided by reduction in provisioning requirements. However, it is heartening to note that your Bank has posted a net profit of ₹ 135 crore in Q4 FY 2019-20, marking a much-awaited turnaround from the net loss reported during the last 13 quarters.

Progress under the Prompt Corrective Action (PCA) framework

One of the thrust areas of your Bank's strategic endeavours has been to expeditiously exit the Prompt Corrective Action (PCA) framework, imposed on it since May 2017, by dint of its performance. Your Bank is cautiously optimistic of an early exit from the PCA framework in FY 2020-21 as it builds on the gains made in FY 2019-20 so that your Bank can optimise stakeholder value by undertaking the entire gamut of banking activities.

Synergy with Life Insurance Corporation of India (LIC)

Life Insurance Corporation of India (LIC) acquired majority stake in your Bank in January 2019, becoming its promoter. With this, a first-of-its-kind financial conglomerate was created that brought one-stop solution for a wide gamut of banking and insurance products for the benefit of all its stakeholders. A multitude of areas of synergies has been envisaged between the two entities and FY 2019-20 saw many of the identified areas being tapped for mutual benefit. Your Bank, as a Corporate Agent for LIC under bancassurance channel, has been leveraging its touchpoints to distribute LIC's products as also facilitating premium collection. Your Bank is extending cash management services to LIC and its satellite offices. Your Bank is also offering current and saving accounts as well as retail loan products to the employees and agents of LIC as also its subsidiaries. These synergies have aided in sourcing business for your Bank and helped in augmenting its retail business and fee income.

2020-21 के लिए आर्थिक परिदृश्य

उपलब्ध आंकड़ों और विभिन्न अभिमतों के अनुसार महामारी का व्यापक प्रभाव प्रारंभिक अनुमान से कहीं अधिक विनाशकारी हुआ है. यह प्रभाव आपूर्ति में व्यवधान और मांग में दबाव के दोहरे नकारात्मक प्रभाव से और भी बढ़ गया है. लॉकडाउन सख्ती में 1 जून 2020 से भौगोलिक रूप से अलग-अलग क्षेत्रों में क्रमिक रूप से छूट दिए जाने के बावजूद लॉकडाउन की अवधि बढ़ाए जाने से वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में कृषि के अलावा अन्य आर्थिक गतिविधियों में मंदी रहने की आशंका है. अर्थव्यवस्था में छाई यह मंदी सोशल डिस्टेन्सिंग और श्रमिकों की अस्थायी कमी के चलते वित्तीय वर्ष 2020-21 दूसरी तिमाही में भी जारी रहने की संभावना है. फिर भी आपूर्ति व्यवस्था सामान्य होने व मांग में क्रमिक रूप से पुनरुत्थान होने से आर्थिक गतिविधियों की रफ्तार वित्तीय वर्ष 2020-21 तीसरी तिमाही से बढ़ने की आशा है. समग्र रूप में वर्ष को देखें तो महामारी और सोशल डिस्टेन्सिंग उपाय कब तक जारी रहेंगे, सामान्य स्थिति कब बहाल होगी, इस बारे में काफी अनिश्चितता है. परिणामस्वरूप, देशीय संवृद्धि में नकारात्मक जोखिम बने हुए हैं.

आगे की राह

यह बात भलीभांति स्वीकार करनी होगी कि कोविद-19 प्रकोप के कारण वर्तमान में भारत सहित समूचा विश्व बड़े पैमाने पर अनदेखी चुनौती से जूझ रहा है. यह कोई सामान्य घटना नहीं है, इसमें बहुत तनाव और अनिश्चितता है. एक सतर्क प्रयास के रूप में देश मार्च अंत की लॉकडाउन वाली स्थिति से निकलकर 1 जून 2020 से अनलॉक के प्रथम चरण में पहुँच कर यह संकेत दे रहा है कि लॉकडाउन के दौरान इस बीमारी कोदेश भर में फैलने से बचाने के लिए अपनाए गए सोशल डिस्टेन्सिंग, प्रोटेक्टिव फेस गियर पहनने, हाथ साफ रखने जैसे बुनियादी उपायों का ध्यान रखते हुए और इस बारे में कोई समझौता न करते हुए हमें देशीय अर्थव्यवस्था को नया जीवन प्रदान करने के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करना है. इस दिशा में भारत सरकार और आरबीआई ने अर्थव्यवस्था पर इस महामारी के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किफायती दरों पर निधि के प्रवाह को सुकर करने व निवेश में पुनः जोश लाने के लिए वित्तीय शर्तों को सरल करने के अलावा एमएसएमई पर विशेष जोर देते हुए कई कदम उठाकर आर्थिक पुनरुत्थान प्रक्रिया तेजी से चालू की है. चूंकि बैंकिंग प्रणाली विनियामक हस्तक्षेप से विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली संवृद्धि को ऊर्जा प्रदान करती है, आपका बैंक भी इस अवसर पर देश की आवश्यकता को समझते हुए एक रोड मैप तैयार कर रहा है, जोकि इसके जोखिम उठाने की क्षमता के अनुरूप है तथा यह वित्तीय वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही में प्राप्त की गई उपलब्धि का लाभ उठाते हुए अपने परिचालन में निरंतर व्यवहार्यता सुनिश्चित करेगा.

इस दिशा में बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान कार्यान्वयन के लिए प्राथमिकताओं का एक वरीयता क्रम तैयार किया है. कुल मिलाकर बैंक अपने व्यापार मिश्र में झुकाव जारी रखते हुए स्वयं को एक रिटेल-केंद्रित बैंक के रूप में स्थापित करेगा ताकि आगे चलकर निरंतर और लाभदायक संवृद्धि सुनिश्चित की जा सके. जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है, बैंक वित्तीय वर्ष 2019-20 की चौथी तिमाही की ही तरह आने वाली तिमाहियों में भी सभी पीसीए मापदंडों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए काम करेगा ताकि पीसीए से जल्दी बाहर निकलकर संपूर्ण बैंकिंग गतिविधियों में वापसी हो सके. पूर्व में इस संबंध में हुई कमी ने आपके बैंक की आय और लाभप्रदता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है, इसलिए पीसीए से बाहर आने के बाद कड़े

Economic Outlook for 2020-21

According to available data and informed opinion, the macroeconomic impact of the pandemic is turning out to be more disruptive than initially anticipated. The impact of the shock has been compounded by the twin negatives of supply disruptions and demand compression. Despite phased but geographically differentiated easing of restrictions from the lockdown rigour from June 1, 2020, on current reckoning, economic activity other than agriculture is likely to remain depressed in Q1 FY 2020-21 in view of the extended lockdown. The muted state of the economy is expected to linger even through Q2 FY 2020-21 due to social distancing measures and temporary labour shortage. Resurgence in economic activity is expected with increasing momentum from Q3 FY 2020-21 as supply lines are gradually normalised and demand gradually revives. For the year as a whole, there is considerable uncertainty about the duration of the pandemic and social distancing measures which would impede return to normalcy; consequently, downside risks to domestic growth remain significant.

Way Forward

It is widely acknowledged that the world at large, including India, is currently confronted with unprecedented challenges due to the Covid-19 outbreak. It is not business as usual and is marked by great stress and uncertainty. As a calibrated response, the country, after iterative phases of LOCKDOWN mode since end-March 2020, moved to the UNLOCK phase from June 1, 2020, signalling the need to provide necessary enablers to revitalise the domestic economy without compromising on the lessons learnt during the lockdown phases, such as social distancing, basic hygiene factors such as protective face gear, hand sanitisation, etc. which have helped control the spread of the disease pan-India. The Government and the RBI, working in tandem, have already initiated various measures to mitigate the adverse implications of the pandemic on the economy, with particular emphasis on MSME, and kickstart the economic revival process, apart from easing financial conditions to facilitate flow of funds at affordable rates and rekindle investment. As the banking system is a major conduit for energising the growth impulses in varied sectors arising from regulatory intervention, your Bank is drawing up a road-map to rise to the country's requirement at this juncture, which is also consistent with its risk appetite and would ensure sustained viability in its operations to leverage upon the gains achieved in Q4 FY 2019-20.

Towards this end, the Bank has drawn up a hierarchy of priorities for measured implementation during FY 2020-21. Overall, the Bank would continue its pursuit of a further skew in its business mix to evolve into a retail-centric bank so as to ensure sustained and profitable growth in the long run. As I have mentioned earlier, the Bank would work to ensure compliance with all PCA parameters in the coming quarters as it did in Q4 FY 2019-20 to provide an enabling platform for an early exit from PCA and a return to full-fledged banking activities. As severe delinquency dented your Bank's income and profitability in the past,

क्रेडिट मानकों और विवेकपूर्ण तरीके से कारोबार आगे बढ़ाने पर निरंतर जोर दिया जाएगा ताकि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो. इसके साथ ही आपका बैंक तीव्र वसूली/अपग्रेड करने और पोर्टफोलियो की सचेत निगरानी पर ध्यान केंद्रित करेगा ताकि आस्ति गुणवत्ता में किसी भी तरह की गिरावट को रोका जा सके. आपके बैंक के उधार कारोबार के लिए परिचालन वातावरण वर्ष में अधिकांश समय सुस्त रहने की संभावना है इसलिए शुल्क आय को अधिक से अधिक बढ़ाने और निधि/जमा की औसत लागत कम करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. रिटेल और कॉरपोरेट वर्टिकल के सभी देयता और आस्ति ग्राहकों को क्रॉस-सेलिंग करने पर फोकस किया जाएगा. हम एक बिक्री-संचालित संस्था बनने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि ग्राहक संबंधों को और अधिक व्यापक किया जा सके. एलआईसी से तालमेल करना, हमारे लिए एक सहज लक्ष्य रहा है. पिछला साल हमने इसे समझने और ग्राउंड वर्क तैयार करने में लगाया. बैंक इस साल इसका लाभ उठाते हुए शुल्क आय में तीव्र बढ़ोत्तरी और तालमेल संबंधी अन्य कारोबार संपर्क बढ़ाने का इरादा रखता है. बैंक अपनी सभी शाखाओं में परिचालन व्यय में वृद्धि और उत्पादकता (प्रति कर्मचारी कारोबार) बढ़ाने की दिशा में भी काम करेगा. साथ ही, बैंक कुल जमाराशियों में अपनी कम लागत वाली कासा और रिटेल जमाराशियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए पहल करना जारी रखेगा.

साथ ही, बैंक भविष्य के लिए तत्पर बैंक के रूप में उभरने हेतु अपनी क्षमताओं को उन्नत करने की दिशा में कार्यरत है. इन पहल कार्यों को रेखांकित करते हुए बैंक अपने जोखिम प्रबंधन, कॉरपोरेट अभिशासन और नियामक अनुपालन ढांचे को मजबूत करने पर समुचित जोर दे रहा है. मैं यह बताना चाहता हूँ कि बैंक, भविष्य के बैंक के रूप में खुद को ढालने की स्थिति में लाने के लिए विशेषज्ञ सहयोग के साथ अपने संगठनात्मक ढांचे, परिचालन और कारोबार पद्धतियों पर पुनर्विचार कर रहा है. इस उद्देश्य के लिए बैंक आज के डिजिटल बैंकिंग युग को ध्यान में रखते हुए बड़े पैमाने पर अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं के साथ-साथ ग्राहक-उन्मुख एप्लिकेशनों के डिजिटलीकरण की ओर बढ़ रहा है. बैंक के परिचालनों को एक नए तरीके से करने का उद्देश्य अपने ग्राहकों की जरूरतों को समझते हुए उनके लिए सहज बैंकिंग अनुभव सुनिश्चित करते हुए उन्हें बेहतर सेवा प्रदान करना और ग्राहक को तुष्ट करना है.

आभार

मैं भारत सरकार, एलआईसी और सभी सांविधिक तथा विनियामकीय प्राधिकारियों को उनके बहुमूल्य सहयोग और सहकार्य के लिए धन्यवाद देता हूँ. मैं बैंक के निदेशकों, प्रबंधन टीम और बैंक में मेरे अन्य सहयोगियों के प्रति आभारी हूँ, जिन्होंने अत्यंत संघर्षपूर्ण माहौल में संस्था के रूपांतरण की रणनीति को सफल बनाने की दिशा में एकनिष्ठ समर्पण और प्रतिबद्धता दर्शायी. मैं सभी ग्राहकों और शेयरधारकों का भी तहे दिल से आभारी हूँ कि उन्होंने पिछले कई वर्षों में बैंक पर अपना भरोसा बनाए रखा और हर समय हमारा साथ दिया.

शुभकामनाओं सहित,

राकेश शर्मा

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

there would be relentless emphasis on stringent credit standards and pursuit of business in a prudent manner, post the PCA exit, so that there is no recurrence of the same in future. Simultaneously, your Bank will focus on robust recovery/ upgrade and close monitoring of portfolio to prevent any slippages in its asset quality. As the operating environment for your Bank's lending business is likely to be muted for most part of the year, there will be a pronounced focus on maximising fee income and reducing the average cost of funds/ deposits. Cross-selling to all liability and asset customers in both the retail and corporate verticals would be a core focus area. We are committed to become a sales-driven organisation so as to deepen and widen the customer relationships. Another low-hanging fruit is the LIC synergy where your Bank has invested last year in familiarisation and ground work. The Bank intends to leverage the benefits of the same this year through a spike in fee income and other synergistic business liaison. The Bank would also work towards reining in operating expenses and increase productivity (business per employee) at all its branches. At the same time, the Bank will continue to take initiatives to ramp up the share of its low-cost CASA and Retail Deposits in Total Deposits.

Simultaneously, your Bank is investing in upgrading its capabilities to emerge as a future-ready bank. Underpinning these initiatives, the Bank is laying due emphasis on strengthening its risk management, corporate governance and regulatory compliance framework. I am pleased to convey that the Bank is revisiting its organisation structure, operations and business practices with specialist support to position itself as the bank of the future. Towards this end, the Bank has been increasingly moving towards a greater degree of digitalisation of its internal processes as well as customer-facing applications, in keeping with today's digital banking era. The intent behind reinventing the Bank's operations is to help in serving its customers better by understanding their needs and ensuring a seamless banking experience and eliciting customer delight.

Acknowledgement

I would like to thank the Government of India, LIC and all statutory and regulatory authorities for their valuable support and co-operation. I am also thankful to the Board of Directors, the Management Team and my other colleagues in the Bank for their single-minded dedication and commitment towards delivering on the organisation's turnaround strategy in an extremely trying environment. I am also deeply grateful to all the customers and shareholders for reposing their trust in the Bank over the years and standing by us at all times.

With best wishes,

Rakesh Sharma

Managing Director & CEO

कुछ प्रमुख गतिविधियां
Some Major Events

श्री राकेश शर्मा,एमडी एवं सीईओ ने श्री एम. आर. कुमार,अध्यक्ष तथा श्री विपिन आनंद एवं श्री टी. सी. सुशील कुमार,भारतीय जीवन बीमा निगम के प्रबंध निदेशक द्वय को श्री देवाशीष पांडा, तत्कालीन अपर सचिव (वित्तीय समावेशन), भारत सरकार की उपस्थिति में प्रथम तीन कैश कार्ड सुपुर्द किए.

Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, handed over the first three Cash Cards to Shri M.R. Kumar, Chairman and Shri Vipin Anand and Shri T.C. Suseel Kumar, Managing Directors, Life Insurance Corporation of India (LIC) in the presence of Shri Debasish Panda, the then Additional Secretary (Financial Inclusion), GoI.

श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ ने बैंक के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में केंद्रीकृत व्यापार प्रसंस्करण केंद्र (सीटीपीसी), मुंबई का उद्घाटन किया.

Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, inaugurated the Centralised Trade Processing Centre (CTPC), Mumbai in presence of other senior officials of the Bank.

श्री सुरेश खटनहार, उप प्रबंध निदेशक ने बैंक के 23 वें करेंसी चेस्ट का इंदौर, मध्य प्रदेश में उद्घाटन किया.

Shri Suresh Khatanhar, DMD, inaugurated Bank's 23rd currency chest at Indore, Madhya Pradesh.

बैंक की ओर से एस एच जी बैंक लिंकेजेस (निजी क्षेत्र के बैंकों की श्रेणी) में 'उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार' प्राप्त करते हुए श्री शलील आवले, मुख्य महाप्रबंधक (एकदम बाएं).

Shri Shalil Awale, CGM (extreme left) receiving the 'National Award for Outstanding Performance' in SHG Bank Linkages (Private Sector Banks Category) on behalf of the Bank.

आईडीबीआई बैंक के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में नगरपालिका स्कूल, मुंबई को कंप्यूटर प्रदान करते हुए श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, उप प्रबंध निदेशक.

Donation of computers to a Municipal School in Mumbai by Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD, on the occasion of IDBI Bank's Foundation Day.

आईडीबीआई बैंक में सतर्कता जागरूकता सप्ताह का उद्घाटन किया गया तथा इस अवसर पर एक विशेष पत्रिका जारी की गई.

Inauguration of Vigilance Awareness Week at IDBI Bank and release of a Special Journal to mark the occasion.

आईडीबीआई बैंक ने पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा आयोजित एपीवाई प्राइम चैंपियनशिप कप एवं एपीवाई फॉर्मेशन डे के अंतर्गत प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए.

IDBI Bank received prestigious awards under APY Prime Championship Cup & APY Formation Day organised by Pension Fund Regulatory & Development Authority (PFRDA).

श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ ने चेन्नई में बैंक क्वार्टर्स का उद्घाटन किया.

Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, inaugurated Bank's quarters at Chennai.

श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ ने जेएनआईबीएफ, हैदराबाद में बैंक अधिकारी आवास का उद्घाटन किया.

Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, inaugurated Bank's Officers quarters at JNIBF Annexe, Hyderabad.

श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ काशिद में बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आयोजित मिशन उत्कर्ष सम्मेलन में दीप प्रज्वलन करते हुए.

Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, lighting the lamp during Mission Utkarsh conclave organised for senior management of the Bank at Kashid, Maharashtra.

श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ ने डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर को उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की.

Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, paying homage to Dr. Babasaheb Ambedkar on his death anniversary.

जेएनआईबीएफ हैदराबाद में बिजनेस ऑफसाइट में बैंक का वरिष्ठ प्रबंधन.

Top Management of the Bank at Business Offsite at JNIBF, Hyderabad.

पुरस्कार एवं सम्मान
Awards and Accolades

इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल बैंकिंग में की गई प्रगति के संबंध में 51 बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं के बीच 13 वां स्थान प्राप्त हुआ.

Ranked 13th amongst 51 banks/ financial institutions, with respect to progress made under digital banking, as per a report by the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), GoI.

मुंबई में आयोजित एनएसडीएल की 34 वीं डीपी कॉन्फ्रेंस में पीएसयू-बैंक श्रेणी के अंतर्गत नए डीमैट खाते खोलने के लिए 'एनएसडीएल स्टार परफ़ॉर्मर अवॉर्ड 2019' में 3 रा स्थान प्राप्त हुआ.

Ranked 3rd in the NSDL Star Performer Awards – 2019 in New Demat Accounts opened under the PSU-Bank Category at NSDL's 34th DP Conference held in Mumbai.

मुंबई में आयोजित 4 थी 'इंडिया बैंकिंग रिफॉर्म कॉनक्लेव' में दूरस्थ क्षेत्रों में डिजिटल वित्तीय समावेशन की दिशा में उत्कृष्ट कदम उठाने के लिए डिजिटल वित्तीय समावेशन श्रेणी में बीएफएसआई पुरस्कार प्राप्त हुआ.

Conferred BFSI Award under Digital Financial Inclusion category at 4th India Banking Reforms Conclave held at Mumbai for undertaking excellent steps to spread digital financial inclusion in remote areas.

'दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन' (डीएवाय-एनआरएलएम) के अंतर्गत एसएचजी बैंक लिंकेजेस 2018-19 (निजी क्षेत्र के बैंक श्रेणी) में उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया.

Awarded National Award for its outstanding performance in SHG Bank Linkages 2018-19 (Private Sector Banks Category) under Deendayal Antyodaya Yojana – National Rural Livelihoods Mission (DAY – NRLM).

बैंक के दिल्ली अंचल कार्यालय और लुधियाना क्षेत्रीय कार्यालय को राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए संबंधित 'नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति' (टॉलिक) द्वारा राजभाषा पुरस्कार प्रदान किए गए.

Rajbhasha Award conferred on the Bank's Zonal Office, New Delhi and Regional Office, Ludhiana by the respective Town Official Language Implementation Committee (TOLIC) for commendable performance in Rajbhasha implementation.

बैंक की त्रैमासिक हिंदी गृह पत्रिका 'विकास प्रभा' को प्रतिष्ठित साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्था 'आशीर्वाद' द्वारा श्रेष्ठ गृह पत्रिका का पुरस्कार प्रदान किया गया.

The Bank's in-house Hindi Magazine 'Vikas Prabha' conferred the Best In-House Magazine citation from 'Ashirvad' - a renowned literary and cultural organisation.

गृह मंत्रालय, भारत सरकार के राजभाषा विभाग के अधिकारियों ने अपने निरीक्षण के दौरान आपके बैंक में हिंदी के समावेशी कार्यान्वयन की सराहना की.

Officials from the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, GoI, appreciated the inclusive implementation of Hindi in your Bank's working during their inspections.

निदेशकों की रिपोर्ट
Directors' Report

निदेशकों की रिपोर्ट

आपके बैंक के निदेशक मंडल को 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए आपके बैंक के कारोबार तथा परिचालनों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए प्रसन्नता हो रही है.

वर्ष 2019-20 में भारतीय अर्थव्यवस्था को व्यापक स्तर पर मंदी का सामना करना पड़ा. जहां मांग के क्षेत्र में निजी उपभोग की गति धीमी रही, वहीं आपूर्ति क्षेत्र में उद्योग और सेवा, दोनों ही क्षेत्रों में संवृद्धि की गति कमजोर रही. जहां कृषि और सहबद्ध गतिविधियों की स्थिति सुखद रही, वहीं विनिर्माण गतिविधि, बिजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य जनोपयोगी सेवाओं तथा निर्माण कार्य के अत्यधिक धीमे होने से औद्योगिक गतिविधियों में मंदी रही और व्यापार, होटल, परिवहन, संचार तथा प्रसारण से संबंधित सेवाओं और वित्तीय सेवाएं, स्थावर संपदा और व्यावसायिक सेवाओं में न के बराबर संवृद्धि होने से सेवा क्षेत्र में प्रगति साधारण ही रही. कोरोना वायरस (कोविद-19) महामारी को रोकने के लिए मार्च 2020 में घोषित लॉकडाउन के चलते पहले से ही सुस्त देसी आर्थिक गतिविधियों पर और भी असर पड़ा. अर्थव्यवस्था का प्रमुख अंग होने के नाते बैंकों पर भारतीय अर्थव्यवस्था में छाई मंदी और वित्तीय वर्ष के अंत में कोविद-19 महामारी का असर पड़ा. यद्यपि कोविद-19 महामारी का अर्थव्यवस्था पर असर कम हो, इसके लिए व्यापक नीतिगत उपाय किए गए, फिर भी इन उपायों का समग्र प्रभाव एक अंतराल के बाद ही दिख सकेगा. अतः यह जरूरी है कि आपके बैंक के कार्य-निष्पादन को इस संदर्भ में देखा जाए.

वित्तीय विशेषताएं

यथा 31 मार्च 2020 को आपके बैंक की कुल जमाराशियां और अग्रिम क्रमशः ₹ 2,22,424 करोड़ तथा ₹ 1,29,842 करोड़ रहे. समीक्षाधीन अवधि के दौरान आपके बैंक के कार्य-निष्पादन की प्रमुख विशेषताएं तालिका 1 में दी गई हैं:

तालिका 1 : प्रमुख वित्तीय विशेषताएं

(₹ करोड़ में)

	यथा 31 मार्च 2019 की स्थिति	**यथा 31 मार्च 2020 की स्थिति**
पूंजी	7,736	10,381
रिज़र्व और अधिशेष	29,875	23,644
जमाराशियां	2,27,372	2,22,424
उधार राशियां	45,288	36,749
अन्य देयताएं और प्रावधान	10,013	6,745
कुल देयताएं	**3,20,284**	**2,99,942**
नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	12,730	10,539
बैंकों के पास शेष और मांग एवं अल्प सूचना पर देय राशि	8,503	19,892
निवेश	93,073	81,780
अग्रिम	1,46,790	1,29,842
अचल और अन्य आस्तियां	59,188	57,890
कुल आस्तियां	**3,20,284**	**2,99,942**
इस अवधि में	**2018-19**	**2019-20**
कुल आय	25,372	25,295
कुल व्यय (प्रावधान को छोड़कर)	21,319	20,183
प्रावधान (कर छोड़कर)	26,879	14,079
कर पूर्व लाभ/ (हानि)	(22,827)	(8,967)
कर के लिए प्रावधान	(7,711)	3,920
कर पश्चात् लाभ/ (हानि)	(15,116)	(12,887)

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके बैंक की कुल आय ₹ 25,295 करोड़ रही जिसमें ₹ 20,825 करोड़ की ब्याज आय और ₹ 4,470 करोड़ की अन्य आय शामिल है. ₹ 20,183 करोड़ के कुल व्यय (प्रावधानों एवं आकस्मिकताओं को छोड़कर) में ब्याज व्यय ₹ 13,847 करोड़ और परिचालनगत व्यय ₹ 6,336 करोड़ रहा.

अनर्जक आस्तियों (एनपीए) के लिए कम प्रावधान किए जाने के कारण वर्ष के दौरान आपके बैंक का कुल प्रावधान घट गया. प्रावधानों में अनर्जक आस्तियों (एनपीए), बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋणों तथा निवेशों के लिए प्रावधान के प्रति ₹ 13,920 करोड़ की राशि शामिल है. पर्याप्त प्रावधान करने के कारण आपके बैंक को वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 12,887 करोड़ की निवल हानि हुई.

यद्यपि हानि के कारण वर्ष के दौरान प्रति शेयर उपार्जन (ईपीएस) नकारात्मक रहा, मार्च 2020 के अंत में प्रति शेयर बही मूल्य (अमूर्त आस्तियों को छोड़कर) ₹ 11.21 रहा.

यथा 31 मार्च 2020 को समेकित वित्तीय विवरण में शामिल सहायक संस्थाओं और संयुक्त उद्यम के कार्य-निष्पादन और वित्तीय स्थिति पर रिपोर्ट

संस्था का नाम	निवल आस्तियां अर्थात् कुल आस्तियों में से कुल देयताएं घटाकर		लाभ या हानि में हिस्सा	
	समेकित निवल आस्तियों के % के रूप में	(₹ करोड़ में)	समेकित लाभ या (हानि) के % के रूप में	(₹ करोड़ में)
1	2	3	4	5
मूल: आईडीबीआई बैंक लि.	97.67%	34,024.37	100.41%	(12,887.33)
सहायक संस्थाएं:				
भारतीय:				
1. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सर्विसेज लि.	0.88%	305.25	0.08%	(9.66)
2. आईडीबीआई इंटेक लि.	0.18%	63.04	(0.07)%	9.07
3. आईडीबीआई असेट मैनजमेंट कंपनी लि.	0.31%	108.85	(0.01)%	0.75
4. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि.	0.00%	1.57	0.00%	0.10
5. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि.	0.64%	224.40	(0.27)%	35.18
विदेशी:	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
सभी सहायक संस्थाओं में अल्पसंख्यक हित	0.30%	103.58	(0.12)%	15.94
सहायक कंपनियां (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)				
भारतीय:				
1. बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	0.00%	0.35
2. नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	(0.16)%	21.03
3. एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	(0.05)%	6.72
4. पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि.	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
विदेशी:	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
संयुक्त उद्यम (आनुपातिक समेकन के अनुसार/ इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश)				
भारतीय:				
1. आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1.27%	441.20	(0.55)%	70.96
विदेशी:	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
कुल	100.96%	35,168.66	99.48%	(12,768.76)
विलोपन	(0.96)%	(332.94)	0.52%	(66.48)
निवल कुल	100.00%	34,835.72	100.00%	(12,835.24)

टिप्पणी: उपर्युक्त किसी भी सहायक संस्था की कोई सहायक संस्था नहीं है.

**- पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लि. (पीआईपीडीआईसीएल) के संदर्भ में बैंक को कंपनी से कोई वित्तीय विवरण और संव्यवहार ब्योरे प्राप्त नहीं हुए हैं अतः जानकारी को उपर्युक्त में समेकित नहीं किया गया है. बैंक ने पीआईपीडीआईसीएल में निवेश को एक रुपए में अवलिखित कर दिया है.*

आईडीबीआई बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और वचनबद्धताएं यदि कोई हों, जो वित्तीय वर्ष के अंत और बोर्ड की रिपोर्ट की तारीख के दौरान उत्पन्न हुई हों

बैंक के वित्तीय वर्ष के अंत में अर्थात् 31 मार्च 2020 को और निदेशकों की रिपोर्ट की तारीख के बीच आईडीबीआई बैंक की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करने वाले कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन और वचनबद्धताएं नहीं थीं.

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता से संबंधित विवरण

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (3) (i) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2015-16 से सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट में यह दर्शाया जाना चाहिए कि वित्तीय विवरणों के संदर्भ में क्या बैंक के पास समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसी) प्रणालियां उपलब्ध हैं तथा क्या ऐसे नियंत्रण की परिचालनात्मक प्रभावशीलता है. कंपनी अधिनियम की धारा 143 (3) (i) में संदर्भित आईएफसी से आशय वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (आईएफसीओ-एफआर) से है. आपके बैंक का प्रबंधन वित्तीय रिपोर्टिंग में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के बारे में बैंक में स्थापित उन मानदंडों के अनुसार आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने व बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, जो दि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आईसीएआई) द्वारा जारी आईएफसीओ-एफआर के लेखापरीक्षण पर वर्णित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए बनाए गए हैं. इन जिम्मेदारियों में समुचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की रूपरेखा, कार्यान्वयन व निर्वहन शामिल है, जो बैंक की नीतियों के अनुपालन, आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम व पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्ड की शुद्धता और सक्षमता तथा कंपनी अधिनियम, 2013, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 और रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार विश्वसनीय वित्तीय सूचना की सामयिक तैयारी करने सहित अपने कारोबार के नियमानुसार व प्रभावी संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से प्रचलित थे.

आपके बैंक ने मौजूदा आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के मूल्यांकन के लिए आईएफसीओ-एफआर रूपरेखा तैयार की है और सभी कारोबार वर्टिकलों/विभागों के नियंत्रण की रिपोर्टिंग प्रक्रिया, प्रमाणन, दस्तावेजीकरण के अनुपालन के वैधीकरण और वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में सभी महत्वपूर्ण संदर्भों में बैंक में नियंत्रणों की पर्याप्तता और प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए सलाहकार को नियुक्त किया है.

वर्ष 2019-20 के दौरान, बैंक के आईएफसीओ-एफआर रूपरेखा के अनुसार सभी अंतर्निहित प्रक्रियाओं के परीक्षण और वैधीकरण के पश्चात् सलाहकार ने जून 2019 से दिसंबर 2019 तक की तिमाहियों के लिए आंतरिक अनुपालन प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिया है. सलाहकार ने 31 दिसंबर 2019 की तिमाही रिपोर्ट में आगे लाये गए विचाराधीन मुद्दों पर की गई कार्रवाई की स्थिति की समीक्षा की और 15 मई 2020 तक के अनुपालन की स्थिति अद्यतित की तथा यह सूचना दी कि यथा 31 दिसंबर 2019 को विचाराधीन 13 मुद्दों में से 5 का ठीक से समाधान कर उन्हें सुधारात्मक उपाय करते हुए बंद कर दिया गया है. संबंधित विभाग शेष विचाराधीन मुद्दों का समाधान करने के लिए ध्यानपूर्वक कार्य कर रहे हैं.

प्रमुख वित्तीय अनुपातों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों के विवरण (अर्थात् गत वर्ष की तुलना में 25% या अधिक बदलाव)* तथा उन पर विस्तृत स्पष्टीकरण:

विवरण	2018-19	2019-20	टिप्पणियां
निवल ब्याज मार्जिन (%)	2.03	2.61	ब्याज व्यय में ₹ 2,319 करोड़ और ब्याज आय में ₹ 1,247 करोड़ की कमी के कारण निवल ब्याज आय में ₹ 1,072 करोड़ की वृद्धि हुई.
निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए का %	10.11	4.19	निवल एनपीए में ₹ 9,398 करोड़ की कमी आई.
प्रावधान कवरेज अनुपात (तकनीकी बट्टे खाते में डालने (टीडबल्यूओ) सहित)	82.88%	93.74%	निवल एनपीए 31 मार्च 2019 के ₹ 14,837 के स्थान पर 31 मार्च 2020 को ₹ 5,439 करोड़ रहा. यथा 31 मार्च 2020 को कुल प्रावधान (टीडबल्यूओ सहित) में ₹ 9,273 की वृद्धि हुई.
कुल जमाराशियों की तुलना में कासा अनुपात	42.54%	47.74%	कासा शेष 31 मार्च 2019 के ₹ 96,730 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़कर यथा 31 मार्च 2020 को ₹ 1,06,188 करोड़ हो गया और कुल जमाराशियां 31 मार्च 2019 के ₹ 2,27,372 करोड़ की तुलना में घटकर यथा 31 मार्च 2020 को ₹ 2,22,424 करोड़ रह गयीं.

** पीसीआर एवं कासा के मामले में 25% से कम परिवर्तन सहित*

पूंजी पर्याप्तता

आपका बैंक बासेल-III ढांचे के अंतर्गत पिलर-I दिशानिर्देशों के अनुसार ऋण, बाजार और परिचालनगत जोखिमों के लिए विनियामक पूंजी आवश्यकता की तिमाही आधार पर गणना करता है. बासेल दिशानिर्देशों के अनुसार भारत में बैंकों के लिए 31 मार्च 2016 से चरणबद्ध तरीके से पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) बनाए रखना अनिवार्य है. रिज़र्व बैंक की दिनांक 27 मार्च 2020 की अधिसूचना के अनुसार बासेल-III पूंजी विनियमनों की परिवर्ती व्यवस्थाओं की समीक्षा कर 31 मार्च 2020 को प्रयोज्य सीसीबी 1.875% विनिर्दिष्ट किया गया. तद्नुसार यथा 31 मार्च 2020 को आपके बैंक की *'कुल पूंजी + पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी)'* की न्यूनतम विनियामक अपेक्षा 10.875% थी. 31 मार्च 2020 को आपके बैंक का *'कुल पूंजी+सीसीबी'* अनुपात 13.31% रहा. इसी प्रकार आपके बैंक का *'सामान्य इक्विटी टियर 1 (सीईटी1) + सीसीबी'* अनुपात 7.375% की विनियामक अपेक्षा की तुलना में 10.54% रहा. यथा 31 मार्च 2020 को आपके बैंक का 'टियर 1 + सीसीबी' अनुपात 8.875% की विनियामक अपेक्षा की तुलना में 10.57% रहा. यथा 31 मार्च 2020 को आपके बैंक का लीवरेज अनुपात 3.50% की न्यूनतम विनियामक अपेक्षा की तुलना में 4.97% रहा.

आपके बैंक के पास बासेल III ढांचे के पिलर 2 मानदंडों के अनुरूप आंतरिक पूंजी पर्याप्तता अभिनिर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) के लिए निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित नीति है. यह बैंक को पिलर-I में शामिल नहीं किए गए जोखिमों का आंतरिक रूप से आकलन करने और उनका परिमाण निर्धारित करने और साथ ही सामान्य तथा दबावग्रस्त स्थितियों में जोखिमों का प्रबंध करने और उन्हें कम करने के लिए उपयुक्त रणनीतियां तैयार करने में समर्थ बनाती है.

आपके बैंक ने रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, एक व्यापक दबाव परीक्षण की रूपरेखा तैयार की है. यह दबाव परीक्षण रूपरेखा आपके बैंक को असाधारण लेकिन संभाव्य घटनाक्रमों में अपने कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने और अप्रत्याशित आकस्मिकताओं का सामना करने के लिए उपयुक्त अग्रसक्रिय रणनीति बनाने में सक्षम बनाती है. इस रूपरेखा में परिस्थिति विश्लेषण और प्रतिवर्ती दबाव परीक्षण को भी शामिल किया गया है. परिस्थिति विश्लेषण में सकल एनपीए में और वृद्धि के प्रभाव, एनपीए तथा तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए खातों (टीडबल्यूओ) में गैर-निधि सुविधाओं का सूक्ष्मीकरण और बैंक की पूंजी तथा लाभप्रदता पर अतरल प्रतिभूतियों के प्रभाव पर अध्ययन शामिल है. आपके बैंक ने अपनी ऋण सहायता के विभिन्न क्षेत्रों पर कोविद -19 महामारी के कारण पड़ने वाले उन हानिकारक प्रभावों का आरंभिक आकलन करने के लिए भी अलग से परिदृश्य तैयार किया है, जो बैंक की लाभप्रदता पर प्रतिकूल असर डाल सकते हों. इस रूपरेखा में प्रतिवर्ती दबाव परीक्षण प्रणाली शामिल की गई है ताकि पूंजी पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले दबाव का स्तर जान कर इसे पूर्व-निर्धारित स्तर पर लाया जा सके.

आपके बैंक ने बासेल मानदंड की पिलर 3 अपेक्षाओं के अनुसार एक प्रकटन नीति अपनाई है. तदनुसार प्रत्येक तिमाही की समाप्ति पर प्रकटन को आपके बैंक की वेबसाइट पर रखा जाता है, जिससे उच्च स्तरीय पारदर्शिता का पता चलता है.

आपका बैंक पूंजी प्रभार की गणना के लिए ऋण जोखिम के अंतर्गत मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाता है. आपका बैंक परिचालनगत जोखिम के लिए विनियामक पूंजी प्रभार की गणना हेतु मूलभूत सांकेतिक दृष्टिकोण (बीआईए) अपनाता है. प्रभावी नियंत्रण प्रणाली सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कारोबार खंडों में प्रमुख जोखिम संकेतक (केआरआई) और जोखिम व नियंत्रण स्व-आकलन (आरसीएसए) की व्यापक रूपरेखा लागू की गई है. आपका बैंक बाजार जोखिम के लिए विनियामक पूंजी अपेक्षाओं की गणना हेतु मानकीकृत मापन पद्धति (एसएमएम) अपनाता है.

कारोबार रणनीति

वर्ष के दौरान आपके बैंक ने अपने कारोबार मिश्र का पुनः संतुलन करते हुए स्वयं को खुदरा- केंद्रित बैंक के रूप में स्थापित करने के लिए रणनीतिक पहल जारी रखी. आस्ति मोर्चे पर आपके बैंक ने खुदरा आस्तियों में लक्ष्यित संवृद्धि के जरिए अपने पोर्टफोलियो मिश्र को व्यापक रूप देने हेतु संगठित प्रयास किए. इस संबंध में आपके बैंक ने रिटेल, कृषि और एमएसएमई (आरएएम) खंडों के अग्रिमों में वृद्धि पर जोर दिया, जिससे जोखिम-भारित आस्तियों (आरडबल्यूए) को कम करने में सहायता मिली. देयता के मोर्चे पर, कासा और खुदरा जमाराशि आधार को बढ़ाते हुए कुल जमाराशियों में कम-लागत वाली जमाराशियां बढ़ाने के उपाय किए गए, जिनसे बैंक को अपनी जमाराशियों की समग्र लागत को घटाने में मदद मिली. आपके बैंक ने अपनी कारोबार रणनीति के अनुरूप अपनी कॉरपोरेट ऋण बही को सजगता के साथ सीमित किया है जिससे इसे अपने कारोबार फोर्टफोलियो संमिश्र में जोखिम को और कम करने के साथ-साथ कम पूंजी आधारित मॉडल की तरफ जाने में मदद मिली है.

भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा बहुलांश शेयरों के अधिग्रहण के कारण आपके बैंक के लिए समन्वित कारोबार के, विशेष रूप से खुदरा कारोबार के कई मार्ग खुल गए हैं. इस कारोबारी समन्वय का पूरा लाभ उठाने के लिए बैंक व इसकी सहयोगी कंपनियों के लिए भावी रूपरेखा तय करने हेतु एक टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसमें बैंक व एलआईसी के शीर्ष प्रबंधन को सदस्य बनाया गया है. इस टास्क फोर्स ने बैंक की शाखाओं के माध्यम से एलआईसी की पॉलिसियाँ बेचने, बैंक की शाखाओं द्वारा एलआईसी की नकद व अन्य प्रीमियम प्राप्तियों का प्रबंधन तथा एलआईसी के पॉलिसी धारकों और बैंक के ग्राहकों के लिए डिजिटल समाधान उपलब्ध कराने के लिए बैंक और एलआईसी, दोनों में ही उपलब्ध तकनीकी साधनों को समर्थ बनाने आदि जैसे कारोबारी समन्वय के कुछ क्षेत्र निर्धारित कर दिए हैं. इस कारोबारी समन्वय का परस्पर लाभ उठाने के लिए एक कार्य दल का भी गठन किया गया है जो टास्क फोर्स द्वारा समन्वय हेतु तय किए गए पहल कार्यों को आगे बढ़ाएगा और प्रबंधन स्तर पर लिये गए निर्णयों को प्रभावी रूप से कार्यान्वित करेगा.

आपका बैंक अपने हितधारकों का सबसे पसंदीदा और विश्वसनीय बैंक बनने के अपने संकल्प के प्रति प्रतिबद्ध है. तद्नुसार आपके बैंक ने ग्राहक के आह्लाद पर ध्यान देते हुए ग्राहक-केंद्रित रणनीति अपनायी है. बैंक ने डेटा एनालिटिक्स और ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) बिक्री मॉड्यूल आरंभ किए हैं, जिनसे बैंक को अपने ग्राहक को सही समय पर सही उत्पाद मुहैया कराने का दृष्टिकोण अपनाने में मदद मिलेगी. इसके अलावा आपके बैंक ने प्रौद्योगिकीय नवोन्मेषण और उन्नयन में निवेश करना जारी रखा ताकि ग्राहक को बेहतर सेवा व अनुभव मिल सकें. आपका बैंक भारत सरकार के 'संवर्धित पहुँच और सेवा उत्कृष्टता' (ईएएसई) सिद्धांत के प्रति भी प्रतिबद्ध है.

अपने कारोबार कार्य-निष्पादन को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय करने के अलावा आपका बैंक अपनी आस्ति गुणवत्ता को बेहतर करते हुए अपनी वित्तीय सेहत मजबूत करने के लिए प्रयासरत रहा. आपके बैंक ने नई गैर-निष्पादक आस्तियां (एनपीए) रोकने और मौजूदा ह्रासित आस्तियों से अधिकतम वसूली करने के प्रयासों पर बल दिया. आपके बैंक में समाधान और वसूली पर केंद्रित और आक्रामक दृष्टिकोण अपनाने के लिए एनपीए प्रबंधन समूह (एनएमजी) नामक समर्पित वर्टिकल है. आपके बैंक ने कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के अंतर्गत मामले देखने के लिए एक समर्पित डेस्क का गठन किया है. इसके अलावा आपके बैंक ने खुदरा खंड में वसूली पर विशेष ध्यान देने के लिए एक समर्पित टीम बनाई है. इन उपायों के अलावा बैंक के पोर्टफोलियो में किसी भी दबाव की शुरुआत से ही निगरानी रखने के लिए बैंक में एक ऋण निगरानी समूह (सीएमजी) भी है. आपके बैंक ने पूरे बैंक में एक स्व-चालित और व्यापक समय-पूर्व चेतावनी संकेत (ईडबल्यूएस) प्रणाली भी सफलतापूर्वक लागू की है, जिससे बैंक के उच्च जोखिम वाले खातों तथा ऐसे पूर्व-विशेष उल्लेखित खातों (एसएमए) की पहचान करने की क्षमता में वृद्धि हुई है, जिनमें दबाव के प्रारंभिक संकेत दिखाई पड़ने लगे हैं. इन पहल कार्यों से दबाव को आरंभिक स्थिति में ही कम करने, किसी भी गिरावट को रोकने और बैंक की ऋण गुणवत्ता सुधारने में मदद मिली है.

आपका बैंक अपनी निर्णय प्रक्रिया में प्रभावी जोखिम संरचना के महत्व को समझते हुए और कारोबार निरंतरता को जारी रखने के लिए अपनी जोखिम प्रबंध प्रणाली को पहले से ही सशक्त करता रहा है. इसके अलावा आपका बैंक प्रमुख कानूनों, नियमों, विनियमों व विभिन्न आचार संहिताओं का पालन करते हुए एक सशक्त अनुपालन संस्कृति को बढ़ावा देता है ताकि अपनी साख कायम रखते हुए ग्राहकों, निवेशकों और विनियामकों का विश्वास जीता जा सके.

मुख्य कारोबारी पहल-कार्य

अपनी रणनीतिक आवश्यकताओं को देखते हुए आपके बैंक ने अपने समग्र उत्पादों और सेवाओं के संबंध में कई पहल कार्य किए हैं ताकि अपने रिटेल व कॉरपोरेट ग्राहकों की बैंकिंग जरूरतों और वित्तीय लक्ष्यों को पूरा किया जा सके. नए उत्पाद व सेवाएँ शुरू करने के अलावा आपके बैंक ने अपने मौजूदा उत्पादों और सेवाओं को आधुनिक रूप दिया है ताकि ग्राहकों की सामने आ रही पसंदीदा जरूरतों और उभरते बैंकिंग व विनियामक परिदृश्य की अपेक्षाएँ पूरी की जा सकें.

एलआईसी द्वारा बहुलांश हिस्सेदारी का अधिग्रहण करने के बाद उभरे समन्वय का लाभ उठाते हुए आपके बैंक ने एलआईसी के कर्मचारियों, एजेंटों और सहायक कंपनियों को उनकी बैंकिंग व निवेश संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए अपनी कई नवोन्मेषी, विशेष और अनुकूल उत्पाद व सेवाओं की पेशकश की.

आपका बैंक अपनी 1,892 शाखाओं, 3,683 एटीएम और 58 ई-लाउंज के भौगोलिक नेटवर्क का प्रभावी तरीके से लाभ उठाते हुए ग्राहकों की सेवा कर रहा है. अपनी भौतिक रूप में उपस्थित शाखाओं के अलावा आपका बैंक अपने ग्राहकों को निर्बाध, सुविधाजनक, सुरक्षित, कभी भी, कहीं भी बैंकिंग प्रदान करने के लिए अपनी डिजिटल संरचना को भी आधुनिक स्वरूप दे रहा है. इसके अलावा आपके बैंक ने प्रौद्योगिकीय उन्नति का लाभ अपने ग्राहकों को देने के लिए कई नए और नवोन्मेषी एप्लीकेशन भी शुरू किए हैं. समाज के प्रत्येक वर्ग द्वारा डिजिटल भुगतान के अधिक से अधिक उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार के *'दिगीधन मिशन'* के अनुरूप आपके बैंक ने सभी डिजिटल उत्पाद संबंधी पूछताछ के लिए संपर्क हेतु एकल केंद्र के रूप में कार्य करने के लिए प्रत्येक शाखा में एक अधिकारी को *'डिजिटल गुरु'* के रूप में पदनामित किया है.

आपका बैंक प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के प्रोत्साहन के महत्व को समझते हुए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (पीएसएल) को ऋण देने में सक्रियता के साथ योगदान करता रहा है तथा ऐसा करते हुए बैंक आरबीआई के अधिदेश का अनुपालन करता है. आपका बैंक उचित, पारदर्शी तरीके और वहन करने योग्य लागत पर समाज के कमजोर वर्गों को वित्तीय उत्पाद और सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित कराते हुए समावेशी विकास के उद्देश्य को सक्रियता से आगे बढ़ाता रहा है. आपके बैंक ने अपने कारोबार प्रतिनिधि (बीसी)/ कारोबार सुलभकर्ता (बीएफ) नेटवर्क का लाभ उठाकर अपने कारोबार को ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में फैलाने का भी प्रयास किया ताकि वित्तीय समावेशन के साथ-साथ बैंक के पीएसएल कारोबार को और भी बल मिल सके. चूंकि वित्तीय साक्षरता प्रभावी वित्तीय समावेशन के लिए एक पूर्व-आवश्यकता है, इसलिए आपके बैंक ने लाभार्थियों की वित्तीय साक्षरता सुधारने हेतु अनेक पहल कार्य किए ताकि उन्हें दी जाने वाली वित्तीय सेवाओं का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके.

आपका बैंक अपने श्रेणी बी के अधिकृत डीलर टीएफ केंद्रों और अभिनिर्धारित खुदरा टीएफ शाखाओं के माध्यम से अपने ग्राहकों को व्यापार वित्त (टीएफ) उत्पादों और सेवाओं की सम्पूर्ण श्रृंखला प्रदान करता है. आपके बैंक ने द्विपक्षीय रुपया भुगतान प्रणाली के अंतर्गत भारतीय रुपए में तेल और गैर-तेल भारत-ईरान व्यापार सौदों का संचालन करने के लिए मार्च 2019 में भारत सरकार से अधिदेश भी प्राप्त किया.

आपका बैंक केंद्र और राज्य सरकारों की प्राप्तियों और भुगतानों के प्रबंधन के लिए उनके एजेंट के रूप में भी कार्य करता है. आपका बैंक चुनिंदा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार के करों और राज्य प्राप्तियों का संग्रहण करने, अपनी शाखाओं के माध्यम से लघु बचत योजनाओं की पेशकश करने तथा केंद्रीय नागरिक, रक्षा और रेलवे पेंशन वितरित करने हेतु प्राधिकृत किया गया है. आपका बैंक कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) की देय राशियों के ऑनलाइन संग्रहण का कार्य भी करता है.

आपका बैंक संग्रहण और भुगतान समाधानों की एक व्यापक श्रृंखला के जरिए प्रभावी नकदी प्रबंधन सेवाएं (सीएमएस) प्रदान करता है. आपका बैंक प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन, प्रधानमंत्री किसान मान-धन और प्रधानमंत्री लघु व्यापारी सम्मान जैसी भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के लिए एकमात्र प्रायोजक बैंक के रूप में सूचीबद्ध किया गया है. आपका बैंक भारतीय रेलवे की ई-किराया भुगतान प्रणाली में भाग लेने के लिए प्राधिकृत है और चुनिंदा अंचलों में ई-किराए का संग्रहण कर रहा है. आपका बैंक भारत बिल भुगतान (बीबीपीएस) के माध्यम से उपयोगिता बिल भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए भी प्राधिकृत है.

वर्ष के दौरान आपके बैंक ने ग्राहक सेवा और अनुभवों पर अपना ध्यान जारी रखते हुए कारोबार बढ़ाने हेतु प्रौद्योगिकीय नवोन्मेषण में निवेश करना जारी रखा. आपके बैंक ने अपनी कई महत्वपूर्ण आईटी हार्डवेयर प्रणालियों के उन्नयन तथा मरम्मत पर विशेष बल दिया है तथा बैंक अपनी आईटी परिसंपत्तियों के संवर्धन में दीर्घकालिक निवेश के लिए प्रतिबद्ध है.

डेटा-संचालित बिक्रियों को बढ़ाने के लिए, आपके बैंक ने सही समय पर सही उत्पाद प्रदान करके बेहतर ग्राहक वॉलेट शेयर प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ डेटा एनालिटिक्स के लिए उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) की स्थापना की है.

वर्ष के दौरान बैंक द्वारा किए गए पहल कार्यों के विस्तृत ब्योरे वार्षिक रिपोर्ट के प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण खंड में दिए गए हैं.

बैंक के कारोबार पर कोविद -19 महामारी का प्रभाव

सार्स-कोव 2 वायरस के चलते कोविद-19 भारत सहित दुनिया भर में फैलता जा रहा है. इससे वैश्विक और भारतीय बाजारों और आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण अस्थिरता और प्रतिकूलता आई है. लॉकडाउन के कार्यान्वयन और इसकी अवधि बढ़ाने से व्यवसाय और आम जीवन में व्यवधान उत्पन्न हुआ है. मौजूदा हालात को देखने के बाद यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि अंततः इसका असर कब तक रहेगा. विभिन्न उद्योग क्षेत्रों में बैंक के उधारकर्ताओं के सामने प्रमुख चुनौतियां नकदी प्रवाह में कमी होना और कार्यशील पूंजी चक्र का लंबा चलना होगी. बैंक इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सभी मोर्चों पर अपनी तैयारी कर रहा है. इन घटनाओं और स्थितियों के बावजूद, भविष्य में बैंक के परिणामों के महत्वपूर्ण रूप से प्रतिकूल अथवा संबंधित आकलन पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है.

बैंक के लिए तरलता की स्थिति, ऋण या किसी अन्य प्रतिबद्धता की चुकौती, पूंजी या लाभप्रदता पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा. तथापि बैंक उपरोक्त मापदंडों की स्थिति की लगातार निगरानी कर रहा है और सुधारात्मक कार्रवाइयां कर रहा है.

निदेशक मंडल

आपके बैंक के निदेशक मंडल का आधार व्यापक है और इसका गठन बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, कंपनी अधिनियम, 2013, बैंक के संस्था अंतर्नियम के प्रावधानों और सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 (एलओडीआर विनियम) में उल्लिखित कॉरपोरेट अभिशासन की अपेक्षाओं द्वारा अभिशासित है. बोर्ड, बैंक के महत्वपूर्ण कार्यात्मक क्षेत्रों में सकेंद्रित

अभिशासन प्रदान करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से और साथ ही बोर्ड की विभिन्न गठित समितियों के माध्यम से कार्य करता है. निदेशक मंडल में बैंक के गैर-कार्यपालक अध्यक्ष के रूप में एलआईसी के अध्यक्ष के साथ 15 सदस्य जिनमें एमडी एवं सीईओ और दो डीएमडी, एलआईसी के एक आधिकारिक नामिती निदेशक, भारत सरकार के दो नामिती निदेशक और एक महिला स्वतंत्र निदेशक सहित आठ स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं.

31 मार्च 2020 को बोर्ड में चौदह निदेशक शामिल थे अर्थात् श्री एम. आर. कुमार, गैर-कार्यपालक अध्यक्ष, श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज और श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी, पूर्णकालिक निदेशक के रूप में; सुश्री मीरा स्वरूप और श्री सुधीर श्याम, भारत सरकार के नामिती निदेशक तथा श्री राजेश कंडवाल, एलआईसी के नामिती निदेशक, गैर-कार्यपालक निदेशकों के रूप में; श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, डॉ. आशिमा गोयल, श्री भुवनचंद्र बी. जोशी, श्री समरेश परिदा, श्री एन. जम्बुनाथन, श्री दीपक सिंघल और श्री संजय गोकुलदास कल्लापुर स्वतंत्र निदेशकों के रूप में. बोर्ड में शामिल 14 (चौदह) निदेशकों की वर्तमान संख्या संस्था के अंतर्नियम के अनुच्छेद 114 (ए) के अंतर्गत निर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करती है.

शीर्ष समितियां

आपके बैंक कारोबार और परिचालन के विभिन्न कार्य पहलुओं की देख-रेख करने के लिए बोर्ड की कुल चौदह समितियां हैं. बोर्ड की समितियों में बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति, कार्यपालक समिति, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति, हितधारक संबंध समिति, मानव संसाधन संचालन समिति, धोखाधड़ी निगरानी समिति, वसूली समीक्षा समिति, जोखिम प्रबंध समिति, स्वतंत्र निदेशक समिति, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति, असहयोगी उधारकर्ता समीक्षा समिति, ग्राहक सेवा समिति, इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति, सूचना प्रौद्योगिकी कार्यनीति समिति शामिल हैं.

कॉरपोरेट अभिशासन

आपका बैंक कॉरपोरेट अभिशासन की बेहतर पद्धतियां अपनाने के लिए प्रतिबद्ध है. बैंक की मान्यता है कि प्रभावी कॉरपोरेट अभिशासन सिर्फ विनियामक अनुपालन की आवश्यकता मात्र नहीं है बल्कि हितधारकों के मूल्य में वृद्धि के लिए एक सुसाध्यकारक भी है. आपके बैंक में अपनाई जा रही कॉरपोरेट अभिशासन पद्धतियों का विस्तृत विवरण इस वार्षिक रिपोर्ट में कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट के अंतर्गत एक अलग खंड के रूप में दिया गया है.

कारोबार दायित्व रिपोर्ट

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने दिनांक 26 दिसंबर 2019 को सेबी [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 में संशोधन किया. संशोधन के अनुसार, बाजार पूंजीकरण पर आधारित शीर्ष एक हजार सूचीबद्ध संस्थाओं की वार्षिक रिपोर्ट में कारोबार दायित्व रिपोर्ट (बीआरआर) शामिल होनी चाहिए. कारोबार दायित्व रिपोर्ट में सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा पर्यावरण, सामाजिक और अभिशासन परिप्रेक्ष्य में आरंभ किए गए पहल-कार्यों का वर्णन होना चाहिए. बैंक की कारोबार दायित्व रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट - (https://www.idbibank.in/business-responsibility-report.asp) पर प्रदर्शित की गई है.

कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अंतर्गत कथन

समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान आपके बैंक की सेवा में ऐसा कोई कार्मिक नहीं था जिसे ₹ 1.02 करोड़ से अधिक का वार्षिक पारिश्रमिक प्राप्त हुआ हो. इसके अतिरिक्त, बैंक की सेवा में वर्ष के किसी हिस्से के लिए ऐसा कोई कार्मिक नहीं था जिसे प्रतिमाह ₹ 8.50 लाख से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त हुआ हो. इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष अथवा उसके किसी हिस्से के दौरान ऐसा कोई कार्मिक नियुक्त नहीं किया गया जिसे बैंक के प्रबंध निदेशक एवं सीईओ अथवा उप प्रबंध निदेशक द्वारा आहरित कुल पारिश्रमिक की दर से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त हुआ हो और जिसके पास स्वयं अथवा जिसके पति/पत्नी और आश्रित बच्चों के साथ मिलाकर बैंक के 2% इक्विटी शेयर से कम शेयर धारित हों.

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5(2) के अंतर्गत कथन - शीर्ष 10 कर्मचारियों का ब्योरा

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त पारिश्रमिक के अनुसार बैंक के शीर्ष दस कर्मचारियों का ब्योरा दर्शाने वाला विवरण निम्नानुसार है:

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	प्राप्त वार्षिक पारिश्रमिक (₹)	नियोजन की प्रकृति, यह संविदागत है अथवा अन्य प्रकार का है.	कर्मचारी की अर्हता और अनुभव	नियोजन शुरू करने की तारीख	कंपनी में आने से पूर्व ऐसे कर्मचारी द्वारा धारित पिछला नियोजन	ऐसे कर्मचारी की आयु
1.	श्री अशोक कुमार गौतम	कार्यपालक निदेशक	6067840.67	संविदागत	बीएससी और सीएआईआईबी (सीएआईआईबी - भारतीय बैंकर संस्थान के सर्टिफाइड असोसिएट) आईडीबीआई बैंक में अनुभव - 11 माह	24 जून 2019	एक्सिस बैंक	57 वर्ष 5 माह
2.	श्री सुरेश खटनहार	उप प्रबंध निदेशक	5406776.95	पूर्व में कार्यपालक निदेशक और अब डीएमडी	एम कॉम (कॉमर्स पोस्ट ग्रेजुएट), आई.सी.डबल्यू.ए (लागत लेखाकार), सीएआईआईबी (सीएआईआईबी - भारतीय बैंकर संस्थान के सर्टिफाइड असोसिएट), आईटी में सर्टिफिकेशन प्रोग्राम और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए साइबर सुरक्षा (प्रमाणन - अन्य) आईडीबीआई बैंक में अनुभव - 22 वर्ष 11 माह	15 जनवरी 2020 (डीएमडी के रूप में)	देना बैंक	56 वर्ष 9 माह

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	प्राप्त वार्षिक पारिश्रमिक (₹)	नियोजन की प्रकृति, यह संविदागत है अथवा अन्य प्रकार का है.	कर्मचारी की अर्हता और अनुभव	नियोजन शुरू करने की तारीख	कंपनी में आने से पूर्व ऐसे कर्मचारी द्वारा धारित पिछला नियोजन	ऐसे कर्मचारी की आयु
3.	श्री शैलेंद्र गोविंद नाडकर्णी	कार्य पालक निदेशक	4571304.44	स्थायी कर्मचारी	बीई (इंजीनियरिंग ग्रेजुएट), एमई(इंजीनियरिंग पोस्ट ग्रेजुएट), आईटी में सर्टिफिकेशन प्रोग्राम और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए साइबर सुरक्षा (सर्टिफिकेशन - अन्य), सीएआईआईबी (सीएआईआईबी- भारतीय बैंकर संस्थान के सर्टिफाइड एसोसिएट) अनुभव - 26 वर्ष 7 महीने	01 नवंबर 1993	बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट	55 वर्ष, 5 माह
4.	श्री अरुण कुमार अग्रवाल	मुख्य महा प्रबंधक	4456558.46	स्थायी कर्मचारी	बीएससी (साइंस ग्रेज्युएट), एमबीए (मैनेजमेंट ग्रेज्युएट), सीएआईआईबी (सीएआईआईबी- भारतीय बैंकर संस्थान के सर्टिफाइड एसोसिएट), कोबोल में डिप्लोमा (डिप्लोमा) अनुभव - 33 वर्ष 5 माह	22 दिसंबर 1986	जेके इंडस्ट्रीज लि.	58 वर्ष 7 माह
5.	श्री सुब्रतो गुप्ता*	सलाहकार	4437579.75	पूर्व में कार्यपालक निदेशक और अब सलाहकार	बीटेक (इंजीनियरिंग ग्रेजुएट), आई.सी.डबल्यू.ए (लागत लेखाकार), आईटी और साइबर सुरक्षा में सर्टिफिकेशन प्रोग्राम (सर्टिफिकेशन - अन्य) अनुभव - 31 साल 11 महीने	18 नवंबर 2019 (सलाहकार के रूप में)	वेस्ट बंगाल कंसल्टेंसी ऑर्गेनाइजेशन लि.	60 वर्ष 8 माह
6.	श्री सुनित सरकार	मुख्य महा प्रबंधक	4399904.36	स्थायी कर्मचारी	बी.टेक. (इंजीनियरिंग ग्रेजुएट), बिजनेस मैनेजमेंट में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा(मैनेजमेंट ग्रेजुएट) आई. सी. डब्ल्यू. ए (लागत लेखाकार), सीएआईआईबी (भारतीय बैंकर संस्थान के सर्टिफाइड एसोसिएट), अनुभव 26 वर्ष 9 माह	1 सितंबर 1993	ईएसएबी (इंडिया) लिमिटेड	53 वर्ष 10 माह
7.	श्री मोहम्मद अफजल खान	मुख्य महा प्रबंधक	4386950.01	स्थायी कर्मचारी	बीएससी (साइंस ग्रेज्युएट), आईटी और साइबर सुरक्षा में सर्टिफिकेशन प्रोग्राम (सर्टिफिकेशन - अन्य), कम्प्युटर प्रोग्रामिंग, सिस्टम एनालिसिस और डिजाइन में डिप्लोमा, अनुभव-31 वर्ष 6 माह	21 नवंबर 1988	राइट बिजनेस प्रा. लि.	57 वर्ष 9 माह
8.	श्री अनिल राज	मुख्य महा प्रबंधक	4378086.59	स्थायी कर्मचारी	बीएससी (साइंस ग्रेज्युएट),एलएलएम (लॉ पोस्ट ग्रेज्युएट) अनुभव-30 वर्ष 4 माह	01 फरवरी 1990	प्रैक्टीसिंग एडवोकेट	57 वर्ष 10 माह
9.	श्री सुधीर शरद कुलकर्णी	मुख्य महा प्रबंधक	4346025.8	स्थायी कर्मचारी	बीई (इंजीनियरिंग ग्रेजुएट),जेएआईआईबी (जेएआईआईबी - भारतीय बैंकर संस्थान के जूनियर असोसिएट) अनुभव- 29 वर्ष 8 माह	26 सितंबर 1990	हिंदुस्तान फ्लोरो कार्बन लि.	55 वर्ष 10 माह
10.	श्रीमती बलजिंदर कौर मंडल	मुख्य महा प्रबंधक	4338429.97	स्थायी कर्मचारी	बीई (इंजीनियरिंग ग्रेजुएट), पीजीडीएम (प्रबंधन में पीजीडी), जेएआईआईबी (जेएआईआईबी - भारतीय बैंकर संस्थान के जूनियर असोसिएट) अनुभव- 32 वर्ष	01 जून 1988	आईडीबीआई बैंक लि.	54 वर्ष, 8 माह

* इसमें 30 सितंबर 2019 तक कार्यपालक निदेशक के रूप में और बाद में 18 नवंबर 2019 से सलाहकार के रूप में पारिश्रमिक शामिल है.

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन, विदेशी मुद्रा का अर्जन तथा व्यय

क) ऊर्जा संरक्षण

आपके बैंक द्वारा ऊर्जा संरक्षण की दिशा में शुरू किए गए विभिन्न पहल कार्य निम्नानुसार हैं :

- बैंक के प्रधान कार्यालय, मुंबई सहित बैंक के अन्य कार्यालयों और बैंक आवासीय भवनों में ऊर्जा की खपत कम करने के लिए पारंपरिक बिजली के फिक्सचर के स्थान पर ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइट फिक्सचर / लैम्प/ ट्यूब लगाए गए हैं.
- बैंक की शाखाओं में नए साइनेज को पारंपरिक ऊर्जा की खपत वाले लाइट फिक्सचर के स्थान पर नई एलईडी रोशनी वाली लाइटों से सुसज्जित किया जा रहा है.
- सभी नई अथवा नवीकृत शाखाओं में पारंपरिक फ्लोरोसेंट / पीएल लैंप के स्थान पर एलईडी रोशनी का प्रयोग किया जा रहा है.
- एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड द्वारा विकसित बैंक के नए कार्यालय भवन सहित नई दिल्ली के आवासीय भवनों तथा केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग, भारत (सीपीडब्ल्यूडी) द्वारा

हैदराबाद में जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस (जेएनआईबीएफ) में विकसित नए आवासीय भवनों में कॉमन बिजली/ पंपों आदि के लिए सौर पैनल लगाए गए हैं.

- जेएनआईबीएफ ऐनेक्स, हैदराबाद में निर्मित नए आवासीय भवनों में जल संचयन की सुविधा भी प्रदान की गई है.

ख) प्रौद्योगिकी समावेशन

आपका बैंक ऐसे आधुनिकतम प्रौद्योगिकी-आधारित नवोन्मेषी कार्यों की पूरी सक्रियता के साथ संवीक्षा कर उनका समावेशन कर रहा है, जिनसे कारोबारी कामकाज को सशक्त बनाने, अपने ग्राहकों को सुखकर अनुभव देने तथा भावी अवसरों और चुनौतियों का सामना करने के लिए तत्परता बरतने में मदद मिलेगी. आपके बैंक द्वारा हाल ही में शुरू किए गए प्रौद्योगिकी-आधारित सुधार कार्यों में बैंक के कोर बैंकिंग समाधान का 7.x से 10.x में सफल व सुचारू माइग्रेशन, बैंक के इंटरनेट बैंकिंग सिस्टम का मौजूदा ई-बैंकिंग (ईबी) वर्जन से नवीनतम फिनेकल ई-बैंकिंग आर्किटेक्चर (फेबा) में अपग्रेडेशन, समय-पूर्व चेतावनी सिग्नल (ईडबल्यूएस) समाधान का कार्यान्वयन, एनालिटिक्स एवं सीआरएम सेल्स मॉड्यूल की सफल शुरुआत, उद्यम-व्यापी डेटा वेयरहाउस (ईडीडबल्यू) का निर्माण, उद्यम-व्यापी धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन समाधान (ईएफआरएमएस) के मोबाइल एप्लिकेशन के साथ ऑफसाइट मॉड्यूल और ऑनलाइन मॉड्यूल की सफल शुरुआत जैसे कार्य शामिल हैं. ईडीडबल्यू परियोजना के अंतर्गत आपके बैंक ने विभिन्न ऋण उत्पाद संबंधी एनपीए भविष्यवाणी, कृषि/ एमएसएमई पोर्टफोलियो के लिए नियमित भविष्यवाणी, चालू/ बचत खाते, क्रॉस-सेलिंग अप-सेलिंग मॉडल, ग्राहक प्रोफाइलिंग व खंड आदि के लिए कई विश्लेषणात्मक/ भविष्यसूचक मॉडल बनाए हैं. आपके बैंक ने स्वचालित प्रक्रिया के तहत रिटर्न तैयार करने व इन्हें रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करने के लिए क्रमशः ऑटोमेटेड डेटा फ्लो (एडीएफ) एप्लिकेशन व केंद्रीकृत सूचना प्रबंध प्रणाली (सीआईएमएस) का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया. आपके बैंक के अद्यतित इंटरनेट बैंकिंग एप्लिकेशन में यूपीआई-आधारित भुगतान; रिटेल व कॉरपोरेट नेट बैंकिंग के लिए लॉगिन करते समय केप्चा, इमेज, फ्रेज़ जैसे अतिरिक्त सुरक्षा फीचर; डैशबोर्ड पर कस्टमाइज्ड विजेट; रिटेल व कॉरपोरेट नेट बैंकिंग के लिए व्यक्तिगत डैशबोर्ड; भारत बिल भुगतान प्रणाली (बीबीपीएस) एकीकरण जैसे कई फीचर हैं. आपके बैंक के मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन में वास्तविक अनुकूलन प्राधिकरण अर्थात् लॉगिन में असामान्य परिवर्तन के विश्लेषण के लिए ईएफआरएमएस) को जोड़ा है, साथ ही मोबाइल बैंकिंग में यूपीआई के माध्यम से अन्य बैंकों के खाते जोड़ने की सुविधा और शेड्यूल इंटर बैंक निधि अंतरण (एनईएफटी) का विकल्प जैसे फीचर दिए गए हैं.

आपके बैंक ने अपने सुरक्षा संचालन केंद्र (एसओसी) की क्षमता को पहले ही अद्यतन कर लिया है. आपका बैंक अपने सुरक्षा पहलुओं को और सुदृढ़ करने; भावी कारोबार संवृद्धि के लिए निजी क्लाउड आर्किटेक्चर के तहत क्षमता में वृद्धि करने, माइक्रो सेवाओं के लिए एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) गेटवे तैयार कर लागू करने, वर्चुअल डेस्कटॉप इंटरफेस (वीडीआई) शुरू करने, क्लाउड पर चैटबोट रखने, कोग्निटिव चैट बोट जैसे उभरते क्षेत्रों के लिए आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस (एआई) व मशीन लर्निंग (एमएल) स्थापित करने, नेक्स्ट जनरेशन फायर वाल्स जैसे कई कार्य कर रहा है. जहां आपके बैंक ने उधार से जुड़ी प्रक्रियाओं के ऑटोमेशन के लिए ऑनलाइन ऋण समीक्षा प्रणाली जैसे विभिन्न दूरगामी समाधानों का कार्यान्वयन पहले ही शुरू कर दिया है, वहीं बैंक उद्यमी डेटा खोने की रोकथाम (डीएलपी) व डेटा वर्गीकरण समाधान, एंडपॉइंट और एनक्रिप्शन के लिए बैकअप समाधान जैसे सुरक्षा संबंधी कई पहल कार्य लागू कर रहा है. सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किए गए अन्य पहल कार्यों का ब्योरा वार्षिक रिपोर्ट के प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण खंड में दिया गया है.

ग) विदेशी मुद्रा विनिमय अर्जन एवं व्यय

वर्ष के दौरान, बैंक द्वारा अर्जित कुल विदेशी मुद्रा 9,284.35 लाख रुपये (डेरिवेटिव और विदेशी मुद्रा विनिमय लेनदेन में विदेशी मुद्रा नकदी प्रवाह को छोड़कर) थी और परिचालन और पूंजीगत व्यय आवश्यकताओं के लिए कुल विदेशी मुद्रा व्यय रुपये 15,147.09 लाख रुपए था.

भारतीय रिज़र्व बैंक की त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए)

आपके बैंक की उच्च निवल अनर्जक आस्तियों (एनपीए) और आस्तियों पर नकारात्मक प्रतिलाभ (आरओए) को देखते हुए भारतीय रिज़र्व बैंक ने 5 मई 2017 के अपने पत्र के ज़रिए आपके बैंक के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) शुरू की. बैंक इस संबंध में रिज़र्व बैंक के निदेशों का अनुपालन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई कर रहा है. बैंक ने अपनी वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए रूपांतरण की एक व्यापक रणनीति भी बनाई है. इसके साथ-साथ, रिज़र्व बैंक द्वारा नये कॉरपोरेट एक्सपोजर देने पर प्रतिबंध के संबंध में जारी निदेशों के अनुपालन के क्रम में बैंक ने अपनी आंतरिक क्रेडिट नीति की समीक्षा की है और यह अपने कॉरपोरेट एक्सपोजर को सीमित करने की दिशा में काम कर रहा है.

निदेशकों की जिम्मेदारी के संबंध में कथन

निदेशक मंडल एतद्द्वारा घोषणा और पुष्टि करता है किः

क. वार्षिक लेखों को तैयार करने में लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है. साथ ही तात्विक रूप से अनुसरण न किये गये मामलों में उचित स्पष्टीकरण दिया गया है;

ख. निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उनका निरंतर प्रयोग किया है तथा ऐसे निर्णय लिए हैं एवं अनुमान लगाए हैं जो लेखा वर्ष के अंत में आपके बैंक की स्थिति और इसी अवधि में आपके बैंक के लाभ अथवा हानि की सही एवं उचित तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए यथोचित तथा विवेकपूर्ण हैं;

ग. निदेशकों ने आपके बैंक की आस्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकार्डों के रख-रखाव के लिए उचित और पर्याप्त सावधानी बरती है;

घ. निदेशकों ने चालू समुत्थान के आधार पर वार्षिक लेखे तैयार किए हैं.

ङ. निदेशक मंडल ने बैंक द्वारा अनुसरण किए जाने के लिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं तथा कि ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रहे हैं; और

च. निदेशक मंडल ने लागू सभी नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियाँ तैयार की हैं तथा कि ये प्रणालियाँ पर्याप्त हैं और प्रभावी ढंग से काम कर रही हैं.

आभार

आपके बैंक का निदेशक मंडल भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक), अन्य सभी सांविधिक/ विनियामक प्राधिकरणों तथा भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) का उनके बहुमूल्य सहयोग और मार्गदर्शन के लिए हृदय से आभारी है. निदेशक मंडल विभिन्न राज्य सरकारों और अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थाओं का भी उनके द्वारा दिये गये सहयोग और सहायता के लिए आभार मानता है. निदेशक मंडल विभिन्न बहुपक्षीय संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय बैंकों/ संस्थाओं से मिले सहयोग के लिए उन्हें धन्यवाद देता है. बोर्ड अपने सभी निष्ठावान शेयरधारकों और ग्राहकों का वर्ष के दौरान उनके द्वारा दिये गये सहयोग के लिए हृदय से आभार प्रकट करता है और भविष्य में भी उनसे सतत् सहयोग की अपेक्षा करता है. निदेशक मंडल अपने समस्त स्टाफ की निष्ठापूर्ण और समर्पित सेवाओं की सराहना करता है और बैंक के प्रति उनकी वचनबद्धता का अत्यधिक सम्मान करता है.

[सैम्युअल जोसेफ जेबराज]
उप प्रबंध निदेशक

[राकेश शर्मा]
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ

स्थान : मुंबई
दिनांक: 30 मई 2020

Directors' Report

Your Bank's Board of Directors is pleased to present the Report on its Business and Operations for the financial year ended March 31, 2020.

In the year 2019-20, the Indian economy experienced a broad-based deceleration with a slowdown in private consumption on the demand side and the weakening of growth momentum in both industry and services on the supply side. While agriculture and allied activities remained buoyant, industrial activities decelerated on the back of sharp slowdown in manufacturing activity, electricity, gas, water supply & other utility services as well as construction and growth in services sector moderated due to slowdown in trade, hotels, transport, communication and services related to broadcasting and financial services, real estate and professional services. The subdued domestic economic activities, during the year, was further impacted by the nation-wide lockdown announced in March 2020 to contain spread of coronavirus (Covid-19) pandemic. Banks, being an integral part of the economy, were consequently impacted due to India's economic slowdown and towards the end of the fiscal, due to the effect of Covid-19 pandemic. While comprehensive policy measures were initiated to minimise the impact of Covid-19 on the economy, the overall impact of these measures is expected to be observed with a lag. It is, therefore, crucial to view the performance of your Bank in this context.

Financial Highlights

As on March 31, 2020, your Bank's aggregate deposits and advances touched ₹ 2,22,424 crore and ₹ 1,29,842 crore, respectively. Your Bank's business highlights for the period under review are presented in Table 1.

Table 1: Key Financials

(In ₹ crore)

	As on March 31, 2019	As on March 31, 2020
Capital	7,736	10,381
Reserves & Surplus	29,875	23,644
Deposits	2,27,372	2,22,424
Borrowings	45,288	36,749
Other Liabilities & Provisions	10,013	6,745
Total Liabilities	**3,20,284**	**2,99,942**
Cash & Balances with RBI	12,730	10,539
Balances with Banks & Money at Call & Short Notice	8,503	19,892
Investments	93,073	81,780
Advances	1,46,790	1,29,842
Fixed & Other Assets	59,188	57,890
Total Assets	**3,20,284**	**2,99,942**
For the period	**2018-19**	**2019-20**
Total Income	25,372	25,295
Total Expenses (other than provisions)	21,319	20,183
Provisions (other than tax)	26,879	14,079
Profit/ (Loss) Before Tax	(22,827)	(8,967)
Provision for Tax	(7,711)	3,920
Profit/ (Loss) After Tax	(15,116)	(12,887)

During the year under review, your Bank's total income amounted to ₹ 25,295 crore, comprising interest income of ₹ 20,825 crore and other income of ₹ 4,470 crore. Interest expenses stood at ₹ 13,847 crore and operational expenses at ₹ 6,336 crore, accounting for total expenditure (excluding provisions and contingencies) of ₹ 20,183 crore.

Total provisioning of your Bank declined for the year due to lower provisioning for Non-Performing Assets (NPAs). The provisions include ₹ 13,920 crore towards provision for Non-Performing Assets (NPAs), bad debts written-off and investments. As the provisioning remained substantial, your Bank incurred a net loss of ₹ 12,887 crore during FY 2019-20.

While the Earnings per Share (EPS) during the year was negative due to the losses, the Book Value per Share (excluding intangible assets) stood at ₹ 11.21 as at end-March 2020.

Report on the Performance and Financial Position of Subsidiaries and Joint Venture included in the Consolidated Financial Statement as on March 31, 2020

Name of the entity	Net Assets, i.e., total assets minus total liabilities		Share in profit or loss	
	As % of consolidated net assets	(In ₹ Crore)	As % of consolidated profit or loss	(In ₹ Crore)
1	2	3	4	5
Parent : IDBI Bank Ltd.	97.67%	34,024.37	100.41%	(12,887.33)
Subsidiaries:				
Indian:				
1. IDBI Capital Markets & Securities Ltd.	0.88%	305.25	0.08%	(9.66)
2. IDBI Intech Ltd.	0.18%	63.04	(0.07)%	9.07
3. IDBI Asset Management Company Ltd.	0.31%	108.85	(0.01)%	0.75
4. IDBI MF Trustee Company Ltd.	0.00%	1.57	0.00%	0.10
5. IDBI Trusteeship Services Ltd.	0.64%	224.40	(0.27)%	35.18
Foreign:	NA	NA	NA	NA
Minority Interests in all subsidiaries	0.30%	103.58	(0.12)%	15.94
Associates (Investment as per the equity method)				
Indian				
1. Biotech Consortium India Ltd.	NA	NA	0.00%	0.35
2. National Securities Depository Ltd.	NA	NA	(0.16)%	21.03
3. NSDL e-Governance Infrastructure Ltd.	NA	NA	(0.05)%	6.72
4. North Eastern Development Finance Corporation Ltd.	NA	NA	NA	NA
Foreign:	NA	NA	NA	NA
Joint Ventures (as per proportionate consolidation/ investment as per the equity method)				
Indian				
1. IDBI Federal Life Insurance Company Ltd.	1.27%	441.20	(0.55)%	70.96
Foreign	NA	NA	NA	NA
Total	100.96%	35,168.66	99.48%	(12,768.76)
Elimination	(0.96)%	(332.94)	0.52%	(66.48)
Net Total	100.00%	34,835.72	100.00%	(12,835.24)

Note: None of the above subsidiaries have any subsidiary.

** - In respect of Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Ltd. (PIPDICL), the Bank has not received any financial statements & transactions details from the company. Hence, information is not consolidated in the above table. The Bank has written down investment in PIPDICL to Rupee one.*

Material changes and commitments, if any, affecting financial position of IDBI Bank which have occurred during the end of financial year and the date of Board Report

There were no material changes and commitments affecting the financial position of the Bank, which occurred between the end of the financial year of the Bank, i.e. March 31, 2020 and the date of the Directors' Report.

The details in respect of adequacy of internal financial controls with reference to the financial statements

According to Section 143(3)(i) of the Companies Act 2013, w.e.f. FY 2015-16, the report of the Statutory Auditors shall state whether the Bank has adequate Internal Financial Control (IFC) systems in place and the operating effectiveness of such controls, in the context of the financial statements. IFCs, as referred to in Section 143(3)(i) of the Companies Act, relate to Internal Financial Controls Over Financial Reporting (IFCO-FR). Your Bank's Management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of IFCO-FR issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to the Bank's policies, safeguarding of its assets, prevention & detection of frauds & errors, accuracy & completeness of the accounting records, and timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013, the Banking Regulation Act, 1949 and the guidelines issued by the RBI.

Your Bank has put in place an IFCO-FR Framework for evaluation of the existing internal financial controls system and appointed a Consultant for validating the compliances with respect to the documentation, certification, reporting process of the controls across all business verticals/ departments and ascertaining the adequacy and effectiveness of the controls in the Bank in all material aspects with respect to financial reporting.

During 2019-20, the Consultant submitted the Internal Compliance Certificate for the quarters ended June 2019 to December 2019 after carrying out the testing and validation of all the underlying processes as per the Bank's IFCO-FR framework. The Consultant reviewed the status of action taken on the open issues carried forward in the quarterly report as on December 31, 2019, the updated status of compliance as on May 15, 2020 and reported that 5 out of the 13 open issues reported as on December 31, 2019 were adequately addressed and closed with the implementation of remedial measures. The concerned departments are working closely for addressing the remaining open issues.

Details of Significant changes (i.e. change of 25% or more as compared to the immediate previous financial year)* in key financial ratios, along with a detailed explanation thereof, including:

Particulars	2018-19	2019-20	Comments
Net Interest Margin (%)	2.03	2.61	Interest expenses decreased by ₹ 2,319 crore and interest income decreased by ₹ 1,247 crore resulting in an increase in Net Interest Income by ₹ 1,072 crore.
Net NPA% to Net Advances	10.11	4.19	Net NPA has decreased by ₹ 9,398 crore.
Provision Coverage Ratio (including Technical Write-offs (TWO))	82.88%	93.74%	Net NPA as on March 31, 2020 stood at ₹ 5,439 crore as against ₹ 14,837 crore as on March 31, 2019. Total Provision (including TWO) as on March 31, 2020 increased by ₹ 9,273 crore.
CASA to % of total deposits	42.54%	47.74%	CASA balance increased to ₹ 1,06,188 crore as on March 31, 2020 as against ₹ 96,730 crore as on March 31, 2019 and total deposits have reduced to ₹ 2,22,424 crore as on March 31, 2020 from ₹ 2,27,372 crore as on March 31, 2019.

** Including change of less than 25% in case of PCR and CASA*

Capital Adequacy

In adherence to the Pillar 1 guidelines of the RBI under Basel III framework, your Bank computes regulatory capital requirement for credit, market and operational risks on a quarterly basis. As per the Basel guidelines, banks in India are mandated to maintain Capital Conservation Buffer (CCB) in a phased manner commencing from March 31, 2016. In line with the RBI's notification dated March 27, 2020 whereby the transitional arrangements of Basel III capital regulations were reviewed, the applicable CCB for March 31, 2020 was stipulated at 1.875%. Accordingly, the minimum regulatory requirement of *'Total Capital + CCB'* was 10.875% as on March 31, 2020. Your Bank's *'Total Capital + CCB'* ratio was 13.31% as on March 31, 2020. Similarly, your Bank's *'Common Equity Tier 1 (CET1) + CCB'* ratio was 10.54% as against the regulatory requirement of 7.375%. Your Bank's *'Tier 1 + CCB'* ratio stood at 10.57% as on March 31, 2020 as against the regulatory requirement of 8.875%. Your Bank's Leverage Ratio as on March 31, 2020 was 4.97% against the minimum regulatory requirement of 3.50%.

Your Bank has a Board-approved policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) in line with the Pillar 2 norms of the Basel III framework. This policy enables your Bank to internally assess and quantify those risks which are not covered under Pillar 1 as well as to develop appropriate strategies to manage and mitigate risks under normal and stressed conditions.

Your Bank has also put in place a comprehensive stress testing framework in line with the RBI guidelines. The stress testing framework enables your Bank to assess its performance under exceptional but plausible events and facilitates appropriate proactive strategies to meet unforeseen contingencies. The framework also includes scenario analysis and reverse stress testing. Scenario analysis covers a study on impact of further increase in gross NPA, crystallisation on Non-Fund facilities in NPAs & Technically Written-Off (TWO) accounts and impact of illiquid securities on capital and profitability of the Bank. Your Bank also separately created scenarios to make a preliminary assessment of the detrimental impact of Covid-19 pandemic on the various sectors to which the Bank has exposure, which, in turn, will adversely affect the Bank's profitability. The mechanism of reverse stress testing has been added to the framework to find the level of stress which may adversely impact the capital to take it to a pre-determined floor level.

Your Bank has adopted a Disclosure Policy in accordance with the Pillar 3 requirements under the Basel norms. Accordingly, disclosures as at the end of each quarter are hosted on your Bank's website, thereby exhibiting high degree of transparency.

Your Bank follows the Standardised Approach under Credit Risk for computation of capital charge. Your Bank follows Basic Indicator Approach (BIA) to compute regulatory capital charge for Operational Risk. A comprehensive set of Key Risk Indicators (KRIs) and Risk & Control Self-Assessment (RCSA) framework has been rolled out across different business segments for ensuring effective control mechanism. For Market Risk, your Bank uses Standardised Measurement Method (SMM) to compute regulatory capital requirements.

Business Strategy

During the year, your Bank continued to pursue its strategic endeavours of repositioning itself as a retail-focussed bank by rebalancing its business mix. On the asset front, the Bank undertook concerted efforts to granularise its portfolio mix through targeted growth in retail assets. Towards this end, your Bank focussed on augmenting growth in advances towards Retail, Agri and MSME (RAM) segments, which has also aided in lowering the Bank's Risk Weighted Assets (RWAs). On the liability front, measures were initiated to augment the share of low-cost deposits in total deposits by enhancing the share of CASA and retail deposit base, which has aided the Bank in reducing its overall cost of deposits. In alignment with its business strategy, your Bank consciously restricted its corporate loan book in order to migrate towards a capital light model while simultaneously de-risking its business portfolio.

The acquisition of majority stake by the Life Insurance Corporation of India (LIC) in the Bank also unfolded a number of business synergies, especially on the retail front. To realise the full potential arising out of these business synergies, a joint Task Force has been constituted, with the senior management of the Bank and LIC as its members, to chart out the future roadmap, both for the Bank as also for the associate companies. The Task Force has identified major areas of synergies for the short-term such as selling of LIC policies through the Bank's branches, management of cash and other premium receipts of LIC through the Bank's branches, enabling the technical wherewithal available in both the Bank and LIC for offering digital solutions to both the policy holders of LIC and customers of the Bank. To derive mutual benefit from these synergies, a Working Group has also been created to carry forward the initiatives identified for synergy by the Task Force and effectively implement the decisions taken at the management level.

Your Bank remained committed towards its vision of becoming one of the most preferred and trusted banks for all its stakeholders. Accordingly, your Bank adopted a customer-centric strategy by focusing on customer delight. The Bank has successfully launched Data Analytics and Customer Relationship Management (CRM) sales modules which enabled the Bank to adopt a focussed and targeted approach towards delivering the right product at the right time to its customers. Furthermore, your Bank continued to invest in technological innovation and up-gradation in order to ensure better customer service and experience. Your Bank also remains committed towards the Government of India's (GoI's) Enhanced Access and Service Excellence (EASE).

Apart from measures undertaken to augment its business performance, your Bank also strived to strengthen its financial health by improving its asset quality. Your Bank focussed its efforts towards containment of fresh Non-Performing Assets (NPAs) and maximising recovery from the existing impaired assets. Your Bank has a dedicated vertical, viz. NPA Management Group (NMG), for focussed and aggressive approach towards resolution and recovery. Your Bank has set up a dedicated desk to handle cases under Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP). Furthermore, your Bank has also set up a dedicated team for focussed attention for recovery in the retail segment. Apart from these measures, the Bank has a Credit Monitoring Group (CMG) with the objective of monitoring the onset of stress in the Bank's portfolio. Your Bank also successfully implemented an automated and comprehensive bank-wide Early Warning Signals (EWS) System which has augmented the Bank's capabilities to identify high-risk accounts and accounts showing early signs of stress in the pre-Special Mention Accounts (SMAs) stage. These initiatives have resulted in reduction of incipient stress, containment of slippage and improvement in credit quality of the Bank.

Your Bank, recognising the importance of a robust risk infrastructure in decision making process and enhancing business sustainability, has been proactively strengthening its risk management practices. Additionally, your Bank is also promoting a strong compliance culture in the Bank by adhering to key laws, rules, regulations, and various codes of conduct, to maintain its reputation and win the trust of customers, investors and regulators.

Key Business Initiatives

In alignment with its strategic imperatives, your Bank has undertaken a number of initiatives across the entire spectrum of its products and services to meet the banking requirements and financial goals of its retail as well as corporate customers. In addition to introducing new products and services, your Bank has also revamped its existing suite of products and services to cater to the evolving customer preferences and emerging banking and regulatory landscape.

To tap the synergies emerging from the majority stake acquisition by LIC, your Bank has continued to offer a wide array of innovative, specialised and customised products and services to the employees, agents and subsidiaries of LIC for meeting their banking and investment requirements.

Your Bank is effectively leveraging its geographical network of 1,892 branches, 3,683 ATMs and 58 e-lounges to serve its customers. In addition to the brick-and-mortar branches, the Bank is also strengthening and revamping its digital infrastructure with state-of-the-art features for smooth, convenient, safe and secure, anytime, anywhere banking experience for its customers. Furthermore, your Bank also introduced a number of new and innovative applications to pass on the benefits of technological advancement to its customers. In alignment with the GoI's *'DigiDhan Mission'* aimed at encouraging greater use of digital payments by all sections of the society, your Bank has designated one officer at every retail branch as a *'Digital Guru'* to act as a single point of contact for all digital product related queries.

Your Bank remains committed towards promoting the priority sectors by actively contributing to Priority Sector Lending (PSL), thereby also adhering to the RBI's mandate. Your Bank is also proactively contributing towards the national objective of inclusive growth by ensuring access to financial products and services by the vulnerable sections of the society at affordable cost in a fair and transparent manner. Your Bank also leveraged its network of Business Correspondents (BCs)/ Business Facilitators (BFs) in an effort to increase penetration in rural and semi-urban areas and thereby, ensure greater financial inclusion as also provide an added impetus to its Priority Sector Lending (PSL) business. As financial literacy is a pre-requisite for effective financial inclusion, your Bank undertook a number of initiatives to improve financial literacy among the beneficiaries to enable them to make best use of the financial services offered to them.

Your Bank provides an entire gamut of Trade Finance (TF) products and services to its customers through its Category B Authorised Dealer TF centres and identified Retail TF branches. Your Bank also secured a mandate from the GoI in March 2019 to conduct oil and non-oil Indo-Iran trade settlements in Indian Rupees (INR) under the Bilateral Rupee Payment Mechanism.

Your Bank acts as an agent for Central Government and State Governments to manage their receipts and payments. Your Bank is authorised to collect Central Government Taxes and State Receipts in select States and Union Territories, offer Small Savings Schemes through its branches and disburse Central Civil, Defence and Railway Pensions. Your Bank has also enabled online collection of Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) and Employees' State Insurance Corporation (ESIC) dues.

Your Bank offers effective Cash Management Services (CMS) by extending a comprehensive range of collections and payment solutions. Your Bank has been empanelled as the sole sponsor bank for various GoI schemes such as Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-Dhan, Pradhan Mantri Kisan Maan-Dhan and Pradhan Mantri Laghu Vyapari Samman. Your Bank is also authorised to participate in e-freight payment system of Indian Railways and is collecting e-freight in select Zones. Your Bank is also authorised to facilitate utility bill payments through Bharat Bill Payment System (BBPS).

During the year, your Bank continued to invest in technological innovation and upgradation to augment its business while maintaining its focus on customer service and experience. Your Bank also laid special emphasis on upgrade and overhaul of many of its critical IT hardware systems and committed long term investments in the enrichment of its IT assets.

In order to promote data-driven sales, your Bank has set up a Centre of Excellence (COE) for Data Analytics with the objective of achieving improved customer wallet share by delivering the right products at the right time.

The detailed description of the Bank's initiatives undertaken during the year is outlined in the Management Discussion and Analysis section of the Annual Report.

Impact of Covid-19 pandemic on the Bank's business

The SARS-CoV-2 virus responsible for Covid-19 continues to spread across the globe, including India. This has resulted in a significant volatility and adversity in global and Indian markets and economic activity. Implementation and extensions of lockdown have resulted in disruptions of business and common life. With the situation still unfolding, it is difficult to predict time horizons and to gauge the eventual impact. The major identified challenges for the Bank's borrowers across various industry sectors are expected to arise from eroding cash flows and elongated working capital cycles. The Bank is gearing itself on all fronts to meet these challenges. Despite these events and conditions, the Bank's results in future are not expected to be significantly adverse nor have an impact on the going concern assumption.

The liquidity position, ability to service debt or any other commitments, capital or profitability of the Bank may not be significantly impacted. However, the Bank is constantly monitoring the status of above parameters and taking corrective actions.

Board of Directors

Your Bank's Board of Directors is broad-based and its constitution is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Companies Act, 2013, the Articles of Association of the Bank and the requirements of corporate governance, as envisaged in the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (LODR Regulations). The Board functions directly as well as through various board committees constituted to provide focussed governance in the important functional areas of the Bank. The Board of Directors includes 15 members with

the Chairman of LIC as Non-Executive Chairman of the Bank, MD & CEO and two DMDs, one Official Nominee Director of LIC, two Nominee Directors of GoI and eight Independent Directors including one Woman Independent Director.

As on March 31, 2020, the Board comprised fourteen Directors, viz., Shri M. R. Kumar, Non-Executive Chairman, Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, Shri Samuel Joseph Jebaraj and Shri Suresh Khatanhar, DMDs, as Whole Time Directors; Ms. Meera Swarup and Shri Sudhir Shyam, Government Nominee Directors and Shri Rajesh Kandwal, LIC Nominee Director, as Non-Executive Directors; Shri Gyan Prakash Joshi, Dr. Ashima Goyal, Shri Bhuwanchandra B. Joshi, Shri Samaresh Parida, Shri N. Jambunathan, Shri Deepak Singhal and Shri Sanjay Gokuldas Kallapur as Independent Directors. The present strength of 14 (fourteen) Directors on the Board meets the requirement provided under Article 114(a) of the Articles of Association.

Apex Committees

The Board has a total of fourteen committees to oversee various functional areas of your Bank's business and operations. The Board committees include Audit Committee of the Board, Executive Committee, Nomination and Remuneration Committee, Stakeholders' Relationship Committee, HR Steering Committee, Frauds Monitoring Committee, Recovery Review Committee, Risk Management Committee, Independent Directors' Committee, Corporate Social Responsibility Committee, Non-Cooperative Borrowers' Review Committee, Customer Service Committee, Wilful Defaulters' Review Committee and Information Technology Strategy Committee.

Corporate Governance

Your Bank is committed to adopt the best corporate governance practices. It believes that effective corporate governance is not just a requirement for regulatory compliance, but also a facilitator for excellence in governance including enhancement of stakeholders' value. The details of your Bank's corporate governance practices are given in this Annual Report as a separate section under Corporate Governance Report.

Business Responsibility Report

Securities and Exchange Board of India (SEBI), vide Gazette Notification dated December 26, 2019, amended the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. As per the amendment, the Annual Report of the top one thousand listed entities based on market capitalisation must include Business Responsibility Report (BRR). The BR Report should describe initiatives taken by the listed entity from an environmental, social and governance perspective. The Bank's Business Responsibility Report has been hosted on the website of the Bank (https://www.idbibank.in/business-responsibility-report.asp).

Statement under Section 134 of the Companies Act, 2013 read with Rule 5 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014

There were no personnel in your Bank's service, during the financial year under review, who received remuneration of over ₹ 1.02 crore annually. Besides, there were no personnel in the service of the Bank for a part of the year who received remuneration in excess of ₹ 8.50 lakh per month. Further, there were no personnel employed throughout the financial year or part thereof who was in receipt of remuneration at a rate, which in the aggregate, was in excess of that drawn by Managing Director & CEO or Deputy Managing Director of the Bank and who held by himself or along with his spouse and dependent children, not less than 2% of the equity shares of the Bank.

Statement under Rule 5(2) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014 for year ended March 31, 2020 – Details of Top Ten Employees

The statement indicating details of top ten employees of the Bank in terms of remuneration drawn during FY 2019-20 is as follows:

Sr. No.	Name	Designation	Annual Remuneration received (₹)	Nature of employment, whether contractual or otherwise	Qualifications and experience of the employee	Date of commencement of employment	The last employment held by such employee before joining the company	The age of such employee
1.	Shri Ashok Kumar Gautam	ED	6067840.67	Contractual	B.Sc and CAIIB (CAIIB - Certified Associate of the Indian Institute of Bankers) Experience in IDBI Bank – 11 months	June 24, 2019	Axis Bank	57 years, 5 months
2.	Shri Suresh Khatanhar	DMD	5406776.95	Formerly ED and currently DMD	M.Com (Commerce Post Graduate), I.C.W.A. (Cost Accountant), CAIIB (CAIIB - Certified Associate of the Indian Institute of Bankers), Certification Programme in IT and Cyber Security for Senior Management (Certification - Other) Experience in IDBI Bank – 22 years 11 months	January 15, 2020 (as DMD)	Dena Bank	56 years, 9 months

Sr. No.	Name	Desig-nation	Annual Remuneration received (₹)	Nature of employment, whether contractual or otherwise	Qualifications and experience of the employee	Date of commencement of employment	The last employment held by such employee before joining the company	The age of such employee
3.	Shri Shailendra Govind Nadkarni	ED	4571304.44	Confirmed Employee	B.E (Engineering Graduate), M.E (Engineering Post Graduate), Certification Programme in IT and Cyber Security for Senior Management (Certification - Other), CAIIB (CAIIB - Certified Associate of the Indian Institute of Bankers) Experience – 26 years 7 months	November 01, 1993	Bombay Port Trust	55 years, 5 months
4.	Shri Arun Kumar Aggarwal	CGM	4456558.46	Confirmed Employee	B.Sc (Science Graduate), M.B.A (Management Graduate), CAIIB (CAIIB - Certified Associate of the Indian Institute of Bankers), Dip. in COBOL (Diploma) Experience – 33 years 5 months	December 22, 1986	J.K Industries Ltd	58 years, 7 months
5.	Shri Subroto Gupta*	Advisor	4437579.75	Formerly ED and currently Advisor	B.Tech (Engineering Graduate), I.C.W.A. (Cost Accountant), Certification Programme in IT and Cyber Security (Certification - Other) Experience - 31 years 11 months	November 18, 2019 (As Advisor)	West Bengal Consultancy Organisation Ltd.	60 years, 8 months
6.	Shri Sunit Sarkar	CGM	4399904.36	Confirmed Employee	B.Tech (Engineering Graduate), Post Graduate Diploma in Business Management (Management Graduate), I.C.W.A (Cost Accountant), CAIIB (CAIIB - Certified Associate of the Indian Institute of Bankers) Experience - 26 years 9 months	September 01, 1993	ESAB(I) Ltd	53 years, 10 months
7.	Shri Mohammad Afzal Khan	CGM	4386950.01	Confirmed Employee	B.Sc (Science Graduate), Certification Programme in IT and Cyber Security (Certification - Other), Dip. in Computer Programming, System Analysis & Design (Diploma) Experience - 31 years 6 months	November 21, 1988	Right Business Systems Pvt. Ltd.	57 years, 9 months
8.	Shri Anil C. Raj	CGM	4378086.59	Confirmed Employee	B.Sc (Science Graduate), L.L.M (Law Post Graduate) Experience - 30 years 4 months	February 01, 1990	Practicing Advocate	57 years, 10 months
9.	Shri Sudhir Sharad Kulkarni	CGM	4346025.8	Confirmed Employee	B.E (Engineering Graduate), JAIIB (JAIIB - Junior Associate of the Indian Institute of Bankers) Experience - 29 years 8 months	September 26, 1990	Hindustan Fluoro Carbons Ltd.	55 years, 10 months
10.	Smt. Baljinder Kaur Mandal	CGM	4338429.97	Confirmed Employee	B.E (Engineering Graduates), P.G.D.M (PGD in Management), JAIIB (JAIIB - Junior Associate of the Indian Institute of Bankers) Experience - 32 years	June 01, 1988	IDBI Bank Ltd.	54 years, 8 months

** - Includes remuneration as ED up to September 30, 2019 and subsequently, as Advisor w.e.f. November 18, 2019.*

Conservation of Energy, Technology Absorption, Foreign Exchange Earnings and Outgo

a) Conservation of Energy

Your Bank has taken the following measures towards conservation of energy:

- Conventional light fixtures have been replaced with energy-efficient LED light fixtures/ lamps/ tubes to save power consumption at the Bank's Head Office in Mumbai as well as all other offices and residential buildings of the Bank.
- The new signages at the Bank's branches are being fitted with LED lights in place of conventional power consuming light fixtures.
- For all new or refurbished branches, LED lights are being used in place of conventional fluorescent/ PL lamps.
- Solar panels have been installed for common lighting/ pumps etc. in the Bank's new office building as well as residential buildings developed by NBCC (India) Ltd. at New Delhi and new residential

buildings developed by Central Public Works Department of India (CPWD) at the Jawaharlal Nehru Institute of Banking and Finance (JNIBF) Annexe in Hyderabad.

- Water harvesting facility has also been provided in new residential buildings constructed at the JNIBF Annexe in Hyderabad.

b) Technology Absorption

Your Bank has been proactively scrutinising and absorbing the latest technology-based innovations which have potential to empower its business functions, enrich its customer experience and optimise its readiness towards opportunities and challenges of the future. A few noteworthy technology-driven reforms adopted recently by your Bank include successful and smooth migration of Bank's Core Banking Solution from 7.x to 10.x, upgradation of its internet banking system from its current E-Banking (EB) version to latest system namely Finacle E-Banking Architecture (FEBA), implementation of Early Warning Signals (EWS) Solution, successful roll-out of Analytics and CRM Sales modules, build-up of Enterprise-wide Data Warehouse (EDW), successful roll-out of offsite module and online module with mobile application of Enterprise-wide Fraud Risk Management Solution (EFRMS). Under EDW project, your Bank has built various analytical/ predictive models for NPA prediction for various loan products, churn prediction for portfolio of Agri/ MSME, current/ saving account, cross-sell up-sell model, customer profiling and segmentation, etc. Your Bank successfully implemented Automated Data Flow (ADF) application and Centralised Information Management System (CIMS) for generation of returns and furnishing to RBI respectively through automated process. Your Bank's upgraded internet banking application has features like UPI-based payments, additional security features such as CAPTCHA, image, phrase while logging in for retail and corporate net banking, customisable widgets in dashboard, personalised dashboard for retail & corporate net banking, Bharat Bill Payment System (BBPS) integration etc. Your Bank's mobile banking application is also integrated with EFRMS for real-time adaptive authentication, i.e. analysis of abnormal changes in login, linking of other bank's accounts through UPI in mobile banking and also to schedule interbank fund transfer (NEFT) option.

Your Bank has already upgraded the capacity of its Security Operations Centre (SOC). Your Bank is also working towards further strengthening its security aspects, enhance its capacity under the private cloud architecture to adequately provide for future business growth, set-up and implement an Application Programming Interface (API) gateway to be used for micro-services, rolling of Virtual Desktop Interface (VDI), chatbot on the cloud, setup Artificial Intelligence (AI) and Machine Learning (ML) for emerging areas like Cognitive Chat Bots, implementation of next generation firewalls. While your Bank has already embarked upon implementation of various futuristic solutions like an Online Loan Review System for automation of the lending related processes, the Bank is also in the foray of implementing many security initiatives like Enterprise Data Loss Prevention (DLP) and data classification solution, Backup Solution for end-points and encryption, etc. Details of other initiatives taken in the Information Technology space have been provided in the Management Discussion and Analysis section of the Annual Report.

c) Foreign Exchange Earnings and Outgo

During the year, total foreign exchange earned by the Bank was ₹ 9,284.35 lakh (excluding foreign currency cash flows in derivatives and foreign currency exchange transactions) and total foreign exchange outgo was ₹ 15,147.09 lakh towards the operating and capital expenditure requirements.

RBI's Prompt Corrective Action (PCA)

The RBI, vide its letter dated May 05, 2017, initiated PCA for your Bank in view of its high net Non-Performing Assets (NPA) and negative Return on Assets (ROA). The Bank has been taking necessary actions to comply with the RBI's directive in this regard. The Bank has also put in place a comprehensive turnaround strategy to improve its financial position. Furthermore, in compliance with the RBI directive with regard to restriction in fresh corporate exposure, the Bank has reviewed its internal credit policy and has been working towards limiting its corporate exposure.

Directors' Responsibility Statement

The Board of Directors, hereby, declares and confirms that:

a. In the preparation of the annual accounts, the applicable accounting standards had been followed along with proper explanation relating to material departures;

b. The Directors had selected such accounting policies and applied them consistently and made judgements and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank at the end of the financial year and of the profit and loss of the Bank for that period;

c. The Directors had taken proper and sufficient care for the maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of this Act for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and other irregularities;

d. The Directors had prepared the annual accounts on a going concern basis;

e. The Directors had laid down internal financial controls to be followed by the Bank and that such internal financial controls are adequate and were operating effectively; and

f. The Directors had devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and that such systems were adequate and operating effectively.

Acknowledgements

Your Bank's Board of Directors is sincerely grateful to the Government of India, Reserve Bank of India (RBI), all other statutory/ regulatory authorities and Life Insurance Corporation of India (LIC) for their valuable co-operation and guidance. The Board also acknowledges, with gratitude, the co-operation and support received from various State Governments and other banks/ financial institutions. The Board thanks various multilateral institutions and international banks/ institutions for their support. The Board takes this opportunity to put on record its deep sense of gratitude to its loyal shareholders and customers for extending their support during the year, and looks forward to their continued association in the years ahead. The Board appreciates the sincere and devoted services rendered by its entire staff and highly values their commitment towards the Bank.

[Samuel Joseph Jebaraj]
Deputy Managing Director

[Rakesh Sharma]
Managing Director & CEO

Place: Mumbai
Date: May 30, 2020

प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण

कारोबारी परिवेश

कैलेंडर वर्ष (सीवाई) 2019 में वैश्विक आर्थिक कार्यकलाप सुस्त बने रहे. अन्य कारकों के अलावा विभिन्न कारकों जैसे लंबे समय तक बना रहा व्यापार तनाव, सुस्त कारोबरी आत्मविश्वास, कम निवेश, तंग वित्तीय स्थितियाँ, बढ़ी हुई नीतिगत अनिश्चितताएं, विकसित तथा उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में सुस्त मांग के चलते वैश्विक स्तर पर विकास की गति कमजोर रही.

यहाँ तक कि घरेलू मोर्चे पर भी वित्तीय वर्ष 2019-20 में आर्थिक वृद्धि की गति ने कमजोरी के संकेत दिए. राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमानों, 2019-20 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018-19 में हुई 6.1% वृद्धि की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत के वास्तविक सकल देशी उत्पाद (जीडीपी) में 4.2% की वृद्धि का अनुमान लगाया गया है. क्षेत्र-वार विश्लेषण दर्शाते हैं कि यह मंदी उद्योग और सेवाओं में मामूली वृद्धि के कारण हुई, जिसने कृषि क्षेत्र में हुई उच्चतर वृद्धि का प्रभाव क्षीण कर दिया.

आर्थिक कार्यकलापों में आयी यह मंदी घरेलू स्तर पर उपभोग और निवेश मांग, विशेष रूप से निजी क्षेत्र में आयी सुस्ती के कारण उत्पन्न हुई. राजकोषीय विवशताओं के कारण वर्ष के दौरान सरकारी व्यय भी सीमित रहा. आर्थिक कार्यकलापों की इस सुस्त गति पर कैलेंडर वर्ष 2020 के शुरुआती महीनों के दौरान वैश्विक स्तर पर फैली कोरोना वायरस कोविद-19 महामारी के प्रकोप से और भी प्रतिकूल असर पड़ा. भारत में मार्च 2020 में राष्ट्र-व्यापी लॉकडाउन घोषित किया गया. इस महामारी के प्रकोप के प्रभाव से निपटने के लिए भारत सरकार (जीओआई) और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने ₹ 20 लाख करोड़ के *'आत्मनिर्भर भारत अभियान'* जैसे व्यापक प्रोत्साहन पैकेज सहित कई राजकोषीय और मौद्रिक उपायों की घोषणा की है ताकि इस वैश्विक महामारी से हमारी देशी अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों को सीमित रखा जा सके, साथ ही अर्थव्यवस्था के सबसे ज्यादा प्रभावित हुए क्षेत्रों को पुनर्जीवित किया जा सके.

इसी क्रम में, अग्रणी अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों ने अनुमान लगाया है कि कोरोना वायरस महामारी के फैलाव को रोकने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन उपायों के कारण उत्पन्न हुए आर्थिक विघटनों के चलते वैश्विक वृद्धि दर में आगे और गिरावट आएगी. भारतीय अर्थव्यवस्था भी चूँकि वैश्विक रूप से एकीकृत है अतः यह संभव नहीं है कि वह इस विघटन से अपने को सुरक्षित रख सके. मार्च 2020 से इस महामारी के विस्तार का प्रभाव वित्तीय क्षेत्र में संपूर्ण रूप से और बैंकों पर विशेष रूप से पड़ने की आशंका है. बैंकिंग क्षेत्र में जमाराशियों और ऋण में वृद्धि सुस्त पड़ने के साथ-साथ न सिर्फ कोविद-19 प्रभावित उद्योगों से सम्बद्ध आस्ति गुणवत्ता कमजोर होगी, बल्कि लॉकडाउन के कारण अन्य क्षेत्रों पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा. तथापि, नीति निर्माताओं द्वारा शुरू किए गए सतत और व्यापक उपाय अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने की दिशा में निर्णायक साबित होंगे.

कारोबार समीक्षा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके बैंक ने वर्ष के दौरान पेश आईं गंभीर चुनौतियों के बावजूद अपने रणनीतिपरक उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में प्रगति करना जारी रखा. आपके बैंक ने अपने आपको रिटेल केंद्रित बैंक के रूप में स्थापित करते हुए रिटेल और प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र में अपने व्यवसाय को रणनीतिपरक रूप से बढ़ाना जारी रखा जबकि कॉरपोरेट एक्सपोजर को कम करने के प्रयास किए. इस रणनीति के अनुरूप अपनी रिटेल, कृषि और एमएसएमई (रैम) आस्ति बही का आकार बढ़ाने के लिए पहल कार्य किए जो कि अपने व्यापक स्वरूप से बैंक को और अधिक स्थिर एवं विशाखीकृत आस्ति संमिश्र हासिल करने में सहायक सिद्ध होंगे. इसी के साथ आपके बैंक ने कम लागत वाले जमा आधार अर्थात् कासा जमा राशियों और खुदरा मीयादी जमा राशियों को बढ़ाने और संस्थागत जमा पर निर्भरता को कम करने के लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया. इस रणनीति से आपके बैंक को वर्ष के दौरान अपनी जमाओं की लागत और साथ ही निधियों की लागत में क्रमिक रूप से कमी लाने में मदद मिली है. बैंक की कारोबार रणनीति का मूल बिन्दु जोखिम आकलित तथा व्यापक रूप से स्थिर परिचालन सुनिश्चित करने के लिए मार्ग प्रशस्त करना रहा है.

आपके बैंक की सर्वसमावेशी रणनीतिपरक संरचना को लगातार बदलते कारोबारी वातावरण में ग्राहकों के लिए मूल्य सृजित करने हेतु नई पेशकशों और साथ ही साथ मौजूदा पेशकशों की श्रृंखला में सुधार से सहयोग मिला है. ग्राहक आधार को बढ़ाने और उनसे अपने संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए आपका बैंक ग्राहक-केंद्रित दृष्टिकोण को बहुत मूल्यवान मानता है. इस लक्ष्य के लिए बैंक न केवल उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए लगातार प्रयास करता रहा है बल्कि ग्राहकों की आवश्यकताओं को समझने हेतु बेहतर अंतर्दृष्टि हासिल करने और लक्ष्यित बिक्री को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए प्रस्तावों को पेश करने हेतु इसने डेटा विश्लेषण एवं ग्राहक संबंध प्रबंध (सीआरएम) मॉड्यूल भी कार्यान्वित किया है.

आपके बैंक की रणनीतिपरक पहलों को जनवरी 2019 में भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा बैंक में बहुलांश शेयरधारिता अर्जित करने और इसका प्रवर्तक बनने से आगे और प्रोत्साहन मिला. इस शेयरधारिता अर्जन ने दोनों ही संस्थाओं के लिए आपसी तालमेल के जरिए व्यवसाय के नए अवसर खोल दिए हैं. तालमेल के इन क्षेत्रों की पहचान करने और इनसे लाभ उठाने के लिए संयुक्त कार्यबल का गठन किया गया है जिसमें आपके बैंक और एलआईसी दोनों के सदस्य शामिल हैं. कार्यदल द्वारा अभिनिर्धारित पहल कार्यों के कार्यान्वयन पर निगाह रखने के लिए कार्य समूह भी गठित किया गया है. इन तालमेलपरक पहल कार्यों का उद्देश्य आपके बैंक के ग्राहकों और एलआईसी परिवार को एक छत के नीचे सेवाएं उपलब्ध कराना है.

आपके बैंक की रणनीति की प्रभावोत्पादकता और सफलता बेहतर ग्राहक पहुँच और सुगमता सुनिश्चित करने पर भी निर्भर करती है. 31 मार्च 2020 को आपके बैंक ने 1892 शाखाओं के अपने नेटवर्क के जरिए अपने ग्राहकों को सेवाएं दी हैं जिसमें भारत में महानगरीय केंद्रों में 432 शाखाएं, शहरी केंद्रों में 464 शाखाएं, अर्ध-शहरी केंद्रों में 585 शाखाएं और ग्रामीण केंद्रों में 409 शाखाएं (255 वित्तीय समावेशन शाखाओं सहित), दुबई अंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्र (डीआइएफसी), दुबई में एक समुद्रपारीय शाखा और गुजरात अंतरराष्ट्रीय वित्त टेक-सिटी (जीआइएफटी), गांधीनगर में एक अंतरराष्ट्रीय बैंकिंग इकाई (आईबीयू) शामिल हैं. इस नेटवर्क में 3683 एटीएम और 58 ई-लाउंज भी शामिल हैं. बढ़ते डिजिटल युग में प्रासंगिक बने रहने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए बैंक वैकल्पिक चैनलों जैसे मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, फोन बैंकिंग आदि की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अपनी प्रौद्योगिकीय क्षमताओं का पूरा लाभ उठाता रहा है ताकि ग्राहक सुविधा में वृद्धि हो और वे 24 x 7 आधार पर अपने विभिन्न बैंकिंग लेनदेन कार्यों को संपन्न कर सकें.

अपने परिचालनों की स्थिरता को सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहलू के तौर पर आपके बैंक ने अपनी आस्ति गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए भविष्य में बेहतर आस्ति गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु समर्थकारी व्यवस्थाएं भी कार्यान्वित की हैं. एनपीए के समाधान और वसूली के लिए केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने हेतु आपके बैंक ने समर्पित टीम अर्थात् एनपीए प्रबंध समूह (एनएमजी) स्थापित किया. आपके बैंक ने कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के अंतर्गत मामलों को देखने के लिए और रिटेल खंड में वसूली पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भी समर्पित डेस्क स्थापित किए हैं. इसके अलावा आपके बैंक ने विशेष उल्लेखवाले खातों (एसएमए), संभावित अनर्जक खातों (एनपीए) और प्रारंभिक चेतावनी संकेत (ईडब्ल्यूएस) दर्शानेवाले नियमित खातों की पहचान करने के उद्देश्य से समर्पित ऋण निगरानी समूह का गठन किया है ताकि गहन अनुवर्तन और इन खातों की निगरानी सुनिश्चित करते हुए इन खातों को एनपीए में रूपांतरित होने से रोका जा सके.

इसी क्रम में आपका बैंक स्थिर और लाभकारी वृद्धि हासिल करने के लिए जोखिम आकलित व्यवसाय रणनीति अपनाना जारी रखेगा और ऐसा करते हुए अपने सभी हितधारकों के मूल्य में वृद्धि करेगा. अपने रणनीतिपरक प्रयासों को मजबूती प्रदान करते हुए बैंक अपनी क्षमताओं को बढ़ाने में निवेश करते हुए और साथ ही अपने जोखिम प्रबंध, कॉरपोरेट अभिशासन और विनियामक अनुपालन संरचना को सक्रियतापूर्वक और अधिक मजबूत बनाते हुए भविष्य के लिए पूरी तरह से तैयार बैंक के रूप में उभरने का प्रयास करेगा. इन रणनीतिपरक प्रयासों से बैंक को अपने को रिटेल बैंकिंग परिक्षेत्र में भरोसेमंद बैंक के तौर पर स्थापित करने में मदद मिलेगी.

रिटेल बैंकिंग

रिटेल देयता उत्पाद

आपके बैंक ने रिटेल तथा कॉरपोरेट क्षेत्र के अंतर्गत शामिल विभिन्न ग्राहक खंडों की उभरती बैंकिंग और वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए चालू खाता, बचत खाता और मीयादी जमा उत्पादों एवं सेवाओं की समूची श्रृंखला के लिए अनेक पहल कार्यों को जारी रखा.

आपके बैंक ने *'आईडीबीआई कुटुंब-फैमिली बैंकिंग'* संकल्पना शुरू की है जिसके अंतर्गत परिवार का प्राथमिक सदस्य परिवार के प्रत्येक सदस्य द्वारा अलग-अलग न्यूनतम शेष बनाए रखने की आवश्यकता के स्थान पर समूचे परिवार की ओर से शेष बनाए रख सकता है.

सेवा सुपुर्दगी को बेहतर बनाने और ग्राहकों द्वारा खाता खोलने से संबंधित लागतों को तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से आपके बैंक ने *'आई-क्विक'* नामक मोबाइल तथा वेब आधारित बचत बैंक खाता खोलने संबंधी इंटरफेस प्रारंभ किया है ताकि कार्रवाई में लगनेवाले न्यूनतम समय (टीएटी) के भीतर कागज-रहित खाता खोलने की प्रक्रिया संभव हो सके.

एलआईसी द्वारा बहुलांश शेयरधारिता अर्जित करने से उत्पन्न तालमेल का लाभ उठाने के लिए आपके बैंक ने एलआईसी की सभी बैंकिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए नवोन्मेष करना और उन्हें उत्पादों एवं सेवाओं की व्यापक श्रृंखला की पेशकश करना जारी रखा है.

बैंक ने भारतीय सेना को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अपने समझौता ज्ञापन (एमओयू) को भी नवीकृत किया है.

एनआरआई सेवाएं

आपके बैंक ने एनआरआई ग्राहकों की बैंकिंग और वित्तीय आवश्यकताओं के अनुरूप बैंकिंग उत्पादों और सेवाओं की वृहत श्रृंखला की पेशकश जारी रखी, जिसमें अन्य चीजों के अलावा बेसिक अनिवासी बाह्य (एनआरई) खाता, अनिवासी सामान्य (एनआरओ) खाता और विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर) जमाओं से लेकर एफसीएनआर जमाओं पर वायदा कवर, भारतीय सेकेंडरी शेयर बाजारों में निवेश के लिए पोर्टफोलियो निवेश योजना (पीआईएस), एनआरआई जमाओं पर ओवरड्राफ्ट सुविधाएं, आवास ऋण, संपत्ति पर ऋण जैसी मूल्यवर्धित सेवाएं शामिल हैं.

आपके बैंक ने *'एनआरआई इंस्टा-ऑनलाइन'* खाता खोलने की प्रक्रिया भी शुरू की है ताकि एनआरआई किसी शाखा में जाने की आवश्यकता के बिना बैंक में अपना खाता खोल सकें. *'प्रथम बारीय'* एनआरआई जिनके पास खाता खोलने के लिए अपेक्षित राशि को अंतरित करने के लिए मौजूदा एनआरई खाता नहीं होता है, उनकी मदद के लिए आपका बैंक इन एनआरआई को प्रारंभिक भुगतान की अनिवार्यता के बगैर नया एनआरई खाता खोलने की अनुमति देता है.

आपके बैंक ने अपने तिमाही न्यूजलेटर *'एनआरआई संपर्क'* और चुनिंदा केंद्रों में एनआरआई सम्मेलनों के जरिए एनआरआई ग्राहकों के साथ संपर्क जारी रखा है. आवधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के अलावा आपका बैंक *'एनरिच'* नामक पाक्षिक ज्ञान श्रृंखला भी परिचालित करता है ताकि इसके कर्मचारी इस उभरते खंड की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम हो सकें.

आपका बैंक अपनी शाखाओं में मौजूदा / भावी एनआरआई ग्राहकों को आमंत्रित कर 'एनआरआई दिवस' अथवा *'प्रवासी भारतीय दिवस'* भी मनाता है. ऐसे आयोजन शाखाओं को एनआरआई ग्राहकों से मेलजोल बढ़ाने और साथ ही, बैंक द्वारा की जा रही उत्पादों और सेवाओं की श्रृंखला की पेशकश को उनके सामने प्रस्तुत करने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं.

रिटेल आस्तियां

आपके बैंक ने अपने आपको सम्पूर्ण सेवाएं देने वाले नई पीढ़ी के वाणिज्यिक बैंक के रूप में स्थापित करने के ध्येय को ध्यान में रखते हुए क्रमिक रूप से बड़े रिटेल व्यवसाय पोर्टफोलियो पर लक्ष्य केंद्रित रखना जारी रखा है ताकि और अधिक संतुलित व्यवसाय संमिश्र हासिल किया जा सके. इसी लक्ष्य के अनुसरण में आपका बैंक इस समय रिटेल आस्ति उत्पादों की श्रृंखला पेश करता है जिनका मुख्य उद्देश्य रिटेल बैंकिंग खंड में ग्राहकों की खास जरूरतों को पूरा करना है. आपके बैंक द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे रिटेल आस्ति उत्पादों में अन्य उत्पादों के अलावा आवास ऋण, संपत्ति पर ऋण, वैयक्तिक ऋण, शिक्षा ऋण, वाहन ऋण शामिल हैं. आपका बैंक अपनी सभी उत्पाद पेशकशों की आवधिक रूप से समीक्षा करता है ताकि वह बैंकिंग उद्योग में प्रासंगिक बना रहे. उभरते कारोबारी परिवेश और ग्राहकों की पसंद को ध्यान में रखते हुए आपका बैंक मौजूद उत्पादों में आशोधन/नवोन्मेष/अनुकूलीकरण भी करता है और साथ ही साथ नियमित रूप से नए उत्पाद भी शुरू करता है. वर्तमान में बैंक के कुल अग्रिम पोर्टफोलियो में संरचित रिटेल आस्ति (एसआरए) ऋण पोर्टफोलियो का योगदान लगभग 34.44% है.

वर्ष के दौरान आपका बैंक अपने सर्वोत्तम उत्पाद प्रस्तावों और सेवाओं के साथ संरचित रिटेल वित्त खंड में अग्रणी खिलाड़ियों में से एक के रूप में उभरकर सामने आया है. वित्तीय वर्ष के दौरान बने रहे चुनौतीपूर्ण आर्थिक वातावरण और कोविद-19 महामारी के फैलाव को रोकने के लिए मार्च 2020 के अत्यंत महत्वपूर्ण महीने में लगाए गए राष्ट्रीय लॉकडाउन से इसके और अधिक गंभीर स्थिति में पहुँच जाने के बावजूद आपके बैंक ने वर्ष-दर-वर्ष आधार पर 9% की बही वृद्धि दर्ज की.

बढ़ती बाजार चुनौतियों का सामना करने के लिए और अपने ग्राहकों की उभरती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आपके बैंक ने संरचित आस्ति उत्पादों के अंतर्गत कई पहल कार्य किए हैं जिनमें से कुछ निम्नानुसार हैं.

- आपका बैंक स्वचालित ऋण प्रोसेसिंग प्रणाली (एएलपीएस) पर एसआरए ऋणों को प्रोसेस करता है जो प्रभावी कार्रवाई समय-सीमा सुनिश्चित करती है और उधारकर्ताओं को उनके ऋण आवेदनों की प्रगति के बारे में समयोचित अलर्ट उपलब्ध कराती है.
- आपके बैंक के ग्राहक अब भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म *'पीएसबी लोन्स इन 59 मिनट्स'* के जरिए आवास ऋण, ऑटो ऋण और वैयक्तिक ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं.
- रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुरूप आपके बैंक ने 1 अक्टूबर 2019 से बाह्य बेंचमार्क के रूप में *'रिज़र्व बैंक रेपो रेट'* को अपना लिया है. एसआरए परिवर्तनीय दर ऋणों के लिए मूल्य निर्धारण इस बेंचमार्क दर से सम्बद्ध है ताकि मौद्रिक नीति दरों का लाभ त्वरित रूप से उधारकर्ताओं को पहुँचाना सुनिश्चित किया जा सके.
- प्रधान मंत्री आवास योजना - क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (पीएमएवाई-सीएलएसएस) के जरिए किफायती आवास को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार की *'सबके लिए आवास'* पहल के अनुरूप आपके बैंक ने वर्ष के दौरान लगभग 13,000 आवास ऋण उधारकर्ताओं को पीएमएवाई-सीएलएसएस सब्सिडी का लाभ प्रदान किया है.
- गुणवत्तापरक ऋण पोर्टफोलियो बनाने के लिए आपके बैंक ने हाल ही में समुन्नत और परिशुद्ध की गई *'सिबिल क्रेडिट विज़न'* नामक क्रेडिट स्कोर रिपोर्ट व्यवस्था अपनाई है और साथ ही आवास ऋण उत्पादों के अंतर्गत क्रेडिट स्कोर आधारित मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू की है.
- आपके बैंक ने रिज़र्व बैंक के कोविद-19 राहत उपायों के प्रत्युत्तर में केवल उन ग्राहकों को छोड़कर जिन्होंने ऋण स्थगन राहत के विकल्प को न अपनाने के लिए विशिष्ट रूप से अनुरोध किया है, सभी पात्र एसआरए ग्राहकों को ईएमआई ऋण स्थगन सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय किया है.

क्रेडिट कार्ड

आपका बैंक अलग-अलग नेटवर्क योजनाओं के अंतर्गत पाँच तरह के क्रेडिट कार्ड उपलब्ध कराता है- (क.) रुपे योजना- विनिंग सिलेक्ट; (ख.) वीजा योजना - रॉयल सिग्नेचर, अस्पायर प्लेटिनम एवं इम्पीरियम प्लेटिनम; और (ग.) मास्टरकार्ड योजना- यूफोरिया वर्ल्ड. कार्ड के प्रकार ग्राहकों की प्रोफाइल और जरूरतों के आधार पर विभिन्न ग्राहक खंडों को लक्ष्यित किए जाते हैं.

वर्ष के दौरान आपके बैंक ने बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेजीकरण के लगभग 1.13 लाख संभावित ग्राहकों को पूर्व मंजूर ऋण सीमा के साथ पूर्व अनुमोदित कार्ड उपलब्ध कराने के लिए अभिनिर्धारित किया है. अपनी तरह की पहली मार्केटिंग पहल के तौर पर आपके बैंक ने अलग-अलग ग्राहकों से संवाद करने के लिए फेसबुक, गूगल, लिंक्डइन आदि जैसे सोशल मीडिया सहित ऑनलाइन चैनलों के जरिए लक्ष्यित डिजिटल मार्केटिंग अभियान चलाए हैं.

आपके बैंक ने आईडीबीआई बैंक क्रेडिट कार्डों के प्रयोग को बढ़ावा देने और ग्राहक के मन में उत्पाद की विशिष्ट छवि अंकित करने के लिए ब्रांड प्रॉपर्टी अर्थात् *'फेस्टिव डिलाइट'* सृजित की है. वर्ष के दौरान आपके बैंक ने अपने ग्राहकों को अतिरिक्त डिलाइट पॉइंट प्रदान करने के लिए तीन अभियान भी चलाए. इन अभियानों से बैंक को अपने उत्पाद के ब्रांड मूल्य को बढ़ाने और ऐसा करते हुए अपने ग्राहकों के लिए बैंक के कार्ड को पसंदीदा कार्ड बनाने में सहायता मिली है.

आपके बैंक ने यात्रा.कॉम के सहयोग से फरवरी 2020 महीने में लागत सहभागिता आधार पर सात दिनों के लिए अपनी तरह का सर्वप्रथम यात्रा ऑफर शुरू किया. इस यात्रा ऑफर को बैंक और यात्रा.कॉम दोनों के द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्मों के जरिए व्यापक रूप से प्रचारित किया गया. आपके बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को मर्चेंट छूटों और प्रस्तावों के रूप में अतिरिक्त ग्राहक मूल्य की भी पेशकश की.

डिजिटल बैंकिंग

आपके बैंक ने बैंकिंग जगत में हो रहे प्रौद्योगिकीय विकास के साथ तालमेल बनाए रखने के प्रयास किए हैं. आपके बैंक के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बाधारहित, सुविधाजनक, निरापद और सुरक्षित, किसी भी समय, किसी भी जगह से बैंकिंग अनुभव के लिए अत्याधुनिक विशेषताओं के साथ सुदृढ़ और पुनर्गठित किया गया है.

आपका बैंक भारत सरकार के *'डिजि धन मिशन'* जिसका लक्ष्य समाज के सभी वर्गों द्वारा डिजिटल भुगतानों के अधिक से अधिक प्रयोग को बढ़ावा देना है, के अनुरूप विभिन्न डिजिटल बैंकिंग उत्पादों यथा- डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, बिक्री केंद्र (पीओएस), डिजिटल पीओएस, इंटरनेट भुगतान गेटवे को बढ़ावा देने और उनके वितरण में वृद्धि करने के लिए प्रतिबद्ध है. आपके बैंक ने प्रत्येक रिटेल शाखा में एक अधिकारी को सभी डिजिटल उत्पाद संबंधी मुद्दों के लिए एकल संपर्क बिन्दु के रूप में कार्य करने के लिए *'डिजिटल गुरु'* के रूप में नामित किया है.

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके बैंक ने अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल कीं. आपके बैंक ने वार्षिकीकृत आधार पर अपने डिजिटल लेनदेनों में 41% की और मोबाइल बैंकिंग प्रयोक्ताओं की संख्या में 74% की वृद्धि दर्ज की. वर्ष 2019-20 के दौरान ग्राहक-प्रेरित कुल वित्तीय लेनदेनों के सापेक्ष ग्राहक-प्रेरित डिजिटल कुल वित्तीय लेनदेनों (एटीएम लेनदेनों सहित) का हिस्सा 87% रहा. आपके बैंक को इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार डिजिटल बैंकिंग में की गई प्रगति के लिए यथा 29 फरवरी 2020 को 51 बैंकों/वित्तीय संस्थाओं में 13 वाँ स्थान दिया गया है.

आपके बैंक ने अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप *'गो मोबाइल+'* में उसकी मौजूदा विशेषताओं जैसे कार्ड-रहित नकदी आहरण, डेबिट कार्ड कंट्रोल, हरित पिन सृजन, मीयादी जमा बुक करना, आदि के साथ अन्य बैंक खातों को जोड़ने हेतु यूपीआई सक्रियता, चैटबॉट इंटरफेस के प्रयोग से एम-कॉमर्स, जैसी नई विशेषताओं को जोड़कर उसे अद्यतित किया है.

आपके बैंक ने अपनी इंटरनेट बैंकिंग को भी उन्नत वर्जन के रूप में फिर से तैयार किया है और उसमें अन्य कई चीजों के अलावा अनेक विशेषताएं जैसे, रिटेल प्रयोक्ताओं के लिए ऑनलाइन पंजीकरण, कैपचा के कार्यान्वयन, लॉगिन करते समय वाक्यांश पुष्टि, वित्तीय एवं गैर-वित्तीय लेनदेनों के लिए ओटीपी जैसी उन्नत सुरक्षा विशेषताएं, वैयक्तिक डैशबोर्ड शामिल की गई हैं.

आपके बैंक ने डेबिट/प्रीपेड/क्रेडिट कार्ड नियंत्रण की सुविधा के साथ अभय ऐप का नया वर्जन जारी किया है. आपका बैंक हरित पिन सृजन सुविधा भी उपलब्ध कराता है जो कि कागजरहित पिन सृजन समाधान है जो बैंक के डेबिट

कार्ड धारकों को एटीएम, इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स (आईवीआर), इंटरनेट/ मोबाइल चैनल, एसएमएस और मिस्ड कॉल सुविधा के जरिए इलेक्ट्रॉनिक रूप में सुरक्षित तरीके से डेबिट कार्ड पिन सृजित करने के लिए सक्षम बनाता है.

सभी डेबिट कार्डों, वर्ल्ड करेंसी कार्डों, कैश तथा गिफ्ट कार्डों को *'पेवेव'* (टैप-एन-गो) लेनदेन सुविधा के साथ ईएमवी चिप समर्थित कार्डों के रूप में उन्नत किया गया है.

आपके बैंक ने पॉलिसी प्रीमियम की वसूली के लिए एलआईसी के साथ गठजोड़ किया है जिसके लिए बैंक ने अखिल भारत आधार पर एलआईसी शाखाओं और एलआईसी प्रीमियम वसूली केंद्रों में 130 से अधिक पीओएस टर्मिनल लगाए हैं ताकि डेबिट/क्रेडिट कार्डों के जरिए प्रीमियम भुगतान स्वीकार करने में सहूलियत हो.

आपके बैंक ने एटीएम के सक्रिय रहने की अवधि और उपलब्धता में सुधार लाने के लिए कई रणनीतिपरक पहलें की हैं. इसके साथ ही, आपके बैंक ने एटीएम में ईएमवी चिपवाले कार्ड को स्वीकार करने, स्कीमिंग रोधी उपकरण, टर्मिनल सुरक्षा समाधान (टीएसएस) आदि जैसे उन्नत सुरक्षा उपाय कार्यान्वित किए हैं.

अन्य पक्ष उत्पाद तथा पूंजी बाजार उत्पाद

आपका बैंक अपने ग्राहकों के जोखिम प्रोफाइल तथा वित्तीय लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए उन्हें मूल्य-योजित उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान करता है. वर्ष के दौरान आपके बैंक ने शुल्क आधारित आय बढ़ाने और स्वस्थ बिक्री संस्कृति के संवर्धन पर विशेष जोर देने के लिए विभिन्न अभियान चलाए. आपके बैंक ने भारत सरकार के बॉण्ड, भारतीय ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी)/ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) बॉण्ड सॉवरिन गोल्ड बॉण्ड (एसजीबी) योजना और न्यू पेंशन स्कीम को प्रोत्साहित करने और इससे जुड़ी सेवाएं प्रदान प्रदान करने के लिए कार्य किया.

आपके बैंक ने अपनी शाखाओं के जरिए एलआईसी के जीवन बीमा उत्पादों की क्रॉस-सेलिंग के लिए एलआईसी के अतिरिक्त बैंकाश्यूरेंस साझेदार के रूप में 27 फरवरी 2019 को एलआईसी के साथ कॉरपोरेट एजेंसी करार किया. वर्ष के दौरान आपके बैंक ने अपने ग्राहकों को 67,500 से अधिक एलआईसी पॉलिसियों की क्रॉस-सेलिंग की. आपका बैंक अपने ग्राहकों के सभी वर्गों को एलआईसी उत्पाद उपलब्ध करा रहा है.

वर्ष के दौरान आपके बैंक ने दो साधारण बीमा कंपनियों अर्थात् टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी प्रा. लि. और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तथा एकल स्वास्थ्य बीमा कंपनी अर्थात् मैक्स बूपा हेल्थ इंश्योरेंस लि. के साथ गठजोड़ किया है. इसके साथ आपका बैंक अपने ग्राहकों को मोटर बीमा, ऋण बीमा, समूह बीमा, स्वास्थ्य बीमा, आदि जैसे उत्पादों की श्रृंखला उपलब्ध कराने में सक्षम हो गया है. आपके बैंक ने अपनी शाखाओं के माध्यम से अपने ग्राहकों को निर्बाध म्युचुअल फंड निवेश विकल्प उपलब्ध कराने के लिए ऑनलाइन म्युचुअल फंड निवेश पोर्टल अर्थात् आईडीबीआई इनवेस्ट भी प्रारंभ किया है. आपके बैंक ने अपनी चुनिंदा शाखाओं में आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड के साथ मिलकर पोर्टफोलियो प्रबंधन सेवाएं भी प्रारंभ की हैं.

एलआईसी के साथ तालमेल

जनवरी 2019 में एलआईसी द्वारा बैंक में बहुलांश हिस्सेदारी अर्जित किए जाने के साथ-साथ आपका बैंक एलआईसी के साथ तालमेल का लाभ उठाने के लिए सक्रियतापूर्वक कई पहल कार्य करता रहा है. आपके बैंक ने विशिष्ट कार्रवाई योग्य बिंदुओं की पहचान की है और अपने चालू खाता तथा बचत खाता आधार तथा अपने आस्ति पोर्टफोलियो को बढ़ाने के संदर्भ में व्यवसाय संभावनाओं का लाभ उठाने के लिए नए सर्वोत्कृष्ट उत्पाद और सेवाएं डिजाइन की हैं. आपका बैंक बैंकाश्यूरेंस चैनल के अंतर्गत एलआईसी के कॉरपोरेट एजेंट के रूप में व्यवसाय प्राप्त करने के लिए अपने वितरण चैनल/ संपर्क केंद्रों का भी उपयोग कर रहा है. आपका बैंक और एलआईसी इन अल्पकालिक तालमेलों से पारस्परिक रूप से लाभान्वित हुए हैं.

आपके बैंक ने संस्थागत ग्राहक के रूप में एलआईसी की भुगतान और वसूली संबंधी आवश्यकताओं को सुविधाजनक बनाने के लिए उत्पादों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला डिजाइन कर प्रारंभ की है. इसने एलआईसी व्यवसाय की बदौलत बैंक की चालू खाता बही को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. वर्तमान में एलआईसी के पास 28 करोड़ से अधिक पॉलिसीधारक हैं, जिनसे बैंक आगे और अधिक लाभ उठा सकता है. रिटेल खंड में ग्राहकों तक पहुंच और पैठ बढ़ाने के उद्देश्य से आपके बैंक ने एलआईसी के स्टाफ और इसकी सहायक संस्थाओं, एजेंटों तथा पॉलिसीधारकों की बैंकिंग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यक्तिगत बैंकिंग उत्पादों को डिजाइन और आरंभ किया है.

आपके बैंक ने अपनी सभी शाखाओं और डिजिटल चैनलों में विविध माध्यमों के जरिए एलआईसी पॉलिसीधारकों को नवीकरण प्रीमियम वसूली सेवाएं प्रदान करने के लिए *'एलआईसी प्रीमियम पे'* सुविधा भी शुरू की है. वर्ष के दौरान आपके बैंक ने सभी खंडों के अंतर्गत व्यवसाय बढ़ाने के लिए एलआईसी व्यवसाय विशिष्ट लक्ष्य-उन्मुख अभियान शुरू किए हैं.

वित्तीय समावेशन

आपका बैंक समाज के कमजोर वर्गों के लोगों को किफायती लागत पर निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से वित्तीय उत्पादों और सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों को पूरा करने की दिशा में नीति-निर्माताओं के साथ भागीदारी करने में तत्पर रहा है. वित्तीय समावेशन योजना (एफआईपी) शीर्ष स्तर पर प्रतिबद्धता के साथ वित्तीय समावेशन के लिए संरचित और योजनाबद्ध नजरिया प्रदान करती है. आपका बैंक प्रमुख क्षेत्रों में यथा - उपयुक्त वित्तीय उत्पाद उपलब्ध करना, प्रौद्योगिकी का व्यापक उपयोग करना तथा वित्तीय साक्षरता को बढ़ाना, में मध्यवर्ती की भूमिका निभाते हुए वित्तीय समावेशन के अजेंडे को सक्रियतापूर्वक बढ़ावा देता रहा है.

प्रधान मंत्री जन धन योजना तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाएं

आपके बैंक ने भारत सरकार के वित्तीय समावेशन कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) और भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं अर्थात् दुर्घटना बीमा सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), जीवन बीमा सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) तथा वृद्धावस्था में पेंशन के लिए अटल पेंशन योजना (एपीवाई) में सक्रिय रूप से भागीदारी की है.

कारोबार प्रतिनिधि (बीसी)/ कारोबार सुलभकर्ता (बीएफ)

आपके बैंक ने ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अपनी पहुँच बढ़ाने के प्रयासों में बेहतर वित्तीय समावेशन कारोबार प्रतिनिधियों (बीसी)/ कारोबार सुलभकर्ताओं (बीएफ) के अपने नेटवर्क का लाभ उठाया है और इससे बेहतर वित्तीय समावेशन सुनिश्चित हुआ है और साथ ही बैंक के प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएफ) व्यवसाय को भी अतिरिक्त प्रोत्साहन मिला है. बीसी (जिन्हें बैंक मित्र भी कहा जाता है) के माध्यम से भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए उन्हें हैंड-हेल्ड डिवाइस उपलब्ध कराए गए हैं जिनमें रुपे कार्ड स्वीकार करने तथा आधार-आधारित लेनदेन करने की सुविधाएं उपलब्ध करायी गई हैं. इसके साथ ही, कारोबार प्रतिनिधियों/ कारोबार सुलभकर्ताओं के कौशल को बढ़ाने

और इस प्रकार से उन्हें आत्मविश्वासी, आत्मनिर्भर और अर्थक्षम बनने के लिए तैयार करने हेतु आपके बैंक ने देश भर में विभिन्न स्थानों पर सभी बीसी/ बीएफ के लिए गहन प्रशिक्षण सत्रों/ कार्यशालाओं का आयोजन किया है. इसके अलावा, आपके बैंक ने कारोबार प्रतिनिधियों/ कारोबार सुलभकर्ताओं को बैंकिंग लेनदेन करने हेतु प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्मों पर कार्य करने के लिए उनके तकनीकी कौशल को विकसित करने के लिए काम के दौरान प्रशिक्षण भी प्रदान किया.

वित्तीय साक्षरता

वित्तीय साक्षरता को प्रभावी वित्तीय समावेशन के लिए और साथ ही पीएमजेडीवाई के अभिन्न अंग के रूप में भी, पूर्व-आवश्यकता के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है, क्योंकि यह लाभार्थियों को उन्हें उपलब्ध करायी जा रही वित्तीय सेवाओं का सर्वोत्तम उपयोग करने में सक्षम बनाती है. आपके बैंक ने अपनी ग्रामीण शाखाओं में *'वित्तीय साक्षरता जानकारी केंद्र'* नामक डेस्क स्थापित किए हैं जिन्हें शाखा से बाहर आयोजित साक्षरता कैम्पों के ज़रिए आयोजन के विभिन्न बैंकिंग उत्पादों तथा भारत सरकार की सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में आम लोगों के बीच जागरूकता फैलाने की जिम्मेदारी दी गई है. आपके बैंक ने दूरदराज़ के क्षेत्रों में ग्रामीण आबादी के बीच विभिन्न बैंकिंग सेवाओं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए नुक्कड़ नाटक भी आयोजित किए हैं. आपके बैंक का महाराष्ट्र के सातारा जिले में स्थित आईडीबीआई ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आईडीबीआई-आरएसईटीआई) भी ग्रामीण बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रम अर्थात् डेयरी फार्मिंग और जैविक खाद बनाना, पापड़, अचार एवं मसाला पाउडर बनाना, पेपर कवर, लिफाफे एवं फाइल बनाना, मोमबत्ती बनाना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लाभार्थियों के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी), ब्यूटी पार्लर प्रबंधन आदि के लिए निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण आयोजित करता है ताकि वे स्व-रोजगार हेतु सक्षम हो सकें.

अन्य पहल कार्य

आपका बैंक भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के साथ आधार नामांकन के लिए पंजीयक के रूप में पंजीकृत है. आपके बैंक ने केंद्रीय/राज्य सरकारों की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना में सक्रियता से सहभागिता की है. इसके अलावा आपका बैंक अपने बीसी चैनल के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वितरण भी कर रहा है.

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र बैंकिंग

आपका बैंक आरबीआई के अधिदेश के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (पीएसएल) को उधार देने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है. विनियामकीय अपेक्षाओं के अनुसार बैंक ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सूक्ष्म उद्यमियों, प्रत्यक्ष कृषि गैर-कॉरपोरेट (डीएएनसी) तथा लघु व सीमांत कृषकों (एसएफएमएफ) के वित्तपोषण पर विशेष रूप से ध्यान दिया. बैंक ने कॉरपोरेट कारोबार प्रतिनिधि (बीसी)/ कारोबार सुलभकर्ता (बीएफ) चैनल के माध्यम से अपनी पहुँच को बढ़ाने के प्रयास जारी रखे हैं और अब तक लगभग 39 कॉरपोरेट कारोबार प्रतिनिधि (बीसी)/ कारोबार सुलभकर्ता (बीएफ) के साथ गठजोड़ किया है.

उपर्युक्त पहल कार्य तथा प्रतिभूतीकरण लेनदेन करते हुए बैंक ने वर्ष 2019-20 के दौरान औसत आधार पर उप-क्षेत्रों सहित पीएसएल के लिए अपने सभी विनियामकीय लक्ष्यों को हासिल किया है.

भारत सरकार की योजनाओं/ निर्देशों के अनुसार आपका बैंक अनुसूचित जाति (अजा) अनुसूचित जनजाति (अजजा) सहित अल्पसंख्यक समुदायों एवं कमजोर वर्गों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), स्टैंड-अप इंडिया, आदि के तहत ऋण प्रदान करता रहा है.

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए मुख्य पहल कार्य

वर्ष 2019-20 के दौरान पीएसएल को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित प्रमुख पहल की गई हैं :

- शाखा चैनल के माध्यम से कारोबार को बढ़ाने के लिए आवधिक रूप से उत्पाद विशेष अभियान अर्थात् सूक्ष्म, लघु, एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) एक्सप्रेस, गोल्ड लोन थंडर, किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के लिए संतृप्ति अभियान, किसान संपन्न, एमएसएमई बिग बैंग, वेयर हाउस रिसीट (डब्ल्यूएचआर) स्प्रिंट 100, एमएसएमई स्पलेंडिड स्प्रिंग, ग्लिटरिंग गोल्ड आदि आरंभ किए गए.
- आपके बैंक ने सभी तीनों एक्सचेंजों अर्थात् आरएक्सआईएल (रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.), मायंड ऑनलाइन नेशनल एक्सचेंज (एम1 एक्सचेंज) और ए. ट्रेड्स लि. (इन्वॉइसमार्ट) के द्वारा परिचालित टीआरईडीएस प्लेटफॉर्मों के माध्यम से बिलों की भुनाई प्रारंभ की है.
- आपके बैंक ने जीएसटी पंजीकृत एमएसएमई उधारकर्ताओं के लिए ₹ 5 करोड़ तक कार्यशील पूंजी प्रदान करने के लिए नया उत्पाद अर्थात् *59 मिनट में आईडीबीआई एक्सप्रेस लोन* आरंभ किया.
- आपके बैंक ने विनिर्माण, व्यापारिक और सेवा क्षेत्र में आय सृजित करने वाले क्रियाकलापों को शुरूकरने के लिए असम के युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु असम सरकार के अग्रणी कार्यक्रम स्वामी विवेकानंद असम युवा सशक्तिकरण योजना में सहभागिता की.
- आपके बैंक ने एमएसएमई ऋण प्रदान करने की कार्रवाई में लगने वाले समय में तेजी लाने के लिए मौजूदा आवेदन फॉर्मों और मूल्यांकन फॉर्मेटों को सरल बनाया है.
- रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक ने सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए बाह्य बैंचमार्क दर अर्थात् रेपो संबद्ध ब्याज दर की सुविधा प्रदान की है.
- बैंक ने 27 जून 2019 को *'अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस'* मनाया जिसमें विशेषीकृत शाखाओं ने विभिन्न वर्गों के उधारकर्ताओं को आमंत्रित कर ग्राहक सम्मेलन आयोजित किए. उधारकर्ताओं ने बैंक द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सेवाओं और सुविधाओं के संबंध में अपने अनुभव साझा किए.
- बैंक ने 1 जुलाई 2019 को महान चिकित्सक डॉ. बिधान चंद्र रॉय के सम्मान में तथा समाज के लिए मूल्यवान सेवाएं दे रहे चिकित्सकों की स्मृति में *'चिकित्सक दिवस'* मनाया. आपके बैंक के अंचल कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखाओं ने डॉक्टर सम्मेलन आयोजित किए और बैंक के उत्पादों और सेवाओं के बारे में प्रतिभागियों को अवगत कराया.
- आपके बैंक ने संपूर्ण भारत में 57 क्षेत्रों के 157 स्थानों पर 23 दिसंबर 2019 को किसान गौरव मेलों (केजीएम) का आयोजन कर किसान दिवस (कृषक दिवस) मनाया.
- ग्राहक लोक संपर्क पहल के भाग के रूप में बैंक ने 3 अक्तूबर 2019 से 7 अक्तूबर 2019 तक और 21 अक्तूबर 2019 से 25 अक्तूबर 2019 तक की अवधि के दौरान अभिनिर्धारित जिलों में ग्राहक मेले आयोजित किए.

कॉरपोरेट बैंकिंग

आपके बैंक के कॉरपोरेट बैंकिंग पोर्टफोलियो में बिजली, तेल एवं गैस, वस्त्र, दूरसंचार, सीमेंट, इस्पात, इंजीनियरिंग, निर्माण, कागज और कागज उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं बिजली उपकरण, चीनी, रसायन, ऑटोमोबाइल, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों के एक्सपोजर शामिल हैं.

कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए आपके बैंक के आस्ति उत्पाद समूह में मीयादी ऋण, अल्पावधि ऋण, कार्यशील पूंजी (निधि-आधारित एवं गैर निधि-आधारित दोनों), निर्यातकों को पैकिंग ऋण, प्राप्य राशियों की खरीद, बिल भुनाई, आदि शामिल हैं. कॉरपोरेट बैंकिंग के अंतर्गत आपका बैंक कॉरपोरेट के डीलरों/ वेंडरों आदि के लिए चैनल वित्तपोषण एवं वेंडर वित्तपोषण जैसे उत्पादों को उपलब्ध कराते हुए प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) पर भी पर्याप्त जोर देता है. आपके बैंक की कॉरपोरेट बैंकिंग टीम उपयुक्त उत्पाद तैयार करने तथा उपयुक्त समाधान तैयार करने के लिए रिटेल बैंकिंग, संव्यवहार बैंकिंग, ट्रेजरी आदि जैसी अन्य विशेषीकृत टीमों के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ कर कार्य करती है ताकि कॉरपोरेट ग्राहकों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके.

अपनी रूपांतरण योजना के अनुरूप आपका बैंक सोच-विचार कर अपनी कॉरपोरेट ऋण बही में वृद्धि को सीमित कर रहा है जिससे इसे कम पूंजी वाले कारोबार मॉडल में परिवर्तित होने में मदद मिलेगी तथा साथ ही, इसके कारोबार पोर्टफोलियो में जोखिम कम हो सकेगा.

आस्ति गुणवत्ता

आपके बैंक ने नई अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की रोकथाम पर और मौजूदा ह्रासित आस्तियों से अधिकतम वसूली पर जोर देना जारी रखा. मार्च 2020 के अंत में आपके बैंक की कुल आस्तियों में 72.47% अर्जक आस्तियां, जबकि 27.53% अनर्जक आस्तियां थीं. बैंक द्वारा किए गए केंद्रित प्रयासों से 2018-19 के 10.67% की तुलना में एनपीए में नई बढ़ोत्तरी / गिरावट अनुपात को सीमित रखने में सहायता मिली है और यह 2019-20 में मानक अग्रिमों का केवल 6.35% रहे.

वर्ष के दौरान ह्रासित आस्तियों से वसूली और अनर्जक आस्तियों के अर्जक आस्तियों के रूप में अपग्रेड राशि ₹ 7,842 करोड़ की रही, जिससे 31 मार्च 2020 तक बैंक को अंतिम स्तर पर एनपीए को ₹ 47,272 करोड़ तक कम करने में सहूलियत हुई.

मौजूदा विनियामकीय दिशानिर्देशों के अनुसार पर्याप्त प्रावधान किए गए और विवेकपूर्ण दृष्टिकोण के रूप में आपके बैंक ने प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) को 31 मार्च 2019 के 82.88% से बढ़ाकर 31 मार्च 2020 में 93.74% कर दिया.

आपके बैंक के पास खाता-विशेष आधारित समाधान रणनीतियों और कॉरपोरेट एनपीए की गहन निगरानी के लिए संकेंद्रित और आक्रामक दृष्टिकोण अपनाने के लिए समर्पित वर्टिकल अर्थात् एनपीए प्रबंधन समूह है.

आपके बैंक ने कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के अधीन आने वाले मामलों के लिए समर्पित केंद्रित डेस्क की स्थापना की है. यह समर्पित डेस्क विभिन्न टीमों के फील्ड से जुड़े तथा विभिन्न जटिलताओं का सामना करने में आए अनुभवों से सबक लेते हुए एक समग्र दृष्टिकोण के साथ बैंक को इन मामलों को सफलतापूर्वक संभालने में सक्षम बनाने हेतु सक्रिय भूमिका निभा रही है. यथा 31 मार्च 2020 को कुल मिला कर ₹ 46,113 करोड़ (अनर्जक आस्तियों/तकनीकी रूप से बट्टे खाते में डाली गई (टीडब्ल्यूओ) आस्तियों सहित) मूलधन बकायों के साथ कुल 228 मामले दिवाला एवं शोधन अक्षमता कोड, 2016 के अधीन कॉरपोरेट दिवाला समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) के अंतर्गत थे. आपका बैंक इनमें से कुछ मामलों को निपटाने में सफल रहा और वर्ष 2019-20 के दौरान कुल ₹ 2949 करोड़ की वसूली की गई. इसके अतिरिक्त, कुछ अन्य मामलों के 2020-21 में समाधान होने की संभावना है.

रिटेल खंड में वसूली पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक पृथक दल का गठन किया गया है. इस दल पर एक अलग वार रूम संबंधी व्यवस्था सहित नियमित आधार पर वसूली कार्रवाइयों की निगरानी करने, पर्यवेक्षण करने और वसूली अभियान चलाने की जिम्मेदारी है. आपका बैंक अपने कॉल सेंटरों के माध्यम से दैनिक आधार पर एनपीए उधारकर्ताओं के साथ संपर्क बनाए रखने हेतु प्रयासरत रहा है. नियमित ई-बोली के अतिरिक्त, आपके बैंक ने वर्ष के दौरान संपत्तियों की नीलामी के लिए प्रत्येक तिमाही में महा ई-नीलामी का भी आयोजन किया.

आपके बैंक के पास एक बेहतरीन *'एकमुश्त निपटान (ओटीएस) प्रबंधन प्रणाली'* उपलब्ध है जो बैंक वेबसाइट के माध्यम से वसूली की निगरानी करने सहित ओटीएस प्रस्ताव की प्रोसेसिंग को शुरू से अंत तक सक्षम बनाने के साथ ही ओटीएस आवेदन प्रस्तुत करने की सुविधा भी प्रदान करती है. आपके बैंक ने आईबीए मॉडल के आधार पर एनपीए/टीडब्ल्यूओ खाते से वसूली हेतु भेदभाव-रहित और गैर- विवेकाधीन ओटीएस योजना शुरू की है.

वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने ₹ 210 करोड़ की वसूली के लिए आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) को भी एनपीए बिक्री की. वर्ष के दौरान टीडब्ल्यूओ खातों से कुल ₹ 826 करोड़ की वसूली की गई.

आपके बैंक ने लागू कानूनों के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्रचना एवं प्रतिभूति हित प्रवर्तन (सरफेसी) के अधीन प्रवर्तन कार्रवाई, ऋण वसूली न्यायाधिकरणों / न्यायालयों के साथ निरंतर फॉलो-अप को भी बनाए रखा जिसके लिए समर्पित विधि अधिकारियों की नोडल अधिकारी के रूप में तैनाती शामिल है ताकि बिना किसी विलंब के वसूली प्रमाणपत्र/डिक्री प्राप्त की जा सके और उसका निष्पादन हो सके.

आपके बैंक ने 230 मामलों का वर्गीकरण इरादतन चूककर्ता के रूप में किया है तथा ऐसे उधारकर्ताओं/प्रवर्तकों/निदेशकों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की पहल की है. 31 मार्च 2020 के अनुसार बैंक ने नौ मामलों में असहयोगी उधारकर्ताओं की घोषणा की है.

ऋण निगरानी समूह

आपके बैंक द्वारा एक पूर्ण समर्पित ऋण निगरानी समूह (सीएमजी) की स्थापना दबाव के आरंभ होने की निगरानी, ऋण प्रशासन मानदंडों की निगरानी और संरचित ऋण की समीक्षा जैसे मुख्य उद्देश्यों के साथ मई 2017 में की गई थी.

सीएमजी विशेष उल्लिखित खातों (एसएमए), संभावित अनर्जक खातों (एनपीए) और नियमित खातों की पहचान करता है जो दबाव के संबंध में आरंभिक चेतावनी संकेत दर्शाते हैं. इन खातों में एनपीए के रूप में गिरावट को रोकने के लिए गहन अनुवर्ती कार्रवाई और निगरानी की गई है. सीएमजी के पास अतिरिक्त विशेषताओं सहित आस्ति निगरानी टूल *'सजग'* और *'एसएमए ऐक्शन ट्रैकर'* हैं जो वास्तविक समय आधार पर शाखाओं को एसएमए, संभावित एनपीए, ईडब्ल्यूएस खातों, अत्यंत जोखिम वाले खातों तथा विचाराधीन ऋण प्रशासन मानदंडों (सीएपी) के विवरण प्रदान करते हैं.

फील्ड स्टाफ द्वारा वसूली कार्रवाइयां एसएमए ऐक्शन ट्रैकर द्वारा कैप्चर की जाती हैं तथा सीएपी अद्यतन कार्रवाइयां *'सजग'* द्वारा कैप्चर की जाती हैं जो वास्तविक समय के आधार पर इन खातों की निगरानी को सक्षम बनाते हैं.

आपके बैंक ने दिसंबर 2019 में एक बैंक-व्यापी पूर्ण स्वचालित और व्यापक समय-पूर्व चेतावनी संकेत (ईडब्ल्यूएस) प्रणाली सफलतापूर्वक लागू की है जिसमें बैंक की आंतरिक प्रणालियों और बाह्य फीड से फीड डेटा हासिल करने का सामर्थ्य है. सभी कॉरपोरेट और रिटेल खातों के मामले में प्रारंभिक सीमा के साथ उच्च/मध्यम/कम जोखिम के अधीन जोखिम बकेटिंग की गई है जिससे उच्च जोखिम वाले खातों और एसएमए पूर्व स्थिति में आरंभिक दबाव के लक्षण दर्शाने वाले खातों को पहचानने में बैंक की क्षमता में वृद्धि हुई है. ईडब्ल्यूएस प्रणाली के माध्यम से नियमित अंतराल पर रिटेल पोर्टफोलियो का आवश्यक बाजार विश्लेषण और अंतर-बैंक तुलना की जाती है.

आपका बैंक ऋण मंजूरी की प्रभावकारिता के संबंध में समय पर फीडबैक और पोर्टफोलियो गुणवत्ता में आरंभिक गिरावट की पहचान के संबंध में अनुवर्ती कार्रवाई, पूर्व चेतावनी संकेतों का पता लगाने और ऋण प्रशासन मानदंडों के अनुपालन के संबंध में संरचित ऋण समीक्षा कार्यप्रणाली(एलआरएम) प्रयोग में लाता है. प्रणाली से सीधे आंकड़े ग्रहण करने की सुविधा के लिए एलआरएम प्रणाली में संशोधन किए गए हैं.

इन पहलों के परिणामस्वरूप आरंभिक दबाव में कमी और वर्ष-दर-वर्ष गिरावट में नियंत्रण, ऋण अभिशासन पैरामीटर और बैंक की ऋण गुणवत्ता में सुधार देखने को मिला है.

व्यापार वित्त

आपके बैंक के वित्त व्यापार (टीएफ) उत्पादों और सेवाओं को इसके 39 श्रेणी बी प्राधिकृत डीलर टीएफ केंद्रों और 177 अभिनिर्धारित रिटेल टीएफ शाखाओं के माध्यम से ग्राहकों को उपलब्ध कराया जाता है. टीएफ उत्पादों और सेवाओं में विभिन्न निधि और निर्यात ऋण, बिल पुनर्भुनाई, साख-पत्र, बैंक गारंटी, विप्रेषण आदि जैसी गैर-निधि आधारित सुविधाएं आदि शामिल हैं. निर्धारित समय सीमा के भीतर टीएफ परिचालन करते समय विनियामकीय और अन्य संबंधित दिशानिर्देशों का अनुपालन विधिवत सुनिश्चित किया जाता है. कार्रवाई समय में और अधिक सुधार करने, प्रोसेसिंग और अनुपालन में और अधिक क्षमता बढ़ाने और साथ ही ग्राहकों तक पहुँच बढ़ाने के लिए आपके बैंक ने मुंबई और चेन्नई में केंद्रीकृत व्यापार प्रोसेसिंग केंद्र (सीटीपीसी) की स्थापना कर अपने टीएफ परिचालन को केंद्रीकृत किया है.

आपके बैंक को द्विपक्षीय रुपया भुगतान व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय रुपये (आईएनआर) में तेल और गैर-तेल इंडो-ईरान व्यापार निपटान हेतु मार्च 2019 में भारत सरकार से अधिदेश प्राप्त हुआ था. सरकार के उपर्युक्त अधिदेश के अनुसरण में आपके बैंक ने ₹ 11,000 करोड़ से अधिक मूल्य के 2,400 से अधिक आयात-निर्यात लेनदेनों का सफलतापूर्वक संचालन किया है. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपका बैंक निर्यात से जुड़े कारोबारियों की बेहतर सेवा के उद्देश्य से विभिन्न निर्यात निकायों के साथ अग्र सक्रिय रूप में जुड़ा रहा.

आपके बैंक का स्विफ्ट परिचालन एक केंद्रीकृत स्विफ्ट सेल (सीएससी) द्वारा परिचालित किया जाता है जो बेलापुर, नवी मुंबई में स्थित है. महत्वपूर्ण स्विफ्ट परिचालन सुरक्षित आईटी प्लेटफॉर्म के अंतर्गत अधिकतम सावधानी और बहु प्रमाणीकरण प्रक्रिया के साथ परिचालित किए जाते हैं ताकि निर्बाध और सुगम परिचालन सुनिश्चित किया जा सके.

रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने और ग्राहक सेवा बढ़ाने के उद्देश्य से आईटी प्रणालियों और प्रक्रियाओं में लगातार विभिन्न संवर्द्धन किए जा रहे हैं. इस दिशा में एक उल्लेखनीय पहल एक केंद्रीकृत निर्यात डेटा प्रोसेसिंग प्रबंधन प्रणाली (ईडीपीएमएस) /आयात डेटा प्रोसेसिंग प्रबंधन प्रणाली (आईडीपीएमएस) सेल की स्थापना है जो प्रणाली में सुधारों का ध्यान रखती है तथा अंतिम उपयोगकर्ताओं अर्थात् टीएफ लोकेशनों और शाखाओं को बेहतर निगरानी तथा फॉलो-अप टूल एवं सेवाएं उपलब्ध कराती है.

आपके बैंक ने 1,100 से भी अधिक प्रमुख विदेशी बैंकों के साथ मिलकर संबंध प्रबंधन की व्यवस्था (आरएमए) स्थापित की है. आपके बैंक के ग्राहकों को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने के लिए आरएमए व्यवस्था की नियमित रूप से समीक्षा की जाती है ताकि दुनिया भर के प्रमुख भौगोलिक स्थानों में द्विपक्षीय व्यापारिक लेनदेन को सुचारू बनाया जा सके.

सरकारी कारोबार

आपका बैंक केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों की प्राप्तियों और भुगतानों का प्रबंध करने हेतु उनके लिए एजेंट के रूप में कार्य करता है. आपका बैंक केंद्र सरकार के करों जैसे कि प्रत्यक्ष करों, सीमा शुल्क और साथ ही वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की वसूली के लिए प्राधिकृत है. आपका बैंक 18 राज्यों और दो केंद्र-शासित प्रदेशों में राज्य प्राप्तियों की वसूली के लिए भी सक्रिय है. आपका बैंक कर भुगतानों के लिए 24x7 इंटरनेट बैंकिंग सुविधा प्रदान करता है.

आपके बैंक ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) और कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) से संबंधित ऑनलाइन वसूली करने के लिए परिचालन शुरू किया है. आपका बैंक अपनी शाखाओं के माध्यम से भारत सरकार द्वारा छोटी बचत योजनाओं अर्थात् लोक भविष्य निधि (पीपीएफ), वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (एससीएसएस) और सुकन्या समृद्धि खाता योजना (एसएसए) ऑफर करने के लिए भी प्राधिकृत है. आपका बैंक सेंट्रल, सिविल, डिफेंस और रेलवे पेंशन के संवितरण करने के लिए भी प्राधिकृत है.

नकदी प्रबंधन सेवाएं

आपका बैंक निगमों को उनके संग्रहण में तेजी लाने, उनके थोक भुगतानों को दक्षता के साथ संभालने और उनके निधि-प्रवाह को सुचारू बनाए रखने हेतु प्रभावी नकदी प्रबंधन सेवाएँ (सीएमएस) प्रदान करने की दिशा में प्रतिबद्ध है. निगमों की आवश्यकताओं के अनुरूप यह संग्रहण और भुगतान समाधानों की व्यापक श्रृंखला प्रदान करता है तथा उन्हें उनकी नकदी स्थिति का पूर्ण नियंत्रण करने में सक्षम रखता है. आपका बैंक विविध समाधान जैसे राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच), वर्चुअल खाता सुविधा, उपयोगिता भुगतान, प्रत्यक्ष नामे सुविधा और अन्य ग्राहकोनुकूल ई-समाधान प्रदान करता है जिन्हें ग्राहक प्रणालियों के साथ तकनीकी रूप से एकीकृत (होस्ट-टू-होस्ट) किया गया है. आपका बैंक भी भारतीय रेलवे की ई-भाड़ा भुगतान प्रणाली में भाग लेने के लिए अधिकृत है और 12 अंचलों में ई-भाड़े की वसूली कर रहा है.

वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने अपने ग्राहकों को दिए जा रहे ऑफर में और अधिक वृद्धि करते हुए नए सीएमएस उत्पादों जैसे ई- राष्ट्रीय स्वचालित समाशोधन गृह (एनएसीएच) वसूली, बी-एनएसीएच (भौतिक एनएसीएच संग्रहण का थोक संचालन) और फास्टैग (टोल प्रभारों का इलेक्ट्रॉनिक संग्रहण और भुगतान) और एलआईसी प्रीमियम भुगतान सुविधाओं को बढ़ाया है. वर्ष के दौरान आपके बैंक को भारत सरकार की प्रधानमंत्री श्रमयोगी मान-धन (पीएम-

एसवाईएम) योजना, प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना (पीएम-केएमवाई) और प्रधानमंत्री-लघु व्यापारी सम्मान (पीएम-एनपीएस / पीएम-एलवीएम) योजना के लिए मूल प्रायोजक बैंक के रूप में भी सूचीबद्ध किया गया जिसके अंतर्गत आपके बैंक ने ₹ 334.57 करोड़ के संग्रहण के साथ 55 लाख से अधिक अधिदेशों को पंजीकृत किया है जो सीएमएस कारोबार में बैंक की परिचालन क्षमता को दर्शाता है.

आपका बैंक, भारत बिल पेमेंट सिस्टम (बीबीपीएस) के माध्यम से उपयोगिता बिल के भुगतान की सुविधा प्रदान करने के लिए भी प्राधिकृत है.

ट्रेज़री परिचालन

आपके बैंक के प्रधान कार्यालय में एकीकृत ट्रेजरी है जिसमें मुद्रा बाजार, नियत आय, विदेशी मुद्रा-विनिमय, डेरिवेटिव और इक्विटी से संबंधित कार्य किए जाते हैं. आपके बैंक ने नियमित रूप से विभिन्न बाजार खंडों को ट्रैक किया तथा व्यापार लाभों के लिए स्वीकार्य स्थितियों के स्तर को अपनाया.

चलनिधि प्रबंध

आपके बैंक की ट्रेजरी, आरक्षित नकदी निधि अनुपात के संबंध में विनियामकीय अपेक्षाओं के अनुपालन के लिए जिम्मेदार है. चलनिधि के सक्रिय प्रबंधन के लिए ट्रेजरी ने रिज़र्व बैंक की चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ), सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ), दीर्घावधि पुनर्वित्त रेपो परिचालन (एलटीआरओ) सहित मीयादी रेपो और खुले बाजार के परिचालन (ओएमओ) जैसे विभिन्न लिखतों और साथ ही त्रिपक्षीय रेपो डीलिंग प्रणाली (टीआरईपीएस), क्लीयरक्रॉप रेपो ऑर्डर मैचिंग सिस्टम (सीआरओएमएस) तथा मांग एवं सूचना पर देय अन्य बाजार लिखतों/ प्लेटफॉर्म का प्रयोग किया है. उल्लेखनीय है कि 28 मार्च 2020 से सीआरआर 4% से घट कर 3% हो गया है. ग्राहकों के लिए 24X7 राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण (एनईएफटी) की सुविधा के अनुसरण में आपके बैंक ने प्रभावी चलनिधि प्रबंधन के लिए उचित कदम उठाए हैं.

अधिशेष चलनिधि का जमा प्रमाणपत्र और चलनिधि म्युचुअल फंड जैसे विभिन्न अल्पावधि लिखतों में नियोजन किया जाता है.

रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार, आपके बैंक ने चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) के संबंध में बासेल III ढांचे का अनुपालन किया है तथा उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियों (एचक्यूएलए) की पहचान के लिए बिक्री योग्यता परीक्षण किया है.

भारत सरकार और एलआईसी द्वारा और अधिक पूंजी निवेश और समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सामान्य ऋण उठाव को देखते हुए बैंक ने उच्च लागत वाली थोक जमाराशियों पर अपनी निर्भरता को कम करने का प्रबुद्ध प्रयास किया है. आपके बैंक ने ऐसी जमाराशियों से संबंधित ग्राहक आधार में विशाखन और सूक्ष्म वर्गीकरण को सुनिश्चित किया है.

आपके बैंक ने कॉरपोरेट बॉण्ड में गैर-एसएलआर निवेश के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा जारी पुनर्पूंजीकरण बॉण्ड में निवेश किया है.

सांविधिक चलनिधि अनुपात

आपके बैंक ने केंद्र सरकार, राज्य सरकारों के राज्य विकास ऋण (एसडीएल) तथा टी बिलों/नकदी प्रबंधन बिलों (सीएमबी) जैसी संमिश्र अनुमोदित प्रतिभूतियों के माध्यम से सांविधिक चलनिधि अनुपात (एसएलआर) बही का सक्रिय रूप से प्रबंधन किया है. एसएलआर में निवेश को परिपक्वता तक धारित (एचटीएम), बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस) और ट्रेडिंग के लिए धारित (एचएफटी) श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है. वर्ष 2019-20 के दौरान विनियामकीय एसएलआर आवश्यकता यथा 31 मार्च 2019 के 19.25% की तुलना में धीरे-धीरे कम होकर यथा 31 मार्च 2020 को 18.25% हो गयी. आपके बैंक द्वारा एसएलआर रखरखाव विनियामकीय आवश्यकताओं के अनुरूप है. जोखिम को रोकने के लिए एसएलआर बही के ब्याज दर जोखिम का सक्रिय रूप से प्रबंधन किया गया है तथा साथ ही पूंजी प्रतिलाभ बुक करने के लिए बाजार में उतार-चढ़ाव से लाभ उठाने पर ध्यान दिया गया है.

प्राथमिक डीलर

रिज़र्व बैंक से लाइसेंस-प्राप्त प्राथमिक डीलर (पीडी) होने के कारण आपके बैंक ने भारत सरकार द्वारा जुटाए गए गए विभिन्न अवधि के ऋणों के लिए विनियामकीय रूप से अपेक्षित राशियों की हामीदारी दी जिसमें टी-बिल सेगमेंट भी शामिल है. आपके बैंक ने विनियामकीय अपेक्षाओं के अनुसार, टी-बिल/सीएमबी नीलामी में बोली प्रतिबद्धता का न्यूनतम 40% सफलता अनुपात प्राप्त किया.

पीडी कार्यकलापों के एक भाग के रूप में आपका बैंक अतरल/ अर्ध-तरल सरकारी प्रतिभूतियों के मामले में बाजार तैयार करने संबंधी गतिविधियों में शामिल था. बैंक की ट्रेजरी ने बैंक के पास खाताधारी गिल्ट खाताधारकों को ग्राहकों की सहायक खाताबही (सीएसजीएल) सेवा भी उपलब्ध कराई. ट्रेजरी ने सीएसजीएल एवं गैर सीएसजीएल ग्राहकों की तरफ से भारत सरकार/ एसडीएल की प्राथमिक नीलामी में सक्रिय रूप से भाग लिया. रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार आपका बैंक द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए गिल्ट खाताधारकों को वेब आधारित तयशुदा लेनदेन प्रणाली-ऑर्डर मिलान सेगमेंट (एनडीएस-ओएम) मॉड्यूल की सुविधा प्रदान करता है. बैंक का *'आईडीबीआई समृद्धि जी-सेक'* पोर्टल रिटेल निवेशकों को सरकारी प्रतिभूतियों को ऑनलाइन और एटीएम के माध्यम से खरीदने की सुविधा प्रदान करता है.

फॉरेक्स इंटरबैंक और डेरिवेटिव

आपके बैंक की ट्रेजरी के पास एक सक्रिय फॉरेक्स इंटरबैंक और डेरिवेटिव डेस्क है. फॉरेक्स इंटरबैंक डेस्क ने अपने ग्राहकों को अधिकतम संभव बेहतर फॉरेक्स दर उपलब्ध कराईं. डेरिवेटिव डेस्क ने ग्राहकों की हेजिंग संबंधी आवश्यकताएँ पूरी करने के लिए नवोन्मेषी समाधान प्रदान किए. डेस्क ने ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा बैंक की उपयुक्तता और सटीक नीति को ध्यान में रख कर तैयार किए गए डेरिवेटिव उत्पादों के व्यापक प्रचार और पहुँच के लिए *'टैंगो विद डेरिवेटिव'* अभियान भी चलाया.

ट्रेज़री बिक्री

आपके बैंक की ट्रेजरी देश भर के 15 केंद्रों पर विदेशी मुद्रा, निश्चित आय और डेरिवेटिव उत्पादों के प्रभावी विपणन के लिए एक सेल्स टीम द्वारा समर्थित है. बिक्री टीम अपने कॉरपोरेट और खुदरा ग्राहकों की विभिन्न जरूरतों को पूरा करती है तथा मुद्राओं और दरों में उनके एक्सपोजर का प्रभावी ढंग से प्रबंध करने हेतु समाधान प्रदान करने के लिए उनके साथ लगातार संपर्क करती है.

आपके बैंक ने विदेशी मुद्रा व्यापार को बढ़ाने और मौजूदा संबंधों में प्रगाढ़ता लाने के लिए कई अभियान चलाए हैं. आंतरिक हितधारकों और ग्राहकों के बीच ट्रेजरी और विदेशी मुद्रा उत्पादों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए आपके बैंक ने *'आईडीबीआई फॉरेक्स फेस्ट'* जैसी विभिन्न पहलें भी की हैं.

आपके बैंक के आंतरिक पोर्टल 'आईडीबीआई एफएक्स' को नए बेहतर रूप में प्रस्तुत किया गया ताकि शाखाओं को तत्कालीन बाजार विदेशी मुद्रा दर प्राप्त करने में सक्षम बनाया जा सके.

कारोबार निरंतरता योजना

आपका बैंक सीबीडी बेलापुर, मुंबई में ट्रेजरी कारोबार निरंतरता केंद्र का संचालन करता है. केंद्र के पास एकीकृत परिचालन की सुविधा है जिसमें विविध बाजार खंड शामिल हैं जो ट्रेजरी के सभी महत्वपूर्ण कार्यों को सुचारू रूप से संचालित कर सकते हैं.

बेंचमार्क्स का प्रस्तुतीकरण

ट्रेजरी परिचालन में सक्रिय खिलाड़ी होने के कारण, आपका बैंक एफबीआईएल पोल्ड टर्म माईबोर एवं एफबीआईएल पोल्ड एफसी-रुपी ऑप्शन वोलेटिलिटी के संबंध में फाईनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) के लिए वित्तीय बेंचमार्क हेतु एक प्रस्तुतकर्ता बना रहा.

सीमा-पार शाखाएँ

आपके बैंक की दो अंतरराष्ट्रीय शाखाएं हैं जिसमें एक दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (डीआईएफसी), दुबई में है और दूसरी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट), गांधीनगर में है.

डीआईएफसी, दुबई में स्थित आपके बैंक की विदेश शाखा ने जनवरी 2010 से अपने परिचालन आरंभ किए. डीआईएफसी शाखा कॉरपोरेट बैंकिंग सेवाओं और व्यापार वित्त उत्पादों की श्रृंखला प्रदान करने के लिए प्राधिकृत है. इसके अतिरिक्त डीआईएफसी शाखा, यूनाइटेड अरब अमीरात (यूएई) से बाहर और अन्य गल्फ को-ऑपरेशन काउंसिल (जीसीसी) देशों से परिचालन करने वाले स्थानीय उद्यमियों को कॉरपोरेट बैंकिंग सेवाएं प्रदान करती है. बैंक की समग्र रूपांतरण रणनीति के साथ, डीआईएफसी शाखा की गतिविधियों को विदेश में और अपतटीय कारोबार के लिए बैंक के समग्र उद्देश्यों के अनुरूप उपयुक्तता को ध्यान में रख कर, कार्य-योजना के कार्यान्वयन के साथ जोड़ा गया है.

गिफ्ट, गांधीनगर में स्थित भारत के पहले और एकमात्र अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (जेएफएससी) में स्थित आपके बैंक की आईएफएससी बैंकिंग इकाई (जेबीवी) ने 6 मई 2016 से अपने परिचालन आरंभ किए. आईबीयू, जीआईएफटी के विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) के अंतर्गत आता है और इसका कामकाज समय-समय पर रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार संचालित होता है. विदेश में परिचालन के संबंध में भारत सरकार के युक्ति संगतिकरण संबंधी निर्देशों और बैंक की रूपांतरण रणनीति को ध्यान में रख कर विदेश में परिचालन को युक्तिसंगत बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं.

ऋण रेटिंग

आपका बैंक देशी तथा विदेशी मुद्रा उधार दोनों के लिए ऋण की रेटिंग प्राप्त करता है. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान रेटिंग संबंधी कार्रवाई यथा 31 मार्च 2020 को रुपया संसाधनों के लिए वर्तमान रेटिंग के साथ निम्नानुसार है:

रुपया उधार के लिए रेटिंग

श्रेणी निर्धारित लिखत	क्रिसिल	इक्रा	इंडिया रेटिंग	केयर@
रेटिंग संबंधी कार्रवाई	**दिसंबर 2019**	**सितंबर 2019**	**जुलाई 2019**	**दिसंबर 2019**
सावधि जमाराशियाँ	एफएए / स्टेबल	एमएए- / निगेटिव	इंड टीए/ निगेटिव	---
अल्पावधि उधारराशियाँ (जमा प्रमाणपत्र)	क्रिसिल ए1+	[इक्रा] ए1	इंड ए1	केयर ए1+
दीर्घावधि रुपया बांड (सीनियर एवं लोअर टियर II बांड)	क्रिसिल ए+/स्टेबल	[इक्रा] ए/ निगेटिव	इंड ए/ निगेटिव	---
हाइब्रिड अपर टियर II	क्रिसिल ए- / स्टेबल	[इक्रा] बीबीबी+/ निगेटिव	वापस लिया पूर्णतः प्रदत्त	---
हाइब्रिड - आईपीडीआई (बासेल II)	क्रिसिल ए- / स्टेबल	[इक्रा] बीबीबी+/ निगेटिव	---	---
टियर II बांड (बासेल III)	क्रिसिल ए+/ स्टेबल#	[इक्रा] ए(हाइब्रिड)/ निगेटिव	इंड ए/ निगेटिव	केयर ए+/स्टेबल

टिप्पणी: *# - अतिरिक्त टीयर II बॉण्ड के लिए प्राप्त रेटिंग - ₹ 2,000 करोड़ @ - ₹ 2,000 करोड़ के टीयर II बॉण्डों और ₹ 10,000 करोड़ के जमा प्रमाणपत्र के संबंध में दिसंबर 2019 में प्राप्त नई रेटिंग .*

आपके बैंक की विदेशी मुद्रा उधार राशियों की रेटिंग दो अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसियों अर्थात् फिच रेटिंग्स (फिच) तथा स्टैंडर्ड एंड पूअर्स (एस एंड पी) द्वारा की जाती है. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान दीर्घावधि विदेशी मुद्रा रेटिंग और आधारभूत क्रेडिट मूल्यांकन (बीसीए)/ अर्थक्षमता रेटिंग (वीआर) तथा स्टैंड-अलोन क्रेडिट प्रोफाइल (एसएसीपी) में परिवर्तन और यथा 31 मार्च 2020 को वर्तमान रेटिंग निम्नानुसार हैं :

विदेशी मुद्रा उधार राशियों के लिए रेटिंग

श्रेणी निर्धारित लिखत	फिच रेटिंग
	मई 2019 में रेटिंग संबंधी कार्रवाई
दीर्घावधि निर्गमकर्ता चूक रेटिंग	बीबी+/ स्टेबल^
अर्थक्षमता रेटिंग (वीआर)	सीसीसी

टिप्पणी: ^ - 01 अप्रैल 2020 को आउटलुक संशोधित कर निगेटिव कर दिया है.

श्रेणी निर्धारित लिखत	एस एंड पी ग्लोबल रेटिंग - रेटिंग संबंध कार्रवाई		
	जून 2019	अगस्त 2019	अक्तूबर 2019
निर्गमकर्ता क्रेडिट रेटिंग (सीआर)	बीबी/स्टेबल	बीबी/नकारात्मक जटिलताओं के साथ क्रेडिट वॉच	बीबी/ निगेटिव
स्टैंड-अलोन क्रेडिट प्रोफाइल (एसएसीपी)	बी-	बी-	बी-

दीर्घावधि रुपया उधार राशियाँ

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके बैंक ने बासेल III अनुपालन युक्त अपर टियर II बांड जारी किये तथा 3 फरवरी 2020 को घरेलू बाजार से ₹ 745 करोड़ जुटाए. वर्ष के दौरान आपके बैंक ने सात ऋण पूंजी लिखतों के संबंध में कुल ₹ 2,917.90 करोड़ तक के क्रय विकल्प का प्रयोग किया और संबंधित परिपक्वता तारीखों को कुल ₹ 921.89 करोड़ के तीन ऋण पूंजी लिखतों के मोचन किए.

विदेशी मुद्रा उधार

वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने अल्पावधि चलनिधि और निधीयन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा (एफसी) में सफलतापूर्वक अल्पावधि उधार राशियों को जुटाया.

वर्ष के दौरान आपके बैंक ने 370 मिलियन यूएस डॉलर की दीर्घावधि विदेशी मुद्रा उधार राशियों का सफल मोचन किया जिसमें 70 मिलियन यूएस डॉलर के द्विपक्षीय ऋण और 300 मिलियन यूएस डॉलर के एमटीएन बॉण्ड शामिल हैं.

31 मार्च 2020 के अनुसार एमटीएन कार्यक्रम के अंतर्गत आपके बैंक का कुल बकाया 700 मिलियन यूएस डॉलर था.

जोखिम प्रबंध

पूंजी के समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने और उसके द्वारा स्थायित्व को मजबूत करने के लिए आपके बैंक की जोखिम प्रबंध रणनीति तीन बुनियादी बातों अर्थात् पहचान, मापन और निगरानी पर अनिवार्य रूप से ध्यान केंद्रित करती है. यह रणनीतिक दृष्टिकोण उपलब्ध जोखिम प्रबंधन टूल के माध्यम से बैंक को बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाता है तथा उसमें विश्वास पैदा करता है. उचित सीमाओं और प्रक्रियागत पहलुओं को दर्शानेवाली एक सुपरिभाषित नीति की रूपरेखा बैंक की समग्र रूप से जोखिम वहन करने की क्षमता के अंतर्गत बैंक को जोखिम कम करने और इसका प्रबंधन करने में मदद करती है. कारोबार सक्रियता के मूल तत्वों, बैंकिंग नवोन्मेष और विनियामकीय परिवर्तनों को समझते हुए जोखिम प्रबंधन प्रणालियों में और अधिक सुधार को सुनिश्चित करने के लिए नीति को आवधिक रूप से अद्यतन किया जाता है. आपका बैंक सभी वर्टिकलों में जोखिम के प्रति जागरूकता फैला कर और निर्णय लेने में इसे एक अत्यावश्यक मानदंड बना कर अपनी जोखिम प्रबंध संस्कृति में लगातार सुधार का प्रयास करता है. जहां निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी) पर समग्र जोखिम प्रबंधन की जिम्मेदारी है, वहीं दिन-प्रति-दिन की गतिविधियों का संचालन जोखिम अभिशासन संरचना के आधार पर विभिन्न स्तरों पर किया जाता है. एक वृद्धिशील जटिल वित्तीय प्रणाली की चुनौतियों का सामना करने के लिए विनियामकीय आवश्यकताओं के अनुसार जोखिम प्रबंधन प्रणाली और इसकी प्रक्रियाओं को लगातार अद्यतित किया जाता है. एक सुदृढ़ और तकनीकी रूप से उन्नत जोखिम प्रबंधन प्रणाली के लिए आपके बैंक ने एकीकृत जोखिम प्रबंधन आर्किटेक्चर (आईआरएमए) लागू किया है जिसमें सॉफ्टवेयर समाधान, अर्थात् जोखिम मूल्यांकन मॉड्यूल (आरएएम), पूंजी मूल्यांकन मॉडल (सीएएम) और व्यापक परिचालनगत जोखिम मूल्यांकक (सीओआरई) शामिल हैं. आईआरएमए ऋण और परिचालनगत जोखिमों की पहचान और मापन में मदद करता है जिससे उपयुक्त जोखिम प्रबंधन रणनीति तैयार करने में मदद मिलती है.

बासेल मानकों का कार्यान्वयन

आपका बैंक बासेल III मानदंडों के अंतर्गत पिलर 1 दिशानिर्देशों के अनुपालन में तिमाही आधार पर ऋण, बाजार और परिचालनगत जोखिम हेतु विनियामकीय पूंजी आवश्यकता की गणना करता है. बासेल दिशानिर्देशों के अनुसार बैंकों को 31 मार्च 2016 से चरणबद्ध आधार पर पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) बनाए रखना अनिवार्य है. दिनांक 27 मार्च 2020 की आरबीआई की अधिसूचना, जिसके द्वारा बासेल III पूंजी विनियमों की संक्रमणकालीन व्यवस्थाओं की व्यवस्था की गई थी, के अनुसार 31 मार्च 2020 के लिए लागू सीसीबी 1.875% थी. तदनुसार यथा 31 मार्च 2020 को *'कुल पूंजी + सीसीबी'* की न्यूनतम विनियामकीय अपेक्षा 10.875% थी. यथा 31 मार्च 2020 को आपके बैंक का *'कुल पूंजी + सीसीबी'* अनुपात 13.31% था. इसी प्रकार आपके बैंक का 'कॉमन इक्विटी टियर I (सीईटी 1) + सीसीबी' अनुपात 10.54% था, जबकि विनियामकीय अपेक्षा 7.375% है.यथा 31 मार्च 2020 को आपके बैंक का *'टियर I + सीसीबी'* अनुपात 10.57% हो गया जबकि विनियामकीय अपेक्षा 8.875% है. यथा 31 मार्च 2020 को आपके बैंक का लीवरेज अनुपात 4.97% रहा, जबकि न्यूनतम विनियामकीय अपेक्षा 3.50 है.

आपके बैंक के पास बासेल III ढांचे के पिलर2 मानदंडों के अनुरूप निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) संबंधी नीति है. यह नीति आपके बैंक को पिलर1 के अंतर्गत न आने वाले जोखिमों का आंतरिक रूप से आकलन और गणना करने तथा सामान्य और दबावग्रस्त स्थितियों में ऐसे जोखिमों का प्रबंध करने और उन्हें कम करने के लिए उपयुक्त रणनीतियाँ विकसित करने में समर्थ बनाती है.

आपके बैंक ने रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप एक व्यापक दबाव परीक्षण ढांचा भी कार्यान्वित किया है. दबाव परीक्षण ढांचा आपके बैंक को असाधारण किन्तु तर्कयुक्त घटनाओं की स्थिति में क्षमता का आकलन करने में और अप्रत्याशित आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त सक्रिय रणनीतियाँ लागू करने में सहायता करता है. इस ढांचे में परिस्थिति विश्लेषण और विपरीत दबाव परीक्षण का भी समावेश है. परिस्थिति विश्लेषण में सकल एनपीए में और वृद्धि के प्रभाव, एनपीए तथा तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए खातों (टीडबल्यूओ) में गैर-निधि सुविधाओं का सूक्ष्मीकरण और बैंक की पूंजी तथा लाभप्रदता पर अतरल प्रतिभूतियों के प्रभाव पर अध्ययन शामिल है. आपके बैंक ने अपने एक्सपोजर वाले विभिन्न क्षेत्रों पर कोविद-19 महामारी के पड़ने वाले प्रतिकूल असर के प्रारंभिक मूल्यांकन की व्यवस्था भी की है, जो बैंक की लाभप्रदता पर प्रतिकूल असर डाल सकते हैं. विपरीत दबाव परीक्षण की कार्यप्रणाली को दबाव के स्तर, जो पूर्वनिर्धारित न्यूनतम स्तर तक लाने के लिए पूंजी को विपरीत रूप से प्रभावित कर सकता है, का पता लगाने के लिए ढांचे में जोड़ा गया.

आपके बैंक ने बासेल मानदंडों के तहत पिलर 3 आवश्यकताओं के अनुसार एक प्रकटन नीति अपनाई है. तदनुसार, प्रत्येक तिमाही के अंत में आपके बैंक की वेबसाइट पर प्रकटन प्रदर्शित किए जाते हैं जो उच्च-स्तरीय पारदर्शिता दर्शाते हैं.

आपका बैंक पूंजी प्रभार की गणना के लिए ऋण जोखिम के अंतर्गत मानकीकृत दृष्टिकोण अपनाता है. आपका बैंक परिचालनगत जोखिम हेतु विनियामक पूंजी प्रभार गणना के लिए मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) का अनुसरण करता है. प्रभावी नियंत्रण व्यवस्था के लिए विभिन्न कारोबारी खंडों में मुख्य जोखिम संकेतकों (केआरआई) का व्यापक सेट तथा जोखिम एवं नियंत्रण स्व-मूल्यांकन रूपरेखा (आरसीएसए) उपलब्ध कराई गई. बाजार जोखिम के लिए, आपका बैंक विनियामक पूंजी आवश्यकताओं की गणना करने हेतु मानकीकृत मापन पद्धति (एसएमएम) अपनाता है.

ऋण जोखिम

आपके बैंक की ऋण जोखिम प्रबंधन प्रणाली में ऋण प्रस्तावों की क्रेडिट रेटिंग के लिए जोखिम आकलन मॉडल (आरएएम) और पूंजी निर्धारण के स्वचालन के लिए पूंजी निर्धारण मॉडल (सीएएम) शामिल है. आरएएम/अंक आधारित आंतरिक रेटिंग के अतिरिक्त, बैंक ने उच्च मूल्य वाले कॉरपोरेट और एमएसएमई ऋणों के जोखिम वर्गीकरण के लिए मात्रात्मक जोखिम स्कोरिंग मैट्रिक्स विकसित किया है. ऋण नीति दस्तावेज की बदलते कारोबारी उद्देश्यों तथा आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप समीक्षा की जाती है. यह कारोबारी वर्टिकलों के लिए मार्गदर्शक साधन है.

बाजार जोखिम

कार्य तथा कारोबार स्थितियों के संदर्भ में आपके बैंक में बाजार जोखिम, प्रबंधन बाजार जोखिम एवं डेरिवेटिव नीति तथा निवेश नीति में परिभाषित नीतिगत ढांचे के अनुरूप परिचालित होता है. सामान्यतः ये नीतियां जोखिम वहन क्षमता के उपयुक्त स्तरों की रूपरेखा प्रस्तुत करती हैं तथा जोखिमों व अपवादों के मापन, रिपोर्टिंग तथा वृद्धि के आकलन के लिए प्रक्रिया लागू करती हैं. बाजार जोखिमों का प्रबंधन करने के उद्देश्य से आपके बैंक ने निगरानी और रिपोर्टिंग टूल सहित उपयुक्त जोखिम प्रबंधन प्रणालियाँ कार्यान्वित की हैं. विभिन्न जोखिमों और एक्सपोजर सीमाओं की निगरानी को लागू करने के उद्देश्य से आपका बैंक ट्रेजरी फ्रंट ऑफिस, मिड ऑफिस और बैक ऑफिस कार्यकलापों को सम्पूर्ण रूप से एकीकृत करने का प्रयास करता है ताकि इसके द्वारा मूल्य जोखिम और सकेंद्रित जोखिम पर एक साथ नियंत्रण किया जा सके. सभी निर्धारित सीमाओं तथा सभी प्रक्रियाओं की गहन निगरानी ट्रेजरी के मिड ऑफिस द्वारा की जाती है जो ट्रेजरी के फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस से स्वतंत्र है.

चलनिधि प्रबंध

बैंक के पास निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित आस्ति देयता प्रबंध (एएलएम) नीति में किए गए उल्लेख के अनुसार सुसंगठित चलनिधि जोखिम प्रबंध ढाँचा है. बैंक की आस्ति-देयता प्रबंध समिति (आल्को) व्यवसाय रणनीति के अनुरूप चलनिधि और ब्याज दर जोखिम की निगरानी और प्रबंध करती है. चलनिधि विश्लेषण और प्रबंध सहित आस्ति-देयता प्रबंध कार्यकलाप तुलन-पत्र प्रबंध के कार्यात्मक क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न आल्को सहयोग समूहों, ट्रेजरी फ्रंट कार्यालय, बजट एवं आयोजना आदि के बीच समन्वय के जरिए संपन्न किए जाते हैं. आल्को निर्देश तथा एएलएम कार्रवाइयाँ व्यवसाय समूहों और वर्टिकलों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं. विनियामिकीय दिशानिर्देशों के अनुसार 1 जनवरी 2017 से बैंक के चलनिधि कवरेज अनुपात की गणना दैनिक आधार पर की जाती है. 2019-20 के दौरान दैनिक अवलोकनों के आधार पर बैंक का औसत एलसीआर 127.73% था.

परिचालनगत जोखिम

आपके बैंक के पास एक सुदृढ़ परिचालनगत जोखिम प्रबंधन ढांचा (ओआरएमएफ) है जिसमें एक समर्थकारी संगठनात्मक व्यवस्था के तहत निदेशक मंडल, बोर्ड की परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) तथा विभिन्न कार्यों/विभागों के नोडल अधिकारी शामिल हैं. इस ढांचे के अंतर्गत बैंक ने तीन-स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था निर्धारित की है. इसमें पहली कारोबार व्यवस्था में प्रबंधक हैं जो दैनिक आधार पर प्रबंधन और जोखिम को कम करते हैं. दूसरी व्यवस्था में परिचालनगत जोखिम प्रबंधन (ओआरएम) अनुभाग है और तीसरी व्यवस्था में बैंक का लेखापरीक्षा कार्य है जिसके अंतर्गत बैंक के भीतर अभिशासन की प्रभावकारिता, जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण की समीक्षा की जाती है.

परिचालनगत जोखिम की परिचालन प्रक्रिया बोर्ड-अनुमोदित परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति द्वारा निर्देशित है जिसका लक्ष्य बैंकिंग कार्यकलापों से जुड़े परिचालनगत जोखिमों की पहचान, निगरानी, आकलन तथा प्रबंधन करना है. आपके बैंक में विभिन्न व्यावसायिक कार्यकलापों/परिचालनों में अंतर्निहित जोखिमों को कम करने के लिए प्रभावी आंतरिक प्रणालियाँ और प्रक्रियाएं हैं.

बैंक के आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता और प्रभावकारिता के मूल्यांकन के लिए ओआरएम अनुभाग नीतियों, प्रक्रियाओं, टूल्स और तकनीक को विकसित और कार्यान्वित करता है. यह मुख्य जोखिम संकेतकों (केआरआई) तथा जोखिम नियंत्रण स्व-मूल्यांकन (आरसीएसए) अभ्यासों के ज़रिए परिचालनगत जोखिमों का प्रबंधन करता है और इस संबंध में हुई प्रगति से निदेशक मंडल की ओआरएमसी और आरएमसी को आवधिक रूप से अवगत कराता है. महत्वपूर्ण कार्यों के लिए मुख्य जोखिम संकेतक (केआरआई) बनाए गए हैं और शाखाओं / इकाइयों की व्यापक परिचालनगत जोखिम मूल्यांकन (कोर) प्रणाली के ज़रिए जोखिम रेटिंग की जाती है. इसके अतिरिक्त, ओआरएम अनुभाग भी परिचालनगत जोखिम की दृष्टि से अंतर्निहित जोखिमों के मूल्यांकन के लिए आवधिक समीक्षा के समय बैंक द्वारा शुरू किए जा रहे नए उत्पादों और साथ ही वर्तमान उत्पादों की समीक्षा करता है. ओआरएम अनुभाग द्वारा परिचालनगत जोखिम हानि संबंधी घटनाओं की जानकारी एकत्रित की जाती है, जिस पर ओआरएमसी द्वारा विचार-विमर्श किया जाता है और संबंधित परिचालन/डीलिंग समूहों को मूल कारणों का विश्लेषण कर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई के लिए सूचित किया जाता है. ऐसी घटनाओं की रिपोर्टिंग आरबीआई को तिमाही आधार पर की जाती है. आपका बैंक उपार्जन और पूंजी पर दबावग्रस्त परिचालनगत जोखिम संबंधी हानियों के मूल्यांकन के लिए अर्ध वार्षिक आधार पर दबावग्रस्त परीक्षण कार्रवाई भी करता है. इसके साथ ही परिचालनगत जोखिम के लिए बोर्ड अनुमोदित जोखिम वहन सीमा में किसी उल्लंघन का मापन और रिपोर्टिंग भी की जाती है. वर्तमान में परिचालनगत जोखिम विनियामकीय पूंजी और परिचालनगत जोखिम भारित आस्तियों की संगणना के लिए बैंक ने मूल संकेतक दृष्टिकोण (बीआईए) को अपनाया है. आपके बैंक ने आरबीआई के निर्देशों के अनुसार, मूल संकेतक दृष्टिकोण की तुलना में परिचालनगत जोखिम विनियामकीय पूंजी पर नए मानकीकृत दृष्टिकोण (बासेल III एसए) के संबंध में प्रभावकारिता मूल्यांकन अध्ययन का संचालन भी किया है जो भविष्य में कार्यान्वयन के लिए तैयार है.

कुछ मुख्य परिचालनगत जोखिम हानि दुर्घटनाओं के मूल कारणों के विश्लेषण को सभी कर्मचारियों के साथ उनमें जागरूकता बढ़ाने और निवारक उपाय के लिए मामले के अध्ययन के रूप में साझा भी किया जाता है. परिचालनगत स्तर पर कार्य करने वाले अधिकारियों को संवेदनशील बनाने के लिए परिचालनगत जोखिम प्रबंधन पर प्रशिक्षण नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं.

कारोबार निरंतरता प्रबंधन

आपके बैंक के पास कारोबारी व्यवधानों तथा जीवन संबंधी जोखिमपूर्ण स्थितियों को कम करने के लिए एक सुदृढ़ कारोबार निरंतरता प्रबंधन (बीसीएम) प्रक्रिया है. आपके बैंक को कारोबार निरंतरता प्रबंधन के बैंक-व्यापी कवरेज के लिए के प्रमाणन आईएसओ 22301:2012 से सम्मानित किया गया है.

आपके बैंक ने बीसीएम के एक भाग के रूप में मूल तथा सहायता कार्यों के लिए सुपरिभाषित कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) कार्यान्वित की है. इस योजना का उद्देश्य कारोबार व्यवधान/आपदा के बावजूद ग्राहकों को निर्बाध सेवाएं प्रदान करना है. इसके अलावा आपदा के दौरान मानव जीवन की रक्षा करने और मूल्यवान आस्तियों का नुकसान कम करने के लिए अपनी प्रमुख स्थापनाओं के लिए एक व्यापक आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी) भी लागू की गई है. इन बीसीपी तथा डीएमपी की क्रियाशीलता का बीसीपी परीक्षण अभ्यास, संपूर्ण ड्रिल और मॉक इवैक्यूएशन ड्रिलों सहित आपदा बहाली के माध्यम से आवधिक परीक्षण किया जाता है. बैंक की कारोबार निरंतरता प्रबंधन प्रणाली एक स्वचालित घटना रिपोर्टिंग टूल अर्थात् एकीकृत आपदा और कारोबार निरंतरता प्रबंधन प्रणाली (आई-डीएबी) से भी सुसज्जित है.

सूचना प्रौद्योगिकी जोखिम

आपके बैंक ने अपने आईटी जोखिम प्रबंधन तथा नियंत्रण को सुधारने के लिए कई कदम उठाए हैं. आपके बैंक ने अपने डेटा केंद्र, नवी मुंबई में एक अत्याधुनिक सुरक्षा परिचालन केंद्र (एसओसी) की स्थापना की है. 24X7 कार्यरत रहने वाला एसओसी, बैंक के सम्मानित ग्राहकों को सुरक्षित बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के बैंक के उद्देश्य को पूरा करने के अलावा साइबर अपराधों से निपटने के लिए और बैंक की सूचना सुरक्षा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक कमान केंद्र के रूप में कार्य करता है. इसके अलावा, एसओसी के माध्यम से आपका बैंक केंद्रीकृत रूप से सुरक्षा साधनों/समाधानों जैसे फायरवाल्स, राऊटर्स, इंट्रूज़न डिटेक्शन सिस्टम (आईडीएस) डिवाइस/ इंट्रूज़न प्रिवेंशन सिस्टम (आईपीएस) डिवाइस, विशेषाधिकारकृत पहचान प्रबंध (पीआईएम), एंटीवायरस, फिशिंग/मालवेयर प्रयासों आदि की निगरानी करता है और सुधारात्मक उपाय करता है. आपका बैंक बाह्योन्मुख एप्लीकेशनों अर्थात् इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, मेल मैसेजिंग आदि के लिए नियमित रूप से भेद्यता मूल्यांकन एवं प्रवेश परीक्षण (वीएपीटी) करता है.

आपके बैंक ने सूचना सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, तकनीकी जोखिम प्रबंधन तथा साइबर धोखाधड़ियों के संबंध में रिज़र्व बैंक की सिफ़ारिशों और बैंक के लिए रिजर्व बैंक के साइबर सुरक्षा ढांचे को कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है. आपके बैंक ने दिशानिर्देशों में अनुशंसित रूप में उपयुक्त संगठनात्मक ढांचा स्थापित किया है जिसमें मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ), जो बैंक के मुख्य जोखिम अधिकारी (सीआरओ) को रिपोर्ट करते हैं, के नेतृत्व में एक विशेष सूचना सुरक्षा समूह शामिल है.

ग्राहक डेटा की सुरक्षा करने, बाह्य आक्रमणों को रोकने तथा आंतरिक नियंत्रणों को मजबूत बनाने के लिए कई सूचना सुरक्षा समाधान जैसे विशेषाधिकार प्राप्त पहचान एक्सेस प्रबंधन, पैच प्रबंधन समाधान, सक्रिय डायरेक्टरी, वेब/ मेल गेटवे, एंड पॉइंट एवं यूएसबी एनक्रिप्शन, डेटा लीकेज प्रिवेंशन (डीएलपी) सॉल्यूशन, एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट (एपीटी), नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल (एनएसी), वेब-एप्लिकेशन फायरवाल (डब्ल्यूएएफ) आदि कार्यान्वित किए गए हैं.

आपके बैंक ने एक सुस्पष्ट साइबर सुरक्षा नीति और साइबर संकट प्रबंधन योजना लागू की है जो साइबर सुरक्षा से जुड़े जोखिमों का समाधान करने के लिए प्रबंधन के इरादे तथा दिशा को स्पष्ट करती है. इसके साथ ही, आपका बैंक अपने सूचना सुरक्षा ढाँचे की जाँच करने और उसे प्रभावी बनाए रखने के लिए विभिन्न एजेंसियों द्वारा संचालित की जाने वाली साइबर ड्रिलों में भी सहभागिता करता है. सूचना सुरक्षा जागरूकता को बैंक में कार्यग्रहण करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए प्रवेश कार्यक्रम में अनिवार्य सत्र के रूप में शामिल किया गया है. बैंक में वरिष्ठ प्रबंधन के सदस्य इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी (आईडीआरबीटी) के आईटी जोखिम कार्यक्रम में शामिल हुए. कर्मचारियों के लिए नियमित रूप से सूचना सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन करने के अलावा, सुरक्षा सेंध के प्रयासों को कम/विफल करने के लिए ग्राहकों को मेलर, एसएमएस, एटीएम तथा पोस्टर के माध्यम से विभिन्न सूचना सुरक्षा संबंधी सावधानियों की जानकारी दी जाती है. आपके बैंक का आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा प्रणालियाँ पेरिमीटर और एंडपॉइंट्स दोनों पर समाधान सहित एक सुदृढ़ सूचना सुरक्षा ढांचे के अंतर्गत कार्यान्वित की गई हैं. आपके बैंक के डेटा केंद्र, आपदा बहाली केंद्र और नियर डीआर केंद्र को नवीनतम आईएसओ 27001:2013 सूचना सुरक्षा मानदंडों का प्रमाणन प्राप्त है. आपके बैंक का नीयर डीआर महत्वपूर्ण लेनदेन प्रणालियों के लिए शून्य डेटा नुकसान सुनिश्चित करता है. बैंक की सूचना सुरक्षा संचालन समिति (आईएसएससी) सूचना प्रणालियों में परिचालनगत जोखिम कम करने के लिए दिशानिर्देश और मार्गदर्शन उपलब्ध कराती है. सुरक्षा घटनाएँ तथा नीतियाँ आवश्यक दिशानिर्देश के लिए बोर्ड की सूचना प्रौद्योगिकी समिति (आईटीएससीबी) के समक्ष प्रस्तुत की जाती हैं. आईटीएससीबी अनुमोदन के लिए बोर्ड को नीतियों की सिफ़ारिश करती है.

धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन

आपके बैंक ने जोखिम प्रबंधन विभाग (आरएमडी) के अधीन धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन समूह (एफआरएमजी) का गठन किया है जो विभिन्न प्रणालियों में किए गए लेनदेन की निगरानी के लिए उद्योग-व्यापी धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन समाधान (ईएफआरएमएस) के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करता है. आपके बैंक ने ईएफआरएमएस के माध्यम से नियम बना कर बैंक के विभिन्न कार्यों सहित लेनदेन की निगरानी शुरू की है. मोबाइल बैंकिंग के लिए अनुकूलित अधिप्रमाणित समाधान लाइव हो चुका है और बैंक नेट बैंकिंग संबंधी समाधान के कार्यान्वयन के अंतिम चरण में है. आपका बैंक विभिन्न नेटवर्क द्वारा उपलब्ध कराए गए टूल्स का उपयोग करते हुए कार्ड/मर्चेंट एस्टेबलिशमेंट (एमई) लेनदेनों की निगरानी भी कर रहा है.

प्रबंधन, नियंत्रण एवं प्रणालियां

मानव संसाधन

ज्ञानार्जन एवं विकास

आपका बैंक अपने कर्मचारियों को सतत प्रशिक्षण एवं विकास अवसर उपलब्ध कराने पर जोर देता है ताकि संगठनात्मक लक्ष्य हासिल किए जा सकें और साथ ही कर्मचारियों के समग्र विकास में सहायता मिल सके.

वर्ष 2019-20 के दौरान आपके बैंक ने अपने शीर्ष प्रशिक्षण संस्थान जवाहरलाल नेहरू बैंकिंग एवं वित्त संस्थान (जेएनआईबीएफ), हैदराबाद और अंचल प्रशिक्षण केंद्रों में 818 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए. वर्ष के दौरान नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा, जेएनआईबीएफ में लेखापरीक्षा रेटिंग में सुधार, नए शाखा प्रमुखों की ग्रूमिंग, रिटेल आस्ति केंद्र में परिचालनगत भूमिका में कार्य करने वाले अधिकारियों के लिए कार्यक्रम और बैंक के कार्यपालक निदेशकों एवं मुख्य महाप्रबंधकों के लिए नेतृत्व उत्कृष्टता जैसे चुनिंदा विषयों पर आवश्यकतानुरूप कार्यक्रम तैयार और आयोजित किए गए. पारस्परिक ज्ञानार्जन वातावरण को उत्साहित करने के लिए दिवाला औए दिवालियापन संहिता (आईबीसी), एमएसएमई वित्तपोषण, सतर्कता, अनुशासनिक कार्यवाही आदि जैसे विषयों पर भी कार्यशालाएँ आयोजित की गईं.

आपके बैंक ने 162 बाह्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अपने अधिकारियों को नामित किया है ताकि उन्हें अपने संबंधित कार्यक्षेत्र के लिए आवश्यक एक्सपोजर प्रदान किया जा सके. प्रतिष्ठित संस्थानों के जरिए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल), एसएमई, ऋण, एनपीए प्रबंधन, जोखिम आदि पर प्रशिक्षण उपलब्ध कराए गए. बैंक में साइबर सुरक्षा से जुड़े मुद्दों के प्रति प्रबंधन की जागरूकता में वृद्धि संबंधी रिजर्व बैंक के निर्देश के अनुपालन में बोर्ड के

निदेशकों सहित कई वरिष्ठ प्रबंधकीय अधिकारियों को आईडीआरबीटी द्वारा संचालित *'आईटी एवं साइबर सुरक्षा'* पर बाह्य प्रमाणन प्रशिक्षण प्रदान किया गया.

बैंकाश्योरेंस कारोबार पर ध्यान केंद्रित करते हुए मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन सर्विसेस के माध्यम से एक्जिक्यूटिव के लिए विशेष रूप से तैयार प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किया गया. आपके बैंक ने अपनी कोर बैंकिंग प्रणाली को फिनेकल 10एक्स में अद्यतन किया है तथा क्लास रूम प्रशिक्षण एवं फिनेकल 10एक्स पर ई-लर्निंग मॉड्यूल असाइनमेंट के माध्यम से प्रशिक्षण दिया है.

बैंक ज्ञानार्जन संस्कृति के भाग के तौर पर अपनी ऑनलाइन शिक्षण प्रबंधन प्रणाली - ओजस - के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण को भी बढ़ावा दे रहा है ताकि कर्मचारियों को शिक्षण के लिए अतिरिक्त चैनल उपलब्ध कराए जा सकें. ओजस में विभिन्न प्रकार के बैंकिंग संबंधी विषयों को शामिल करते हुए 300 से अधिक अद्यदित ई-लर्निंग मॉड्यूल रखे गए हैं जिसमें व्यवहार-कौशल संबंधी विषय और हिंदी में कार्यात्मक मॉड्यूल शामिल हैं. इस वर्ष आपके बैंक ने ई-लर्निंग में मुख्य महा प्रबंधकों तथा श्रेणी III कर्मचारियों को भी शामिल किया है. नए भर्ती होने वालों के लिए ई-लर्निंग को कार्यग्रहण पूर्व कार्यक्रम के रूप में शामिल किया गया.

भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार ग्राहक सेवा, महिला अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण और भर्ती पूर्व तथा पदोन्नति पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम (अनुसूचित जाति(अजा)/अनुसूचित जनजाति (अजजा)/दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) कर्मचारियों के लिए भी आयोजित किए गए हैं.

जेएनआईबीएफ को उत्कृष्ट और बहुमुखी केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए बाहरी सहभागियों के लिए भी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं. वर्ष के दौरान चार अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम, अर्थात् (i) सार्क राष्ट्रों के लिए एसएमई परियोजना वित्तपोषण कार्यक्रम (ii) बैंक ऑफ सिलोन, श्रीलंका के लिए विशेष कार्यक्रम (iii) एक्ज़िम बैंक के सहयोग से बैंक ऑफ नेपाल के लिए परियोजना वित्त पर कार्यक्रम और (iv) बैंक ऑफ नेपाल के लिए बिक्री और विपणन पर कार्यक्रम आयोजित किए गए.

अधिकारियों की तैनाती और नियोजन

अधिकारियों का नियोजन और उनकी तैनाती बैंक की वर्तमान अधिकारी तैनाती और स्थानांतरण नीति पर आधारित है. इसके अतिरिक्त, संवेदनशील पदों पर कार्यरत अधिकारियों की तैनाती केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशनिर्देशों के अनुसार की जाती है. अधिकारियों के स्थानांतरण के मामले में बैंक सामान्यतः भारत सरकार द्वारा निर्धारित समयसीमा का पालन करता है. पदोन्नति पर स्थानांतरण, जिसे नियत होने पर जून के बाद किया जाता है, को छोड़ कर, जहां तक संभव होता है, सभी स्थानांतरण आदेश प्रत्येक वर्ष की 30 जून तक जारी कर दिए जाते हैं. अधिकारियों की तैनाती उनके कौशल के आधार पर अंचलों एवं विभिन्न वर्टिकलों/विभागों की आवश्यकता को ध्यान में रख कर की जाती है.

क्षमता निर्माण नीति (आई-कैपबिल्ड नीति)

आपके बैंक ने विशेषज्ञ अधिकारियों की कैरियर आकांक्षाओं को पूरा करने तथा विशेषज्ञ अधिकारियों के कार्यनिष्पादन एवं उनकी संभावना के बीच बेहतर संतुलन बनाने के लिए क्षमता निर्माण नीति (आई-कैपबिल्ड नीति) तैयार की है. नीति में विशेषज्ञ अधिकारियों की तैनाती निर्धारित विशेषीकृत क्षेत्रों में करने पर भी ध्यान रखा गया है.

औद्योगिक संबंध

आपके बैंक में वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध का वातावरण सामान्यतः मैत्रीपूर्ण रहा तथा अधिकांश समस्याओं का समाधान सौहार्दपूर्ण रूप से कर लिया गया है. अधिकारियों / कर्मचारियों की शिकायतों को समझने और उनका समाधान करने हेतु रचनात्मक संवाद स्थापित करने के अपने प्रयासों के तौर पर बैंक संघों और यूनियनों के साथ बैठकें करता रहा है. यूनियन / संघ भी विभिन्न मुद्दों के समाधान के लिए सक्रिय और तत्पर रहे हैं.

समूह जीवन बीमा योजना (जीएलआईएस)

कर्मचारी कल्याणकारी उपाय के रूप में आपका बैंक 2015 से अपने सभी स्थायी कर्मचारियों के लिए 70 वर्ष की आयु तक समूह जीवन बीमा पॉलिसी की सुविधा दे रहा है. इस योजना के तहत प्रीमियम राशि का आधा व्यय बैंक द्वारा और आधा व्यय कर्मचारियों द्वारा वहन किया जाता है. अधिवर्षिता आयु प्राप्त करने के पश्चात सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को पूरी प्रीमियम राशि का भुगतान कर योजना को जारी रखने का विकल्प उपलब्ध है.

कर्मचारियों को विधिक तथा वित्तीय सहायता प्रदान करना

बैंक के कामकाज को सद्भावपूर्वक निष्पादित करने से उत्पन्न मामलों पर बाहरी व्यक्तियों/निजी पक्षों द्वारा कर्मचारियों के खिलाफ जानबूझकर की गई झूठी शिकायतों से कर्मचारियों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से आपके बैंक ने उक्त योजना लागू की है जो निदेशकों/अधिकारियों/ कर्मचारियों को वित्तीय और विधिक सहायता उपलब्ध कराती है.

निदेशक एवं अधिकारी देयता बीमा पॉलिसी (डी एंड ओ पॉलिसी)

आपके बैंक ने निदेशक एवं अधिकारी देयता बीमा पॉलिसी (डी एंड ओ पॉलिसी) खरीदी है जिसका उद्देश्य वास्तविक या तथाकथित *'गलत कार्य'*, जो सद्भावपूर्वक कर्तव्य निर्वहन के दौरान निर्णयों और कार्रवाई से हुआ हो, के परिणाम के प्रति निदेशकों और अधिकारियों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है.

कार्य के दौरान जिन कर्मचारियों की मृत्यु हो गई हो उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता के लिए योजना

आपके बैंक ने अनुकंपा उपदान योजना की समीक्षा की है तथा इसको *'कार्य के दौरान जिन कर्मचारियों की मृत्यु हो गई हो उनके आश्रितों को वित्तीय सहायता के लिए योजना'* के रूप में पुनर्नामित किया है. इस योजना के अंतर्गत जिस कर्मचारी की कार्य के दौरान मृत्यु हो गई हो उसके आश्रितों को तत्काल ₹ 1 लाख दिए जाते हैं.

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम (पीओएसएच)

आपके बैंक ने अवांछनीय घटना के घटित होने पर पीड़ित महिला को तुरंत सहायता के उद्देश्य से बैंक के कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न झेलनेवाली महिला की शिकायत सीधे समिति के सदस्यों के पास दर्ज कराने के लिए एसएमएस/ ई-मेल आधारित शिकायत प्रणाली कार्यान्वित की है.

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं निदान) अधिनियम, 2013 के तहत प्रकटन

आपके बैंक ने सुरक्षित और मैत्रीपूर्ण कार्य वातावरण निर्मित करने के उद्देश्य से और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के निवारण को सुनिश्चित करने हेतु कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं निदान) अधिनियम, 2013

की अपेक्षाओं के अनुसार महिलाओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में मिलने वाली शिकायतों के निपटान के लिए दो आंतरिक शिकायत समितियां बनाई हैं. वर्ष के दौरान आपके बैंक को इस संबंध में 12 (बारह) शिकायतें प्राप्त हुईं जिनमें से 7 (सात) शिकायतों का विधिवत छानबीन के पश्चात् समाधान कर दिया गया है. यथा 31 मार्च 2020 को 5 (पांच) शिकायतों पर निर्णय लंबित थे, जिनमें से 1 (एक) शिकायत 2019-20 से पहले प्राप्त हुई थी.

आई-पेस- नई कार्य-निष्पादन प्रबंध प्रणाली

आपके बैंक ने कार्य-निष्पादन प्रबंध प्रणाली आरंभ की तथा इसे और अधिक विशिष्ट, मापनीय, हासिल करने योग्य, सुसंगत एवं समयबद्ध बनाने के उद्देश्य से इसे आईडीबीआई बैंक-कार्य निष्पादन निर्धारण एवं सतत मूल्यांकन (आई-पेस) जैसा सटीक नाम दिया गया. आई-पेस में समान भूमिकाओं के लिए मानकीकृत मुख्य परिणाम क्षेत्र (केआरए), मानकीकृत केआरए के लिए समान महत्व देना तथा अधिकांश मापनीय केआरए के लिए सिस्टम/ डैशबोर्ड से सीधी सहबद्धता शामिल है. अन्य बातों के अलावा आई-पेस में कारोबार इनसाइट टूल की भी व्यवस्था है, जो प्रत्येक केआरए पर कार्य निष्पादन को नियमित रूप से रेखांकित करेगा और प्रभावी कार्य निष्पादन फीडबैक प्रणाली प्राप्त करने हेतु सुपरवाइज़र को अधिकारी के केआरए-वार कार्य निष्पादन की गहराई से जांच करने का अवसर प्रदान करेगा. यही नहीं, आई-पेस एक समान समूह (अर्थात् सिर्फ समान भूमिका वालों के बीच तुलना) के बीच कार्य निष्पादन की सापेक्षिक ग्रेडिंग तय करता है. आई-पेस का उद्देश्य अधिकारी के कार्य निष्पादन को संस्था के लक्ष्यों के अनुरूप रखते हुए सभी स्तरों पर कार्य निष्पादन आधारित संस्कृति को बढ़ावा देना है. यह बैंक के रणनीतिक कारोबार उद्देश्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए दिशा देगा तथा सामान्य समझ को बढ़ावा देगा.

भर्ती और स्टाफिंग

यथा 31 मार्च 2020 को आपके बैंक के पास कुल स्टाफ संख्या 17,723 रही. कर्मचारियों का श्रेणीवार अलग-अलग विवरण नीचे दिया गया है:

श्रेणी	कुल
अधिकारी	15,487
लिपिकीय स्टाफ	582
अधीनस्थ स्टाफ	613
एक्जीक्यूटिव	1,041
कुल	**17,723**

वर्ष के दौरान आपके बैंक ने विभिन्न श्रेणियों में 1,954 व्यक्तियों की भर्ती की जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

ग्रेड	कुल
अधिकारी	1,212
लिपिकीय $	5
अधीनस्थ स्टाफ $	2
एक्जीक्यूटिव	735
कुल	**1,954**

नोट: $ लिपिकीय और अधीनस्थ स्टाफ संवर्ग में भर्ती अनुकंपा नियुक्ति के रूप में की गई है.

आरक्षण नीति

यथा 31 मार्च 2020 को बैंक की कुल जनशक्ति में अनुसूचित जाति (अजा)/ अनुसूचित जनजाति (अजजा)/अन्य पिछड़े वर्गों (अपिव)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (आरुक) का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार है:

श्रेणी	अपिव	अजा	अजजा	आरुक
लिपिक	55	78	28	-
एक्जीक्यूटिव	404	148	68	40
अधिकारी	3,947	2,217	974	39
अधीनस्थ स्टाफ	124	144	52	-
कुल	**4,530**	**2,587**	**1,122**	**79**

आपका बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सेवाओं पर लागू होने वाली भारत सरकार की वर्तमान आरक्षण नीति का पूरी तरह से पालन करता है.

आपके बैंक ने अजा/अजजा/अपिव तथा दिव्यांगों (पीडबल्यूडी) के लिए महाप्रबंधक तथा उप महा प्रबंधक स्तर के मुख्य संपर्क अधिकारियों (सीएलओ) तथा अंचल संपर्क अधिकारियों (ज़ेडएलओ) की नियुक्ति की है. सीएलओ और ज़ेडएलओ आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में विभिन्न दिशानिर्देशों का अनुपालन तथा उनकी शिकायतों का प्रभावी निवारण सुनिश्चित करते हैं.

आपका बैंक अजा/अजज/अपिव के कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने हेतु अजा/ अजजा/अपिव कल्याण संघ के प्रतिनिधियों के साथ तिमाही बैठकें आयोजित करता है.

आपके बैंक ने अजा/अजजा/अपिव वर्ग के कर्मचारियों से प्राप्त होनेवाली शिकायतों को दर्ज करने के लिए पृथक् शिकायत रजिस्टर भी बनाया है और समुचित कार्रवाई की जाती है.

आपके बैंक ने आरक्षण संबंधी दिशानिर्देशों के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण रजिस्टर/रोस्टर बनाया है. बैंक ने भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार दिव्यांग कर्मचारियों के लिए अलग आरक्षण रोस्टर भी बनाया है.

बुनियादी संरचना प्रबंधन

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपके बैंक ने अनेक सिविल परियोजनाएं हाथ में लीं. जवाहरलाल नेहरू बैंकिंग एवं वित्त संस्थान (जेएनआईबीएफ), हैदराबाद स्थित प्रशिक्षण संस्थान में अधिकारियों के लिए आवासीय फ्लैटों का निर्माण कार्य फरवरी 2020 में समाप्त हुआ और बैंक अधिकारियों को फ्लैट के आबंटन की प्रक्रिया मार्च 2020 से आरंभ की गई.

आपके बैंक ने केके नगर, चेन्नई स्थित अपने 48 फ्लैटों के निर्माण की पुनर्विकास प्रक्रिया भी अक्तूबर 2019 में पूरी कर ली और इन फ्लैटों को पात्र अधिकारियों को आबंटित किया गया.

आपके बैंक ने एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड से ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली में उनकी निर्माणाधीन परियोजना में 60,972 वर्ग फुट क्षेत्रफल के 36 आवासीय फ्लैटों के साथ 1,22,088 वर्ग फुट क्षेत्रफल के वाणिज्यिक परिसर का अर्जन किया है. हालांकि इसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है लेकिन कुछ विशिष्ट जनहित याचिका (पीआईएल) मुद्दों के कारण इस वाणिज्यिक स्थान को सौंपे जाने के कार्य को 'रोक कर' रखा गया है. तथापि 36 आवासीय फ्लैटों में से 15 फ्लैट बैंक को सौंप दिये गए हैं.

समीक्षाधीन अवधि के दौरान आपके बैंक ने लखनऊ में एक नया अंचल खोला. लखनऊ में नये अंचल कार्यालय के लिए पट्टे पर परिसर को अंतिम रूप दिया जा चुका है और इसका इंटीरियर फर्नीशिंग (आईएफ) का कार्य प्रगति पर है. बैंक 2020-21 में अपने मौजूदा 12 अंचलों की संख्या में वृद्धि करते हुए पटना और भोपाल में दो नए अंचल शामिल करने की भी योजना बना रहा है, जिनके लिए वर्तमान में पट्टे पर परिसर के चयन की प्रक्रिया चल रही है.

आंतरिक लेखापरीक्षा

आपके बैंक का आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य आंतरिक नीतियों, प्रक्रियाओं और विनियामक दिशा-निर्देशों के अनुपालन का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करता है. बैंक का सुसंपन्न आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग (आईएडी) है जो विभिन्न कारोबार एवं सपोर्ट वर्टिकलों, अंचल कार्यालयों (अंका), क्षेत्रीय कार्यालयों (क्षेका), शाखाओं और गैर-शाखा खंडों द्वारा की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों की नियमित लेखापरीक्षा करता है. आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग (आईएडी), बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) के दिशानिर्देशों तथा देख-रेख में कार्य करता है. आईएडी के कार्य (i) जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा नीति; (ii) समवर्ती लेखापरीक्षा नीति; (iii) सूचना प्रणाली (आईएस) लेखापरीक्षा नीति द्वारा अभिशासित हैं. ये नीतियाँ वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस), भारत सरकार और रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गईं हैं. इस प्रकार से आईएडी के कार्य और विस्तार क्षेत्र समय-समय पर आशोधित की जानेवाली उपर्युक्त नीतियों के अनुसार निर्धारित और निष्पादित होते हैं. आईएडी लेखापरीक्षा के तीन प्रमुख प्रकारों अर्थात् आंतरिक लेखापरीक्षा, समवर्ती लेखापरीक्षा, और सूचना प्रणाली (आईएस) लेखापरीक्षा का संचालन/पर्यवेक्षण करता है. आईएडी (i) धोखाधड़ी निगरानी समूह (ii) सतर्कता प्रणाली (iii) स्टाफ जवाबदेही समिति सचिवालय के जरिए स्टाफ जवाबदेही (एसए) नीति का कार्यान्वयन (iv) लॉन्ग फॉर्म लेखापरीक्षा रिपोर्ट और वित्तीय रिपोर्ट पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण संबंधी कार्य का भी प्रबंध करता है. आंतरिक लेखापरीक्षा के कार्यों में शाखाओं/गैर-शाखा खंडों की नियमित लेखापरीक्षा करना, अंचल कार्यालयों और क्षेत्रीय कार्यालयों तथा प्रधान कार्यालय, मुंबई के विभागों की प्रबंध लेखापरीक्षा करना; अकस्मात् लेखापरीक्षा (विशेष रूप से नई खुली आरबीजी शाखाओं); विशेष लेखापरीक्षा (ऑफ साइट जोखिम मूल्यांकन, नियंत्रक विभागों/वर्टिकलों, अन्य लेखापरीक्षाओं के दौरान ध्यान में आए गंभीर मुद्दों/ कुप्रथाओं/ धोखाधड़ियों से प्राप्त होने वाले विभिन्न संकेतक) और ऋण लेखापरीक्षा शामिल हैं. लेखापरीक्षा विभाग नियत कार्यों को करते समय अपनी स्वतंत्रता तथा वस्तुनिष्ठता को बनाए रखता है. शाखाओं की लेखापरीक्षा पर गहराई से ध्यान केंद्रित करने और अनुवर्तन कार्यों को पर्याप्त और प्रभावी रूप से पूरा करना सुनिश्चित करने हेतु आपके बैंक में अपने सभी अंचलों में अंचल लेखापरीक्षा कार्यालय (ज़ेडएओ) बनाए गए हैं. ज़ेडएओ शाखाओं, गैर-शाखा खंडों और क्षेत्रीय कार्यालयों की लेखापरीक्षा करते हैं और बैंक की वार्षिक लेखापरीक्षा योजनाओं तथा जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) नीति के अनुसार लेखापरीक्षा रिपोर्टों को बंद करते हैं. लेखापरीक्षा विभाग परिचालनगत जोखिमों को कम करने के लिए परिचालनगत प्रक्रियाओं और सेवा गुणवत्ता में सुधारों के लिए सिफ़ारिशें भी करता है. बैंक ने सभी लागू विनियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप निर्धारित नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन में लेखापरीक्षा ट्रेल, फ्रंट और बैक ऑफिस परिचालनों के समुचित विभाजन सहित व्यापक आंतरिक नियंत्रण व्यवस्था लागू की है. लेखापरीक्षा गतिविधियों को एक वेब-आधारित एप्लिकेशन-लेखापरीक्षा प्रबंधन प्रणाली के जरिये संपन्न किया जाता है, जिसे लेखापरीक्षा इकाइयों के संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुपालनों की निगरानी हेतु तत्काल आधार पर एक्सेस किया जाता है.

जोखिम-आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए)

आपके बैंक ने जोखिम-आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) की नीति अपनाई है जिसके अंतर्गत इसकी जोखिम प्रबंध प्रक्रियाओं तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता और प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाता है. जोखिम रोकने, प्रभावी नियंत्रण प्रणाली रखने और परिचालनों की क्षमता में सुधार लाने के लिए बैंक की सभी शाखाओं की जोखिम-आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) की जाती है. रिटेल और कॉरपोरेट शाखाओं की आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति समग्र जोखिम स्तर अर्थात् नियंत्रण जोखिम और अंतर्निहित व्यवसाय जोखिमों (आईबीआर) के संयोजन के आधार पर तय की जाती है. आरबीआईए उपयुक्त जोखिम पहचान और मूल्यांकन, प्रभावी जोखिम रोकथाम उपायों और आंतरिक नियंत्रणों/प्रक्रियाओं की पर्याप्तता पर जोर देता है. आपके बैंक का आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार जोखिम-आधारित पर्यवेक्षण के सहायक आरबीआईए के जरिए लेखापरीक्षित इकाइयों के समग्र परिचालनों की विवेचनात्मक समीक्षा करता है.

जोखिम-आधारित प्रबंधन लेखापरीक्षा (आरबीएमए)

प्रबंधन लेखापरीक्षा के अंतर्गत प्रधान कार्यालय के सभी विभाग, अंचल कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रशिक्षण संस्थान अर्थात् जवाहरलाल नेहरू बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान (जेएनआईबीएफ) और सहायक संस्थाएं शामिल है. सभी अंचल कार्यालय और क्षेत्रीय कार्यालय जोखिम-आधारित प्रबंधन लेखापरीक्षा (आरबीएमए) के अधीन हैं जो नियमों और विनियमों के अनुपालन, आंतरिक नियंत्रण तंत्र की पर्याप्तता और प्रभावशीलता, नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुपालन पर ध्यान देती है और विभिन्न जोखिमों को दूर करने के लिए नियंत्रण को मजबूत और कारगर बनाने के उपायों पर सुझाव देती है.

गुणवत्ता आश्वासन लेखापरीक्षा (क्यूएए)

आपके बैंक ने अपने आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग को और सुदृढ़ एवं बेहतर बनाने के लिए और इसे प्रचलित सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप बनाने हेतु प्रतिष्ठित बाहरी परामर्शदाता के जरिए अप्रैल 2018 से व्यापक गुणवत्ता आश्वासन लेखापरीक्षा (क्यूएए) शुरू की थी. प्रारंभिक क्यूएए सिफ़ारिशों के आधार पर अतिरिक्त सुधार वर्ष 2019-20 के दौरान जारी रहा और खुदरा आस्ति केंद्रों (आरएसी), व्यापार वित्त केंद्र आदि के लिए अंतर्निहित व्यवसाय जोखिम मानदंड तथा प्रबंधन लेखापरीक्षा की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने का अतिरिक्त कार्य परामर्शदाता को सौंपा गया. इन उपायों का उद्देश्य लेखापरीक्षा प्रणाली और प्रक्रिया को और अधिक बेहतर बनाना था.

प्रारंभिक सिफ़ारिशों के आधार पर, आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग (आईएडी) ने अन्य बातों के साथ-साथ i) कारोबार पोर्टफोलियो में भावी जोखिम अर्थात् अंतर्निहित व्यवसाय जोखिम (आईबीआर) में भावी जोखिमों के मूल्यांकन तथा नियंत्रण जोखिम मूल्यांकन हेतु कारोबार मानदंडों की समीक्षा द्वारा शाखाओं की जोखिम मूल्यांकन पद्धति को बेहतर बनाया ii) उच्च जोखिम वाली गतिविधियां संचालित करने वाले गैर-शाखा खंडों की आंतरिक लेखापरीक्षा आवधिकता में परिवर्तन कर इन्हें वार्षिक किया गया तथा इन्हें समवर्ती लेखापरीक्षा के दायरे में भी शामिल किया गया iii) समय-समय पर समवर्ती लेखापरीक्षकों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा आरंभ की गई.

वर्ष के दौरान, संशोधित नियंत्रण जोखिम मानदंडों को कार्यान्वित करने के लिए संशोधित प्रणाली को अंतिम रूप दिया गया और शाखा लेखापरीक्षाओं के लिए इसका उपयोग किया गया. उपर्युक्त व्यावसायिक जोखिम संकेतकों और

पुनः-परिभाषित नियंत्रण जोखिम मानदंडों के कार्यान्वयन से आईएडी के लिए चिंता के विशिष्ट क्षेत्रों को रेखांकित करने और तद्नुसार शाखाओं एवं नियंत्रण कार्यालयों को ऐसे क्षेत्रों, जहां ध्यान देने की आवश्यकता है, के बारे में सतर्क करना आसान हो जाता है. इसके अतिरिक्त, इन जोखिमों के मूल्यांकन के लिए डेटा प्रवाह के स्वचालन के साथ-साथ नियम-आधारित नमूना प्रक्रिया, नमूने के चयन में विवेक जैसे कार्य लेखापरीक्षकों से ले लिए गए. इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षकों को उत्पाद-वार जांचसूचियां उपलब्ध करायी गईं जो उन्हें दिये गए अधिदेश को व्यावसायिक और प्रभावी रूप से पूर्ण करने के लिए आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराती हैं.

उपरोक्त सुधारों और एक सुदृढ़ संशोधित लेखापरीक्षा प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन ने नियामक संबंधी चिंताओं को दूर करने में बैंक की सहायता की.

लॉन्ग फॉर्म लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर)

आपका बैंक भी सांविधिक शाखा लेखापरीक्षा (एसबीए) और बैंक की शाखाओं के सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों (एससीए) द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी को लॉन्ग फॉर्म लेखापरीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) को अंतिम रूप देने के लिए संकलित और साझा कर रहा है. शाखाओं द्वारा जानकारी/डेटा इनपुट करने और प्रधान कार्यालय में एससीए द्वारा उपयोग के लिए समेकित रिपोर्ट जेनरेट करने हेतु आईएडी द्वारा एक ऑनलाइन प्रणाली विकसित कर लागू की गई है.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण (इफको-एफआर)

आपका बैंक (i) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता; और (ii) ऐसे नियंत्रणों की परिचालनगत प्रभावशीलता तथा सभी सक्रिय मुद्दों को समय पर और प्रभावी रूप से बंद करने की सुनिश्चितता सत्यापित करने के प्रयोजन से नियुक्त किए गए बाहरी परामर्शदाता द्वारा चिन्हित किए गए जोखिम नियंत्रण मैट्रिक्स के परीक्षण के लिए समन्वय व पर्यवेक्षण कर रहा है. संबंधित विभागों को नियमित आधार पर सुग्राही बनाया जा रहा है ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि सभी सक्रिय मुद्दों को बंद करने के प्रयास में नियंत्रणों के लिए पर्याप्त जांच की गई है. लंबे समय से लंबित सभी मुद्दे जिन्हें बंद करने में समय लगेगा, उन पर संबंधित विभाग/वर्टिकल के साथ आगे की कार्रवाई पर नज़र रखी जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पर्याप्त क्षतिपूर्ति नियंत्रणों को कार्यान्वित किया गया है तथा इन मुद्दों को इफको-एफआर परामर्शदाता द्वारा सत्यापित किया गया है.

सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा

सूचना प्रणाली (आईएस) लेखापरीक्षा कार्य की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए नए पहल कार्य/ कार्यकलाप शुरू किए गए हैं जैसे- (i) यह सुनिश्चित करने के लिए कि बैंक में कार्यान्वित साइबर सुरक्षा नियंत्रण उपयुक्त हैं और आईटी प्रणालियों में जोखिमों का पर्याप्त रूप से समाधान किया गया है, आरबीआई के साइबर सुरक्षा ढांचे की समीक्षा की गयी; (ii) बैंक के परिचालनगत जोखिम का पता लगाने में आईएस लेखापरीक्षा की लंबित टिप्पणियों को एक मापदण्ड के रूप में शामिल किया गया ताकि प्रबंधन को आईएस जोखिम की लंबित टिप्पणियों के कारण शेष जोखिम की जानकारी दी जा सके; (iii) आईएस लेखापरीक्षा यूनिवर्स को सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग के परामर्श के साथ अद्यतित किया गया ताकि इसे और भी केंद्रित और व्यापक बनाया जा सके; (iv) आईएस लेखापरीक्षा फिनेकल 10.x माइग्रेशन की लेखापरीक्षा हेतु सूचीबद्ध सूचना सुरक्षा सेवा प्रदाताओं (आईएसएसपी) की सेवाएँ लेता है. आईएस लेखापरीक्षा के दौरान टिप्पणियों/सिफ़ारिशों संबंधी सुझावों ने आईटी प्रणालीगत नियंत्रणों की प्रभावोत्पादकता और सक्षमता को बढ़ाया है ताकि वे प्रबंधन को इस संबंध में उपयुक्त आश्वासन दे सकें कि बैंक में कारोबारी/परिचालनगत प्रक्रियाओं सहित नियोजित आईटी इनफ्रास्ट्रक्चर सूचना प्रणाली के *'उपलब्धता, सत्य-निष्ठा और गोपनीयता'* के ध्येय को प्रभावी रूप से पूरा करते हैं तथा आईटी प्रणालियों में जोखिमों का पूर्ण समाधान कर लिया गया था अथवा वे स्वीकार्य सीमाओं के भीतर थे.

ऑफसाइट निगरानी प्रणाली

ऑफसाइट निगरानी प्रणाली (ओएमएस) शाखाओं और नियंत्रणाधीन कार्यालयों को दैनंदिन परिचालनों में वर्तमान नीतियों/प्रक्रियाओं से विचलन होने पर सावधान करने तथा उनमें तत्काल सुधार/अनुपालन करने का एक महत्वपूर्ण साधन है. ऑफसाइट निगरानी प्रणाली की गुणवत्ता में सुधार हेतु किए गए नए पहल कार्यों/ गतिविधियों के भाग के रूप में संबंधित वर्टिकलों के साथ मौजूदा ओएमएस अपवाद नियमों की सूची, नियम की श्रेणी, जोखिम तीव्रता, सृजन होने की बारंबारिता और सृजित अलर्टों की संख्या और उनमें निहित तर्कों सहित विभिन्न विषयों पर भी चर्चा की गयी ताकि उनसे इन बातों के लिए बहुमूल्य विचार/ सुझाव लिए जा सकें: (i) अधिक नियंत्रण बिन्दु आरंभ करने के लिए नए नियमों की सिफारिश करना; (ii) वर्तमान नियमों में संशोधन करना; और (iii) पुराने/निरर्थक हो चले वर्तमान ओएमएस नियमों को हटाना. प्राप्त फीडबैक/सुझावों और आंतरिक समीक्षा के आधार पर ऑफसाइट निगरानी प्रणाली को मजबूत करने हेतु विभिन्न श्रेणियों में आठ नए नियम शामिल किए गए, 15 वर्तमान नियमों में संशोधन किए गए और एक वर्तमान नियम को हटाया गया.

समवर्ती लेखापरीक्षा

समवर्ती लेखापरीक्षा (सीए) प्रणाली अनियमितताओं/चूकों का पता लगाने के लिए बैंक की प्रारंभिक चेतावनी संकेत (ईडब्ल्यूएस) प्रणाली का भाग है जो जोखिमों को नियंत्रित रखने में आंतरिक और विनियामकीय दिशानिर्देशों के उल्लंघनों की रोकथाम करने और धोखाधड़ी वाले लेनदेनों को रोकने में सहायता करती है. समवर्ती लेखापरीक्षा प्रणाली दरअसल एक नियंत्रण प्रक्रिया है जो मजबूत आंतरिक लेखांकन प्रणालियों और प्रभावी नियंत्रणों की स्थापना हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण है. भारतीय रिज़र्व बैंक के सम्बद्ध दिशानिर्देशों के अनुसार समवर्ती लेखापरीक्षा शाखाओं/ अन्य गैर-शाखा इकाइयों जैसे ट्रेज़री, केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई (सीपीयू) और खुदरा आस्ति केन्द्रों (आरएसी) में की जाती है, जिनकी पहचान जोखिम बोध और कारोबार की मात्रा के आधार पर होती है. इसके अलावा, प्रधान कार्यालय के अभिनिर्धारित कार्यपरक प्रभागों की भी समवर्ती लेखापरीक्षा होती है तथा सभी व्यापार वित्त केंद्रों को समवर्ती लेखापरीक्षा के अंतर्गत शामिल किया गया है. बैंक की बोर्ड द्वारा अनुमोदित समवर्ती लेखापरीक्षा नीति के अनुसार समवर्ती लेखापरीक्षा को रिज़र्व बैंक द्वारा जमाराशियों के न्यूनतम 50% और अग्रिमों के न्यूनतम 50% को कवर करने संबंधी मानदंड की तुलना में बैंक की ज़माराशियों के 70% और अग्रिमों के 70% भाग को कवर करना आवश्यक है. वर्ष 2019-20 के लिए सीए के अंतर्गत कुल जमा राशियों का हिस्सा 88.52% और कुल अग्रिमों का 84.71% रहा जिसमें कुल 708 लेखापरीक्षित इकाइयां कवर की गईं और इसके लिए बाहरी सनदी लेखाकार फर्मों की सेवाएं ली गई थीं. रिपोर्ट की गुणवत्ता तथा समय पर प्रस्तुति हेतु समवर्ती लेखा परीक्षकों के कार्यनिष्पादन पर अंचल लेखापरीक्षा कार्यालय (जेडएओ) और आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग लगातार गहन निगरानी रखते हैं.

ऋण लेखापरीक्षा

आपके बैंक ने वार्षिक आधार पर चुनिंदा खातों की विस्तृत समीक्षा के लिए ऋण लेखापरीक्षा प्रणाली कार्यान्वित की है. निम्नलिखित परिभाषित मानदंडों के आधार पर समीक्षाधीन अवधि के दौरान मंजूर किए गए नए प्रस्तावों में से

उधारकर्ता खाते ऋण लेखापरीक्षा के लिए अभिनिर्धारित किए जाते हैंः (i) कार्यकलाप के आकार के आधार पर निर्दिष्ट सीमा के बराबर अथवा उससे अधिक की मंजूरी सीमा वाले सभी नए प्रस्ताव (संवितरण की तारीख से 3-6 महीने के अंदर) और सीमाओं के नवीकरण/नवीकरण-सह-वृद्धि के प्रस्ताव; (ii) बचे हुए प्रस्तावों में से बिना किसी क्रम से चुने गए (5%) प्रस्ताव; (iii) निवेश ग्रेड से नीचे के प्रस्ताव (यदि वित्तीय वर्ष के दौरान निवेश ग्रेड से परिवर्तित हुए हों); और (iv) कार्यकलाप के आकार के आधार पर निर्दिष्ट सीमा के बराबर अथवा उससे अधिक की मंजूरी सीमा वाले अधिग्रहण संबंधी मामले.

रिटेल शाखाओं के लिए धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (एफआरआई)

शाखा द्वारा प्रदान किए गए अग्रिमों में धोखाधड़ी की संभाव्यता के स्तर का आकलन करने के लिए आपके बैंक ने रिटेल शाखाओं के लिए मौजूदा आरबीआईए टेम्पलेट के अंतर्गत धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (एफआरआई) व्यवस्था लागू की है. 24 कार्यात्मक क्षेत्रों को धोखाधड़ी के लिए अति संवेदनशील क्षेत्र के रूप में अभिनिर्धारित किया गया है और धोखाधड़ी जोखिम संकेतक (एफआरआई) के रूप में चुना गया है.

छानबीनपरक लेखापरीक्षा अथवा विशेष छानबीनपरक लेखापरीक्षा (आईए/एसआईए)

वर्ष 2019-20 के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा विभिन्न शाखाओं/आरएसी में कुल 56 छानबीनपरक लेखापरीक्षा अथवा विशेष छानबीनपरक लेखा परीक्षाएं की गईं. यह एसआईए विभिन्न संकेतकों जैसे कि वर्टिकलों के अनुरोध, कार्यपालक निदेशकों, उप प्रबंध निदेशकों और एमडी एवं सीईओ के निदेशों, अन्य पक्ष की शिकायतों, सतर्कता विभाग के संदर्भों आदि के आधार पर की जाती हैं. इन एसआईए से प्राप्त महत्वपूर्ण टिप्पणियों, आईएडी की परामर्शी सूचनाओं और उन पर किए गए सुधारात्मक उपायों की रिपोर्टिंग कार्यपालकों की लेखापरीक्षा समिति (एसीई) और बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी) को की गई. आईएडी द्वारा की गई जांच, नीतियों, उत्पाद संबंधी दिशानिर्देशों, कार्य प्रणालियों और प्रक्रियाओं में प्रणालीगत सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और नियंत्रणों की बहाली तथा शाखाओं की बेहतर समग्र निगरानी सुनिश्चित करने में सहायता करती हैं. आईए/एसआईए द्वारा उपलब्ध कराये गए प्रारंभिक संकेतकों ने अंचल कार्यालयों को समय पर वसूली/कानूनी कार्रवाई आरंभ करने में तथा खातों को एनपीए बनने से रोकने में सहायता की. जहां कहीं भी कोई लिखित प्रक्रिया नहीं थी वहाँ मानक परिचालनगत प्रक्रियाओं (एसओपी) को आरंभ किया गया और इसके लिए तीव्रता मैट्रिक्स बनाये गये. आईए/एसआईए ने बैंक को निगरानी में अंतर, नए जोखिम क्षेत्रों, नियंत्रणों में चूक की पहचान करने में मदद की और बैंक को नियंत्रण कार्यकलाप बढ़ाने और सक्रियतापूर्वक कार्रवाई करते हुये विभिन्न जोखिमों को कम करने में सहायता की. इससे कार्य प्रणालियों, प्रक्रियाओं, नीतियों और उत्पादों में समग्र रूप से सुधार आया.

धोखाधड़ी निगरानी

आपके बैंक ने आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग (आईएडी) के अंतर्गत एक समर्पित धोखाधड़ी निगरानी समूह (एफ़एमजी) के माध्यम से धोखाधड़ी निगरानी व्यवस्था कार्यान्वित की है. धोखाधड़ी निगरानी समूह धोखाधड़ियों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपराचारात्मक कार्रवाईयों की प्रभावोत्पादकता की भी समीक्षा करता है साथ ही इस संबंध में समय-समय पर आवश्यक परामर्श देता / परिपत्र भी जारी करता है. इस प्रकार की कार्रवाई में आंतरिक नियंत्रणों को मजबूत बनाना और आवश्यकता-आधारित उपचारात्मक उपाय लागू करना शामिल है. धोखाधड़ियों का समयपूर्व पता लगाने, उनकी रोकथाम करने, रिपोर्टिंग, निगरानी और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई के लिए एक विस्तृत धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन नीति कार्यान्वित की गई है. धोखाधड़ी की त्वरित रिपोर्टिंग और धोखाधड़ी के मामलों की समय सीमा के अंतर्गत रिपोर्टिंग हेतु विभिन्न आंतरिक परिपत्र जारी किए गए जिनमें रिज़र्व बैंक को धोखाधड़ी की समय पर रिपोर्टिंग करने के महत्व को दोहराया गया. धोखाधड़ी के मामलों को कम करने के लिए ₹ 1 करोड़ और उससे ऊपर के सभी ऋण और बंधक संबंधी दस्तावेजों के लिए विधिक लेखा-परीक्षा करने का तंत्र बनाया गया है. आपके बैंक ने धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए धोखाधड़ी के मामलों के मूल कारणों का विश्लेषण और इसमें व्यवस्थित सुधार किए हैं.

सतर्कता तंत्र

आपके बैंक के प्रधान कार्यालय, मुंबई में पूर्ण रूप से गठित सतर्कता विभाग परिचालनरत है जिसके विभागाध्यक्ष मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) हैं. आपके बैंक ने अंचल स्तर पर सतर्कता गतिविधियों की निगरानी सुनिश्चित करने और बेहतर नियंत्रण प्राप्त करने उद्देश्य से अंचल सतर्कता ढांचे को गठित किया है.

आपके बैंक के सीवीओ द्वारा निष्पादित किये जाने वाले कार्यकलापों का व्यापक कार्यक्षेत्र/ दायरा है तथा इसमें बैंक के कर्मचारियों द्वारा किए गये अथवा संभवतः किए जाने वाले भ्रष्ट कार्यों के संबंध में खुफिया जानकारी एकत्रित करना शामिल है. सीवीओ, बैंक के सतर्कता मामलों से संबंधित सभी कार्यों को करते/ देखते हैं जिनमें (i) सतर्कता मामलों पर कार्यवाही करना, सतर्कता इंगित करने वाली और सत्यापन किए जाने लायक आरोपों से संबद्ध शिकायतों की जांच करना (ii) छानबीन रिपोर्टों पर कार्यवाही करना जिन्हें आगे अनुशासनात्मक प्राधिकारी के विचारार्थ भेजा जाए, (iii) जहां कहीं भी आवश्यकता हो मामलों को केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीओ) को उनके विचारार्थ/ सूचना हेतु भेजना (iv) भ्रष्टाचार/ कदाचार रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाना और (v) विभिन्न विधि प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय और संपर्क करना शामिल हैं.

आपके बैंक के इंट्रानेट पर सतर्कता विभाग का समर्पित वेबपेज है जिस पर विभाग के कार्यों की जानकारी, बैंक की सभी शाखाओं / कार्यालयों में प्रदर्शित किए जाने वाले सीवीसी के मानक नोटिस के प्रारूप; सीवीसी व सीवीसी के मुख्य तकनीकी निरीक्षक संगठन (सीटीईओ) द्वारा तथा आपके बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले महत्वपूर्ण परिपत्र / दिशानिर्देशों और निवारक सतर्कता के लिए *'क्या करें और क्या न करें'* जैसी जानकारी दी गई है. इससे आपके बैंक को अपने अधिकारियों के बीच सतर्कता जागरूकता के स्तर को बढ़ाने में मदद मिली है.

आपके बैंक द्वारा अपनाए गए कुछ सतर्कता निवारक उपायों में विभिन्न शाखाओं में अनाचार, यदि कोई हो, का पता लगाने और स्थापित प्रणालियों और प्रक्रियाओं के गैर-अनुपालन की जांच हेतु औचक सतर्कता दौरे तथा स्वतः संज्ञान आधार पर निरीक्षण (एसवीवी) करना शामिल है. इसके अलावा सतर्कता विभाग द्वारा एक बारीय निपटान/ पहली बार एनपीए (ओटीएस/एफटीएनपीए) मामलों की जांच, बैंक अधिकारियों की आस्ति व देयताओं में असामान्य भिन्नता/ बेमेल पाए जाने अथवा गैर-आनुपातिक आस्तियों के मामले का पता लगाने के लिए बैंक अधिकारियों की वार्षिक आस्ति व देयताओं की विवरणियों (एआरएएल) की जांच, बैंक की लेखापरीक्षा रिपोर्टों की जांच के कार्य भी किए जाते हैं.

भ्रष्टाचार से निपटने के प्रयासों के तहत साथ ही साथ सीवीसी द्वारा निर्देशित जन जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए आपके बैंक ने 28 अक्टूबर 2019 से 02

नवंबर 2019 तक *'सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडबल्यू) 2019'* मनाया जिसका विषय था *'ईमानदारीः जीने का एक तरीका'*. इस अवसर पर, आपके बैंक ने स्टाफ सदस्यों के लिए एक विशेष जर्नल जारी किया और स्टाफ सदस्यों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे निबंध लेखन, भाषण प्रतियोगिता, क्विज़, आदि का आयोजन भी किया. बैंक के प्रधान कार्यालय/ अंचल कार्यालय/ क्षेत्रीय कार्यालय और शाखाओं के कर्मचारियों और अन्य हितधारकों को सुग्राही बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों / सेमिनारों / वार्ताओं का आयोजन किया गया. आम जनता/नागरिकों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए, आपके बैंक ने, सतर्कता जागरूकता सप्ताह (वीएडब्लू) 2019 के एक भाग के रूप में, अपने अंचल कार्यालयों, क्षेत्रीय कार्यालयों, शाखाओं और अन्य ग्राहक-संपर्क प्लेटफॉर्मों के प्रमुख स्थानों पर बैनर और पोस्टर प्रदर्शित किए. बैंक की अर्ध-शहरी और ग्रामीण शाखाओं में जागरूकता ग्राम सभाओं का आयोजन भी किया गया.

विनियामक अनुपालन

आपका बैंक आंतरिक नियंत्रणों की संरचित प्रणाली और विभिन्न स्तरीय समीक्षा के ज़रिए भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा अन्य विनियामक/ सांविधिक निकायों द्वारा निर्दिष्ट विभिन्न सांविधिक एवं विनियामक दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करता है. मुख्य अनुपालन अधिकारी (सीसीओ) के रूप में नामित एक वरिष्ठ अधिकारी की देख-रेख में आपके बैंक के प्रधान कार्यालय में स्थित अनुपालन विभाग सभी वैधानिक और विनियामक दिशानिर्देशों के प्रसार और आंतरिकीकरण का समन्वय करता है. आपके बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुरूप बोर्ड द्वारा अनुमोदित व्यापक अनुपालन नीति लागू की है जिसकी वार्षिक आधार पर समीक्षा की जाती है. आपके बैंक में अनुपालन कार्य के संबंध में प्रत्येक टियर के लिए भूमिका व जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से परिभाषित की गई है. बोर्ड को भारतीय रिज़र्व बैंक और अन्य विनियामकों / एजेंसियों से प्राप्त महत्वपूर्ण सूचनाओं / दिशानिर्देशों के संबंध में मासिक अंतराल से अवगत कराया जाता है. समीक्षाधीन अवधि के दौरान आपके बैंक ने Cermo+ ('सर्मो+') नामक उन्नत तकनीकी एप्लिकेशन के कार्यान्वयन द्वारा निचले स्तर तक आंतरिक अनुपालन पद्धति को मजबूत बनाया. आपके बैंक ने रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट की जाने वाली अनुपालन रिपोर्टिंग प्रणाली को भी स्वचालित कर दिया है जिससे समय पर अनुपालन प्रस्तुति और उपयुक्त डेटा प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके.

सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम

आपके बैंक ने कार्य के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित जानकारी के लिए प्राप्त होने वाले अनुरोधों का त्वरित उत्तर देने के लिए केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) नामित किए हैं. इसके अलावा, सभी शाखा प्रमुखों को आरटीआई अधिनियम के अंतर्गत आवेदनों को प्राप्त करने और उन्हें नामित सीपीआईओ के पास भेजने के लिए केंद्रीय सहायक जन सूचना अधिकारी (सीएपीआईओ) के रूप में नामित किया गया है. आपके बैंक ने असंतुष्ट आवेदकों की अपीलों पर कार्रवाई करने के लिए मुख्य महाप्रबंधक श्रेणी के एक वरिष्ठ अधिकारी (एफएए) को प्रथम अपील प्राधिकारी के रूप में नामित किया है. आरटीआई अधिनियम की धारा 4 के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कार्यपालक निदेशक श्रेणी का एक पारदर्शिता अधिकारी नियुक्त किया गया है. बैंक की वेबसाइट (www.idbibank.in) पर सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम पर एक अलग लिंक उपलब्ध कराया गया है. आपके बैंक ने भारत सरकार के ऑनलाइन पोर्टल (https://rtionline.gov.in) के साथ भी संबद्धता स्थापित की है जिसके ज़रिए नागरिक आरटीआई अधिनियम के तहत जानकारी मांग सकते हैं और अपील दायर कर सकते हैं.

हिंदी का प्रगामी प्रयोग

समीक्षाधीन अवधि के दौरान आपके बैंक ने भारत सरकार के निदेशों के अनुसार राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने और राजभाषा अधिनियम व नियमों के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु संगठित प्रयास किए. भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपके बैंक के सभी कार्यालयों और शाखाओं द्वारा नियमित रूप से विशेष प्रयास किए गए. आपके बैंक ने अपनी वेबसाइट पर बैंक के उत्पादों एवं सेवाओं के बारे में हिंदी में विस्तृत सूचना उपलब्ध कराने के अपने प्रयास जारी रखे. बैंक के अभय, पेएप्ट और एमपासबुक जैसे मोबाइल एप्लिकेशन हिंदी सुविधा के साथ उपलब्ध कराए गए. आपका बैंक रिटेल बैंकिंग लेन-देनों में हिंदी सहित 12 भारतीय भाषाओं में एसएमएस की सुविधा प्रारम्भ करने के लिए कार्य कर रहा है. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) तथा डिजिटल बैंकिंग से संबंधित विभिन्न अभियान हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में आयोजित किए गए. ग्राहकों को सूचना देने के लिए विभिन्न प्रकार के पोस्टर, बैनर तथा अन्य तथ्यपरक सामग्रियों को हिंदी के साथ-साथ अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रदर्शित किया गया. सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत आने वाली योजनाओं जैसे - अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, सुकन्या समृद्धि योजना आदि से संबंधित प्रचार अभियानों में हिंदी तथा क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया गया.

आपके बैंक ने दैनंदिन कार्यालयीन कार्यों में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के लिए अपने इंट्रानेट पर द्विभाषी रूप में टेम्पलेट पत्र, फॉर्म, शब्दकोश, नोटिंग और अन्य प्रासंगिक संदर्भ सामग्री अपलोड की है. कार्यालयीन कार्य हिंदी में करने हेतु स्टाफ सदस्यों को प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन योजनाएँ लागू की गईं और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया. आपके बैंक के विभिन्न कार्यालयों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सभी क्षेत्रों में राजभाषा कार्यशालाएं आयोजित की गईं जिनमें राजभाषा कार्यान्वयन की विभिन्न अपेक्षाओं और हिंदी यूनिकोड के प्रयोग से स्टाफ सदस्यों को परिचित कराया गया. आपके बैंक ने सितंबर 2019 में राजभाषा पखवाड़ा का आयोजन भी किया.

आपके बैंक द्वारा दैनंदिन कार्यों और अपने कारोबार में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के प्रयासों की विभिन्न मंचों पर प्रशंसा हुई है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i) आपके बैंक के नई दिल्ली अंचल कार्यालय और लुधियाना क्षेत्रीय कार्यालय को उनकी संबंधित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) द्वारा राजभाषा कार्यान्वयन में श्रेष्ठ कार्य-निष्पादन हेतु राजभाषा पुरस्कार प्रदान किया गया;

ii) आपके बैंक की तिमाही हिंदी पत्रिका *'विकास प्रभा'* को प्रतिष्ठित साहित्यिक एवं सांस्कृतिक संस्था - *'आशीर्वाद'* द्वारा श्रेष्ठ हिंदी गृह पत्रिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया.

iii) भारत सरकार के राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने अपने निरीक्षणों के दौरान आपके बैंक में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की सराहना की.

ग्राहक सेवा और शिकायत प्रबंधन

अपने सभी हितधारकों के लिए सर्वाधिक पसंदीदा और विश्वसनीय बैंक बनने के ध्येय को पूरा करने के लिए आपके बैंक ने ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें सर्वोत्तम वित्तीय समाधानों के व्यापक समूह द्वारा उत्कृष्ट ग्राहक सेवा पर विशेष जोर दिया गया है.

आपके बैंक में विभिन्न संपर्क बिन्दुओं से प्राप्त ग्राहक शिकायतों का निवारण करने के लिए केंद्रीकृत तथा समर्पित ग्राहक सेवा केंद्र (सीसीसी) है जिसका सीसीसी आईएसओ 9001 : 2015 प्रमाणन किया गया है. आपका बैंक ग्राहक सेवा, शिकायत निवारण तथा ग्राहक अधिकार नीति के अनुरूप नवीनतम घटनाक्रमों के अनुसार नीतियों की नियमित रूप से समीक्षा करता है. ग्राहकों की शिकायतों का समय पर निवारण और ग्राहक आह्लाद तथा अपने ग्राहकों का हर समय खयाल रखने के प्रति प्रतिबद्धता ही बैंक का मूल ध्येय है. ग्राहक शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए बैंक ने बोर्ड अनुमोदित अद्यतित शिकायत निवारण नीति (दिसंबर 2019) कार्यान्वित की है जो शिकायत समाधान और ग्राहक सेवा सुपुर्दगी के प्रति इसके दृष्टिकोण को दर्शाती है. सभी चैनलों से प्राप्त शिकायतों पर इस नीति के अनुसार ही कार्रवाई की जाती है जिसमें समय-आधारित एस्केलेशन मैट्रिक्स शामिल है, जिसके तहत यदि शिकायत का समाधान एक तय समय सीमा के भीतर नहीं किया जाता तो उसे अगले उच्च अधिकारी के पास प्रेषित कर दिया जाता है. इस उद्देश्य के लिए बैंक ने अपने 12 अंचल कार्यालयों में से प्रत्येक में शिकायत निवारण अधिकारी (जीआरओ) और प्रधान कार्यालय मुंबई में मुख्य नोडल अधिकारी (पीएनओ) को पदनामित किया है. इसके अलावा आंतरिक लोकपाल योजना 2018 के अनुसार ऐसी शिकायतें जिन्हें बैंक अस्वीकार करने / आंशिक रूप से समाधान करने का प्रस्ताव करता है, उन्हें ग्राहक को जवाब देने से पहले आंतरिक लोकपाल के पास भेज दिया जाता है. बैंक की अपनी मानकीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली (एसपीजीआरएस) है, जो प्राप्त शिकायतों को दर्ज करने, निगरानी रखने और उनका समय पर समाधान करने मे सहायता करती हैं. विभिन्न ग्राहक संपर्क बिन्दुओं और नियामकों से प्राप्त शिकायतों की प्रविष्टि इस सिस्टम में की जाती है. इस सिस्टम में पूर्व-निर्धारित कार्रवाई समय (टीएटी) के अनुसार ऑटो अलर्ट तंत्र सहित इनबिल्ट एस्केलेशन मैट्रिक्स है. बैंक का ग्राहक बैंक की वेबसाइट के माध्यम से अपनी शिकायत की स्थिति को ट्रैक कर सकता है. शिकायत समाधान में विलंब के मामले में बैंक एसएमएस अलर्ट के जरिये ग्राहक को इसकी सूचना देता है. इसके अलावा अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेन-देनों को रोकने/कम करने के लिए आपके बैंक के पास ऐसे कई विभिन्न माध्यम हैं जिनके द्वारा ग्राहक ऐसे लेन-देनों की रिपोर्ट 24x7 आधार पर कर सकता है. सुविधाजनक बैंकिंग के अपने प्रयासों और ग्रीन पहल के अंतर्गत बैंक ने विभिन्न चैनलों जैसे एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग और इंटरैक्टिव वॉइस रेस्पोंस (आईवीआर) के जरिए डेबिट कार्ड पिन सृजन आदि की सुविधा दी है ताकि इससे ग्राहकों को बेहतर सहूलियत हो सके.

आपका बैंक नियमित आधार पर ग्राहक से फीडबैक प्राप्त करता है तथा ग्राहकों की खुशी के लिए प्रक्रियाओं में सुधार हेतु इसका प्रयोग करता है. यह अखिल भारतीय स्तर पर ग्राहक बैठकों का भी आयोजन करता है जिसमें बैंक का वरिष्ठ प्रबंधन ग्राहकों से बातचीत करता है. बैंक वार्षिक आधार पर जमाकर्ता संतुष्टि सर्वेक्षण भी करता है और इससे प्राप्त जानकारी का उपयोग उत्पाद/प्रक्रिया/सिस्टम में सुधार के लिए करता है. इसके अलावा, ग्राहकों को दी गयी ग्राहक सेवा की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के उद्देश्य से आपका बैंक सभी शाखाओं में गुप्त खरीददारी कार्यकलाप भी आयोजित करता है.

बैंक का संपर्क केंद्र दो स्थानों अर्थात् सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई तथा हैदराबाद से 24x7 आधार पर अपने परिचालन करता है. संपर्क केंद्र हिंदी और अंग्रेजी के अलावा 10 क्षेत्रीय भाषाओं में भी सेवाएँ प्रदान करता है. विभिन्न सेवाओं जैसे पूछताछ/अनुरोध और शिकायतों का समाधान करने के अलावा संपर्क केंद्र कारोबार जनरेशन और वसूली कॉल भी संचालित करता है.

आपके बैंक ने ग्राहक सेवा पर स्थायी समिति (एससीसीएस) एवं बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी) जैसी वरिष्ठ स्तर की दो समितियां स्थापित की हैं, जो हर तिमाही में बैठकें आयोजित करती हैं. यह समितियां बैंक के विभिन्न चैनलों द्वारा ग्राहकों को मुहैया कराई जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता के फीडबैक की समीक्षा करती हैं. यह समितियां ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों की भी समीक्षा करती हैं और इनके समाधान में तत्परता के लिए आवश्यक निर्देश भी प्रदान करती हैं.

कॉरपोरेट संप्रेषण

वर्ष 2019-20 के दौरान आपके बैंक द्वारा प्रचार-प्रसार के लिए किए गए प्रयासों का ध्येय बैंक के उत्पादों और सेवाओं की रिकॉल वैल्यू बढ़ाना और बैंक की सकारात्मक छवि को बनाए रखना तथा उसमें वृद्धि करना था.

आपके बैंक द्वारा विज्ञापनों और प्रचार-प्रसार के संबंध में किए गए पहल कार्यों में बैंक के अग्रणी रिटेल उत्पादों की विशेषताओं संबंधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया गया. बैंक के किफ़ायती अभियानों जैसे आवास ऋण, मीयादी जमा, स्वर्ण ऋण, अधिमान्य बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग को प्रिंट, आउटडोर(ओओएच) रेडियो और डिजिटल प्लेटफार्मो पर प्रसारित किया गया. इन अभियानों में उत्पादों की विशिष्ट विशेषताओं पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया.

विज्ञापन क्षेत्र की ही तरह आपके बैंक ने जनसंपर्क (पीआर) क्षेत्र में भी कई पहल कार्य किए. आपके बैंक के जन संपर्क अभियानों का उद्देश्य समाचारों के सकारात्मक पहलू को बनाए रखना और मीडिया में बैंक की छवि को बढ़ाने के साथ ही साथ हितधारकों की अनुभूति को सुदृढ़ करना भी था. आपके बैंक को प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में अपने पहल कार्यों के लिए सकारात्मक प्रतिसाद मिला.

बैंक ने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों में अपने कार्यकलाप जारी रखे और अपने आधिकारिक फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के जरिये अपने संप्रेषणों को बनाये रखा. वर्ष के दौरान विशेष ट्विटर हैंडल - *@IDBIBankCares* भी आरंभ किया गया जो पूर्ण रूप से ग्राहकों की शिकायतों के समाधान के लिए समर्पित है.

आंतरिक संप्रेषण

आपके बैंक के आंतरिक संप्रेषण का उद्देश्य बैंकिंग सहित अन्य क्षेत्रों की गतिविधियों पर महत्वपूर्ण विचारों का प्रभावी आदान-प्रदान करना था. इससे बैंक के विभिन्न विभागों और शाखाओं के बीच पारस्परिक सहयोग सुनिश्चित किया गया और कर्मचारियों के बीच समन्वय भावना को जागृत करने और एक सामूहिक लक्ष्य के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से संबंधों को विकसित करने में मदद मिली.

कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न पहल कार्य किए गए. इसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, डिजिटल समाचार पत्र *'अभ्युदय'* का प्रसारण जिसके माध्यम से कर्मचारियों को बैंक की विभिन्न गतिविधियों के बारे में अद्यतन जानकारी दी गई, कर्मचारियों के लिए शीर्ष प्रबंधन विडियो संदेश, कामकाजी शनिवार को ऑनलाइन क्विज के जरिए कर्मचारियों से जुड़ना, आदि शामिल है.

आपके बैंक ने अपनी तिमाही गृह पत्रिका *'श्री वयम्'* को डिजिटल अवतार में पुनः आरंभ किया. श्री वयम् बैंक के वर्तमान कर्मचारियों और साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों को विभिन्न विषयों पर उनके अनुभवों और विचारों को साझा करने का अवसर प्रदान करता है. इसके अलावा अपने कर्मचारियों के समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बैंक ने *'स्टेप-ए-टन'* नामक अखिल भारतीय गतिविधि का आयोजन किया, जो लोगों के मन मस्तिष्क में हमारे ब्रांड और प्रमुख उत्पादों की छवि गढ़ने में मदद करेगी.

सूचना प्रौद्योगिकी

वर्ष के दौरान, आपके बैंक ने अपनी ग्राहक सेवा पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकीय नवोन्मेषण पर और इसके उन्नयन पर निवेश करना जारी रखा. आपके बैंक द्वारा वर्ष के दौरान किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में बैंक के कोर बैंकिंग समाधान का 7.x से 10.x में सफल व सहज माइग्रेशन, नेट बैंकिंग सिस्टम का नवीनतम फिनेकल ई-बैंकिंग आर्किटेक्चर (फेबा) में अपग्रेडेशन, समय-पूर्व चेतावनी संकेत (ईडबल्यूएस) समाधान का कार्यान्वयन, एनालिटिक्स एवं ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) सेल्स मॉड्यूल की सफल शुरुआत, उद्यम-व्यापी डेटा वेयरहाउस (ईडीडबल्यू) का निर्माण, उद्यम-व्यापी धोखाधड़ी जोखिम प्रबंधन समाधान (ईएफआरएमएस) के मोबाइल एप्लिकेशन के साथ ऑफसाइट मॉड्यूल और ऑनलाइन मॉड्यूल की सफल शुरुआत जैसे कार्य शामिल हैं. उद्यम-व्यापी डेटा वेयरहाउस (ईडीडबल्यू) प्रोजेक्ट के अंतर्गत विभिन्न ऋण उत्पादों के लिए एनपीए भविष्यवाणी हेतु, कृषि/ एमएसएमई पोर्टफोलियो के लिए उत्पाद छोड़ देने संबंधी (चर्न) भविष्यवाणी, चालू/ बचत खाते, क्रॉस सेल, अप सेल मॉडल, ग्राहक प्रोफाइलिंग व खंड आदि के लिए कई विश्लेषणात्मक / भविष्यसूचक मॉडल बनाए हैं. इसके अलावा उपयोगकर्ताओं के लिए विभिन्न कारोबारी कार्यकलाप हेतु डेटा-सेट तैयार किए गए ताकि ग्राहक आसानी से अपेक्षित रिपोर्ट सृजित कर सकें. इन परियोजनाओं के साथ ही आपके बैंक ने अपने कई महत्वपूर्ण आईटी हार्डवेयर सिस्टमों के उन्नयन और उनके पूर्ण रख-रखाव पर विशेष जोर दिया है और नेटवर्क उपकरणों, स्विचों और सर्वरों जैसी अपनी आस्तियों के संवर्धन में दीर्घकालिक निवेश किये हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नियोजित हार्डवेयर पर्याप्त और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी युक्त है. विनियामकीय और संवैधानिक महत्व की परियोजनाओं के सफल निष्पादन के अलावा, आपके बैंक ने विभिन्न उत्कृष्ट सुरक्षा समाधानों को प्रारंभ करते हुए जिसका कार्यान्वयन उन्नत चरण में है, उद्योग-वार सूचना सुरक्षा मसलों का भी समाधान किया है.

आपके बैंक ने सही समय पर सही उत्पाद उपलब्ध कराते हुए उच्च ग्राहक वॉलेट शेयर प्राप्त करने के उद्देश्य से डेटा एनालिटिक्स के लिए एक उत्कृष्टता केंद्र (सीओई) का भी गठन किया है जिसका पूरा ध्यान ग्राहकों के संवर्गीकरण, उन्हें लक्ष्यित करने, उन्हें हासिल करने और उन्हें अपने पास बनाए रखने पर केंद्रित था. इसके अतिरिक्त बैंक अपने लाभकर ग्राहक आधार को और भी बढ़ाने और बनाए रखने के लिए अपने जोखिम प्रबंधन और ग्राहक संबंधी समझ में सुधार कर रहा है. डेटा विश्लेषणात्मक टीम द्वारा तैयार किए गए विभिन्न उपयुक्त मॉडलों की मदद से आपके बैंक ने संरचनात्मक रिटेल आस्तियों, जीवन बीमा पॉलिसियों, म्युचुअल फंडों, डीमैट आदि के लिए कई सफल अभियान आयोजित किए. डेटा विश्लेषणात्मक टीम द्वारा उद्योगों के संबंध में दी गयी जानकारी की मदद से आपके बैंक ने संरचनात्मक रिटेल आस्तियों और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार (पीएसएल) को ऋण हेतु केंद्रित और लक्ष्यित दृष्टिकोण अपनाया है. डेटा विश्लेषणात्मक टीम डिजिटल बैंकिंग टीम के सहयोग से डिजिटल बैंकिंग में अपनी पहुँच और उसकी मात्रा को बढ़ाने के लिए विभिन्न मॉडल तैयार कर रही है.

आपके बैंक ने स्वचालित प्रक्रिया के माध्यम से विवरणियों के सृजन और उन्हें रिज़र्व बैंक को प्रेषित करने हेतु क्रमशः स्वचालित डेटा फ्लो (एडीएफ) एप्लिकेशन और केंद्रीकृत सूचना प्रबंधन प्रणाली (सीआईएमएस) का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया. आरबीआई सीआईएमएस परियोजना के अंतर्गत प्रायोगिक रन के दौरान आपका बैंक विवरणियों के नमूना सेट हेतु विवरणियों के आरंभ से अंत तक का संपूर्ण फ्लो प्राप्त करने वाला पहला बैंक बना. आपके बैंक ने स्वचालित एक्सपोज़र गणना प्रणाली (एईसीएस) का भी कार्यान्वयन किया जो आवश्यकता आधारित उधारकर्ता-वार एक्सपोज़र और एक्सपोज़र संबंधी रिपोर्ट तैयार कर उसे साझा करती है. आपके बैंक ने 1 मई 2019 से 14 अगस्त 2019 की अवधि के दौरान *'मेरी शाखा शुचि शाखा'* नामक अभियान आरंभ कर *'प्रोजेक्ट शुचि'* में डेटा क्लीनसिंग में और प्रगति की है.

आपके बैंक ने 24x7 आधार पर एनईएफटी प्रणाली भी उपलब्ध कराई है. आपके बैंक ने आधार अधिप्रमाणन प्लेटफॉर्म के बेहतर वर्जन का प्रयोग आरंभ कर दिया है तथा ई-केवाईसी आधार अधिप्रमाणन सॉफ्टवेयर में अनिवार्य परिवर्तन भी किए हैं. ईकेवाईसी एप्लिकेशन केवल उन ग्राहकों पर लागू होगा जो आधार अधिनियम 2016 (2016 का 18) की धारा 7 के अंतर्गत अधिसूचित किसी योजना के अधीन कोई सुविधा या सब्सिडी प्राप्त करने के इच्छुक हैं. आपके बैंक ने अपने वेबसाइट डोमेन को भारत-आधारित डोमेन (www.idbibank.in) में परिवर्तित कर लिया है.

आपके बैंक ने भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा बहुलांश हिस्सेदारी के अर्जन से उत्पन्न सहयोग से लाभ उठाना जारी रखा. इसने एलआईसी प्रीमियम पे मॉड्यूल के जरिये एलआईसी एजेंटों /मर्चेंटों से एलआईसी प्रीमियम भुगतान स्वीकारना आरंभ कर दिया है.

केंद्रीकृत परिचालन

आपके बैंक के पास अत्याधुनिक केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई (सीपीयू) है जहां विभिन्न परिचालनगत कार्यकलाप जैसे मीयादी जमाराशियों के ब्याज पर स्रोत पर कर की कटौती (टीडीएस), डेबिट कार्ड/ प्रीपेड कार्ड, चेक बुक, खाता विवरण तथा ग्राहकों को सुपुर्द की जाने वाली अन्य प्रदेय वस्तुओं के निर्माण तथा सुपुर्दगी, डीमैट खाता खोलने, अवरुद्ध राशि द्वारा समर्थित आवेदन (अस्बा), सिंडीकेट अस्बा और प्रतिभूति पर ऋण (एलएएस) आदि का केंद्रीकरण किया गया है. इससे इन कार्यों के लिए लगने वाले समय (टीएटी) में कमी लाने, बैंक की लागत में बचत करने और बिना किसी रुकावट के सेवाएं प्रदान करने में मदद मिली है.

इसी प्रकार आपके बैंक के पास बचत खाता, चालू खाता और मीयादी जमा खाता खोलने के लिए 6 अत्याधुनिक क्षेत्रीय प्रसंस्करण इकाई (आरपीयू) मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, पुणे और अहमदाबाद में कार्यरत हैं.

शाखा परिचालन सहायता एवं नीति

आपका बैंक कर्मचारियों को बैंकिंग परिचालनों, सेवाओं आदि की नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराते हुए उनके दैनंदिन परिचालनों के लिए ज्ञान प्रदान करने में सबसे आगे है. यह सुनिश्चित करता है कि आपका बैंक अपने सभी हितधारकों को उत्पादों, परिचालनों और सेवाओं पर अद्यतन जानकारी सहित सेवा प्रदान करने में सक्षम है.

आपका बैंक रिज़र्व बैंक की स्वच्छ नोट नीति का अनुपालन करता है तथा इसने अपनी शाखाओं में नोट छँटाई / नोट अधिप्रमाणन करने वाली मशीनें लगाई हैं. वर्ष के दौरान, बैंक ने देहरादून और इंदौर में दो नए करेंसी चेस्ट (सीसी) खोले हैं. इसी के साथ देश भर में बैंक के 23 सीसी हो गए हैं. ये सीसी सभी संबद्ध शाखाओं से प्राप्त नकदी संसाधित करते हैं और एटीएम तथा शाखाओं के माध्यम से वितरण के लिए स्वच्छ नोट उपलब्ध कराते हैं.

देशीय भुगतान तथा विप्रेषण सेवाएं (डीपीआरएस)

आपके बैंक के केंद्रीकृत परिचालन विभाग द्वारा त्वरित और समय पर की गयी कारोबार निरंतरता योजना (बीसीपी) व्यवस्था ने कोविद-19 संकटकाल के दौरान सभी महत्वपूर्ण कार्यकलाप जैसे चेक समाशोधन कार्यों, भुगतान और विप्रेषण सेवाओं आदि के निर्बाध परिचालन और निरंतर ग्राहक सेवा सुनिश्चित करने में मदद की. बैंक की देशीय भुगतान और विप्रेषण सेवाएँ (डीपीआरएस) एक दिन में लगभग ₹ 30,000 करोड़ रुपये के लगभग 25 लाख लेन-देन का कार्य संभालती हैं.

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर)

कंपनी अधिनियम 2013 में दिये गए व्यापक दिशानिर्देशों के संदर्भ में आपके बैंक को समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सीएसआर के अंतर्गत किसी भी राशि के व्यय की आवश्यकता नहीं थी. तथापि, एक सक्रिय कॉरपोरेट नागरिक के रूप में आपके बैंक ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान सीएसआर पहल कार्यों के भाग के रूप में सरकारी/नगरपालिका के स्कूलों में छात्रों के लिए पुराने कंप्यूटर दान किए.

Management Discussion and Analysis

BUSINESS ENVIRONMENT

Global economic activity remained subdued in Calendar Year (CY) 2019. Various factors such as prolonged trade tensions, subdued business confidence, lower investments, tightened financial conditions, higher policy uncertainties, muted demand across advanced and emerging market economies, among other factors, led to softening of growth momentum globally.

Even on the domestic front, the growth impulses exhibited signs of weakness in Financial Year (FY) 2019-20. As per the Provisional Estimates of National Income, 2019-20, India's real Gross Domestic Product (GDP) growth is estimated at 4.2% in FY 2019-20 as compared to 6.1% in FY 2018-19. Sector-wise analysis indicates that the slowdown was due to moderation in growth momentum in industries and services sectors, which offset the impact of higher growth in the agriculture sector.

The slowdown in economic activity was brought about by weak consumption and investment demand domestically, especially in the private sector. The government spending during the year was also constrained due to fiscal considerations. The moderating pace of economic activity was further impacted by the outbreak of coronavirus (Covid-19) pandemic globally during the initial months of CY 2020. In India, a nation-wide lockdown was announced in March 2020. To counter the impact of the outbreak, the Government of India (GoI) and Reserve Bank of India (RBI) have announced various fiscal and monetary measures, including a ₹ 20 lakh crore comprehensive stimulus package christened as '*Aatmanirbhar Bharat Abhiyaan*' to contain the impact of this global pandemic on the domestic economy as well as to revive the most affected sectors in the economy.

Going forward, leading international agencies have projected the global growth to decelerate further on the back of economic disruptions caused due to lockdown measures taken to contain the spread of the coronavirus pandemic. Indian economy, being globally integrated, is unlikely to be insulated from this disruption. The intensification of the pandemic since March 2020 is likely to have ramifications for the financial sector as a whole and banks in particular. The banking sector may be impacted in terms of muted deposit and credit growth as well as deterioration in asset quality not only due to exposure to Covid-19 impacted industries but also on account of negative spillovers on various other sectors because of lockdown. However, continuous and wide-ranging measures initiated by the policy makers will be critical in stabilising the economy.

BUSINESS REVIEW

During the year under review, your Bank continued to make progress on its strategic objectives even as the year saw significant challenges. Your Bank, positioning itself as a retail-focussed bank, continued to strategically ramp up its business in retail and priority sector segments, while scaling back its corporate exposure. In consonance with this strategy, your Bank pursued initiatives to expand its Retail, Agri and MSME (RAM) asset book which, due to its granular nature, would help the Bank to achieve a more stable and diversified asset mix. Simultaneously, your Bank focussed on augmenting its low-cost deposit base, i.e. CASA deposits and retail term deposits, while reducing reliance on institutional deposits. This strategy has aided your Bank in progressively reducing its cost of deposits as well as cost of funds during the year. The crux of the Bank's business strategy has been to pave the way for ensuring stable operations in a risk-calibrated and granular manner.

The overarching strategic framework of your Bank has been ably supported by introduction of new offerings as well as revamping existing array of offerings to create value for the customers in an ever-changing business environment. Your Bank highly values the importance of customer-centric approach in order to expand and deepen its customer base. Towards this end, the Bank has not only constantly strived for excellence in customer service but has also put in place a Data Analytics and Customer Relationship Management (CRM) module to gain better insights into customer requirements and to provide customised offerings to drive targeted sales.

Your Bank's strategic initiatives received a further impetus with the Life Insurance Corporation of India (LIC) acquiring a majority stake in the Bank in January 2019 and becoming its promoter. The stake acquisition opened up new business avenues of mutual synergies for both the entities. To identify and tap these areas of synergy, a joint Task Force with members from both your Bank and LIC has been constituted. A Working Group has also been set up to oversee the implementation of the initiatives identified by the Task Force. The synergy initiatives are aimed at serving your Bank's customers and the LIC family under one roof.

The efficacy and success of your Bank's strategy also lies in ensuring better customer accessibility and ease. As on March 31, 2020, your Bank served its customers through its network of 1,892 branches, comprising 432 branches at metro centres, 464 branches at urban centres, 585 branches at semi–urban centres and 409 branches at rural centres (including 255 Financial Inclusion branches) across India, one overseas branch at Dubai International Financial Centre (DIFC), Dubai and one International Banking Unit (IBU) at Gujarat International Finance Tec–City (GIFT), Gandhinagar. Further, the network comprised 3,683 ATMs and 58 e-lounges. Recognising the need to be relevant in an increasingly digital era, the Bank has been leveraging its technological capabilities to offer alternate channels such as mobile banking, internet banking, phone banking etc. to enhance customer convenience and allow them to undertake various banking transactions on a 24x7 basis.

As a crucial aspect of ensuring stability to its operations, your Bank has also taken all possible remedial steps to address its asset quality issues as well as putting in place enablers for ensuring better asset quality in future. A dedicated team, viz. NPA Management Group (NMG), was set up by your Bank for a focussed approach towards resolution and recovery of NPAs. Your Bank also set-up dedicated desks for handling

cases under Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP) and for focussed recovery in the retail segment. Furthermore, your Bank set up a dedicated Credit Monitoring Group (CMG) with the objective of identifying Special Mention Accounts (SMAs), probable Non-Performing Accounts (NPAs) and regular accounts showing Early Warning Signals (EWS) of stress in order to prevent slippage of these accounts into NPA by ensuring intensive follow-up and monitoring of these accounts.

Going forward, your Bank will continue to pursue risk-calibrated business strategy to deliver stable and profitable growth and thus enhance value for all its stakeholders. Underpinning its strategic endeavours, the Bank would strive to emerge as a future-ready bank by investing in scaling up its capabilities as well as proactively reinforcing its risk management, corporate governance and regulatory compliance framework. These strategic endeavours would help the Bank to position itself as a trusted bank in the retail banking space.

Retail Banking

Retail Liability Products

Your Bank continued to undertake a number of initiatives across the entire spectrum of Current Account, Savings Account and Term Deposit products and services to meet the evolving banking and financial needs of various customer segments covered under the retail and corporate sector.

Your Bank introduced the concept of *'IDBI Kutumb – Family Banking'* under which the primary family member can maintain the balance on behalf of the entire family instead of each family member maintaining minimum balance individually.

With a view to enhancing service delivery and rationalising customer on-boarding costs, your Bank launched *'I-Quick'* - a mobile and web-based Savings Bank Account Opening interface - to facilitate paperless account opening within the shortest turnaround time (TAT).

To tap the synergies emerging from the majority stake acquisition by LIC, your Bank has continued to innovate and offer a wide array of products and services to LIC for meeting its full gamut of banking requirements.

The Bank also renewed its Memorandum of Understanding (MOU) with the Indian Army for catering to their banking services.

NRI Services

Your Bank continued to offer a wide bouquet of banking products and services for NRI customers in alignment with their banking and financing needs, ranging from basic Non Resident External (NRE) Account, Non Resident Ordinary (NRO) Account and Foreign Currency Non Resident (FCNR) deposits to value-added services such as forward cover on FCNR deposits, Portfolio Investment Scheme (PIS) for investments in Indian secondary stock markets, overdraft facilities against NRI deposits, Home Loans, Loans Against Property, among others.

Your Bank has also introduced *'NRI Insta-Online'* account opening process for enabling NRIs to open an account with the Bank without the need to visit any branch. To help the *'first time'* NRIs who do not have an existing NRE account to transfer the account opening amount, your Bank allows these NRIs to open new NRE accounts without any requirement of initial payment.

Your Bank continued to engage with NRI clients through its quarterly newsletter *'NRI Sampark'* and NRI meets at select centres. Apart from conducting periodic training, your Bank also circulates a fortnightly knowledge series christened as *'eNRIch'* to enable its employees to cater to this emerging segment.

Your Bank also celebrated *'NRI Day'* or *'Pravasi Bhartiya Divas'* by inviting existing/ prospective NRI customers to its branches, thereby, providing a platform for branches to engage with NRI clients and also showcase the bouquet of products and services offered by the Bank.

Retail Assets

Your Bank continues to target a progressively larger retail business portfolio to facilitate a more balanced business mix, in keeping with its intended positioning as a full-service new generation commercial bank. Pursuant to the same, your Bank currently offers a bouquet of retail asset products primarily aimed at meeting the customised needs of customers in the retail banking segment. Retail asset products offered by your Bank include Housing Loans, Loan against Property, Personal Loans, Education Loans, Vehicle Loans, among others. Your Bank periodically reviews all its product offerings to remain relevant in the banking industry. Taking into account the emerging business environment and customer preference, your Bank also carries out modifications/ innovations/ customisations to the existing products as well as introduces new products on a regular basis. At present, the Bank's Structured Retail Assets (SRA) loan portfolio contributes about 34.44% of its total advances portfolio.

During the year, your Bank has emerged as one of the leading players in the structured retail finance segment with best product offerings and services. Notwithstanding the challenging economic environment during the financial year and further aggravated by the national lockdown in the crucial month of March 2020 to contain the spread of Covid-19 pandemic, your Bank registered a book growth of 9% on a year-on-year basis.

To meet the growing market challenges and to cater to the emerging needs of its customers, your Bank undertook a host of initiatives under structured retail asset products, some of which are as follows.

- Your Bank processes SRA loans on an Automated Loan Processing System (ALPS) which ensures robust turnaround time (TAT) and provides timely alerts to the borrowers on progress of their loan applications.
- Your Bank's customers can now apply for Home Loan, Auto Loan and Personal loan through its digital platform *'PSB loans in 59 minutes portal'* launched by the GoI.
- In line with the RBI's directives, your Bank adopted *'RBI Repo Rate'* as the external benchmark with effect from October 1, 2019. Pricing for SRA floating rate loans are linked to this benchmark rate to ensure faster transmission of monetary policy rates to the borrowers.

- In line with the *'Housing for All'* initiative of the GoI for promoting affordable housing through the Pradhan Mantri Awas Yojana - Credit Linked Subsidy Scheme (PMAY-CLSS), your Bank extended PMAY-CLSS subsidy benefit to about 13,000 home loan borrowers during the year.
- With a view to building a quality credit portfolio, your Bank migrated to a newly upgraded and refined credit score report called *'CIBIL Credit Vision'* and also introduced credit score-based pricing mechanism under Home Loan products.
- Your Bank decided to provide EMI moratorium relief for all the eligible SRA customers in response to the RBI's Covid-19 relief measures, except for the customers who specifically request for opting out of the moratorium relief.

Credit Cards

Your Bank offers five credit card variants under different network schemes, which are (a) RuPay Scheme - Winning Select; (b) Visa Scheme - Royale Signature, Aspire Platinum & Imperium Platinum; and (c) Mastercard Scheme - Euphoria World. The card variants are targeted at different customer segments based on their profile and needs.

During the year, your Bank identified approximately 1.13 lakh potential customers for offering pre-approved Credit Card with pre-sanctioned credit limit, without any additional documentation. As a first-of-its-kind marketing initiative, your Bank carried out targeted digital marketing campaign through online channels, including social media viz. Facebook, Google, LinkedIn etc. in order to communicate with individual customers.

Your Bank has created a brand property, viz. *'Festive Delight'* to promote usage of IDBI Bank Credit Cards and to position the product distinctively in customers' mind. During the year, your Bank also rolled out three campaigns for offering extra Delight Points to its customers. These campaigns have aided the Bank to enhance the brand value of its product, thereby making the Bank's card a preferred one for its customers.

Your Bank, in association with Yatra.com, launched a first-of-its-kind travel offer for a period of seven days in the month of February 2020, on cost-sharing basis. This travel offer was extensively promoted through digital platforms by both, the Bank and Yatra.com. Your Bank also offered additional customer value in the form of merchant discounts and offers to its credit card customers.

Digital Banking

Your Bank has endeavoured to keep pace with the technological advancements in the banking landscape. The digital infrastructure of your Bank has been strengthened and revamped with state-of-the-art features for smooth, convenient, safe and secure, anytime, anywhere banking experience.

Your Bank is committed to promote and enhance the distribution of various digital banking products viz. Debit Cards, mobile banking, internet banking, Point of Sale (PoS), Digital PoS, Internet Payment Gateway, consistent with the GoI's *'Digi Dhan Mission'* aimed at encouraging greater use of digital payments by all sections of the society. Your Bank has designated one officer at every retail branch as a *'Digital Guru'* to act as a single point of contact for all digital product related queries.

During the year under review, your Bank accomplished several important achievements. Your Bank registered a growth of 41% in its digital transactions and 74% in mobile banking users on an annualised basis. The share of total customer-induced digital financial transactions (including ATM transactions) with respect to total customer-induced financial transactions during the year 2019-20 was 87%. Your Bank was ranked at the 13th position amongst 51 banks/ financial institutions, with respect to progress made under digital banking, as on February 29, 2020 as per a report by the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY), GoI.

Your Bank has updated its mobile banking app *'GO Mobile+'* by adding new features such as UPI functionality to link other bank accounts, M-commerce using chatbot interface, along with existing features such as card-less cash withdrawal, Debit Card Control, Green PIN generation, booking of term deposits, etc.

Your Bank has also revamped its internet banking to an upgraded version and introduced several features such as online registration for retail users, enhanced security features such as implementation of CAPTCHA, phrase confirmation while login, OTP for financial and non-financial transactions, personalised dashboard, among others.

Your Bank has released its new version of Abhay App with Debit/ Prepaid/ Credit Card control. Your Bank also offers Green PIN generation facility which is a paperless PIN generation solution that enables Bank's debit cardholders to securely generate debit card PIN in an electronic form through ATMs, Interactive Voice Response (IVR), internet / mobile banking channel, SMSes and Missed Call facility.

All Debit Cards, World Currency Cards, Cash and Gift Cards have been upgraded to EMV chip-enabled cards along with *'PayWave'* (Tap-n-Go) transaction facility.

Your Bank has also tied up with LIC for collection of policy premium for which the Bank has deployed more than 130 PoS terminals at LIC branches and LIC Premium Collection Points on a pan-India basis for facilitating acceptance of premium payments through Debit/ Credit Cards.

Your Bank has taken a number of strategic initiatives to improve uptime and availability of ATMs. Further, your Bank has undertaken implementation of enhanced security measures, such as acceptance of EMV chip card, anti-skimming devices, Terminal Security Solutions (TSS) etc., at ATMs.

Third Party Products and Capital Market Products

Your Bank offers various value-added products and services to its customers, keeping in view their risk profile and financial goals. During the year, the Bank launched various campaigns for imparting necessary thrust in enhancing fee income and fostering a healthy sales culture. Your Bank also worked towards promotion and servicing of the GoI bonds, Rural Electrification

Corporation of India (REC)/ National Highway Authority of India (NHAI) bonds, the Sovereign Gold Bond (SGB) scheme and the New Pension Scheme (NPS).

Your Bank has entered into a Corporate Agency Agreement with LIC as an additional bancassurance partner on February 27, 2019 to cross-sell LIC's life insurance products through its branches. During the year, your Bank was able to cross-sell over 67,500 LIC policies to its customers. Your Bank has been offering LIC products to all segments of its customers.

During the year, your Bank also on-boarded two General Insurance Companies, viz. Tata AIG General Insurance Co. Pvt. Ltd. and New India Assurance Company Ltd. and a standalone Health Insurance Company, viz. Max Bupa Health Insurance Ltd. With this, your Bank has been able to offer a bouquet of products viz. motor insurance, loan insurance, group insurance, health insurance, etc. to its customers. Your Bank has also launched an online MF investment portal, viz. IDBI Invest, to provide seamless MF investment options to its customers through its branches. Your Bank also launched portfolio management services in association with IDBI Capital Markets & Securities Ltd. in select branches.

Synergies with LIC

With the majority stake acquisition by LIC in the Bank in January 2019, your Bank has been proactively taking several initiatives to leverage the synergies with LIC. Your Bank has identified specific actionable points and has also designed new best-in-class products and services to capitalise on the business potential in terms of augmenting its Current Account and Saving Account base and its asset portfolio. Your Bank is also utilising its distribution channel/ touchpoints to source business as a Corporate Agent of LIC under bancassurance channel. Your Bank and LIC were able to mutually benefit from these short-term synergies.

Your Bank has designed and launched a wide array of products and services to facilitate payments and collection related requirements of LIC, as an institutional client. This has played a vital role in building the Bank's Current Account book on account of LIC business. At present, LIC has more than 28 crore policy holders which could be further leveraged by the Bank. With an objective of increasing customer reach and penetration in the retail segment, your Bank has designed and launched personal banking products to service banking requirements of staff of LIC and its subsidiaries, agents and policyholders.

Your Bank has also launched *'LIC Premium Pay'* to provide renewal premium collection services to LIC policyholders through multiple modes at all its branches and digital channels. During the year, your Bank launched LIC business specific target-oriented campaigns to augment business under all major segments.

Financial Inclusion

Your Bank has been proactive in partnering with the policymakers to further the objective of financial inclusion by ensuring access to financial products and services by the vulnerable sections of the society at affordable cost in a fair and transparent manner. The Financial Inclusion Plan (FIP) provides a structured and planned approach to financial inclusion with a commitment at the highest level. Your Bank has been actively promoting the agenda of financial inclusion with interventions in three key areas, viz. offering appropriate financial products, making intensive use of technology and enhancing financial literacy.

Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) and Social Security Schemes

Your Bank has proactively participated in GoI's financial inclusion programme, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY) and in GoI's social security schemes, viz. Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) for accident insurance cover, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) for life insurance cover and Atal Pension Yojana (APY) for old-age pension.

Business Correspondents (BCs)/ Business Facilitators (BFs)

Your Bank has leveraged its network of Business Correspondents (BCs)/ Business Facilitators (BFs) in an effort to increase penetration in rural and semi-urban areas and thereby ensure greater financial inclusion and also provide an added impetus to its Priority Sector Lending (PSL) business. To provide facility of payments through BCs (also referred to as Bank Mitras), hand-held devices have been provided to them, which are enabled with the facilities to accept RuPay cards and carry out Aadhaar-based transactions. Furthermore, to enhance the skill sets of BCs/ BFs and thereby prepare them to become confident, self-sufficient and viable, the Bank conducted extensive training sessions/ workshops for all BCs/ BFs at various locations across the country. Besides, your Bank has also provided on-the-job training to BCs/ BFs to develop their technical skill to operate on technology platforms for conducting banking transactions.

Financial Literacy

Financial literacy has been identified as a pre-requisite for effective financial inclusion and is also an integral part of the PMJDY as it enables the beneficiaries to make best use of the financial services being made available to them. Your Bank has set up desks known as *'Vittiya Sakhsharta Jankari Kendras'* in its rural branches which have been entrusted with the responsibility of spreading awareness on various banking products and GoI's Social Security Schemes, through conduct of outdoor literacy camps. Your Bank has also conducted street plays in interior areas to spread awareness among rural populace about various banking services. Your Bank's Rural Self Employment Training Institute (IDBI-RSETI) at Satara district in Maharashtra also conducts free residential training programmes in job-oriented courses viz. dairy farming and vermi-compost making, papad, pickle & masala powder making, paper cover, envelope & file making, candle making, Entrepreneurship Development Programme (EDP) for Prime Minister's Employment Generation Programme (PMEGP) beneficiaries, beauty parlour management, etc. for rural unemployed youth to empower them to be self-employed.

Other Initiatives

Your Bank is registered with Unique Identification Authority of India (UIDAI) as Registrar for Aadhaar enrolments. Your Bank has actively participated in Direct Benefit Transfer Scheme of the Central/ State Governments. Further, your Bank has continued with the distribution of social security pension through its BC channel.

Priority Sector Banking

Your Bank has been contributing significantly to Priority Sector Lending (PSL) as mandated by the RBI. As per the regulatory requirement, the Bank focussed on financing to Micro Enterprises, Direct Agri Non-Corporate (DANC) and Small & Marginal Farmers (SFMF) during the year. The Bank also continued its efforts to extend its reach through the corporate BC/BF channel and tied-up with about 39 corporate BCs/ BFs so far.

With aforesaid initiatives and by carrying out securitisation transactions, the Bank has achieved all its regulatory targets for PSL including sub-sectors on an average basis during the year 2019-20.

In terms of the GoI schemes/ directions, your Bank has been extending loans under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY), Stand-up India, etc. and also to minority communities and weaker sections including Scheduled Castes (SCs)/ Scheduled Tribes (STs).

Major initiatives undertaken to boost PSL

The following are the major initiatives carried out to boost PSL during the year 2019-20:

- To ramp up business through the branch channel, product specific campaigns were launched periodically, viz. Micro, Small & Medium Enterprises (MSME) Express, Gold Loan Thunder, Saturation Drive for Kisan Credit Card (KCC), Kisan Sampann, MSME Big Bang, Warehouse Receipt (WHR) Sprint 100, MSME Splendid Spring, Glittering Gold, etc.
- Your Bank has started discounting of bills through TReDS platforms operated by all three exchanges viz. RXIL (Receivable Exchange of India Ltd.), Mynd Online National Exchange (M1Xchange) and A.TREDS Ltd. (Invoicemart).
- Your Bank launched a new product viz. *IDBI Express loan in 59 minutes* for extending working capital up to ₹ 5 crore for GST registered MSME borrowers.
- Your Bank participated in the Swami Vivekananda Assam Youth Empowerment Yojana - a flagship programme of the Assam Government to provide financial support to the youth of Assam to take up income generating activities in the manufacturing, trading and services sector.
- Your Bank has simplified its existing application forms and appraisal formats for MSME loans for faster turnaround time.
- As per the RBI guidelines, the Bank has extended the external benchmark rate i.e. Repo-linked rate of interest for Micro and Small Enterprises.
- The Bank celebrated *'International MSME Day'* on June 27, 2019 wherein specialised MSME branches conducted customer meets by inviting various segments of borrowers. The borrowers shared their experience with regard to the service and facilities offered by the Bank.
- The Bank observed *'Doctor's Day'* on July 1, 2019 as a mark of respect to the legendary physician Dr. Bidhan Chandra Roy and to commemorate the valuable services rendered by doctors to the society. Your Bank's Zonal Offices, Regional Offices and branches organised Doctors' meet and briefed participants about the Bank's products and services.
- Your Bank celebrated Kisan Diwas (Farmers' Day) on December 23, 2019 by conducting Kisan Gaurav Mela (KGMs) at 157 locations in 57 regions pan-India.
- As a part of the customer outreach initiative, the Bank organised Grahak Mela in identified districts during the period October 3, 2019 to October 7, 2019 and from October 21, 2019 to October 25, 2019.

Corporate Banking

Your Bank's corporate banking portfolio includes exposure spread over varied sectors such as power, oil & gas, textiles, telecom, cement, steel, engineering, construction, paper & paper products, electronics & electrical equipment, sugar, chemicals, automobiles, Non-Banking Financial Companies (NBFCs), etc.

Your Bank's asset basket for corporate clients includes term loans, working capital (both fund-based and non-fund based), packing credit to exporters, receivables buyout, bill discounting, etc. Within the ambit of Corporate Banking, your Bank also imparts due emphasis to Priority Sector Lending (PSL) by offering products such as channel financing and vendor financing for dealers/ vendors of corporates. The Corporate Banking team of your Bank works in tandem with other specialised teams in Retail Banking, Transaction Banking, Treasury, etc. to develop suitable products and devise appropriate solutions which would fulfill specific needs of the corporate clients.

In alignment with its turnaround strategy, your Bank is consciously restricting growth in its corporate loan book which would help the Bank to migrate towards a capital light model while simultaneously de-risking its business portfolio.

Asset Quality

Your Bank continued to focus its efforts towards containment of fresh Non-Performing Assets (NPAs) and maximising recovery from the existing impaired assets. As at end-March 2020, 72.47% of your Bank's Total Assets were Performing Assets, whereas 27.53% were NPAs. The focussed efforts by the Bank have aided in containing fresh accretion to NPAs/ Slippage Ratio to only 6.35% of Standard Advances in 2019-20 as against 10.67% in 2018-19.

Recovery from impaired assets and upgrade of NPAs to Performing Assets during the year was at ₹ 7,842 crore, which facilitated the Bank to reduce the end-level NPAs to ₹ 47,272 crore as on March 31, 2020.

Adequate provisions were made in conformity with extant regulatory guidelines and as a prudent approach, your Bank has increased the Provision Coverage Ratio (PCR) from 82.88% as on March 31, 2019 to 93.74% as on March 31, 2020.

Your Bank has a dedicated vertical, viz. NPA Management Group (NMG), for focussed and aggressive approach towards resolution and recovery with account-specific resolution strategies and close monitoring of corporate NPAs.

Your Bank has set-up a centralised dedicated desk for cases under Corporate Insolvency Resolution Process (CIRP). This dedicated desk has been playing a proactive role in providing an overall view by internalising learning from the field and dissemination of the same across teams for navigating through the complexities, thereby enabling the Bank to successfully handle these cases.

As of March 31, 2020, a total of 228 cases with an aggregate gross principal outstanding of ₹ 46,113 crore (including Non Performing Assets/ Technically Written-Off (TWO) Assets), were undergoing CIRP within the ambit of Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), 2016. Your Bank was able to resolve a few of these cases and recover a sum of ₹ 2,949 crore during the year 2019-20. Furthermore, a few other cases are expected to be resolved in the year 2020-21.

A separate team has been formed for focussed attention for recovery in the retail segment. The team, including a separate set-up of war room, is responsible for monitoring, supervising and driving recovery actions on a regular basis. Your Bank has also continued its efforts of calling the NPA borrowers on a daily basis through its call centres. Besides regular e-auctions, your Bank also conducted mega e-auctions of properties in each quarter during the year.

Your Bank has a *'One Time Settlement (OTS) Management System'* which facilitates submission of an OTS application through your Bank's website as also enables end-to-end processing of an OTS proposal, including tracking of recovery. Your Bank had launched a non-discriminatory and non-discretionary OTS scheme targeted for recovery from NPA/ TWO accounts based on the IBA model.

During the year, your Bank also sold NPAs to Asset Reconstruction Companies (ARCs) for recovery of ₹ 210 crore. A recovery of ₹ 826 crore was made from TWO accounts during the year.

Your Bank also pursued legal actions under the applicable laws, enforcement actions under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, follows up with Debt Recovery Tribunals (DRTs)/ courts on a continuous basis including positioning dedicated legal officers as nodal officers so as to minimise the delays in obtaining recovery certificates/ decrees and execution thereof.

Your Bank has classified 230 cases as willful defaulters with punitive actions initiated against such borrowers/ promoters/ directors and declared nine cases as Non-Cooperative Borrowers as on March 31, 2020.

Credit Monitoring Group

Your Bank set up a dedicated Credit Monitoring Group (CMG) in May 2017, with the major objectives of monitoring the onset of stress, monitoring of credit administration parameters and structured loan review.

The CMG identifies Special Mention Accounts (SMAs), probable Non-Performing Accounts (NPAs) and regular accounts showing Early Warning Signals (EWS) of stress. To prevent slippage of these accounts into NPA, intensive follow-up and monitoring of these accounts is undertaken. Asset Monitoring Tools of CMG, viz. *'SAJAG'* and *'SMA Action Tracker'* have been enabled with additional features which provide details of SMAs, probable NPAs, EWS accounts, high-risk accounts and pending Credit Administration Parameters (CAP) to branches on a real-time basis. The collection actions by field functionaries are captured by SMA Action Tracker & CAP updates are captured by SAJAG which enables monitoring of these accounts on a real-time basis.

Your Bank successfully implemented an automated and comprehensive bank-wide Early Warning Signals (EWS) System in December 2019, which has the ability to source feed data from the Bank's internal systems and external feeds. Risk bucketing under high/ medium/ low risk is done in respect of all corporate and retail accounts with threshold limit, which has augmented the capability of the Bank to identify high-risk accounts and accounts showing early signs of stress in the pre-SMA stage. Through the EWS system, the required market analysis and inter-bank comparison of retail portfolio is undertaken at regular intervals.

Your Bank uses structured Loan Review Mechanism (LRM) to provide timely feedback on the effectiveness of credit sanction and follow-up to identify incipient deterioration in quality of portfolio, track early warning signals and compliance with credit administration parameters. Modifications in the LRM system have been incorporated to facilitate pulling out data from the system directly.

These initiatives have resulted in reduction of incipient stress and containment of slippages year-on-year, rectification of Credit Administrative Parameters and improvement in credit quality of the Bank.

Trade Finance

Your Bank's Trade Finance (TF) products and services to customers are provided through its 39 Category B Authorised Dealer TF centres and 177 identified Retail TF branches. The TF products and services cover various fund and non-fund based facilities like export credit, bill discounting, letter of credit, bank guarantee, remittances etc. While carrying out the TF operations within stipulated timelines, compliance with regulatory and other related guidelines are duly ensured. With a view to further improving the turnaround time (TAT), build in more efficiency in processing and compliance, as also to enhance the Bank's reach to customers, your Bank has centralised its TF Operations by setting up Centralised Trade Processing Centres (CTPCs) in Mumbai and Chennai.

Your Bank had secured a mandate from GoI in March 2019 for carrying out oil and non-oil Indo-Iran trade settlements in Indian Rupees (INR) under the Bilateral Rupee Payment Mechanism. Pursuant to the aforesaid GoI mandate, your Bank has successfully handled more than 2,400 import and export transactions with an aggregate value of over ₹ 11,000 crore. During the year under review, your Bank proactively engaged itself with various export bodies with a view to serve the export fraternity better.

The SWIFT operations of your Bank are carried out through a Centralised SWIFT Cell (CSC), which is located at Belapur,

Navi Mumbai. The critical SWIFT operations are carried out with utmost due diligence and multiple validation processes, to ensure smooth and flawless operations under a secured IT platform.

With a view to ensuring compliance of the RBI guidelines and enhancing customer service, various enhancements in IT systems and processes are being continually carried out. A notable initiative in this direction has been setting up of a Centralised Export Data Processing Management System (EDPMS)/ Import Data Processing Management System (IDPMS) Cell, which looks into system improvements and provides better monitoring and follow-up tools and services to the end-users, viz. TF locations and branches.

Your Bank has established Relationship Management Arrangement (RMAs) with over 1,100 major foreign banks. The RMA set up is regularly reviewed with a view to providing adequate facilities to your Bank's customers for enabling bi-directional trade transactions in major geographical locations across the globe.

Government Business

Your Bank acts as an agent for Central Government and State Governments to manage their receipts and payments. Your Bank is authorised to collect Central Government Taxes viz. Direct Taxes, Customs Duty and Goods & Services Tax (GST). Your Bank is also active in collection of State Receipts in 18 States and two Union Territories. Your Bank facilitates 24x7 internet banking facilities for tax payments.

Your Bank has enabled online collection of Employees' Provident Fund Organisation (EPFO) and Employees' State Insurance Corporation (ESIC) dues. Your Bank is authorised by the GoI to offer Small Savings Schemes viz. Public Provident Fund (PPF), Senior Citizens' Savings Scheme (SCSS) and Sukanya Samriddhi Account Scheme (SSA) through its branches. Your Bank is also authorised to disburse Central, Civil, Defense and Railway Pensions.

Cash Management Services

Your Bank is committed towards providing effective Cash Management Services (CMS) to help corporations accelerate their collections, efficiently handle their bulk payments and smoothen their flow of funds. It offers a comprehensive range of collections and payment solutions to suit the needs of corporations and put them in complete control of their cash position. Your Bank offers various solutions like National Automated Clearing House (NACH), Virtual Account Facility, Utility Payments, Direct Debit facilities and other customised e-solutions that have been technologically integrated (Host-to-Host) with client systems. Your Bank is also authorised to participate in the e-freight payment system of Indian Railways and is collecting e-freight in 12 Zones.

During the year, your Bank has added new CMS products such as E-NACH (Electronic National Automated Clearing House Collections), B-NACH (Bulk Handling of Physical NACH Collections) and FASTag (Electronic Collections and Payments of Toll Charges), LIC Premium Pay facility, to further enrich its offering to the customers. During the year, your Bank was also empanelled as the sole sponsor bank for Pradhan Mantri Shram Yogi Maan-dhan Yojana (PM-SYM), Pradhan Mantri Kisan Maan-Dhan Yojana (PM-KMY) and Pradhan Mantri Laghu Vypari Samman (PM-NPS/ PM-LVM) schemes of the GoI, wherein it has registered over 55 lakh mandates with collection of ₹ 334.57 crore, thus demonstrating the operational capabilities of the Bank in CMS business.

Your Bank is also authorised to facilitate utility bill payments through Bharat Bill Payment System (BBPS).

Treasury Operations

Your Bank's Head Office in Mumbai has an integrated treasury, which covers various segments like money market, fixed income, foreign exchange, derivatives and equities. Your Bank also regularly tracked various market segments and took acceptable level of positions for trading gains.

Liquidity Management

Your Bank's Treasury is responsible for adherence to regulatory requirement of Cash Reserve Ratio (CRR). To actively manage liquidity, Treasury used various instruments such as Liquidity Adjustment Facility (LAF), Marginal Standing Facility (MSF), Term Repo including Long Term Repo Operations (LTRO) and Open Market Operations (OMOs) of the RBI as well as other market instruments/ platforms such as Triparty Repo Dealing System (TREPS), Clearcorp Repo Order Matching System (CROMS) and Call Money and Notice Money. It may be mentioned that CRR has been reduced from 4% to 3% with effect from March 28, 2020. Pursuant to introduction of 24x7 National Electronic Funds Transfer (NEFT) facility for customers, your Bank has taken due steps to manage liquidity effectively.

Surplus liquidity is deployed in various short-term instruments like Certificates of Deposits (CDs) and Liquid Mutual Funds.

In accordance with RBI guidelines, your Bank has complied with the Basel III Framework on Liquidity Coverage Ratio (LCR) and conducted saleability test for identifying High Quality Liquid Assets (HQLAs).

Following further capital infusion into your Bank by the GoI and LIC and with moderate credit off-take during the year under review, the Bank made conscious efforts to reduce dependence on high cost bulk deposits. Your Bank further ensured diversification and granularity in the customer base of such deposits.

Your Bank has Non-SLR investments in Corporate Bonds as well as Recapitalisation Bonds issued by GoI.

Statutory Liquidity Ratio

Your Bank has actively managed the Statutory Liquidity Ratio (SLR) book via a mix of approved securities like Central Government, State Development Loans (SDLs) of State Governments and T-bills/ Cash Management Bills (CMBs). The investments in SLR are categorised into Held to Maturity (HTM), Available for Sale (AFS) and Held for Trading (HFT) categories. The regulatory SLR requirement during the 2019-20 was gradually decreased from 19.25% as on March 31, 2019 to 18.25% as on March 31, 2020. The SLR maintenance by your Bank has been in line with the regulatory requirements. The interest rate risk of the SLR book has been actively managed to contain risk as also to take advantage of the market movement to book capital gains.

Primary Dealer

Being a Primary Dealer (PD) licensed by the RBI, your Bank underwrote the regulatorily required amount of debts of various tenors raised by the GoI, including T-bill segment. The minimum success ratio of 40% of bidding commitment in T-Bills/ CMBs auctions as per regulatory requirement was achieved by your Bank.

As a part of the PD activity, your Bank was involved in market-making activities in respect of illiquid/ semi-liquid Government Securities. The Bank's Treasury also provided Constituent Subsidiary General Ledger (CSGL) service to Gilt Account Holders (GAHs) having accounts with your Bank. Treasury actively participated in the primary auction of GoI/ SDL securities on behalf of CSGL & non-CSGL clients. Your Bank, in line with the RBI directives, provides the facility of web-based Negotiated Dealing System - Order Matching Segment (NDS-OM) module to Gilt Account Holders for online trading of G-Secs in the secondary market. The Bank's *'IDBI Samriddhi G-Sec'* portal continues to provide facility to retail investors to buy G-sec online and through ATMs.

Forex Interbank and Derivatives

Your Bank's Treasury has an active forex interbank and derivatives desk. Forex interbank desk provided the best possible Forex rates to its clients. The derivatives desk provided innovative solutions to meet client hedging requirements. The desk also launched *'Tango with Derivatives'* campaign to broaden the scope and reach of derivative products tailored to meet customer requirements and as per the Suitability and Appropriateness Policy of the Bank.

Treasury Sales

Your Bank's Treasury is supported by a pan-India sales team across 15 centres for effective marketing of foreign exchange, fixed income and derivative products. The sales team caters to its corporate and retail clients and proactively interacts with them to provide solutions to effectively manage their exposures in currencies and rates.

Your Bank launched several campaigns to augment the forex business and deepen the existing relationships. Your Bank also undertook various initiatives like *'IDBI Forex Fest'* to create awareness about treasury and forex products among internal stakeholders and customers.

Your Bank's internal portal *'IDBI FX'* was revamped to enable branches to obtain ongoing market Forex rates.

Business Continuity Plan

Your Bank operates Treasury Business Continuity Centre at CBD-Belapur in Navi Mumbai. The Centre has integrated operations covering various market segments and can handle all the critical functions of Treasury.

Submission to Benchmarks

Being an active player in treasury operations, your Bank continues to be one of the submitters to Financial Benchmark India Pvt. Ltd. (FBIL) for FBIL Polled Term MIBOR and FBIL Polled FC-Rupee Options Volatility.

Cross-Border Branches

Your Bank has two international branches – one at Dubai International Financial Centre (DIFC), Dubai and another one at Gujarat International Finance Tec-City (GIFT), Gandhinagar.

Your Bank's overseas branch at the DIFC, Dubai, commenced its operations from January 2010. The DIFC branch is authorised to extend a range of corporate banking services and trade finance products. In addition, the DIFC branch also provides corporate banking services to local entrepreneurs operating out of United Arab Emirates (UAE) and other Gulf Co-operation Council (GCC) countries. With the Bank's overall turnaround strategy, activities of DIFC branch have also been aligned with implementation of action plans to suit overall objectives of the Bank for its overseas and offshore businesses.

Your Bank's IFSC Banking Unit (IBU), at India's first and only International Financial Services Centre (IFSC) at GIFT, Gandhinagar, commenced its operations from May 6, 2016. The IBU comes under the Special Economic Zone (SEZ) of GIFT and its functioning is governed by the guidelines issued by the RBI from time-to-time. In alignment with the GoI's directive of rationalisation of overseas operations and the Bank's turnaround strategy, necessary steps are being taken to rationalise its overseas operations.

Credit Rating

Your Bank obtains credit ratings for both domestic and foreign currency borrowings. The rating action during the financial year 2019-20 along with current ratings for the Rupee resources as on March 31, 2020 are as under:

Ratings for Rupee Borrowings

Rated Instruments	CRISIL	ICRA	India Rating	CARE@
Rating action in	**Dec 2019**	**Sept 2019**	**July 2019**	**Dec 2019**
Fixed Deposit	FAA/Stable	MAA- / Negative	IND tA/ Negative	---
Short Term Borrowings (Certificate of Deposit)	CRISIL A1+	[ICRA] A1	IND A1	CARE A1+
Long Term Rupee Bond (Senior and Lower Tier II Bonds)	CRISIL A+/ Stable	[ICRA] A / Negative	IND A/ Negative	---
Hybrid Upper Tier II Bonds	CRISIL A- / Stable	[ICRA] BBB+/ Negative	Withdrawn (Paid in full)	---
Hybrid – IPDI (Basel II)	CRISIL A- / Stable	[ICRA] BBB+/ Negative	---	---
Tier II Bonds (Basel III)	CRISIL A+ / Stable#	[ICRA] A (hyb) / Negative	IND A/ Negative	CARE A+/ Stable

Note: *# - Rating obtained for additional Tier II Bonds – ₹ 2,000 crore*
@ - Fresh rating obtained in December 2019 in respect of Tier II Bonds – ₹ 2,000 crore and Certificate of Deposits – ₹ 10,000 crore

The foreign currency borrowings of your Bank are rated by two international rating agencies, viz. Fitch Ratings (Fitch) and S&P Global Ratings (S&P). The changes in long term Foreign Currency Ratings and Baseline Credit Assessment (BCA)/ Viability Rating (VR) and Stand-alone Credit Profile (SACP) during the financial year 2019-20 and current ratings as on March 31, 2020 are as follows:

Ratings for Foreign Currency Borrowings	
Rated Instruments	**Fitch Ratings**
	Rating action in May 2019
Long Term Issuer Default Rating	BB+/ stable^
Viability Rating (VR)	ccc

Note: ^ - Outlook revised to Negative on April 01, 2020

Rated Instruments	S&P Global Ratings – Rating action in		
	June 2019	**August 2019**	**October 2019**
Issuer Credit Rating (CR)	BB/ stable	BB/ Credit Watch with negative implications	BB/ Negative
Stand-alone Credit Profile (SACP)	b-	b-	b-

Long Term Rupee Borrowings

During the year, your Bank issued Basel III compliant Tier 2 bonds and mobilised ₹ 745 crore on February 3, 2020 in the domestic market. During the year, your Bank exercised call options for seven debt capital instruments aggregating ₹ 2,917.90 crore and redeemed three debt capital instruments aggregating ₹ 921.89 crore on respective maturity dates.

Foreign Currency Borrowings

During the year, your Bank has successfully managed to raise short-term borrowings in Foreign Currency (FC) to meet the short-term liquidity and funding requirements.

During the year, your Bank successfully retired long-term FC borrowings amounting to USD 370 million comprising bilateral loan of USD 70 million and Medium-Term Note (MTN) bonds of USD 300 million.

As on March 31, 2020, your Bank's total outstanding under the MTN Programme was USD 700 million.

RISK MANAGEMENT

Risk management strategy of your Bank essentially focuses on the fundamental tripod viz. identification, measurement and monitoring, in order to ensure efficient usage of capital, thereby strengthening its sustainability. This strategic approach allows the Bank to attain improved decision-making and confidence therein through available risk management tools. A well-defined policy framework outlining appropriate limits and procedural aspects enables the Bank to mitigate and manage risk within its overall risk appetite. Periodic policy updates attempt to ensure further refinement in risk management practices by capturing the essence of business dynamics, banking innovations and regulatory changes. Your Bank constantly endeavours to improve its risk management culture by spreading risk awareness across all its verticals and making it an essential decision-making criterion. While the Risk Management Committee (RMC) of the Board of Directors is responsible for overall risk management, the day-to-day activities are conducted at various levels based on the risk governance structure. The risk management systems and processes are continuously upgraded, in alignment with the regulatory requirements to meet the challenges of an increasingly complex financial system. For a more robust and technologically advanced risk management system, your Bank has implemented Integrated Risk Management Architecture (IRMA) comprising software solutions, viz. Risk Assessment Module (RAM), Capital Assessment Model (CAM) and Comprehensive Operational Risk Evaluator (CORE). IRMA helps to identify and measure credit and operational risks which in turn facilitates formulation of suitable risk management strategies.

Implementation of Basel Norms

In adherence to the Pillar 1 guidelines of RBI under Basel III framework, your Bank computes regulatory capital requirement for credit, market and operational risks on a quarterly basis. As per the Basel guidelines, banks in India are mandated to maintain Capital Conservation Buffer (CCB) in a phased manner commencing from March 31, 2016. In line with RBI's notification dated March 27, 2020 whereby the transitional arrangements of Basel III capital regulations were reviewed, the applicable CCB for March 31, 2020 was stipulated at 1.875%. Accordingly, the minimum regulatory requirement of *'Total Capital + CCB'* was 10.875% as on March 31, 2020. Your Bank's *'Total Capital + CCB'* ratio was 13.31% as on March 31, 2020. Similarly, your Bank's *'Common Equity Tier 1 (CET1) + CCB'* ratio was 10.54% as against the regulatory requirement of 7.375%. Your Bank's *'Tier 1 + CCB'* ratio stood at 10.57% as on March 31, 2020 as against the regulatory requirement of 8.875%. Your Bank's Leverage Ratio as on March 31, 2020 was 4.97% against the minimum regulatory requirement of 3.50%.

Your Bank has a Board-approved policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) in line with the Pillar 2 norms of the Basel III framework. This policy enables your Bank to internally assess and quantify those risks which are not covered under Pillar 1 as well as to develop appropriate strategies to manage and mitigate risks under normal and stressed conditions.

Your Bank has also put in place a comprehensive stress testing framework in line with the RBI guidelines. The stress testing framework enables your Bank to assess its performance under exceptional but plausible events and facilitates appropriate proactive strategies to meet unforeseen contingencies. The framework also includes scenario analysis and reverse stress testing. Scenario analysis covers a study on impact of further increase in gross NPAs, crystallisation on Non-Fund facilities in NPAs & Technically Written-Off (TWO) accounts and impact

of illiquid securities on capital and profitability of the Bank. Your Bank also separately created scenarios to make a preliminary assessment of the detrimental impact of Covid-19 pandemic on the various sectors to which the Bank has exposure, which in turn will adversely affect the Bank's profitability. The mechanism of reverse stress testing was added to the framework to find the level of stress which may adversely impact the capital to take it to a pre-determined floor level.

Your Bank has adopted a Disclosure Policy in accordance with the Pillar 3 requirements under the Basel norms. Accordingly, disclosures as at the end of each quarter are hosted on your Bank's website, thereby exhibiting high degree of transparency.

Your Bank follows the Standardised Approach under Credit Risk for computation of capital charge. Your Bank follows Basic Indicator Approach (BIA) to compute regulatory capital charge for Operational Risk. A comprehensive set of Key Risk Indicators (KRIs) and Risk & Control Self-Assessment (RCSA) framework was rolled out across different business segments for ensuring effective control mechanism. For Market Risk, your Bank uses Standardised Measurement Method (SMM) to compute regulatory capital requirements.

Credit Risk

The Credit Risk Management system in your Bank includes the Risk Assessment Model (RAM) for credit rating of proposals and Capital Assessment Model (CAM) for automation of capital adequacy assessment. In addition to RAM/ score-based internal rating, the Bank has developed quantified risk scoring matrix for risk-categorisation of high-value Corporate and MSME loans. The credit policy document is reviewed in line with changing business objectives and economic environment and forms the guiding tool for the business verticals.

Market Risk

Market Risk Management in your Bank, in terms of functions and business positions, operates in line with the policy framework defined in the Market Risk & Derivative Policy and Investment Policy. These policies, in general, outline the appropriate levels of risk appetite and implementation mechanisms for measurement, reporting and escalation of risks and exceptions. In order to manage market risks, your Bank has put in place appropriate risk management systems, including monitoring and reporting tools. Your Bank endeavours to achieve the complete integration of Treasury Front-office, Mid-office and Back-office activities in order to reinforce monitoring of various risk and exposure limits, thereby putting in place better control over price risk and concentration risk. All the prescribed limits and all the procedures are monitored closely by Treasury Mid-office, which is independent of the Front-office and the Back-office of Treasury.

Liquidity Management

The Bank has a well-organised liquidity risk management structure as enumerated in the Board-approved Asset Liability Management (ALM) Policy. The Asset Liability Management Committee (ALCO) of the Bank monitors and manages liquidity and interest rate risk in line with the business strategy. ALM activity including liquidity analysis and management is conducted through co-ordination amongst various ALCO support groups in the functional areas such as Balance Sheet Management, Treasury Front-office, Budget and Planning etc. ALCO directives and ALM actions are implemented by the concerned business groups and verticals. As per regulatory guidelines, Liquidity Coverage Ratio (LCR) of the Bank is computed on a daily basis from January 1, 2017. The average LCR of the Bank, based on daily observations, was 127.73% in 2019-20.

Operational Risk

Your Bank has a robust Operational Risk Management Framework (ORMF) which includes an organisational set-up comprising the Board of Directors, the Risk Management Committee (RMC) of the Board, the Operational Risk Management Committee (ORMC) and nodal officers of various functions/ departments. Under the framework, the Bank has built three lines of defense, the first being the Business Line Managers who manage and mitigate risk on daily basis, second being Operational Risk Management (ORM) section and the third being the Bank's Internal Audit function which reviews the effectiveness of governance, risk management, and internal controls within the Bank.

The operating procedures for operational risk are guided by the Board-approved Operational Risk Management Policy which aims at identifying, monitoring, measuring and managing operational risks associated with banking activities. Your Bank has robust internal systems and procedures for mitigation of inherent risks spread across various business activities/ operations.

ORM section develops and implements policies, procedures, tools and techniques to assess and monitor the adequacy and effectiveness of Bank's internal controls. It manages the operational risks through Key Risk Indicators (KRIs), and Risk Control Self-Assessment (RCSA) exercises and periodically updates the developments to the ORMC and the RMC of the Board. The KRIs have already been framed for critical functions and branches/ units which are risk-rated based on their operational performance through the Comprehensive Operational Risk Evaluator (CORE) system. In addition to this, the ORM section also reviews both new products being introduced by the Bank as well as existing products at the time of periodic reviews for assessment of inherent risks from operational risk perspective. Operational risk loss incidents are collected by the ORM section and the same is deliberated by the ORMC and concerned operating/ dealing groups are advised necessary corrective actions after conducting a Root Cause Analysis. Such incidents are reported to RBI on a quarterly basis. Your Bank also conducts stress testing exercises on a half-yearly basis in order to assess the impact of stressed operational risk losses on earnings and capital. This is aided by measurement and reporting of any breach in the Board-approved Risk Appetite limits for Operational Risk. At present, the Bank has adopted the Basic Indicator Approach (BIA) for computation of Operational Risk Regulatory Capital and the Operational Risk Weighted Assets. Your Bank also conducted an Impact Assessment Study of New Standardised Approach (Basel III SA) on the Operational Risk regulatory capital vis-à-vis the Basic Indicator Approach as directed by the RBI to be in readiness for implementation of the same in future.

The Root Cause Analysis of some major operational risk loss incidents are also shared in the form of case studies with all the employees for raising awareness and prevention. Training programmes on Operational Risk Management are regularly conducted for sensitising officers working at operational level.

Business Continuity Management

Your Bank has robust Business Continuity Management (BCM) processes to mitigate business disruptions and life-threatening events. Your Bank has been awarded ISO 22301:2012 certification for its bank-wide coverage of Business Continuity Management.

As a part of BCM, a well-defined Business Continuity Plan (BCP) has been put in place for core and support functions. This is intended to provide continuity in services to customers even in case of business disruption/ disaster. Besides, a comprehensive Disaster Management Plan (DMP) is deployed for its major establishments to safeguard human lives and minimise damage to valuable assets during disaster. The resilience of these BCPs and DMPs is tested periodically through BCP testing exercises, disaster recovery including holistic drill and mock evacuation drills. The Bank's Business Continuity Management System is well-equipped with an automated incident reporting tool, viz. Integrated Disaster and Business Continuity Management System (i-DaB).

Information Technology Risk

Your Bank has taken a series of steps to improve its IT risk management and control. Your Bank has set up a state-of-the-art Security Operation Centre (SOC) at its Data Centre at Navi Mumbai. The 24x7 SOC is a Command Centre for countering cyber threats and ensuring compliance with the Bank's Information Security Policy and Cyber Security Policy besides fulfilling the Bank's objective of providing safe and secure banking to its esteemed customers. Further, through the SOC, your Bank centrally monitors security devices like firewalls, routers, Intrusion Detection System (IDS) devices/ Intrusion Prevention System (IPS) devices, Privileged Identity Management (PIM), antivirus, phishing/ malware attempts and takes corrective actions. Your Bank regularly conducts Vulnerability Assessment & Penetration Testing (VAPT) of external applications viz. i-Net banking, mobile banking, mail messaging etc.

Your Bank has made significant progress in implementing the RBI's recommendations pertaining to Information Security, Electronic Banking, Technology Risk Management and Cyber Frauds and the RBI's Cyber Security Framework for banks. Your Bank has put in place an appropriate organisational framework, as recommended in the guidelines, which includes an exclusive Information Security Group headed by Chief Information Security Officer (CISO) who reports to the Chief Risk Officer (CRO) of the Bank.

Several information security solutions have been implemented like Privileged Identity Access Management, Patch Management Solution, Active Directory, Web/ Mail Gateways, Endpoint and USB encryption, Data Leakage Prevention (DLP) solution, Advanced Persistent Threat (APT), Network Access Control (NAC), Web Application Firewall (WAF) etc. to protect customer data, prevent external attacks as well as strengthen internal controls.

Your Bank has put in place a distinct Cyber Security Policy and Cyber Crisis Management Plan which articulate management intent and direction for addressing cyber security risks. Further, your Bank participates in cyber drills conducted by various agencies to check and maintain the health of its information security set-up. Information Security Awareness has been included as a mandatory session in the Induction Programme for all employees joining the Bank. The members of the senior Management of the Bank attended IT Risk programme at Institute for Development & Research in Banking Technology (IDRBT). Apart from conducting regular information security awareness programme for the employees, various information security precautions are also communicated to customers through mailers, SMSes, ATMs and posters, to minimise/ thwart the attempts of security breach. IT infrastructure and systems have been implemented within a robust information security framework including solutions on both perimeter and end-points. Your Bank's Data Centre, Disaster Recovery Centre as well as Near DR Centre are certified with the latest ISO 27001:2013 information security standards. Your Bank's Near DR ensures zero data loss for critical transaction systems. The Information Security Steering Committee (ISSC) of the Bank provides directions and guidance for mitigating IT risk in the information systems. The cyber security posture, various security incidents and the policies are placed before the IT Strategy Committee of the Board (ITSCB) for necessary directions. The policies are recommended by ITSCB to the Board for approval.

Fraud Risk Management

Your Bank has formed a Fraud Risk Management Group (FRMG) under Risk Management Department (RMD) focusing on implementation of Enterprise-wide Fraud Risk Management Solution (EFRMS) for monitoring transactions carried out in various systems. Your Bank has started monitoring transactions covering various functions of the Bank by building rules through the EFRMS system. The implementation of adaptive authenticated solution for mobile banking has gone live and the Bank is at an advanced stage of implementation of solution for net banking. Your Bank is also monitoring Cards/ Merchant Establishment (ME) transactions using monitoring tools provided by the networks.

MANAGEMENT, CONTROLS AND SYSTEMS

Human Resources

Learning and Development

Your Bank has laid emphasis on providing continuous learning opportunities to its employees with a view to enhancing overall development of employees and achieving organisational goals.

During the year 2019-20, your Bank has conducted 818 training programmes at its apex training institution - Jawaharlal Nehru Institute of Banking and Finance (JNIBF) in Hyderabad and at the Zonal Training Centres. Apart from the regular training programmes, customised programmes were designed and conducted at the JNIBF on select topics such as Improvement of Audit Rating, Grooming of New Branch Heads, Programme for Officers Handling Operational Role in Retail Asset Centres and Development Programme on Leadership Excellence

designed for Executive Directors and Chief General Managers of the Bank. Workshops on Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), MSME financing, Vigilance, Disciplinary Proceedings etc. were also conducted with a view to encouraging an interactive learning environment.

Your Bank nominated its officers for 162 external training programmes in order to provide requisite exposure in their respective areas of work. Training on Priority Sector Lending (PSL), SME, Credit, NPA Management, Risk etc. were imparted through reputed institutions. A number of senior management officials including the Board of Directors have been nominated for external certification training on *'IT and Cyber Security'* conducted by IDRBT in compliance with the RBI directive to enhance the management awareness on cyber security issues.

A specially designed induction training programme with focus on bancassurance business was conducted for Executives through Manipal Global Education Services. Your Bank has upgraded its core banking systems to Finacle 10X and has imparted a blended training, combining hands-on classroom training and assignment of e-learning modules on Finacle 10X.

As part of the learning culture, the Bank has been promoting e-learning through the Bank's Learning Management System – OJAS – to provide additional channels of learning to its employees in a cost-effective manner. OJAS library has been updated with over 300 e-learning modules covering a wide range of banking topics, including behavioural skills as also functional modules in Hindi. This year, your Bank extended e-learning to Chief General Managers as also to Class III employees. E-learning was also introduced as a pre-joining program for new recruits.

As per GoI directives, programmes on Customer Service, Training for Women Officers, pre-recruitment and pre-promotion training programmes (for Scheduled Castes (SCs)/ Scheduled Tribes (STs)/ Persons with Disabilities (PwD) employees) was also conducted.

With a view to position JNIBF as a multi-faceted Centre for Excellence, training programmes are also being conducted for external participants. During the year, four International Programmes viz. (i) Programme on SME Project Finance for SAARC Nations (ii) Exclusive programme for Bank of Ceylon, Sri Lanka (iii) Programme on Project Finance for Bank of Nepal in association with EXIM Bank and (iv) Programme on Sales and Marketing for Bank of Nepal were conducted.

Posting and Placement of Officers

Placement and posting of officers is based on the Bank's extant Officers' Posting and Transfer Policy (OPTP). Further, movement of officers holding sensitive positions is in accordance with the Central Vigilance Commission (CVC) guidelines. The Bank generally adheres to the timelines prescribed by the GoI regarding transfer of officers. All transfer orders are issued, to the extent possible, by June 30 of every year, except for transfers on promotion which may be done after the month of June, as and when they become due. The officers are posted based on their skill-set and as per the requirements of the Zones and various verticals/ departments.

Capacity Building Policy (i-CAPBUILD Policy)

Your Bank has put in place a Capacity Building Policy (i-CAPBUILD Policy) to build specialisation in career progression, to meet the career aspiration of specialist officers and to strike a fine balance between performance and potential of specialist officers. The policy also envisages posting of specialist officers in identified specialised areas.

Industrial Relations

The industrial relations climate in your Bank was generally cordial during the year with most of the issues being resolved amicably. The Bank has been holding meetings with the Associations and Unions in its endeavor to have constructive dialogue for understanding and addressing grievances of officers/ employees. The Unions/ Associations have also been responsive and proactive while addressing various issues.

Group Life Insurance Scheme (GLIS)

As an employee welfare measure, your Bank, since 2015, has been extending Group Life Insurance Policy for all permanent employees of the Bank, even post-retirement, upto 70 years of age. Under the scheme, the premium is borne in equal proportion by the Bank and the employees. Beyond the age of superannuation, retiring employees have the option to continue with the scheme by paying the full premium amount.

Extending Legal and Financial Support to Employees

With the objective of safeguarding the interest of employees against whom motivated false complaints has been made by outsiders/ private parties on matters arising out of bonafide execution of the Bank's work, your Bank has put in place a scheme for providing financial and legal assistance to Directors/ Officers/ Employees of the Bank.

Directors and Officers Liability Insurance Policy (D & O Policy)

Your Bank has procured a Directors and Officers Liability Insurance Policy (D & O Policy) with an aim to provide financial protection to the Directors and officers, employees of the Bank against the consequences of actual or alleged *'wrongful act'* which may arise from the decisions and actions taken within the scope of bonafide execution of duty.

Scheme for providing Financial Assistance to the Dependents of the Employees who Die in Harness

Your Bank has reviewed the scheme of Compassionate Gratuity and renamed it as *'Scheme for providing Financial Assistance to the Dependents of the Employees who Die in Harness'.* Under the scheme, an amount of ₹ 1 lakh is paid immediately to the dependents of employees who die in harness.

Prevention of Sexual Harassment at Workplace (POSH)

With the aim of providing quick assistance and immediate support to the aggrieved women at the occurrence of any untoward incident at the workplace, a SMS/e-mail based grievance mechanism has been put in place by the Bank to lodge complaints of sexual harassment faced by women at the Bank's workplace, directly to the members of the Committee.

Disclosures under The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013

With the objective of creating a safe and friendly work environment and ensuring prevention of sexual harassment at workplace, your Bank, in line with the requirements of The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, has set up two Internal Complaints Committees to redress the complaints received regarding sexual harassment of women at workplace. During the year, your Bank received 12 (twelve) complaints in this regard, of which 7 (seven) have been resolved after due inquiry. As on March 31, 2020, 5 (five) complaints were pending for conclusion, out of which 1 (one) complaint was received prior to 2019-20.

i-PACE- New Performance Management System

Your Bank has introduced a Performance Management System, aptly christened as IDBI Bank-Performance Assessment and Continuous Evaluation (i-PACE), with a view to making it more specific, measurable, achievable, relevant and time-bound. i-PACE includes standardised Key Result Areas (KRAs) for similar roles, uniform weightage for the standardised KRAs and direct system/ dashboard linkages for most of the measurable KRAs. Among other features, i-PACE also provides for a business insight tool, which shall regularly highlight the performance on each of the KRAs and drill down access upto individual officer's KRA-wise performance to supervisor so as to have an effective performance feedback mechanism. Furthermore, i-PACE envisages relative grading of performance within homogeneous cohorts (i.e. comparison among similar roles only). Thus, i-PACE aims to align Officers' performance with organisational targets to foster performance-oriented culture at all levels with focus, direction and common understanding of the Bank's strategic business objectives.

Recruitment and Staffing

As on March 31, 2020, your Bank had total staff strength of 17,723. The category-wise break up of employees is as follows:

Class	Total
Officers	15,487
Clerical	582
Subordinate	613
Executives	1,041
Total	**17,723**

During the year, your Bank recruited 1,954 individuals in various ranks as given below:

Grade	Total
Officers	1,212
Clerical $	5
Subordinate $	2
Executives	735
Total	**1,954**

Note: $ Appointment in Clerical and Subordinate grades is Compassionate Appointment

Reservation Policy

As on March 31, 2020, representation of Scheduled Castes (SCs)/ Scheduled Tribes (STs)/ Other Backward Classes (OBCs)/ Economically Weaker Sections (EWSs) in your Bank's total manpower is as follows:

Class	OBC	SC	ST	EWS
Clerical	55	78	28	-
Executive	404	148	68	40
Officers	3,947	2,217	974	39
Subordinate	124	144	52	-
Total	**4,530**	**2,587**	**1,122**	**79**

Your Bank is fully compliant with the extant policy of the GoI on reservation in services as applicable to Public Sector Banks.

Your Bank has appointed Chief Liaison Officers (CLOs) and Zonal Liaison Officers (ZLOs), in the rank of General Manager and Deputy General Manager, respectively, for SC/ ST/ OBC and Persons with Disabilities (PwD). The CLOs and ZLOs ensure compliance with various guidelines pertaining to reserved category employees and effective redressal of their grievances.

Your Bank conducts quarterly meetings with the representatives of SC/ ST/ OBC Welfare Association to discuss issues relating to SC/ ST/ OBC employees.

Your Bank also maintains a complaint register for recording grievances received from SC/ ST/ OBC employees and suitable action is initiated.

Your Bank maintains reservation registers/ rosters with a view to ensuring proper implementation of reservation guidelines. The Bank also maintains a separate reservation roster for PwD employees as per the GoI guidelines.

Infrastructure Management

During the year under review, your Bank undertook several major civil projects. The construction of residential flats for officers at the Jawaharlal Nehru Institute of Banking & Finance (JNIBF) Annexe, Hyderabad, was completed in February 2020 and the allocation process of the flats among the Bank's officers commenced in March 2020.

Your Bank's initiative for redevelopment for construction of 48 flats at K. K. Nagar, Chennai, fructified in October 2019 and the flats have since been allotted to eligible officers.

Your Bank has acquired commercial space admeasuring 1,22,088 sq. ft. along with 36 residential flats admeasuring 60,972 sq.ft. from NBCC (India) Ltd. at its project coming up at East Kidwai Nagar, New Delhi. While the construction has been completed, handing over of the commercial space is *'on hold'* due to certain Public Interest Litigation (PIL) issues. However, 15 out of 36 residential flats have been handed over to the Bank.

During the period under review, your Bank added a new Zone i.e., Lucknow. The leased premises for the new Zonal Office at Lucknow has been finalised and the Interior Furnishing (IF) works is in progress. The Bank is planning to add two new Zones in 2020-21 in Patna and Bhopal, taking the total number of Bank's Zones to 14; selection of leased premises for the proposed zones is currently in progress.

Internal Audit

Your Bank's internal audit function independently evaluates the adherence to internal policies, procedures and regulatory guidelines. There is a well-equipped Internal Audit Department (IAD) which carries out regular audits of various activities undertaken by different business and support verticals, Zonal Offices (ZOs), Regional Offices (ROs), branches and non-branch segments. The IAD functions under the guidance and supervision of the Audit Committee of the Board (ACB). The functions of IAD are governed by (i) Risk Based Internal Audit Policy; (ii) Concurrent Audit Policy; (iii) Information Systems (IS) Audit Policy. These policies are designed as per the guidelines of Department of Financial Services (DFS), GoI and RBI. IAD's functions and scope thus revolves around the above policies, amended from time-to-time. The IAD conducts/ supervises three major types of audits viz. Internal Audit, Concurrent Audit, and IS Audit. The IAD also manages the functions of (i) Fraud Monitoring Group; (ii) Vigil Mechanism; (iii) Implementation of Staff Accountability (SA) Policy through SA Committee Secretariat (iv) Long From Audit Report and Internal Financial Controls over Financial Report. The internal audit function includes conducting regular audits of branches/ non-branch segments, Management Audits of Zonal Offices and Regional Offices and departments at the Head Office, Mumbai, Snap Audits (especially newly opened RBG branches), Special Audits (various triggers from off-site risk assessment, controlling departments/ verticals, serious issues/ malpractices/ frauds noticed during other audits) and Credit Audits. The audit function maintains its independence and objectivity while carrying out the assignments. In order to have focussed attention on the audit of branches and to ensure that the follow-up functions are adequately and efficiently carried out, your Bank has created Zonal Audit Offices (ZAOs) in all its Zones. The ZAOs undertake the audit of the branches, non-branch segments and the Regional Offices and close the audit reports in terms of the Annual Audit Plans and the Risk Based Internal Audit (RBIA) Policy of the Bank. The audit function also proactively recommends improvements in operational processes and service quality to mitigate operational risks. The Bank has put in place extensive internal controls, including audit trails, appropriate segregation of front-office and back-office operations, adherence to the laid down policies and procedures of the Bank and to all applicable regulatory guidelines. The audit activities are undertaken through a web-based application - Audit Management System - which is accessed by respective officers of auditee units on real-time basis for monitoring of compliances.

Risk Based Internal Audit (RBIA)

The Bank has adopted the policy of Risk Based Internal Audit (RBIA) wherein the adequacy and effectiveness of its risk management procedures and internal control systems are evaluated. All the branches of the Bank are subjected to the RBIA so as to contain risk, have effective control mechanism and improve efficiency of operations. The frequency of internal audit of retail and corporate branches is decided based on the overall risk level i.e. combination of Control Risk and Inherent Business Risks (IBRs). RBIA focuses on proper risk identification and assessment, effective risk containment measures and adequacy of internal controls/ procedures. Your Bank's Internal Audit Department undertakes a critical review of the entire operations of audited units through the RBIA, an adjunct to Risk Based Supervision, as per the RBI directives.

Risk Based Management Audit (RBMA)

Management Audit encompasses all the departments in Head Office, Zonal Offices, Regional Offices, training institute, viz. Jawaharlal Nehru Institute of Banking and Finance (JNIBF), and the subsidiaries. All Zonal Offices and Regional Offices are subjected to Risk Based Management Audit (RBMA) which focuses on compliance with rules and regulations, the adequacy and effectiveness of internal control mechanism, adherence to policies and procedures and suggests measures to strengthen and streamline control for addressing various risks.

Quality Assurance Audit (QAA)

Your Bank has been undertaking an exhaustive Quality Assurance Audit (QAA) starting from April 2018 to further strengthen and enhance its internal audit function and align it with prevailing best practices through a reputed external consultant. Further improvements based on the initial QAA recommendations continued during the year 2019-20 and an additional work for strengthening the management audit process, inherent business risk parameters for Retail Asset Centres (RACs), Trade Finance Centres, etc. was assigned to the consultant. These measures were aimed at further improving the audit systems and processes.

Based on the initial recommendations, IAD had, *inter alia,* (i) revamped the Risk Assessment Methodology of branches by reviewing business parameters for assessment of potentials risks in business portfolio i.e. Inherent Business Risks (IBR) and Assessment of Control Risk; (ii) changed Internal Audit periodicity of non-branch segments carrying high risk activities to annual and also included these under the purview of the Concurrent Audit; (iii) commenced performance review of concurrent auditors periodically, etc.

During the year, the modified system for implementing revised Control Risk parameters was finalised and used for branch audits. With the implementation of the above business risk indicators and re-defined control risk parameters, it is easier for the IAD to highlight specific areas of concern and accordingly alert the branches and controlling offices about areas that need attention. Further, automation of the data flow for assessment of these risks as well as rule-based sampling process, discretion in selection of sample, has been taken away from the auditors. Further, auditors are provided with product-wise checklists which give them the necessary information at hand to ensure professional and efficient completion of the given mandate.

The above improvements and the implementation of a robust modified Audit Management System have helped the Bank in addressing the concerns of the regulator.

Long Form Audit Report (LFAR)

Your Bank is also compiling and sharing the information submitted by the Statutory Branch Auditors (SBAs) and the Bank's branches with the Statutory Central Auditors (SCAs) for finalisation of the Long Form Audit Report (LFAR). An online system has been developed and administered by IAD for

input of information/ data by the branches and generation of consolidated reports for use by SCAs at the Head Office.

Internal Financial Control over Financial Reporting (IFCO-FR)

Your Bank is also co-ordinating and supervising the testing of the Risk Control Matrix identified by the external consultant appointed for the purpose of verifying (i) the adequacy of internal financial control systems; and (ii) the operating effectiveness of such controls and ensuring timely and effective closure of all open issues. The concerned departments are sensitised on an on-going basis to ensure that adequate testing is conducted for the controls in an effort to close all open issues. All issues which are long outstanding and require time for closure are pursued with the concerned department/ vertical to ensure that there are adequate compensating controls in place and the same are verified by the IFCO-FR Consultant.

Information Systems Audit

New initiatives/ activities have been undertaken to improve the quality of Information Systems (IS) Audit function such as (i) review of the RBI's Cyber Security Framework to ensure that Cyber Security controls implemented in the Bank are appropriate and risks in IT systems are addressed adequately; (ii) IS Audit pending observations have been included as one of the parameters to arrive at Operational Risk of the Bank to inform the Management about the residual risk due to pending IS Audit observations; (iii) updation of IS Audit Universe is conducted in consultation with the Information Technology division to make it more focussed and exhaustive; (iv) IS Audit utilises the services of empanelled Information Security Service Provider (ISSPs) to conduct audit of Finacle 10.x Migration project. The observations/ recommendations suggested during IS Audit have enhanced the effectiveness and efficiency of the IT systemic controls to provide reasonable assurance to the Management that IT Infrastructure deployed in the Bank, together with the business/ operational processes, is able to accomplish Information System's goals of *'Availability, Integrity and Confidentiality'* effectively and that the risks in IT systems were addressed adequately or were within acceptable limits.

Offsite Monitoring System

Offsite Monitoring System is a useful tool in alerting the branches as well as controlling offices regarding deviations from the existing policies/ procedures in day-to-day operations for immediate rectification/ compliance. As part of the new initiatives/ activities undertaken to improve the quality of Offsite Monitoring System, the list of existing OMS exception rules, rule category, risk severity, frequency of generation and number of alerts generated along with the rule logic was discussed with the concerned verticals to obtain their valuable feedback/ suggestions for (i) recommendation of new rules to introduce more control points; (ii) modification in existing rules; and (iii) deletion of any existing OMS rules, which have become obsolete/ redundant. On the basis of the feedback/ suggestions received and internal review, addition of eight new rules, modification in 15 existing rules and deletion of one existing rule across various categories was undertaken to strengthen Offsite Monitoring System

Concurrent Audit

The Concurrent Audit (CA) system is a part of the Bank's Early-Warning Signals (EWS) System to detect irregularities/ lapses, which helps in checking violations of the internal and regulatory guidelines in controlling risks and in preventing fraudulent transactions. The CA system is essentially a control process, integral to the establishment of sound internal accounting systems and effective controls. As per the relevant RBI guidelines, CA is carried out in the branches/ other non-branch units like Treasury, Central Processing Unit (CPU), and Retail Asset Centres (RACs), identified based on risk perception and volume of business handled. Further, identified Head Office functional divisions are also subjected to Concurrent Audit and all Trade Finance Centres have been covered under Concurrent Audit. As per the Board-approved CA Policy of the Bank, CA is required to cover 70% of deposits and 70% of advances of the Bank, as against the RBI's stipulation for coverage at minimum of 50% of deposits and 50% of advances. For the year 2019-20, the coverage under CA worked out to 88.52% of total deposits and 84.71% of total advances, covering a total of 708 auditee units, by engaging the services of external firms of Chartered Accountants. The Concurrent Auditors' performance is closely monitored by the ZAOs and IAD on a continuous basis for qualitative reports and timely submission.

Credit Audits

Your Bank has a system of credit audit for detailed review of selected accounts on an annual basis. Borrower accounts for credit audit are identified from the new proposals sanctioned during the review period on the basis of the following defined criteria (i) all fresh proposals (within 3-6 months from the date of disbursement) and proposals for renewal/ renewal-cum-enhancement of limits, with sanction limits equal to or above a cut-off depending upon the size of activity; (ii) randomly selected (5%) proposals from the rest of the portfolio; (iii) below Investment Grade proposals (if migrated from Investment Grade during the financial year); and (iv) takeover cases with sanction limits equal to or above the cut-off, depending upon the size of the activity.

Fraud Risk Indicator (FRI) for Retail Branches

To assess the level of vulnerability of a branch to frauds in its advances, your Bank has a Fraud Risk Indicator (FRI) within the existing RBIA template for retail branches. 24 functional areas were identified as vulnerable to fraud and selected as FRIs.

Investigative Audits or Special Investigative Audits (IAs/ SIAs)

During the year 2019-20, a total of 56 Investigative Audits or Special Investigative Audits (IAs/ SIAs) were carried out by the IAD at various branches/ RACs. These SIAs were carried out based on various triggers, viz. requests from verticals, directions from Executive Director, Deputy Managing Directors and MD & CEO, Third Party complaints, references from Vigilance Department, etc. Significant observations emerging out of these SIAs, advisories from IAD and corrective steps taken thereon were reported to the Audit Committee of Executives (ACE) and

the Audit Committee of Board (ACB). Investigations carried out by the IAD have played/ are playing a vital role in bringing about systemic improvements, improvements in policies, product guidelines, processes and procedures, helping in restoring the controls and drawing attention to better overall monitoring of the branches. An early trigger provided by IAs/ SIAs has helped the Zones to initiate timely recovery/ legal actions and to arrest slippage of accounts into NPAs. Wherever there were no laid down procedures, Standard Operating Processes (SoPs) were introduced and escalation matrix was put in place. IAs/ SIAs have helped the Bank to identify gaps in monitoring, new risk areas, lapses in controls, and have also enabled the Bank to enhance the control functions and to mitigate various risks by proactively addressing the lapses. It has also led to overall improvement of processes, procedures, policies and products.

Fraud Monitoring

Your Bank has put in place a fraud monitoring mechanism through a dedicated Fraud Monitoring Group (FMG) housed in its Internal Audit Department. The FMG reviews efficacy of the remedial actions taken to prevent reoccurrence of frauds and also issues necessary advisories/ circulars from time to time. These actions include strengthening of internal control and putting in place need-based remedial measures. A detailed Fraud Risk Management Policy is in place for early detection, prevention, reporting, monitoring and follow-up of frauds. Various internal circulars on prompt reporting of frauds and timelines for reporting of fraud incidents have been issued reiterating the importance of the timely reporting of frauds to the RBI. A mechanism for conducting Legal Audit of all loan and mortgage-related documents of loans of ₹ 1 crore and above is also in place to mitigate frauds. Your Bank carries out Root Cause Analysis and systemic corrections in respect of fraud cases to prevent reoccurrence of frauds.

Vigilance Mechanism

A full-fledged Vigilance Department, which is headed by a Chief Vigilance Officer (CVO), is operational at your Bank's Head Office in Mumbai. Your Bank has also set up a Zonal vigilance structure in order to achieve better control and ensure monitoring of vigilance activities at zonal level.

Your Bank's CVO performs vigilance function which has wide scope/ coverage and includes collecting intelligence about corrupt practices committed or likely to be committed by the employees of the Bank. The CVO performs/ oversees all functions relating to vigilance matters in the Bank, including (i) processing of vigilance cases, investigating or initiating investigations into complaints with vigilance overtones and verifiable allegations; (ii) processing of investigation reports for further consideration of the Disciplinary Authority; (iii) referring the matters, where necessary, to Central Vigilance Commission (CVC) for their consideration/ advice; (iv) taking steps to prevent commission of malpractices/ misconducts and (v) co-ordination and liaison with various law enforcement agencies.

Your Bank's Intranet has a webpage dedicated to the Vigilance Department which provides an overview of its functions, format of Standard Notice of CVC which is to be displayed at the Bank's branches/ offices, important circulars/ guidelines issued from time-to-time by the CVC, Chief Technical Examiner's Organisation (CTEO) of CVC, as also by your Bank and Do's and Don'ts of Preventive Vigilance. This has helped your Bank in enhancing the level of vigilance awareness amongst its officers.

Some of the preventive vigilance measures adopted by your Bank include undertaking of Surprise Vigilance Visits (SVVs) and inspections on suo moto basis in various branches to detect malpractices, if any, and non-adherence of laid down systems and procedures. Apart from this, the Vigilance Department also undertakes scrutiny of One Time Settlement (OTS)/ First Time NPA (FTNPA) cases, Scrutiny of Annual Return of Assets & Liabilities (ARAL) of the officers of the Bank to ascertain any instances of disproportionate assets or abnormal variation/ mismatch in officers' assets & liabilities and scrutiny of Audit Reports of the Bank.

As a part of efforts to combat corruption and also enhance and spread public awareness as directed by the CVC*, 'Vigilance Awareness Week (VAW) 2019'* with the theme *'Integrity a Way of Life'* was observed from October 28, 2019 to November 2, 2019 in the Bank. On this occasion, your Bank released a Special Journal for the benefit of staff members and also conducted various competitions like essay writing, elocution, quiz, etc. among staff members. Various programmes/ seminars/ talks were organised at the Bank's Head Office/ Zonal Offices (ZOs)/ Regional Offices (ROs) and branches for sensitising the employees and other stakeholders of the Bank. For the awareness of public/ citizens, VAW 2019 banners, posters were displayed in prominent locations at ZOs, ROs and branches and also at places with public interface. Awareness Gram Sabhas were also organised by semi-urban branches and rural branches.

Regulatory Compliance

Your Bank ensures compliance of various statutory and regulatory guidelines laid down by the GoI, the RBI, the Securities and Exchange Board of India (SEBI) and other regulatory/ statutory bodies through a structured system of internal controls and tiered review. The Compliance department, located at your Bank's Head Office, which is headed by a senior official designated as Chief Compliance Officer (CCO), co-ordinates dissemination and internalisation of all the statutory and regulatory guidelines. Your Bank has put in place an extensive Board-approved Compliance Policy as per the RBI guidelines and reviews it annually. The role and responsibility, with regard to the compliance function, is clearly defined for every tier in your Bank. The Board is apprised at monthly intervals about important communications/ guidelines received from the RBI and other regulators/ agencies. During the period under review, your Bank has strengthened the internal compliance culture at granular level by implementing an advanced technology application called *'Cermo+'.* Your Bank has also automated the compliance reporting system to the RBI, which enables timely submission of compliance and ensures proper data management.

Right to Information (RTI) Act

Your Bank has designated Central Public Information Officers (CPIOs) for responding promptly to requests for information pertaining to various functional areas. In addition, all branch heads have been designated as Central Assistant Public

Information Officers (CAPIOs) to receive and forward applications under the Right to Information (RTI) Act to CPIOs. Your Bank has designated a senior officer in the rank of Chief General Manager as First Appellate Authority (FAA) for dealing with appeals of aggrieved applicants. A Transparency Officer, in the rank of Executive Director, has been designated for effective implementation of provisions of Section 4 of the RTI Act. A separate link for the RTI Act has been provided on the Bank's website (www.idbibank.in). Your Bank has also aligned with the GoI's RTI online portal, whereby citizens can seek the information and raise appeals under RTI Act through the portal (https://rtionline.gov.in).

Progressive use of Hindi

During the year under review, your Bank made concerted efforts to increase usage of Official Language, viz. Hindi and implement the various provisions of Official Language Act and Rules of the GoI. Your Bank's offices and branches made continuous efforts to achieve the targets prescribed in the Annual Programme and comply with other directives issued by Official Language Department, Ministry of Home Affairs, GoI. Your Bank continues to endeavor to provide in-depth information about your Bank's products and services in Hindi on the Bank's website. The language option for Hindi is available on some of your Bank's mobile applications, viz. Abhay, PayApt and M-Passbook. Your Bank is also working towards introducing SMS facility in 12 Indian languages, including Hindi, in retail banking transactions. Various campaigns, relating to Micro, Small, and Medium Enterprises (MSME) and digital banking, were organised in Hindi and other regional languages. Various posters, banners and other publicity material were displayed in Hindi as well as in regional languages for the benefit of the customers. Hindi and regional languages were used in advertising campaigns for assorted Government Social Security Schemes viz., Atal Pension Yojana, Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Beema Yojana, Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana, Sukanya Samriddhi Yojana etc.

Your Bank has updated template letters, forms, dictionaries, notings and other relevant reference materials in bilingual form on its Intranet to promote use of Hindi. Various incentive schemes were implemented and several competitions were organised to encourage staff members to use Hindi in their day-to-day official work. In order to progressively increase the usage of Hindi in various offices of your Bank, Hindi workshops were organised across all the regions of the Bank to familiarise staff members with the varied requirements of Official Language implementation and use of Hindi Unicode. Your Bank also organised Rajbhasha fortnight in September 2019.

Your Bank's endeavour to promote the use of Hindi in day-to-day work found due recognition in various forums, as chronicled hereunder:

i) Rajbhasha Award was conferred to your Bank's Zonal Office, New Delhi and Regional Office, Ludhiana by the respective Town Official Language Implementation Committee (TOLIC) for commendable performance in Rajbhasha implementation.

ii) Your Bank's in-house quarterly Hindi Magazine *'Vikas Prabha'* was conferred the Best In-House Magazine citation from *'Ashirvad'* - a renowned literary and cultural organisation.

iii) Officials from the Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, GoI, appreciated the inclusive implementation of Hindi in your Bank's working during their inspections.

Customer Service and Complaints Management

Your Bank, in pursuit of achieving its vision of becoming one of the most preferred and trusted bank for all its stakeholders, has adopted a customer-centric approach, focusing on customer delight through a comprehensive suite of best-in-class financial solutions.

Your Bank has an ISO 9001:2015 certified Customer Care Centre (CCC) to redress customer grievances received from various touch points. Your Bank regularly reviews policies such as Customer Care Policy, Grievance Redressal Policy and Customer Rights Policy in line with the latest developments. The timely handling of grievances and focus on customer delight is fundamental to the Bank's mission and its commitment to treat customer fairly at all times. To ensure prompt resolution of customer grievances, the Bank has put in place an updated Board-approved Grievance Redressal Policy (December 2019), which outlines its approach towards complaint resolution and customer service delivery. Complaints received from all channels are handled in tandem with this policy, which also includes a time-based escalation matrix, wherein if the complaint is not resolved within the stipulated time, the same is escalated to the next higher authority. For this purpose, the Bank has designated a Grievance Redressal Officer (GRO) at each of the 12 Zonal Offices of the Bank and a Principal Nodal Officer (PNO) at its Head Office in Mumbai. Further, in line with the Internal Ombudsman Scheme 2018, the complaints which the Bank proposes to reject/ provide partial resolution are referred to the Internal Ombudsman prior to responding to the customer. The Bank has in place a Standardised Public Grievance Redressal System (SPGRS) which facilitates recording, monitoring and timely resolution of the complaints received. The complaints received from various customer touch-points and regulators are entered in this system. The system has an inbuilt escalation matrix with auto alert mechanism as per a pre-defined turnaround time (TAT). A customer of the Bank can track the status of his/ her complaint lodged through the website of the Bank. In case of any delay in complaint resolution, the Bank pro-actively communicates the same to the customer through a SMS alert. Further, to prevent/ minimise unauthorised electronic banking transactions, the Bank has put in place several mediums through which customers can report such transactions on a 24x7 basis. In our endeavour towards offering convenient banking and as a green initiative, the Bank facilitates debit card PIN generation through various channels like ATM, internet banking and Interactive Voice Response (IVR), etc. to enhance customer convenience.

Your Bank captures customer feedback on an ongoing basis and uses it towards improvement of processes to delight customers. It also conducts customer meets on pan-India basis wherein senior management of the Bank interacts with customers. The Bank also conducts a Depositor Satisfaction Survey on an

annual basis and the feedback received gets translated into products/ process/ system improvements. Besides, the Bank conducts mystery shopping activities across the branches in order to evaluate quality of customer service rendered to the customers.

The Contact Centre of the Bank operates 24x7 from two locations, viz. CBD-Belapur in Navi Mumbai and Hyderabad. The Contact Centre offers services in 10 regional languages in addition to Hindi and English. In addition to offering various services viz. query/ requests and grievance resolution, the Contact Centre also undertakes business generation and recovery calling activities.

Your Bank has established two senior level customer service committees, i.e. Standing Committee on Customer Service (SCCS) and Customer Service Committee of the Board (CSCB), which meet on a quarterly basis. These Committees are entrusted with the task of evaluating feedback on quality of customer service rendered by the various channels of the Bank. The Committees also evaluate complaints and feedback received from customers and provide necessary directions to increase efficiency of resolution.

Corporate Communications

During 2019-20, the intended goal of advertising efforts of your Bank was to enhance the recall value of the Bank's products and services and to maintain and enhance the positive image of your Bank.

The advertising and publicity initiatives undertaken by your Bank focussed on campaigns highlighting the flagship retail products of the Bank. Cost-effective campaigns about Home Loan, Fixed Deposits, Gold Loan, Preferred Banking and mobile banking were undertaken in print, outdoor (OOH), radio and the digital platforms. The campaigns focussed on highlighting the distinguishing features of the products.

As in the advertising arena, several initiatives were undertaken by your Bank in the Public Relations (PR) domain also. The overlying accent of the PR initiatives was aimed at maintaining positive tonality of news and enhancing your Bank's profile in the media, while simultaneously striving to reinforce stakeholder perception. Your Bank found numerous positive mentions of its initiatives in print, electronic and digital media.

The Bank continued to undertake activities on various social media platforms and communicated through its official Facebook page and Twitter handle. During the year, a special Twitter handle–*'@IDBIBankCares'* was also launched, dedicated to addressing customer issues.

Internal Communications

Your Bank's internal communication agenda was focussed on enabling effective exchange of important ideas including but not limited to developments in the field of banking. It ensured permeation across various departments and branches of the Bank and helped to foster a sense of communion among the employees and cultivate relationships of trust in order to work towards a collective goal.

Various initiatives were undertaken to motivate and engage with the employees. These, *inter alia,* included monthly circulation of digital newsletter *'Abhyudaya'* which updated employees about various developments in the Bank, video messages from the Top Management to the employees, employee engagement through online quiz on working Saturdays, etc.

Your Bank also re-launched its quarterly in-house journal *'Shree Vayam'* in a digital avatar. Shree Vayam allows the existing employees as well as retired employees of the Bank to share their experiences and thoughts on diverse topics. Further, with the objective of promoting an overall well-being of its employees, the Bank organised a pan-India activity called *'Step-a-Ton'* that helped in establishing a sustained top-of-mind recall of the brand as well as its core product offerings.

Information Technology

During the year, your Bank continued to invest in technological innovation and upgradation to augment its business while maintaining its focus on customer service and experience. Your Bank covered new grounds during the year such as successful and smooth migration of the Bank's Core Banking Solution from 7.x to 10.x, upgradation of net banking system to the latest system namely Finacle E-Banking Architecture (FEBA), implementation of Early Warning Signals (EWS) Solution, successful roll-out of Analytics and Customer Relationship Management (CRM) Sales modules, developing an Enterprise-wide Data Warehouse (EDW), successful roll-out of Offsite module and Online module with Mobile App of Enterprise-wide Fraud Risk Management Solution (EFRMS), among others. Under EDW project, various analytical/ predictive models were built for NPA prediction for a number of loan products, churn prediction for portfolio of Agri/ MSME, Current/ Saving Account, Cross-sell Up-sell model, customer profiling and segmentation, etc. Further, data-sets for various business functions have been created for the users, enabling them to easily create desired reports. Along with these projects, your Bank has laid special emphasis on upgradation and overhaul of many of its critical IT hardware systems and has also committed long-term investments in the enrichment of its assets like network devices, switches and servers to ensure that the deployed hardware is adequate and state-of-the-art. In addition to the successful execution of projects of regulatory and statutory importance, your Bank has also responded to the industry-wide information security concerns by embarking on various high-end security solutions which are in advanced stage of implementation.

The Centre of Excellence (COE) for Data Analytics set up by your Bank, with the objective of achieving improved customer wallet share by delivering the right product at the right time, has been focussing on segmenting, targeting, acquiring and retaining customers. Additionally, it is improving its risk management and customer understanding to maintain and grow a more profitable customer base. With the help of various propensity models developed by the Data Analytics team, your Bank has launched a number of successful campaigns for Structured Retail Assets, Life Insurance Policies, Mutual Funds, Demat, etc. With the help of the industry insights given by Data Analytics team, your Bank has adopted a focussed and targeted approach for Structured Retail Assets and Priority Sector Lending (PSL). Data Analytics

team, in association with the Digital Banking team, is preparing different models to maximise digital banking penetration and volume.

Your Bank successfully implemented Automated Data Flow (ADF) application and Centralised Information Management System (CIMS) for generation of returns and furnishing to RBI, respectively, through automated process. During the pilot run under the RBI CIMS project, your Bank was the first bank to achieve end-to-end flow of returns for the sample set of returns. Your Bank also implemented Automated Exposure Computation System (AECS) which computes and shares need-based borrower-wise exposure and exposure-related reports. Your Bank made further progress in data cleansing under *'Project Shuchi'* by launching campaign viz. *'Mera Branch Shuchi Branch'* during the period May 01, 2019 to August 14, 2019.

Your Bank made available the NEFT system on 24x7 basis. Your Bank has also moved to an improved version of Aadhaar authentication platform and also made mandatory changes in e-KYC Aadhaar authentication software. The e-KYC application is applicable only for customers desirous of receiving any benefit or subsidy under any scheme notified under Section 7 of the Aadhaar Act 2016 (18 of 2016). Your Bank has also changed its website domain name to India-based domain (www.idbibank.in).

Your Bank continued to leverage on the synergies arising from the majority stake acquisition by LIC in the Bank. It has started accepting LIC premium payment from LIC agents/ merchants through LIC Premium Pay module.

Centralised Operations

Your Bank has a state-of-the-art Central Processing Unit (CPU) where different operational activities like Tax Deducted at Source (TDS) on interest on term deposits, production & delivery of debit cards/ prepaid cards, cheque books, account statements & other deliverables to customers, Demat account opening, Application Supported by Blocked Amount (ASBA), Syndicate ASBA and Loan Against Securities (LAS), etc. are centralised. This centralisation helps in reduction in turnaround time (TAT) and savings in cost and uninterrupted services by the Bank.

Similarly, your Bank has six state-of-the-art Regional Processing Units (RPUs) for processing of savings bank, current account and fixed deposit account opening. The RPUs currently operate out of Mumbai, Delhi, Kolkata, Chennai, Pune and Ahmedabad.

Branch Operations Support and Policy

Your Bank is at the forefront in disseminating knowledge to its staff members on their day-to-day operations by equipping them with the latest information on banking operations, services etc. This ensures that your Bank is able to provide service to all its stakeholders with updated knowledge on products, operations and services.

Your Bank is in compliance with the Clean Note Policy of RBI and has deployed note sorting/ note authentication machines in its branches. During the year under review, the Bank has opened two new Currency Chests (CCs) at Dehradun and Indore. With this, the Bank has 23 CCs across the country. These CCs process cash from all linked branches and provide clean notes for dispensing through ATMs and branches.

Domestic Payment and Remittance Services (DPRS)

The prompt and timely Business Continuity Plan (BCP) arrangements made by your Bank's Centralised Operations Department enabled it to take care of all critical activities such as cheque clearing operations, payment and remittance services, etc. to ensure smooth operations during the Covid-19 crisis period and ensure uninterrupted customer service. The Bank's Domestic Payment and Remittance Services (DPRS) handles about 25 lakh transactions involving around ₹ 30,000 crore in a day.

Corporate Social Responsibility (CSR)

As the Bank suffered a net loss in the preceding three years, in consonance with broad guidelines outlined in the Companies Act, 2013, there was no requirement for your Bank to incur any spends under CSR during the year under review. However, as a conscientious corporate citizen, your Bank has donated used computers to Government/ Municipal schools for the benefit of the students as a part of its CSR initiatives during the reporting year.

कॉरपोरेट अभिशासन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

के. एस. अय्यर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
एफ - 7, लक्ष्मी मिल,
शक्ति मिल लेन,
(डॉ. ई. मोसेस रोड के पास)
महालक्ष्मी,
मुंबई - 400 011

जेएलएन यूएस एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
330/348, तीसरी मंजिल,
टॉवर ए, अटलांटिस के-10.
वडोदरा सेंट्रल के सामने,
साराभाई मेन रोड
बड़ौदा - 390 023

एम. पी. चितले एंड कंपनी
सनदी लेखाकार
पहली मंजिल, हमाम हाउस
अंबालाल दोशी मार्ग,
फोर्ट,
मुंबई - 400 001

प्रति,
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सदस्यगण,

1. हमने सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 यथा संशोधित (सेबी सूचीबद्धता विनियम) के विनियम 17 से 27 में और विनियम 46 (2) के खंड (बी) से (आई) तथा अनुसूची V के पैराग्राफ सी, डी और ई में निर्दिष्टानुसार 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है.

प्रबंधन की जिम्मेदारी

2. कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है. सेबी सूचीबद्धता विनियम में निर्धारित कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु इस जिम्मेदारी में आंतरिक नियंत्रण और प्रक्रियाओं की रूपरेखा, कार्यान्वयन और अनुरक्षण भी शामिल है.

लेखापरीक्षकों की जिम्मेदारी

3. हमारी जिम्मेदारी कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गयी प्रक्रियाओं और उनके कार्यान्वयन की समीक्षा तक सीमित है. यह न तो बैंक के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा है और न ही उन पर राय की अभिव्यक्ति है.
4. हमने बैंक द्वारा कॉरपोरेट अभिशासन की अपेक्षाओं के अनुपालन पर समुचित आश्वासन प्रदान करने के उद्देश्य से बैंक के बहीखातों तथा अन्य संबधित अभिलेखों और दस्तावेजों की जांच की है.
5. हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (''आईसीएआई'') द्वारा जारी कॉरपोरेट अभिशासन के प्रमाणन पर मार्गदर्शी नोट, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा के मानक जो कि इस प्रमाणन के उद्देश्य के लिए लागू हैं तथा रिपोर्टों पर मार्गदर्शी नोट अथवा आईसीएआई द्वारा जारी विशेष उद्देश्यों हेतु प्रमाणपत्र जिसके द्वारा यह अपेक्षित है कि हम आईसीएआई द्वारा जारी नैतिकता आचार संहिता की नैतिक अपेक्षाओं का अनुपालन करें, के अनुसार संबंधित अभिलेखों की जांच की है.
6. हमने गुणवत्ता नियंत्रण मानक (एसक्यूसी) 1, लेखा परीक्षा करने वाली फर्मों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण तथा महत्वपूर्ण वित्तीय सूचना की समीक्षा और अन्य आश्वासन व सम्बद्ध सेवा वचनबद्धताओं के लिए लागू आवश्यकताओं का अनुपालन किया है.

अभिमत

7. हमारे अभिमत एवं हमारी सर्वोच्चतम जानकारी में तथा हमें दिये गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए ऊपर उल्लिखित सेबी सूचीबद्धता विनियम में यथा निर्धारित रूप में कॉरपोरेट अभिशासन की शर्तों का अनुपालन किया है.

प्रयोग संबंधी अन्य मामले और प्रतिबंध

8. हम आगे उल्लेख करते हैं कि ऐसा अनुपालन न तो बैंक की भावी अर्थक्षमता के बारे में और न ही बैंक के कार्यों को संचालित करने की प्रबंधन की कार्यकुशलता अथवा प्रभावकारिता के बारे में आश्वासन है.
9. यह रिपोर्ट बैंक के सदस्यों को कॉरपोरेट अभिशासन के संबंधित विनियमों के अनुपालन के संदर्भ में सूचीबद्धता विनियम के तहत अपने दायित्वों के अनुपालन करने के एकमात्र उद्देश्य से बैंक के सदस्यों को संबोधित और उपलब्ध कराई गई है तथा इसका प्रयोग किसी भी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है. तदनुसार हम बिना किसी लिखित पूर्वसहमति के किसी अन्य उद्देश्य के लिए अथवा किसी अन्य पक्ष को यह दिखायी जाने पर अथवा किसी अन्य को उपलब्ध हो जाने पर कोई देयता अथवा सावधानी संबंधी कर्तव्य का दायित्व स्वीकार अथवा मान्य नहीं करते हैं. इस रिपोर्ट की तारीख के बाद घटित होनेवाली घटनाओं और परिस्थितियों को अद्यतित करने के लिए हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है.

कृते **के. एस. अय्यर एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फर्म पं. सं. 100186डब्ल्यू

सतीश केलकर
साझेदार
सदस्यता सं. 038934
यूडीआईएन: 20038934AAAAAT1486

कृते **जेएलएन यूएस एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फर्म पं. सं. 101543डब्ल्यू

रमाप्रसन्न अग्रवाल
साझेदार
सदस्यता सं. 119693
यूडीआईएन: 20119693AAAAAQ8870

कृते **एम. पी. चितले एंड कंपनी**
सनदी लेखाकार
फर्म पं. सं. 101851डब्ल्यू

आशुतोष पेडणेकर
साझेदार
सदस्यता सं. 041037
यूडीआईएन:
20041037AAAABE9057

स्थानः मुंबई
दिनांकः 30 मई 2020

कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट

अभिशासन संहिता पर बैंक के दर्शन का संक्षिप्त विवरण

बैंक अपने परिचालनों में कॉरपोरेट अभिशासन के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है. इसकी नीतियां व पद्धतियां न सिर्फ सांविधिक अपेक्षाओं के अनुरूप हैं, बल्कि अपने अंशधारकों के सर्वोत्तम हित में काम करने की इसकी प्रतिबद्धता को भी प्रदर्शित करती हैं. अभिशासन के उच्च मानकों को बनाये रखने का दायित्व आपके बैंक के निदेशक मंडल तथा बोर्ड की विभिन्न समितियों पर है जिन्हें विधिक एवं विनियामकीय प्रावधानों तथा बैंकिंग परंपराओं के ढांचे के भीतर आवश्यक प्रकटीकरण करने सहित उत्कृष्ट कॉरपोरेट अभिशासन पद्धतियों के कार्यान्वयन पर निगरानी रखने के अधिकार प्राप्त हैं.

इस दिशा में बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि इसके निदेशक मंडल का गठन निर्धारित मानदंडों के अनुसार होता रहे, निर्धारित अंतराल पर इसकी नियमित बैठकें हों, यह प्रभावी नेतृत्व प्रदान करे, प्रबंधन पर नियंत्रण रखे, कार्यपालकों के कार्य-निष्पादन पर निगरानी रखे तथा समुचित प्रकटीकरण करे. इसके अतिरिक्त, रणनीतिक नियंत्रण ढांचे की स्थापना और इसकी प्रभावशीलता की निरंतर समीक्षा तथा नीति निर्माण, कार्यान्वयन और समीक्षा के लिए स्पष्ट दस्तावेजीकृत तथा पारदर्शी प्रबंध प्रक्रियाओं की स्थापना और निर्णयन, निगरानी, नियंत्रण तथा रिपोर्टिंग बैंक के अन्य नीतिगत दिशा-निर्देश हैं. बैंक बोर्ड को निर्बाध रूप से सभी संबद्ध सूचनाएं तथा संसाधन उपलब्ध कराता है जिससे वे अपनी भूमिका को प्रभावशाली ढंग से निभा सकें.

निदेशक मंडल :

बैंक के निदेशक मंडल का दायरा व्यापक है और इसका गठन बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों और बैंक के संस्था अन्तर्नियमों और सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम 2015 [एलओडीआर विनियम] में यथावर्णित कॉरपोरेट अभिशासन की अपेक्षाओं से शासित होता है.

i. विचारार्थ विषय:

- शेयरधारकों से उनके शेयरों पर अप्रदत्त धनराशि के संबंध में मांग करना;
- धारा 68 के तहत प्रतिभूतियों की वापसी खरीद को प्राधिकृत करना;
- भारत में या भारत से बाहर डिबेंचरों सहित प्रतिभूतियों को जारी करना;
- धन उधार लेना;
- बैंक की निधियों का निवेश करना;
- ऋण मंजूर करना या गारंटी देना या ऋणों के संबंध में प्रतिभूति उपलब्ध कराना;
- वित्तीय विवरण और बोर्ड की रिपोर्ट अनुमोदित करना;
- बैंक के कारोबार में विविधता लाना;
- समामेलन, विलयन या पुनर्निर्माण को अनुमोदित करना;
- किसी कंपनी का अधिग्रहण करना या किसी अन्य कंपनी में नियंत्रक या पर्याप्त हिस्सेदारी हासिल करना;
- मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) को नियुक्त करना या हटाना;
- आंतरिक लेखा-परीक्षकों और सचिवीय लेखा-परीक्षक को नियुक्त करना;
- निदेशकों के हित और शेयरधारिता के प्रकटन को नोट करना;
- बैंक द्वारा धारित निवेशों (व्यापार निवेशों के अलावा) का क्रय-विक्रय जिसमें निवेशक कंपनी की चुकता शेयर पूंजी का पांच प्रतिशत या उससे अधिक चुकता शेयर पूंजी और निर्बंध प्रारक्षित निधियाँ शामिल हैं;
- यथास्थिति तिमाही, छमाही और वार्षिक वित्तीय विवरणों या वित्तीय परिणामों को अनुमोदित करना;
- गैर अनुपालन के मामलों में सुधार करने के लिए बैंक द्वारा की गई कार्रवाई के साथ बैंक पर लागू सभी कानूनों से संबंधित अनुपालन रिपोर्टों की आवधिक समीक्षा करना;
- निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और बैंक के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए आचार संहिता तैयार करना;
- बैंक के लिए जोखिम प्रबंधन योजना तैयार करना, कार्यान्वयन करना और निगरानी सुनिश्चित करना;
- स्वतंत्र निदेशकों, सभी अन्य निदेशकों, बोर्ड की समितियों और संपूर्ण बोर्ड के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन करना;
- कॉरपोरेट रणनीति, कार्रवाई की प्रमुख योजनाओं, जोखिम नीति, वार्षिक बजटों और कारोबार योजनाओं की समीक्षा और मार्गदर्शन, कार्य-निष्पादन के उद्देश्यों की स्थापना, कार्यान्वयन और कॉरपोरेट कार्य-निष्पादन की निगरानी, और प्रमुख पूंजी व्यय, अधिग्रहण और विनिवेशों का निरीक्षण करना;
- बैंक के अभिशासन वाले कार्यों की प्रभावशीलता की निगरानी और उसमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन करना;
- मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का चयन, मुआवज़ा, निगरानी, और जब आवश्यक हो, उनका प्रतिस्थापन और उत्तराधिकार योजना का निरीक्षण करना;
- बैंक और उसके शेयरधारकों के दीर्घकालिक हितों के साथ मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों और निदेशकों के पारिश्रमिक को सुमेलित करना;
- निदेशक मंडल में विचार, अनुभव, ज्ञान, परिप्रेक्ष्य और लिंग की विविधता के साथ निदेशक मंडल के लिए पारदर्शी नामांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करना;

- कॉरपोरेट आस्तियों के दुरुपयोग और संबंधित पक्ष लेनदेनों के गलत उपयोग के साथ-साथ प्रबंधन, निदेशक मंडल के सदस्य और शेयरधारकों के हितों के संभावित टकरावों की निगरानी और प्रबंध करना;
- स्वतंत्र लेखा-परीक्षा सहित बैंक की लेखांकन और वित्तीय रिपोर्टिंग प्रणाली की सत्यनिष्ठा सुनिश्चित करना और यह देखना कि नियंत्रण की उचित प्रणाली, मुख्य रूप से जोखिम प्रबंधन, वित्तीय और परिचालनगत नियंत्रण प्रणाली सुव्यवस्थित है तथा यह देखना कि कानून और प्रासंगिक मानदंडों के अनुपालन की उपयुक्त व्यवस्था सुनिश्चित की गई है;
- प्रकटन और संचार प्रक्रिया की देखरेख;
- निदेशक मंडल की मूल्यांकन संरचना की निगरानी और समीक्षा;
- बैंक को रणनीतिक मार्गदर्शन उपलब्ध कराना, प्रबंधन की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना और बैंक और शेयरधारकों के लिए जवाबदेह होना;
- कॉरपोरेट संस्कृति और मूल्य निर्धारित करना जिसके अनुसार समूह के सभी कार्यपालकों को आचरण करना होगा;
- पूर्ण जानकारी के आधार पर, सद्भावना में, समुचित सावधानी और देखभाल के साथ तथा बैंक और शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में कार्य करना;
- निदेशक मंडल के सदस्यों को अद्यतित जानकारी सुनिश्चित करने हेतु निदेशकों के नियमित प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करना;
- सभी शेयरधारकों के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करना;
- उच्च नैतिक मानकों को बनाए रखना और अंशधारकों के हितों का ध्यान रखना;
- कॉरपोरेट मामलों के बारे में वस्तुनिष्ठ स्वतंत्र निर्णय का निष्पादन करना;
- जहां हितों के टकराव की संभावना हो, वहाँ निदेशक मंडल को कार्य करने के लिए स्वतंत्र निर्णय लेने में सक्षम बनाने हेतु पर्याप्त गैर-कार्यपालक सदस्यों को नामित करने पर विचार करना;
- रणनीति, रणनीतिक पहल (जैसे कि अधिग्रहण), जोखिम क्षमता, एक्सपोज़र और सूचीबद्ध संस्था के ध्यान देने योग्य मुख्य क्षेत्रों जैसी अंतर्निहित धारणाओं की चुनौती से कार्यपालक प्रबंधन की सहायता करने के लिए पीछे हटने की क्षमता. निदेशक मंडल की समितियों के अधिदेश, संरचना और कार्य प्रणाली को परिभाषित और प्रकट करना;
- निदेशक मंडल के सदस्य के रूप में और निदेशक मंडल की समिति के सदस्य के रूप में स्वतंत्र निदेशकों को अपनी प्रभावी भूमिका का निर्वहन करने के लिए सुविधा प्रदान करना; और
- विनियामक/ सांविधिक अपेक्षाओं अथवा भारत सरकार (जीओआई)/ भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) द्वारा समय-समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के ज़रिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना.

ii. 31 मार्च 2020 को बोर्ड की संरचना

निदेशक का नाम	कार्यपालक/गैर-कार्यपालक निदेशक	स्वतंत्र/गैर-स्वतंत्र निदेशक
अध्यक्ष		
श्री एम.आर. कुमार	गैर-कार्यपालक	गैर-स्वतंत्र
प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी		
श्री राकेश शर्मा	कार्यपालक	गैर-स्वतंत्र
उप प्रबंध निदेशक		
श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज	कार्यपालक	गैर-स्वतंत्र
श्री सुरेश खटनहार	कार्यपालक	गैर-स्वतंत्र
नामिती निदेशक		
सुश्री मीरा स्वरूप (भारत सरकार)	गैर-कार्यपालक	गैर-स्वतंत्र
श्री सुधीर श्याम (भारत सरकार)	गैर-कार्यपालक	गैर-स्वतंत्र
श्री राजेश कंडवाल (एलआईसी)	गैर-कार्यपालक	गैर-स्वतंत्र
स्वतंत्र निदेशक		
श्री ज्ञान प्रकाश जोशी	गैर-कार्यपालक	स्वतंत्र
डॉ. आशिमा गोयल	गैर-कार्यपालक	महिला स्वतंत्र
श्री भुवनचंद्र बी. जोशी	गैर-कार्यपालक	स्वतंत्र
श्री समरेश परिदा	गैर-कार्यपालक	स्वतंत्र
श्री एन. जंबुनाथन	गैर-कार्यपालक	स्वतंत्र
श्री दीपक सिंघल	गैर-कार्यपालक	स्वतंत्र
श्री संजय जी. कल्लापुर	गैर-कार्यपालक	स्वतंत्र

वर्तमान में बोर्ड में 14 (चौदह) निदेशकों की संख्या संस्था अंतर्नियम के अनुच्छेद 114(ए) के अंतर्गत निर्दिष्ट अपेक्षाओं को पूरा करती है.

बोर्ड की राय में स्वतंत्र निदेशक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग)बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं. वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक के स्वतंत्र निदेशक सहित किसी भी निदेशक ने त्यागपत्र नहीं दिया है.

iii. निदेशकों के बीच परस्पर संबंध :

(i) बैंक के बोर्ड में किसी भी निदेशक का किसी अन्य निदेशक से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संबंध नहीं है.

(ii) रिजर्व बैंक द्वारा निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए विनिर्दिष्ट ऊपरी आयु सीमा के अनुसार बैंक के किसी भी निदेशक की आयु सत्तर वर्ष नहीं है.

(iii) बैंक के अध्यक्ष गैर-कार्यपालक निदेशक हैं और वे अनुच्छेद 116(1)(i) के निबंधनों के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत परिभाषित 'रिलेटिव' शब्द की परिभाषा के अनुसार बैंक के एमडी एवं सीईओ से संबंधित नहीं हैं.

iv. बोर्ड की बैठकों के लिए कोरम :

बोर्ड की बैठकों के लिए कोरम कुल संख्या का एक तिहाई अथवा तीन (3) निदेशक, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा बशर्ते कि इनमें कम से कम एक निदेशक एलआईसी का नामिती और एक स्वतंत्र निदेशक हो.

v. बोर्ड की बैठकों की बारंबारता :

बोर्ड की बैठक आम तौर पर एक वर्ष में कम से कम छह बार और प्रत्येक तिमाही में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी तथा बोर्ड की लगातार दो बोर्ड बैठकों के बीच एक सौ बीस दिनों से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए.

vi. आयोजित बैठकों की संख्या :

समीक्षाधीन अवधि (01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020) के दौरान बोर्ड की कुल 14 बैठकें 16 अप्रैल 2019, 13 मई 2019, 30 मई 2019, 28 जून 2019, 14 अगस्त 2019, 20 अगस्त 2019, 19 सितंबर 2019, 27 सितंबर 2019, 22 अक्तूबर 2019, 8 नवंबर 2019, 10 दिसंबर 2019, 15 जनवरी 2020, 23 एवं 24 जनवरी 2020 (जारी) और 11 फरवरी 2020 को संपन्न हुई.

सभी बैठकें मुंबई में आयोजित की गईं और बैंक के प्रत्येक निदेशक की बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति, गत वार्षिक महासभा (एजीएम) में उपस्थिति, अन्य कंपनियों में उनकी निदेशकता और समितियों में सदस्यता का ब्योरा नीचे **तालिका 1** में दिया गया है.

तालिका 1 : निदेशकों की बोर्ड की बैठकों और वार्षिक महासभा में उपस्थिति, अन्य कंपनियों में उनकी निदेशकता और समितियों में सदस्यता

निदेशक का नाम	अपने कार्यकाल में आयोजित बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति (आयोजित/ उपस्थित)	20 अगस्त 2019 को संपन्न पिछली वार्षिक महासभा में उपस्थिति	अन्य कंपनियों (अन्य सार्वजनिक कंपनियां) में निदेशकता	अन्य कंपनियों में सदस्यता/अध्यक्षता (केवल एसीबी एवं एसआरसी)	अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं का नाम जहां व्यक्ति निदेशक हैं और निदेशकता की श्रेणी
1	2	3	4	5	6
गैर-कार्यपालक अध्यक्ष					
श्री एम. आर. कुमार (डीआईएन-03628755) [13.05.2019 से प्रभावी]	(12/6)	उपस्थित	4	शून्य	1. एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लि. - नामिती निदेशक एवं अध्यक्ष
पूर्णकालिक निदेशक					
श्री राकेश शर्मा (डीआईएन-06846594)	(14/14)	उपस्थित	3	शून्य	शून्य
श्री के.पी. नायर (डीआईएन - 02611496) [31.05.2019 तक]	(3/3)	लागू नहीं	1	शून्य	शून्य
श्री जी.एम. यादवाडकर (डीआईएन - 01432796) [14.09.2019 तक]	(6/6)	उपस्थित	3	शून्य	शून्य
श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज (डीआईएन-02262530) [20.09.2019 से प्रभावी]	(7/7)	लागू नहीं	3	शून्य	शून्य

निदेशक का नाम	अपने कार्यकाल में आयोजित बोर्ड की बैठकों में उपस्थिति (आयोजित/ उपस्थित)	20 अगस्त 2019 को संपन्न पिछली वार्षिक महासभा में उपस्थिति	अन्य कंपनियों (अन्य सार्वजनिक कंपनियां) में निदेशकता	अन्य कंपनियों में सदस्यता/अध्यक्षता (केवल एसीबी एवं एसआरसी)	अन्य सूचीबद्ध संस्थाओं का नाम जहां व्यक्ति निदेशक हैं और निदेशकता की श्रेणी
1	2	3	4	5	6
श्री सुरेश खटनहार (डीआईएन- 03022106) [15.01.2020 से प्रभावी]	(2/2)	लागू नहीं	शून्य	शून्य	शून्य
			गैर-कार्यपालक निदेशक		
श्री राजेश कंडवाल (डीआईएन- 02509203)	(14/13)	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य
श्री सुधीर श्याम (डीआईएन-08135013)	(14/13)	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य
श्री पंकज जैन (डीआईएन- 00675922) [08.08.2019 तक]	(4/3)	लागू नहीं	4	शून्य	शून्य
सुश्री मीरा स्वरूप (डीआईएन-07459492) [20.08.2019 से प्रभावी]	(8/6)	लागू नहीं	2	शून्य	शून्य
			स्वतंत्र निदेशक		
श्री ज्ञान प्रकाश जोशी (डीआईएन - 00603925)	(14/14)	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य
डॉ. आशिमा गोयल (डीआईएन - 00233635)	(14/13)	उपस्थित	2	शून्य	1. एडलविस फाइनेंशियल सर्विसेस लि. - निदेशक
श्री भुवनचंद्र बी. जोशी (डीआईएन - 06713850)	(14/14)	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य
श्री समरेश परिदा (डीआईएन - 01853823)	(14/13)	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य
श्री एन. जंबुनाथन (डीआईएन - 05126421)	(14/13)	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य
श्री दीपक सिंघल (डीआईएन - 08375146)	(14/14)	उपस्थित	1	शून्य	शून्य
श्री संजय जी. कल्लापुर (डीआईएन - 08377808)	(14/13)	उपस्थित	शून्य	शून्य	शून्य

कंपनी के किसी भी गैर-कार्यपालक निदेशक के पास बैंक द्वारा जारी शेयर या संपरिवर्तनीय लिखत नहीं हैं.

बोर्ड की समितियां

बोर्ड की कुल चौदह समितियां हैं, यथा -

- बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति
- जोखिम प्रबंधन समिति
- स्वतंत्र निदेशक समिति
- कार्यपालक समिति
- धोखाधड़ी निगरानी समिति
- असहयोगी उधारकर्ता समीक्षा समिति
- इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति
- हितधारक संबंध समिति
- नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति
- कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति
- मानव संसाधन संचालन समिति
- वसूली समीक्षा समिति
- ग्राहक सेवा समिति
- सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति

ए. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी)

i. विचारार्थ विषय

- संवेदनशील क्षेत्रों को ऋण सहायता, अर्थात् (क) पूंजी बाजार, और (ख) रियल इस्टेट;
- अपने ग्राहक को जानिए/ धन शोधन निवारक (केवाईसी/ एएमएल) दिशा-निर्देश-
  - i. कार्यान्वयन की समीक्षा;
  - ii. शाखाओं में केवाईसी/ एएमएल दिशा-निर्देशों के पालन के संबंध में संगामी लेखा परीक्षा रिपोर्टों के अनुपालन की समीक्षा;
- हाउस कीपिंग की समीक्षा - विशेषकर लंबे समय से बकाया प्रविष्टियों उचंत/ विविध/ देय अथवा प्रदत्त ड्राफ्ट/ मार्गस्थ निधियाँ/ समाशोधन/ सहायक सामान्य खाताबही (एसजीएल)/ संघटक सहायक सामान्य खाताबही (सीएसजीएल) खातों का संतुलन और समाधान;
- रिज़र्व बैंक द्वारा किए गए वार्षिक वित्तीय निरीक्षण के संबंध में अनुपालन की समीक्षा. (जब तक बैंक पूर्ण अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर देता, एसीबी को निरंतर आधार पर इसकी समीक्षा करनी चाहिए. एसीबी को रिज़र्व बैंक की निरीक्षण रिपोर्टों में दर्शायी गयी कमियों पर कड़ी निगरानी रखनी चाहिए);
- लेखा-परीक्षा योजना और इसकी उपलब्धियों की स्थिति की समीक्षा;
- महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा निष्कर्षों/निम्नलिखित लेखा-परीक्षाओं में पायी गयी आंतरिक नियंत्रण कमियों की उसके अनुपालन सहित समीक्षा- (i) लांग फॉर्म लेखा परीक्षा रिपोर्ट (एलएफएआर) (ii) संगामी लेखा-परीक्षा (iii) आंतरिक निरीक्षण (iv) डाटा सेंटर और अन्य विभागों की सूचना प्रणाली लेखा-परीक्षा (v) ट्रेज़री और डेरिवेटिव (vi) नियंत्रक कार्यालयों/ प्रधान कार्यालय में प्रबंधन लेखा-परीक्षा (vii) सेवा शाखाओं की लेखा-परीक्षा (viii) करेंसी चेस्ट (ix) विदेशी मुद्रा विनिमय में संव्यवहार करने के लिए प्राधिकृत शाखाओं की विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (फेमा) लेखा-परीक्षा आदि;
- एसीबी/ बोर्ड/ रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निदेशों पर अनुपालन रिपोर्ट;
- समुद्रपारीय शाखाओं के संबंध में मेजबान देशों में विनियामकों की विनियामकीय अपेक्षाओं पर अनुपालन रिपोर्ट;
- प्रबंधन चर्चा, वित्तीय स्थिति का विश्लेषण, सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा आंतरिक नियंत्रण की कमियों के बारे में जारी पत्रों/प्रबंधन पत्रों सहित तिमाही के वित्तीय परिणामों की समीक्षा;
- विवेकाधिकार शक्तियों के प्रयोग में विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा किए गए उल्लंघन संबंधी जानकारी की समीक्षा;
- उधारकर्ता कंपनियों में उनकी प्रदत्त पूंजी के 30% से अधिक की इक्विटी शेयरधारिता के संबंध में जानकारी;
- मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर को समाप्त तिमाहियों के दौरान रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के सभी मामलों की समीक्षा;
- संबद्ध पक्षों के साथ लेन-देनों और संबंधित पक्ष लेनदेन के लिए पूर्वानुमोदन की समीक्षा,
- (क) जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा नीति, (ख) संगामी लेखा-परीक्षा नीति और (ग) आईएस लेखा-परीक्षा नीति की समीक्षा;
- बैंक के लेखों में अधिक पारदर्शिता लाने और लेखांकन मानकों की पर्याप्तता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बैंक की लेखांकन नीतियों/ प्रणालियों की समीक्षा; वर्ष के दौरान किसी भी परिवर्तन और उसके परिणाम की समीक्षा. इस आशय की पुष्टि कि लेखांकन नीतियां, मानकों और रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुपालन में हैं;
- आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग की संरचना, स्टाफ की संख्या तथा विभाग का नेतृत्व करने वाले अधिकारी की वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना, कवरेज और आंतरिक लेखा-परीक्षा की बारंबारता सहित आंतरिक लेखा-परीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा;
- बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समीक्षा;
- बैंक की जोखिम प्रबंधन प्रणालियों की समीक्षा;
- सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति, लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता, कार्य निष्पादन, देशी और समुद्रपारीय परिचालनों दोनों के लिए लेखा-परीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की निगरानी और समीक्षा;
- निदेशक मंडल के अनुमोदन हेतु प्रस्तुति से पूर्व एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची II के भाग सी के बिन्दु ए (4) में दर्शाई गयी (क) से (छ) की मदों के विशेष संदर्भ में वार्षिक लेखों/ वित्तीय विवरणों और इन पर लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा;
- सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा दी गई अन्य प्रकार की सेवाओं के लिए लेखा-परीक्षकों को किए जाने वाले भुगतान का अनुमोदन करना;
- लेखा-परीक्षा शुरू होने से पूर्व उसके स्वरूप और कार्य-क्षेत्र के बारे में सांविधिक लेखा-परीक्षकों के साथ विचार-विमर्श तथा साथ ही चिंताजनक विषयों का पता लगाने के लिए लेखा-परीक्षा के उपरांत विचार-विमर्श;
- विभिन्न कानूनों और संविधियों के तहत बैंक पर लगाए गए दंडों/ दंडात्मक कार्रवाई और सुधारात्मक उपायों के लिए की गयी कार्रवाई;
- आंतरिक/ बाह्य लेखा-परीक्षकों द्वारा पता लगाई गई राजस्व हानि की रिपोर्ट और इसकी वसूली की स्थिति की समीक्षा- कमतर राजस्व के कारण और राजस्व हानियों को रोकने के लिए की गई कार्रवाई;
- ऑफर दस्तावेज़ों और निधियों के सार्वजनिक निर्गम (सांविधिक लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रमाणित) के ज़रिये जुटाई गई निधियों के अंतिम उपयोग पर रिपोर्ट और साथ ही साथ, (i) विनियमावली 32(1) के अनुसार निगरानी एजेंसी रिपोर्ट सहित विचलन(नों) के तिमाही विवरण और (ii) एलओडीआर विनियमावली के विनियम 32(7) के अनुसार ऑफर दस्तावेज़ में उल्लिखित उद्देश्यों के अलावा अन्य के लिये उपयोग की गई निधियों का वार्षिक विवरण;

- जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारकों, शेयरधारकों (घोषित लाभांश का भुगतान न होने के मामले में) और लेनदारों को भुगतान में वास्तविक चूक के कारणों की समीक्षा;
- असूचीबद्ध सहायक कंपनियों द्वारा किए गए विशेष निवेशों सहित वित्तीय विवरणियों की समीक्षा;
- पहली बार हुए एनपीए (एफटीएनपीए) की समीक्षा;
- ₹ 1 करोड़ और उससे अधिक के नकारे गए चेक;
- संगामी लेखा-परीक्षा प्रणाली की वार्षिक समीक्षा;
- वार्षिक लेखा-परीक्षा योजना का अनुमोदन;
- आउटसोर्स वेंडरों की लेखा-परीक्षा की वार्षिक समीक्षा;
- सतर्कता तंत्र की कार्य प्रणाली (पूर्व में विसिल ब्लोअर तंत्र) की समीक्षा;
- (i) मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) (ii) मुख्य आंतरिक लेखा-परीक्षक और (iii) मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति का अनुमोदन;
- सूचीबद्ध संस्था के उपक्रमों और आस्तियों का मूल्यांकन, जहां कहीं भी आवश्यक हो;
- बैंक के लेखों को प्रभावित करने वाले रिज़र्व बैंक के परिपत्र;
- अनुपालन स्थिति सहित पिछली बैठकों में एसीबी/ एसीबी अध्यक्ष द्वारा दिये गए विशेष निदेश;
- अंगीकार करने के उद्देश्य से वसूली समीक्षा समिति (आरआरसी) को रिपोर्ट किए गए एनपीए/वसूली संबंधित मामले;
- होल्डिंग कंपनी द्वारा सहायक संस्था में ₹ 100 करोड़ से अधिक या सहायक संस्था के आस्ति भाग के 10%, इस प्रावधान के लागू होने की नियत तारीख 01.04.2019 से मौजूदा ऋण/अग्रिम/निवेश सहित जो भी कम हो, के निवेश की ऋण और/या अग्रिमों के उपयोग की समीक्षा,
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के ज़रिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

ii. एसीबी की संरचना:

यथा 31 मार्च 2020 को एसीबी में छह सदस्य शामिल थे, जिनमें से चार सदस्य स्वतंत्र निदेशक हैं, अर्थात् श्री समरेश परिदा, अध्यक्ष के रूप में स्वतंत्र निदेशक, श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, उप प्रबंध निदेशक, श्री राजेश कंडवाल, एलआईसी के नामिती निदेशक, श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, स्वतंत्र निदेशक, डॉ. आशिमा गोयल, स्वतंत्र निदेशक और श्री संजय जी. कल्लापुर, स्वतंत्र निदेशक.

iii. एसीबी बैठकों के लिए कोरम एवं बारंबारता :

एसीबी बैठकों के लिए कोरम सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई अथवा दो सदस्य, इनमें से जो अधिक हो, होगा और इनमें कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक होंगे.

iv. एसीबी बैठकों की बारंबारता

एसीबी की वर्ष में कम से कम 4 चार बैठकें होंगी और एसीबी की लगातार दो बैठकों के बीच एक सौ बीस दिन से अधिक का अंतराल नहीं होगा.

v. बैठकें

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान एसीबी की 11 बैठकें 15 अप्रैल 2019, 30 मई 2019, 28 जून 2019, 14 अगस्त 2019, 19 अगस्त 2019, 27 सितंबर 2019, 22 अक्टूबर 2019, 08 नवंबर 2019, 10 दिसंबर 2019, 24 जनवरी 2020 और 11 फरवरी 2020 को संपन्न हुईं.

अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्न प्रकार थी:

नाम	पदनाम	अर्हता	कार्यकाल के दौरान बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
श्री समरेश परिदा	अध्यक्ष	सीए, आईसीडब्ल्यूए और पीजीडीएम	11	10
श्री के. पी. नायर, उप प्रबंध निदेशक@	सदस्य	बी.कॉम, एमबीए	2	2
श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज*	सदस्य	बीई (ऑनर्स) और एमबीए	6	6
श्री राजेश कंडवाल	सदस्य	एम.एससी (बॉटनी), भारतीय बीमा संस्थान के एसोसिएट सदस्य और कार्मिक प्रबंधन में डिप्लोमा, इंस्टिट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स, दिल्ली द्वारा प्रमाणित कॉरपोरेट निदेशक.	11	10

नाम	पदनाम	अर्हता	कार्यकाल के दौरान बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति की संख्या
श्री ज्ञान प्रकाश जोशी	सदस्य	बी.एससी. (ऑनर्स) एम.एससी. (फिजिक्स), एमआईडीपी और पीजीडीएफएम	11	11
डॉ. आशिमा गोयल	सदस्य	एम.ए. एवं एम.फिल तथा अर्थशास्त्र में पीएच.डी	11	10
श्री संजय जी. कल्लापुर	सदस्य	बी.कॉम, एम.एम.एस, व्यवसाय अर्थशास्त्र में पीएच.डी. और एसीएमए	11	10

@ - 31.05.2019 को कार्यकाल समाप्त

* - 20.09.2019 से नियुक्त

श्री सुरेश खटनहार, उप प्रबंध निदेशक एवं सुश्री मीरा स्वरूप, भारत सरकार की नामिती निदेशक एसीबी की बैठकों में स्थायी रूप से विशेष आमंत्रिती हैं.

बी. कार्यपालक समिति (ईसी)

i. विचारार्थ विषय

- ₹ 250 करोड़ से अधिक के एक्सपोजर वाले उच्च मूल्य ऋण प्रस्तावों की मंजूरी;
- कार्यपालक समिति द्वारा मंजूरी संबंधी बनाए गए निबंधनों और शर्तों में संशोधन;
- ऋण समितियों के कार्यवृत्त की रिपोर्टिंग;
- एकबारीय निपटान हेतु प्रस्तावों की मंजूरी;
- निम्नलिखित को ₹ 25 लाख से अधिक के एक्सपोजर वाले प्रस्तावों के संबंध में मंजूरी:
  - अन्य बैंकों के निदेशक (अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक सहित);
  - कोई फर्म जिसमें अन्य बैंकों के कोई निदेशक साझेदार या गारंटर के रूप में हितबद्ध हों; और
  - कोई कंपनी जिसमें अन्य बैंकों के कोई निदेशक पर्याप्त हित रखते हों या निदेशक या गारंटर के रूप में हितबद्ध हों.
- निम्नलिखित को ₹ 25 लाख से अधिक के एक्सपोजर वाले प्रस्तावों के संबंध में मंजूरी :
  - बैंक के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक या अन्य निदेशकों के कोई संबंधी;
  - अन्य बैंकों के अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक या अन्य निदेशकों के कोई संबंधी;
  - कोई फर्म जिसमें ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार उनके कोई संबंधी साझेदार या गारंटर के रूप में हितबद्ध हों, और
  - कोई कंपनी जिसमें ऊपर किए गए उल्लेख के अनुसार उनके कोई संबंधी पर्याप्त हित रखते हों या निदेशक या गारंटर के रूप में हितबद्ध हों.
- प्रतिभूतिकरण पोर्टफोलियो की मंजूरियों की रिपोर्टिंग;
- प्रथम बार एनपीए (एफटीएनपीए) मामलों की समीक्षा और रिपोर्टिंग;
- कार्यपालक समिति द्वारा अनुमोदित मामलों के संबंध में प्रतिभूति सृजन की स्थिति की समीक्षा और रिपोर्टिंग;
- देय और प्राप्य राशियों के निवेश लिखत(तों) में परिवर्तन के लिए प्रस्ताव;
- प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) /अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ)/अर्हताप्राप्त संस्थागत नियोजन (क्यूआईपी) में बोली लगाने के लिए अनुमोदन;
- कंपनियों/आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों (एआरसी) की प्रतिभूति रसीदों/उद्यम एवं निजी इक्विटी फंडों/म्युचुअल फंडों के नए फंड प्रस्तावों (एनएफओ), आदि के इक्विटी/अधिमान्य शेयरों/परिवर्तनीय/गैर परिवर्तनीय डिबेंचरों, बांडों आदि (सममूल्य/प्रीमियम पर) में निवेश;
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के ज़रिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

ii. ***ईसी की संरचना:***

यथा 31 मार्च 2020 को ईसी में छह सदस्य शामिल थे, जिनमें से तीन सदस्य स्वतंत्र निदेशक हैं, अर्थात् श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी, श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी, श्री बी. बी. जोशी, स्वतंत्र निदेशक, श्री एन. जंबुनाथन, स्वतंत्र निदेशक और श्री दीपक सिंघल, स्वतंत्र निदेशक.

iii. ईसी बैठकों के लिए कोरम

ईसी बैठकों के लिए कोरम सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई अथवा ईसी के दो सदस्य, इनमें से जो अधिक हो, होगा.

iv. ईसी बैठकों की बारंबारता

ईसी की बैठकें आवश्यकतानुसार और वर्ष में कम से कम चार बार होंगी.

v. ईसी की बैठकें:

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान कार्यपालक समिति की कुल 25 बैठकें हुईं जो 15 अप्रैल 2019, 02 मई 2019, 13 मई 2019, 17 मई 2019, 29 मई 2019, 15 जून 2019, 28 जून 2019, 16 जुलाई 2019, 1 अगस्त 2019, 19 अगस्त 2019, 30 अगस्त 2019, 16 सितंबर 2019, 26 सितंबर 2019, 14 अक्तूबर 2019, 30 अक्तूबर 2019, 18 नवंबर 2019, 9 दिसंबर 2019, 23 दिसंबर 2019, 09 जनवरी 2020, 23 जनवरी 2020, 10 फरवरी 2020, 28 फरवरी 2020, 16 मार्च 2020, 23 मार्च 2020 और 30 मार्च 2020 को संपन्न हुईं.

अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्न प्रकार थी:

नाम	पदनाम	अर्हता	कार्यकाल के दौरान बैठकों की कुल संख्या	बैठकों में उपस्थिति की कुल संख्या
श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ	अध्यक्ष	अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर, सीएआईआईबी	25	25
श्री के. पी. नायर, डीएमडी@	सदस्य	बी.कॉम और एमबीए	5	5
श्री जी.एम. यादवाडकर, डीएमडी#	सदस्य	बीई, एमएमएस, इंटर आईसीडब्ल्यूए और सीएआईआईबी	11	11
श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी*	सदस्य	बीई (ऑनर्स), एमबीए	13	13
श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी$	सदस्य	एम.कॉम, सीएआईआईबी और आईसीडब्ल्यूए	6	6
श्री बी.बी. जोशी	सदस्य	बी.कॉम और सीएआईआईबी	25	23
श्री एन. जंबुनाथन	सदस्य	सांख्यिकी में स्नातकोत्तर, सीएआईआईबी, प्रबंधन में डिप्लोमा	25	24
श्री दीपक सिंघल	सदस्य	बी.ए., एमबीए, सीएआईआईबी, पीजीडीआरएम	25	25

@ - 31.05.2019 को कार्यकाल समाप्त *# - 14.09.2019 को कार्यकाल समाप्त*

** - 20.09.2019 से नियुक्त* *$ - 15.01.2020 से नियुक्त*

सी. हितधारक संबंध समिति (एसआरसी)

i. विचारार्थ विषय

एसआरसी का गठन शेयरधारकों, बॉण्डधारकों और निवेशकों सहित अन्य प्रतिभूतिधारकों के हित संबंधी विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देने और शेयर अंतरण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने, घोषित लाभांश प्राप्त न होने आदि संबंधी शिकायतों का निवारण करने के लिए किया गया है. एसआरसी समिति कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 178 तथा एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची II के भाग डी के साथ पठित विनियम 20 के अंतर्गत उपबंधित विचारार्थ विषयों के अनुसार कार्य करती है.

एसआरसी की व्यापक भूमिका एवं उत्तरदायित्व निम्नलिखित हैं :

- शेयरों के अंतरण/परेषण, वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने, घोषित लाभांश प्राप्त न होने, नए /डुप्लीकेट प्रमाणपत्र जारी करने, महासभा आदि से संबंधित शिकायतों सहित शेयरधारकों, बांडधारकों और अन्य प्रतिभूतिधारकों की शिकायतों का समाधान;
- उपर्युक्त में दिए गए अधिदेश को पूरा करने के लिए एसआरसी अपनी प्रत्येक बैठक में इक्विटी सर्विसिंग और बॉण्ड सर्विसिंग रिपोर्टों पर विचार तथा उनकी समीक्षा करेगी और जरूरी होने पर इस संबंध में निदेश जारी करेगी;
- इक्विटी सर्विसिंग संबंधित रिपोर्ट की समीक्षा;
- फ्लेक्सी बॉण्डों की सर्विसिंग संबंधी रिपोर्ट की समीक्षा;
- शेयर पूँजी लेखा परीक्षा रिपोर्ट के समाधान विवरण की रिपोर्टिंग;
- स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत निवेशकों की शिकायतों की रिपोर्टिंग;
- शेयरधारकों द्वारा वोटिंग अधिकार के प्रभावी प्रयोग के लिए किए गए उपायों की समीक्षा;
- रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट द्वारा दी गई विभिन्न सेवाओं के संदर्भ में बैंक द्वारा अपनाए गए सेवा मानकों के अनुपालन की समीक्षा;
- अदावी लाभांश की मात्रा को कम करने और कंपनी के शेयरधारकों को लाभांश वारंट /वार्षिक रिपोर्ट/सांविधिक नोटिस की समयबद्ध प्राप्ति को सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा किए गए विभिन्न उपायों और पहल कार्यों की समीक्षा;
- सेबी (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 2015 के प्रावधानों के अनुपालन की वार्षिक समीक्षा.
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के ज़रिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

ii. एसआरसी की संरचना

यथा 31 मार्च 2020 को एसआरसी में चार सदस्य शामिल थे, जिनमें से दो सदस्य स्वतंत्र निदेशक हैं. समिति की अध्यक्ष डॉ. आशिमा गोयल, स्वतंत्र निदेशक हैं और अन्य सदस्य हैं - श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी, श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी और श्री एन. जंबुनाथन, स्वतंत्र निदेशक. श्री पवन अग्रवाल, बैंक के कंपनी सचिव बैंक के अनुपालन अधिकारी के रूप में भी कार्य करते हैं.

iii. एसआरसी बैठक के लिए कोरम

एसआरसी बैठकों के लिए कोरम सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई अथवा एसआरसी के दो सदस्य, इनमें से जो अधिक हो, होगा.

iv. एसआरसी बैठकों की बारंबारता

एसआरसी की बैठकें तिमाही आधार पर आयोजित की जाएंगी.

v. बैठकें

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान एसआरसी की चार बैठकें दिनांक 29 मई 2019, 27 सितंबर 2019, 18 नवंबर 2019 और 16 मार्च 2020 को संपन्न हुईं.

अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्न प्रकार थी:

नाम	पदनाम	अर्हता	कार्यकाल के दौरान बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थित संख्या
डॉ. आशिमा गोयल	अध्यक्ष	एम.ए. एवं एम.फिल और अर्थशास्त्र में पीएच.डी	4	4
श्री के. पी. नायर, डीएमडी@	सदस्य	बी.कॉम और एमबीए	1	1
श्री जी.एम. यादवाडकर, डीएमडी#	सदस्य	बीई, एमएमएस, इंटर आईसीडब्ल्यूए और सीएआईआईबी	1	1
श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी*	सदस्य	बीई (ऑनर्स), एमबीए	3	3
श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी$	सदस्य	एम.कॉम, सीएआईआईबी और आईसीडब्ल्यूए	1	1
श्री एन. जंबुनाथन	सदस्य	सांख्यिकी में स्नातकोत्तर, सीएआईआईबी, प्रबंधन में डिप्लोमा	4	4

@ - 31.05.2019 को कार्यकाल समाप्त　*# - 14.09.2019 को कार्यकाल समाप्त*

** - 20.09.2019 से नियुक्त*　*$ - 15.01.2020 से नियुक्त*

vi. अनुरोध/शिकायतों की संख्या

वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्राप्त शेयरधारकों की शिकायतों की संख्या	1,699
जिन शिकायतों का समाधान शेयरधारकों की संतुष्टि के अनुसार नहीं किया गया उनकी संख्या	शून्य
लंबित शिकायतों की संख्या	01

डी. धोखाधड़ी निगरानी समिति (एफएमसी)

i. विचारार्थ विषय

₹ 1 करोड़ तथा इससे अधिक की राशि के धोखाधड़ी मामलों की निगरानी तथा उनका अनुवर्तन करने के लिए विशेष समिति के रूप में धोखाधड़ी निगरानी समिति (एफएमसी) का गठन किया गया है. इसका गठन धोखाधड़ी का पता लगाने, उन पर निगरानी रखने और उनसे निपटने के लिए किया गया है.

एफएमसी की व्यापक भूमिका एवं उसके उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं :

- प्रणालीगत कमी, यदि कोई है, जिससे धोखाधड़ी संभव हुई हो, की पहचान करना तथा उसे रोकने के लिए उपाय सुझाना;
- धोखाधड़ी, यदि कोई है, का पता लगाने में विलंब के कारणों की पहचान करना तथा बैंक के शीर्ष प्रबंधन और भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) को रिपोर्ट करना;
- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई)/पुलिस द्वारा जांच पड़ताल में प्रगति और वसूली स्थिति की निगरानी करना;
- सुनिश्चित करना कि धोखाधड़ी के सभी मामलों में सभी स्तरों पर स्टाफ जवाबदेही की जांच हो तथा बिना समय गँवाए तत्काल कार्रवाई, यदि अपेक्षित हो, पूरी हो;
- धोखाधड़ी की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई की प्रभावोत्पादकता, जैसे आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करना, की समीक्षा करना;
- रेड फ्लैग खातों तथा बकाया रेड फ्लैग खातों के बारे में की गई उपचारात्मक कार्रवाई/दिए गए जांच आदेश की स्थिति की समीक्षा करना;
- धोखाधड़ी के मामलों में स्टाफ जवाबदेही प्रक्रिया के पूरा होने और उस पर की गई कार्रवाई को नोट करना;

- सीबीआई/पुलिस आदि द्वारा जांच किए जा रहे मामलों से वसूली सहित धोखाधड़ी मामलों में वसूली की स्थिति;
- बैंक में सतर्कता कार्यकलापों की समीक्षा; और
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के ज़रिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

ii. एफएमसी की संरचना

यथा दिनांक 31 मार्च 2020 को एफएमसी में छह सदस्य शामिल थे, जिनमें से तीन सदस्य स्वतंत्र निदेशक हैं, अर्थात् श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी, श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी, श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, स्वतंत्र निदेशक, श्री दीपक सिंघल, स्वतंत्र निदेशक और श्री संजय जी. कल्लापुर, स्वतंत्र निदेशक.

iii. एफएमसी बैठकों के लिए कोरम

एफएमसी बैठकों के लिए कोरम सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई अथवा एसआरसी के दो सदस्य, इनमें से जो अधिक हो, होगा.

iv. एफएमसी बैठकों की बारंबारता

₹ 1 करोड़ और उससे अधिक राशि की धोखाधड़ी के मामले प्रकाश में आने पर धोखाधड़ी निगरानी समिति की बैठक आयोजित करना अपेक्षित होता है और उसमें मामले की समीक्षा की जाती है.

v. एफएमसी की बैठकें

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान एफएमसी की चार बैठकें दिनांक 15 अप्रैल 2019, 26 सितंबर 2019, 9 दिसंबर 2019 और 16 मार्च 2020 को संपन्न हुईं.

अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्न प्रकार थी:

नाम	पदनाम	अर्हता	कार्यकाल के दौरान बैठकों की कुल संख्या	बैठकों में उपस्थिति संख्या
श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ	अध्यक्ष	अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर, सीएआईआईबी	4	4
श्री के. पी. नायर, डीएमडी@	सदस्य	बी.कॉम और एमबीए	1	1
श्री जी.एम. यादवाडकर, डीएमडी#	सदस्य	बीई, एमएमएस, इंटर आईसीडब्ल्यूए और सीएआईआईबी	1	1
श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी*	सदस्य	बीई (ऑनर्स), एमबीए	3	3
श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी$	सदस्य	एम.कॉम, सीएआईआईबी और आईसीडब्ल्यूए	1	1
श्री ज्ञान पी. जोशी	सदस्य	बी.एससी. (ऑनर्स), एम.एससी. (फिजिक्स), एमआईडीपी एवं पीजीडीएफएम	4	4
श्री दीपक सिंघल	सदस्य	बी.ए., एमबीए, सीएआईआईबी, पीजीडीआरएम	4	4
श्री संजय जी. कल्लापुर	सदस्य	बी.कॉम, एम.एम.एस, व्यवसाय अर्थशास्त्र में पीएचडी एवं एसीएमए.	4	4

@ - 31.05.2019 को कार्यकाल समाप्त *# - 14.09.2019 को कार्यकाल समाप्त*

** - 20.09.2019 से नियुक्त* *$ - 15.01.2020 से नियुक्त*

ई. जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी)

i. विचारार्थ विषय

बैंक के कारोबार से जुड़े विभिन्न जोखिमों का आकलन करने, उनमें कमी लाने का प्रयास करने, आस्ति देयता असंतुलन से जुड़े मुद्दों का समाधान करने और साथ ही बैंक की जोखिम प्रबंधन योजना की निगरानी एवं समीक्षा करने के लिए जोखिम प्रबंध समिति (आरएमसी) का गठन किया गया है.

आरएमसी की व्यापक भूमिका एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार है:

- चलनिधि जोखिम सहित बैंक के समक्ष आने वाले सभी जोखिमों का मूल्यांकन करना;
- अन्य जोखिमों के साथ चलनिधि जोखिम के संभाव्य प्रभाव को आरएमसी द्वारा निवारण किए जा रहे जोखिमों में भी शामिल किया जाए;

- नकदी प्रवाह के अनुमानों की रिपोर्टिंग, और चलनिधि जोखिम, प्रयुक्त धारणाओं का मापन;
- बोर्ड को नीतियों यथा-ऋण नीति, वसूली नीति, निधि प्रबंधन नीति, जोखिम प्रबंधन नीति, आस्ति देयता नीति, परिचालनगत जोखिम तथा कारोबार निरंतरता प्रबंधन (ओआर एवं बीसीएम) नीति, डीआईएफसी शाखा एएलएम नीति, आंतरिक पूंजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति, बाजार जोखिम तथा डेरिवेटिव नीति, देशी जोखिम प्रबंधन नीति एवं देशी जोखिम सीमाएं, निवेश नीति आदि की सिफारिश करना;
- जोखिम प्रबंधन प्रणाली/ एएलएम एवं जोखिम आधारित पर्यवेक्षण के कार्यान्वयन में प्रगति की समीक्षा;
- परिचालनगत जोखिम एवं कारोबार निरंतरता प्रबंधन पर प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा;
- जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा के कार्यान्वयन में प्रगति की समीक्षा;
- ट्रेडिंग पोर्टफोलियो की बाजार जोखिम रिपोर्ट की समीक्षा;
- दबाव परीक्षण के परिणामों की समीक्षा;
- जोखिम प्रबंधन विभाग द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा;
- आंतरिक रेटिंग के मायग्रेशन और चूक का विश्लेषण;
- आस्ति देयता प्रबंधन समीक्षा;
- बासेल III कार्यान्वयन तथा जोखिम प्रबंधन विभाग के अन्य कार्यकलापों की समीक्षा;
- संपार्श्विक प्रबंधन तथा ग्राहक संबंध प्रबंधन (सीआरएम) तकनीक पर नीति;
- प्रणाली, उत्पाद अनुमोदन एवं समीक्षा समिति (स्पार्क) I एवं II के कार्यवृत्त की रिपोर्टिंग;
- बासेल II तथा III के लिए तैयारी की स्थिति की समीक्षा;
- प्रतिपक्षकार बैंक सीमाओं एवं घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बैंकों के लिए सीमाओं के आबंटन पर नीति;
- ऋण एक्सपोजर - मानदंडों की समीक्षा तथा उनका अनुपालन;
- पारिश्रमिक और जोखिम के बीच प्रभावी सुयोजन को प्राप्त करने के उद्देश्य से नामांकन और पारिश्रमिक समिति के साथ समन्वय में कार्य करना;
- बैंक में साइबर सुरक्षा कार्य की निगरानी; और
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के ज़रिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

ii. आरएमसी की संरचना

यथा दिनांक 31 मार्च 2020 को आरएमसी में छह सदस्य शामिल थे, जिनमें से दो सदस्य स्वतंत्र निदेशक थे, अर्थात् श्री संजय जी. कल्लापुर, अध्यक्ष के रूप में स्वतंत्र निदेशक, श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी, श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी, श्री सुधीर श्याम, सरकार के नामिती निदेशक और श्री बी. बी. जोशी, स्वतंत्र निदेशक.

iii. आरएमसी बैठकों के लिए कोरम

आरएमसी बैठकों के लिए कोरम सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई अथवा आरएमसी के दो सदस्य, इनमें से जो अधिक हो, होगा.

iv. आरएमसी बैठकों की बारंबारता

आरएमसी की बैठकें तिमाही आधार पर आयोजित की जाएंगी.

v. आरएमसी की बैठकें

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान आरएमसी की 8 बैठकें दिनांक 13 मई 2019, 15 जून 2019, 30 अगस्त 2019, 14 अक्टूबर 2019, 9 दिसंबर 2019, 10 फरवरी 2020, 28 फरवरी 2020 और 16 मार्च 2020 को संपन्न हुईं.

अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्न प्रकार थी:

नाम	पदनाम	अर्हता	कार्यकाल के दौरान बैठकों की कुल संख्या	बैठकों में उपस्थिति संख्या
श्री संजय जी. कल्लापुर	अध्यक्ष	बी.कॉम, एम.एम.एस, व्यवसाय अर्थशास्त्र में पीएचडी एवं एसीएमए.	8	7
श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ	सदस्य	अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर, सीएआईआईबी	8	8
श्री के. पी. नायर, डीएमडी@	सदस्य	बी.कॉम और एमबीए	1	1
श्री जी. एम. यादवाडकर, डीएमडी#	सदस्य	बीई, एमएमएस, इंटर आईसीडब्ल्यूए और सीएआईआईबी	3	3

नाम	पदनाम	अर्हता	कार्यकाल के दौरान बैठकों की कुल संख्या	बैठकों में उपस्थिति संख्या
श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी*	सदस्य	बीई (ऑनर्स), एमबीए	5	5
श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी$	सदस्य	एम.कॉम, सीएआईआईबी और आईसीडब्ल्यूए	3	3
श्री सुधीर श्याम	सदस्य	बीए अर्थशास्त्र एवं मास्टर ऑफ फिलॉसफी	8	7
श्री बी.बी. जोशी	सदस्य	बी.कॉम और सीएआईआईबी	8	8

@ - 31.05.2019 को कार्यकाल समाप्त *# - 14.09.2019 को कार्यकाल समाप्त*

** - 20.09.2019 से नियुक्त* *$ - 15.01.2020 से नियुक्त*

एफ. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व समिति (सीएसआरसी)

i. विचारार्थ विषय

- कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति तैयार कर बोर्ड को उसकी सिफारिश करना जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची VII में दिये गए अनुसार बैंक द्वारा किए जाने वाले कार्यकलापों की जानकारी दी गई हो;
- उपर्युक्त खंड में दिए गए कार्यकलापों पर होने वाले व्यय की राशि की सिफारिश करना;
- बैंक की कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व नीति की समय-समय पर की निगरानी करना; और
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के ज़रिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

ii. सीएसआरसी की संरचना

यथा दिनांक 31 मार्च 2020 को सीएसआरसी में पांच सदस्य शामिल थे, जिनमें से एक सदस्य स्वतंत्र निदेशक थे, अर्थात् श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी, श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी, श्री सुधीर श्याम, सरकार के नामिती निदेशक और डॉ. आशिमा गोयल, स्वतंत्र निदेशक.

iii. सीएसआरसी बैठकों के लिए कोरम

सीएसआरसी बैठकों के लिए कोरम सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई अथवा सीएसआरसी के दो सदस्य, इनमें से जो अधिक हो, होगा.

iv. सीएसआरसी बैठकों की बारंबारता

सीएसआरसी की बैठकें छमाही आधार पर आयोजित की जाएंगी.

v. सीएसआरसी की बैठकें

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान सीएसआरसी की 2 बैठकें दिनांक 15 अप्रैल 2019 और 14 अक्टूबर 2019 को संपन्न हुईं.

अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्न प्रकार थी:

नाम	पदनाम	अर्हता	कार्यकाल के दौरान बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति संख्या
श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ	अध्यक्ष	अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर, सीएआईआईबी	2	2
श्री के. पी. नायर, डीएमडी@	सदस्य	बी.कॉम और एमबीए	1	1
श्री जी. एम. यादवाडकर, डीएमडी#	सदस्य	बीई, एमएमएस, इंटर आईसीडब्ल्यूए और सीएआईआईबी	1	1
श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी*	सदस्य	बीई (ऑनर्स), एमबीए	1	1
श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी$	सदस्य	एम.कॉम, सीएआईआईबी और आईसीडब्ल्यूए	0	0
श्री सुधीर श्याम	सदस्य	बीए अर्थशास्त्र एवं मास्टर ऑफ फिलॉसफी	2	2
डॉ. आशिमा गोयल	सदस्य	एम.ए. एवं एम.फिल और अर्थशास्त्र में पीएचडी	2	1

@ - 31.05.2019 को कार्यकाल समाप्त *# - 14.09.2019 को कार्यकाल समाप्त*

** - 20.09.2019 से नियुक्त* *$ - 15.02.2020 से नियुक्त*

जी. ग्राहक सेवा समिति (सीएससी)

i. विचारार्थ विषय

बैंकिंग प्रणाली में ग्राहक संरक्षण तथा सेवाओं के लिए अभिशासन संरचना को मजबूत बनाने और साथ ही बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाने के उद्देश्य से नीतियां बनाने और उनके आंतरिक अनुपालन का आकलन करने के लिए ग्राहक सेवा समिति (सीएससी) का गठन किया गया है.

सीएससी की व्यापक भूमिका तथा उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- रिटेल बैंकिंग खंड में ग्राहक शिकायतों पर ध्यान देना तथा ग्राहकों को प्रभावी ढंग से सेवा प्रदान करना;
- व्यापक जमा नीति तैयार करना;
- जमाकर्ता की मृत्यु होने पर उनके खाते के परिचालन जैसे मुद्दों का समाधान;
- उपयुक्तता तथा सटीकता के उद्देश्य से उत्पाद अनुमोदन प्रक्रिया;
- जमाकर्ता संतुष्टि का वार्षिक सर्वेक्षण;
- ऐसी सेवाओं की त्रैवार्षिक लेखा परीक्षा;
- विभिन्न राज्यों के बैंकिंग लोकपाल द्वारा समाधान की जा चुकी शिकायतों के संबंध में और अधिक सक्रिय भूमिका निभाना;
- बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए सभी निर्णयों को नोट करना;
- तीन माह से अधिक समय तक कार्यान्वित नहीं किए गए सभी निर्णयों की कारणों सहित समीक्षा करना;
- बैंक में ग्राहक सुरक्षा एवं सेवा के लिए किए गए उपायों की समीक्षा;
- भारतीय बैंकिंग संहिता एवं मानक बोर्ड (बीसीएसबीआई) संहिता अनुपालन रेटिंग;
- शिकायत निवारण नीति का संशोधन;
- प्रदान की गई ग्राहक सेवा की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाले किन्हीं अन्य मुद्दों की जांच करना;
- आंतरिक लोकपाल की गतिविधियों की समीक्षा; और
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के ज़रिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

ii. सीएससी की संरचना

यथा दिनांक 31 मार्च 2020 को सीएससी में छह सदस्य शामिल थे, जिनमें से दो सदस्य स्वतंत्र निदेशक थे, श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी, श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी, सुश्री मीरा स्वरूप, सरकार की नामिती निदेशक श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, स्वतंत्र निदेशक और श्री संजय जी. कल्लापुर, स्वतंत्र निदेशक.

iii. सीएससी बैठकों के लिए कोरम

सीएससी बैठकों के लिए कोरम सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई अथवा सीएससी के दो सदस्य, इनमें से जो अधिक हो, होगा.

iv. सीएससी बैठकों की बारंबारता

सीएससी की बैठकें तिमाही आधार पर आयोजित की जाएंगी.

v. सीएससी की बैठकें

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान सीएससी की 4 बैठकें दिनांक 28 जून 2019, 19 अगस्त 2019, 10 दिसंबर 2019 और 30 मार्च 2020 को संपन्न हुईं.

अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्न प्रकार थी:

नाम	समिति पदनाम	अर्हता	कार्यकाल के दौरान बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति संख्या
श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ	अध्यक्ष	अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर, सीएआईआईबी	4	4
श्री जी.एम. यादवाडकर, डीएमडी#	सदस्य	बी.ई, इंटर आईसीडब्ल्यूए, एमएमएस एवं सीएआईआईबी	2	2
श्री पंकज जैन^	सदस्य	बी.कॉम, एमबीए एवं एआईसीडब्ल्यूए	1	0
श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी*	सदस्य	बीई (ऑनर्स), एमबीए	2	2
श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी$	सदस्य	एम.कॉम, सीएआईआईबी और आईसीडब्ल्यूए	1	1

नाम	समिति पदनाम	अर्हता	कार्यकाल के दौरान बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति संख्या
सुश्री मीरा स्वरूप	सदस्य	एम.ए. (राजनीति शास्त्र)	2	1
श्री ज्ञान पी. जोशी	सदस्य	बी.एससी. (ऑनर्स), एम.एससी. (फिजिक्स), एमआईडीपी एवं पीजीडीएफएम	4	4
श्री संजय जी. कल्लापुर	सदस्य	बी.कॉम, एम.एम.एस, व्यवसाय अर्थशास्त्र में पीएचडी और एसीएमए.	4	4

^ - 08.08.2019 को कार्यकाल समाप्त   *# - 14.09.2019 को कार्यकाल समाप्त*

** - 20.09.2019 से नियुक्त*   *$ - 15.01.2020 से नियुक्त*

एच. सूचना प्रौद्योगिकी रणनीति समिति (आईटीएससी)

i. *विचारार्थ विषय*

बैंक में प्रभावी प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए आईटीएससी का गठन किया गया है. इसका उद्देश्य ग्राहकों को विभिन्न आईटी समर्थकारी सेवाएं प्रदान करना, दृष्टिकोण को सुसंगत बनाने में मदद करना तथा नए आईटी उत्पाद लांच करने में सहायता देना और तत्संबंधी सेवाएं प्रदान करना और साइबर सुरक्षा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना और साइबर सुरक्षा नीतियों की निगरानी करना है.

आईटीएससी की व्यापक भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- बोर्ड को प्रस्तावित आईटी बजट की संस्तुति;
- आईटी बजट के उपयोग की समीक्षा;
- बैंक के ग्राहकों के लिए विभिन्न उत्पादों तथा आईटी आधारित सेवाओं के प्रारंभ की समीक्षा;
- आंतरिक अथवा बाहर से खरीदे गए विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर के विकास, अधिप्राप्ति और परिचालनों की समीक्षा करना और प्रौद्योगिकी के चयन के लिए निविदाएँ आमंत्रित करने अथवा अन्य क्रियाविधि के लिए प्रक्रियाएँ तैयार करना;
- सिस्टम और प्रक्रियाओं के निष्पादन, कार्यान्वयन और परिचालन की देखरेख करना;
- प्रौद्योगिकी के जरिए शाखाओं के एकीकरण और बैंक के लिए एमआईएस के विकास का निरीक्षण करना;
- प्रौद्योगिकी आर्किटेक्चर की अद्यतन स्थिति और की गईं प्रमुख आईटी पहलों की समीक्षा करना;
- सूचना सुरक्षा संबंधी घटनाओं की समीक्षा;
- डिजिटल बैंकिंग और अभिनव भुगतान प्रणालियों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा;
- सूचना सुरक्षा नीति की समीक्षा;
- आईटी नीति की समीक्षा;
- साइबर सुरक्षा संबंधी तैयारी का मूल्यांकन;
- साइबर सुरक्षा प्रबंधन योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी;
- साइबर सुरक्षा नीतियों की निगरानी; और
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के ज़रिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

ii. *आईटीएससी की संरचना*

यथा दिनांक 31 मार्च 2020 को आईटीएससी में सात सदस्य शामिल थे, जिनमें से तीन सदस्य स्वतंत्र निदेशक हैं, श्री एन. जंबुनाथन, अध्यक्ष के रूप में स्वतंत्र निदेशक, श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी, श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी, श्री सुधीर श्याम, सरकार के नामिती निदेशक, श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, स्वतंत्र निदेशक, श्री समरेश परिदा, स्वतंत्र निदेशक.

iii. *आईटीएससी बैठकों के लिए कोरम*

आईटीएससी बैठकों के लिए कोरम सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई अथवा आईटीएससी के दो सदस्य, इनमें से जो अधिक हो, होगा.

iv. *आईटीएससी बैठकों की बारंबारता*

आईटीएससी की बैठकें तिमाही आधार पर आयोजित की जाएंगी.

v. *आईटीएससी की बैठकें*

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान आईटीएससी की 6 बैठकें दिनांक 29 मई 2019, 16 जुलाई 2019, 16 सितंबर 2019, 18 नवंबर 2019, 23 दिसंबर 2019 और 10 फरवरी 2020 को संपन्न हुईं.

अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्न प्रकार थी:

नाम	समिति पदनाम	अर्हता	कार्यकाल के दौरान बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति संख्या
श्री एन.जंबुनाथन	अध्यक्ष	सांख्यिकी में स्नातकोत्तर, सीएआईआईबी, प्रबंधन में डिप्लोमा	6	6
श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ	सदस्य	अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर, सीएआईआईबी	6	6
श्री के. पी. नायर, डीएमडी@	सदस्य	बी.कॉम और एमबीए	1	1
श्री जी.एम. यादवाडकर, डीएमडी#	सदस्य	बीई, एमएमएस, इंटर आईसीडब्ल्यूए और सीएआईआईबी	2	2
श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी*	सदस्य	बीई (ऑनर्स), एमबीए	3	3
श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी$	सदस्य	एम.कॉम, सीएआईआईबी और आईसीडब्ल्यूए	1	1
श्री सुधीर श्याम	सदस्य	बीए अर्थशास्त्र एवं मास्टर ऑफ फिलॉसफी	6	3
श्री ज्ञान पी. जोशी	सदस्य	बी.एससी. (ऑनर्स), एम.एससी. (फिजिक्स), एमआईडीपी एवं पीजीडीएफएम	6	6
श्री समरेश परिदा	सदस्य	सीए, आईसीडब्ल्यूए एवं पीजीडीएम	6	6

@ - 31.05.2019 को कार्यकाल समाप्त   *# - 14.09.2019 को कार्यकाल समाप्त*

** - 20.09.2019 से नियुक्त*   *$ - 15.01.2020 से नियुक्त*

आई. नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति (एनआरसी)

i. विचारार्थ विषय

नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति की व्यापक भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- निदेशक के लिए अर्हताओं, सकारात्मक गुणों और स्वतंत्रता के निर्धारण के लिए मानदंड तैयार करना और निदेशक मंडल को निदेशकों की नियुक्ति तथा मूल्यांकन से संबंधित नीति की सिफारिश करना;
- बोर्ड, उसकी समितियों और वैयक्तिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन के प्रभावी मूल्यांकन के लिए, या तो बोर्ड द्वारा, एनआरसी द्वारा, अथवा स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा निष्पादन की रीति को निर्दिष्ट करना और उनके कार्यान्वियन और अनुपालन की समीक्षा करना;
- स्वतंत्र निदेशकों तथा निदेशक मंडल के कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करना;
- निदेशक मंडल की विविधता पर नीति तैयार करना;
- ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना जो निदेशक नियुक्ति एवं मूल्यांकन नीति के अनुसार स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने हेतु अर्हता प्राप्त हैं;
- निदेशकों की नियुक्ति एवं मूल्यांकन नीति में निर्धारित मानदंडों के अनुसार बोर्ड को निदेशकों की नियुक्ति और पृथक्करण की संस्तुति करना;
- अर्हता, विशेषज्ञता, ट्रैक रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा, *'उपयुक्त और उचित'* मानदंड, सकारात्मक गुणों और स्वतंत्रता (यदि लागू हो) तथा स्वतंत्र निदेशक सहित निदेशकों के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन की रिपोर्ट के आधार पर बोर्ड में निदेशक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति/नियुक्ति को जारी रखने की योग्यता को निर्धारित करने के लिए समुचित सावधानी की प्रक्रिया पर कार्य करना तथा उससे संबंधित मानदंड को तैयार करना;
- निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों, आदि के लिए पारिश्रमिक नीति बनाना;
- बोर्ड को वरिष्ठ प्रबंधन को भुगतान किए जाने वाले सभी पारिश्रमिकों, चाहे वे किसी भी रूप में हों, की सिफारिश करना;
- पारिश्रमिक और जोखिम के बीच प्रभावी सुयोजन प्राप्त करने के जोखिम प्रबंधन समिति के साथ समन्वय बनाकर कार्य करना; और
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के ज़रिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

ii. एनआरसी की संरचना

यथा दिनांक 31 मार्च 2020 को एनआरसी में पांच सदस्य शामिल थे. सभी सदस्य गैर-कार्यपालक निदेशक हैं, जिसमें तीन स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं, अर्थात् श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, अध्यक्ष के रूप में स्वतंत्र निदेशक, सुश्री मीरा स्वरूप, सरकार की नामिती निदेशक, श्री राजेश कंडवाल, एलआईसी के नामिती निदेशक, श्री बी. बी. जोशी, स्वतंत्र निदेशक, और श्री एन. जंबुनाथन, स्वतंत्र निदेशक.

iii. ***एनआरसी बैठकों के लिए कोरम***

एनआरसी बैठकों के लिए कोरम तीन सदस्यों का होगा.

iv. ***एनआरसी बैठकों की बारंबारता :***

वर्ष में कम से कम एक बार एनआरसी की बैठक आयोजित की जाएगी.

v. ***एनआरसी की बैठकें***

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान एनआरसी की 3 बैठकें दिनांक 13 मई 2019, 20 अगस्त 2019 और 16 मार्च 2020 को संपन्न हुईं.

बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्न प्रकार थी:

नाम	समिति पदनाम	अर्हता	कार्यकाल के दौरान बैठकों की कुल संख्या	बैठकों में उपस्थिति संख्या
श्री ज्ञान पी. जोशी	अध्यक्ष	बी.एससी. (ऑनर्स), एम.एससी. (फिजिक्स), एमआईडीपी एवं पीजीडीएफएम	3	3
श्री राजेश कंडवाल	सदस्य	एम.एससी (बॉटनी), भारतीय बीमा संस्थान के असोशिएट सदस्य और कार्मिक प्रबंधन में डिप्लोमा, इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स दिल्ली द्वारा अधिप्रमाणित कॉरपोरेट निदेशक	3	3
श्री पंकज जैन^	सदस्य	बी.कॉम, एमबीए एवं एआईसीडब्ल्यूए	1	1
सुश्री मीरा स्वरूप+	सदस्य	एम.ए. (राजनीति शास्त्र)	1	0
श्री एन.जंबुनाथन	सदस्य	सांख्यिकी में स्नातकोत्तर, सीएआईआईबी, प्रबंधन में डिप्लोमा	3	3
श्री बी.बी. जोशी	सदस्य	बी.कॉम और सीएआईआईबी	3	3

^ - 08.08.2019 को कार्यकाल समाप्त   + - 20.08.2019 से नियुक्त

vi. ***स्वतंत्र निदेशकों के लिए कार्य-निष्पादन मूल्यांकन मानदंड***

स्वतंत्र निदेशकों सहित सभी निदेशकों का कार्य-निष्पादन मूल्यांकन एक तैयार की गई प्रश्नावली के आधार पर किया जाता है जिसमें बोर्ड में उपस्थिति, बैठक के दौरान भागीदारी, निदेशकों के योगदान का स्तर, ज्ञान की गुणवत्ता और विषय की समझ, पारदर्शिता का स्तर आदि कॉर्पोरेट अभिशासन मानदंड शामिल हैं. इसकी प्रश्नावली पहले ही निदेशकों को विचार करने और मूल्यांकन के बारे में अपनी राय बनाने के लिए परिचालित कर दी जाती है. स्वतंत्र निदेशकों का मूल्यांकन, जिस निदेशक का मूल्यांकन किया जा रहा है, उन्हें छोड़कर पूरे निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है. मूल्यांकन में निदेशकों का कार्य-निष्पादन उपर्युक्त मानदंडों और स्वतंत्र मानदंडों को पूरा करना शामिल है. इसके अलावा मूल्यांकन के परिणामों के आधार पर स्वतंत्र निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने का निर्णय लिया जाता है.

जे. मानव संसाधन संचालन समिति (एचआरएससी)

i. ***विचारार्थ विषय***

मानव संसाधन संबधी मामलों को देखने और मानव संसाधन संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार-विमर्श करने हेतु एचआरएससी का गठन किया गया है.

एचआरएससी की व्यापक भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- भर्ती और प्रशिक्षण से संबंधित नीतियां बनाना;
- कार्य-निष्पादन प्रबंधन, प्रतिकर और कैरियर विकास पहलों की समीक्षा;
- प्रबंधन विकास और उत्तराधिकार नियोजन पर विचार करना;
- एचआर रणनीति को कारोबार रणनीति व योजना के अनुकूल बनाना;
- कार्मिक की नियुक्ति, मानवशक्ति मूल्यांकन, पदोन्नति आदि सहित विभिन्न एचआर मामलों पर विचार और अनुमोदन प्रदान करना; और
- विनियामक/सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

ii. एचआरएससी की संरचना

यथा दिनांक 31 मार्च 2020 को एचआरएससी में सात सदस्य शामिल थे, जिसमें से दो स्वतंत्र निदेशक हैं, अर्थात् श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी, श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी, सुश्री मीरा स्वरूप, सरकार की नामिती निदेशक, श्री राजेश कंडवाल, एलआईसी के नामिती निदेशक, श्री समरेश परिदा, स्वतंत्र निदेशक और श्री दीपक सिंघल, स्वतंत्र निदेशक.

iii. एचआरएससी समिति की बैठकों के लिए कोरम :

एचआरएससी बैठकों के लिए कोरम एचआरएससी के कुल सदस्यों की संख्या का एक-तिहाई अथवा एचआरएससी के दो सदस्य, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा.

iv. एचआरएससी बैठकों की बारंबारता

एचआरएससी की बैठक आवश्यकता के अनुसार आयोजित की जाएगी.

v. एचआरएससी की बैठकें

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान एचआरएससी की 6 बैठकें दिनांक 16 अप्रैल 2019, 27 सितंबर 2019, 22 अक्टूबर 2019, 8 नवंबर 2019, 10 दिसंबर 2019 और 23 जनवरी 2020 को संपन्न हुई.

अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्न प्रकार थी:

नाम	पदनाम	अर्हता	कार्यकाल के दौरान बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति संख्या
श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ	अध्यक्ष	अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर, सीएआईआईबी	6	6
श्री के. पी. नायर, डीएमडी@	सदस्य	बी.कॉम और एमबीए	1	1
श्री जी.एम. यादवाडकर, डीएमडी#	सदस्य	बीई, एमएमएस, इंटर आईसीडब्ल्यूए और सीएआईआईबी	1	1
श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी*	सदस्य	बीई (ऑनर्स), एमबीए	5	5
श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी$	सदस्य	एम.कॉम, सीएआईआईबी और आईसीडब्ल्यूए	1	1
श्री पंकज जैन^	सदस्य	बी.कॉम, एमबीए एवं एआईसीडब्ल्यूए	1	1
सुश्री मीरा स्वरूप+	सदस्य	एम.ए. (राजनीति शास्त्र)	5	4
श्री राजेश कंडवाल	सदस्य	एम.एससी (बॉटनी), भारतीय बीमा संस्थान के असोशिएट सदस्य और कार्मिक प्रबंधन में डिप्लोमा, इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स, दिल्ली द्वारा अधिप्रमाणित कॉर्पोरेट निदेशक.	6	6
श्री समरेश परिदा	सदस्य	सीए, आईसीडब्ल्यूए एवं पीजीडीएम	6	5
श्री दीपक सिंघल	सदस्य	बी.ए., एमबीए, सीएआईआईबी, पीजीडीआरएम	6	6

@ - 31.05.2019 को कार्यकाल समाप्त *# - 14.09.2019 को कार्यकाल समाप्त* *^ - 08.08.2019 को कार्यकाल समाप्त*

+ - 20.08.2019 से नियुक्त **- 20.09.2019 से नियुक्त* *$ - 15.01.2020 से नियुक्त*

के. वसूली समीक्षा समिति (आरआरसी)

i. विचारार्थ विषय

भारत सरकार के दिशानिर्देशों/ बोर्ड की सिफारिशों के अनुसार एनपीए, दबावग्रस्त खातों, बट्टे खाते डाले गए मामलों, सरकारी परिसमापक (ओएल) मामलों, ऋण वसूली प्राधिकरण (डीआरटी) मामलों आदि से वसूली की समीक्षा करने के लिए और वसूली की प्रगति पर निगरानी रखने तथा अन्य संबंधित प्रयोजनों के लिए आरआरसी का गठन किया गया है.

आरआरसी की व्यापक भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- अनर्जक आस्तियों (एनपीए)/ बट्टे खाते डाले गए खातों के वसूली कार्यनिष्पादन की समीक्षा;
- दबावग्रस्त संरचित रिटेल आस्तियों (एसआरए) और शीघ्र अनर्जक होने वाली आस्तियों वाले मामलों की समीक्षा;
- बैंक की शीर्ष 100 अनर्जक आस्तियों की समीक्षा;
- कॉरपोरेट वर्टिकलों के दबावग्रस्त खातों की समीक्षा;
- वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम (सरफेसी) अधिनियम, 2002 के संबंध में स्थिति रिपोर्ट;

- विशेष उल्लेखवाले खातों (एसएमए) की समीक्षा;
- वाद दायर किए गए मामलों की समीक्षा;
- प्रथम बारीय एनपीए (एफटीएनपीए)/ इरादतन चूककर्ताओं की समीक्षा;
- अनर्जक आस्तियों (एनपीए) की तिमाही समीक्षा; और
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के ज़रिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

ii. आरआरसी की संरचना

यथा दिनांक 31 मार्च 2020 को आरआरसी में छह सदस्य शामिल थे, जिसमें से दो स्वतंत्र निदेशक हैं, अर्थात् श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी, श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी, सुश्री मीरा स्वरूप, सरकार की नामिती निदेशक, डॉ. आशिमा गोयल, स्वतंत्र निदेशक और श्री समरेश परिदा, स्वतंत्र निदेशक.

iii. आरआरसी बैठकों के लिए कोरम

आरआरसी बैठकों के लिए कोरम कुल सदस्यों की संख्या का एक-तिहाई अथवा आरआरसी के दो सदस्य, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा.

iv. आरआरसी बैठकों की बारंबारता

आरआरसी की बैठक वर्ष में कम से कम चार बैठकों के साथ आवश्यकताओं के अनुसार होगी.

v. आरआरसी की बैठकें

यथा 31 मार्च 2020 के अनुसार आरआरसी की 4 बैठकें दिनांक 29 मई 2019, 1 अगस्त 2019, 22 अक्टूबर 2019 और 28 फरवरी 2020 को संपन्न हुईं.

बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति निम्न प्रकार थी:

नाम	**पदनाम**	**समिति अर्हता**	**कार्यकाल के दौरान बैठकों की संख्या**	**बैठकों में उपस्थिति संख्या**
श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ	अध्यक्ष	अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर, सीएआईआईबी	4	4
श्री के. पी. नायर, डीएमडी@	सदस्य	बी.कॉम और एमबीए	1	1
श्री जी.एम. यादवाडकर, डीएमडी#	सदस्य	बीई, एमएमएस, इंटर आईसीडब्ल्यूए और सीएआईआईबी	2	2
श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी*	सदस्य	बीई (ऑनर्स), एमबीए	2	2
श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी$	सदस्य	एम.कॉम, सीएआईआईबी और आईसीडब्ल्यूए	1	1
श्री पंकज जैन^	सदस्य	बीकॉम, एमबीए और एआईसीडब्ल्यूए	2	1
सुश्री मीरा स्वरूप+	सदस्य	एम.ए. (राजनीति शास्त्र)	2	1
डॉ. आशिमा गोयल	सदस्य	एम.ए., एम.फिल और अर्थशास्त्र में पीएचडी	4	4
श्री समरेश परिदा	सदस्य	सीए, आईसीडब्ल्यूए एवं पीजीडीएम	4	3

@ - 31.05.2019 को कार्यकाल समाप्त   # - 14.09.2019 को कार्यकाल समाप्त   ^ - 08.08.2019 को कार्यकाल समाप्त

*+ - 20.08.2019 से नियुक्त   *- 20.09.2019 से नियुक्त $ - 15.01.2020 से नियुक्त*

एल. स्वतंत्र निदेशकों की समिति (आईडीसी)

i. विचारार्थ विषय

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV तथा एलओडीआर विनियमावली के विनियम 25 के निबंधनों के अनुसार आईडीसी गठित की गई है.

आईडीसी की व्यापक भूमिका और उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं :

- गैर-स्वतंत्र निदेशकों की और समग्र रूप से बोर्ड के कार्य निष्पादन की समीक्षा;
- कार्यपालक निदेशकों तथा गैर-कार्यपालक निदेशकों के विचारों को ध्यान में रखते हुए बैंक के अध्यक्ष के कार्य निष्पादन की समीक्षा;
- बैंक के प्रबंधन और बोर्ड के बीच सूचना के प्रवाह की गुणवत्ता, मात्रा और समयबद्धता का मूल्यांकन करना जो बोर्ड के कर्तव्यों के प्रभावी और तर्कसंगत कार्य-निष्पादन के लिए आवश्यक है; और
- विनियामक / सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के जरिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन.

ii. आईडीसी की संरचना

31 मार्च 2020 को स्वतंत्र निदेशकों की समिति में सात सदस्य अर्थात् श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, डॉ. आशिमा गोयल, श्री भुवनचंद्र बी जोशी, श्री समरेश परिदा, श्री एन. जंबुनाथन, श्री दीपक सिंघल और श्री संजय जी. कल्लापुर, स्वतंत्र निदेशक शामिल थे.

iii. आईडीसी बैठकों के लिए कोरम

आईडीसी बैठकों के लिए कोरम आईडीसी के कुल सदस्यों की संख्या का एक तिहाई अथवा दो सदस्य, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा. तथापि कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची IV के अनुसार सभी स्वतंत्र निदेशक आईडीसी की बैठकों में उपस्थित होने का प्रयास करेंगे.

iv. आईडीसी बैठकों की बारंबारता

आईडीसी बैठकें वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित होंगी.

v. आईडीसी की बैठकें

यथा दिनांक 31 मार्च 2020 के अनुसार आईडीसी की 2 बैठकें दिनांक 15 अप्रैल 2019 और 19 अगस्त 2019 को संपन्न हुईं.

आईडीसी सदस्य प्रत्येक बैठक में अपने में से एक को अध्यक्ष के रूप में चुनते हैं.

अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार थी:

नाम	समिति पदनाम	अर्हता	कार्यकाल के दौरान बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति संख्या
श्री जी. पी. जोशी	सदस्य	बी.एससी. (ऑनर्स), एम.एससी. (फिजिक्स), एमआईडीपी एवं पीजीडीएफएम	2	2
डॉ. आशिमा गोयल	सदस्य	एम.ए. एवं एम.फिल और अर्थशास्त्र में पीएचडी	2	2
श्री बी.बी. जोशी	सदस्य	बी.कॉम और सीएआईआईबी	2	2
श्री समरेश परिदा	सदस्य	सीए, आईसीडब्ल्यूए एवं पीजीडीएम	2	1
श्री एन.जंबुनाथन	सदस्य	सांख्यिकी में स्नातकोत्तर, सीएआईआईबी, प्रबंधन में डिप्लोमा	2	2
श्री दीपक सिंघल	सदस्य	बी.ए., एमबीए, सीएआईआईबी, पीजीडीआरएम	2	2
श्री संजय जी. कल्लापुर	सदस्य	बी.कॉम, एम.एम.एस, कारोबार अर्थशास्त्र में पीएचडी और एसीएमए.	2	2

एम. असहयोगी ऋणकर्ता समीक्षा समिति (एनसीबीआरसी)

i. विचारार्थ विषय

एनसीबीआरसी की व्यापक भूमिका एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं :

- ऋणकर्ता को असहयोगी ऋणकर्ता के रूप में वर्गीकृत करने से संबंधित आंतरिक असहयोगी ऋणकर्ता समिति के आदेशों/निर्णयों की समीक्षा करना; और
- इस समिति को विनियामक/ सांविधिक अपेक्षाओं अथवा भारत सरकार (जीओआई) / भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा समय-समय पर अधिदेशित किए गए निदेशों के ज़रिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना.

ii. एनसीबीआरसी की संरचना

एनसीबीआरसी का गठन एमडी एवं सीईओ तथा दो स्वतंत्र निदेशकों के साथ किया गया. 31 मार्च 2020 को इस समिति में अध्यक्ष के रूप में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ तथा सदस्यों के रूप में श्री भुवनचन्द्र बी. जोशी और श्री दीपक सिंघल, स्वतंत्र निदेशक शामिल थे.

iii. एनसीबीआरसी की बैठकों के लिए कोरम

एनसीबीआरसी बैठकों के लिए कोरम सभी सदस्यों की उपस्थिति होगा.

iv. एनसीबीआरसी बैठकों की बारंबारता

बैंक की आंतरिक असहयोगी उधारकर्ता समिति द्वारा जब भी किसी उधारकर्ता को *'असहयोगी उधारकर्ता'* के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया जाता है तो एनसीबीआरसी को बैठक आयोजित करना और समीक्षा करना आवश्यक होगा.

v. एनसीबीआरसी की बैठकें

यथा दिनांक 31 मार्च 2020 के अनुसार एनसीबीआरसी की बैठक होनी अपेक्षित नहीं थी.

एन. इरादतन चूककर्ता समीक्षा समिति (डब्ल्यूडीआरसी)

i. विचारार्थ विषय

डब्ल्यूडीआरसी की व्यापक भूमिका एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार हैं:

- ऋणकर्ता को इरादतन चूककर्ता के रूप में वर्गीकृत करने के संबंध में आंतरिक इरादतन चूककर्ता समिति के आदेशों/ निर्णयों की समीक्षा करना; और
- विनियामक/ सांविधिक दिशानिर्देशों के तहत समय-समय पर अधिदेशित किए गए निर्देशों के ज़रिए इसे सौंपी गई अन्य किसी भूमिका का निर्वहन करना.

ii. डब्ल्यूडीआरसी की संरचना

डब्ल्यूडीआरसी का गठन एमडी एवं सीईओ तथा दो स्वतंत्र निदेशकों के साथ किया गया. 31 मार्च 2020 को इस समिति में श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ, अध्यक्ष के रूप में और श्री एन. जंबुनाथन तथा श्री भुवनचंद्र बी जोशी, स्वतंत्र निदेशक, सदस्य के रूप में शामिल थे.

iii. डब्ल्यूडीआरसी की बैठकों के लिए कोरम

डब्ल्यूडीआरसी बैठकों के लिए कोरम सभी सदस्यों की उपस्थिति होगा.

iv. डब्ल्यूडीआरसी बैठकों की बारंबारता

बैंक की इरादतन चूककर्ता संबंधी आंतरिक समिति द्वारा जब भी किसी उधारकर्ता को 'इरादतन चूककर्ता' के रूप में वर्गीकृत करने का निर्णय लिया जाता है तो डब्ल्यूडीआरसी के लिए बैठक आयोजित करना और समीक्षा करना आवश्यक होगा.

v. डब्ल्यूडीआरसी की बैठकें

यथा दिनांक 31 मार्च 2020 को डब्ल्यूडीआरसी की 3 बैठकें दिनांक 26 सितंबर 2019, 18 नवंबर 2019 और 16 मार्च 2020 को संपन्न हुई.

अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार थी:

नाम	समिति पदनाम	अर्हता	कार्यकाल के दौरान बैठकों की संख्या	बैठकों में उपस्थिति संख्या
श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ	अध्यक्ष	अर्थशास्त्र में स्नातकोत्तर, सीएआईआईबी	3	3
श्री बी.बी. जोशी	सदस्य	बी.कॉम और सीएआईआईबी	3	3
श्री एन.जंबुनाथन	सदस्य	सांख्यिकी में स्नातकोत्तर, सीएआईआईबी, प्रबंधन में डिप्लोमा	3	3

निदेशक मंडल के कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता के निर्धारण की मैट्रिक्स और ऐसे कौशल रखने वाले निदेशकों के नाम नीचे तालिका में दिए गए हैं:

	लेखा शास्त्र	कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था	बैंकिंग	सहयोग	अर्थशास्त्र	वित्त	विधि	लघु उद्योग	मानव संसाधन	जोखिम	सूचना प्रौद्योगिकी	भुगतान और निपटान	व्यापार प्रबंधन	प्रशासन	कॉरपोरेट अभिशासन
श्री एम. आर. कुमार									√						
श्री राकेश शर्मा	√	√	√		√			√	√				√	√	√
श्री जे. सैम्युअल जोसेफ	√		√			√			√		√		√		
श्री सुरेश खटनहार	√	√	√			√		√		√			√	√	√
सुश्री मीरा स्वरूप	√					√								√	
श्री सुधीर श्याम		√	√		√				√					√	
श्री राजेश कंडवाल	√					√			√	√			√	√	√
श्री जी. पी. जोशी		√				√		√		√				√	√
डॉ. आशिमा गोयल		√	√	√	√	√	√			√	√	√			
श्री बी.बी. जोशी		√	√			√		√							
श्री समरेश परिदा	√	√				√					√		√		
श्री एन. जंबुनाथन		√	√					√			√	√		√	√
श्री दीपक सिंघल		√	√						√				√	√	
श्री संजय कल्लापुर	√				√	√				√				√	

वार्षिक विवरणी का सारांश

फॉर्म सं. एमजीटी 9 में वार्षिक विवरणी का सारांश रिपोर्ट के अनुबंध-ए के रूप में संलग्न है. वार्षिक विवरणी के सारांश को बैंक की वेबसाइट https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp पर भी रखा जाएगा.

स्वतंत्र निदेशकों द्वारा की गई घोषणा पर प्रकथन

आईडीबीआई बैंक लि. के स्वतंत्र निदेशकों श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, डॉ. आशिमा गोयल, श्री भुवनचन्द्र बी जोशी, श्री समरेश परिदा, श्री एन. जंबुनाथन, श्री दीपक सिंघल और श्री संजय कल्लापुर ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(7) के अनुसार 1 अप्रैल 2020 को यह घोषणा की है कि वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) में और विनियम 16 के उप-विनियम (1) के खंड (बी), एलओडीआर विनियम के उप-विनियम 17(10) तथा बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 की धारा 10ए में उल्लिखित स्वतंत्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और वे किसी भी ऐसी परिस्थिति या स्थिति से अवगत नहीं हैं जो मौजूद है या यथोचित रूप से प्रत्याशित है, जो वस्तुनिष्ठ स्वतंत्र निर्णय के साथ और किसी भी बाहरी प्रभाव के बिना उनके कर्तव्यों के निर्वहन की क्षमता को ह्रासित करते हैं या प्रभावित कर सकते हैं. वार्षिक प्रकटीकरण के साथ निदेशकों ने यह भी पुष्टि की कि उन्होंने कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियम, 2019 के पांचवें संशोधन के नियम 6 के उप नियम 1 और 2 के प्रावधानों का अनुपालन किया है. उक्त को निदेशक मंडल द्वारा 18 मई 2020 को नोट किया गया था और इसकी सत्यता का सही आकलन करने के बाद इस पर बोर्ड की राय थी कि स्वतंत्र निदेशक इन विनियमों में निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हैं और प्रबंधन से स्वतंत्र हैं.

निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी की नीति

निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक के संबंध में बैंक की नीति लिंक https://www.idbi.in/secretarial-disclosures.asp के अंतर्गत इसकी वेबसाइट (www.idbi.in) पर उपलब्ध है.

कंपनी की लाभांश वितरण नीति

लाभांश वितरण पर बैंक की नीति लिंक https://www.idbi.in/secretarial-disclosures.asp के अंतर्गत इसकी वेबसाइट (www.idbi.in) पर उपलब्ध है.

सचिवीय मानकों का अनुपालन

बैंक ने कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत अधिदेशित और भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई) द्वारा जारी सचिवीय मानकों यथा एसएस-1 (बोर्ड बैठकों पर सचिवीय मानक) और एसएस-2 (सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक) को अंगीकृत किया है. बैंक ने अपनी बोर्ड, समिति और सामान्य बैठकों का आयोजन इन मानकों के अनुसार तथा इनका अनुपालन करते हुए किया है.

आंतरिक लेखापरीक्षक

बैंक का अपना एक आंतरिक लेखा-परीक्षा विभाग है जो आंतरिक लेखा-परीक्षा का कार्य करता है. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 138 के अनुसार श्री एम. वी. फडके, कार्यपालक निदेशक, आईडीबीआई बैंक को मुख्य लेखा-परीक्षा अधिकारी नामित किया गया है.

दिवाला एवं शोधन अक्षमता, 2016 (आईबीसी) के अंतर्गत शुरू की गई कॉरपोरेट दिवालियापन समाधान प्रक्रिया पर प्रकटीकरण

बैंकिंग कंपनियों के लिए प्रावधान लागू नहीं है.

सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 33(3)(डी) में विनिर्दिष्ट किए अनुसार लेखापरीक्षा संप्रेक्षणों के प्रभाव संबंधी विवरण और लेखापरीक्षकों अथवा सचिवीय लेखापरीक्षकों द्वारा उनकी रिपोर्ट में किए गए प्रत्येक संप्रेक्षण, दुराव (रिजर्वेशन) अथवा प्रतिकूल अभ्युक्ति अथवा दावात्याग पर बोर्ड की टिप्पणियां

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एफ) के अनुसार सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट अथवा सचिवीय लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में से किसी में भी कोई ऐसे संप्रेक्षण, दुराव (रिजर्वेशन) अथवा प्रतिकूल अभ्युक्ति अथवा दावात्याग नहीं है जिस पर बोर्ड की टिप्पणियों की आवश्यकता हो. इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(12) के अनुसार, बैंक के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने बैंक में उसके अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा बैंक में की गई धोखाधड़ी की किसी घटना की रिपोर्ट नहीं की है.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत ऋणों, गारंटियों अथवा निवेशों के विवरण

उप-धारा (1) को छोड़कर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के प्रावधान, सामान्य कारोबार के दौरान बैंकिंग कंपनी द्वारा प्रदान किए गए ऋण, गारंटी अथवा प्रतिभूति पर लागू नहीं होते हैं. बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 के लागू प्रावधानों के अनुसार, बैंक द्वारा किए गए निवेश के ब्योरे वित्तीय विवरणों की अनुसूची 8 में प्रकट किए गए हैं.

निर्धारित फॉर्म पर संबंधित पक्षकारों के साथ संविदा अथवा करार के विवरण

कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3)(एच) के अनुसार संबंधित पक्षकारों के साथ संविदा अथवा करार, यदि कोई हो, के विवरण निर्धारित फॉर्म एओसी-2 में रिपोर्ट के साथ **अनुबंध-बी** के रूप में संलग्न किए गए हैं.

कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व पर रिपोर्ट

बैंक की सीएसआर नीति की रूपरेखा https://www.idbibank.in/corporate-social-responsibility.asp.पर उपलब्ध हैं. बैंक द्वारा की गई सीएसआर गतिविधि की वार्षिक रिपोर्ट **अनुबंध-सी** के रूप में इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है.

जोखिम प्रबंधन नीति

बैंक एक विस्तृत एवं व्यापक जोखिम प्रबंधन प्रणाली का पालन करता है जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक के समय-समय पर इस संबंध में जारी विनियामक दिशानिर्देशों के अनुसार अद्यतित किया जाता है. बोर्ड की एक समर्पित जोखिम प्रबंधन समिति बासेल III मानदंडों के कार्यान्वयन सहित बैंक के जोखिम से संबंधित पहलुओं की नियमित रूप से समेकित समीक्षा करती है. बैंक का निदेशक मंडल भी आवधिक रूप से जोखिम मूल्यांकन तथा बैंक द्वारा अनुसरण की जा रही न्यूनीकरण प्रक्रियाओं और साथ ही बासेल III मानदंडों के अंतर्गत बैंक की पूंजी अपेक्षाओं की समीक्षा करता है.

बोर्ड, इसकी समितियों और वैयक्तिक निदेशकों के औपचारिक वार्षिक मूल्यांकन के तरीके की सूचना का विवरण

कंपनी (लेखा) विनियमावली, 2014 के नियम 8(4) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(3) (पी) के अनुसार उपर्युक्त विषय पर ब्योरे नीचे प्रस्तुत किए गए हैं:

(i) स्वतंत्र निदेशकों की समिति (आईडीसी) ने दिनांक 29 अप्रैल 2020 को संपन्न अपनी बैठक में और दिनांक 15 मई 2020 को सम्पन्न स्थगित बैठक में बोर्ड की बैठकों के अध्यक्ष सहित सभी गैर-स्वतंत्र निदेशकों के कार्य-निष्पादन और समग्र रूप से बोर्ड के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया.

(ii) बोर्ड ने दिनांक 18 मई 2020 को संपन्न अपनी बैठक में बोर्ड के स्वतंत्र निदेशकों सहित सभी निदेशकों के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन किया, स्वयं के कार्य-निष्पादन का तथा साथ ही बोर्ड की समितियों के कार्यनिष्पादन का भी मूल्यांकन किया. सभी वैयक्तिक निदेशकों का मूल्यांकन संपूर्ण बोर्ड द्वारा किया गया, जिसमें कॉर्पोरेट अभिशासन मानदंडों के अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशकों के मूल्यांकन के संबंध में (क) बैठकों में उनके कार्यनिष्पादन की समीक्षा और (ख) कंपनी अधिनियम 2013 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 में विनिर्दिष्ट स्वतंत्रता मानदंडों को पूरा करना तथा उनकी प्रबंधन से स्वतंत्रता के आधार पर मूल्यांकन भी शामिल है. बोर्ड द्वारा मूल्यांकन किए जा रहे ऐसे संबंधित निदेशकों ने अपने मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान बैठक में भाग नहीं लिया.

आईडीसी और बोर्ड द्वारा वार्षिक मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ वैयक्तिक निदेशकों, बोर्ड की समितियों और बोर्ड के संबंध में खाली मूल्यांकन शीटें ईमेल के माध्यम से वैयक्तिक निदेशकों को अग्रिम रूप में प्रेषित की गईं ताकि वे पहले से ही अपना अभिमत बना सकें और संबंधित बैठकों में मूल्यांकन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में सहायता मिल सके. आईडीसी के अध्यक्ष और एमडी एवं सीईओ ने मूल्यांकन को अंतिम रूप देने के पश्चात् क्रमशः आईडीसी और बोर्ड की ओर से मूल्यांकन शीटों पर हस्ताक्षर किए.

कारोबार के स्वरूप में परिवर्तन, यदि कोई हो

समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक ने बैंकिंग के कारोबार को जारी रखा और इसके कारोबार के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं हुआ. बैंक त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई के अंतर्गत दिये गए आरबीआई के निदेशों का अनुपालन कर रहा है.

निदेशकों / प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों में परिवर्तन

निदेशक का नाम	पदनाम	परिवर्तन का स्वरूप	दिनांक
श्री एम. आर. कुमार	गैर-कार्यपालक, गैर पूर्णकालिक अध्यक्ष	नियुक्ति	13.05.2019
श्री के. पी. नायर	डीएमडी	सेवा समाप्ति	31.05.2019
श्री पंकज जैन	सरकारी नामिती निदेशक	सेवा समाप्ति	08.08.2019
सुश्री मीरा स्वरूप	सरकारी नामिती निदेशक	नियुक्ति	20.08.2019
श्री जी.एम. यादवाडकर	डीएमडी	सेवा समाप्ति	14.09.2019
श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज	डीएमडी	नियुक्ति	20.09.2019
श्री सुरेश खटनहार	डीएमडी	नियुक्ति	15.01.2020

निदेशकों के पारिश्रमिक

आईडीबीआई बैंक 21 जनवरी 2019 से निजी क्षेत्र का बैंक बन जाने से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35बी के अनुसार प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा उप प्रबंध निदेशक का पारिश्रमिक एवं परिलब्धियाँ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित की गई हैं. एमडी एवं सीईओ और उप प्रबंध निदेशकों को प्रदत्त पारिश्रमिक का विवरण तालिका में दिया गया है. समीक्षाधीन अवधि के दौरान गैर-कार्यपालक निदेशकों के बैंक के साथ कोई आर्थिक संबंध/लेनदेन नहीं रहे हैं.

	एमडी एवं सीईओ तथा उप प्रबंध निदेशक के पारिश्रमिक के घटक
वेतन और भत्ते	**श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ** - वेतन ₹ 2,24,400/- प्रति माह और लागू महंगाई भत्ता (वर्तमान 9%) ₹20,196/- कुल ₹ 2,44,596/- **श्री के. पी. नायर, डीएमडी [31.05.2019 तक]** - वेतन ₹ 1,87,600/- प्रति माह और लागू महंगाई भत्ता 9% की दर से ₹ 16,884/- कुल ₹ 2,04,484/- **श्री जी.एम. यादवाडकर, डीएमडी [14.09.2019 तक]** - वेतन ₹ 1,87,600/- प्रति माह और लागू महंगाई भत्ता 9% की दर से ₹ 16,884/- कुल ₹ 2,04,484/- **श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी [20.09.2019 से]** - वेतन ₹ 1,87,600/- प्रति माह और लागू महंगाई भत्ता 9% की दर से ₹ 16,884/- कुल ₹ 2,04,484/- **श्री सुरेश खटनहार [15.01.2020 से]** - वेतन ₹ 1,87,600/- प्रति माह और लागू महंगाई भत्ता 9% की दर से ₹ 16,884/- कुल ₹ 2,04,484/-
आतिथ्य	एमडी एवं सीईओ और उप प्रबंध निदेशक, दोनों के संबंध में प्रत्येक के लिए ₹ 6,000 प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा के अधीन वास्तविक आतिथ्य (क्लब की सदस्यता उपर्युक्त अधिकतम सीमा के भीतर समायोज्य).
आवास	एमडी एवं सीईओ और उप प्रबंध निदेशक दोनों को किराया-मुक्त सुसज्जित आवास.
वाहन व्यय	कार्यालयीन उद्देश्यों के लिए बैंक की कार का निःशुल्क उपयोग.
छुट्टी यात्रा रियायत	एमडी एवं सीईओ और डीएमडी दोनों के लिए आधिकारिक दौरे हेतु लागू पात्रता श्रेणी के अनुसार स्वयं एवं परिवार के लिए भारत में किसी भी स्थान की यात्रा के लिए 2 वर्षों के ब्लॉक में एक बार.
पेंशन	बैंक, जहां वे कैरियर पद पर रहे हैं, के नियमों और विनियमों के अनुसार कैरियर पद में (बोर्ड स्तर से नीचे) स्वीकार्य पेंशन, यदि कोई है, प्राप्त करने के लिए पात्र हैं.
ग्रेच्युटी	एमडी एवं सीईओ / डीएमडी के रूप में सेवा के प्रत्येक पूर्ण किए वर्ष अथवा 6 माह से अधिक की सेवा के लिए आधे माह के वेतन की दर से.
कार्यकाल	**श्री राकेश शर्मा** - पूर्व में भारत सरकार की दिनांक 5 अक्तूबर 2018 की अधिसूचना सं. एफ.सं. 4/2/2015-बीओ.आई द्वारा पदभार ग्रहण करने की तारीख से 6 माह की अवधि के लिए या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, एमडी एवं सीईओ के रूप में नियुक्त हुए. श्री राकेश शर्मा ने आईडीबीआई बैंक के एमडी एवं सीईओ के रूप में 10 अक्तूबर 2018 को पदभार ग्रहण किया था. एलआईसी ने 51% हिस्सेदारी के अर्जन के परिणामस्वरूप दिनांक 18 जनवरी 2019 के अपने पत्र द्वारा यह बताया कि श्री राकेश शर्मा एमडी एवं सीईओ के रूप में तब तक बने रहेंगे जब तक एलआईसी आईडीबीआई बैंक के बोर्ड में नए एमडी एवं सीईओ को नामित नहीं करती है. इसके बाद, एलआईसी ने 13 फरवरी 2019 के अपने पत्र द्वारा श्री राकेश शर्मा को बैंक के अंतर्नियमों के अनुच्छेद 116(1)(ii) के अंतर्गत 3 वर्षों के नए कार्यकाल के लिए आईडीबीआई बैंक के एमडी एवं सीईओ के रूप में नामित किया है. आरबीआई अनुमोदन प्राप्ति के बाद बोर्ड ने श्री राकेश शर्मा की नियुक्ति को 19 मार्च 2019 से अनुमोदित किया है. 20 अगस्त 2019 को संपन्न वार्षिक महासभा में शेयरधारकों से स्वीकृति प्राप्त की गई थी.
	श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज - बोर्ड द्वारा 19 सितंबर 2019 को आयोजित अपनी बैठक में 4 सितंबर 2019 के आरबीआई के पत्र में निर्दिष्ट पारिश्रमिक तथा नियमों और शर्तों पर पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए डीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया. श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज ने 20 सितंबर 2020 को कार्यभार ग्रहण किया. 17 अगस्त 2020 को होने वाली आगामी वार्षिक महासभा में शेयरधारकों से स्वीकृति प्राप्त की जा रही है.
	श्री सुरेश खटनहार - बोर्ड द्वारा 15 जनवरी 2020 को आयोजित अपनी बैठक में 9 जनवरी 2020 के आरबीआई के पत्र में निर्दिष्ट पारिश्रमिक तथा नियमों और शर्तों पर पदभार ग्रहण करने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए डीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया. श्री सुरेश खटनहार ने 15 जनवरी 2020 को कार्यभार ग्रहण किया. 17 अगस्त 2020 को होने वाली आगामी वार्षिक महासभा में शेयरधारकों से स्वीकृति प्राप्त की जा रही है.

गैर-कार्यपालक निदेशकों को भुगतान करने के लिए मानदंड:

सरकार के नामिती निदेशकों को छोड़कर सभी गैर-कार्यपालक निदेशकों को बैठक शुल्क का भुगतान किया गया था. बोर्ड की बैठकों के लिए प्रति बैठक ₹ 40,000/- (बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए ₹ 10,000 प्रति बैठक अतिरिक्त) और बोर्ड समिति बैठकों के लिए ₹ 20,000 प्रति बैठक (बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए ₹ 5,000 प्रति बैठक अतिरिक्त) की दर से बैठक शुल्क अदा किया गया. एमडी एवं सीईओ तथा उप प्रबंध निदेशकों को उपर्युक्त पारिश्रमिक और स्वतंत्र निदेशकों को बैठक फीस के अलावा आपके बैंक द्वारा निदेशकों को उनकी यात्रा, रहने तथा परिवहन पर हुए खर्च को छोड़कर और कोई पारिश्रमिक अदा नहीं किया गया.

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए स्वतंत्र निदेशकों सहित गैर-कार्यपालक निदेशकों को प्रदत्त बैठक शुल्क की कुल राशि का विवरण:

गैर-कार्यपालक निदेशक का नाम	वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदत्त बैठक शुल्क (₹)
श्री एम. आर. कुमार, गैर कार्यपालक अध्यक्ष	3,00,000/-
श्री राजेश कंडवाल, एलआईसी के नामिती निदेशक	9,00,000/-
श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, स्वतंत्र निदेशक	11,80,000/-
डॉ. आशिमा गोयल, स्वतंत्र निदेशक	9,60,000/-
श्री बी.बी. जोशी, स्वतंत्र निदेशक	13,45,000/-
श्री समरेश परिदा, स्वतंत्र निदेशक	10,75,000/-
श्री एन. जंबुनाथन, स्वतंत्र निदेशक	13,90,000/-
श्री दीपक सिंघल, स्वतंत्र निदेशक	13,05,000/-
श्री संजय कल्लापुर, स्वतंत्र निदेशक,	10,95,000/-

कंपनी (प्रबंधकीय अधिकारी की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5 के अधीन प्रकटन

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा उप प्रबंध निदेशकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक का निर्धारण, नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा अनुशंसित और बोर्ड द्वारा अनुमोदन के बाद बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35बी के तहत आरबीआई द्वारा अनुमोदित किया जाता है. बैंक ने प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, उप प्रबंध निदेशकों तथा अन्य कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के लिए लागू वेतनमान को जारी रखा है.उपर्युक्त पैरा में उल्लेख किए अनुसार बोर्ड के अन्य निदेशकों को बैठक शुल्क के अलावा कोई अन्य पारिश्रमिक नहीं मिलता है. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों (केएमपी) अर्थात् मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव को बैंक के समान ग्रेड के अधिकारियों के लिए लागू पारिश्रमिक मिलता है. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों सहित कर्मचारियों के वेतनमान में आवधिक संशोधन बैंक के कार्यनिष्पादन सहित कई कारकों पर निर्भर है. बैंक ने कोई अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव (एफपीओ) जारी नहीं किया है, अतः बैंक के शेयरों के बाजार कोटेशन की कोई तुलना संभव नहीं है. तथापि, वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बैंक के शेयरों के बाजार मूल्य, वित्तीय अनुपात आदि का प्रकटन वार्षिक रिपोर्ट में किया गया है. मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों तथा एमडी एवं सीईओ/ डीएमडी सहित कर्मचारियों के पारिश्रमिक के संबंध में कोई परिवर्ती वेतन अवधारणा लागू नहीं है. 31 मार्च 2020 को बैंक के रोल पर कर्मचारियों की संख्या 17,723 थी जिसमें 1,055 कर्मचारी संविदा आधार पर थे तथा अन्य सभी कर्मचारी नियमित थे. इस बात की भी पुष्टि की जाती है कि पारिश्रमिक बैंक की पारिश्रमिक नीति के अनुसार है और प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक तथा माध्यिका कर्मचारी के पारिश्रमिक का अनुपात और अन्य विवरण ऊपर किए गए प्रकटन के आधार पर हैं तथा ये कंपनी (प्रबंधकीय अधिकारी की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के अनुपालन में हैं.

कंपनी (प्रबंधकीय अधिकारी की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम 5(1) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197(12) के अनुसार अन्य विवरण नीचे दिये गए हैं:

बैंक के रोल पर नियमित कर्मचारियों की संख्या	16,668	
वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के कर्मचारियों के माध्यिका पारिश्रमिक और प्रत्येक निदेशक के पारिश्रमिक का अनुपात;	**कार्यपालक निदेशक का नाम**	**सभी कर्मचारियों की माध्यिका में पारिश्रमिक का अनुपात**
	श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ	3.33
	श्री के. पी. नायर, डीएमडी [31.5. 2019 तक]	2.38
	श्री जी एम यादवाडकर, डीएमडी [14.09.2019 तक]	2.50
	श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी [20.09.2019 से]	1.60
	श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी [15.01.2020 से]	0.61

बैंक के रोल पर नियमित कर्मचारियों की संख्या	16,668	
वित्तीय वर्ष में प्रत्येक निदेशक, मुख्य वित्तीय अधिकारी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कंपनी सचिव या प्रबंधक के पारिश्रमिक में वृद्धि प्रतिशत, यदि कोई हो;	**पदनाम**	**प्रतिशत वृद्धि**
	एमडी एवं सीईओ	15.11
	डीएमडी	लागू नहीं, क्योंकि डीएमडी की नियुक्ती वर्ष के दौरान की गई थी.
	सीएफओ	28.65
	सीएस	32.47
वित्तीय वर्ष में कर्मचारियों के माध्यिका पारिश्रमिक में वृद्धि प्रतिशत;	(-) 5.04% यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रबंधकीय कार्मिक की पारिश्रमिक के वृद्धि मुख्यतः वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान लागू वेतन में संशोधन के कारण हुई है, जबकि कर्मचारियों के वेतन में संशोधन वित्तीय वर्ष 2018-19 के शुरू में लागू हुआ था.	
पिछले वित्तीय वर्ष में प्रबंधकीय कार्मिकों के अलावा अन्य कर्मचारियों के वेतन में पहले से ही हुई औसत वृद्धि तथा प्रबंधकीय पारिश्रमिक में प्रतिशत वृद्धि के साथ इसकी तुलना एवं इसका औचित्य तथा प्रबंधकीय पारिश्रमिक में वृद्धि के लिए असाधारण परिस्थितियों यदि कोई हों का उल्लेख;	वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक के गैर-प्रबंधकीय कार्मिक के लिए औसत पारिश्रमिक वृद्धि (-) 5.04% (जैसाकि ऊपर स्पष्ट किया गया है) थी और बैंक के प्रबंधकीय कार्मिक के लिए औसत पारिश्रमिक वृद्धि 25.41% थी.	
पुष्टिकरण कि पारिश्रमिक बैंक की पारिश्रमिक नीति के अनुसार है.	हाँ	

महासभा की बैठकें

ए. बैंक की पिछली तीन वार्षिक महासभाओं का आयोजन निम्नानुसार हुआ हैः-

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की वार्षिक महासभाओं का विवरण	
पिछली तीन वार्षिक महासभाओं के आयोजन का स्थान और समय	1) 18 जुलाई 2017 को अपराह्न 3.30 बजे यशवंतराव चव्हाण सेंटर ऑडिटोरियम, जनरल जगन्नाथराव भोंसले मार्ग, मुंबई - 400 021 (बैंक की 13वीं वार्षिक महासभा). 2) 13 अगस्त 2018 को अपराह्न 3.30 बजे यशवंतराव चव्हाण सेंटर ऑडिटोरियम, जन. जगन्नाथराव भोंसले मार्ग, मुंबई - 400 021 (बैंक की 14वीं वार्षिक महासभा). 3) 20 अगस्त 2019 को अपराह्न 3.30 बजे यशवंतराव चव्हाण सेंटर ऑडिटोरियम, जन. जगन्नाथराव भोंसले मार्ग, मुंबई - 400 021 (बैंक की 15वीं वार्षिक महासभा).
क्या पिछली तीन वार्षिक महासभाओं में विशेष संकल्प पारित किए गए थे.	➢ **13वीं वार्षिक महासभा के लिए** (i) बैंक द्वारा ₹ 5,000/- करोड़ (प्रीमियम राशि सहित) तक की पूंजी जुटाने और इस संबंध में विशिष्ट निर्णय लेने के लिए बोर्ड को अधिकार प्रदान करने के प्रस्ताव के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1)(सी) के अधीन शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त करने, (ii) निजी नियोजन/ सार्वजनिक निर्गम के जरिए एकल या एक से अधिक श्रृंखला में सीनियर/ इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड, बासेल III अनुपालित टीयर II बॉण्ड/ अतिरिक्त टीयर I बॉण्ड के रूप में ₹ 5,000 करोड़ तक जुटाने के लिए निदेशक मंडल को अधिकार प्रदान करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के अधीन शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने, (iii) बैंक के संस्था अंतर्नियम में परिवर्तन करने के लिए विशेष संकल्प पारित किए गए. ➢ **14वीं वार्षिक महासभा के लिए** बैंक की 13 अगस्त 2018 को संपन्न 14वीं वार्षिक महासभा में (i) बैंक को ₹ 5,000 करोड़ (प्रीमियम राशि सहित) तक बैंक की पूंजी जुटाने और इस संबंध में विनिर्दिष्ट निर्णय लेने के लिए बोर्ड को अधिकार प्रदान करने के प्रस्ताव के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1)(सी) के अधीन शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त करने, (ii) निजी नियोजन/ सार्वजनिक निर्गम के जरिए एकल या एक से अधिक श्रृंखला में सीनियर/ इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉण्ड, बासेल III अनुपालित टीयर II बॉण्ड/ अतिरिक्त टीयर I बॉण्ड के रूप में ₹ 5,000 करोड़ तक जुटाने के लिए निदेशक मंडल को अधिकार प्रदान करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के अधीन शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए विशेष संकल्प पारित किए गए.

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड की वार्षिक महासभाओं का विवरण	
	➢ **15वीं वार्षिक महासभा के लिए** बैंक की 20 अगस्त 2019 को संपन्न 15वीं वार्षिक महासभा में (i) बैंक को ₹ 11,000/- करोड़ (प्रीमियम राशि सहित) तक बैंक की पूंजी जुटाने और इस संबंध में विशिष्ट निर्णय लेने के लिए बोर्ड को अधिकार प्रदान करने के प्रस्ताव के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 62(1)(सी) के अधीन शेयरधारकों से अनुमोदन प्राप्त करने, (ii) श्री ज्ञान पी जोशी (डीआईएन:00603925) को 28 अगस्त 2019 से चार वर्षों की दूसरी पारी के लिए बैंक के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149 के अधीन शेयरधारकों का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए विशेष संकल्प पारित किए गए.
क्या गत वर्ष डाक मतपत्र के ज़रिए कोई विशेष संकल्प पारित किया गया था - मतदान पद्धति का ब्योरा	हाँ, 22 अक्टूबर 2019 को निम्नलिखित विशेष संकल्प डाक मतपत्र के माध्यम से निम्न के लिए पारित किए गए थे: i. भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) और भारत सरकार को क्रमशः कुल ₹ 4,743 करोड़ और कुल ₹ 4,557 करोड़ के अधिमान्य इक्विटी शेयरों का अधिमानी आबंटन; ii. बैंक की प्राधिकृत शेयर पूंजी में वृद्धि करते हुए इसे ₹ 15,000 करोड़ (प्रति ₹ 10/- के 1,500 करोड़ इक्विटी शेयरों में विभाजित) से ₹ 25,000 करोड़ (प्रति ₹ 10/- के 2,500 करोड़ इक्विटी शेयरों में विभाजित) तक करना और इसके परिणामस्वरूप आईडीबीआई बैंक लि. संस्था के बहिर्नियम के खंड V और संस्था के अंतर्नियम नियम 3 में संशोधन करना.
व्यक्ति, जिसने डाक मतदान का कार्य संचालित किया	श्रीमती अपर्णा गाडगिल तथा उनकी अनुपस्थिति में मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कंपनी, कंपनी सचिव के अन्य कोई भागीदार
क्या कोई विशेष संकल्प डाक मतदान के माध्यम से पारित करने का प्रस्ताव है.	नहीं

डाक मतदान की प्रक्रिया

नोटिस की तारीख	19 सितंबर 2019		
डाक मतपत्र फॉर्म प्राप्त करने की अंतिम तारीख	22 अक्टूबर 2019 (शाम 5:00 बजे)		
संवीक्षक की रिपोर्ट का संक्षिप्त विवरण	मद सं.	वृद्धि	कमी
	(i)	3,17,44,54,994 (99.9996%)	12,097 (0.0004%)
	(ii)	3,17,44,51,521 (99.9995%)	15,474 (0.0005%)
	दिनांक 23 अक्टूबर 2019 की संवीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार, संकल्प को अपेक्षित बहुमत के साथ पारित किया गया था. डाक मतपत्र के परिणाम को, दिनांक 23 अक्टूबर 2019 को अध्यक्ष द्वारा घोषित किया गया था और बैंक की वेबसाइट तथा रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट आरटीए, अर्थात् केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया था. इसे बीएसई और एनएसई जैसे उन स्टॉक एक्स्चेंजों में प्रदर्शित भी किया गया था, जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं.		
ई-वोटिंग सुविधा	बैंक ने उपर्युक्त दोनों ही डाक मतपत्र के लिए सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने के लिए वैकल्पिक विकल्प के रूप में ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराई थी.		
डाक मतदान के परिणाम की घोषणा की तारीख	22 अक्टूबर 2019		

सूचना के साधन

बैंक के कामकाज पर विस्तृत वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अधीन अपेक्षित निदेशक-मंडल की रिपोर्ट और वार्षिक लेखे शामिल हैं, उपलब्ध कराने के अलावा बैंक अपने शेयरधारकों की जानकारी के लिए नियमित रूप से तिमाही परिणाम प्रकाशित करता है, इन्हें राष्ट्रव्यापी प्रसार वाले एक अंग्रेजी समाचार पत्र अर्थात् फाइनेंशियल एक्सप्रेस में और एक क्षेत्रीय भाषा के समाचार पत्र अर्थात् लोकसत्ता में प्रकाशित किया जाता है और यह विज्ञापन शेयर बाजार को सूचित किए जाते हैं. उपर्युक्त जानकारी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति तथा संस्थागत निवेशकों और विश्लेषकों के समक्ष की गई प्रस्तुतियों के साथ बैंक की वेबसाइट https://www.idbibank.in/index.asp पर भी उपलब्ध कराई गई है.

आम शेयरधारकों के लिए सूचना

	आम शेयरधारकों के लिए सूचना	
i.	एजीएम की तारीख, समय और स्थान	सोमवार, 17 अगस्त 2020 को अपराह्न 3.30 बजे. यह केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से होगी.
ii.	वित्तीय वर्ष	01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020
iii.	कंपनी (प्रबंध और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 के साथ पठित एलओडीआर विनयमावली के विनियम 44 और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के अनुसार ई-वोटिंग अवधि.	ई-वोटिंग अवधि बुधवार, 12 अगस्त 2020 को (भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न 9 बजे से) प्रारंभ होगी और रविवार, 16 अगस्त 2020 को (भारतीय मानक समय के अनुसार शाम 05 बजे) समाप्त होगी.
iv.	लेखाबहियों के बंद रहने की तारीख	मंगलवार, 11 अगस्त 2020 से सोमवार, 17 अगस्त 2020 (दोनों दिन शामिल)
v.	स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्धता और वार्षिक सूचीबद्धता शुल्क के भुगतान की पुष्टि	1. **बीएसई लि. (बीएसई)** पता : 25वीं मंजिल, फिरोज जीजीभॉय टॉवर्स, दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - 400001. 2. **नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि.** पताः एक्सचेंज प्लाजा, 5वीं मंजिल, प्लॉट नं. सी/1, जी ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पू.), मुंबई-400051. देशीय बाजार में जारी किए गए बॉण्डों में निजी रूप से नियोजित बॉण्ड शामिल हैं जो बीएसई/एनएसई में सूचीबद्ध है. लागू सूचीबद्धता शुल्क का भुगतान किया गया है.
vi.	स्टॉक कोड/ प्रतीक	बीएसई - 500116, एनएसई - आईडीबीआई
vii.	रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट	केफिन टेक्नोलॉजीस प्रा.लि., यूनिट : आईडीबीआई इक्विटी, सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गच्चीबौली फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, हैदराबाद - 500032
viii.	शेयर अंतरण प्रणाली एवं निवेशक शिकायत निपटान	शेयर अंतरण कार्यपालक निदेशक/ मुख्य महा प्रबंधक की आंतरिक समिति द्वारा साप्ताहिक आधार पर अनुमोदित किए जाते हैं. शेयर अंतरण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, साप्ताहिक आधार पर अंतरण ज्ञापन (मेमोरेंडम ऑफ ट्रांसफर) को अनुमोदित करने के लिए कार्यपालक निदेशक / मुख्य महाप्रबंधक की एक आंतरिक समिति का गठन किया गया है. 1 अप्रैल 2019 तक, दो निवेशक शिकायतें निवारण के लिए लंबित थीं और 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च, 2020 तक, बैंक के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंटों को शेयरधारकों / निवेशकों से 5068 निवेशक शिकायतें प्राप्त हुई थीं. वर्ष के दौरान, 5068 शिकायतों का निवारण किया गया और 31 मार्च 2020 को निवारण के लिए 2 निवेशक शिकायतें लंबित थीं. शेयरों के संबंध में, 1 अप्रैल 2019 को अंतरण के कोई भी मामले लंबित नहीं थे. बैंक के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंटों को 1 अप्रैल 2019 और 31 मार्च 2020 के बीच शेयरों के अंतरण के लिए 300 अनुरोध प्राप्त हुए (जो 1 अप्रैल 2019 से पहले के अस्वीकृत मामले थे और सुधार के बाद प्राप्त हुए थे). इनमें से, शेयरों के अंतरण के लिए 300 अनुरोधों पर कार्रवाई की गई और 31 मार्च 2020 तक कोई अनुरोध लंबित नहीं था.
ix.	वित्तीय कैलेंडर	01 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 तिमाही के परिणाम निम्नानुसार अनुमोदित किए गएः

यथा तारीख के परिणाम	बोर्ड बैठक
जून 2019	14 अगस्त 2019
सितंबर 2019	08 नवंबर 2019
दिसंबर 2019	11 फरवरी 2020
मार्च 2020	30 मई 2020

आम शेयरधारकों के लिए सूचना

x.	शेयरों और चलनिधि का डिमटेरियलाइजेशन	बैंक के शेयरों को अनिवार्य रूप से स्टॉक एक्सचेंजों में डिमैट रूप में ट्रेड करने की आवश्यकता होती है. 31 मार्च 2020 तक डीमैट और भौतिक रूप में रखे गए शेयरों की संख्या निम्नानुसार है:

	शेयरों की संख्या	कुल जारी पूंजी का प्रतिशत
एनएसडीएल में डिमटेरियलाइज्ड रूप में धारित	5425327213	52.26
सीडीएसएल में डिमटेरियलाइज्ड रूप में धारित	4945240885	47.64
भौतिक रूप में	10025900	0.10
कुल	**10380593998**	**100.00**

xi.	ऋण प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करना	बैंक द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियों को बीएसई और एनएसई लिमिटेड में सूचीबद्ध किया जाता है.
xii.	डिबेंचर न्यासी का विवरण	➢ **एक्सिस ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड,** दूसरी मंजिल, एक्सिस हाउस, वाडिया इंटरनेशनल सेंटर, बाम्बे डाइंग मिल्स कंपाउंड, पांडुरंग बुधकर मार्ग, वरली, मुंबई- 400025, टेलीफोन : 022-62300429. ट्रस्टी के प्रमुख अधिकारी का ईमेल आईडी rohit.jhamnani@axistrustee.com
		➢ **एसबीआईकैप ट्रस्टी सर्विसेज लिमिटेड,** एपीजे हाउस, 6ठवीं मंजिल, 3 दिनशा वाच्छा रोड चर्चगेट, मुंबई -400020 टेलीफोन: 022-43025572. ट्रस्टी के प्रमुख अधिकारी का ईमेल आईडी savitri.yadav@sbicaptrustee.com
		➢ **विस्तारा आईटीसीएल (इंडिया) लि. (पूर्व में आईएल एंड एफएस ट्रस्ट कंपनी लिमिटेड),** दि आईएल एंड एफएस फाईनैंशियल सेंटर, प्लॉट सी-22, ब्लॉक, 7वीं मंजिल, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400051. टेलीफोन : 022-26593455. ट्रस्टी के प्रमुख अधिकारी का ईमेल आईडी Poojan.Baxi@vistra.com
xiii.	बकाया जीडीआर / एडीआर / वारंट या परिवर्तनीय लिखत, संपरिवर्तन की तारीख और इक्विटी पर संभावित प्रभाव	आईडीबीआई बैंक ने जीडीआर/एडीआर/वारंट , आदि जारी नहीं किए हैं.
xiv.	प्लांट लोकेशन	**लागू नहीं.** तथापि, बैंक की शाखाओं के स्थान के बारे में जानकारी बैंक की वेबसाइट (www.idbibank.in) पर उपलब्ध है.
xv.	पत्राचार के लिए पता	**आईडीबीआई बैंक लिमिटेड** **सीआईएन- L65190MH2004GOI148838** इक्विटी कक्ष- बोर्ड विभाग, आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, 22वीं मंजिल, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400005 टेलीफोन - (022) 66553062, 2711/3147/3336 ई-मेल - idbiequity@idbi.co.in वेबसाइट: - www.idbibank.in **रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेंट** **केफिन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड** सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गच्चीबौली फायनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, हैदराबाद - 500 032 टेलीफोन: (040) 67162222 टोल फ्री नंबर: 1-800-3454001 फैक्स नं.: (040) 23420814 ई-मेल : einward.ris@kfintech.com

आम शेयरधारकों के लिए सूचना

xvi.	बैंक द्वारा प्राप्त क्रेडिट रेटिंग की सूची	क्रेडिट रेटिंग विवरण रिपोर्ट के प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण खंड में दिए गए हैं.
xvii.	बाजार मूल्य डेटा	तालिका i देखें
xviii.	व्यापक आधार सूचकांक जैसे बीएसई संसेक्स, आदि की तुलना में प्रदर्शन	तालिका ii देखें
xix.	शेयरधारिता का स्वरूप	तालिका iii देखें

तालिका i - नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. (एनएसई) और बीएसई लि. (बीएसई) में आईडीबीआई बैंक लि. के शेयर मूल्य में उतार-चढ़ाव : अप्रैल 2019 - मार्च 2020

(₹)

	एनएसई		बीएसई			एनएसई		बीएसई	
माह	**उच्च**	**निम्न**	**उच्च**	**निम्न**	**माह**	**उच्च**	**निम्न**	**उच्च**	**निम्न**
अप्रैल 2019	46.25	39.35	46.25	39.40	**अक्टू 2019**	33.25	28.95	33.25	29.00
मई 2019	40.05	34.40	40.05	34.40	**नवं 2019**	38.70	31.85	38.75	31.85
जून 2019	39.70	34.00	39.70	34.00	**दिसं 2019**	38.45	33.55	38.50	33.50
जुलाई 2019	37.65	27.60	37.65	27.65	**जन 2020**	37.50	33.80	37.50	33.90
अगस्त 2019	29.55	24.45	29.45	24.45	**फर 2020**	37.25	30.60	37.30	30.60
सितंबर 2019	36.90	27.05	36.85	27.05	**मार्च 2020**	29.90	17.80	29.90	17.80

तालिका ii - 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 की अवधि के दौरान बीएसई सेंसीटिव इंडेक्स (सेंसेक्स) की तुलना में आईडीबीआई बैंक के इक्विटी शेयर का प्रदर्शन निम्नलिखित चार्ट में दिया गया है:

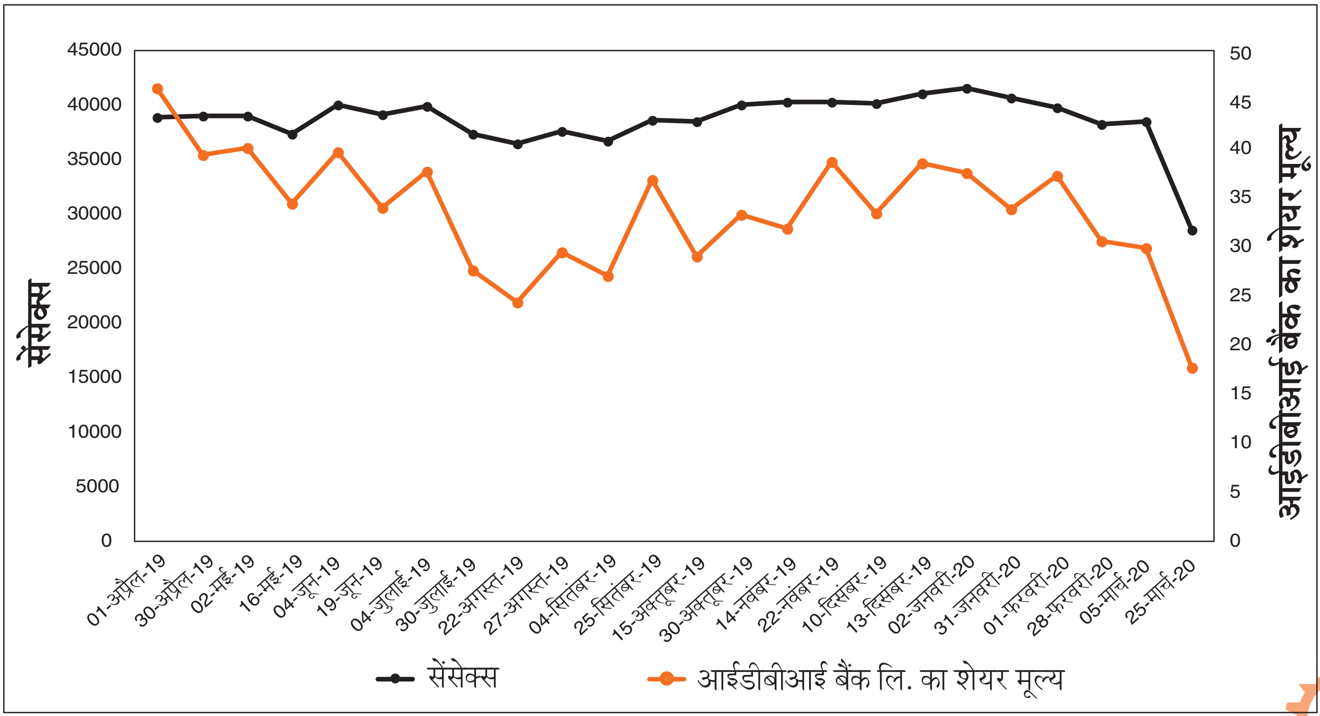

तालिका iii - मार्च 2020 के अंत में बैंक के शेयरधारकों की प्रमुख श्रेणियों द्वारा शेयरधारिता के ब्योरे और वितरण अनुसूची नीचे दी गई है :

31 मार्च 2020 को शेयरधारिता का स्वरूप

शेयर धारकों की श्रेणी	धारित शेयरों की संख्या	कुल का %
भारतीय जीवन बीमा निगम (प्रबंधन नियंत्रण के साथ प्रमोटर)	5294102939	51.00
भारत सरकार (बिना प्रबंधन नियंत्रण के साथ सह- प्रमोटर)	4889871903	47.11
कर्मचारी	723043	0.01
जनता	141063919	1.36
हिन्दू अविभाजित परिवार	5088392	0.05
कॉरपोरेट निकाय	20618783	0.20
संस्थाएं		
अ) बैंक	2674977	0.03
आ) विदेशी संस्थागत निवेशक	100	0.00
इ) राज्य वित्त निगम	0	0.00
ई) वित्तीय संस्थाएं	297500	0.00
उ) म्यूचुअल फंड	82187	0.00
सोसायटी	28640	0.00
न्यास	333700	0.00
बीमा कंपनियां	12778869	0.12
अनिवासी भारतीय	5627962	0.05
निदेशक, केएमपी एवं उनके रिश्तेदार		
(i) श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ	4400	0.00
(ii) श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी	0	0.00
(iii) श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी	24200	0.00
(iv) श्री अजय शर्मा, सीएफओ	120	0.00
एनएसडीएल (अंतरणाधीन)	1372975	0.01
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक	1607448	0.02
एनबीएफसी	5746	0.00
आईईपीएफ	4286195	0.04
कुल योग	**10380593998**	**100**

31 मार्च 2020 को वितरण अनुसूची

क्र.सं.	श्रेणी		शेयरधारकों की संख्या	कुल शेयरधारकों में %	राशि (₹)	कुल राशि में %
1	1	5000	388406	99.19	1058702930.00	1.02
2	5001	10000	1817	0.46	134500710.00	0.13
3	10001	20000	764	0.20	107813330.00	0.10
4	20001	30000	200	0.05	49910910.00	0.05
5	30001	40000	83	0.02	29621370.00	0.03
6	40001	50000	69	0.02	31930830.00	0.03
7	50001	100000	115	0.03	81313080.00	0.08
8	100001 एवं अधिक		115	0.03	102312146820.00	98.56
कुल			**391569**	**100.00**	**103805939980.00**	**100.00**

अन्य प्रकटन -

i. स्वतंत्र निदेशकों के लिए परिचय कार्यक्रम

स्वतंत्र निदेशकों को नियमित रूप से बैंक के व्यवसाय, उनके कर्तव्यों और जिम्मेदारियों और नियामक वातावरण में परिवर्तन के अनुसार बैंक में अनुपालन आवश्यकताओं से परिचित कराया जा रहा है. इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में स्वतंत्र निदेशकों को नामित / प्रतिनियुक्त किया गया था.

इस संबंध में विस्तृत स्थिति बैंक की वेबसाइट (www.idbibank.in) पर निम्न लिंक के तहत उपलब्ध कराई गई है : https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp

ii. सतर्कता तंत्र की स्थापना

बैंक ने सांविधिक/विनियामक आवश्यकताओं के अनुपालन में एक बोर्ड अनुमोदित सतर्कता तंत्र की स्थापना की है. सतर्कता तंत्र की रिपोर्ट बोर्ड को नियमित रूप से प्रस्तुत की जा रही है. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान किसी भी कर्मचारी को लेखापरीक्षा समिति तक पहुँचने से वंचित नहीं किया गया था. सतर्कता तंत्र की स्थापना के विवरण देने वाली सतर्कता तंत्र की नीति बैंक की वेबसाइट (www.idbibank.in)पर निम्न लिंक के तहत उपलब्ध कराई गई है :

https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp

iii. महत्वपूर्ण संस्थाओं के निर्धारण हेतु नीति

एलओडीआर विनियमों के विनियम 46 की आवश्यकताओं के अनुसार, महत्वपूर्ण सहायक संस्थाओं के निर्धारण हेतु नीति बैंक की वेबसाइट (www.idbibank.in) पर निम्न लिंक के तहत उपलब्ध कराई गई है: https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp

iv. संबद्ध पक्ष लेनदेनों पर कार्रवाई संबंधी नीति

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा188 और एलओडीआर विनियमों के विनियम 23 के प्रावधानों के आधार पर बैंक ने संबंधित पक्ष लेनदेन व्यवहार पर नीति तैयार की है.

संबंधित पक्ष लेनदेन व्यवहार से संबंधित नीति बैंक की वेबसाइट (www.idbibank.in) पर निम्न लिंक के तहत उपलब्ध कराई गई है: https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp

v. मूर्त रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन पर प्रकटीकरण जिनका व्यापक स्तर पर सूचीबद्ध इकाई के हितों के साथ कोई संभावित टकराव हो

एलओडीआर विनियमों की सूची V के साथ पठित विनियम 34 के संबंध में में यह पुष्टि की जाती है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक द्वारा मूर्त रूप से महत्वपूर्ण संबंधित पक्ष लेनदेन नहीं किया है जिससे बैंक के हितों के साथ कोई टकराव हो सकता हो.

vi. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत जानकारी

यौन उत्पीड़न के खिलाफ बैंक की एक नीति है तथा उत्पीड़न या भेदभाव की शिकायतों से निपटने के लिए एक औपचारिक प्रक्रिया है. उक्त नीति कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम, 2013 की आवश्यकताओं के अनुरूप है. बैंक ने उक्त अधिनियम के अंतर्गत आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया है. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 में हुए संशोधन क़े अनुसरण में वर्ष के दौरान शिकायतों की संख्या से संबंधित विवरण निम्नानुसार हैं :

अ	वित्तीय वर्ष के दौरान फाइल की गई शिकायतों की संख्या	12
आ	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की संख्या	7
इ	वित्तीय वर्ष में अंत में लंबित शिकायतों की संख्या	5

vii. पण्य मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा और पण्य हेजिंग गतिविधियों का प्रकटन

बैंक पण्य मूल्य जोखिम या विदेशी मुद्रा और पण्य हेजिंग गतिविधियों, यदि कोई हों, के संबंध में विनियामकों द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का अनुपालन करता है.

viii. लेखांकन व्यवहार का प्रकटीकरण

एलओडीआर विनियमों की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 के संदर्भ में यह पुष्टि की जाती है कि वित्तीय विवरणों की तैयारी में निर्धारित लेखा मानकों से अलग कोई व्यवहार नहीं किया गया है, लेखा मानकों का पालन किया गया है और इसलिए, इस संबंध में प्रबंधन की ओर से कोई स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है.

ix. प्रकटीकरण, कि क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 की उप-धारा (1) के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकार्ड का रखरखाव कंपनी द्वारा आवश्यक है और तदनुसार ऐसे खाते और रिकार्ड बनाए और रखे जाते हैं.

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड एक बैंकिंग कंपनी होने के कारण इस पर लागत रिकार्ड के रखरखाव के प्रावधान लागू नहीं होते हैं.

x. प्रकटन

क) निम्नलिखित को छोड़कर 1 अप्रैल 2019-31 मार्च 2020 के दौरान ऐसी किसी कंपनी को वित्तीय सहायता नहीं दी गई जिसमें बैंक के किसी निदेशक की हितबद्धता हो:

(i) आईडीबीआई इंटेक लि. - श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ आईडीबीआई इंटेक लि. के निदेशक मंडल में हैं. तथापि, चूँकि आईडीबीआई इंटेक लि. आईडीबीआई बैंक लि. की सहायक संस्था है अतः संबद्ध उधार प्रावधानों के संबंध में इसे रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के तहत छूट प्राप्त है.

(ii) आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि.- श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. के निदेशक मंडल में हैं. तथापि, चूँकि आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. आईडीबीआई बैंक लि. की सहायक संस्था है अतः संबद्ध उधार प्रावधानों के संबंध में इसे रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के तहत छूट प्राप्त है.

ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी भी मामले पर स्टॉक एक्सचेंज या सेबी या किसी भी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा बैंक पर लगाए गए गैर-अनुपालन, दंड, कटु आलोचना के विवरण निम्नानुसार हैं:

वित्तीय वर्ष 2017-18	शून्य.
वित्तीय वर्ष 2018-19	शून्य. तथापि, भारतीय रिजर्व बैंक ने (i) आरबीआई द्वारा आय अभिनिर्धारण और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) पर जारी निर्देश के गैर अनुपालन पर बैंक पर दिनांक 09 अप्रैल 2018 को ₹ 3 करोड़ (ii) अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)/धनशोधन निवारण (एएमएल) मानकों पर आरबीआई के विनियामक निर्देश के गैर अनुपालन के लिए दिनांक 04 फरवरी 2019 को ₹ 20 लाख और (iii) स्विफ्ट संबंधी परिचालन नियंत्रणों को मजबूत करने और समयबद्ध कार्यान्वयन पर आरबीआई के विनियामक निर्देशों के उल्लंघन के लिए दिनांक 25 फरवरी 2019 को ₹ 01 करोड़ का दंड लगाया था.
वित्तीय वर्ष 2019-20	शून्य

ग) वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक ने दिनांक 22 अक्तूबर 2019 को एलआईसी को कुल ₹ 4743 करोड़ (प्रीमियम राशि यदि कोई हों सहित) (इस प्रकार कि आबंटन के पश्चात् एलआईसी की बैंक में शेयरधारिता बैंक की विस्तारित चुकता पूंजी का 51% तक हो) और भारत सरकार को कुल ₹ 4557 करोड़ (प्रीमियम राशि यदि कोई हों सहित) तक के मूल्य के इक्विटी शेयरों के अधिमान्य आबंटन के माध्यम से पूंजी जुटाई. इसके अलावा बैंक ने 3 फरवरी 2020 को ₹ 745 करोड़ के बॉण्ड जारी किए. प्राप्त राशि का पूरी तरह से बैंक की पूंजी पर्याप्तता बढ़ाने और सामान्य व्यायासायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किया गया है.

घ) वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान सेबी (एलओडीआर) विनियमावली के विनियम 32(4) के अनुसार डाक मतपत्र के नोटिसों के व्याख्यात्मक विवरण में उल्लेखित उद्देश्यों से प्राप्त की गई राशियों के उपयोग के संबंध में कोई विचलन नहीं किया गया है.

ङ) मेसर्स एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कंपनी, कंपनी सचिव के श्री एस. एन. अनंतसुब्रमणियन (सीपी सं. 1774) से दिनांक 28 मई 2020 को इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है कि बैंक के बोर्ड के किसी भी निदेशक को बोर्ड/ कंपनी कार्य मंत्रालय अथवा इस प्रकार के किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने अथवा बने रहने के लिए अपात्र अथवा निरर्हित नहीं किया गया है. यह प्रमाणपत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है.

च) बैंक ने वार्षिक रिपोर्ट में वे सभी प्रकटन किए हैं जो एलओडीआर विनियमों की अनुसूची V (वार्षिक रिपोर्ट) के कॉरपोरेट अभिशासन खंड के उप-पैरा (2) से (10) के संदर्भ में आवश्यक थे.

छ) बैंक ने एलओडीआर विनियमों के विनियम 17 से 27 और विनियम 46 के उप-विनियमन (2) के खंड (बी) से (आई) में निर्दिष्ट कॉरपोरेट अभिशासन आवश्यकताओं का अनुपालन किया है.

ज) ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है जहां बोर्ड ने बोर्ड की किसी भी समिति की ऐसी किसी सिफारिश को स्वीकार नहीं किया हो जो अनिवार्य रूप से आवश्यक हो, अतः इस संबंध में किसी प्रकटन की आवश्यकता नहीं है.

झ) एलओडीआर विनियमों की अनुसूची V के संदर्भ में, वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक द्वारा सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक को दी गई सभी सेवाओं के लिए भुगतान किया गया कुल शुल्क 3 करोड़ रुपए है. (एलएफएआर, प्रमाणीकरण शुल्क, कर लेखापरीक्षा शुल्क, एसआरए लेखापरीक्षा आदि सहित)

ञ) **सहायक कंपनियाँ:** 31 मार्च 2020 को बैंक की 5 सहायक संस्थाएं यथा- आईडीबीआई इंटेक लि., आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लि., आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि., आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कं. लि. और आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लि. थीं. बैंक के निदेशक मंडल के किसी स्वतंत्र निदेशक को उसकी किसी सहायक संस्था के बोर्ड में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इन सहायक संस्थाओं में से कोई भी संस्था एलओडीआर विनियमावली के विनियम 16 के अंतर्गत दी गई परिभाषा के अनुसार भौतिक गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनी नहीं है. एलओडीआर विनियमावली के विनियम 24 के अनुपालन में बैंक की लेखा परीक्षा समिति गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों, विशेष रूप से उनके द्वारा किए गए निवेशों की समीक्षा करती है. गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनियों की बोर्ड बैठकों के कार्यवृत्त नियमित रूप से बैंक के बोर्ड की बैठकों के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं.

ट) **दस्तावेजों का रखरखाव और प्रतिधारण नीति:** सेबी (एलओडीआर) के विनियम 9 के प्रावधानों के अनुसार बैंक ने बोर्ड अनुमोदित दस्तावेजों का रखरखाव और प्रतिधारण नीति कार्यान्वित की है.

ठ) **डीमैट उचंत खाता/ अदावी उचंत खाता के संबंध में प्रकटन**

एलओडीआर विनियमों की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 के अनुसार आपका बैंक अदावी उचंत खाते में पड़े इक्विटी शेयरों के संदर्भ में निम्न ब्योरे रिपोर्ट करता है:

क्रम सं.	विवरण	शेयरधारकों की संख्या	शेयरों की संख्या
(क)	दिनांक 1 अप्रैल 2019 को उचंत खाते में बकाया पड़े शेयरों और शेयरधारकों की कुल संख्या	4782	851454
(ख)	दिनांक 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान उचंत खाते से शेयरों का अंतरण करवाने के लिए आपके बैंक से संपर्क करने वाले शेयरधारकों की संख्या	0	0
(ग)	उन शेयरधारकों की संख्या, जिन्हें दिनांक 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान उचंत खाते से शेयर अंतरित किए गए	0	0
(घ)	कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 एवं 125 के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण को अंतरित शेयरों की संख्या	4613	818468
(ङ)	दिनांक 31 मार्च 2020 को उचंत खाते में बकाया पड़े शेयरों और शेयरधारकों की कुल संख्या	169	32986
(च)	**इन शेयरों पर वोटिंग अधिकार तब तक अवरोधित (फ्रीज) रहेगा जब तक इन शेयरों के वैध स्वामी शेयरों का दावा नहीं करते.**		

ड) **निवेशक शिक्षा और सुरक्षा (आईईपीएफ) के संबंध में प्रकटन**

(क) वर्ष के दौरान आईईपीएफ में किए गए अंतरण का विवरण :

क्रम सं.	विवरण	शेयर	राशि
(i)	अदावी/अप्रदत्त लाभांश और संबंधित शेयरों की राशि	802949	14400455.00
(ii)	अधिमानी शेयरों की मोचन राशि	लागू नहीं	0
(iii)	बैंकिंग कंपनियों के अलावा अन्य कंपनियों के लिए उपचित ब्याज के साथ परिपक्व जमा की राशि	लागू नहीं	0
(iv)	उपचित ब्याज के साथ परिपक्व डिबेंचर राशि	शून्य	0
(v)	किसी भी प्रतिभूति के आबंटन हेतु प्राप्त आवेदन राशि तथा धन वापसी के लिए उपचित ब्याज सहित देय राशि	लागू नहीं	0
(vi)	बोनस शेयर के जारी होने, विलय और अधिग्रहण से उत्पन्न होने वाले आंशिक शेयरों की बिक्री राशि	लागू नहीं	0
(ख)	**आईईपीएफ में पहले से अंतरित शेयरों से उत्पन्न होने वाले परिणामी लाभ का विवरण**		0

(ग) अदावी/अप्रदत्त लाभांश की वर्ष-वार राशि जो वर्ष के अंत में अप्रदत्त खाते में पड़ी है तथा ऐसे शेयर जो आईईपीएफ में अंतरित किए जाने हैं व ऐसे अंतरण के लिए देय दिनांक का विवरण:

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	अप्रदत्त लाभांश	शेयरों की संख्या	आईईपीएफ में अंतरण के लिए नियत दिनांक
(i)	वि.व 2012-13	31129016.00	51634	11.10.2020
(ii)	वि.व 2013-14 (अंतरिम)	8126628.00	61257	19.02.2021
(iii)	वि.व 2013-14 (अंतिम)	3257181.00	64409	06.08.2021
(iv)	वि.व 2014-15	8479074.00	61128	18.09.2022
(घ)	**आईईपीएफ को कंपनी द्वारा दिये गए दान की राशि, यदि कोई हो**			0
(ङ)	**वर्ष के दौरान आईईपीएफ को अंतरित ऐसी अन्य राशि, यदि कोई हो**			0

सेबी (एलओडीआर) विनियमावली विनियम 27 की विवेकपूर्ण अपेक्षाओं के अनुपालन की स्थिति

बैंक ने एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 के अंतर्गत दी गई अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन किया है और निर्धारित समय सीमाओं के अंदर स्टॉक एक्सचेंजों को निर्धारित प्ररूपों में कॉरपोरेट अभिशासन पर तिमाही/छमाही/वार्षिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करता रहा है. एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची II के भाग ई में दी गई विवेकपूर्ण अपेक्षाओं के संबंध में स्थिति निम्नानुसार है:

क्रम सं.	विवेकपूर्ण अपेक्षाएं	स्थिति
1.	गैर-कार्यपालक अध्यक्ष कंपनी के खर्चे पर अध्यक्ष का कार्यालय रखने के लिए पात्र होगा और उसे अपने कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए व्ययों की प्रतिपूर्ति की भी अनुमति दी जाएगी.	बैंक के संस्था के अंतर्नियम के नियम 116(1) आई के अनुसार एलआईसी के अध्यक्ष श्री एम. आर. कुमार को 13 मई 2019 से आईडीबीआई बैंक लि. का गैर-कार्यपालक गैर-पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है. बैंक ने आईडीबीआई टॉवर, कफ परेड, मुंबई स्थित अपने प्रधान कार्यालय में अध्यक्ष के कार्यालय की व्यवस्था की है.
2.	शेयरधारकों के प्रत्येक परिवार को पिछले छः महीनों के दौरान उल्लेखनीय कार्यक्रमों के सार सहित वित्तीय कार्यनिष्पादन की अर्धवार्षिक घोषणा भेजी जाए.	तिमाही और साथ ही अर्धवार्षिक वित्तीय परिणामों को बोर्ड के अनुमोदन के तुरंत बाद शेयरधारकों और अन्य हितधारकों की जानकारी के लिए समाचारपत्रों में प्रकाशित किया जाता है और स्टॉक एक्सचेंजों को भी भेजा जाता है.
3.	कंपनी अपरिवर्तित लेखा परीक्षा अभिमत वाले वित्तीय विवरणों की व्यवस्था की ओर अग्रसर हो.	बैंक लगातार इस दिशा में कार्य कर रहा है.
4.	कंपनी अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के पद पर अलग-अलग व्यक्तियों को नियुक्त करे.	बैंक में गैर-कार्यपालक गैर-पूर्णकालिक अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक एवं सीईओ के अलग-अलग पद हैं.
5.	आंतरिक लेखा परीक्षक सीधे लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करे.	आंतरिक लेखा परीक्षक श्री एम.वी. फड़के, कार्यपालक निदेशक सीधे बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को रिपोर्ट करते हैं.

आचार एवं सदाचार संहिता

बैंक के निदेशक मंडल ने अपने निदेशकों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए आचार एवं सदाचार संहिता को अपनाया है. एलओडीआर विनियमावली के अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 की अपेक्षाओं के अनुपालन में आपके बैंक के निदेशक मंडल के सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों द्वारा आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि के बारे में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा नीचे दी गई है:

प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा घोषणा

एलओडीआर विनियमावली की अनुसूची V के साथ पठित विनियम 34 के प्रावधानों के अनुसरण में, सभी संबंधित व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतद्द्वारा घोषणा की जाती है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आईडीबीआई बैंक लि. के निदेशक मंडल के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों ने आईडीबीआई बैंक लि. के निदेशकों, अधिकारियों तथा कर्मचारियों के लिए आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि की है.

ह./-
राकेश शर्मा
(डीआईएन - 06846594)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
दिनांक: 30 मई 2020

सीईओ/सीएफओ संबंधी प्रमाणन

एलओडीआर विनियमावली के विनियम 17(8) के अनुसार वित्तीय विवरणों तथा वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रणों के संबंध में एमडी एवं सीईओ और सीएफओ से प्रमाणन प्राप्त किया गया है और उसे बोर्ड को प्रस्तुत किया गया है.

अनुबंध-ए

31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु फॉर्म एमजीटी-9 में वार्षिक विवरणी का सारांश

I. पंजीकरण और अन्य ब्योरे

i.	सीआईएन	L65190MH2004GOI148838
ii.	पंजीकरण की तारीख	27 सितंबर 2004
iii.	कंपनी का नाम	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
iv.	कंपनी की श्रेणी/ उप-श्रेणी	सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी /शेयरों द्वारा लिमिटेड
v.	पंजीकृत कार्यालय का पता तथा संपर्क विवरण	पंजीकृत कार्यालय: आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400005 संपर्क विवरण : फोन नं.: (022) 66553355, 22189111 फैक्स: (022) 22180411 वेबसाइट: www.idbibank.in
vi.	क्या सूचीबद्ध कंपनी है	हाँ
vii.	रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट का नाम, पता एवं संपर्क विवरण.	केफिन टेक्नोलॉजीस प्राइवेट लिमिटेड सेलेनियम टॉवर बी, प्लॉट 31-32, गच्चीबौली फायनेंशियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुड़ा, हैदराबाद - 500 032 टेलीफोन: (040) 67162222 टोल फ्री नंबर: 1-800-3454001 फैक्स नं.: (040) 23420814 ई-मेल: einward.ris@kfintech.com

II. कंपनी की प्रमुख कारोबारी गतिविधियां

क्रम सं.	मुख्य उत्पाद/ सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पाद/ सेवा का एनआईसी कोड	कंपनी के कुल टर्नओवर का %
1.	वाणिज्यिक बैंकों, बचत बैंकों, डाक बचत बैंक और डिस्काउंट हाउसों की मौद्रिक मध्यस्थता	64191	100%

III. धारिता, सहायक एवं सहयोगी कंपनियों के ब्योरे

क्रम सं.	कंपनी का नाम और पता	कॉरपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)/ वैश्विक स्थान संख्या (जीएलएन)	धारिता / सहायक / सहयोगी कंपनी	शेयरों का %	लागू धारा
1.	भारतीय जीवन बीमा निगम (प्रवर्तक), 'योगक्षेम' जीवन बीमा मार्ग, पो बा सं. 19953, मुंबई-400021	लागू नहीं	धारिता	51.00	2(46)
2.	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड, छठी मंजिल, आईडीबीआई टॉवर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कफ परेड, मुंबई-400 005.	U65990MH1993GOI075578	सहायक	100.00	2(87)
3.	आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड आईडीबीआई बिल्डिंग, तल मंजिल, प्लॉट नं. 39-41, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई-400 614.	U72200MH2000GOI124665	सहायक	100.00	2(87)
4.	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि., आईडीबीआई टॉवर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कफ परेड, मुंबई-400 005	U65991MH2010PLC199326	सहायक	100.00	2(87)

क्रम सं.	कंपनी का नाम और पता	कॉरपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)/ वैश्विक स्थान संख्या (जीएलएन)	धारिता / सहायक / सहयोगी कंपनी	शेयरों का %	लागू धारा
5.	आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि., 4थी मंजिल, आईडीबीआई टॉवर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, कफ परेड, मुंबई-400 005.	U65100MH2010PLC199319	सहायक	66.67	2(87)
6.	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि., एशियन बिल्डिंग, तल मंज़िल, 17, आर. कमानी मार्ग, बलार्ड इस्टेट, मुंबई- 400 001.	U65991MH2001GOI131154	सहायक	54.70	2(87)
7.	आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, पहली मंज़िल, ट्रेड व्यू, ओएसिस कॉम्प्लेक्स, कमला सिटी, पी.बी. मार्ग, लोअर परेल (प), मुंबई - 400 013.	U66010MH2007PLC167164	संयुक्त उद्यम	48.00	2(6)
8.	नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, 'ए' विंग, चौथी मंजिल, ट्रेड वर्ल्ड, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400 013.	U74120MH2012PLC230380	सहयोगी	30.00	2(6)
9.	बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लिमिटेड, 5वीं मंज़िल, अणुव्रत भवन, 210 दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली -110 002.	U73100DL1990PLC041486	सहयोगी	27.93	2(6)
10.	नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेडफी हाउस, दिसपुर, गुवाहाटी - 781006.	U65923AS1995GOI004529	सहयोगी	25.00	2(6)
11.	पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लि. 60, रोमेन रोलैंड स्ट्रीट, पुडुचेरी - 605 001.	U65923PY1974SGC000121	सहयोगी	21.14	2(6)

IV. शेयरधारिता का स्वरूप (इक्विटी शेयर पूंजी - कुल इक्विटी के प्रतिशत के रूप में अलग-अलग विवरण)

i. श्रेणीवार शेयरधारिता -

	शेयर धारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
		डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
अ.	**प्रवर्तक**									
(1)	**भारतीय**									
क)	वैयक्तिक/ हिन्दू अविभाजित परिवार	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ख)	केंद्र सरकार/	3594165335	0	3594165335	46.46	4889871903	0	4889871903	47.11	0.65
ग)	राज्य सरकार (रें)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
घ)	कॉरपोरेट निकाय	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ङ)	वित्तीय संस्थाएं/ बैंक	3945510389	0	3945510389	51.00	5294102939	0	5294102939	51.00	0.00
च)	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	उप-कुल(अ)(1)	**7539675724**	**0**	**7539675724**	**97.46**	**10183974842**	**0**	**10183974842**	**98.11**	**0.65**
(2)	**विदेशी**									
क)	एनआरआई-वैयक्तिक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ख)	अन्य-वैयक्तिक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ग)	कॉरपोरेट निकाय	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
घ)	बैंक/वित्तीय संस्थाएं	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ङ)	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	उप-कुल (अ)(2)	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	0.00	0.00
	प्रवर्तक की कुल शेयरधारिता (अ) = (अ)(1)+(अ)(2)	**7539675724**	**0**	**7539675724**	**97.46**	**10183974842**	**0**	**10183974842**	**98.11**	**0.65**

	शेयर धारकों की श्रेणी	वर्ष के आरंभ में धारित शेयरों की संख्या				वर्ष के अंत में शेयरों की संख्या				वर्ष के दौरान % परिवर्तन
		डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	डीमैट	भौतिक	कुल	कुल शेयरों का %	
आ.	**सार्वजनिक शेयरधारिता**									
1.	संस्थाएं									
क)	म्यूचुअल फंड	5425800	0	5425800	0.07	82187	0	82187	0	-0.07
ख)	बैंक/ वित्तीय संस्थाएं	2795536	7140	2802676	0.04	2668797	6180	2674977	0.03	-0.01
ग)	केंद्र सरकार	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
घ)	राज्य सरकार (रें)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ङ)	जोखिम पूंजी निधि	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
च)	बीमा कंपनियाँ	12778869	0	12778869	0.17	12778869	0	12778869	0.12	-0.04
छ)	एफआईआई/एफपीआई	7970709	100	7970809	0.10	1607448	100	1607548	0.02	-0.09
ज)	विदेशी जोखिम पूंजी निधियां	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
झ)	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	उप-कुल(आ)(1)	**28970914**	**7240**	**28978154**	**0.37**	**17137301**	**6280**	**17143581**	**0.17**	**-0.21**
2.	**गैर-संस्थान**									
	कॉरपोरेट निकाय	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	भारतीय	24368569	179684	24548253	0.32	20467688	151095	20618783	0.20	-0.12
	विदेशी	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	वैयक्तिक									
	1 लाख रुपये तक अधिकृत शेयर पूंजी रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	93117883	9715545	102833428	1.33	104802805	8702794	113505599	1.09	-0.24
	1 लाख रुपये से अधिक की अधिकृत शेयर पूंजी रखने वाले वैयक्तिक शेयरधारक	23589003	337021	23926024	0.31	33369995	28480	33398475	0.32	0.01
	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)									
	समाशोधन सदस्य	8333219	0	8333219	0.11	1372975	0	1372975	0.01	-0.09
	आईईपीएफ	2647217	0	2647217	0.03	4286195	0	4286195	0.04	0.01
	एनबीएफसी	107932	0	107932	0.00	5746	0	5746	0.00	0.00
	अनिवासी भारतीय	2997171	1160923	4158094	0.05	3468395	1084291	4552686	0.04	-0.01
	एनआरआई गैर-प्रत्यावर्तन	729262	0	729262	0.01	1075276	0	1075276	0.01	0.00
	सोसायटियाँ	0	28960	28960	0.00	0	28640	28640	0.00	0.00
	ट्रस्ट	304293	24320	328613	0.00	309380	24320	333700	0.00	0.00
	अर्हताप्राप्त संस्थागत क्रेता	0	0	0	0.00	297500	0	297500	0.00	0.00
	उप-कुल (आ)(2)	**156194549**	**11446453**	**167641002**	**2.17**	**169455955**	**10019620**	**179475575**	**1.73**	**-0.44**
	कुल सार्वजनिक शेयरधारिता (आ)= (आ)(1)+(आ)(2)	**185165463**	**11453693**	**196619156**	**2.54**	**186593256**	**10025900**	**196619156**	**1.89**	**-0.65**
	जीडीआर एवं एडीआर के लिए अभिरक्षक द्वारा धारित शेयर	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	कुल योग (अ+आ+इ)	**7724841187**	**11453693**	**7736294880**	**100.00**	**10370568098**	**10025900**	**10380593998**	**100.00**	**0.00**

ii. प्रवर्तकों की शेयरधारिता

क्रम सं.	शेयरधारक का नाम	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता			
		शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में से गिरवी/ भारग्रस्त शेयरों का %	शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों में से गिरवी/ भारग्रस्त शेयरों का %	वर्ष के दौरान शेयरधारिता में % परिवर्तन
1.	भारतीय जीवन बीमा निगम	3945510389	51.00	0	5294102939	51.00	0	0.00
2.	भारत सरकार	3594165335	46.46	0	4889871903	47.11	0	0.65

iii. प्रवर्तकों की शेयरधारिता में परिवर्तन

क्रम सं.		वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	बैंक के कुल शेयरों का %
1.	**भारतीय जीवन बीमा निगम**				
	वर्ष के आरंभ में	3945510389	51.00	3945510389	51.00
	वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि / कमी 23/10/2019 (अधिमानी आबंटन)	1348592550	51.00	5294102939	51.00
	वर्ष के अंत में	5294102939	51.00	5294102939	51.00
2.	**भारत सरकार**				
	वर्ष के आरंभ में	3594165335	46.46	3594165335	46.46
	वर्ष के दौरान प्रवर्तकों की शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि / कमी 23/10/2019 (अधिमानी आबंटन)	1295706568	47.11	4889871903	47.11
	वर्ष के अंत में	4889871903	47.11	4889871903	47.11

iv. दस शीर्ष शेयरधारकों की शेयरधारिता का स्वरूप (निदेशकों, प्रवर्तकों और जीडीआर एवं एडीआर के धारकों को छोड़कर) :

			वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
क्रम सं.	**शेयर धारक का नाम**	**विवरण**	**शेयरों की सं.**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**	**शेयरों की सं.**	**कंपनी के कुल शेयरों का %**
1	युनाइटेड इंडिया इंश्यूरेंस कंपनी लिमिटेड	वर्ष के आरंभ में	8057143	0.10	8057143	0.10
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि / कमी	-	-	-	-
		वर्ष के अंत में (अथवा पृथक्करण की तारीख पर)	-	-	8057143	0.08
2	इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रैटेजिस एशिया पीटीई लि.	वर्ष के आरंभ में	3278584	0.04	3278584	0.04
		बिक्री - 17/05/2019	-58516	0.04	3220068	0.04
		बिक्री - 24/05/2019	-183892	0.04	3036176	0.04
		बिक्री - 07/06/2019	-74882	0.04	2961294	0.04
		बिक्री - 21/06/2019	-288522	0.03	2672772	0.03
		बिक्री - 05/07/2019	-180375	0.03	2492397	0.03
		बिक्री - 12/07/2019	-71774	0.03	2420623	0.03
		बिक्री - 19/07/2019	-131899	0.03	2288724	0.03
		बिक्री - 26/07/2019	-123533	0.03	2165191	0.03
		बिक्री - 02/08/2019	-253429	0.02	1911762	0.02
		बिक्री - 09/08/2019	-135489	0.02	1776273	0.02
		बिक्री - 23/08/2019	-191937	0.02	1584336	0.02
		बिक्री - 30/08/2019	-320570	0.02	1263766	0.02
		बिक्री - 06/09/2019	-360521	0.01	903245	0.01
		बिक्री - 13/09/2019	-174198	0.01	729047	0.01
		बिक्री - 20/09/2019	-494888	0.00	234159	0.00
		बिक्री - 27/09/2019	-234159	0.00	0	0.00
		वर्ष के अंत में (अथवा पृथक्करण की तारीख पर)	-	-	0	0.00

			वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
क्रम सं.	शेयर धारक का नाम	विवरण	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
3	दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	वर्ष के आरंभ में	3202859	0.04	3202859	0.04
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि / कमी	-	-	-	-
		वर्ष के अंत में (अथवा पृथक्करण की तारीख पर)	-	-	3202859	0.03
4	ग्लोब कैपिटल मार्केट लिमिटेड	वर्ष के आरंभ में	1060424	0.01	1060424	0.01
		खरीद - 05/04/2019	76294	0.01	1136718	0.01
		बिक्री - 05/04/2019	-104500	0.01	1032218	0.01
		खरीद - 12/04/2019	224154	0.02	1256372	0.02
		बिक्री - 12/04/2019	-3447	0.02	1252925	0.02
		खरीद - 19/04/2019	3425	0.02	1256350	0.02
		बिक्री - 19/04/2019	-8596	0.02	1247754	0.02
		खरीद - 26/04/2019	19862	0.02	1267616	0.02
		बिक्री - 26/04/2019	-98249	0.02	1169367	0.02
		खरीद - 03/05/2019	80499	0.02	1249866	0.02
		बिक्री - 03/05/2019	-21819	0.02	1228047	0.02
		बिक्री - 10/05/2019	-139418	0.01	1088629	0.01
		खरीद - 17/05/2019	51138	0.01	1139767	0.01
		बिक्री - 17/05/2019	-1022	0.01	1138745	0.01
		खरीद - 24/05/2019	1367928	0.03	2506673	0.03
		बिक्री - 24/05/2019	-20000	0.03	2486673	0.03
		खरीद - 31/05/2019	399204	0.04	2885877	0.04
		बिक्री - 31/05/2019	-371209	0.03	2514668	0.03
		खरीद - 07/06/2019	18446	0.03	2533114	0.03
		बिक्री - 07/06/2019	-196876	0.03	2336238	0.03
		खरीद - 14/06/2019	435276	0.04	2771514	0.04
		बिक्री - 14/06/2019	-276901	0.03	2494613	0.03
		खरीद - 21/06/2019	366985	0.04	2861598	0.04
		बिक्री - 21/06/2019	-403534	0.03	2458064	0.03
		खरीद - 28/06/2019	113537	0.03	2571601	0.03
		बिक्री - 28/06/2019	-38972	0.03	2532629	0.03
		खरीद - 29/06/2019	50000	0.03	2582629	0.03
		बिक्री - 29/06/2019	-110100	0.03	2472529	0.03
		खरीद - 05/07/2019	263565	0.04	2736094	0.04
		बिक्री - 05/07/2019	-78167	0.03	2657927	0.03
		खरीद - 12/07/2019	34113	0.03	2692040	0.03
		बिक्री - 12/07/2019	-394895	0.03	2297145	0.03
		खरीद - 19/07/2019	126701	0.03	2423846	0.03
		बिक्री - 19/07/2019	-115858	0.03	2307988	0.03
		खरीद - 26/07/2019	440207	0.04	2748195	0.04
		बिक्री - 26/07/2019	-449938	0.03	2298257	0.03
		खरीद - 02/08/2019	197078	0.03	2495335	0.03

			वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
क्रम सं.	शेयर धारक का नाम	विवरण	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
		बिक्री - 02/08/2019	-86550	0.03	2408785	0.03
		खरीद - 09/08/2019	131389	0.03	2540174	0.03
		बिक्री - 09/08/2019	-108002	0.03	2432172	0.03
		खरीद - 16/08/2019	210528	0.03	2642700	0.03
		बिक्री - 16/08/2019	-122724	0.03	2519976	0.03
		खरीद - 23/08/2019	500309	0.04	3020285	0.04
		बिक्री - 23/08/2019	-95950	0.04	2924335	0.04
		खरीद - 30/08/2019	665479	0.05	3589814	0.05
		बिक्री - 30/08/2019	-523907	0.04	3065907	0.04
		खरीद - 06/09/2019	12000	0.04	3077907	0.04
		बिक्री - 06/09/2019	-1544262	0.02	1533645	0.02
		खरीद - 13/09/2019	321669	0.02	1855314	0.02
		बिक्री - 13/09/2019	-21524	0.02	1833790	0.02
		खरीद - 20/09/2019	26184	0.02	1859974	0.02
		बिक्री - 20/09/2019	-143218	0.02	1716756	0.02
		खरीद - 27/09/2019	208415	0.02	1925171	0.02
		बिक्री - 27/09/2019	-215161	0.02	1710010	0.02
		खरीद - 30/09/2019	1541133	0.04	3251143	0.04
		बिक्री - 30/09/2019	-982627	0.03	2268516	0.03
		खरीद - 04/10/2019	225	0.03	2268741	0.03
		बिक्री - 04/10/2019	-89706	0.03	2179035	0.03
		खरीद - 11/10/2019	1268183	0.04	3447218	0.04
		बिक्री - 11/10/2019	-673282	0.04	2773936	0.04
		खरीद - 18/10/2019	16640	0.04	2790576	0.04
		बिक्री - 18/10/2019	-146709	0.03	2643867	0.03
		खरीद - 25/10/2019	197257	0.03	2841124	0.03
		बिक्री - 25/10/2019	-747	0.03	2840377	0.03
		खरीद - 01/11/2019	429463	0.03	3269840	0.03
		बिक्री - 01/11/2019	-63276	0.03	3206564	0.03
		खरीद - 08/11/2019	182629	0.03	3389193	0.03
		बिक्री - 08/11/2019	-472831	0.03	2916362	0.03
		खरीद - 15/11/2019	64671	0.03	2981033	0.03
		बिक्री - 15/11/2019	-7480	0.03	2973553	0.03
		खरीद - 22/11/2019	9070	0.03	2982623	0.03
		बिक्री - 22/11/2019	-254690	0.03	2727933	0.03
		खरीद - 29/11/2019	332638	0.03	3060571	0.03
		बिक्री - 29/11/2019	-120241	0.03	2940330	0.03
		खरीद - 06/12/2019	104008	0.03	3044338	0.03
		बिक्री - 06/12/2019	-27166	0.03	3017172	0.03
		खरीद - 13/12/2019	33218	0.03	3050390	0.03

			वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
क्रम सं.	शेयर धारक का नाम	विवरण	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
		बिक्री - 13/12/2019	-36081	0.03	3014309	0.03
		खरीद - 20/12/2019	72241	0.03	3086550	0.03
		बिक्री - 20/12/2019	-54668	0.03	3031882	0.03
		खरीद - 27/12/2019	24900	0.03	3056782	0.03
		बिक्री - 27/12/2019	-270018	0.03	2786764	0.03
		खरीद - 31/12/2019	2514	0.03	2789278	0.03
		बिक्री - 31/12/2019	-505	0.03	2788773	0.03
		खरीद - 03/01/2020	10142	0.03	2798915	0.03
		बिक्री - 03/01/2020	-12075	0.03	2786840	0.03
		खरीद - 10/01/2020	85341	0.03	2872181	0.03
		बिक्री - 10/01/2020	-11113	0.03	2861068	0.03
		बिक्री - 17/01/2020	-62083	0.03	2798985	0.03
		खरीद - 24/01/2020	205087	0.03	3004072	0.03
		बिक्री - 24/01/2020	-14074	0.03	2989998	0.03
		बिक्री - 31/01/2020	-229965	0.03	2760033	0.03
		खरीद - 07/02/2020	65544	0.03	2825577	0.03
		बिक्री - 07/02/2020	-117371	0.03	2708206	0.03
		खरीद - 14/02/2020	126865	0.03	2835071	0.03
		बिक्री - 14/02/2020	-36594	0.03	2798477	0.03
		खरीद - 21/02/2020	33926	0.03	2832403	0.03
		बिक्री - 21/02/2020	-23082	0.03	2809321	0.03
		खरीद - 28/02/2020	28900	0.03	2838221	0.03
		बिक्री - 28/02/2020	-43538	0.03	2794683	0.03
		खरीद - 06/03/2020	363751	0.03	3158434	0.03
		बिक्री - 06/03/2020	-51410	0.03	3107024	0.03
		खरीद - 13/03/2020	2383	0.03	3109407	0.03
		बिक्री - 13/03/2020	-43525	0.03	3065882	0.03
		खरीद - 20/03/2020	117158	0.03	3183040	0.03
		बिक्री - 20/03/2020	-170412	0.03	3012628	0.03
		खरीद - 27/03/2020	9882	0.03	3022510	0.03
		बिक्री - 27/03/2020	-74828	0.03	2947682	0.03
		खरीद - 31/03/2020	96	0.03	2947778	0.03
		बिक्री - 31/03/2020	-13698	0.03	2934080	0.03
		वर्ष के अंत में (अथवा पृथक्करण की तारीख पर)	-	-	2934080	0.03
5	विवश वर्मा	वर्ष के आरंभ में	2651467	0.03	2651467	0.03
		खरीद - 05/04/2019	1157045	0.05	3808512	0.05
		बिक्री - 05/04/2019	-450	0.05	3808062	0.05
		बिक्री - 19/04/2019	-2100	0.05	3805962	0.05
		बिक्री - 24/05/2019	-680	0.05	3805282	0.05
		बिक्री - 31/05/2019	-425	0.05	3804857	0.05

			वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
क्रम सं.	शेयर धारक का नाम	विवरण	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
		खरीद - 07/06/2019	50	0.05	3804907	0.05
		बिक्री - 14/06/2019	-480	0.05	3804427	0.05
		बिक्री - 21/06/2019	-640	0.05	3803787	0.05
		बिक्री - 28/06/2019	-320	0.05	3803467	0.05
		बिक्री - 19/07/2019	-160	0.05	3803307	0.05
		बिक्री - 02/08/2019	-665	0.05	3802642	0.05
		बिक्री - 23/08/2019	-640	0.05	3802002	0.05
		बिक्री - 06/09/2019	-480	0.05	3801522	0.05
		बिक्री - 27/09/2019	-320	0.05	3801202	0.05
		बिक्री - 30/09/2019	-940	0.05	3800262	0.05
		बिक्री - 11/10/2019	-360	0.05	3799902	0.05
		बिक्री - 18/10/2019	-160	0.05	3799742	0.05
		बिक्री - 25/10/2019	-405	0.04	3799337	0.04
		बिक्री - 01/11/2019	-740	0.04	3798597	0.04
		खरीद - 08/11/2019	462631	0.04	4261228	0.04
		खरीद - 15/11/2019	31582	0.04	4292810	0.04
		बिक्री - 29/11/2019	-960	0.04	4291850	0.04
		बिक्री - 06/12/2019	-160	0.04	4291690	0.04
		बिक्री - 27/12/2019	-320	0.04	4291370	0.04
		बिक्री - 10/01/2020	-10	0.04	4291360	0.04
		बिक्री - 24/01/2020	-1440	0.04	4289920	0.04
		बिक्री - 31/01/2020	-1325	0.04	4288595	0.04
		बिक्री - 07/02/2020	-160	0.04	4288435	0.04
		बिक्री - 14/02/2020	-420	0.04	4288015	0.04
		बिक्री - 06/03/2020	-70	0.04	4287945	0.04
		वर्ष के अंत में (अथवा पृथक्करण की तारीख पर)	-	-	4287945	0.04
6	मॉर्गन स्टेनली फ्रांस एस.ए.	वर्ष के आरंभ में	1733903	0.02	1733903	0.02
		खरीद - 05/04/2019	40000	0.02	1773903	0.02
		बिक्री - 03/05/2019	-1390000	0.00	383903	0.00
		बिक्री - 10/05/2019	-360000	0.00	23903	0.00
		बिक्री - 12/07/2019	-23900	0.00	3	0.00
		बिक्री - 07/02/2020	-3	0.00	0	0.00
		वर्ष के अंत में (अथवा पृथक्करण की तारीख पर)	-	-	0	0.00
7	इंडियन सिंटान्स इनवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड	वर्ष के आरंभ में	0	0.00	0	0.00
		खरीद - 19/07/2019	816000	0.01	816000	0.01
		खरीद - 02/08/2019	816000	0.02	1632000	0.02
		वर्ष के अंत में (अथवा पृथक्करण की तारीख पर)	-	-	1632000	0.02

			वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
क्रम सं.	शेयर धारक का नाम	विवरण	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
8	एंजल ब्रोकिंग लिमिटेड	वर्ष के आरंभ में	1573672	0.02	1573672	0.02
		खरीद - 05/04/2019	317856	0.02	1891528	0.02
		बिक्री - 05/04/2019	-320998	0.02	1570530	0.02
		खरीद - 12/04/2019	63787	0.02	1634317	0.02
		बिक्री - 12/04/2019	-81289	0.02	1553028	0.02
		खरीद - 19/04/2019	42507	0.02	1595535	0.02
		बिक्री - 19/04/2019	-100396	0.02	1495139	0.02
		खरीद - 26/04/2019	32843	0.02	1527982	0.02
		बिक्री - 26/04/2019	-58652	0.02	1469330	0.02
		खरीद - 03/05/2019	190934	0.02	1660264	0.02
		बिक्री - 03/05/2019	-22966	0.02	1637298	0.02
		खरीद - 10/05/2019	92738	0.02	1730036	0.02
		बिक्री - 10/05/2019	-188207	0.02	1541829	0.02
		खरीद - 17/05/2019	130182	0.02	1672011	0.02
		बिक्री - 17/05/2019	-140466	0.02	1531545	0.02
		खरीद - 24/05/2019	50642	0.02	1582187	0.02
		बिक्री - 24/05/2019	-184262	0.02	1397925	0.02
		खरीद - 31/05/2019	32219	0.02	1430144	0.02
		बिक्री - 31/05/2019	-102432	0.02	1327712	0.02
		खरीद - 07/06/2019	6509	0.02	1334221	0.02
		बिक्री - 07/06/2019	-220491	0.01	1113730	0.01
		खरीद - 14/06/2019	97665	0.02	1211395	0.02
		बिक्री - 14/06/2019	-8266	0.02	1203129	0.02
		खरीद - 21/06/2019	84048	0.02	1287177	0.02
		बिक्री - 21/06/2019	-35339	0.02	1251838	0.02
		खरीद - 28/06/2019	14518	0.02	1266356	0.02
		बिक्री - 28/06/2019	-93607	0.02	1172749	0.02
		खरीद - 29/06/2019	6763	0.02	1179512	0.02
		बिक्री - 29/06/2019	-656	0.02	1178856	0.02
		खरीद - 05/07/2019	113996	0.02	1292852	0.02
		बिक्री - 05/07/2019	-314876	0.01	977976	0.01
		खरीद - 12/07/2019	186628	0.02	1164604	0.02
		बिक्री - 12/07/2019	-106780	0.01	1057824	0.01
		खरीद - 19/07/2019	152274	0.02	1210098	0.02
		बिक्री - 19/07/2019	-204345	0.01	1005753	0.01
		खरीद - 26/07/2019	104678	0.01	1110431	0.01
		बिक्री - 26/07/2019	-48918	0.01	1061513	0.01
		खरीद - 02/08/2019	163665	0.02	1225178	0.02
		बिक्री - 02/08/2019	-106740	0.01	1118438	0.01
		खरीद - 09/08/2019	260695	0.02	1379133	0.02

			वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
क्रम सं.	शेयर धारक का नाम	विवरण	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
		बिक्री - 09/08/2019	-325309	0.01	1053824	0.01
		खरीद - 16/08/2019	48192	0.01	1102016	0.01
		बिक्री - 16/08/2019	-82548	0.01	1019468	0.01
		खरीद - 23/08/2019	42430	0.01	1061898	0.01
		बिक्री - 23/08/2019	-124081	0.01	937817	0.01
		खरीद - 30/08/2019	79167	0.01	1016984	0.01
		बिक्री - 30/08/2019	-63423	0.01	953561	0.01
		खरीद - 06/09/2019	133741	0.01	1087302	0.01
		बिक्री - 06/09/2019	-85155	0.01	1002147	0.01
		खरीद - 13/09/2019	76499	0.01	1078646	0.01
		बिक्री - 13/09/2019	-202994	0.01	875652	0.01
		खरीद - 20/09/2019	64000	0.01	939652	0.01
		बिक्री - 20/09/2019	-54038	0.01	885614	0.01
		खरीद - 27/09/2019	31988	0.01	917602	0.01
		बिक्री - 27/09/2019	-588098	0.00	329504	0.00
		खरीद - 30/09/2019	250368	0.01	579872	0.01
		बिक्री - 30/09/2019	-133626	0.01	446246	0.01
		खरीद - 04/10/2019	45961	0.01	492207	0.01
		बिक्री - 04/10/2019	-37775	0.01	454432	0.01
		खरीद - 11/10/2019	143571	0.01	598003	0.01
		बिक्री - 11/10/2019	-45633	0.01	552370	0.01
		खरीद - 18/10/2019	210825	0.01	763195	0.01
		बिक्री - 18/10/2019	-256753	0.01	506442	0.01
		खरीद - 25/10/2019	22627	0.01	529069	0.01
		बिक्री - 25/10/2019	-120593	0.00	408476	0.00
		खरीद - 01/11/2019	15583	0.00	424059	0.00
		बिक्री - 01/11/2019	-66768	0.00	357291	0.00
		खरीद - 08/11/2019	39898	0.00	397189	0.00
		बिक्री - 08/11/2019	-55091	0.00	342098	0.00
		खरीद - 15/11/2019	34459	0.00	376557	0.00
		बिक्री - 15/11/2019	-19549	0.00	357008	0.00
		खरीद - 22/11/2019	94524	0.00	451532	0.00
		बिक्री - 22/11/2019	-8701	0.00	442831	0.00
		खरीद - 29/11/2019	22027	0.00	464858	0.00
		बिक्री - 29/11/2019	-47734	0.00	417124	0.00
		खरीद - 06/12/2019	401614	0.01	818738	0.01
		बिक्री - 06/12/2019	-119058	0.01	699680	0.01
		खरीद - 13/12/2019	111588	0.01	811268	0.01
		बिक्री - 13/12/2019	-155548	0.01	655720	0.01
		खरीद - 20/12/2019	96237	0.01	751957	0.01

क्रम सं.	शेयर धारक का नाम	विवरण	वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
			शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
		बिक्री - 20/12/2019	-77805	0.01	674152	0.01
		खरीद - 27/12/2019	52214	0.01	726366	0.01
		बिक्री - 27/12/2019	-106152	0.01	620214	0.01
		खरीद - 31/12/2019	3796	0.01	624010	0.01
		बिक्री - 31/12/2019	-49000	0.01	575010	0.01
		खरीद - 03/01/2020	43509	0.01	618519	0.01
		बिक्री - 03/01/2020	-13994	0.01	604525	0.01
		खरीद - 10/01/2020	7949	0.01	612474	0.01
		बिक्री - 10/01/2020	-71847	0.01	540627	0.01
		खरीद - 17/01/2020	51703	0.01	592330	0.01
		बिक्री - 17/01/2020	-69208	0.01	523122	0.01
		खरीद - 24/01/2020	42062	0.01	565184	0.01
		बिक्री - 24/01/2020	-188821	0.00	376363	0.00
		खरीद - 31/01/2020	33667	0.00	410030	0.00
		बिक्री - 31/01/2020	-84422	0.00	325608	0.00
		खरीद - 07/02/2020	117290	0.00	442898	0.00
		बिक्री - 07/02/2020	-3140	0.00	439758	0.00
		खरीद - 14/02/2020	46603	0.00	486361	0.00
		बिक्री - 14/02/2020	-22615	0.00	463746	0.00
		खरीद - 21/02/2020	4945	0.00	468691	0.00
		बिक्री - 21/02/2020	-67550	0.00	401141	0.00
		खरीद - 28/02/2020	63959	0.00	465100	0.00
		बिक्री - 28/02/2020	-42870	0.00	422230	0.00
		खरीद - 06/03/2020	59340	0.00	481570	0.00
		बिक्री - 06/03/2020	-41876	0.00	439694	0.00
		खरीद - 13/03/2020	77185	0.00	516879	0.00
		बिक्री - 13/03/2020	-34386	0.00	482493	0.00
		खरीद - 20/03/2020	107687	0.01	590180	0.01
		बिक्री - 20/03/2020	-110378	0.00	479802	0.00
		खरीद - 27/03/2020	180852	0.01	660654	0.01
		बिक्री - 27/03/2020	-85064	0.01	575590	0.01
		खरीद - 31/03/2020	19616	0.01	595206	0.01
		बिक्री - 31/03/2020	-72459	0.01	522747	0.01
		वर्ष के अंत में (अथवा पृथक्करण की तारीख पर)	-	-	522747	0.01

			वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
क्रम सं.	शेयर धारक का नाम	विवरण	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
9	दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	वर्ष के आरंभ में	1463867	0.02	1463867	0.02
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि / कमी	-	-	-	-
		वर्ष के अंत में (अथवा पृथक्करण की तारीख पर)	-	-	1463867	0.01
10	एडेलवैस कस्टोडियल सर्विसेज लि.	वर्ष के आरंभ में	1392162	0.02	1392162	0.02
		खरीद - 05/04/2019	221373	0.02	1613535	0.02
		खरीद - 12/04/2019	12856	0.02	1626391	0.02
		बिक्री - 19/04/2019	-3144	0.02	1623247	0.02
		खरीद - 26/04/2019	37319	0.02	1660566	0.02
		बिक्री - 03/05/2019	-185499	0.02	1475067	0.02
		बिक्री - 10/05/2019	-285	0.02	1474782	0.02
		खरीद - 17/05/2019	101499	0.02	1576281	0.02
		खरीद - 24/05/2019	309607	0.02	1885888	0.02
		बिक्री - 31/05/2019	-237242	0.02	1648646	0.02
		बिक्री - 07/06/2019	-37093	0.02	1611553	0.02
		बिक्री - 14/06/2019	-101278	0.02	1510275	0.02
		बिक्री - 21/06/2019	-37432	0.02	1472843	0.02
		बिक्री - 28/06/2019	-22820	0.02	1450023	0.02
		बिक्री - 05/07/2019	-193197	0.02	1256826	0.02
		बिक्री - 12/07/2019	-12261	0.02	1244565	0.02
		खरीद - 19/07/2019	199676	0.02	1444241	0.02
		खरीद - 26/07/2019	59728	0.02	1503969	0.02
		बिक्री - 02/08/2019	-298807	0.02	1205162	0.02
		खरीद - 09/08/2019	16029	0.02	1221191	0.02
		खरीद - 16/08/2019	878	0.02	1222069	0.02
		खरीद - 23/08/2019	8986	0.02	1231055	0.02
		बिक्री - 30/08/2019	-28378	0.02	1202677	0.02
		खरीद - 06/09/2019	24586	0.02	1227263	0.02
		खरीद - 13/09/2019	316348	0.02	1543611	0.02
		खरीद - 20/09/2019	78669	0.02	1622280	0.02
		बिक्री - 27/09/2019	-152643	0.02	1469637	0.02
		बिक्री - 30/09/2019	-266828	0.02	1202809	0.02
		बिक्री - 04/10/2019	-3991	0.02	1198818	0.02
		बिक्री - 11/10/2019	-5380	0.02	1193438	0.02
		बिक्री - 18/10/2019	-391491	0.01	801947	0.01
		बिक्री - 25/10/2019	-50883	0.01	751064	0.01
		बिक्री - 01/11/2019	-91004	0.01	660060	0.01
		खरीद - 08/11/2019	152375	0.01	812435	0.01
		बिक्री - 15/11/2019	-56466	0.01	755969	0.01
		खरीद - 22/11/2019	88434	0.01	844403	0.01
		बिक्री - 29/11/2019	-44971	0.01	799432	0.01
		बिक्री - 06/12/2019	-219364	0.01	580068	0.01

			वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
क्रम सं.	शेयर धारक का नाम	विवरण	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं.	कंपनी के कुल शेयरों का %
		बिक्री - 13/12/2019	-1182	0.01	578886	0.01
		बिक्री - 20/12/2019	-95091	0.00	483795	0.00
		बिक्री - 27/12/2019	-75633	0.00	408162	0.00
		खरीद - 31/12/2019	6084	0.00	414246	0.00
		बिक्री - 03/01/2020	-4255	0.00	409991	0.00
		खरीद - 10/01/2020	4751	0.00	414742	0.00
		बिक्री - 17/01/2020	-49436	0.00	365306	0.00
		बिक्री - 24/01/2020	-7260	0.00	358046	0.00
		खरीद - 31/01/2020	8244	0.00	366290	0.00
		खरीद - 07/02/2020	272222	0.01	638512	0.01
		खरीद - 14/02/2020	181532	0.01	820044	0.01
		बिक्री - 21/02/2020	-3187	0.01	816857	0.01
		खरीद - 28/02/2020	12183	0.01	829040	0.01
		बिक्री - 06/03/2020	-359594	0.00	469446	0.00
		बिक्री - 13/03/2020	-89344	0.00	380102	0.00
		बिक्री - 20/03/2020	-16517	0.00	363585	0.00
		बिक्री - 27/03/2020	-35768	0.00	327817	0.00
		बिक्री - 31/03/2020	-3492	0.00	324325	0.00
		वर्ष के अंत में (अथवा पृथक्करण की तारीख पर)	-	-	324325	0.00

v) निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों की शेयरधारिता :

क्र. सं.			वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
			शेयरों की संख्या	बैंक के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	बैंक के कुल शेयरों का %
निदेशक						
1.	श्री एम आर कुमार, गैर-कार्यपालक अध्यक्ष (डीआईएन: 03628755) (13-05-2019 से)	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि/कमी	0	0	0	0
		पृथक्करण की तारीख पर	0	0	0	0
2.	श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ (डीआईएन-06846594) [10.10.2018 से]	वर्ष के आरंभ में	2500	0	2500	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि/कमी खरीद : 05/04/2019 [वास्तविक ट्रेड 29.03.2019 को किया गया था.]	1900	0	4400	0
		वर्ष के अंत में	4400	0	4400	0
3.	श्री के. पी. नायर, डीएमडी (डीआईएन-02611496) [31.05.2019 तक]	वर्ष के आरंभ में	320	0	320	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि/कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में	320	0	320	0

क्र. सं.			वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
			शेयरों की संख्या	बैंक के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	बैंक के कुल शेयरों का %
4.	श्री जी. एम. यादवाडकर, डीएमडी (डीआईएन- 01432796) [14.09.2019 तक]	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि/कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में	0	0	0	0
5.	श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी (डीआईएन-02262530) [20-09-2019 से]	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि/कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में	0	0	0	0
6.	श्री सुरेश खटनहार (डीआईएन- 03022106) [15.01.2020 से]	वर्ष के आरंभ में	24200	0	24200	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि/कमी	0	0	0	0
		पृथक्करण की तारीख पर	24200	0	24200	0
7.	श्री सुधीर श्याम (डीआईएन- 08135013)	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि/कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में	0	0	0	0
8.	श्री राजेश कंडवाल (डीआईएन-02509203)	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि/कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में	0	0	0	0
9.	सुश्री मीरा स्वरूप (डीआईएन- 07459492) [20.08.2019 से]	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि/कमी	0	0	0	0
		पृथक्करण की तारीख पर	0	0	0	0
10.	श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, स्वतंत्र निदेशक (डीआईएन- 00603925)	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि/कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में	0	0	0	0
11.	डॉ. आशिमा गोयल, स्वतंत्र निदेशक (डीआईएन- 00233635)	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि/कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में	0	0	0	0
12.	श्री बी.बी. जोशी, स्वतंत्र निदेशक (डीआईएन- 06713850)	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि/कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में	0	0	0	0
13.	श्री समरेश परिदा, स्वतंत्र निदेशक (डीआईएन- 01853823)	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि/कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में	0	0	0	0
14.	श्री एन. जंबुनाथन, स्वतंत्र निदेशक (डीआईएन- 05126421)	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि/कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में	0	0	0	0

क्र. सं.			वर्ष के आरंभ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
			शेयरों की संख्या	बैंक के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	बैंक के कुल शेयरों का %
15.	श्री दीपक सिंघल, स्वतंत्र निदेशक (डीआईएन: 08375146)	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि/कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में	0	0	0	0
16.	श्री संजय कल्लापुर, स्वतंत्र निदेशक (डीआईएन: 08377808)	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि/कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में	0	0	0	0
मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक						
1.	श्री अजय शर्मा, सीएफओ	वर्ष के आरंभ में	120	0	120	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि/कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में	120	0	120	0
2.	श्री पवन अग्रवाल, कंपनी सचिव सदस्यता सं.: एफ7744	वर्ष के आरंभ में	0	0	0	0
		वर्ष के दौरान शेयरधारिता में तारीख वार वृद्धि/कमी	0	0	0	0
		वर्ष के अंत में	0	0	0	0

V. ऋणग्रस्तता

बकाया/ उपचित किंतु भुगतान के लिए देय नहीं ब्याज सहित बैंक की ऋणग्रस्तता

(₹ में)

	जमाराशियों को छोड़कर जमानती ऋण	गैर-जमानती ऋण	जमाराशियाँ	कुल ऋणग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के आरंभ में ऋणग्रस्तता				
i. मूलधन राशि	146109072.29	529619851.00	2273717247.00	2949446170.29
ii. देय किंतु अप्रदत्त ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00
iii. उपचित किंतु देय नहीं ब्याज	47293.68	6061095.30	3174516.00	9282904.98
कुल (i+ii+iii)	**146156365.97**	**535680946.30**	**2276891763.00**	**2958729075.27**
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन		0.00		
- वृद्धि	0.00	39210400.00	0.00	39210400.00
- कमी	2551985.87	71664342.00	50478743.00	124695070.87
निवल परिवर्तन	**(2551985.87)**	**(32453942.00)**	**(50478743.00)**	**(85484670.87)**
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता				
i. मूलधन राशि	116448039.44	444832470.00	2224241252.00	2785521761.44
ii. देय किंतु अप्रदत्त ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00
iii. उपचित किंतु देय नहीं ब्याज	21346.74	4589642.76	2171768.00	6782757.50
कुल (i+ii+iii)	**116469386.18**	**449422112.76**	**2226413020.00**	**2792304518.94**

VI. निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए निदेशकों और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

अ) प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और/ या प्रबंधक को पारिश्रमिक :

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंध निदेशक/ पूर्णकालिक निदेशक का नाम					कुल राशि (₹)
		श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ 01.04.2019 से 31.03.2020	श्री के.पी. नायर, डीएमडी [30.05.2019 तक]	श्री जी.एम. यादवाडकर, डीएमडी [14.09.2019 तक]	श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज, डीएमडी [20.09.2019 से]	श्री सुरेश खटनहार, डीएमडी [15.01.2020 से 31.03.2020]	
1.	सकल वेतन (क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार वेतन	3185976.00	936516.00	1723259.80	1803524.00	559351.00	**8208626.80**
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	560523.00	57821.20	180186.33	3430.00	124318.00	**926278.53**
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ	-	-	-	-	-	**-**
2.	स्टॉक ऑप्शन		-	-	-	-	**-**
3.	स्वेट इक्विटी	-	-	-	-	-	**-**
4.	कमीशन	-	-	-	-	-	**-**
	- लाभ के % के रूप में						
	- अन्य, निर्दिष्ट करें						
5	अन्य, निर्दिष्ट करें [साधारण छुट्टी का नकदीकरण] [एलएफसी]	-	1690050.00	914268.00	-	-	**2604318.00**
	कुल (अ)	**3746499.00**	**2684387.20**	**2817714.13**	**1806954.00**	**683669.00**	**11739223.33**
	अधिनियम के अनुसार उच्चतम सीमा						

आ. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक

	पारिश्रमिक का विवरण			
निदेशक का नाम	**बोर्ड/समिति बैठकों के लिए बैठक शुल्क**	**कमीशन**	**अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें**	**कुल**
स्वतंत्र निदेशक				
श्री ज्ञान पी. जोशी	11,80,000	-	-	11,80,000
डॉ. आशिमा गोयल	9,60,000	-	-	9,60,000
श्री बी.बी. जोशी	13,45,000	-	-	13,45,000
श्री दीपक सिंघल	13,05,000	-	-	13,05,000
श्री एन. जंबुनाथन	13,90,000	-	-	13,90,000
श्री समरेश परिदा	10,95,000	-	-	10,95,000
श्री संजय जी. कल्लापुर	10,75,000	-	-	10,75,000
कुल	**83,50,000**	**-**	**-**	**83,50,000**
अन्य गैर-कार्यपालक निदेशक				
श्री एम. आर. कुमार (एलआईसी के खाते में प्रदत्त)	3,00,000	-	-	3,00,000
श्री राजेश कंडवाल (31 जुलाई 2019 तक एलआईसी के खाते में प्रदत्त)	9,00,000	-	-	9,00,000
श्री सुधीर श्याम				
सुश्री मीरा स्वरूप				
कुल (2)	**12,00,000**	**-**	**-**	**12,00,000**
कुल (1+2)	**95,50,000**	**-**	**-**	**95,50,000**

इ. प्रबंध निदेशक/ प्रबंधक/ पूर्णकालिक निदेशक के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

क्रम सं.	पारिश्रमिक का विवरण	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक		कुल राशि (₹)
		श्री अजय शर्मा, सीएफओ (01.04.2019 से 31.03.2020 तक)	श्री पवन अग्रवाल, सीएस (01.04.2019 से 31.03.2020 तक)	
1.	सकल वेतन			
	(क) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(1) में दिए गए प्रावधानों के अनुसार वेतन	3445550.27	3093170.99	6538721.26
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	504122.59	737540.72	1241663.31
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन के स्थान पर लाभ	-	-	-
2.	स्टॉक ऑप्शन	-	-	-
3.	स्वेद इक्विटी	-	-	-
4.	कमीशन	-	-	-
	- लाभ के % के रूप में - अन्य, निर्दिष्ट करें			
5	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें साधारण छुट्टी का नकदीकरण	-	90930.00	90930.00
	एलएफसी	75000.00	50000.00	125000.00
	कुल	**4024672.86**	**3971641.71**	**7996314.57**

V. जुर्माना/दंड/ अपराध शमन :

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाए गए जुर्माने/ दंड/ शमनीय शुल्क के विवरण	प्राधिकारी [आरडी/एनसीएलटी/ कोर्ट]	की गई अपील, यदि कोई हो
			अ. कंपनी - आईडीबीआई बैंक लिमिटेड		
जुर्माना			शून्य		
दंड			शून्य		
शमन			शून्य		
			आ. निदेशक		
जुर्माना			शून्य		
दंड			शून्य		
शमन			शून्य		
			इ. अन्य चूककर्ता अधिकारी		
जुर्माना			शून्य		
दंड			शून्य		
शमन			शून्य		

अनुबंध-बी

एओसी - 2

(अधिनियम की धारा 134 की उप-धारा (3) के खंड (एच) तथा कंपनी (लेखा) नियमावली, 2014 के नियम 8(2) के अनुसरण में)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 की उप-धारा (1) में उल्लिखित संबंधित पक्षकारों के साथ कंपनी द्वारा तृतीय परंतुक के अंतर्गत किए गए कुछ स्वतंत्र संव्यवहार सहित की गई संविदाओं/ करारों के विवरणों के प्रकटन हेतु फॉर्म

I. स्वतंत्र आधार के न होते हुए की गई संविदाओं अथवा करारों अथवा संव्यवहारों के विवरण

क्र. सं.	संबद्ध पक्षकार का नाम और संबंध का स्वरूप	संविदा/ व्यवस्था/ संव्यवहार का स्वरूप	संविदा/ व्यवस्था/ संव्यवहार की अवधि	संविदा अथवा व्यवस्था अथवा संव्यवहार मूल्य सहित, यदि कोई हो, की प्रमुख शर्तें	इस प्रकार की संविदा अथवा व्यवस्था अथवा संव्यवहार करने का औचित्य	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख	अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो	धारा 188 के प्रथम परंतुक की अपेक्षा अनुसार महासभा में विशेष संकल्प पारित होने की तारीख

शून्य

II. स्वतंत्र आधार पर महत्वपूर्ण संविदाओं अथवा व्यवस्था अथवा संव्यवहारों के विवरण

क्र. सं.	संबद्ध पक्षकार का नाम और संबंध का स्वरूप	संविदा/ व्यवस्था/ संव्यवहार का स्वरूप	संविदा/ व्यवस्था/ संव्यवहार की अवधि	संविदा अथवा करार अथवा संव्यवहार मूल्य सहित, यदि कोई हो, की प्रमुख शर्तें:	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तारीख (खें), यदि कोई हो :	अग्रिम के रूप में प्रदत्त राशि, यदि कोई हो :

शून्य

ह/-
राकेश शर्मा
(डीआईएन -06846594)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
दिनांक: 05 जून 2020

अनुबंध-सी

सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट

1. आरंभ की जानेवाली प्रस्तावित परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों के संक्षिप्त विवरण सहित बैंक की सीएसआर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा तथा सीएसआर नीति एवं परियोजनाओं या कार्यक्रमों के वेब-लिंक का संदर्भ.

बैंक की सीएसआर नीति का उद्देश्य समाज के सुविधा वंचित वर्ग में व्याप्त विभेदों की पहचान कर उनकी बेहतरी के लिए आवश्यकता आधारित योगदान करते हुए उनके लिए मूर्त, दृश्य तथा स्थायी बदलाव लाना है. बैंक यह प्रत्यक्ष दखल तथा विकास के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हुए तथा हिताधिकारियों के साथ भागीदारी निर्मित करते हुए हासिल करना चाहता है.

बैंक की सीएसआर नीति अन्य बातों के साथ-साथ स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, लैंगिक समानता एवं सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण, पर्यावरणीय स्थायित्व, आजीविका के अवसर बढ़ाने और ग्रामीण विकास परियोजनाओं जैसे क्षेत्रों में अपनी सहयोगात्मक दखल करने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है.

बैंक की सीएसआर नीति तथा परियोजनाओं एवं कार्यक्रमों की वेब-लिंक https://www.idbibank.in/pdf/CSR-Policy.pdf है.

2. बोर्ड की सीएसआर समिति की संरचना: बोर्ड के सीएसआर समिति की संरचना निम्न तालिका में दी गई है:

क्रम सं.	निदेशक	पदनाम
1	श्री राकेश शर्मा	एमडी एवं सीईओ - समिति अध्यक्ष
2	श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज	उप प्रबंध निदेशक
3	श्री सुरेश खटनहार	उप प्रबंध निदेशक
4	श्री सुधीर श्याम	सरकारी नामिती निदेशक
5	डॉ. आशिमा गोयल	स्वतंत्र निदेशक

3. पिछले तीन वित्तीय वर्षों में बैंक का औसत निवल लाभ: पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 17, वित्तीय वर्ष 18 और वित्तीय वर्ष 19 में बैंक को ₹ 8,193.62 करोड़ की औसत निवल हानि (सीएसआर हेतु) हुई है.

4. विनिर्दिष्ट सीएसआर व्यय (उपर्युक्त मद सं. 3 की राशि का दो प्रतिशत): शून्य : बैंक को पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 17, वित्तीय वर्ष 18 और वित्तीय वर्ष 19 के लिए ₹ 8,193.62 करोड़ की औसत निवल हानि हुई है. अतः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) के अनुसार सीएसआर व्यय बैंक के लिए अनिवार्य नहीं है.

5. वित्तीय वर्ष के दौरान सीएसआर व्यय का विवरण:

चूंकि बैंक को पिछले तीन वित्तीय वर्षों अर्थात् वित्तीय वर्ष 17, वित्तीय वर्ष 18 और वित्तीय वर्ष 19 के लिए ₹ 8,193.62 करोड़ की औसत निवल हानि हुई है. अतः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135(1) के अनुसार सीएसआर व्यय बैंक के लिए अनिवार्य नहीं है.

(क) वित्तीय वर्ष में व्यय की जाने वाली कुल राशि: शून्य

(ख) व्यय न की गई राशि, यदि कोई हो: शून्य

(ग) वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि के विवरण निम्न तालिका में दिए गए हैं: शून्य

1	2	3	4		5	6		7	8
	अभिनिर्धारित सीएसआर परियोजना अथवा कार्यकलाप	क्षेत्र जिसमें परियोजना शामिल है	परियोजनाएं अथवा कार्यक्रम		व्यय की गयी राशि (बजट) परियोजना अथवा कार्यक्रमवार (₹ में)	परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर व्यय की गई उप-शीर्ष राशि (₹ में)		रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	प्रत्यक्ष अथवा कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से व्यय की गई राशि
			स्थानीय क्षेत्र अथवा अन्य	राज्य व जिला निर्दिष्ट करें जहां परियोजना अथवा कार्यक्रम किए गए		परियोजनाओं अथवा कार्यक्रमों पर प्रत्यक्ष व्यय	उपरिव्यय		
	शून्य								

6. **यदि बैंक विगत तीन वित्तीय वर्षों या उनके किसी भाग के औसत निवल लाभ का 2 प्रतिशत व्यय करने में असफल रहा है तो कंपनी को अपने बोर्ड की रिपोर्ट में राशि व्यय न करने के कारण बताने होंगे.**

कंपनी अधिनियम 2013 में दिये गए विस्तृत दिशानिर्देशों के अनुरूप आईडीबीआई बैंक को वित्तीय वर्ष 19-20 के दौरान सीएसआर के अंतर्गत कोई व्यय करने की आवश्यकता नहीं है.

7. **सीएसआर समिति का दायित्व कथन कि सीएसआर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों एवं नीतियों के अनुपालन में है.**

आईडीबीआई बैंक की सीएसआर समिति घोषणा करती है कि सीएसआर नीति, इसका कार्यान्वयन तथा निगरानी अक्षरशः कंपनी के सीएसआर उद्देश्यों के अनुपालन में है.

ह/-
राकेश शर्मा
(डीआईएन -06846594)
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ
सीएसआर समिति अध्यक्ष
09 जून 2020

फॉर्म सं. एमआर-3
सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 204(1) और कंपनी (कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियमावली, 2014 के नियम सं. 9 के अनुसरण में]

प्रति,
सदस्यगण,
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
CIN: L65190MH2004GOI148838
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड,
मुंबई - 400005.

हमने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (इसमें इसके पश्चात् 'कंपनी' के रूप में निर्दिष्ट) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी कॉरपोरेट प्रथाओं के अनुपालन की सचिवीय लेखापरीक्षा की है. सचिवीय लेखापरीक्षा इस प्रकार संचालित की गई है जिससे हमें कॉरपोरेट आचरणों/सांविधिक अनुपालनों के मूल्यांकन और उन पर अपना अभिमत व्यक्त करने के लिए पर्याप्त आधार प्राप्त हुआ है.

कंपनी की बहियों, कागज़ात, कार्यवृत्त बहियों, दाखिल किए गए फॉर्मों एवं विवरणियों तथा कंपनी द्वारा रखे गए अन्य अभिलेखों और सचिवीय लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान कंपनी, इसके अधिकारियों, एजेंटों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारियों के सत्यापन के आधार पर हम एतदद्वारा रिपोर्ट करते हैं कि हमारी राय में कंपनी ने 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखा-परीक्षा की अवधि के दौरान नीचे सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और साथ ही, कंपनी ने इसमें इसके पश्चात् की गई रिपोर्टिंग की सीमा तक, वर्णित रीति से और उसके अध्यधीन उपयुक्त बोर्ड- प्रक्रियाएँ और अनुपालन-प्रणाली लागू की हैं.

हमने निम्नलिखित प्रावधानों के अनुसार 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा अनुरक्षित बहियों, कागज़ात, कार्यवृत्त बहियों, फाइल किए गए फॉर्मों एवं विवरणियों तथा अन्य अभिलेखों की जांच की है :

i. कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') तथा इसके अधीन बनाए गए नियम;

ii. प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम,1956 ('एससीआरए') तथा इसके अधीन बनाए गए नियम;

iii. निक्षेपागार अधिनियम, 1996 और इसके अधीन तैयार की गई विनियमावली तथा उप-विधियों;

iv. विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, समुद्रपारीय प्रत्यक्ष निवेश तथा बाह्य वाणिज्यिक उधार की सीमा तक इसके अधीन बनाए गए नियम तथा विनियमन - **लागू नहीं क्योंकि समीक्षाधीन वर्ष के दौरान रिपोर्ट की जाने वाली कोई घटना नहीं है;**

v. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ('सेबी अधिनियम') के अधीन विनिर्दिष्ट निम्नलिखित विनियम तथा दिशानिर्देश :-

   क. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011;

   ख. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतरंग व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 2015 ;

   ग. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरणा अपेक्षाएं) विनियम, 2018;

   घ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे) विनियम, 2014 - **लागू नहीं क्योंकि कंपनी ने समीक्षाधीन अवधि के दौरान उक्त विनियम के अंतर्गत निदेशकों / कर्मचारियों को कोई शेयर/ऑप्शन जारी नहीं किया है;**

   ङ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियों का निर्गम और इनकी सूचीबद्धता) विनियम, 2008;

   च. कंपनी अधिनियम तथा ग्राहक के साथ संव्यवहार के बारे में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण अभिकर्ता) विनियम,1993 - **लागू नहीं क्योंकि कंपनी समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान निर्गम के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट के रूप में पंजीकृत नहीं है;**

छ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटी शेयरों की असूचीबद्धता) विनियम, 2009 - **लागू नहीं क्योंकि कंपनी ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान किसी स्टाक एक्सचेंज से अपने इक्विटी शेयरों को असूचीबद्ध नहीं किया है/ असूचीबद्ध करने का प्रस्ताव नहीं किया है; तथा**

ज. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड प्रतिभूतियों को क्रय द्वारा वापस लेना (बाय-बैक) विनियम, 2018 - **लागू नहीं क्योंकि कंपनी ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान अपनी किसी प्रतिभूति की वापसी-खरीद नहीं की है/ वापसी-खरीद का प्रस्ताव नहीं किया है;**

झ. भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015.

vi. प्रबंधन ने कंपनी पर लागू पर निम्नलिखित विधियों की पहचान तथा पुष्टि की है:

1. बैंककार बही साक्ष्य अधिनियम, 1891;
2. परक्राम्य लिखित अधिनियम 1881
3. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) अधिनियम, 1934;
4. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 एवं बैंककारी कंपनी नियम, 1949 (समय-समय पर यथा संशोधित);
5. बैंककारी कंपनी (अभिलेखों के परिरक्षण की अवधि) नियम, 1985;
6. बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993;
7. धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 तथा धन-शोधन निवारण (अभिलेखों का अनुरक्षण आदि) नियम, 2005;
8. वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभूति हित का प्रवर्तन (सरफेसी) अधिनियम, 2002;
9. भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007;
10. दिवाला और शोधन अक्षमता कोड, 2016;
11. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986;
12. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गमन बैंककार) विनियम, 1994
13. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निक्षेपागार और सहभागी) विनियम, 1994
14. विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 के लागू प्रावधान और समय-समय पर जारी नियम, विनियम तथा अधिसूचनाएं;
15. भारतीय रिज़र्व बैंक (संशोधन तथा प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1953;
16. बैंकिंग लोकपाल योजना, 2006

हमने निम्नलिखित के लागू खंडों के अनुपालन की भी जांच की है:

(i) निदेशक मंडल की बैठकों (एसएस-1) और महा सभा (एसएस-2) के संबंध में भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी लागू सचिवीय मानक;

(ii) बीएसई लिमिटेड व नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ किए गए सूचीबद्धता करार.

समीक्षाधीन अवधि के दौरान कंपनी ने उपर्युक्त अधिनियम, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों आदि का अनुपालन किया है :

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

➢ कार्यपालक निदेशकों, गैर-कार्यपालक निदेशकों, स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशक (कों) के समुचित संतुलन के साथ कंपनी के निदेशक मंडल का विधिवत गठन किया गया है. समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में किए गए परिवर्तन अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन में किए गए हैं.

➢ केवल ऐसे प्रकरणों को छोड़कर जिनमें कार्य-सूची और कार्य-सूची पर विस्तृत नोट बैठक से सात दिन से कम समय पहले भेजने के लिए निदेशकों की सहमति प्राप्त हुई थी, सभी निदेशकों को बोर्ड /समिति बैठकों के आयोजन के संबंध में पर्याप्त समय पहले सूचना दी जाती है और कार्य-सूची और कार्य-सूची पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पहले भेजे गए हैं;

➢ बैठकों से पहले कार्य-सूची की मदों पर अन्य जानकारी और स्पष्टीकरण मांगने तथा लेने के लिए और बैठक में सार्थक सहभागिता के लिए व्यवस्था मौजूद है.

- बोर्ड तथा समिति की बैठकों में सभी निर्णय अपेक्षित बहुमत से लिये गए हैं.

  हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी द्वारा स्थापित अनुपालन प्रणाली की समीक्षा और विभिन्न प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी और निदेशक मंडल द्वारा उनकी बैठक (कों) में दर्ज किए गए अनुपालन प्रमाणपत्र(त्रों) के आधार पर हमारा अभिमत है कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी करने और उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के पास प्रणालियाँ और प्रक्रियाएँ हैं और कंपनी के आकार और परिचालन के अनुरूप प्रणालियों और प्रक्रिया को और मजबूत बनाने के लिए प्रयास कर रही है.

- कंपनी ने सूचित किया है कि उसने विभिन्न सांविधिक/ विनियामक प्राधिकरणों से प्राप्त नोटिसों का उचित उत्तर दिया है और जहां आवश्यक पाया गया है वहाँ सुधारात्मक उपायों के लिए कारवाई की गई है.

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान उपर्युक्त कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, मानकों के अनुसरण के कारण निम्न गतिविधियों/ कार्रवाइयों का कंपनी के कार्य पर प्रमुख प्रभाव पड़ाः

- कंपनी नेः

  1. 23 अक्तूबर 2019 को अधिमान्य आधार पर भारत सरकार को 129,57,06,568 इक्विटी शेयर तथा भारतीय जीवन बीमा निगम को 13,48,59,255 इक्विटी शेयर आबंटित किए.
  2. निजी नियोजन आधार पर कुल ₹ 745 करोड़ की ऋण प्रतिभूतियाँ जारी और आबंटित की गईं.
  3. कुल मिलाकर ₹ 3839.79 करोड़ की ऋण प्रतिभूतियों (कॉल विकल्प सहित) का उनकी संबंधित देय तारीखों को मोचन किया गया.
  4. बैंक की प्राधिकृत पूंजी को ₹ 15,000/- करोड़ से बढ़ाकर ₹ 25,000/- करोड़ करने हेतु 22 अक्तूबर 2019 को संस्था के बहिर्नियम तथा अंतर्नियम में परिवर्तन किया गया.
  5. 20 अगस्त 2019 को आयोजित वार्षिक महा सभा में सदस्यों ने एक अथवा अधिक विधियों के जरिए ₹ 11000 करोड़ तक की निधियाँ जुटाने के लिए निदेशक मंडल को प्राधिकृत करने हेतु विशेष संकल्प पारित किए हैं.

  रिपोर्ट हमारे सम दिनांकित पत्र के साथ पढ़ी जाए जो कि **अनुबंध ए** में इस रिपोर्ट के एक अभिन्न अंग के रूप में यहाँ संलग्न की गई है.

कृते **एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कं.**
कंपनी सचिव
आईसीएसआई यूनीक कोड नं. P1991MH040400
पियर रिव्यु सर्टिफिकेट न.606/2019

एस. एन. अनंतसुब्रमणियन
साझेदार
एफसीएसः 4206/सीओपी नं.ः 1774
आईसीएसआई यूडीआईएनः F004206B000295200

दिनांक : 8 जून 2020, ठाणे

अनुबंध-ए

प्रति,
सदस्यगण,
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
CIN: L65190MH2004GOI148838
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड,
मुंबई - 400005.

31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए हमारी सम दिनांकित सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट इस पत्र के साथ पढ़ी जाए.

प्रबंधन की जिम्मेदारी:

1. यह कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है कि वह सचिवीय अभिलेखों का अनुरक्षण करे, लागू सभी विधियों तथा विनियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु उचित प्रणालियां तैयार करें और सुनिश्चित करें कि प्रणालियां पर्याप्त हों और प्रभावी ढंग से परिचालन करें.

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

2. हमारी जिम्मेदारी इन सचिवीय अभिलेखों, सचिवीय अनुपालनों के संबंध में कंपनी द्वारा अनुसरण किए गए मानकों एवं प्रक्रियाओं के बारे में अपनी राय प्रकट करना है.

3. हमारा विश्वास है कि कंपनी प्रबंधन से प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य और जानकारियां हमारी राय के लिए तर्कसंगत आधार प्रदान करने हेतु समुचित एवं पर्याप्त हैं.

4. जहां भी आवश्यक हुआ है, हमने विधियों, नियमों व विनियमों के अनुपालन और घटनाओं के घटित होने के बारे में प्रबंधन से प्रकथन प्राप्त किया है.

डिस्क्लेमर

5. सचिवीय लेखापरीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भावी अर्थक्षमता के बारे में और न ही कंपनी के कामकाज को संचालित करने की प्रबंधन की क्षमता अथवा प्रभावकारिता के बारे में कोई आश्वासन है.

6. हमने कंपनी के वित्तीय अभिलेखों तथा लेखा बहियों की परिशुद्धता तथा उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है.

कृते **एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कं.**
कंपनी सचिव
आईसीएसआई यूनीक कोड नं. P1991MH040400
पियर रिव्यु सर्टिफिकेट न.606/2019

एस. एन. अनंतसुब्रमणियन
साझेदार
एफसीएस: 4206/सीओपी नं.: 1774
आईसीएसआई यूडीआईएन: F004206B000324341

दिनांक : 8 जून 2020, ठाणे

निदेशकों की निरर्हता का प्रमाण पत्र

[भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 34(3) और अनुसूची V पैरा सी खंड (10) (i) के अनुसार]

प्रति
सदस्य,
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड,
सीआईएन:L65190MH2004GOI148838
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स
कफ परेड,
मुंबई - 400005,

हमने निम्नलिखित दस्तावेजों की जांच की है:

i) कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 164 के तहत की गई अपेक्षानुसार गैर-निरर्हता की घोषणा;

ii) अधिनियम की धारा 184 के तहत की गई अपेक्षानुसार सरोकारों अथवा हितों का प्रकटन; (इसके पश्चात् 'संबंधित दस्तावेजों' के रूप में उल्लिखित)

यह दस्तावेज आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (कंपनी) जिसका सीआईएन: L65190MH2004GOI148838 और जिसका पंजीकृत कार्यालय आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400005 में स्थित है, के निदेशकों द्वारा कंपनी के निदेशक बोर्ड ('बोर्ड') को वित्तीय वर्ष 2019-20 और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए को प्रस्तुत किए गए हैं. साथ ही हमने कंपनी द्वारा रखे गए और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 की अनुसूची V अनुछेद सी खंड (10) (i) के साथ पठित विनियम 34(3) के अनुसार प्रमाणपत्र जारी करने के लिए हमें उपलब्ध कराये गए संबंधित रजिस्टरों, अभिलेखों, फॉर्मों और विवरणों की भी जांच की है.हमने विनियामक/सांविधिक प्राधिकारियों द्वारा गैर-विवर्जन को शामिल करने के लिए गैर-निरर्हता पर विचार किया है

यह निदेशकों की जिम्मेदारी है कि वे अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संबंधित दस्तावेज़ संपूर्ण एवं सटीक जानकारी के साथ प्रस्तुत करें.

बोर्ड में प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति/निरंतरता हेतु पात्रता सुनिश्चित करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है. हमारी जिम्मेदारी हमारे सत्यापन के आधार पर अपनी राय व्यक्त करना है.

हमारी उपरोक्त उल्लिखित जांच और उचित एवं आवश्यकता के अनुसार हमारे द्वारा किए गए अन्य सत्यापनों (www.mca.gov.in पोर्टल पर निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) सहित) के आधार पर, हमारी राय और सर्वोत्तम जानकारी और ज्ञान तथा कंपनी, इसके अधिकारियों और प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम एतदद्वारा यह प्रमाणित करते हैं कि वित्तीय वर्ष 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी बोर्ड के निम्नलिखित निदेशकों में से किसी को भी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड/ कॉरपोरेट कार्य मामले मंत्रालय अथवा ऐसे किसी अन्य सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनियों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने या बने रहने से नहीं रोका गया है अथवा अयोग्य घोषित नहीं किया गया है.

क्रम सं.	निदेशक का नाम	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)	नियुक्ति की तारीख	कार्यकाल समाप्ति की तारीख
1	श्री ज्ञान प्रकाश जोशी	00603925	28/08/2015	लागू नहीं
2	श्री पंकज जैन	00675922	02/05/2016	08/08/2019
3	श्री जी. एम. यादवाडकर	01432796	15/09/2016	14/09/2019
4	श्री कृष्ण प्रसाद नायर	02611496	15/09/2016	31/05/2019
5	डॉ आशिमा गोयल	00233635	28/04/2017	लागू नहीं
6	श्री भुवनचन्द्र बालकृष्ण जोशी	06713850	09/10/2017	लागू नहीं
7	श्री समरेश परिदा	01853823	19/05/2018	लागू नहीं
8	श्री जंबुनाथन नारायणन	05126421	19/05/2018	लागू नहीं
9	श्री सुधीर श्याम	08135013	16/05/2018	लागू नहीं
10	श्री राकेश शर्मा	06846594	10/10/2018	लागू नहीं
11	श्री राजेश कंडवाल	02509203	21/01/2019	लागू नहीं

क्र म सं.	निदेशक का नाम	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)	नियुक्ति की तारीख	कार्यकाल समाप्ति की तारीख
12	श्री दीपक सिंघल	08375146	28/02/2019	लागू नहीं
13	श्री संजय गोकुलदास कल्लापुर	08377808	05/03/2019	लागू नहीं
14	श्री एम. आर. कुमार	03628755	13/05/2019	लागू नहीं
15	सुश्री मीरा स्वरूप	07459492	20/08/2019	लागू नहीं
16	श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज	02262530	20/09/2019	लागू नहीं
17	श्री सुरेश खटनहार	03022106	15/01/2020	लागू नहीं

यह प्रमाणपत्र न तो कंपनी के भविष्य की व्यवहार्यता का आश्वासन है और न ही उसकी दक्षता या प्रभावशीलता का जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है.

यह प्रमाणपत्र, कंपनी के अनुरोध पर 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए उनकी कॉरपोरेट अभिशासन रिपोर्ट में प्रकटीकरण हेतु जारी किया गया है.

कृते **एस. एन. अनंतसुब्रमणियन एंड कं.**
कंपनी सचिव
आईसीएसआई यूनीक कोड नं. P1991MH040400
पियर रिव्यु सर्टिफिकेट न.606/2019

एस. एन. अनंतसुब्रमणियन
साझेदार
एफसीएसः 4206/सीओपी नं.: 1774
आईसीएसआई यूडीआईएनः F004206B000295200

दिनांकः 28 मई 2020
स्थानः ठाणे

Auditors' Report On Corporate Governance

K. S. Aiyar & Co.
Chartered Accountants
F-7, Laxmi Mills,
Shakti Mills Lane,
(Off Dr. E Moses Rd),
Mahalaxmi,
Mumbai - 400 011

JLN US & Co.
Chartered Accountants
330/348, 3rd Floor,
Tower A, Atlantis K-10,
Opp. Vadodara Central,
Sarabhai Main Road,
Baroda – 390023

M. P. Chitale & Co.
Chartered Accountants
1st Floor, Hamam House,
Ambalal Doshi Marg,
Fort,
Mumbai – 400 001

To,
The Members of **IDBI Bank Limited**

1. We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by the Bank for the year ended on March 31, 2020, as stipulated in Regulations 17 to 27 and clauses (b) to (i) of Regulation 46 (2) and paragraphs C, D and E of Schedule V to the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended ("SEBI Listing Regulations").

Management's Responsibility

2. The compliance of conditions of the Corporate Governance is the responsibility of the Management. This responsibility also includes the design, implementation and maintenance of internal control and procedures to ensure the compliance with the conditions of the Corporate Governance stipulated in the SEBI Listing Regulations.

Auditor's Responsibility

3. Our responsibility is limited to examining the procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring compliance with the conditions of Corporate Governance. It is neither an audit nor an expression of opinion on the financial statements of the Bank.
4. We have examined the books of account and other relevant records and documents maintained by the Bank for the purposes of providing reasonable assurance on the compliance with Corporate Governance requirements by the Bank.
5. We have carried out an examination of the relevant records of the Bank in accordance with the Guidance Note on Certification of Corporate Governance issued by the Institute of the Chartered Accountants of India ("the ICAI"), the Standards on Auditing specified under Section 143(10) of the Companies Act, 2013, in so far as applicable for the purpose of this certificate and as per the Guidance Note on Reports or Certificates for Special Purposes issued by the ICAI which requires that we comply with the ethical requirements of the Code of Ethics issued by the ICAI.
6. We have complied with the relevant applicable requirements of the Standard on Quality Control (SQC) 1, Quality Control for Firms that Perform Audits and Reviews of Historical Financial Information, and Other Assurance and Related Services Engagements.

Opinion

7. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, we certify that the Bank, has in all material respects, complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in the above mentioned SEBI Listing Regulations for the year ended March 31, 2020.

Other Matters and Restriction on Use

8. We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficiency or effectiveness with which the Management has conducted the affairs of the Bank.
9. This report is addressed to and provided to the members of the Bank solely for the purpose of enabling it to comply with its obligations under the Listing Regulations with reference to compliance with the relevant regulations of Corporate Governance and should not be used by any other person or for any other purpose. Accordingly, we do not accept or assume any liability or any duty of care or for any other purpose or to any other party to whom it is shown or into whose hands it may come without our prior consent in writing. We have no responsibility to update this report for events and circumstances occurring after the date of this report.

For **K. S. Aiyar & Co.**
Chartered Accountants,
Firm Reg. No.100186W

Satish Kelkar
Partner
Membership No. 038934
UDIN: 20038934AAAAAT1486

For JLN US & Co.
Chartered Accountants,
Firm Reg. No. 101543W

Ramaprasanna Agarwal
Partner
Membership No. 119693
UDIN: 20119693AAAAAQ8870

For **M. P. Chitale & Co.**
Chartered Accountants,
Firm Reg. No. 101851W

Ashutosh Pednekar
Partner
Membership No. 041037
UDIN: 20041037AAAABE9057

Place: Mumbai
Date: May 30, 2020

Corporate Governance Report

Brief Statement on Bank's Philosophy on Code of Governance

The Bank is committed to upholding the highest standards of corporate governance in its operations. Its policies and practices are not only in line with the statutory requirement, but also reflect its commitment to operate in the best interest of its stakeholders. The responsibility for maintaining high governance standards lies with the Bank's Board of Directors and various Board Committees, which are empowered to monitor implementation of the best corporate governance practices, including making of necessary disclosures within the framework of legal and regulatory provisions and banking conventions.

In this direction, the Bank is committed to ensure that its Board of Directors continues to be constituted according to the prescribed norms, meets regularly according to the prescribed frequency, provides effective leadership, exercises control over the management, monitors executive performance and makes appropriate disclosures. Besides, the other policy directives of the Bank are to establish a strategic control framework and continuously review its efficacy; set up clearly documented and transparent management processes to develop, implement and review policies, take decisions, monitor, control and report. The Bank provides free access of relevant information and resources to the Board, enabling it to carry out its role effectively.

BOARD OF DIRECTORS

The Bank's Board of Directors is broad-based and its constitution is governed by the provisions of the Banking Regulation Act, 1949, the Companies Act, 2013, the Articles of Association of the Bank and the requirements of corporate governance, as envisaged in the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 [LODR Regulations]. The Board functions directly as well as through various Board Committees constituted to provide focussed governance in the important functional areas of the Bank.

i. Terms of reference

- To make calls on shareholders in respect of money unpaid on their shares;
- To authorise buy-back of securities under Section 68;
- To issue securities, including debentures, whether in or outside India;
- To borrow monies;
- To invest the funds of the Bank;
- To grant loans or give guarantee or provide security in respect of loans;
- To approve financial statements and the Board's report;
- To diversify the business of the Bank;
- To approve amalgamation, merger or reconstruction;
- To take over a company or acquire a controlling or substantial stake in another company;
- To appoint or remove Key Managerial Personnel (KMP);
- To appoint Internal Auditors and Secretarial Auditor;
- To take note of the disclosure of Directors' interest and shareholding;
- To buy, sell investments held by the Bank (other than trade investments), constituting five percent or more of the paid-up share capital and free reserves of the investee company;
- To approve quarterly, half-yearly and annual financial statements or financial results as the case may be;
- To periodically review compliance reports pertaining to all laws applicable to the Bank, prepared by the Bank as well as steps taken by the Bank to rectify instances of non-compliances;
- To lay down a code of conduct for all members of Board of Directors and senior management of the Bank;
- To ensure framing, implementing and monitoring the risk management plan for the Bank;
- To undertake performance evaluation of Independent Directors, all other Directors, Committees of the Board and Board as a whole;
- Reviewing and guiding corporate strategy, major plans of action, risk policy, annual budgets and business plans, setting performance objectives, monitoring implementation and corporate performance, and overseeing major capital expenditures, acquisitions and divestments;
- Monitoring the effectiveness of the Bank's governance practices and making changes as needed;
- Selecting, compensating, monitoring and, when necessary, replacing key managerial personnel and overseeing succession planning;
- Aligning remuneration of key managerial personnel and Directors with the longer term interests of the Bank and its shareholders;

- Ensuring a transparent nomination process to the Board of Directors with the diversity of thought, experience, knowledge, perspective and gender in the Board of Directors;
- Monitoring and managing potential conflicts of interest of management, members of the Board of Directors and shareholders, including misuse of corporate assets and abuse in related party transactions;
- Ensuring the integrity of the Bank's accounting and financial reporting systems, including the independent audit, and that appropriate systems of control are in place, in particular, systems for risk management, financial and operational control, and compliance with the law and relevant standards;
- Overseeing the process of disclosure and communications;
- Monitoring and reviewing the Board of Directors' evaluation framework;
- To provide strategic guidance to the Bank, ensure effective monitoring of the management and with being accountable to the Bank and the shareholders;
- To set a corporate culture and the values by which the Executives throughout the group shall behave;
- To act on a fully informed basis, in good faith, with due diligence and care, and in the best interest of the Bank and the shareholders;
- To encourage continuing directors' training to ensure that the members of Board of Directors are kept up to date;
- To treat all shareholders fairly;
- To maintain high ethical standards and take into account the interests of stakeholders;
- To exercise objective independent judgement on corporate affairs;
- To consider assigning a sufficient number of non-executive members of the Board of Directors capable of exercising independent judgement to tasks where there is a potential for conflict of interest;
- Ability to step back to assist executive management by challenging the assumptions underlying strategy, strategic initiatives (such as acquisitions), risk appetite, exposures and the key areas of the listed entity's focus. To define and disclose the mandate, composition and working procedures of the committees of the Board of Directors;
- To facilitate the independent directors to perform their role effectively as a member of the Board of Directors and also a member of a Committee of Board of Directors; and
- To carry out any other role mandated to it by regulatory/ statutory requirements or Government of India (GoI)/ Reserve Bank of India (RBI) directions notified from time-to-time.

ii. Composition of Board as on March 31, 2020

Name of the Director	Executive/ Non-Executive Director	Independent/ Non-Independent Director
Chairman		
Shri M. R. Kumar	Non-Executive	Non-Independent
Managing Director and Chief Executive Officer		
Shri Rakesh Sharma	Executive	Non-Independent
Deputy Managing Directors		
Shri Samuel Joseph Jebaraj	Executive	Non-Independent
Shri Suresh Khatanhar	Executive	Non-Independent
Nominee Directors		
Ms. Meera Swarup (GoI)	Non-Executive	Non-Independent
Shri Sudhir Shyam (GoI)	Non-Executive	Non-Independent
Shri Rajesh Kandwal (LIC)	Non-Executive	Non-Independent
Independent Directors		
Shri Gyan Prakash Joshi	Non-Executive	Independent
Dr. Ashima Goyal	Non-Executive	Woman Independent
Shri Bhuwanchandra B. Joshi	Non-Executive	Independent
Shri Samaresh Parida	Non-Executive	Independent
Shri N. Jambunathan	Non-Executive	Independent
Shri Deepak Singhal	Non-Executive	Independent
Shri Sanjay G. Kallapur	Non-Executive	Independent

The present strength of 14 (fourteen) Directors on the Board meets the requirement provided under Article 114(a) of the Articles of Association.

In the opinion of the Board, the Independent Directors fulfill the conditions specified in the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and are independent of the management. None of the Directors, including the Independent Directors of the Bank, have resigned during the year 2019-20.

iii. Relationship between Directors inter-se

(i) None of the Directors on the Bank's Board are related in any manner, directly or indirectly, to any other Director.

(ii) None of the Directors of the Bank have attained the age of seventy years as prescribed by RBI as upper age limit for private sector banks.

(iii) Chairperson of the Bank is a Non-Executive Director and he is not related to the MD & CEO of the Bank as per the definition of the term '*relative*' defined under the Companies Act, 2013, in terms of Article 116(1)(i).

iv. Quorum for the Board Meetings

The quorum for Board Meetings shall be one-third of the total strength or three (3) Directors, whichever is higher subject to at least one director being a nominee of the LIC and one Independent Director.

v. Frequency of Board Meetings

Meetings of the Board shall ordinarily be held at least six times in a year and at least once in every quarter and not more than one hundred and twenty days shall intervene between two consecutive Board meetings.

vi. Number of Board Meetings held

During the period under review (April 1, 2019 to March 31, 2020), 14 meetings of the Board of Directors were held on April 16, 2019; May 13, 2019; May 30, 2019; June 28, 2019; August 14, 2019; August 20, 2019; September 19, 2019; September 27, 2019; October 22, 2019; November 8, 2019, December 10, 2019; January 15, 2020, January 23 & 24 (contd.), 2020 and February 11, 2020.

All the meetings were held in Mumbai and details regarding attendance at Board Meetings, attendance at the last Annual General Meeting (AGM), directorships in other companies and memberships of committees, in respect of each Director of the Bank, are given below in **Table 1.**

Table 1: Directors' Attendance at the Board Meetings and AGM, their Directorships and Committee Memberships

Name of the Director	Attendance at the Bank's Board Meetings held in their tenure (Held/Attended)	Attendance at the last AGM held on August 20, 2019	Directorships in other companies (other public companies)	Memberships/ Chairmanships in other Companies [only ACB & SRC]	Names of the other listed entities where the person is a director and the category of directorship
1	2	3	4	5	6
NON-EXECUTIVE CHAIRMAN					
Shri M. R. Kumar (DIN- 03628755) [w.e.f. 13.05.2019]	(12/6)	Present	4	NIL	1. LIC Housing Finance Ltd. - Nominee Director & Chairman
WHOLE-TIME DIRECTORS					
Shri Rakesh Sharma (DIN- 06846594)	(14/14)	Present	3	NIL	NIL
Shri K. P. Nair (DIN- 02611496) [upto 31.05.2019]	(3/3)	NA	1	NIL	NIL
Shri G. M. Yadwadkar (DIN - 01432796) [upto 14.09.2019]	(6/6)	Present	3	NIL	NIL
Shri Samuel Joseph Jebaraj (DIN- 02262530) [w.e.f. 20.09.2019]	(7/7)	NA	3	NIL	NIL

Name of the Director	Attendance at the Bank's Board Meetings held in their tenure (Held/Attended)	Attendance at the last AGM held on August 20, 2019	Directorships in other companies (other public companies)	Memberships/ Chairmanships in other Companies [only ACB & SRC]	Names of the other listed entities where the person is a director and the category of directorship
1	2	3	4	5	6
Shri Suresh Khatanhar (DIN- 03022106) [w.e.f. 15.01.2020]	(2/2)	NA	NIL	NIL	NIL
		NON-EXECUTIVE DIRECTORS			
Shri Rajesh Kandwal (DIN- 02509203)	(14/13)	Present	NIL	NIL	NIL
Shri Sudhir Shyam (DIN- 08135013)	(14/13)	Present	NIL	NIL	NIL
Shri Pankaj Jain (DIN- 00675922) [upto 08.08.2019]	(4/3)	NA	4	NIL	NIL
Ms. Meera Swarup (DIN- 07459492) [w.e.f. 20.08.2019]	(8/6)	NA	2	NIL	NIL
		INDEPENDENT DIRECTORS			
Shri Gyan P. Joshi (DIN- 00603925)	(14/14)	Present	NIL	NIL	NIL
Dr. Ashima Goyal (DIN- 00233635)	(14/13)	Present	2	NIL	1. Edelweiss Financial Services Ltd. - Director
Shri Bhuwanchandra B. Joshi (DIN- 06713850)	(14/14)	Present	NIL	NIL	NIL
Shri Samaresh Parida (DIN- 01853823)	(14/13)	Present	NIL	NIL	NIL
Shri N. Jambunathan (DIN - 05126421)	(14/13)	Present	NIL	NIL	NIL
Shri Deepak Singhal (DIN- 08375146)	(14/14)	Present	1	NIL	NIL
Shri Sanjay G. Kallapur (DIN- 08377808)	(14/13)	Present	NIL	NIL	NIL

None of the Non-Executive Directors of the company hold shares or convertible instruments issued by the Bank.

COMMITTEES OF BOARD

The Board has a total of fourteen Committees namely–

- Audit Committee of the Board
- Risk Management Committee
- Independent Directors' Committee
- Executive Committee
- Frauds Monitoring Committee
- Non-Cooperative Borrowers' Review Committee
- Wilful Defaulters Review Committee
- Stakeholders' Relationship Committee
- Nomination & Remuneration Committee
- Corporate Social Responsibility Committee
- HR Steering Committee
- Recovery Review Committee
- Customer Service Committee
- Information Technology Strategy Committee

A. AUDIT COMMITTEE OF BOARD (ACB)

i. Terms of Reference

- Exposure to sensitive sectors, i.e., (a) Capital market; and (b) Real estate;
- Know Your Customer/ Anti Money Laundering (KYC/ AML) guidelines –
  i. Review of implementation;
  ii. Review of compliance of concurrent audit reports with respect to adherence to KYC/ AML guidelines at branches;
- Review of housekeeping - particularly balancing and reconciliation of long outstanding entries, Suspense/ Sundries/ Drafts payable or paid/ Funds in Transit/ Clearing/ Subsidiary General Ledger (SGL)/ Constituent Subsidiary General Ledger (CSGL) accounts;
- Review of compliance in respect of the Annual Financial Inspection conducted by RBI (ACB should review this on ongoing basis till the Bank furnishes full compliance. ACB should closely monitor persisting deficiencies pointed out in RBI Inspection Reports);
- Review of Audit Plan and status of achievement thereof;
- Review of significant audit findings/ internal control weakness of the following audits along with the compliance thereof - (i) Long Form Audit Report (LFAR), (ii) Concurrent Audit, (iii) Internal Inspection, (iv) Information System Audit of Data Centre and other Departments, (v) Treasury and Derivatives, (vi) Management Audit at controlling offices/ Head Office, (vii) Audit of service branches, (viii) Currency Chest (ix) Foreign Exchange Management Act (FEMA) Audit of branches authorised to deal in foreign exchange, etc;
- Compliance report on directives issued by the ACB/ the Board / RBI;
- Report on compliance of regulatory requirement of regulators in host countries in respect of overseas branches;
- Review of financial results for the quarter including management discussion, analysis of financial condition, management letters/ letters of internal control weaknesses issued by the Statutory Auditors;
- Review of information on violations by various functionaries in the exercise of discretionary powers;
- Information in respect of equity shareholdings in borrower companies more than 30% of their paid-up capital;
- Review of all fraud cases reported during the quarters ending March, June, September and December;
- Review of transactions with related parties and prior approval to related party transactions;
- Review of (a) Risk Based Internal Audit Policy, (b) Concurrent Audit Policy and (c) IS Audit Policy;
- Review of accounting policies/ systems of the Bank with a view to ensuring greater transparency in the Bank's accounts and adequacy of accounting standards; review of any change during the year and their impact. A confirmation that accounting policies are in compliance with accounting standards and RBI guidelines;
- Review of adequacy of the internal audit function, including the structure of the internal audit department, staffing and seniority of the official heading the department, reporting structure, coverage and frequency of internal audit;
- Review of the Bank's Internal Financial Controls;
- Review of the Bank's Risk Management Systems;
- Appointment of statutory auditors, reviewing and monitoring the auditor's independence, performance, effectiveness of audit process both for domestic and overseas operations;
- Review of annual accounts/ financial statements of the Bank and auditor's report thereon before submission to the Board for approval with particular reference to items (a) to (g) as indicated in Point A(4) of Part C of Schedule II of LODR regulations;
- Approval of payment to Statutory Auditors for any other services rendered by the statutory auditors;
- Discussion with Statutory Auditors before commencement of the audit about the nature and scope of audit as well as post-audit discussion to ascertain any area of concern;
- Penalties imposed/ penal action taken against the Bank under various laws and statutes and action taken for corrective measures;
- Review of report on revenue leakage detected by Internal/ External Auditors and status of recovery thereof - reasons for undercharges and steps taken to prevent revenue leakage;
- Report on end-use of funds raised through offer documents and public issue funds (certified by Statutory Auditors) as well as (i) quarterly statement of deviation(s) including report of monitoring agency in terms of Regulations 32(1) and (ii) annual statement of funds utilised for purposes other than those stated in the offer document in terms of Regulation 32(7) of LODR Regulations;

- Review of the reasons for substantial defaults in payment to the depositors, debenture holders, shareholders (in case of non-payment of declared dividends) and creditors;
- Review of financial statements including particular investments made by Unlisted Subsidiaries;
- Review of First Time Non-Performing Assets (FTNPAs);
- Dishonour of cheques amounting to ₹ 1 crore & above;
- Annual review of Concurrent Audit System;
- Approval of Annual Audit Plan;
- Annual review of Outsourced Vendors' Audit;
- Review the functioning of Vigil Mechanism (formerly Whistle Blower Mechanism);
- Approval of appointment of (i) Chief Financial Officer; (ii) Chief Internal Auditor and (iii) Chief Compliance Officer;
- Valuation of undertakings or assets of the listed entity wherever it is necessary.
- RBI circulars having impact on Bank's accounts;
- Specific direction of ACB/ ACB Chairman in earlier meetings along with the compliance status;
- NPA/ recovery-related matters reported in Recovery Review Committee (RRC) for adoption purpose;
- Reviewing the utilisation of loans and/ or advances from/ investment by the holding company in the subsidiary exceeding ₹ 100 crore or 10% of the asset size of the subsidiary, whichever is lower including existing loans/ advances/ investments existing as on the date of coming into force of this provision i.e. as on 01.04.2019; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of ACB

As on March 31, 2020, the ACB comprised six members, out of whom four members are Independent Directors, viz. Shri Samaresh Parida, Independent Director as Chairman, Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD, Shri Rajesh Kandwal, LIC Nominee Director, Shri Gyan Prakash Joshi, Independent Director, Dr. Ashima Goyal, Independent Director and Shri Sanjay G. Kallapur, Independent Director.

iii. Quorum & frequency for ACB Meetings

The quorum for ACB meetings shall be one-third of the total strength or two members of the ACB, whichever is higher, with at least two Independent Directors.

iv. Frequency of ACB Meetings

The ACB shall meet at least four times in a year and not more than one hundred and twenty days shall intervene between two consecutive ACB meetings.

v. Meetings

During the year ended March 31, 2020, 11 meetings of the ACB were held on April 15, 2019; May 30, 2019; June 28, 2019; August 14, 2019; August 19, 2019; September 27, 2019; October 22, 2019; November 8, 2019; December 10, 2019; January 24, 2020 and February 11, 2020.

The attendance of members at the meetings during April 2019 to March 2020 was as follows:

Name	Designation	Qualification	No. of Meetings during tenure	No. of meetings attended
Shri Samaresh Parida	Chairman	CA, ICWA & PGDM	11	10
Shri K. P. Nair, DMD@	Member	B.Com & MBA	2	2
Shri Samuel Joseph Jebaraj*	Member	BE (Hons.) & MBA	6	6
Shri Rajesh Kandwal	Member	M.Sc. (Botany), Associate Member of Indian Institute of Insurance and Diploma in Personnel Management, Certified Corporate Director by Institute of Directors, Delhi	11	10

Name	Designation	Qualification	No. of Meetings during tenure	No. of meetings attended
Shri Gyan P. Joshi	Member	B.Sc. (Hons.), M.Sc. (Physics), MIDP & PGDFM	11	11
Dr. Ashima Goyal	Member	M.A & M. Phil and Ph.D in Economics	11	10
Shri Sanjay G. Kallapur	Member	B.Com, M.M.S, Ph.D in Business Economics and ACMA.	11	10

@ - Ceased w.e.f. 31.05.2019

**- Appointed w.e.f. 20.09.2019*

Shri Suresh Khatanhar, DMD, & Ms. Meera Swarup, Government Nominee Director, are permanent Special Invitees for ACB meetings.

B. EXECUTIVE COMMITTEE (EC)

i. *Terms of Reference*

- Sanction of high value credit proposals with exposure of more than ₹ 250 crore;
- Modification in terms and conditions of sanctions made by the EC;
- Reporting of the minutes of the Credit Committees;
- Sanction of proposals for One Time Settlements (OTS);
- Sanction of proposals with exposure of more than ₹ 25 lakh to:
  - Directors (including the Chairman/ Managing Director) of other banks;
  - Any firm in which any of the directors of other banks is interested as a partner or guarantor; and
  - Any company in which any of the directors of other banks hold substantial interest or is interested as a director or as a guarantor.
- Sanction of proposals with exposure of more than ₹ 25 lakh to:
  - Any relative of the Chairman/ Managing Director or other Directors of the Bank;
  - Any relative of the Chairman/ Managing Directors or other directors of other banks;
  - Any firm in which any of the relatives as mentioned above is interested as a partner or guarantor; and
  - Any company in which any of the relatives as mentioned above holds substantial interest or is interested as a director or as a guarantor.
- Reporting of sanctions of securitisation portfolios;
- Review and reporting of First Time NPAs (FTNPAs);
- Review and reporting of status of security creation in respect of EC approved cases;
- Proposal for conversion of dues and receivables into investment instrument(s);
- Approval for bidding in Initial Public Offerings (IPOs)/ Follow-on Public Offers (FPOs)/ Qualified Institutional Placements (QIPs);
- Investment in Equity/ Preference Shares/ Convertible/ Non-convertible Debentures, Bonds etc. (at par/ premium) in companies/ Security Receipts of Asset Reconstruction Companies (ARCs)/ Venture and Private Equity Funds/ New Fund Offerings (NFOs) of Mutual Funds, etc.; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. *Composition of EC*

As on March 31, 2020, the EC comprised six members, out of whom three members are Independent Directors, viz. Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD, Shri Suresh Khatanhar, DMD, Shri B.B. Joshi, Independent Director, Shri N. Jambunathan, Independent Director and Shri Deepak Singhal, Independent Director.

iii. ***Quorum for EC Meetings***

The quorum for EC meetings shall be one-third of the total strength or two members of EC, whichever is higher.

iv. ***Frequency of EC Meetings***

EC shall meet as per the need with at least four meetings in a year.

v. ***Meetings of EC***

During the year ended March 31, 2020, 25 meetings of EC were held on April 15, 2019; May 2, 2019; May 13, 2019; May 17, 2019; May 29, 2019; June 15, 2019; June 28, 2019; July 16, 2019; August 1, 2019; August 19, 2019; August 30, 2019; September 16, 2019; September 26, 2019; October 14, 2019; October 30, 2019; November 18, 2019; December 9, 2019; December 23, 2019; January 09, 2020; January 23, 2020; February 10, 2020; February 28, 2020; March 16, 2020; March 23, 2020 and March 30, 2020.

The attendance of members at the meetings during April 2019 to March 2020 was as follows:

Name	Designation	Qualification	No. of Meetings during tenure	No. of meetings attended
Shri Rakesh Sharma, MD & CEO	Chairman	Post Graduate in Economics, CAIIB	25	25
Shri K. P. Nair, DMD@	Member	B.Com & MBA	5	5
Shri G. M. Yadwadkar, DMD#	Member	B.E, MMS, Inter ICWA & CAIIB	11	11
Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD*	Member	BE (Hons.), MBA	13	13
Shri Suresh Khatanhar, DMD$	Member	M.Com, CAIIB and ICWA	6	6
Shri B. B. Joshi	Member	B.Com and CAIIB	25	23
Shri N. Jambunathan	Member	PG in statistics, CAIIB, Diploma In Management	25	24
Shri Deepak Singhal	Member	B.A., MBA, CAIIB, PGDRM	25	25

@ - *Ceased w.e.f. 31.05.2019* # - *Ceased w.e.f. 14.09.2019*

* - *Appointed w.e.f. 20.09.2019* $ - *Appointed w.e.f. 15.01.2020*

C. STAKEHOLDERS' RELATIONSHIP COMMITTEE (SRC)

i. ***Terms of Reference***

The SRC has been constituted to look into various aspects of interest of shareholders, bondholders and other security holders including investors' grievances pertaining to share transfers, non-receipt of Annual Report, non-receipt of declared dividend and so on. The SRC functions are as per the terms of reference provided under Section 178 of the Companies Act, 2013 and Regulation 20 read with Part D of Schedule II of the LODR Regulations.

The broader roles and responsibilities of SRC are as under:

- Resolving the grievances of the shareholders, bondholders and other security holders including complaints related to transfer/ transmission of shares, non-receipt of Annual Report, non-receipt of declared dividends, issue of new/ duplicate certificates, general meetings etc.;
- Towards achieving the mandate as given above, the SRC will consider and review the equity servicing as well as bonds servicing reports of the Bank in each of its meetings and give directions, wherever deemed necessary;
- Review of the report on equity servicing;
- Report on servicing of Flexibonds;
- Reporting of reconciliation of Share Capital Audit Report;
- Reporting of details of Investors' complaints submitted to stock exchanges;
- Review of measures taken for effective exercise of voting rights by shareholders;
- Review of adherence to the service standards adopted by the Bank in respect of various services being rendered by the Registrar & Share Transfer Agent;
- Review of the various measures and initiatives taken by the Bank for reducing the quantum of unclaimed dividends and ensuring timely receipt of dividend warrants/ Annual Reports/ statutory notices by the shareholders of the company;
- Reviewing annually the compliance of the provisions of SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of SRC

As on March 31, 2020, the SRC comprised four members, out of whom two are Independent Directors. The Chairperson of the Committee is Dr. Ashima Goyal, Independent Director and the other members are Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD, Shri Suresh Khatanhar, DMD and Shri N. Jambunathan, Independent Director.

Shri Pawan Agrawal, Company Secretary of the Bank also acts as the Compliance Officer of the Bank.

iii. Quorum for SRC Meetings

The quorum for SRC meetings shall be one-third of the total strength or two members of SRC, whichever is higher.

iv. Frequency of SRC Meetings

SRC meetings will be held on quarterly basis.

v. Meetings

During the year ended March 31, 2020, 4 meetings of SRC were held on May 29, 2019; September 27, 2019; November 18, 2019 and March 16, 2020.

The attendance of members at the meetings during April 2019 to March 2020 was as follows:

Name	Designation	Qualification	No. of Meetings during tenure	No. of meetings attended
Dr. Ashima Goyal	Chairperson	M.A & M.Phil and Ph.D in Economics	4	4
Shri K. P. Nair DMD@	Member	B.Com & MBA	1	1
Shri G. M. Yadwadkar, DMD#	Member	BE, MMS, Inter ICWA & CAIIB	1	1
Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD*	Member	BE (Hons.), MBA	3	3
Shri Suresh Khatanhar, DMD$	Member	M.Com, CAIIB and ICWA	1	1
Shri N. Jambunathan	Member	PG in statistics, CAIIB, Diploma In Management	4	4

@ - Ceased w.e.f. 31.05.2019 *# - Ceased w.e.f. 14.09.2019*
** - Appointed w.e.f. 20.09.2019* *$ - Appointed w.e.f. 15.01.2020*

vi. Number of Requests/Complaints

Number of shareholders' complaints received in financial year 2019-20	1,699
Number not solved to the satisfaction of shareholders	Nil
Number of pending complaints	01

D. FRAUDS MONITORING COMMITTEE (FMC)

i. Terms of Reference

The FMC has been constituted as a special committee for monitoring and following up on fraud cases of ₹ 1 crore and above. It has been set up to detect, monitor and address frauds.

The broader roles and responsibilities of FMC are as under:

- Identify the systemic lacunae, if any, that facilitated perpetration of the fraud and put in place measures to plug the same;
- Identify the reasons for delay in detection of fraud, if any, in reporting to top management of the Bank and Reserve Bank of India (RBI);
- Monitor progress of Central Bureau of Investigation (CBI)/ police investigation and recovery position;
- Ensure that staff accountability is examined at all levels in all cases of frauds and action, if required, is completed quickly without loss of time;
- Review the efficacy of the remedial action taken to prevent recurrence of frauds, such as strengthening of internal controls;

- Review the Red Flagged Accounts and the status of remedial action taken/ investigation ordered in the outstanding Red Flagged Accounts;
- To take note of completion of staff accountability exercise in fraud cases and the action taken thereon;
- Status of recovery in fraud cases including recovery from cases being investigated by CBI, police, etc.;
- Review of vigilance activities in the Bank; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of FMC

As on March 31, 2020, the FMC comprised six members, out of whom three members were Independent Directors, viz., Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD, Shri Suresh Khatanhar, DMD, Shri Gyan Prakash Joshi, Independent Director, Shri Deepak Singhal, Independent Director and Shri Sanjay G. Kallapur, Independent Director.

iii. Quorum for FMC Meetings

The quorum for FMC meetings shall be one-third of the total strength or two members of FMC, whichever is higher.

iv. Frequency of FMC Meetings

The FMC is required to meet and review as and when a fraud involving an amount of ₹ 1 crore and above comes to light.

v. Meetings of FMC

During the year ended March 31, 2020, 4 meetings of the FMC were held on April 15, 2019; September 26, 2019; December 9, 2019 and March 16, 2020.

The attendance of members at the meetings during April 2019 to March 2020 was as follows:

Name	Designation	Qualification	No. of Meetings during tenure	No. of meetings attended
Shri Rakesh Sharma, MD & CEO	Chairman	Post Graduate in Economics, CAIIB	4	4
Shri K. P. Nair, DMD[@]	Member	B.Com & MBA	1	1
Shri G. M. Yadwadkar, DMD[#]	Member	BE, MMS, Inter ICWA & CAIIB	1	1
Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD[*]	Member	BE (Hons.), MBA	3	3
Shri Suresh Khatanhar, DMD[$]	Member	M.Com, CAIIB and ICWA	1	1
Shri Gyan P. Joshi	Member	B.Sc. (Hons.), M.Sc. (Physics), MIDP & PGDFM	4	4
Shri Deepak Singhal	Member	B.A., MBA, CAIIB, PGDRM	4	4
Shri Sanjay G. Kallapur	Member	B.Com, M.M.S, Ph.D in Business Economics & ACMA.	4	4

[@] - Ceased w.e.f. 31.05.2019 *[#] - Ceased w.e.f. 14.09.2019*

[*]- Appointed w.e.f. 20.09.2019 *[$] - Appointed w.e.f. 15.01.2020*

E. RISK MANAGEMENT COMMITTEE (RMC)

i. Terms of Reference

The RMC has been constituted to assess various risks associated with the Bank's business, their mitigation, address the issues relating to asset-liability mismatch and also monitor and review the Risk Management Plan of the Bank.

The broader roles and responsibilities of the RMC are as under:

- Evaluating the overall risks faced by the Bank, including liquidity risk;
- The potential interaction of liquidity risk with other risks should also be included in the risks addressed by the RMC;
- Reporting of projections of cash flows and measuring liquidity risk, assumptions used;
- Recommendation of policies, viz., Credit Policy, Recovery Policy, Fund Management Policy, Risk Management Policy, Asset Liability Policy, Operational Risk and Business Continuity Management (OR & BCM) Policy, DIFC

Branch ALM Policy, Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) Policy, Market Risk and Derivative Policy, Country Risk Management Policy & Country Risk Limits, Investment Policy, etc. to the Board;

- Review of progress in implementation of Risk Management System/ ALM & Risk Based Supervision;
- Review of progress report on Operational Risk & Business Continuity Management;
- Review of progress in implementation of Risk Based Internal Audit;
- Review of market risk report of trading portfolio;
- Review of results of stress test;
- Review of activities undertaken in Risk Management Department;
- Migration and default analysis of Internal Ratings;
- Asset Liability Management Review;
- Review of Basel III implementation and other activities undertaken in Risk Management Department;
- Policy on Collateral Management and Customer Relationship Management (CRM) Techniques;
- Reporting of minutes of Systems Product Approval & Review Committee (SPARC) I & II;
- Review of status of preparedness for Basel II and III;
- Policy on counter-party bank limits and allocation of limits for domestic & international banks;
- Credit Exposure – review and compliance of norms;
- To work in co-ordination with Nomination and Remuneration Committee in order to achieve effective alignment between remuneration and risks;
- To monitor cyber security functions in the Bank; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of RMC

As on March 31, 2020, the RMC comprised six members, out of whom two members were Independent Directors, viz., Shri Sanjay G. Kallapur, Independent Director as Chairman, Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD, Shri Suresh Khatanhar, DMD, Shri Sudhir Shyam, Government Nominee Director and Shri B.B Joshi, Independent Director.

iii. Quorum for RMC Meetings

The quorum for the RMC meetings shall be one-third of the total strength or two members of RMC, whichever is higher.

iv. Frequency of RMC Meetings

The RMC meetings will be held on quarterly basis.

v. Meetings of RMC

During the year ended March 31, 2020, 8 meetings of RMC were held on May 13, 2019; June 15, 2019; August 30, 2019; October 14, 2019; December 9, 2019; February 10, 2020; February 28, 2020 and March 16, 2020.

The attendance of members at the meetings during April 2019 to March 2020 was as follows:

Name	Designation	Qualification	No. of Meetings during tenure	No. of meetings attended
Shri Sanjay G. Kallapur	Chairman	B.Com, M.M.S, Ph.D in Business Economics & ACMA.	8	7
Shri Rakesh Sharma, MD & CEO	Member	Post Graduate in Economics, CAIIB	8	8
Shri K. P. Nair, DMD[@]	Member	B.Com & MBA	1	1
Shri G. M. Yadwadkar, DMD[#]	Member	BE, MMS, Inter ICWA & CAIIB	3	3

Name	Designation	Qualification	No. of Meetings during tenure	No. of meetings attended
Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD*	Member	BE (Hons.), MBA	5	5
Shri Suresh Khatanhar, DMD$	Member	M.Com, CAIIB and ICWA	3	3
Shri Sudhir Shyam	Member	M.Phil	8	7
Shri B. B. Joshi	Member	B.Com and CAIIB	8	8

@ - *Ceased w.e.f. 31.05.2019* # - *Ceased w.e.f. 14.09.2019*

*- *Appointed w.e.f. 20.09.2019* $ - *Appointed w.e.f. 15.01.2020*

F. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY COMMITTEE (CSRC)

i. *Terms of Reference*

- To formulate and recommend to the Board, a Corporate Social Responsibility (CSR) Policy which shall indicate the activities to be undertaken by the Bank in areas or subject, specified in Schedule VII of the Companies Act, 2013;
- To recommend the amount of expenditure to be incurred on the activities referred to in above clause;
- To monitor the CSR Policy of the Bank from time-to-time; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. *Composition of CSRC*

As on March 31, 2020, the CSRC comprised five members, out of whom one was an Independent Director, viz., Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD, Shri Suresh Khatanhar, DMD, Shri Sudhir Shyam, Government Nominee Director and Dr. Ashima Goyal, Independent Director.

iii. *Quorum for CSRC Meetings*

The quorum for CSRC meetings shall be one-third of the total strength or two members of CSRC, whichever is higher.

iv. *Frequency of CSRC Meetings*

CSRC meetings will be held on half-yearly basis.

v. *Meetings of CSRC*

During the year ended March 31, 2020, 2 meetings of the CSRC were held on April 15, 2019 and October 14, 2019.

The attendance of members at the meetings during April 2019 to March 2020 was as follows:

Name	Designation	Qualification	No. of Meetings during tenure	No. of meetings attended
Shri Rakesh Sharma, MD & CEO	Chairman	Post Graduate in Economics, CAIIB	2	2
Shri K. P. Nair, DMD@	Member	B.Com & MBA	1	1
Shri G. M. Yadwadkar, DMD#	Member	BE, MMS, Inter ICWA & CAIIB	1	1
Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD*	Member	BE (Hons.), MBA	1	1
Shri Suresh Khatanhar, DMD$	Member	M.Com, CAIIB and ICWA	0	0
Shri Sudhir Shyam	Member	M.Phil	2	2
Dr. Ashima Goyal	Member	M.A & M.Phil and Ph.D in Economics	2	1

@ - *Ceased w.e.f. 31.05.2019* # - *Ceased w.e.f. 14.09.2019*

* - *Appointed w.e.f. 20.09.2019* $ - *Appointed w.e.f. 15.02.2020*

G. CUSTOMER SERVICE COMMITTEE (CSC)

i. *Terms of Reference*

The CSC has been constituted to formulate policies and assess the compliance thereof internally with a view to strengthening the governance structure for customer protection and service in the banking system and also to bring about on-going improvements in the quality of customer service provided by the Bank.

The broader roles and responsibilities of the CSC are as under:

- To look into the customer grievances and effectively service customers in the retail banking segment;
- Formulation of a Comprehensive Deposit Policy;
- Issues such as the treatment of death of a depositor for operations of his/ her account;
- Product approval process with a view to suitability and appropriateness;
- Annual survey of depositor satisfaction;
- Triennial audit of such services;
- To play a more pro-active role with regard to complaints/ grievances resolved by Banking Ombudsman of various states;
- To take note of all the awards given by the Banking Ombudsman;
- To review all the awards remaining unimplemented for more than three months with the reasons therefor;
- Review of measures taken for Customer Protection & Service in the Bank;
- Banking Codes and Standards Board of India (BCSBI) Code Compliance Rating;
- Revision of Grievance Redressal Policy;
- To examine any other issues having a bearing on the quality of customer service rendered;
- To review the activities of Internal Ombudsman; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. *Composition of CSC*

As on March 31, 2020, the CSC comprised six members, out of whom two were Independent Directors, viz., Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD, Shri Suresh Khatanhar, DMD, Ms. Meera Swarup, Government Nominee Director, Shri Gyan Prakash Joshi, Independent Director and Shri Sanjay G. Kallapur, Independent Director.

iii. *Quorum for CSC Meetings*

The quorum for CSC meetings shall be one-third of the total strength or two members of CSC, whichever is higher.

iv. *Frequency of CSC Meetings*

The CSC meetings will be held on quarterly basis.

v. *Meetings of CSC*

During the year ended March 31, 2020, 4 meetings of the CSC were held on June 28, 2019; August 19, 2019; December 10, 2019 and March 30, 2020.

The attendance of members at the meetings during April 2019 to March 2020 was as follows:

Name	Committee Designation	Qualification	No. of Meetings during tenure	No. of meetings attended
Shri Rakesh Sharma, MD & CEO	Chairman	Post Graduate in Economics, CAIIB	4	4
Shri G. M. Yadwadkar, DMD#	Member	BE, MMS, Inter ICWA & CAIIB	2	2
Shri Pankaj Jain^	Member	B.Com MBA, AICWA	1	0
Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD*	Member	BE (Hons.), MBA	2	2
Shri Suresh Khatanhar, DMD$	Member	M.Com, CAIIB and ICWA	1	1

Name	Committee Designation	Qualification	No. of Meetings during tenure	No. of meetings attended
Ms. Meera Swarup	Member	MA (Political Science)	2	1
Shri Gyan P. Joshi	Member	B.Sc. (Hons.), M.Sc. (Physics), MIDP & PGDFM	4	4
Shri Sanjay G. Kallapur	Member	B.Com, M.M.S, Ph.D in Business Economics and ACMA.	4	4

^ - Ceased w.e.f. 08.08.2019 *# - Ceased w.e.f. 14.09.2019*

** - Appointed w.e.f. 20.09.2019* *$ - Appointed w.e.f. 15.01.2020*

H. INFORMATION TECHNOLOGY STRATEGY COMMITTEE (ITSC)

i. Terms of Reference

The ITSC has been constituted to put in place an effective technology platform for the Bank. The objectives are to render various IT-enabled services to customers, to help in streamlining the approach, to assist in launching new IT products and to provide related services and to monitor the implementation of Cyber Security Management Plans and monitor Cyber Security Policies.

The broader roles and responsibilities of the ITSC are as under:

- Recommendation of proposed IT budget to the Board;
- Review of IT budget utilisation;
- To review launch of various products and IT-enabled services to the Bank's customers;
- To review development, procurement and operations of various software/ hardware either in-house or purchased from outside and to formulate procedures for inviting tenders or other process for selection of technology;
- Overseeing the execution, implementation and operations of systems and procedures;
- To oversee integration of branches through technology and development of MIS for the Bank;
- To review update of technology architecture and major IT initiatives undertaken;
- Review of information security incidents;
- Review of performance of Digital Banking and Emerging Payments;
- Review of Information Security Policy;
- Review of IT Policy;
- Assessing cyber security preparedness;
- Monitoring the implementation of Cyber Security Management Plans;
- Monitoring Cyber Security Policies; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of ITSC

As on March 31, 2020, the ITSC comprised seven members, out of whom three members are Independent Directors, viz., Shri N. Jambunathan, Independent Director as Chairman, Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD, Shri Suresh Khatanhar, DMD, Shri Sudhir Shyam, Government Nominee Director, Shri Gyan Prakash Joshi, Independent Director and Shri Samaresh Parida, Independent Director.

iii. Quorum for ITSC Meetings

The quorum for ITSC meetings shall be one-third of the total strength or two members of ITSC, whichever is higher.

iv. Frequency of ITSC Meetings

The ITSC meetings will be held on quarterly basis.

v. ***Meetings of ITSC***

During the year ended March 31, 2020, 6 meetings of ITSC were held on May 29, 2019; July 16, 2019; September 16, 2019; November 18, 2019; December 23, 2019 and February 10, 2020.

The attendance of members at the meetings during April 2019 to March 2020 was as follows:

Name	Committee Designation	Qualification	No. of Meetings during tenure	No. of meetings attended
Shri N. Jambunathan	Chairman	PG in statistics, CAIIB, Diploma In Management	6	6
Shri Rakesh Sharma, MD & CEO	Member	Post Graduate in Economics, CAIIB	6	6
Shri K. P. Nair, DMD@	Member	B.Com & MBA	1	1
Shri G. M. Yadwadkar, DMD#	Member	BE, MMS, Inter ICWA & CAIIB	2	2
Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD*	Member	BE (Hons.), MBA	3	3
Shri Suresh Khatanhar, DMD$	Member	M.Com, CAIIB and ICWA	1	1
Shri Sudhir Shyam	Member	M.Phil	6	3
Shri Gyan P. Joshi	Member	B.Sc. (Hons.), M.Sc. (Physics), MIDP & PGDFM	6	6
Shri Samaresh Parida	Member	CA, ICWA & PGDM	6	6

@ - *Ceased w.e.f. 31.05.2019* # - *Ceased w.e.f. 14.09.2019*

*- *Appointed w.e.f. 20.09.2019* $ - *Appointed w.e.f. 15.01.2020*

I. NOMINATION & REMUNERATION COMMITTEE (NRC)

i. ***Terms of Reference***

The broader roles and responsibilities of the NRC are as under:

- Formulation of the criteria for determining qualifications, positive attributes and independence of a director and recommend to the Board of Directors a policy relating to appointment and evaluation of Directors;
- To specify the manner for effective evaluation of performance of the Board, its Committees and individual directors to be carried out either by the Board, by the NRC or by an independent external agency and review its implementation and compliance;
- Formulation of criteria for evaluation of performance of Independent Directors and the Board of Directors;
- Devising a policy on diversity of Board of Directors;
- To identify persons who are qualified for appointment as Independent Directors in accordance with Directors' Appointment and Evaluation Policy;
- To recommend to the Board the appointment and removal of Directors in accordance with the criteria laid down in the Directors' Appointment and Evaluation Policy;
- To undertake a process of due diligence to determine the suitability of any person for appointment / continuing to hold appointment as a Director on the Board, based upon qualification, expertise, track record, integrity, *'fit and proper'* criteria, positive attributes and independence (if applicable) and on the basis of the report of performance evaluation of Directors including Independent Directors and formulate the criteria relating thereto;
- Formulation of Remuneration Policy for Directors, KMPs, etc;
- Recommend to the Board, all remuneration, in whatever form, payable to the senior management;
- To work in co-ordination with Risk Management Committee in order to achieve effective alignment between remuneration and risks; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. ***Composition of NRC***

As on March 31, 2020, the NRC comprised five members, all of whom are Non-Executive Directors, including 3 Independent Directors, viz., Shri Gyan Prakash Joshi, Independent Director as Chairman, Ms. Meera Swarup, Government Nominee Director, Shri Rajesh Kandwal, LIC Nominee Director, Shri B. B. Joshi, Independent Director and Shri N. Jambunathan, Independent Director.

iii. Quorum for NRC Meetings

The quorum for NRC meetings shall be three members.

iv. Frequency of NRC Meetings

The NRC shall meet at least once in a year.

v. Meetings of NRC

During the year ended March 31, 2020, 3 meetings of the NRC were held on May 13, 2019; August 20, 2019 and March 16, 2020.

The attendance of members at the meetings was as follows:

Name	Committee Designation	Qualification	No. of Meetings during tenure	No. of meetings attended
Shri Gyan P. Joshi	Chairman	B.Sc. (Hons.), M.Sc. (Physics), MIDP & PGDFM	3	3
Shri Rajesh Kandwal	Member	M.Sc. (Botany), Associate Member of Indian Institute of Insurance and Diploma in Personnel Management, Certified Corporate Director by Institute of Directors, Delhi	3	3
Shri Pankaj Jain^	Member	B.Com MBA, AICWA	1	1
Ms. Meera Swarup+	Member	MA (Political Science)	1	0
Shri N. Jambunathan	Member	PG in statistics, CAIIB, Diploma In Management	3	3
Shri B. B. Joshi	Member	B.Com and CAIIB	3	3

^ - Ceased w.e.f. 08.08.2019 *+ - Appointed w.e.f. 20.08.2019*

vi. Performance Evaluation criteria for Independent Directors

The performance evaluation of all Directors, including Independent Directors, is done on the basis of the questionnaire prepared which covers the corporate governance parameters such as board attendance, participation during the meeting, level of Directors' contribution, quality of knowledge and familiarity with the subject, level of transparency, etc. The questionnaire is circulated in advance to the Directors to consider and form their opinion about the evaluations. The performance evaluation of independent directors is being done by the entire Board of Directors, excluding the director being evaluated. The evaluation includes performance of the Directors on above parameters and fulfillment of independence criteria. Further on the basis of results of evaluation, extension of term of Independent Director is decided.

J. HR STEERING COMMITTEE (HRSC)

i. Terms of Reference

The HRSC has been constituted to deal with the matters relating to human resources and to discuss critical issues in HR.

The broader roles and responsibilities of HRSC are as under:

- Making policies pertaining to recruitment and training;
- Review of performance management, compensation and career development initiatives;
- Consider management development and succession planning; and
- Alignment of the HR strategy to the business strategy and plan;
- To consider and approve various other HR matters including appointment of personnel, manpower assessment, promotions, etc.; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of HRSC

As on March 31, 2020, the HRSC comprised seven members, out of whom two members are Independent Directors, viz., Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD, Shri Suresh Khatanhar, DMD, Ms. Meera Swarup, Government Nominee Director, Shri Rajesh Kandwal, LIC Nominee Director, Shri Samaresh Parida, Independent Director and Shri Deepak Singhal, Independent Director.

iii. Quorum for HRSC Meetings

The quorum for HRSC meetings shall be one-third of the total strength or two members of HRSC, whichever is higher.

iv. Frequency of HRSC Meetings

The HRSC shall meet as per the need.

v. Meetings of HRSC

During the year ended March 31, 2020, 6 meetings of HRSC were held on April 16, 2019; September 27, 2019; October 22, 2019; November 8, 2019; December 10, 2019 and January 23, 2020.

The attendance of members at the meetings during April 2019 to March 2020 was as follows:

Name	Designation	Qualification	No. of Meetings during tenure	No. of meetings attended
Shri Rakesh Sharma, MD & CEO	Chairman	Post Graduate in Economics, CAIIB	6	6
Shri K. P. Nair, DMD@	Member	B.Com & MBA	1	1
Shri G. M. Yadwadkar, DMD#	Member	BE, MMS, Inter ICWA & CAIIB	1	1
Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD*	Member	BE (Hons.), MBA	5	5
Shri Suresh Khatanhar, DMD$	Member	M.Com, CAIIB and ICWA	1	1
Shri Pankaj Jain^	Member	B.Com MBA, AICWA	1	1
Ms. Meera Swarup+	Member	MA (Political Science)	5	4
Shri Rajesh Kandwal	Member	M.Sc. (Botany), Associate Member of Indian Institute of Insurance and Diploma in Personnel Management, Certified Corporate Director by Institute of Directors, Delhi	6	6
Shri Samaresh Parida	Member	CA, ICWA & PGDM	6	5
Shri Deepak Singhal	Member	B.A., MBA, CAIIB, PGDRM	6	6

@ - Ceased w.e.f. 31.05.2019   *# - Ceased w.e.f. 14.09.2019*   *^ - Ceased w.e.f. 08.08.2019*

+ - Appointed w.e.f. 20.08.2019   **- Appointed w.e.f. 20.09.2019*   *$ - Appointed w.e.f. 15.01.2020*

K. RECOVERY REVIEW COMMITTEE (RRC)

i. Terms of Reference

According to the Government of India directives/ the Board's recommendation, the RRC has been constituted for reviewing recovery from NPAs, stressed accounts, written-off cases, Official Liquidator (OL) cases, Debt Recovery Tribunal (DRT) cases, etc. and to monitor the progress of recovery and so on.

The broader roles and responsibilities of the RRC are as under:

- Review of recovery performance of Non-performing Assets (NPAs)/ written-off accounts;
- Review of stressed Structured Retail Assets (SRA) and Quick Mortality assets cases;
- Review of top 100 NPAs of the Bank;
- Review of stressed accounts of the corporate verticals;
- Status report on Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Securities Interest (SARFAESI) Act, 2002;

- Review of Special Mention Accounts (SMA);
- Review of suit filed cases;
- Review of First time NPAs (FTNPAs)/ Wilful Defaulters;
- Quarterly Review of NPAs; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of RRC

As on March 31, 2020, the RRC comprised six members, out of whom two members are Independent Directors, viz., Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD, Shri Suresh Khatanhar, DMD, Ms. Meera Swarup, Government Nominee Director, Dr. Ashima Goyal, Independent Director and Shri Samaresh Parida, Independent Director.

iii. Quorum for RRC Meetings

The quorum for the RRC meetings shall be one-third of the total strength or two members of RRC, whichever is higher.

iv. Frequency of RRC Meetings

The RRC shall meet as per the need with at least four meetings in a year.

v. Meetings of RRC

As on March 31, 2020, 4 meetings of the RRC were held on May 29, 2019; August 1, 2019; October 22, 2019 and February 28, 2020.

The attendance of members at the meetings was as follows:

Name	Designation	Committee Qualification	No. of Meetings during tenure	No. of meetings attended
Shri Rakesh Sharma, MD & CEO	Chairman	Post Graduate in Economics, CAIIB	4	4
Shri K. P. Nair, DMD[@]	Member	B.Com & MBA	1	1
Shri G. M. Yadwadkar, DMD[#]	Member	BE, MMS, Inter ICWA & CAIIB	2	2
Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD*	Member	BE (Hons.), MBA	2	2
Shri Suresh Khatanhar, DMD[$]	Member	M.Com, CAIIB and ICWA	1	1
Shri Pankaj Jain[^]	Member	B.Com MBA, AICWA	2	1
Ms. Meera Swarup[+]	Member	MA (Political Science)	2	1
Dr. Ashima Goyal	Member	M.A & M.Phil and Ph.D in Economics	4	4
Shri Samaresh Parida	Member	CA, ICWA & PGDM	4	3

[@] - Ceased w.e.f. 31.05.2019 *[#] - Ceased w.e.f. 14.09.2019* *[^] - Ceased w.e.f. 08.08.2019*

[+] - Appointed w.e.f. 20.08.2019 ** - Appointed w.e.f. 20.09.2019* *[$] - Appointed w.e.f. 15.01.2020*

L. INDEPENDENT DIRECTORS' COMMITTEE (IDC)

i. Terms of Reference

The IDC has been constituted in terms of Schedule IV of the Companies Act, 2013 and Regulation 25 of the LODR Regulations.

The broader roles and responsibilities of the IDC are as under:

- Review the performance of Non-Independent Directors and the Board as a whole;
- Review the performance of the Chairperson of the Bank, taking into account the views of Executive Directors and Non-Executive Directors;
- Assess the quality, quantity and timeliness of flow of information between the Bank's management and the Board which is necessary for the Board to effectively and reasonably perform their duties; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. Composition of IDC

As on March 31, 2020, the IDC comprised seven members, viz. Shri Gyan Prakash Joshi, Dr. Ashima Goyal, Shri Bhuwanchandra B. Joshi, Shri Samaresh Parida, Shri N. Jambunathan, Shri Deepak Singhal and Shri Sanjay G. Kallapur, Independent Directors.

iii. Quorum for IDC Meetings

The quorum for IDC meetings shall be one-third of the total strength or two members of IDC, whichever is higher. However, as per Schedule IV of the Companies Act, 2013, all independent directors shall strive to be present in IDC meetings.

iv. Frequency of IDC Meetings

IDC meetings will be held at least once in a year.

v. Meetings of IDC

As on March 31, 2020, 2 meetings of the IDC were held on April 15, 2019 and August 19, 2019.

The IDC Members elect one of themselves as Chairman in every meeting.

The attendance of members at the meetings during April 2019 to March 2020 was as follows:

Name	Committee Designation	Qualification	No. of Meetings during tenure	No. of meetings attended
Shri G. P. Joshi	Member	B.Sc. (Hons.), M.Sc. (Physics), MIDP & PGDFM	2	2
Dr. Ashima Goyal	Member	M.A &M. Phil and Ph.D in Economics	2	2
Shri B. B. Joshi	Member	B.Com and CAIIB	2	2
Shri Samaresh Parida	Member	CA, ICWA & PGDM	2	1
Shri N. Jambunathan	Member	PG in statistics, CAIIB, Diploma In Management	2	2
Shri Deepak Singhal	Member	B.A., MBA, CAIIB, PGDRM	2	2
Shri Sanjay G. Kallapur	Member	B.Com, M.M.S, Ph.D in Business Economics and ACMA.	2	2

M. NON-COOPERATIVE BORROWERS' REVIEW COMMITTEE (NCBRC)

i. Terms of Reference

The broader roles and responsibilities of NCBRC are:

- To review the internal Non-Cooperative Borrowers' Committee's orders/ decisions of classifying a borrower as non-cooperative borrower; and
- To carry out any other role mandated to it by regulatory/ statutory requirements or Government of India (GoI)/ Reserve Bank of India (RBI) directives notified from time-to-time.

ii. Composition of NCBRC

The NCBRC was constituted comprising MD & CEO and two Independent Directors. As on March 31, 2020, the NCBRC comprised Shri Rakesh Sharma, MD & CEO as Chairman, Shri Bhuwanchandra B. Joshi and Shri Deepak Singhal, Independent Directors as members.

iii. Quorum for NCBRC Meetings

The presence of all members shall form the quorum for NCBRC meetings.

iv. Frequency of NCBRC Meetings

The NCBRC is required to meet and review as and when the decision to classify a borrower as *'Non-Cooperative Borrower'* is taken by internal Non-Cooperative Borrower Committee of the Bank.

v. ***Meetings of NCBRC***

As on March 31, 2020, no meeting of NCBRC was required to be held.

N. WILFUL DEFAULTERS REVIEW COMMITTEE (WDRC)

i. ***Terms of Reference***

The broader roles and responsibilities of WDRC are:

- To review the internal Wilful Defaulters Committee's orders/ decisions of classifying a borrower as wilful defaulter; and
- To carry out any other role as may be mandated to it under regulatory/ statutory guidelines from time-to-time.

ii. ***Composition of WDRC***

The WDRC was constituted consisting of MD & CEO and two Independent Directors. As on March 31, 2020, the WDRC comprised Shri Rakesh Sharma, MD & CEO as Chairman, Shri N. Jambunathan and Shri Bhuwanchandra B. Joshi, Independent Directors as members.

iii. ***Quorum for WDRC Meetings***

The presence of all members shall form the quorum for WDRC meetings.

iv. ***Frequency of WDRC Meetings***

The WDRC is required to meet and review as and when the decision to classify a borrower as *'Wilful Defaulter'* is taken by internal Wilful Defaulters Committee of the Bank.

v. ***Meetings of WDRC***

As on March 31, 2020, 3 meetings of the WDRC were held on September 26, 2019; November 18, 2019 and March 16, 2020.

The attendance of members at the meetings during April 2019 to March 2020 was as follows:

Name	Committee Designation	Qualification	No. of Meetings during tenure	No. of meetings attended
Shri Rakesh Sharma, MD & CEO	Chairman	Post Graduate in Economics, CAIIB	3	3
Shri B. B. Joshi	Member	B.Com and CAIIB	3	3
Shri N. Jambunathan	Member	PG in statistics, CAIIB, Diploma In Management	3	3

MATRIX SETTING OUT SKILLS/ EXPERTISE/ COMPETENCE OF THE BOARD OF DIRECTORS AND NAME OF THE DIRECTORS WHO POSSESS SUCH SKILL IS MENTIONED IN THE TABLE BELOW:

	Accountancy	Agriculture & Rural Economy	Banking	Co-operation	Economics	Finance	Law	Small-scale industry	HR	Risk	IT	Payment & Settlement	Business Management	Administration	Corporate governance
Shri M. R. Kumar									√						
Shri Rakesh Sharma	√	√	√		√			√	√				√	√	√
Shri Samuel Joseph Jebaraj	√		√			√			√		√		√		
Shri Suresh Khatanhar	√	√	√			√		√		√			√	√	√
Ms. Meera Swarup	√					√								√	
Shri Sudhir Shyam		√	√		√				√					√	
Shri Rajesh Kandwal	√					√			√	√			√	√	√
Shri G. P. Joshi		√				√		√		√				√	√
Dr. Ashima Goyal		√	√	√	√	√	√			√	√	√			
Shri B. B. Joshi		√	√			√		√							
Shri Samaresh Parida	√	√				√					√		√		
Shri N. Jambunathan		√	√					√			√	√		√	√
Shri Deepak Singhal		√	√						√				√	√	
Shri Sanjay Kallapur	√				√	√				√				√	

EXTRACT OF ANNUAL RETURN

The extract of Annual Return in **Form No. MGT 9** is annexed herewith as **Annexure-A** to the report. The extract of Annual Return is also hosted on the website of the Bank at https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp

STATEMENT ON DECLARATION GIVEN BY INDEPENDENT DIRECTORS

In terms of Section 149(7) of the Companies Act, 2013, Shri Gyan Prakash Joshi, Dr. Ashima Goyal, Shri Bhuwanchandra B. Joshi, Shri Samaresh Parida, Shri N. Jambunathan, Shri Deepak Singhal and Shri Sanjay Kallapur, Independent Directors of the Bank have given declaration on April 01, 2020, that they meet the criteria of Independence as provided under Section 149(6) of the Companies Act, 2013 and Clause (b) of Sub-regulation (1) of Regulation 16, 17(10) of LODR Regulations and Section 10A of the Banking Regulation Act, 1949 and that they are not aware of any circumstance or situation, which exist or may be reasonably anticipated, that could impair or impact their ability to discharge their duties with an objective independent judgment and without any external influence. The Directors along with the annual disclosures also provided a confirmation stating that they have complied with the provisions of Sub-rule 1 and 2 of Rule 6 of the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Fifth Amendment Rules, 2019.The same was noted by the Board of Directors on May 18, 2020 and after undertaking due assessment of the veracity of the same, the Board was of the opinion that the Independent Directors fulfill the conditions specified in these regulations and are independent of the management.

COMPANY'S POLICY ON DIRECTORS' APPOINTMENT AND REMUNERATION

The Bank's Policy on Directors' Appointment and remuneration is available on its website (www.idbibank.in) under the link https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp

COMPANY'S DIVIDEND DISTRIBUTION POLICY

The Bank's Policy on Dividend Distribution is available on its website (www.idbibank.in) under the link https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp.

COMPLIANCE WITH SECRETARIAL STANDARDS

The Bank has adopted the Secretarial Standards, namely, SS-1 (Secretarial Standard on Board Meetings) and SS-2 (Secretarial Standards on General Meetings) issued by the Institute of Company Secretaries of India (ICSI) and notified under the Companies Act, 2013. The Bank has conducted its Board, Committee and General Meetings in accordance with these standards and is in compliance with the same.

INTERNAL AUDITOR:

The Bank has an in-house Internal Audit department which carries out the Internal Audit functions. Shri M. V. Phadke, Executive Director, IDBI Bank Ltd. has been designated as Chief Audit Officer in terms of Section 138 of the Companies Act, 2013.

DISCLOSURE ON CORPORATE INSOLVENCY RESOLUTION PROCESS INITIATED UNDER THE INSOLVENCY AND BANKRUPTCY CODE, 2016 (IBC)

The provisions are not applicable for banking companies.

BOARD'S COMMENTS ON EVERY QUALIFICATION, RESERVATION OR ADVERSE REMARK OR DISCLAIMER MADE BY THE AUDITORS OR SECRETARIAL AUDITORS IN THEIR REPORT AND STATEMENT ON IMPACT OF AUDIT QUALIFICATIONS AS STIPULATED IN REGULATION 33(3)(D) OF SEBI (LODR) REGULATIONS, 2015

There are no qualifications, reservation or adverse remarks or disclaimers either in the Statutory Auditors' Report or in the Secretarial Auditors' Report which require Board's comments thereon in terms of Section 134(3)(f) of the Companies Act, 2013. Further, pursuant to Section 143(12) of the Companies Act, 2013, the Statutory Auditors of the Bank have not reported any instances of frauds committed in the Bank by its officers or employees.

PARTICULARS OF LOANS, GUARANTEES OR INVESTMENTS UNDER SECTION 186 OF THE COMPANIES ACT, 2013

The provisions of Section 186 of the Companies Act, 2013, except sub-section (1), do not apply to a loan made, guarantee given or security provided by a banking company in the ordinary course of business. The particulars of investments made by the Bank are disclosed in Schedule 8 of the financial statements as per the applicable provisions of Banking Regulation Act, 1949.

PARTICULARS OF CONTRACTS OR ARRANGEMENTS WITH RELATED PARTIES ON THE PRESCRIBED FORM

In terms of Section 134(3)(h) of the Companies Act, 2013 read with Rule 8 of the Companies (Accounts) Rules, 2014, the particulars of contracts or arrangements, if any, with Related Parties are in the prescribed Form AOC -2 which is annexed to the report as **Annexure-B.**

REPORT ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILTY

The CSR Policy framework of the Bank is available on https://www.idbibank.in/corporate-social-responsibility.asp. The Annual Report on CSR activities undertaken by the Bank is annexed to the Report as **Annexure-C.**

RISK MANAGEMENT POLICY

The Bank follows a detailed and comprehensive risk management system which is constantly updated based on the RBI's regulatory guidelines issued in this regard from time-to-time. A dedicated Risk Management Committee of the Board regularly reviews comprehensively the risk matters of the Bank, the risk-related aspects of the Bank including the implementation of Basel III norms in the Bank. The Board of Directors of the Bank also periodically reviews the risk assessment and minimisation procedures followed in the Bank as well as the capital requirement of the Bank under Basel III norms.

STATEMENT INDICATING THE MANNER OF FORMAL ANNUAL EVALUATION OF BOARD, ITS COMMITTEES AND INDIVIDUAL DIRECTORS

In terms of Section 134(3)(p) of the Companies Act, 2013 read with Rule 8(4) of the Companies (Accounts) Rules, 2014, the details on the captioned matter are furnished herein below:

(i) Independent Directors' Committee (IDC), at its meeting held on April 29, 2020 and adjourned meeting held on May 15, 2020 evaluated the performance of all Non-Independent Directors, including the Chairman of the Board, as well as the performance of the Board as a whole.

(ii) The Board, at its meeting held on May 18, 2020, evaluated the performance of all Directors on the Board, including Independent Directors, its own performance as well as the performance of Committees of the Board. The evaluation of all individual Directors was done by the entire Board, which, apart from Corporate Governance parameters, also included evaluation of Independent Directors on (a) review of their performance in meetings and (b) fulfillment of the independence criteria as specified in the Companies Act, 2013 and LODR Regulations and their independence from the management. The Director concerned being evaluated by the Board did not participate in the meeting during the process of his/ her own evaluation.

For the purpose of annual evaluation by IDC and the Board, blank evaluation sheets in respect of individual Directors, Board Committees and the Board were circulated in advance to individual Directors through e-mails to enable the Directors to form their opinion in advance and help finalise the evaluation process at the respective meetings. Chairman of IDC and MD & CEO authorised by Board signed the evaluation sheets on behalf of IDC and the Board respectively after finalisation of the evaluation.

CHANGE IN THE NATURE OF BUSINESS, IF ANY

During the period of review, the Bank continued to carry on the business of banking and there was no change in the nature of its business. The Bank has been following the RBI directives given under Prompt Corrective Action.

CHANGE IN DIRECTORS/ KEY MANAGERIAL PERSONNEL

Name of Director	Designation	Nature of Change	Date
Shri M. R. Kumar	Non-Executive, Non whole time Chairman	Appointment	13.05.2019
Shri K. P. Nair	DMD	Cessation	31.05.2019
Shri Pankaj Jain	Government Nominee Director	Cessation	08.08.2019
Ms. Meera Swarup	Government Nominee Director	Appointment	20.08.2019
Shri G. M. Yadwadkar	DMD	Cessation	14.09.2019
Shri Samuel Joseph Jebaraj	DMD	Appointment	20.09.2019
Shri Suresh Khatanhar	DMD	Appointment	15.01.2020

REMUNERATION OF DIRECTORS

IDBI Bank, being a Private Sector Bank w.e.f. January 21, 2019, remuneration and perquisites of the MD & CEO and DMDs are approved by RBI as per Section 35B of the Banking Regulation Act, 1949. The details of remuneration paid to MD & CEO and DMDs is given in the following table. There have been no pecuniary relationships/ transactions of Non-Executive Directors vis-à-vis the Bank during the period under review.

Elements of Remuneration of MD & CEO and DMDs	
Salary & Allowances	**Shri Rakesh Sharma, MD & CEO** – Pay ₹ 2,24,400/- p.m. and applicable DA (presently 9%) ₹ 20,196/- Total ₹ 2,44,596/- **Shri K. P. Nair, DMD [upto 31.05.2019]** – Pay ₹ 1,87,600/- p.m. and DA @ 9% ₹ 16,884/- Total ₹ 2,04,484/-. **Shri G. M. Yadwadkar, DMD [upto 14.09.2019]** – Pay ₹ 1,87,600/- p.m. and DA @ 9% ₹ 16,884/- Total ₹ 2,04,484/-. **Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD [w.e.f. 20.09.2019]** - Pay ₹ 1,87,600/- p.m. and DA @ 9% ₹ 16,884/- Total ₹ 2, 04,484/-. **Shri Suresh Khatanhar [w.e.f. 15.01.2020]** - Pay ₹ 1,87,600/- p.m. and DA @ 9% ₹ 16,884/- Total ₹ 2,04,484/-
Entertainment	Actual entertainment subject to ceiling of ₹ 6,000 p.a. (membership of club adjustable within the above ceiling) in respect of both MD & CEO and DMDs.
Housing	Rent-free furnished accommodation in respect of both MD & CEO and DMDs.
Conveyance	Entitled to free use of the Bank's car for official purpose.
Leave Travel Concession	For self and family once in a block of 2 years for visiting any place in India as per entitled class as applicable for official tour in respect of both MD & CEO and DMDs.
Pension	Entitled to draw pension, if any, admissible in the career post (below board level) as per the rules and regulations of the Bank where the career post is held.
Gratuity	At the rate of half month's pay for every completed year of service or more than 6 months of service as MD & CEO/DMDs.
Tenure	**Shri Rakesh Sharma** – Earlier appointed as MD & CEO, vide Government of India's Notification F.No.4/2/2015-BO.I dated October 05, 2018, for a period of six months with effect from the date of assumption of office or until further orders, whichever is earlier. Shri Rakesh Sharma assumed the charge as MD & CEO of IDBI Bank w.e.f. October 10, 2018. Consequent upon the acquisition of 51% controlling stake, LIC, vide its letter dated January 18, 2019, conveyed that Shri Rakesh Sharma will continue as MD & CEO till such time as LIC makes fresh nomination of MD & CEO on the Board of IDBI Bank. Subsequently, LIC, vide its letter dated February 13, 2019 nominated Shri Rakesh Sharma as MD & CEO of IDBI Bank for the fresh term of 3 years, under Article 116(1)(ii) of the Articles of Association of the Bank. The Board approved the appointment of Shri Rakesh Sharma w.e.f. March 19, 2019 after receipt of RBI approval. The approval of shareholders was obtained at the last AGM held on August 20, 2019.
	Shri Samuel Joseph Jebaraj - Appointed as DMD by the Board at its meeting held on September 19, 2019 for a period of 3 years w.e.f. the date of taking over the charge of the post on such remuneration and terms & conditions as specified in the RBI letter dated September 4, 2019. Shri Samuel Joseph Jebaraj took charge on September 20, 2020. The approval of shareholders is being obtained at the ensuing AGM to be held on August 17, 2020.
	Shri Suresh Khatanhar - Appointed as DMD by the Board at its meeting held on January 15, 2020 for a period of 3 years w.e.f. the date of taking over the charge of the post on such remuneration and terms & conditions as specified in the RBI letter dated January 9, 2020. Shri Suresh Khatanhar took charge on January 15, 2020. The approval of shareholders is being obtained at the ensuing AGM to be held on August 17, 2020.

Criteria for making payments to Non-Executive Directors:

All the Non-Executive Directors, except the Government Nominee Directors, are only paid sitting fees. The rate of sitting fees for Board is ₹ 40,000/- per meeting (plus ₹ 10,000/- per meeting for chairing the meetings) and ₹ 20,000/- per meeting for all Board committee meetings (plus ₹ 5,000/- per meeting for chairing the meetings). Apart from the remuneration to MD & CEO and DMDs and sitting fees to the Non-Executive Directors as above, no other remuneration was paid to the Directors, except the expenditure upon their travel, stay and transport incurred by the Bank.

Aggregate amount of sitting fees paid to Non-Executive Directors including Independent Directors for financial year 2019-20 is as detailed below:

Name of the Non-Executive Director	Sitting fees paid for FY 2019-20 (₹)
Shri M. R. Kumar, Non Executive Chairman	3,00,000/-
Shri Rajesh Kandwal, LIC Nominee Director	9,00,000/-
Shri Gyan Prakash Joshi, Independent Director	11,80,000/-
Dr. Ashima Goyal, Independent Director	9,60,000/-
Shri B. B. Joshi, Independent Director	13,45,000/-
Shri Samaresh Parida, Independent Director	10,75,000/-
Shri N. Jambunathan, Independent Director	13,90,000/-
Shri Deepak Singhal, Independent Director	13,05,000/-
Shri Sanjay Kallapur, Independent Director	10,95,000/-

DISCLOSURE UNDER RULE 5 OF THE COMPANIES (APPOINTMENT AND REMUNERATION OF MANAGERIAL PERSONNEL) RULES, 2014

Appointment and Remuneration of MD & CEO and DMDs is approved by RBI under Section 35B of the Banking Regulation Act, 1949 after the same is recommended by Nomination & Remuneration Committee and approved by Board. The Bank has continued the pay scales applicable to Public Sector Banks (PSBs) for MD & CEO, DMDs and other employees. Other Directors on the Board do not get any remuneration except sitting fees for attending meetings as mentioned in the paragraph above. The other employees of the Bank, including Key Managerial Personnel (KMPs), i.e., Chief Financial Officer and Company Secretary, get remuneration as applicable to similar grade officials of the Bank. Periodical revision in the pay scales of employees, including KMPs, does have relationship with many factors including Bank's performance. The Bank has not made any Follow-on Public Offer (FPO) and hence, no comparison in market quotation of the Bank's shares is possible. However, market price of the Bank's shares for financial year 2019-20, financial ratios, etc. are disclosed in the Annual Report. No variable pay concept is applicable at present in the Bank in respect of remuneration of employees, including KMPs and that of MD & CEO/ DMDs. The number of employees on the rolls of the Bank as on March 31, 2020 was 17,723 out of which 1,055 employees were on contract basis and all other employees were regular. It is also affirmed that the remuneration is as per the remuneration policy of the Bank and the ratio of the remuneration of each Director to the median employee's remuneration and other details are as per the disclosures made in this regard and are in compliance of Section 197(12) of the Companies Act, 2013 read with Rule 5 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014.

The other details in terms of Section 197(12) of the Companies Act, 2013 read with Rule 5(1) of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014 is given below:

The number of regular employees on the rolls of the Bank	**16,668**	
The ratio of the remuneration of each Director to the median remuneration of the employees of the company for the financial year	**Name of the Executive Director**	**Ratio of remuneration to the median of all employees**
	Shri Rakesh Sharma, MD & CEO	3.33
	Shri K. P. Nair, DMD [upto 31.05.2019]	2.38
	Shri G. M. Yadwadkar, DMD [upto 14.09.2019]	2.50
	Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD [w.e.f. 20.09.2019]	1.60
	Shri Suresh Khatanhar, DMD [w.e.f. 15.01.2020]	0.61

The number of regular employees on the rolls of the Bank	**16,668**
The percentage increase in remuneration of each Director, Chief Financial Officer, Chief Executive Officer, Company Secretary or Manager, if any, in the financial year	**Designation** / **Percentage Increase** MD & CEO: 15.11 DMDs: Not applicable since the DMDs were appointed during the year. CFO: 28.65 CS: 32.47
The percentage increase in the median remuneration of employees in the financial year	(-) 5.04% It is clarified that the increase in remuneration of managerial personnel is mainly on account of revision in salary effected during the FY 2019-20 whereas the revision in salary of employees was effected in the earlier FY 2018-19.
Average percentile increase already made in the salaries of employees other than the managerial personnel in the last financial year and its comparison with the percentile increase in the managerial remuneration and justification thereof and point out if there are any exceptional circumstances for increase in the managerial remuneration	Average remuneration increase for non-managerial personnel of the Bank during FY 2019-20 was (-) 5.04% (as clarified above) and the average remuneration increase for the managerial personnel of the Bank was 25.41%.
Affirmation that the remuneration is as per the remuneration policy of the Bank	Yes

GENERAL BODY MEETINGS

A. The last three Annual General Meeting of the Bank were held as under:–

Details of Annual General Meetings of IDBI Bank Ltd.

Location and time of the last three AGMs.	1) July 18, 2017 at Yashwantrao Chavan Centre Auditorium, Gen. Jagannathrao Bhonsle Marg, Mumbai – 400 021 at 3.30 p.m. (13th AGM of the Bank). 2) August 13, 2018 at Yashwantrao Chavan Centre Auditorium, Gen. Jagannathrao Bhonsle Marg, Mumbai – 400 021 at 3.30 p.m. (14th AGM of the Bank). 3) August 20, 2019 at Yashwantrao Chavan Centre Auditorium, Gen. Jagannathrao Bhonsle Marg, Mumbai – 400 021 at 3.30 p.m. (15th AGM of the Bank).
Whether Special Resolutions were passed in previous three AGMs	➢ **For 13th AGM** Special resolutions for (i) taking shareholders' approval u/s 62(1)(c) of the Companies Act, 2013 to the proposal for enabling the Bank to raise capital aggregating to not more than ₹ 5,000 crore (inclusive of premium amount) and empowering the Board to take specific decision in this regard, (ii) taking shareholders' approval u/s 42 of the Companies Act, 2013 for empowering the Board of Directors to mobilise in one or more tranches upto ₹ 5000 crore comprising Senior/ Infrastructure Bonds, Basel III Compliant Tier II/ Additional Tier I Bonds, by way of Private Placement/ Public Issue, (iii) alterations in Articles of Association of the Bank. ➢ **For 14th AGM** Special resolutions for (i) taking shareholders' approval u/s 62(1)(c) of the Companies Act, 2013 to the proposal for enabling the Bank to raise capital aggregating to not more than ₹ 5000 crore (inclusive of premium amount) and empowering the Board to take specific decision in this regard and (ii) taking shareholders' approval u/s 42 of the Companies Act, 2013 for empowering the Board of Directors to mobilise in one or more tranches upto ₹ 5000 crore comprising Senior/Infrastructure Bonds, Basel III Compliant Tier II/ Additional Tier I Bonds, by way of Private Placement/ Public Issue were passed at the 14th AGM of the Bank held on August 13, 2018.

Details of Annual General Meetings of IDBI Bank Ltd.	
	➢ **For 15th AGM** Special resolutions for (i) taking shareholders' approval u/s 62(1)(c) of the Companies Act, 2013 to the proposal for enabling the Bank to raise capital aggregating to not more than ₹ 11,000 crore (inclusive of premium amount) and empowering the Board to take specific decision in this regard and (ii) taking shareholders' approval u/s 149 of the Companies Act, 2013 for appointment of Shri Gyan P. Joshi (DIN: 00603925) as Independent Director of the Bank for the second term of 4 years w.e.f. August 28, 2019 were passed at the 15th AGM of the Bank held on August 20, 2019.
Whether any special resolution was passed last year through postal ballot – details of voting pattern	Yes. Following Special Resolutions were passed through Postal Ballot on October 22, 2019 for: i. Preferential Issue of equity shares to Life Insurance Corporation of India (LIC) & Government of India aggregating to ₹ 4743 crore & ₹ 4557 crore respectively; ii. Increase in Authorised Share capital of the Bank from ₹ 15000 crore (divided into 1500 crore equity shares of ₹ 10/- each) to ₹ 25000 crore (divided into 2500 crore equity shares of ₹ 10/- each) and to consequentially make amendments to Clause V of the Memorandum of Association and Article 3 of the Articles of Association of IDBI Bank Ltd.
Person who conducted the postal ballot exercise	Ms. Aparna Gadgil and in her absence any other partner of M/s. S.N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries
Whether any special resolution is proposed to be conducted through postal ballot	No

Procedure for Postal Ballot

Date of Notice	September 19, 2019
Last date for receipt of postal ballot forms	October 22, 2019 (5:00 p.m.)
Brief details of Scrutiniser's Report	Item No. / Assents / Dissents (i) / 3,17,44,54,994 (99.9996%) / 12,097 (0.0004%) (ii) / 3,17,44,51,521 (99.9995%) / 15,474 (0.0005%)
	According to the Scrutiniser's Report dated October 23, 2019, the resolutions were passed by the requisite majority. The result of the postal ballot was declared by the Chairman on October 23, 2019 and displayed on the websites of the Bank and Registrar and Transfer Agent RTA, viz., KFin Technologies Private Ltd. It was also disclosed to stock exchanges where the shares of the Bank are listed, i.e., BSE and NSE.
E-voting Facility	The Bank offered e-voting to enable the members to cast their votes electronically for both the items of postal ballot stated above.
Date of Passing of Postal Ballot Resolution	October 22, 2019

MEANS OF COMMUNICATION

Apart from providing detailed Annual Report on the Bank's working, consisting of the Board's Report as required under Section 134 of the Companies Act, 2013 and Annual Accounts, the Bank regularly brings out its quarterly results for information of its shareholders and these are published in one English language newspaper, viz., the Financial Express, having nationwide circulation and in one regional language newspaper viz., Loksatta and the advertisements are intimated to the Stock Exchanges. The aforesaid information is also displayed on the Bank's website https://www.idbibank.in/index.asp along with the official press release and presentations made to institutional investors and analysts.

GENERAL SHAREHOLDERS' INFORMATION

General Shareholders' Information		
i.	Date, time and venue of AGM	August 17, 2020, Monday, 3.30 p.m., exclusively through Video Conferencing (VC)/ Other Audio Visual Means (OAVM) facility.
ii.	Financial Year	April 1, 2019 to March 31, 2020
iii.	E-voting period in terms of Regulation 44 of LODR Regulations and section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014	E-voting period commences on and from Wednesday, August 12, 2020 (9:00 a.m. IST) and ends on Sunday, August 16, 2020 (5:00 p.m. IST).
iv.	Book closure date	Tuesday, August 11, 2020 to Monday, August 17, 2020 (both days inclusive)
v.	Listing on Stock Exchanges and confirmation of payment of Annual listing fee	1. **BSE Ltd. (BSE)** Address: 25th Floor, Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street, Fort, Mumbai – 400 001 2. **National Stock Exchange of India Ltd. (NSE)** Address: Exchange Plaza, 5th Floor, Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla Complex, Bandra(E), Mumbai – 400 051. The bonds issued in domestic market comprised of privately placed bonds which are listed on BSE/NSE. Listing fees as applicable have been paid.
vi.	Stock code/ Symbol	BSE – 500116, NSE – IDBI
vii.	Registrar and Share Transfer Agents	KFin Technologies Private Ltd. Unit : IDBI Equity, Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032
viii.	Share Transfer system and Redressal of Investor Grievances	Share Transfers are approved on weekly basis by an internal committee comprising Executive Director / Chief General Manager. To expedite the process of share transfers, an internal committee of Executive Director/ Chief General Manager has been set up to approve the Memorandum of Transfers (MoTs) on a weekly basis. As on April 1, 2019, two investor grievances were pending for redressal and from April 1, 2019 to March 31, 2020, 5068 investor grievances were received from shareholders/ investors by the Bank's Registrar & Transfer Agents. During the year, 5068 grievances were redressed and 2 investor grievances were pending for redressal on March 31, 2020. In respect of shares, no cases of transfers were pending on April 1, 2019. Between April 1, 2019 and March 31, 2020, 300 requests for transfer of shares were received (Being the rejected cases prior to April 1, 2019, received after rectifications) by the Bank's Registrar & Transfer Agents. Of these, 300 requests for transfer of shares were processed and no requests were pending, as on March 31, 2020.
ix.	Financial Calendar	April 1, 2019 to March 31, 2020 Quarterly Results were approved on:

Results as on	Board Meeting
June 2019	August 14, 2019
September 2019	November 08, 2019
December 2019	February 11, 2020
March 2020	May 30, 2020

General Shareholders' Information

x.	Dematerialisation of shares & Liquidity	The Bank's Shares are required to be compulsorily traded in the stock exchanges in dematerialised form. The number of shares held in dematerialised and physical mode as on March 31, 2020 is as under:

	No. of shares	% of total Capital issued
Held in dematerialised form in NSDL	5425327213	52.26
Held in dematerialised form in CDSL	4945240885	47.64
Physical	10025900	0.10
Total	**10380593998**	**100.00**

xi.	Listing of Debt Securities	The debt securities issued by the Bank are listed on BSE & NSE Ltd.
xii.	Debenture Trustee	➢ **Axis Trustee Services Ltd.,** 2nd Floor, Axis House, Wadia International Centre, Bombay Dyeing Mills Compound, Pandurang Budhkar Marg, Worli, Mumbai – 400025. Telephone number : 022 – 62300429 E-mail ID of the Principal officer of the Trustee– rohit.jhamnani@axistrustee.com
		➢ **SBICAP Trustee Services Ltd.,** Appejay House,6th Floor,3 Dinshaw Wachha Road, Churchgate, Mumbai-400020 Telephone number : 022 43025572 E-mail ID of the Principal officer of the Trustee– savitri.yadav@sbicaptrustee.com
		➢ **Vistra ITCL (India) Ltd., (formerly IL&FS Trust Company Ltd.),** The IL&FS Financial Centre, Plot C- 22, Block, 7th Floor, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai 400051. Telephone number : 022-26593455 E-mail ID of the Principal officer of the Trustee - Poojan.Baxi@vistra.com
xiii.	Outstanding GDRs/ ADRs/ Warrants or convertible instruments, conversion date and likely impact on equity	IDBI Bank Ltd. has not issued GDRs/ ADRs/ Warrants, etc.
xiv.	Plant Locations	**Not applicable.** However, information about locations of the Bank's branches is available on its website (www.idbibank.in).
xv.	Address for correspondence	**IDBI Bank Ltd.** **CIN - L65190MH2004GOI148838** Equity Cell - Board Department, IDBI Bank Ltd., 22nd floor, IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai 400 005 Phone - (022) 66553062, 2711, 3147, 3336 E-mail - idbiequity@idbi.co.in Website - www.idbibank.in **Registrar & Transfer Agents** **KFin Technologies Private Ltd.** Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad - 500 032 Tel. No. (040) 67162222 Toll Free Number : 1-800-3454001 Fax No.(040) 23420814 E-mail : einward.ris@kfintech.com

General Shareholders' Information		
xvi.	List of Credit Rating obtained by the Bank	Credit Rating details are provided in Management Discussion and Analysis Report
xvii.	Market price data	Refer table i
xviii.	Performance in comparison to broad-based indices such as BSE Sensex, etc.	Refer table ii
xix.	Distribution of shareholding	Refer table iii

Table i - IDBI Bank Ltd.'s Share Price Movement on the National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) & BSE Ltd. (BSE) : April 2019 – March 2020

(₹)

	NSE		BSE			NSE		BSE	
Month	**High**	**Low**	**High**	**Low**	**Month**	**High**	**Low**	**High**	**Low**
April 2019	46.25	39.35	46.25	39.40	**Oct 2019**	33.25	28.95	33.25	29.00
May 2019	40.05	34.40	40.05	34.40	**Nov 2019**	38.70	31.85	38.75	31.85
June 2019	39.70	34.00	39.70	34.00	**Dec 2019**	38.45	33.55	38.50	33.50
July 2019	37.65	27.60	37.65	27.65	**Jan 2020**	37.50	33.80	37.50	33.90
Aug 2019	29.55	24.45	29.45	24.45	**Feb 2020**	37.25	30.60	37.30	30.60
Sept 2019	36.90	27.05	36.85	27.05	**Mar 2020**	29.90	17.80	29.90	17.80

Table ii - The performance of IDBI Bank equity share relative to the BSE Sensitive Index (Sensex) during the period April 1, 2019 to March 31, 2020 is given in the following chart:

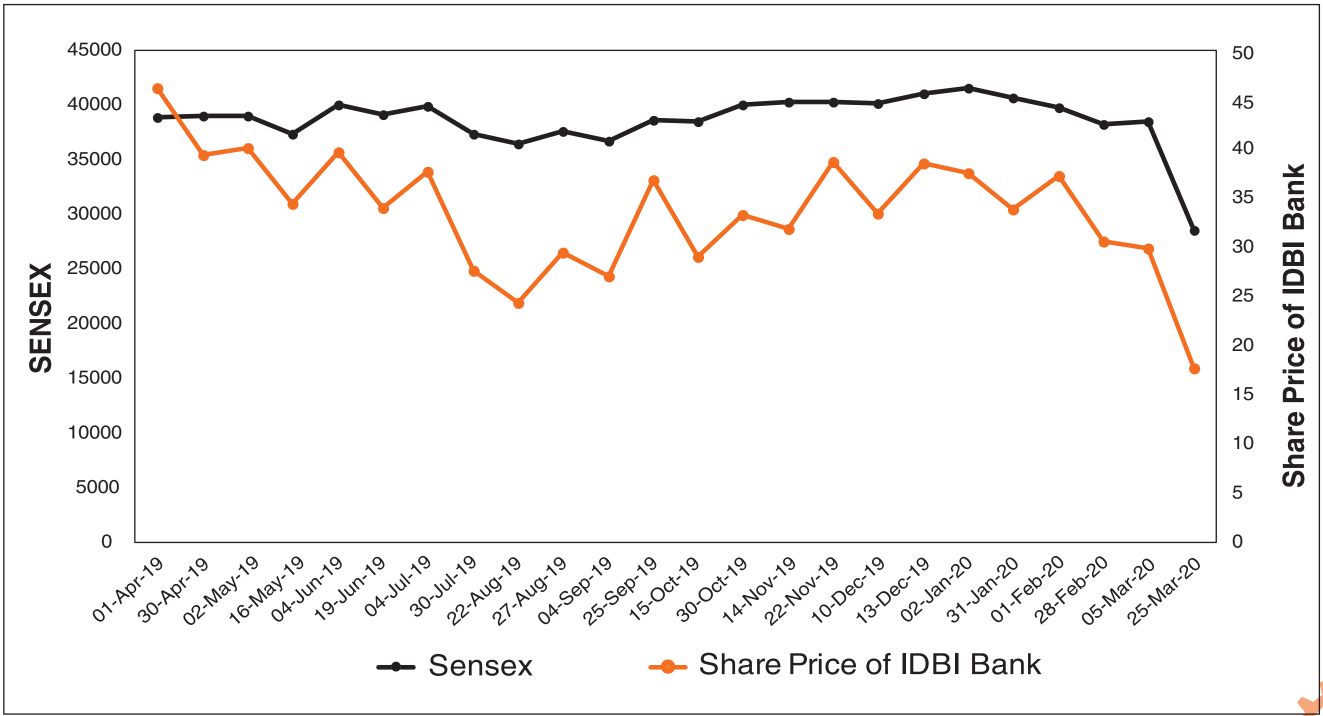

Table iii - The details of shareholding in the Bank by major categories of shareholders and distribution schedule as at end-March 2020 is presented below:

Shareholding Pattern as at March 31, 2020

Category of Shareholders	No. of Shares Held	% to Total
Life Insurance Corporation of India (Promoter with management control)	5294102939	51.00
Government of India (co-promoter without management control)	4889871903	47.11
Employees	723043	0.01
Public	141063919	1.36
Hindu Undivided Family	5088392	0.05
Bodies corporate	20618783	0.20
Institutions		
A) Banks	2674977	0.03
B) Foreign Institutional Investors	100	0.00
C) State Finance Corporations	0	0.00
D) Financial Institutions	297500	0.00
E) Mutual Funds	82187	0.00
Societies	28640	0.00
Trusts	333700	0.00
Insurance Companies	12778869	0.12
NRI's	5627962	0.05
Directors, KMPs & Relatives		
(i) Shri Rakesh Sharma, MD & CEO	4400	0.00
(ii) Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD	0	0.00
(iii) Shri Suresh Khatanhar, DMD	24200	0.00
(iv) Shri Ajay Sharma, CFO	120	0.00
NSDL (transit)	1372975	0.01
Foreign Portfolio Investors	1607448	0.02
NBFC	5746	0.00
IEPF	4286195	0.04
GRAND TOTAL	**10380593998**	**100**

Distribution Schedule as at March 31, 2020

Sl. No.	Category		No. of share holders	% to total share holders	Amount (₹)	% to total Amount
1	1	5000	388406	99.19	1058702930.00	1.02
2	5001	10000	1817	0.46	134500710.00	0.13
3	10001	20000	764	0.20	107813330.00	0.10
4	20001	30000	200	0.05	49910910.00	0.05
5	30001	40000	83	0.02	29621370.00	0.03
6	40001	50000	69	0.02	31930830.00	0.03
7	50001	100000	115	0.03	81313080.00	0.08
8	100001 & above		115	0.03	102312146820.00	98.56
Total			**391569**	**100.00**	**103805939980.00**	**100.00**

OTHER DISCLOSURES–

i. FAMILIARISATION PROGRAMME FOR INDEPENDENT DIRECTORS

The Independent Directors are being regularly familiarised with the business of the Bank, their duties and responsibilities and compliance requirements in the Bank as per the changes in the regulatory environment. Further, Independent Directors were nominated/ deputed to various training programmes during the financial year 2019-20.

The detailed status in this regard is provided on the Bank's website (www.idbibank.in) under the following link: https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp

ii. ESTABLISHMENT OF VIGIL MECHANISM

The Bank has established a Board-approved Vigil Mechanism in compliance with the statutory/ regulatory requirements. The report on Vigil Mechanism is being submitted to Board on a regular basis. During the financial year 2019-20, no personnel were denied access to the Audit Committee. The Policy on Vigil Mechanism giving details of establishment of Vigil Mechanism has been disclosed by the Bank on its website (www.idbibank.in) under the following link: https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp

iii. POLICY FOR DETERMINING MATERIAL SUBSIDIARIES

In terms of the requirement of Regulation 46 of the LODR Regulations, the Policy for determining material subsidiaries is available on the Bank's website (www.idbibank.in) under the following link: https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp

iv. POLICY ON DEALING WITH RELATED PARTY TRANSACTIONS

In terms of the provisions of Section 188 of the Companies Act, 2013 and Regulation 23 of LODR Regulations, the Bank has formulated a policy on dealing with Related Party Transactions.

The Policy on Related Party Transactions is available on the Bank's website (www.idbibank.in) under the following link: https://www.idbibank.in/secretarial-disclosures.asp

v. DISCLOSURE ON MATERIALLY SIGNIFICANT RELATED PARTY TRANSACTIONS THAT MAY HAVE POTENTIAL CONFLICT WITH THE INTEREST OF LISTED ENTITY AT LARGE

In terms of Regulation 34 read with Schedule V of the LODR Regulations, it is confirmed that, during financial year 2019-20, the Bank has not undertaken any materially significant related party transaction that may have potential conflict with the interest of the Bank.

vi. INFORMATION UNDER THE SEXUAL HARASSMENT OF WOMEN AT WORKPLACE (PREVENTION, PROHIBITION & REDRESSAL) ACT, 2013

The Bank has a policy against sexual harassment and a formal process for dealing with complaints of harassment or discrimination. The said policy is in line with the requirements of the Sexual Harassment of Women at the Workplace (Prevention, Prohibition & Redressal) Act, 2013. The Bank has complied with provisions relating to the constitution of Internal Complaints Committee under the said Act. Pursuant to the amendment to the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the details pertaining to number of complaints during the year has been provided below:

A	Number of complaints filed during the financial year	12
B	Number of complaints disposed off during the year	7
C	Number of complaints pending as at end of the financial year	5

vii. DISCLOSURE OF COMMODITY PRICE RISKS OR FOREIGN EXCHANGE AND COMMODITY HEDGING ACTIVITIES

The Bank is in compliance with the relevant provisions in respect of commodity price risks or foreign exchange and commodity hedging activities as per the guidelines, if any, prescribed by Regulators.

viii. DISCLOSURE OF ACCOUNTING TREATMENT

In terms of Regulation 34 read with Schedule V of the LODR Regulations, it is confirmed that, in preparation of financial statements, no treatment different from that prescribed in an Accounting Standard has been followed and hence, no explanation from the Management is required to be given in this regard.

ix. **DISCLOSURE, AS TO WHETHER MAINTENANCE OF COST RECORDS AS SPECIFIED BY THE CENTRAL GOVERNMENT UNDER SUB-SECTION (1) OF SECTION 148 OF THE COMPANIES ACT, 2013, IS REQUIRED BY THE COMPANY AND ACCORDINGLY SUCH ACCOUNTS AND RECORDS ARE MADE AND MAINTAINED**

IDBI Bank Ltd., being a banking company, provisions of maintenance of cost records is not applicable to it.

x. **DISLOSURES**

a) No company was assisted during April 1, 2019 – March 31, 2020, in which any of the Directors of the Bank was interested except as under:

(i) IDBI Intech Ltd. – Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, is on the Board of IDBI Intech Ltd. However, IDBI Intech Ltd., being a subsidiary of IDBI Bank Ltd., is exempted under RBI Guidelines on connected lending provisions.

(ii) IDBI Asset Management Ltd. - Shri Rakesh Sharma, MD & CEO, is on the Board of IDBI Asset Management Ltd. However, IDBI Asset Management Ltd. being a subsidiary of IDBI Bank Ltd. is exempted under RBI Guidelines on connected lending provisions.

b) Details of non-compliances, penalties, strictures imposed on the Bank by stock exchanges or SEBI or any statutory authority, on any matter related to capital markets, during the last three years are:

FY 2017-18	Nil.
FY 2018-19	Nil. However, Reserve Bank of India had imposed penalty of (i) ₹ 3 crore on the Bank for non-compliance with the directions issued by RBI on Income Recognition and Asset Classification (IRAC) norms on April 9, 2018, (ii) ₹ 20 lakh for non-compliance with regulatory directions of RBI on Know Your Customer (KYC)/ Anti Money Laundering (AML) standards on February 4, 2019 and (iii) ₹ 1 crore for contravention of regulatory directions of RBI on time bound implementation and strengthening of SWIFT related operational controls on February 25, 2019.
FY 2019-20	Nil

c) During the FY 2019-20, the Bank raised funds through preferential allotment of equity shares on October 22, 2019 aggregating to ₹ 4743 crore (inclusive of premium amount, if any) to LIC (such that the shareholding of LIC post allotment aggregates upto 51% of Bank's expanded paid-up capital) and aggregating upto ₹ 4557 crore (inclusive of premium amount, if any) to Government of India. The Bank further issued bonds of ₹ 745 crore on February 3, 2020. The proceeds have been fully utilised for augmenting the capital adequacy of the Bank and for general business purposes.

d) During the FY 2019-20, there has been no deviation in the use of proceeds from the objects stated in the explanatory statement to the notices for the Postal Ballot in terms of Regulation 32(4) of LODR Regulations.

e) A certificate dated May 28, 2020 obtained from Shri S.N. Ananthasubramanian (CP No. 1774) of M/s. S.N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries that none of the Directors on the Board of the Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as directors of companies by the Board/Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority is annexed to this Report.

f) The Bank has made all the disclosures in the Annual Report that were required in terms of sub-paras (2) to (10) of the Corporate Governance Section of Schedule V (Annual Report) of LODR Regulations.

g) The Bank has complied with the corporate governance requirements specified in Regulation 17 to 27 and clauses (b) to (i) of sub-regulation (2) of Regulation 46 of LODR Regulations

h) There has been no instance where the Board had not accepted any recommendation of any committee of the Board which is mandatorily required and hence, no disclosure in this regard is required.

i) In terms of Schedule V of LODR Regulations, total fees for all services paid by the Bank to the statutory Central Auditor during FY 2019-20 is ₹ 3 crore (including LFAR, Certification Fees, Tax Audit Fees, SRA Audit, etc.).

j) **Subsidiary Companies:** As on March 31, 2020, the Bank had five subsidiaries, viz., IDBI Intech Ltd., IDBI Capital Markets & Securities Ltd., IDBI Asset Management Ltd., IDBI MF Trustee Co. Ltd. and IDBI Trusteeship Services Ltd. No Independent Director on the Board of the Bank is required to be inducted on the Board of its subsidiaries as none of the subsidiaries is a material non-listed subsidiary company as defined under Regulation 16 of LODR Regulations. In compliance of the requirements of Regulation 24 of the LODR Regulations, the Bank's Audit Committee reviews the financial statements, in particular, the investments made by the unlisted subsidiary companies. The minutes of the Board meetings of unlisted subsidiary companies are regularly placed at the Bank's Board meetings.

k) **Document Handling and Retention Policy:** In terms of Regulation 9 of SEBI (LODR) Regulations, the Bank has in place a Board-approved Document Handling and Retention Policy.

l) **Disclosures with respect to demat suspense account/ unclaimed suspense account**

In terms of Regulation 34 read with Schedule V of the LODR Regulations, the Bank reports the following details in respect of equity shares lying in the unclaimed suspense account:

Sr. No.	Particulars	No. of Shareholders	No. of Shares
(a)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Suspense Account as on April 01, 2019	4782	851454
(b)	Number of shareholders who approached the Bank for transfer of shares from the Suspense Account during April 01, 2019 to March 31, 2020	0	0
(c)	Number of shareholders to whom shares were transferred from the Suspense Account during April 01, 2019 to March 31, 2020	0	0
(d)	Number of shares transferred to IEPF Authority as per Section 124 & 125 of the Companies Act, 2013	4613	818468
(e)	Aggregate number of shareholders and the outstanding shares lying in the Suspense Account as on March 31, 2020	169	32986
(f)	**The voting rights on these shares shall remain frozen till the rightful owner of such shares claims the shares.**		

m) **Disclosures in respect of Investors Education and Protection Fund (IEPF)**

(a) Details of the transfer/s to the IEPF made during the year :

Sl. No.	Description	Shares	Amount
(i)	Amount of unclaimed/unpaid dividend and the corresponding shares	802949	14400455.00
(ii)	Redemption amount of preference shares	NA	0
(iii)	Amount of matured deposits, for companies other than banking companies, along with interest accrued thereon	NA	0
(iv)	Amount of matured debentures along with interest accrued thereon	Nil	0
(v)	Application money received for allotment of any securities and due for refund along with interest accrued	NA	0
(vi)	Sale proceeds of fractional shares arising out of issuance of bonus shares, merger and amalgamation	NA	0

(b) Details of the resultant benefits arising out of shares already transferred to the IEPF	0

(c) Year-wise amount of unpaid/unclaimed dividend lying in the unpaid account upto the Year and the corresponding shares, which are liable to be transferred to the IEPF, and the due dates for such transfer:

Sl. No.	Financial Year	Unpaid dividend	No. of shares	Due Date for transfer to IEPF
(i)	FY 2012-13	31129016.00	51634	11.10.2020
(ii)	FY 2013-14 (Interim)	8126628.00	61257	19.02.2021
(iii)	FY 2013-14 (Final)	3257181.00	64409	06.08.2021
(iv)	FY 2014-15	8479074.00	61128	18.09.2022
(d)	**The amount of donation, if any, given by the company to the IEPF**			0
(e)	**Such other amounts transferred to the IEPF, if any, during the year**			0

STATUS OF COMPLIANCE OF DISCRETIONARY REQUIREMENTS OF REGULATION 27 OF SEBI (LODR) REGULATIONS

The Bank has complied with all the mandatory requirements given under Regulation 34 read with Schedule V of the LODR Regulations and has been submitting quarterly/half-yearly/ annual compliance report on corporate governance in the prescribed formats to the stock exchanges within the prescribed timelines. As regards discretionary requirements given under Part E of Schedule II of the LODR Regulations, the status is as follows:

Sr. No.	Discretionary Requirements	Status
1.	A Non-Executive Chairperson may be entitled to maintain a Chairperson's Office at the Company's expense and also allowed reimbursement of expenses incurred in performance of his/ her duties	In terms of Article 116(1) (i) of the Articles of Association of the Bank, Shri M. R. Kumar, Chairman of LIC, has been appointed as Non-Executive Non-Whole Time Chairman of IDBI Bank Ltd. w.e.f. May 13, 2019. The Bank has provided Chairman's office in its Head Office at IDBI Tower, Cuffe Parade, Mumbai.
2.	A half-yearly declaration of financial performance including summary of the significant events in the last six months may be sent to each household of shareholders	Quarterly as well as half-yearly financial results are published in the newspapers as well as disseminated to the stock exchanges immediately after Board approval for information of shareholders and other stakeholders.
3.	Company may move towards a regime of financial statements with unmodified audit opinion	The Bank is constantly working in this direction.
4.	The Company may appoint separate persons to the post of Chairman and MD&CEO	The Bank has separate positions of a Non-Executive Non-Whole Time Chairman and a MD & CEO.
5.	The Internal auditor may report directly to the Audit Committee.	Internal Auditor, Shri M. V. Phadke, Executive Director, reports directly to the ACB.

CODE OF CONDUCT AND ETHICS

The Bank's Board of Directors has adopted a Code of Conduct and Ethics for its Directors, Officers and Employees. In compliance with the requirement of Regulation 34 read with Schedule V of the LODR Regulations, a declaration signed by the Managing Director & CEO about the affirmation of compliance with the Code of Conduct by the Board members and Senior Management Personnel of the Bank is given below:

DECLARATION BY MD & CEO

Pursuant to the provisions of Regulation 34 read with Schedule V of the LODR Regulations, it is hereby declared for the information of all concerned that all the Board Members and Senior Management Personnel of IDBI Bank Ltd. have affirmed compliance with the Code of Conduct for Directors, Officers and Employees of IDBI Bank Ltd. for the FY 2019-20.

Sd/-
Rakesh Sharma
(DIN -06846594)
Managing Director & CEO
Dated: May 30, 2020

CEO/CFO CERTIFICATION

In terms of Regulation 17(8) of the LODR Regulations, the certification by MD & CEO and CFO on the financial statements and internal controls relating to financial reporting has been obtained and submitted to the Board.

Annexure-A

EXTRACT OF ANNUAL RETURN IN FORM MGT-9
FOR FINANCIAL YEAR ENDED ON MARCH 31, 2020

I. REGISTRATION AND OTHER DETAILS

i.	CIN	L65190MH2004GOI148838
ii.	Registration Date	September 27, 2004
iii.	Name of the Company	IDBI Bank Ltd.
iv.	Category/Sub-Category of the Company	Public Ltd. Company/ Ltd. by Shares
v.	Address of the Registered office and contact details	Registered Office: IDBI Bank Ltd., IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai- 400005 Contact Details: Ph: (022) 66553355, 22189111 Fax: (022) 22180411 Website: www.idbibank.in
vi.	Whether listed Company	Yes
vii.	Name, Address and Contact details of Registrar and Transfer Agent	KFin Technologies Private Ltd. Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli Financial District, Nanakramguda, Hyderabad – 500 032 Tel.No.(040) 67162222 Toll Free Number : 1-800-3454001 Fax No.(040) 23420814 Email : einward.ris@kfintech.com

II. PRINCIPAL BUSINESS ACTIVITIES OF THE BANK

Sl. No.	Name and Description of main products/services	NIC Code of the Product/Service	% of total turnover of the company
1.	Monetary intermediation of commercial banks, saving banks, postal savings bank and discount houses	64191	100%

III. PARTICULARS OF HOLDING, SUBSIDIARY AND ASSOCIATE COMPANIES

Sl. No.	Name and Address of the company	Corporate Identification Number (CIN)/ Global Location Number (GLN)	Holding/ Subsidiary/ Associate	% of shares	Applicable Section
1.	Life Insurance Corporation of India (Promoter) 'Yogakshema', Jeevan Bima Marg, P. B. No 19953, Mumbai - 400 021	NA	Holding	51.00	2(46)
2.	IDBI Capital Markets and Securities Ltd. 6th Floor, IDBI Tower, World Trade Centre, Cuffe Parade, Mumbai - 400 005	U65990MH1993GOI075578	Subsidiary	100.00	2(87)
3.	IDBI Intech Ltd. IDBI Building, Ground Floor, Plot No.39-41, Sector 11, CBD Belapur, Navi Mumbai – 400 614	U72200MH2000GOI124665	Subsidiary	100.00	2(87)
4.	IDBI MF Trustee Company Ltd., IDBI Tower, World Trade Centre, Cuffe Parade, Mumbai - 400 005	U65991MH2010PLC199326	Subsidiary	100.00	2(87)

Sl. No.	Name and Address of the company	Corporate Identification Number (CIN)/ Global Location Number (GLN)	Holding/ Subsidiary/ Associate	% of shares	Applicable Section
5.	IDBI Asset Management Ltd., 4th Floor, IDBI Tower, World Trade Centre, Cuffe Parade, Mumbai - 400 005	U65100MH2010PLC199319	Subsidiary	66.67	2(87)
6.	IDBI Trusteeship Services Ltd. Asian Building, Ground Floor, 17, R. Kamani Marg, Ballard Estate, Mumbai - 400 001	U65991MH2001GOI131154	Subsidiary	54.70	2(87)
7.	IDBI Federal Life Insurance Company Ltd. 1st Floor, Tradeview, Oasis Complex, Kamala City, P.B. Marg, Lower Parel (W).Mumbai – 400 013	U66010MH2007PLC167164	Joint Venture	48.00	2(6)
8.	National Securities Depository Ltd. 'A' Wing, 4th Floor, Trade World, Kamala Mills Compound, Senapati Bapat Marg, Lower Parel, Mumbai - 400 013	U74120MH2012PLC230380	Associate	30.00	2(6)
9.	Biotech Consortium India Ltd. 5th Floor, Anuvrat Bhawan, 210, Deen Dayal Upadhyaya Marg, New Delhi – 110 002	U73100DL1990PLC041486	Associate	27.93	2(6)
10.	North Eastern Development Finance Corporation Ltd. NEDFI House, Dispur, Guwahati - 781006	U65923AS1995GOI004529	Associate	25.00	2(6)
11.	Pondicherry Industrial Promotion Development And Investment Corporation Ltd. 60, Romain Rolland Street, Puducherry - 605 001	U65923PY1974SGC000121	Associate	21.14	2(6)

IV. SHAREHOLDING PATTERN (Equity Share Capital- Breakup as percentage of Total Equity)

i. Category-wise Share Holding

	Category of Shareholders	No. of shares held at the beginning of the year				No. of shares at the end of the year				% change during the year
		Demat	Physical	Total	% of Total shares	Demat	Physical	Total	% of Total shares	
A.	**Promoters**									
(1)	**Indian**									
a)	Individuals/ Hindu Undivided Family	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
b)	Central Government	3594165335	0	3594165335	46.46	4889871903	0	4889871903	47.11	0.65
c)	State Government (s)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
d)	Bodies Corporate	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
e)	Financial Institutions/ Banks	3945510389	0	3945510389	51.00	5294102939	0	5294102939	51.00	0.00
f)	Any Other (specify)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	Sub-Total (A)(1)	**7539675724**	**0**	**7539675724**	**97.46**	**10183974842**	**0**	**10183974842**	**98.11**	**0.65**
(2)	**Foreign**									
a)	NRIs-Individuals	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
b)	Other-Individuals	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
c)	Bodies Corp.	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
d)	Banks/FI	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00

	Category of Shareholders	No. of shares held at the beginning of the year				No. of shares at the end of the year				% change during the year
		Demat	Physical	Total	% of Total shares	Demat	Physical	Total	% of Total shares	
e)	Any Other (specify)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	Sub-Total (A)(2)	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**0**	**0**	**0**	0.00	0.00
	Total Shareholding of Promoter (A)= (A)(1)+(A)(2)	**7539675724**	**0**	**7539675724**	**97.46**	**10183974842**	**0**	**10183974842**	**98.11**	**0.65**
B.	**Public Shareholding**									
1.	Institutions									
a)	Mutual Funds	5425800	0	5425800	0.07	82187	0	82187	0	-0.07
b)	Banks/ FI	2795536	7140	2802676	0.04	2668797	6180	2674977	0.03	-0.01
c)	Central Government	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
d)	State Government(s)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
e)	Venture Capital Funds	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
f)	Insurance Companies	12778869	0	12778869	0.17	12778869	0	12778869	0.12	-0.04
g)	FIIs / FPI	7970709	100	7970809	0.10	1607448	100	1607548	0.02	-0.09
h)	Foreign Venture Capital Funds	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
i)	Any Other (specify)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	Sub-Total (B)(1)	**28970914**	**7240**	**28978154**	**0.37**	**17137301**	**6280**	**17143581**	**0.17**	**-0.21**
2.	Non-Institutions									
	Bodies Corporate	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	Indian	24368569	179684	24548253	0.32	20467688	151095	20618783	0.20	-0.12
	Overseas	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	Individuals									
	Individual shareholders holding nominal share capital up to ₹ 1 lakh	93117883	9715545	102833428	1.33	104802805	8702794	113505599	1.09	-0.24
	Individual shareholders holding nominal share capital in excess of ₹ 1 lakh	23589003	337021	23926024	0.31	33369995	28480	33398475	0.32	0.01
	Any Others (specify)									
	Clearing Members	8333219	0	8333219	0.11	1372975	0	1372975	0.01	-0.09
	I E P F	2647217	0	2647217	0.03	4286195	0	4286195	0.04	0.01
	NBFC	107932	0	107932	0.00	5746	0	5746	0.00	0.00
	Non Resident Indians	2997171	1160923	4158094	0.05	3468395	1084291	4552686	0.04	-0.01
	NRI Non- Repatriation	729262	0	729262	0.01	1075276	0	1075276	0.01	0.00
	Societies	0	28960	28960	0.00	0	28640	28640	0.00	0.00
	Trusts	304293	24320	328613	0.00	309380	24320	333700	0.00	0.00
	Qualified Institutional Buyers	0	0	0	0.00	297500	0	297500	0.00	0.00
	Sub-Total (B)(2)	**156194549**	**11446453**	**167641002**	**2.17**	**169455955**	**10019620**	**179475575**	**1.73**	**-0.44**
	Total Public Shareholding (B)= (B)(1)+(B)(2)	**185165463**	**11453693**	**196619156**	**2.54**	**186593256**	**10025900**	**196619156**	**1.89**	**-0.65**
	Shares held by Custodian for GDRs &ADRs	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	Grand Total (A+B+C)	**7724841187**	**11453693**	**7736294880**	**100.00**	**10370568098**	**10025900**	**10380593998**	**100.00**	**0.00**

ii. Shareholding of Promoters

S. No.	Shareholder's Name	Shareholding at the beginning of the year			Shareholding at the end of the year			
		No. of shares	% of total shares of the Bank	% of shares Pledged/ encumbered to total shares	No. of shares	% of total shares of the Bank	% of shares Pledged/ encumbered to total shares	%change in shareholding during the year
1.	Life Insurance Corporation of India	3945510389	51.00	0	5294102939	51.00	0	0.00
2.	Government of India	3594165335	46.46	0	4889871903	47.11	0	0.65

iii. Change in Promoters' Shareholding

Sl. No.		Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
		No. of Shares	% of total shares of the Bank	No. of shares	% of total shares of the Bank
1.	**Life Insurance Corporation of India**				
	At the beginning of the year	3945510389	51.00	3945510389	51.00
	Date-wise increase/ decrease in Promoter's shareholding during the year 23/10/2019 (Preferential allotment)	1348592550	51.00	5294102939	51.00
	At the end of the year	5294102939	51.00	5294102939	51.00
2.	**Government of India**				
	At the beginning of the year	3594165335	46.46	3594165335	46.46
	Date-wise increase/ decrease in Promoter's shareholding during the year 23/10/2019 (Preferential allotment)	1295706568	47.11	4889871903	47.11
	At the end of the year	4889871903	47.11	4889871903	47.11

iv. Shareholding Pattern of top ten Shareholders (other than Directors, promoters and Holders of GDRs ad ADRs):

			Shareholding at the beginning of the Year		Cumulative Shareholding during the Year	
Sl. No.	Name of the Share Holder	Particulars	No of Shares	% of total shares of the company	No of Shares	% of total shares of the company
1.	United India Insurance Company Ltd.	At the beginning of the year	8057143	0.10	8057143	0.10
		Date-wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	-	-	-	-
		At the end of the year (or on the date of separation)	-	-	8057143	0.08
2	Integrated Core Strategies Asia Pte Ltd.	At the beginning of the year	3278584	0.04	3278584	0.04
		Sale - 17/05/2019	-58516	0.04	3220068	0.04
		Sale - 24/05/2019	-183892	0.04	3036176	0.04
		Sale - 07/06/2019	-74882	0.04	2961294	0.04
		Sale - 21/06/2019	-288522	0.03	2672772	0.03
		Sale - 05/07/2019	-180375	0.03	2492397	0.03
		Sale - 12/07/2019	-71774	0.03	2420623	0.03
		Sale - 19/07/2019	-131899	0.03	2288724	0.03
		Sale - 26/07/2019	-123533	0.03	2165191	0.03
		Sale - 02/08/2019	-253429	0.02	1911762	0.02
		Sale - 09/08/2019	-135489	0.02	1776273	0.02
		Sale - 23/08/2019	-191937	0.02	1584336	0.02
		Sale - 30/08/2019	-320570	0.02	1263766	0.02
		Sale - 06/09/2019	-360521	0.01	903245	0.01
		Sale - 13/09/2019	-174198	0.01	729047	0.01
		Sale - 20/09/2019	-494888	0.00	234159	0.00
		Sale - 27/09/2019	-234159	0.00	0	0.00
		At the end of the year (or on the date of separation)	-	-	0	0.00

			Shareholding at the beginning of the Year		Cumulative Shareholding during the Year	
Sl. No.	Name of the Share Holder	Particulars	No of Shares	% of total shares of the company	No of Shares	% of total shares of the company
3	The Oriental Insurance Company Ltd.	At the beginning of the year	3202859	0.04	3202859	0.04
		Date-wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	-	-	-	-
		At the end of the year (or on the date of separation)	-	-	3202859	0.03
4	Globe Capital Market Ltd.	At the beginning of the year	1060424	0.01	1060424	0.01
		Purchase - 05/04/2019	76294	0.01	1136718	0.01
		Sale - 05/04/2019	-104500	0.01	1032218	0.01
		Purchase - 12/04/2019	224154	0.02	1256372	0.02
		Sale - 12/04/2019	-3447	0.02	1252925	0.02
		Purchase - 19/04/2019	3425	0.02	1256350	0.02
		Sale - 19/04/2019	-8596	0.02	1247754	0.02
		Purchase - 26/04/2019	19862	0.02	1267616	0.02
		Sale - 26/04/2019	-98249	0.02	1169367	0.02
		Purchase - 03/05/2019	80499	0.02	1249866	0.02
		Sale - 03/05/2019	-21819	0.02	1228047	0.02
		Sale - 10/05/2019	-139418	0.01	1088629	0.01
		Purchase - 17/05/2019	51138	0.01	1139767	0.01
		Sale - 17/05/2019	-1022	0.01	1138745	0.01
		Purchase - 24/05/2019	1367928	0.03	2506673	0.03
		Sale - 24/05/2019	-20000	0.03	2486673	0.03
		Purchase - 31/05/2019	399204	0.04	2885877	0.04
		Sale - 31/05/2019	-371209	0.03	2514668	0.03
		Purchase - 07/06/2019	18446	0.03	2533114	0.03
		Sale - 07/06/2019	-196876	0.03	2336238	0.03
		Purchase - 14/06/2019	435276	0.04	2771514	0.04
		Sale - 14/06/2019	-276901	0.03	2494613	0.03
		Purchase - 21/06/2019	366985	0.04	2861598	0.04
		Sale - 21/06/2019	-403534	0.03	2458064	0.03
		Purchase - 28/06/2019	113537	0.03	2571601	0.03
		Sale - 28/06/2019	-38972	0.03	2532629	0.03
		Purchase - 29/06/2019	50000	0.03	2582629	0.03
		Sale - 29/06/2019	-110100	0.03	2472529	0.03
		Purchase - 05/07/2019	263565	0.04	2736094	0.04
		Sale - 05/07/2019	-78167	0.03	2657927	0.03
		Purchase - 12/07/2019	34113	0.03	2692040	0.03
		Sale - 12/07/2019	-394895	0.03	2297145	0.03
		Purchase - 19/07/2019	126701	0.03	2423846	0.03
		Sale - 19/07/2019	-115858	0.03	2307988	0.03
		Purchase - 26/07/2019	440207	0.04	2748195	0.04
		Sale - 26/07/2019	-449938	0.03	2298257	0.03
		Purchase - 02/08/2019	197078	0.03	2495335	0.03
		Sale - 02/08/2019	-86550	0.03	2408785	0.03
		Purchase - 09/08/2019	131389	0.03	2540174	0.03
		Sale - 09/08/2019	-108002	0.03	2432172	0.03

			Shareholding at the beginning of the Year		Cumulative Shareholding during the Year	
Sl. No.	Name of the Share Holder	Particulars	No of Shares	% of total shares of the company	No of Shares	% of total shares of the company
		Purchase - 16/08/2019	210528	0.03	2642700	0.03
		Sale - 16/08/2019	-122724	0.03	2519976	0.03
		Purchase - 23/08/2019	500309	0.04	3020285	0.04
		Sale - 23/08/2019	-95950	0.04	2924335	0.04
		Purchase - 30/08/2019	665479	0.05	3589814	0.05
		Sale - 30/08/2019	-523907	0.04	3065907	0.04
		Purchase - 06/09/2019	12000	0.04	3077907	0.04
		Sale - 06/09/2019	-1544262	0.02	1533645	0.02
		Purchase - 13/09/2019	321669	0.02	1855314	0.02
		Sale - 13/09/2019	-21524	0.02	1833790	0.02
		Purchase - 20/09/2019	26184	0.02	1859974	0.02
		Sale - 20/09/2019	-143218	0.02	1716756	0.02
		Purchase - 27/09/2019	208415	0.02	1925171	0.02
		Sale - 27/09/2019	-215161	0.02	1710010	0.02
		Purchase - 30/09/2019	1541133	0.04	3251143	0.04
		Sale - 30/09/2019	-982627	0.03	2268516	0.03
		Purchase - 04/10/2019	225	0.03	2268741	0.03
		Sale - 04/10/2019	-89706	0.03	2179035	0.03
		Purchase - 11/10/2019	1268183	0.04	3447218	0.04
		Sale - 11/10/2019	-673282	0.04	2773936	0.04
		Purchase - 18/10/2019	16640	0.04	2790576	0.04
		Sale - 18/10/2019	-146709	0.03	2643867	0.03
		Purchase - 25/10/2019	197257	0.03	2841124	0.03
		Sale - 25/10/2019	-747	0.03	2840377	0.03
		Purchase - 01/11/2019	429463	0.03	3269840	0.03
		Sale - 01/11/2019	-63276	0.03	3206564	0.03
		Purchase - 08/11/2019	182629	0.03	3389193	0.03
		Sale - 08/11/2019	-472831	0.03	2916362	0.03
		Purchase - 15/11/2019	64671	0.03	2981033	0.03
		Sale - 15/11/2019	-7480	0.03	2973553	0.03
		Purchase - 22/11/2019	9070	0.03	2982623	0.03
		Sale - 22/11/2019	-254690	0.03	2727933	0.03
		Purchase - 29/11/2019	332638	0.03	3060571	0.03
		Sale - 29/11/2019	-120241	0.03	2940330	0.03
		Purchase - 06/12/2019	104008	0.03	3044338	0.03
		Sale - 06/12/2019	-27166	0.03	3017172	0.03
		Purchase - 13/12/2019	33218	0.03	3050390	0.03
		Sale - 13/12/2019	-36081	0.03	3014309	0.03
		Purchase - 20/12/2019	72241	0.03	3086550	0.03
		Sale - 20/12/2019	-54668	0.03	3031882	0.03
		Purchase - 27/12/2019	24900	0.03	3056782	0.03
		Sale - 27/12/2019	-270018	0.03	2786764	0.03
		Purchase - 31/12/2019	2514	0.03	2789278	0.03
		Sale - 31/12/2019	-505	0.03	2788773	0.03
		Purchase - 03/01/2020	10142	0.03	2798915	0.03
		Sale - 03/01/2020	-12075	0.03	2786840	0.03

			Shareholding at the beginning of the Year		Cumulative Shareholding during the Year	
Sl. No.	Name of the Share Holder	Particulars	No of Shares	% of total shares of the company	No of Shares	% of total shares of the company
		Purchase - 10/01/2020	85341	0.03	2872181	0.03
		Sale - 10/01/2020	-11113	0.03	2861068	0.03
		Sale - 17/01/2020	-62083	0.03	2798985	0.03
		Purchase - 24/01/2020	205087	0.03	3004072	0.03
		Sale - 24/01/2020	-14074	0.03	2989998	0.03
		Sale - 31/01/2020	-229965	0.03	2760033	0.03
		Purchase - 07/02/2020	65544	0.03	2825577	0.03
		Sale - 07/02/2020	-117371	0.03	2708206	0.03
		Purchase - 14/02/2020	126865	0.03	2835071	0.03
		Sale - 14/02/2020	-36594	0.03	2798477	0.03
		Purchase - 21/02/2020	33926	0.03	2832403	0.03
		Sale - 21/02/2020	-23082	0.03	2809321	0.03
		Purchase - 28/02/2020	28900	0.03	2838221	0.03
		Sale - 28/02/2020	-43538	0.03	2794683	0.03
		Purchase - 06/03/2020	363751	0.03	3158434	0.03
		Sale - 06/03/2020	-51410	0.03	3107024	0.03
		Purchase - 13/03/2020	2383	0.03	3109407	0.03
		Sale - 13/03/2020	-43525	0.03	3065882	0.03
		Purchase - 20/03/2020	117158	0.03	3183040	0.03
		Sale - 20/03/2020	-170412	0.03	3012628	0.03
		Purchase - 27/03/2020	9882	0.03	3022510	0.03
		Sale - 27/03/2020	-74828	0.03	2947682	0.03
		Purchase - 31/03/2020	96	0.03	2947778	0.03
		Sale - 31/03/2020	-13698	0.03	2934080	0.03
		At the end of the year (or on the date of separation)	-	-	2934080	0.03
5	Vivash Verma	At the beginning of the year	2651467	0.03	2651467	0.03
		Purchase - 05/04/2019	1157045	0.05	3808512	0.05
		Sale - 05/04/2019	-450	0.05	3808062	0.05
		Sale - 19/04/2019	-2100	0.05	3805962	0.05
		Sale - 24/05/2019	-680	0.05	3805282	0.05
		Sale - 31/05/2019	-425	0.05	3804857	0.05
		Purchase - 07/06/2019	50	0.05	3804907	0.05
		Sale - 14/06/2019	-480	0.05	3804427	0.05
		Sale - 21/06/2019	-640	0.05	3803787	0.05
		Sale - 28/06/2019	-320	0.05	3803467	0.05
		Sale - 19/07/2019	-160	0.05	3803307	0.05
		Sale - 02/08/2019	-665	0.05	3802642	0.05
		Sale - 23/08/2019	-640	0.05	3802002	0.05
		Sale - 06/09/2019	-480	0.05	3801522	0.05
		Sale - 27/09/2019	-320	0.05	3801202	0.05
		Sale - 30/09/2019	-940	0.05	3800262	0.05
		Sale - 11/10/2019	-360	0.05	3799902	0.05
		Sale - 18/10/2019	-160	0.05	3799742	0.05
		Sale - 25/10/2019	-405	0.04	3799337	0.04
		Sale - 01/11/2019	-740	0.04	3798597	0.04

			Shareholding at the beginning of the Year		Cumulative Shareholding during the Year	
Sl. No.	Name of the Share Holder	Particulars	No of Shares	% of total shares of the company	No of Shares	% of total shares of the company
		Purchase - 08/11/2019	462631	0.04	4261228	0.04
		Purchase - 15/11/2019	31582	0.04	4292810	0.04
		Sale - 29/11/2019	-960	0.04	4291850	0.04
		Sale - 06/12/2019	-160	0.04	4291690	0.04
		Sale - 27/12/2019	-320	0.04	4291370	0.04
		Sale - 10/01/2020	-10	0.04	4291360	0.04
		Sale - 24/01/2020	-1440	0.04	4289920	0.04
		Sale - 31/01/2020	-1325	0.04	4288595	0.04
		Sale - 07/02/2020	-160	0.04	4288435	0.04
		Sale - 14/02/2020	-420	0.04	4288015	0.04
		Sale - 06/03/2020	-70	0.04	4287945	0.04
		At the end of the year (or on the date of separation)	-	-	4287945	0.04
6	Morgan Stanley France S.A.	At the beginning of the year	1733903	0.02	1733903	0.02
		Purchase - 05/04/2019	40000	0.02	1773903	0.02
		Sale - 03/05/2019	-1390000	0.00	383903	0.00
		Sale - 10/05/2019	-360000	0.00	23903	0.00
		Sale - 12/07/2019	-23900	0.00	3	0.00
		Sale - 07/02/2020	-3	0.00	0	0.00
		At the end of the year (or on the date of separation)	-	-	0	0.00
7	Indian Syntans Investments Private Ltd.	At the beginning of the year	0	0.00	0	0.00
		Purchase - 19/07/2019	816000	0.01	816000	0.01
		Purchase - 02/08/2019	816000	0.02	1632000	0.02
		At the end of the year (or on the date of separation)	-	-	1632000	0.02
8	Angel Broking Ltd.	At the beginning of the year	1573672	0.02	1573672	0.02
		Purchase - 05/04/2019	317856	0.02	1891528	0.02
		Sale - 05/04/2019	-320998	0.02	1570530	0.02
		Purchase - 12/04/2019	63787	0.02	1634317	0.02
		Sale - 12/04/2019	-81289	0.02	1553028	0.02
		Purchase - 19/04/2019	42507	0.02	1595535	0.02
		Sale - 19/04/2019	-100396	0.02	1495139	0.02
		Purchase - 26/04/2019	32843	0.02	1527982	0.02
		Sale - 26/04/2019	-58652	0.02	1469330	0.02
		Purchase - 03/05/2019	190934	0.02	1660264	0.02
		Sale - 03/05/2019	-22966	0.02	1637298	0.02
		Purchase - 10/05/2019	92738	0.02	1730036	0.02
		Sale - 10/05/2019	-188207	0.02	1541829	0.02
		Purchase - 17/05/2019	130182	0.02	1672011	0.02
		Sale - 17/05/2019	-140466	0.02	1531545	0.02
		Purchase - 24/05/2019	50642	0.02	1582187	0.02
		Sale - 24/05/2019	-184262	0.02	1397925	0.02
		Purchase - 31/05/2019	32219	0.02	1430144	0.02

			Shareholding at the beginning of the Year		Cumulative Shareholding during the Year	
Sl. No.	Name of the Share Holder	Particulars	No of Shares	% of total shares of the company	No of Shares	% of total shares of the company
		Sale - 31/05/2019	-102432	0.02	1327712	0.02
		Purchase - 07/06/2019	6509	0.02	1334221	0.02
		Sale - 07/06/2019	-220491	0.01	1113730	0.01
		Purchase - 14/06/2019	97665	0.02	1211395	0.02
		Sale - 14/06/2019	-8266	0.02	1203129	0.02
		Purchase - 21/06/2019	84048	0.02	1287177	0.02
		Sale - 21/06/2019	-35339	0.02	1251838	0.02
		Purchase - 28/06/2019	14518	0.02	1266356	0.02
		Sale - 28/06/2019	-93607	0.02	1172749	0.02
		Purchase - 29/06/2019	6763	0.02	1179512	0.02
		Sale - 29/06/2019	-656	0.02	1178856	0.02
		Purchase - 05/07/2019	113996	0.02	1292852	0.02
		Sale - 05/07/2019	-314876	0.01	977976	0.01
		Purchase - 12/07/2019	186628	0.02	1164604	0.02
		Sale - 12/07/2019	-106780	0.01	1057824	0.01
		Purchase - 19/07/2019	152274	0.02	1210098	0.02
		Sale - 19/07/2019	-204345	0.01	1005753	0.01
		Purchase - 26/07/2019	104678	0.01	1110431	0.01
		Sale - 26/07/2019	-48918	0.01	1061513	0.01
		Purchase - 02/08/2019	163665	0.02	1225178	0.02
		Sale - 02/08/2019	-106740	0.01	1118438	0.01
		Purchase - 09/08/2019	260695	0.02	1379133	0.02
		Sale - 09/08/2019	-325309	0.01	1053824	0.01
		Purchase - 16/08/2019	48192	0.01	1102016	0.01
		Sale - 16/08/2019	-82548	0.01	1019468	0.01
		Purchase - 23/08/2019	42430	0.01	1061898	0.01
		Sale - 23/08/2019	-124081	0.01	937817	0.01
		Purchase - 30/08/2019	79167	0.01	1016984	0.01
		Sale - 30/08/2019	-63423	0.01	953561	0.01
		Purchase - 06/09/2019	133741	0.01	1087302	0.01
		Sale - 06/09/2019	-85155	0.01	1002147	0.01
		Purchase - 13/09/2019	76499	0.01	1078646	0.01
		Sale - 13/09/2019	-202994	0.01	875652	0.01
		Purchase - 20/09/2019	64000	0.01	939652	0.01
		Sale - 20/09/2019	-54038	0.01	885614	0.01
		Purchase - 27/09/2019	31988	0.01	917602	0.01
		Sale - 27/09/2019	-588098	0.00	329504	0.00
		Purchase - 30/09/2019	250368	0.01	579872	0.01
		Sale - 30/09/2019	-133626	0.01	446246	0.01
		Purchase - 04/10/2019	45961	0.01	492207	0.01
		Sale - 04/10/2019	-37775	0.01	454432	0.01
		Purchase - 11/10/2019	143571	0.01	598003	0.01
		Sale - 11/10/2019	-45633	0.01	552370	0.01
		Purchase - 18/10/2019	210825	0.01	763195	0.01
		Sale - 18/10/2019	-256753	0.01	506442	0.01
		Purchase - 25/10/2019	22627	0.01	529069	0.01

			Shareholding at the beginning of the Year		Cumulative Shareholding during the Year	
Sl. No.	Name of the Share Holder	Particulars	No of Shares	% of total shares of the company	No of Shares	% of total shares of the company
		Sale - 25/10/2019	-120593	0.00	408476	0.00
		Purchase - 01/11/2019	15583	0.00	424059	0.00
		Sale - 01/11/2019	-66768	0.00	357291	0.00
		Purchase - 08/11/2019	39898	0.00	397189	0.00
		Sale - 08/11/2019	-55091	0.00	342098	0.00
		Purchase - 15/11/2019	34459	0.00	376557	0.00
		Sale - 15/11/2019	-19549	0.00	357008	0.00
		Purchase - 22/11/2019	94524	0.00	451532	0.00
		Sale - 22/11/2019	-8701	0.00	442831	0.00
		Purchase - 29/11/2019	22027	0.00	464858	0.00
		Sale - 29/11/2019	-47734	0.00	417124	0.00
		Purchase - 06/12/2019	401614	0.01	818738	0.01
		Sale - 06/12/2019	-119058	0.01	699680	0.01
		Purchase - 13/12/2019	111588	0.01	811268	0.01
		Sale - 13/12/2019	-155548	0.01	655720	0.01
		Purchase - 20/12/2019	96237	0.01	751957	0.01
		Sale - 20/12/2019	-77805	0.01	674152	0.01
		Purchase - 27/12/2019	52214	0.01	726366	0.01
		Sale - 27/12/2019	-106152	0.01	620214	0.01
		Purchase - 31/12/2019	3796	0.01	624010	0.01
		Sale - 31/12/2019	-49000	0.01	575010	0.01
		Purchase - 03/01/2020	43509	0.01	618519	0.01
		Sale - 03/01/2020	-13994	0.01	604525	0.01
		Purchase - 10/01/2020	7949	0.01	612474	0.01
		Sale - 10/01/2020	-71847	0.01	540627	0.01
		Purchase - 17/01/2020	51703	0.01	592330	0.01
		Sale - 17/01/2020	-69208	0.01	523122	0.01
		Purchase - 24/01/2020	42062	0.01	565184	0.01
		Sale - 24/01/2020	-188821	0.00	376363	0.00
		Purchase - 31/01/2020	33667	0.00	410030	0.00
		Sale - 31/01/2020	-84422	0.00	325608	0.00
		Purchase - 07/02/2020	117290	0.00	442898	0.00
		Sale - 07/02/2020	-3140	0.00	439758	0.00
		Purchase - 14/02/2020	46603	0.00	486361	0.00
		Sale - 14/02/2020	-22615	0.00	463746	0.00
		Purchase - 21/02/2020	4945	0.00	468691	0.00
		Sale - 21/02/2020	-67550	0.00	401141	0.00
		Purchase - 28/02/2020	63959	0.00	465100	0.00
		Sale - 28/02/2020	-42870	0.00	422230	0.00
		Purchase - 06/03/2020	59340	0.00	481570	0.00
		Sale - 06/03/2020	-41876	0.00	439694	0.00
		Purchase - 13/03/2020	77185	0.00	516879	0.00
		Sale - 13/03/2020	-34386	0.00	482493	0.00
		Purchase - 20/03/2020	107687	0.01	590180	0.01
		Sale - 20/03/2020	-110378	0.00	479802	0.00
		Purchase - 27/03/2020	180852	0.01	660654	0.01

			Shareholding at the beginning of the Year		Cumulative Shareholding during the Year	
Sl. No.	Name of the Share Holder	Particulars	No of Shares	% of total shares of the company	No of Shares	% of total shares of the company
		Sale - 27/03/2020	-85064	0.01	575590	0.01
		Purchase - 31/03/2020	19616	0.01	595206	0.01
		Sale - 31/03/2020	-72459	0.01	522747	0.01
		At the end of the year (or on the date of separation)	-	-	522747	0.01
9	The New India Assurance Company Ltd.	At the beginning of the year	1463867	0.02	1463867	0.02
		Date-wise Increase/ Decrease in shareholding during the year	-	-	-	-
		At the end of the year (or on the date of separation)	-	-	1463867	0.01
10	Edelweiss Custodial Services Ltd.	At the beginning of the year	1392162	0.02	1392162	0.02
		Purchase - 05/04/2019	221373	0.02	1613535	0.02
		Purchase - 12/04/2019	12856	0.02	1626391	0.02
		Sale - 19/04/2019	-3144	0.02	1623247	0.02
		Purchase - 26/04/2019	37319	0.02	1660566	0.02
		Sale - 03/05/2019	-185499	0.02	1475067	0.02
		Sale - 10/05/2019	-285	0.02	1474782	0.02
		Purchase - 17/05/2019	101499	0.02	1576281	0.02
		Purchase - 24/05/2019	309607	0.02	1885888	0.02
		Sale - 31/05/2019	-237242	0.02	1648646	0.02
		Sale - 07/06/2019	-37093	0.02	1611553	0.02
		Sale - 14/06/2019	-101278	0.02	1510275	0.02
		Sale - 21/06/2019	-37432	0.02	1472843	0.02
		Sale - 28/06/2019	-22820	0.02	1450023	0.02
		Sale - 05/07/2019	-193197	0.02	1256826	0.02
		Sale - 12/07/2019	-12261	0.02	1244565	0.02
		Purchase - 19/07/2019	199676	0.02	1444241	0.02
		Purchase - 26/07/2019	59728	0.02	1503969	0.02
		Sale - 02/08/2019	-298807	0.02	1205162	0.02
		Purchase - 09/08/2019	16029	0.02	1221191	0.02
		Purchase - 16/08/2019	878	0.02	1222069	0.02
		Purchase - 23/08/2019	8986	0.02	1231055	0.02
		Sale - 30/08/2019	-28378	0.02	1202677	0.02
		Purchase - 06/09/2019	24586	0.02	1227263	0.02
		Purchase - 13/09/2019	316348	0.02	1543611	0.02
		Purchase - 20/09/2019	78669	0.02	1622280	0.02
		Sale - 27/09/2019	-152643	0.02	1469637	0.02
		Sale - 30/09/2019	-266828	0.02	1202809	0.02
		Sale - 04/10/2019	-3991	0.02	1198818	0.02
		Sale - 11/10/2019	-5380	0.02	1193438	0.02
		Sale - 18/10/2019	-391491	0.01	801947	0.01
		Sale - 25/10/2019	-50883	0.01	751064	0.01
		Sale - 01/11/2019	-91004	0.01	660060	0.01
		Purchase - 08/11/2019	152375	0.01	812435	0.01

Sl. No.	Name of the Share Holder	Particulars	Shareholding at the beginning of the Year		Cumulative Shareholding during the Year	
			No of Shares	% of total shares of the company	No of Shares	% of total shares of the company
		Sale - 15/11/2019	-56466	0.01	755969	0.01
		Purchase - 22/11/2019	88434	0.01	844403	0.01
		Sale - 29/11/2019	-44971	0.01	799432	0.01
		Sale - 06/12/2019	-219364	0.01	580068	0.01
		Sale - 13/12/2019	-1182	0.01	578886	0.01
		Sale - 20/12/2019	-95091	0.00	483795	0.00
		Sale - 27/12/2019	-75633	0.00	408162	0.00
		Purchase - 31/12/2019	6084	0.00	414246	0.00
		Sale - 03/01/2020	-4255	0.00	409991	0.00
		Purchase - 10/01/2020	4751	0.00	414742	0.00
		Sale - 17/01/2020	-49436	0.00	365306	0.00
		Sale - 24/01/2020	-7260	0.00	358046	0.00
		Purchase - 31/01/2020	8244	0.00	366290	0.00
		Purchase - 07/02/2020	272222	0.01	638512	0.01
		Purchase - 14/02/2020	181532	0.01	820044	0.01
		Sale - 21/02/2020	-3187	0.01	816857	0.01
		Purchase - 28/02/2020	12183	0.01	829040	0.01
		Sale - 06/03/2020	-359594	0.00	469446	0.00
		Sale - 13/03/2020	-89344	0.00	380102	0.00
		Sale - 20/03/2020	-16517	0.00	363585	0.00
		Sale - 27/03/2020	-35768	0.00	327817	0.00
		Sale - 31/03/2020	-3492	0.00	324325	0.00
		At the end of the year (or on the date of separation)	-	-	324325	0.00

v) Shareholding of Directors and Key Managerial Personnel:

S. N.			Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
			No. of Shares	% of total shares of the Bank	No. of shares	% of total shares of the Bank
DIRECTORS						
1.	Shri M. R. Kumar, Non Executive Chairman (DIN- 03628755) (w.e.f. 13.05.2019)	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		On the date of separation	0	0	0	0
2.	Shri Rakesh Sharma, MD & CEO (DIN- 06846594) [w.e.f. 10.10.2018]	At the beginning of the year	2500	0	2500	0
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year Purchase: 05.04.2019 (actual trade was carried out on 29.03.2019).	1900	0	4400	0
		At the end of the year	4400	0	4400	0
3.	Shri K. P. Nair, DMD (DIN- 02611496) [upto 31.05.2019]	At the beginning of the year	320	0	320	0
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the end of the year	320	0	320	0

S. N.			Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
			No. of Shares	% of total shares of the Bank	No. of shares	% of total shares of the Bank
4.	Shri G. M. Yadwadkar, DMD (DIN- 01432796) [upto 14.09.2019]	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the end of the year	0	0	0	0
5.	Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD (DIN- 02262530) [w.e.f. 20.09.2019]	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the end of the year	0	0	0	0
6.	Shri Suresh Khatanhar, DMD (DIN- 03022106) [w.e.f. 15.01.2020]	At the beginning of the year	24200	0	24200	0
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		On the date of separation	24200	0	24200	0
7.	Shri Sudhir Shyam (DIN- 08135013)	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the end of the year)	0	0	0	0
8.	Shri Rajesh Kandwal (DIN- 02509203)	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the end of the year	0	0	0	0
9.	Ms. Meera Swarup (DIN- 07459492) [w.e.f. 20.08.2019]	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At on the date of separation	0	0	0	0
10.	Shri Gyan Prakash Joshi, Independent Director (DIN- 00603925)	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the end of the year	0	0	0	0
11.	Dr. Ashima Goyal, Independent Director (DIN- 00233635)	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the end of the year	0	0	0	0
12.	Shri B. B. Joshi, Independent Director (DIN- 06713850)	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the end of the year	0	0	0	0
13.	Shri Samaresh Parida, Independent Director (DIN- 01853823)	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the end of the year	0	0	0	0

S. N.			Shareholding at the beginning of the year		Cumulative Shareholding during the year	
			No. of Shares	% of total shares of the Bank	No. of shares	% of total shares of the Bank
14.	Shri N. Jambunathan, Independent Director (DIN- 05126421)	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the end of the year	0	0	0	0
15.	Shri Deepak Singhal, Independent Director (DIN- 08375146)	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the end of the year	0	0	0	0
16.	Shri Sanjay Kallapur, Independent Director (DIN- 08377808)	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the end of the year	0	0	0	0
Key Managerial Personnel						
1.	Shri Ajay Sharma, CFO	At the beginning of the year	120	0	120	0
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the end of the year	120	0	120	0
2.	Shri Pawan Agrawal, Company Secretary Membership No.: F7744	At the beginning of the year	0	0	0	0
		Date-wise increase/ decrease in shareholding during the year	0	0	0	0
		At the end of the year	0	0	0	0

V INDEBTEDNESS

Indebtedness of the Bank including interest outstanding/accrued but not due for payment

(₹ in '000s)

		Secured Loans excluding deposits	Unsecured Loans	Deposits	Total Indebtness
Indebtedness at the beginning of the financial year					
i.	Principal Amount	146109072.29	529619851.00	2273717247.00	2949446170.29
ii.	Interest due but not paid	0.00	0.00	0.00	0.00
iii.	Interest accrued but not due	47293.68	6061095.30	3174516.00	9282904.98
Total (i+ii+iii)		**146156365.97**	**535680946.30**	**2276891763.00**	**2958729075.27**
Change in Indebtedness during the financial year			0.00		
-	Addition	0.00	39210400.00	0.00	39210400.00
-	Reduction	2551985.87	71664342.00	50478743.00	124695070.87
Net Change		**(2551985.87)**	**(32453942.00)**	**(50478743.00)**	**(85484670.87)**
Indebtedness at the end of the financial year					
i.	Principal Amount	116448039.44	444832470.00	2224241252.00	2785521761.44
ii.	Interest due but not paid	0.00	0.00	0.00	0.00
iii.	Interest accrued but not due	21346.74	4589642.76	2171768.00	6782757.50
Total (i+ii+iii)		**116469386.18**	**449422112.76**	**2226413020.00**	**2792304518.94**

VI. REMUNERATION OF DIRECTORS AND KEY MANAGERIAL PERSONNEL

Remuneration of Directors and Key Managerial Personnel for Financial Year 2019-20

A. Remuneration to Managing Director, Whole-time Directors and/or Manager:

Sr. No	Particulars of Remuneration	Name of MD/ WTD					Total Amount (₹)
		Shri Rakesh Sharma, MD & CEO from 01.04.2019 to 31.03.2020	Shri K. P. Nair, DMD [upto 30.05.2019]	Shri G. M. Yadwadkar, DMD [upto 14.09.2019]	Shri Samuel Joseph Jebaraj, DMD [w.e.f. 20.09.2019 to 31.03.2020]	Shri Suresh Khatanhar, DMD [w.e.f. 15.01.2020 to 31.03.2020]	
1.	Gross Salary (a) Salary as per provisions contained in section 17(1) of the Income Tax Act, 1961	3185976.00	936516.00	1723259.80	1803524.00	559351.00	**8208626.80**
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) of the Income Tax Act, 1961	560523.00	57821.20	180186.33	3430.00	124318.00	**926278.53**
	(c) Profits in lieu of salary u/s 17(3) of the Income Tax Act, 1961	-	-	-	-	-	-
2.	Stock Option	-	-	-	-	-	-
3.	Sweat Equity	-	-	-	-	-	-
4.	Commission	-	-	-	-	-	-
	- As % of profit						
	- Others, specify						
5	Others, please specify [OL Enc] [LFC]	-	1690050.00	914268.00	-	-	**2604318.00**
	Total (A)	**3746499.00**	**2684387.20**	**2817714.13**	**1806954.00**	**683669.00**	**11739223.33**
	Ceiling as per the Act	-	-	-	-	-	-

B. Remuneration to Other Directors

	Particulars of Remuneration			
Name of the Directors	**Fees for attending Board/Committee meetings**	**Commission**	**Others, Please specify**	**Total**
Independent Directors				
Shri Gyan P. Joshi	11,80,000	-	-	11,80,000
Dr. Ashima Goyal	9,60,000	-	-	9,60,000
Shri B. B. Joshi	13,45,000	-	-	13,45,000
Shri Deepak Singhal	13,05,000	-	-	13,05,000
Shri N. Jambunathan	13,90,000	-	-	13,90,000
Shri Samaresh Parida	10,95,000	-	-	10,95,000
Shri Sanjay G. Kallapur	10,75,000	-	-	10,75,000
TOTAL	**83,50,000**	**-**	**-**	**83,50,000**
Other Non-Executive Directors				
Shri M. R. Kumar (paid into the account of LIC)	3,00,000	-	-	3,00,000
Shri Rajesh Kandwal (paid into the account of LIC upto July 31, 2019)	9,00,000	-	-	9,00,000
Shri Sudhir Shyam	-	-	-	-
Ms. Meera Swarup	-	-	-	-
TOTAL (2)	**12,00,000**	**-**	**-**	**12,00,000**
TOTAL (1+2)	**95,50,000**	**-**	**-**	**95,50,000**

C. Remuneration of Key Managerial Personnel other than MD/ Manager/ WTD

S.N.	Particulars of Remuneration	Key Managerial Personnel		Total Amount (₹)
		Shri Ajay Sharma, CFO, from 01.04.2019 to 31.03.2020	Shri Pawan Agrawal, CS, from 01.04.2019 to 31.03.2020	
1.	Gross Salary			
	(a) Salary as per provisions contained in Section 17(1) of the Income Tax Act, 1961	3445550.27	3093170.99	6538721.26
	(b) Value of perquisites u/s 17(2) of the Income Tax Act, 1961	504122.59	737540.72	1241663.31
	(c) Profits in lieu of salary u/s17(3) of the Income Tax Act, 1961	-	-	-
2.	Stock Option	-	-	-
3.	Sweat Equity	-	-	-
4.	Commission	-	-	-
	- As % of profit - Others, specify			
5	Others, please specify OL Encashment	-	90930.00	90930.00
	LFC	75000.00	50000.00	125000.00
	Total	**4024672.86**	**3971641.71**	**7996314.57**

V. PENALTIES/PUNISHMENT/COMPOUNDING OF OFFENCES:

Type	Section of the Companies Act	Brief Description	Details of Penalty/ Punishment Compounding Fees imposed	Authority [RD/ NCLT /Court]	Appeal made, if any
A. Company – IDBI Bank Ltd.					
Penalty	Nil				
Punishment	Nil				
Compounding	Nil				
B. Directors					
Penalty	Nil				
Punishment	Nil				
Compounding	Nil				
C. Other Officers in Default					
Penalty	Nil				
Punishment	Nil				
Compounding	Nil				

Annexure-B

AOC-2

(Pursuant to clause (h) of sub-section (3)of section 134 of the Act and Rule 8(2) of the Companies (Accounts) Rules, 2014)

Form for disclosure of particulars of contracts/arrangements entered into by the company with related parties referred to in sub-section (1) of section 188 of the Companies Act, 2013
including certain arm's length transactions under third proviso thereto

i. Details of contracts or arrangements or transactions not at arm's length basis

Sl. No.	Name of the related party and nature of relationship	Nature of contracts/ arrangements/ transactions	Duration of the contracts / arrangements/ transactions	Salient terms of the contracts or arrangements or transactions including the value, if any	Justification for entering into such contracts or arrangements or transactions	Date of approval by the Board	Amount paid as advances, if any:	Date on which the special resolution was passed in general meeting as required under first proviso to Section 188

NIL

ii. Details of material contracts or arrangement or transactions at arm's length basis

Sl. No.	Name of the related party and nature of relationship	Nature of contracts/ arrangements/ transactions	Duration of the contracts / arrangements/ transactions	Salient terms of the contracts or arrangements or transaction including the value, if any:	Date(s) of approval by the Board, if any:	Amount paid as advances, if any:

NIL

Sd/-
Rakesh Sharma
(DIN -06846594)
Managing Director & CEO
Dated: June 5, 2020

Annexure-C

Annual Report on CSR

1. **A brief outline of the Bank's CSR policy, including overview of projects or programmes proposed to be undertaken and a reference to the web-link to the CSR policy and projects or programmes.**

   The Bank's CSR objective is to make material, visible and lasting difference to the lives of disadvantaged sections of society by identifying gaps and extending need-based contribution for their betterment. The Bank seeks to achieve this through direct intervention as well as acting as a catalyst for development and creating a partnership with the beneficiaries.

   The Bank's CSR policy, inter alia, provides the platform for undertaking interventions in areas such as healthcare, education, gender equality and socio-economic empowerment, environmental sustainability, enhancement of livelihood opportunities and rural development projects.

   The web-link to the CSR policy and projects or programs is https://www.idbibank.in/pdf/CSR-Policy.pdf

2. **The Composition of the CSR Committee:** The composition of the CSR Committee of Board is presented in the table below:

Sr. no	Directors	Position
1	Shri Rakesh Sharma	MD & CEO – Chairman of the Committee
2	Shri Samuel Joseph Jebaraj	Dy. Managing Director
3	Shri Suresh Khatanhar	Dy. Managing Director
4	Shri Sudhir Shyam	Government Nominee Director
5	Dr. Ashima Goyal	Independent Director

3. **Average net profit of the Bank for last three financial years:** The Bank incurred average net loss (for CSR purpose) of ₹ 8,193.62 crore for the last three financial years i.e. FY17, FY18 and FY19

4. **Prescribed CSR Expenditure (two per cent of the amount as in item 3 above): NIL.** The Bank has incurred average net loss of ₹ 8193.62 crore for the last three financial years i.e. FY17, FY18 and FY19. Thus, in terms of Section 135 (1) of the Companies Act, 2013, CSR spend is not mandatory for the Bank.

5. **Details of CSR spent during the financial year:**

   The Bank has incurred average net loss of ₹ 8,193.62 crore for the last three financial years i.e. FY17, FY18 and FY19. Thus, in terms of Section 135 (1) of the Companies Act, 2013, CSR spend is not mandatory for the Bank.

   (a) **Total amount to be spent for the financial year: NIL**

   (b) **Amount unspent, if any: NIL**

   (c) **Manner in which the amount spent during the financial year is detailed below: NIL**

1	2	3	4		5	6		7	8
	CSR project or activity identified	Sector in which the project is covered	Projects or Programmes		Amount outlay (budget) project or programs wise (in Rupees)	Amount spent on the projects or programs Sub-Heads (in Rupees)		Cumulative expenditure upto the reporting period	Amount spent Direct or through implementing agency
			Local area or other	Specify the State and district where projects or program was undertaken		Direct expenditure on projects or programs	Overheads		
	NIL								

6. **In case the Bank has failed to spend the two percent of the average net profit of the last three financial years or any part thereof, the company shall provide the reasons for not spending the amount in its Board Report**

   In consonance with the broad guidelines outlined in the Companies Act, 2013, there is no requirement for IDBI Bank to incur any spends under CSR during FY 2019-20.

7. **A responsibility statement of the CSR Committee that the implementation and monitoring of CSR Policy, is in compliance with CSR objectives and Policy of the company**

   The CSR Committee of IDBI Bank declares that CSR policy, implementation and monitoring thereof is, in letter and spirit, in compliance with CSR objectives of the company.

Sd/-
Rakesh Sharma
(DIN -06846594)
Managing Director & CEO
Chairman of CSR Committee
June 09, 2020

Form No. MR-3
SECRETARIAL AUDIT REPORT

FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH 2020

[Pursuant to Section 204(1) of the Companies Act, 2013 and Rule No. 9 of the Companies (Appointment and Remuneration of Managerial Personnel) Rules, 2014]

To,
The Members,
IDBI Bank Limited
CIN: L65190MH2004GOI148838
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade, Mumbai – 400005.

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to good corporate practices by IDBI Bank Limited (hereinafter called 'the Company'). Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts / statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the Company's books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company and also the information provided by the Company, its officers, agents and authorized representatives during the conduct of secretarial audit, we hereby report that in our opinion, the Company has, during the audit period covering the Financial Year ended 31st March, 2020, complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Company has proper Board-processes and compliance-mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter.

We have examined the books, papers, minute books, forms and returns filed and other records maintained by the Company for the Financial Year ended 31st March, 2020 according to the provisions of:

i. The Companies Act, 2013 ('the Act') and the rules made thereunder;

ii. The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;

iii. The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;

iv. Foreign Exchange Management Act, 1999 and the Rules and Regulations made thereunder to the extent of Foreign Direct Investment, Overseas Direct Investment and External Commercial Borrowings – **Not applicable as no reportable event during the year under review;**

v. The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act,1992 ('SEBI Act'):

   a. The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;

   b. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015;

   c. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018;

   d. The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 – **Not applicable as the Company has not issued any shares / options to Directors / Employees under the said Regulations during the period under review;**

   e. The Securities and Exchange Board of India (Issue and Listing of Debt Securities) Regulations, 2008;

   f. The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations,1993 regarding the Companies Act and dealing with client – **Not applicable as the Company is not registered as Registrar to Issue and Share Transfer Agent during the financial year under review;**

g. The Securities and Exchange Board of India (Delisting of Equity Shares) Regulations, 2009 – **Not applicable as the Company has not delisted / proposed to delist its equity shares from any stock exchange during the financial year under review; and**

h. The Securities and Exchange Board of India (Buyback of Securities) Regulations, 2018 – **Not applicable as the Company has not bought back/proposed to buy back any of its securities during the financial year under review;**

i. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

vi. The management has identified and confirmed the following laws as applicable to the Company:

1. Bankers' Books Evidence Act, 1891;

2. Negotiable Instruments Act 1881;

3. Reserve Bank of India (RBI) Act, 1934;

4. Banking Regulation Act, 1949 & Banking Companies Rules, 1949 (as amended from time-to-time);

5. The Banking Companies (Period of Preservation of Records) Rules, 1985;

6. The Recovery of Debts due to Banks and Financial Institutions Act,1993;

7. The Prevention of Money-Laundering Act (PMLA), 2002 and The Prevention of Money-Laundering (Maintenance of Records, etc) Rules, 2005;

8. Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest (SARFAESI) Act, 2002;

9. The Payment and Settlement Systems Act, 2007;

10. Insolvency & Bankruptcy Code, 2016;

11. The Consumer Protection Act, 1986;

12. Securities and Exchange Board of India (Bankers to an Issue) Regulations, 1994;

13. Securities and Exchange Board of India (Depositories and Participants) Regulations, 1994;

14. Applicable provisions of Foreign Exchange Management Act, 1999 and Rules, Regulations and notifications issued from time-to-time;

15. Reserve Bank of India (Amendment and Misc. Provisions) Act, 1953;

16. Banking Ombudsman Scheme, 2006.

We have also examined compliance with the applicable clauses of the following:

(i) Secretarial Standards with regard to Meetings of Board of Directors (SS-1) and General Meetings (SS-2) issued by The Institute of Company Secretaries of India;

(ii) Listing Agreements entered into with BSE Ltd. and National Stock Exchange of India Ltd.

During the period under review, the Company has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards etc. mentioned above:

We further report that:

- The Board of Directors of the Company is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors, Independent Directors and Woman Director(s). The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the period under review were carried out in compliance with the provisions of the Act.

- Adequate notice is given to all Directors pertaining to the schedule of the Board / Committee Meetings and agenda & detailed notes on agenda were sent atleast seven days in advance except where consent of Directors was received for circulation of the notice, Agenda and notes on Agenda less than seven days before the meeting.

- A system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

- All decisions of the Board and Committee meetings were carried with requisite majority.

We further report that based on the review of the compliance mechanism established by the Company and on the basis Compliance Certificate(s) issued by various authorized officials and taken on record by the Board of Directors at their meeting(s) we are of the opinion that the Company has systems and processes and is taking efforts to further strengthen them so as to make them commensurate with the size and operations of the Company, to monitor and ensure compliance with all applicable laws, rules, regulations and guidelines.

- As informed, the Company has responded appropriately to notices received from various statutory/regulatory authorities by initiating actions for corrective measures, wherever necessary.

During the Audit period the following events/ actions having a major bearing on Company's affairs in pursuance of the above referred laws, rules, regulations, guidelines, standards referred to above have taken place:

- The Company has:
    1. Allotted 129,57,06,568 equity shares to Government of India and 13,48,59,255 equity shares to Life Insurance Corporation of India on 23rd October, 2019 on Preferential basis;
    2. Issued and Allotted Debt Securities aggregating to ₹ 745 Crore on private placement basis.
    3. Redeemed Debt Securities (including call options) aggregating to ₹ 3,839.79 crore on their respective due dates.
    4. Altered the Memorandum and Articles of Association to increase the Authorised Capital of the Bank from ₹ 15,000 crore to ₹ 25,000 crore on 22nd October, 2019.
    5. The members at the Annual General meeting held on 20th August 2019 have passed special resolutions to authorise the Board of Directors to raise funds, way of issue of equity shares through one or more modes, upto ₹ 11000 crore.

The Report is to be read with our letter of even date which is annexed as Annexure – A hereto and forms an integral part of this report.

For **S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co.**
Company Secretaries
ICSI Unique Code: P1991MH040400
Peer Review Cert. No.: 606/2019

S. N. Ananthasubramanian
Partner
FCS: 4206 I COP No.: 1774
ICSI UDIN: F004206B000324341

8th June, 2020 I Thane

Annexure – A

To,
The Members,
IDBI Bank Ltd.
CIN:L65190MH2004GOI148838
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade, Mumbai – 400005.

Our Secretarial Audit Report for the Financial Year ended **31st March, 2020** of even date is to be read along with this letter.

Management's Responsibility

1. It is the responsibility of the management of the Company to maintain secretarial records, devise proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and regulations and to ensure that the systems are adequate and operate effectively.

Auditor's Responsibility

2. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records, standards and procedures followed by the Company with respect to secretarial compliances.
3. We believe that audit evidence and information obtained from the Company's management is adequate and appropriate for us to provide a basis for our opinion.
4. Wherever required, we have obtained the management's representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.

Disclaimer

5. The Secretarial Audit Report is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.
6. We have not verified the correctness and appropriateness of financial records and Books of Accounts of the Company.

For **S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co.**
Company Secretaries
ICSI Unique Code: P1991MH040400
Peer Review Cert. No.: 606/2019

S. N. Ananthasubramanian
Partner
FCS: 4206 | COP No.: 1774
ICSI UDIN: F004206B000324341

8th June, 2020 | Thane

CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

[Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C Clause (10)(i) of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]

To,
The Members of
IDBI BANK LIMITED
CIN: L65190MH2004GOI148838
IDBI Tower WTC Complex, Cuffe Parade Mumbai - 400005

We have examined the following documents:

i) Declaration of non-disqualification as required under Section 164 of Companies Act, 2013 ('the Act');

ii) Disclosure of concern or interests as required under Section 184 of the Act;(hereinafter referred to as 'relevant documents')

as submitted by the Directors of IDBI Bank Limited('the Company') bearing CIN: L65190MH2004GOI148838 and having its registered office at IDBI Tower WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai 400005, to the Board of Directors of the Company ('the Board') for the Financial Year 2019-20 and Financial Year 2020-21and relevant registers, records, forms and returns maintained by the Company and as made available to us for the purpose of issuing this Certificate in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para C Clause 10(i) of SEBI (LODR) Regulations, 2015. We have considered non-disqualification to include non-debarment by Regulatory/ Statutory Authorities.

It is the responsibility of Directors to submit relevant documents with complete and accurate information in accordance with the provisions of the Act.

Ensuring the eligibility for the appointment / continuity of every Director on the Board is the responsibility of the management of the Company. Our responsibility is to express an opinion based on our verification.

Based on our examination as aforesaid and such other verifications carried out by us as deemed necessary and adequate (including Directors Identification Number (DIN) status at the portal www.mca.gov.in), in our opinion and to the best of our information and knowledge and according to the explanations provided by the Company, its officers and authorized representatives, we hereby certify that, during the Financial Year ended 31st March 2020, none of the Directors on the Board of the Company, as listed hereunder have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of Companies by Securities and Exchange Board of India/ Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority.

Sr. No.	Name of Director	Director Identification Number (DIN)	Date of Appointment	Date of cessation
1	Mr. Gyan Prakash Joshi	00603925	28/08/2015	NA
2	Mr. Pankaj Jain	00675922	02/05/2016	08/08/2019
3	Mr. G M Yadwadkar	01432796	15/09/2016	14/09/2019
4	Mr. Krishna Prasad Nair	02611496	15/09/2016	31/05/2019
5	Dr. Ashima Goyal	00233635	28/04/2017	NA
6	Mr. Bhuwanchandra Balkrishna Joshi	06713850	09/10/2017	NA
7	Mr. Samaresh Parida	01853823	19/05/2018	NA
8	Mr. Jambunathan Narayanan	05126421	19/05/2018	NA
9	Mr. Sudhir Shyam	08135013	16/05/2018	NA
10	Mr. Rakesh Sharma	06846594	10/10/2018	NA
11	Mr. Rajesh Kandwal	02509203	21/01/2019	NA
12	Mr. Deepak Singhal	08375146	28/02/2019	NA
13	Mr. Sanjay Gokuldas Kallapur	08377808	05/03/2019	NA
14	Mr. M. R. Kumar	03628755	13/05/2019	NA
15	Ms. Meera Swarup	07459492	20/08/2019	NA
16	Mr. Samuel Joseph Jebaraj	02262530	20/09/2019	NA
17	Mr. Suresh Khatanhar	03022106	15/01/2020	NA

This certificate is neither an assurance as to the future viability of the Company nor of the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Company.

This Certificate has been issued at the request of the Company to make disclosure in its Corporate Governance Report of the Financial Year ended 31st March, 2020

For **S. N. ANANTHASUBRAMANIAN & Co.**
Company Secretaries
ICSI Unique Code: P1991MH040400
Peer Review Cert. No.: 606/2019

S. N. Ananthasubramanian
Partner
FCS: 4206 I COP No.: 1774
ICSI UDIN: F004206B000295200

28th May, 2020 I Thane

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट

Independent Auditor's Report

प्रति,

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सदस्यगण

एकल वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

हमने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ('बैंक') के संलग्न एकल वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है जिसमें 31 मार्च 2020 के तुलन पत्र, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ-हानि लेखे और नकदी प्रवाह विवरण तथा महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल हैं. इन एकल वित्तीय विवरणों में दुबई स्थित विदेश शाखा से संबंधित 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए विवरणी शामिल है जिसकी लेखा परीक्षा स्थानीय लेखा परीक्षा फर्म द्वारा की गई है.

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त एकल वित्तीय विवरण बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 29 और साथ ही साथ कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के द्वारा बैंकिंग कंपनियों से यथा अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं और अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पठित लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च 2020 को बैंक के कार्यों की स्थिति और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसकी हानि तथा नकदी प्रवाह की सही एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं.

अभिमत हेतु आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत लेखापरीक्षा पर विनिर्दिष्ट मानकों (एसए) के अनुरूप की है. उन मानकों (एसए) के अंतर्गत हमारा उत्तरदायित्व हमारी रिपोर्ट की वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व खंड में वर्णित है. हम वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं तथा कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार समूह से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन आवश्यकताओं एवं आचार संहिता के अनुरूप अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है. हमारा विश्वास है कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किया है वह हमारे अभिमत को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त है.

महत्वपूर्ण विषय

हम टिप्पणी 18(ए) (एक्स)14 की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जिसमें सार्स-सीओवी-2 वायरस (कोविद-19) के प्रकोप के कारण कारोबारी अनिश्चितताओं का उल्लेख किया गया है. इन अनिश्चितताओं को देखते हुए बैंक के परिणामों पर प्रभाव मुख्यतः भावी परिवर्तनों पर निर्भर करेगा.

इस मामले में हमारे अभिमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है.

To,

The Members of IDBI Bank Limited

Report on the Audit of the Standalone Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying standalone financial statements of IDBI Bank Limited ('the Bank'), which comprise the Balance Sheet as at 31 March 2020, the Profit and Loss Account and the Cash Flow Statement for the year then ended, and a summary of the significant accounting policies and other explanatory information. Incorporated in these standalone financial statements are the returns of the foreign branch at Dubai for the year ended 31 March 2020, which has been audited by a local audit firm.

In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid standalone financial statements give the information required by the section 29 of the Banking Regulation Act, 1949, as well as the Companies Act, 2013 ('Act') and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India, in the manner so required for banking companies and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards prescribed under section 133 of the Act, read with rules made thereunder, of the state of affairs of the Bank as at 31 March 2020, and its loss and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

We draw attention to Note 18 (A)(X)(14) which describes the business uncertainties due to the outbreak of SARS-CoV-2 virus (COVID-19). In view of these uncertainties, the impact on the Bank's results is significantly dependent on future developments.

Our opinion is not modified in respect of this matter

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक विवेक के अनुसार चालू अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे. इन मामलों का एकल वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उन पर हमारी राय बनाने में पूर्ण उल्लेख किया गया था तथा हम इन मामलों पर अलग से राय नहीं देते हैं. हमने नीचे वर्णित मामलों का निर्धारण प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में अपनी रिपोर्ट में किया है:

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षक का जवाब
आस्थगित कर आस्ति की मान्यता और मापन	
बैंक ने यथा 31 मार्च 2020 को ₹15749.58 करोड़ की निवल आस्थगित कर आस्ति का निर्धारण किया है, जिसमें वर्ष के दौरान ₹3919.90 करोड़ का निवल विपर्यय शामिल है. आस्थगित कर आस्ति के निर्धारण और मापन, वस्तुनिष्ठ अनुमान के अलावा भविष्य में लाभों की उपलब्धता और दृश्यता के संबंध में विविध निर्णयों और अनुमानों और साथ ही कोविद -19 महामारी के संभावित प्रभाव पर निर्भर है. आस्थगित कर आस्ति की अभिनिर्धारित राशि में विस्तारित अवधि में लाभ की उपलब्धता की संभावना पूर्वानुमानित की गई है, जिससे अनिश्चितता और उक्त आस्ति में निहित अनुपयुक्त निर्धारण का जोखिम बढ़ा है.	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में प्रयोज्य कर कानूनों और बैंक पर लागू संबंधित विनियमों को समझना शामिल था. हमने अपनी नियंत्रण परीक्षण के एक भाग के रूप में निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं पूरी कीं: • एएस 22 'आय पर कर के लेखांकन' के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों के निर्धारण और मापन के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं का मूल्यांकन; • कोविद-19 के संभावित प्रभाव सहित प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त अन्य मापदंडों और अनुमानों के आधार पर लाभों की उपलब्धता की संभावना का मूल्यांकन किया गया, जिसमें से बैंक, निदेशक मंडल द्वारा एकल वित्तीय विवरण स्वीकार करते समय नोट किए गए पूर्वानुमानों के संदर्भ में भविष्य में इस आस्थगित कर आस्ति का उपयोग कर सकेगा. • प्रयोज्य कर दरों के संदर्भ में आस्थगित कर आस्ति का निर्धारण करने में अपनाई गई पद्धति का मूल्यांकन किया गया तथा अंकगणितीय सटीकता का परीक्षण किया गया.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in the audit of the Standalone Financial Statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the Standalone Financial Statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report:

Key Audit Matters	Auditor's Response
Recognition and Measurement of Deferred Tax Asset	
The Bank has recognised a net deferred tax asset of ₹ 15749.58 Crores as on March 31, 2020, including net reversal of ₹ 3919.90 Crores during the year. Besides objective estimation, recognition and measurement of deferred tax asset is based on the judgment and numerous estimates regarding the availability and visibility of profits in the future and also considering probable impact of Covid-19 pandemic. The amount of deferred tax assets recognised presumes availability and forecasting of profits over an extended period of time thus increasing uncertainty and the inherent risk of inappropriate recognition of the said asset.	Our audit procedures involved gaining an understanding of the applicable tax laws and relevant regulations applicable to the Bank. We performed the following audit procedures as part of our controls testing including: • evaluation of the policies used for recognition and measurement of deferred tax assets in accordance with AS 22 Accounting for Taxes on Income; • assessed the probability of the availability of profits based on assumptions and other parameters used by the Management including the probable impact of Covid-19 pandemic against which the Bank will be able to use this deferred tax asset in the future with reference to forecast as noted by the Board of Directors while adopting the standalone financial statements. • assessed the method for determining the Deferred Tax Asset with reference to applicable tax rates and tested the arithmetical accuracy.

अग्रिमों के लिए आय निर्धारण एवं आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) तथा विनियामक मानदंडों के अनुसार प्रावधानीकरण	
कृपया गैर-निष्पादक आस्तियों (एनपीए) में परिवर्तन के संबंध में आस्ति गुणवत्ता संबंधी तथा गैर-निष्पादक आस्तियों (एनपीए) संबंधी प्रावधानों एवं प्रकटनों विषयक टिप्पणी क्रमशः सं. 18 (ए) (x) (I) एवं 18 (ए) (v) (2) और साथ ही कोविद-19 महामारी के संभावित प्रभाव के कारण किए गए प्रावधानों की टिप्पणी सं. 18 (ए)(x)(14) का संदर्भ लें. अग्रिमों के लिए आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण तथा इसके साथ-साथ निवेशों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामला है क्योंकि इसमें तात्विकता तथा बैंक की मौजूदा प्रक्रियाएँ निहित हैं जिनके लिए मानवीय हस्तक्षेप, प्रबंधन अनुमान एवं निर्णय आवश्यक है.	हमारे लेखापरीक्षित दृष्टिकोण के अंतर्गत अग्रिमों और निवेशों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण की रूपरेखा, आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता और समुचित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का परीक्षण शामिल है. इसमें विशेष रूप से निम्न बातें शामिल हैं: • हमने अग्रिमों और निवेशों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण के संबंध में आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन कर उसे समझा है. • हमने अग्रिमों और निवेशों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण के संबंध में मानवीय प्रक्रिया और मानवीय नियंत्रणों सहित प्रमुख आईटी प्रणालियों/एप्लीकेशनों, उनकी डिजाइन और कार्यान्वयन तथा संबंधित नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया है. • हमने अभिलिखित राशि की वैधता, ऋण दस्तावेजीकरण की जांच करने के लिए अग्रिमों का परीक्षण किया है. हमने रिज़र्व बैंक के लागू दिशानिर्देशों के अनुसार खातों के विवरण, हानि संकेतकों, गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए हानि प्रावधानों तथा अग्रिमों और निवेशों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण के अनुपालनों की जांच की है;

Income Recognition and Asset Classification of Advances (IRAC) and Provisioning as per regulatory norms	
Please refer to Note nos. 18(A)(X)(I) and 18(A)(V)(2) relating to Asset Quality in respect of movement of Non-Performing Assets (NPAs) and related provisions and disclosures with regard to Non Performing Investments (NPI) respectively as also Note no. 18(A)(X)(14) regarding the provisions made due to the probable impact of Covid-19 pandemic. Compliance of relevant prudential norms issued by the Reserve Bank of India (RBI) in respect of income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances as well as those pertaining to investments is a key audit matter due to materiality involved and the current processes at the Bank which requires manual interventions, management estimates and judgement.	Our audit approach included testing the design, operating effectiveness of internal controls and substantive audit procedures in respect of income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances and investments. In particular: • we have evaluated and understood the Bank's internal control system in adhering to the relevant RBI guidelines regarding income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances and investments; • we have tested key IT systems/ applications used and their design and implementation as well as operational effectiveness of relevant controls, including involvement of manual process and manual controls in relation to income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances and investments; • we have test checked advances to examine the validity of the recorded amounts, loan documentation, examined the statement of accounts, indicators of impairment, impairment provision for non-performing assets, and compliance with income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances in terms of applicable RBI guidelines;

	• हमने प्रबंधन निर्णय की पुरानी प्रवृत्तियों, अभिशासन प्रक्रिया और हानि प्रावधान गणनाओं के समीक्षात्मक नियंत्रण का मूल्यांकन किया तथा बैंक के शीर्ष तथा वरिष्ठ प्रबंधन से प्रावधानों पर विमर्श किया है.
आईटी प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग पर नियंत्रण	
बैंक की प्रमुख वित्तीय लेखांकन व रिपोर्टिंग प्रक्रियाएँ कोर बैंकिंग और ट्रेजरी समाधानों तथा अन्य सहायक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर नियंत्रणों पर इतनी ज्यादा निर्भर हैं कि आईटी नियंत्रण में कमी होने पर वित्तीय लेखांकन व रिपोर्टिंग रेकॉर्ड्स के तात्विक रूप से गलत होने का जोखिम बना रहता है. इसलिए उपयुक्त आईटी नियंत्रण अपेक्षित है ताकि आईटी एप्लिकेशन योजना के अनुसार कार्य करते रहें व उसमें कोर बैंकिंग सॉल्युशन, फिनेकल के उच्चतर वर्जन में मायग्रेशन सहित किए जाने वाले परिवर्तनों पर उचित रूप से नियंत्रण रहे. इस प्रकार के नियंत्रण से आउटपुट डेटा के गलत होने का जोखिम न्यूनतम रहेगा. लेखापरीक्षा के परिणाम आईटी नियंत्रण व प्रणाली पर निर्भर करते हैं.	• हमने बैंक की आईटी प्रणाली को ध्यान में रखते हुए ही लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं व नमूना जांच को नियोजित, निर्मित और निष्पादित किया है. हमारी राय में हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएँ आईटी नियंत्रण की पर्याप्तता का युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करती हैं. इस परिपेक्ष्य में हमने बैंक के आईटी परिवेश को समझा है. • इसके अलावा हमने आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा की गई आईएस लेखापरीक्षा तथा डेटा माईग्रेशन पर एक बाह्य परामर्शदाता की अंतरिम अंतिम समीक्षा रिपोर्ट और सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा संचालित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर भी भरोसा किया है. • हमने प्रमुख ऑटोमोटेड व मानवीय कारोबार चक्र नियंत्रण तथा लेखापरीक्षा से संबंधित सिस्टम जनरेटेड रिपोर्टों के तर्क का परीक्षण भी किया है, साथ ही प्रतिकारी नियंत्रण का परीक्षण करने के अलावा वैकल्पिक प्रक्रियाएँ भी अपनाई हैं ताकि यह आकलन किया जा सके कि क्या किसी ऐसे आईटी जोखिम पर कार्रवाई तो नहीं छूट गई, जो वित्तीय विवरणों पर तात्कालिक प्रभाव डाले.

	• we have evaluated the past trends of management judgement, governance process and review controls over impairment provision calculations and discussed the provisions made with the top and senior management of the Bank.
IT Systems and controls over financial reporting	
The Bank's key financial accounting and reporting processes are highly dependent on Core Banking and Treasury Solutions and other supporting software and hardware controls such that there exists a risk that gaps in the IT control environment could result in the financial accounting and reporting records being materially misstated. Appropriate IT controls are required to ensure that the IT applications perform as planned and the changes made including the migration of the Core Banking Solution, Finacle to its higher version are properly controlled. Such controls contribute to risk mitigation of erroneous output data. The audit outcome is dependent on the extent of IT controls and systems.	• We have planned, designed and carried out the desired audit procedures and sample checks, taking into consideration the IT systems of the Bank. The procedures adopted by us are, in our opinion, adequate to provide reasonable assurance on the adequacy of IT controls in place. Towards this end, we obtained an understanding of Bank's IT environment. • In addition, we have also relied on IS audit conducted by internal audit department, interim final review report on data migration by an external consultant and also the audit of Internal Financial Control over Financial Reporting conducted by an independent firm of Chartered Accountants. • We also tested key automated and manual business cycle controls and logic for system generated reports relevant to the audit; including testing of compensating controls or performed alternate procedures to assess whether there were any unaddressed IT risks that would materially impact the financial statements.

कोविद -19 महामारी के कारण अनिवार्य राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर निर्भरता और ऑडिट प्रक्रियाओं का निर्वहन	
वित्तीय विवरण तैयार करने और उनका ऑडिट करने के लिए आवश्यक जानकारी को रिकॉर्ड करने और संग्रहीत करने की बैंक की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल प्रक्रियाओं का संयोजन है. अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय लॉकडाउन के कारण बैंक के परिसर का दौरा किए बिना इन प्रक्रियाओं का हमारे द्वारा दूर से ऑडिट किया जाना आवश्यक था. नतीजतन, हमने ई-मेल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से हमें उपलब्ध कराए गए डेटा और रिकॉर्ड की पूर्णता और सटीकता पर विश्वास किया है. बैंक इन्हें एक सुरक्षित आभासी निजी नेटवर्क कनेक्शन के माध्यम से प्रदान करने की स्थिति में नहीं था. ये प्रक्रियाएं 20 मार्च 2020 से इस रिपोर्ट की तारीख तक आयोजित की गई. यदि हम शारीरिक रूप से कंपनी के परिसर में मौजूद होते, तो हमने महत्वपूर्ण दस्तावेजों की भौतिक प्रतियों को सत्यापित कर लिया होता और हम भौतिक प्रतियों में लेखा परीक्षण के साक्ष्य एकत्र कर सकते थे.	हमने निम्नलिखित प्रक्रियाओं को पूरा कर प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की पुष्टि की है: • भौतिक दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में बदलने के लिए लागू किए गए नियंत्रणों के बारे में प्रबंधन से पूछताछ और उन्हें समझना. • कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, ट्रेजरी सॉफ्टवेयर, आईआरएसी सॉफ्टवेयर और सीआरएआर कम्प्यूटेशन सॉफ्टवेयर सहित विभिन्न सॉफ्टवेयर्स से जानकारी निकालने के तरीके के बारे में प्रबंधन से पूछताछ करना और यह समझना कि प्रबंधन कैसे पूर्णता और सटीकता सुनिश्चित करता है. • संगतता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की विभिन्न विशेषताओं का परस्पर तालमेल देखना. • जहाँ भी आवश्यक हो प्रबंधन से रिप्रेजेंटेशन प्राप्त करना.

Placing reliance on electronic evidence and performing of audit procedures during the mandatory national lockdown due to the Covid-19 pandemic	
The Bank's procedures of recording and storing information necessary for preparation of financial statements and having them audited is combination of electronic and manual processes. These processes were required to be audited by us remotely without visiting the Bank's premises due to the mandatory national lockdown. Consequently, we have placed reliance on the completeness and accuracy of the data and records made available to us electronically through e-mail. The Bank was not in a position to provide the same through a secure virtual private network connection. These processes have been conducted since March 20, 2020 to the date of this report. Had we been physically present at the Company premises, we would have otherwise verified the physical copies of critical documents and we would have collected the audit evidence in physical copies.	We have carried out the validation of the electronic evidence provided by the management by performing the following procedures: • Inquiring with the management of the controls they have implemented to convert physical documents into electronic versions and understanding them • Inquiring with the management the method and controls used to extract information from its various softwares including Core Banking Solution, Treasury Software, IRAC software and the CRAR computation software and understanding how the management ensures completeness and accuracy • Correlating various attributes of the electronic evidence obtained to ensure consistency and integrity. • Obtaining representations from the management wherever necessary.

वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

बैंक का निदेशक मंडल एकल वित्तीय विवरण और उन पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है. अन्य जानकारी में प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण, निदेशकों की रिपोर्ट के अनुबंध सहित (सामूहिक रूप से 'अन्य जानकारी' के रूप में निर्दिष्ट) निदेशकों की रिपोर्ट शामिल है लेकिन इनमें एकल वित्तीय विवरण और हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा नए पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बासेल III प्रकटन) के तहत पिलर III के प्रकटन शामिल नहीं हैं.

वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम इस पर किसी तरह का आश्वासन नहीं देते हैं.

Information Other Than Financial Statements and Auditors' Report Thereon

The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation of information other than the Standalone Financial Statements and Auditor's Report thereon. The Other Information comprises the Management Discussion and Analysis, Directors' Report including Annexures to Directors' Report (collectively called as "Other Information") but does not include the Standalone Financial Statements and our auditor's report thereon and the Pillar III Disclosures under the New Capital Adequacy Framework (Basel III disclosures).

Our opinion on the financial statements does not cover the Other Information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि अन्य जानकारी का अध्ययन करें और ऐसा करते समय यह विचार करें कि क्या अन्य जानकारी एकल वित्तीय विवरणों से अथवा लेखापरीक्षा में हमारे द्वारा प्राप्त की गई सूचना से तात्विक रूप से असंगत है या अन्यथा तात्विक रूप से गलत प्रतीत होती है.

यदि हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई तात्विक विसंगति है, तो हमारे लिए उस तथ्य को रिपोर्ट करना आवश्यक है. इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है.

प्रबंधन एवं अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों की वित्तीय विवरणों के प्रति जिम्मेदारी

बैंक का प्रबंधन और निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो अधिनियम की धारा 133 और बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 29 के प्रावधानों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों के तहत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित, भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बैंक की वित्तीय स्थिति एवं नकदी प्रवाह की सही और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं. इस जिम्मेदारी में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड बनाए रखना; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन करना और उन्हें लागू करना; तर्कपूर्ण और विवेकसम्मत निर्णय लेना और पूर्वानुमान लगाना तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार करना, उन्हें कार्यान्वित करना तथा उसे बनाए रखना, जो सही एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करने वाली धोखाधड़ी या गलती के कारण होने वाले तथ्यात्मक अयथार्थ कथन से मुक्त वित्तीय विवरण तैयार और प्रस्तुत करने से संबंधित लेखांकन रिकॉर्ड की परिशुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से परिचालित हैं, भी शामिल हैं.

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन मंडल कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की बैंक की योग्यता का मूल्यांकन करने, कार्यशील संस्था से संबंधित विषयों के यथालागू प्रकटीकरण करने, लेखांकन की कार्यशील संस्था आधार का उपयोग करने के लिए जवाबदेह है जब तक कि प्रबंधन का इरादा बैंक का परिसमापन करने या परिचालन बंद करने का न हो या ऐसा न करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प न हो.

बैंक का प्रबंधन मंडल बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है.

एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बात का आश्वासन प्राप्त करना है कि समग्र रूप से वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण कोई मिथ्या कथन न हो और ऐसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी हो जिसमें हमारी राय शामिल हो. उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन होता है लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुरूप की गई लेखापरीक्षा में पहले से मौजूद भौतिक मिथ्या कथन की हमेशा पहचान हो जाए. धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण मिथ्या कथन दृष्टिगोचर होता है और इसे ठोस तब माना जाएगा जब यह संभावना हो कि यह अकेले या समग्र रूप से इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकता है.

लेखांकन मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में हम व्यावसायिक विवेक का प्रयोग करते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संशय को

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the Other Information and, in doing so, consider whether the Other Information is materially inconsistent with the Standalone Financial Statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information, we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Bank's Management and Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ('the Act') with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cashflows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under section 133 of the Act and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Bank's Management is also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the audit of the Standalone Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism

बनाए रखते हैं. हम निम्नलिखित कार्य भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण मिथ्याकथन की पहचान और मूल्यांकन चाहे वह धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए हों, उन जोखिमों के अनुरूप लेखा प्रक्रियाएं तैयार करना और उन पर कार्रवाई करना तथा हमारी राय को पर्याप्त और संगत आधार प्रदान करने के लिए लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना. धोखाधड़ी के कारण उत्पन्न हुए महत्वपूर्ण मिथ्याकथनों को न पहचानने का जोखिम त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए जोखिम से बड़ा है. क्योंकि धोखाधड़ी में सांठ-गांठ, कपट, जानबूझ कर छोड़ी गई त्रुटियां, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रणों का उल्लंघन शामिल हो सकता है.

- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों पर विचार करना, लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को इस तरह से डिजाइन करना जो उन परिस्थितियों के लिए उचित हों. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(3) (i) के अंतर्गत हम यह राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या बैंक के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था है तथा क्या इस तरह के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर्याप्त है.

- उपयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों एवं प्रबंधन द्वारा उससे संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन करना.

- प्रबंधन के कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने संबंधी लेखांकन आधार को उपयोग करने के औचित्य पर अपना निष्कर्ष देना और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर इस बात का पता लगाना कि क्या उन घटनाओं से संबंधित तात्विक अनिश्चतता मौजूद है या वैसी परिस्थितियां बनी हैं जिसमें कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की बैंक की योग्यता पर सार्थक संदेह व्यक्त किया जा सके. यदि हम यह निष्कर्ष निकालें कि तात्विक अनिश्चतता विद्यमान है तो हमें हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में इस तरह के प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि इस तरह के प्रकटीकरण हमारी राय को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है तो हमें अपने अभिमत को संशोधित करना होगा. हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षा की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर आधारित हैं. तथापि, भविष्य की घटनाएं या परिस्थितियां बैंक के कार्यशील संस्था के रूप में बने न रहने का कारण बन सकती हैं.

- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं विषयवस्तु का तथा इस बात का मूल्यांकन करना कि क्या वित्तीय विवरणों में अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरीके से प्रस्तुत किया गया है कि इसकी निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त की जा सके.

हम अभिशासन से जुड़े व्यक्तियों को अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध दायरे, उसकी अवधि और लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों तथा लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पाई गई महत्वपूर्ण कमियों के बारे में अवगत कराते हैं.

हम अभिशासन से जुड़े व्यक्तियों को विवरणी भी प्रस्तुत करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संगत नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और साथ ही हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले संबंधों और उन मामलों जो हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं, और जहां भी लागू हो वहां उनसे संबंधित सावधानियों की जानकारी भी देते हैं.

अभिशासन से जुड़े व्यक्तियों को सूचित विषयों से हम उन विषयों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के एकल वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और जो इसलिए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा विषय हैं. हम उन मामलों का अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तब तक वर्णन करते हैं जब तक कि विधि या विनियमन द्वारा इस मामले के प्रकटन के लिए या तो रोका न जाए या फिर अत्यंत विरल परिस्थितियों में जब हम यह निर्णय लें कि ऐसा मामला हमारी

throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.

- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3) (i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the bank has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.

- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.

- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.

- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Standalone Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse

रिपोर्ट में नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से लोक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है.

अन्य मामले

हमने बैंक के एकल वित्तीय परिणामों में शामिल दुबई स्थित विदेशी शाखा की वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिसकी वित्तीय जानकारी यथा 31 मार्च 2020 को ₹ 1,905.30 करोड़ की कुल आस्ति और इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 447.02 करोड़ के कुल राजस्व को दर्शाती है जैसा कि एकल वित्तीय विवरणों में लिया गया है. इस शाखा की लेखापरीक्षा स्थानीय शाखा लेखा परीक्षक द्वारा की गई है, जिसकी रिपोर्ट हमें प्रदान की गई है, और अब तक इस शाखा के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटनों से संबंधित हमारी राय पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है.

अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. तुलन पत्र, लाभ-हानि लेखा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 29 के साथ पठित अधिनियम की धारा 29 के प्रावधानों तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार तैयार किए गए हैं.

2. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   क. हमने ऐसी समस्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ हमारे सर्वोत्तम ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार आवश्यक थे तथा उन्हें संतोषजनक पाया है.

   ख. बैंक के जो लेन-देन हमारे ध्यान में लाए गए, वे बैंक की अधिकार सीमा के भीतर रहे हैं.

   ग. हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमने 30 शाखाओं का दौरा किया है ताकि हम अपनी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से ऐसी शाखाओं में बनाए गए रिकॉर्ड की जांच कर सकें. जैसा कि ऊपर दिए गए मुख्य लेखा परीक्षा मामलों पर हमारे पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है, राष्ट्रीय लॉकडाउन के शुरू होने के बाद शेष लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को दूरस्थ रूप से आयोजित किया गया था. बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियां, जिसमें प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी शामिल है, हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ पर्याप्त पाई गयी हैं.

3. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार, वर्ष के दौरान बैंक द्वारा अपने निदेशकों को दिया गया पारिश्रमिक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 बी (2 ए) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 और अनुसूची V के प्रावधानों के अनुसार है.

4. इसके अलावा, अधिनियम की धारा 143(3) के अपेक्षानुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   क) हमने ऐसी समस्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्त्म ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे;

   ख) हमारी राय में बैंक ने विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियाँ रखी हैं, जैसा कि इन बहियों की हमारी जांच से पता चलता है तथा हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं से हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ उचित और और पर्याप्त विवरणियाँ

consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

We did not audit the financial statements of the foreign branch in Dubai included in the standalone financial statements of the Bank whose financial statements reflect total assets of ₹1,905.30 Crores as at March 31, 2020 and the total revenue of ₹ 447.02 Crores for the year ended on that date, as considered in the standalone financial statements. This branch has been audited by a local branch auditor whose report has been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of this branch, is based solely on the report of such branch auditors.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with the provision of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 read with Section 133 of the Act and Rules made thereunder.

2. As required by sub-section (3) of section 30 of the Banking Regulation Act, 1949, we report that:

   a. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory.

   b. The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank.

   c. During the course of our audit we have visited 30 branches to examine the records maintained at such branches for the purpose of our audit. As mentioned in our paragraph on Key Audit Matters above, subsequent to the commencement of national lockdown the remainder audit procedures were conducted remotely. The returns received from the offices and branches of the Bank as supplemented with the information furnished by the Management have been found adequate for the purpose of our audit.

3. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the remuneration paid by the Bank to its directors during the year is in accordance with the provisions of Section 197 and Schedule V of the Companies Act, 2013 read with Section 35B (2A) of the Banking Regulation Act, 1949;

4. Further, as required by section 143(3) of the Act, we report that:

   a) we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

   b) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purpose of our

प्राप्त हुई हैं;

ग) बैंक की एक शाखा के लेखों की अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित रिपोर्ट हमारे पास प्रेषित की गई है और इस पर उचित रूप से विचार किया गया है;

घ) इस रिपोर्ट में विचार किए गए तुलन पत्र, लाभ-हानि विवरण और नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुरूप हैं;

ङ) हमारी राय में उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के उस सीमा तक अनुपालन में हैं जहां तक वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों से असंगत नहीं हैं;

च) यथा 31 मार्च 2020 को बैंक के निदेशकों से प्राप्त और बैंक के निदेशक मंडल द्वारा रिकॉर्ड में लिए गए लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, किसी भी निदेशक को यथा 31 मार्च 2020 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के निबंधनों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है;

छ) बैंक के वित्तीय विवरणों संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालनगत प्रभावकारिता के संबंध में 'अनुबंध ए' में अलग से दी गई हमारी रिपोर्ट देखें;

ज) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार हमें जानकारी उपलब्ध कराई गई है;

i) बैंक ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का अवधार्य/अभिनिश्चेय सीमा तक प्रकटन किया है. - एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18बी(10) (सी) का संदर्भ लें.

ii) बैंक ने डेरिवेटिव संविदाओं सहित दीर्घावधि संविदाओं पर महत्वपूर्ण पूर्वाभासी हानियों, यदि हों, के लिए लागू कानून या लेखांकन मानकों के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधान किया है - एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18(बी) (10) (बी) का संदर्भ लें.

iii) बैंक द्वारा निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि में अंतरित की जाने वाली राशियों के अंतरण में कोई विलंब नहीं हुआ है. एकल वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18(सी) (XIII) का संदर्भ लें.

audit have been received from the branches not visited by us;

c) the report on the accounts of one branch of the Bank audited by other auditors has been forwarded to us and the same have been appropriately dealt with;

d) the Balance Sheet, and the Statement of Profit and Loss, dealt with by this report are in agreement with the books of account;

e) in our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act and Rules made thereunder, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI;

f) on the basis of written representation received from the directors as on March 31, 2020 and taken on record by the Board of Directors, none of the directors are disqualified as on March 31, 2020 from being appointed as director in terms of Section 164 (2) of the Companies Act 2013;

g) with respect to the adequacy of the internal financial controls with reference to financial statements of the Bank and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure A";

h) with respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us;

i) The Bank has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements to the extent determinable/ascertainable. – Refer Schedule 18(B)(10)(C) to the standalone financial statements.

ii) The Bank has made provision, as required, under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long term contracts including derivative contracts. Refer Schedule 18(B)(10)(B) to the standalone financial statements.

iii) There has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Bank. Refer Schedule 18(C)(XIII) to the standalone financial statements.

कृते के. एस. अय्यर एंड कं.
For K. S. Aiyar & Co.
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ ICAI FRN : 100186W

सतीश केलकर
Satish Kelkar
साझेदार (स. सं. 038934)
Partner ICAI (M.No. 038934)
UDIN: 20038934AAAAAQ5546

कृते जेएलएन यूएस एंड कं.
For JLN US & Co.
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ ICAI FRN : 101543W

रमाप्रसन्न अग्रवाल
Ramaprasanna Agarwal
साझेदार (स. सं. 119693)
Partner ICAI (M.No. 119693)
UDIN: 20119693AAAAAO6658

कृते एम. पी. चितले एंड कं.
For M. P. Chitale & Co.
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ ICAI FRN : 101851W

आशुतोष पेडणेकर
Ashutosh Pednekar
साझेदार (स. सं. 041037)
Partner ICAI (M.No. 041037)
UDIN: 20041037AAAABC6550

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 30 मई 2020/ Date: May 30, 2020

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की सम दिनांकित रिपोर्ट का अनुबंध 'ए'

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अधीन वित्तीय विवरणों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ('बैंक') के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ-साथ उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है.

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

बैंक का प्रबंधन भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा 'वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट' ('मार्गदर्शी नोट') में दिए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों के संबंध में बनाए गए आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है. इन जिम्मेदारियों में संबंधित बैंक की नीतियों के अनुपालन सहित इसके कारोबार के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार करना, उनका कार्यान्वयन और अनुरक्षण करना, आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ियों और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखांकन रिकॉर्डों की परिशुद्धता और परिपूर्णता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की अपेक्षाओं के अनुरूप विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समयबद्ध रूप से तैयार करना शामिल है.

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर वित्तीय रिपोर्टिंग में हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर राय अभिव्यक्त करने की है. हमने अपनी लेखापरीक्षा आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट ('मार्गदर्शी नोट') तथा लेखापरीक्षा संबंधी मानकों ('मानक') के अनुसार की है जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम की धारा 143 (10) के अधीन विनिर्दिष्ट माने जाएंगे और दोनों वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू हैं और दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं. उन मानकों और मार्गदर्शी नोट से यह अपेक्षित है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखापरीक्षा को इस प्रकार से नियोजित और निष्पादित करें कि इस आशय के लिए समुचित आश्वासन मिल सके कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किए गए हैं और यह भी कि ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी रूप से परिचालित किए गए हैं.

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालनीय प्रभावकारिता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु अपनाई गई प्रक्रियाएँ शामिल हैं. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ हासिल करना, ऐसी जोखिमों का आकलन करना जहां तात्विक कमी विद्यमान है, और आकलित जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण तैयार करना और परिचालन प्रभावकारिता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है. चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित हैं जिनमें वित्तीय विवरणों में धोखे या गलती से किसी तात्विक अयथार्थ कथन के जोखिम का आकलन शामिल है.

Annexure A to the Independent Auditor's Report of even date on the financial statements of IDBI Bank Limited

Report on the Internal Financial Controls with reference to financial statements under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013

We have audited the internal financial controls with reference to financial statements of IDBI Bank Limited ('the Bank') as at March 31, 2020 in conjunction with our audit of the financial statements of the Bank for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The Bank's Management is responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting ('the Guidance Note') issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('the ICAI'). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013 ('the Act').

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Bank's internal financial controls with reference to financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting ('the Guidance Note') and the Standards on Auditing ('the Standards'), issued by the ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Act, to the extent applicable to an audit of internal financial controls over financial reporting, both issued by the ICAI. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls with reference to financial statements was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system with reference to financial statements and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls with reference to financial statements included obtaining an understanding of internal financial controls with reference to financial statements, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

हमें विश्वास है कि बैंक के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है.

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

बैंक के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वह प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन देने और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए बनाई गई है. वित्तीय विवरणो पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो

(1) उन अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हैं जो यथोचित ब्योरे एवं परिशुद्धता के साथ बैंक की आस्तियों के संव्यवहारों और निपटानों को उचित रूप से दर्शाते हैं;

(2) इस आशय के लिए यथोचित आश्वासन देते हैं कि संव्यहार सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अनुमत अपेक्षा के साथ दर्ज किए जाते हैं और यह भी कि बैंक की प्राप्तियाँ और व्यय बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार अनुसार ही किए जा रहे हैं; और

(3) बैंक की आस्तियों के अप्राधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा निपटान की रोकथाम और समय पर पहचान के संबंध में उचित आश्वासन देते हैं जिनसे वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता था.

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं, जिनमें नियंत्रणों के टकराव अथवा असंगत प्रबंधन से नियंत्रणों की अवहेलना की संभावना शामिल है, के कारण त्रुटि अथवा धोखाधड़ी की वजह से तात्विक अयथार्थ कथन की घटना हो सकती है और उनका पता न लगाया जा सके. साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के पूर्वानुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तनों अथवा नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन में आने वाली गिरावट के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं.

अभिमत

हमारी राय में, बैंक को अचल आस्तियों और व्ययों के लेखांकन के संदर्भ में मध्यवर्ती/ नियंत्रण लेखों के समाधान और संवीक्षा के प्रबंध परीक्षण के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया कार्यान्वित करने के साथ-साथ अपनी समीक्षा प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने तथा ट्रेजरी, पे-रोल, एनपीए प्रावधानीकरण और अचल आस्तियों के क्षेत्र में एकल प्रणाली को एकीकृत करने की आवश्यकता है. हमारी राय में बैंक में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की दृष्टि से वित्तीय विवरणों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली लागू है और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Bank's internal financial controls system with reference to financial statements.

Meaning of Internal Financial Controls with reference to Financial Statements

A Bank's internal financial control with reference to financial statements is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. Bank's internal financial control with reference to financial statements includes those policies and procedures that

(1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Bank;

(2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the bank; and

(3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls with reference to Financial Statements

Because of the inherent limitations of internal financial controls with reference to financial statements, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls with reference to financial statements to future periods are subject to the risk that the internal financial control with reference to financial statements may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the Bank needs to strengthen its review process and management testing of scrutiny and reconciliations of intermediary/control accounts, implementation of the standard operating procedures in respect of accounting of fixed assets and expenses, integration of the standalone systems in the areas of Treasury, Payroll, NPA Provisioning and Fixed Assets. In our opinion, the Bank has in all material respects, an adequate internal financial controls system with reference to financial statements and such internal financial controls with reference to financial statements were operating effectively as at March 31, 2020, based on the internal control over financial reporting

की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में दिए गए आंतरिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण घटकों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर स्थापित आंतरिक नियंत्रण के आधार पर यथा 31 मार्च 2020 को ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे.

अन्य मामले

वित्तीय विवरणों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालनगत प्रभावकारिता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अधीन हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट का जहां तक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित विदेशी शाखा का संबंध है, यह संबंधित शाखा लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर आधारित है जो हमारे पास भेजी गई है तथा इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा इनका उचित रूप से उपयोग किया गया है.

criteria established by the Bank considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Other Matters

Our aforesaid report under section 143(3)(i) of the Act on the adequacy and operating effectiveness of the Internal Financial Controls with reference to Financial Statements insofar as it relates to the overseas branch audited by the branch auditors is based on the report of the branch auditor which has been sent to us and has been properly dealt with by us in preparing this report.

कृते के. एस. अय्यर एंड कं.
For K. S. Aiyar & Co.
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ ICAI FRN : 100186W

सतीश केलकर
Satish Kelkar
साझेदार (स. सं. 038934)
Partner ICAI (M.No. 038934)
UDIN: 20038934AAAAAQ5546

कृते जेएलएन यूएस एंड कं.
For JLN US & Co.
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ ICAI FRN : 101543W

रमाप्रसन्न अग्रवाल
Ramaprasanna Agarwal
साझेदार (स. सं. 119693)
Partner ICAI (M.No. 119693)
UDIN: 20119693AAAAAO6658

कृते एम. पी. चितले एंड कं.
For M. P. Chitale & Co.
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ ICAI FRN : 101851W

आशुतोष पेडणेकर
Ashutosh Pednekar
साझेदार (स. सं. 041037)
Partner ICAI (M.No. 041037)
UDIN: 20041037AAAABC6550

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 30 मई 2020/ Date: May 30, 2020

तुलन पत्र 31 मार्च 2020 को
Balance Sheet as at March 31, 2020

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	अनुसूची Schedule	यथा 31 मार्च 2020 As at 31-03-2020	यथा 31 मार्च 2019 As at 31-03-2019
पूंजी एवं देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी / Capital	1	10380 59 40	7736 29 49
रिजर्व और अधिशेष / Reserves and surplus	2	23643 77 27	29875 40 29
जमाराशियां / Deposits	3	222424 12 51	227371 72 47
उधार राशियां / Borrowings	4	36748 85 61	45287 72 39
अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other liabilities and provisions	5	6745 02 15	10013 34 76
कुल / TOTAL		**299942 36 94**	**320284 49 40**
आस्तियां / ASSETS			
नकदी और भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष Cash and balances with Reserve Bank of India	6	10538 83 41	12730 46 84
बैंकों के पास शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balances with banks and money at call and short notice	7	19891 57 14	8503 23 11
निवेश / Investments	8	81780 41 54	93072 63 04
अग्रिम / Advances	9	129841 78 87	146790 43 79
अचल आस्तियां / Fixed assets	10	8129 17 96	8230 98 61
अन्य आस्तियां / Other assets	11	49760 58 02	50956 74 01
कुल / TOTAL		**299942 36 94**	**320284 49 40**
आकस्मिक देयताएं / Contingent liabilities	12	117113 22 03	140854 28 65
वसूली हेतु बिल / Bills for collection		9870 72 91	9634 77 33
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	17 एवं 18 17 & 18		

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां तुलन पत्र के अभिन्न भाग के रूप में हैं
The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet

बोर्ड के आदेश से
BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा)
(Rakesh Sharma)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer
(डीआईएन/DIN: 06846594)

(सैम्युअल जोसेफ जेबराज)
(Samuel Joseph Jebaraj)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
(डीआईएन/DIN: 02262530)

(सुरेश खटनहार)
(Suresh Khatanhar)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
(डीआईएन/DIN: 03022106)

(समरेश परिदा)
(Samaresh Parida)
निदेशक
Director
(डीआईएन/(DIN: 01853823)

(अजय शर्मा)
(Ajay Sharma)
कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
Executive Director & Chief Financial Officer

(पवन अग्रवाल)
(Pawan Agrawal)
कंपनी सचिव
Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते के. एस. अय्यर एंड कं.
For K. S. Aiyar & Co.
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 100186W

सतीश केलकर
Satish Kelkar
साझेदार (स. सं. 038934)/ Partner (M.No. 038934)

कृते जेएलएन यूएस एंड कं.
For JLN US & Co.
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101543W

रमाप्रसन्न अग्रवाल
Ramaprasanna Agarwal
साझेदार (स. सं. 119693)/ Partner (M.No. 119693)

कृते एम. पी. चितले एंड कं.
For M. P. Chitale & Co.
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101851W

आशुतोष पेडणेकर
Ashutosh Pednekar
साझेदार (स. सं. 041037)/ Partner (M.No. 041037)

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 30 मई 2020/ Date: May 30, 2020

लाभ-हानि लेखा 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2020

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		अनुसूची Schedule	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2020	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2019
I	आय / INCOME			
	अर्जित ब्याज / Interest earned	13	20825 14 45	22071 23 69
	अन्य आय / Other income	14	4470 33 30	3300 29 72
	कुल / TOTAL		**25295 47 75**	**25371 53 41**
II	व्यय / EXPENDITURE			
	व्ययगत ब्याज / Interest expended	15	13847 30 41	16165 62 20
	परिचालन व्यय / Operating expenses	16	6336 16 02	5153 78 75
	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं / Provisions and contingencies		17999 34 43	19168 41 86
	कुल / TOTAL		**38182 80 86**	**40487 82 81**
III	लाभ / PROFIT			
	वर्ष के लिए निवल लाभ / (हानि) Net Profit/ (Loss) for the year		(12887 33 11)	(15116 29 40)
	आगे ले जाया गया लाभ / (हानि) / Profit/ (Loss) brought forward		(32512 92 62)	(17164 00 94)
	कुल / TOTAL		**(45400 25 73)**	**(32280 30 34)**
IV	विनियोग / APPROPRIATIONS			
	सांविधिक रिज़र्व में अंतरण / Transfer to Statutory Reserve		-	-
	पूंजी रिज़र्व में अंतरण / Transfer to Capital Reserve		185 91 01	232 62 28
	सांविधिक रिज़र्व से अंतरण / Transfer from Statutory Reserve		-	-
	प्रस्तावित लाभांश Proposed Dividend		-	-
	तुलन पत्र में आगे ले जाई गई राशि Balance carried over to balance sheet		(45586 16 74)	(32512 92 62)
	कुल / TOTAL		**(45400 25 73)**	**(32280 30 34)**

लाभ-हानि लेखा 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2020

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2020	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2019
प्रति शेयर अर्जन (₹) (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रति शेयर) Earnings per share (₹) (Face Value ₹ 10 per share)	18(आ)(7) 18(B)(7)		
मूल / Basic		(14.48)	(30.48)
न्यूनीकृत / Diluted		(14.48)	(30.48)
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	17 एवं 18 17 & 18		

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां लाभ - हानि लेखे के अभिन्न भाग के रूप में हैं
The Schedules referred to above form an integral part of the Profit and Loss Account

बोर्ड के आदेश से
BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा)
(Rakesh Sharma)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer
(डीआईएन/DIN: 06846594)

(सैम्युअल जोसेफ जेबराज)
(Samuel Joseph Jebaraj)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
(डीआईएन/DIN: 02262530)

(सुरेश खटनहार)
(Suresh Khatanhar)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
(डीआईएन/DIN: 03022106)

(समरेश परिदा)
(Samaresh Parida)
निदेशक
Director
(डीआईएन/(DIN: 01853823)

(अजय शर्मा)
(Ajay Sharma)
कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
Executive Director & Chief Financial Officer

(पवन अग्रवाल)
(Pawan Agrawal)
कंपनी सचिव
Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते के. एस. अय्यर एंड कं.
For K. S. Aiyar & Co.
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 100186W

सतीश केलकर
Satish Kelkar
साझेदार (स. सं. 038934)/ Partner (M.No. 038934)

कृते जेएलएन यूएस एंड कं.
For JLN US & Co.
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101543W

रमाप्रसन्न अग्रवाल
Ramaprasanna Agarwal
साझेदार (स. सं. 119693)/ Partner (M.No. 119693)

कृते एम. पी. चितले एंड कं.
For M. P. Chitale & Co.
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101851W

आशुतोष पेडणेकर
Ashutosh Pednekar
साझेदार (स. सं. 041037)/ Partner (M.No. 041037)

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 30 मई 2020/ Date: May 30, 2020

IDBI BANK

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	यथा 31 मार्च 2020 As at 31-03-2020	यथा 31 मार्च 2019 As at 31-03-2019
अनुसूची 1 -पूंजी / SCHEDULE 1 - CAPITAL		
प्राधिकृत पूंजी / Authorised capital		
₹ 10 प्रत्येक के 2500 00 00 000 (1500 00 00 000) इक्विटी शेयर 2500 00 00 000 (1500 00 00 000) Equity Shares of ₹ 10 each	25000 00 00	15000 00 00
	25000 00 00	**15000 00 00**
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी **Issued, Subscribed & Paid up Capital**		
₹ 10 प्रत्येक के पूर्णतः प्रदत्त 1038 05 93 998 (773 62 94 880) इक्विटी शेयर 1038 05 93 998 (773 62 94 880) Equity Shares of ₹ 10 each fully paid up	10380 59 40	7736 29 49
(अनुसूची 18 इ I देखें/ Refer Schedule 18 C I)		
कुल / TOTAL	**10380 59 40**	**7736 29 49**

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2020 As at 31-03-2020	यथा 31 मार्च 2019 As at 31-03-2019
	अनुसूची 2 - रिज़र्व और अधिशेष **SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS**		
I	**सांविधिक रिज़र्व / Statutory Reserve**		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	2474 74 70	2474 74 70
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		2474 74 70	**2474 74 70**
II	**पूंजीगत रिज़र्व / Capital Reserve**		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	2540 17 02	2307 54 74
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	185 91 01	232 62 28
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		2726 08 03	**2540 17 02**
III	**पुनर्मूल्यन रिज़र्व (अनुसूची 18 टिप्पणी आ.1 देखें)** **Revaluation Reserve (Refer Schedule 18 Note B.1)**		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	6727 69 15	5053 88 23
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	2013 11 62
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
	सामान्य रिज़र्व में अंतरण / Transfer to General Reserve	224 32 52	339 30 70
		6503 36 63	**6727 69 15**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2020 As at 31-03-2020	यथा 31 मार्च 2019 As at 31-03-2019
	अनुसूची 2 - रिज़र्व और अधिशेष SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS		
IV	**शेयर प्रीमियम / Share Premium**		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	43013 19 62	18160 48 27
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	6655 70 09	24852 71 35
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		49668 89 71	**43013 19 62**
V	**राजस्व और अन्य रिज़र्व / Revenue and other Reserve**		
	(क/a) सामान्य रिज़र्व / General Reserve		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	6060 17 38	5720 86 68
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	पूनर्मूल्यन रिज़र्व से अंतरण Transferred from Revaluation Reserve	224 32 52	339 30 70
	लाभ-हानि लेखे से अंतरण Transferred from Profit and Loss Account	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		6284 49 90	**6060 17 38**
	(ख/b) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष रिज़र्व Special Reserve under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	6 35 04	6 35 04
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		6 35 04	**6 35 04**
	(ग/c) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिज़र्व Special Reserve created and maintained under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	1566 00 00	1566 00 00
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		1566 00 00	**1566 00 00**
VI	**लाभ-हानि लेखे में शेष राशि Balance in Profit and Loss Account**	(45586 16 74)	(32512 92 62)
	कुल (I से VI) / TOTAL (I to VI)	**23643 77 27**	**29875 40 29**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	यथा 31 मार्च 2020 As at 31-03-2020	यथा 31 मार्च 2019 As at 31-03-2019
अनुसूचियां 3 - जमाराशियां / SCHEDULE 3 - DEPOSITS		
अ/A		
I. मांग जमाराशियां / Demand Deposits		
(i) बैंकों से / From banks	14120 37 19	9052 75 33
(ii) अन्य से / From others	26409 46 57	26264 15 45
	40529 83 76	**35316 90 78**
II. बचत बैंक जमाराशियां / Savings Bank Deposits	**65658 14 51**	**61413 50 61**
III. मीयादी जमाराशियां / Term Deposits		
(i) बैंकों से / From banks	10173 56 34	8388 08 45
(ii) अन्य से / From others	106062 57 90	122253 22 63
	116236 14 24	**130641 31 08**
कुल (I से III) / TOTAL (I to III)	**222424 12 51**	**227371 72 47**
आ/B		
(i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां Deposits of branches in India	222383 04 81	227316 89 71
(ii) भारत से बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां Deposits of branches outside India	41 07 70	54 82 76
कुल / TOTAL	**222424 12 51**	**227371 72 47**

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	यथा 31 मार्च 2020 As at 31-03-2020	यथा 31 मार्च 2019 As at 31-03-2019
अनुसूची 4 - उधार राशियां / SCHEDULE 4 - BORROWINGS		
I. भारत में उधार राशियां / Borrowings in India		
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक / Reserve Bank of India	10912 00 00	8996 00 00
(ii) अन्य बैंक / Other banks	1098 85 00	4771 44 72
(iii) टीयर 1 (नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत) Tier I (Innovative Perpetual Debt Instrument)	245 10 00	1376 80 00
(iv) अपर टीयर II बॉण्ड / Upper Tier II Bonds	1000 00 00	3136 20 00
(v) अप्रतिभूत, प्रतिदेय बॉण्ड (टीयर II पूंजी के लिए गौण) Unsecured, Redeemable Bonds (Subordinated for Tier II Capital)	5537 50 00	6440 00 00
(vi) बासेल III ओम्नी टीयर 2 बॉण्ड / Basel III Omni Tier 2 Bond	2645 00 00	1900 00 00
(vii) अन्य* / Others *	6776 33 75	7027 02 81
II. भारत के बाहर से उधार राशियां / Borrowings outside India	8534 06 86	11640 24 86
कुल (I और II) / TOTAL (I and II)	**36748 85 61**	**45287 72 39**

* ₹ 85 00 00 हजार (₹ 85 00 00 हजार) का बेमियादी ऋण लिखत शामिल है जो सीआरएआर के लिए पात्र नहीं हैं
Includes Perpetual Debt Instrument of ₹ 85 00 00 Thousand (₹ 85 00 00 Thousand)) which does not qualify for CRAR

* ऊपर I और II में शामिल प्रतिभूत उधार राशियां ₹ 11278 44 91 हजार (₹13989 35 38 हजार) हैं
Secured borrowings included in I and II above are ₹ 11278 44 91 Thousand (₹ 13989 35 38 Thousand)

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2020 As at 31-03-2020	यथा 31 मार्च 2019 As at 31-03-2019
	अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान **SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS**		
I.	देय बिल / Bills Payable	956 09 10	1676 52 65
II.	अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter office adjustments (net)	2 51 60	77 11
III.	उपचित ब्याज / Interest accrued	725 62 85	947 96 78
IV.	**अन्य (प्रावधान सहित) / Others (Including Provision)**		
	(क) मानक आस्तियों के प्रति विवेकपूर्ण प्रावधान (a) Prudential provisions against standard assets	1159 59 87	1886 01 53
	(ख) प्राप्त अग्रिम भुगतान (b) Advance payments received	412 94 33	176 63 73
	(ग) देय लाभांश तथा लाभांश कर (c) Dividend and dividend tax payable	-	-
	(घ) विविध लेनदार (d) Sundry Creditors	118 03 44	133 81 36
	(ङ) देय सेवा कर / टीडीएस / अन्य कर (e) Service Tax/ TDS/ Other taxes payable	90 52 46	77 32 98
	(च) विविध जमाराशियां (f) Sundry Deposits	46 23 21	41 93 95
	(छ) अन्य प्रावधान (g) Other provisions	2949 02 83	2906 02 19
	(ज) विविध (h) Miscellaneous	284 42 46	2166 32 48
	कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	**6745 02 15**	**10013 34 76**

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2020 As at 31-03-2020	यथा 31 मार्च 2019 As at 31-03-2019
	अनुसूची 6 - नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष **SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA**		
I.	हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट सहित) Cash in hand (including foreign currency notes)	2139 85 11	2057 38 18
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष / Balances with Reserve Bank of India		
	(i) चालू खातों में / in Current Accounts	8398 98 30	10673 08 66
	(ii) अन्य खातों में / in Other Accounts	-	-
	कुल (I और II) / TOTAL (I and II)	**10538 83 41**	**12730 46 84**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

			यथा 31 मार्च 2020 As at 31-03-2020	यथा 31 मार्च 2019 As at 31-03-2019
	अनुसूची 7 - बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE			
I	**भारत में / In India**			
	(i)	बैंकों के पास शेष / Balance with banks		
		(क) चालू खातों में (a) in Current Accounts	109 61 67	271 23 07
		(ख) अन्य जमा खातों में (b) in Other Deposit Accounts	902 75 80	424 99 00
	(ii)	मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / Money at call and short notice		
		(क) बैंकों के पास (a) with banks	-	484 08 50
		(ख) अन्य संस्थाओं के पास (b) with other Institutions	11200 00 00	7150 00 00
			12212 37 47	**8330 30 57**
II	**भारत से बाहर / Outside India**			
	(i)	चालू खातों में / in Current Accounts	7618 65 53	9 41 86
	(ii)	अन्य जमा खातों में / in Other Deposit Accounts	-	103 73 25
	(iii)	मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि / Money at call and short notice	60 54 14	59 77 43
			7679 19 67	**172 92 54**
	कुल (I और II) / TOTAL (I and II)		**19891 57 14**	**8503 23 11**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

			यथा 31 मार्च 2020 As at 31-03-2020	यथा 31 मार्च 2019 As at 31-03-2019
	अनुसूची 8 - निवेश / SCHEDULE 8 - INVESTMENTS			
I	**भारत में निम्न में निवेश / Investments in India in**			
	(i)	सरकारी प्रतिभूतियां* / Government Securities*	76864 80 84	82554 99 94
	(ii)	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other approved securities	-	-
	(iii)	शेयर / Shares	630 66 91	1402 18 61
	(iv)	डिबेंचर और बॉण्ड / Debentures and Bonds	1919 57 88	2954 44 67
	(v)	सहायक संस्थाएं और / या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and / or Joint Ventures	688 47 82	688 47 82
	(vi)	अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंडों के यूनिट, एसआर, पीटीसी) Others (CPs, Units in MFs, SRs, PTCs)	835 25 47	5146 08 25
			80938 78 92	**92746 19 29**
II	**भारत से बाहर निम्न में निवेश / Investments outside India in**			
	(i)	सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित) Government Securities (including local authorities)	841 62 62	326 43 75
	(ii)	सहायक संस्थाएं और / या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/or Joint Ventures	-	-
	(iii)	अन्य निवेश (शेयर) / Other investments (shares)	-	-
			841 62 62	**326 43 75**
	कुल (I और II) / TOTAL (I and II)		**81780 41 54**	**93072 63 04**
III	**भारत में निवेश / Investments in india**			
	निवेशों का सकल मूल्य / Gross value of investments		83853 58 04	96400 68 63
	घटाएं: कुल प्रावधान / मूल्यह्रास / Less: Aggregate provision / depreciation		2914 79 12	3654 49 34
	निवल निवेश / Net investments		80938 78 92	92746 19 29
IV	**भारत से बाहर निवेश / Investments outside india**			
	निवेशों का सकल मूल्य / Gross value of investments		841 62 62	328 33 13
	घटाएं: कुल प्रावधान / मूल्यह्रास / Less: Aggregate provision / depreciation		-	1 89 38
	निवल निवेश / Net investments		841 62 62	326 43 75

* गैर-एसएलआर एचटीएम प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत ₹ 12438 00 00 हजार (₹ 7881 00 00 हजार) की भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियों सहित

* Includes Special GOI Securities of ₹ 12438 00 00 Thousand (₹ 7881 00 00 Thousand) classified as Non-SLR HTM Securities

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	यथा 31 मार्च 2020 As at 31-03-2020	यथा 31 मार्च 2019 As at 31-03-2019
अनुसूची 9 - अग्रिम / SCHEDULE 9 - ADVANCES		
अ A		
(i) खरीदे और भुनाए / पुनर्भुनाए गए बिल Bills purchased and discounted/ rediscounted	631 12 73	1510 97 80
(ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट तथा मांग पर प्रतिदेय ऋण Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	37464 21 65	40344 29 80
(iii) मीयादी ऋण* / Term loans*	91746 44 49	104935 16 19
कुल / TOTAL	**129841 78 87**	**146790 43 79**
आ B		
(i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत**/ Secured by tangible assets **	123495 37 63	140017 73 02
(ii) बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा रक्षित*** Covered by Bank / Government guarantees***	72 33 62	186 44 97
(iii) अप्रतिभूत / Unsecured	6274 07 62	6586 25 80
कुल / TOTAL	**129841 78 87**	**146790 43 79**
इ C		
I भारत में अग्रिम / Advances in India		
(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र / Priority sector	61543 41 59	66877 91 80
(ii) सार्वजनिक क्षेत्र / Public sector	-	925 94 32
(iii) बैंक / Banks	111 48 28	475 33 69
(iv) अन्य / Others	63185 89 67	71707 11 84
कुल / TOTAL	**124840 79 54**	**139986 31 65**
II भारत से बाहर अग्रिम / Advances Outside India		
(i) बैंकों से प्राप्य / Due from banks	-	-
(ii) अन्य से प्राप्य : / Due from others:		
(क) खरीदे तथा भुनाए गए बिल (a) Bills purchased and discounted	-	32 50 28
(ख) समूहित ऋण (b) Syndicated loans	898 65 04	1526 46 89
(ग) अन्य (c) Others	4102 34 29	5245 14 97
कुल / TOTAL	**5000 99 33**	**6804 12 14**
कुल (इ I और इ II) / GRAND TOTAL (C I and C II)	**129841 78 87**	**146790 43 79**

* ₹ 755 00 00 हजार (₹ 1530 00 00 हजार) की आईबीपीसी की खरीद शामिल है.
Includes Purchase of IBPC of ₹ 755 00 00 Thousand (₹ 1530 00 00 Thousand)

** बही ऋणों पर अग्रिम शामिल हैं
Includes advances against book debts

*** बैंकों द्वारा जारी साख-पत्रों पर अग्रिम शामिल हैं
Includes advances against letter of credit issued by banks.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2020 As at 31-03-2020	यथा 31 मार्च 2019 As at 31-03-2019
	अनुसूची 10 - अचल आस्तियां / SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS		
I	**परिसर (अनुसूची 18 टिप्पणी आ.1 देखें) Premises (Refer Schedule 18 Note B.1)**		
	प्रारंभिक शेष (लागत पर) / Opening Balance (At cost)	7145 27 95	6332 54 45
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	78 67 40	18 50 53
	वर्ष के दौरान किया गया पुनर्मूल्यन / Revaluation made during the year	-	2013 11 62
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	41 02	303 45 48
	आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	236 98 88	915 43 17
		6986 55 45	**7145 27 95**
II	**अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर व फिक्सचर सहित) Other fixed assets (including Furniture & Fixtures)**		
	प्रारंभिक शेष (लागत पर) / Opening Balance (At cost)	2005 67 39	2169 72 66
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	439 46 53	94 11 75
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	315 52 08	258 17 02
	आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	1474 01 99	1387 58 18
		655 59 85	**618 09 21**
III	**पट्टे पर दी गयी आस्तियां/ Assets given on Lease**		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	601 81 79	601 81 79
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
	आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	600 05 27	600 05 27
	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Non-Performing Assets	1 76 52	1 76 52
		-	**-**
IV	**चालू पूंजीगत कार्य / Capital Work-in-Progress**	487 02 66	467 61 45
	कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	**8129 17 96**	**8230 98 61**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2020 As at 31-03-2020	यथा 31 मार्च 2019 As at 31-03-2019
	अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां / SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS		
I	अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter office adjustments (net)	2 51	-
II	उपचित ब्याज / Interest accrued	2450 14 07	2479 41 67
III	अग्रिम कर भुगतान / स्रोत पर कर की कटौती (निवल) Tax paid in advance / tax deducted at source (net)	5941 68 43	5024 26 67
IV	लेखन सामग्री और स्टाम्प / Stationery and stamps	16 45	14 52
V	दावों की तुष्टि में अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियां (लागत पर)* Non-Banking Assets acquired in satisfaction of claims (At Cost)*	791 98 93	791 98 93
VI	**अन्य / Others**		
	(क) आस्थगित कर आस्ति (निवल) (a) Deferred Tax Asset (net)	15749 58 45	19669 48 05
	(ख) आबंटन के लिए लंबित शेयर / बॉण्ड (b) Shares / Bonds Pending allotment	-	-
	(ग) विविध जमाराशियां व अग्रिम (c) Sundry deposit and advances	188 88 04	195 40 23
	(घ) प्राप्य दावे (d) Claims receivable	330 20 92	434 46 30
	(ङ) दबावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ) को अंतरित मामलों के संबंध में व्यय / संवितरण (e) Expenses / Disbursements in respect of cases transferred to Stressed Assets Stabilization Fund (SASF)	142 90 32	135 26 38
	(च) विविध ** (f) Miscellaneous **	24164 99 90	22226 31 26
	कुल (I से VI) / TOTAL (I to VI)	**49760 58 02**	**50956 74 01**

* प्रावधानों की निवल बकाया राशि ₹ 78 38 93 हजार (₹ 78 38 93 हजार) है

* Amount outstanding net of provisions is ₹ 78 38 93 Thousand (₹ 78 38 93 Thousand)

** प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र जमाराशियों में ₹ 23831 46 08 हजार (₹ 21537 83 75 हजार) का निवेश शामिल है

** Includes Investment in Priority sector deposits ₹ 23831 46 08 Thousand (₹ 21537 83 75 Thousand)

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2020 As at 31-03-2020	यथा 31 मार्च 2019 As at 31-03-2019
	अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं **SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES**		
I	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया Claims against the Bank not acknowledged as debts	167 06 33	169 46 89
II	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of outstanding forward exchange contracts	44359 37 15	55635 82 89
III	ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents		
	(क) - भारत में (a) - in India	40889 66 85	41744 55 71
	(ख) - भारत से बाहर (b) - outside India	946 84 43	728 12 82
IV	स्वीकृतियां, परांकन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	7429 04 89	13324 95 51
V	ब्याज दर और मुद्रा स्वैप व ऋण चूक स्वैप के संबंध में देयता Liability in respect of interest rate and currency swaps and credit default swaps	20225 07 79	23278 28 64
VI	अन्य डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में देयता Liability in respect of other Derivative contracts	696 10 69	1514 26 51
VII	विवादित आयकर, ब्याज कर, दंड और ब्याज मांग के कारण On account of disputed Income tax, Interest tax, penalty and interest demands	2215 14 29	4302 34 82
VIII	अन्य मदें जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है Other items for which the bank is contingently liable	184 89 61	156 44 86
	कुल (I से VIII) / TOTAL (I to VIII)	**117113 22 03**	**140854 28 65**

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2020	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2019
	अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज / SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED		
I	अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा / Interest / discount on advances / bills	13101 50 95	14380 90 30
II	निवेशों से आय / Income on investments	5780 63 92	6443 21 51
III	रिज़र्व बैंक के पास जमा शेष तथा अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with RBI and other inter-bank funds	453 55 10	189 36 50
IV	अन्य / Others	1489 44 48	1057 75 38
	कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	**20825 14 45**	**22071 23 69**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000s)

		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2020	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2019
	अनुसूची 14 - अन्य आय / SCHEDULE 14 - OTHER INCOME		
I	कमीशन, विनिमय और दलाली Commission, exchange and brokerage	1875 63 82	1981 68 04
II	निवेशों की बिक्री पर लाभ /(हानि) (निवल) Profit/ (Loss) on sale of investments (net)	886 25 02	336 13 40
III	निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ /(हानि) (निवल) Profit/ (Loss) on revaluation of investments (net)	-	-
IV	भूमि, भवन तथा अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit/ (Loss) on sale of land, buildings and other assets (net)	(4 76 34)	(72 56 72)
V	विनिमय लेन-देनों / डेरिवेटिव पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit/ (Loss) on exchange transactions / Derivatives (net)	548 69 73	312 62 97
VI	भारत में स्थित सहायक कंपनियों और / या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आय Dividend income from subsidiary companies and / or joint ventures in India	66 47 52	1 65 00
VII	बट्टे खाते डाले गए मामलों से वसूली / Recovery from written off cases	826 56 25	467 78 79
VIII	विविध आय / Miscellaneous Income	271 47 30	272 98 24
	कुल (I से VIII) / TOTAL (I to VIII)	**4470 33 30**	**3300 29 72**

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2020	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2019
	अनुसूची 15 - व्ययगत ब्याज SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED		
I	जमाराशियों पर ब्याज / Interest on deposits	11096 49 81	12525 74 12
II	रिज़र्व बैंक / अंतर-बैंक उधार राशियों पर ब्याज Interest on RBI / inter-bank borrowings	492 81 97	664 59 41
III	अन्य / Others	2257 98 63	2975 28 67
	कुल (I से III) / TOTAL (I to III)	**13847 30 41**	**16165 62 20**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2020	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2019
	अनुसूची 16 - परिचालन व्यय **SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES**		
I	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	3230 93 47	2191 19 96
II	किराया, कर और बिजली Rent, taxes and lighting	451 06 93	424 59 70
III	मुद्रण और लेखन सामग्री Printing and stationery	42 38 09	45 15 10
IV	विज्ञापन और प्रचार/ Advertisement and publicity	33 79 75	11 13 66
V	बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास / Depreciation on the Bank's property	390 67 66	366 44 06
VI	निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय Director's fees, allowances and expenses	1 02 57	31 77
VII	लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय / Auditor's fees and expenses	2 32 24	29 15 15
VIII	विधि प्रभार / Law charges	19 06 57	20 10 75
IX	डाक खर्च, टेलीग्राम, टेलीफोन आदि / Postage, telegrams, telephones etc.	86 92 49	84 34 24
X	मरम्मत और रख-रखाव / Repairs and maintenance	76 93 96	85 41 11
XI	बीमा / Insurance	203 66 46	208 65 21
XII	अन्य / Others		
	(क) बैंकिंग व्यय (a) Banking expenses	111 17 61	84 51 81
	(ख) कार्ड एवं एटीएम व्यय (b) Card & ATM expenses	397 16 85	438 93 13
	(ग) परामर्श व्यय (c) Consultancy expenses	9 39 88	33 19 50
	(घ) बट्टे खाते मामलों की वसूली से संबंधित व्यय (d) Expenses for recovery of write off cases	4 85 02	4 66 48
	(ङ) आउटसोर्सिंग व्यय (e) Outsourcing expenses	610 69 61	633 97 11
	(च) आईटी व्यय (f) IT expenses	100 14 78	81 84 53

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2020	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2019
(छ) स्टाफ प्रशिक्षण और अन्य व्यय (g) Staff training & other expenses	14 55 57	11 64 49
(ज) यात्रा और वाहन प्रभार (h) Travelling and conveyance charges	29 97 33	27 02 16
(झ) ट्रेजरी व्यय (i) Treasury expenses	4 23 84	6 44 78
(ञ) उधारी के लिए फीस तथा अन्य व्यय (j) Fee and other expenses for borrowing	77 97	2 07 40
(ट) अन्य व्यय (k) Other expenditure	514 37 37	362 96 65
कुल (I से XII) / TOTAL (I to XII)	**6336 16 02**	**5153 78 75**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

अनुसूची 17 - महत्वपूर्ण लेखा नीतियां
SCHEDULE 17 – SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. तैयार करने का आधार/ Basis of Preparation

वित्तीय विवरण बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं. इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त लेखांकन नीतियां सभी महत्वपूर्ण पहलुओं के मामले में भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी), भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों, कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') के अधीन बनाए नियमों के साथ पठित धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित लेखांकन मानकों (एएस), अधिनियम के प्रावधानों (अधिसूचित सीमा तक) और भारत में बैंकिंग उद्योग में सामान्यतया प्रचलित पद्धतियों के अनुरूप हैं. बैंक लेखांकन की उपचय विधि, सिवाय कि जहां अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो, और परम्परागत लागत पद्धति का अनुसरण करता है.

The financial statements have been prepared in accordance with requirements prescribed under the Third Schedule of the Banking Regulation Act, 1949. The accounting policies used in the preparation of these financial statements, in all material aspects, conform to Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP), the guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI) from time to time, the Accounting Standards (AS) prescribed under Section 133 of Companies Act, 2013 ('Act') read with Rules made there under, provisions of the Act (to the extent notified) and practices generally prevalent in the banking industry in India. The Bank follows the accrual method of accounting, except where otherwise stated, and the historical cost convention.

2. अनुमानों का उपयोग/ Use of Estimates

वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रबंधन के लिए यह जरूरी है कि वह ऐसे अनुमान व धारणाएं बनाए जो वित्तीय विवरणों की तारीख को दर्शायी गई आस्तियों, देयताओं, व्ययों, आय राशियों और आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण को प्रभावित करती हैं. प्रबंधन को विश्वास है कि ये अनुमान और धारणाएं तर्कसंगत तथा विवेकपूर्ण हैं. तथापि वास्तविक परिणाम अनुमानों से अलग हो सकते हैं. लेखा अनुमानों में किसी तरह के संशोधन को चालू तथा भावी अवधियों में भविष्यलक्षी प्रभाव से हिसाब में लिया जाता है.

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

3 राजस्व निर्धारण/ Revenue Recognition

राजस्व का निर्धारण इस अधिसंभाव्य सीमा के तहत किया जाता है कि बैंकों को आर्थिक लाभ मिलेगा तथा राजस्व का विश्वसनीय रूप से आकलन किया जा सकेगा.

Revenue is recognized to the extent it is probable that the economic benefits will flow to the Bank and the revenue can be reliably measured

i. ब्याज आय की गणना उपचय आधार पर की जाती है, सिवाय अनर्जक आस्तियों के मामले में जहां इसे रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली के बाद हिसाब में लिया जाता है.
Interest income is recognized on accrual basis except in the case of non-performing assets where it is recognized upon realization as per the prudential norms of the RBI.

ii. साख पत्र (एलसी) /बैंक गारंटी (बीजी) पर कमीशन साख पत्र/ बैंक गारंटी की अवधि के दौरान उपचित होता है.
Commissions on Letter of Credit (LC)/ Bank Guarantee (BG) are accrued over the period of LC/ BG.

iii. शुल्क आधारित आय को प्राप्ति की सुनिश्चितता के आधार पर उपचित किया जाता है तथा यह ग्राहक के साथ करार की शर्तों के अनुसार कार्य की प्रगति पर आधारित होती है.
Fee based income are accrued on certainty of receipt and is based on milestones achieved as per terms of agreement with the client.

iv. बट्टाकृत लिखतों पर आय को निरंतर प्रतिफल आधार पर लिखत की अवधि के अनुसार निर्धारित किया जाता है.
Income on discounted instruments is recognized over the tenure of the instrument on a constant yield basis.

v. लाभांश की प्राप्ति का अधिकार सिद्ध हो जाने पर उसे उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है.
Dividend is accounted on an accrual basis when the right to receive the same is established.

vi. अनर्जक अग्रिमों के मामले में वसूली का विनियोजन बैंक की नीति के अनुसार किया जाता है.
In case of Non-performing advances, recovery is appropriated as per the policy of the bank.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

4. अग्रिम व प्रावधान / Advances and Provisions

i. अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा रिज़र्व बैंक द्वारा विनिर्दिष्ट विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं. अग्रिमों को अनर्जक अग्रिमों के लिये किए गए प्रावधानों को घटाकर दिखाया जाता है.
Advances are classified into Standard, Sub-standard, Doubtful and Loss assets and provisions are made in accordance with the prudential norms prescribed by RBI. Advances are stated net of provisions towards non-performing advances.

ii. जहाँ बही ऋणों सहित मूर्त प्रतिभूति पर अग्रिमों का कम से कम 10% भाग विनिर्दिष्ट/ सृजित किया जाता है, वहाँ अग्रिमों को 'मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. एस्क्रो, गारंटी, चुकौती आश्वासन पत्र, ब्रांड पर प्रभार, लाइसेंस, पेटेंट, कॉपीराइट आदि के रूप में प्रतिभूति को 'मूर्त आस्तियां' नहीं माना जाता है.
Advances are classified as 'Secured by Tangible Assets' when security of at least 10% of the advance has been stipulated/ created against tangible security including book debts. Security in the nature of escrow, guarantee, comfort letter, charge on brand, license, patent, copyright etc are not considered as 'Tangible Assets'.

iii. विगत वर्षों में बट्टे खाते डाले गए ऋणों में की गई वसूलियों तथा उधारकर्ता की मौजूदा स्थिति के संदर्भ में आवश्यक न समझे गए प्रावधानों की राशि को लाभ-हानि लेखे में आय के रूप में लिया जाता है.
Amounts recovered against debts written-off in earlier years and provisions no longer considered necessary in the context of the current status of the borrower are recognized as income in the Profit and Loss account.

iv. बैंक अशोध्य और संदिग्ध अग्रिमों तथा निवेशों के लिए कोई अस्थायी प्रावधान नहीं करता है.
The Bank does not make any floating provision for bad and doubtful advances and investments.

v. पुनर्संरचित/पुनर्निधारित ऋणों और अग्रिमों पर प्रावधान बैंकों द्वारा ऋणों और अग्रिमों की पुनर्संरचना पर लागू रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है.
Provision on loans and advances restructured/rescheduled is made in accordance with the applicable RBI guidelines on restructuring of loans and advances by Banks.

vi. बैंक ने बोर्ड के अनुमोदन से पिछले वर्षों में रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों द्वारा यथा अपेक्षित प्रति-चक्रीय प्रावधानीकरण बफर बनाया है जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) द्वारा अनुमत सीमाओं और परिस्थितियों के भीतर उपयोग किया जा सकता है.
The Bank had made counter cyclical provisioning buffer as required by RBI guidelines, in earlier years, with the approval of the Board, which can be utilized within the limits and in the circumstances permitted by Reserve Bank of India (RBI).

5 निवेश/ Investments

अ. वर्गीकरण
A. Classification

निवेश वर्गीकरण व मूल्यांकन के बारे में रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है:
In terms of extant guidelines of the RBI on investment classification and valuation, the entire investment portfolio is categorized as

i. परिपक्वता तक धारित,
Held To Maturity,

ii. बिक्री के लिए उपलब्ध तथा
Available For Sale and

iii. ट्रेडिंग के लिए धारित
Held For Trading.

प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत निवेश को निम्नलिखित रूप में पुनः वर्गीकृत किया जाता है.
Investments under each category are further classified as

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

i. सरकारी प्रतिभूतियां
Government Securities

ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
Other Approved Securities

iii. शेयर
Shares

iv. डिबेंचर तथा बॉण्ड
Debentures and Bonds

v. सहायक संस्थाएं/ संयुक्त उद्यम
Subsidiaries/ Joint Ventures

vi. अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड यूनिट, प्रतिभूति रसीदें और पास थ्रू प्रमाणपत्र).
Others (Commercial Paper, Mutual Fund Units, Security Receipts, Pass through Certificate).

आ. वर्गीकरण का आधार
B. Basis of Classification

क) बैंक द्वारा परिपक्वता तक धारित रखने के उद्देश्य से किए गए निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.
a) Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as 'Held to Maturity'.

ख) खरीद की तारीख से 90 दिनों के भीतर मूलतः बिक्री के लिए धारित रखे गए निवेशों को 'ट्रेडिंग के लिए धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.
b) Investments that are held principally for sale within 90 days from the date of purchase are classified as 'Held for Trading'.

ग) जो निवेश उपर्युक्त दोनों श्रेणियों में नहीं आते हैं, उन्हें 'बिक्री के लिए उपलब्ध' शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.
c) Investments, which are not classified in the above two categories, are classified as 'Available for Sale'.

घ) किसी निवेश को उसकी खरीद के समय 'परिपक्वता तक धारित', 'बिक्री के लिए उपलब्ध' अथवा 'ट्रेडिंग लिए धारित' की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है और बाद में इन श्रेणियों के बीच में इनकी अदला-बदली और मूल्यांकन रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है.
d) An investment is classified as 'Held To Maturity', 'Available For Sale' or 'Held For Trading' at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories and its valuation is done in conformity with RBI guidelines.

ङ) सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है. सहयोगी कंपनियों में निवेश का वर्गीकरण इसके अधिग्रहण के समय किया जाता है.
e) Investments in subsidiaries and joint venture are classified as 'Held to Maturity'. The classification of investments in associates is done at the time of its acquisition.

इ. मूल्यांकन
C. Valuation

i) किसी निवेश की अर्जन लागत को निर्धारित करने में:
In determining the acquisition cost of an investment:

क) सेकंडरी बाजार से अधिगृहीत इक्विटी लिखतों के मामले में प्रदत्त दलाली, कमीशन, स्टाम्प ड्यूटी और अन्य करों को अर्जन लागत में शामिल किया जाता है जबकि ट्रेजरी निवेशों सहित अन्य निवेशों के मामले में ऐसे व्ययों को लाभ-हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है.
a) Brokerage, commission, stamp duty, and other taxes paid are included in cost of acquisition in respect of acquisition of equity instruments from the secondary market whereas in respect of other investments, including treasury investments, such expenses are charged to Profit and Loss Account.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

ख) खंडित अवधि के लिए प्रदत्त ब्याज / प्राप्त ब्याज को अर्जन लागत/ बिक्री में से घटाया जाता है और उसे ब्याज व्यय/ आय के रूप में माना जाता है.

b) Broken period interest paid/ received is excluded from the cost of acquisition/ sale and treated as interest expense/ income.

ग) लागत का निर्धारण भारित औसत लागत पद्धति के अनुसार किया जाता है.

c) Cost is determined on the weighted average cost method.

ii) 'परिपक्वता तक धारित' निवेशों को जब तक यह अंकित मूल्य से अधिक न हों, अर्जन लागत के अनुसार हिसाब में लिया जाता है और ऐसे मामलों में प्रीमियम को परिपक्वता की शेष बची अवधि में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है. इस श्रेणी के अंतर्गत निवेशों के मूल्य में अस्थायी स्वरूप की कमी के अलावा होने वाली अन्य कमी के संबंध में प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग प्रावधान किया जाता है.
Investments 'Held To Maturity' are carried at acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized on straight line basis over the remaining period of maturity. Diminution, other than temporary, in the value of investments under this category is provided for each investment individually.

iii) 'ट्रेडिंग के लिए धारित' तथा 'बिक्री के लिए उपलब्ध' निवेशों के स्क्रिप-वार बाजार मूल्य को बही में अंकित किया जाता है और इसके परिणामस्वरुप प्रत्येक श्रेणी में हुए निवल मूल्यह्रास, यदि कोई हो, को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है जबकि किसी निवल वृद्धि, यदि कोई हो, को नहीं दर्शाया जाता है.
Investments 'Held For Trading' and 'Available For Sale' are marked to market scrip-wise and the resultant net depreciation, if any, in each category is recognized in the Profit and Loss Account, while the net appreciation, if any, is ignored.

क) बट्टाकृत लिखत होने के नाते ट्रेजरी बिलों तथा वाणिज्यिक पत्रों और जमा प्रमाणपत्रों का मूल्यांकन रखाव लागत पर किया जाता है.

a) Treasury Bills, commercial papers and certificates of deposit being discounted instruments are valued at carrying cost.

ख) ट्रेड/ उद्धृत किए गए निवेशों के संबंध में बाजार मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में उपलब्ध ट्रेड/ भाव-सूची से लिया जाता है.

b) In respect of traded/ quoted investments, the market price is taken from the trades/ quotes available on the stock exchanges.

ग) उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन बाजार मूल्यों पर तथा अनुद्धृत / ट्रेड न की गई सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन फाइनेंशियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लिमिटेड (एफबीआईएल) द्वारा घोषित मूल्यों के आधार पर किया जाता है.

c) The quoted Government Securities are valued at market prices and unquoted/non-traded government securities are valued at prices declared by Financial Benchmark India Pvt Ltd (FBIL).

घ) अनुद्धृत शेयरों का मूल्य अलग-अलग मूल्य या अद्यतन तुलन-पत्र उपलब्ध होने पर निवल आस्ति मूल्य पर, अन्यथा ₹ 1 प्रति कंपनी आधार पर निकाला जाता है और म्यूचुअल फंड के यूनिटों का मूल्य रिज़र्व बैंक के संगत दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्खरीद मूल्य पर निकाला जाता है.

d) The unquoted shares are valued at break-up value or at Net Asset Value if the latest balance sheet is available, else, at ₹ 1/- per company and units of mutual fund are valued at repurchase price as per relevant RBI guidelines..

ङ) नियत आय वाली अनुद्धृत प्रतिभूतियों (सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर) का मूल्य समान परिपक्वता अवधि वाली केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता पर प्रतिफल (वाईटीएम) दरों पर समुचित रूप से अधिक दर निर्धारित कर वाईटीएम आधार पर निकाला जाता है. ऐसे कीमत-लागत अंतर व वाईटीएम दरों को भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ (एफआईएमएमडीए)/ एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित संबंधित दरों पर लागू किया जाता है.

e) The unquoted fixed income securities (other than government securities) are valued on Yield to Maturity (YTM) basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government securities of equivalent maturity. Such mark-up and YTM rates applied are as per the relevant rates published by Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA)/FBIL.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

च) आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का मूल्यांकन रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए तथा ऐसे लिखतों पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है. तद्नुसार, ऐसे मामलों में जहाँ आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों से नकदी प्रवाह, संबंधित योजना में लिखतों को समनुदेशित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली तक सीमित हो, वहाँ बैंक आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों से समय-समय पर प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर इस प्रकार के निवेशों के मूल्यांकन के लिए निवल आस्ति मूल्य को हिसाब में लेता है.

f) Security receipts issued by the asset reconstruction companies are valued in accordance with the guidelines applicable to such instruments, prescribed by RBI from time to time. Accordingly, in cases where the cash flows from security receipts issued by the asset reconstruction companies are limited to the actual realisation of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Bank reckons the net asset value obtained from the asset reconstruction company from time to time, for valuation of such investments at the end of each reporting period.

छ) उद्धृत अधिमानी शेयरों को बाजार दरों पर मूल्यांकित किया जाता है तथा अनुद्धृत / ट्रेड न किये जाने वाले अधिमानी शेयरों को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मोचन मूल्य से अनधिक परिपक्वता उपयुक्त प्रतिलाभ आधार पर मूल्यांकित किया जाता है.

g) Quoted Preference shares are valued at market rates and unquoted/non-traded preference shares are valued at appropriate yield to maturity basis, not exceeding redemption value as per RBI guidelines.

निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में जमा/ नामे किया जाता है. तथापि 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में निवेशों की बिक्री से लाभ को पहले लाभ-हानि लेखे में जमा किया जाता है और उसके बाद वर्ष/ अवधि की समाप्ति पर लागू करों को घटाकर पूंजी रिज़र्व खाते में समायोजित किया जाता है. बिक्री से हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.

Profit or Loss on sale of investments is credited/ debited to Profit and Loss Account. However, profits on sale of investments in 'Held to Maturity' category is first credited to Profit and Loss Account and thereafter appropriated, net of applicable taxes to the Capital Reserve Account at the year/period end. Loss on sale is recognized in the Profit and Loss Account.

निवेशों की राशि प्रावधानों को घटाकर दर्शाई जाती है.

Investments are stated net of provisions.

ई. रेपो व रिवर्स रेपो लेन-देन

D. Repo and reverse repo transactions

रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशानुसार, सरकारी प्रतिभूतियों व कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियों (चलनिधि समायोजन सुविधा ('एलएएफ') व सीमांत आपाती सुविधा ('एमएसएफ') के तहत रिज़र्व बैंक से किए गए लेन-देनों सहित) में रेपो व रिवर्स रेपो के लेन-देन क्रमशः उधार लेने व उधार देने वाले लेन-देन के रूप में दर्शाए जाते हैं. रेपो लेन-देन पर उधार लागत को ब्याज व्यय के रूप में तथा रिवर्स रेपो लेन-देन पर प्राप्त राजस्व को ब्याज आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है.

In accordance with the RBI guidelines repo and reverse repo transactions in government securities and corporate debt securities (including transactions conducted under Liquidity Adjustment Facility ('LAF') and Marginal Standby Facility ('MSF') with RBI) are reflected as borrowing and lending transactions respectively. Borrowing cost on repo transactions is accounted as interest expense and revenue on reverse repo transactions is accounted as interest income.

6 डेरिवेटिव लेन-देन/ Derivative Transactions

'हेज' के रूप में नामित लेन-देनों में:

In Transactions designated as 'Hedge':

क) डेरिवेटिव लेन-देनों पर भुगतान योग्य/ प्राप्य निवल ब्याज की गणना उपचय आधार पर की जाती है.

a) Net interest payable/ receivable on derivative transactions is accounted on accrual basis.

ख) हेज स्वैपों के अवधिपूर्व समाप्त होने पर किसी लाभ/ हानि को स्वैप की शेष संविदात्मक अवधि या आस्ति/ देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के आधार पर दर्शाया जाता है.

b) On premature termination of Hedge swaps, any profit/ losses are recognised over the remaining contractual life of the swap or the residual life of the asset/ liability whichever is less.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

ग) अंतर्निहित देयता में परिवर्तन से हेज स्वैपों को पुनः अभिनामित करने की गणना के लिए इसे एक हेज की समाप्ति और दूसरे का अर्जन माना जाता है.

c) Re-designation of hedge swaps by change of underlying liability is accounted as the termination of one hedge and acquisition of another.

घ) हेज संविदाओं की गणना तब तक बाजार मूल्य के अनुसार नहीं की जाती जब तक कि उसके अंतर्निहित मूल्य को भी बाजार मूल्य के अनुसार अंकित नहीं किया जाता. बाजार के लिए अंकित हेज करारों के संबंध में बाजार मूल्य में परिवर्तनों को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.

d) Hedge contracts are not marked to market unless the underlying is also marked to market. In respect of hedge contracts that are marked to market, changes in the market value are recognized in the profit and loss account.

'ट्रेडिंग' के रूप में नामित लेन-देनों में:
In Transactions designated as 'Trading':

'ट्रेडिंग' के लिए नामित बकाया डेरिवेटिव लेन-देनों की गणना उनके उचित मूल्य पर की जाती है जिनमें ब्याज दर स्वैप, परस्पर मुद्रा स्वैप, परस्पर मुद्रा विकल्प एवं ऋण चूक स्वैप शामिल हैं. इसके फलस्वरूप हुए लाभ/ हानि को लाभ-हानि लेखे में शामिल किया जाता है. विकल्पों पर प्रीमियम को तुलन-पत्र की मद के रूप में दर्शाया जाता है और इसे परिपक्वता/ निरस्त होने पर लाभ-हानि लेखे में अंतरित कर दिया जाता है.
Outstanding derivative transactions designated as 'Trading', which includes interest rate swaps, cross currency swaps, cross currency options and credit default swaps, are measured at their fair value. The resulting profits/ losses are included in the profit and loss account. Premium on options is recorded as a balance sheet item and transferred to Profit and Loss Account on maturity/ cancellation.

ईटीसीएफ खंडों में ट्रेडिंग के रूप में नामित डेरिवेटिव लेनदेनों, जिनमें मुद्रा फ्युचर्स, मुद्रा विकल्प और ब्याज दर फ्यूचर्स शामिल हैं, की गणना उनके उचित मूल्य पर की जाती है और उनका नकद निपटान टी+1 आधार पर किया जाता है. इन लेनदेनों के फलस्वरूप हुए लाभ/हानि को संबंधित एक्सचेंजों द्वारा विनिर्दिष्ट माह तथा निपटान तारीख को लाभ-हानि लेखे में अंतरित कर दिया जाता है.
Derivative Transactions in Exchange Traded Currency Futures (ETCF's) segments designated as trading includes Currency Futures, Currency Options and Interest Rate Futures which are measured at their fair value and are cash settled on T+1 basis. The resulting profits / losses on these transactions are transferred to Profit and Loss Account on the month end settlement date stipulated by Respective Exchanges.

7 अचल आस्तियां एवं मूल्यह्रास / Fixed Assets and depreciation

i) अचल आस्तियों, परिसर को छोड़कर, को संचित मूल्यह्रास घटाकर लागत पर लिया जाता है. परिसर का मूल्यांकन बैंक की नीति तथा रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है और उसे संचित मूल्यह्रास घटाकर पुनर्मूल्यित राशि के रूप में उल्लिखित किया जाता है.
Fixed assets other than Premises are stated at cost less accumulated depreciation. Premises are revalued in accordance with the Bank's policy and RBI guidelines and the same are stated at revalued amount less accumulated depreciation.

ii) आस्ति की लागत में क्रय लागत और उपयोग में लाने से पूर्व आस्ति पर उपगत सभी व्यय शामिल होते हैं. उपयोग में लाये जाने पर आस्तियों पर उपगत अनुवर्ती व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब वह ऐसी आस्तियों से भावी लाभ या उनकी कार्यक्षमता बढ़ाता है.
Cost of asset includes purchase cost and all expenditure incurred on the asset before put to use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

iii) पुनर्मूल्यन पर मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, तो पुनर्मूल्यन रिज़र्व में शामिल किया जाता है.
The appreciation on revaluation, if any, is credited to Revaluation Reserve.

iv) अचल आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास की गणना लागत या पुनर्मूल्यित आस्तियों के मामले में पुनर्मूल्यित राशि के संदर्भ में सीधी रेखा पद्धति पर की जाती है.
Depreciation in respect of fixed assets is calculated on Straight Line Method with reference to cost or revalued amounts, in case of assets revalued.

v) पुनर्मूल्यित आस्तियों के संबंध में, पुनर्मूल्यन के फलस्वरूप अतिरिक्त मूल्यह्रास को तुलन पत्र में पुनर्मूल्यन रिज़र्व से सामान्य रिज़र्व में अंतरित किया जाता है.
In respect of revalued assets, the additional depreciation consequent to revaluation is transferred from revaluation reserve to general reserve in the balance sheet

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

vi) ₹ 5000 से कम लागत की अलग-अलग अचल आस्तियों को उनके अर्जन के वर्ष में ही पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है.
Fixed assets individually costing less than ₹ 5000/- are fully depreciated in the year of addition.

vii) गोचर आस्तियों पर मूल्यह्रास कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के भाग सी के अंतर्गत निर्धारित रूप में आस्ति के उपयोगी जीवनकाल के दौरान विनिधानित किया जाता है. उपयोगी जीवनकाल तथा अवशिष्ट मूल्य की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है. यदि प्रबंधन के अनुमान के अनुसार, किसी अचल आस्ति को अर्जित करते समय उस अचल अस्ति के अनुमानित जीवनकाल या बाद में समीक्षा करने पर उसका शेष उपयोगी जीवनकाल कम हो जाता है तो प्रबंधन द्वारा उपयोगी जीवनकाल/शेष उपयोगी जीवनकाल के अनुमान के आधार पर मूल्यह्रास की ऊंची दर लगायी जाती है.
Depreciation on tangible assets is allocated over useful life of the asset as prescribed under Part C of Schedule II of the Companies Act 2013. The useful lives and residual values are reviewed periodically. If the management estimate useful lives of an asset at the time of acquisition of the asset or of remaining useful life on subsequent review is shorter, depreciation is provided at a higher rate based on management's estimate of useful life / remaining useful life.

viii) वर्ष के दौरान अचल आस्तियों के परिवर्धन / बिक्री पर मूल्यह्रास आस्तियों के वास्तव में धारित करने की अवधि के लिए लगाया जाता है.
Depreciation on additions/ sale of fixed assets during the year is provided for the period for which assets were actually held.

ix) अचल आस्तियों के लिए उपयोगी जीवनकाल निम्नानुसार हैः
The useful lives of Fixed assets are as follows:

आस्ति/ Asset	उपयोगी जीवनकाल (वर्ष में) Useful Life (in Years)
स्वाधिकृत परिसर/ Owned Premises	60
फर्नीचर एवं फिक्सचर्स/ Furniture and fixtures	10
बिजली संस्थापना एवं मशीनरी Electrical installation and machinery	10
मोटर वाहन/ Motor vehicles	8
कंप्यूटर (आंतरिक सॉफ्टवेयर सहित) Computers (including integral software)	3
स्वचालित टेलर मशीन/ Automated Teller Machines	8
वी-सैट उपकरण/ VSAT equipment	6
कर्मचारियों के पास टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं Consumer durables with employees	
क) फर्नीचर एवं फिक्सचर a) Furniture and fixtures	10
ख) पर्सनल कंप्यूटर a) Personal Computers	3

x) पट्टाधृत भूमि को पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है.
Leasehold land is amortized over the period of lease.

xi) ₹ 2.50 लाख से अधिक राशि वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (नॉन-इंटिग्रल) को 6 वर्ष की अवधि में पूंजीकृत तथा मूल्यह्रासित किया जाता है.
Computer Software (non-integral) individually costing more than ₹ 2.50 Lacs is capitalised and depreciated over its useful life, not exceeding 6 years.

8 प्रतिभूतीकरण लेन-देन/ Securitisation Transactions:

विभिन्न ऋणों के प्रतिभूतीकरण से इन आस्तियों की विशेष प्रयोजन वाली संस्थाओं (एसपीवी) को बिक्री होती है, जो इसके बदले निवेशकों को प्रतिभूतियां जारी करती हैं. प्रतिभूतिकृत आस्तियों वाले अनुबंधित अधिकारों पर जब नियंत्रण नहीं रहता है तो ऐसी वित्तीय आस्तियों को आंशिक अथवा पूर्णतः अमान्य कर दिया जाता है. बैंक, बिक्री के समय ही होने वाली हानि को तुरंत हिसाब में लेता है और बिक्री के परिणामस्वरूप हुए लाभ/प्रीमियम को उस एसपीवी द्वारा, जिसे आस्तियां बेची गई हैं, जारी की जाने वाली अथवा जारी की गई प्रतिभूतियों के जीवन काल में परिशोधित किया जाता है.
Securitisation of various loans results in sale of these assets to Special Purpose Vehicles ('SPVs'), which, in turn issue securities to investors. Financial assets are partially or wholly derecognised when the control of the contractual rights in the securitised assets is lost. The Bank accounts for any loss arising on sale immediately at the time of sale and the profit/ premium arising on account of sale is amortised over the life of the securities issued or to be issued by the SPV to which the assets are sold.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

9 प्रतिभूतीकरण कंपनियों/ पुनर्संरचना कंपनियों को वित्तीय आस्तियों की बिक्री
Sale of financial assets to Securitization Companies/ Reconstruction Companies:

प्रतिभूतीकरण कंपनियों (एससी)/पुनर्संरचना कंपनियों (आरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री की गणना प्राप्त प्रतिभूति रसीदों (एसआर)/ पास थ्रू प्रमाणपत्र (पीटीसी) के मोचन मूल्य और वित्तीय आस्ति के निवल बही मूल्य, जो भी कम हो, पर की जाती है.
Sale of financial assets to Securitisation Companies (SCs) / Reconstruction Companies (RCs) is reckoned at the lower of the redemption value of Security Receipts (SRs)/ Pass Through Certificates (PTCs) received and the net book value of the financial asset.

आस्तियों की बिक्री, जिसके लिए पूर्ण प्रावधानीकरण किया गया है अर्थात् संदिग्ध आस्तियां- 3 तथा तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए मामलों में प्रतिभूति रसीदों (एसआर) की गणना बैंक की निवेश बही में एक रुपये मान कर की जाती है.
In case of sale of assets which are fully provided i.e. Doubtful Assets-3 and Technical Write Off cases, the Security Receipts (SRs) are reckoned at Rupee one in the investment book of the Bank.

यदि बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) (अर्थात् धारित प्रावधानों को घटाकर बही मूल्य) से कम मूल्य पर है तो कमी को उस वर्ष के लाभ-हानि लेखे में नामे किया जाता है. एनपीए की बिक्री में कोई कमी होने पर अर्थात् बिक्री एनबीवी से कम मूल्य पर होने की स्थिति में बैंक उस कमी को पूरा करने के लिए प्रतिचक्रीय/ अस्थिर प्रावधान भी कर सकते हैं.
In case the sale value is at a price below the Net Book Value(NBV) (i.e., book value less provision held), the shortfall should be debited to the profit and loss account of that year. Banks can also use countercyclical/floating provisions for meeting any shortfall on sale of NPAs i.e. when the sale is at a price below the NBV.

यदि बिक्री निवल बही मूल्य (एनबीवी) से उच्चतर मूल्य पर है तो आधिक्य प्रावधान को उस वर्ष के लाभ-हानि लेखे में प्रतिवर्तित किया जाता है जिसमें नकद राशि प्राप्त हुई हो. तथापि आधिक्य प्रावधान का यह प्रतिवर्तन प्राप्त नकदी के आस्तियों के निवल बही मूल्य से अधिक होने की सीमा तक सीमित रहेगा.
In case, sale value is higher than the NBV, the excess provision is reversed to the profit and loss account in the year in which cash amounts are received. However, such reversal of excess provision is limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.

10 विदेशी मुद्रा लेन-देन/ Foreign Currency Transactions:

i. विदेशी मुद्रा लेन-देन को आरंभिक अभिनिर्धारण होने पर लेन-देन की तारीख के प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है. मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा निर्धारित बंद दरों पर रूपांतरित किया जाता है और इसके फलस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है. मौद्रिक मदों के निपटान से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों को उस अवधि की आय या व्यय के रूप में माना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं.
Foreign currency transactions, on initial recognition are recorded at the exchange rate prevailing on the date of transaction. Monetary foreign currency assets and liabilities are translated at the closing rates prescribed by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) and the resultant gain or loss is recognized in the Profit and Loss account. Exchange differences arising on the settlement of monetary items are recognized as income or expense in the period in which they arise.

ii. ऐसी वायदा विनिमय संविदाओं, जो ट्रेडिंग के लिए नहीं की गई हैं, की शुरुआत में प्राप्त प्रीमियम या बट्टे को संविदा के जीवनकाल में व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया जाता है. अन्य वायदा विनिमय संविदाओं पर प्रीमियम या छूट को हिसाब में नहीं लिया जाता है.
Premium or discount arising at the inception of Forward Exchange Contracts which are not intended for trading is amortized as expense or income over the life of the contract. Premium or discount on other Forward Exchange Contracts is not recognized.

iii. ऐसी बकाया वायदा विनिमय संविदाओं, जो ट्रेडिंग के लिए नहीं हैं, का फेडाई की बंद दरों पर पुनर्मूल्यन किया जाता है. अन्य बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का मूल्य निर्धारण फेडाई द्वारा विर्निदिष्ट परिपक्वताओं के लिए अधिसूचित विनिमय दरों या बीच की परिपक्वताओं की अंतर्वेशित दरों पर किया जाता है. परिणामी लाभ/हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.
Outstanding Forward Exchange Contracts which are not intended for trading are revalued at closing FEDAI rates. Other outstanding Forward Exchange Contracts are valued at rates of exchange notified by FEDAI for specified maturities or at interpolated rates for in-between maturities. The resultant profit/ losses are recognized in the Profit and Loss Account.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

iv. वायदा विनिमय संविदाओं की परिपक्वता पूर्व समाप्ति से होने वाले लाभ/हानियों, साथ ही अपरिशोधित प्रीमियम या छूट, यदि कोई हो, को समाप्ति की तारीख पर हिसाब में लिया जाता है.
Profit/ losses arising on premature termination of Forward Exchange Contracts, together with unamortized premium or discount, if any, is recognized on the date of termination.

v. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के संबंध में आकस्मिक देयता की गणना विनिमय की अनुबंधित दरों पर की जाती है और गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों एवं अन्य दायित्वों की गणना फेडाई की बंद दरों पर की जाती है.
Contingent liability in respect of outstanding forward exchange contracts is calculated at the contracted rates of exchange and in respect of guarantees; acceptances, endorsements and other obligations are calculated at the closing FEDAI rates.

vi. विदेश स्थित शाखा के परिचालनों को 'एकीकृत विदेशी परिचालनों' में वर्गीकृत किया जाता है. आस्तियों व देयताओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा निर्धारित बंद दरों पर रूपांतरित किया जाता है आय और व्यय मदें तिमाही औसत दरों पर रूपांतरित की जाती हैं. इसके फलस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.
Operations of foreign branch are classified as 'Integral Foreign Operations'. Assets and Liabilities are translated at the closing rates prescribed by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI). Income and Expenditure items are translated at quarterly average rates. The resultant gain or loss is recognized in the Profit and Loss Account.

11 कर्मचारी लाभ / Employee Benefits

i. निर्दिष्ट अंशदान योजनाओं में भुगतान, जब अंशदान देय हैं, को वर्ष के लाभ-हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है.
Payments to defined contribution schemes are charged to Profit and Loss Account of the year when contribution are due.

ii. निर्दिष्ट लाभ योजनाओं के लिए, लाभ प्रदान करने की लागत का निर्धारण अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का प्रयोग कर किया जाता है तथा बीमांकिक मूल्यांकन प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है. बीमांकिक लाभ या हानि को उस अवधि के लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है जिसमें वे घटित होते हैं.
For defined benefit schemes, the cost of providing benefits is determined using the Projected Unit Credit Method, with actuarial valuations being carried out at each Balance Sheet date. Actuarial gains or losses are recognized in the profit and loss account for the period in which they occur.

iii. कर्मचारी द्वारा प्रदत्त सेवाओं के बदले अदा किये जाने वाले अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की अबट्टाकृत राशि को उस अवधि के दौरान हिसाब में लिया जाता है जब कर्मचारी सेवा प्रदान करता है.
The undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for the services rendered by employees is recognized during the period when the employee renders the service.

12 खंड रिपोर्टिंग/ Segment Reporting

बैंक तीन खंडों अर्थात् होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, ट्रेजरी सेवाओं में परिचालन करता है. इन खंडों का निर्धारण लेखा मानक-17 के अनुसार योजनाओं व सेवाओं के स्वरूप व जोखिम प्रोफाइल, लक्षित ग्राहक प्रोफाइल, संगठनात्मक संरचना तथा बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली के आधार पर किया गया है.
The Bank operates in three segments wholesale banking, retail banking and treasury operations. These segments have been identified in line with AS-17 on segment reporting after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profile, the organization structure and the internal reporting system of the Bank.

खंड राजस्व, परिणाम, आस्तियों एवं देयताओं में प्रबंधन द्वारा प्रत्येक खंड हेतु आबंटित व अनुमानित किए अनुसार अभिनिर्धारणीय राशि शामिल है. जो आस्तियां एवं देयताएं अभिनिर्धारणीय खंडों में विनिधानीत नहीं की जा सकती हैं, उन्हें अविनिधानीत आस्तियों व देयताओं के रूप में पुनर्समूहित किया गया है.
Segment revenue, results, assets, and liabilities include the amounts identifiable to each of the segments as also amounts allocated, as estimated by the management. Assets and liabilities that cannot be allocated to identifiable segments are grouped under unallocated assets and liabilities.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

13 आय कर / Income Tax

i. कर व्यय में चालू एवं आस्थगित कर शामिल हैं.
Tax expense comprises of current and deferred tax.

चालू कर आयकर की वह निर्धारित राशि है जो आयकर अधिनियम, 1961 तथा आय संगणना एवं प्रकटन मानक (आईसीडीएस) के प्रावधानों के अनुसार परिकलित अवधि के लिए करयोग्य आय (कर हानि) के संबंध में देय (वसूली योग्य) है.
Current tax is the amount of Income tax determined to be payable (recoverable) in respect of taxable income (tax loss) for a period calculated in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and the Income Computation and Disclosure Standards (ICDS).

ii. वर्ष के लिए बहियों और कर लाभों के बीच समय अंतरालों हेतु आस्थगित कर को तुलनपत्र की तारीख को पर्याप्त रूप से अधिनियमित कर दरों एवं कानूनों का प्रयोग करते हुए हिसाब में लिया जाता है. समय अंतरालों से उत्पन्न होनेवाली आस्थगित कर आस्तियों को उस सीमा तक हिसाब में लिया जाता है जितनी उनकी भविष्य में वसूली की उचित निश्चितता हो.
Deferred tax for timing differences between the book and tax profits for the year is accounted for, using the tax rates and laws that have been substantively enacted as of the balance sheet date. Deferred tax assets arising from timing differences are recognized to the extent there is reasonable certainty that these would be realized in future.

iii. अनवशोषित मूल्यह्रास/ हानियों के मामले में आस्थगित कर आस्तियां तभी हिसाब में ली जाती हैं जब यह पूरी तरह से सुनिश्चित हो कि ऐसी आस्थगित कर आस्ति भावी कर योग्य लाभों में से वसूल की जा सकती हैं.
Deferred tax assets in case of unabsorbed depreciation/ losses are recognized only if there is virtual certainty that such deferred tax asset can be realized against future taxable profits.

iv. विभागीय अपीलों सहित जिन विवादित करों के लिए प्रावधान नहीं किया जाता है, उन्हें आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है.
Disputed taxes not provided for including departmental appeals are stated under Contingent Liabilities.

v. आईडीबीआई बैंक ने कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम 2019 के जरिये आयकर अधिनियम, 1961 की नई जोड़ी गई धारा 115बीएए के अनुसार न्यूनतम कर दर का विकल्प चुना है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान है कि न्यूनतम कर का चयन करने वाली घरेलू कंपनियों के लिए एमएटी लागू नहीं होगा.
IDBI Bank has opted for the lower tax rate as per the newly introduced Section 115BAA of the Income Tax Act, 1961 through Taxation Laws (Amendments) Act, 2019 which provides, inter alia, that MAT would not be applicable for the domestic companies opting for the lower tax.

14 प्रति शेयर उपार्जन / Earnings Per Share

i. बैंक लेखामानक 20 के अनुसार मूल एवं न्यूनीकृत प्रति शेयर उपार्जन की सूचना देता है. प्रति शेयर मूल उपार्जन की गणना कर-पश्चात् निवल लाभ को उस अवधि में बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है.
The Bank reports basic and diluted Earnings per Share in accordance with AS 20. Basic Earnings per Share is computed by dividing the net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding at the year end.

ii. प्रति शेयर न्यूनीकृत उपार्जन उस संभावित न्यूनीकरण को दर्शाती है जो उस अवधि के दौरान प्रतिभूतियों या इक्विटी शेयर जारी करने की अन्य संविदाओं का उपयोग या परिवर्तन करने पर हो सकता है. प्रति शेयर न्यूनीकृत उपार्जन की गणना कर-पश्चात् निवल लाभ को इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष के अंत में बकाया न्यूनीकृत संभाव्य इक्विटी शेयरों की संख्या से भाग देकर की जाती है.
Diluted Earnings per Share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the period. Diluted Earnings per Share is computed by dividing the net profit after tax by the sum of the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the year end.

15 आस्तियों की अनर्जकता/ Impairment of Assets

जब भी किसी घटना अथवा परिस्थितियों में हुए परिवर्तन इस बात का संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की रखाव-लागत वसूली योग्य नहीं रही तो अचल आस्तियों के ह्रासित होने की समीक्षा की जाती है. धारित तथा उपयोग की जाने वाली आस्तियों की वसूली क्षमता का आकलन अनुमानित चालू वसूली योग्य मूल्य की तुलना आस्ति की रखाव राशि से कर उनका मूल्य निर्धारित किया जाता है. यदि ऐसी आस्तियां ह्रासित मानी गई हों तो उस ह्रास को उस आस्ति की रखाव लागत से उसके अनुमानित वर्तमान वसूली योग्य मूल्य या उपयोग में मूल्य की तुलना में आधिक्य से मापा जाता है.
Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to the estimated current realizable value and value in use. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognized is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds estimated current realizable value of the asset or value in use.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

16 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं आकस्मिक आस्तियां
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets

i. लेखा मानक 29 के अनुरूप प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के मामले में प्रावधानों को तभी हिसाब में लिया जाता है जब बैंक यह अभिनिर्धारित करता है कि पिछले किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान देयता बनती हो और इस बात की संभावना हो कि उक्त देयता के निपटान के लिए कुछ राशियों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी जिसके लिए विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है.
In conformity with AS 29, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

ii. प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर बट्टाकृत नहीं किया जाता है और उनका निर्धारण तुलनपत्र की तारीख को देयता के निपटान के लिए अपेक्षित सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर किया जाता है.
Provisions are not discounted to its present value and are determined based on best estimate required to settle the obligation at the balance sheet date.

iii. किसी प्रावधान के निपटान के लिए अपेक्षित व्यय के संबंध में संभावित प्रतिपूर्ति का निर्धारण तभी किया जाता है जब यह वास्तविक रूप से सुनिश्चित हो कि इसकी प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जाएगी.
Reimbursement expected in respect of expenditure required to settle a provision is recognized only when it is virtually certain that the reimbursement will be received.

iv. आकस्मिक आस्तियों को न तो हिसाब में लिया जाता है और न ही प्रकट किया जाता है.
Contingent Assets are neither recognized nor disclosed.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

अनुसूची 18 - लेखा टिप्पणियां
SCHEDULE 18 - NOTES TO ACCOUNTS

अ. रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं
A DISCLOSURES REQUIRED AS PER RBI GUIDELINES

I. पूंजी / Capital

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

क्रम.सं./ Sr. No.	विवरण / Particulars	बासेल III के अनुसार / As per Basel III	
		यथा 31 मार्च 2020 As at March 31, 2020	यथा 31 मार्च 2019 As at March 31, 2019
1	सामान्य इक्विटी टीयर 1 पूंजी अनुपात (%) + सीसीबी Common Equity Tier 1 capital ratio (%)+CCB	10.54%	8.91%
2	सीआरएआर- टीयर 1 पूंजी (%) / CRAR - Tier I Capital (%)	10.57%	9.13%
3	सीआरएआर - टीयर 2 पूंजी / CRAR - Tier II Capital (%)	2.74%	2.45%
4	कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) / Total Capital ratio (CRAR) (%)	13.31%	11.58%
5	बैंक में भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत Percentage of the shareholding of the Government of India in the Bank	47.11%	46.46%
6	जुटाई गई इक्विटी पूंजी की राशि (₹ करोड़) ** Amount of equity capital raised (₹ crore) **	9,300	21,624
7	भारत सरकार से प्राप्त शेयर आवेदन राशि (₹) करोड़ Amount of share application money received from GoI (₹ crore)	शून्य Nil	शून्य Nil
8	जुटाई गई अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी की राशि; जिसमें से Amount of Additional Tier 1 capital raised; of which		
	पीएनसीपीएस : / PNCPS:	शून्य / Nil	शून्य / Nil
	पीडीआई : / PDI:	शून्य / Nil	शून्य / Nil
9	जुटाई गई टीयर 2 पूंजी की राशि; / Amount of Tier 2 capital raised;		
	जिसमें से- / of which		
	a) ऋण पूंजी लिखत: / Debt capital instrument:	745	Nil
	b) अधिमानी शेयर पूंजी लिखत: [स्थायी संचयी अधिमानी शेयर (पीसीपीएस) / मोचन-योग्य गैर-संचयी अधिमानी शेयर (आरएनसीपीएस) / मोचन-योग्य संचयी अधिमानी शेयर (आरसीपीएस)] Preference Share Capital Instruments: [Perpetual Cumulative Preference Shares (PCPS) / Redeemable Non-Cumulative Preference Shares (RNCPS) / Redeemable Cumulative Preference Shares (RCPS)]	Nil	Nil

** ₹ 2,644 करोड़ की शेयर पूंजी (₹ 3,555 करोड़) और ₹ 6,656 करोड़ का शेयर प्रीमियम (₹ 18,069 करोड़) शामिल. आरबीआई ने दिनांक 1 मार्च 2016 के परिपत्र सं. डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.83/21.06.201/2015/16 के द्वारा सीईटी-1 पूंजी अनुपात के रूप में पूंजी पर्याप्तता की गणना के लिए पूनर्मूल्यांकन रिज़र्व /डीटीए पर विचार करने के लिए बैंकों को विवेकाधिकार दिया है. बैंक ने उपर्युक्त गणना में विकल्प का प्रयोग किया है.

** Includes Share Capital of ₹ 2,644 crore (₹ 3,555 crore) and Share Premium of ₹ 6,656 crore (₹18,069 crore)
RBI vide circular no DBR.No.BP.BC.83/21.06.201/2015/16 dated March 01, 2016 has given discretion to Banks to consider Revaluation Reserve / DTA for purpose of computation of capital Adequacy as CET-1 capital ratio. The Bank has exercised the option in the above computation.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

II. निवेश / Investments

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

क्रम सं. / Sr. No.	मदें / Items	यथा 31 मार्च 2020 As at March 31, 2020	यथा 31 मार्च 2019 As at March 31, 2019
(1)	निवेश का मूल्य / Value of Investments		
	(i) निवेश का सकल मूल्य Gross Value of Investments		
	(क) भारत में (a) In India	83,853.58	96,400.69
	(ख) भारत से बाहर (b) Outside India	841.63	328.33
	(ii) मूल्यह्रास के लिए प्रावधान Provisions for Depreciation		
	(क) भारत में (a) In India	2,914.79	3,654.49
	(ख) भारत से बाहर (b) Outside India	0.00	1.89
	(iii) निवेश का निवल मूल्य / Net Value of Investments		
	(क) भारत में (a) In India	80,938.79	92,746.19
	(ख) भारत से बाहर (b) Outside India	841.63	326.44
(2)	निवेशों पर मूल्यह्रास के लिए धारित प्रावधानों में घट - बढ़ Movement of provisions held towards depreciation on investments		
	(i) प्रारंभिक शेष / Opening Balance	3,656.39	4,602.54
	(ii) जोड़ें : वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान Add: Provisions made during the year	2,522.80	3,802.64
	(iii) घटायें : वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गये/पुनरांकित किये गये आधिक्य प्रावधान Less: Write-off/ write-back of excess provisions during the year	3,264.40	4,748.79
	(iv) अंतिम शेष / Closing balance	2,914.79	3,656.39

III. **निवेश उतार-चढ़ाव आरक्षित निधि (आईएफआर):** चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 हेतु हानियों को देखते हुए बैंक ने आईएफआर तैयार नहीं किया है.

Investment Fluctuation Reserve (IFR): In view of the losses for the current FY 2019-20, the Bank has not created IFR.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

IV. रेपो लेन-देन / Repo Transactions

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण / Particulars	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया / Minimum outstanding during the year	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया / Maximum outstanding during the year	वर्ष के दौरान औसत दैनिक बकाया / Daily Average outstanding during the year	यथा 31 मार्च 2020 As at March 31, 2020
रेपो के अंतर्गत बेची गई प्रतिभूतियां (अंकित मूल्य) Securities sold under repo (Face Value)				
i. सरकारी प्रतिभूतियां / Government securities	1.00	10,912.00	1,447.63	10,912.00
ii. कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां / Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00
iii. कोई अन्य प्रतिभूतियां / Any Other Securities	0.00	0.00	0.00	0.00
रिवर्स रेपो के अंतर्गत खरीदी गई प्रतिभूतियां (अंकित मूल्य) / Securities purchased under reverse repo (Face Value)				
i. सरकारी प्रतिभूतियां / Government securities	100.00	27,065.00	6,573.06	11,200.00
ii. कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियां / Corporate debt securities	0.00	0.00	0.00	0.00
iii. कोई अन्य प्रतिभूतियां / Any Other Securities	0.00	0.00	0.00	0.00

V. गैर- एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो / Non-SLR Investment Portfolio

1. गैर-एसएलआर निवेश की निर्गमकर्ता संरचना / Issuer composition of Non-SLR investments

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

क्रम सं. Sr. No.	निर्गमकर्ता Issuer	राशि Amount	निजी नियोजन की मात्रा Extent of private placement	'निवेश श्रेणी से कम' प्रतिभूतियों की मात्रा # Extent of 'below investment grade' securities #	'बिना-रेटिंग' वाली प्रतिभूतियों की मात्रा Extent of 'unrated' securities	'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की मात्रा Extent of 'unlisted' securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / PSUs	13,118.50	102.17	0.00	12,467.28	29.28
2	वित्तीय संस्थाएं / FIs	130.79	31.12	12.50	31.12	31.12
3	बैंक / Banks	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	निजी कॉरपोरेट / Private corporates	3,854.15	2,106.71	2,480.40	2,317.83	3,006.79

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

क्रम सं. Sr. No.	निर्गमकर्ता Issuer	राशि Amount	निजी नियोजन की मात्रा Extent of private placement	'निवेश श्रेणी से कम' प्रतिभूतियों की मात्रा # Extent of 'below investment grade' securities #	'बिना-रेटिंग' वाली प्रतिभूतियों की मात्रा Extent of 'unrated' securities	'असूचीबद्ध' प्रतिभूतियों की मात्रा Extent of 'unlisted' securities
5	सहायक कंपनियां/संयुक्त उद्यम/ Subsidiaries / JV	676.54	658.77	0.00	676.54	676.54
6	अन्य* / Others*	5,030.15	0.00	1,297.57	2,841.73	4,188.52
	सकल कुल / Gross Total	**22,810.13**	**2,898.76**	**3,790.47**	**18,334.51**	**7,932.26**
7	मूल्यह्रास के लिए किया गया प्रावधान / Prov. held towards Dep.	2,914.79				
	निवल कुल / Net Total	**19,895.34**	**2,898.76**	**3,790.47**	**18,334.51**	**7,932.26**

*अन्य में एसआर,एसएएसएफ और दुबई तथा गिफ्ट सिटी शाखाओं द्वारा धारित निवेश शामिल.
*Others include SR, SASF and investment held by Dubai and GIFT city branches.

नोटः इक्विटियों में निवेश को बिना रेटिंग वाली प्रतिभूतियां नहीं माना गया है.
Note – Investment in Equities are treated as unrated securities

आईडीबीआई बैंक की निवेश नीति के अनुसार अवरोध दर से नीचे के निवेश सहित इक्विटी/अधिमान्य शेयरों तथा राज्य स्तरीय बॉण्डों में एनपीआई निवेश को ग्रेड से नीचे माना गया है
NPI Investement in equity/preference shares and state level bonds have been considered as below investement grade along with investement rated below hurdle rate as per Investement Policy of IDBI Bank.

2 अनर्जक गैर- एसएलआर निवेश / Non-performing Non-SLR investments

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष / FY 2019-20	वित्तीय वर्ष / FY 2018-19
प्रारंभिक शेष / Opening balance	1,262.16	2574.83
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	2,123.76	682.86
वर्ष के दौरान कमी* / Reductions during the year*	1,868.21	1995.53
अंतिम शेष / Closing balance	1,517.71	1262.16
एनपीआई के लिए धारित कुल प्रावधान / Total provisions held toward NPI	**1,223.35**	**1013.65**

* ₹ 1815.89 करोड़ के अवलेखित निवेश (₹ 1745.69 करोड़) और ₹ 2.32 करोड़ (₹ 249.84 करोड़) के उन्मोचित, बिक्री और निपटान निवेश और ₹ 50.00 करोड़ (₹ 22.65 करोड़) के निवेश सुधार सहित.
* Includes Investment write down of ₹1815.89 crore (₹ 1745.69 crore) and Investment Redemption, Sale and Settlement of ₹ 2.32 crore (₹ 249.84 crore) and Upgradation of Investment of ₹ 50.00 crore (₹ 22.65 crore).

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

VI. प्रतिभूतियों का परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी से/को विक्रय व अंतरण
Sales and transfers of securities to/from Held to Maturity (HTM) category

क. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान एचटीएम श्रेणी से/को की गई प्रतिभूतियों की बिक्री और अंतरण का मूल्य वर्ष के प्रारंभ में एचटीएम श्रेणी में धारित निवेशों के इनमें निम्न शामिल नही हैं (क) लेखा वर्ष के प्रारंभ में बैंकों को अनुमत निदेशक मंडल के अनुमोदन से किया जानेवाला एचटीएम श्रेणी से/को प्रतिभूतियों के एकबारीय अंतरण; (ख) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर स्पष्ट रूप से अनुमत प्रतिभूतियों का अतिरिक्त अंतरण; (ग) एचटीएम श्रेणी में एसएलआर धारिता को नीचे लाने के लिए एचटीएम से प्रत्यक्ष विक्रय; (घ) पूर्व घोषित खुला बाजार परिचालन नीलामियों के तहत भारतीय रिज़र्व बैंक को की गई बिक्री; (ङ) भारत सरकार द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद/संपरिवर्तन/स्विच बही मूल्य के 5% से अधिक नहीं है. यह एसएलआर आवश्यकताओं के अनुपालन हेतु रिज़र्व बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों के संबंध में है.

a. During the year ended March 31, 2020, the value of sales and transfers of securities to/from HTM category excluding: (a) Onetime transfer to/from HTM category with the approval of Board of Directors permitted to be undertaken by Banks at the beginning of the accounting year; (b) Additional shifting of securities explicitly permitted by the Reserve Bank from time to time; (c) Direct sale from HTM for bringing down SLR holdings in HTM category; (d) Sales to the Reserve Bank of India under pre-announced OMO auctions; (e) Repurchase/conversion/switch of Government securities by Government of India; has not exceeded 5% of the book value of the investments held in HTM category at the beginning of the year. The same is in regard to RBI extant guidelines for compliance with SLR requirements.

ख. वर्तमान वर्ष के दौरान एचटीएम श्रेणी में धारित निवेशों में उतार-चढ़ाव की स्थिति निम्नानुसार है :

b. The movement of Investments held in HTM Category during the current year is as under:-

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान प्रतिभूतियों का अंतरण Shifting of securities during FY 2019-20	अंकित मूल्य Face value	बही मूल्य Book value
एचटीएम से एएफ़एस / From HTM to AFS	2,541.54	2,614.71
एचटीएम से एचएफ़टी / From HTM to HFT	2,652.91	2,690.06
एएफ़एस से एचटीएम / From AFS to HTM	6,475.06	6,558.50
कुल / Total	11,669.51	11,863.27

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

एचटीएम श्रेणी से ओएमओ बिक्री (रिज़र्व बैंक द्वारा पुन: खरीद) OMO Sale from HTM Category – (Repurchase by RBI)	बही मूल्य Book Value
02.05.2019	2.40
16.05.2019	252.17
13.06.2019	0
20.06.2019	0
23.12.2019	0
30.12.2019	0
06.01.2020	0
23.01.2020	0
20-03-2020	0
24-03-2020	2,076.30
26-03-2020	0
कुल / Total	2,330.87

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

एचटीएम श्रेणी से प्रतिभूति की बिक्री Sale of Security from HTM category	बही मूल्य Book Value
अप्रैल'19 / April'19 (केवल एसएलआर- ओएमओ,स्विच,शिफ्टिंग शामिल नहीं है) (SLR only- OMO, SWITCH, shifting excluded)	0
मई'19 / May'19 (केवल एसएलआर- ओएमओ,स्विच,शिफ्टिंग शामिल नहीं है) (SLR only- OMO, SWITCH, shifting excluded)	0
जून'19 / June'19 (केवल एसएलआर- ओएमओ,स्विच,शिफ्टिंग शामिल नहीं है) (SLR only- OMO, SWITCH, shifting excluded)	1,399.73
जुलाई'19 / July'19 (केवल एसएलआर- ओएमओ,स्विच,शिफ्टिंग शामिल नहीं है) (SLR only- OMO, SWITCH, shifting excluded)	491.25
अगस्त'19 / August'19 (केवल एसएलआर- ओएमओ,स्विच,शिफ्टिंग शामिल नहीं है) (SLR only- OMO, SWITCH , shifting excluded)	191.28
सितंबर'19 / September'19 (केवल एसएलआर- ओएमओ,स्विच,शिफ्टिंग शामिल नहीं है) (SLR only- OMO, SWITCH , shifting excluded)	566.90
अक्तूबर'19 / October'19 (केवल एसएलआर- ओएमओ,स्विच,शिफ्टिंग शामिल नहीं है) (SLR only- OMO, SWITCH, shifting excluded)	0
नवंबर'19 / November'19 (केवल एसएलआर- ओएमओ, स्विच, शिफ्टिंग शामिल नहीं है) (SLR only- OMO, SWITCH, shifting excluded)	0
दिसंबर'19 / December'19 (केवल एसएलआर- ओएमओ, स्विच, शिफ्टिंग शामिल नहीं है) (SLR only- OMO, SWITCH, shifting excluded)	0
जनवरी'20 / January'20 (केवल एसएलआर- ओएमओ, स्विच, शिफ्टिंग शामिल नहीं है) (SLR only- OMO, SWITCH, shifting excluded)	0
फरवरी'20 / February'20 (केवल एसएलआर- ओएमओ,स्विच,शिफ्टिंग शामिल नहीं है) (SLR only- OMO, SWITCH, shifting excluded)	0
मार्च'20 / March'20 (केवल एसएलआर- ओएमओ,स्विच,शिफ्टिंग शामिल नहीं है) (SLR only- OMO, SWITCH, shifting excluded)	0
कुल / Total	**2,649.16**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

यथा 31 मार्च 2020 को एचटीएम श्रेणी के अंतर्गत स्टॉक निम्नानुसार है:
The stock under HTM category as on March 31, 2020 is as under :

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

	बही मूल्य / Book Value	बाजार मूल्य / Market Value	मूल्यवृद्धि / मूल्यह्रास/ Appreciation/ Depreciation
केंद्र सरकार की प्रतिभूतियां / Central Government Securities	26,111.74	27,462.44	1,350.70
राज्य सरकार की प्रतिभूतियां / State Government Securities	15,267.17	16,101.60	834.43
एसएएसएफ / SASF	2,841.73	2,841.73	0.00
विशिष्ट गैर- अंतरणीय जीओआई बॉण्ड / Special Non Transferrable GOI bonds	12,438.00	12,438.00	0.00
इक्विटी / Equity	688.48	1,159.61	471.13
जोखिम पूंजी / Venture Capital	11.60	11.60	0.00
कुल / Total	**57,358.72**	**60,014.99**	**2,656.27**

रिज़र्व बैंक के दिनांक 10,जून 2019 के परिपत्र सं आरबीआई/2018-19/204डीबीआर.नं.बीपी.बीसी.46/21.04.141/2018-19 के अनुसार प्रकटन /
Disclosure as per RBI Circular No: RBI/2018-2019/204DBR.No.BP.BC.46/21.04.141/2018-19 dated June 10, 2019

विवरण / Particulars	बही मूल्य / Book Value	बाजार मूल्य / Market Value	बाजार मूल्य पर बही मूल्य का आधिक्य / Excess of Book Value over Market Value	धारित प्रावधान / Provision Held
एचटीएम श्रेणी में निवेश / Investment in HTM category	57,358.72	60,014.99	2,656.27	300.00

VII. एसजीएल बाऊंसिंग की घटना पर प्रकटन / Disclosure on instance of SGL bouncing

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

समाप्त वर्ष / Year	एसजीएल बाऊंसिंग की तारीख से / Date of bouncing SGL form	एसजीएल बाऊंसिंग की राशि / Amount of Bouncing of SGL	टिप्पणी / Remarks
2019-20 (वर्तमान वर्ष) / 2019-20 (Current year)	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL
2018-19 (पिछले वर्ष) / 2018-19 (Previous year)	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

VIII. डेरिवेटिव / Derivatives

1 वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप* / Forward Rate Agreement/Interest Rate Swap*

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	यथा मार्च 31, 2020 As at March 31, 2020		यथा मार्च 31, 2019 As at March 31, 2019	
		हेज स्वैप Hedge Swaps	ट्रेडिंग स्वैप Trading Swaps	हेज स्वैप Hedge Swaps	ट्रेडिंग स्वैप Trading Swaps
(i)	स्वैप करारों का आनुमानिक मूलधन* The notional principal of swap agreements*	5,296.55	10,805.88	4,840.85	12,172.59
(ii)	करारों के अंतर्गत यदि काउंटर पार्टी अपने दायित्व के निर्वहन में असफल होती हैं तो उसके कारण होनेवाली हानियां Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	2.91	174.21	0.00	97.35
(iii)	स्वैप निष्पादित करने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक प्रतिभूति Collateral required by the Bank upon entering into swaps	0.00	0.00	0.00	0.00
(iv)	स्वैप से उत्पन्न होनेवाले ऋण जोखिम का संकेद्रण (नीचे (क) देखें) Concentration of credit risk arising from the swaps (refer (a) below)	0.00	0.00	0.00	0.00
(v)	स्वैप बुक का उचित मूल्य The fair value of the swap book	0.47	(13.95)	(82.58)	(5.70)

*चालू वर्ष के आकड़ों में समुद्रपारीय शाखा के आंकड़े शामिल हैं.
*The current year figures include overseas branch also.

क. 31 मार्च 2020 को 5 शीर्ष कॉरपोरेट ग्राहकों का ऋण जोखिम का संकेन्द्रण (बैंक के लिए वर्तमान ऋण एक्सपोजर) कॉरपोरेट ग्राहकों से बैंक को कुल वर्तमान ऋण एक्सपोजर का 100% (100%) है.

a. Concentration of credit risk (Current exposure to the Bank) to top 5 corporate clients as at March 31, 2020 is at 100% of the total current exposure from Corporate Clients to the Bank.

ख. यथा 31 मार्च 2020 को स्वैप का स्वरूप और शर्तें निम्नानुसार हैं:

b. The nature and terms of the Swaps as on March 31, 2020 are set out below:

स्वरूप Nature	संख्या Nos	आनुमानिक मूलधन Notional Principal (₹ करोड़ में) (₹ in crore)	बेंचमार्क Benchmark	शर्तें Terms
ट्रेडिंग / Trading	116	3,422.04	मिबोर-ओआईएस MIBOR-OIS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग / Trading	128	3,352.22	मिबोर-ओआईएस MIBOR-OIS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग / Trading	3	75.00	मिफोर / MIFOR	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

स्वरूप Nature	संख्या Nos	आनुमानिक मूलधन Notional Principal (₹ करोड़ में) (₹ in crore)	बेंचमार्क Benchmark	शर्तें Terms
ट्रेडिंग / Trading	3	75.00	मिफोर / MIFOR	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed receivable
ट्रेडिंग / Trading	2	1,940.81	एसआईआरएस / SIRS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Pay v/s Float Receivable
ट्रेडिंग / Trading	2	1,940.81	एसआईआरएस / SIRS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Pay v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग / Trading	0	-	सीआईआरएस / CIRS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Pay v/s Float Receivable
ट्रेडिंग / Trading	0	-	सीआईआरएस / CIRS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Pay v/s Fixed Receivable
हेज (डीआईएफसी) Hedge (DIFC)	4	5,296.55	एसआईआरएस / SIRS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Pay v/s Fixed Receivable

ग. यथा 31 मार्च 2020 को स्वैप का स्वरूप और शर्तें निम्नानुसार हैं:

c. The nature and terms of the Swaps on March 31, 2019 are set out below :

स्वरूप / Nature	संख्या / Nos	आनुमानिक मूलधन / Notional Principal (₹ in crore)	बेंचमार्क / Benchmark	शर्तें / Terms
ट्रेडिंग / Trading	147	4,319.96	मिबोर-ओआईएस MIBOR-OIS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग / Trading	149	4,022.67	मिबोर-ओआईएस MIBOR-OIS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग / Trading	5	125.00	मिफोर / MIFOR	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग / Trading	4	100.00	मिफोर / MIFOR	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed receivable
ट्रेडिंग / Trading	2	1,788.81	एसआईआरएस / SIRS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग / Trading	2	1,788.81	एसआईआरएस /SIRS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable
ट्रेडिंग / Trading	1	12.06	सीआईआरएस / CIRS	नियत देय बनाम परिवर्तनीय प्राप्य Fixed Payable v/s Float Receivable
ट्रेडिंग / Trading	1	15.28	सीआईआरएस / CIRS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable
हेज (डीआईएफसी) / Hedge (DIFC)	4	4,840.85	एसआईआरएस /SIRS	परिवर्तनीय देय बनाम नियत प्राप्य Float Payable v/s Fixed Receivable

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

2. एक्सचेंज में क्रय-विक्रय वाले ब्याज दर डेरिवेटिव
Exchange Traded Interest Rate Derivatives

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

क्रम सं. Sr. No	विवरण / Particulars	कुल / TOTAL
(i)	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष दौरान एक्सचेंज में ट्रेड किये गये ब्याज दर डेरिवेटिव की आनुमानिक मूलधन राशि (लिखत वार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the year (instrument wise) ending March 31,2020	
	क) मुद्रा फ्यूचर a) Currency Futures	30,708.75
	ख) ब्याज दर फ्यूचर b) Interest Rate Future	63.49
	ग) विकल्प c) Options	शून्य / Nil
(ii)	31 मार्च 2020 को एक्सचेंज में ट्रेड किये गये बकाया ब्याज दर डेरिवेटिव की आनुमानिक मूलधन राशि (लिखत वार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as on March 31,2020 (instrument wise)	
	क) मुद्रा फ्यूचर a) Currency Futures	520.10
	ख) ब्याज दर फ्यूचर b) Interest Rate Future	शून्य / Nil
	ग) विकल्प c) Options	शून्य / Nil
(iii)	एक्सचेंज में ट्रेड किये गये बकाया ब्याज दर डेरिवेटिव तथा जो ''उच्च प्रभावी'' नहीं हैं, की आनुमानिक मूलधन राशि (लिखत वार) Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument wise)	
	क) मुद्रा फ्यूचर a) Currency Futures	शून्य / Nil
	ख) ब्याज दर फ्यूचर b) Interest Rate Future	शून्य / Nil
	ग) विकल्प c) Options	शून्य / Nil
(iv)	एक्सचेंज में ट्रेड किये गये बकाया तथा जो ''उच्च प्रभावी'' नहीं हैं, ब्याज दर डेरिवेटिव का मार्क-टू-मार्केट मूल्य (लिखत वार) Mark-to market value of exchange traded interest derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument wise)	
	क) मुद्रा फ्यूचर a) Currency Futures	शून्य / Nil
	ख) ब्याज दर फ्यूचर b) Interest Rate Future	शून्य / Nil
	ग) विकल्प c) Options	शून्य / Nil

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

3. डेरिवेटिव में ऋण जोखिम का प्रकटन - गुणात्मक प्रकटन
Disclosures on risk exposure in derivatives- Qualitative disclosures

(i) बैंक हेजिंग साथ ही, ट्रेडिंग उद्देश्यों के लिए डेरेवेटिव का इस्तेमाल करता है. ऐसे डेरिवेटिव के इस्तेमाल से विभिन्न जोखिमों जैसे ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन संबंधी जोखिम, विधिक जोखिम आदि बढ़ जाते हैं.

The Bank uses derivatives for Hedging as well as for Trading purposes. The use of such derivatives gives rise to various risks like credit risk, market risk, operational risk, legal risk etc.

(ii) बैंक के पास इन जोखिमों के प्रबंधन के लिए एक सुव्यवस्थित ढांचा है जिसमें जोखिम नीति, जोखिम प्रबंधन संगठन, जोखिम आकलन और निगरानी प्रक्रिया, सीमा संरचना तथा प्रणालीगत बुनियादी संरचना शामिल हैं. बैंक में एक स्वतंत्र जोखिम प्रबंधन विभाग है जिसके प्रमुख कार्यपालक निदेशक हैं तथा जिन्हें मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है. जोखिम प्रबंध ग्रुप, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट नीतियों, प्रक्रियाओं, मानदंडों और सीमाओं तथा लागू विनायमक दिशा-निर्देशों के अनुसार जोखिम के आकलन, निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए कार्यात्मक रूप से जिम्मेदार है. आस्ति देयता प्रबंध समिति के समग्र पर्यवेक्षण के अंतर्गत जोखिम का प्रबंध किया जाता है और इसकी रिपोर्टिंग बोर्ड की जोखिम प्रबंध समिति और बोर्ड को नियमित रूप से की जाती है.

The Bank has a well defined structure to manage these risks, consisting of risk policy, risk management organization, risk measurement and monitoring process, limit structure and system infrastructure. The Bank has an independent Risk Management Department, headed by an Executive Director designated also as Chief Risk Officer. The Risk Management Group is functionally responsible for measurement, monitoring and reporting of risks in accordance with the policies, processes, parameters and limits defined by the Board as well as the applicable regulatory guidelines. Risk is managed under the overall supervision of Asset Liability Management Committee with regular reporting to Risk Management Committee of the Board as well as to the Board.

(iii) ऋण जोखिम, बाजार जोखिम और परिचालनगत तथा विधिक जोखिम पर नियंत्रण करने के लिए संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों ही अर्थों में डेरेवेटिव लेन-देनों में ऋण जोखिम का आकलन/मूल्यांकन किया जाता है. डेरेवेटिव लेन-देन करने से पहले यह सुनिश्चित किया जाता है कि ग्राहक/दूसरे पक्ष को ऋण समतुल्य जोखिम (एलईआर) के अर्थ में आकलित ऋण जोखिम, अनुमोदित सीमा के भीतर हो तथा ग्राहक/दूसरे पक्ष को लेन-देन की आवश्यक समझ हो. बाजार जोखिम का आकलन और प्रबंध स्थितियों, समय-सीमा अथवा अवधि, बाजार दरों के प्रति संवेदनशीलता, अंतराल, ग्रीक्स, हानि-रोध आदि उपायों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है. पर्याप्त प्रणालीगत बुनियादी संरचना और नियंत्रण प्रणाली को व्यवस्थित रखकर परिचालनगत जोखिमों का समाधान किया जाता है. आवश्यक विधिक करारों के निष्पादन और दस्तावेजीकरण के जरिये विधिक जोखिमों का ध्यान रखा जाता है.

Risk exposures in derivatives transactions are measured/ assessed, in both quantitative and qualitative terms, to capture credit risk, market risk and operational & legal risk. Prior to the execution of derivative transaction, it is ensured that credit risk exposure to the client/counterparty, measured in terms of Loan Equivalent Risk (LER), is within the approved limit and the client/counterparty has the necessary understanding of the transaction. Market risk exposure is measured and managed in terms of positions, duration or tenor, sensitivities to market rates, gaps, greeks, stop loss etc. Operational risks are addressed by having adequate system infrastructure and control mechanism in place. Legal risks are taken care of by execution of necessary legal agreements and documentation.

(iv) डेरिवेटिव के लिए लेखांकन नीति रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार की गई है, जिसके विवरण अनुसूची सं.17 ''बैंक की महत्वपूर्ण लेखा नीतियों'' में दिये गए हैं.

The accounting policy for derivatives has been drawn up in accordance with RBI guidelines, the details of which are contained in Schedule No.17 "Significant Accounting Policies of the Bank".

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

4. डेरिवेटिव में ऋण जोखिम का प्रकटन - मात्रात्मक प्रकटन
Disclosures on risk exposure in derivatives- Quantitative disclosures

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

क्रम सं. Sl. No.	विवरण / Particulars	वर्तमान वर्ष (वि.व. 2019-20) Current Year (FY 2019-20)		पिछला वर्ष (वि. व. 2018-19) Previous Year (FY 2018-19)	
		मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives	मुद्रा डेरिवेटिव Currency Derivatives	ब्याज दर डेरिवेटिव Interest Rate Derivatives
(i)	डेरिवेटिव (आनुमानिक मूलधन राशि) Derivatives (Notional Principal Amt.)				
	(क) हेजिंग के लिए a) For hedging	21.98	5,296.55	26.38	4,840.85
	(ख) ट्रेडिंग के लिए b) For trading	4,276.68	10,805.88	7,197.14	12,172.59
(ii)	मार्क्ड-टू-मार्केट पोजीशन Marked to Market Positions				
	(क) आस्तियां (+) a) Asset(+)	470.29	177.12	568.95	97.35
	(ख) देयताएं (-) b) Liability (-)	(466.58)	(190.60)	(565.49)	(185.62)
(iii)	ऋण जोखिम Credit Exposure				
	(क) हेजिंग डेरिवेटिव पर (a) On hedging derivatives	7.64	29.39	7.89	48.41
	(ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर (b) On trading derivatives	772.39	267.02	1,032.04	215.82
(iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन का संभावित प्रभाव (100*पीवी01) Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)				
	(क) हेजिंग डेरिवेटिव पर a) on hedging derivatives	0.48	6.44	0.66	54.97
	(ख) ट्रेडिंग डेरिवेटिव पर b) on trading derivatives	0.00	0.13	0.01	10.88
(v)	वर्ष के दौरान पाये गये 100*पीवी01 के अधिकतम एवं न्यूनतम* Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the year *				
	(क) हेजिंग पर a) on hedging				
	- अधिकतम - Maximum	0.64	50.31	0.87	125.55
	- न्यूनतम - Minimum	0.48	6.44	0.65	54.97
	(ख) ट्रेडिंग पर b) on trading				
	- अधिकतम - Maximum	0.01	17.73	0.21	10.88
	- न्यूनतम - Minimum	0.00261	0.0627	0.00212	0.0922

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

* चूंकि संव्यवहार आस्ति-देयता पोर्टफोलियो में ब्याज दर और मुद्रा विनिमय दर से जुड़े जोखिमों से बचाव व्यवस्था के लिए किए जाते हैं, अतः बैंक अधिकतम और न्यूनतम 100*पीवी01 की गणना दैनिक आधार पर नहीं करता है.

* Since the transaction are undertaken to hedge the interest rate and currency risks in the asset-liability portfolio, the Bank is not calculating the maximum and minimum of 100*PV01 on daily basis.

5. बैंक के पास निवल ओवरनाइट खुली स्थिति (एनओओपी) के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित सीमा है जो 01 नवंबर 2017 से ₹ 400 करोड़ निर्धारित है. वर्ष के दौरान खुली स्थिति अनुमोदित सीमा के भीतर थी तथा औसत उपयोग ₹ 129.08 करोड़ था. वर्ष दौरान अधिकतम उपयोग 22 अप्रैल 2019 को ₹ 304.15 करोड़ था.

5. The Bank has Board approved limit for Net Overnight Open Position (NOOP) fixed at ₹400 crore w.e.f November 01, 2017. During the year the open position was within the approved limit and the average utilization was ₹ 129.08 crore. The maximum utilization during the year was at ₹ 304.15 crore on April 22, 2019.

IX ऋण चूक स्वैप / Credit Default Swaps

बैंक सीडीएस कांट्रैक्ट को बाजार भाव पर दर्शाने के लिए एफआईएमएमडीए द्वारा प्रकाशित दैनिक सीडीएस कर्व के अनुसार मानक मॉडल और उनकी सीडीएस स्थिति के मूल्यांकन के लिए दैनिक गणना कन्वेन्शन का प्रयोग करता है.

The Bank is using standard model for marking to market the CDS contracts as per FIMMDA published daily CDS curve and day count convention to value their CDS positions.

X आस्ति गुणवत्ता / Asset Quality

1. अनर्जक आस्ति (ऋण एवं अग्रिम) / Non-Performing Asset (Loans & Advances)

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

क्रम सं. Sr. No.	मदें / Items	यथा 31 मार्च 2020 As at March 31, 2020	यथा 31 मार्च 2019 As at March 31, 2019
(i)	**निवल अग्रिमों की तुलना में निवल एनपीए (%) Net NPAs to Net Advances (%)**	4.19	10.11
(ii)	**एनपीए में उतार - चढ़ाव (सकल) Movement of NPAs (Gross)**		
	(क) (a) प्रारंभिक शेष Opening Balance	50,027.94	55,588.25
	(ख) (b) वर्ष के दौरान परिवर्धन Addition during the year	11,021.99	18,208.24
	(ग) (c) वर्ष के दौरान कमी Reduction during the year	13,777.56	23,768.55
	(घ) (d) अंतिम शेष Closing balance	47,272.37	50,027.94
(iii)	**निवल एनपीए में उतार - चढ़ाव / Movement of Net NPAs**		
	(क) (a) प्रारंभिक शेष Opening Balance	14,837.44	28,665.14
	(ख) (b) वर्ष के दौरान परिवर्धन (एफ़टीएनपीए) Addition (FTNPA) during the year	4,825.34	11,049.14
	(ग) (c) वर्ष के दौरान कमी (निवल) Reduction (net) during the year	14,223.29	24,876.84
	(घ) (d) अंतिम शेष Closing balance	5,439.49	14,837.44

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

क्रम सं. Sr. No.	मदें / Items	यथा 31 मार्च 2020 As at March 31, 2020	यथा 31 मार्च 2019 As at March 31, 2019
(iv)	**एनपीए के लिए प्रावधानों में उतार - चढ़ाव** **Movement of provisions for NPAs**		
	(मानक आस्तियों के लिए प्रावधानों को छोड़कर) (excluding provisions on standard assets)		
	(क) प्रारंभिक शेष (a) Opening balance	35,190.49	26,923.12
	(ख) वर्ष के दौरान किये गये प्रावधान (b) Provisions made during the year	20,079.29	29,561.10
	(ग) प्रतिचक्रीय प्रावधान बफर में अंतरित (c) Transferred to Countercyclical Prov. Buffer	0.00	0.00
	(घ) बट्टे खाते डाले गये/पुनरांकित अतिरिक्त प्रावधान (d) Write-off/write back of excess provision	13,436.89	21,293.73
	(ङ) अंतिम शेष (e) Closing balance	41,832.89	35,190.49
(v)	**रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों के अनुसार परिकलिक प्रावधानीकरण व्याप्ति अनुपात (टी डब्ल्यु ओ सहित)** **Provisioning Coverage Ratio (Including TWO) computed in accordance with the RBI guidelines**	**93.74%**	**82.88%**

2. एनपीए में घट - बढ़ / Movement of NPAs

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण / Particulars	31 मार्च 2020 March 31, 2020	31 मार्च 2019 March 31, 2019
विवरण वर्ष के 01 अप्रैल के अनुसार सकल एनपीए (प्रारंभिक शेष) Gross NPAs as on 1st April of particular year (Opening Balance)	50,027.94	55,588.25
वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	11,021.99	18,208.24
उप - जोड़ (अ) / Sub-total (A)	**61,049.93**	**73,796.49**
घटाएँ / Less:-		
(i) अपग्रेडेशन / Upgradations	1,286.02	1,407.32
(ii) वसूली (अपग्रेड खाते से हुई वसूली को छोड़कर) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded accounts)	6,555.63	6,443.17

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण / Particulars	31 मार्च 2020 March 31, 2020	31 मार्च 2019 March 31, 2019
(iii) तकनीकी/ विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते में डाले गए Technical/ Prudential Write-offs	3,878.29	14,608.86
(iv) उपर्युक्त (iii) को छोड़कर बट्टे खाते में डाले गए Write-offs other than (iii) above	2,057.62	1,309.20
उप-जोड़ (आ) / Sub-total (B)	**13,777.56**	**23,768.55**
आगामी वर्ष के 31 मार्च के अनुसार सकल एनपीए (अंतिम शेष) (अ-आ) Gross NPAs as on 31st March of following year (closing balance) (A-B)	**47,272.37**	**50,027.94**

3. निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार तकनीकी / विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते में डाले गए स्टॉक और उनसे संबंधित वसूली:

Stock of technical/ Prudential write-offs and the recoveries made thereon

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण / Particulars	31 मार्च 2020 March 31, 2020	31 मार्च 2019 March 31, 2019
01 अप्रैल के अनुसार तकनीकी/ विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते डाले गए खाते में प्रारंभिक शेष Opening Balance of Technical/ Prudential written-off accounts as at 01st April	36,435.66	22,623.20
जोड़ें : वर्ष के दौरान तकनीकी/ विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते डाले गए ADD: Technical/ Prudential write-offs during the year	**3,878.29**	14,608.86
उप - जोड़ (अ) / Sub-total (A)	40,313.95	37,232.06
घटाएँ: वर्ष के दौरान पिछले तकनीकी/ विवेकपूर्ण तरीके से बट्टे खाते डाले गए खाते में हुई वसूली/बदलाव (निवल विनिमय अंतर) (आ) Less: Recoveries/ changes (exchange differences net) in previously Technical/ Prudential written-off accounts during the year (B)	1,247.60	796.40
31 मार्च के अनुसार अंतिम शेष (अ-आ) Closing Balance as at 31st March (A-B)	**39,066.35**	**36,435.66**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

4. यथा दिनांक 31 मार्च 2020 के अनुसार पुनर्संरचित खातों के प्रकटन
Disclosure of Restructured Accounts as on March 31, 2020

(₹ करोड़ में) / (₹ in Crore)

क्र. सं. Sr. No.	पुनर्संरचना का प्रकार / Type of Restructuring → आस्ति का वर्गीकरण / Asset Classification → ब्योरे / Details ↓		सीडीआर प्रणाली के अंतर्गत Under CDR Mechanism					एसएमई ऋण पुनर्संरचना प्रणाली के अंतर्गत Under SME Debt Restructuring Mechanism					अन्य Others					कुल / Total				
			मानक Standard	अवमानक Sub Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total	मानक Standard	अवमानक Sub Standard	संदिग्ध Doubtful	हानि Loss	कुल Total
1	यथा 01 अप्रैल 2019 को पुनर्संरचित खाते (आरंभिक आंकड़े)* Restructured Accounts as on 1 April 2019 (opening figures)*	उधारकर्ताओं की सं. No. of borrowers	12	0	14	0	26	0	0	0	0	0	1219	529	1763	59	3570	1231	529	1777	59	3596
		बकाया राशि Amount outstanding	363.54	0.00	1037.71	0.00	1401.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2973.80	4.40	7937.01	144.41	11059.62	3337.34	4.40	8974.72	144.41	12460.87
		उस पर प्रावधान[3] Provision thereon[3]	3.20	0.00	0.00	0.00	3.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.01	0.22	0.78	0.00	114.01	116.21	0.22	0.78	0.00	117.21
2	वर्ष के दौरान नई पुनर्संरचनाएं Fresh restructuring during the year	उधारकर्ताओं की सं. No. of borrowers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	670	159	8	7	844	670	159	8	7	844
		बकाया राशि Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.55	7.49	0.07	0.93	111.04	102.55	7.49	0.07	0.93	111.04
		उस पर प्रावधान[3] Provision thereon[3]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.56	0.19	0.00	0.00	4.75	4.56	0.19	0.00	0.00	4.75
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित मानक श्रेणी में उन्नयन Upgradations to restructured standard category during the FY	उधारकर्ताओं की सं. No. of borrowers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	10	(5)	(5)	0	0	10	(5)	(5)	0.00	0
		बकाया राशि Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	(0.03)	(0.03)	0.00	0.000	0.06	(0.03)	(0.03)	0.00	0.00
		उस पर प्रावधान[3] Provision thereon[3]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.003	(0.001)	(0.002)	0.00	0.000	0.003	(0.001)	(0.002)	0.00	0.00
4	पुनर्संरचित मानक अग्रिम जिस पर वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर उच्च प्रावधानीकरण और / या जोखिम भार लगना बंद हो गया, अतः इन्हे अगले वित्तीय वर्ष के आरंभ में पुनर्संरचित मानक अग्रिमों के रूप में दिखाया जाना आवश्यक नहीं है Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown as restructured standard advances at the beginning of the next FY	उधारकर्ताओं की सं. No. of borrowers	0				0	0				0	0				0	0				0
		बकाया राशि Amount outstanding	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00
		उस पर प्रावधान[3] Provision thereon[3]	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00	0.00				0.00
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों को डाउनग्रेड करना1 Downgradations of restructured accounts during the FY1	उधारकर्ताओं की सं. No. of borrowers	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0	0	(371)	18	328	25	0	(371)	18	328	25	0
		बकाया राशि Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(387.12)	0.79	385.65	0.68	0.00	(387.12)	0.79	385.65	0.68	0.00
		उस पर प्रावधान[3] Provision thereon[3]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	(0.51)	0.04	0.47	0.00	0.00	(0.51)	0.04	0.47	0.00	0.00
6	वित्तीय वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए पुनर्संरचित खाते Write-offs of restructured accounts during the FY	उधारकर्ताओं की सं. No. of borrowers	2	0	3	0	5	0	0	0	0	0	135	28	59	5	227	137	28	62	5	232
		बकाया राशि Amount outstanding	16.57	0.00	149.68	0.00	166.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.77	0.40	803.08	4.77	821.02	29.34	0.40	952.76	4.77	987.27
7	वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को पुनर्संरचित खाते (अंतिम आंकड़े*)2 Restructured Accounts as on March 31 of the FY (closing figures*)2	उधारकर्ताओं की सं. No. of borrowers	10	0	7	4	21	0	0	0	0	0	1393	177	2515	102	4187	1403	177	2522	106	4208
		बकाया राशि Amount outstanding	216.59	0.00	1563.67	111.53	1891.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795.58	8.28	6677.45	339.80	7821.11	1012.17	8.28	8241.12	451.33	9712.90
		उस पर प्रावधान[3] Provision thereon[3]	3.24	0.00	0.00	0.00	3.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.86	0.23	1.24	0.00	13.33	15.10	0.23	1.24	0.00	16.57

* मानक पुनर्संरचित अग्रिम जिन पर उच्चतर प्रावधान करने या जोखिम भार लगाने की जरूरत नहीं है, के आंकड़ों को छोड़कर (यदि लागू हों).
Excluding the figures of Standard Restructured Advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable).

1 उपर्युक्त उल्लिखित डाउनग्रेडेशन मानक से अवमानक/संदिग्ध/ हानि श्रेणी में किया गया है. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 387.12 करोड़ की बकाया राशि वाले 371 मामले डाउनग्रेड किए गए.
Downgradations mentioned above are from Standard to Sub Standard / Doubtful /Loss Category. 371 cases with outstanding ₹ 387.12 Crores were downgraded during the FY 2019-20.

2 ₹ 987.27 करोड़ बकाया के 232 मामले बट्टे खाते में डाले गए/ वापस लिए गए/ चुकाए गए/ पुनर्संरचना असफल हुई/एओडी को गई आदि. 31 मार्च 2020 को मौजूदा मामलों में शेष में परिवर्तन के कारण बकाया शेष राशि में ₹1871.75 करोड़ की निवल गिरावट आई.
232 Cases with outstanding ₹987.27 Crores were Witten off / revoked / repaid / restructuring failed / AOD etc . There is net decrease in outstanding balance of ₹1871.75 Crores due to movement in balances in existing cases as on March 31, 2020.

3 उस पर प्रावधान केवल उचित मूल्य में ह्रास के लिए किए गए प्रावधान को प्रतिबिंबित करता है.
Provision thereon represents only provision made for diminution in fair value.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

5. **रिज़र्व बैंक के दिनांक 10 नवंबर 2016 के परिपत्र आरबीआई/2016-17/122 डीबीआर.सं. बीपी. बीसी. 34/21.04.132/2016-17 के अनुसार प्रकटन**

Disclosures as per RBI circular RBI/2016-17/122 DBR.No.BP.BC.34/21.04.132/2016-17 dated November 10, 2016

i. **मौजूदा ऋणों की लचीली संरचना पर प्रकटन / Disclosures on Flexible Structuring of Existing Loans**

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

अवधि Period	लचीली संरचना हेतु गणना में लिये गए उधारकर्ताओं की सं. No. of borrowers taken up for flexibly structuring	लचीली संरचना हेतु गणना में लिये गए ऋणों की राशि Amount of loans taken up for flexible structuring		लचीली संरचना हेतु गणना में लिये गए ऋणों की एक्सपोजर भारित औसत अवधि Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible structuring	
		मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as Standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	लचीली संरचना करने से पूर्व Before applying flexible structuring	लचीली संरचना करने के बाद After applying flexible structuring
वित्तीय वर्ष FY 2019-20	शून्य / Nil				
वित्तीय वर्ष FY 2018-19	शून्य / Nil				

ii. **रणनीतिक ऋण पुनर्संरचना योजना पर प्रकटन (ऐसे खाते जो वर्तमान में गतिरोध अवधि के अंतर्गत हैं)**
Disclosures on Strategic Debt Restructuring Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

ऐसे खातों की संख्या जिनमें एसडीआर की सहायता ली गई है No. of accounts where SDR has been invoked	रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि (एफबी मूलधन राशि) Amount outstanding as on the reporting date (FB principal balance)		ऐसे खातों के संबंध में रिपोर्टिंग की तारीख को बकाया राशि जिनमें ऋण का इक्विटी में रूपांतरण लंबित है (एफबी मूलधन शेष) Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending (FB principal balance)		ऐसे खातों के संबंध में रिपोर्टिंग की तारीख को बकाया राशि जिनमें ऋण का इक्विटी में रूपांतरण हो गया है (एफबी मूलधन शेष) Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place (FB principal balance)	
	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as standard	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
शून्य / NIL						

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

iii. **कार्यान्वयन के अधीन परियोजनाओं के स्वामित्व में परिवर्तन के संबंध में प्रकटन (ऐसे खाते जो वर्तमान में गतिरोध अवधि के अधीन हैं)**
Disclosures on Change in Ownership of Projects Under Implementation (accounts which are currently under the stand-still period)

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

परियोजना ऋण खातों की संख्या जहां बैंकों ने स्वामित्व में परिवर्तन का निर्णय लिया है No. of project loan accounts where Banks have decided to effect change in ownership	रिपोर्टिंग तारीख को बकाया राशि Amount outstanding as on the reporting date		
	मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as standard	पुनर्संरचित मानक के रूप में वर्गीकृत Classified as standard restructured	एनपीए के रूप में वर्गीकृत Classified as NPA
शून्य / NIL			

iv. **दबावग्रस्त आस्तियों की वहनीय संरचना हेतु योजना पर प्रकटन**
Disclosures on Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

खातों की संख्या जहां एस4ए योजना लागू है Number of Accounts-where S4A scheme has been applied	कुल बकाया राशि Aggregate Amount O/s	बकाया राशि Amount O/s		31 मार्च 2020 के अनुसार किया गया प्रावधान Provision held as on March 31, 2020
		भाग ए में In Part A	भाग बी में In Part B	
मानक के रूप में वर्गीकृत / Classified as standard				
3	884.85	381.82	503.03	374.32
एनपीए के रूप में वर्गीकृत / Classified as NPA				
4	634.50	422.46	212.04	627.53

सकल बकाया राशि में मानक आस्तियों के लिए 1,036.50 करोड़ और एनपीए के लिए ₹ 171.21 करोड़ की एनएफबी बकाया शामिल नहीं है.
The Aggregate amount outstanding does not include NFB outstanding of ₹ 1,036.50 crore for Standard Assets and ₹ 171.21 crore for NPAs.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

v. **समाधान योजना के कार्यान्वयन पर प्रकटन (संदर्भ: पैरा- 16/ रिज़र्व बैंक के दिनांक 12 फरवरी 2018 के परिपत्र आरबीआई/ 2017-18/131/डीबीआर. सं. बीपी.बीसी.101/21.04.048/2017-18, ''दवाबग्रस्त आस्तियों का समाधान- संशोधित :ढांचा''):**
Disclosure on resolution plans implemented (ref: Para-16/ RBI Circular dated February 12, 2018-RBI/2017-18/131/DBR.No.BP.BC.101/21.04.048/2017-18-"Resolution of Stressed Assets – Revised Framework"):

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

खातों की संख्या Number of accounts	31.03.2020 के अनुसार बकाया राशि O/s Balance As on March 31, 2020	31.03.2020 के अनुसार आईआरएसी स्थिति IRAC status As on March 31,2020	धारित प्रावधान, यदि कोई हो Provision held, if any	समाधान योजना के कार्यान्वन का विवरण Details Resolution plan implemented

इस परिपत्र को रिज़र्व बैंक के दिनांक 7 जून 2019, के परिपत्र सं. आरबीआई/2018-2019/203 डीबीआर.सं.बीपी.बीसी.45/21.04.048/2018-19 के अनुसार दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु विवेकपूर्ण मानदंड के परिपत्र से बदला गया है, तदनुसार प्रकटन मद सं इ (VI) में दिया गया है.
This circular has been replaced with Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets as per RBI Circular No: RBI/2018-2019/203DBR.No.BP.BC.45/21.04.048/2018-19 Dated June 07, 2019, accordingly the disclosure has been provided in point No.C (VI).

6. वर्ष के दौरान खरीदी / बेची गई पीएसएलसी (श्रेणी वार) का ब्योरा
Details of PSLCs (category-wise) purchased/sold during the year

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

पीएसएलसी श्रेणी PSLC Category	खरीदी गई राशि Purchased Amount	बेची गई राशि Sold amount
पीएसएलसी-छोटे व सीमांत किसान (एसएफएमएफ) PSLC-Small & Marginal farmers (SFMF)	9,800.00	0.00
पीएसएलसी-कृषि / PSLC-Agriculture	0.00	10,975.00
पीएसएलसी-सामान्य / PSLC-General	2,738.50	11,000.00
पीएसएलसी-सूक्ष्म उद्यम / PSLC-Micro Enterprises	3,181.00	5,000.00
कुल / Total	**15,719.50**	**26,975.00**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

7. **प्रतिभूति रसीदों में किए गए निवेशों का प्रकटन / Disclosure of Investment in SRs**

रिज़र्व बैंक के दिनांक 1 सितंबर 2016 के परिपत्र आरबीआई/2016/17/56 डीबीआर.सं. बीपी.बीसी.9/21.04.048/2016-17 के अनुसार प्रतिभूति रसीदों (एसआर) में बैंकों द्वारा किए गए निवेशों से संबंधित प्रकटन निम्नानुसार हैं.
The following disclosures pertaining to investments in security receipts by the Bank as per RBI Circular RBI/2016-17/56 DBR.No.BP.BC.9/21.04.048/2016-17 dated September 1, 2016 is shown below.

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	पिछले 5 वर्षों के भीतर जारी किए गए एसआर SRs issued within past 5 years	5 वर्ष से ज्यादा समय पहले किन्तु पिछले 8 वर्षों के अंदर जारी किए गए एसआर SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	8 वर्ष से ज्यादा समय पहले जारी किए गए एसआर SRs issued more than 8 years ago	कुल Total
(i) बैंक द्वारा निम्नानुसार बेचे गए एनपीए समर्थित एसआर का बही मूल्य Book value of SRs backed by NPAs sold by the Bank as underlying	221.46	509.09	616.24	1,346.79
(i) के प्रति धारित प्रावधान Provision held against (i)	124.78	340.10	616.24	1,081.12
(ii) अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा निम्नानुसार बेचे गए एनपीए समर्थित एसआर का बही मूल्य Book value of SRs backed by NPAs sold by other Banks / financial institutions / non-banking financial companies as underlying	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii) के प्रति धारित प्रावधान Provision held against (ii)	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल (i) + (ii) **Total** (i) + (ii)	221.46	509.09	616.24	1,346.79

8. **आस्ति पुनर्संरचना के लिए प्रतिभूतिकरण/पुनर्निर्माण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का ब्योरा**

Details of financial assets sold to Securitisation/Reconstruction Company for Asset Reconstruction

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण / Particulars	31 मार्च 2020 March 31, 2020	31 मार्च 2019 March 31, 2019
(i)	खातों की संख्या / No. of Accounts	3	5
(ii)	एस सी / आर सी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (प्रावधान घटाकर) Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	0.00	180.52

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण / Particulars	31 मार्च 2020 March 31, 2020	31 मार्च 2019 March 31, 2019
(i)	खातों की संख्या / No. of Accounts	3	5
(iii)	सकल प्रतिफल / Aggregate Consideration	210.43	205.20
(iv)	पूर्ववर्ती वर्षों में अंतरित खातों के संदर्भ में वसूल किए गए अतिरिक्त प्रतिफल Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	7.07	10.71
(v)	निवल बही मूल्य पर सकल लाभ /(हानि) / Aggregate gain/(loss) over net book value	217.50	35.39

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	बैंक द्वारा निम्नानुसार बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित Backed by NPAs sold by the Bank as underlying		अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थाओं / गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा निम्नानुसार बेचे गए एनपीए द्वारा समर्थित Backed by NPAs sold by other Banks/ financial institutions/ non-Banking financial companies as underlying		कुल Total	
	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year
प्रतिभूति रसीदों में निवेशों का बही मूल्य Book value of investments in security receipts	1,346.79	1,348.77	-	-	1,346.79	1,348.77

9. **अन्य बैंक से खरीदी गई गैर-निष्पादक वित्तीय आस्तियों का ब्योरा**
Details of non-performing financial assets purchased from other Banks

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

क्रम सं. Sr. No.		मदें / Items	31 मार्च 2020 March 31, 2020	31 मार्च 2019 March 31, 2019
(i)	(क) (a)	वर्ष के दौरान खरीदे गए खातों की सं. No. of accounts purchased during the year	शून्य Nil	शून्य Nil
	(ख) (b)	कुल बकाया राशि Aggregate outstanding	शून्य Nil	शून्य Nil
(ii)	(क) (a)	इनमें से वर्ष के दौरान पुनर्संरचित खातों की संख्या Of these, number of accounts restructured during the year	शून्य Nil	शून्य Nil
	(ख) (b)	कुल बकाया राशि Aggregate outstanding	शून्य Nil	शून्य Nil

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

10. अन्य बैंकों को बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों के ब्योरे
Details of non-performing financial assets sold to other Banks

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

क्रम सं. Sr. No.	मदें / Items	31 मार्च 2020 March 31, 2020	31 मार्च 2019 March 31, 2019
(i)	बेचे गए खातों की संख्या / No. of accounts sold	शून्य / Nil	शून्य / Nil
(ii)	कुल बकाया राशि / Aggregate outstanding	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
(iii)	प्राप्त कुल प्रतिफल / Aggregate consideration received	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA

11. मानक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision on Standard Asset

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

मदें / Items	31 मार्च 2020 March 31, 2020	31 मार्च 2019 March 31, 2019
वर्ष के लिए मानक आस्तियों हेतु प्रावधान Provisions towards Standard Assets for the year	(727.67)	(27.59)

यथा 31.03.2020 के अनुसार संचयी प्रावधान बकाया(समुद्रपारीय शाखाओं के विनिमय अंतर सहित) ₹ 1,159.60 करोड़ (₹1886.02 करोड़) है.

Cumulative provision outstanding (including exchange difference of Overseas Branches) as on March 31, 2020 ₹ 1,159.60 crore (₹ 1,886.02 crore).

12. रिज़र्व बैंक के दिनांक 13 जून 2016 के परिपत्र आरबीआई/ 2015-16/423 डीबीआर.सं बीपी.बीसी.102/ 21.04.048/2015-16 के अनुसार, बैंक ने एससी/आरसी को एनपीए की बिक्री में कमी को पूरा करने के लिए वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान की मात्रा तथा वर्ष की समाप्ति पर 'अन्य आरक्षित निधियों' में नामे किए गए अपरिशोधित प्रावधान की मात्रा से संबंधित लेखा टिप्पणियों में निम्नलिखित प्रकटन किया है.

As per RBI Circular RBI/2015-16/423 DBR.No.BP.BC.102/21.04.048/2015-16 dated June 13, 2016 Bank has made the following disclosure in Notes to Accounts with regard to the quantum of provision made during the year to meet the shortfall in sale of NPAs to SCs/RCs and the quantum of unamortised provision debited to 'other reserves' as at the end of the year.

क) एससी/आरसी को एनपीए की बिक्री में कमी को पूरा करने के लिए वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान की मात्रा - शून्य
a) Quantum of provision made during the year to meet the shortfall in sale of NPAs to SCs/RCs - Nil

ख) वर्ष की समाप्ति पर 'अन्य आरक्षित निधियों' में नामे किए गए अपरिशोधित प्रावधान की मात्रा - शून्य
b) Quantum of unamortised provision debited to 'Other Reserves' as at the end of the year.- Nil

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

13. **रिज़र्व बैंक के 18 अप्रैल 2017 के परिपत्र डीबीआर.बीपी.बीसी.सं.63/21.04.018/2016-17 के अनुसार आस्ति वर्गीकरण तथा एनपीए के लिए प्रावधानीकरण में विचलन**

Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs as per RBI Circular DBR.BP.BC. No.63/21.04.018/2016-17 dated April 18, 2017

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

क्रम. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	राशि Amount
1	यथा 31 मार्च 2019 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया सकल एनपीए Gross NPAs as on March 31, 2019 as reported by the Bank	50,027.94
2	यथा 31 मार्च 2019 को रिज़र्व बैंक द्वारा आकलित सकल एनपीए Gross NPAs as on March 31, 2019 as assessed by RBI	51,043.94
3	सकल एनपीए में विचलन (2-1) Divergence in Gross NPAs (2-1)	1,016.00
4	यथा 31 मार्च 2019 को बैंक द्वारा रिपोर्ट किया गया निवल एनपीए Net NPAs as on March 31, 2019 as reported by the Bank	14,837.44
5	यथा 31 मार्च 2019 को रिज़र्व बैंक द्वारा आकलित निवल एनपीए Net NPAs as on March 31, 2019 as assessed by RBI	15,474.95
6	निवल एनपीए में विचलन (5-4) Divergence in Net NPAs (5-4)	637.51
7	यथा 31 मार्च 2019 को बैंक द्वारा एनपीए के लिए रिपोर्ट किए गए प्रावधान Provisions for NPAs as on March 31, 2019 as reported by the Bank	35,190.49
8	यथा 31 मार्च 2019 को रिज़र्व बैंक द्वारा आकलित एनपीए के लिए प्रावधान Provisions for NPAs as on March 31, 2019 as assessed by RBI	35,568.98
9	प्रावधानीकरण में विचलन (8-7) Divergence in provisioning (8-7)	378.49
10	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए रिपोर्ट किया गया कर पश्चात् निवल लाभ/ (हानि) Reported Net Profit /(Loss) after Tax for the year ended March 31, 2019	(15,116.29)
11	प्रावधानीकरण में विचलन को गणना में शामिल करने के बाद 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए कर पश्चात् समायोजित (आनुमानिक) निवल लाभ /(हानि) Adjusted (notional) Net Profit/(Loss) after Tax for the year ended March 31, 2019 after taking into account the divergence in provisioning	(15,362.52)

14. **आरबीआई के 'कोविद -19 विनियामक पैकेज - आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान' विषयक दिनांक 17 अप्रैल 2020 के परिपत्र के अनुसार प्रकटीकरण:**

Disclosure as per RBI circular dated April 17, 2020 on Covid-19 Regulatory package - Asset classification and provisioning:

सार्स कोव 2 वायरस के चलते कोविद-19 भारत सहित दुनिया भर में फैलता जा रहा है. इससे वैश्विक और भारतीय बाजारों और आर्थिक गतिविधियों में उल्लेखनीय गिरावट आई है. लॉकडाउन के कार्यान्वयन और इसकी अवधि बढ़ाने से व्यवसाय और आम जीवन में व्यवधान उत्पन्न हुआ है. मौजूदा हालात को देखने के बाद यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि इसका असर कब तक रहेगा. विभिन्न उद्योग क्षेत्रों में बैंक के उधारकर्ताओं के सामने प्रमुख चुनौतियां नकदी प्रवाह में कमी होना और कार्यशील पूंजी चक्र का लंबा चलना होगी. बैंक इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सभी मोर्चों पर अपनी तैयारी कर रहा है. इन घटनाओं और स्थितियों के बावजूद, भविष्य में बैंक के परिणामों के तात्विक रूप से प्रतिकूल अथवा संबंधित आकलन पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है. बैंक के लिए तरलता की स्थिति, ऋण या किसी अन्य प्रतिबद्धता की चुकौती, पूंजी या लाभप्रदता पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा. तथापि बैंक उपरोक्त मापदंडों की स्थिति की लगातार निगरानी कर रहा है.

The SARS-CoV2 virus responsible for Covid-19 continues to spread across the globe and India. This has resulted in a significant decline and volatility in global and Indian markets and economic activity. Implementation and extensions of lockdown have resulted in disruptions of business and common life.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

With situation still unfolding, it is difficult to predict time horizons to gauge the impact. The major identified challenges for the Bank's borrowers across various industry sectors is expected to arise from eroding cash flows and elongated working capital cycles. The Bank is gearing itself on all fronts to meet these challenges. Despite these events and conditions, the Bank's results in future are not expected to be materially adverse or would have an impact on the going concern assumption. The liquidity position, ability to service debt or any other commitments, capital or profitability may not have significant effect for the Bank. However, Bank is constantly monitoring the status of above parameters.

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 27 मार्च 2020 को घोषित विनियामक पैकेज के अनुसार बैंक ने अपने उधारकर्ताओं के लिए 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 के दौरान सभी बकाया राशियों के भुगतान के लिए ऋण स्थगन का विकल्प प्रदान किया है. आरबीआई द्वारा 17 अप्रैल 2020 को जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार 29 फरवरी 2020 को मानक के रूप में वर्गीकृत सभी खातों के संबंध में, भले ही वे अतिदेय हो, जहां भी ऋण-स्थगन अवधि मंजूर की गई है, वहाँ देय तारीख के बाद वाले दिनों को आस्ति वर्गीकरण के प्रयोजन से शामिल नहीं किया जाएगा.

In accordance with the regulatory package announced by the Reserve Bank of India on March 27, 2020, the Bank has extended the option of payment moratorium for all dues falling due between March 1, 2020 and August 31, 2020 to its borrowers. In line with the RBI guidelines issued on April 17, 2020, in respect of all accounts classified as standard as on February 29, 2020, even if overdue, the moratorium period, wherever granted, shall be excluded from the number of days past-due for the purpose of asset classification.

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

एसएमए/ अति देय खातों के संबंध में ऋण स्थगन/ स्थगन Moratorium / deferment extended in respect of SMA/ Overdue accounts	खातों की संख्या No of accounts	बकाया राशि (निधि आधारित) O/s Amount (Fund Based)
एसएमए 0 / SMA 0	39,958	1,487
एसएमए 1 / SMA 1	20,384	2,353
एसएमए 2 / SMA 2	11,097	1,090
कुल / Total	**71,439**	**4,930**

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के तहत अपने उधारकर्ताओं के लिए ऋण स्थगन विकल्प प्रदान किया है. कुछ ऋण श्रेणियों में उधारकर्ताओं के लिए ऋण स्थगन डिफ़ाल्ट रूप में रखते हुए उन्हें ऋण स्थगन न लेने का विकल्प दिया गया है. जिन मानक उधारकर्ताओं पर दिनांक 29 फरवरी 2020 को देय राशि पर 31 मार्च 2020 तक ऋण स्थगन जारी रहा, उन पर कुल बकाया राशि ₹ 4930 करोड़ रही. इनमें से ₹ 525.62 करोड़ की कुल बकाया राशियों वाले उधारकर्ताओं को आरबीआई मानदंडों के तहत 31 मार्च 2020 को आस्ति वर्गीकरण का लाभ दिया गया. 31 मार्च 2020 को बैंक ने कोविद -19 के संबंध में ₹ 247 करोड़ का प्रावधान किया है. बैंक द्वारा किया गया यह प्रावधान आरबीआई दिशानिर्देशों द्वारा अपेक्षित न्यूनतम राशि से अधिक है.

संबंधित लेखांकन अवधि के दौरान गिरावट के प्रति समायोजित प्रावधान तथा पैरा 6 के संबंध में बकाया प्रावधानः चालू वर्ष के लिए लागू नहीं

The Bank has extended the moratorium option to its borrowers under a Board approved policy. For certain loan categories, moratorium is the default choice with an option to the borrowers to opt-out of the moratorium. At March 31, 2020, the aggregate outstanding of the borrowers to whom moratorium has been extended and which were overdue but standard at February 29, 2020 and continued to be overdue at March 31, 2020, amounted to ₹ 4930 crore. Of these, borrowers with aggregate outstanding of ₹ 525.62 crore were extended asset classification benefit at March 31, 2020 under RBI's norms. At March 31, 2020, the Bank has made Covid -19 related provisions of ₹ 247 crore. The provision made by the Bank is more than minimum required as per RBI guidelines.

पैराग्राफ 6 के अनुसार संबंधित लेखा अवधियों के दौरान गिरावट और अवशिष्ट प्रावधनों के लिए समायोजित प्रावधान : चालू वर्ष के लिए लागू नहीं.

Provisions adjusted during the respective accounting periods against slippages and the residual provisions in terms of paragraph 6. : NA for current year.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

XI. जमाराशियों, अग्रिमों, एक्सपोजर तथा अनर्जक आस्तियों (एनपीए) का संकेंद्रण
Concentration of Deposits, Advances, Exposure and NPAs

1. जमाराशियों का संकेंद्रण/ Concentration of Deposits

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2020 March 31, 2020	31 मार्च 2019 March 31, 2019
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमाराशियां Total Deposits of twenty largest depositors	19,944	27,598
बैंक की कुल जमाराशिया / Total Deposits of the Bank	2,22,424	2,27,372
बैंक की कुल जमाराशियों में बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की जमाराशियों का प्रतिशत Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	8.97%	12.14%

2. अग्रिमों का संकेंद्रण / Concentration of Advances

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2020 March 31, 2020	31 मार्च 2019 March 31, 2019
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को कुल अग्रिम Total Advances to twenty largest borrowers	43,693	40,697
कुल अग्रिम / Total Advances	2,19,023	2,39,787
बैंक के कुल अग्रिमों में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं को अग्रिमों का प्रतिशत Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	19.95%	16.97%

3. एक्सपोजर का संकेंद्रण / Concentration of Exposures

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2020 March 31, 2020	31 मार्च 2019 March 31, 2019
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों को कुल एक्सपोजर Total Exposure of twenty largest borrowers/customers	50,422	52,929.10
उधारकर्ताओं/ ग्राहकों के बैंक के कुल एक्सपोजर में बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं/ ग्राहकों के एक्सपोजर का प्रतिशत Percentage of Exposures to twenty largest borrowers/customers to Total Exposure of the Bank on borrowers/customers	17.39%	15.79%

4. एनपीए का संकेंद्रण / Concentration of NPAs

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2020 March 31, 2020	31 मार्च 2019 March 31, 2019
चार शीर्ष एनपीए खातों को कुल एक्सपोजर* Total Exposure to top four NPA accounts*	13,848.16	13,689.32

* उक्त आकड़ों में अतिदेय ब्याज राशि शामिल नहीं है.
* Above figures do not include interest overdue amount.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

XII. क्षेत्रवार अग्रिम / Sector-wise advances

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

क्रम सं. Sl. No.	क्षेत्र Sector	चालू वर्ष Current Year			पिछले वर्ष Previous Year		
अ A	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Priority Sector	बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में से सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector	बकाया कुल अग्रिम Outstanding Total Advances	सकल एनपीए Gross NPAs	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम में से सकल एनपीए का प्रतिशत Percentage of Gross NPAs to Total Advances in that sector
1	कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप Agriculture and allied activities	16,649	1,638	9.84%	19,256	2,231	11.59%
2	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के रूप में उधार के लिए पात्र औद्योगिक क्षेत्रों को अग्रिम Advances to industries sector eligible as priority sector lending	7,240	1,295	17.89%	9,148	1,754	19.17%
3	सेवाएं / Services	19,385	1,870	9.65%	22,337	1,779	7.96%
4	वैयक्तिक ऋण Personal loans	21,380	241	1.13%	19,690	235	1.20%
	कुल योग (अ) Sub-total (A)	**64,654**	**5,045**	**7.80%**	**70,432**	**6,000**	**8.52%**
आ) B	गैर-प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र Non Priority Sector						
1	कृषि और सम्बद्ध कार्यकलाप Agriculture and allied activities	63	22	34.74%	48	0	0.00%
2	उद्योग क्षेत्र में अग्रिम Advances to industries sector	60,942	34,070	55.91%	72,371	39,294	54.30%
3	सेवाएं Services	7,549	4,311	57.11%	9,110	2,737	30.05%
4	वैयक्तिक ऋण Personal loans	28,560	370	1.30%	23,679	273	1.15%
5	अन्य Others	9,921	3,455	34.82%	6,458	1,723	26.69%
	कुल योग (आ) Sub-total (B)	**1,07,036**	**42,228**	**39.45%**	**1,11,666**	**44,028**	**39.43%**
	कुल (अ+आ) TOTAL (A+B)	**1,71,690**	**47,273**	**27.53%**	**1,82,097**	**50,028**	**27.47%**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

XIII. समुद्रपारीय आस्तियां, एनपीए और राजस्व
Overseas Assets, NPAs and Revenue

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2020 March 31, 2020	31 मार्च 2019 March 31, 2019
कुल आस्तियां / Total Assets	9,605.84	9,716.96
कुल एनपीए / Total NPAs (Net)	1,837.74	3,135.62
कुल राजस्व / Total Revenue	550.38	648.14

उपर्युक्त आंकड़े डीआईएफसी तथा जीआईएफटी सिटी शाखा के हैं.
The above figures are of DIFC & GIFT City branch.

XIV. अंतर-समूह एक्सपोजर / Intra-Group Exposure

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

(क) (a)	अंतर-समूह एक्सपोजर की कुल राशि Total amount of intra-group exposures	2,971.43
(ख) (b)	शीर्ष 20 अंतर-समूह एक्सपोजर की कुल राशि* Total amount of top-20 intra-group exposures*	2,971.43
(ग) (c)	उधारकर्ताओं/ ग्राहकों पर बैंक के कुल एक्सपोजर के प्रति अंतर समूह एक्सपोजर का प्रतिशत ** Percentage of intra-group exposures to total exposure of the Bank on borrowers/ customers**	1.02%
(घ) (d)	अंतर-समूह एक्सपोजर पर सीमा उल्लंघन का वर्णन और इस पर की गई विनियामक कार्रवाई, यदि कोई हो Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any.	शून्य / Nil

*आईडीबीआई बैंक की 10 समूह संस्थाएं हैं जिनमें आईडीबीआई बैंक की इक्विटी शेयर धारिता 20% से अधिक है.
*Total Group entities of IDBI Bank are 10 where IDBI Bank is holding more than 20% equity shareholding.

** बैंक का कुल एक्सपोजर ₹ 2,89,943.90 करोड़ है .
**Total exposure of Bank is ₹ 2,89,943.90 crore.

XV. कारोबार अनुपात/ Business Ratios

क्र सं Sr. No.	मदें Items	31 मार्च 2020 March 31, 2020	31 मार्च 2019 March 31, 2019
1	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज आय$ Interest income as a percentage to working funds$	6.88%	6.84%
2	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में गैर-ब्याज आय Non-interest income as a percentage to working funds	1.48%	1.02%
3	कार्यशील निधियों के प्रतिशत के रूप में परिचालनगत लाभ$ Operating profit as a percentage to working funds$	1.69%	1.26%
4	आस्तियों पर प्रतिलाभ@ Return on assets@	(4.26%)	(4.68%)
5	प्रति कर्मचारी कारोबार (जमा राशियां तथा अग्रिम)# [₹ करोड़ में] Business (Deposits plus advances) per employee# [₹ in crore]	18.51	20.84
6	प्रति कर्मचारी लाभ/(हानि) [₹ करोड़ में] Profit/ (loss) per employee [₹ in crore]	(0.73)	(0.88)

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

$ कार्यशील निधियों की गणना बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 27 के तहत फॉर्म X में भारतीय रिज़र्व बैंक को वित्तीय वर्ष के 12 माह के दौरान रिपोर्ट किए गए के औसत (संचित हानियों को छोड़कर, यदि कोई हों) तथा दुबई शाखा की कुल आस्तियों के औसत (संचित हानियों को छोड़कर, यदि कोई हों) द्वारा की गई है.

$ Working funds are reckoned as average of total assets (excluding accumulated losses, if any) as reported to Reserve Bank of India in Form X under Section 27 of the Banking Regulation Act, 1949, during the 12 months of the financial year and average of total assets (excluding accumulated losses, if any) of Dubai branch.

@ आस्तियों पर प्रतिफल औसत कार्यशील निधियों (अर्थात् कुल आस्तियां, इनमें संचित हानि, यदि कोई हो, को छोड़कर) के संदर्भ में है.

@ Return on Assets is with reference to working funds (i.e. average of total assets excluding accumulated losses, if any)

प्रति कर्मचारी कारोबार (जमाराशियां एवं अग्रिम) की गणना के प्रयोजन से अंतर बैंक जमाराशियां छोड़ दी गई हैं.

For the purpose of computation of business per employee (deposits plus advances) interbank deposits is excluded.

XVI. आस्ति देयता प्रबंध / Asset Liability Management

आस्तियों और देयताओं की कुछ मदों का परिपक्वता स्वरूप (यथा 31 मार्च 2020)
Maturity Pattern of Certain Items of Assets and Liabilities (as on March 31, 2020)

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	1 दिन Day 1	2 से 7 दिन 2 to 7 days	8 से 14 दिन 8 to 14 days	15 से 30 दिन 15 to 30 days	31 दिन से व 2 माह तक 31 days & upto 2 months	2 माह से अधिक व 3 माह तक Over 2 months & upto 3 months	3 माह से अधिक व 6 माह तक Over 3 months & upto 6 months	6 माह से अधिक व 1 वर्ष तक Over 6 months & upto 1 year	1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक Over 1 year & upto 3 years	3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक Over 3 years & upto 5 years	5 वर्ष से अधिक Over 5 yrs	कुल Total
जमाराशि 1 Deposits 1	2,591	8,356	5,632	5,448	7,370	6,499	15,080	27,684	1,19,837	10,637	13,291	2,22,424
अग्रिम 1 Advances 1	617	901	1,053	695	1,104	3,378	3,647	7,813	49,679	15,129	45,824	1,29,842
निवेश Investments	16,700	8,781	6	19	22	162	279	678	377	2,094	52,663	81,780
उधार 1 Borrowings 1	-	1,088	11	2,675	204	461	758	5,792	12,966	4,385	8,409	36,749
विदेशी मुद्रा आस्तियां 2 Foreign Currency assets 2	15,077	6,122	465	6,903	1,782	2,705	2,577	4,915	3,272	447	1,588	45,853
विदेशी मुद्रा देयताएं 3 Foreign Currency Liabilities 3	16	11,674	36	5,453	5,293	4,878	5,692	6,987	2,003	694	15,373	58,098

1. इनमें विदेशी मुद्रा शेष राशियां शामिल हैं.
   Includes foreign currency balances.
2. इनमें विदेशी मुद्रा-रुपया क्रय-विक्रय आस्तियां और विदेशी मुद्रा अग्रिम शामिल हैं.
   Includes foreign currency- Rupee buy-sell assets and foreign currency advances.
3. इनमें विदेशी मुद्रा-रुपया विक्रय- क्रय स्वैप देयताएं और विदेशी मुद्रा जमाराशियां तथा उधार शामिल हैं.
   Includes foreign currency-Rupee sell –buy swap liabilities and foreign currency deposits and borrowings.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

XVII. एक्सपोजर / Exposure

1. संपदा क्षेत्र को एक्सपोजर

Exposure to Real Estate Sector

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

श्रेणी / Category	31 मार्च 2020 March 31, 2020	31 मार्च 2019 March 31, 2019
1. प्रत्यक्ष ऋण सहायता / Direct exposure	59,359.69	50,031.25
(क) आवासीय बंधक - (a) Residential Mortgages –	57,729.33	48,993.72
आवासीय संपत्ति, जो उधारकर्ता के कब्जे में है/होगी या किराये पर दी गई है, पर बंधक द्वारा पूर्णतः प्रतिभूत ऋण Lendings fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented	57,729.33	48,993.72
उपर्युक्त में से ₹ 20 लाख तक के वैयक्तिक ऋण Of above individual having loans upto ₹ 20 Lakh	15,643.59	13,869.03
(ख) वाणिज्यिक संपदा क्षेत्र - (b) Commercial Real Estate –	1,630.36	1,037.53
वाणिज्यिक संपदा क्षेत्र पर बंधक द्वारा प्रतिभूत ऋण Lendings secured by mortgages on commercial real estates	1,089.22	1,037.53
उपर्युक्त में से गैर-निधि आधारित (एनएफबी) सीमाएं Of above non-fund based (NFB) limits	251.67	0.00
(ग) बंधक समर्थित प्रतिभूतियों (एमबीएस) में निवेश तथा अन्य प्रतिभूतिकृत ऋण सहायता- (c) Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitised exposures –	0.00	0.00
क. आवासीय, a. Residential,	0.00	0.00
ख. वाणिज्यिक संपदा क्षेत्र b. Commercial Real Estate	0.00	0.00
2. अप्रत्यक्ष ऋण सहायता / Indirect Exposure	2,181.66	2,902.92
राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) को निधि आधारित और गैर-निधि आधारित ऋण सहायता Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	2,150.32	2,800.92
उपर्युक्त में से राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) पर गैर-निधि आधारित ऋण सहायता Of the above Non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)	-	-
कोई अन्य अप्रत्यक्ष एक्सपोजर Any other - Indirect Exposure	31.34	102.00
कुल / Total	**61,541.35**	**52,934.17**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

2. पूंजी बाजार में एक्सपोजर / Exposure to Capital Market

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

क्र सं Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2020 March 31, 2020	31 मार्च 2019 March 31, 2019
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और ऐसे इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में सीधे निवेश, जिनकी मूल निधि को केवल कॉरपोरेट ऋण में निवेश नहीं किया जाता है ; Direct investment in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debt;	311.75	766.48
(ii)	शेयरों (आईपीओ/ईसॉप सहित), परिवर्तनीय बॉण्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों और इक्विटी उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों में निवेश के लिए व्यक्तियों को शेयरों/ बॉण्डों/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की जमानत पर या अप्रतिभूत आधार पर अग्रिम; Advances against shares/ bonds/ debentures or other securities or on clean basis to individuals for investment in shares (including IPOs/ ESOPs), convertible bonds, convertible debentures, and units of equity-oriented mutual funds;	319.97	353.68
(iii)	अन्य उद्देश्यों के लिए अग्रिम, जिनमें शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों को प्राथमिक प्रतिभूति के रूप में लिया जाता है;- Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security;	-	-
(iv)	अन्य किसी उद्देश्य के लिए अग्रिम, जो शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों की संपार्श्विक प्रतिभूति द्वारा प्रतिभूत हैं अर्थात् जिनमें शेयरों/ परिवर्तनीय बॉण्डों/ परिवर्तनीय डिबेंचरों/ इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों के अलावा अन्य प्राथमिक प्रतिभूति अग्रिमों को पूरा कवर नहीं करती है; Advances for any other purpose to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/ units of equity oriented mutual funds does not fully cover the advances;	2.00	1.34
(v)	स्टॉक ब्रोकरों को प्रतिभूत तथा अप्रतिभूत अग्रिम और स्टॉक ब्रोकरों तथा मार्केट मेकरों की ओर से जारी गारंटियां; Secured and unsecured advances to stock brokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers;	105.00	148.90
(vi)	संसाधन जुटाने की प्रत्याशा में नई कंपनियों की इक्विटी में प्रवर्तकों के अंशदान को पूरा करने के लिए शेयरों/ बॉण्डों/ डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों की प्रतिभूति पर अथवा अप्रतिभूत आधार पर कॉरपोरेट को मंजूर ऋण; Loans sanctioned to corporates against the security of shares/ bonds / debentures or other securities or on clean basis for meeting promoter₹s contribution to the equity of new companies in anticipation of rising resources;	-	-
(vii)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/ निर्गम पर कंपनियों को पूरक ऋण; Bridge loans to companies against expected equity flows/issues;	-	-

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

क्र सं Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2020 March 31, 2020	31 मार्च 2019 March 31, 2019
(viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉण्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटी-उन्मुख म्यूचुअल फंडों के यूनिटों के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंक द्वारा की गई हामीदारी वचनबद्धताएं; Underwriting commitments taken up by the Banks in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures of units of equity oriented mutual fund;	-	-
(ix)	स्टॉक ब्रोकरों को मार्जिन ट्रेडिंग के लिए वित्तपोषण; Financing to stockbrokers for margin trading;	-	-
(x)	उद्यम पूँजी निधियों (पंजीकृत एवं गैर-पंजीकृत, दोनों) में सभी एक्सपोजर इक्विटी के समान समझे जाएंगे. अतः पूंजी बाजार एक्सपोजर सीमा (प्रत्यक्ष एवं परोक्ष, दोनों) के अनुपालन के लिए इनको हिसाब में लिया जाएगा. All Exposures to venture capital funds (both registered and unregistered) will be deemed to be on par with equity and hence will be reckoned for compliance will the capital market exposure ceiling (both direct and indirect)	115.03	123.18
(xi)	स्टॉक एक्सचेंजों के पक्ष में अभिरक्षक बैंकों द्वारा जारी अप्रतिसंहरणीय भुगतान वचनबद्धताएं Irrevocable Payment Commitments issued by custodian Banks in favour of stock exchanges.	-	-
	पूंजी बाजार में कुल एक्सपोजर Total Exposure to Capital Market	**853.74**	**1393.58**

यथा दिनांक 31 मार्च 2020 के अनुसार पूंजी बाजार एक्सपोजर पर विनियामकीय सीमा पाबंदी से छूट प्राप्त ऋणों की इक्विटी में संपरिवर्तन के कारण इक्विटी शेयरों के अधिग्रहण का प्रकटन
Disclosure of Acquisitions of Equity Shares due to conversion from Debt to Equity exempted from Regulatory Ceilings/Restrictions on Capital Market Exposure Position as on March 31, 2020

क्र. सं. Sr. No.	पुनर्संरचना प्रकार / Types of Restructuring		पुनर्संरचना के अधीन (सीडीआर तंत्र) Under Restructuring (CDR Mechanism)
1	यथा 31 मार्च 2020 तक पुनर्संरचित किए गए खाते Restructured Accounts as on March 31,2020	उधारकर्ताओं की संख्या Number of Borrowers	40
		बकाया राशि (₹ करोड़ में) Amount Outstanding (₹ in Cr.)	299.62

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

3. **जोखिम श्रेणी-वार देश में एक्सपोजर**
Risk Category wise Country Exposure

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

जोखिम श्रेणी Risk Category	31 मार्च 2020 को एक्सपोजर (निवल) Exposure (net) as at March 31, 2020	31 मार्च 2020 को धारित प्रावधान Provision held as at March 31, 2020	31 मार्च 2019 को एक्सपोजर (निवल) Exposure (net) as at March 31, 2019	31 मार्च 2019 को धारित प्रावधान Provision held as at March 31, 2019
नगण्य / Insignificant	2,815.75	-	4,384.85	-
निम्न / Low	2,969.46	-	3,151.43	-
मध्यम / Moderate	-	-	-	-
उच्च / High	-	-	18.18	-
अति उच्च / Very High	-	-	-	-
नियंत्रित / Restricted	-	-	-	-
ऑफ-क्रेडिट / Off-credit	-	-	-	-
कुल / Total	**5,785.21**	**-**	**7,554.46**	**-**

4. **विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाएं / Prudential Exposure Limits**

अ) एनबीएफसी (स्वर्ण ऋण कंपनियों को छोड़कर) :

A) NBFC (Excluding Gold Loan Companies) :

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान कोई उल्लंघन नहीं हुआ है. / Nil breaches during the year ended March 31, 2020.

आ) सामान्य :
B) General :

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान एकल उधारकर्ता और समूह उधारकर्ताओं के संबंध में बैंक का एक्सपोजर, निम्न लिखित मामलों को छोड़कर पात्र पूंजी आधार अर्थात् रिज़र्व बैंक के बड़े एक्सपोजर मानदंडों के अंतर्गत निर्धारित टियर I पूंजी की 20% से 25% की विवेकपूर्ण एक्सपोजर सीमाओं के भीतर रहा.
During the year ended March 31, 2020, the Bank's exposure to single borrower and group borrowers were within the prudential exposure limits of 20% and 25% of eligible capital base i.e. Tier I Capital as prescribed under the Large Exposure norms of RBI, except in the below mentioned cases :

एकल / समूह उधारकर्ता का नाम Name of the single borrower/ group	कुल प्रतिबद्ध एक्सपोजर टियर I पूंजी के % में Total Committed Exposure as % of Tier I Capital	कुल बकाया टियर I पूंजी के % में Total Outstanding as % of Tier I Capital
(i) एकल उधारकर्ता का नाम / Name of the single borrower		
वीडियोकॉन ऑयल वेंचर्स लिमिटेड * Videocon Oil Ventures Limited*	27.60%	27.36%
एस्सार स्टील लिमिटेड * / Essar Steel Limited*	22.99%	13.26%
जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड * / Jaypee Infratech Limited*	22.38%	22.38%
भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड / Bharat Heavy Electrical Limited	20.46%	19.65%
राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड / Rashtriya Ispat Nigam Limited	20.31%	6.24%
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड / Steel Authority of India Limited	20.29%	1.92%
लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड * / Larsen & Toubro Limited*	20.27%	18.12%

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

एकल / समूह उधारकर्ता का नाम Name of the single borrower/ group	कुल प्रतिबद्ध एक्सपोजर टियर I पूंजी के% में Total Committed Exposure as % of Tier I Capital	कुल बकाया टियर I पूंजी के% में Total Outstanding as % of Tier I Capital
(ii) समूह का नाम / Name of the group		
वीडियोकॉन ग्रुप * / Videocon Group*	55.75%	51.54%
जयप्रकाश समूह * / Jaiprakash Group*	44.78%	42.99%
एस्सार ग्रुप * / Essar Group*	40.29%	21.50%
रिलायंस (मुकेश) ग्रुप * / Reliance (Mukesh) Group*	34.27%	24.66%

*वर्ष के दौरान पाए गए बहु उल्लंघनों के मामलों में, अधिकतम पाए गए उल्लंघनों और तदनुरूपी बकाया प्रतिशत के बारे में सूचना रिपोर्ट की गयी है.

* In case of multiple breaches observed during the year, the maximum breach observed and corresponding outstanding percentage have been reported.

XVIII. लाभ-हानि लेखे में व्यय शीर्ष के अंतर्गत दर्शाए गये 'प्रावधान एवं आकस्मिकताओं' का विवरण
Break up of 'Provisions and Contingencies' shown under the head Expenditure in Profit and Loss Account

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2020 March 31, 2020	31 मार्च 2019 March 31, 2019
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान Provision for depreciation on Investment	1,696.73	1,604.41
एनपीए के लिए प्रावधान Provision towards NPA	9,483.03	22,392.24
मानक आस्ति के लिए प्रावधान Provision towards Standard Asset	(727.67)	(27.59)
पुनर्संरचित आस्तियों (एफआईटीएल सहित) के लिए प्रावधान Provision for Restructured Assets (including FITL)	(176.98)	(154.93)
करों के लिए किए गए प्रावधान / Provision made towards Taxes	0.00	0.00
आस्थगित कर आस्तियां (निवल) / Deferred Tax Assets (Net)	3,919.90	(7710.87)
बट्टे खाते डाले गए अशोध्य ऋण / Bad debts written off	2,740.16	1,750.50
अन्य प्रावधान और आकस्मिकताएं* / Other Provision and Contingencies *	1,064.19	1,314.66
कुल / Total	**17,999.34**	**19,168.42**

अन्य प्रावधान एवं आकस्मिकताओं में अन्य के साथ-साथ संग्रहित/ प्राप्त न किए गए प्रभार के लिए ₹ 66 करोड़ (₹ 253.05 करोड़) प्रावधान, ₹ 723.46 करोड़ (₹ 294.15 करोड़) के संचित निवल प्रावधान के कारण समुद्रपारीय शाखाओं के संचित अप्रेषित लाभ/हानि के पुनर्मूल्यांकन हानि के लिए प्रावधान शामिल हैं

* Other Provision and Contingencies inter alia includes provision towards uncollected/unrealised charges of ₹ 66 crore (₹ 253.05 crore), provision towards revaluation loss on accumulated unremitted profit/loss of Overseas branches on account of accumulated net provisions of ₹ 723.46 crore (₹ 294.15 crore) etc.

XIX. अप्रतिभूत अग्रिम/ Unsecured Advance

उन अग्रिमों की कुल राशियाँ जिनके लिए अधिकार, लाइसेंस, प्राधिकार आदि पर प्रभार जैसी अमूर्त प्रतिभूतियां ली गई हैं ₹ शून्य (₹ शून्य) है तथा दिनांक 31 मार्च 2020 तक अमूर्त प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य ₹ शून्य (₹ शून्य) है.

Total amount of unsecured advances for which intangible securities such as charge over the rights, licenses, authority etc. has been taken is ₹ Nil (₹ Nil) and the estimated value of intangible security as on March 31, 2020 is ₹ Nil (₹ Nil).

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

XX. अस्थायी प्रावधान / Floating Provisions

क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2020 March 31, 2020	31 मार्च 2019 March 31, 2019
1	अस्थायी प्रावधान खाते में प्रारंभिक शेष Opening balance in the floating provisions account	-	-
2	वर्ष के दौरान किए गए अस्थायी प्रावधानों की मात्रा The quantum of floating provisions made during the year	-	-
3	वर्ष के दौरान आहरण द्वारा कमी की राशि Amount of draw down during the year	-	-
4	अस्थायी प्रावधान खाते में अंतिम शेष Closing balance in the floating provisions account	-	-

नीति के रूप में बैंक अशोध्य और संदिग्ध अग्रिमों और निवेशों के लिए कोई अस्थायी प्रावधान नहीं करता है.
As a policy, the Bank does not make any floating provision for bad and doubtful advances and investments.

XXI. शिकायतों/ अधिनिर्णयों का प्रकटन / Disclosure of Complaints/Awards

1. ग्राहक शिकायतें (इसमें बॉण्डों से संबंधित शिकायतें शामिल हैं) Customer Complaints (Includes complaints related to Bonds)

क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2020 March 31, 2020	31 मार्च 2019 March 31, 2019
I	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की सं. No. of Complaints pending at the beginning of the year	191	297
Ii	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं. No. of Complaints received during the year	21,990	23,435
iii	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की सं. No. of Complaints redressed during the year	21,979	23,541
Iv	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं. No. of Complaints pending at the end of the year	202	191

2. बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय Awards passed by the Banking Ombudsman

क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2020 March 31, 2020	31 मार्च 2019 March 31, 2019
i	वर्ष के आरंभ में कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों की सं. No. of unimplemented awards at the beginning of the year	शून्य / Nil	शून्य / Nil
ii	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए अधिनिर्णयों की सं. No. of Awards passed by the Banking Ombudsman during the year	शून्य / Nil	शून्य / Nil
iii	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णयों की सं. No. of Awards implemented during the year	शून्य / Nil	शून्य / Nil
Iv	वर्ष के अंत में कार्यान्वित नहीं किए गए अधिनिर्णयों की सं. No. of unimplemented Awards at the end of the year	शून्य / Nil	शून्य / Nil

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

3. **एटीएम लेनदेनों के संबंध में ग्राहक शिकायतें**
Customer Complaints Account of ATM Transction

क्रम सं. Sr. No.	विवरण Particulars	31 मार्च 2020 March 31, 2020	31 मार्च 2019 March 31, 2019
i	वर्ष के आरंभ में लंबित शिकायतों की सं. No. of Complaints pending at the beginning of the year	1,427	860
ii	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की सं. No. of Complaints received during the year	78,652	83,477
iii	वर्ष के दौरान निपटाई गई शिकायतों की सं. No. of Complaints redressed during the year	79,996	82,910
Iv	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतों की सं. No. of Complaints pending at the end of the year	83	1,427

XXII. **प्रायोजित तुलन-पत्र बाह्य एसपीवी (जिन्हें लेखा मानदंडों के अनुसार समेकित किया जाना है)**
Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)

प्रायोजित एसपीवी के नाम / Name of the SPV sponsored	
देशी / Domestic	देशी / Overseas
शून्य / NIL	शून्य / NIL

XXIII. अ. **प्रतिभूतीकरण**

A. **Securitisation**

बैंक की प्रतिभूतीकरण गतिविधियों का विवरण नीचे दिया गया है:

The detail of securitisation activity of the Bank is given below:

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2020 March 31, 2020	31 मार्च 2019 March 31, 2019
प्रतिभूतीकृत की गई ऋण आस्तियों/ प्रतिभूतीकृत किए गए खुदरा ऋणों के समूहों की कुल संख्या # Total number of loan assets securitized/Pools of retail loans securitized #	-	-
प्रतिभूतीकृत ऋण आस्तियों का कुल बही मूल्य Total book value of loan assets securitized	-	-
प्रतिभूतीकृत आस्तियों के लिए प्राप्त बिक्री प्रतिफल Sale consideration received for the securitized assets	-	-
प्रतिभूतीकरण के कारण निवल लाभ/ (हानि) * Net gain / (loss) on account of securitization*	-	-
निम्नलिखित के रूप में प्रदत्त सेवाओं का विवरण: Details of services provided by way of :		
बकाया ऋण वृद्धि (द्वितीय हानि ऋण सुविधा) Outstanding credit enhancement (second loss credit facility)	-	-
बकाया चलनिधि सुविधा ** Outstanding liquidity facility **	-	-
बकाया शोधन देयता / Outstanding servicing Liability	-	-

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

खुदरा ऋणों के लिए पूल
Pools of retail loans

*अभिलाभ (व्यय घटाकर)- शून्य (पिछले वर्ष शून्य).
* Gain (net of expense)- NIL (previous year NIL).

**इसमें सीधे निर्धारित मामलों के लिए ₹ शून्य करोड़ शामिल हैं जिसमें से ₹ शून्य करोड़ गारंटी के रूप में है.
**Includes ₹ Nil crore for direct assignment cases, of which ₹ Nil crore is in the form of a guarantee.

आ. प्रतिभूतीकरण
B. Securitisation

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्रमांक Sr. No.	विवरण Particulars		सं./ राशि No. / Amount
1.	प्रतिभूतीकरण लेनदेन के लिए बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की संख्या * No of SPVs sponsored by the Bank for securitisation transactions*		शून्य / Nil
2.	बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की बहियों के अनुसार प्रतिभूतीकृत आस्तियों की कुल राशि Total Amount of securitised assets as per books of the SPVs sponsored by the bank		शून्य / Nil
3.	तुलन पत्र की तारीख को एमएमआर के अनुपालन के संबंध में बैंक द्वारा धारित कुल एक्सपोजर राशि Total amount of exposures retained by the bank to comply with MRR as on the date of balance sheet		शून्य / Nil
	क) a)	तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर Off balance Sheet Exposure	-
		प्रथम हानि / First Loss	-
		अन्य / Others	-
	ख) b)	तुलन पत्र संबंधी एक्सपोजर On-balance sheet exposures	-
		प्रथम हानि / First loss	-
4.	एमआरआर से इतर प्रतिभूति लेनदेन में एक्सपोजर राशि Amount of exposures to securitisation transactions other than MRR		शून्य / Nil
	क) a)	तुलन पत्र से इतर एक्सपोजर Off-balance sheet exposures	शून्य / Nil
	i)	अपने प्रतिभूतीकरण में एक्सपोजर / Exposure to own securitizations	-
		प्रथम हानि / First loss	-
		हानि / Loss	-
	(ii)	अन्य पक्ष प्रतिभूतीकरण में एक्सपोजर / Exposure to third party securitisations	-
		प्रथम हानि / First loss	-
		अन्य (द्वितीय हानि ऋण सुविधा) / Others (second loss credit facility)	-
	ख) b)	तुलन पत्र संबंधी एक्सपोजर On-balance sheet exposures	शून्य / Nil
	i)	अपने प्रतिभूतीकरण में एक्सपोजर / Exposure to own securitisations	
		प्रथम हानि / First loss	-
		अन्य / Others	-
	ii)	अन्य पक्ष प्रतिभूतीकरण में एक्सपोजर Exposure to third party securitisations	-
		प्रथम हानि / First loss	-
		अन्य (चलनिधि सुविधा) / Others (liquidity facility)	-

*केवल बकाया प्रतिभूतीकरण लेनदेन से संबंधित एसपीवी की रिपोर्टिंग यहाँ की जाए.
*Only the SPVs relating to outstanding securitisation transactions may be reported here

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

XXIV. **बैंक ने वर्ष के दौरान कोई आश्वासन पत्र जारी नहीं किया है.**
The Bank has not issued letter of comfort during the year.

XXV. **बैंक बीमा कारोबार के संबंध में प्राप्त शुल्क तथा पारिश्रमिक**
Fees and Remuneration Received in respect of Bancassurance Business

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2019
आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड IDBI Federal Life Insurance Co. Ltd.	26.04	59.32
भारतीय जीवन बीमा निगम Life Insurance Corporation of India	40.04	7.42
बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड Bajaj Allianz General Insurance Co. Ltd.	4.41	12.28
टाटा एआईजी / TATA AIG	5.24	लागू नहीं / NA
न्यू इंडिया एश्योरेंस / New India Assurance	1.46	लागू नहीं / NA
मैक्स बुपा / Max Bupa	1.75	लागू नहीं / NA
कुल / Total	**78.94**	**79.02**

XXVI. **दंड का प्रकटन / Disclosure on Penalty**

विनियामक प्राधिकरणों द्वारा वर्ष के दौरान निम्नलिखित दंड लगाए गए.
During the year following penalties were imposed by regulatory authorities:

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

क्र. सं. Sr. No.	प्राधिकरण का नाम Name of the Authority	संक्षिप्त विवरण Brief particulars	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2019
1	रिज़र्व बैंक RBI	चेक संग्रहण प्रक्रिया संबंधी दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन के लिए दंड Penalty for non-compliance of guidelines on cheque collection process.	0.012	0.000
2	रिज़र्व बैंक RBI	ग्राहक सेवा संबंधी दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन, सिक्कों एवं कम वर्गमूल्य के नोटों तथा कटे-फटे नोटों को बदलने संबंधी दिशानिर्देशों के गैर अनुपालन के लिए दंड. Penalty for non-compliance of guidelines on customer service, guidelines in respect of exchange of coins and small denomination notes and mutilated notes.	0.085	0.000
3	रिज़र्व बैंक RBI	कोबरा पोस्ट स्टिंग ऑपरेशन के संबंध में की गई जाँचों के संबंध में संदिग्ध लेन-देन करने के लिए किए गए प्रयास हेतु एसटीआर दायर न करने के लिए लगाया गया दंड (शाखाओं द्वारा प्रधान अधिकारी को घटनाओं की सूचना न देने के कारण) Penalty levied for not filing STRs for Attempted Suspicious Transaction in respect of the inquiries happened in connection with Cobra-post sting operation (due to non-reporting of the incident by the branches to the Principal Officer)	0.000	0.000

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

क्र. सं. Sr. No.	प्राधिकरण का नाम Name of the Authority	संक्षिप्त विवरण Brief particulars	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2019
4	रिज़र्व बैंक RBI	करेंसी चेस्टों द्वारा रिज़र्व बैंक को किए गए विप्रेषणों के मामलों में करेंसी चेस्टो पर लगाए गए दंड. Penalties imposed by RBI on currency chest in cases of remittances, made by currency chests to RBI	0.022	0.035
5	सेबी SEBI	फ्लेक्सी बॉण्डों के मोचन के मामलों में सेवा में कमी Deficiency of Service in dealing with the redemption of Flexibond.	0.000	0.000
6	रिज़र्व बैंक RBI	रिज़र्व बैंक के दिनांक 20 फरवरी 2018 के परिपत्र के कंट्रोल पॉइंट सं. 2(बी) के संबंध में अनुपालन नहीं करने पर रिज़र्व बैंक द्वारा ₹1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया. आंतरिक रूप से निर्णीत विशेष अधिकतम सीमा से अधिक लेनदेन के लिए आरबीआई के दिनांक 20 फरवरी 2018 के निर्देश के अनुसार मार्च 2018 तक अनुमोदन के अतिरिक्त स्तर के गैर कार्यान्वयन हेतु. Penalty of ₹ 1 crore imposed by RBI for non-compliance w.r.t. Control Point no. 2(b) of RBI's Circular dated Feb 20, 2018. In respect of non-implementation of additional layer of approval as per RBI directions dated February 20, 2018 for transactions exceeding a particular internally decide threshold latest by March, 2018.	0.000	1.000
7	रिज़र्व बैंक RBI	आरबीआई द्वारा आय निर्धारण और आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) मानदंडों पर जारी निर्देशों के गैर अनुपालन के लिए बैंक को 12 जनवरी 2018 को कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ था तथा दिनांक 09 अप्रैल 2018 के आदेश द्वारा बैंक पर ₹ 3 करोड़ का जुर्माना लगाया गया जिसका भुगतान 16 अप्रैल 2018 को किया गया. The Bank had received Show Cause Notice on January 12, 2018 from RBI and vide order dated April 09, 2018 bank has been imposed penalty of ₹ 3 crore for non-compliance with the directions issued by RBI on Income Recognition and Asset Classification (IRAC) norms which was paid on April 16, 2018.	0.000	3.000
8	रिज़र्व बैंक RBI	बैंक को दिनांक 25 अक्तूबर 2018 का नोटिस प्राप्त हुआ था जिसमें उल्लेख किया गया था कि बैंक ने रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित केवाईसी/एएमएल दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया है. दिनांक 04 फरवरी 2019 के आदेश द्वारा बैंक पर ₹ 20 लाख का जुर्माना लगाया गया जिसका भुगतान 16 फरवरी 2019 को किया गया. Bank has received show cause notice dated October 25, 2018 stating the Bank has not complied with KYC/AML guidelines prescribed by RBI, Bank has been imposed a penalty of ₹ 20 Lakhs vide order dated February 04, 2019 and was paid on February 16, 2019.	0.000	0.200
		कुल दंड का भुगतान / Total Penalties Paid	**0.119**	**4.235**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

XXVII. जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता निधि में अंतरण (डीईएएफ)
Transfers to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)

(₹ करोड़ में) /(₹ In crore)

विवरण Particulars	चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous year
डीईएएफ में अंतरित राशियों का प्रारंभिक शेष Opening balance of amounts transferred to DEAF	138.53	98.31
जोड़ें : वर्ष के दौरान डीईएएफ में अंतरित राशि Add: Amount transferred to DEAF during the year	31.18	43.49
घटाएँ : दावे के लिए डीईएएफ से प्रतिपूर्ति की राशि Less: Amounts reimbursed by DEAF towards claims	2.50	3.27
डीईएएफ को अंतरित अंतिम शेष राशि Closing Balance of amounts transferred to DEAF	167.21	138.53

XXVIII. अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर
Unhedged Foreign Currency Exposure

बैंक जैसा कि इसकी क्रेडिट नीति में वर्णित है अपने ऋणदाताओं के अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर की निगरानी करता है तथा अपने ग्राहकों को विनिमय दर में प्रतिकूल उतार-चढ़ाव से होने वाली हानि को कम करने के उद्देश्य से उनके विदेशी मुद्रा एक्सपोजर को रक्षित करने के लिए सूचित करता है.

The Bank, as detailed in its Credit Policy, monitors the Unhedged Foreign Currency Exposure of its borrower and pursues its clients to hedge their forex exposure to minimize the losses due to adverse exchange rate fluctuation

बैंक अपने ग्राहकों से अरक्षित विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के संबंध में आवधिक आधार पर सूचना प्राप्त करता है तथा उसे आंतरिक विकसित प्रणाली पर रखता है और विनिमय दर में उतार-चढ़ाव से होने वाले संभावित हानि की गणना के लिए कार्य-प्रणाली का अनुसरण करता है. इस एक्सपोजर के प्रति 31-03-2020 को समाप्त वर्ष के लिए के लिए वृद्धिशील प्रावधानीकरण ₹ 1 करोड़ (31.03.2019 को ₹19 करोड़ का प्रतिलेखन) रहा तथा इसके जोखिम के प्रति धारित पूंजी 31-03-2020 को ₹ 30.10 करोड़ (31-03-2019 को ₹46.25 करोड़ रुपये) रही.

The Bank obtains information on Un-hedged Foreign Currency Exposure from its customers on a periodic basis and maintains the same in an internally developed system and follows the methodology for computation of likely loss on account of exchange rate movement. The incremental provisioning for the year ending 31-03-2020 towards this exposure worked out to be ₹ 1 crore (write back of ₹ 19 crore as on 31-03-2019) and capital held towards the risk stood at ₹ 30.10 crore (₹ 46.25 crore as on 31-03-2019) as on 31-03-2020.

XXXII. चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर)
Liquidity Coverage Ratio(LCR) :

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण Particulars		चालू वर्ष / Current year		पिछले वर्ष / Previous year	
		कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)
उच्च गुणवत्तापूर्ण चलनिधि आस्तियां High Quality Liquid Assets					
1	कुल उच्च गुणवत्तापूर्ण चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए) Total High Quality Liquid Assets (HQLA)		60,756.65		51,310.87
नकदी बहिर्वाह / Cash Outflow					

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण Particulars			चालू वर्ष / Current year		पिछले वर्ष / Previous year	
			कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)
2		खुदरा जमाराशियां और छोटे कारोबारी ग्राहकों से प्राप्त जमा राशियां जिनमें से: Retail deposits and deposits from small business customers, of which:	1,14,150.30	11,209.82	107,625.83	10,663.54
	(i)	स्थिर जमाराशियां Stable deposits	4,023.47	201.14	1980.78	99.04
	(ii)	कम स्थिर जमाराशियां Less stable deposits	1,09,719.86	11,008.68	1,05,645.05	10,564.50
3		अप्रतिभूत थोक निधियन, जिनमें से : Unsecured wholesale funding, of which:	44,643.05	32,388.04	38,134.23	26,908.94
	(i)	परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार) Operational deposits (all counterparties)	0.00	0.00	-	-
	(ii)	गैर-परिचालनगत जमाराशियां (सभी प्रतिपक्षकार) Non-operational deposits (all counterparties)	44,112.82	31,859.49	36,964.90	25,469.60
	(iii)	अप्रतिभूत ऋण / Unsecured debt	530.23	528.55	1,439.34	1,439.34
4		प्रतिभूत थोक निधियन Secured wholesale funding		-		183.59
5		अतिरिक्त आवश्यकताएं जिनमें से : Additional requirements, of which	1,270.27	793.95	853.13	743.4
	(i)	डेरिवेटिव एक्सपोजर और अन्य संपार्श्विक आवश्यकताओं से संबंधित बहिर्वाह Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	741.11	741.06	731.2	731.2
	(ii)	ऋण उत्पादों पर निधीयन हानि से संबंधित बहिर्वाह Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	-	-
	(iii)	क्रेडिट और चलनिधि Credit and liquidity	529.16	52.89	121.92	12.19
6		अन्य संविदागत निधीयन दायित्व Other contractual funding obligations	2,581.37	2,581.00	3302.18	3302.18
7		अन्य आकस्मिक निधीयन दायित्व Other contingent funding obligations	1,74,425.55	7,723.86	1,89,065.56	8,309.11

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण Particulars		चालू वर्ष / Current year		पिछले वर्ष / Previous year	
		कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)	कुल गैर भारित मूल्य (औसत) Total Unweighted Value (average)	कुल भारित मूल्य (औसत) Total Weighted Value (average)
8	**कुल नकदी बहिर्वाह Total Cash Outflows**		54,696.67		50,110.75
नकदी अंतर्वाह / Cash Inflows					
9	प्रतिभूत ऋण (उदा. रिवर्स रेपो) Secured lending (e.g. reverse repos)	6,189.78	0.00	1,332.61	-
10	पूर्णत: निष्पादन करने वाले एक्सपोजर से अंतर्वाह Inflows from fully performing exposures	3,305.62	1,649.55	3,002.87	1,501.43
11	अन्य नकदी अंतर्वाह Other cash inflows	5,471.38	5,462.30	3,745.96	3,745.96
12	**कुल नकदी अंतर्वाह Total Cash Inflows**	14,994.49	7,111.85	8,081.43	5,247.39
13	**कुल एचक्यूएलए TOTAL HQLA**		60,756.64		51,310.87
14	**कुल निवल नकदी बहिर्वाह Total Net Cash Outflows**		47,584.82		44,863.36
15	**चलनिधि व्याप्ति अनुपात (%) Liquidity Coverage Ratio (%)**		127.68%		114.37%

चलनिधि व्याप्ति अनुपात (एलसीआर) के आस-पास गुणात्मक प्रकटन
Qualitative disclosure around Liquidity Coverage Ratio (LCR)

2007 में शुरू हुए वैश्विक वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति (बीसीबीएस) ने बैंकिंग क्षेत्र को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से वैश्विक पूंजी और चलनिधि विनियमन को मजबूती प्रदान करने के लिए कुछ सुधार के प्रस्ताव रखे थे. इसके लिए बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति ने जनवरी 2013 में 'बासेल III : चलनिधि व्याप्ति अनुपात और चलनिधि जोखिम निगरानी साधन' और जनवरी 2014 में 'चलनिधि व्याप्ति अनुपात प्रकटीकरण मानक' पर दिशानिर्देश प्रकाशित किए थे. तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने दिनांक 09 जून 2014 के अपने परिपत्र के द्वारा चलनिधि व्याप्ति अनुपात (एलसीआर) पर दिशनिर्देश जारी किए थे.

In the backdrop of the global financial crisis that started in 2007, the Basel Committee on Banking Supervision (BCBS) proposed certain reforms to strengthen global capital and liquidity regulations with the objective of promoting a more resilient banking sector. In this direction BCBS published guidelines on 'Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools' in January 2013 and the 'Liquidity Coverage Ratio Disclosure Standards' in January 2014. Accordingly, Reserve Bank of India, vide its circular dated June 09, 2014, issued guidelines on Liquidity Coverage Ratio (LCR).

चलनिधि व्याप्ति अनुपात संभावित चलनिधि विघटनों के प्रति बैंक की अल्पावधि आघात-सहनीयता को यह सुनिश्चित करके बढ़ावा देता है कि लगातार 30 दिनों तक बनी रहने वाली विकट दबावग्रस्त स्थितियों का सामना करने के लिए उनके पास पर्याप्त उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियां (एचक्यूएलए) हैं. चलनिधि व्याप्ति अनुपात मानक का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि बैंक पर्याप्त मात्रा में भारमुक्त उच्च गुणवत्ता चलनिधि अस्तियां बनाए रखे जिसे पर्यवेक्षकों द्वारा विनिर्दिष्ट अत्यधिक गंभीर चलनिधि दबाव वाली स्थिति में 30 कैलेंडर दिवस की समयावधि हेतु अपनी चलनिधि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नकदी में रूपांतरित किया जा सके.

The LCR promotes short-term resilience of Banks to potential liquidity disruptions by ensuring that they have sufficient high quality liquid assets (HQLAs) to survive an acute stress scenario lasting for 30 days. The LCR standard aims to ensure that a bank maintains an adequate level of unencumbered HQLAs that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario specified by supervisors.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

चलनिधि व्याप्ति अनुपात की परिभाषा:
Definition of LCR :

उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्ति (एचक्यूएलए) स्टॉक
Stock of high quality liquid assets (HQLAs)

―――――――――――――――――――――――― > = 100%

अगले 30 कैलेंडर दिनों का कुल निवल नकदी बहिर्वाह
Total net cash outflows over the next 30 calendar days

चलनिधि व्याप्ति अनुपात अपेक्षाएं 01 जनवरी 2015 से बैंकों पर आबद्धकर हैं. तथापि, बैंकों को संक्रमण काल का समय प्रदान करने के विचार से कैलेंडर वर्ष 2015 के लिए यह अपेक्षा न्यूनतम 60% की है जो 01 जनवरी 2015 से लागू है और 4 वर्ष की अवधि में इसे 10% के समान चरणों में बढ़ाना है ताकि 01 जनवरी 2019 तक 100% के न्यूनतम अपेक्षित स्तर तक पहुंचा जा सके.

The LCR requirements are binding on Banks from January 1, 2015. However, with a view to provide a transition time for banks, the requirement is minimum 60% for the calendar year 2015 i.e. with effect from January 1, 2015, and rise in equal steps of 10% over a period of 4 years to reach the minimum required level of 100% on January 1, 2019

उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्तियां
High Quality Liquid Assets

इस मानक के अंतर्गत, बैंकों के लिए निर्धारित दबावग्रस्त परिदृश्य के अंतर्गत 30 दिन की अवधि के लिए कुल निवल नकदी बहिर्वाह को शामिल करने के लिए आभारग्रस्त एचक्यूएलए का स्टॉक रखना अनिवार्य है. एचक्यूएलए में पात्र होने के उद्देश्य से दबाव काल के दौरान आस्तियां बाजार में नकदी सुलभ होनी चाहिए और अधिकांश मामलों में केंद्रीय बैंक के परिचालनों में उपयोग के लिए पात्र होनी चाहिए. बैंक की एचक्यूएलए में मुख्यतः अनिवार्य अपेक्षाओं तक और उससे अधिक एसएलआर निवेश, सीमांत स्थायी सुविधा के अंतर्गत उधार (एनडीटीएल का 2%) के माध्यम से उपलब्ध चलनिधि, चलनिधि व्याप्ति अनुपात (एनडीटीएल का 14.50%) के लिए चलनिधि प्राप्त करने की सुविधा और सार्वजनिक क्षेत्र के निकायों अथवा गैर-वित्तीय कॉरपोरेटों द्वारा जारी अन्य प्रतिभूतियां शामिल हैं.

Under the standard, Banks must hold a Stock of unencumbered HQLA to cover the total net cash outflows over a 30-day period under the prescribed stress scenario. In order to qualify as HQLA, assets should be liquid in markets during times of stress and, in most cases, be eligible for use in central Bank operations. The HQLA of the Bank mainly comprise of SLR investments over and above mandatory requirement, liquidity available by way of borrowing under Marginal Standing Facility (2% of NDTL), Facility to Avail Liquidity for Liquidity Coverage Ratio (14.50% of NDTL) & other securities issued by PSEs or non-financial corporate.

कुल निवल नकदी बहिर्वाह
Total net cash outflows

कुल प्रत्याशित नकदी बहिर्वाह की गणना विभिन्न श्रेणियों की बकाया शेष राशियों या देयता के प्रकार तथा तुलन-पत्र बाह्य वचनबद्धताओं में उन दरों का गुणा करके की जाती है, जिन पर उनके बढ़ने या घटने की आशा है. प्रवाह में कुल प्रत्याशित नकदी की गणना संविदागत प्राप्य राशियों की विभिन्न श्रेणियों के बकाया शेष में उन दरों को गुणा करके की जाती है, जिन पर उनके प्रवाहित होने की आशा है.

Total expected cash out flows are calculated by multiplying the outstanding balances of various categories or types of liabilities and off-balance sheet commitments by the rates at which they are expected to run off or be drawn down. Total expected cash inflows are calculated by multiplying the outstanding balances of various categories of contractual receivables by the rates at which they are expected to flow in.

चलनिधि प्रबंधन
Liquidity Management

बैंक के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित सुसंगठित चलनिधि जोखिम प्रबंधन संरचना है जो एएलएम नीति में वर्णित है. बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति (आल्को) कारोबारी रणनीति के अनुरूप चलनिधि और ब्याज दर जोखिमों की निगरानी एवं प्रबंधन करती है. चलनिधि मूल्यांकन एवं प्रबंधन सहित एएलएम कार्यकलाप का संचालन तुलन-पत्र प्रबंधन, ट्रेजरी फ्रंट ऑफिस, बजट एवं आयोजना आदि के कार्यात्मक क्षेत्रों में कार्यरत विभिन्न आल्को सहायता समूहों के बीच समन्वय के माध्यम से किया जाता है. कारोबारी समूहों एवं वर्टिकलों द्वारा आल्को दिशा-निर्देशों तथा कार्रवाइयों का कार्यान्वयन किया जाता है.

The Bank has well organized liquidity risk management structure as enumerated in ALM Policy which is approved by the Board. The Asset Liability Management Committee (ALCO) of the Bank monitors & manages liquidity and interest rate risk in line with the business strategy. ALM activity including liquidity analysis & management is conducted through coordination between various ALCO support groups residing in the functional areas of Balance Sheet Management, Treasury Front Office, Budget and Planning etc. ALCO directives and ALM actions are implemented by the business groups and verticals.

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बैंक का औसत एलसीआर 127.68% रहा है.
The average LCR of the Bank for FY 2019-20 is at 127.68%.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

XXX. पारिश्रमिक का प्रकटन / Disclosure on Remuneration

गुणात्मक प्रकटन / Qualitative disclosures

(क) पारिश्रमिक समिति की संरचना और अधिदेश से संबंधित जानकारी.

(a) Information relating to the composition and mandate of the Remuneration Committee.

पारिश्रमिक का ध्यान रखनेवाली मुख्य समिति का नाम, उसकी बनावट और उससे संबंधित अधिदेश

Name, composition and mandate of the main body overseeing remuneration:

नामांकन समिति और पारिश्रमिक समिति में पांच सदस्य अर्थात इसके अध्यक्ष के रूप में एक स्वतंत्र निदेशक और एक सरकारी नामिती निदेशक, एलआईसी के नामिती निदेशक और अन्य सदस्य के रूप में दो स्वतंत्र निदेशकगण शामिल हैं. समिति, निदेशकों के उपयुक्त और माकूल स्थिति के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178, एलओडीआर विनियम के विनियम 19 और अनुसूची II के भाग डी और आरबीआई के दिशानिर्देशों में प्रदत अधिदेशों/विचारार्थ विषयों को पूरा करती है जो निम्नानुसार हैं :

Nomination and Remuneration Committee (NRC) comprises of five members with an Independent Director, as its chairman and Government Nominee Director, LIC Nominee Director and two other Independent Directors as other members. The Committee fulfills the mandate/ terms of reference provided under Section 178 of the Companies Act, 2013, Regulation 19 and Part D of Schedule II of the LODR Regulations and RBI guidelines in respect of fit and proper status of Directors as under :

- निदेशक की योग्यता, सकारात्मक गुणों और स्वतन्त्रता के निर्धारण के लिए मानदंड तैयार करना और निदेशकों की नियुक्ति और उनके मूल्यांकन से संबंधित एक नीति के लिए बोर्ड से सिफ़ारिश करना,
  Formulation of the criteria for determining qualifications, positive attributes and independence of a director and recommend to the Board of Directors a policy relating to appointment and evaluation of Directors;
- बोर्ड, इसकी समितियों और वैयक्तिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन के प्रभावी मूल्यांकन के लिए पद्धति विनिर्दिष्ट करना, बोर्ड द्वारा अथवा एनआरसी द्वारा अथवा स्वतंत्र बाह्य एजेंसी द्वारा उसे कार्यान्वित किया जाना और इसके कार्यान्वयन और अनुपालन की समीक्षा करना,
  To specify the manner for effective evaluation of performance of the Board, its Committees and individual directors, to be carried out either by the Board, by the NRC or by an independent external agency and review its implementation and compliance;
- स्वतंत्र निदेशकों और निदेशक मंडल के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन के लिए मानदंड तैयार करना,
  Formulation of criteria for evaluation of performance of Independent Directors and the Board of Directors;
- निदेशक मंडल में विविधता के लिए नीति तैयार करना,
  Devising a policy on diversity of Board of Directors;
- निदेशक नियुक्ति और मूल्यांकन नीति के अनुसार स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र व्यक्तियों की पहचान करना,
  To identify persons who are qualified for appointment as Independent Directors in accordance with Directors' Appointment and Evaluation Policy;
- निदेशक नियुक्ति और मूल्यांकन नीति में निर्धारित मानदंडों के अनुसार बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति और उन्हें हटाने की सिफ़ारिश करना,
  To recommend to the Board the appointment and removal of Directors in accordance with the criteria laid down in the Directors' Appointment and Evaluation Policy;
- योग्यता, विशेषज्ञता, पिछले कार्यनिष्पादन, सत्यनिष्ठा, 'उपयुक्त और माकूल' मानदंड, सकारात्मक गुणों और स्वतन्त्रता (यदि लागू हो) के आधार पर तथा स्वतंत्र निदेशकों सहित निदेशक मंडल संबंधी कार्यनिष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट के आधार पर बोर्ड में निदेशक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति/नियुक्ति को जारी रखने के लिए उपयुक्तता निर्धारित करने हेतु समुचित सावधानी की प्रक्रिया अपनाना तथा उसके संबंध में मानदंड तैयार करना,
  To undertake a process of due diligence to determine the suitability of any person for appointment / continuing to hold appointment as a director on the Board, based upon qualification, expertise, track record, integrity, 'fit and proper' criteria, positive attributes and independence (if applicable) and on the basis of the report of performance evaluation of directors including independent directors and formulate the criteria relating thereto;

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

- निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक, आदि के लिए पारिश्रमिक नीति तैयार करना,
  Formulation of Remuneration Policy for Directors, KMPs, etc.;

- बोर्ड से वरिष्ठ प्रबंधन को देय पारिश्रमिक, चाहे जिस रूप में हो, की सिफारिश करना,
  Recommend to the Board, all remuneration, in whatever form, payable to the senior management;

- पारिश्रमिक और जोखिम के बीच प्रभावी सुसंगतीकरण के लिए जोखिम प्रबंधन समिति के साथ समन्वय के साथ कार्य करना,
  To work in co-ordination with Risk Management Committee in order to achieve effective alignment between remuneration and risks

यथा 31 मार्च 2020 को एनआरसी के पाँच सदस्य थे जिसमें श्री ज्ञान प्रकाश जोशी, स्वतंत्र निदेशक एवं इसके अध्यक्ष तथा सुश्री मीरा स्वरूप, सरकारी नामिती निदेशक, श्री राजेश कंडवाल, एलआईसी के नामिती निदेशक, श्री बी. बी. जोशी और श्री एन. जंबुनाथन, स्वतंत्र निदेशकगण के रूप शामिल थे.
As on March 31, 2020, the NRC comprised of five members with Shri Gyan Prakash Joshi, Independent Director, as its chairman and Ms. Meera Swarup, Government Nominee Director, Shri Rajesh Kandwal, LIC Nominee Director, Shri B. B. Joshi & Shri N. Jambunathan, Independent Directors as other members

वाह्य परामर्शदाता जिनसे परामर्श मांगे गए, संस्था जिनके द्वारा उन्हें नियुक्त किया गया था, और पारिश्रमिक प्रक्रिया के किन-किन क्षेत्रों में
External consultants whose advice has been sought, the body by which they were commissioned, and in what areas of the remuneration process

वर्ष 2019-20 के दौरान, 04 नवंबर 2019 को रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप एमडी एवं सीईओ/डबल्यूटीडी की प्रतिकर संरचना को सुसंगत बनाने के लिए, आईडीबीआई बैंक ने बैंक के एमडी एवं सीईओ/डबल्यूटीडी को उपलब्ध वर्तमान वेतन, भत्ते और लाभ का अध्ययन करने और उद्योग पद्धतियों को ध्यान में रखते हुए और रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों का पालन करते हुए उचित प्रतिकर संरचना की सिफ़ारिश के लिए एक प्रमुख प्रतिकर परामर्श फ़र्म की सेवाएं ली हैं.

During the year 2019-20, in order to align the compensation structure of the MD & CEO / WTDs with the guidelines issued by RBI on November 04, 2019, IDBI Bank has engaged the services of a leading Compensation Consultancy Firm, to study the present pay, allowance and benefits available to MDS & CEO / WTDs of the Bank and recommend suitable Compensation Structure, keeping in view industry practices and compliance with the RBI guidelines.

विदेश स्थित सहायक संस्थाओं और शाखाओं पर लागू सीमा सहित बैंक की पारिश्रमिक नीति के कार्यक्षेत्र के संबंध में विवरण:
A description of the scope of the Bank's remuneration policy, including the extent to which it is applicable to foreign subsidiaries and branches:

समिति, बोर्ड की तरफ से बैंक की देशी और विदेश स्थित शाखाओं, दोनों के लिए पारिश्रमिक नीति की निगरानी करती है. तथापि, यह बैंक की सहायक संस्थाओं के लिए प्रतिकर नीति की निगरानी नहीं करती है.
The Committee monitors the remuneration policy for both domestic and overseas branches of the Bank on behalf of the Board. However, it does not oversee the compensation policy for subsidiaries of the Bank.

इसमें शामिल कर्मचारियों के प्रकार का विवरण और ऐसे कर्मचारियों की संख्या
A description of the type of employees covered and number of such employees:

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

श्रेणी 1

Category 1

एमडी एवं सीईओ और डब्ल्यूटीडी. इस श्रेणी में 3 कर्मचारी शामिल हैं. एलआईसी द्वारा अधिग्रहण से पहले, सरकारी स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक होने के कारण, पूर्णकालिक निदेशकों के पारिश्रमिक भारत सरकार द्वारा संबंधित पूर्णकालिक निदेशकों के नियुक्ति आदेश के अनुसार निर्धारित किए जाते थे, जबकि गैर कार्यपालक निदेशकों को बैठक शुल्क का भुगतान भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा किए गए अनुसरण के अनुसार किया जाता था. गैर कार्यपालक निदेशकों को और किसी पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जाता है. 21 जनवरी 2019 से एलआईसी द्वारा अधिग्रहण के बाद तथा रिज़र्व बैंक द्वारा निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में पुनः श्रेणीनिर्धारण के बाद पूर्णकालिक कार्यपालक निदेशकों की नियुक्ति और उनके पारिश्रमिक के लिए आरबीआई का अनुमोदन जरूरी हो गया है. श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ को भारत सरकार द्वारा जारी नियुक्ति आदेश के अनुसार उसी पारिश्रमिक पर नई नियुक्ति कर एमडी एवं सीईओ के रूप में जारी रखा गया.

MD & CEO and WTDs. This category includes 3 employees. Prior to the acquisition by LIC, being a Government owned public sector bank, the remuneration of Whole Time Directors was fixed by GoI as per the appointment orders of the respective Whole Time Directors, while the Non- Executive Directors were paid sitting fees as per the rates prescribed by GoI and followed by all Public Sector Banks. No other remuneration are paid to non-Executive Directors. Post-acquisition by LIC and re-categorization by RBI as a Private Sector Bank w.e.f January 21, 2019, the Whole Time Directors' appointments and remuneration requires prior approval of RBI. Shri Rakesh Sharma MD & CEO was continued as MD & CEO by fresh appointment on the same remuneration as per the appointment order issued by GoI.

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, एलआईसी द्वारा नामांकन और रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमोदन के बाद श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज और श्री सुरेश खटनहार, डब्ल्यूटीडी (डीएमडी) की नियुक्ति की गई. एलआईसी द्वारा बहुलांश इक्विटी हिस्सेदारी के अधिग्रहण के बाद यद्यपि आरबीआई के अनुमोदन से बोर्ड द्वारा एमडी एवं सीईओ/डबल्यूटीडी की नियुक्ति की गई. एमडी एवं सीईओ/डबल्यूटीडी को देय पारिश्रमिक राष्ट्रीयकृत बैंकों के डबल्यूटीडी को देय पारिश्रमिक के समान स्तर पर ही रखा गया है.

During the FY 2019-20, upon nomination by LIC and approval from RBI, Shri Samuel Joseph Jebaraj and Shri Suresh Khatanhar WTDs (DMDs) were appointed. Following the acquisition of majority equity stake by LIC, while the MD & CEO / WTDs have been appointed by the Board, with the approval of RBI, the remuneration payable to the MD & CEO / WTDs was retained at the same level, as that payable to WTDs of Nationalized Banks.

श्रेणी 2

Category 2

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के लिए पारिश्रमिक :

Remuneration of Key Managerial Personnel:

सीएफ़ओ और सीएस के पद आईडीबीआई बैंक के कैडर अधिकारियों द्वारा धारित किए जाते हैं तथा उनकी वेतनमान और पारिश्रमिक संरचना आईडीबीआई बैंक द्वारा समानान्तर ग्रेड में अन्य अधिकारियों को ऑफर की जा रही वेतनमान और पारिश्रमिक संरचना के समतुल्य होगी तथा निदेशक मंडल के अनुमोदन पर इसे अंतिम रूप दिया जाएगा.
The positions of CFO and CS are held by cadre officers of IDBI Bank and their Pay Scales and Remuneration structure would be equivalent to the Pay Scales and Remuneration structure being offered by IDBI Bank to the other parallel grade officers and would be finalized by the Bank with the approval of the Board of Directors

श्रेणी 3 : अन्य अधिकारी और कर्मचारी

Category 3: other Officers and employees

आईडीबीआई बैंक के अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतनमान और पारिश्रमिक संरचना को बैंक द्वारा अंतिम रूप इस संबंध में समय-समय पर निदेशक मंडल से अनुमोदन प्राप्त होने के बाद दिया जाता है. चालू नीति के अनुसार वेतनमान और पारिश्रमिक संरचना एक निर्धारित संरचना है, जिसे आईबीए वेतनमान और संरचना के अनुसार तैयार किया गया है और जो 5 वर्ष की अवधि के लिए उद्योग स्तरीय समझौते की अवधि के साथ समाप्त होती है.
The Pay Scales and Remuneration structure of IDBI Bank's Officers and Employees are finalized by IDBI Bank after obtaining Board of Directors' approval. As per the current policy, the pay scales and remuneration structure is a fixed structure, which is drawn out on the lines of IBA pay scales and structure, and runs co-terminus with the industry level settlements for a period of 5 years.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या निम्नानुसार है:
Count of Officers and employees is given below:

ग्रेड / Grade	संख्या / Count
अधिकारी (ग्रेड ए से ईडी) Officers (Gr A to ED)	15487
एक्जीक्यूटिव / Executives	1041
लिपिकीय / Clerical	582
अधीनस्थ / Subordinates	613
कुल योग / Grand Total	17723

(ख) पारिश्रमिक प्रक्रियाओं के ढांचे और संरचना के संबंध में जानकारी तथा पारिश्रमिक नीति की मुख्य विशेषताएँ और उसके उद्देश्य

(b) Information relating to the design and structure of remuneration processes and the key features and objectives of remuneration policy.

पारिश्रमिक नीति की मुख्य विशेषताओं और उद्देश्यों के बारे में संक्षिप्त विवरण :

An overview of the key features and objectives of remuneration policy:

एलआईसी द्वारा अधिग्रहण और आरबीआई द्वारा 21 जनवरी 2019 से निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में पुनर्वर्गीकृत किए जाने के बाद, पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति व पारिश्रमिक के लिए आरबीआई का पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता है. श्री राकेश शर्मा एमडी एवं सीईओ को भारत सरकार द्वारा जारी नियुक्ति आदेश के अनुसार इसी पारिश्रमिक पर नयी नियुक्ति द्वारा एमडी एवं सीईओ के रूप में जारी रखा गया. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, एलआईसी द्वारा नामांकन और आरबीआई द्वारा अनुमोदन पर श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज और श्री सुरेश खटनहार डब्ल्यूटीडी (डीएमडी) की नियुक्ति की गई, एलआईसी द्वारा बहुलांश इक्विटी हिस्सेदारी की अधिग्रहण के बाद आरबीआई के अनुमोदन से बोर्ड द्वारा एमडी एवं सीईओ/डबल्यूटीडी की नियुक्ति की गई. एमडी एवं सीईओ/डब्ल्यूटीडी को देय पारिश्रमिक राष्ट्रीयकृत बैंकों के डबल्यूटीडी को देय पारिश्रमिक के समान स्तर पर ही रखा गया.

Post-acquisition by LIC and re-categorization by RBI as a Private Sector Bank w.e.f. January 21, 2019, the Whole Time Directors' appointments and remuneration requires prior approval of RBI. Shri Rakesh Sharma MD & CEO was continued as MD & CEO by fresh appointment on the same remuneration as per the appointment order issued by GoI. During the FY 2019-20, upon nomination by LIC and approval from RBI, Shri Samuel Joseph Jebaraj and Shri Suresh Khatanhar WTDs (DMDs) were appointed. Following the acquisition of majority equity stake by LIC, while the MD & CEO / WTDs have been appointed by the Board, with the approval of RBI, the remuneration payable to the MD & CEO / WTDs was retained at the same level, as that payable to WTDs of Nationalized Banks.

पारिश्रमिक नीति का उद्देश्य

Objective of the Remuneration Policy

यह सुनिश्चित करना है कि:

To ensure that:

क) पारिश्रमिक का स्तर और संरचना कंपनी को सफलतापूर्वक चलाने के लिए आवश्यक गुणवत्तापूर्ण निदेशकों को आकर्षित करने, बनाए रखने और प्रेरित करने के लिए उचित और पर्याप्त है;

a) the level and composition of remuneration is reasonable and sufficient to attract, retain and motivate directors of the quality required to run the Company successfully;

ख) कार्यनिष्पादन के सापेक्ष पारिश्रमिक का संबंध स्पष्ट है और उपयुक्त कार्यनिष्पादन मानदंडों को पूरा करता है; और

b) relationship of remuneration to performance is clear and meets appropriate performance benchmarks; and

(ग) निदेशकों, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों और वरिष्ठ प्रबंधन को दिया जाने वाला पारिश्रमिक कंपनी और इसके लक्ष्यों के लिए उपयुक्त लघु और दीर्घकालिक कार्यनिष्पादन के उद्देश्यों को दर्शाते हुए नियत और प्रोत्साहन वेतन के बीच संतुलन स्थापित करता है:

c) remuneration to directors, key managerial personnel and senior management involves a balance between fixed and incentive pay reflecting short and long term performance objectives appropriate to the working of the Company and its goals:

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(ग) पारिश्रमिक प्रक्रियाओं में वर्तमान और भविष्य के जोखिमों को कम करने के तरीकों का विवरण. इसमें इन जोखिमों का ध्यान रखने के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख उपायों का स्वरूप और प्रकार शामिल होने चाहिए.

(c) Description of the ways in which current and future risks are taken into account in the remuneration processes. It includes the nature and type of the key measures used to take account of these risks.

एलआईसी द्वारा अधिग्रहण और आरबीआई द्वारा 21 जनवरी 2019 से निजी क्षेत्र के बैंक के रूप में पुनर्वर्गीकृत किए जाने के बाद, पूर्णकालिक निदेशकों की नियुक्ति व पारिश्रमिक के लिए आरबीआई का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है. श्री राकेश शर्मा, एमडी एवं सीईओ को भारत सरकार द्वारा जारी नियुक्ति आदेश के अनुसार इसी पारिश्रमिक पर नयी नियुक्ति द्वारा एमडी एवं सीईओ के रूप में जारी रखा गया. वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान, एलआईसी द्वारा नामांकन और आरबीआई द्वारा अनुमोदन पर श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज और श्री सुरेश खटनहार डब्ल्यूटीडी (डीएमडी) की नियुक्ति की गई. एलआईसी द्वारा बहुलांश इक्विटी हिस्सेदारी के अधिग्रहण के बाद, यद्यपि आरबीआई के अनुमोदन से बोर्ड द्वारा एमडी एवं सीईओ/डबल्यूटीडी की नियुक्ति की गई, एमडी एवं सीईओ/डबल्यूटीडी को देय पारिश्रमिक उसी समान स्तर पर रखा गया जैसे कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के डब्ल्यूटीडी को देय है.

Post-acquisition by LIC and re-categorization by RBI as a Private Sector Bank w.e.f January 21, 2019, the Whole Time Directors' appointments and remuneration requires prior approval of RBI. Shri Rakesh Sharma MD & CEO was continued as MD & CEO by fresh appointment on the same remuneration as per the appointment order issued by GoI. During the FY 2019-20, upon nomination by LIC and approval from RBI, Shri Samuel Joseph Jebaraj and Shri Suresh Khatanhar WTDs (DMDs) were appointed. Following the acquisition of majority equity stake by LIC, while the MD & CEO / WTDs have been appointed by the Board, with the approval of RBI, the remuneration payable to the MD & CEO / WTDs was retained at the same level, as that payable to WTDs of Nationalized Banks.

क्या पारिश्रमिक समिति ने पिछले वर्ष के दौरान फर्म की पारिश्रमिक नीति की समीक्षा की है, और यदि हाँ, तो किए गए परिवर्तनों पर टिप्पणी दें:

Whether the remuneration committee reviewed the firm's remuneration policy during the past year, and if so, an overview of any changes that were made:

वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक ने अपनी पारिश्रमिक नीति की समीक्षा नहीं की है.

During the FY 2019-20 the Bank has not reviewed its remuneration policy.

इस विषय पर चर्चा कि बैंक जोखिम तथा अनुपालन दायित्व संभालने वाले कर्मचारियों के लिए स्वतंत्र रूप से पारिश्रमिक को कैसे सुनिश्चित करता है :

A discussion of how the Bank ensures that risk and compliance employees are remunerated independently of the businesses they oversee:

05 मई 2017 में आरबीआई ने आईडीबीआई बैंक को पीसीए के अंतर्गत रख दिया था और एनपीए तथा बैंक को हो रही हानियों को ध्यान में रखते हुए पूर्णकालिक निदेशकों को कार्यनिष्पादन आधारित किसी प्रकार के प्रोत्साहन की मंजूरी सहित कई प्रतिबंध लगाए थे. बैंक ने आरबीआई द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के कार्यान्वयन के द्वारा पीसीए से बाहर आने के लिए अपने प्रयास जारी रखे हैं. वर्तमान में विभिन्न खंडों में सभी कर्मचारियों को दिया जा रहा पारिश्रमिक एकरूपता का अनुसरण करता है.

On May 05, 2017, RBI had put IDBI Bank under PCA and imposed several restrictions including granting any performance linked incentives to the WTDs in view of NPAs and losses incurred by the Bank. The Bank continues its efforts to come out of PCA by implementing the restrictions imposed by RBI. Presently, the remuneration being paid to all employees in different segments follows uniformity.

वर्तमान में कर्मचारियों के लिए वेतन और भत्ता सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों में प्रचलित संरचना के अनुरूप संरेखण में संरचित वेतन मान पर आधारित है. जोखिम और अनुपालन कर्मचारियों के लिए स्वतंत्र पारिश्रमिक नहीं है. बैंक ने ग्रेड ए से सी तक के कर्मचारियों के वेतन संरचना में संशोधन के लिए आईबीए को अधिदेश दिया है. वर्तमान में, 2017-2022 की अवधि के लिए वेतन संशोधन हेतु आईबीए के साथ उद्योग स्तर के ट्रेड यूनियन की वार्ता चल रही है.

Pay and allowances for employees is presently based on structured pay scale in alignment with the structure prevailing in Public Sector Banks. There is no independent remuneration for risk and compliance employees. The Bank has given mandate to IBA for revision in the salary structure of officers in Grade A to C. The negotiations of the industry level trade unions with IBA for wage revision for the period 2017-2022 is currently underway.

(घ) उन तरीकों का विवरण जिसमें बैंक कार्यनिष्पादन मापन अवधि के दौरान कार्यनिष्पादन को पारिश्रमिक के स्तरों के साथ जोड़ना चाहता है.

(d) वर्तमान मे बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंको द्वारा अपनाये जा रहे वेतन और भत्ते की संरचना के अनुरूप अपने कर्मचारियों के लिए संरचित वेतन मान आधारित प्रतिकर का अनुसरण करता है. जो कि बैंकों की ओर से इंडियन बैंक असोसिएशन द्वारा अपने सदस्यों बैंकों का प्रतिनिधित्व करनेवाले कर्मचारी यूनियन/ अधिकारी संघों के साथ वार्ता से हुए समझौते द्वारा तय किया जाता है. वर्तमान में बैंक में कार्यनिष्पादन से जुड़े हुए पारिश्रमिक की कोई अवधारणा नहीं है.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

Description of the ways in which the Bank seeks to link performance during a performance measurement period with levels of remuneration.

Presently Bank follows a structured pay scale based compensation for its employees, in alignment with the pay and allowances structure followed in Public Sector Banks, as arrived by Indian Banks' Association on behalf of the Banks through negotiated settlements with workmen unions / officers' associations representing the employees of the member Banks. As such there is no concept of remuneration linked with performance presently in the Bank.

(ड.) (e) परिवर्ती पारिश्रमिक के आस्थगन और निहित करने के संबंध में बैंक की नीति और निहित करने से पहले और निहित करने के बाद आस्थगित पारिश्रमिक का समायोजन करने के लिए बैंक की नीति और मानदंडों पर चर्चा.

वर्तमान में, बैंक के कर्मचारियों के लिए लागू प्रतिकर संरचना में परिवर्ती पारिश्रमिक नहीं है. आरबीआई के दिनांक 04 नवंबर 2019 के परिपत्र के अनुपालन में, बैंक ने एमडी एवं सीईओ/डबल्यूटीडी/तात्विक जोखिम लेने वाले और नियंत्रण स्टाफ के लिए प्रतिकर संरचना के बारे में बैंक को सलाह देने हेतु प्रतिकर परामर्श की सेवाएँ ली हैं.

A discussion of the Bank's policy on deferral and vesting of variable remuneration and a discussion of the Bank's policy and criteria for adjusting deferred remuneration before vesting and after vesting.

Presently there is no variable remuneration in the compensation structure applicable to Bank's employees. In compliance to RBI circular of November 04, 2019, the Bank has engaged services of compensation consultant to advise the Bank about compensation structure for MD & CEO/ WTDs/ Material Risk Takers and control staff.

(च) (f) परिवर्ती पारिश्रमिक के विभिन्न प्रकारों (जैसे: नकद, शेयर, ईएसओपी और अन्य प्रकार) जिन्हें बैंक प्रयोग करता है, के विवरण और इन विभिन्न प्रकारों के प्रयोग के लिए औचित्य.

बैंक के कर्मचारियों का पारिश्रमिक वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र बैंक में लागू अनुसार संरचित वेतन मान के अनुरूप है, जोकि सदस्य बैंकों के इंडियन बैंक असोसिएशन और प्रतिनिधि यूनियन/संघों के जरिये उद्योग स्तरीय वार्ता समझौतों के जरिये किया गया है. वर्तमान में, बैंक में परिवर्ती पारिश्रमिक का कोई अन्य प्रकार नहीं है.

Description of the different forms of variable remuneration (i.e. cash, shares, ESOPs and other forms) that the Bank utilizes and the rationale for using these different forms.

Remuneration to employees of the Bank is presently in alignment with the structured pay scales as applicable in Public Sector Banks, which is done by way of industry level negotiated settlements through Indian Banks' Association and representative unions/associations of member Banks. There are currently no other forms of variable remuneration in the Bank.

मात्रात्मक प्रकटन
Quantitative Disclosures :

(मात्रात्मक प्रकटन में केवल पूर्णकालिक निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ अन्य जोखिम लेने वालों की जानकारी शामिल है)*
(The quantitative disclosures includes only Whole Time Directors / Chief Executive Officer/ Other Risk Takers)*

			चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year
(छ) (g)		वित्तीय वर्ष के दौरान पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) द्वारा आयोजित बैठकों की संख्या # Number of meetings held by the Nomination & Remuneration Committee (NRC) during the financial year #	3	शून्य/Nil
		और and उन्हें प्रदत्त पारिश्रमिक . (₹ करोड़ में) remuneration paid to its members. (₹ in crore)	0.0255	शून्य/Nil
(ज) (h)	(i)	वित्तीय वर्ष के दौरान परिवर्ती पारिश्रमिक प्रोत्साहन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की संख्या. Number of employees having received a variable remuneration award during the financial year.	शून्य/Nil	शून्य/Nil

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

			चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year
	(ii)	वित्तीय वर्ष के दौरान प्रदान किए गए साइन ऑन पुरस्कारों की संख्या और कुल राशि Number and total amount of sign on awards made during the financial year.	शून्य/Nil	शून्य/Nil
	(iii)	तैनाती/ साइन ऑन बोनस के रूप में भुगतान किए गए गारंटीकृत बोनस, यदि कोई हो, के विवरण. Details of guaranteed bonus, if any, paid as joining / sign on bonus	शून्य/Nil	शून्य/Nil
	(iv)	उपचित लाभों के अतिरिक्त सेवाविच्छेद भुगतान, यदि कोई हो, के विवरण. Details of severance pay, in addition to accrued benefits, if any.	शून्य/Nil	शून्य/Nil
(झ) (i)	(i)	नकद, शेयर और शेयर से जुड़े लिखत और अन्य प्रकारों में विभक्त बकाया आस्थगित पारिश्रमिक की कुल राशि. Total amount of outstanding deferred remuneration, split into cash, shares and share linked instruments and other forms.	शून्य/Nil	शून्य/Nil
	(ii)	वित्तीय वर्ष में भुगतान किए गए आस्थगित पारिश्रमिक की कुल राशि Total amount of deferred remuneration paid out in the financial year.	शून्य/Nil	शून्य/Nil
(ञ) (j)		नियत और परिवर्ती, आस्थगित और गैर-आस्थगित घटकों को दिखाने हेतु वित्तीय वर्ष के लिए पारिश्रमिक पुरस्कार राशि का विश्लेषण Breakdown of amount of remuneration awards for the financial year to show fixed and variable, deferred and non-deferred.	शून्य/Nil	शून्य/Nil
(ट) (k)	(i)	पूर्व सुस्पष्ट और/ अथवा अस्पष्ट समायोजनों के प्रति बकाया आस्थगित पारिश्रमिक और धारित पारिश्रमिक की कुल राशि Total amount of outstanding deferred remuneration and retained remuneration exposed to ex post explicit and / or implicit adjustments.	शून्य/Nil	शून्य/Nil
	(ii)	पूर्व सुस्पष्ट समायोजनों के प्रति वित्तीय वर्ष के दौरान की गई कटौतियों की कुल राशि Total amount of reductions during the financial year due to ex post explicit adjustments.	शून्य/Nil	शून्य/Nil
	(iii)	पूर्व अस्पष्ट समायोजनों के प्रति वित्तीय वर्ष के दौरान की गई कटौतियों की कुल राशि Total amount of reductions during the financial year due to ex post implicit adjustments.	शून्य/Nil	शून्य/Nil

'पूर्णकालिक निदेशक/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी/ तात्विक जोखिम उठाने वाले एवं नियंत्रण कार्य स्टाफ को प्रतिकर पर दिशानिर्देश' के संबंध में आरबीआई के 04-11-2019 के परिपत्र आरबीआई/ 2019-20/ 89/ डीओआर. एपीपीटी. बीसी. सं. 23/ 29.67.001/ 2019-20 के अनुसार अतिरिक्त प्रकटन

Additional disclosure as per RBI Circular on 'Guidelines on Compensation of Whole Time Directors/ Chief Executive Officers/ Material Risk Takers and Control Function staff' RBI/2019-20/89 DOR.Appt.BC.No.23/29.67.001/2019-20 Dated 04-11-2019

(ठ) (l)		पहचान किए गए एमआरटी की संख्या Number of MRTs identified	बैंक एमआरटी की पहचान करने की प्रक्रिया में है The Bank is in process of identifying MRTs	-
(ड) (m)	(i)	मामलों की संख्या जहां वित्तीय पेनल्टी (मैलस) का प्रयोग किया गया. Number of cases where malus has been exercised.	शून्य / Nil	-
	(ii)	मामलों की संख्या जहां क्लॉबैक का प्रयोग किया गया. Number of cases where clawback has been exercised.		
	(iii)	मामलों की संख्या जहां मैलस और क्लॉबैक दोनों का प्रयोग किया गया. Number of cases where both malus and clawback have been exercised		

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

		चालू वर्ष Current Year	पिछले वर्ष Previous Year
(ढ) (n)	समग्र रूप में (अधीनस्थ-स्टाफ को छोड़कर) बैंक का माध्य (मीन) वेतन तथा प्रत्येक डब्ल्यूटीडी के वेतन का माध्य वेतन से विचलन The mean pay for the Bank as a whole (excluding sub-staff) and the deviation of the pay of each of its WTDs from the mean pay	आरबीआई के दिनांक 04 नवंबर 2019 के परिपत्र के अनुसार डब्ल्यूटीडी के लिए प्रतिकर को 1 अप्रैल 2020 से लागू किया जाएगा. The Compensation for WTDs as per the RBI Circular of November 04, 2019 would be applicable from April 1, 2020.	-

* प्रदान की गई जानकारी पूर्णकालिक निदेशकों/ मुख्य कार्यपालक अधिकारी से संबंधित है.

* The information provided is with respect to the Whole Time Directors / Chief Executive Officer.

25 फरवरी 2019 को नामांकन समिति और पारिश्रमिक समिति का नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) नामक एक ही समिति में विलय किया गया.

On February 25, 2019, the Nomination Committee and the Remuneration Committee had been merged into a single committee known as Nomination and Remuneration Committee (NRC).

आ. लेखांकन मानकों के अनुसार प्रकटन संबंधी आवश्यकताएं
B DISCLOSURE REQUIREMENTS AS PER ACCOUNTING STANDARDS

1. अचल आस्तियां (संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण एएस-10)
FIXED ASSETS (PROPERTY, PLANT & EQUIPMENTS AS-10)

i. पिछले वर्ष की समाप्ति पर, बैंक ने स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं के द्वारा किए गए मूल्यांकनों के आधार पर पट्टाधृत/ पूर्ण स्वामित्ववाली भूमि एवं आवासीय/ कार्यालय भवन सहित अपने परिसरों का पुनर्मूल्यांकन किया है. पुनर्मूल्यांकन के बाद, 1 अप्रैल 2019 के अनुसार परिसर की निवल एकमुश्त राशि ₹ 7,145.28 करोड़ है.

As at the end of the previous year, ,the Bank had re-valued its Premises including leasehold / Freehold Lands & Residential/ Office buildings based on valuations made by independent valuers. Post revaluation, the net block of premises stands at ₹ 7,145.28 crore as on 1st April, 2019.

ii. 31 मार्च 2020 को पुनर्मूल्यांकन रिजर्व में शेष ₹ 6,503.37 करोड़ (पिछले वर्ष के लिए ₹ 6,727.69 करोड़) है.

The balance in Revaluation Reserve as at March 31, 2020 is ₹ 6,503.37 crore (₹ 6,727.69 crore for previous year).

iii. वर्ष के दौरान आवास/ कार्यालय भवनों और अन्य आस्तियों की बिक्री पर ₹ 4.76 करोड़ (₹72.57 करोड़) की निवल हानि राशि को अनुसूची 14 - अन्य आय में शामिल किया गया है.

Net Loss amounting to ₹ 4.76 crore (₹ 72.57 crore) on account of sale of residential/office buildings and other assets during the year is included in Schedule 14 - Other Income.

2. कर्मचारी लाभ (एएस-15) (संशोधित):
EMPLOYEE BENEFITS (AS-15) (REVISED)

अ. कर्मचारी लाभ योजनाएं

A. Employee Benefit Schemes

i. निर्दिष्ट अंशदान योजनाएं

Defined Contribution Schemes

बैंक के उन कर्मचारियों को छोड़कर जिन्होंने पेंशन विकल्प चुना है, जिन्होंने 31 मार्च 2008 से पहले बैंक में सेवा ग्रहण की है, उन्हें भविष्य निधि योजना (पीएफएस) के अंतर्गत कवर किया गया है. बैंक ने एक निर्दिष्ट अंशदान तय किया है जो कि मूल वेतन के नियत प्रतिशत के रूप में पीएफएस में जाता

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

है. भविष्य निधि योजना को ''आईडीबीआई बैंक कर्मचारी भविष्य निधि ट्रस्ट (ट्रस्ट) के न्यासी मंडल'' द्वारा संचालित किया जाता है. आईडीबीआई होम फाइनेंस लिमिटेड (आईएचएफएल) तथा आईडीबीआई गिल्ट्स लिमिटेड (आईजीएल) के कर्मचारियों के संबंध में भविष्य निधि अंशदान मई 2011 तक क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पास जमा कराए गए हैं और उसके बाद अंशदान ऊपर उल्लेखित निधि में किए गए हैं. वर्ष के दौरान पीएफएस में ₹ 5.96 करोड़ (₹13.52 करोड़) रुपये का अंशदान किया गया और इसे लाभ-हानि खाते में डाला गया.

The Bank's employees, excluding those who have opted for pension, who have joined Bank before March 31, 2008 are covered by Provident Fund Scheme (PFS). The Bank makes a defined contribution measured as a fixed percentage of basic salary to the PFS. The Provident Fund Scheme is managed by "The Board of Trustees of IDBI Bank Employees' Provident Fund Trust (Trust)". In respect of employees of IDBI Home Finance Limited (IHFL) and IDBI Gilts Limited (IGL), provident fund contributions were made to Regional Provident Fund Commissioner up to May 2011 and thereafter contributions have been made to the aforementioned Fund. During the year ₹ 5.96 crore (₹ 13.52 crore) has been contributed to PFS and charged to Profit and Loss Account.

ऐसे कर्मचारी जिन्होंने 1 अप्रैल 2008 के बाद कार्यग्रहण किया है उन्हें आईडीबीआई बैंक लि. नई पेंशन योजना (आईबीएलएनपीएस) के तहत कवर किया गया है, जिसमें बैंक वेतन एवं महँगाई भत्ते के निर्धारित प्रतिशत के रूप में निश्चित अंशदान देता है. वर्ष के दौरान आईबीएलएनपीएस में ₹ 90.99 करोड़ (₹ 153.16 करोड़) का अंशदान किया गया और इसे लाभ-हानि खाते में डाला गया.

The Bank's employees who have joined after April 1, 2008 are covered by IDBI Bank Ltd. New Pension Scheme (IBLNPS) to which Bank makes a defined contribution as a fixed percentage of Pay and Dearness Allowance. During the year, ₹ 90.99 crore (₹ 153.16 crore) has been contributed to IBLNPS and charged to Profit and Loss Account.

ii. निर्दिष्ट लाभ योजनाएं
Defined Benefit Schemes

बैंक कर्मचारियों की ग्रैच्युटी देयता के लिए 'आईडीबीआई बैंक कर्मचारी ग्रैच्युटी फंड ट्रस्ट' में अंशदान देता है.

The Bank makes contributions for the gratuity liability of the employees to the 'IDBI Bank Employees Gratuity Fund Trust'.

क. बैंक के कुछ कर्मचारी पेंशन के लिए भी पात्र हैं, जिसका प्रशासन 'आईडीबीआई पेंशन फंड ट्रस्ट' द्वारा किया जाता है.

a. Some of the employees of the Bank are also eligible for Pension which is administered by the 'IDBI Pension Fund Trust'.

ख. इन निर्दिष्ट लाभ देयताओं के वर्तमान मूल्य तथा संबंधित चालू सेवा लागत की गणना प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को स्वतंत्र बीमांकक द्वारा पूर्वानुमानित यूनिट जमा पद्धति से की जाती है.

b. The present value of these defined benefit obligations and the related current service cost are measured using the Projected Unit Credit Method by an independent actuary at each balance sheet date.

B. निम्नलिखित तालिका निर्दिष्ट लाभ योजनाओं की स्थिति और यथा 31 मार्च 2018 को बैंक के वित्तीय विवरण में दर्शायी गईं राशियों की स्थिति को प्रस्तुत करती है जो एएस-15 (आर) के अनुसार है:

The following table sets out the status of the defined benefit schemes and the amounts recognised in the Bank's financial statements as at March 31, 2018 which is per AS-15(R).

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

	विवरण / Particulars	पेंशन यथा 31 मार्च 2020 Pension As at March 31, 2020	ग्रैच्युटी यथा 31 मार्च 2020 Gratuity As at March 31, 2020	पेंशन यथा 31 मार्च 2019 Pension As at March 31, 2019	ग्रैच्युटी यथा 31 मार्च 2019 Gratuity As at March 31, 2019
क) a)	**लाभ दायित्वों में परिवर्तन : Change in benefit obligations:**				
	वर्ष के आरंभ में अनुमानित लाभ संबंधी दायित्व Projected benefit obligation, beginning of the year	2,343.28	787.04	2,111.79	709.54
	ब्याज लागत / Interest cost	182.31	61.23	163.66	55.56
	चालू सेवा लागत / Current Service cost	37.68	35.71	33.06	34.85

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

	विवरण / Particulars	पेंशन यथा 31 मार्च 2020 Pension As at March 31, 2020	ग्रैच्युटी यथा 31 मार्च 2020 Gratuity As at March 31, 2020	पेंशन यथा 31 मार्च 2019 Pension As at March 31, 2019	ग्रैच्युटी यथा 31 मार्च 2019 Gratuity As at March 31, 2019
	सीमा में वृद्धि के कारण वर्ष के दौरान व्यय की गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) Past Service cost (Vested Benefit) incurred during the year due to increase in limit	--	--		12.31
	अंतरित देयता आगम/(निर्गम) / Liability Transferred In/ (Out)			0.00	0.00
	प्रदत्त लाभ / Benefits paid	(216.01)	(79.11)	(138.94)	(81.16)
	बीमांकिक (लाभ) / हानि / Actuarial (gain)/ loss	0.00	0.00	0.56	8.74
	वित्तीय अवधारणाओं में हुए बदलाव के कारण- दायित्व पर बीमांकिक (लाभ) / हानि Actuarial (Gains)/Losses on Obligations - Due to Change in Financial Assumptions	294.85	70.60	(7.07)	2.60
	अनुभव के कारण- दायित्व पर बीमांकिक (लाभ) / हानि Actuarial (Gains)/Losses on Obligations - Due to Experience	350.90	56.04	180.22	44.60
	वर्ष के अंत में अनुमानित लाभ/दायित्व Projected benefit/ obligation, end of the year	**2,993.01**	**931.52**	**2,343.28**	**787.04**
ख) b)	**योजना आस्तियों में परिवर्तन : Change in plan assets:**				
	वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets, beginning of the year	2,435.91	708.22	2,289.98	641.54
	योजना आस्तियों पर अनुमानित प्रतिफल Expected return on plan assets	189.51	55.10	177.47	50.23
	नियोक्ता का अंशदान / Employer's contributions	274.68	190.82	50.17	97.66
	अन्य कंपनी से अंतरण / Transfer from other Company				
	प्रदत्त लाभ / Benefits paid	(216.01)	(79.11)	(138.94)	(81.16)
	बीमांकिक लाभ / (हानि) / Actuarial gain / (loss)	14.12	4.59	57.23	(0.05)
	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets at the end of the year	**2,698.21**	**879.62**	**2,435.91**	**708.22**
ग) c)	**दायित्व के वर्तमान मूल्य और योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान Reconciliation of present value of the obligation and fair value of the plan assets**				
	वर्ष के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य Present value of benefit obligation at the end of the year	2,993.01	931.52	2,343.28	787.04
	भविष्य में अभिनिर्धारित /प्रावधान की जानेवाली संक्रमण कालीन (देयता) Transitional (Liability) to be recognized/provided in future				
	लाभ दायित्व का निवल वर्तमान मूल्य Net Present value of benefit obligation	2,993.01	931.52	2,343.28	787.04

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

	विवरण / Particulars	पेंशन यथा 31 मार्च 2020 Pension As at March 31, 2020	ग्रैच्युटी यथा 31 मार्च 2020 Gratuity As at March 31, 2020	पेंशन यथा 31 मार्च 2019 Pension As at March 31, 2019	ग्रैच्युटी यथा 31 मार्च 2019 Gratuity As at March 31, 2019
	योजना आस्तियों का उचित मूल्य /Fair Value of Plan assets	2,698.21	879.62	2,435.91	708.22
	अधिशेष/ (कमी) / Surplus/ (Deficit)	**(294.80)**	**(51.90)**	**92.63**	**(78.82)**
घ) d)	**वर्ष के लिए निवल लागत Net cost for the year**				
	सेवा लागत / Service cost	37.68	35.71	33.06	34.85
	ब्याज लागत / Interest cost	182.31	61.23	163.66	55.56
	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल Expected return on plan assets	(189.51)	(55.10)	(177.47)	(50.23)
	निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि / Net Actuarial (gain)/ loss	631.63	122.06	116.48	55.99
	सीमा में वृद्धि के कारण वर्ष के दौरान निर्धारित की गई पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) Past Service Cost (Vested Benefit) recognized during the year due to increase in limit	0.00	0.00	0.00	12.31
	वर्ष के दौरान स्वीकार की गई संक्रमण कालीन देयता Transitional liability recognized during the year	0.00	0.00	(23.74)	34.71
	उपर्युक्तानुसार निवल लागत Net cost as per above	**662.11**	**163.90**	**111.99**	**143.19**
	पुनरांकित न की गई बीमांकिक देयता पर अतिरिक्त निधि मूल्य Excess of fund value over actuarial liability not written back	0.00	0.00	92.63	0.00
	चालू वर्ष में समायोजित पिछले वर्ष की बीमांकिक देयता पर अतिरिक्त निधि मूल्य Excess of fund value over actuarial liability of previous year adjusted in current year	(92.63)	0.00	(178.19)	0.00
	वर्तमान में समायोजित किए गए निवेशों पर एलआईसी द्वारा प्रस्तुत किए गए ब्याज दर में वृद्धि के कारण ग्रैच्युटी फंड मूल्य में वृद्धि Increase in Gratuity Fund Value due to increase in rate of interest offered by LIC on investments adjusted in current year	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**(0.17)**
	वर्ष के लिए लाभ एवं हानि की वास्तविक लागत Actual cost to P & L for the year	**569.48**	**163.90**	**26.43**	**143.02**
ङ) e)	**आस्तियों की श्रेणी Category of Assets**				
	भारत सरकार की आस्तियां / Government of India Assets	0.00	0.00	0.00	0.00
	राज्य सरकार प्रतिभूतियाँ / State Government Securities	196.21	0.00	186.38	0.00
	कॉरपोरेट बॉण्ड / Corporate Bonds	861.74	0.00	724.80	0.00
	विशेष जमा योजना / Special Deposits Scheme	0.00	0.00	0.00	0.00
	बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियां / Insurer Managed Funds	1509.00	879.62	1,342.02	708.22
	अन्य / Others	131.26	0.00	182.71	0.00
	कुल / Total	**2,698.21**	**879.62**	**2,435.91**	**708.22**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण / Particulars	पेंशन यथा 31 मार्च 2020 Pension As at March 31, 2020	ग्रैच्युटी यथा 31 मार्च 2020 Gratuity As at March 31, 2020	पेंशन यथा 31 मार्च 2019 Pension As at March 31, 2019	ग्रैच्युटी यथा 31 मार्च 2019 Gratuity As at March 31, 2019
च) f) **लेखांकन में प्रयुक्त धारणाएं Assumptions used in accounting:**				
बट्टा दर / Discount rate	6.79%	6.89%	7.78%	7.78%
योजना आस्तियों पर प्रतिफल की दर Rate of return on plan assets	6.79%	6.89%	7.78%	7.78%
वेतन बढ़ोतरी दर / Salary escalation rate	5.75%	5.75%	5.75%	5.75%
ह्रास दर / Attrition Rate	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 3.08% तथा तत्पश्चात 3.5% 3.08% for service less than 5 years and 3.5% thereafter	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 3.08% तथा तत्पश्चात 3.5% 3.08% for service less than 5 years and 3.5% thereafter	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 3.08% तथा तत्पश्चात 3.50% 3.08% for service less than 5 years and 3.50% thereafter	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 3.08% तथा तत्पश्चात 3.50% 3.08% for service less than 5 years and 3.50% thereafter
मृत्यु दर / Mortality Rate	मृत्यु दर भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु (2006-2008) अंतिम रूप से Indian Assured Lives Mortality (2006-08) Ult.		भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु (2006-2008) अंतिम रूप से Indian Assured Lives Mortality (2006-08) Ult.	

C अन्य दीर्घावधि लाभ:
Other long term benefits

बैंक के कर्मचारी अपनी अर्जित विशेषाधिकार छुट्टी का संचय करने के लिए पात्र हैं जिसमें अधिकारी अधिकतम 240 दिन और अन्य स्टाफ 300 दिन तक की छुट्टी का संचय कर सकते हैं. प्रति वर्ष अधिकतम 15 दिन की छुट्टियों का नकदीकरण किया जा सकता है.
Employees of the Bank are entitled to accumulate their earned/ privilege leave up to a maximum of 240 days for officers and 300 days for other staff. A maximum of 15 days leave is eligible for encashment in each year.

बैंक के कुछ कर्मचारी स्वैच्छिक स्वास्थ्य योजना के लिए पात्र हैं जिसे देयता की घटना होने पर बैंक वहन करता है.
Some employees of the Bank are eligible for Voluntary Health Scheme which is borne by the Bank as and when the liability events occur.

इन लाभों का बीमांकिक मूल्यांकन पूर्वानुमानित यूनिट-क्रेडिट पद्धति से किया गया है और वर्ष के दौरान ₹ 134.62 करोड़ की राशि लाभ-हानि लेखे में प्रभारित की गई है.
Actuarial valuation of these benefits have been carried out using the Projected Unit Credit Method and ₹ 134.62 crore has been charged to Profit and Loss Account during the year.

बैंक के कर्मचारी अशक्तता सहायता के पात्र हैं जिसे अशक्तता घटित होने पर बैंक वहन करता है.
Employees of the Bank are eligible for Disability Assistance which is borne by the Bank as and when the disability events occur.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

3. खंड रिपोर्टिंग (एएस-17)
SEGMENT REPORTING (AS-17)

बैंक मुख्य रूप से तीन कारोबारी खंडों में निम्नानुसार परिचालन करता है :

The Bank primarily operates in three business segments as under :

ट्रेजरी / Treasury	ट्रेजरी परिचालन में निवेशों के ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, मुद्रा बाजार परिचालन, व्युत्पन्नों का सौदा, प्रोप्राइटरी खातों में और ग्राहकों के लिए विदेशी मुद्रा परिचालन शामिल हैं. Treasury operations include trading portfolio of investments, money market operations, derivative trading, foreign exchange operations on the proprietary account and for customers.
खुदरा बैंकिंग Retail Banking	खुदरा बैंकिंग में व्यापक रूप से ऋण और जमा कार्यकलाप शामिल हैं जो मुख्य रूप से प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार सहित वैयक्तिक एवं लघु कारोबार पर केंद्रित हैं. खुदरा बैंकिंग में भुगतान एवं वैकल्पिक चैनल जैसे एटीएम, पीओएस मशीनें, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ट्रैवल/करेंसी कार्ड, अन्य पक्ष वितरण और ट्रांजेक्शन बैंकिंग सेवाएं भी शामिल हैं. Retail Banking broadly includes credit and deposit activities that are primarily oriented towards individuals & small business including Priority sector lending. Retail Banking also encompasses payment and alternate channels like ATMs, POS machines, internet Banking, mobile Banking, credit cards, debit cards, travel/currency cards, third party distribution and transaction Banking services.
कॉरपोरेट/थोक बैंकिंग Corporate / Wholesale Banking	इसमें खुदरा के अलावा जमा एवं ऋण कार्यकलापों को कवर करने वाले कॉरपोरेट संबंध शामिल हैं. इसमें कॉरपोरेट सलाहकारी/ सिंडिकेशन सेवाएं, परियोजना मूल्यांकन, और ट्रेजरी के अन्तर्गत कवर नहीं किए गए रणनीतिक निवेश सहित निवेश पोर्टफोलियो कवर भी शामिल हैं. Includes corporate relationship covering deposit & credit activities other than retail. It also covers corporate advisory / syndication, project appraisal and investment portfolio including strategic investments other than those covered under Treasury.

(₹ करोड़ में)/ (₹ in crore)

क्रम स. Sr. No.	विवरण Particulars	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2020 Year Ended March 31, 2020	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2019 Year Ended March 31, 2019
क./a.	**खंड राजस्व / Segment Revenue**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale Banking	12,093	13,938
	खुदरा बैंकिंग / Retail Banking	28,906	29,479
	ट्रेजरी / Treasury	754	440
	कुल / TOTAL	**41,753**	**43,857**
	घटाएं : अंतर खंड राजस्व / Less :- Inter-segment revenue	16,457	18,485
	परिचालनों से निवल बिक्री / आय / Net sales / income from operations	**25,295**	**25,372**
ख. b.	**खंड परिणाम - कर पूर्व लाभ / (हानि) Segment Results -Profit/(loss) before tax**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale Banking	(11,309)	(24,852)
	खुदरा बैंकिंग / Retail Banking	1,767	1,733
	ट्रेजरी / Treasury	575	291
	कुल / TOTAL	**(8,967)**	**(22,827)**
	घटाएंः अविनिधानित आय को घटाते हुए अन्य अविनिधानीय व्यय Less: Other unallocable expenditure net of unallocable income	-	-
	कर पूर्व कुल लाभ/ (हानि) / Total profit/ (loss) before tax	**(8,967)**	**(2,2827)**
	आय कर / Income taxes	3,920	(7,711)
	निवल लाभ/ (हानि) / Net profit/ (loss)	**(12,887)**	**(15,116)**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में)/ (₹ in crore)

क्रम स. Sr. No.	विवरण Particulars	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2020 Year Ended March 31, 2020	समाप्त वर्ष 31 मार्च 2019 Year Ended March 31, 2019
ग./ c.	**खंड आस्तियां / Segment assets**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale Banking	1,06,443	1,21,157
	खुदरा बैंकिंग / Retail Banking	1,71,634	1,71,469
	ट्रेजरी / Treasury	175	2,965
	अविनिधानित आस्तियां / Unallocated assets	21,691	24,694
	कुल आस्तियां / Total assets	**2,99,942**	**3,20,284**
घ. / d.	**खंड देयताएं / Segment liabilities**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale Banking	53,479	77,899
	खुदरा बैंकिंग / Retail Banking	2,17,844	2,11,127
	ट्रेजरी / Treasury	1,099	375
	अविनिधानित देयताएं / Unallocated liabilities	0	0
	कुल देयताएं / Total liabilities	**2,72,421**	**2,89,400**
ङ. e.	**नियोजित पूंजी (खंड आस्तियां-खंड देयताएं) Capital employed (Segment assets-Segment liabilities)**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale Banking	52,964	43,258
	खुदरा बैंकिंग / Retail Banking	(46,210)	(39,658)
	ट्रेजरी / Treasury	(924)	2,590
	अविनिधानीय / Unallocated	21,691	24,694
	कुल देयताएं / Total	**27,521**	**30,884**

- खंड राजस्व में बैंक द्वारा अनुसरित निधि अंतरण मूल्य (एफटीपी) सिस्टम के तहत गणना किए गए अंतर-खंड राजस्व शामिल हैं।
  The segment revenue includes inter-segment revenue computed as per Fund Transfer Pricing system followed by the Bank.
- बैंक मुख्य रूप से भारत में परिचालन करता है, अतः बैंक ने यह माना है कि वह मुख्य रूप से देशी खंड में परिचालन करता है और इसलिए रिपोर्ट करने योग्य कोई भौगोलिक खंड नहीं है।

  The Bank primarily operates in India, hence the Bank has considered that its operations are predominantly in the domestic segment and as such there are no reportable geographical segments

4. संयुक्त उद्यम (एएस-27)
JOINT VENTURES (AS-27)

निवेश में निम्नलिखित संयुक्त उद्यम में बैंक के हित से संबंधित ₹384 करोड़ (₹384 करोड़) शामिल हैं।
Investments include ₹ 384 crore (₹ 384 crore) representing Bank's interest in the following joint venture.

कंपनी का नाम / Name of the Company	निवास का देश Country of Residence	धारिता / Holding
आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. IDBI Federal Life Insurance Company Ltd.	भारत / India	48%

एएस 27 की अपेक्षा के अनुसार, संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था में बैंक के हितों से संबंधित सभी आस्तियों, देयताओं, आय, व्ययों, आकस्मिक देयताओं और वचनबद्धताओं की प्रत्येक की कुल राशियों का प्रकटन निम्नानुसार प्रस्तुत है:
As required by AS-27, the aggregate amount of each of the assets, liabilities, income, expenses, contingent liabilities and commitments related to the Banks interests in jointly controlled entity are disclosed as under:

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in crores)

विवरण / Particulars	31 मार्च 2020 (लेखापरीक्षित) March 31, 2020 (Audited)	31 मार्च 2019 (लेखापरीक्षित) March 31, 2019 (Audited)
देयताएं / Liabilities		
इक्विटी पूंजी / Equity Capital	384.00	384.00
रिजर्व और अधिशेष / Reserves and Surplus	57.20	54.06
अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other Liabilities & Provisions	45.16	149.02
कुल / Total	**486.36**	**587.07**
आस्तियां / Assets		
नकदी और बैंक शेषराशियां / Cash and Bank Balances	38.91	65.54
निवेश / Investments	134.25	216.27
अग्रिम / Advances	3.59	-
अचल आस्तियां / Fixed Assets	64.32	65.99
अन्य आस्तियां / Other Assets	245.29	239.26
कुल / Total	**486.36**	**587.07**
पूंजी वचनबद्धताएं / Capital Commitments	0.00	0.00
अन्य आकस्मिक देयताएं / Other Contingent Liabilities	31.56	30.23
आय / Income		
अर्जित ब्याज / Interest Earned	19.53	19.25
अन्य आय / Other income	62.20	53.24
कुल / Total	**81.73**	**72.49**
व्यय / Expenditure		
बीमा कारोबार से हानि / Losses from Insurance Business	0.00	0.00
परिचालनगत व्यय / Operating expenses	4.38	3.62
प्रावधान एवं आकस्मिकताएं / Provisions & Contingencies	6.40	5.13
कुल / Total	**10.78**	**8.75**
वर्ष के लिए लाभ/(हानि) / Profit/(Loss) for the Year	70.96	63.73

5. संबद्ध पक्षकार का प्रकटन (एएस-18)
RELATED PARTY DISCLOSURES (AS-18)

अ) एएस-18 के अनुसार संबद्ध पक्षकार की सूची
A. List of related party as per AS-18

I. **धारक कंपनी:**

Holding Company:

- भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी)
  Life Insurance Corporation of India (LIC)

II. **सहायक संस्थाएं:**

Subsidiaries

- आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्युरिटीज लि./ IDBI Capital Market & Securities Ltd.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

- आईडीबीआई इंटेक लि. / IDBI Intech Ltd.
- आईडीबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी लि. / IDBI Mutual Fund Trustee Company Ltd.
- आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी लि. / IDBI Asset Management Ltd.
- आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लि. / IDBI Trusteeship Services Ltd.

III. संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था / Jointly controlled entity

- आईडीबीआई फेडरल लाइफ इन्श्योरेन्स कंपनी लि. / IDBI Federal Life Insurance Co Ltd.

IV. सहयोगी कंपनियां: / Associates:

- बायोटेक कॉन्सोर्शियम इंडिया लिमिटेड. / Biotech Consortium India Ltd.
- नेशनल सिक्योरिटी डिपोजिटरी लिमिटेड / National Securities Depository Ltd
- नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड / North Eastern Development Finance Corporation Ltd
- पोंडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इनवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीआईपीडीआईसीएल)
  Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Ltd (PIPDICL)

V. बैंक के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक / Key Management Personnel of the Bank:

- श्री राकेश शर्मा, प्रबंध निदेशक एवं सीईओ. / Shri Rakesh Sharma, Managing Director & CEO.
- श्री सैम्युअल जोसफ जेबराज, उप प्रबंध निदेशक (20 सितंबर 2019 से).
  Shri Samuel Joseph Jebaraj, Deputy Managing Director (From September 20, 2019)
- श्री सुरेश खटनहार , उप प्रबंध निदेशक (15 जनवरी 2020 से).
  Shri Suresh Khatanhar, Deputy Managing Director (From January 15, 2020)
- श्री कृष्ण प्रसाद नायर, उप प्रबंध निदेशक (31 मई 2019 तक).
  Shri Krishna Prasad Nair, Deputy Managing Director (Up to May 31, 2019).
- श्री जी. एम. यादवाडकर, उप प्रबंध निदेशक (15 सितंबर 2019 तक).
  Shri G.M.Yadwadkar, Deputy Managing Director (Up to September 15, 2019).
- श्री अजय शर्मा, कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी.
  Shri Ajay Sharma, Executive Director & Chief Financial Officer.
- श्री पवन अग्रवाल, कंपनी सचिव. / Shri Pawan Agrawal, Company Secretary.

आ) संबद्ध पक्षकारों के साथ किए गए लेन-देनों का विवरण
B. Details of transactions with Related Parties

संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन-देन/ शेषराशियां (वित्तीय वर्ष 2019-20):
I. Transactions/ balances with related parties (FY 2019-20):

(₹ करोड़ में)/ (₹ in crore)

मदें/ संबद्ध पक्षकार Items/ Related Party	प्रवर्तक/ धारक कंपनी Promoter/ Holding Company	सहायक संस्थाएं Subsidiaries	संयुक्त उद्यम Joint Ventures	सहयोगी कंपनियां# Associates#	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक Key Management Personnel$	कुल Total
प्राप्त जमाराशियां*/ Deposit Received*	**2,507.00**	**132.08**	**3.96**	**102.60**	**-**	**2,745.64**
अन्य बकाया देयताएं / जमा राशियां Other Liabilities/ Deposits Outstanding	3,040.00	150.89	8.39	-	-	3,199.28
वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम जमाराशियां Maximum amount of deposits outstanding during the year	5,800.00	150.97	12.70	78.96	-	6,042.63

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में)/ (₹ in crore)

मदें/ संबद्ध पक्षकार Items/ Related Party	प्रवर्तक/ धारक कंपनी Promoter/ Holding Company	सहायक संस्थाएं Subsidiaries	संयुक्त उद्यम Joint Ventures	सहयोगी कंपनियां# Associates#	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक Key Management Personnel$	कुल Total
बकाया निवेश / Investments Outstanding	-	280.80	384.00	38.50	-	703.30
इक्विटी अंशदान / Equity Contributions	4,743.00	-	-	-	-	4,743.00
प्रदत्त अग्रिम / Advances Given	-	-	-	-	-	-
बकाया अग्रिम / Advances Outstanding	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान देय अधिकतम अग्रिम राशि Maximum amount of advances due during the Year	-	-	-	-	-	-
अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज / Interest on Advances	-	-	-	-	-	-
अग्रिमों पर उपचित ब्याज Interest accrued on advances	-	-	-	-	-	-
जमाराशियों पर ब्याज / Interest on deposits	0.00	6.03	1.77	6.42	-	14.23
पारिश्रमिक / Remunerations	-	1.50	-	0.02	1.97	3.49
अन्य व्यय / Other Expenditure	0.34	66.73	-	0.02	-	67.08
अन्य आय / Other Income	40.47	20.85	83.75	0.00	-	145.06
वर्ष के दौरान लाभ/ हानि का हिस्सा Share of profit/ Loss during the year	-	19.51	70.96	28.10	-	118.57

* वर्ष के दौरान प्राप्त नई सावधि जमाओं को दर्शाता है.

* Represents new term deposits received during the Year.

पीआईपीडीआईसीएल के संबंध में, बैंक को कंपनी से किसी प्रकार के वित्तीय विवरण तथा संव्यवहार विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं. अतः इसकी जानकारी उपर्युक्त में समेकित नहीं है. बैंक ने पीआईपीडीआईसीएल में किए गए निवेश को अवलेखित कर एक रुपये कर दिया है.

In respect of PIPDICL, the Bank has not received any financial statements & transactions details from the Company hence information not consolidated in above. The Bank has written down investment in PIPDICL to Rupee one.

एएस 18 के पैराग्राफ 5 के अनुसार, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के रिश्तेदारों के संबंध में बैंकर- ग्राहक संबंध स्वरूप के संव्यवहारों को प्रकट नहीं किया गया है.

$ In terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed in respect of Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

संबद्ध पक्षकारों के साथ लेन-देन/ शेषराशियां (वित्तीय वर्ष 2018-19):
Transactions/ balances with related parties (FY 2018-19):

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

मदें/ संबद्ध पक्षकार Items/ Related Party	प्रवर्तक/ धारक कंपनी Promoter/ Holding Company	सहायक संस्थाएं Subsidiaries	संयुक्त उद्यम Joint Ventures	सहयोगी कंपनियां# Associates#	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक Key Management Personnel$	कुल Total
प्राप्त जमाराशियां* / Deposit Received*	**0.09**	**265.08**	**0.48**	**91.37**	**-**	**357.02**
अन्य बकाया देयताएं / जमा राशियां Other Liabilities/ Deposits Outstanding	382.24	128.88	6.10	40.58	-	557.80

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

मदें/ संबद्ध पक्षकार Items/ Related Party	प्रवर्तक/ धारक कंपनी Promoter/ Holding Company	सहायक संस्थाएं Subsidiaries	संयुक्त उद्यम Joint Ventures	सहयोगी कंपनियां# Associates#	मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक Key Management Personnel$	कुल Total
वर्ष के दौरान बकाया अधिकतम जमाराशियां Maximum amount of deposits outstanding during the year	530.57	159.95	28.56	91.64	-	810.71
बकाया निवेश / Investments Outstanding	-	278.07	384.00	38.50	-	700.57
इक्विटी अंशदान / Equity Contributions	21,624.15	-	-	-	-	21,624.15
प्रदत्त अग्रिम / Advances Given	-	0.86	-	-	-	0.86
बकाया अग्रिम / Advances Outstanding	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान देय अधिकतम अग्रिम राशि Maximum amount of advances due during the Year	**-**	**0.86**	**-**	**-**	**-**	**0.86**
अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज Interest on Advances	-	0.00	-	-	-	0.00
अग्रिमों पर उपचित ब्याज Interest accrued on advances	-	-	-	-	-	-
जमाराशियों पर ब्याज Interest on deposits	0.04	3.48	1.23	1.76	-	6.51
पारिश्रमिक / Remunerations	-	-	-	-	4.74	4.74
अन्य व्यय / Other Expenditure	0.83	60.43	-	-	-	61.26
अन्य आय / Other Income	7.43	19.57	28.29	0.02	-	55.31
वर्ष के दौरान लाभ/ हानि का हिस्सा Share of profit/ Loss during the year	-	42.31	63.73	43.21	-	149.25

* वर्ष के दौरान प्राप्त नई सावधि जमाओं को दर्शाता है.

* Represents new term deposits received during the Year

पीआईपीडीआईसीएल के संबंध में, बैंक को कंपनी से किसी प्रकार के वित्तीय विवरण तथा संव्यवार विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं. अतः इसकी जानकारी उपर्युक्त में समेकित नहीं है. बैंक ने पीआईपीडीआईसीएल में किए गए निवेश को अवलेखित कर एक रुपये कर दिया है.

In respect of PIPDICL, the Bank has not received any financial statements & transactions details from the Company hence information not consolidated in above. The Bank has written down investment in PIPDICL to Rupee one.

एएस 18 के पैराग्राफ 5 के अनुसार, मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के रिश्तेदारों के संबंध में बैंकर- ग्राहक संबंध स्वरूप के संव्यवहारों को प्रकट नहीं किया गया है.

$ In terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed in respect of Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

II. वर्ष केदौरान मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को ₹1.97 करोड़ का पारिश्रमिक प्रदान किया गया.
Remuneration paid to Key Management Personnel during the year ₹ 1.97 crore

(₹ करोड़ में)/ (₹ in crore)

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक / Key Management Personnel	वित्तीय वर्ष 2019-20 FY 2019-20	वित्तीय वर्ष 2018-19 FY 2018-19
श्री राकेश शर्मा / Shri Rakesh Sharma	0.37	0.18
श्री के.पी. नायर / Shri K.P.Nair	0.27	0.29

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

(₹ करोड़ में)/ (₹ in crore)

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक / Key Management Personnel	वित्तीय वर्ष 2019-20 FY 2019-20	वित्तीय वर्ष 2018-19 FY 2018-19
श्री जी.एम. यादवाडकर / Shri G.M.Yadwadkar	0.28	0.29
श्री सैम्युअल जोसफ जेबराज / Shri Samuel Joseph Jebaraj	0.18	-
श्री सुरेश खटनहार / Shri Suresh Khatanhar	0.07	-
श्री अजय शर्मा / Shri Ajay Sharma	0.40	0.31
श्री पवन अग्रवाल / Shri Pawan Agarwal	0.40	0.31
श्री बी. श्रीराम / Shri B. Sriram	-	0.07
श्री महेश कुमार जैन / Shri Mahesh Kumar Jain	-	0.07
कुल / Total	**1.97**	**1.52**

नोट : कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(51)(v) के अनुसार, बोर्ड ने दिनांक 21 मार्च 2018 को निदेशक से एक लेवल कनिष्ठ अधिकारी को केएमपी के रूप में नामित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है. बैंक ने 19 अप्रैल 2018 को केएमपी के रूप में उक्त अधिकारियों की रिपोर्टिंग/पंजीकरण करने हेतु एमसीए से फॉर्म भरवाया था. उक्त अधिकारियों को अभी तक एमसीए साइट के तहत केएमपी के रूप में पंजीकृत नहीं किया है और इसलिए तकनीकी रूप से इन्हें केएमपी नहीं माना जाएगा. इसलिए उक्त केएमपी विवरणों में निदेशक से एक लेवल कनिष्ठ स्तर के अधिकारी को केएमपी के रूप में नामित आधिकारी को शामिल नहीं किया गया है.

Note: In terms of Section 2(51)(v) of the companies Act, 2013, the Board had approved the proposal to designate officers one level below the Directors as KMP on March 21, 2018. The Bank had filled the form with MCA for reporting/ registering the said officers as KMPs on April 19, 2018. Till now the said officers have not been registered as KMPs under the MCA site and hence cannot be technically deemed to be KMPs. Hence, the above KMPs details does not include the designate officers one level below the Directors as KMP.

6. पट्टे (एएस-19)
LEASES (AS-19)

क) लीज़ /किराए आधार पर ली गई बैंक के विकल्प पर नवीकृत / रद्द की जा सकती हैं.

a) The properties taken on lease/ rental basis are renewable/ cancellable at the option of the Bank.

ख) बैंक द्वारा लिए गए लीज़, आपसी सहमति से कैलेंडर माह का लिखित में नोटिस देते हुए लीज अवधि के दौरान भी लीज को समाप्त करने के विकल्प सहित सहमत अवधि के लिए है.

b) The lease entered into by the Bank are for agreed period with an option to terminate the leases even during the tenure of lease period by giving mutually agreed calendar month notice in writing.

ग) परिचालनगत लीज के लिए भुगतान किए गए लीज़ किराए को, इससे संबंधित वर्ष में लाभ एवं हानि लेखे में व्यय के रूप में स्वीकार किया गया था. वर्ष के दौरान निर्धारित लीज़ किराया ₹ 339.79 करोड़ (₹ 303.42 करोड़) है.

c) Lease rent paid for operating leases are recognised as an expense in the Profit & Loss account in the year to which it relates. The lease rent recognised during the year is ₹ 339.79 Crore (₹ 303.42 Crore).

7. प्रति शेयर आय (ईपीएस) (एएस-20)
EARNINGS PER SHARE (EPS) (AS-20)

(₹ करोड़ में)/ (₹ in crore)

विवरण / Particulars	31 मार्च 2020 March 31, 2020	31 मार्च 2019 March 31, 2019
ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिया गया निवल लाभ/ हानि (₹ करोड़ में) Net profit/ (loss) considered for EPS calculation (₹ in Crore)	(12 887.33)	(15 116.29)
मूल ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिए गये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of equity shares considered for Basic EPS	88994 97 497	49591 43 791

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

विवरण / Particulars	31 मार्च 2020 March 31, 2020	31 मार्च 2019 March 31, 2019
जोड़ें : मंजूर किए गए ईसॉप का न्यूनीकृत प्रभाव Add: Dilutive impact of ESOP granted	-	-
न्यूनीकृत ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिए गये इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of equity shares considered for Diluted EPS	88994 97 497	49591 43 791
ईपीएस (मूल) (₹) / EPS (Basic) (₹)	(14.48)	(30.48)
ईपीएस (न्यूनीकृत) (₹) / EPS (Diluted) (₹)	(14.48)	(30.48)
प्रति इक्विटी शेयर का अंकित मूल्य (₹) Face value per Equity share (₹)	10.00	10.00

8. आय पर करों के लिए लेखांकन (एएस-22)
ACCOUNTING FOR TAXES ON INCOME (AS-22)

समय अंतराल के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर आस्तियों एवं आस्थगित कर देयता का घटक नीचे दिया गया है :
The Component of Deferred Tax Assets and Deferred Tax Liability arising out of timing difference is as follows:

(₹ करोड़ में) / (₹ in crores)

विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2020 को As at March 2020	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020	यथा 31 मार्च 2019 को As at March 2019
आस्थगित कर देयता / Deferred Tax Liability			
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास / Depreciation on fixed assets	8.10	(10.62)	18.72
आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिज़र्व Special Reserve created and maintained u/s 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961	307.71	(136.37)	444.08
कुल (अ) / Total (A)	**315.81**	**(146.99)**	**462.80**
आस्थगित कर आस्ति / Deferred Tax Asset			
एनपीए तथा अन्य प्रावधानों से संबंधित अस्वीकृति जो आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अनुमत नहीं है Disallowance related to NPA and other provisions not allowed under Income Tax Act, 1961	10,634.16	(2,214.49)	12,848.65
आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों से संबंधित अस्वीकृति Disallowance related to Provisions of Income Tax Act, 1961	160.60	(35.86)	196.45
शामिल नहीं किए गए मूल्यह्रास / Unabsorbed depreciation	117.08	66.02	51.06
कारोबार में हानि / Business Loss	5,153.55	(1,882.56)	7,036.11
कुल (आ) / Total (B)	**16,065.39**	**(4,066.89)**	**20,132.28**
आस्थगित कर देयता / (आस्ति)(निवल)(अ)-(आ) Deferred tax liability/ (asset) (net) (A) – (B)	**(15,749.58)**	**(3,919.90)**	**(19,669.48)**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

बैंक अपने रिवर्सल की पूर्ण निश्चितता को ध्यान रखते हुए आस्थागीत कर आस्ति (डीटीए) का अभिनिर्धारण कर रहा है जिसमें कारोबार हानि पर डीटीए भी शामिल है. बैंक ने वर्ष 2020 की तीसरी तिमाही के दौरान कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा पेश किए गए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115बीएए के तहत अनुमत कम कर दर के विकल्प का प्रयोग किया है. तदनुसार, बैंक ने उक्त खंड में निर्धारित कर दर के आधार पर 30 सितंबर 2019 तक पहचान किए गए अपने निवल डीटीए का पुनः मूल्यांकन किया है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय वर्ष 2020 की तीसरी तिमाही में ₹ 6273.04 करोड़ का एकबारगी रिवर्सल हुआ है.

Bank is recognizing Deferred tax asset (DTA) including that on business loss keeping in view the virtual certainty of its reversal. The Bank has exercised the option of lower tax rate permitted under section 115BAA of the Income-tax Act, 1961 as introduced by the Taxation Laws (Amendment) Act, 2019 during Q3 of FY 2020. Accordingly, the Bank has re-measured its net DTA recognized till Sept 30, 2019 based on the tax rate prescribed in the said section, resulting into a One-Time reversal of ₹ 6273.04 crore in Q3 of FY 2020.

कराधान के लिए प्रावधान / Provision of Taxation

(₹ करोड़ में) / (₹ in crores)

विवरण / Particulars	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2019
आयकर / Income Tax	शून्य / Nil	शून्य / Nil

9. एएस-24 परिचालन बंद करना / AS-24 DISCONTINUING OPERATIONS

01.04.2019 से 31.03.2020 की अवधि केदौरान, बैंक ने अपने परिचालनों में से कोई परिचालन बंद नहीं किया है, जिसके परिणाम स्वरूप देयता से मुक्ति मिली हो और आस्तियों की वसूली हुई हो.

During the period from 01.04.2019 to 31.03.2020, the Bank has not discontinued operations of any of its operations, which resulted in shedding of liability and realisation of the assets.

10. आकस्मिक देयताओं का विवरण* / DESCRIPTION OF CONTINGENT LIABILITIES*

क्रम.सं. S. No.	आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief description
I	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें कर्ज नहीं माना गया है. Claims against the Bank not acknowledged as debts	यह मद सामान्य कारोबार के अंतर्गत बैंक के प्रति विधिक मामलों में की गई कतिपय मांगों तथा परिचालन मामलों व धोखाधड़ी के मामलों में उत्पन्न ग्राहक के दावों को दर्शाती है. बैंक को ऐसी कोई आशा नहीं है कि इन कार्यवाहियों के कारण बैंक की वित्तीय स्थिति, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाह पर आर्थिक रूप से कोई विपरीत असर पड़ेगा. This item represents certain demands made in legal matters against the Bank in the normal course of business and customer claims arising in operational issues and fraud cases. The Bank does not expect the outcome of these proceedings to have a material adverse effect on the Bank's financial conditions, results of operations or cash flows.
II	ग्राहकों की ओर से भारत में व भारत से बाहर दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents in India and outside India	अपने बैंकिंग कार्यकलापों के भाग के रूप में बैंक अपने ग्राहकों की ओर से गारंटियां जारी करता है. गारंटी सामान्यतः इस अप्रतिसंहरणीय आश्वासन को प्रदर्शित करती है कि ग्राहक द्वारा अपने वित्तीय या कार्यनिष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर बैंक भुगतान करेगा. As a part of its Banking activities, the Bank issues guarantees on behalf of its customers. Guarantees generally represent irrevocable assurances that the Bank will make payments in the event of customer failing to fulfil its financial or performance obligations.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

क्रम.सं. S. No.	आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief description
III	स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	यह मद ग्राहक की ऋण अवस्थिति में संवृद्धि को ध्यान में रखकर व्यापार वित्त बैंकिंग गतिविधियों के भाग के रूप में, बैंक द्वारा अपने ग्राहकों की तरफ से अन्य पक्षकारों के पक्ष में जारी गारंटियों और दस्तावेजी ऋणों को प्रदर्शित करती है. इन लिखतों के माध्यम से बैंक अपने ग्राहकों के दायित्वों के लिए सीधे या ग्राहक द्वारा अपने वित्तीय या कार्यनिष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर भुगतान की जिम्मेदारी लेता है. This item represents the documentary credits issued by the Bank in favour of third parties on behalf of its customers, as part of its trade finance Banking activities with a view to augment the customers credit standing. Through these instruments, the Bank undertakes to make payments for its customers obligations, either directly or in case the customer fails to fulfil their financial or performance obligations.
IV	ब्याज दर एवं मुद्रा अदला-बदली तथा ऋण चूक अदला-बदली के संबंध में देयता Liability in respect of interest rate and currency swaps and credit default swaps.	यह मद विविध डेरिवेटिव लिखतों की कल्पित मूल राशि को दर्शाती है जिसका दायित्व बैंक अपने सामान्य कारोबार के क्रम में उठाता है. बैंक अपने ग्राहकों को ये उत्पाद उन्हें अपने विदेशी मुद्रा विनिमय और ब्याज दर जोखिमों को अंतरित करने, संशोधित करने या कम करने में सक्षम बनाने के लिए ऑफर करता है. बैंक अपनी ब्याज दर और विदेशी मुद्रा स्थितियों के प्रबंधन करने के लिए भी ये संविदाएं करता है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाजार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणाम-स्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार और इसके कारण पोर्टफोलियो संबंधी सकल कल्पित मूलधन का वृद्द मूल्य उत्पन्न होता है, जबकि निवल बाजार जोखिम कम होता है. This item represents the notional principal amount of various derivative instruments which the Bank undertakes in its normal course of business. The Bank offers these products to its customers to enable them to transfer, modify or reduce their foreign exchange and interest rate risks. The Bank also undertakes these contracts to manage its own interest rate and foreign exchange positions. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-Bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions and hence a large value of gross notional principal of the portfolio, while the net market risk is lower. बैंक भारतीय कॉरपोरेट बाण्डों से जुड़े ऋण जोखिमों के प्रबंधन के लिए ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) की हामीदारी करता है. The Bank underwrites Credit Default Swap (CDS) transaction for managing credit risks associated with Indian Corporate Bonds.
V	अन्य डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में देयता Liability in respect of other derivative contracts.	यह मद विविध मुद्रा विकल्पों की कल्पित मूल राशि को दर्शाती है जिसका दायित्व बैंक अपने सामान्य कारोबार के क्रम में उठाता है. बैंक अपने ग्राहकों को ये उत्पाद उन्हें अपने विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिमों को कम करने में सक्षम बनाने के लिए ऑफर करता है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाजार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणाम-स्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार उत्पन्न होता है, जबकि निवल बाजार जोखिम कम होता है. This item represents the notional principal amount of various currency options which the Bank undertakes in its normal course of business. The Bank offers these products to its customers to enable them to reduce their foreign exchange risks. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-Bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions, while the net market risk is lower.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

क्रम.सं. S. No.	आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief description
VI	विवादित आयकर, ब्याज कर, दंड एवं ब्याज मांग के कारण देयता Liability on account of disputed Income tax, interest tax, penalty and Interest demands	बैंक विचाराधीन अपीलों संबंधी विविध कराधीन मामलों में पक्षकार है. बैंक आशा करता है कि मामलों के तथ्यों और आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के आधार पर अपील प्राधिकारियों द्वारा पिछले वर्ष समान मामलों में दिए गए निर्णयों के आधार पर, इन अपीलों के भी निर्णय अनुकूल होंगे. The Bank is a party to various taxation matters in respect of which appeals are pending. The Bank expects the outcome of the appeals to be favourable based on decisions on similar issues in the previous years by the appellate authorities, based on the facts of the case and the provisions of Income Tax Act, 1961.
VII	अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से दायी है Others items for which the Bank is contingently liable	इस मद में निम्नलिखित शामिल हैं: This item represents the following : क) सामान्य कारोबार कार्यकलाप के भाग के रूप में बैंक द्वारा स्वयं अपनी ओर से सांविधिक प्राधिकारियों तथा अन्य के पक्ष में जारी की गईं गारंटियां और a) the guarantees issued by the Bank in favour of statutory authorities and others on its own behalf, as part of normal business activity and ख) जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ) में अंतरित राशि- b) the amount transferred to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)- जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ) योजना 2014 के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक उन ग्राहकों के संबंध में जिनके खाते 10 वर्ष से ज्यादा समय से परिचालित नहीं किए गए हैं अथवा राशियों का दावा नहीं किया गया है, उपचित ब्याज सहित अदावी राशियों को 'रिज़र्व बैंक डीईएएफ निधि' में अंतरित करता है. In terms of guidelines of Depositor Education and Awareness Fund (DEAF) Scheme 2014, the Bank transfers unclaimed amounts including interest accrued pertaining to customers whose accounts were not operated or amounts were not claimed for more than 10 years to 'RBI DEAF Fund'.

ख. दीर्घावधि संविदाएं
B. Long term contracts

बैंक के पास एक प्रक्रिया है जिसमें आवधिक आधार पर डेरिवेटिव संविदाओं सहित सभी दीर्घावधि संविदाओं का कल्पित भौतिक हानियों के लिए मूल्यांकन किया जाता है. वर्ष के अंत में बैंक ने इसकी समीक्षा की तथा सुनिश्चित किया कि डेरिवेटिव संविदाओं सहित ऐसी दीर्घावधि संविदाओं पर कल्पित भौतिक हानि के लिए लेखा बहियों में किसी विधि / लेखांकन मानदंडों के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं.

The Bank has a process whereby periodically all long term contracts including derivative contracts are assessed for material foreseeable losses. At the year end, the Bank has reviewed and ensured that adequate provision as required under any law/ accounting standards for material foreseeable losses on such long term contracts including derivative contracts has been made in the books of account.

ग. लंबित मुकदमे
C. Pending litigations

बैंक के लंबित मुकदमों में मुख्य रूप से उधारकर्ताओं, ग्राहकों द्वारा बैंक के प्रति किए गए दावे और आयकर प्राधिकारियों के पास लंबित कार्यवाहियाँ शामिल हैं. बैंक ने अपने सभी लंबित मुकदमों और कार्यवाहियों की समीक्षा की है और जहां प्रावधान अपेक्षित है वहाँ पर्याप्त प्रावधान किए हैं तथा अपने वित्तीय विवरणों में जहां लागू है वहाँ आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया है.

The Bank's pending litigations comprise of claims against the Bank primarily by the borrowers, customers and proceedings pending with Income Tax authorities. The Bank has reviewed all its pending litigations and proceedings and has adequately provided for where provisions are required and disclosed the contingent liabilities where applicable, in its financial statements.

* मात्रात्मक प्रकटन के लिए अनुसूची-12 आकस्मिक देयताएं देखें.

*Refer Schedule-12- Contingent Liabilities for quantitative disclosure.

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

ग. अन्य प्रकटन
C OTHER DISCLOSURES

I. वर्ष के दौरान भारत सरकार तथा भारतीय जीवन बीमा निगम को अधिमानी आधार पर निम्नानुसार इक्विटी शेयर आबंटित किए गए :
During the year Equity shares were allotted to Government of India and Life Insurance Corporation of India on preferential basis as under:

लाभार्थी / Beneficiary	आबंटन प्रकार Type of allotment	राशि Amount (₹ करोड़ में) (₹ in Crore)	शेयरों की संख्या No. of Shares (अंकित मूल्य प्रत्येक ₹ 10) (Face value ₹ 10 each)	निर्गम मूल्य Issue Price (₹ में) (in ₹)	शेयर प्रीमियम प्रति शेयर Share premium per share (₹ में) (in ₹)	आबंटन की तारीख Date of Allotment
भारत सरकार Government of India	i. अधिमानी Preferential	4,557.00	1295706568	35.17	25.17	23/10/2019
भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) Life Insurance Corporation of India(LIC)	i. अधिमानी Preferential	4,743.00	1348592550	35.17	25.17	23/10/2019
अन्य कोई / Any other	शून्य / NIL					

II. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएँ विभाग ने 5 सितंबर 2016 के अपने पत्र के जरिए बैंक को सूचित किया कि वह 2006 में किए गए भारग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ) के आस्ति विनिमय के निवल प्रभाव का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत सरकार को ₹ 1064.27 करोड़ मूल्य की प्रतिभूतियां अभ्यर्पित करे. ये प्रतिभूतियां एसएएसएफ के प्रति सितंबर 2004 में भारत सरकार द्वारा बैंक को जारी की गई ऐसी ₹ 9000 करोड़ की प्रतिभूतियों का भाग हैं. ये सितबर 2024 में परिपक्व होने वाली 20 वर्षीय प्रतिभूतियां हैं. वित्तीय वर्ष 2016-17 की दूसरी तिमाही से आरंभ 11 तिमाहियों में इन प्रतिभूतियों को अभ्यर्पित करने के लिए भारत सरकार द्वारा दिनांक 27 जुलाई 2017 के अपने पत्र द्वारा अनुमोदन दिया गया था. तद्नुसार, 31 मार्च 2019 को एसएएसएफ़ खाते से बट्टे खाते में डाली गयी कुल प्रतिभूतियों की राशि ₹ 1064.27 करोड़ है. इस प्रकार से बट्टे खाते में डाली गयी संपूर्ण राशि को पूरा कर लिया गया है. तथापि, भारत सरकार की अधिसूचना के लंबित होने के कारण बट्टे खाते में डाली गयी ये प्रतिभूतियां यथा 31 मार्च 2020 को एसजीएल खाते में दर्शायी गई हैं जिसके परिणामस्वरूप एसजीएल खाते में समान राशि का अंतर आया है.
The Government of India (GoI), Ministry of Finance, Department of Financial Services vide its letter dated 5th September 2016, advised the Bank to surrender securities of ₹ 1064.27 crore to the GoI representing net impact of the asset exchange of Stressed Assets Stabilisation Fund (SASF) done by the Bank in 2006. These securities form part of ₹ 9000 crore of such securities issued to the Bank by GoI in September 2004 against SASF. These are 20 years securities maturing in September 2024. As per the approval from GoI vide its letter dated July 27, 2017 to surrender these securities in 11 quarters commencing from quarter II of FY 2016-17. Accordingly as on March 31, 2019, total securities written off from SASF account stands at ₹1064.27 cr. Thus the full written off has been completed. However, these written off securities are reflected in SGL account as on March 31, 2020 due to pending Government notification for redemption, which resulted in difference of the same amount in SGL account.

III. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय के लिए नोट : / Notes to Corporate Social Responsibility (CSR) expenditure:

क. वर्ष के दौरान व्यय की जाने वाली सकल राशि: ₹ शून्य (₹ 0.25 करोड़)
a. Gross amount required to be spent by the Bank during the year: ₹ Nil (₹ 0.25 crore)

ख. वर्ष के दौरान व्यय राशि:
b. Amount spent during the year:

(₹ in crore)

विवरण / Particulars	वित्तीय वर्ष 2019-20 FY 2019-20	वित्तीय वर्ष 2018-19 FY 2018-19
नकद में / In cash	शून्य / Nil	0.25
नकद भुगतान किया जाना है / Yet to be paid in cash	शून्य / Nil	शून्य / Nil
कुल / Total	**शून्य /Nil**	**0.25**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

IV. वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गयी धोखाधड़ी और किए गए प्रावधान:
Fraud Reported and Provision made during the Year :

रिज़र्व बैंक के दिनांक 18-01-2016 के परिपत्र संख्या आरबीआई/2015-16/376 डीबीआर. सं. बीपी. बीसी. 92/21.04.048/2015-16 के अनुसार प्रावधान संबंधी मानदंडों में संशोधन के कारण धोखाधड़ी खातों से संबंधित प्रावधान.
Provisioning pertaining to fraud accounts due to amendment in provisioning norms as per RBI Circular no. RBI/2015-16/376 DBR. No.BP.BC.92/21.04.048/2015-16 Dated 18-01-2016.

(₹ करोड़ में)/ (₹ in crore)

श्रेणी / Category	वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी मामलों की संख्या No. of Fraud cases reported during the FY 2019-20	वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी मामलों में शामिल राशि Amount involved in fraud reported during the FY 2019-20	वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान किए गए प्रावधानों मात्रा Quantum of Provision during the FY 2019-20	अन्य रिज़र्व से नामे किए गए गैर-परिशोधित प्रावधानों की मात्रा Quantum of Un-amortised Provisions debited from other reserves
उधारकर्ता / Borrower	**214**	**9,233.33**	**9,174.04**	**NA**
गैर-उधारकर्ता / Non-Borrower	1,904	17.31	5.86	NA
कुल / Total	**2,118**	**9,250.64**	**9,179.90**	**NA**

V. एमएसएमई क्षेत्र - कार्यान्वित अग्रिम समाधान योजनाओं की पुनर्संरचना

MSME Sector - Restructuing of Advances Resolution Plans Implemented

एमएसएमई अग्रिमों के पुनर्संरचना से संबंधित आरबीआई के दिनांक 01 जनवरी 2019 के परिपत्र डीबीआर नं. बीपी. बीसी.18/ 21.04.048/ 2018-19 और दिनांक 11 फरवरी 2020 के आरबीआई / 2019-20/ 160/ डीओआर. नं.बीपी.बीसी.34/21.04.048/2019-20 के अनुसार, बैंक ने 31 मार्च, 2020 तक ₹ 50.75 करोड़ तक की राशि के 502 खातों की पुनर्संरचना की और उन्हें मानक आस्ति के रूप में माना गया.
In accordance with the RBI circular DBR No BP.BC.18/21.04.048/2018-19 dated January 01, 2019 and RBI/2019-20/160 DOR.No.BP.BC.34/21.04.048/2019-20 dated February 11, 2020 on Restructuring of MSME Advances, the Bank has restructured 502 accounts amounting to ₹ 50.75 crore upto March 31, 2020 and treated them as standard assets.

VI. आरबीआई के दिनांक 07 जून 2019 के परिपत्र सं.: आरबीआई/2018-19/203 डीबीआर. नं. बीपी. बीसी. 45/21.04.048/2018-19 के अनुसार दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए विवेकपूर्ण ढांचा.
Prudential Framework for Resolution of Stressed Assets as per RBI Circular No: RBI/2018-2019/203DBR. No.BP.BC. 45/21.04.048/2018-19 Dated June 07, 2019 .

(₹ करोड़ में)/(₹ in crore)

क्रम सं. Sr. No.	आरपी कार्यान्वयन की स्थिति Status of RP Implementation	मामले Cases	बकाया शेष (एफ़बी) O/S Balance(FB)	कुल धारित प्रावधान Total Provision Held	विलंबित कार्यान्वयन हेतु प्रावधान (यदि कोई हो) Provision for Delayed Implementation (if any)
1	कार्यान्वित / Implemented	11	3,979.00	843.00	0.00
2	गैर-कार्यान्वित Non implemented	26	12,435.86	10,134.25	419.74
	कुल / Total	**37**	**16,413.27**	**10,976.45**	**419.74**

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

VII. रिज़र्व से आहरण द्वारा कमी / Draw Down from Reserves

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

क्रम सं Sr. No.	रिज़र्व / Reserves	2019-20	2018-19	उद्देश्य / Purpose
1	सांविधिक रिजर्व Statutory Reserve	शून्य / NIL	शून्य / NIL	लागू नहीं / NA

VIII. सूचीबद्ध इक्विटी निवेश से चालू बाज़ार मूल्य (सीएमपी) और ₹ 1/- तक के अवलेखन के लिए वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान त्वरित प्रावधान का प्रकटन

Disclosure of Accelerated Provision during FY 2019-2020 for Listed Equity Investment to Current Market Value(CMP) and written Down to Re.1/-.

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

क्रम सं Sr. No.	No. of Companies	Accelerated Provision Amount	Book Cost Amount
1	13	306.55	877.67

IX. रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार 10% से अधिक की धारिता वाले आंशिक रूप से बट्टे खाते में डाले गए इक्विटी निवेशों का प्रकटन - वित्तीय वर्ष 2019-20

Disclosure of Partially Write off Equity Investments having more than 10% holding as per RBI Directions - FY19-20

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

क्रम सं Sr. No.	कंपनियों की संख्या / No. of Companies	बही लागत राशि की आंशिक रूप से बट्टे खाते में डाली गई राशि Partial Write Off of Book Cost Amount
1	शून्य / NIL	शून्य / NIL

X. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम से संबंधित कुछ प्रकटीकरण करना आवश्यक है. बैंक अपने आपूर्तिकर्ताओं से उक्त अधिनियम के तहत उनके कवरेज के बारे में संबंधित सूचना संकलित करने की प्रक्रिया में है. प्रबंधन की राय में इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार देय ब्याज, यदि कोई है, का प्रभाव महत्वपूर्ण नहीं होने की उम्मीद है.

Pursuant to the provisions of Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006, certain disclosures are required to be made relating to Micro, small & medium enterprise. The Bank is in the process of compiling relevant information from its suppliers about their coverage under the said Act. In view of the management, the impact of interest relating to vendor payments, if any, that may be payable in accordance with the provisions of this Act is not expected to be material.

XI. पूंजीगत खाते पर निष्पादन के लिए शेष रही संविदाओं के संबंध में अनुमानित पूंजी राशि (अग्रिमों को घटाकर) और जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया ₹ 120.98 करोड़ (₹ 118.39 करोड़) है.

Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account (net of advances) and not provided for is ₹ 120.98 crore (₹118.39 crore).

XII. वेतन संशोधन पर उद्योग व्यापी द्विपक्षीय समझौते के लंबित रहने (नवंबर 2017 से देय) को ध्यान में रखते हुए बैंक ने वर्ष के दौरान इस मद के लिए अनुमानित आधार पर ₹ 58 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है (यथा 31 मार्च 2020 को संचयी प्रावधान की कुल राशि ₹ 420 करोड़ थी).

Pending industry wide bipartite settlement on wage revision (due with effect from November 2017), a sum of ₹ 58 crore has been provided by the Bank during the quarter on this account on estimated basis. (Cumulative provision held as on March 31, 2020 was ₹ 420 crore).

XIII. अन्य देयताओं में पूर्ववर्ती भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (पूर्ववर्ती-आईडीबीआई), एक सांविधिक कॉर्पोरेशन द्वारा घोषित लाभांश के संबंध में वर्ष 1995 से 2003 तक के लिए देय लाभांश के रूप में ₹ 7.06 करोड़ शामिल हैं. एसीबी द्वारा निर्देशित अनुसार बैंक द्वारा प्राप्त की गई विधिक राय के अनुपालन में बैंक ने उन शेयरधारकों से संपर्क करने हेतु सभी प्रभावी कदम उठाए हैं जिनके लाभांश अदावी/ अदत्त रहे हैं और इस संबंध में प्राप्त वैध अनुरोधों के आधार पर भुगतान जारी किया है. इसके अलावा उक्त विधिक राय के अनुपालन में बैंक ने पूर्ववर्ती आईडीबीआई से संबंधित उक्त

वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Financial Statements

अदावी लाभांश राशि को ग्राहक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ़) में अंतरित करने की वैधानिकता के बारे में अभिमत प्राप्त करने हेतु इस मामले को कंपनी कार्य मंत्रालय (एमसीए) को भी संदर्भित किया है और और एमसीए और आईईपीएफ प्राधिकरण से लगातार फॉलो-अप किया जा रहा है जिनके उत्तरों की प्रतीक्षा है.

Other Liabilities include ₹ 7.06 crore as dividend payable pertaining to the years 1995 to 2003 in relation to the dividend declared by erstwhile Industrial Development Bank of India (e-IDBI), a Statutory Corporation. In compliance with the Legal Opinion obtained by the Bank as directed by ACB, the Bank has taken all effective steps to reach out to the shareholders whose dividend remained unclaimed/unpaid and has released payment based on valid requests received in this regard. Further, in compliance with the said Legal Opinion, the Bank had also referred the matter to Ministry of Corporate Affairs (MCA) as well as IEPF Authority seeking their advice/ directions about the legality of transferring the said unclaimed dividend amount pertaining to e-IDBI to Investor Education and Protection Fund (IEPF) and has been regularly following up with MCA and IEPF Authority, from whom the response is awaited.

XIV. पिछले वर्ष के आंकड़े कोष्ठक में दिये गए हैं और चालू वर्ष के लिए की गई प्रस्तुति से पुष्टि के लिए उन्हें कोष्टक में पुनर्समूहित/ पुनर्व्यस्थित किया गया है.

Figures of the previous year, are disclosed in brackets and are regrouped/ rearranged, so as to confirm with the presentation made for the current year.

लेखों की अनुसूची '1' से '18' के लिए हस्ताक्षर
Signatures to Schedules '1' to '18' of Accounts

बोर्ड के आदेश से
BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा) (Rakesh Sharma) प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Managing Director & Chief Executive Officer (डीआईएन/DIN: 06846594)	(सैम्युअल जोसेफ जेबराज) (Samuel Joseph Jebaraj) उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director (डीआईएन/DIN: 02262530)	(सुरेश खटनहार) (Suresh Khatanhar) उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director (डीआईएन/DIN: 03022106)	(समरेश परिदा) (Samaresh Parida) निदेशक Director (डीआईएन/(DIN: 01853823)	(अजय शर्मा) (Ajay Sharma) कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी Executive Director & Chief Financial Officer	(पवन अग्रवाल) (Pawan Agrawal) कंपनी सचिव Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते के. एस. अय्यर एंड कं. For K. S. Aiyar & Co. सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 100186W सतीश केलकर Satish Kelkar साझेदार (स. सं. 038934)/ Partner (M.No. 038934)	कृते जेएलएन यूएस एंड कं. For JLN US & Co. सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101543W रमाप्रसन्न अग्रवाल Ramaprasanna Agarwal साझेदार (स. सं. 119693)/ Partner (M.No. 119693)	कृते एम. पी. चितले एंड कं. For M. P. Chitale & Co. सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101851W आशुतोष पेडणेकर Ashutosh Pednekar साझेदार (स. सं. 041037)/ Partner (M.No. 041037)

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 30 मई 2020/ Date: May 30, 2020

नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2020

(₹ 000 में / ₹ in 000's)

		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2020	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2019
अ. A.	**परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह Cash flow from Operating Activities**		
(1)	**कर और असाधारण मदों से पूर्व निवल लाभ Net profit before tax and extra-ordinary items**	(8967 43 52)	(22827 16 48)
(2)	**गैर-नकदी मदों के लिए समायोजन Adjustments for non cash items:**		
	अचल आस्तियों की बिक्री से (लाभ)/हानि (निवल) (Profit) / Loss on sale of Fixed Assets (Net)	4 76 34	72 56 72
	मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यन रिज़र्व घटाकर) Depreciation (Net of Revaluation Reserve)	390 67 66	366 44 06
	प्रावधान/ ऋणों को बट्टे खाते डालना / निवेश तथा अन्य प्रावधान Provisions/ Write off of Loans/ Investments and other provisions	14085 79 10	26886 80 20
	निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ/(हानि) (Profit)/ Loss on revaluation of Investments	0	0
		5513 79 58	**4498 64 50**
(3)	**परिचालन आस्तियों में (वृद्धि)/ कमी के लिए समायोजन Adjustments for (increase)/ decrease in operating assets:**		
	- निवेश / Investments	9590 39 50	(3076 49 77)
	- अग्रिम / Advances	4902 44 70	961 70 12
	- अन्य आस्तियां / Other assets	(2870 50 36)	2658 19 27
	- करों की वापसी / (भुगतान) / Refund / (payment) of taxes	(917 41 77)	(936 08 15)
(4)	**परिचालन देयताओं में वृद्धि / (कमी) के लिए समायोजन: Adjustments for increase/ (decrease) in operating liabilities:**		
	- उधार राशियां / Borrowings	(8538 86 78)	(17897 80 33)
	- जमा राशियां / Deposits	(4947 59 96)	(20559 88 63)
	- अन्य देयताएं एवं प्रावधान/- Other liabilities and provisions	(2541 90 96)	161 09 17
	परिचालन कार्यकलापों में प्रयुक्त / से उत्पन्न निवल नकदी Net cash used in/generated from Operating activities	**190 33 95**	**(34190 63 82)**
आ./ B.	**निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह Cash flow from investing activities**		
	अचल आस्तियों की खरीद (बिक्री घटाकर) Purchase (net of sale) of Fixed Assets	(293 63 35)	114 10 67
	निवेश कार्यकलापों में प्रयुक्त/ से जुटाई गई निवल नकदी **Net cash used in / raised from Investing activities**	**(293 63 35)**	**114 10 67**

नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2020

(₹ 000 में / ₹ in 000's)

	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2020	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2019
इ. वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह		
C. CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
- इक्विटी शेयरों का निर्गम / Issue of Equity Shares	9300 00 00	21624 14 56
- आबंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन राशि/ - Share application money pending allotment	0	0
- प्रदत्त लाभांश तथा लाभांश कर / Dividend and Dividend Tax paid	0	0
वित्तपोषण कार्यकलापों में प्रयुक्त / से जुटाई गई निवल नकदी **Net cash used in / raised from Financing activities**	**9300 00 00**	**21624 14 56**
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी) NET INCREASE/ (DECREASE) IN CASH & CASH EQUIVALENTS	9196 70 60	(12452 38 61)
प्रारंभिक नकदी और नकदी समतुल्य / OPENING CASH & CASH EQUIVALENTS	21233 69 95	33686 08 56
अंतिम नकदी और नकदी समतुल्य / CLOSING CASH & CASH EQUIVALENTS	**30430 40 55**	**21233 69 95**
नकदी प्रवाह विवरण के लिए टिप्पणी:/ Note to Cash Flow Statement:		
नकदी प्रवाह विवरण में शामिल नकदी और नकदी समतुल्य में निम्नलिखित तुलन पत्र मदें शामिल हैं: Cash and Cash equivalents included in the cash flow statement comprise the following Balance Sheet items:		
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष (अनुसूची 6) Cash & Balances with Reserve Bank of India (Schedule 6)	10538 83 41	12730 46 84
बैंकों के पास शेष राशि तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Balances with banks & money at call and short notice (Schedule 7)	19891 57 14	8503 23 11
कुल / TOTAL	**30430 40 55**	**21233 69 95**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां (अनुसूची 17 और 18)
Significant Accounting Policies and Notes to Accounts (Schedule 17 and 18)

The Schedules referred to above form an integral part of the Financial Statements.

बोर्ड के आदेश से
BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा) (Rakesh Sharma)	(सैम्युअल जोसेफ जेबराज) (Samuel Joseph Jebaraj)	(सुरेश खटनहार) (Suresh Khatanhar)	(समरेश परिदा) (Samaresh Parida)	(अजय शर्मा) (Ajay Sharma)	(पवन अग्रवाल) (Pawan Agrawal)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Managing Director & Chief Executive Officer (डीआईएन/DIN: 06846594)	उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director (डीआईएन/DIN: 02262530)	उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director (डीआईएन/DIN: 03022106)	निदेशक Director (डीआईएन/(DIN: 01853823)	कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी Executive Director & Chief Financial Officer	कंपनी सचिव Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते के. एस. अय्यर एंड कं. For K. S. Aiyar & Co.	कृते जेएलएन यूएस एंड कं. For JLN US & Co.	कृते एम. पी. चितले एंड कं. For M. P. Chitale & Co.
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants	सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants	सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 100186W	फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101543W	फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101851W
सतीश केलकर Satish Kelkar	रमाप्रसन्न अग्रवाल Ramaprasanna Agarwal	आशुतोष पेडणेकर Ashutosh Pednekar
साझेदार (स. सं. 038934)/ Partner (M.No. 038934)	साझेदार (स. सं. 119693)/ Partner (M.No. 119693)	साझेदार (स. सं. 041037)/ Partner (M.No. 041037)

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 30 मई 2020/ Date: May 30, 2020

स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट
Independent Auditor's Report

प्रति,

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के सदस्यगण

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखा-परीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

हमने आईडीबीआई बैंक लिमिटेड ('बैंक'), इसकी सहायक संस्थाओं, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त उद्यम (सामूहिक रूप से 'समूह' के रूप में निर्दिष्ट) के संलग्न समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा की है जिनमें 31 मार्च 2020 के समेकित तुलन पत्र, उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए समेकित लाभ-हानि लेखे, समेकित नकदी प्रवाह विवरण और संलग्न महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों के सारांश तथा अन्य व्याख्यात्मक जानकारी शामिल है. इनमें निम्नलिखित को शामिल किया गया है:

i) आईडीबीआई बैंक लि. (बैंक) के लेखापरीक्षित लेखे जो दिनांक 30 मई 2020 की हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के जरिए हमारे द्वारा लेखापरीक्षित किए गए थे.

ii) अन्य लेखा परीक्षकों के द्वारा 05 देशी सहायक संस्थाओं और 01 संयुक्त उद्यम के लेखापरीक्षित लेखे.

iii) 04 सहयोगी कंपनियों के अलेखापरीक्षित लेखे.

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी में तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, उक्त वित्तीय विवरण बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949, साथ ही साथ कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों और दिशानिर्देशों के द्वारा बैंकिंग कंपनियों से यथा अपेक्षित जानकारी प्रदान करते हैं और अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ पठित लेखांकन मानकों सहित भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च 2020 को समूह के कार्यों की स्थिति और उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए उसकी हानि तथा नकदी प्रवाह की सही एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं.

अभिमत हेतु आधार

हमने अपनी लेखापरीक्षा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के अंतर्गत लेखापरीक्षा पर विनिर्दिष्ट मानकों (एसए) के अनुरूप की है. उन मानकों (एसए) के अंतर्गत हमारा उत्तरदायित्व हमारी रिपोर्ट की वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु लेखापरीक्षकों के उत्तरदायित्व खंड में वर्णित है. हम वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं तथा कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक आचार संहिता के अनुसार समूह से स्वतंत्र हैं तथा हमने इन आवश्यकताओं एवं आचार संहिता के अनुरूप अन्य नैतिक दायित्वों को पूरा किया है. हमारा विश्वास है कि जो लेखापरीक्षा साक्ष्य हमने प्राप्त किया है वह हमारे अभिमत को आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त और उपयुक्त है.

महत्वपूर्ण विषय

हम टिप्पणी 18(11) की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जिसमें सार्स-सीओवी-2 वायरस (कोविद-19) के प्रकोप के कारण कारोबारी

To,

The Members of IDBI Bank Limited

Report on the Audit of the Consolidated Financial Statements

Opinion

We have audited the accompanying Consolidated Financial Statements of IDBI Bank Limited (the Bank) its subsidiaries, associates and joint venture (collectively known as "the Group") comprising of the consolidated Balance Sheet as at March 31, 2020, the consolidated Profit and Loss Account, the consolidated Statement of Cash Flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information annexed thereto, in which the following are incorporated:

i) Audited accounts of IDBI Bank Limited, audited by us, vide our audit report dated May 30, 2020.

ii) Audited accounts of 05 domestic subsidiaries and 01 joint venture audited by other auditors.

iii) Unaudited accounts of 04 associates.

In our opinion, and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 as well as the Companies Act, 2013 ('Act') and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India, in the manner so required for banking companies and give a true and fair view in conformity with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards prescribed under Section 133 of the Act, read with rules made thereunder, of the state of affairs of the Group as at March 31, 2020 and its loss, and its cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) specified under section 143(10) of the Companies Act, 2013. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Group in accordance with the Code of Ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements under the provisions of the Companies Act, 2013 and the Rules thereunder, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the Code of Ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Emphasis of Matter

We draw attention to Note 18(11) which describes the business uncertainties due to the outbreak of SARS-CoV-2 virus (COVID-19). In view of these uncertainties, the impact

अनिश्चितताओं का उल्लेख किया गया है. इन अनिश्चितताओं को देखते हुए समूह के परिणामों पर प्रभाव मुख्यतः भावी परिवर्तनों पर निर्भर करेगा.

इस मामले में हमारे अभिमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है.

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं जो हमारे व्यावसायिक विवेक के अनुसार चालू अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे. इन मामलों का समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उन पर हमारी राय बनाने में पूर्ण उल्लेख किया गया था तथा हम इन मामलों पर अलग से राय नहीं देते हैं. हमने नीचे वर्णित मामलों का निर्धारण प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के रूप में अपनी रिपोर्ट में किया है:

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षक का जवाब
आस्थगित कर आस्ति की मान्यता और मापन	
बैंक ने यथा 31 मार्च 2020 को ₹15749.58 करोड़ की निवल आस्थगित कर आस्ति का निर्धारण किया है, जिसमें वर्ष के दौरान ₹3919.90 करोड़ का निवल विपर्यय शामिल है. आस्थगित कर आस्ति के निर्धारण और मापन, वस्तुनिष्ठ अनुमान के अलावा भविष्य में लाभों की उपलब्धता और दृश्यता के संबंध में विविध निर्णयों और अनुमानों और साथ ही कोविद -19 महामारी के संभावित प्रभाव पर निर्भर है. आस्थगित कर आस्ति की अभिनिर्धारित राशि में विस्तारित अवधि में लाभ की उपलब्धता की संभावना पूर्वानुमानित की गई है, जिससे अनिश्चितता और उक्त आस्ति में निहित अनुपयुक्त निर्धारण का जोखिम बढ़ा है.	हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं में प्रयोज्य कर कानूनों और बैंक पर लागू संबंधित विनियमों को समझना शामिल था. हमने अपनी नियंत्रण परीक्षण के एक भाग के रूप में निम्नलिखित लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं पूरी कीं: • एएस 22 'आय पर कर के लेखांकन' के अनुसार आस्थगित कर आस्तियों के निर्धारण और मापन के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं का मूल्यांकन; • कोविद-19 के संभावित प्रभाव सहित प्रबंधन द्वारा प्रयुक्त अन्य मापदंडों और अनुमानों के आधार पर लाभों की उपलब्धता की संभावना का मूल्यांकन किया गया, जिसमें से बैंक, निदेशक मंडल द्वारा एकल वित्तीय विवरण स्वीकार करते समय नोट किए गए पूर्वानुमानों के संदर्भ में भविष्य में इस आस्थगित कर आस्ति का उपयोग कर सकेगा. • प्रयोज्य कर दरों के संदर्भ में आस्थगित कर आस्ति का निर्धारण करने में अपनाई गई पद्धति का मूल्यांकन किया गया तथा अंकगणितीय सटीकता का परीक्षण किया गया.

on the Group's results is significantly dependent on future developments.

Our opinion is not modified in respect of this matter.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in the audit of the Consolidated Financial Statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the Consolidated Financial Statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report:

Key Audit Matters	Auditor's Response
Recognition and Measurement of Deferred Tax Asset	
The Bank has recognised a net deferred tax asset of ₹ 15749.58 Crores as on March 31, 2020, including net reversal of ₹ 3919.90 Crores during the year. Besides objective estimation, recognition and measurement of deferred tax asset is based on the judgment and numerous estimates regarding the availability and visibility of profits in the future and also considering probable impact of Covid-19 pandemic. The amount of deferred tax assets recognised presumes availability and forecasting of profits over an extended period of time thus increasing uncertainty and the inherent risk of inappropriate recognition of the said asset.	Our audit procedures involved gaining an understanding of the applicable tax laws and relevant regulations applicable to the Bank. We performed the following audit procedures as part of our controls testing including: • evaluation of the policies used for recognition and measurement of deferred tax assets in accordance with AS 22 Accounting for Taxes on Income; • assessed the probability of the availability of profits based on assumptions and other parameters used by the Management including the probable impact of Covid-19 pandemic against which the Bank will be able to use this deferred tax asset in the future with reference to forecast as noted by the Board of Directors while adopting the standalone financial statements. • assessed the method for determining the Deferred Tax Asset with reference to applicable tax rates and tested the arithmetical accuracy.

अग्रिमों के लिए आय निर्धारण एवं आस्ति वर्गीकरण (आईआरएसी) तथा विनियामक मानदंडों के अनुसार प्रावधानीकरण	
कृपया एकल वित्तीय विवरणों के अंतर्गत गैर-निष्पादक आस्तियों (एनपीए) में परिवर्तन के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की आस्ति गुणवत्ता विषयक टिप्पणी सं. 18 (ए) (x) (I) एवं 18 (ए) (v) (2) तथा गैर-निष्पादक निवेशों (एनपीआई) के संबंध में प्रावधानों और प्रकटनों, साथ ही कोविद-19 महामारी के संभावित प्रभाव के कारण किए गए प्रावधानों के संबंध में एकल वित्तीय विवरणों की टिप्पणी सं. 18 (ए)(x)(14) का संदर्भ लें. अग्रिमों के साथ-साथ निवेशों के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी संबंधित विवेकपूर्ण मानदंडों का अनुपालन एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामला है क्योंकि इसमें तात्विकता तथा बैंक की मौजूदा प्रक्रियाएँ निहित हैं जिनके लिए मानवीय हस्तक्षेप, प्रबंधन अनुमान एवं निर्णय आवश्यक है.	हमारे लेखापरीक्षित दृष्टिकोण के अंतर्गत अग्रिमों और निवेशों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण की रूपरेखा, आंतरिक नियंत्रण की परिचालन प्रभावशीलता और समुचित लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं का परीक्षण शामिल है. इसमें विशेष रूप से निम्न बातें शामिल हैं: • हमने अग्रिमों और निवेशों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण के संबंध में आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुपालन के संबंध में बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन कर उसे समझा है. • हमने अग्रिमों और निवेशों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण के संबंध में मानवीय प्रक्रिया और मानवीय नियंत्रणों सहित प्रमुख आईटी प्रणालियों/एप्लीकेशनों, उनकी डिजाइन और कार्यान्वयन तथा संबंधित नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण किया है. • हमने अभिलिखित राशि की वैधता, ऋण दस्तावेजीकरण की जांच करने के लिए अग्रिमों का परीक्षण किया है. हमने रिजर्व बैंक के लागू दिशानिर्देशों के अनुसार खातों के विवरण, हानि संकेतकों, गैर-निष्पादक आस्तियों के लिए हानि प्रावधानों तथा अग्रिमों और निवेशों के संबंध में आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण एवं प्रावधानीकरण के अनुपालनों की जांच की है;

Income Recognition and Asset Classification of Advances (IRAC) and Provisioning as per regulatory norms	
Please refer to Note nos. 18(A)(X)(I) and 18(A)(V)(2) of the Standalone Financial Statements relating to Asset Quality in respect of movement of Non-Performing Assets (NPAs) and related provisions and disclosures with regard to Non Performing Investments (NPI) respectively as also Note no. 18(A)(X)(14) of the Standalone Financial Statements regarding the provisions made due to the probable impact of Covid-19 pandemic. Compliance of relevant prudential norms issued by the Reserve Bank of India (RBI) in respect of income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances as well as those pertaining to investments is a key audit matter due to materiality involved and the current processes at the Bank which requires manual interventions, management estimates and judgement.	Our audit approach included testing the design, operating effectiveness of internal controls and substantive audit procedures in respect of income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances and investments. In particular: • we have evaluated and understood the Bank's internal control system in adhering to the relevant RBI guidelines regarding income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances and investments; • we have tested key IT systems/ applications used and their design and implementation as well as operational effectiveness of relevant controls, including involvement of manual process and manual controls in relation to income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances and investments; • we have test checked advances to examine the validity of the recorded amounts, loan documentation, examined the statement of accounts, indicators of impairment, impairment provision for non-performing assets, and compliance with income recognition, asset classification and provisioning pertaining to advances in terms of applicable RBI guidelines;

	• हमने प्रबंधन निर्णय की पुरानी प्रवृत्तियों, अभिशासन प्रक्रिया और हानि प्रावधान गणनाओं के समीक्षात्मक नियंत्रण का मूल्यांकन किया है तथा बैंक के शीर्ष तथा वरिष्ठ प्रबंधन से प्रावधानों पर विमर्श किया है.

आईटी प्रणाली और वित्तीय रिपोर्टिंग पर नियंत्रण

बैंक की प्रमुख वित्तीय लेखांकन व रिपोर्टिंग प्रक्रियाएँ कोर बैंकिंग और ट्रेजरी समाधानों तथा अन्य सहायक सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर नियंत्रणों पर इतनी ज्यादा निर्भर हैं कि आईटी नियंत्रण में कमी होने पर वित्तीय लेखांकन व रिपोर्टिंग रेकॉर्ड्स के तात्विक रूप से गलत होने का जोखिम बना रहता है. इसलिए उपयुक्त आईटी नियंत्रण अपेक्षित है ताकि आईटी एप्लिकेशन योजना के अनुसार कार्य करते रहें व उसमें कोर बैंकिंग सॉल्युशन, फिनेकल के उच्चतर वर्जन में मायग्रेशन सहित किए जाने वाले परिवर्तनों पर उचित रूप से नियंत्रण रहे. इस प्रकार के नियंत्रण से आउटपुट डेटा के गलत होने का जोखिम न्यूनतम रहेगा. लेखापरीक्षा के परिणाम आईटी नियंत्रण व प्रणाली पर निर्भर करते हैं.	हमने बैंक की आईटी प्रणाली को ध्यान में रखते हुए ही लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं व नमूना जांच को नियोजित, निर्मित और निष्पादित किया है. हमारी राय में हमारे द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाएँ आईटी नियंत्रण की पर्याप्तता का युक्तिसंगत आश्वासन प्रदान करती हैं. इस परिपेक्ष्य में हमने बैंक के आईटी परिवेश को समझा है. इसके अलावा हमने आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग द्वारा की गई आईएस लेखापरीक्षा तथा डेटा मायग्रेशन पर एक बाह्य परामर्शदाता की अंतरिम अंतिम समीक्षा रिपोर्ट और सनदी लेखाकारों की स्वतंत्र फर्म द्वारा संचालित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखापरीक्षा पर भी भरोसा किया है. हमने प्रमुख ऑटोमेटेड व मानवीय कारोबार चक्र नियंत्रण तथा लेखापरीक्षा से संबंधित सिस्टम जनरेटेड रिपोर्टों के तर्क का परीक्षण भी किया है, साथ ही प्रतिकारी नियंत्रण का परीक्षण करने के अलावा वैकल्पिक प्रक्रियाएँ भी अपनाई हैं ताकि यह आकलन किया जा सके कि क्या किसी ऐसे आईटी जोखिम पर कार्रवाई तो नहीं छूट गई जो वित्तीय विवरणों पर तात्कालिक प्रभाव डाले.

	• we have evaluated the past trends of management judgement, governance process and review controls over impairment provision calculations and discussed the provisions made with the top and senior management of the Bank.

IT Systems and controls over financial reporting

The Bank's key financial accounting and reporting processes are highly dependent on Core Banking and Treasury Solutions and other supporting software and hardware controls such that there exists a risk that gaps in the IT control environment could result in the financial accounting and reporting records being materially misstated. Appropriate IT controls are required to ensure that the IT applications perform as planned and the changes made including the migration of the Core Banking Solution, Finacle to its higher version are properly controlled. Such controls contribute to risk mitigation of erroneous output data. The audit outcome is dependent on the extent of IT controls and systems.	We have planned, designed and carried out the desired audit procedures and sample checks, taking into consideration the IT systems of the Bank. The procedures adopted by us are, in our opinion, adequate to provide reasonable assurance on the adequacy of IT controls in place. Towards this end, we obtained an understanding of Bank's IT environment. In addition, we have also relied on IS audit conducted by internal audit department, interim final review report on data migration by an external consultant and also the audit of Internal Financial Control over Financial Reporting conducted by an independent firm of Chartered Accountants. We also tested key automated and manual business cycle controls and logic for system generated reports relevant to the audit; including testing of compensating controls or performed alternate procedures to assess whether there were any unaddressed IT risks that would materially impact the financial statements.

कोविद -19 महामारी के कारण अनिवार्य राष्ट्रीय लॉकडाउन के दौरान इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य पर निर्भरता और ऑडिट प्रक्रियाओं का निर्वहन	
वित्तीय विवरण तैयार करने और उनका ऑडिट करने के लिए आवश्यक जानकारी को रिकॉर्ड करने और संग्रहीत करने की बैंक की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक और मैनुअल प्रक्रियाओं का संयोजन है. अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय लॉकडाउन के कारण बैंक के परिसर का दौरा किए बिना इन प्रक्रियाओं का हमारे द्वारा दूर से ऑडिट किया जाना आवश्यक था. नतीजतन, हमने ई-मेल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से हमें उपलब्ध कराए गए डेटा और रिकॉर्ड की पूर्णता और सटीकता पर विश्वास किया है. बैंक इन्हें एक सुरक्षित आभासी निजी नेटवर्क कनेक्शन के माध्यम से प्रदान करने की स्थिति में नहीं था. ये प्रक्रियाएं 20 मार्च 2020 से इस रिपोर्ट की तारीख तक आयोजित की गईं. यदि हम शारीरिक रूप से कंपनी के परिसर में मौजूद होते, तो हमने महत्वपूर्ण दस्तावेजों की भौतिक प्रतियों को सत्यापित कर लिया होता और हम भौतिक प्रतियों में लेखा परीक्षण के साक्ष्य एकत्र कर सकते थे.	हमने निम्नलिखित प्रक्रियाओं को पूरा कर प्रबंधन द्वारा प्रदान किए गए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की पुष्टि की है: • भौतिक दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक वर्जन में बदलने के लिए लागू किए गए नियंत्रणों के बारे में प्रबंधन से पूछताछ और उन्हें समझना. • कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, ट्रेजरी सॉफ्टवेयर, आईआरएसी सॉफ्टवेयर और सीआरएआर कम्प्यूटेशन सॉफ्टवेयर सहित विभिन्न सॉफ्टवेयर्स से जानकारी निकालने के तरीके के बारे में प्रबंधन से पूछताछ करना और यह समझना कि प्रबंधन कैसे पूर्णता और सटीकता सुनिश्चित करता है. • संगतता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए प्राप्त इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की विभिन्न विशेषताओं का परस्पर तालमेल देखना. • जहाँ भी आवश्यक हो प्रबंधन से रिप्रेजेंटेशन प्राप्त करना.

वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

बैंक का निदेशक मंडल समेकित वित्तीय विवरण और उन पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी तैयार करने के लिए उत्तरदायी है. अन्य जानकारी में प्रबंध विवेचना एवं विश्लेषण, निदेशकों की रिपोर्ट के अनुबंध सहित (सामूहिक रूप से 'अन्य जानकारी' के रूप में निर्दिष्ट) निदेशकों की रिपोर्ट शामिल हैं लेकिन इनमें समेकित वित्तीय विवरण और हमारे लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट तथा नए पूंजी पर्याप्तता फ्रेमवर्क (बासेल III प्रकटन) के तहत पिलर III के प्रकटन शामिल नहीं हैं.

वित्तीय विवरणों पर हमारे अभिमत में अन्य जानकारी शामिल नहीं है और हम इस पर किसी तरह का आश्वासन नहीं देते हैं.

Placing reliance on electronic evidence and performing of audit procedures during the mandatory national lockdown due to the Covid-19 pandemic	
The Bank's procedures of recording and storing information necessary for preparation of financial statements and having them audited is combination of electronic and manual processes. These processes were required to be audited by us remotely without visiting the Bank's premises due to the mandatory national lockdown. Consequently, we have placed reliance on the completeness and accuracy of the data and records made available to us electronically through e-mail. The Bank was not in a position to provide the same through a secure virtual private network connection. These processes have been conducted since March 20, 2020 to the date of this report. Had we been physically present at the Company premises, we would have otherwise verified the physical copies of critical documents and we would have collected the audit evidence in physical copies.	We have carried out the validation of the electronic evidence provided by the management by performing the following procedures: • Inquiring with the management of the controls they have implemented to convert physical documents into electronic versions and understanding them • Inquiring with the management the method and controls used to extract information from its various softwares including Core Banking Solution, Treasury Software, IRAC software and the CRAR computation software understanding and how the management ensures completeness and accuracy • Correlating various attributes of the electronic evidence obtained to ensure consistency and integrity. • Obtaining representations from the management wherever necessary.

Information Other Than Financial Statements and Auditors' Report Thereon

The Bank's Board of Directors is responsible for the preparation of information other than the Consolidated Financial Statements and Auditor's Report thereon. The Other Information comprises the Management Discussion and Analysis, Directors' Report including Annexures to Directors' Report (collectively called as "Other Information") but does not include the Consolidated Financial Statements and our auditor's report thereon and the Pillar III Disclosures under the New Capital Adequacy Framework (Basel III disclosures).

Our opinion on the financial statements does not cover the Other Information and we do not express any form of assurance conclusion thereon.

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी यह है कि अन्य जानकारी का अध्ययन करें और ऐसा करते समय यह विचार करें कि क्या अन्य जानकारी समेकित वित्तीय विवरणों से अथवा लेखापरीक्षा में हमारे द्वारा प्राप्त की गई सूचना से तात्विक रूप से असंगत है या अन्यथा तात्विक रूप से गलत प्रतीत होती है.

यदि हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई तात्विक विसंगति है, तो हमारे लिए उस तथ्य को रिपोर्ट करना आवश्यक है. इस संबंध में हमारे पास रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है.

प्रबंधन एवं अभिशासन के प्रभारी व्यक्तियों की वित्तीय विवरणों की जिम्मेदारी

बैंक का प्रबंधन और निदेशक मंडल इन समेकित वित्तीय विवरणों की तैयारी के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 134 (5) में उल्लिखित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो अधिनियम की धारा 133 और बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949 की धारा 29 के प्रावधानों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक ('आरबीआई') द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों के तहत विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों सहित, भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार समूह की वित्तीय स्थिति एवं नकदी प्रवाह की सही और उचित स्थिति प्रस्तुत करते हैं. इस जिम्मेदारी में बैंक की आस्तियों की सुरक्षा के लिए तथा धोखाधड़ी एवं अन्य अनियमितताओं को रोकने एवं उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा रिकॉर्ड बनाए रखना; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन करना और उन्हें लागू करना; तर्कपूर्ण और विवेकसम्मत निर्णय लेना और पूर्वानुमान लगाना तथा पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण तैयार करना, उन्हें कार्यान्वित करना तथा उसे बनाए रखना, जो सही एवं उचित स्थिति प्रस्तुत करने वाली धोखाधड़ी या गलती के कारण होने वाले तथ्यात्मक अयथार्थ कथन से मुक्त वित्तीय विवरण तैयार और प्रस्तुत करने से संबंधित लेखांकन रिकॉर्ड की परिशुद्धता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से परिचालित हैं, भी शामिल हैं.

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन मंडल कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की बैंक की योग्यता का मूल्यांकन करने, कार्यशील संस्था से संबंधित विषयों के यथालागू प्रकटीकरण करने, लेखांकन की कार्यशील संस्था आधार का उपयोग करने के लिए जवाबदेह है जब तक कि प्रबंधन का इरादा बैंक का परिसमापन करने या परिचालन बंद करने का न हो या ऐसा न करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प न हो.

बैंक का प्रबंधन मंडल बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार है.

समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षकों जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बात का आश्वासन प्राप्त करना है कि समग्र रूप से वित्तीय विवरणों में धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण कोई मिथ्या कथन न हो और ऐसी लेखापरीक्षा रिपोर्ट जारी हो जिसमें हमारी राय शामिल हो. उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन होता है लेकिन यह कोई गारंटी नहीं है कि लेखांकन मानकों के अनुरूप की गई लेखापरीक्षा में पहले से मौजूद भौतिक मिथ्या कथन की हमेशा पहचान हो जाए. धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण मिथ्या कथन दृष्टिगोचर होता है और इसे ठोस तब माना जाएगा जब यह संभावना हो कि यह अकेले या

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the Other Information and, in doing so, consider whether the Other Information is materially inconsistent with the Consolidated Financial Statements or our knowledge obtained in the audit or otherwise appears to be materially misstated.

If, based on the work we have performed, we conclude that there is a material misstatement of this other information; we are required to report that fact. We have nothing to report in this regard.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

The Bank's Management and Board of Directors is responsible for the matters stated in section 134(5) of the Companies Act, 2013 ('the Act') with respect to the preparation of these consolidated financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Group in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards specified under section 133 of the Act and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

The Bank's Management is also responsible for overseeing the Bank's financial reporting process.

Auditors' Responsibilities for the audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if,

समग्र रूप से इन वित्तीय विवरणों के आधार पर लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित कर सकता है.

लेखांकन मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा के एक भाग के रूप में हम व्यावसायिक विवेक का प्रयोग करते हैं और पूरी लेखापरीक्षा के दौरान व्यावसायिक संशय को बनाए रखते हैं. हम निम्नलिखित कार्य भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों में महत्वपूर्ण मिथ्याकथन की पहचान और मूल्यांकन चाहे वह धोखाधड़ी और त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए हों, उन जोखिमों के अनुरूप लेखा प्रक्रियाएं तैयार करना और उन पर कार्रवाई करना तथा हमारी राय को पर्याप्त और संगत आधार प्रदान करने के लिए लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करना. धोखाधड़ी के कारण उत्पन्न हुए महत्वपूर्ण मिथ्याकथनों को न पहचानने का जोखिम त्रुटि के कारण उत्पन्न हुए जोखिम से बड़ा है. क्योंकि धोखाधड़ी में सांठ-गांठ, कपट, जानबूझकर छोड़ी गई त्रुटियां, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रणों का उल्लंघन शामिल हो सकता है.
- लेखापरीक्षा से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों पर विचार करना, लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को इस तरह से डिजाइन करना जो उन परिस्थितियों के लिए उचित हों. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(3) (i) के अंतर्गत हम यह राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या बैंक के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की व्यवस्था है तथा क्या इस तरह के आंतरिक नियंत्रण की प्रभावशीलता पर्याप्त है.
- उपयोग में लाई गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन अनुमानों एवं प्रबंधन द्वारा उससे संबंधित प्रकटीकरणों का मूल्यांकन का करना.
- प्रबंधन के कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने संबंधी लेखांकन आधार को उपयोग करने के औचित्य पर अपना निष्कर्ष देना और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर इस बात का पता लगाना कि क्या उन घटनाओं से संबंधित तात्विक अनिश्चितता मौजूद है या वैसी परिस्थितियां बनी हैं जिसमें कार्यशील संस्था के रूप में बने रहने की बैंक की योग्यता पर सार्थक संदेह व्यक्त किया जा सके. यदि हम यह निष्कर्ष निकालें कि तात्विक अनिश्चतता विद्यमान है तो हमें हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वित्तीय विवरणों में इस तरह के प्रकटीकरणों की ओर ध्यान आकर्षित करना होगा या यदि इस तरह के प्रकटीकरण हमारी राय को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं है तो हमें अपने अभिमत को संशोधित करना होगा. हमारे निष्कर्ष लेखापरीक्षा की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्यों के आधार पर आधारित हैं. तथापि, भविष्य की घटनाएं या परिस्थितियां बैंक के कार्यशील संस्था के रूप में बने न रहने का कारण बन सकती है.
- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना एवं विषयवस्तु का तथा इस बात का मूल्यांकन करना कि क्या वित्तीय विवरणों में अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरीके से प्रस्तुत किया गया है कि इसकी निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त की जा सके.

हम अभिशासन से जुड़े व्यक्तियों को अन्य बातों के साथ-साथ लेखापरीक्षा के योजनाबद्ध दायरे, उसकी अवधि और लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणामों तथा लेखापरीक्षा के दौरान आंतरिक नियंत्रण में पाई गई महत्वपूर्ण कमियों के बारे में अवगत कराते हैं.

हम अभिशासन से जुड़े व्यक्तियों को विवरणी भी प्रस्तुत करते हैं कि हमने स्वतंत्रता से संगत नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है और साथ

individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

- Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
- Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances. Under section 143(3) (i) of the Companies Act, 2013, we are also responsible for expressing our opinion on whether the bank has adequate internal financial controls system in place and the operating effectiveness of such controls.
- Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
- Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Bank to cease to continue as a going concern.
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all

ही हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले संबंधों और उन मामलों जो हमारी स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकते हैं, और जहां भी लागू हो वहां उनसे संबंधित सावधानियों की जानकारी भी देते हैं.

अभिशासन से जुड़े व्यक्तियों को सूचित विषयों से हम उन विषयों का निर्धारण करते हैं जो वर्तमान अवधि के समेकित वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और जो इसलिए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा विषय हैं. हम उन मामलों का अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में तब तक वर्णन करते हैं जब तक कि विधि या विनियमन द्वारा इस मामले के प्रकटन के लिए या तो रोका न जाए या फिर अत्यंत विरल परिस्थितियों में जब हम यह निर्णय लें कि ऐसा मामला हमारी रिपोर्ट में नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से लोक हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है.

अन्य मामले

हमने बैंक के समेकित वित्तीय परिणामों में शामिल दुबई स्थित विदेशी शाखा की वित्तीय जानकारी की लेखापरीक्षा नहीं की है, जिसकी वित्तीय जानकारी यथा 31 मार्च, 2020 को ₹ 1,905.30 करोड़ की कुल आस्ति और इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 447.02 करोड़ के कुल राजस्व को दर्शाती है जैसा कि समेकित वित्तीय विवरणों में लिया गया है. इस शाखा की लेखापरीक्षा स्थानीय शाखा लेखा परीक्षक द्वारा की गई है, जिसकी रिपोर्ट हमें प्रदान की गई है, और अब तक इस शाखा के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटनों से संबंधित हमारी राय पूरी तरह से ऐसे शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है.

हमने निम्नलिखित के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की है:

(क) 05 देशी सहायक कंपनियाँ अर्थात् (i) आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड (ii) आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड (iii) आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड (iv) आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड (v) आईडीबीआई म्यूच्युअल फंड ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड. इनके वित्तीय विवरण के अनुसार यथा 31 मार्च 2020 को समूह की कुल आस्तियां ₹ 748.66 करोड़ थीं तथा इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व ₹ 281.12 करोड़ था, जिनकी लेखापरीक्षा उनके संबंधित लेखापरीक्षकों द्वारा की गई थीं और उनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई थीं तथा हमारी राय महज उक्त लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर ही आधारित है.

(ख) 01 संयुक्त रूप से नियंत्रित कंपनी अर्थात् आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जिसके वित्तीय विवरण के अनुसार यथा 31 मार्च 2020 को कुल आस्तियों में समूह का हिस्सा ₹ 486.36 करोड़ था तथा समाप्त वर्ष के लिए कुल राजस्व ₹ 81.73 करोड़ था, जिसकी लेखापरीक्षा अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा की गई थी और उनकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई थी तथा हमारी राय महज उक्त लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर ही आधारित है.

(ग) 04 सहयोगी कंपनियां अर्थात् (i) नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (ii) बायोटेक कंसॉर्शियम इंडिया लिमिटेड (iii) पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड (iv) पॉण्डिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इंवेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिनके वित्तीय विवरण के अनुसार निवल लाभ में समूह का हिस्सा ₹ 28.10 करोड़ था. इन सहयोगी कंपनियों में से 01 के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा नहीं की गई है और प्रबंधन द्वारा हमें 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the Consolidated Financial Statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matters

We did not audit the financial information of the foreign branch in Dubai included in the consolidated financial results of the Bank whose financial information reflect total assets of ₹ 1,905.30 Crores as at March 31, 2020 and the total revenue of ₹ 447.02 Crores for the year ended on that date, as considered in the consolidated financial statements. This branch has been audited by a local branch auditor whose report has been furnished to us, and our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of this branch, is based solely on the report of such branch auditors.

We did not audit the financial statements of:

(a) 05 domestic subsidiaries viz. (i) IDBI Asset Management Limited (ii) IDBI Intech Limited (iii) IDBI Capital Markets & Securities Limited (iv) IDBI Trusteeship Services Limited (v) IDBI Mutual Fund Trustee Company Limited whose financial statements reflect the Group's share of total assets of ₹ 748.66 Crores as at March 31, 2020 and total revenues of ₹ 281.12 Crores for the year then ended, which have been audited by their respective auditors whose reports have been furnished to us and our opinion is based solely on the reports of the said auditors.

(b) 01 jointly controlled entity viz. IDBI Federal Life Insurance Company Limited whose financial statements reflect the Group's share of total assets of ₹ 486.36 Crores as at March 31, 2020 and total revenues of ₹ 81.73 Crores for the year then ended, which has been audited by its respective auditors whose reports have been furnished to us and our opinion is based solely on the reports of the said auditors.

(c) 04 associates viz. (i) National Securities Depository Limited (ii) Biotech Consortium India Limited (iii) North Eastern Development Finance Corporation Limited (iv) Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Limited whose financial statements reflect the Group's share of net profit of ₹ 28.10 Crores. 01 of these associates is unaudited whose

वित्तीय विवरण प्रस्तुत किए गए हैं तथा हमारी राय महज संबंधित प्रबंधन की रिपोर्ट पर ही आधारित है. इन सहयोगी कंपनियों में से 02 के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा नहीं की गई है और उनके 31 दिसंबर 2019 को समाप्त नौ महीनों के वित्तीय विवरण प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किए गए तथा हमारी राय महज संबंधित प्रबंधन की रिपोर्टों पर ही आधारित है, तथा इन सहयोगी कंपनियों में 01 के वित्तीय विवरणों की अनुपलब्धता के कारण उन पर विचार नहीं किया गया है, जिसका समेकित वित्तीय विवरणों पर तात्विक प्रभाव नहीं पड़ेगा.

संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था, आईडीबीआई फेडरल लाइएफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के लेखापरीक्षकों ने सूचित किया है कि लागू जीवन पॉलिसियों के लिए और बंद कर दी गई पॉलिसियों के लिए जहां देयता मौजूद है, देयताओं का बीमांकिक मूल्यांकन कंपनी के नियुक्त बीमा आकलनकर्ता ('नियुक्त एक्चुअर') की जिम्मेदारी है. 31 मार्च 2020 तक इन देयताओं के बीमांकिक मूल्यांकन को नियुक्त बीमा आकलनर्ता द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया है और उनकी राय में, इस तरह के मूल्यांकन की धारणा आईआरडीएआई और एक्चुअरी सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा जारी दिशानिर्देशों और मानदंडों के अनुसार है. लेखा परीक्षकों ने कंपनी के वित्तीय विवरणों पर अपनी राय बनाने के लिए इस संबंध में नियुक्त बीमा आकलनर्ता के प्रमाण पत्र पर विश्वास किया है.

उक्त मामलों के संदर्भ में हमारे अभिमत में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है.

अन्य विधिक तथा विनियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. तुलन पत्र, लाभ-हानि लेखा बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 133 के साथ पठित अधिनियम की धारा 29 के प्रावधानों तथा इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार तैयार किए गए हैं.

2. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   क. हमने ऐसी समस्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ हमारे सर्वोत्त्म ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार आवश्यक थे तथा उन्हें संतोषजनक पाया है.

   ख. बैंक के जो लेन-देन हमारे ध्यान में लाए गए, वे बैंक की अधिकार सीमा के भीतर रहे हैं.

   ग. हमारी लेखापरीक्षा के दौरान हमने 30 शाखाओं का दौरा किया है ताकि हम अपनी लेखापरीक्षा के उद्देश्य से ऐसी शाखाओं में बनाए गए रिकॉर्ड की जांच कर सकें. जैसा कि ऊपर दिए गए मुख्य लेखा परीक्षा मामलों पर हमारे पैराग्राफ में उल्लेख किया गया है, राष्ट्रीय लॉकडाउन के शुरू होने के बाद शेष लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को दूरस्थ रूप से आयोजित किया गया था. बैंक के कार्यालयों और शाखाओं से प्राप्त विवरणियाँ, जिसमें प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी शामिल है, हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ पर्याप्त पाई गयी हैं.

financial statements for the year ended March 31, 2020 have been furnished to us by the management and our opinion is based solely on the respective management reports, 02 of these associates are unaudited whose financial statements for the nine months ended December 31, 2019 have been furnished to us by the Management and our opinion is based solely on the respective management reports, and 01 of these associates' financial statements have not been considered on account of non-availability, the impact of which on the consolidated financial statements is not material.

The auditors of IDBI Federal Life Insurance Company Limited, jointly controlled entity, have reported that the actuarial valuation of the liabilities for life policies in force and for discontinued policies where liability exists is the responsibility of the Company's Appointed Actuary ('the appointed Actuary'). The actuarial valuation of these liabilities as at March 31, 2020 has been duly certified by the Appointed Actuary and in his opinion, the assumption for such valuation are in accordance with guidelines and norms issued by the IRDAI and the Actuarial Society of India in concurrence with the Authority. The auditors have relied upon the Appointed Actuary's certificate in this regard for forming their opinion on the financial statements of the Company.

Our opinion is not modified in respect of the above matters.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements

1. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with the provision of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 read with Section 133 of the Act and Rules made thereunder.

2. As required by sub-section (3) of section 30 of the Banking Regulation Act, 1949, we report that:

   a. We have obtained all the information and explanations, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit and have found them to be satisfactory.

   b. The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank.

   c. During the course of our audit we have visited 30 branches to examine the records maintained at such branches for the purpose of our audit. As mentioned in our paragraph on Key Audit Matters above, subsequent to the commencement of national lockdown the remainder audit procedures were conducted remotely. The returns received from the offices and branches of the Bank as supplemented with the information furnished by the Management have been found adequate for the purpose of our audit.

3. हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दी गई व्याख्याओं के अनुसार, वर्ष के दौरान बैंक द्वारा अपने निदेशकों को दिया गया पारिश्रमिक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 बी (2 ए) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 और अनुसूची V के प्रावधानों के अनुसार है.

4. इसके अलावा, अधिनियम की धारा 143(3) के अपेक्षानुसार हम रिपोर्ट करते हैं कि:

   क) हमने ऐसी समस्त जानकारी तथा स्पष्टीकरण प्राप्त किए हैं जो हमारे सर्वोत्त्म ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे;

   ख) हमारी राय में बैंक ने विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बहियाँ रखी हैं, जैसा कि इन बहियों की हमारी जांच से पता चलता है तथा हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं से हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनार्थ उचित और और पर्याप्त विवरणियाँ प्राप्त हुई हैं;

   ग) बैंक की एक शाखा के लेखों की अन्य लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित रिपोर्ट हमारे पास प्रेषित की गई है और इस पर उचित रूप से विचार किया गया है;

   घ) इस रिपोर्ट में विचार किए गए तुलन पत्र, लाभ-हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण लेखा बहियों के अनुरूप हैं.

   ङ) हमारी राय में उपर्युक्त वित्तीय विवरण अधिनियम की धारा 133 के तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों के उस सीमा तक अनुपालन में हैं जहां तक वे भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों से असंगत नहीं हैं.

   च) यथा 31 मार्च 2020 को बैंक के निदेशकों से प्राप्त और बैंक के निदेशक मंडल तथा इसकी सहायक कंपनियों के सांविधिक लेखापरिक्षकों की रिपोर्ट द्वारा रिकॉर्ड में लिए गए लिखित अभ्यावेदन के आधार पर, किसी भी निदेशक को यथा 31 मार्च 2020 को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164(2) के निबंधनों के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है.

   छ) समूह के वित्तीय विवरणों के संदर्भ में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालनगत प्रभावकारिता के संबंध में 'अनुबंध ए' में अलग से दी गई हमारी रिपोर्ट देखें.

   ज) हमारी राय और हमारी सर्वोतम जानकारी तथा हमें दिये गए स्पष्टीकरण के अनुसार तथा अन्य लेखा परीक्षकों की ऐसी लेखापरीक्षा रिपोर्टों के आधार पर (सहायक कंपनियां एवं संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था), जो हमारे द्वारा लेखापरीक्षित नहीं हैं, समूह कंपनी द्वारा वर्ष के दौरान इसके निदेशकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक बैंककारी विनियमन अधिनियम,

3. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the remuneration paid by the Bank to its directors during the year is in accordance with the provisions of Section 197 and Schedule V of the Companies Act, 2013 read with Section 35B (2A) of the Banking Regulation Act, 1949;

4. Further, as required by section 143(3) of Act, we report that:

   a) we have sought and obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of our audit;

   b) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purpose of our audit have been received from the branches not visited by us;

   c) the report on the accounts of one branch of the Bank audited by other auditors has been forwarded to us and the same have been appropriately dealt with;

   d) the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss, and the Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of account;

   e) in our opinion, the aforesaid financial statements comply with the Accounting Standards specified under Section 133 of the Act and Rules made thereunder, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI;

   f) on the basis of written representation received from the directors of the Bank as on March 31, 2020 and taken on record by the Board of Directors of the Bank and the reports of the statutory auditors of its subsidiary companies, none of the directors of the group companies are disqualified as on March 31, 2020 from being appointed as director in terms of Section 164 (2) of the Companies Act 2013;

   g) with respect to the adequacy of the internal financial controls with reference to financial statements of the Group and the operating effectiveness of such controls, refer to our separate Report in "Annexure A";

   h) in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the report of the other auditors (subsidiaries & jointly controlled entity) which was not audited by us, the remuneration paid by the group company to

1949 की धारा 35बी (2ए) के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 और अनुसूची V के प्रावधानों के अनुसार है.

झ) कंपनी (लेखापरीक्षा और लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषयों के संबंध में, हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा 'अन्य मामले' पैराग्राएफ में अन्य लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर नोट किए गए विचारों के आधार पर:

i) समूह ने अपने वित्तीय विवरणों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का अवधार्य/अभिनिश्चेय सीमा तक प्रकटन किया है. - समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18(10) (सी) देखें.

ii) समूह ने डेरिवेटिव संविदाओं सहित दीर्घावधि संविदाओं पर महत्वपूर्ण पूर्वाभासी हानियों, यदि हों, के लिए लागू कानून या लेखांकन मानकों के अंतर्गत अपेक्षित प्रावधान किया है. समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18(10) (बी) देखें.

iii) समूह द्वारा निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण निधि में अंतरित की जाने वाली राशियों के अंतरण में कोई विलंब नहीं हुआ है. समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूची 18(11) (vi) देखें.

its directors during the year is in accordance with the provisions of Section 197 and Schedule V of the Companies Act, 2013 read with Section 35B (2A) of the Banking Regulation Act, 1949;

i) with respect to the other matters to be included in the Auditor's Report in accordance with Rule 11 of the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, in our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us and based on the consideration of the reports of the other auditors as noted in the "Other Matters" paragraph:

i) The Group has disclosed the impact of pending litigations on its financial position in its financial statements to the extent determinable/ascertainable. – Refer Schedule 18 (10) (c) to the Consolidated Financial Statements.

ii) The Group has made provision, as required, under the applicable law or accounting standards, for material foreseeable losses, if any, on long term contracts including derivative contracts. Refer Schedule 18 (10) (b) to the Consolidated Financial Statements.

iii) There has been no delay in transferring amounts, required to be transferred, to the Investor Education and Protection Fund by the Group. Refer Schedule 18 (11)(vi) to the Consolidated Financial Statements.

कृते के. एस. अय्यर एंड कं.
For K. S. Aiyar & Co.
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ ICAI FRN : 100186W

सतीश केलकर
Satish Kelkar
साझेदार (स. सं. 038934)
Partner ICAI (M.No. 038934)
UDIN: 20038934AAAAAR1874

कृते जेएलएन यूएस एंड कं.
For JLN US & Co.
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ ICAI FRN : 101543W

रमाप्रसन्न अग्रवाल
Ramaprasanna Agarwal
साझेदार (स. सं. 119693)
Partner ICAI (M.No. 119693)
UDIN: 20119693AAAAAP5116

कृते एम. पी. चितले एंड कं.
For M. P. Chitale & Co.
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ ICAI FRN : 101851W

आशुतोष पेडणेकर
Ashutosh Pednekar
साझेदार (स. सं. 041037)
Partner ICAI (M.No. 041037)
UDIN: 20041037AAAABD1126

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 30 मई 2020/ Date: May 30, 2020

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की सम दिनांकित रिपोर्ट का अनुबंध 'ए'

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अधीन वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर रिपोर्ट

हमने 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए आईडीबीआई बैंक लिमिटेड (बैंक) और इसकी सहायक संस्थाओं, सहयोगी कंपनियों और संयुक्त रूप से नियंत्रित संस्था (''समूह'' के रूप में निर्दिष्ट) के समेकित वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के साथ-साथ उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा की है.

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन की ज़िम्मेदारी

संबंधित कंपनी का प्रबंधन और निदेशक मंडल भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा 'वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट' ('मार्गदर्शी नोट') में दिए गए आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों को ध्यान में रखते हुए संबंधित कंपनी द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों के संबंध में बनाए गए आंतरिक नियंत्रण पर आधारित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को स्थापित करने और उन्हें बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है. इन जिम्मेदारियों में संबंधित बैंक की नीतियों के अनुपालन सहित इसके कारोबार के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से कार्य कर रहे पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को तैयार करना, उनका कार्यान्वयन और अनुरक्षण करना, आस्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ियों और त्रुटियों की रोकथाम और पहचान, लेखांकन रिकॉर्डों की परिशुद्धता और परिपूर्णता तथा कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) की अपेक्षाओं के अनुरूप विश्वसनीय वित्तीय जानकारी को समयबद्ध रूप से तैयार करना शामिल है.

लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी समूह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर वित्तीय रिपोर्टिंग में हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर राय अभिव्यक्त करने की है. हमने अपनी लेखापरीक्षा आईसीएआई द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट ('मार्गदर्शी नोट') तथा लेखापरीक्षा संबंधी मानकों ('मानक') के अनुसार की है जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू सीमा तक कंपनी अधिनियम की धारा 143 (10) के अधीन विनिर्दिष्ट माने जाएंगे और दोनों वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा के लिए लागू हैं और दोनों भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं. उन मानकों और मार्गदर्शी नोट से यह अपेक्षित है कि हम नीतिपरक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखापरीक्षा को इस प्रकार से नियोजित और निष्पादित करें कि इस आशय के लिए समुचित आश्वासन मिल सके कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित किए गए हैं और यह भी कि ऐसे नियंत्रण सभी महत्वपूर्ण पहलुओं में प्रभावी रूप से परिचालित किए गए हैं.

हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालनीय प्रभावकारिता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने हेतु अपनाई गई प्रक्रियाएँ शामिल हैं. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ हासिल करना, ऐसी जोखिमों का आकलन करना जहां तात्विक कमी विद्यमान है, और आकलित जोखिम के

Annexure A to the Independent Auditor's Report of even date on the Consolidated Financial Statements of IDBI Bank Limited

Report on the Internal Financial Controls with reference to financial statements under Clause (i) of Sub-section 3 of Section 143 of the Companies Act, 2013

We have audited the internal financial controls with reference to financial statements of IDBI Bank Limited ('the Bank') as at March 31, 2020 in conjunction with our audit of the consolidated financial statements of the Bank and its subsidiaries, associates and jointly controlled entity (collectively known as "the Group") for the year ended on that date.

Management's Responsibility for Internal Financial Controls

The respective company's Management and Board of Directors are responsible for establishing and maintaining internal financial controls based on the internal control over financial reporting criteria established by the respective company considering the essential components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting ('the Guidance Note') issued by the Institute of Chartered Accountants of India ('the ICAI'). These responsibilities include the design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls that were operating effectively for ensuring the orderly and efficient conduct of its business, including adherence to Bank's policies, the safeguarding of its assets, the prevention and detection of frauds and errors, the accuracy and completeness of the accounting records, and the timely preparation of reliable financial information, as required under the Companies Act, 2013 ('the Act').

Auditors' Responsibility

Our responsibility is to express an opinion on the Group's internal financial controls with reference to financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting ('the Guidance Note') and the Standards on Auditing ('the Standards'), issued by the ICAI and deemed to be prescribed under section 143(10) of the Act, to the extent applicable to an audit of internal financial controls over financial reporting, both issued by the ICAI. Those Standards and the Guidance Note require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether adequate internal financial controls with reference to financial statements was established and maintained and if such controls operated effectively in all material respects.

Our audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the adequacy of the internal financial controls system with reference to financial statements and their operating effectiveness. Our audit of internal financial controls with reference to financial statements included obtaining an understanding of internal financial controls with reference to financial statements, assessing the risk that a material weakness exists, and testing and evaluating the design and operating effectiveness of internal control based on the assessed risk. The procedures selected depend on the auditor's judgement,

आधार पर आंतरिक नियंत्रण तैयार करना और परिचालन प्रभावकारिता का परीक्षण और मूल्यांकन शामिल है. चुनी गई प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित हैं जिनमें वित्तीय विवरणों में धोखे या गलती से किसी तात्विक अयथार्थ कथन के जोखिम का आकलन शामिल है.

हमें विश्वास है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य वित्तीय रिपोर्टिंग पर बैंक की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण वह प्रक्रिया है जो वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता के बारे में उचित आश्वासन देने और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप बाह्य प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए बनाई गई है. वित्तीय विवरणो पर बैंक के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो

(1) उन अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित हैं जो यथोचित विस्तार, परिशुद्धता के साथ समूह की आस्तियों के संव्यवहारों और निपटानों को उचित रूप से दर्शाते हैं;

(2) इस आशय के लिए यथोचित आश्वासन देते हैं कि संव्यहार सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप समेकित वित्तीय विवरणों को तैयार करने के लिए अनुमत अपेक्षा के साथ दर्ज किए जाते हैं और यह भी कि बैंक की प्राप्तियाँ और व्यय बैंक के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार अनुसार ही किए जा रहे हैं; और

(3) बैंक की आस्तियों के अप्राधिकृत अधिग्रहण, उपयोग अथवा निपटान की रोकथाम और समय पर पहचान के संबंध में उचित आश्वासन देते हैं जिनसे समेकित वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता था.

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं, जिनमें नियंत्रणों के टकराव अथवा असंगत प्रबंधन से नियंत्रणों की अवहेलना की संभावना शामिल है, के कारण त्रुटि अथवा धोखाधड़ी की वजह से तात्विक अयथार्थ कथन की घटना हो सकती है और उनका पता न लगाया जा सके. साथ ही, भावी अवधियों के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी मूल्यांकन के पूर्वानुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग के बारे में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण परिस्थितियों में होने वाले परिवर्तनों अथवा नीतियों अथवा प्रक्रियाओं के अनुपालन में आने वाली गिरावट के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं.

अभिमत

हमारी राय में, समूह को अचल आस्तियों और व्ययों के लेखांकन के संदर्भ में मध्यवर्ती/ नियंत्रण लेखों के समाधान और संवीक्षा के प्रबंध परीक्षण के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया कार्यान्वित करने के साथ-साथ अपनी समीक्षा प्रक्रिया को सुदृढ़ बनाने तथा ट्रेजरी, पे-रोल, एनपीए प्रावधानीकरण और अचल आस्तियों के क्षेत्र में एकल प्रणाली को एकीकृत करने की आवश्यकता है. हमारी राय में समूह में सभी महत्वपूर्ण पहलुओं की दृष्टि से वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली लागू है और भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शी नोट में दिए गए आंतरिक नियंत्रण के महत्वपूर्ण घटकों को ध्यान में रखते हुए बैंक द्वारा वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर स्थापित आंतरिक नियंत्रण

including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion on the Group's internal financial controls system with reference to financial statements.

Meaning of Internal Financial Controls with reference to Financial Statements

A Bank's internal financial control with reference to financial statements is a process designed to provide reasonable assurance regarding the reliability of financial reporting and the preparation of financial statements for external purposes in accordance with generally accepted accounting principles. Bank's internal financial control with reference to financial statements includes those policies and procedures that

(1) pertain to the maintenance of records that, in reasonable detail, accurately and fairly reflect the transactions and dispositions of the assets of the Group;

(2) provide reasonable assurance that transactions are recorded as necessary to permit preparation of consolidated financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, and that receipts and expenditures of the Bank are being made only in accordance with authorizations of management and directors of the bank; and

(3) provide reasonable assurance regarding prevention or timely detection of unauthorized acquisition, use, or disposition of the Bank's assets that could have a material effect on the consolidated financial statements.

Inherent Limitations of Internal Financial Controls with reference to Financial Statements

Because of the inherent limitations of internal financial controls with reference to financial statements, including the possibility of collusion or improper management override of controls, material misstatements due to error or fraud may occur and not be detected. Also, projections of any evaluation of the internal financial controls with reference to financial statements to future periods are subject to the risk that the internal financial control with reference to financial statements may become inadequate because of changes in conditions, or that the degree of compliance with the policies or procedures may deteriorate.

Opinion

In our opinion, the Group needs to strengthen its review process and management testing of scrutiny and reconciliations of intermediary/control accounts, implementation of the standard operating procedures in respect of accounting of fixed assets and expenses, integration of the standalone systems in the areas of Treasury, Payroll, NPA Provisioning and Fixed Assets. In our opinion, the Group has in all material respects, an adequate internal financial controls system with reference to financial statements and such internal financial controls with reference to financial statements were operating effectively as at March 31, 2020, based on the internal control over financial reporting criteria established by the Group considering the essential

के आधार पर यथा 31 मार्च 2020 को ये आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रभावी रूप से कार्य कर रहे थे.

अन्य मामले

क) समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में आंतरिक वित्तीय विवरणों की पर्याप्तता और परिचालनगत प्रभावकारिता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अधीन हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट का जहां तक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित विदेशी शाखा का संबंध है, यह संबंधित शाखा लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर आधारित है जो हमारे पास भेजी गई है तथा इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा इनका उचित रूप से उपयोग किया गया है.

ख) समेकित वित्तीय विवरणों के संबंध में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालनगत प्रभावकारिता पर अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अधीन हमारी उपर्युक्त रिपोर्ट का जहां तक सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों का संबंध है, यह संबन्धित लेखापरीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है जो हमारे पास भेजी गई हैं तथा इस रिपोर्ट को तैयार करने में हमारे द्वारा इनका उचित रूप से उपयोग किया गया है.

components of internal control stated in the Guidance Note on Audit of Internal Financial Controls Over Financial Reporting issued by the Institute of Chartered Accountants of India.

Other Matters

a) Our aforesaid report under section 143(3)(i) of the Act on the adequacy and operating effectiveness of the Internal Financial Controls with reference to Consolidated Financial Statements insofar as it relates to the overseas branch audited by the branch auditor is based on the report of the respective branch auditor which has been sent to us and has been properly dealt with by us in preparing this report.

b) Our aforesaid report under section 143(3)(i) of the Act on the adequacy and operating effectiveness of the Internal Financial Controls with reference to Consolidated Financial Statements insofar as it relates to subsidiary companies and joint venture, is based on the corresponding report of the respective auditors which has been sent to us and has been properly dealt with by us in preparing this report.

कृते के. एस. अय्यर एंड कं.
For K. S. Aiyar & Co.
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ ICAI FRN : 100186W

सतीश केलकर
Satish Kelkar
साझेदार (स. सं. 038934)
Partner ICAI (M.No. 038934)
UDIN: 20038934AAAAAR1874

कृते जेएलएन यूएस एंड कं.
For JLN US & Co.
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ ICAI FRN : 101543W

रमाप्रसन्न अग्रवाल
Ramaprasanna Agarwal
साझेदार (स. सं. 119693)
Partner ICAI (M.No. 119693)
UDIN: 20119693AAAAAP5116

कृते एम. पी. चितले एंड कं.
For M. P. Chitale & Co.
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ ICAI FRN : 101851W

आशुतोष पेडणेकर
Ashutosh Pednekar
साझेदार (स. सं. 041037)
Partner ICAI (M.No. 041037)
UDIN: 20041037AAAABD1126

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 30 मई 2020/ Date: May 30, 2020

समेकित तुलन पत्र 31 मार्च 2020 को
Consolidated Balance Sheet as at March 31, 2020

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	अनुसूची Schedule	यथा 31 मार्च 2020 As at 31-03-2020	यथा 31 मार्च 2019 As at 31-03-2019
पूंजी एवं देयताएं / CAPITAL AND LIABILITIES			
पूंजी / Capital	1	10380 59 40	7736 29 49
रिज़र्व और अधिशेष / Reserves and Surplus	2	24455 13 08	30610 41 37
कर्मचारी का स्टॉक विकल्प (अनुदान) बकाया Employees' Stock Options (Grants) Outstanding		0	0
अल्पसंख्यक हित / Minority Interest		103 57 93	96 97 88
जमाराशियां / Deposits	3	222213 85 19	227190 10 73
उधार राशियां / Borrowings	4	36748 85 60	45287 72 39
अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other Liabilities and Provisions	5	6811 32 05	10189 87 94
कुल / TOTAL		**300713 33 25**	**321111 39 80**
आस्तियां / ASSETS			
नकदी एवं भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष Cash and balances with Reserve Bank of India	6	10539 17 27	12731 69 79
बैंकों के पास शेष तथा मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि/ Balances with banks and money at call and short notice	7	19955 79 23	8572 22 45
निवेश / Investments	8	81995 83 28	93327 72 54
अग्रिम / Advances	9	129845 37 85	146790 43 79
अचल आस्तियां / Fixed Assets	10	8206 75 95	8309 90 81
अन्य आस्तियां / Other Assets	11	50170 39 67	51379 40 42
कुल / TOTAL		**300713 33 25**	**321111 39 80**
आकस्मिक देयताएं / Contingent liabilities	12	1171602197	140905 10 03
वसूली हेतु बिल / Bills for collection		9870 72 91	9634 77 33
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	17 एवं 18 17 and 18		

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां तुलन पत्र के अभिन्न भाग के रूप में हैं
The Schedules referred to above form an integral part of the Balance Sheet

बोर्ड के आदेश से
BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा)
(Rakesh Sharma)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer
(डीआईएन/DIN: 06846594)

(सैम्युअल जोसेफ जेबराज)
(Samuel Joseph Jebaraj)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
(डीआईएन/DIN: 02262530)

(सुरेश खटनहार)
(Suresh Khatanhar)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
(डीआईएन/DIN: 03022106)

(समरेश परिदा)
(Samaresh Parida)
निदेशक
Director
(डीआईएन/(DIN: 01853823)

(अजय शर्मा)
(Ajay Sharma)
कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
Executive Director & Chief Financial Officer

(पवन अग्रवाल)
(Pawan Agrawal)
कंपनी सचिव
Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते के. एस. अय्यर एंड कं.
For K. S. Aiyar & Co.
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 100186W

सतीश केलकर
Satish Kelkar
साझेदार (स. सं. 038934)/ Partner (M.No. 038934)

कृते जेएलएन यूएस एंड कं.
For JLN US & Co.
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101543W

रमाप्रसन्न अग्रवाल
Ramaprasanna Agarwal
साझेदार (स. सं. 119693)/ Partner (M.No. 119693)

कृते एम. पी. चितले एंड कं.
For M. P. Chitale & Co.
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101851W

आशुतोष पेडणेकर
Ashutosh Pednekar
साझेदार (स. सं. 041037)/ Partner (M.No. 041037)

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 30 मई 2020/ Date: May 30, 2020

समेकित लाभ-हानि लेखा 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
Consolidated Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2020

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		अनुसूची Schedule	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2020	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2019
I	**आय / INCOME**			
	अर्जित ब्याज / Interest earned	13	20854 21 91	22102 09 52
	अन्य आय / Other income	14	4631 22 54	3535 32 88
	कुल / TOTAL		**25485 44 45**	**25637 42 40**
II	**व्यय / EXPENDITURE**			
	व्ययगत ब्याज / Interest expended	15	13841 11 92	16162 45 79
	परिचालन व्यय / Operating expenses	16	6447 16 91	5258 46 13
	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं / Provisions and Contingencies		18044 55 87	19229 47 59
	कुल / TOTAL		**38332 84 70**	**40650 39 51**
III	**लाभ / PROFIT**			
	वर्ष के लिए निवल लाभ / Net Profit for the year		(12847 40 25)	(15012 97 11)
	जोड़ें: सहयोगी संस्थाओं में लाभ का हिस्सा Add: Share of Profit in Associate		28 10 08	43 20 93
	घटाएं: अल्पसंख्यक हित / Less: Minority Interest		15 93 52	16 99 36
	समूह लाभ / Group Profit		**(12835 23 69)**	**(14986 75 54)**
	लाभ आगे ले जाया गया / Profit brought forward		(32371 67 30)	(17148 54 05)
	कुल / TOTAL		**(45206 90 99)**	**(32135 29 60)**
IV	**विनियोग / APPROPRIATIONS**			
	सांविधिक रिजर्व में अंतरण / Transfer to Statutory Reserve		-	-
	पूंजीगत रिजर्व में अंतरण / Transfer to Capital Reserve		185 91 01	232 62 28
	सामान्य रिजर्व में अंतरण / Transfer to General Reserve		3 51 75	2 05 20
	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1) (viii) के अंतर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिजर्व में अंतरण Transfer to Special Reserve created and maintained under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961		-	-
	सांविधिक रिजर्व से अंतरण / Transfer from Statutory Reserve		-	-
	अंतिम लाभांश / Final Dividend		-	-
	अंतिम लाभांश पर कर / Tax on Final dividend		789 32	-
	अंतरिम/अंतिम लाभांश / Interim/Final Dividend		-	1 36 64
	अंतरिम/अंतिम लाभांश पर कर / Tax on Interim/Final dividend		5 75 46	33 58
	लाभ एवं हानि लेखे में शेष / Balance in Profit & Loss Account		-	-
	ईएसओपी पर लाभांश / Dividend on ESOPs		-	-
	लाभांश वितरण कर / Dividend distribution tax		-	-
	तुलन पत्र में आगे ले जाई गई शेष राशि Balance carried over to Balance Sheet		(45409 98 53)	(32371 67 30)
	कुल / TOTAL		**(45206 90 99)**	**(32135 29 60)**

समेकित लाभ-हानि लेखा 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
Consolidated Profit and Loss Account for the year ended March 31, 2020

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	अनुसूची Schedule	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2020	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2019
महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां Significant Accounting Policies and Notes to Accounts	17 एवं 18 17 & 18		
उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां लाभ-हानि लेखे के अभिन्न भाग के रूप में हैं The Schedules referred to above form an integral part of the Proft and Loss Account			

बोर्ड के आदेश से
BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा)
(Rakesh Sharma)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer
(डीआईएन/DIN: 06846594)

(सैम्युअल जोसेफ जेबराज)
(Samuel Joseph Jebaraj)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
(डीआईएन/DIN: 02262530)

(सुरेश खटनहार)
(Suresh Khatanhar)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
(डीआईएन/DIN: 03022106)

(समरेश परिदा)
(Samaresh Parida)
निदेशक
Director
(डीआईएन/(DIN: 01853823)

(अजय शर्मा)
(Ajay Sharma)
कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
Executive Director & Chief Financial Officer

(पवन अग्रवाल)
(Pawan Agrawal)
कंपनी सचिव
Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते के. एस. अय्यर एंड कं.
For K. S. Aiyar & Co.
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 100186W

सतीश केलकर
Satish Kelkar
साझेदार (स. सं. 038934)/ Partner (M.No. 038934)

कृते जेएलएन यूएस एंड कं.
For JLN US & Co.
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101543W

रमाप्रसन्न अग्रवाल
Ramaprasanna Agarwal
साझेदार (स. सं. 119693)/ Partner (M.No. 119693)

कृते एम. पी. चितले एंड कं.
For M. P. Chitale & Co.
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101851W

आशुतोष पेडणेकर
Ashutosh Pednekar
साझेदार (स. सं. 041037)/ Partner (M.No. 041037)

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 30 मई 2020/ Date: May 30, 2020

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	यथा 31 मार्च 2020 As at 31-03-2020	यथा 31 मार्च 2019 As at 31-03-2019
अनुसूची 1 - पूंजी / SCHEDULE 1 - CAPITAL		
प्राधिकृत पूंजी / Authorised capital		
₹ 10 प्रत्येक के 2500 00 00 000 (1500 00 00 000) इक्विटी शेयर 2500 00 00 000 (1500 00 00 000) Equity Shares of ₹ 10 each	25000 00 00	15000 00 00
	25000 00 00	**15000 00 00**
निर्गमित, अभिदत्त और प्रदत्त पूंजी **Issued, Subscribed & Paid-up Capital**		
₹ 10 प्रत्येक के 10380 59 39 98 (773 62 94 880) पूर्णतः प्रदत्त इक्विटी शेयर 10380 59 39 98 (773 62 94 880) Equity Shares of ₹ 10 each fully paid up	10380 59 40	7736 29 49
(अनुसूची 18 नोट 12 (i) देखें / Refer Schedule 18 Note 12 (i))		
कुल / TOTAL	**10380 59 40**	**7736 29 49**

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2020 As at 31-03-2020	यथा 31 मार्च 2019 As at 31-03-2019
	अनुसूची 2 - रिज़र्व और अधिशेष **SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS**		
I	**सांविधिक रिज़र्व / Statutory Reserve**		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	2474 74 70	2474 74 70
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		2474 74 70	**2474 74 70**
II	**पूंजी रिज़र्व/Capital Reserve**		
	प्रारंभिक शेष / Opening balance	2874 87 61	2733 30 54
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	160 38 84	141 57 07
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		3035 26 45	**2874 87 61**
III	**पुनर्मूल्यन रिज़र्व / Revaluation Reserve**		
	प्रारंभिक शेष (अनुसूची 18 टिप्पणी (1) देखें) Opening Balance (Refer Schedule 18 Note 1)	6727 69 15	5053 88 23
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	0	2013 11 62
	सामान्य रिज़र्व में अंतरण / Transfer to General Reserve	224 32 52	339 30 70
		6503 36 63	**6727 69 15**
IV	**शेयर प्रीमियम / Share Premium**		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	43013 19 63	18160 48 28
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	6655 70 07	24852 71 35
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		49668 89 70	**43013 19 63**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2020 As at 31-03-2020	यथा 31 मार्च 2019 As at 31-03-2019
	अनुसूची 2 - रिज़र्व और अधिशेष SCHEDULE 2 - RESERVES AND SURPLUS		
V	**राजस्व और अन्य रिज़र्व / Revenue and other Reserves**		
	(क) सामान्य रिज़र्व (a) General Reserve		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	6319 22 53	5977 86 61
	वर्ष के दौरान परिवर्धन (समेकन समायोजन के पश्चात् निवल) Additions during the year (Net of Consolidation Adjustments)	1 92 39	2 05 22
	पुनर्मूल्यन रिज़र्व से अंतरण / Transferred from Revaluation Reserve	224 32 52	339 30 70
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
	आंकड़ों का परिवर्धन / Addition of Figures	65 01 65	-
		6610 49 09	**6319 22 53**
	(ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत विशेष रिज़र्व (b) Special Reserve under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	6 35 04	6 35 04
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		6 35 04	6 35 04
	(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित एवं अनुरक्षित विशेष रिज़र्व (c) Special Reserve created & maintained under Section 36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	**1566 00 00**	1566 00 00
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
		1566 00 00	1566 00 00
VI	**लाभ-हानि लेखे में शेष राशि / Balance in Profit and Loss Account**	(45409 98 53)	(32371 67 30)
	कुल (I से VI) / TOTAL (I TO VI)	**24455 13 08**	30610 41 37

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	यथा 31 मार्च 2020 As at 31-03-2020	यथा 31 मार्च 2019 As at 31-03-2019
अनुसूची 2 अ- अल्पसंख्यक हित / SCHEDULE 2A - MINORITY INTEREST		
अल्पसंख्यक हित/ Minority Interest	103 57 93	96 97 88
कुल / TOTAL	**103 57 93**	96 97 88

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	यथा 31 मार्च 2020 As at 31-03-2020	यथा 31 मार्च 2019 As at 31-03-2019
अनुसूची 3 - जमाराशियां / SCHEDULE 3 - DEPOSITS		
अ/A		
I. मांग जमाराशियां / Demand Deposits		
(i) बैंकों से / From banks	14 12 03 719	9 05 27 533
(ii) अन्य से / From others	26342 73 82	26170 31 58
	40463 11 01	**35223 06 91**
II. बचत बैंक जमाराशियां / Savings Bank Deposits	**65658 14 51**	**61413 50 61**
III. मीयादी जमाराशियां / Term Deposits		
(i) बैंकों से / From banks	10173 56 34	8388 08 45
(ii) अन्य से / From others	105919 03 33	122165 44 76
	116092 59 67	130553 53 21
कुल (I से III) / TOTAL (I to III)	**222213 85 19**	**227190 10 73**
आ/B		
(i) भारत में स्थित शाखाओं की जमाराशियां Deposits of branches in India	222172 77 48	227135 27 97
(ii) भारत से बाहर स्थित शाखाओं की जमाराशियां Deposits of branches outside India	41 07 71	54 82 76
कुल / **TOTAL**	**222213 85 19**	**227190 10 73**

(₹ 000 में / ₹ in '000)

	यथा 31 मार्च 2020 As at 31-03-2020	यथा 31 मार्च 2019 As at 31-03-2019
अनुसूची 4 - उधार राशियां / SCHEDULE 4 - BORROWINGS		
I. भारत में उधार राशियां / Borrowings in India		
(i) भारतीय रिज़र्व बैंक / Reserve Bank of India	10912 00 00	8996 00 00
(ii) अन्य बैंक / Other banks	1098 85 00	4771 44 72
(iii) अन्य संस्थाएं और एजेंसियां / Other institutions and agencies		
(iv) टियर 1 (नवोन्मेषी बेमीयादी ऋण लिखत) Tier I (Innovative Perpetual Debt Instrument)	245 10 00	1376 80 00
(v) 1 बांड पर / AT 1 Bond	-	-
(vi) अपर टियर II बांड / Upper Tier II Bonds	1000 00 00	3136 20 00
(vii) अप्रतिभूत, प्रतिदेय बांड (टियर II पूंजी के लिए गौण) Unsecured, Redeemable Bonds (Subordinated for Tier II Capital)	5537 50 00	6440 00 00
(viii) बासेल III ओम्नी टियर 2 बांड Basel III Omni Tier 2 Bond	2645 00 00	1900 00 00
(ix) अन्य* / Others*	6776 33 75	7027 02 81
II. भारत के बाहर से उधार राशियां / Borrowings outside India	8534 06 86	11640 24 86
कुल (I और II) / TOTAL (I and II)	**36748 85 60**	**45287 72 39**

* ₹ 850 00 00 हजार (₹ 850 00 00 हजार) के बेमीयादी ऋण लिखत सहित जो सीआरएआर के लिए योग्य नहीं हैं.
* Includes Perpetual Debt Instrument of ₹ 850 00 00 Thousand (₹ 850 00 00 Thousand) which does not qualify for CRAR

उपर I और II में शामिल प्रतिभूत उधार राशियां ₹ 11278 44 91 हजार (₹ 13989 35 38 हजार) हैं.
Secured borrowings included in I and II above are ₹ 11278 44 91 Thousand (₹ 13989 35 38 Thousand)

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2020 As at 31-03-2020	यथा 31 मार्च 2019 As at 31-03-2019
	अनुसूची 5 - अन्य देयताएं और प्रावधान SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS		
I.	देय बिल / Bills Payable	956 09 10	1676 52 65
II.	अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter office adjustments (net)	2 51 60	77 11
III.	उपचित ब्याज / Interest accrued	713 18 94	940 13 53
IV	**अन्य (प्रावधान सहित) / Others (Including Provisions)**		
	(क) मानक आस्तियों के प्रति विवेकपूर्ण प्रावधान (a) Prudential provisions against standard assets	1159 59 87	1886 01 53
	(ख) प्राप्त अग्रिम भुगतान (b) Advance payments received	413 51 31	177 65 98
	(ग) देय लाभांश और लाभांश कर (c) Dividend and Dividend Tax payable	-	-
	(घ) विविध लेनदार (d) Sundry Creditors	144 23 24	143 27 05
	(ङ) देय सेवा कर / टीडीएस / अन्य कर (e) Service Tax/TDS/Other taxes payable	102 33 87	97 59 15
	(च) विविध जमाराशियां (f) Sundry Deposits	47 38 46	43 03 28
	(छ) एसएएसएफ को अंतरित मामलों के लिए प्राप्तियाँ (g) Receipt for cases transferred to SASF	-	-
	(ज) अन्य प्रावधान (h) Other Provisions	2982 32 83	2987 35 70
	(झ) विविध (i) Miscellaneous	290 12 83	2237 51 97
	कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	**6811 32 05**	**10189 87 94**

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2020 As at 31-03-2020	यथा 31 मार्च 2019 As at 31-03-2019
	अनुसूची 6 - नकदी और भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष SCHEDULE 6 - CASH AND BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA		
I.	हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोट सहित) Cash in hand (including foreign currency notes)	2140 18 97	2059 49 35
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक के पास शेष / Balances with Reserve Bank of India		
	(i) चालू खातों में / in Current Accounts	8398 98 30	10672 20 44
	(ii) अन्य खातों में / in Other Accounts	-	-
	कुल (I और II) / TOTAL (I and II)	**10539 17 27**	**12731 69 79**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2020 As at 31-03-2020	यथा 31 मार्च 2019 As at 31-03-2019
	अनुसूची 7 - बैंकों के पास शेष तथा मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि **SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE**		
I	**भारत में / In India**		
	(i) बैंकों के पास शेष / Balance with banks		
	(क) चालू खातों में (a) in Current Accounts	140 37 07	277 32 04
	(ख) अन्य जमा खातों में (b) in Other Deposit Accounts	936 22 50	487 89 36
	(ii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Money at call and short notice		
	(क) बैंकों के पास (a) with Banks	-	484 08 50
	(ख) अन्य संस्थाओं के पास (b) with other Institutions	11200 00 00	7150 00 00
		12276 59 57	**8399 29 90**
II	**भारत से बाहर / Outside India**		
	(i) चालू खातों में / in Current Accounts	7618 65 53	9 41 87
	(ii) अन्य जमा खातों में / in Other Deposit Accounts	-	103 73 25
	(iii) मांग एवं अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि Money at Call and Short Notice	60 54 14	59 77 43
		7679 19 66	**172 92 55**
	कुल (I और II) / TOTAL (I and II)	**19955 79 23**	**8572 22 45**

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2020 As at 31-03-2020	यथा 31 मार्च 2019 As at 31-03-2019
	अनुसूची 8 - निवेश / SCHEDULE 8 - INVESTMENTS		
I	**भारत में निम्न में निवेश / Investments in India in**		
	(i) सरकारी प्रतिभूतियां / Government Securities*	77012 20 48	82711 42 51
	(ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां / Other approved securities	-	-
	(iii) शेयर / Shares	1259 96 61	1972 73 00
	(iv) डिबेंचर और बांड / Debentures and Bonds	2025 96 21	3048 88 18
	(v) सहायक संस्थाएं और / या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/ or Joint Ventures	5 90 73	11 94 00
	(vi) अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंडों के यूनिट, एसआर, पीटीसी,सिडबी/नाबार्ड/एनएचबी/आरआईडीएफ जमा राशियां) Others (CPs, Units in MFs, SRs,PTCs, SIDBI/NABARD/NHB/RIDF Deposit)	850 16 63	5256 31 10
		81154 20 66	**93001 28 79**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2020 As at 31-03-2020	यथा 31 मार्च 2019 As at 31-03-2019
II	**भारत से बाहर निम्न में निवेश / Investments outside India in**		
	(i) सरकारी प्रतिभूतियां (स्थानीय प्राधिकरणों सहित) Government Securities (including local authorities)	841 62 62	326 43 75
	(ii) सहायक संस्थाएं और / या संयुक्त उद्यम Subsidiaries and/ or Joint Ventures	-	-
	(iii) अन्य निवेश (शेयर) / Other Investments (shares)	-	-
		841 62 62	**326 43 75**
	कुल (I और II) / TOTAL (I and II)	**81995 83 28**	**93327 72 54**
III	**भारत में निवेश / Investments in India**		
	निवेशों का सकल मूल्य / Gross value of investments	84103 58 41	96688 21 39
	घटाएं: कुल प्रावधान / मूल्यह्रास Less: Aggregate Provision/ Depreciation	2949 37 75	3686 92 60
	निवल निवेश / Net Investments	**81154 20 66**	**93001 28 79**
IV	**भारत से बाहर निवेश / Investments outside India**		
	निवेशों का सकल मूल्य / Gross value of investments	841 62 62	328 33 13
	घटाएं: मूल्यह्रास के लिए कुल प्रावधान Less: Aggregate provision for depreciation	-	1 89 38
	निवल निवेश / Net investments	841 62 62	326 43 75

* गैर-एसएलआरएचटीएम प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत ₹ 12438 00 00 हजार (₹ 7881 00 00 हजार) की भारत सरकार की विशेष प्रतिभूतियों सहित
* Indludes Special GoI Securities of ₹ 12438 00 00 Thousand (₹ 7881 00 00 Thousand) classified as Non-SLR HTM Securities

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2020 As at 31-03-2020	यथा 31 मार्च 2019 As at 31-03-2019
	अनुसूची 9 - अग्रिम / SCHEDULE 9 - ADVANCES		
अ A			
	(i) खरीदे और भुनाए / पुनर्भुनाए गए बिल Bills purchased and discounted/ rediscounted	631 12 73	1510 97 80
	(ii) नकद ऋण, ओवरड्राफ्ट तथा मांग पर प्रतिदेय ऋण Cash credits, overdrafts and loans repayable on demand	37464 21 65	40344 29 80
	(iii) मीयादी ऋण */ Term loans *	91750 03 47	104935 16 19
	कुल / TOTAL	**129845 37 85**	**146790 43 79**
आ B			
	(i) मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत ** / Secured by Tangible Assets **	123498 96 62	140017 73 02
	(ii) बैंक / सरकारी गारंटियों द्वारा सुरक्षित *** Covered by Bank/ Government Guarantees***	72 33 62	186 44 97
	(iii) अप्रतिभूत / Unsecured	6274 07 61	6586 25 80
	कुल / TOTAL	**129845 37 85**	**146790 43 79**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2020 As at 31-03-2020	यथा 31 मार्च 2019 As at 31-03-2019
इ C			
I	**भारत में अग्रिम / Advances in India**		
	(i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र / Priority sector	61543 41 59	66877 91 80
	(ii) सार्वजनिक क्षेत्र / Public sector	-	925 94 32
	(iii) बैंक / Banks	111 48 28	475 33 69
	(iv) अन्य / Others	63189 48 65	71707 11 84
	कुल / TOTAL	**124844 38 52**	**139986 31 65**
II	**भारत से बाहर अग्रिम / Advances Outside India**		
	(i) बैंकों से प्राप्य / Due from Banks	-	-
	(ii) अन्य से प्राप्य / Due from others:		
	(क) खरीदे तथा भुनाए गए बिल (a) Bills purchased and discounted	-	32 50 28
	(ख) समूहित ऋण (b) Syndicated Loans	898 65 04	1526 46 89
	(ग) अन्य (c) Others	4102 34 29	5245 14 97
	कुल / TOTAL	**5000 99 33**	**6804 12 14**
	कुल योग (इ I और इ II) / GRAND TOTAL (C I and C II)	**129845 37 85**	**146790 43 79**

* ₹ 755 00 00 हजार (पिछले वर्ष ₹ 1530 00 00 हजार के आईबीपीसी की बिक्री) की अंतर-बैंक सहभागिता प्रमाण पत्र (आईबीपीसी) की खरीद शामिल है
Includes Purchase of IBPC of ₹ 755 00 00 Thousand (P.Y Sale of IBPC of ₹ 1530 00 00 Thousand)

** बही ऋणों पर अग्रिम शामिल हैं
Includes Advances against book debts

*** बैंकों द्वारा जारी साख-पत्रों पर अग्रिम शामिल हैं
Includes advances against letter of credit issued by banks.

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2020 As at 31-03-2020	यथा 31 मार्च 2019 As at 31-03-2019
	अनुसूची 10 - अचल आस्तियां / SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS		
I	**परिसर (अनुसूची 18 टिप्पणी (1) देखें) Premises (Refer Schedule 18 Note (1))**		
	प्रारंभिक शेष (लागत पर) / Opening Balance (At Cost)	7211 04 14	6398 30 63
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	78 67 40	18 50 53
	वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यन / Revaluation made during the year	-	2013 11 62
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	41 02	303 45 48
	आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	242 69 15	920 08 05
		7046 61 36	**7206 39 25**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2020 As at 31-03-2020	यथा 31 मार्च 2019 As at 31-03-2019
II	**अन्य अचल आस्तियां (फर्नीचर व फिक्सचर सहित) Other Fixed Assets (including Furniture & Fixtures)**		
	प्रारंभिक शेष (लागत पर) / Opening Balance (At Cost)	2103 14 37	2265 12 51
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	447 10 14	100 22 78
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	317 03 59	262 20 75
	आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	1560 63 33	1467 91 95
		672 57 59	**635 22 59**
III	**पट्टे पर दी गयी आस्तियां / Assets given on Lease**		
	प्रारंभिक शेष / Opening Balance	601 81 79	601 81 79
	वर्ष के दौरान परिवर्धन / Additions during the year	-	-
	पट्टा समायोजन लेखा / Lease Adjustment account	-	-
	वर्ष के दौरान कटौतियां / Deductions during the year	-	-
	आज की तारीख तक मूल्यह्रास / Depreciation to date	600 05 27	600 05 27
	अनर्जक आस्तियों के लिए प्रावधान / Provision for Non Performing Assets	1 76 52	1 76 52
		-	**-**
IV	**चालू पूंजीगत कार्य / Capital Work-in-Progress**	487 57 01	468 28 97
	कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	**8206 75 95**	**8309 90 81**

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2020 As at 31-03-2020	यथा 31 मार्च 2019 As at 31-03-2019
	अनुसूची 11 - अन्य आस्तियां / SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS		
I	अंतर कार्यालय समायोजन (निवल) / Inter office adjustments (net)	2 51	(-)
II	उपचित ब्याज / Interest accrued	2441 93 60	2475 83 81
III	अग्रिम कर भुगतान/ स्रोत पर कर कटौती (निवल) Tax paid in advance/ Tax Deducted at source (net)	6014 02 87	5091 81 58
IV	लेखन सामग्री और स्टॉम्प / Stationery and stamps	16 46	14 53

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2020 As at 31-03-2020	यथा 31 मार्च 2019 As at 31-03-2019
V	दावों की तुष्टि में अर्जित गैर-बैंकिंग आस्तियां (लागत पर)* Non Banking Assets acquired in satisfaction of claims (At cost)*	791 98 93	791 98 93
VI	**अन्य / Others**		
	(क) आस्थगित कर आस्तियां (निवल) (a) Deferred Tax Asset (net)	15759 54 28	19688 61 18
	(ख) आबंटन के लिए लंबित शेयर / बॉण्ड (b) Shares/ Bonds pending allotment	-	-
	(ग) विविध जमाराशियां व अग्रिम (c) Sundry Deposit and Advances	222 45 27	228 93 80
	(घ) प्राप्य दावे (d) Claims Receivable	334 83 82	431 31 43
	(ङ) दबावग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ) को अंतरित मामलों के संबंध में व्यय/संवितरण (e) Expenses / Disbursements in respect of cases transferred to Stressed Assets Stabilization Fund (SASF)	142 90 32	135 26 38
	(च) विविध** (f) Miscellaneous**	24462 51 61	22535 48 78
	कुल (I से VI) / TOTAL (I to VI)	**50170 39 67**	**51379 40 42**

* प्रावधान घटाकर निवल बकाया राशि ₹ 78 38 93 हजार (₹ 78 38 93 हजार) है
Amount outstanding net of provisions is ₹ 78 38 93 Thousand (₹ 78 38 93 Thousand)

** प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में ₹ 23831 46 08 हजार (₹ 21537 83 75 हजार) का निवेश शामिल है
Includes Investment in Priority sector deposits ₹ 23831 46 08 Thousand (₹ 21537 83 75 Thousand)

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		यथा 31 मार्च 2020 As at 31-03-2020	यथा 31 मार्च 2019 As at 31-03-2019
	अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं **SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES**		
I	दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया Claims not acknowledged as debts	174 22 16	175 61 17
II	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of outstanding Forward Exchange Contracts	44359 37 15	55635 82 89
III	ग्राहकों की ओर से दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents		
	(क) - भारत में (a) - in India	40893 62 16	41744 55 71
	(ख) - भारत से बाहर (b) - outside India	946 84 43	728 12 82
IV	स्वीकृतियां, पृष्ठांकन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	7429 04 89	13324 95 51
V	ब्याज दर और मुद्रा स्वैपों व ऋण चूक स्वैपों के संबंध में देयता Liability in respect of Interest Rate and Currency Swaps and Credit Default Swaps	20225 07 79	23278 28 64
VI	अन्य डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में देयता Liability in respect of other Derivative Contracts	696 10 69	1514 26 51
VII	ब्याज दर स्वैप / Interest Rate Swaps	-	-
VIII	ऋण चूक स्वैप / Credit Default Swaps	-	-
IX	वायदा दर करार / Forward Rate Agreements	-	-
X	पूंजीगत प्रतिबद्धता / Capital commitment	15 56	-
XI	विवादित आय कर, ब्याज कर, दंड और ब्याज मांग के निमित्त On account of disputed Income Tax, Interest Tax, penalty and interest demands	2250 45 86	4343 17 07
XII	अन्य / Others	185 31 27	160 29 71
	कुल (I से XII) / TOTAL (I to XII)	**117160 21 97**	**140905 10 03**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2020	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2019
	अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED		
I	अग्रिमों / बिलों पर ब्याज / बट्टा Interest / discount on advances / bills	13101 50 60	14382 45 00
II	निवेशों से आय / Income on Investments	5788 12 20	6446 66 90
III	रिज़र्व बैंक के पास शेष और अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज Interest on balances with RBI and other inter-bank funds	453 99 88	193 18 79
IV	अन्य / Others	1510 59 24	1079 78 83
	कुल (I से IV) / TOTAL (I to IV)	**20854 21 91**	**22102 09 52**

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2020	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2019
	अनुसूची 14 - अन्य आय / SCHEDULE 14 - OTHER INCOME		
I	कमीशन, विनिमय और दलाली Commission, exchange and brokerage	2010 56 51	2129 05 22
II	निवेशों की बिक्री पर लाभ /(हानि) (निवल) Profit/(Loss) on sale of investments (net)	891 20 92	342 51 10
III	निवेशों के पुनर्मूल्यन पर लाभ /(हानि) (निवल) Profit/(Loss) on revaluation of investments (net)	2 90 84	1 11 44
IV	भूमि, भवन तथा अन्य आस्तियों की बिक्री पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on sale of land, buildings and other assets (net)	(4 74 25)	(72 71 41)
V	विनिमय लेन-देनों / डेरिवेटिव पर लाभ / (हानि) (निवल) Profit/(Loss) on exchange transactions/ Derivatives (net)	548 72 27	312 66 00
VI	भारत में स्थित सहायक कंपनियों और / या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आय Dividend Income from Subsidiary Companies and / or Joint Ventures in India	-	-
VII	बट्टे खाते डाले गए मामलों से वसूली Recovery from written-off cases	828 06 49	468 36 34
VIII	विविध आय / Miscellaneous Income	354 49 76	354 34 19
	कुल (I से VIII) / TOTAL (I to VIII)	**4631 22 54**	**3535 32 88**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2020	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2019
	अनुसूची 15 - व्ययगत ब्याज **SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED**		
I	जमाराशियों पर ब्याज / Interest on Deposits	11089 61 54	12522 57 71
II	रिज़र्व बैंक / अंतर-बैंक उधार राशियों पर ब्याज Interest on RBI / Inter-bank borrowings	492 81 97	664 59 41
III	अन्य / Others	2258 68 41	2975 28 67
	कुल (I से III) / TOTAL (I to III)	**13841 11 92**	**16162 45 79**

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2020	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2019
	अनुसूची 16 - परिचालन व्यय **SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES**		
I	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान Payments to and provisions for employees	3363 71 33	2317 78 80
II	किराया, कर और बिजली Rent, taxes and lighting	456 25 37	429 56 52
III	मुद्रण और लेखन सामग्री Printing and stationery	43 32 25	46 79 87
IV	विज्ञापन और प्रचार / Advertisement and publicity	37 51 18	19 85 81
V	बैंक की संपत्ति पर मूल्यह्रास / Depreciation on the Bank's property	394 37 91	369 94 64
VI	पट्टाकृत आस्तियों पर मूल्यह्रास / Depreciation on leased assets	-	-
VII	निदेशकों की फीस, भत्ते और व्यय / Director's fees, allowances and expenses	1 55 66	85 85
VIII	लेखापरीक्षकों की फीस और व्यय / Auditor's fees and expenses	2 66 55	29 44 02
IX	विधि प्रभार / Law charges	19 29 12	21 12 88
X	डाक खर्च, तार, टेलीफोन आदि / Postage, telegrams, telephones etc.	89 49 88	87 01 14
XI	मरम्मत और रखरखाव / Repairs and maintenance	79 63 97	89 08 45
XII	बीमा / Insurance	204 03 49	208 85 85
XIII	अन्य / Others		

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ '000 में / ₹ in '000)

		31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2020	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष Year Ended 31-03-2019
(क) (a)	बैंकिंग व्यय Banking expenses	111 33 23	84 08 62
(ख) (b)	कार्ड और एटीएम व्यय Card & ATM expenses	397 16 85	438 93 13
(ग) (c)	परामर्श व्यय Consultancy expenses	17 02 77	34 50 06
(घ) (d)	बट्टे खाते मामलों की वसूली से संबंधित व्यय Expenses for recovery of write-off cases	4 85 02	5 95 94
(ङ) (e)	अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग व्यय International banking expenses	-	-
(च) (f)	आउटसोर्सिंग व्यय Outsourcing expenses	618 35 20	642 01 38
(छ) (g)	आईटी व्यय IT expenses	37 76 05	24 50 37
(ज) (h)	स्टाफ प्रशिक्षण और अन्य व्यय Staff training & other expenses	15 05 41	11 97 71
(झ) (i)	यात्रा और वाहन प्रभार Travelling and conveyance charges	32 91 00	30 93 29
(ञ) (j)	ट्रेजरी व्यय Treasury expenses	4 23 84	6 44 78
(ट) (k)	उधारी के लिए फीस तथा अन्य व्यय Fee and other expenses for borrowing	77 97	2 07 40
(ठ) (l)	अन्य व्यय Other expenditure	515 82 85	356 69 62
	कुल (I से XIII) / TOTAL (I to XIII)	**6447 16 91**	**5258 46 13**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची - 17 महत्वपूर्ण समेकित लेखा नीतियां
SCHEDULE 17 - CONSOLIDATED SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

1. तैयार करने का आधार :
Basis of Preparation:

समूह के वित्तीय विवरण बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के अंतर्गत निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार तैयार किए गए हैं. इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त लेखांकन नीतियां सभी दृष्टि से भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएएपी), भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) तथा बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों बीमा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 के अनुसार यथा संशोधित बीमा अधिनियम, 1938, कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों तथा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा मानकों (एएस) उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के साथ पठित अधिनियम के प्रावधानों (जहाँ तक अधिसूचित हैं) के अनुसार और भारत में बैंकिंग उद्योग में सामान्यतः लागू प्रथाओं के अनुरूप हैं. समूह लेखांकन की उपचय पद्धति, जहां अन्यथा उल्लिखित न किया गया हो, को छोड़कर तथा परंपरागत लागत पद्धति का अनुसरण करता है. समूह द्वारा लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया गया है तथा ये अन्यथा उल्लेख किए गए को छोड़कर पिछले वर्ष प्रयोग की गई नीतियों के अनुरूप हैं.

The Group's financial statements have been prepared in accordance with requirements prescribed under the Third Schedule of the Banking Regulation Act, 1949. The accounting policies used in the preparation of these financial statements, in all material aspects, conform to Generally Accepted Accounting Principles in India (Indian GAAP), the guidelines issued by the Reserve Bank of India (RBI) & Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA) from time to time, the provisions of Insurance Act, 1938, as amended by the Insurance Laws (Amendment) Act, 2015, the Companies Act, 2013 and the Accounting Standards (AS) issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and prescribed under Section 133 of Companies Act, 2013 ('Act') read with the rules made thereunder and provisions of the Act (to the extent applicable) and practices generally prevalent in the banking industry in India. The Group follows the accrual method of accounting, except where otherwise stated, and the historical cost convention. The accounting policies have been consistently applied by the Group and are consistent with those used in the previous year except where otherwise stated.

2. समेकन तैयार करना:
Preparation of Consolidation:

समेकित वित्तीय विवरणों में लेखांकन मानक (एएस) 21 'समेकित वित्तीय विवरण', लेखांकन मानक (एएस) 23 'समेकित वित्तीय विवरणों में सहायक संस्थाओं में निवेश के लिए लेखांकन' और एएस 27 'संयुक्त उद्यमों में हित के बारे में वित्तीय रिपोर्टिंग' में परिभाषित किये अनुसार आईडीबीआई बैंक लि. (मूल कंपनी - ''बैंक'') और इसकी सभी सहायक संस्थाओं / सहयोगी संस्थाओं / संयुक्त उद्यमों के लेखे शामिल हैं. समेकन में प्रयुक्त सहायक संस्थाओं/ सहयोगी संस्थाओं / संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण उसी रिपोर्टिंग तारीख तक तैयार किये गये हैं जिस तारीख तक अर्थात् 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के वित्तीय विवरण तैयार किये गये हैं.

The Consolidated Financial Statements include the accounts of IDBI Bank Limited (parent company - "the Bank") and all its Subsidiaries/Associates /Joint Venture/ as defined in Accounting Standard AS-21 'Consolidated Financial Statements', AS-23 'Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements' and AS-27 `Financial Reporting of Interests in Joint Ventures'. The financial statements of the subsidiaries/associates/joint venture used in the consolidation are drawn upto the same reporting date as that of the Bank i.e. year ended March 31, 2020.

बैंक के वित्तीय विवरणों को निम्न के साथ मिलाया गया हैः (क) इसकी सहायक संस्थाओं की आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी मदों के बही-मूल्यों को पंक्ति-दर-पंक्ति आधार पर जोड़कर, (ख) इसके संयुक्त उद्यम की आस्तियों, देयताओं, आय और व्यय जैसी मदों के आनुपातिक बही-मूल्यों को पंक्ति-दर-पंक्ति आधार पर समेकित कर, विलोपन हिस्सेदारी के समतुल्य आनुपातिक आधार पर किया जाएगा (ग) एएस 23 की इक्विटी प्रक्रिया के अनुसार इसकी सहयोगी संस्थाओं को समेकित कर. अंतः समूह संव्यवहारों को समेकन पर समाप्त कर दिया गया है.

The financial statements of the Bank have been combined with: (a) its subsidiaries on a line by line basis by adding the book values of like items of assets, liabilities, income & expenses, (b) its joint venture on a line by line basis by consolidating the proportionate book values of like items of assets, liabilities, income and expenses. The elimination has been considered on proportionate basis equivalent to the stake. c) its associates by consolidating as per Equity method as per AS-23. Intra Group transactions have been eliminated on consolidation.

सहायक संस्थाओं में मूल संस्था के निवेश की लागत तथा सहायक संस्थाओं / सहयोगी संस्थाओं की इक्विटी में मूल संस्था के हिस्से के अंतर को वित्तीय विवरण-पत्रों में साख/पूंजी रिज़र्व के रूप में दर्शाया गया है.

The difference between cost to the parent of its investment in the subsidiaries and the parent's portion of the equity of the subsidiaries/associates is recognized in the financial statements as goodwill/ capital reserve.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

समेकित सहायक संस्थाओं की निवल आस्तियों में अल्पसंख्यक हित के अंतर्गत निम्नलिखित शामिल हैं:
Minority interest in the net assets of the consolidated subsidiaries consists of:

(क) सहायक संस्था में निवेश की तारीख को अल्पसंख्यकों से संबंधित इक्विटी की राशि; तथा
(a) The amount of equity attributable to the minorities at the date on which investment in a subsidiary is made; and

(ख) मूल संस्था-सहायक संस्था के संबंधों के अस्तित्व में आने के बाद से इक्विटी में अल्पसंख्यक शेयरों का घट-बढ़.
(b) The minorities' share of movements in equity since the date the parent-subsidiary relationship came into existence.

समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल की गई संस्थाएं निम्नलिखित हैं :
The entities considered in the consolidated financial statements are:

क्र.सं. Sr. No.	कंपनी का नाम / Name of the company	निगमन देश Country of Incorporation	निम्न तारीख को स्वामित्व हित का % % of ownership interest as at	
			31 मार्च 2020 March 31, 2020	31 मार्च 2019 March 31, 2019
अ) A)	**वित्तीय सहायक संस्थाएं: Subsidiary Companies:**			
1)	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड IDBI Capital Market Securities Limited.	भारत / India	100	100
2)	आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड IDBI Asset Management Limited.	भारत / India	66.67	66.67
3)	आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड IDBI Intech Limited.	भारत / India	100	100
4)	आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड. IDBI MF Trustee Company Limited.	भारत / India	100	100
5)	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लिमिटेड IDBI Trusteeship Services Limited	भारत / India	54.70	54.70
आ) B)	**जीवन बीमा संयुक्त उद्यम: Life Insurance Joint Venture:**			
1)	आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड. IDBI Federal Life Insurance Company Limited.	भारत / India	48	48
इ) C)	**सहयोगी संस्थाएं: Associates Companies:**			
1)	नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड National Securities Depository Limited*	भारत / India	26.10	26.10
2)	बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लिमिटेड Biotech Consortium India Limited	भारत / India	27.93	27.93
3)	नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कार्पोरेशन लिमिटेड North Eastern Development Finance Corporation Limited*	भारत / India	25	25
4)	पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीआईपीडीआईसीएल) Pondicherry Industrial Promotion Development And Investment Corporation Limited (PIPDICL).#	भारत / India	21.14	21.14

वित्तीय विवरण/ वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने कारण पीआईपीडीआईसीएल के वित्तीय विवरणों पर समेकन के लिए विचार नहीं किया गया है. उक्त कंपनी के निवेश को अवलेखित कर एक रुपये कर दिया गया है.
The financials of PIPDICL are not considered for consolidation on account of non receipt of financial statements/ annual report. The investment in the said company has been written down to Rupee one.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

* दो सहयोगी संस्थाओं यथा - नेशनल सिक्युरिटीज लिमिटेड और पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड के वित्तीय विवरण को वित्तिय वर्ष 2020 की चौथी तिमाही के लिए वित्तीय विवरणो के प्राप्त न होने के कारण समेकन हेतु 9 महीने की अवधि के लिए विचार किया गया है.

* The financials of two associates viz., National Securities Depository Limited and North Eastern Development Finance Corporation Limited are considered for 9 months for consolidation on account of non-receipt of financial statements for Q4 of FY 2020, impact of which on the consolidated financial statements is not material.

3. अनुमानों का उपयोग: Use of Estimates:

वित्तीय विवरण तैयार करने हेतु प्रबंधन के लिए यह जरूरी है कि वह ऐसे अनुमान एवं धारणाएं बनाए जो वित्तीय विवरणों की तारीख को दर्शायी गई आस्तियों, देयताओं, व्ययों, आय की राशि और आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण को प्रभावित करें. प्रबंधन को विश्वास है कि ये अनुमान एवं धारणाएं तर्कपूर्ण और विवेकपूर्ण हैं. तथापि, वास्तविक परिणाम अनुमानों से अलग हो सकते हैं. लेखा अनुमानों में किसी भी तरह के संशोधन को चालू तथा भावी अवधियों में भविष्यलक्षी प्रभाव से हिसाब में लिया जाता है.

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amount of assets, liabilities, expenses, income and disclosure of contingent liabilities as at the date of the financial statements. Management believes that these estimates and assumptions are reasonable and prudent. However, actual results could differ from estimates. Any revision to accounting estimates is recognized prospectively in current and future periods.

4. राजस्व निर्धारण: Revenue Recognition:

राजस्व का निर्धारण इस अधिसंभाव्य सीमा के तहत किया जाता है कि समूह को आर्थिक लाभ मिलेगा तथा राजस्व का विश्वसनीय रूप से मापन किया जा सके.

Revenue is recognized to the extent it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably measured.

अ. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में,
A. In case of IDBI Bank Limited,

i. ब्याज आय की गणना उपचय आधार पर की जाती है, जबकि अनर्जक आस्तियों के मामले में रिज़र्व बैंक के विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार वसूली के बाद गणना की जाती है.
Interest income is recognized on accrual basis except in the case of non-performing assets where it is recognized upon realization as per the prudential norms of the RBI.

ii. साख पत्र (एलसी)/बैंक गारंटी (बीजी) पर कमीशन साख पत्र/बैंक गारंटी की अवधि के दौरान उपचित होता है.
Commissions on Letter of Credit (LC)/ Bank Guarantee (BG) are accrued over the period of LC/ BG.

iii. शुल्क आधारित आय को प्राप्ति की सुनिश्चितता के आधार पर उपचित किया जाता है तथा यह ग्राहक के साथ करार की शर्तों के अनुसार कार्य की प्रगति पर आधारित होता है.
Fee based income are accrued on certainty of receipt and is based on milestones achieved as per terms of agreement with the client.

iv. बट्टाकृत लिखतों पर आय को निरंतर प्रतिफल आधार पर लिखत की अवधि के अनुसार निर्धारित किया जाता है.
Income on discounted instruments is recognized over the tenure of the instrument on a constant yield basis.

v. लाभांश की प्राप्ति का अधिकार सिद्ध हो जाने पर लाभांश की गणना उपचय आधार पर की जाती है.
Dividend is accounted on an accrual basis when the right to receive the same is established.

vi. गैर-निष्पादित अग्रिमों के मामले में वसूली का विनियोजन बैंक की नीति के अनुसार किया जाता है.
In case of Non-performing advances, recovery is appropriated as per the policy of the Bank.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

आ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड के मामले में,
B. In case of IDBI Capital Market Securities Limited,

i. कूपन दर वाली ऋण प्रतिभूतियों की एकमुश्त आधार पर खरीद अथवा बिक्री पर प्रदत्त अथवा प्राप्त कुल प्रतिफल को मुख्य प्रतिफल और उपचित ब्याज के रूप में अलग से निर्धारित किया जाता है. ऐसी प्रतिभूतियों की खरीद पर निवल ब्याज के रूप में प्रदत्त राशि तथा बिक्री पर प्राप्त राशि की निवल आधार पर गणना की जाती है और उसे ब्याज के जरिए व्यय अथवा आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है.
Total consideration paid or received on purchase or sale, on outright basis, of coupon-bearing debt securities is identified separately as principal consideration and accrued interest. Amount paid as accrued interest on purchase, and received on sale, of such securities is netted and reckoned as expense or income by way of interest.

ii. तुलन-पत्र तारीख को धारित नियत कूपन दर वाली ऋण प्रतिभूतियों पर ब्याज, खंडित अवधि के लिए कूपन दर पर उपचित होता है. अस्थिर दर प्रतिभूतियों पर ब्याज निर्गम की शर्तों के अनुसार निर्धारित दरों पर उपचित होता है.
Interest on fixed coupon debt securities, held as on the Balance Sheet date, is accrued for the broken period at the coupon rate. Interest on floating rate securities is accrued at rates determined as per the terms of the issue.

iii. निवेशों की बिक्री पर लाभ का निर्धारण निपटान की तारीख को होता है. यह अर्जन लागत पर बिक्री / मोचन आय का आधिक्य दर्शाता है. लागत का निर्धारण भारित औसत आधार पर किया जाता है. निवेशों की बिक्री पर लाभ की गणना निवेशों की बिक्री पर हुई हानि को समायोजित कर की जाती है.
Profit on Sale of Investments is recognized on the settlement date. It represents the excess of Sale / Redemption proceeds over the acquisition cost. Cost is determined on a weighted average basis. Profit on sale of Investments is netted with Loss on sale of Investments.

iv. कंपनी द्वारा हामीदारी दिए गए निर्गमों के संदर्भ में इक्विटी शेयरों के न्यागमन को निवेश माना जाता है. इन निर्गमों पर हामीदारी आय को लाभ-हानि लेखे में जमा किया जाता है और इन्हें निवेशों के मूल्य के प्रति समायोजित नहीं किया जाता.
Devolvement of equity shares in respect of issues underwritten by the Company are treated as investments. Underwriting income on these issues are credited to Profit and Loss Account and not netted against the value of investments.

v. सेकंडरी मार्केट परिचालनों पर अर्जित दलाली और कमीशन को क्रय-विक्रय की तारीखों के आधार पर निर्धारित किया जाता है. ऑनलाइन पोर्टल परिचालनों पर दलाली को क्रय-विक्रय की तारीखों के आधार पर निर्धारित किया जाता है. निर्गम की मार्केटिंग और संसाधन संग्रहण के संबंध में दलाली और कमीशन, सूचना की उपलब्धता की सीमा तक उपचित है. डिपॉजिटरी, पोर्टफोलियो प्रबंधन और अन्य शुल्कों को उपचय आधार पर हिसाब में लिया गया है. लाभांश का निर्धारण तब किया जाता है जब तुलन पत्र की तारीख को कंपनी के भुगतान प्राप्त करने का अधिकार निर्धारित किया जाता है. राजस्व में सेवा कर/जीएसटी, जहां भी वसूल किया गया है, शामिल नहीं है. निर्गम प्रबंधन, ऋण समूहन तथा वित्तीय सलाहकारी सेवाओं से प्राप्त राजस्व की गणना ग्राहक के साथ किए गए करार की शर्तों के आधार पर की जाती है.
Brokerage and commission earned on secondary market operations is recognized on the basis of trade dates. Brokerage on online portal operations is recognized on the basis of trade dates. Brokerage and commission in respect of issue marketing and resource mobilization are accrued to the extent of availability of information. Depository, Portfolio Management and other fees are accounted for on accrual basis. Dividend is recognised when the company's right to receive payment is established by the Balance Sheet date. Revenue excludes Service Tax/ GST, wherever recovered. Revenue from issue management, loan syndication and financial advisory services is recognised as per terms of agreement with the client.

vi. दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों, ट्रेजरी बिलों और ट्रेड में स्टॉक प्रकृति वाली अन्य प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय को कंपनी की निधियों का टर्नओवर दर्शाने के लिए लाभ और हानि खाते में प्रकट किया जाता है और इसमें केवल एकमुश्त लेन-देन शामिल हैं. इस उद्देश्य के लिए जब ये प्रतिभूतियाँ परिपक्वता की तारीख तक कंपनी के पास रहती हैं, तो बिक्री में मोचन से प्राप्त आय को भी शामिल किया जाता है.
Purchases and sales of dated government securities, treasury bills and other securities in the nature of stock in trade are disclosed in the Profit and Loss Account, with a view to indicating the turnover of funds of the company and include only outright transactions. For this purpose, sales also include redemption proceeds, if any, when these securities are held by the Company till the date of maturity.

इ आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के मामले में,
C. In case of IDBI Asset Management Limited,

i. निवेश प्रबंधन शुल्कः निवेश प्रबंधन शुल्क का निर्धारण उपचित आधार पर आईडीबीआई म्यूचुअल फंड की योजनाओं की दैनिक औसत निवल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में उपचय आधार पर सेवा कर को घटाकर इस प्रकार किया जाता है कि यह यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ('सेबी') (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 ('विनियम') विनिर्दिष्ट दरों से अधिक न हो.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

Investment Management fees: Investment Management fees are recognized net-off service tax/GST on an accrual basis as a percentage of the average daily net assets of the schemes of IDBI Mutual funds, such that it does not exceed the rates prescribed by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (Mutual Fund) Regulations, 1996 (the 'Regulations') as amended.

ii. अन्य आय : ब्याज आय को अवधि आनुपातिक आधार पर हिसाब में लिया जाता है. खरीद लागत निकालने के लिए फीफ़ो पद्धति का प्रयोग करते हुए क्रय-विक्रय की तारीख को निवेशों के विक्रय पर लाभ/हानि का निर्धारण लाभ-हानि विवरण में किया जाता है. लाभांश प्राप्त करने का अधिकार सिद्ध हो जाने पर लाभांश आय का निर्धारण किया जाता है.

Other income: Interest income is accounted for on period proportion basis. The Profit/Loss on the sale of investments is recognized in the Profit and Loss Account on the trade date using the FIFO method for arriving at purchase cost. Dividend income is recognized when the right to receive dividend is established

iii. ब्याजयुक्त प्रतिभूतियों पर ब्याज कूपन दर पर उपचित होता है. ऐसे निवेशों की खरीद पर, अंतिम ब्याज देय तारीख से खरीद की तारीख तक की अवधि के लिए ब्याज के भुगतान को खरीद की लागत नहीं माना जाता है बल्कि इसे वसूली योग्य ब्याज माना जाता है. इसी प्रकार बिक्री के समय अंतिम ब्याज देय तारीख से बिक्री की तारीख तक की अवधि के लिए प्राप्त ब्याज को बिक्री मूल्य का भाग नहीं माना जाता है बल्कि इसे वसूला गया ब्याज माना जाता है. प्रतिभूतियों पर प्रीमियम/छूट के मामले में इसे सम्पूर्ण अवधि के लिए परिशोधित किया जाता है.

Interest on interest bearing securities is accrued on the coupon rate. On purchase of such investments, interest paid for the period from the last interest due date up to the date of purchase is not treated as a cost of purchase but is treated as interest recoverable. Similarly, interest received at the time of sale for the period from the last interest due date up to the date of sale is not treated as part of sale value but is treated as interest recovered. In case of premium /discount on securities the same is being amortized over the tenure.

ई. आईडीबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के मामले में,

D. In case of IDBI Mutual Fund Trustee Company Limited,

i. ट्रस्टीशिप शुल्कः ट्रस्टीशिप शुल्क का निर्धारण उपचित आधार पर आईडीबीआई म्यूचुअल फंड की योजनाओं की दैनिक औसत निवल आस्तियों के प्रतिशत के रूप में उपचय आधार पर इस प्रकार किया जाता है कि यह भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ('सेबी') (म्यूचुअल फंड) विनियम, 1996 ('विनियम') तथा अन्य कोई संशोधन अथवा संबंधित योजनाओं के ऑफर डॉक्युमेंट में विनिर्दिष्ट दरों से अधिक न होने पाए.

Trusteeship fees: Trusteeship fees is recognized on accrual basis as a percentage of the average daily net assets of the schemes of IDBI Mutual funds, such that it does not exceed the rates prescribed by the Securities and Exchange Board of India ('SEBI') (Mutual Fund) Regulations, 1996 (the 'Regulations') and any other amendments or offer document of the respective schemes

ii. अन्य आयः निवेशों से आय को उपचित आधार पर हिसाब में लिया जाता है. लाभांश प्राप्त करने का अधिकार सिद्ध हो जाने पर लाभांश आय का निर्धारण किया जाता है. खरीद लागत निकालने के लिए फीफ़ो पद्धति का प्रयोग करते हुए क्रय - विक्रय की तारीख को निवेशों के विक्रय पर लाभ/ हानि का निर्धारण लाभ-हानि विवरण में किया जाता है.

Other income: Income from Investments is accounted on accrual basis. Dividend income is recognized when the right to receive dividend is established. Profit/ Loss on sale of investments is recognised in the Profit and Loss Account on the trade date using the FIFO method for arriving at the purchase cost.

उ. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में,

E. In case of IDBI Intech Limited,

सॉफ्टवेयर समाधानों और परामर्शी सेवाओं से प्राप्त राजस्व को संविदा की निर्दिष्ट शर्तों पर हिसाब में लिया जाता है. समय और वस्तु आधारित संविदा के मामले में राजस्व को सबन्धित सेवाओं के निष्पादन पर और निर्धारित मूल्य संविदा के मामले में राजस्व को सेवाओं की पूर्ति और संविदा के मूल्य की पद्धति की पूर्ति के प्रतिशत द्वारा हिसाब में लिया जाता है. सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन और उत्पादों की बिक्री से प्राप्त राजस्व को वस्तु की संपत्ति के हस्तांतरण अथवा प्रमुख लक्ष्य की प्राप्ति पर हिसाब में लिया जाता है. वार्षिक तकनीकी सेवाओं से प्राप्त राजस्व को उस अवधि में जब सेवाएं प्राप्त की गई है पर आनुपातिक आधार पर हिसाब में लिया जाता है.

Revenues from software solutions and consulting services are recognized on specified terms of contract. In case of contract on time and material basis revenue is recognised when the related services are performed and in case of fixed price contracts revenue is recognized using percentage of completion method of value of the contract and completed service. Revenue from sale of software applications and products are recognized on transfer of property of goods or on achievement of milestone. Revenue from annual technical services is recognized proportionately over the period in which services are rendered.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

पूरे किए गए कार्य के प्रतिशत के संविदा मूल्य में किसी संशोधन का प्रभाव उस वर्ष में दर्शाया जाता है जिसमें परिवर्तनों का पता चलता है. सेवाओं के निष्पादन से पूर्व प्राप्त या बिल की गई राशि को गैर-अर्जित राशि के रूप में लिया जाता है. अन्य चालू आस्तियों में शामिल व बिल में नहीं लिखी गई सेवाएँ संविदा की शर्तों के अनुसार अग्रिम रूप से बिल में लिखे गए सेवाओं के राजस्व का निवल निष्पादन पर आधारित हिसाब में ली गई राशि होती है. राजस्व को निवल छूट और प्रोत्साहन के रूप में दर्ज किया जाता है.
The impact of any revision in contract value of the percentage of work completed is reflected in the year in which the change becomes known. Amount received or billed in advance of services performed are recorded as unearned revenue. Unbilled services included in other current assets represents amount recognized based on services performed in advance of billing in accordance with contract terms. Revenue is reported net of discount / incentive.

कॉल सेंटर से प्राप्त राजस्व इकाई कीमत वाली संविदाओं, समय आधारित संविदाओं, लागत आधारित संविदाओं और वचनबद्ध सेवाओं से प्राप्त होती है. ऐसे राजस्व को संबंधित सेवाओं की पूर्ति पर हिसाब में लिया जाता है और इसे ग्राहक के साथ हुई संविदा की निर्धारित शर्तों के अनुसार बिल में शामिल किया जाता है.
Revenue from call centre arises from unit priced contracts, time based contracts, cost based projects and engagement services. Such revenue is recognised on completion of the related services and is billed in accordance with the specific terms of the contract with the client.

ब्याज आय को समय अनुपातिक आधार पर दर्शाया जाता है.
Interest Income is recognised on time proportion basis.

ऊ. *आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड, के मामले में,*
F. *In case of IDBI Trusteeship Services Limited,*

i. कंपनी अपना राजस्व स्वीकृति शुल्कों, सेवा प्रभारों, दस्तावेजीकरण प्रभारों, लॉकर के किराए और बैंक सावधि जमाराशियों और म्यूचुअल फंडों में निवेश से आय के रूप में प्राप्त करती है जिनकी गणना उपचय आधार पर की जाती है. यदि बकाया देय राशियां अगले दो वित्तीय वर्षों की समाप्ति तक वसूल नहीं की जाती हैं, तो समनुदेशनों को अनियमित समनुदेशन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. इस प्रकार के अनियमित समनुदेशनों की आय प्राप्ति के वर्ष में ही गणना में ली जाती है. ऐसे अनियमित समनुदेशनों के प्रति पिछले वर्षों में बकाया किसी भी राशि को ऐसे निर्धारण वर्ष में अशोध्य ऋण के रूप में बट्टे खाते में डाल दिया जाता है. जब अंतिम समाधान अनिश्चित हो, तो अन्य ऋणों को अशोध्य व बट्टे खाते डाला गया समझा जाता है.
The Company derives its revenue from Acceptance Fees, Service Charges, Documentation Charges, Locker Rentals and Income from investments in Bank Fixed Deposit and Mutual Funds, which are accounted for on accrual basis. Assignments are to be classified as irregular assignments if any outstanding dues are not recovered till the end of next two financial years. Income in respect of such irregular assignments is accounted for in the year of receipt. Any previous year's amounts outstanding against such irregular assignments are written off as bad debt in year of such determination. Other debts are considered as bad and written off when ultimate realisation is uncertain.

ii. निवेश पर ब्याज आय को बकाया राशि तथा लागू ब्याज दर को हिसाब में लेते हुए समयानुपातिक आधार पर दर्शाया जाता है. इसे अन्य आय में शामिल किया जाता है.
Interest income on investment recognized on a time proportion basis taking into account amount outstanding and the applicable interest rate. It is included in other income.

ए. *आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में,*
G. *In case of IDBI Federal Life Insurance Company Limited,*

(i) **प्रीमियम आय:**
Premium Income:

गैर-संबद्ध कारोबार के लिए, प्रीमियम (सेवा कर/वस्तु एवं सेवा कर घटाकर) को देय होने पर आय के रूप में अभिनिर्धारित किया जाता है. व्यपगत पॉलिसियों के प्रीमियम को इन पॉलिसियों के फिर से सक्रिय होने पर आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है. गैर-संबद्ध परिवर्ती बीमा कारोबार के लिए प्रीमियम को प्राप्ति तारीख पर आय माना जाता है. संराशीकृत प्रीमियम को संराशीकरण वर्ष में देय माना जाता है और उसे नवीकरण प्रीमियम माना जाता है. टॉप अप प्रीमियम को एकल प्रीमियम माना जाता है. संबद्ध कारोबार के लिए, संबद्ध यूनिटों के आबंटन पर प्रीमियम को आय माना जाता है.
For non-linked business, premium (net of Service Tax / Goods and Services Tax) is recognized as income when due. Premium on lapsed policies is recognized as income when such policies are reinstated. For non-linked

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

variable insurance business, premium is recognized as income on the date of receipt. Commuted premium is considered as due in the year of commutation and is considered as renewal premium. Top up premiums are considered as single premium. For linked business, premium is recognized as income when the associated units are allotted.

(ii) **संबद्ध निधि से आय:**
Income from Linked fund:

संबद्ध निधियों से आय, जिसमें निधि प्रबंधन प्रभार, नीति प्रशासन प्रभार, बीमा की लागत आदि शामिल हैं, को बीमा पॉलिसी के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार संबद्ध निधि से वसूला जाता है और उपचय आधार पर हिसाब में लिया जाता है.
Income from linked funds which includes fund management charges, policy administration charges, cost of insurance, etc. are recovered from the linked fund in accordance with terms and conditions of policy and are accounted on accrual basis.

(iii) **निवेशों पर अर्जित आय:**
Income Earned on Investments:

निवेशों पर ब्याज आय को उपचय आधार पर निर्धारित किया जाता है. बट्टे का उपचय और ऋण प्रतिभूतियों से संबद्ध प्रीमियम के परिशोधन का निर्धारण सीधी रेखा आधार पर धारिता / परिपक्वता अवधि के बाद किया जाता है. बीमा पॉलिसियों पर ऋण से अर्जित ब्याज आय का निर्धारण उपचित आधार पर किया जाता है तथा इसे निवेशों पर ब्याज आय में शामिल किया जाता है. लाभांश की प्राप्ति का अधिकार सिद्ध हो जाने पर लाभांश आय का निर्धारण किया जाता है. वैकल्पिक निवेश फंडों से प्राप्त आय को उस समय निर्धारित किया जाता है जब आय फंड द्वारा वितरित की जाती है. संबद्ध कारोबार के अलावा ऋण प्रतिभूतियों की बिक्री पर लाभ या हानि, निवल बिक्री प्रतिफल व परिशोधन लागत के बीच का अंतर होती है, जिसकी गणना बिक्री की तारीख के अनुसार औसत भारित आधार पर की जाती है.
Interest income on investments is recognized on accrual basis. Accretion of discount and amortization of premium relating to debt securities is recognized over the holding/maturity period on a straight-line basis. Interest income earned on loan against insurance policies is recognized on accrual basis and is included in interest income on investments. Dividend income is recognized when the right to receive dividend is established. Income from Alternative Investment Funds is recognized when the income is distributed by the fund. Profit or loss on sale of debt securities for other than linked business is the difference between the net sale consideration and the amortized cost, which is computed on a weighted average basis, as on the date of sale

संबद्ध कारोबार के अलावा इक्विटी शेयरों व म्यूचुअल फंडों तथा वैकल्पिक निवेश फंड की यूनिटों की बिक्री पर लाभ या हानि निवल बिक्री प्रतिफल व उसकी रखाव राशि का अंतर होता है, जिसकी गणना बिक्री की तारीख के अनुसार औसत भारित आधार पर की जाती है तथा इसमें पूर्व में "उचित मूल्य परिवर्तन खाते" के अंतर्गत निर्धारित उचित मूल्य के संचयी परिवर्तनों को शामिल किया जाता है. संबद्ध कारोबार के लिए धारित निवेशों की बिक्री पर लाभ या हानि निवल बिक्री प्रतिफल व उसकी रखाव राशि का अंतर होता है, जिसकी गणना बिक्री की तारीख के अनुसार औसत भारित आधार पर की जाती है.
Profit or Loss on sale of equity shares, mutual funds and Alternative Investment Fund units for other than linked business is the difference between the net sale consideration and the carrying amount, which is computed on weighted average basis, as on the date of sale and includes the accumulated changes in the fair value previously recognized under “Fair Value Change Account”. Profit or Loss on sale of investment held for linked business is the difference between the net sale consideration and the carrying amount, which is computed on a weighted average basis, as on the date of sale.

अवमानक आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किसी भी आस्ति को प्राप्ति की तारीख को आय माना जाता है.
Income in respect of any asset classified as Sub-Standard Assets shall be recognized as income on the date of receipt.

(iv) **शुल्क और प्रभार**
Fees and Charges

आईआरडीएआई विनियमों के अनुसार पॉलिसीधारकों की अदावी राशि से प्रशासन तथा निधि प्रबंधन व्ययों की वसूली का हिसाब उपचित आधार पर किया जाता है.
Recovery towards administration and fund management expenses from the Unclaimed Amount of Policy Holders in accordance with IRDAI regulations is accounted on accrual basis.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

5 **आईडीबीआई फेडरल लाइफ इन्श्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में**
In case of IDBI Federal Life Insurance Company Limited

i) **अर्जन लागत:**
Acquisition Costs:

अर्जन लागतें ऐसी लागतें होती हैं जो भिन्न-भिन्न होती हैं और प्राथमिक रूप से बीमा संविदा के अर्जन से जुड़ी होती हैं तथा ये उसी अवधि में व्यय की जाती हैं, जिस अवधि में उपगत होती हैं.

Acquisition costs are costs that vary with and are primarily related to acquisition of insurance contracts and are expensed in the period in which they are incurred.

ii) **प्रदत्त लाभ:**
Benefits Paid:

प्रदत्त लाभ में पॉलिसी लाभ का दावा निपटान, यदि कोई हो, शामिल है. मृत्यु, राइडर, आहरण एवं अभ्यर्पण दावे सूचना मिलने के बाद हिसाब में लिए जाते हैं. उत्तरजीविता लाभ दावे व परिपक्वता दावे देय होने पर हिसाब में लिए जाते हैं. संबद्ध पॉलिसियों के अंतर्गत किए गए आहरण एवं अभ्यर्पण सहबद्ध यूनिटों के निरस्त होने पर संबंधित योजनाओं में हिसाब में लिए जाते हैं. दावों पर पुनर्बीमा वसूलियां संबंधित दावों की अवधि में ही हिसाब में ली जाती हैं.

Benefits paid comprise of policy benefits and claim settlement costs, if any. Death, rider, withdrawals and surrender claims are accounted for on receipt of intimation. Survival benefit claims and maturity claims are accounted when due. Withdrawals and Surrenders under linked policies are accounted in the respective schemes when the associated units are cancelled. Reinsurance recoveries on claims are accounted for, in the same period as the related claims.

iii) **बीमांकिक देयता मूल्यांकन:**
Actuarial liability valuation:

जीवन बीमा के मामले में प्रवर्तनशील बीमा पॉलिसियों के संबंध में तथा ऐसी पॉलिसियों के संबंध में जहाँ प्रीमियम तो जारी नहीं है, लेकिन देयता विद्यमान है, उनके संबंध में बीमांकिक देयता का निर्धारण नियुक्त बीमांकक द्वारा स्वीकार्य बीमांकक प्रथाओं, बीमा अधिनियम, 1938, बीमा संविधि (संशोधन) अधिनियम 2015 द्वारा यथासंशोधित, इरडा विनियमों तथा समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों व भारतीय बीमांकक संस्थान के बीमांकक प्रथा मानकों की अपेक्षाओं के अनुरूप सकल प्रीमियम पद्धति से किया जाता है. संबद्ध पॉलिसियों के अंतर्गत देयताएं यूनिटों के मूल्य व मृत्यु एवं रुग्णता जोखिमों के संबंध में भावी गैर यूनिट रिज़र्व का योग करने के बाद पॉलिसी प्रभार घटाकर निकाली जाती हैं.

Actuarial liability for life policies in force and for policies in respect of which premium has been discontinued but a liability exists, is determined by the Appointed Actuary using the gross premium method, in accordance with accepted actuarial practice, requirements of Insurance Act, 1938, as amended by the Insurance Law (Amendment) Act, 2015, IRDA regulations & circulars issued from time to time and the Actuarial Practice Standards of the Institute of Actuaries of India. Liabilities under unit linked policies are the sum of the value of units and the prospective non unit reserve in respect of mortality and morbidity risks and future policy expenses, less policy charges.

iv) **पुनर्बीमा प्रीमियम:**
Reinsurance premium:

अर्पित पुनर्बीमे की लागत पुनर्बीमाकर्ता के साथ संधि अथवा सैद्धान्तिक व्यवस्था के अनुसार प्रीमियम आय के निर्धारण के समय की जाती है.

Cost of reinsurance ceded is accounted for at the time of recognition of premium income in accordance with the treaty or in-principle arrangement with the reinsurer.

v) **भावी समायोजन के लिए निधियां:**
Funds for Future Appropriations:

प्रतिभागी खंड में भावी समायोजन के लिए बताई गई निधियां वह अधिशेष है, जिसे तुलन पत्र की तारीख को पॉलिसीधारकों या अंशधारकों को आबंटित नहीं किया गया हैं. प्रतिभागी पॉलिसीधारक को किया गया कोई भी आबंटन अंशधारकों के लाभ हानि लेखे में अंतरण में अपेक्षित अनुपात में वृद्धि करेगा.

The funds for future appropriations, in the participating segment, represent the surplus, which is not allocated to policyholders or shareholders as at the Balance Sheet date. Any allocation to the participating policyholders would also give rise to a transfer to Shareholder's Profit and Loss Account in the required proportion.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

vi) **वस्तु और सेवा कर (पूर्ववर्ती 'सेवा कर'):**
Goods and Services Tax (erstwhile 'Service tax'):

जीवन बीमा सेवा पर वस्तु और सेवा कर के दायित्व का निपटान वस्तु एवं सेवाओं की निविष्टियों पर अदा किए गए कर पर उपलब्ध निविष्टि कर जमा ('आईटीसी') से किया गया है. अनुपयोगित क्रेडिट, यदि कोई हो तो उसे निपटान के लिए आगे ले जाया गया है.
Goods and Services Tax liability on life insurance service is set-off against the input tax credits ('ITC') available from tax paid on input of goods or services. Unutilized credits, if any, are carried forward for set-off.

vii) **ऋण:**
Loans:

पॉलिसियों पर ऋण को ऐतिहासिक लागत पर विवरित किया गया है जो कि मूल्यह्रास के लिए प्रावधान, यदि कोई हो, के अधीन है.
Loans against policies are stated at historical cost, subject to provision for impairment, if any.

6. अग्रिम और प्रावधान :
Advances and Provisions:

i. अग्रिमों को मानक, अवमानक, संदिग्ध तथा हानि आस्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुसार प्रावधान किए जाते हैं. अग्रिमों को अनर्जक अग्रिमों के लिए किए गए प्रावधानों को घटाकर दिखाया जाता है.
Advances are classified into Standard, Sub-standard, Doubtful and Loss assets and provisions are made in accordance with the prudential norms prescribed by RBI. Advances are stated net of provisions towards non-performing advances.

ii. जहाँ बही ऋणों सहित मूर्त प्रतिभूति पर अग्रिमों का न्यूनतम 10% भाग विनिर्दिष्ट/ सृजित किया जाता है, वहाँ अग्रिमों को 'मूर्त आस्तियों द्वारा प्रतिभूत' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. एस्क्रो, गारंटी, चुकौती आश्वासन पत्र, ब्रांड पर प्रभार, लाइसेंस, पेटेंट, कॉपीराइट आदि के रूप में प्रतिभूति को 'मूर्त आस्तियां' नहीं माना जाता है.
Advances are classified as `Secured by Tangible Assets' when security of at least 10% of the advance has been stipulated/ created against tangible security including book debts. Security in the nature of escrow, guarantee, comfort letter, charge on brand, license, patent, copyright, etc. are not considered as `Tangible Assets'.

iii. विगत वर्षों में बट्टे खाते डाले गए ऋणों में की गई वसूलियों तथा उधारकर्ता की मौजूदा स्थिति में आवश्यक न समझे गए प्रावधानों की राशि को लाभ व हानि खाते में दर्शाया जाता है.
Amounts recovered against debts written-off in earlier years and provisions no longer considered necessary in the context of the current status of the borrower are recognized as income in the Profit and Loss Account.

iv. बैंक अशोध्य और संदिग्ध अग्रिमों तथा निवेशों के लिए कोई अस्थायी प्रावधान नहीं करता है.
The Bank does not make any floating provision for bad and doubtful advances and investments.

v. पुनर्संरचित/ पुनःनिर्धारित ऋणों और अग्रिमों का प्रावधान बैंकों द्वारा ऋणों और अग्रिमों की पुनर्संरचना पर लागू रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है.
Provision on loans and advances restructured/rescheduled is made in accordance with the applicable RBI guidelines on restructuring of loans and advances by Banks.

vi. बैंक, बोर्ड के अनुमोदन से प्रावधानीकरण पर रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों द्वारा यथा अपेक्षित प्रति-चक्रीय बफर बनाता है और इसका उपयोग सीमाओं और भारतीय रिज़र्व बैंक (रिज़र्व बैंक) द्वारा अनुमत परिस्थितियों के भीतर करता है.
The Bank had made countercyclical provisioning buffer as required by RBI guidelines, in earlier years, with the approval of the Board, which can be utilized within the limits and in the circumstances permitted by Reserve Bank of India (RBI).

7. निवेश:
Investments:

I. **आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में**
In case of IDBI Bank Limited

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अ. वर्गीकरण:

A. Classification:

निवेश वर्गीकरण एवं मूल्यांकन के बारे में रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार संपूर्ण निवेश पोर्टफोलियो को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाता है:

In terms of extant guidelines of the RBI on Investment classification and Valuation, the entire investment portfolio is categorized as:

i. परिपक्वता तक धारित
Held To Maturity,

ii. बिक्री के लिए उपलब्ध तथा
Available For Sale and

iii. क्रय-विक्रय के लिए धारित
Held For Trading.

प्रत्येक श्रेणी के अतंर्गत निवेश को निम्नलिखित रूप में पुनःवर्गीकृत किया जाता है:

Investments under each category are further classified as:

i. सरकारी प्रतिभूतियां
Government Securities

ii. अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां
Other Approved Securities

iii. शेयर
Shares

iv. डिबेंचर तथा बांड
Debentures and Bonds

v. सहायक संस्थाएं/ संयुक्त उद्यम
Subsidiaries/ Joint Ventures

vi. अन्य (वाणिज्यिक पत्र, म्यूचुअल फंड यूनिट, प्रतिभूति रसीदें, पास थ्रू प्रमाणपत्र)
Others (Commercial Paper, Mutual Fund Units, Security Receipts, Pass through Certificate).

आ. वर्गीकरण का आधार:

B. Basis of Classification:

क) बैंक द्वारा परिपक्वता तक धारित रखने के उद्देश्य से किए गए निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.

a) Investments that the Bank intends to hold till maturity are classified as 'Held to Maturity'.

ख) खरीद की तारीख से 90 दिनों के भीतर मूलतः फिर से बिक्री के लिए धारित रखे गए निवेशों को 'क्रय-विक्रय के लिए धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.

b) Investments that are held principally for sale within 90 days from the date of purchase are classified as 'Held for Trading'.

ग) जो निवेश उपर्युक्त दोनों श्रेणियों में नहीं आते हैं, उन्हें 'बिक्री के लिए उपलब्ध' शीर्ष के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है.

c) Investments, which are not classified in the above two categories, are classified as 'Available for Sale'.

घ) किसी निवेश को उसकी खरीद के समय 'परिपक्वता तक धारित', 'बिक्री के लिए उपलब्ध' अथवा 'क्रय-विक्रय के लिए धारित' की श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है और बाद में इन श्रेणियों के बीच में इनकी अदला-बदली तथा मूल्यांकन रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है.

d) An investment is classified as 'Held To Maturity', 'Available For Sale' or 'Held For Trading' at the time of its purchase and subsequent shifting amongst categories and its valuation is done in conformity with RBI guidelines.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ङ) सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों में किए गए निवेशों को 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है. सहायक संस्थाओं में निवेशों का वर्गीकरण उसके अर्जन के समय किया जाता है.

e) Investments in subsidiaries and joint venture are classified as 'Held to Maturity'. The classification of investments in associates is done at the time of its acquisition.

इ. मूल्यांकन :
C. Valuation:

i) किसी निवेश की अर्जन लागत को निर्धारित करने में:
In determining the acquisition cost of an investment:

क) सेकंडरी बाजार से खरीदे गए इक्विटी लिखतों के मामले में प्रदत्त दलाली, कमीशन, स्टाम्प ड्यूटी और अन्य करों को अर्जन लागत में शामिल किया जाता है जबकि ट्रेजरी निवेशों सहित अन्य निवेशों के मामले में ऐसे व्ययों को लाभ-हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है.

a) Brokerage, commission, stamp duty, and other taxes paid are included in cost of acquisition in respect of acquisition of equity instruments from the secondary market whereas in respect of other investments, including treasury investments, such expenses are charged to Profit and Loss Account.

ख) खंडित अवधि के लिए प्रदत्त/ प्राप्त ब्याज को अर्जन लागत/ बिक्री में से घटाया जाता है और उसे ब्याज व्यय/ आय के रूप में माना जाता है
का निर्धारण

b) Broken period interest paid/ received is excluded from the cost of acquisition/ sale and treated as interest expense/ income.

ग) लागत का निर्धारण भारित औसत लागत पद्धति के अनुसार किया जाता है.

c) Cost is determined on the weighted average cost method.

ii) 'परिपक्वता तक धारित' निवेशों को जब तक यह अंकित मूल्य से अधिक न हों, अर्जन लागत के अनुसार हिसाब में लिया जाता है. ऐसे मामलों में प्रीमियम को परिपक्वता की शेष बची अवधि में सीधी रेखा पद्धति से परिशोधित किया जाता है. इस श्रेणी के अंतर्गत सहायक संस्थाओं / संयुक्त उद्यमों में निवेशों के मूल्य में अस्थायी स्वरूप की कमी के अलावा होने वाली अन्य कमी के संबंध में प्रत्येक निवेश के लिए अलग-अलग प्रावधान किया जाता है.
Investments 'Held To Maturity' are carried at acquisition cost unless it is more than the face value, in which case the premium is amortized on straight line basis over the remaining period of maturity. Diminution, other than temporary, in the value of investments under this category is provided for each investment individually.

iii) 'ट्रेडिंग के लिए धारित' तथा 'बिक्री के लिए उपलब्ध' निवेशों के स्क्रिप-वार बाजार मूल्य को बही में अंकित किया जाता है और प्रत्येक श्रेणी में हुए निवल मूल्यह्रास, यदि कोई हो, को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है जबकि किसी निवल वृद्धि, यदि कोई हो, को नहीं दर्शाया जाता है.
Investments 'Held For Trading' and 'Available For Sale' are marked to market scrip-wise and the resultant net depreciation, if any, in each category is recognised in the Profit and Loss Account, while the net appreciation, if any, are ignored.

क) ट्रेजरी बिलों, वाणिज्यिक पत्रों तथा जमा प्रमाणपत्रों का मूल्यांकन बट्टाकृत लिखत होने के कारण रखाव लागत पर किया जाता है.

a) Treasury Bills, Commercial Papers and Certificates of Deposit being discounted instruments are valued at carrying cost.

ख) क्रय-विक्रय/ उद्धृत किए गए निवेशों के संबंध में बाजार मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में उपलब्ध क्रय-विक्रय/ भाव-सूची से लिया जाता है.

b) In respect of traded/ quoted investments, the market price is taken from the trades/ quotes available on the stock exchanges.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ग) उद्धृत सरकारी प्रतिभूतियों को मूल्य बाजार कीमत पर मूल्यांकित किया जाता है तथा अनुद्धृत / क्रय-विक्रय न की जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन फाइनैंशियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि. (एफबीआईएल) द्वारा घोषित कीमत पर किया जाता है.

c) The quoted Government Securities are valued at market prices and unquoted/non-traded government securities are valued at prices declared by Financial Benchmark India Pvt Ltd (FBIL).

घ) अनुद्धृत शेयरों का मूल्य अलग-अलग मूल्य या अद्यतन तुलन-पत्र उपलब्ध होने पर निवल आस्ति मूल्य पर, अन्यथा ₹ 1/- प्रति कंपनी के आधार पर निकाला जाता है और म्यूचुअल फंडों की यूनिटों का मूल्य रिज़र्व बैंक के सुसंगत दिशानिर्देशों के अनुसार पुनर्खरीद मूल्य पर निकाला जाता है.

d) The unquoted shares are valued at break-up value or at Net Asset Value if the latest Balance Sheet is available, else, at ₹ 1/- per company and units of mutual fund are valued at repurchase price as per relevant RBI guidelines.

ड़) नियत आय वाली अनुद्धृत प्रतिभूतियों (सरकारी प्रतिभूतियों को छोड़कर) का मूल्य समान परिपक्वता अवधि वाली केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों की परिपक्वता पर प्रतिफल (वाईटीएम) दरों पर समुचित रूप से अधिक दर निर्धारित कर वाईटीएम आधार पर निकाला जाता है. ऐसे मूल्य वृद्धि अंतर व वाईटीएम दरों को फिक्स्ड इंकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव असोसिएशन ऑफ इंडिया (एफआईएमएमडीए) / एफबीआईएल द्वारा प्रकाशित संबंधित दरों के आधार पर लागू किया जाता है.

e) The unquoted fixed income securities (other than government securities) are valued on Yield to Maturity (YTM) basis with appropriate mark-up over the YTM rates for Central Government securities of equivalent maturity. Such mark-up and YTM rates applied are as per the relevant rates published by Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA)/FBIL

च) आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों का मूल्यांकन रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए तथा ऐसे लिखतों पर लागू दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है. तद्नुसार ऐसे मामलों में जहाँ आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों द्वारा जारी प्रतिभूति रसीदों से नकदी प्रवाह, संबंधित योजना में लिखतों को समनुदेशित वित्तीय आस्तियों की वास्तविक वसूली तक सीमित हो, वहाँ बैंक आस्ति पुनर्निर्माण कंपनियों से समय-समय पर प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति पर इस प्रकार के निवेशों के मूल्यांकन के लिए निवल आस्ति मूल्य को हिसाब में लेता है. .

f) Security receipts issued by the asset reconstruction companies are valued in accordance with the guidelines applicable to such instruments, prescribed by RBI from time to time. Accordingly, in cases where the cash flows from security receipts issued by the asset reconstruction companies are limited to the actual realisation of the financial assets assigned to the instruments in the concerned scheme, the Bank reckons the net asset value obtained from the asset reconstruction company from time to time, for valuation of such investments at the end of each reporting period.

छ) उद्धृत अधिमान्य शेयरों को बाजार दरों पर मूल्यांकित किया जाता है तथा अनुद्धृत / गैर-ट्रेडेड अधिमान्य शेयरों को परिपक्वता पर उचित प्रतिफल द्वारा मूल्यांकित किया जाता है जो रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार मोचन मूल्य से अधिक नहीं होगा.

g) Quoted Preference shares are valued at market rates and unquoted/non- traded preference shares are valued at appropriate yield to maturity basis, not exceeding redemption value as per RBI guidelines.

निवेशों की बिक्री से प्राप्त लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में जमा/ नामे किया जाता है. तथापि, 'परिपक्वता तक धारित' श्रेणी में निवेशों की बिक्री से लाभ को पहले लाभ-हानि लेखे में जमा किया जाता है और उसके बाद वर्ष/ अवधि की समाप्ति पर लागू करों को घटाकर पूंजी रिज़र्व खाते में समायोजित किया जाता है. बिक्री से हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.

Profit or Loss on sale of investments is credited/ debited to Profit and Loss Account. However, profits on sale of investments in 'Held to Maturity' category is first credited to Profit and Loss Account and thereafter appropriated, net of applicable taxes to the Capital Reserve Account at the year/period end. Loss on sale is recognized in the Profit and Loss Account.

निवेशों की राशि प्रावधानों को घटाकर दर्शाई जाती है.

Investments are shown net of provisions.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ई. रेपो एवं रिवर्स रेपो लेन-देन :

D. Repo and reverse repo transactions:

रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार सरकारी प्रतिभूतियों व कॉरपोरेट ऋण प्रतिभूतियों (चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) व सीमांत आपाती सुविधा (एमएसएफ) के अंतर्गत रिज़र्व बैंक से किए गए लेन-देनों सहित) रेपो व रिवर्स रेपो के लेन-देन क्रमशः ऋण लेने व ऋण देने वाले लेन-देन के रूप में दर्शाए जाते हैं. रेपो लेन-देन पर उधार लागत को ब्याज व्यय के रूप में तथा रिवर्स रेपो लेन-देन पर प्राप्त राजस्व को ब्याज आय के रूप में हिसाब में लिया जाता है.
In accordance with the RBI guidelines repo and reverse repo transactions in government securities and corporate debt securities (including transactions conducted under Liquidity Adjustment Facility ('LAF') and Marginal Standby Facility ('MSF') with RBI) are reflected as borrowing and lending transactions respectively. Borrowing cost on repo transactions is accounted as interest expense and revenue on reverse repo transactions is accounted as interest income.

I. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के मामले में
In case of IDBI Assets Management Limited

ऐसे निवेश जो तत्काल वसूली योग्य हैं और ऐसे निवेश करने की तारीख से एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए धारित नहीं किए जाने हैं, उन्हें चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. अन्य सभी निवेशों को दीर्घावधि निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. चालू निवेशों को लागत या उचित मूल्य, जो भी कम हो, पर दर्शाया जाता है. दीर्घावधि निवेशों को लागत पर दर्शाया जाता है. तथापि, निवेशों के मूल्य में कमी, अस्थायी कमी को छोड़कर, के संबंध में ह्रास के लिए प्रावधान किया जाता है. ऐसे घटाव का निर्धारण प्रत्येक निवेश के लिए किया जाता है.
Investments which are readily realizable and are intended to be held for not more than one year from the date, on which such investments are made, are classified as current investments. All other investments are classified as long term investments. Current investments are carried at cost or fair value, whichever is lower. Long-term investments are carried at cost. However, provision for diminution is made to recognize a decline, other than temporary, in the value of the investments, such reduction being determined and made for each investment individually.

II. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लिमिटेड के मामले में
In case of IDBI Trusteeship Services Limited

ऐसे सभी निवेश जो लंबे समय से धारित हैं, उन्हें गैर-चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. दीर्घावधि निवेश लागत पर दर्शाए जाते हैं. दीर्घावधि निवेशों के मूल्य में अस्थायी स्वरूप से भिन्न कमी को दर्शाया जाता है.
All investments which are held, since a long period, same are classified as Non Current Investments. Long term investments are stated at cost. Decline in value of long term investment is recognized, if considered other than temporary.

III. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड के मामले में
In case of IDBI Capital Market Securities Limited

i. निवेशों को गैर-चालू और चालू निवेशों के रूप वर्गीकृत किया जाता है. लाभांश तथा ब्याज के जरिए आय अर्जित करने के लिए तथा पूंजीगत मूल्यवृद्धि के प्रयोजनार्थ अर्जित तथा धारित प्रतिभूतियों और अन्य वित्तीय आस्तियों को गैर चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनका मूल्यांकन उनकी अर्जन लागत पर किया जाता है. उनके मूल्य में अस्थायी गिरावट से भिन्न गिरावट, यदि कोई हो, का निर्धारण किया जाता है. चालू निवेश कम लागत या बाजार मूल्य पर किया जाता है. मार्केट मेकर के रूप में बाजार निर्माण प्रक्रिया में अर्जित प्रतिभूतियों को धारिता-अवधि पर ध्यान दिये बिना चालू निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.
Investments are classified into non-current and current investments. Securities and other financial assets acquired and held for earning income by way of dividend and interest and for the purpose of capital appreciation are classified as non-current investments and are valued at their cost of acquisition. Decline in their value other than temporary, if any, is recognized. Current investments are carried at lower of cost or market value. Securities acquired in the market making process as market maker are classified as current investments irrespective of the period of holding.

अल्पावधि धारिता और ट्रेडिंग के उद्देश्य से अर्जित प्रतिभूतियों को विक्रेय माल समझा जाता है और उसे चालू आस्तियों के रूप में माना जाता है.
Securities acquired with the intention of short-term holding and trading are considered as stock-in-trade and regarded as current assets.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ii. विक्रेय माल श्रेणीवार के रूप में धारित प्रतिभूतियों को कम लागत या बाजार/ उचित मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है. सिर्फ एकमुश्त लेन-देनों पर विचार करते हुए भारित औसत प्रणाली का अनुसरण कर लागत निकाली जाती है. बाजार मूल्य को वास्तविक क्रय-विक्रय के लिए बाजार भावों के आधार पर निर्धारित किया जाता है और जहां ऐसे भाव उपलब्ध नहीं हैं वहाँ उचित मूल्य निर्धारित किया जाता है, ऋण प्रतिभूतियों के मामले में, समान परिपक्वता और साख स्थिति की प्रतिभूतियों पर आय-प्राप्ति के संदर्भ में और इक्विटी के मामले में उपलब्ध अंतिम तुलन पत्र के अनुसार विश्लेषित मूल्य के संदर्भ में निर्धारित किया जाता है. प्रत्येक प्रतिभूति को अलग-अलग मूल्यांकित किया जाता है. प्रत्येक प्रतिभूति के लिए मूल्यह्रास, यदि कोई हो, का प्रावधान किया जाता है और मूल्यवृद्धि, यदि कोई हो, तो उसे छोड़ दिया जाता है.
Securities held as stock-in-trade category wise are valued at lower of cost or market/fair value. Cost is derived by following the weighted average method considering only outright transactions. Market value is determined based on market quotes for actual trades and where such quotes are not available, fair value is determined, in the case of debt securities, with reference to yields on securities of similar maturity and credit standing, and in the case of equities, with reference to the break-up value as per the last available Balance Sheet. Each security is valued individually. The depreciation, if any, for each security is provided and the appreciation, if any, is ignored.

ग. निवेश के रूप में धारित सरकारी प्रतिभूतियों पर प्रदत्त प्रीमियम को लिखत की अवधि के दौरान परिशोधित किया जाता है.
c. Premium paid on government securities held as investment is amortized over the tenor of the instrument.

IV. आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में
In case of IDBI Federal Life Insurance Company Limited

i. बीमा संविधि (संशोधन) अधिनियम 2015 द्वारा यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938, आईआरडीए (निवेश) विनियम, 2016 और आईआरडीए द्वारा इस संदर्भ में समय-समय पर जारी विभिन्न अन्य परिपत्रों/ अधिसूचनाओं और संशोधनों के अनुसार निवेश किए जाते हैं.
Investments are made in accordance with the Insurance Act, 1938 as amended by Insurance Law (Amendment) Act, 2015, the IRDAI (Investment) Regulations, 2016, and various other circulars / notifications and amendments issued by the IRDA in this context from time to time.

ii. निवेशों को खरीद की तारीख को लागत पर दर्ज किया जाता है जिसमें दलाली तथा कर, यदि कोई हों, शामिल किए जाते हैं और उपचित ब्याज शामिल नहीं किए जाते हैं.
Investments are recorded at cost on the date of purchase, which includes brokerage and taxes, if any, and excludes accrued interest.

अ) वर्गीकरण:
A) Classification:

i. तुलन-पत्र की तारीख से बारह महीने के भीतर परिपक्व होने वाले निवेश और तुलन-पत्र की तारीख से बारह महीनों में निपटाने के विशेष अभिप्राय से किए गए निवेशों को अल्पकालिक निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.
Investments maturing within twelve months from the Balance Sheet date and investments made with the specific intention to dispose them off within twelve months from the Balance Sheet date are classified as short term investments.

ii. अल्पकालिक निवेशों के अलावा अन्य निवेशों को दीर्घकालिक निवेशों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है.
Investments other than short-term investments are classified as long-term investments.

आ) मूल्यांकन - शेयरधारकों के निवेश और गैर-संबद्ध पॉलिसीधारकों के निवेश
B) Valuation - shareholders' investments and non-linked policyholders' investments

i. सभी ऋण प्रतिभूतियों को 'परिपक्वता तक धारित' माना जाता है और वे तदनुसार परंपरागत लागत पर दर्शाई जाती हैं जो सीधी रेखा पद्धति के आधार पर परिपक्वता/ धारिता अवधि के दौरान प्रीमियम के परिशोधन अथवा छूट पर वृद्धि के अधीन हैं.
All debt securities are considered as 'Held To Maturity' and accordingly stated at historical cost, subject to amortization of premium or accretion of discount over the period of maturity/holding on a straight line basis.

ii. तुलन-पत्र की तारीख को सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों को उनके उचित मूल्य पर प्राथमिक एक्सचेंज - 'नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ('एनएसई')' पर अंतिम मूल्य पर अंकित किया जाता है. यदि इक्विटी शेयर प्राथमिक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं है / खरीदा-बेचा नहीं जाता है तो उसे उसके उचित मूल्य पर द्वितीयक एक्सचेंज - 'बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ('बीएसई') पर अंतिम

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

मूल्य पर अंकित माना जाता है. म्यूचुअल फंड यूनिटों को तुलन-पत्र की तारीख को पिछले दिन के शुद्ध आस्ति मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है. तुलन पत्र की तारीख में वैकल्पिक निवेश निधि यूनिटों का मूल्यांकन निधि हाउस में उपलब्ध अंतिम एनएवी के आधार पर तुलन पत्र की तारीख में वैकल्पिक निवेश निधि यूनिटों का मूल्यांकन निधि हाउस में उपलब्ध अंतिम एनएवी के आधार पर किया गया है. सूचीबद्धता की प्रतीक्षावाले इक्विटी शेयरों को परंपरागत मूल्य पर अंकित किया जाता है जो इस तरह के निवेश मूल्य के प्रत्येक निवेश के लिए अलग से निर्धारित किया जाता है और जो मूल्य में कमी, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान के अधीन है.

Listed equity shares as at the Balance Sheet date are stated at fair value being the quoted closing price on the Primary Exchange - 'National Stock Exchange ('NSE')'. In case the equity share is not listed/traded on the Primary Exchange the quoted closing price on the Secondary Exchange - 'Bombay Stock Exchange ('BSE')', is considered as fair value. Mutual fund units as at the Balance Sheet date are valued at the previous day's net asset values. Alternative investment fund units as at the Balance Sheet date are valued at last NAV available from the fund house. Equity shares awaiting listing are stated at historical cost subject to provision for diminution, if any, in the value of such investment determined separately for each individual investment.

iii. सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों और म्यूचुअल फंड यूनिटों के उचित मूल्य में हुए परिवर्तन के कारण न लिए गए लाभ/ हानि को "उचित मूल्य परिवर्तन खाते" में लिया जाता है और तुलन-पत्र में आगे ले जाया जाता है.

Unrealized gains/losses arising due to changes in the fair value of listed equity shares and mutual fund units are taken to "Fair Value Change Account" and carried forward in the Balance Sheet.

iv. किसी भी ह्रास हानि को राजस्व या लाभ-हानि लेखे में उतना व्यय समझा जाता है, जितना कि प्रतिभूति या निवेश के पुनर्मूल्यांकित उचित मूल्य व राजस्व या लाभ-हानि खाते में व्यय के रूप में निर्धारित किसी भी पूर्व ह्रासित हानि द्वारा कम की गई इसकी अर्जन लागत के बीच का अंतर होता है. पूर्व में अभिनिर्धारित किसी भी ह्रासित हानि के प्रतिवर्तन को राजस्व या लाभ-हानि लेखों में दर्शाया जाता है.

Any impairment loss is recognized as an expense in Revenue or Profit and Loss Account to the extent of the difference between the re-measured fair value of the security or investment and its acquisition cost as reduced by any previous impairment loss recognized as expense in Revenue or Profit and Loss Account. Any reversal of previously recognized impairment loss is recognized in Revenue or Profit and Loss Account.

इ) मूल्यांकन - संबद्ध कारोबार
C) Valuation - linked business

i. सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन भारतीय नियत आय मुद्रा बाजार और व्युत्पन्नी संघ (एफआईएमएमडीए) से प्राप्त मूल्यों के आधार पर किया जाता है. सरकारी प्रतिभूतियों के अलावा ऋण प्रतिभूतियों का मूल्यांकन रेटिंग एजेंसी द्वारा दैनिक आधार पर जारी किए जाने वाले प्रतिफल मैट्रिक्स का उपयोग करते हुए उचित मूल्य आधार पर किया जाता है.

Government Securities are valued at prices obtained from Fixed Income Money Market and Derivative Association of India (FIMMDA). Debt Securities other than Government Securities are valued at Fair Value using Yield Matrix for Bonds released by Rating Agency, on a daily basis.

ii. मनी मार्केट लिखतों अर्थात् - त्रिपक्षीय रेपो / ट्रेप्स का मुल्यांकन परंपरागत लागत पर किया जाता है, जो धारिता/ परिपक्वता अवधि पर सीधी रेखा आधार पर बट्टे की अभिवृद्धि या प्रीमियम के परिशोधन के अधीन होता है. अन्य मुद्रा बाजार लिखतों जैसे वाणिज्यिक पत्रों, ट्रेजरी बिलों का मूल्यांकन आईआरडीएआई दिशानिर्देशों के अनुरूप फाईनेंसियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफबीआईएल) से प्राप्त आय वक्र/ मूल्यों पर किया जाता है.

Money Market Instruments i.e. Triparty Repo/Treps are valued at historical cost, subject to accretion of discount or amortization of premium over the holding/maturity period on a straight line basis. Other Money Market instruments like Commercial Papers, Treasury Bills are valued based on yield curve / prices as published by Financial Benchmarks India Private Limited (FBIL) in line with IRDAI guidelines.

iii. तुलन-पत्र की तारीख को सूचीबद्ध इक्विटी शेयरों को उनके उचित मूल्य पर अंकित किया जाता है जो प्राथमिक एक्सचेंज - 'नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ('एनएसई')' पर उद्धृत अंतिम भाव होता है. यदि इक्विटी शेयर प्राथमिक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं है या सौदा नहीं किया गया है तो सेकेन्डरी एक्सचेंज - 'बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ('बीएसई')' पर उद्धृत बंद भाव को उचित मूल्य माना जाता है. म्यूचुअल फंड यूनिटों का मूल्यांकन पिछले दिन के निवल आस्ति मूल्य पर किया जाता

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

है. सूचीबद्धता की प्रतीक्षावाले इक्विटी शेयरों को परंपरागत मूल्य पर अंकित किया जाता है जो इस तरह के निवेश मूल्य के प्रत्येक निवेश के लिए अलग से निर्धारित किया गया है और जो मूल्य में कमी, यदि कोई हो, के लिए प्रावधान के अधीन है.

Listed equity shares as at the Balance Sheet date are stated at fair value being the quoted closing price on the Primary Exchange - 'National Stock Exchange ('NSE')'. In case the equity share is not listed/traded on the Primary Exchange the quoted closing price on the Secondary Exchange - 'Bombay Stock Exchange ('BSE')', is considered as fair value. Mutual fund units are valued at the previous day's net asset values. Equity shares awaiting listing are stated at historical cost subject to provision of diminution, if any, in the value of such investment determined separately for each individual investment.

iv. निवेश पर न लिए गए लाभ/ हानि को संबंधित निधि के राजस्व खाते में निर्धारित किया जाता है.

Unrealized gains/losses on investments are recognised in the respective fund's Revenue Account.

ई) निवेशों का अंतरण
D) Transfer of investments

निवेशों का शेयरधारकों की निधि से पॉलिसीधारकों की निधि में अंतरण रखाव राशि या बाजार मूल्य,जो भी कम हो,पर किया जाता है.तथापि,ऋण प्रतिभूति के मामले में सभी अंतरण निवल परिशोधित लागत पर किए जाते हैं.यूनिट संबद्ध निधियों के निवेशों में अंतरण बाजार मूल्य पर किया जाता है.

Transfer of investments from Shareholders' Fund to the Policyholders' Fund is at carrying amount or market price, whichever is lower. However in case of debt securities all transfers are carried out at the net amortized cost. Transfer of investments between unit linked funds is done at market price.

V. आईडीबीआई बैंक म्यूचुअल फ़ंड ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के मामले में:
In case of IDBI Mutual Fund Trustee Company Limited:

निवेशों को गैर-चालू और चालू निवेशों के रूप वर्गीकृत किया जाता है. लाभांश तथा ब्याज के जरिए आय अर्जित करने के लिए तथा पूंजीगत मूल्यवृद्धि के प्रयोजनार्थ अर्जित तथा धारित प्रतिभूतियों और अन्य वित्तीय आस्तियों को गैर-चालू निवेश के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनका मूल्यांकन उनकी अर्जन लागत पर किया जाता है. उनके मूल्य में अस्थायी गिरावट से भिन्न गिरावट,यदि कोई हो,का निर्धारण किया जाता है. चालू निवेश कम लागत या बाजार मूल्य पर किया जाता है.

Investments are classified into non-current and current investments. Securities and other financial assets acquired and held for earning income by way of dividend and interest and for the purpose of capital appreciation are classified as non-current investments and are valued at their cost of acquisition. Decline in their value other than temporary, if any, is recognized. Current investments are carried at lower of cost or market value.

8 डेरिवेटिव लेन-देन:
Derivative Transactions:

अ. 'हेज' के रूप में नामित लेन-देनों में :
A. In Transactions designated as 'Hedge':

क) डेरिवेटिव लेन-देन पर भुगतान योग्य/ प्राप्य निवल ब्याज की गणना उपचय आधार पर की जाती है.

a) Net interest payable/ receivable on derivative transactions is accounted on accrual basis.

ख) हेज स्वैपों के अवधिपूर्व समाप्त होने पर किसी लाभ/ हानि को स्वैप की शेष संविदात्मक अवधि या आस्ति/ देयता की शेष अवधि, जो भी कम हो, के आधार पर दर्शाया जाता है.

b) On premature termination of Hedge swaps, any profit/ losses are recognised over the remaining contractual life of the swap or the residual life of the asset/ liability whichever is lesser.

ग) अंतर्निहित देयता में परिवर्तन से हेज स्वैपों को पुनः अभिनामित करने की गणना के लिए इसे एक हेज की समाप्ति और दूसरे का अर्जन माना जाता है.

c) Re designation of hedge swaps by change of underlying liability is accounted as the termination of one hedge and acquisition of another.

घ) हेज संविदाओं की गणना तब तक बाजार मूल्य के अनुसार नहीं की जाती जब तक कि उसके अंतर्निहित मूल्य को भी बाजार मूल्य के अनुसार अंकित नहीं किया जाता. बाजार के लिए अंकित हेज करारों के संबंध में बाजार मूल्य में परिवर्तनों को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

d) Hedge contracts are not marked to market unless the underlying is also marked to market. In respect of hedge contracts that are marked to market, changes in the market value are recognised in the Profit and Loss Account.

आ. 'ट्रेडिंग' के रूप में नामित लेन-देनों में:

B. In Transactions designated as 'Trading':

'ट्रेडिंग के लिए' नामित बकाया डेरिवेटिव लेन-देनों की गणना उनके उचित मूल्य पर की जाती है जिनमें ब्याज दर स्वैप,परस्पर मुद्रा स्वैप, परस्पर मुद्रा विकल्प एवं ऋण चूक स्वैप शामिल हैं. इसके फलस्वरूप हुए लाभ/ हानि को लाभ-हानि लेखे में शामिल किया जाता है. विकल्पों पर प्रीमियम को तुलन-पत्र की मद के रूप में दर्शाया जाता है और इसे परिपक्वता/ निरस्त होने पर लाभ-हानि लेखे में अंतरित कर दिया जाता है.
Outstanding derivative transactions designated as 'Trading', which includes interest rate swaps, cross currency swaps, cross currency options and credit default swaps, are measured at their fair value. The resulting profits/ losses are included in the Profit and Loss Account. Premium on options is recorded as a Balance Sheet item and transferred to Profit and Loss Account on maturity/ cancellation.

एक्स्चेंज ट्रेडेड करेंसी फ्यूचर्स (ईटीसीएफ़) खंड में ट्रेडिंग के लिए नामित डेरिवेटिव लेन-देनों मुद्रा फ्यूचर्स, मुद्रा ऑप्शन और ब्याज दर फ्यूचर्स शामिल हैं, जिनकी गणना उनके उचित मूल्य पर की जाती है और उनका नकदी निपटान टी+1 आधार पर किया जाता है. इन लेन-देनों से हुए लाभ/ हानि को संबंधित एक्सचेंजों द्वारा निर्धारित की गई माह के अंत की निपटान तारीख को लाभ- हानि लेखे में अंतरित कर दिया जाता है.
Derivative Transactions in Exchange Traded Currency Futures (ETCF's) segments designated as trading includes Currency Futures, Currency Options and Interest Rate Futures which are measured at their fair value and are cash settled on T+1 basis. The resulting profits / losses on these transactions are transferred to Profit and Loss Account on the month end settlement date stipulated by Respective Exchanges.

इ. फ्यूचर्स एवं आप्शंस में लेनदेन में

C. In Transactions in Futures and Options

आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड के मामले में
In case of IDBI Capital Market Securities Limited

i. फ्यूचर्स संविदा/ ऑप्शंस की बिक्री के समय देय प्रारंभिक मार्जिन को एक्सचेंजों के पास मीयादी जमाओं, नकद जमाओं तथा प्रतिभूतियों के रूप में मौजूद जमाओं के प्रति समायोजित किया जाता है.
Initial Margin payable at the time of entering into futures contract / sale of options is adjusted against the deposits with the exchanges in the form of fixed deposits, cash deposits and securities.

ii. फ्यूचर संविदाओं में लेनदेनों को संविदा के कल्पित व्यापार मूल्य पर क्रय तथा विक्रय के रूप में हिसाब में लिया जाता है.
Transactions in Future contracts are accounted as Purchase and Sales at the notional trade value of the contract. The open interest in futures as at the Balance Sheet date is netted by its notional value.

iii. एक्सचेंज से प्राप्त अथवा उसे अदा किये गये निपटान मूल्य के अंतर को अथवा पूर्ववर्ती दिन के एक्सचेंज के बंद मूल्य और परवर्ती दिन के एक्सचेंज के बंद मूल्य के अंतर को बाजार भाव मार्जिन के रूप में माना जाता है. बाजार भाव मार्जिन खाते में शेष तुलन पत्र की तारीख तक फ्यूचर संविदाओं में खुले ब्याज की कीमतों में हुए परिवर्तन के आधार पर निवल रूप से अदा की गई अथवा प्राप्त की गई राशि दर्शाते है. बाजार भाव मार्जिन खाते में निवल नामे शेष को राजस्व में प्रभारित किया जाता है जबकि निवल जमा शेष को चालू देयताओं के अंतर्गत दर्शाया जाता है.
The difference in the settlement price or exchange closing price of the previous day and exchange closing price of the subsequent day, paid to or received from the exchange is treated as Mark to Market Margin. The balance in the Mark to Market Margin Account represents the net amount paid or received on the basis of movement in the prices of open interest in futures contracts till the balance sheet date. Net debit balance in the Mark to Market Margin Account is charged off to revenue whereas net credit balance is shown under current liabilities.

iv. ऑप्शनों की खरीद तथा बिक्री पर अदा किया गया अथवा प्राप्त प्रीमियम और ऑप्शनों के प्रयोग पर अदा की गई अथवा प्राप्त राशि को क्रय अथवा विक्रय के रूप में हिसाब में लिया जाता है. तुलन पत्र की तारीख को बेचे गए ऑप्शनों में खुले ब्याज की स्थिति में इन ऑप्शनों के लिए तुलन-पत्र की तारीख को प्रचलित प्रीमियम की तुलना में प्राप्त प्रीमियम से अधिक होनेवाली राशि के लिए प्रावधान किया जाता है. तुलन-पत्र की तारीख को प्रचलित प्रीमियम की तुलना में प्राप्त प्रीमियम के आधिक्य को हिसाब में नहीं लिया जाता है. इसी प्रकार से खरीदे गए ऑप्शनों के मामले में तुलन-पत्र की तारीख को प्रचलित प्रीमियम की तुलना में ऑप्शनों के लिए अदा किए गए प्रीमियम से अधिक होने

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

वाली राशि के लिए प्रावधान किया जाता है और प्रदत्त प्रीमियम की तुलना में तुलन-पत्र की तारीख को प्रचलित प्रीमियम आधिक्य को हिसाब में नहीं लिया जाता है. विविध खुली स्थितियों के मामले में क्रय और साथ ही साथ विक्रय स्थितियों में समायोजन करने के बाद प्रावधान किया जाता है अथवा आधिक्य प्रीमियम को छोड़ दिया जाता है.

Premium paid or received on purchase and sale of options and the difference paid or received on exercise of options is accounted as Purchases or Sales. In case of open interest in options sold as on the balance sheet date, provision is made for the amount by which premium prevailing on the Balance Sheet date exceeds the premium received for those options. The excess of premium received over the premium prevailing on the Balance Sheet date is not recognised. Similarly, in case of options bought, provision is made for the amount by which the premium paid for the option exceeds the premium prevailing on the Balance Sheet date and the excess of premium prevailing on the Balance Sheet date over the premium paid is ignored. In case of multiple open positions, provision is made or excess premiums are ignored after netting off the balances in buy as well as sell positions.

ड. ब्याज दर स्वैप
D. Interest Rate Swaps

आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड के मामले में प्राथमिक डीलरशिप परिचालनों से संबंधित बट्टाकृत परिचालनों के ब्याज दर स्वैपों की कल्पित मूलधन राशि के संबंध में आस्तियों तथा देयताओं को समायोजित किया जाता है. ब्याज दर स्वैपों पर लाभ अथवा हानि को संविदा की शर्तों के अनुसार देय तारीखों पर लेखांकित किया जाता है.

In case of IDBI Capital Market & Securities Limited, Assets and Liabilities in respect of notional principal amount of Interest Rate Swaps of the discontinued operations pertaining to Primary Dealership operations are netted. Gain or loss on Interest Rate Swaps is accounted for on due dates as per the terms of the contract.

9. अचल आस्तियां एवं मूल्यह्रास:
Fixed Assets and depreciation:

अ. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में,
A. In case of IDBI Bank Limited,

i. अचल आस्तियों, परिसर को छोड़कर, को संचित मूल्यह्रास घटाकर लागत पर उल्लिखित किया जाता है. परिसर का मूल्यांकन बैंक की नीति तथा रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है और उसे संचित मूल्यह्रास घटाकर पुनर्मूल्यांकित राशि के रूप में दर्शाया जाता है.
Fixed assets other than Premises are stated at cost less accumulated depreciation. Premises are revalued in accordance with the Bank's policy and RBI guidelines and the same are stated at revalued amount less accumulated depreciation.

ii. आस्ति की लागत में क्रय लागत और उपयोग में लाने से पूर्व आस्ति पर उपगत सभी व्यय शामिल होते हैं. उपयोग में लाये जाने पर आस्तियों पर उपगत अनुवर्ती व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब वह ऐसी आस्तियों से भावी लाभ या उनकी कार्यक्षमता बढ़ाता है.
Cost of asset includes purchase cost and all expenditure incurred on the asset before put to use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalized only when it increases the future benefits from such assets or their functioning capability.

iii. पुनर्मूल्यन, यदि कोई हो, पर मूल्यह्रास पुनर्मूल्यन रिज़र्व में शामिल किया जाता है.
The appreciation on revaluation, if any, is credited to Revaluation Reserve.

iv. अचल आस्तियों के संबंध में मूल्यह्रास की गणना लागत अथवा आस्तियों के पुनर्मूल्यांकन की स्थिति में पुनर्मूल्यांकित राशियों के संदर्भ में सीधी रेखा पद्धति पर की जाती है.
Depreciation in respect of fixed assets is calculated on Straight Line Method with reference to cost or revalued amounts, in case of assets revalued.

v. पुनर्मूल्यांकित आस्तियों के संबंध में, पुनर्मूल्यन के फलस्वरूप अतिरिक्त मूल्यह्रास को तुलन-पत्र में पुनर्मूल्यन रिज़र्व से सामान्य रिज़र्व में अंतरित किया जाता है.
In respect of revalued assets, the additional depreciation consequent to revaluation is transferred from Revaluation Reserve to General Reserve in the Balance Sheet.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

vi. ₹ 5000 से कम लागत की अलग-अलग अचल आस्तियों को उनके अर्जन के वर्ष में ही पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है.
Fixed assets individually costing less than ₹ 5000 are fully depreciated in the year of addition.

vii. मूर्त आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के भाग इ में उपबंधित अनुसार आस्ति के उपयोगी जीवनकाल के आधार पर किया जाता है. उपयोगी जीवन और शेष मूल्यों की आवधिक समीक्षा की जाती है. यदि प्रबंधन के अनुमान के अनुसार किसी अचल आस्ति को अर्जित करते समय उस अचल अस्ति के अनुमानित जीवनकाल या बाद में समीक्षा करने पर उसका शेष उपयोगी जीवनकाल कम हो जाता है तो प्रबंधन द्वारा उपयोगी जीवनकाल/शेष उपयोगी जीवनकाल के अनुमान के आधार पर मूल्यह्रास की ऊंची दर लगायी जाती है.
Depreciation on tangible assets is allocated over useful life of the asset as prescribed under Part C of Schedule II of the Companies Act 2013. The useful lives and residual values are reviewed periodically. If the management estimate useful lives of an asset at the time of acquisition of the asset or of remaining useful life on subsequent review is shorter, depreciation is provided at a higher rate based on management's estimate of useful life / remaining useful life.

viii. वर्ष के दौरान अचल आस्तियों के परिवर्धन / बिक्री पर मूल्यह्रास आस्तियों के वास्तव में धारित करने की अवधि के लिए लगाया जाता है.
Depreciation on additions/ sale of fixed assets during the year is provided for the period for which assets were actually held.

ix. अचल आस्तियों का उपयोगी जीवनकाल निम्नानुसार है:
The useful lives of Fixed assets are as follows:

आस्ति / Asset	उपयोगी जीवनकाल (वर्ष में) Useful Life (in Years)
स्वामित्व वाले परिसर / Owned Premises	60
फर्नीचर और जुड़नार / Furniture and Fixtures	10
बिजली संस्थापना एवं मशीनरी Electrical Installation and Machinery	10
मोटर वाहन /Motor vehicles	8
कंप्यूटर (आंतरिक सॉफ्टवेयर सहित) Computers (including integral software)	3
स्वचालित टेलर मशीन / Automated Teller Machines	8
वीसैट उपकरण / VSAT Equipment	6
कर्मचारियों के पास टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं Consumer Durables with Employees	
क) फर्नीचर और जुड़नार a) Furniture and Fixtures	10
ख) पर्सनल कंप्यूटर b) Personal Computers	3

x. लीज वाली भूमि को लीज की अवधि में परिशोधित किया जाता है.
Leasehold land is amortized over the period of lease.

xi. ₹ 2.50 लाख से अधिक राशि वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर (नॉन-इंटिग्रल) को पूंजीकृत किया जाता है और इसे इसके उपयोगी जीवनकाल में मूल्यह्रासित किया जाता है जिसकी अवधि अधिकतम 6 वर्ष होती है.
Computer Software (non-integral) individually costing more than ₹ 2.50 Lacs is capitalised and depreciated over its useful life, not exceeding 6 years.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

आ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के मामले में
B. In case of IDBI Assets Management Limited

i. संपत्ति, सयंत्र एवं उपकरणों को संचित मूल्यह्रास तथा ह्रास, यदि कोई हो, को घटाकर अर्जन/ संस्थापन लागत पर दर्शाया जाता है. लागत में क्रय मूल्य, पंजीकरण मानदंड पूरा होने पर उधार लागत तथा आशयित प्रयोजन के लिए आस्ति को कार्यशील स्थिति में लाने के लिए प्रत्यक्ष स्रोतजन्य लागत शामिल है. प्रयोग में लाई जा रही आस्तियों पर उपगत अनुवर्ती व्यय को तभी पूंजीकृत किया जाता है जब इन आस्तियों से भविष्य में लाभ/ कार्य निष्पादन क्षमता में वृद्धि की संभावना हो. मौजूदा अचल आस्तियों की मरम्मत एवं रखरखाव और कलपुर्जों के बदलाव की लागत सहित कुल खर्च को जिस अवधि में वे उपगत होते हैं उस अवधि में राजस्व के रूप में प्रभारित किया जाता है. अमूर्त आस्तियों को उनके उपयोग में लाये जाने के वर्ष में लागत आधार पर निर्धारित किया जाता है. अमूर्त आस्तियों को संचित परिशोधन तथा ह्रास हानि, यदि कोई हो, को घटाकर लागत आधार पर दर्शाया जाता है.

Property, plant and equipment are stated at cost of acquisition/ installation less accumulated depreciation and impairment loss, if any. Cost includes purchase price, borrowing costs if capitalisation criteria are met and directly attributable cost of bringing the asset to its working condition for the intended use. Subsequent expenditure incurred on assets put to use is capitalized only when it increases the future benefit/functioning capability from/of such assets. All expenses on existing fixed assets, including repairs and maintenance and cost of replacement of parts are charged as revenue in the period in which they are incurred. Intangible assets are recognised in the year it is put to use at cost. Intangible assets are carried at cost less accumulated amortisation and impairment loss if any.

ii. मूल्यह्रास का प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में निर्धारित रूप में सीधी रेखा पद्धति (एसएलएम) द्वारा किया जाता है. आस्तियों के मूल्यह्रास की दरें कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुसार आस्ति के उपयोगी जीवनकाल को विचार में लेने के बाद तय की गई हैं. प्रबंधन के अनुमान के अनुसार यदि आस्तियों के अर्जन के समय अचल आस्तियों का उपयोगी जीवनकाल या इसके बाद की जाने वाली समीक्षा के आधार पर शेष उपयोगी जीवनकाल कम है तो मूल्यह्रास का निर्धारण उपयोगी जीवनकाल/ शेष जीवनकाल पर प्रबंधन के अनुमान के आधार पर उच्च दर पर किया जाता है. इस नीति के अनुसरण में निम्नलिखित दरों के अनुसार मूल्यह्रास का प्रावधान किया गया है:

Depreciation is provided on Straight Line Method (SLM) as prescribed in Schedule II to the Companies Act, 2013. The rates of depreciation of assets have been arrived at after considering the useful life of the asset as per Schedule II of the Companies Act 2013. If the Management's estimate of the useful life of a fixed asset, at the time of acquisition of the asset or of the remaining useful life on a subsequent review is shorter, depreciation is provided at a higher rate based on management's estimates of the useful life/remaining useful life. Pursuant to this policy, depreciation has been provided using the following rates:

अचल आस्तियों की श्रेणी / Class of Fixed Assets	मूल्यह्रास की दर (% में) - एसएलएम आधार पर (1 अप्रैल 2015 से लागू) Rate of Depreciation (In%)- SLM basis (applicable from April 01, 2015)
फर्नीचर एवं जुड़नार / Furniture & Fixtures	9.50
कार्यालय उपकरण / Office Equipment	19.00
आईटी हार्डवेयर /IT Hardware	33.33
कर्मचारियों के पास टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं Consumer Durables with Employees	33.33

iii. एकल रूप से ₹ 2.50 लाख से अधिक की लागत वाले कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर को 5 वर्ष की अवधि के दौरान पूंजीकृत तथा मूल्यह्रासित किया जाता है, एकल रूप से ₹ 2.50 लाख से कम की लागत वाले कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर को क्रय / अर्जन के वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है.

Computer software individually costing more than ₹ 2.50 lakhs is capitalized and depreciated over a period of 5 years, computer software individually costing less than ₹ 2.50 lakhs is fully depreciated in the year of purchase/ acquisition.

iv. कंपनी आस्ति के उपयोग में लाये जाने की तारीख से तथा बेची गई किसी आस्ति के लिए उसकी बिक्री तारीख तक आनुपातिक आधार पर मूल्यह्रास का प्रावधान करती है.

The Company provides pro-rata depreciation from the date the asset is put to use and for any asset sold until the date of sale.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

v. एकल रूप से ₹ 5,000 या उससे कम की लागत वाली अचल आस्तियों को क्रय/ अर्जन के वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है.
Fixed assets, other than software, individually costing ₹ 5,000 or less are fully depreciated in the year of purchase/ acquisition.

इ. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में
C. In case of IDBI Intech Limited

अचल आस्ति को उनकी संचित मूल्यह्रास/ परिशोधन और ह्रासित हानि, यदि कोई हो, को घटाकर अधिग्रहण की लागत को दर्शाया जाता है. लागत में लक्षित प्रयोग के लिए कार्यशील परिस्थितियों में लाने हेतु आस्ति के अधिग्रहण में हुए सभी व्यय शामिल होते हैं. अमूर्त आस्तियां जैसे सॉफ्टवेयर, जिस पर कंपनी के अधिकार जारी रहते हैं उसे लागत पर पूंजीकृत किया जाता है. तुलन पत्र तारीख के अनुसार संस्थापन या निर्माणाधीन के अंतर्गत आस्ति को चालू कार्य हेतु पूंजी के रूप में दिखाया जाता है. अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास और परिशोधन अधिनियम की अनुसूची II के विशेषज्ञ तकनीकी सूचना / शर्तों पर आधारित प्रबंधन द्वारा निर्धारित अनुसार आस्तियों के आकलित उपयोगी जीवनकाल पर आधारित सीधी रेखा पद्धति पर किया जाता है. ₹ 5000 से कम मूल्य की एकल आस्तियों को उनके अर्जन के वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रासित कर दिया जाता है.
Fixed assets are stated at cost of acquisition less accumulated depreciation / amortization and impairment loss, if any. Cost includes all expenses incurred for acquisition of assets to bring these to working conditions for intended use. The intangible assets like software, on which propriety rights continue with the company, are capitalized at costs. Asset under installation or under construction as at Balance Sheet date are shown as capital work-in progress. Depreciation and amortization on fixed assets is provided on Straight-Line Method based on the estimated useful lives of the assets as determined by the management based on the expert technical advice/stipulations of Schedule II to the Act. Assets individually costing less than ₹ 5,000/- are fully depreciated in the year of addition.

आस्ति श्रेणी / Asset class	आकलित उपयोगी जीवनकाल Estimated useful life
कम्प्यूटर एवं सहायक साधन / Computer & Accessories	
सर्वर एवं नेटवर्क / Servers & Networks	6 वर्ष / 6 years
डेस्कटॉप एवं लैपटाप / Desktops & Laptops	3 वर्ष / 3 years
कार्यालय उपकरण / Office Equipments	
मोबाइल हैंडसेट / Mobile Handsets	3 वर्ष / 3 years
अन्य उपकरण / Other Equipments	5 वर्ष / 5 years
विद्युत उपकरण / Power Equipments	10 वर्ष / 10 years
फर्नीचर एवं जुड़नार / Furniture & Fixtures	10 वर्ष / 10 years
मोटर कार / Motor Car	8 वर्ष / 8 years
बिजली संस्थापना / Electrical Installations	10 वर्ष / 10 years
अमूर्त आस्तियां / Intangible Assets	5 वर्ष / 5 years

जब तक निर्माण और संस्थापन का कार्य पूरा नहीं हो जाता और आस्ति लक्षित प्रयोग हेतु तैयार नहीं हो जाती तब तक चालू कार्य हेतु पूंजी पर मूल्यह्रास दर्ज नहीं किया जाता है.
Depreciation is not recorded on capital work-in-progress until construction and installation are complete and the asset is ready for its intended use.

ई. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लिमिटेड के मामले में
D. In case of IDBI Trusteeship Services Limited

i. अचल आस्तियों को अर्जन की मूल लागत तथा उनके अर्जन के संबंध में उपगत संस्थापना प्रभार पर दर्शाया जाता है. लागत में खरीद मूल्य और आस्तियों को उनके आशयित उपयोग के लिए कार्य करने लायक स्थिति में लाने से संबंधित लागत शामिल है. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अंतर्गत निर्धारित किए गए अनुसार मूल्यह्रास निर्धारित दर पर अवलिखित आधार पर प्रभारित किया जाता है. आस्ति के परिवर्धन पर मूल्यह्रास का प्रावधान ऐसे परिवर्धन की तारीख से और निपटान के लिए ऐसे निपटानों की तारीख तक किया जाता है. कम लागत वाली अलग-अलग आस्तियों (₹ 5,000/- से कम राशि में अर्जित) को उनके अर्जन के वर्ष में मूल्यह्रासित किया जाता है
Fixed assets are stated at original cost of acquisition plus installation charges incurred in connection with the acquisition. Cost comprises of purchase price and attributable cost of bringing the assets to its working condition for its intended use. The depreciation is charged on Written Down Value basis as prescribed in Schedule II of the

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

Companies Act 2013. The depreciation on the addition of the asset is provided from the date of such addition and for disposals up to the date of such disposals. Individual low cost assets (acquired for less than ₹ 5,000/- are depreciated in the year of acquisition).

ii. लेखांकन मानक एएस-26 के अनुसरण में आस्तियों को संचित परिशोधन घटाकर अर्जन की लागत पर दर्शाया जाता है. अमूर्त आस्तियों का परिशोधन आस्ति के अनुमानित उपयोगी जीवनकाल के आधार पर अवलिखित मूल्य पद्धति पर किया जाता है.
In accordance with Accounting Standards AS-26, Intangible Assets are stated at cost of acquisition less accumulated amortization. Amortization of intangible assets is provided on Written Down Value method on the basis of estimated useful life of the asset.

उ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड लिमिटेड के मामले में
E. In case of IDBI Capital Market Securities Limited

मूर्त आस्तियों के मामले में संपत्ति की मदें, संयंत्र और उपकरण की पहचान आरंभ में लागत पर की जाती है और तत्पश्चात संचित मूल्यह्रास तथा हानि को घटाकर मूल लागत पर की जाती है. संपत्ति की मदों, संयंत्र और उपकरणों के मूल्यह्रास की गणना कंपनी अधिनियम की अनुसूची II में निर्दिष्ट किए अनुसार उनके आकलित उपयोगी जीवनकाल पर मूल्य ह्रासित राशि पर सीधी रेखा पद्धति के द्वारा निम्नानुसार की जाती है:
In case of Tangible Assets, items of property, plant and equipment are initially recognized at cost and subsequently carried at cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses. Depreciation on items of property, plant and equipment is calculated using the Straight-Line Method to allocate their depreciable amounts over their estimated useful lives as specified in Schedule II to the Companies Act as follows:

भवन - 60 वर्ष
Buildings - 60 years

कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर - 3 वर्ष
Computers - 3 years.

फर्नीचर एवं जुड़नार - 10 वर्ष
Furniture& Fixtures - 10 years

कार्यालय उपकरण - 5 वर्ष
Office Equipments - 5 years

सभी मूर्त आस्तियों को अर्जन के वर्ष में ₹ 5,000 से कम मूल्य की एकल आस्तियों तथा सक्रिय रूप से उपयोग में न रही आस्तियों को पूर्णतः मूल्यह्रासित कर दिया जाता है.
All Tangible Assets having individual value of less than ₹ 5,000, in the year of acquisition and assets retired from active use are fully depreciated.

अमूर्त आस्तियों के मामले में अर्जित कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर लाइसेंसों को आरंभ में लागत पर पूंजीकृत किया जाता है जिसमें खरीदी मूल्य (किसी भी छूट अथवा रिबेट को घटाकर) और आस्ति को उसके नियत प्रयोग के लिए तैयार करने हेतु लगे अन्य प्रत्यक्ष रोप्य लागत को शामिल किया जाता है. सॉफ्टवेयर की मूल लागत में प्रत्यक्ष व्यय जो कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के कार्य निष्पादन को बढ़ाता और विस्तारित करता हो और जिसे उसके ब्योरे से आगे और विश्वसनीय रूप से आँका जा सकता है, को शामिल किया जा सकता है. कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर के रखरखाव से संबंधित खर्च वहन किए जाने पर उसे व्यय के रूप में निर्धारित किया जाता है.
In case of Intangible Assets, acquired computer software licenses are initially capitalised at cost, which includes the purchase price (net of any discounts and rebates) and other directly attributable cost of preparing the asset for its intended use. Direct expenditure which enhances or extends the performance of computer software beyond its specifications and which can be reliably measured is added to the original cost of the software. Costs associated with maintaining the computer software are recognized as an expense when incurred.

पूंजीकरण हेतु पात्र सॉफ्टवेयर विकास पर व्यय को विकास के अधीन अमूर्त आस्तियों के रूप में लिया जाता है जहां पर कि ऐसी आस्तियां उनके नियत उपयोग हेतु तैयार नहीं हैं.
Expenditure on software development eligible for capitalisation are carried as Intangible assets under development where such assets are not yet ready for their intended use.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अमूर्त आस्तियों को सीधी रेखा पद्धति के आधार पर उनके अनुमानित उपयोगी मूल्य पर परिशोधित किया जाता है. परिशोधन हेतु प्रयोग अमूर्त आस्तियों का अनुमानित उपयोगी मूल्य है:

Intangible assets are amortized on a Straight Line Basis over their estimated useful lives. The estimated useful lives of intangible assets used for amortization are:

कम्प्यूटर सॉफ्टवेर - 3 वर्ष
Computer Software - 3 years

वेब ट्रेडिंग पोर्टल - 3 वर्ष
Web Trading Portal - 3 years

बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कार्ड - 21 वर्ष
Bombay Stock Exchange Card - 21 years

प्रबंधन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ट्रेडिंग राइट के आर्थिक मूल्य का अनुमान उसके उपयोग मूल्य के आधार पर लगाता है.
Management estimates the economic value of Bombay Stock Exchange Trading Rights based on the value in use.

सभी अमूर्त आस्तियों को अर्जन के वर्ष में ₹ 5,000, से कम मूल्य की एकल आस्तियों तथा सक्रिय रूप से उपयोग में न रही आस्तियों को पूर्णतः मूल्यह्रासित कर दिया जाता है.

All Intangible Assets having individual value of less than ₹ 5,000, in the year of acquisition and assets retired from active use are fully depreciated.

संपत्ति, संयत्र और उपकरण, जिनकी एकल लागत ₹ 5000/- अथवा कम हो, को खरीदी/ अधिग्रहण के वर्ष में पूर्णतः मूल्यह्रासित किया जाता है.

Property, Plant and Equipment, individually costing ₹ 5000/ or less are fully depreciated in the year of purchase/ acquisition.

संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों का आकलित उपयोगी जीवनकाल और अवशिष्ट मूल्यों की समीक्षा और समायोजन यथा उपयुक्त रूप से प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को की जाती है. किसी भी प्रकार के संशोधन के प्रभावों को परिवर्तनों के उत्पन्न होने पर लाभ व हानि लेखे में दर्शाया जाता है.

The residual values and estimated useful lives of property, plant and equipment are reviewed, and adjusted as appropriate, at each Balance Sheet date. The effects of any revision are recognised in Profit or Loss Accounts when the changes arise.

ऊ. आईडीबीआई फ़ेडरल लाइफ इंश्योरेस कंपनी लि. के मामले में

F. In case of IDBI Federal Life Insurance Company Limited

i. अचल आस्तियों को संचित मूल्यह्रास घटाकर लागत पर दर्शाया जाता है. लागत में खरीद मूल्य और उस आस्ति को उसके उपयोग के लिए कार्य करने लायक स्थिति में लाने के लिए प्रत्यक्ष रूप से उपगत कोई भी लागत शामिल हैं. मूल्यह्रास को कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II में निर्धारित रूप में आस्ति की प्रत्येक श्रेणी के न्यूनतम उपयोगी जीवनकाल के आधार पर अर्जन की तारीख से / बिक्री की तारीख तक आनुपातिक रूप में सीधी रेखा पद्धति ('एसएलएम') का प्रयोग करते हुए मूल्यह्रास का प्रावधान किया जाता है, जो नीचे दर्शाया गया है :

Property, Plant & Equipment is stated at cost less accumulated depreciation. Cost includes the purchase price and any cost directly attributable to bringing the asset to its working condition for its intended use. The Depreciation is provided using Straight Line Method ('SLM') prorated from the date of acquisition/up to the date of sale, based on estimated useful life for each class of asset in the manner specified in Schedule II of the Companies Act, 2013, as stated below:

आस्ति / Asset	उपयोगी जीवनकाल (वर्ष में) /Useful Life (in Years)
भवन / Building	60
पट्टाधृत उन्नयन / Leasehold Improvements	3
संचार नेटवर्क और सर्वर Communication Networks and Servers	6
कंप्यूटर तथा पेरिफेरल उपकरण Computers and Peripheral Equipments	3
कार्यालय उपकरण / Office Equipment	5
फर्नीचर एवं जुड़नार / Furniture & Fixtures	10
मोटर वाहन / Motor Vehicles	8
बिजली संस्थापना एवं उपकरण Electrical Installations and Equipments	10

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ii. सॉफ्टवेयर युक्त अमूर्त आस्तियों को परिशोधन घटाकर लागत पर दर्शाया जाता है. इन्हें इनके उपयोग की तारीख से 3 वर्ष की अवधि में सीधी रेखा पद्धति का प्रयोग करते हुए परिशोधित किया जाता है. सॉफ्टवेयर में महत्वपूर्ण उन्नयनों को तब पूंजीकृत किया जाता है जब यह संभावित होता है कि इस प्रकार का उन्नयन आस्ति को उसके मूल रूप से निर्धारित मानकों से अधिक भावी आर्थिक लाभ उत्पन्न करने में समर्थ बनाएगी और इस प्रकार का व्यय विश्वसनीय ढंग से आंका और आस्ति पर जोड़ा जा सकता है. अनुवर्ती व्ययों का परिशोधन सॉफ्टवेयर के शेष उपयोगी जीवनकाल के दौरान किया जाता है. सॉफ्टवेयर के सपोर्ट तथा रख-रखाव के व्ययों को उस अवधि के राजस्व खाते में प्रभारित किया जाता है जिसमें वे उपगत होते हैं.

Intangible assets comprising software are stated at cost less amortization. These are amortized using Straight Line Method over a period of 3 years from the date of being put to use. Significant improvements to software are capitalized when it is probable that such improvement will enable the asset to generate future economic benefits in excess of its originally assessed standards of performance and such expenditure can be measured and attributed to the asset reliably. Subsequent expenditures are amortized over the remaining useful life of the software. The expenses for support and maintenance of software are charged to Revenue Account or Profit & Loss Account in the period in which they are incurred.

ए. आईडीबीआई म्यूचुअल फ़ंड ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के मामले में,
G. In case of IDBI Mutual Fund Trustee Company Limited

i) स्वामित्व वाली आस्ति :
Owned Asset:

स्वयं के उपयोग के लिए ली गई आस्ति पर उनके संचित मूल्यह्रास और ह्रासित हानि, यदि कोई हो, को घटाकर मूल लागत पर दर्शाया जाता है. संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की लागत में क्रय मूल्य, शुल्क, कर और आस्तियों को उनके आशयित उपयोग के लिए कार्य करने की स्थिति में लाने से संबंधित अन्य प्रत्यक्ष लागत शामिल है.

Assets held for own uses are stated at original cost less accumulated depreciation and impairment loss, if any. Cost of Property, plant and equipment comprises purchase price, duties, levies and any directly attributable costs of bringing the assets to its working condition of the intended use.

आस्ति हेतु मूल्यह्रास राशि आस्ति की लागत या लागत के लिए प्रतिस्थापित अन्य राशि, आकलित अवशिष्ट मूल्य घटाकर है.
Depreciable amount for asset is the cost of an asset, or other amount substituted for cost, less its estimated residual value.

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण आकलित उपयोगी जीवनकाल जो कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची II के अनुरूप है और मूल्यह्रास की पद्धति निम्नानुसार उल्लिखित की गई है:
The estimated useful life of Property, Plant and Equipment which is in line with Schedule II to the Companies Act 2013 and the method of depreciation is set out herein below:

आस्ति Assets	उपयोगी जीवनकाल Useful Life	मूल्यह्रास की पद्धति Method of Depreciation
संयंत्र एवं उपकरण / Plant & Equipments	15 वर्ष / 15 Years	सीधी रेखा पद्धति / Straight Line Method
फर्नीचर एवं जुड़नार / Furniture and Fittings	10 वर्ष / 10 Years	सीधी रेखा पद्धति / Straight Line Method
विद्युत उपकरण / Electrical Equipments	10 वर्ष / 10 Years	सीधी रेखा पद्धति / Straight Line Method
वाहन / Vehicles	8 वर्ष / 8 Years	सीधी रेखा पद्धति / Straight Line Method
कार्यालय उपकरण / Office Equipments	5 वर्ष / 5 Years	सीधी रेखा पद्धति / Straight Line Method
कम्प्यूटर / Computers	3 वर्ष / 3 Years	सीधी रेखा पद्धति / Straight Line Method
मोबाइल फोन / Mobile Phones	3 वर्ष / 3 Years	सीधी रेखा पद्धति / Straight Line Method

ii) अमूर्त आस्तियां
Intangible Assets

अमूर्त आस्तियों को संचित परिशोधन और ह्रसित हानियों से घटाकर अर्जन की लागत पर दर्शाया जाता है. अमूर्त आस्ति की पहचान, जहां यह संभावित होता है कि आस्ति के कारण भविष्य के आर्थिक लाभ उद्यम के लिए प्रवाहित होंगे और जहां उसकी लागत विश्वसनीय ढंग से आंकी गयी हो, की जाती है. अमूर्त आस्तियों की परिशोधन राशि सीधी रेखा पद्धति पर उसके उपयोगी जीवनकाल के सर्वश्रेष्ठ आकलन पर आबंटित की जाती है.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

Intangible Assets are stated at cost of acquisition, less accumulated amortization and impairment losses. An intangible asset is recognized, where it is probable that the future economic benefits attributable to the asset will flow to the enterprise and where its cost can be reliably measured. The amortizable amount of intangible assets is allocated over the best estimate of its useful life on a Straight-Line basis.

10. प्रतिभूतिकरण लेन-देन:
Securitization Transactions:

विभिन्न ऋणों के प्रतिभूतिकरण से इन आस्तियों की विशेष प्रयोजन वाली संस्थाओं ('एसपीवी') को बिक्री की जाती है, जो इसके बदले में निवेशकों को प्रतिभूतियां जारी करती हैं. प्रतिभूतिकृत आस्तियों वाले अनुबंधित अधिकारों पर जब नियंत्रण नहीं रहता है तो ऐसी वित्तीय आस्तियों को आंशिक अथवा पूर्णतः अमान्य कर दिया जाता है. बैंक खातों को बिक्री के समय ही होने वाली किसी भी हानि के लिए और बिक्री से होने वाले लाभ/प्रीमियम को एसपीवी द्वारा, जिन्हें आस्तियां बेची गयी हैं, जारी की गयी या जारी की जाने वाली प्रतिभूतियों के जीवन काल में परिशोधित किया जाता है.
Securitisation of various loans results in sale of these assets to Special Purpose Vehicles ('SPVs'), which, in turn issue securities to investors. Financial assets are partially or wholly derecognized when the control of the contractual rights in the securitized assets is lost. The Bank accounts for any loss arising on sale immediately at the time of sale and the profit/ premium arising on account of sale is amortised over the life of the securities issued or to be issued by the SPV to which the assets are sold.

11. प्रतिभूतिकरण कंपनियों/पुनर्संरचना कंपनियों को वित्तीय आस्तियों की बिक्री:
Sale of financial assets to Securitization Companies/Reconstruction Companies:

प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी)/पुनर्संरचना कंपनी (आरसी) को वित्तीय आस्तियों की बिक्री की गणना प्रतिभूति रसीद (एसआर)/ प्रभाव अंतरण प्रमाणपत्र (पीटीसी) के भुनाई मूल्य और वित्तीय आस्ति के निवल बही मूल्य में से निम्नतर आधार पर की गई है.
Sale of financial assets to Securitisation Companies (SCs) / Reconstruction Companies (RCs) is reckoned at the lower of the redemption value of Security Receipts (SRs)/ Pass Through Certificates (PTCs) received and the Net Book Value of the financial asset.

पूरी तरह से प्रावधान की गई आस्तियों अर्थात संदिग्ध आस्तियां-3 की बिक्री और तकनीकी रूप से बट्टे खाते डाले गए मामलों में प्रतिभूति रसीदों (एसआर) की बैंक की निवेश बही में एक रुपए के रूप में गणना की जाती है.
In case of sale of assets which are fully provided i.e. Doubtful Assets-3 and Technically Written Off cases, the Security Receipts (SRs) are reckoned at Rupee one in the investment book of the Bank.

यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य(एनबीवी) (अर्थात बही मूल्य धारित प्रावधान हटाकर) से कम मूल्य पर किया जाता है तो कमी को उस वर्ष के लाभ-हानि खाते में डेबिट किया जाना चाहिए. बैंक अनर्जक आस्तियों की बिक्री में किसी भी कमी अर्थात् जब बिक्री एनबीवी से कम हो, को पूरा करने के लिए प्रतिचक्रीय/ अस्थायी प्रावधानों का प्रयोग कर सकते हैं.
In case the sale value is at a price below the Net Book Value (NBV) (i.e., book value less provision held), the shortfall should be debited to the Profit and Loss Account of that year. Banks can also use countercyclical/floating provisions for meeting any shortfall on sale of NPAs i.e. when the sale is at a price below the NBV.

यदि विक्रय मूल्य निवल बही मूल्य से अधिक मूल्य पर किया जाता है तो अतिरिक्त प्रावधान को राशि के प्राप्त होने वाले वर्ष में ही प्रत्यावर्तित कर दिया जाता है. तथापि, आधिक्य प्रावधान का ऐसा प्रत्यावर्तन आस्ति के एनबीवी से अधिक प्राप्त नकद राशि तक सीमित है.
In case, sale value is higher than the NBV, the excess provision is reversed to the Profit and Loss Account in the year in which cash amounts are received. However, such reversal of excess provision is limited to the extent to which cash received exceeds the NBV of the asset.

12. विदेशी मुद्रा लेन-देन:
Foreign Currency Transactions:

अ. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में,
A. In case of IDBI Bank Limited,

i. विदेशी मुद्रा लेन-देन को आरंभिक अभिनिर्धारण होने पर लेन-देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है. मौद्रिक विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा निर्धारित बंद दरों पर रूपांतरित किया जाता है और इसके फलस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है. मौद्रिक मदों के निपटान से उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतरों को उस अवधि की आय या व्यय के रूप में माना जाता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

Foreign currency transactions, on initial recognition are recorded at the exchange rate prevailing on the date of transaction. Monetary foreign currency assets and liabilities are translated at the closing rates prescribed by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) and the resultant gain or loss is recognized in the Profit and Loss Account. Exchange differences arising on the settlement of monetary items are recognized as income or expense in the period in which they arise.

ii. ऐसी वायदा विनिमय संविदाओं, जो व्यापार के लिए नहीं की गई हैं, की शुरुआत में प्राप्त प्रीमियम या बट्टे को संविदा के जीवनकाल में व्यय या आय के रूप में परिशोधित किया जाता है. अन्य वायदा विनिमय संविदाओं पर प्रीमियम या छूट को हिसाब में नहीं लिया जाता है.
Premium or discount arising at the inception of Forward Exchange Contracts which are not intended for trading is amortized as expense or income over the life of the contract. Premium or discount on other Forward Exchange Contracts is not recognised.

iii. ऐसी बकाया वायदा विनिमय संविदाओं, जो व्यापार के लिए नहीं हैं, का अंतिम फेडाई दरों पर पुनर्मूल्यन किया जाता है. अन्य बकाया वायदा विनिमय संविदाओं का पुनर्मूल्यन फेडाई द्वारा विर्निदिष्ट परिपक्वताओं के लिए अधिसूचित विनिमय दरों या बीच की परिपक्वताओं की अंतर्वेशित दरों पर किया जाता है. इससे होने वाले लाभ/हानि को लाभ-हानि लेखे में शामिल किया जाता है.
Outstanding Forward Exchange Contracts which are not intended for trading are revalued at closing FEDAI rates. Other outstanding Forward Exchange Contracts are valued at rates of exchange notified by FEDAI for specified maturities or at interpolated rates for in-between maturities. The resultant profit/ losses are recognized in the Profit and Loss Account.

iv. वायदा विनिमय संविदाओं की परिपक्वता पूर्व समाप्ति से होने वाले लाभ/हानियों, साथ ही अपरिशोधित प्रीमियम या छूट, यदि कोई हो, को समाप्ति की तारीख पर हिसाब में लिया जाता है.
Profit/ losses arising on premature termination of Forward Exchange Contracts, together with unamortized premium or discount, if any, is recognised on the date of termination.

v. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के संबंध में आकस्मिक देयता की गणना विनिमय की अनुबंधित दरों पर की जाती है और गारंटियों, स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों एवं अन्य दायित्वों की गणना फेडाई की अंतिम दरों पर की जाती है.
Contingent liability in respect of outstanding forward exchange contracts is calculated at the contracted rates of exchange and in respect of guarantees, acceptances, endorsements and other obligations are calculated at the closing FEDAI rates.

vi. विदेशी शाखा के परिचालनों को 'एकीकृत विदेशी परिचालनों' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है. आस्तियों व देयताओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापार संघ (फेडाई) द्वारा निर्धारित औसत तिमाही बंद दरों पर रूपांतरित किया जाता है. इसके फलस्वरूप होने वाले लाभ या हानि को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.
Operations of foreign branch are classified as `Integral Foreign Operations'. Assets and Liabilities are translated at the closing rates prescribed by Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI) Income and Expenditure items are translated at quarterly average rates. The resultant gain or loss is recognised in the Profit and Loss Account.

आ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के मामले में,
B. In case of IDBI Assets Management Limited,

विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है. वर्ष के दौरान निपटान किए गए विदेशी मुद्रा लेनदेन के कारण होने वाले विनिमय अंतर, यदि कोई हो, को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.
Foreign currency transactions are recorded at the rates of exchange prevailing on the date of the transactions. Exchange difference, if any, arising out of the foreign exchange transactions settled during the year are recognized in the statement of Profit and Loss Account.

इ. आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में
C. In case of IDBI Federal Life Insurance Company Limited,

विदेशी मुद्राओं में लेनदेन को लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया किया जाता है. विदेशी मुद्रा में मौद्रिक आस्तियों और देयताओं, यदि कोई हों, का रूपान्तरण वर्ष के अंत में समाप्त दर पर किया जाता है. निपटान/रूपान्तरण पर होने वाले परिणामी विनिमय लाभ या हानि को राजस्व या लाभ-हानि लेखे, जैसा लागू हो, में दर्शाया जाता है.
Transactions in foreign currencies are recorded at the exchange rates prevailing at the date of the transaction. Monetary assets and liabilities in foreign currency, if any, are translated at the year-end closing rates. The resultant exchange gain or loss arising on settlement/translation is recognized in the Revenue or Profit and Loss Account as applicable.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ई. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड के मामले में,
D. In case of IDBI Capital Market & Securities Limited,

विदेशी मुद्रा लेनदेन को लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर दर्ज किया जाता है. वर्ष के अंत में, विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक मदों की रिपोर्टिंग अंतिम विनिमय दर का प्रयोग करते हुए की जाती है. उन पर उत्पन्न होने वाले तथा विदेशी मुद्रा वसूली/भुगतान पर होने वाले विनिमय अंतर को संबंधित वर्ष के दौरान आय या व्यय के हिसाब में लिया जाता है.
Foreign currency transactions are recorded at the rates of exchange prevailing on the date of the transaction. At the year end, monetary items denominated in foreign currency are reported using the closing rate of exchange. Exchange difference arising thereon and on realization / payments of foreign exchange are accounted as income or expenses in the relevant year.

उ. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में,
E. In case of IDBI Intech Limited,

विदेशी मुद्रा में संव्यवहार, संव्यवहार के समय प्रभावी विनिमय की मूल दर पर दर्ज किए जाते हैं. विदेशी मुद्रा संव्यवहार के निपटान से उत्पन्न विनिमय अंतर को लाभ और हानि लेखे में शामिल किया जाता है. विदेशी मुद्रा में मूल्यवर्गित मौद्रिक वस्तुएं तुलन पत्र की तारीख को प्रचलित विनिमय दर का प्रयोग कर पुनःस्थापित किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप होने वाले निवल विनिमय अंतर को लाभ और हानि लेखे में दर्शाया जाता है,
Transactions in foreign currency are recorded at the original rate of exchange in force at the time transactions are effected. Exchange differences arising on settlement of foreign currency transactions are recognized in the Profit and Loss Account. Monetary items denominated in foreign currency are restated using the exchange rate prevailing at the date of the Balance Sheet and the resulting net exchange difference is recognized in the Profit and Loss Account.

ऊ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लिमिटेड के मामले में,
F. In case of IDBI Trusteeship Services Limited

विदेशी मुद्रा में लेनदेन को लेनदेन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर बहियों में दर्ज किया जाता है. विदेशी मुद्रा आस्तियों और देयताओं में मूल्यवर्गित सभी मौद्रिक मदों को वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर पुनः दर्शाया जाता है. निपटान या लेनदेन पर विनिमय अंतर के कारण आय या व्यय को लाभ-हानि लेखे में दर्शाया जाता है.
Transactions in foreign currencies are recorded in the books by applying the exchange rates prevailing on the date of the transaction. All monetary items denominated in foreign currency assets and liabilities are restated at the exchange rate prevailing at the year end. Any income or expense on account of the exchange difference either on settlement or on transaction is recognized in the Profit & Loss Account.

ए. आईडीबीआई म्यूचुअल फ़ंड ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के मामले में,
G. In case of IDBI Mutual Fund Trustee Company Limited

विदेशी मुद्राओं में लेनदेन का लेखांकन, लेनदेन की तारीख को विनिमय की प्रचलित दरों पर किया जाता है. विदेशी मुद्रा मौद्रिक मदों को तुलन पत्र की तारीख के अनुसार विनिमय के प्रचलित दर पर पुनः दर्शाया जाता है. विनिमय दर में उतार-चढ़ाव से होने वाले सभी लाभ और हानियों का लेखांकन लाभ और हानि लेखे में दर्शाया जाता है.
Transactions in foreign currencies are accounted for at the prevailing rates of exchange on the date of transaction. Foreign currency monetary items are restated at the prevailing rates of exchange as at the Balance Sheet date. All gains and losses arising out of fluctuations in exchange rates are accounted for in the Profit and Loss Account.

13. कर्मचारी लाभ: Employee Benefits:

अ. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में,
A. In case of IDBI Bank Limited,

i. अंशदान के देय होने पर निर्दिष्ट अंशदान योजनाओं में किए गए भुगतान को वर्ष के लाभ-हानि खाते में प्रभारित किया जाता है.
Payments to defined contribution schemes are charged to Profit and Loss Account of the year when contribution are due.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ii. निर्दिष्ट लाभ योजनाओं के लिए, लाभ प्रदान करने की लागत का निर्धारण पूर्वलक्षित इकाई ऋण पद्धति का प्रयोग कर किया जाता है तथा बीमांकिक मूल्यांकन प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को किया जाता है. बीमांकिक लाभ या हानि को उस अवधि के लाभ-हानि लेखे में दिखाया जाता है जिसमें लाभ या हानि होती है.
For defined benefit schemes, the cost of providing benefits is determined using the Projected Unit Credit Method, with actuarial valuations being carried out at each Balance Sheet date. Actuarial gains or losses are recognized in the Profit and Loss Account for the period in which they occur.

iii. कर्मचारी द्वारा प्रदत्त सेवाओं के बदले अदा किये जाने वाले अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की अबट्टाकृत राशि को उस अवधि के दौरान हिसाब में लिया जाता है जब कर्मचारी सेवा प्रदान करता है.
The undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for the services rendered by employees is recognized during the period when the employee renders the service.

आ. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले,
B. In case of IDBI Intech Limited,

I. नियोजन पश्चात् सुविधाएं और अन्य दीर्घावधि लाभ योजनाएं:
Post-employment benefits and other long term benefit plans:

निर्दिष्ट अंशदान योजनाओं के भुगतानों को व्यय माना जाता है. निर्दिष्ट लाभ योजनाओं और अन्य दीर्घावधि लाभ योजनाओं के लिए,लाभ प्रदान करने की लागत का निर्धारण पूर्व लक्षित ईकाई ऋण पद्धति का प्रयोग कर किया जाता है तथा बीमांकिक लाभ या हानि को उस अवधि के लाभ-हानि लेखे में दिखाया जाता है जिसमें लाभ या हानि होती है. पिछली सेवा लागत को उस सीमा तक शीघ्र ही हिसाब में लिया जाता है जिससे लाभ पहले ही निहित होते हैं और अन्यथा लाभ के निहित होने तक औसत अवधि में सीधी रेखा के आधार पर परिशोधित किए जाते है. तुलन पत्र में हिसाब में ली गई सेवानिवृत्ति सुविधा देयता परिभाषित सुविधा दायित्व को दर्शाती है जो कि हिसाब में न की गई सेवा हेतु समायोजित, योजना आस्तियों के उचित मूल्य से घटाकर किया जाता है. इस गणना के परिणामस्वरूप कोई भी आस्ति निर्दिष्ट लाभ देयता के रूप में निर्धारित राशि से कम है और उपलब्ध प्रतिदान के वर्तमान मूल्य और/ अथवा योजना में भविष्य के अंशदान तक सीमित होती है.
Payments to defined contribution schemes are expensed as incurred. For defined benefit schemes and other long term benefit plans, the cost of providing benefits is determined using the Projected Unit Credit Method, with actuarial valuations being carried out at each Balance Sheet date. Actuarial gains and losses are recognized in full in the Profit and Loss Account for the period in which they occur. Past service cost is recognized immediately to the extent that the benefits are already vested, and otherwise is amortized on a Straight Line Basis over the average period until the benefits become vested. The retirement benefit liability recognized in the Balance Sheet represents the present value of the defined benefit obligation as adjusted for unrecognized past service cost, as reduced by the fair value of scheme assets. Any asset resulting from this calculation is limited to the lower of the amount determined as the defined benefit liability and the present value of available refunds and /or reduction in future contributions to the scheme.

II. अल्पावधि कर्मचारी लाभ:
Short term employee benefits:

अल्पावधि कर्मचारी लाभ को कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवाओं के बदले में अदा किए जाने वाले अल्पकालिक कर्मचारी लाभों की अबट्टाकृत राशि को उस वर्ष के दौरान व्यय के रूप में दर्शाया जाता है जिस वर्ष कर्मचारी ने सेवा प्रदान की है. इन लाभों में एक वर्ष के भीतर ली जानेवाली छुट्टी के लिए प्रतिपूरित अनुपस्थिति और देय बोनस शामिल हैं.
The undiscounted amount of short term employee benefits expected to be paid in exchange for the services rendered by employees is recognized as an expense during the year when the employee renders those services. These benefits include compensated absences such as leave expected to be availed within a year and bonus payable.

इ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लिमिटेड के मामले में,
C. In case of IDBI Trusteeship Services Limited,

नियोजन की शर्तों के अनुसार देय वर्तमान एवं भूतपूर्व सेवाओं के लिए कर्मचारी लाभ, अल्पावधि एवं दीर्घावधि दोनों, के लिए देयता ''भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई)'' द्वारा जारी लेखांकन मानक - 15 (संशोधित 2005) ''कर्मचारी लाभ'' के अनुसार दर्ज की जाती है.
Liability for employee benefits, both short and long term, for present and past services which are due as per the terms of employment are recorded in accordance with Accounting Standard - 15 (Revised 2005) “Employee Benefits” issued by the “Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)” .

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

निर्धारित अंशदान योजनाएं
Defined Contribution Schemes

क) **भविष्य निधि**
a) **Provident Fund**

कंपनी कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 के उपबंधों और उसके अंतर्गत बनाई गई योजनाओं के अधीन पंजीकृत है. तदनुसार, कंपनी सरकारी प्राधिकरणों के लिए अधिनियम के अंतर्गत स्थापित निधियों/ योजनाओं में कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे न्यूनतम अंशदान के बराबर अंशदान कर रही है. पात्र कर्मचारियों को सरकारी प्राधिकरणों से लाभ मिलता है. वर्ष के लिए देय अंशदान को लाभ और हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है.
The Company is registered under the provisions of Employee's Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 and schemes framed thereunder. Accordingly, the Company is contributing, in equal share of minimum contribution as those of employees, to the funds/ schemes established under the Act to Government Authorities. The eligible employees receive benefits from Government Authorities. The contribution due for the year is charged to Profit and Loss Account.

ख) उपदान
b) **Gratuity**

कंपनी रिपोर्टिंग की तारीख यथा 31 मार्च 2020 तक बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित ''द ट्रस्टीज़ आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लि. एम्प्लॉईस ग्रुप ग्रैच्युटी स्कीम'' नाम से उपदान प्रदान करती है. कंपनी को वार्षिक प्रीमियम अंशदान का भुगतान करना होता है. वर्ष के लिए इस प्रकार प्रदत्त/ भुगतान-योग्य प्रीमियम को लाभ और हानि लेखे में दर्शाया जाता है.
The Company provides for gratuity, known as "The Trustees IDBI Trusteeship Services Limited Employee's Group Gratuity Scheme" based on actuarial valuation as on reporting date March 31, 2020. The Company is required to pay annual premium contributions. The premium so paid / payable for the year is recognised in Profit and Loss Account.

ग) छुट्टी नकदीकरण
c) **Leave Encashment**

वार्षिक छुट्टी नकदीकरण की गणना भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी लेखांकन मानक - 15 (संशोधित 2005) ''कर्मचारी लाभ'' के अनुसार बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर की जाती है.
Annual Leave encashment is accounted on Actuarial valuation as per Accounting Standard - 15 (Revised 2005) "Employee Benefits" issued by the ICAI.

ई. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के मामले में,
D. In case of IDBI Asset Management Limited,

क) उपदान:
a) **Gratuity:**

उपदान देयता एक निर्धारित लाभ दायित्व है और इसका निधियन उपदान निधि के माध्यम से किया जाता है जिसका प्रशासन एवं प्रबंधन भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा किया जाता है. कंपनी, बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित भावी उपदान लाभ हेतु देयता की गणना परिलक्षित इकाई ऋण पद्धति के प्रयोग द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में करती है.
Gratuity liability is a defined benefit obligation and is funded through a Gratuity Fund administered and managed by the Life Insurance Corporation of India. The Company accounts for liability for future gratuity benefits based on the actuarial valuation using Projected Unit Credit Method carried out as at the end of each financial year.

ख) भविष्य निधि:
b) **Provident fund:**

कंपनी मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में अंशदान करती है. अंशदान की गणना उपचय आधार पर की जाती है और इसे लाभ एवं हानि लेखे में व्यय के रूप में दर्शाया जाता है.
The Company contributes to a recognized provident fund. The contributions are accounted for on an accrual basis and are recognized as an expense in the Profit and Loss Account.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ग) **अल्पावधि कर्मचारी लाभ:**
c) **Short term employee benefits:**

अल्पावधि कर्मचारी लाभ को सेवा प्रदान किए जाने वाले वर्ष के लाभ एवं हानि खाते के विवरण में व्यय के रूप में दर्शाया जाता है.
Short term employee benefits are recognized as an expense in the Profit and Loss Account of the year in which the services are rendered.

घ) **प्रतिपूरित अनुपस्थिति:**
d) **Compensated absences:**

कंपनी कुछ नियमों के अधीन विशेष छुट्टी नकदीकरण की व्यवस्था प्रदान करती है. कर्मचारियों को भावी नकदीकरण और छुट्टी लेने के लिए एक निर्धारित सीमा तक छुट्टी संचय करने का अधिकार है. यह देयता प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में किए जाने वाले स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रत्येक तुलन-पत्र तारीख में अप्रयुक्त छुट्टी के दिनों की संख्या के आधार पर प्रदान की जाती है.
The Company provides for Privilege Leave Encashment subject to certain rules. The employees are entitled to accumulate leave subject to certain limits for future encashment as well as availment. The liability is provided based on the number of days of unutilized leave at each Balance Sheet date on the basis of an independent actuarial valuation carried out as at the end of each financial year.

ङ) **संचित प्रतिपूरित अनुपस्थिति :**
e) **Accumulated Compensated Absences:**

कंपनी तुलन-पत्र की तारीख को संचित प्रतिपूरित अनुपस्थितियों के लिए परिलक्षित इकाई क्रेडिट पद्धति का प्रयोग करते हुए प्रावधान करती है. यह पद्धति छुट्टी प्राप्त करने की तारीख को प्राप्त करने की रीति और गणनायोग्य वेतन को हिसाब में लेती है.
The Company provides for accumulated compensated absences as at Balance Sheet date using projected unit credit method. This method takes into account the pattern of availment and quantifying salary as on the date of availment of leave.

उ. **आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के मामले में,**
E. **In case of IDBI Federal Life Insurance Company Limited,**

i. उपदान के प्रति देयता को निर्धारित लाभ योजना के रूप में माना जाता है और इसे तुलन-पत्र तारीख को ''पूर्वानुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति'' पर स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर दर्शाया जाता है.
Liability towards Gratuity is considered as the defined benefit plan and is recognized on the basis of independent actuarial valuation on "Projected Unit Credit Method" at Balance Sheet date.

ii. नकदीकरण योग्य अर्जित छुट्टी को दीर्घावधि लाभ के रूप में माना जाता है और इसे तुलन-पत्र तारीख को ''पूर्वानुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति'' पर स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है.
Earned Leave which is encashable is considered as long term benefit and is provided on the basis of independent actuarial valuation on "Projected Unit Credit Method" at Balance Sheet date.

iii. बीमारी छुट्टी को अल्पकालिक प्रतिपूरक अनुपस्थिति माना जाता है जो कि गैर-निहित होती हैऔर तुलन-पत्र की तारीख को ''पूर्वानुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति'' के अनुसार स्वतंत्र बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती है.
Sick Leave is considered as short term compensated absences which are non-vesting and is provided on the basis of independent actuarial valuation on "Projected Unit Credit Method" at Balance Sheet date.

iv. सांविधिक भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, समूह मीयादी बीमा और कर्मचारी श्रम कल्याण निधि में अंशदान के रूप में लाभ को निर्धारित अंशदान योजना के रूप में माना जाता है और इसे कर्मचारियों द्वारा सेवा प्रदान किए जाने की अवधि के लिए प्रदत्त अथवा भुगतान-योग्य राशि के आधार पर दर्शाया जाता है.
The benefit in the form of contribution to the Statutory Provident Fund, Employee State Insurance, Group Term Insurance and Employee Labour Welfare Fund are considered as the defined contribution plans and are recognized on the basis of the amount paid or payable for the period during which services are rendered by the employees.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ऊ. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड के मामले में,
F. In case of IDBI Capital Market Securities Limited,

निर्दिष्ट लाभ योजना
Defined contribution plans

कंपनी की भारत में भविष्य निधि, पेंशन निधि (एनपीएस) और अधिवर्षिता निधि के रूप में नियोजन पश्चात के लाभों के लिए निर्धारित योजनाएं हैं जिसका प्रशासन भारत सरकार और/ अथवा भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के द्वारा किया जाता है. जब संबंधित निधियों में अंशदान देय होता है तब इसे वर्ष के लाभ व हानि लेखे में प्रभारित किया जाता है.
The Company has defined contribution plans for post-employment benefits in the form of provident fund, pension fund (NPS) and superannuation fund in India which are administered through Government of India and/or Life Insurance Corporation of India (LIC). Contributions are charged to the Profit & Loss Account of the year when the contributions to the respective funds are due.

निर्दिष्ट लाभ योजना
Defined benefit plans

i. **उपदान:** कंपनी ने भारत में अपने कर्मचारियों के लिए उपदान के रूप में नियोजन पश्चात लाभों के लिए लाभ योजना निर्धारित की हैं. कंपनी की उपदान योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा प्रशासित किया जाता है. निर्धारित लाभ योजनाओं के लिए देयता बीमांकिक मूल्यांकन आधार पर प्रदान की जाती है, जिसका बीमांकक तुलन-पत्र की तारीख को एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किया जाता है. देयता को मापने के लिए स्वतंत्र बीमांकक द्वारा उपयोग की जाने वाली बीमांकिक मूल्यांकन पद्धति पूर्वानुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति है. बीमांकिक लाभों/ हानियों को तुरंत लाभ-हानि लेखे में डाल दिया जाता है और इन्हें आस्थगित नहीं किया जाता है.
Gratuity: The Company has defined benefit plans for post-employment benefits in the form of gratuity for its employees in India. The gratuity scheme of the Company is administered through Life Insurance Corporation of India (LIC). Liability for defined benefit plans is provided on the basis of actuarial valuations, as at the Balance Sheet date, carried out by an independent actuary. The actuarial valuation method used by independent actuary for measuring the liability is the projected unit credit method. Actuarial gains/losses are immediately taken to the Profit and Loss Account and are not deferred.

ii. **प्रतिपूरित अनुपस्थिति:** कंपनी के कर्मचारी कंपनी की नीति के अनुसार प्रतिपूरित अनुपस्थितियों के रूप में अन्य दीर्घावधि लाभ के लिए भी पात्र हैं. कंपनी की नीति के अनुसार कर्मचारी को अधिकतम सीमा तक उनकी शेष छुट्टी के लिए वार्षिक आधार पर छुट्टी का नकदीकरण किया जाता है. सेवानिवृति, रोजगार के दौरान मृत्यु अथवा रोजगार की समाप्ति के समय पर कंपनी की नीति के अनुसार अधिकतम सीमा के अधीन जमा शेष दिनों की संख्या के लिए देय वेतन के बराबर छुट्टी का नकदीकरण किया जाता है. ऐसे लाभों के लिए देयता तुलन पत्र की तारीख को बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान की जाती है, जिसका बीमांकन एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा किया जाता है. छुट्टी नकदीकरण योजना को भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा प्रशासित किया जाता है. देयता को मापने के लिए स्वतंत्र बीमांकक द्वारा उपयोग की जाने वाली बीमांकिक मूल्यांकन पद्धति पूर्वानुमानित इकाई क्रेडिट पद्धति है. बीमांकिक अभिलाभों/ हानियों को तुरंत लाभ और हानि लेखे में डाल दिया जाता है और इसे आस्थगित नहीं किया जाता है.
Compensated absences: The employees of the Company are also entitled for other long-term benefit in the form of compensated absences as per the policy of the Company. Leave encashment vests to employees on an annual basis for leave balance above the upper limit as per the Company's policy. At the time of retirement, death while in employment or on termination of employment leave encashment vests equivalent to salary payable for number of days of accumulated leave balance subject to an upper limit as per the Company's policy. Liability for such benefit is provided on the basis of actuarial valuations, as at the Balance Sheet date, carried out by an independent actuary. The leave encashment scheme of the company is administered through Life Insurance Company (LIC). The actuarial valuation method used by independent actuary for measuring the liability is the projected unit credit method. Actuarial gains/losses are immediately taken to the Profit and Loss Account and are not deferred.

अल्पकालिक कर्मचारी दायित्व
Short Term Employee Obligations

कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के बदले अदा किए जाने वाले अल्पकालिक कर्मचारी लाभों को जिस वर्ष कर्मचारी ने सेवाएं प्रदान की है उस अवधि के दौरान अबट्टाकृत राशि के रूप में अदा किया जाता है.
The undiscounted amount of short-term employee benefits expected to be paid in exchange for the services rendered by employees is recognized in the year during which the employee rendered the services.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

14. खंड रिपोर्टिंग:
Segment Reporting:

बैंक तीन खंडों यथा- होलसेल बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग और ट्रेजरी परिचालन तथा अन्य बैंकिंग परिचालन / समूह परिचालन में कार्य करता है. इन खंडों का निर्धारण एएस-17 के अनुसार योजनाओं व सेवाओं के स्वरूप व जोखिम प्रोफाइल, लक्षित ग्राहक प्रोफाइल, संगठनात्मक संरचना तथा बैंक की आंतरिक रिपोर्टिंग प्रणाली के आधार पर किया गया है.

The Group operates in four segments wholesale banking, retail banking, treasury operations and other banking operations/ group operations. These segments have been identified in line with AS-17 on segment reporting after considering the nature and risk profile of the products and services, the target customer profile, the organization structure and the internal reporting system of the Bank.

खंड राजस्व, परिणाम, आस्तियों व देयताओं में प्रबंधन द्वारा प्रत्येक खंड हेतु आबंटित व अनुमानित किए अनुसार अभिनिर्धारणीय राशि शामिल है. जिन आस्तियों व देयताओं को अभिनिर्धारणीय खंडों में आबंटित नहीं किया जा सकता है उन्हें गैर-आबंटित आस्तियों व देयताओं के रूप में पुनर्समूहित किया जाता है.

Segment revenue, results, assets, and liabilities include the amounts identifiable to each of the segments as also amounts allocated, as estimated by the management. Assets and liabilities that cannot be allocated to identifiable segments are grouped under unallocated assets and liabilities.

15. कराधान:
Taxation:

अ. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के मामले में,
A. In case of IDBI Bank Limited,

कर व्यय में चालू एवं आस्थगित कर शामिल हैं.

Tax expense comprises of current and deferred tax.

i. चालू कर आय कर की वह निर्धारित राशि है जो किसी अवधि के लिए कर योग्य आय (कर हानि) के संबंध में देय (वसूली योग्य) है. इसकी गणना आय कर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों तथा आय परिकलन और प्रकटन मानकों (आईसीडीएस) के अनुसार की जाती है.

Current tax is the amount of Income tax determined to be payable (recoverable) in respect of taxable income (tax loss) for a period calculated in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 and the Income Computation and Disclosure Standards (ICDS).

ii. वर्ष के बहियों और कर लाभों के बीच समय अंतरालों हेतु आस्थगित कर को उन कर दरों एवं कानूनों का प्रयोग करते हुए हिसाब में लिया जाता है जो तुलनपत्र की तारीख को पर्याप्त रूप से अधिनियमित किये गये हों. समय अंतरालों से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर आस्तियों को इनकी भविष्य में वसूली की पर्याप्त निश्चितता की सीमा तक हिसाब में लिया जाता है.

Deferred tax for timing differences between the book and tax profits for the year is accounted for, using the tax rates and laws that have been substantively enacted as of the Balance Sheet date. Deferred tax assets arising from timing differences are recognized to the extent there is reasonable certainty that these would be realized in future.

iii. अनवशोषित मूल्यह्रास / हानियों के मामले में आस्थगित कर आस्तियां तभी मानी जाती हैं जब यह वास्तविक रूप से सुनिश्चित हो कि ऐसी आस्थगित कर आस्ति भावी कर योग्य लाभों में से वसूल की जा सकती हैं.

Deferred tax assets in case of unabsorbed depreciation/ losses are recognized only if there is virtual certainty that such deferred tax asset can be realized against future taxable profits.

iv. विभागीय अपीलों सहित जिन विवादित करों के लिए प्रावधान नहीं किया जाता है, उन्हें आकस्मिक देयताओं के अंतर्गत दर्शाया जाता है.

Disputed taxes not provided for including departmental appeals are stated under Contingent Liabilities.

v. न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) के संबंध में कर जमा का निर्धारण आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 115 जेएए के प्रावधानों के अनुसार ठोस साक्ष्य के आधार पर इस शर्त के साथ किया जाता है कि कंपनी सांविधानिक समय-सीमा के अंतर सामान्य आय कर का भुगतान करेगी तथा प्रत्येक तुलन-पत्र की तारीख को इसकी समीक्षा की जाती है.

Tax credit is recognized in respect of Minimum Alternate Tax (MAT) as per the provisions of Section 115JAA of the Income tax Act, 1961 based on convincing evidence that the Company will pay normal income tax within the statutory time frame and is reviewed at each Balance Sheet date.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

16. दलाली एवं नए निधि प्रस्ताव व्यय:
Brokerage &New Fund Offer expenses:

अ. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड के मामले में,
A. In case of IDBI Asset Management Company Limited,

दलाली: असीमित अवधि वाली इक्विटी लिंक्ड कर बचत योजना के मामले में अदा की गई अपफ्रंट दलाली को 36 महीने की अवधि में परिशोधित करना होता है तथा अन्य असीमित अवधि वाली योजना के मामले में इसे भरपाई अवधि में परिशोधित करना होता है. सीमित अवधि वाली योजनाओं के मामले में अपफ्रंट दलाली को परिपक्वता अवधि के दौरान परिशोधित करना होता है.
Brokerage: Upfront Brokerage paid in case of open ended Equity Linked Tax Saving schemes are to be amortized over the period of 36 months and in case of any other open ended scheme, over the claw back period. In case of closed ended schemes upfront brokerage to be amortized over the tenure of the scheme.

नए निधि प्रस्ताव (एनएफओ): नए निधि अंतर को आरंभ करने संबंधी व्ययों को उस वर्ष के लाभ हानि लेखे में प्रभारित करना होता है जिसमें वे खर्च किए गए हैं और सीमित अवधि वाली योजनाओं के लिए इसे योजना की अवधि के लाभ और हानि लेखे पर प्रभारित करना होता है.
New Fund Offer (NFO): Launch expenses relating to New Fund Offer are to be charged to the Profit and Loss Account in the year in which they are incurred and for close ended scheme it is to be charged to the Profit and Loss Account over the tenure of the scheme.

17. प्रति शेयर उपार्जन:
Earnings Per Share:

i. बैंक एएस 20 के अनुसार मूल एवं न्यूनीकृत प्रति शेयर उपार्जन की सूचना देता है. प्रति शेयर मूल उपार्जन की गणना कर-पश्चात् निवल लाभ को उस अवधि में बकाया इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या से भाग देकर की जाती है.
The Bank reports basic and diluted Earnings per Share in accordance with AS 20. Basic Earnings per Share is computed by dividing the net profit after tax by the weighted average number of equity shares outstanding at the year end.

ii. प्रति शेयर न्यूनीकृत उपार्जन उस संभावित न्यूनीकरण को दर्शाते हैं जो उस अवधि के दौरान प्रतिभूतियों या इक्विटी शेयर जारी करने की अन्य संविदाओं का उपयोग या परिवर्तन करने पर हो सकता है. प्रति शेयर न्यूनीकृत उपार्जन की गणना कर-पश्चात् निवल लाभ को इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या और वर्ष के अंत में बकाया न्यूनीकृत संभाव्य इक्विटी शेयरों की संख्या से भाग देकर की जाती है.
Diluted Earnings per Share reflect the potential dilution that could occur if securities or other contracts to issue equity shares were exercised or converted during the period. Diluted Earnings per Share is computed by dividing the net profit after tax by the sum of the weighted average number of equity shares and dilutive potential equity shares outstanding at the year end.

18. आस्तियों की अनर्जकता:
Impairment of Assets:

जब भी किसी घटना अथवा परिस्थितियों में हुए परिवर्तन ऐसे संकेत देते हैं कि किसी आस्ति की रखाव-राशि वसूली योग्य नहीं है तो अचल आस्तियों की अनर्जकता की समीक्षा की जाती है. धारित तथा उपयोग की जाने वाली आस्तियों की वसूली क्षमता का आकलन अनुमानित चालू वसूली योग्य मूल्य अथवा उपयोग मूल्य की तुलना आस्ति की रखाव राशि से करके किया जाता है. यदि ऐसी आस्तियां अनर्जक मानी गई हों तो निर्धारित होने वाली अनर्जकता को उस आस्ति की दर्ज लागत से उसके चालू अनुमानित वसूली योग्य मूल्य अथवा उपयोग मूल्य की तुलना में आधिक्य से मापा जाता है.
Fixed Assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances warrant that the carrying amount of an asset may not be recoverable. Recoverability of assets to be held and used is measured by a comparison of the carrying amount of an asset to the estimated current realizable value and value in use. If such assets are considered to be impaired, the impairment to be recognized is measured by the amount by which the carrying amount of the asset exceeds estimated current realizable value of the asset or value in use.

19. प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां:
Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets:

i. एएस 29 के अनुरूप प्रावधानों, आकस्मिक देयताओं और आकस्मिक आस्तियों के मामले में, बैंक द्वारा कोई प्रावधान तभी हिसाब में लिया जाता है जब पिछले किसी संव्यवहार के परिणामस्वरूप कोई वर्तमान देयता बनती हो और इस बात की संभावना हो कि उक्त दायित्व के

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

निपटान के लिए आर्थिक लाभों सहित संसाधनों के बहिर्वाह की आवश्यकता होगी और जिसके लिए दायित्व संबंधी विश्वसनीय अनुमान लगाया जा सकता है.

In conformity with AS 29, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets, the Bank recognizes provisions only when it has a present obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

ii. प्रावधानों को उनके वर्तमान मूल्य पर बट्टाकृत नहीं किया जाता और उनका निर्धारण तुलनपत्र की तारीख को देयता के निपटान के लिए अपेक्षित सर्वोत्तम अनुमान के आधार पर किया जाता है.

Provisions are not discounted to its present value and are determined based on best estimate required to settle the obligation at the Balance Sheet date.

iii. किसी प्रावधान के निपटान के लिए अपेक्षित व्यय के संबंध में संभावित प्रतिपूर्ति का निर्धारण तभी किया जाता है जब यह वास्तविक रूप से सुनिश्चित हो कि इसकी प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जाएगी.

Reimbursement expected in respect of expenditure required to settle a provision is recognised only when it is virtually certain that the reimbursement will be received.

iv. आकस्मिक आस्तियों का न तो निर्धारण किया जाता है और न ही इनका प्रकटन किया जाता है.

Contingent Assets are neither recognised nor disclosed.

20. योजना से संबंधित व्यय:
Scheme related expenses:

आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड के मामले में,
In case of IDBI Asset Management Limited,

यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनिमय अधिनियम 1996 द्वारा निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक होने वाली राशियों सहित अथवा सीमाओं से अधिक और कंपनी द्वारा योजना संबंधी जानकारी दस्तावेजों में दिये अनुसार उन व्ययों को जो कंपनी द्वारा वहन किए जाने आवश्यक हैं, आईडीबीआई म्यूचुअल फंड योजनाओं के सभी आवर्ती व्यय योजना संबंधी व्यय के रूप में लाभ एवं हानि लेखे में दर्शाया जाता है.

In all recurring expenses of the schemes of the IDBI Mutual Fund including the amounts in excess of the limits prescribed by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Fund) Regulations Act 1996, as amended, or in excess of limits and as given in the Scheme Information Document that are required to be borne by the Company as per the said regulations, are charged to the Profit and Loss Account as scheme related expenses

आईडीबीआई म्यूच्युअल फंड ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के मामले में,
In case of IDBI Mutual Fund Trustee Company Limited,

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (म्यूचुअल फंड) विनिमय अधिनियम 1996 द्वारा निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक होने वाले आईडीबीआई म्यूचुअल फंड योजना के व्यय कंपनी द्वारा वहन किए जा सकते हैं. तथापि, समीक्षाधीन अवधि के दौरान इस प्रकार का कोई भी व्यय लाभ-हानि लेखे को प्रभारित नहीं किया गया है. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड ने आईडीबीआई म्यूच्युअल फंड ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड पर लगाये जाने वाले सचिवीय तथा अन्य प्रभारों के एक भाग को युक्तियुक्त एवं साम्यिक आधार पर प्रभाजित किया है और ऐसे व्यय लाभ-हानि लेखा में दर्शाये जाते हैं.

Expenses of the scheme of IDBI Mutual Fund in excess of the limits prescribed by the Securities and Exchange Board of India (Mutual Fund) Regulations Act 1996 can be borne by the Company. However, during the period under review no such expenses are charged to Profit and Loss Account. IDBI Asset Management Limited has apportioned a part of the Secretarial and other charges attributable to the IDBI Mutual Fund Trustee Company Limited on a reasonable and equitable basis and such expenses are charged to the Profit and Loss Account.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

अनुसूची 18: समेकित लेखा टिप्पणियां
SCHEDULE 18: NOTES TO CONSOLIDATED ACCOUNTS

1. अचल आस्तियां (संपत्ति, संयत्र एवं उपकरण एएस-10)
FIXED ASSETS (PROPERTY, PLANT & EQUIPMENT AS-10)

i. बैंक ने स्वतंत्र मूल्यांकनकर्ताओं द्वारा किए गए मूल्यांकन के आधार पर पिछले वर्ष की समाप्ति पर परिसरों का पुनर्मूल्यांकन किया है जिसमें पट्टाकृत/पूर्ण स्वामित्व वाली भूमि और आवासीय /कार्यालय भवन शामिल हैं. पूनर्मूल्यांकन के बाद यथा 1 अप्रैल 2019 को ₹ 7145.28 करोड़ माना गया है.

As at the end of the previous year, the Bank had re-valued its Premises including Leasehold / Freehold Lands & Residential/ Office **b**uildings based on valuations made by independent valuers. Post revaluation, the net block of premises stands at ₹ 7145.28 crore as on April 1, 2019.

ii. 31 मार्च 2020 को पुनर्मूल्यन रिजर्व में शेष ₹ 6,503.37 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 6727.69 करोड़) रहा.

The balance in Revaluation Reserve as at March 31, 2020 is ₹ 6,503.37 crore (₹ 6727.69 crore for previous year).

iii. वर्ष के दौरान आवासीय/कार्यालय भवन और अन्य आस्तियों की बिक्री के कारण निवल ₹ 4.74 करोड़ (₹ 72.71 करोड़) की हानि हुई जिसे अनुसूची 14 - अन्य आय में शामिल किया गया है.

Net Loss amounting to ₹ 4.74 crore (₹ 72.71 crore) on account of sale of Residential/Office Buildings and other assets during the year is included in Schedule 14 - Other Income.

2. कर्मचारी लाभ (एएस-15) (संशोधित)
EMPLOYEE BENEFITS (AS-15) (Revised)

क. कर्मचारी लाभ योजना
A. Employee Benefit Schemes

i) निर्दिष्ट अंशदान योजनाएं
Defined Contribution Schemes

पेंशन का विकल्प चुनने वाले तथा 31 मार्च 2008 से पूर्व बैंक में सेवा ग्रहण करने वाले कर्मचारियों को छोड़कर बैंक के अन्य कर्मचारियों को भविष्य निधि योजना (पीएफएस) के अंतर्गत कवर किया गया है. बैंक मूल वेतन के एक निश्चित प्रतिशत के रूप में भविष्य निधि योजना में निर्दिष्ट अंशदान करता है. भविष्य निधि योजना को ''आईडीबीआई बैंक कर्मचारी भविष निधि न्यास के न्यासी बोर्ड (न्यास)'' द्वारा संचालित किया जाता है. आईडीबीआई होम फ़ाइनेंस लिमिटेड (आईएचएफएल) और आईडीबीआई गिल्ट्स लिमिटेड (आईजीएल) के कर्मचारियों के संदर्भ में मई 2011 तक भविष्य निधि अंशदान क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को किए गए और उसके बाद अंशदान ऊपर उल्लिखित निधि में किए गए. वर्ष के दौरान पीएफएस में ₹ 5.96 करोड़ (₹ 13.52 करोड़) का अंशदान किया गया और इसे लाभ-हानि लेखे में डाला गया है.

The Bank's employees, excluding those who have opted for pension, who have joined Bank before March 31, 2008 are covered by Provident Fund Scheme (PFS). The Bank makes a defined contribution measured as a fixed percentage of basic salary to the PFS. The Provident Fund Scheme is managed by "The Board of Trustees of IDBI Bank Employees' Provident Fund Trust (Trust)". In respect of employees of IDBI Home Finance Limited (IHFL) and IDBI Gilts Limited (IGL), provident fund contributions were made to Regional Provident Fund Commissioner up to May 2011 and thereafter contributions have been made to the aforementioned Fund. During the year ₹ 5.96 crore (₹ 13.52 crore) has been contributed to PFS and charged to Profit and Loss Account.

1 अप्रैल 2008 के बाद बैंक में नियुक्त कर्मचारियों को आईडीबीआई बैंक की नयी पेंशन पेंशन योजना (आईबीएलएनपीएस) के अंतर्गत कवर किया गया है जिसमें बैंक वेतन और महंगाई भत्ते के निर्धारित प्रतिशत के रूप मे अंशदान करता है. वर्ष के दौरान आईबीएलएनपीएस में ₹ 90.99 करोड़ (₹ 153.16 करोड़) का अंशदान किया गया और इसे लाभ-हानि लेखे में डाला गया है.

The Bank's employees who have joined after April 1, 2008 are covered by IDBI Bank Ltd. New Pension Scheme (IBLNPS) to which Bank makes a defined contribution as a fixed percentage of Pay and Dearness Allowance. During the year, ₹ 90.99 crore (₹ 153.16 crore) has been contributed to IBLNPS and charged to Profit and Loss Account.

आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लि. के मामले में, लाभ-हानि लेखे में भविष्य निधि अंशदान के लिए ₹ 0.96 करोड़ (₹ 0.83 करोड़) की राशि निर्दिष्ट की गई और शामिल की गई है.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

In case of IDBI Capital Market & Securities Ltd., the amount recognized and included for Contribution to Provident Fund in Profit and Loss Account is ₹ 0.96 crore (₹ 0.83 crore).

आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. के मामले में, कंपनी द्वारा लाभ-हानि लेखे में भविष्य निधि अंशदान के लिए 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 0.60 (₹ 0.61 करोड़) करोड़ की राशि निर्दिष्ट की गई है.

In case of IDBI Asset Management Ltd., the amount recognized is ₹ 0.60 crore (₹ 0.61 crore) for the year ended March 31, 2020 for the Provident Fund Contributions in the Profit and Loss Account.

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप लि. के मामले में कंपनी द्वारा लाभ-हानि लेखे में भविष्य निधि अंशदान के लिए 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 0.22 करोड़ (₹ 0.15 करोड़) करोड़ की राशि निर्दिष्ट की गई है.

In case of IDBI Trusteeship Services Ltd., the amount recognized is ₹ 0.22 crore for the year ended March 31, 2020 (₹ 0.15 crore) for the Provident Fund Contributions in the Profit and Loss Account.

आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में कंपनी द्वारा लाभ-हानि लेखे में सांविधिक भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, ग्रुप टर्म बीमा और कर्मचारी श्रम कल्याण निधि में अंशदान के लिए 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 2.51 करोड़ (₹ 2.07 करोड़) करोड़ की राशि निदिष्ट की ग़ई है.

In case of IDBI Federal Life Insurance Company Ltd., the amount recognized is ₹ 2.51 crore for the year ended March 31, 2020 (₹ 2.07 crore) for the contribution towards Statutory Provident Fund, Employee State Insurance, Group Term Insurance & Employee Labour Welfare Fund in the Profit and Loss Account.

आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में कर्मचारी और कंपनी दोनों ही वेतन के निर्दिष्ट औसत के बराबर राशि भविष्य निधि योजना में मासिक आधार पर अंशदान करते हैं. कंपनी के उन कर्मचारियों के मामले में जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफ़ओ) के पास पंजीकृत हैं और जिनके पास यूनिवर्सल खाता संख्या (यूएएन) है, प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरपीवाई) के दिशानिर्देशों के अधीन नए कर्मचारियों के संबंध में भारत सरकार ने ईपीएफ़ और ईपीएस दोनों में पूर्ण नियोक्ता अंशदान का भुगतान किया है. शेष कर्मचारियों के लिए और सभी कर्मचारियों के संबंध में सम्पूर्ण अंशदान सरकार द्वारा अभिशासित कर्मचारी भविष्य निधि और पेंशन निधि में किया जाता है. लाभभोगियों को प्रति वर्ष देय ब्याज के बारे में सरकार द्वारा सूचना दी जा रही है.

In case of IDBI Intech Ltd., both the employees and the Company make monthly contributions to the Provident Fund Plan equal to a specified percentage of the covered employee's salary. In case of Company's employees enrolled with the Employees Provident Fund Organization (EPFO) having Universal Account Number (UAN), the Government of India has paid the full employer's contribution to both EPF and EPS in respect of new employees under the guidelines of Pradhan Mantri Rojgar Yojana (PMRPY). For the remaining employees and the entire contribution in respect of all employees is contributed to the Government administered Employee Provident and Pension Fund. The interest rate payable to the beneficiaries every year is being notified by the Government.

वर्ष के दौरान कंपनी ने भविष्य निधि के प्रति अंशदान के रूप में ₹ 3.95 करोड़ (₹ 3.03 करोड़) व्यय निर्धारित किया है. वर्ष के दौरान कंपनी ने पीएमआरपीवाई के प्रति ₹ 0.16 करोड़ (₹ 0.18 करोड़) का लाभ प्राप्त किया है

During the year, the Company has recognized expenses towards contributions to provident fund for ₹ 3.95 crore (₹ 3.03 crore). During the year, the Company has availed the benefit of PMRPY for ₹ 0.16 crore (₹ 0.18 crore).

ii) निर्दिष्ट लाभ योजनाएं
Defined Benefit Schemes

क. बैंक 'आईडीबीआई बैंक कर्मचारी ग्रेच्युटी निधि ट्रस्ट' में कर्मचारियों के ग्रेच्युटी दायित्व के लिए अंशदान करता है.

a. The Bank makes contributions for the gratuity liability of the employees to the 'IDBI Bank Employees Gratuity Fund Trust'.

i. बैंक के कुछ कर्मचारी पेंशन के लिए भी पात्र हैं जो 'आईडीबीआई पेंशन फंड ट्रस्ट' द्वारा संचालित है.
Some of the employees of the Bank are also eligible for Pension which is administered by the 'IDBI Pension Fund Trust'.

ii. इन निर्दिष्ट लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य और संबंधित वर्तमान सेवा लागतों की गणना प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख को एक स्वतंत्र बीमांकक द्वारा अनुमानित यूनिट जमा पद्धति का उपयोग करते हुए की जाती है
The present value of these defined benefit obligations and the related current service cost are measured using the Projected Unit Credit Method by an independent actuary at each Balance Sheet date.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ख. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्युरिटीज लि. के मामले में समूह की एक निर्दिष्ट लाभ ग्रेच्युटी योजना है. प्रत्येक कर्मचारी जिसने पांच वर्ष या इससे अधिक की सेवा पूरी कर ली है, उसे सेवा से मुक्ति लेते समय सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए 15 दिन के वेतन (अंतिम आहरित वेतन) की ग्रेच्युटी मिलती है जो कि अधिकतम ₹ 20,00,000 के अधीन है.

b. In case of IDBI Capital Market & Securities Ltd., the group has a defined benefit gratuity plan. Every employee who has completed five years or more of service gets a gratuity on departure at 15 days salary (last drawn salary) for each completed year of service subject to a maximum of ₹ 2000000.

ग. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. के मामले में, उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के अनुसार भुगतान के लिए समूह ने ग्रेच्युटी का प्रावधान किया है जो सभी कर्मचारियों को कवर करने वाली एक निर्दिष्ट सेवानिवृत्ति लाभ योजना है. इसमें संबंधित कर्मचारी के वेतन और कंपनी में उसके नियोजन के वर्षों के आधार पर उसे सेवानिवृत्ति या सेवा समापन पर एकमुश्त राशि दी जाती है.

c. In case of IDBI Asset Management Ltd., in accordance with Payment of Gratuity Act, 1972, the group provides for gratuity, a defined benefit retirement plan covering all employees. The plan provides a lump sum payment to vested employees at retirement or termination of employment based on the respective employee's salary and the years of employment with the Company.

ग्रेच्युटी लाभ भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा नियंत्रित तथा प्रबंधित ग्रेच्युटी निधि के जरिए प्रदान किया जाता है. ग्रेच्युटी निधि में वार्षिक अंशदान तथा प्रावधान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है.

The gratuity benefit is provided through a Gratuity Fund administrated and managed by the Life Insurance Corporation of India. The annual contributions to the gratuity fund and provision is made on the basis of actuarial valuation.

घ. आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड के मामले में समूह भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) द्वारा संचालित कर्मचारी समूह उपदान बीमा योजना में वार्षिक अंशदान करता है जो अर्हताप्राप्त कर्मचारियों के लिए एक निधिक निर्धारित लाभ है. यह योजना सेवा के पूरे किए गए वर्ष के आधार पर या छह माह से अधिक होने पर उसके भाग के रूप में संबन्धित कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति, रोजगार के दौरान मृत्यु या रोजगार के दौरान सेवा की समाप्ति पर एकमुश्त भुगतान का प्रावधान करती है. निहित योजना 5 वर्ष की लगातार सेवा पूरी होने पर लागू होती है.

d. In case of IDBI Intech Ltd., the group makes annual contribution to the Employee's Group Gratuity Assurance Scheme, administered by the Life Insurance Corporation of India (LIC), a funded defined benefit plan for qualifying employees. The scheme provides for lump sum payment to vested employees at retirement, death while in employment or on termination of employment based on completed years of service or part thereof in excess of six months. Vesting occurs on completion of five years of continuous service.

ङ. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. के मामले में समूह ने ग्रेच्युटी दायित्वों के लिए एक अलग ट्रस्ट बनाया है. ग्रेच्युटी ट्रस्ट के अनुमोदन के लिए आयकर विभाग के पास किया गया आवेदन लंबित है. ट्रस्ट ने एलआईसी से ग्रुप ग्रेच्युटी पॉलिसी ली है और बीमांकिक आधार पर एलआईसी द्वारा निर्धारित किए गए वार्षिक अंशदानों का भुगतान कर उन्हें लाभ-हानि खाते में डाला जाता है. वर्ष के अंत में एलआईसी के पास हुआ संचय कंपनी की योजना आस्तियों और ग्रेच्युटी देयताओं के निधिकृत भाग को दर्शाते हैं.

e. In case of IDBI Trusteeship Services Ltd., The group has created a separate Trust for Gratuity obligations. The application filed for approval of the Gratuity Trust with the Income Tax Dept. is pending. The Trust has taken Group Gratuity Policy from LIC and the annual contributions determined by LIC on actuarial basis are paid and charged to Statement of Profit & Loss. The accumulations with LIC at year end represent Plan Assets and Funded Part of Gratuity Obligations of the Company.

चूंकि एलआईसी द्वारा बीमांकिक गणनाओं में अपेक्षाकृत कम दरों पर वेतन में बढ़ोत्तरी (4%) और आहरण (1% से 3%) का अनुमान लगाया जाता है, कंपनी ने सरकार द्वारा अनुमोदित स्वतंत्र बीमा मूल्यांकक से अधिक वास्तविक धारणाओं पर पिछली और वर्तमान सेवा के भविष्य के दायित्वों के वर्तमान मूल्य के मूल्यांकन हेतु एक प्रमाण पत्र प्राप्त किया है. एलआईसी योजना में निधि संचयन और स्वतंत्र मूल्यांकक (ग्रेच्युटी दायित्व के गैर निधिक भाग का प्रतिनिधित्व करते हुए) द्वारा वर्ष के अंत में देयता के रूप में निर्धारित राशि में अंतर को लाभ-हानि विवरण में उपयुक्त रूप से डालकर लेखे में देयता के रूप में दर्शाया जाता है.

On account of LIC assuming lower rates of salary escalations (4%) and withdrawal (1 to 3%) in actuarial computations, the Company has obtained, from Independent Government Approved Actuary Valuer, a certificate for valuation of present value of future obligation of past and current service on more realistic assumptions. The difference between fund accumulation in LIC Scheme and amount determined at year end obligations by Independent Valuer (representing Non-Funded Part of Gratuity Obligation) is recognized and presented as liability in accounts by appropriate charge to Statement of Profit & Loss.

च. आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में समूह ने एक ग्रेच्युटी ट्रस्ट निगमित किया है. कंपनी आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ग्रेच्युटी फंड के ट्रस्ट द्वारा नियंत्रित ग्रेच्युटी निधि में अंशदान करती है. ग्रेच्युटी योजना में पात्र कर्मचारियों

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

को संबंधित कर्मचारी के वेतन और कंपनी में रोजगार के वर्ष के आधार पर सेवानिवृत्ति या रोजगार की समाप्ति पर एकमुश्त भुगतान का प्रावधान है.

f. In case of IDBI Federal Life Insurance Company Ltd., The group has incorporated a gratuity trust. The Company makes contribution to a Gratuity Fund administered by trustee of IDBI Federal Life Insurance Company Limited Gratuity Fund. The plan provides a lump sum payment to vested employees at retirements or termination of employment based on the respective employee's salary and the year of employment with the Company.

6 महीने या उससे अधिक की नियमित सेवा प्रदान करने वाले पात्र कर्मचारियों को उपदान संदाय अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार सेवा छोड़ने पर सेवा के प्रत्येक पूरे वर्ष के लिए 15 दिन के मूल वेतन की दर से ग्रेच्युटी का भुगतान किया जाता है.
The Gratuity is payable on separation as per the provisions of Payment of Gratuity Act, 1972 @ 15 days basic pay for each completed years of service to eligible employees who have rendered continuous service of 6 months or more.

कर्मचारियों को उपदान लाभ न्यास द्वारा प्रबंधित एक बीमा नीति और निवेश के माध्यम से प्रदान किया जाता है. बीमा पॉलिसी कंपनी द्वारा जारी की जाती है तथा ऐसी पॉलिसी के लिए कंपनी द्वारा प्रदत्त प्रीमियम को व्यय माना गया है. इससे संबन्धित देयता (निधिक भाग) जीवन निधि का भाग और तदनुरूपी निवेश पॉलिसीधारक का भाग होती है.
Gratuity benefits to employees are provided for through an insurance policy and investments managed by the Trust. The insurance policy is issued by the Company and the premium paid by the Company in respect of such policy has been accounted as an expense. The liability in respect thereof (funded portion) forms part of life fund and corresponding investment as part of policyholder's investments.

कर्मचारियों के लिए संचित बीमारी छुट्टी के संबंध में क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति हेतु देयता का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है. वर्ष के दौरान बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर उक्त लाभों के लिए प्रावधान के रूप में राजस्व अथवा लाभ और हानि लेखा में ₹ (-) 0.05 करोड़ (₹ 0.09 करोड़) प्रभारित किए गए.
Liability for compensated absence in respect of accumulated sick leave for employees is determined based on actuarial valuation. During the year amount of ₹ (-) 0.05 crore (₹ 0.09 crore) has been charged to Revenue or Profit and Loss Account towards provision for the said benefits based on actuarial valuation.

निम्नलिखित तालिका निर्दिष्ट लाभ योजनाओं की स्थिति और 31 मार्च 2020 को समूह के वित्तीय विवरणों में दर्शायी गई राशियों की स्थिति प्रस्तुत करती है जो लेखा मानक - 15 (संशोधित) के अनुसार है.
The following table sets out the status of the defined benefit schemes and the amounts recognised in the Group's financial statements as at March 31, 2020 which is as per AS-15(Revised).

(₹ करोड़ में) / (₹ In crore)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity
		यथा 31 मार्च 2020 As at March 31, 2020		यथा 31 मार्च 2019 March 31, 2019	
क) a)	**वर्ष के आरंभ में अनुमानित लाभ दायित्व Projected benefit obligation, beginning of the year**	2343.28	800.32	2111.79	721.69
	ब्याज लागत / Interest cost	**182.31**	**62.11**	**163.66**	**56.44**
	वर्तमान सेवा लागत Current Service cost	37.68	37.84	33.06	36.93
	वर्ष के दौरान सीमा में वृद्धि के कारण उपगत पूर्व सेवा लागत (निहित लाभ) Past Service cost (Vested Benefit) incurred during the year due to increase in limit	0.00	0.00	0.00	12.31
	अंतरित देयता आगम / (निर्गम) Liability Transferred In/ (Out)	0.00	0.00	0.00	0.00

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ In crore)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity
		यथा 31 मार्च 2020 As at March 31, 2020		यथा 31 मार्च 2019 March 31, 2019	
	प्रदत्त लाभ Benefits paid	(216.01)	(81.10)	(138.94)	(82.66)
	बीमांकिक (लाभ)/ हानि Actuarial (Gains)/Losses	0.00	1.48	0.56	8.41
	वित्तीय अवधारणाओं में बदलाव के कारण दायित्व पर बीमांकिक (लाभ)/ हानि Actuarial (Gains)/Losses on Obligations - Due to Change in Financial Assumptions	294.85	69.80	(7.07)	2.60
	अनुभव के कारण दायित्व पर बीमांकिक (लाभ) / हानि Actuarial (Gains)/Losses on Obligations - Due to Experience	350.90	56.24	180.22	44.60
	वर्ष के अंत में अनुमानित लाभ / दायित्व Projected benefit/ obligation, end of the year	**2993.01**	**946.68**	**2343.28**	**800.32**
	योजना आस्तियों में परिवर्तन : Change in plan assets:				
	वर्ष के आरंभ में योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets, beginning of the year	2435.91	719.99	2289.98	651.66
	योजना आस्तियों पर अनुमानित प्रतिफल Expected return on plan assets	189.51	56.01	177.47	51.04
ख) b)	नियोक्ता का अंशदान Employer's contributions	274.68	194.18	50.17	100.08
	अन्य कंपनी से अंतरण Transfer from other Company	0.00		0.00	0.00
	प्रदत्त लाभ / Benefits paid	(216.01)	(81.10)	(138.94)	(82.66)
	बीमांकिक लाभ / (हानि) / Actuarial gain / (loss)	14.12	4.53	57.23	(0.11)
	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair value of plan assets at the end of the year	**2698.21**	**893.61**	**2435.91**	**720.01**
	दायित्व के वर्तमान मूल्य और योजना आस्तियों के उचित मूल्य का समाधान Reconciliation of present value of the obligation and fair value of the plan assets				
	वर्ष के अंत में लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य Present value of benefit obligation at the end of the year	2993.01	946.69	2343.28	800.32

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ In crore)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity
		यथा 31 मार्च 2020 As at March 31, 2020		यथा 31 मार्च 2019 March 31, 2019	
	भविष्य में अभिनिर्धारित/ उपबंधित की जानेवाली संक्रमणकालीन (देयता) Transitional (Liability) to be recognized/ provided in future	0.00	0.00	0.00	0.00
ग) c)	**वर्ष के अंत में लाभ दायित्व का निवल वर्तमान मूल्य Net Present value of benefit obligation at the end of the year**	2993.01	946.69	2343.28	800.32
	वर्ष के अंत में योजना आस्तियों का उचित मूल्य Fair Value of Plan assets at the end of the year	2698.21	893.61	2435.91	720.01
	अधिशेष / (कमी) / Surplus/ (Deficit)	**(294.80)**	**(53.08)**	**92.63**	**(80.31)**
	वर्ष के लिए निवल लागत Net cost for the year				
	सेवा लागत / Service cost	37.68	37.84	33.06	36.93
	ब्याज लागत / Interest cost	182.31	62.11	163.66	56.44
घ) d)	योजना आस्तियों पर प्रत्याशित प्रतिफल Expected return on plan assets	(189.51)	(55.74)	(177.47)	(50.81)
	निवल बीमांकिक (लाभ)/ हानि Net Actuarial (gain)/ loss	631.63	123.00	116.48	55.74
	सीमा में वृद्धि के कारण अवधि के दौरान स्वीकार की गई पिछली सेवा लागत (निहित लाभ) Past Service Cost (Vested Benefit) recognized during the year due to increase in limit	0.00	0.00	0.00	12.31
	वर्ष के दौरान स्वीकार की गई संक्रमणकालीन देयता Transitional liability recognized during the year	0.00	0.00	(23.74)	34.71
	उपरोक्तानुसार निवल लागत Net cost as per above	662.11	167.21	111.99	145.32
	पुनरांकित न की गयी बीमांकिक देयता की तुलना में निधि मूल्य की अधिकता Excess of fund value over actuarial liability not written back	0.00	0.00	92.63	0.00

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ In crore)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity
		यथा 31 मार्च 2020 As at March 31, 2020		यथा 31 मार्च 2019 March 31, 2019	
	वर्तमान वर्ष में समायोजित पिछले वर्ष की बीमांकिक देयता की तुलना में निधि मूल्य की अधिकता Excess of fund value over actuarial liability of previous year adjusted in current year	(92.63)	0.00	(178.19)	0.00
	वर्तमान वर्ष में समायोजित निवेशों पर एलआईसी द्वारा ऑफर ब्याज दर में बढ़ोतरी के कारण उपदान निधि मूल्य में वृद्धि **Increase in Gratuity Fund Value due to increase in rate of interest offered by LIC on investments adjusted in current year**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**(0.17)**
	वर्ष की निवल लागत **Net cost of the year**	**569.48**	**167.21**	**26.43**	**145.15**
	आस्तियों की श्रेणी **Category of Assets**				
	भारत सरकार की आस्तियां Government of India Assets	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
	राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ State Government securities	196.21	0.59	186.38	0.24
	कॉरपोरेट बांड / Corporate Bonds	861.74	0.19	724.80	0.45
ङ) e)	विशेष जमा योजना Special Deposits Scheme	0.00	0.00	0.00	0.00
	बीमाकर्ता प्रबंधित निधियां Insurer Managed Funds	1509.00	889.05	1342.02	716.84
	अन्य / Others	131.26	2.91	182.71	2.45
	कुल / Total	2698.21	892.75	2435.91	719.97
च) f)	**लेखांकन में प्रयुक्त धारणाएं :** **Assumptions used in accounting:**				
	बट्टा दर / Discount rate	6.79%	From 5.45 % to 7.00%	7.78%	7.78%
	योजना आस्तियों पर प्रतिफल दर Rate of return on plan assets	6.79%	From 0.07% to 7.10%	7.78%	7.78%
	वेतन बढ़ोतरी दर Salary escalation rate	5.75%	From 5 % to 12%	5.75%	5.75%

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) / (₹ In crore)

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity	पेंशन Pension	ग्रेच्युटी Gratuity
		यथा 31 मार्च 2020 As at March 31, 2020		यथा 31 मार्च 2019 March 31, 2019	
ज) f)	पलायन दर Attrition Rate	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 3.08 तथा उसके बाद 3.5% 3.08 for service less than 5 years and 3.5% thereafter	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 1.90% और 4 वर्ष से अधिक की सेवा के लिए 2.57% 1.90 % for service less than 5 Years and 2.57 % for service more than 4 Years	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 3.08% तथा उसके बाद 3.5% 3.08 for service less than 5 years and 3.5% thereafter	5 वर्ष से कम सेवा के लिए 3.08% तथा उसके बाद 3.5% 3.08 for service less than 5 years and 3.5% thereafter
	मृत्यु दर / Mortality Rate	भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु दर (2012-2014) अंतिम रूप से Indian Assured Lives Mortality (2012-14) Ultimate		भारतीय आश्वासित जीवन मृत्यु दर (2006-2008) अंतिम रूप से Indian Assured Lives Mortality (2006-2008) Ult.	

इ. अन्य दीर्घावधि लाभ
C. Other long term benefits

क. अवधि की समाप्ति पर छुट्टी नकदीकरण दायित्व का वर्तमान मूल्य
a. Present value of Leave Encashment obligation at the End of the period

संस्था Entity	वित्तीय वर्ष 2019-20 FY 2019-20	वित्तीय वर्ष 2018-19 FY 2018-19
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड / IDBI Bank Limited	525.22	431.99
आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड IDBI Federal Life Insurance Company Limited	1.71	1.45
आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड IDBI Asset Management Limited	0.44	0.41
आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड / IDBI Intech Limited	2.22	2.34
आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्युरिटीज सर्विसेज लि. IDBI Capital Market & Securities Limited	3.29	3.27
आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड IDBI Trusteeship Services Limited	0.52	0.35

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

ख. वित्तीय वर्ष 19-20 में लाभ-हानि लेखे में प्रभारित छुट्टी नकदीकरण
b. Leave Encashment charged to Profit and Loss Account in FY 19-20

संस्था Entity	वित्तीय वर्ष 2019-20 FY 2019-20	वित्तीय वर्ष 2018-19 FY 2018-19
आईडीबीआई बैंक लिमिटेड / IDBI Bank Limited	134.62	90.64
आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड IDBI Federal Life Insurance Company Limited	1.07	0.70
आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लिमिटेड IDBI Asset Management Limited	0.14	0.10
आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्युरिटीज लिमिटेड IDBI Capital Market & Securities Limited	0.75	1.24
आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड IDBI Trusteeship Services Limited	0.20	0.12

आईडीबीआई बैंक लि. के मामले में, बैंक के अधिकारी अधिकतम 240 दिन और अन्य स्टाफ अधिकतम 300 दिन तक अपनी अर्जित/ विशेष छुट्टी को संचित करने के लिए पात्र हैं. प्रत्येक वर्ष में अधिकतम 15 दिन की छुट्टी का नकदीकरण कराया जा सकता है.
In case of IDBI Bank Ltd., employees of the Bank are entitled to accumulate their earned/ privilege leave up to a maximum of 240 days for officers and 300 days for other staff. A maximum of 15 days leave is eligible for encashment in each year.

बैंक के कुछ कर्मचारी स्वैच्छिक स्वास्थ्य योजना सहायता के लिए पात्र हैं जिसे देयता की घटना होने पर बैंक द्वारा वहन किया जाता है.
Some employees of the Bank are eligible for Voluntary Health Scheme which is borne by the Bank as and when the liability events occur.

बैंक के कर्मचारी अपंगता सहायता के लिए पात्र हैं जिसे अपंगता की घटना घटित होने पर बैंक द्वारा वहन किया जाता है.
Employees of the Bank are eligible for Disability Assistance which is borne by the Bank as and when the disability events occur.

आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लि. के मामले में कंपनी के कर्मचारी अधिकतम 30 दिन की अर्जित/ विशेष छुट्टी को संचित कर सकते हैं जो नीति के अनुसार उनके द्वारा सेवा छोड़ते समय भुगतान योग्य/ नकदीकरण योग्य है.
In case of IDBI Federal Life Insurance Company Ltd., The employees of the Company are entitled to accumulate their earned / privilege leave up to a maximum of 30 days which is payable / encashable as per the policy on their separation.

3. खंड रिपोर्टिंग (एएस-17)
SEGMENT REPORTING (AS-17)

बैंक मुख्यतः निम्नलिखित चार कारोबारी खंडों में परिचालन करता है :
The Bank primarily operates in four business segments as under:

ट्रेजरी Treasury	ट्रेजरी परिचालन में निवेशों के ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, मुद्रा बाजार परिचालन, डेरिवेटिव सौदे, प्रोप्राइटरी खातों में और ग्राहकों के लिए विदेशी मुद्रा परिचालन शामिल हैं. Treasury operations include trading portfolio of investments, money market operations, derivative trading, foreign exchange operations on the proprietary account and for customers.
खुदरा बैंकिंग Retail Banking	खुदरा बैंकिंग में व्यापक रूप से ऋण और जमा कार्यकलाप शामिल हैं जो मुख्य रूप से वैयक्तिक और प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार सहित लघु कारोबार पर केंद्रित हैं. खुदरा बैंकिंग में भुगतान एवं वैकल्पिक चैनल जैसे एटीएम, पीओएस मशीनें, इन्टरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ट्रेवल/ करेंसी कार्ड, थर्ड पार्टी वितरण और लेनदेन बैंकिंग सेवाएं भी शामिल हैं. Retail Banking broadly includes credit and deposit activities that are primarily oriented towards individuals & small business including Priority Sector lending. Retail Banking also encompasses payment and alternate channels like ATMs, POS machines, Internet Banking, Mobile Banking, Credit Cards, Debit Cards, Travel/Currency Cards, Third Party distribution and transaction Banking services.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग Corporate / Wholesale Banking	इसमें खुदरा के अतिरिक्त जमा एवं ऋण कार्यकलाप सहित कॉरपोरेट संबंध शामिल हैं. इसमें कॉरपोरेट सलाहकारी/ समूहन सेवाएं, परियोजना मूल्यांकन और ट्रेजरी के अंतर्गत शामिल न किए गए रणनीतिक निवेश सहित निवेश पोर्टफोलियो शामिल हैं. Includes corporate relationship covering deposit & credit activities other than retail. It also covers corporate advisory / syndication, project appraisal and investment portfolio including strategic investments other than those covered under Treasury.
अन्य बैंकिंग/ समूह परिचालन Other Banking/ Group Operations	इसमें बैंक के अलावा समूह कंपनियों के परिचालन/ कार्यकलाप शामिल हैं. Includes operations/activities of group companies other than Bank.

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्रम सं.	विवरण Particulars	31 मार्च 2020 March 31, 2020	31 मार्च 2019 March 31, 2019
क. a.	**खंड राजस्व** **Segment Revenue**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale Banking	12,000	13,881
	खुदरा बैंकिंग / Retail Banking	28,906	29,479
	ट्रेजरी / Treasury	754	440
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other Banking Operations	**284**	**323**
	कुल / TOTAL	**41,942**	**44,123**
	घटाएं :- अंतर-खंड राजस्व / Less :- Inter-segment revenue	16,457	18,485
	परिचालनों से निवल बिक्री/ आय / Net sales / income from operations	**25,485**	**25,637**
ख. b.	खंड परिणाम - कर पूर्व लाभ / (हानि) Segment Results-Profit/(Loss) before tax		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale Banking	(11,329)	(24,844)
	खुदरा बैंकिंग / Retail Banking	1,767	1,733
	ट्रेजरी / Treasury	**575**	**291**
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other Banking Operations	**103**	**154**
	कुल / TOTAL	**(8,884)**	**(22,665)**
	घटाएं: अविनिधानीय आय को घटाते हुए अन्य अविनिधानीय व्यय Less: Other unallocable expenditure net of unallocable income	-	-
	कर पूर्व कुल लाभ / Total Profit before tax	**(8,884)**	**(22,665)**
	आय कर / Income taxes	3,951	(7,678)
	निवल लाभ/ (हानि) / Net Profit/(Loss)	**(12,835)**	**(14,987)**
ग. c.	**खंड आस्तियां** **Segment Assets**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale Banking	1,06,277	1,20,432
	खुदरा बैंकिंग / Retail Banking	1,71,634	1,71,469
	ट्रेजरी / Treasury	175	2,965
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other Banking Operations	854	1,466
	अविनिधानीत आस्तियां / Unallocated Assets	21,774	24,780
	कुल आस्तियां / Total assets	**3,00,713**	**3,21,111**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्रम सं.	विवरण Particulars	31 मार्च 2020 March 31, 2020	31 मार्च 2019 March 31, 2019
घ. d.	**खंड देयताएं Segment Liabilities**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale Banking	53,247	77,704
	खुदरा बैंकिंग / Retail Banking	2,17,844	2,11,127
	ट्रेजरी / Treasury	1,099	375
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other Banking Operations	191	287
	अविनिधानीत देयताएं / Unallocated Liabilities	-	-
	कुल देयताएं / Total liabilities	**2,72,381**	**2,89,492**
ङ. e.	**पूंजी नियोजन (खंड आस्तियां- खंड देयताएं) Capital Employed (Segment Assets-Segment Liabilities)**		
	कॉरपोरेट / थोक बैंकिंग / Corporate/Wholesale Banking	53,030	42,728
	खुदरा बैंकिंग / Retail Banking	(46,210)	(39,658)
	ट्रेजरी / Treasury	(924)	2,590
	अन्य बैंकिंग परिचालन / Other Banking Operations	663	1,179
	अविनिधानीत / Unallocated	21,774	24,780
	कुल पूंजी / Total Capital	**28,332**	**31,619**

- खंड राजस्व में बैंक द्वारा अनुसरण की जाने वाली निधि अंतरण कीमत निर्धारण प्रणाली के अनुसार संगणित अंतर-खंड राजस्व शामिल हैं।
  The segment revenue includes inter-segment revenue computed as per Fund Transfer Pricing system followed by the Bank.
- समूह प्राथमिक रूप से भारत में कारोबार करता है, अतः समूह ने यह माना है कि इसके परिचालन मुख्य रूप से देशी खंड में होते हैं और इसलिए रिपोर्ट करने योग्य कोई भौगोलिक खंड नहीं है.
  The group primarily operates in India, hence the group has considered that its operations are predominantly in the domestic segment and as such there are no reportable geographical segments.

4. संबद्ध पक्षकार का प्रकटन (एएस-18)
RELATED PARTIES DISCLOSURE (AS-18)

i) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों के ब्योरे
Details of Key Management Personnel

क्र. सं. S. No.	संस्था का नाम Name of Entity	संबंध Relationship
1.	श्री राकेश शर्मा Shri Rakesh Sharma	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ Managing Director & CEO
2.	श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज Shri Samuel Joseph Jebaraj	उप प्रबंध निदेशक (20 सितंबर 2019 से) Deputy Managing Director (From September 20, 2019)
3.	श्री सुरेश खटनहार Shri Suresh Khatanhar	उप प्रबंध निदेशक (15 जनवरी 2020 से) Deputy Managing Director (From January 15, 2020)

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

क्र. सं. S. No.	संस्था का नाम Name of Entity	संबंध Relationship
4.	श्री के. पी. नायर Shri K. P. Nair	उप प्रबंध निदेशक (31 मई 2019 तक) Deputy Managing Director (Up to May 31, 2019)
5.	श्री जी. एम. यादवाडकर Shri G.M.Yadwadkar	उप प्रबंध निदेशक (15 सितंबर 2019 तक) Deputy Managing Director (Up to September 15, 2019)
6.	श्री अजय शर्मा Shri Ajay Sharma	कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी Executive Director & Chief Financial Officer
7.	श्री पवन अग्रवाल Shri Pawan Agrawal	कंपनी सचिव Company Secretary

ii) **वर्ष के दौरान जिन पक्षकारों से लेनदेन किए गए**
Parties with whom transactions were entered into during the year

लेखा मानक 18 के पैरा 5 के अनुसार, बैंकर-ग्राहक संबंध के स्वरूप में लेनदेनों में मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के संबंधियों का प्रकटन नहीं किया गया है.

In terms of paragraph 5 of AS 18, transactions in the nature of Banker-Customer relationship have not been disclosed in respect of Key Management Personnel and relatives of Key Management Personnel.

iii) **वर्ष के दौरान मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों को प्रदत पारिश्रमिक**
Remuneration Paid To Key Management Personnel During The Year

मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक Key Management Personnel	वित्तीय वर्ष 2019-20 FY 2019-20	वित्तीय वर्ष 2018-19 FY 2018-19
श्री राकेश शर्मा / Shri Rakesh Sharma	0.37	0.18
श्री के. पी. नायर / Shri K.P.Nair	0.27	0.29
श्री जी. एम. यादवाडकर / Shri G.M.Yadwadkar	0.28	0.29
श्री सैम्युअल जोसेफ जेबराज / Shri Samuel Joseph Jebaraj	0.18	-
श्री सुरेश खटनहार Shri Suresh Khatanhar	0.07	-
श्री अजय शर्मा / Shri Ajay Sharma	0.40	0.31
श्री पवन अग्रवाल / Shri Pawan Agrawal	0.40	0.31
श्री बी. श्रीराम / Shri B Sriram	-	0.07
श्री महेश कुमार जैन / Shri Mahesh Kumar Jain	-	0.07
कुल / Total	**1.97**	**1.52**

नोट - कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(51)(वी) की शर्तों के अनुसार, बोर्ड ने दिनांक 21 मार्च 2018 को एक प्रस्ताव अनुमोदित किया था कि निदेशक से एक स्तर नीचे के अधिकारियों को मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में पदनामित किया जाए. बैंक ने उक्त अधिकारियों को मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में रिपोर्टिंग/पंजीकरण के लिए दिनांक 19 अप्रैल 2018 को एमसीए के पास फॉर्म फाइल किया था. उक्त अधिकारियों को एमसीए की साइट के अधीन अभी तक मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के रूप में पंजीकृत नहीं किया गया है और इस प्रकार उन्हें तकनीकी रूप से मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक नहीं समझा जा सकता है. अतः उक्त मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक के विवरण में पदनामित अधिकारियों को निदेशक से एक स्तर नीचे के केएमपी के रूप में शामिल नहीं किया गया.

Note: In terms of Section 2(51) (v) of the Companies Act, 2013, the Board had approved the proposal to designate officers one level below the Directors as KMP on March 21, 2018. The Bank had filled the form with MCA for reporting/registering the said officers as KMPs on April 19, 2018. Till now the said officers have not been registered as KMPs under the MCA site and hence cannot be technically deemed to be KMPs. Hence, the above KMPs detail does not include the designate officers one level below the Directors as KMP.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

5. पट्टे (एएस-19)
LEASES(AS-19)

क) पट्टा/ किराये पर ली गई संपत्तियां बैंक के विकल्प पर नवीकरणीय/ रद्द करने योग्य होती हैं.

a) The properties taken on lease/ rental basis are renewable/ cancellable at the option of the Bank.

ख) बैंक द्वारा किए गए लीज सहमत अवधि के लिए होते हैं जिसमें लीज अवधि के दौरान भी पारस्परिक रूप से सहमत कैलेंडर माह का लिखित नोटिस देकर लीज को समाप्त करने का विकल्प होता है.

b) The lease entered into by the Bank are for agreed period with an option to terminate the leases even during the tenure of lease period by giving mutually agreed calendar month notice in writing.

ग) परिचालनात्मक पट्टों के लिए भुगतान किए गए पट्टा किराये को उस वर्ष में जिससे यह संबंधित है, लाभ-हानि खाते में उल्लेख किया जाता है. वर्ष के दौरान लीज़ किराया ₹ 347.72 करोड़ (₹ 314.06 करोड़) है.

c) Lease rent paid for operating leases are recognised as an expense in the Profit & Loss Account in the year to which it relates. The lease rent recognised during the year is ₹ 347.72 crore (₹ 314.06 crore).

तुलन-पत्र की तारीख को गैर-निरसनीय परिचालनात्मक पट्टों के संबंध में सहायक/ संयुक्त उद्यमों के लिए भावी न्यूनतम पट्टा भुगतानों का सारांश निम्नानुसार है:

The future minimum lease payments for subsidiaries/JV in respect of non-cancellable operating leases as at Balance Sheet date are summarized as under:

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

विवरण Particulars	31 मार्च 2020 March 31, 2020	31 मार्च 2019 March 31, 2019
एक वर्ष के बाद नहीं / Not Later than One year	1.28	1.04
एक वर्ष के बाद लेकिन पांच वर्ष के बाद नहीं Later than one year but not later than five years	0.63	1.44

6. प्रति शेयर उपार्जन (ईपीएस) (एएस-20)
EARNINGS PER SHARE (EPS) (AS-20)

विवरण Particulars	31 मार्च 2020 March 31, 2020	31 मार्च 2019 March 31, 2019
ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिया गया निवल लाभ (हानि) (₹ करोड़ में) Net Profit (Loss) considered for EPS calculation (₹ in crore)	(12835.24)	(14986.75)
मूल ईपीएस की गणना के लिए हिसाब में लिए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of equity shares considered for Basic EPS	88994 97 497	49591 43 791
न्यूनीकृत ईपीएस गणना के लिए हिसाब में लिए गए इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या Weighted average number of equity shares considered for Diluted EPS	88994 97 497	49591 43 791
प्रति शेयर उपार्जन (मूल) (₹) / EPS (Basic) (₹)	(14.42)	(30.22)
प्रति शेयर उपार्जन (न्यूनीकृत) (₹) / EPS (Diluted) (₹)	(14.42)	(30.22)
प्रति इक्विटी शेयर अंकित मूल्य (₹) / Face Value per Equity share (₹)	10.00	10.00

7. आय पर करों के लिए लेखांकन (एएस-22)
ACCOUNTING FOR TAXES ON INCOME (AS-22)

समय-अंतराल के कारण उत्पन्न आस्थगित आस्तियां और आस्थगित देयताओं के घटक निम्नानुसार हैं:

The component of Deferred Assets & Deferred Liability arising out of timing difference is as follows:

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण Particulars	यथा 31 मार्च 2020 As at March 31, 2020	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020	यथा 31 मार्च 2019 As at March 31, 2019
आस्थगित कर देयताएं / Deferred Tax Liability			
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास / Depreciation on fixed assets	8.90	(10.85)	19.73
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36(1)(viii) के अंतर्गत सृजित और अनुरक्षित विशेष आरक्षित निधि Special Reserve created and maintained u/s 36(1)(viii) of the Income-tax Act, 1961	307.71	(136.22)	444.08
कुल (अ) / Total (A)	**316.61**	**(147.07)**	**463.81**
आस्थगित कर आस्ति / Deferred Tax Asset			
अचल आस्तियों पर मूल्यह्रास / Depreciation on fixed assets	0.37	(0.07)	0.44
अनर्जक आस्तियों तथा अन्य के लिए प्रावधान से संबंधित अस्वीकृति जो आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत अनुमत नहीं है Disallowance related to provision for NPA and for other provisions not allowed under Income Tax Act, 1961	10,634.16	(2,214.53)	12,848.65
संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान Provision for Doubtful advances	5.76	1.44	4.31
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 43बी, 40 (ए) (i ए) आदि के अंतर्गत अस्वीकृति Disallowance u/s. 43B, 40(a)(ia) etc. of the Income Tax Act, 1961	160.60	(35.91)	196.51
ग्रेच्युटी/ पेंशन / Gratuity/Pension	0.55	0.09	0.45
छुट्टी का नकदीकरण / Leave Encashment	0.17	0.05	0.13
कारोबार हानि / Business Loss	5,156.98	(1,893.59)	7,050.58
अनवशोषित मूल्यह्रास / Unabsorbed depreciation	117.56	66.22	51.34
कुल (आ) / Total (B)	**16,076.15**	**(4,076.30)**	**20,152.41**
आस्थगित कर देयता / (आस्ति) (निवल) (अ) - (आ) Deferred Tax Liability/ (Asset)(Net) (A) - (B)	**(15,759.54)**	**3,929.23**	**(19,688.61)**

बैंक अपने प्रत्यावर्तन की आभासी निश्चितता को ध्यान में रखते हुये व्यापार हानि पर आस्थगित कर परिसंपत्ति (डीटीए) की पहचान कर रहा है. बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020 की तीसरी तिमाही के दौरान कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2019 द्वारा पेश किए गए आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 115बीएए के तहत अनुमत कम कर दर के विकल्प का प्रयोग किया है. तदनुसार, बैंक ने उक्त खंड में निर्धारित कर दर के आधार पर 30 सितंबर 2019 तक पहचान किए गए अपने निवल डीटीए का पुनः मूल्यांकन किया है, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2020 की तीसरी तिमाही में ₹ 6273.04 करोड़ का एकबारगी प्रत्यावर्तन हुआ है.

Bank is recognizing Deferred Tax Asset (DTA) including that on business loss keeping in view the virtual certainty of its reversal. The Bank has exercised the option of lower tax rate permitted under section 115BAA of the Income Tax Act, 1961 as

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

introduced by the Taxation Laws (Amendment) Act, 2019 during Q3 of FY 2020. Accordingly, the Bank has re-measured its net DTA recognized till Sept 30, 2019 based on the tax rate prescribed in the said section, resulting into a One-Time reversal of ₹ 6273.04 crore in Q3 of FY 2020.

8. यथा 31 मार्च 2020 को कंपनी अधिनियम, 2013 की अपेक्षा के अनुसार अनुषंगी कंपनियों, सहायक कंपनियों एवं संयुक्त उद्यम की सारांशीकृत वित्तीय जानकारी निम्नानुसार है:
Summarized financial information of Subsidiary Companies, Associate Companies & Jointly Controlled Entity as per requirement of the Companies Act, 2013 as at March 31, 2020 are as under:

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

संस्था का नाम Name of the Entity	निवल आस्तियां, अर्थात् कुल आस्तियों में से कुल देयताएं घटाकर Net Assets i.e. Total Assets minus Total Liabilities		लाभ या हानि में हिस्सा Share on Profit or Loss	
	समेकित निवल आस्तियों के % के रूप में As % of Consolidated Net Assets	राशि Amount	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में As % of Consolidated Profit or Loss	राशि Amount
मूल संस्था : आईडीबीआई बैंक लि. Parent : IDBI Bank Ltd	97.67%	34024.37	100.41%	(12887.33)
अनुषंगी संस्थाएं: / Subsidiaries:				
भारतीय : / Indian:				
1. आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्युरिटीज लि. IDBI Capital Market & Securities Ltd.	0.88%	305.25	0.08%	(9.66)
2. आईडीबीआई इंटेक लि. / IDBI Intech Ltd.	0.18%	63.04	(0.07)%	9.07
3. आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. IDBI Asset Management Ltd.	0.31%	108.85	(0.01)%	0.75
4. आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि. IDBI Mutual Fund Trustee Co. Ltd.	0.00%	1.57	0.00%	0.10
5. आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. IDBI Trusteeship Services Ltd.	0.64%	224.40	(0.27)%	35.18
विदेशी: / Foreign:	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
सभी सहायक संस्थाओं में अल्पसंख्यक हित Minority Interest in all subsidiaries	0.30%	103.58	(0.12)%	15.94
सहयोगी संस्थाएं (इक्विटी पद्धति के अनुसार निवेश) Associates (Investment as per the equity method)				
भारतीय / Indian				
1. बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लिमिटेड Biotech Consortium India Limited	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	0.00%	0.35

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

संस्था का नाम Name of the Entity	निवल आस्तियां, अर्थात् कुल आस्तियों में से कुल देयताएं घटाकर Net Assets i.e. Total Assets minus Total Liabilities		लाभ या हानि में हिस्सा Share on Profit or Loss	
	समेकित निवल आस्तियों के % के रूप में As % of Consolidated Net Assets	राशि Amount	समेकित लाभ या हानि के % के रूप में As % of Consolidated Profit or Loss	राशि Amount
2. नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लि.# National Securities Depository Ltd.#	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	(0.16)%	21.03
3. पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लि. # North Eastern Development Finance Corporation Ltd.#	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	(0.05)%	6.72
4. पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लि. (पीआईपीडीआईसीएल)* Pondicherry Industrial Promotion Development & Investment Corporation Ltd.(PIPDICL)*	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
विदेशी: / Foreign :	**लागू नहीं / NA**	**लागू नहीं / NA**	**लागू नहीं / NA**	**लागू नहीं / NA**
संयुक्त उद्यम / Joint Ventures				
(इक्विटी पद्धति के अनुसार आनुपातिक समेकन/निवेश के अनुसार) (as per proportionate consolidation/ investment as per the equity method)				
भारतीय / Indian				
1. आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड IDBI Federal Life Insurance Company Ltd	1.27%	441.20	(0.55)%	70.96
विदेशी / Foreign	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA	लागू नहीं / NA
कुल / TOTAL	100.96%	35168.66	99.48%	(12768.76)
विलोपन / Elimination	(0.96)%	(332.94)	0.52%	(66.48)
निवल कुल / Net Total	100.00%	34835.72	100.00%	(12835.24)

नोटः उपर्युक्त सहायक संस्थाओं की कोई सहायक संस्था नहीं है.
Note: None of the above subsidiaries have any subsidiary.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

* पीआईपीडीआईसीएल, के संबंध में, बैंक को कंपनी से किसी प्रकार के वित्तीय विवरण तथा संव्यवहार विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं, अतः इसकी जानकारी उपर्युक्त में समेकित नहीं हैं. बैंक ने पीआईपीडीआईसीएल में किए गए निवेश को अवलेखित क़र एक रुपये कर दिया है.

* In respect of PIPDICL, the Bank has not received any financial statements & transactions details from the Company, hence information not consolidated in above. The Bank has written down investment in PIPDICL to Rupee one.

दो सहयोगी संस्थाओं अर्थात् नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (26.10%) और पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड (25%) से वित्तीय वर्ष 2020 की चौथी तिमाही के लिए वित्तीय विवरण प्राप्त नहीं हुए जिसके कारण 9 महीनों के वित्तीय विवरणों को समेकित किया गया है, जिसका समेकित वित्तीय विवरणों पर इससे उल्लेखनीय प्रभाव नहीं पड़ा है.

The financials of two Associates viz., National Securities Depository Limited (26.10%) and North Eastern Development Finance Corporation Limited (25%) are considered for 9 months for consolidation on account of non-receipt of financial statements for Q4 of FY 2020, impact of which on the consolidated financial statements is not material.

9. दंड का प्रकटन:
DISCLOSURE ON PENALTY :

वर्ष के दौरान विनियामक प्राधिकारियों द्वारा बैंक पर निम्नलिखित दंड लगाए गए :

During the year following penalties were imposed on the Bank by regulatory authorities.

(रु करोड़ में) / (₹ in crore)

क्रम सं. Sr. No	प्राधिकरण का नाम Name of the Authority	संक्षिप्त विवरण Brief Particulars	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2019
1	भारतीय रिज़र्व बैंक RBI	चेक संग्रहण प्रक्रिया पर दिशा-निर्देशों के गैर-अनुपालन हेतु दंड Penalty for non-compliance of guidelines on cheque collection process.	0.012	0.000
2	भारतीय रिज़र्व बैंक RBI	ग्राहक सेवा पर दिशा-निर्देशों, सिक्कों, छोटे मूल्यवर्ग के नोटों और कटे-फटे नोटों के विनिमय संबंधी दिशा-निर्देशों के गैर-अनुपालन हेतु दंड Penalty for non-compliance of guidelines on customer service, guidelines in respect of exchange of coins and small denomination notes and mutilated notes.	0.085	0.000
3	भारतीय रिज़र्व बैंक RBI	कोबरा-पोस्ट स्टिंग ऑपरेशन से संबंधित की गयी जांच (शाखाओं द्वारा मुख्य अधिकारी को मामले की रिपोर्ट न करने के कारण) के संबंध में प्रयासित संदिग्ध लेन-देनों के लिए एसटीआर फाइल न करने हेतु लगाए गए दंड Penalty levied for not filing STRs for Attempted Suspicious Transaction in respect of the inquiries happened in connection with Cobra-post sting operation (due to non-reporting of the incident by the branches to the Principal Officer).	0.000	0.000
4	भारतीय रिज़र्व बैंक RBI	करेंसी चेस्टों द्वारा रिज़र्व बैंक को किए गए विप्रेषण के मामलों में रिज़र्व बैंक द्वारा लगाए गए दंड Penalties imposed by RBI on currency chest in cases of remittances, made by currency chests to RBI.	0.022	0.035

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

क्रम सं. Sr. No	प्राधिकरण का नाम Name of the Authority	संक्षिप्त विवरण Brief Particulars	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2020	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए For the year ended March 31, 2019
5	सेबी / SEBI	फ्लेक्सी बांड के मोचन संबंधी सेवाओं में कमी Deficiency of Service in dealing with the redemption of Flexibond.	0.000	0.000
6	भारतीय रिज़र्व बैंक RBI	रिज़र्व बैंक के दिनांक 20 फरवरी 2018 के परिपत्र के नियंत्रण बिन्दु 2 (ख) के संबंध में अपालन के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा ₹ 1 करोड़ का दंड लगाया गया. अधिक से अधिक मार्च 2018 तक आंतरिक रूप से निर्धारित की गई प्रारंभिक सीमा से अधिक के संव्यहारों के लिए रिज़र्व बैंक के दिनांक 20 फरवरी 2018 के निर्देशों के अनुसार अनुमोदन के अतिरिक्त चरण के गैर-कार्यान्वयन के संबंध में. Penalty of ₹ 1 crore imposed by RBI for non-compliance w.r.t. Control Point no. 2(b) of RBI's Circular dated Feb 20, 2018. In respect of non-implementation of additional layer of approval as per RBI directions dated February 20, 2018 for transactions exceeding a particular internally decide threshold latest by March, 2018.	0.000	1.000
7	भारतीय रिज़र्व बैंक RBI	बैंक को रिज़र्व बैंक से 12 जनवरी 2018 को कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ था और दिनांक 09 अप्रैल 2018 के आदेश द्वारा बैंक पर आय निर्धारण तथा आस्ति वर्गीकरण (आईएआरसी) के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी निर्देशों के अपालन के लिए ₹ 3 करोड़ का दंड लगाया गया जिसका 16 अप्रैल 2018 को भुगतान कर दिया गया. The Bank had received Show Cause Notice on January 12, 2018 from RBI and vide order dated April 09, 2018 Bank has been imposed penalty of ₹ 3 crore for non-compliance with the directions issued by RBI on Income Recognition and Asset Classification (IRAC) norms which was paid on April 16, 2018.	0.000	3.000
8	भारतीय रिज़र्व बैंक RBI	बैंक को दिनांक 25 अक्तूबर 2018 का कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ जिसमें कहा गया है कि बैंक ने रिज़र्व बैंक द्वारा केवाईसी/ एएमएल के संबंध में निर्दिष्ट दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया है. बैंक पर दिनांक 4 फरवरी 2019 के आदेश द्वारा ₹ 20 लाख का दंड लगाया गया है, जिसका 16 फरवरी 2019 को भुगतान कर दिया गया. Bank has received show cause notice dated October 25, 2018 stating the Bank has not complied with KYC/AML guidelines prescribed by RBI, Bank has been imposed a penalty of ₹ 20 Lakhs vide order dated February 04, 2019 and was paid on February 16, 2019.	0.000	0.200
		भुगतान किया गया कुल दंड / Total Penalties Paid	**0.119**	**4.235**

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

10. आकस्मिक देयता*:
CONTINGENT LIABILITY*:

अ. आकस्मिक देयताओं का विवरण
A. DESCRIPTION OF CONTINGENT LIABILITIES

क्रम. सं. Sr. No.	आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief Description
I	बैंक के विरुद्ध दावे जिन्हें कर्ज नहीं माना गया है. Claims against the Bank not acknowledged as debts	यह मद सामान्य कारोबार के अंतर्गत बैंक के प्रति विधिक मामलों में की गई कतिपय मांगों तथा परिचालन मामलों व धोखाधड़ी के मामलों में उत्पन्न ग्राहक के दावों को दर्शाती है. बैंक को ऐसी कोई आशा नहीं है कि इन कार्यवाहियों के कारण बैंक की वित्तीय स्थिति, परिचालन परिणामों या नकदी प्रवाह पर आर्थिक रूप से कोई विपरीत असर पड़ेगा. This item represents certain demands made in legal matters against the Bank in the normal course of business and customer claims arising in operational issues and fraud cases. The Bank does not expect the outcome of these proceedings to have a material adverse effect on the Bank's financial conditions, results of operations or cash flows.
II	बकाया वायदा विनिमय संविदाओं के कारण देयता Liability on account of outstanding forward exchange contracts	बैंक अपने सामान्य कारोबार के अंतर्गत मुद्राओं के भावी तारीख को पूर्व-निर्धारित मूल्य पर विनिमय करने के लिए विदेशी मुद्रा संविदाएं निष्पादित करता है. यह मद ऐसी ही संविदाओं जो डेरिवेटिव लिखत हैं, की आनुमानिक मूल राशि को दर्शाती है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाजार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणाम-स्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार और इसके कारण पोर्टफोलियो संबंधी सकल कल्पित मूलधन का बृहद् मूल्य उत्पन्न होता है, जबकि निवल बाजार जोखिम कम होता है. The Bank enters into foreign exchange contracts in its normal course of business, to exchange currencies at a pre-fixed price at a future date. This item represents the notional principal amount of such contracts, which are derivative instruments. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions and hence a large value of gross notional principal of the portfolio, while the net market risk is lower.
III	ग्राहकों की ओर से भारत में व भारत से बाहर दी गई गारंटियां Guarantees given on behalf of constituents in India and outside India .	अपने बैंकिंग कार्यकलापों के भाग के रूप में बैंक अपने ग्राहकों की ओर से गारंटियां जारी करता है. गारंटी सामान्यतः इस अप्रतिसंहरणीय आश्वासन को प्रदर्शित करती है कि ग्राहक द्वारा अपनी वित्तीय या कार्यनिष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर बैंक भुगतान करेगा. As a part of its banking activities, the Bank issues guarantees on behalf of its customers. Guarantees generally represent irrevocable assurances that the Bank will make payments in the event of customer failing to fulfill its financial or performance obligations.
IV	स्वीकृतियां, समर्थन और अन्य दायित्व Acceptances, endorsements and other obligations	यह मद ग्राहक की ऋण अवस्थिति में संवृद्धि को ध्यान में रखकर व्यापार वित्त बैंकिंग गतिविधियों के भाग के रूप में, बैंक द्वारा अपने ग्राहकों की तरफ से अन्य पक्षकारों के पक्ष में जारी गारंटियों और दस्तावेजी ऋणों को प्रदर्शित करती है. इन लिखतों के माध्यम से बैंक अपने ग्राहकों के दायित्वों के लिए सीधे या ग्राहक द्वारा अपने वित्तीय या कार्यनिष्पादन दायित्वों को पूरा करने में असफल होने पर भुगतान की जिम्मेदारी लेता है. This item represents the documentary credits issued by the Bank in favor of third parties on behalf of its customers, as part of its trade finance banking activities with a view to augment the customer's credit standing. Through these instruments, the Bank undertakes to make payments for its customer's obligations, either directly or in case the customer fails to fulfill their financial or performance obligations.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

क्रम. सं. Sr. No.	आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief Description
V	ब्याज दर एवं मुद्रा अदला-बदली तथा ऋण चूक अदला-बदली के संबंध में देयता Liability in respect of interest rate and currency swaps and credit default swaps.	यह मद विविध डेरिवेटिव लिखतों की कल्पित मूल राशि को दर्शाती है जिसका दायित्व बैंक अपने सामान्य कारोबार के क्रम में उठाता है. बैंक अपने ग्राहकों को ये उत्पाद उन्हें अपने विदेशी मुद्रा विनिमय और ब्याज दर जोखिमों को अंतरित करने, संशोधित करने या कम करने में सक्षम बनाने के लिए ऑफर करता है. बैंक अपनी ब्याज दर और विदेशी मुद्रा स्थितियों के प्रबंधन करने के लिए भी ये संविदाएं करता है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाजार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणाम-स्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार और इसके कारण पोर्टफोलियो संबंधी सकल कल्पित मूलधन का बृहद् मूल्य उत्पन्न होता है, जबकि निवल बाजार जोखिम कम होता है. This item represents the notional principal amount of various derivative instruments which the Bank undertakes in its normal course of business. The Bank offers these products to its customers to enable them to transfer, modify or reduce their foreign exchange and interest rate risks. The Bank also undertakes these contracts to manage its own interest rate and foreign exchange positions. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions and hence a large value of gross notional principal of the portfolio, while the net market risk is lower. बैंक भारतीय कॉरपोरेट बांड से जुड़े ऋण जोखिम के प्रबंधन के लिए ऋण चूक स्वैप (सीडीएस) की हामीदारी करता है. The Bank underwrites Credit Default Swap (CDS) transaction for managing credit risks associated with Indian Corporate Bonds.
VI	अन्य डेरिवेटिव संविदाओं के संबंध में देयता Liability in respect of other derivative contracts.	यह मद विविध मुद्रा विकल्पों की कल्पित मूल राशि को दर्शाती है जिसका दायित्व बैंक अपने सामान्य कारोबार के क्रम में उठाता है. बैंक अपने ग्राहकों को ये उत्पाद उन्हें अपने विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिमों को कम करने में सक्षम बनाने के लिए ऑफर करता है. अपने ग्राहकों के साथ संव्यवहार के मामले में बैंक सामान्यतः अंतर-बैंक बाजार में ऑफ-सेटिंग संव्यवहार करता है. इसके परिणाम-स्वरूप अधिक संख्या में बकाया संव्यवहार उत्पन्न होता है, जबकि निवल बाजार जोखिम कम होता है. This item represents the notional principal amount of various currency options which the Bank undertakes in its normal course of business. The Bank offers these products to its customers to enable them to reduce their foreign exchange risks. With respect to the transactions entered into with its customers, the Bank generally enters into off-setting transactions in the inter-bank market. This results in generation of a higher number of outstanding transactions, while the net market risk is lower.
VII	विवादित आयकर, ब्याज कर, दंड एवं ब्याज मांग के कारण देयता Liability on account of disputed Income Tax, Interest Tax, Penalty and Interest Demands	बैंक विचाराधीन अपीलों संबंधी विविध कराधीन मामलों में पक्षकार है. बैंक आशा करता है कि मामलों के तथ्यों और आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के आधार पर अपील प्राधिकरणों द्वारा पिछले वर्ष समान मामलों में दिए गए निर्णयों के आधार पर, इन अपीलों के भी निर्णय अनुकूल होंगे. The Bank is a party to various taxation matters in respect of which appeals are pending. The Bank expects the outcome of the appeals to be favourable based on decisions on similar issues in the previous years by the Appellate Authorities, based on the facts of the case and the provisions of Income Tax Act, 1961.
VIII	अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से दायी है Others items for which the Bank is contingently liable	इस मद में निम्नलिखित शामिल हैं: This item represents the following : क) सामान्य कारोबार कार्यकलाप के भाग के रूप में बैंक द्वारा स्वयं अपनी ओर से सांविधिक प्राधिकरणों तथा अन्य के पक्ष में जारी की गईं गारंटियां और a) the guarantees issued by the Bank in favour of statutory authorities and others on its own behalf, as part of normal business activity and

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

क्रम. सं. Sr. No.	आकस्मिक देयता Contingent Liability	संक्षिप्त विवरण Brief Description
		ख) जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ) में अंतरित रशि - b) the amount transferred to Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)- जमाकर्ता शिक्षण एवं जागरूकता निधि (डीईएएफ) योजना 2014 के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक उन ग्राहकों के संबंध में जिनके खाते 10 वर्ष से ज्यादा समय से परिचालित नहीं किए गए हैं अथवा राशियों का दावा नहीं किया गया है, उपचित ब्याज सहित अदावी राशियों को 'रिजर्व बैंक डीईएएफ निधि' में अंतरित करता है. In terms of guidelines of Depositor Education and Awareness Fund (DEAF) Scheme 2014, the Bank transfers unclaimed amounts including interest accrued pertaining to customers whose accounts were not operated or amounts were not claimed for more than 10 years to 'RBI DEAF Fund'.

आ. दीर्घावधि संविदाएं
B. Long term contracts

बैंक के पास एक प्रक्रिया है जिसमें आवधिक आधार पर डेरिवेटिव संविदाओं सहित सभी दीर्घावधि संविदाओं का कल्पित भौतिक हानियों के लिए मूल्यांकन किया जाता है. वर्ष के अंत में बैंक ने इसकी समीक्षा की तथा सुनिश्चित किया कि डेरिवेटिव संविदाओं सहित ऐसे दीर्घावधि संविदाओं पर कल्पित भौतिक हानि के लिए लेखा बहियों में किसी विधि/ लेखांकन मानदंडों के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं.
The Bank has a process whereby periodically all long term contracts including derivative contracts are assessed for material foreseeable losses. At the year end, the Bank has reviewed and ensured that adequate provision as required under any law/ accounting standards for material foreseeable losses on such long term contracts including derivative contracts has been made in the books of account.

ग. लंबित मुकदमे
C. Pending litigations

बैंक के लंबित मुकदमों में मुख्य रूप से उधारकर्ताओं, ग्राहकों द्वारा बैंक के प्रति किए गए दावे और आयकर प्राधिकरणों के पास लंबित कार्यवाहियां शामिल हैं. बैंक ने अपने सभी लंबित मुकदमों और कार्यवाहियों की समीक्षा की और जहां प्रावधान अपेक्षित हैं वहां पर्याप्त प्रावधान किए तथा अपने वित्तीय विवरणों में जहां लागू है वहां आकस्मिक देयताओं का प्रकटन किया.
The Bank's pending litigations comprise of claims against the Bank primarily by the borrowers, customers and proceedings pending with Income Tax authorities. The Bank has reviewed all its pending litigations and proceedings and has adequately provided for where provisions are required and disclosed the contingent liabilities where applicable, in its financial statements.

आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. के मामले में / In case of IDBI Asset Management Ltd.,

i) कर-निर्धारण वर्ष 2015-16 के लिए आयकर विभाग ने धारा 143(3) के अंतर्गत दिनांक 26-12-2017 के अपने कर-निर्धारण आदेश के जरिए कुछ व्ययों की अनुमति नहीं दी थी जिससे हानि कम हो गई थी और आयकर अधिनियम की धारा 271(1)(सी) के अंतर्गत दांडिक कार्यवाही शुरू की. कंपनी ने उक्त कर-निर्धारण के विरुद्ध अपील फाइल की है. इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है.
For the AY 2015-16, the Income Tax Department vide its assessment order under section 143(3) dated 26-12-2017 disallowed certain expenditures thereby reducing the loss and initiated penalty proceedings under section 271(1)(c) of the Income Tax Act. The Company has filed an appeal against the said assessment. No provision has been made in this regard.

ii) वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए आशोधित मूल्य योजित कर प्रणाली (एमवीएटी) कर- निर्धारण में वैट विभाग ने आईडीबीआई एमएफ गोल्ड ईटीएफ योजना में स्वर्ण की खरीद पर अदा किए गए खरीद वैट के लिए दावा किए गए समंजन को अनुमति नहीं दी थी और कंपनी से ₹ 43.34 लाख की मांग की थी. कंपनी ने इस कर-निर्धारण के विरुद्ध भी अपील दायर की है. इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है. वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान अभ्यापत्ति के अंतर्गत ₹ 15 लाख का तदर्थ भुगतान किया गया है.
In the MVAT assessment for the financial year 2011-12, the VAT department has disallowed the set-off claimed of purchase VAT paid on the purchase of Gold in the IDBI MF Gold ETF scheme and raised a demand of ₹ 43.34 lakh

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

on the Company. The Company has also filed an appeal against this assessment. No provision has been made in this regard. An adhoc payment under protest of ₹ 15 lakh had been made during the FY 2015-16.

आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्युरिटीज लि. के मामले में
In case of IDBI Capital Market & Securities Ltd.,

i) कंपनी की अन्य आकस्मिक देय मदें-
Other items for which the Company is contingently liable-

1. कंपनी के विरुद्ध ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए दावे - ₹ 0.11 करोड़ (₹ 0.37 करोड़) है जिसमें 18% की दर से ₹ 0.01 करोड़ (₹ 0.02 करोड़) का ब्याज शामिल है.
Claims against the Company not acknowledged as debt - ₹ 0.11 crore (₹ 0.37 crore) including interest @ 18% amounting to ₹ 0.01 crore (₹ 0.02 crore).

2. क) विवादित आयकर मामले
a) Disputed Income Tax Matters

(₹ करोड़ में) / (₹ in crore)

वित्तीय वर्ष Financial Year	विवादित कर राशि Disputed Tax Amount	
	2019-2020	2018-2019
2011-12	0.00	8.43
2012-13	0.25	0.25
2013-14	0.22	0.22

विवादित आयकर के मामले विभिन्न अपील प्राधिकारियों के समक्ष लंबित है. कंपनी को इसके विधिक परामर्शदाता द्वारा यह भी सूचित किया गया है कि कंपनी के विरुद्ध कर की मांग असमर्थनीय है और मांग को मान्य ठहराए जाने की संभावना कम है. तद्नुसार इसके संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है.

Disputed Income Tax matters are pending before various Appellate Authorities. The Company has also been advised by its legal counsel that the tax demand against the Company is untenable and likelihood of demand being upheld is low. Accordingly no provision in respect thereof has been made.

निर्धारण वर्ष 2006-07 और 2008-09 के संबंध में आयकर विभाग ने अपीलीय कार्यवाही में कंपनी को अनुमत कुछ व्ययों के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय में अपील की है. तथापि आगे ले जाई गई हानियों/ एमएटी के अंतर्गत स्वीकार्य कर के कारण कंपनी से कोई कर मांग नहीं की गई. निर्धारण वर्ष 2012-13 (वित्तीय वर्ष 2011-12) के संबंध में आयकर विभाग ने आईटीएटी आदेश के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में अपील की है. उच्च न्यायालय के समक्ष यह अपील 31 मार्च 2020 तक केवल लॉजमेंट की स्थिति में हैं और कंपनी ने अपनी स्थिति का बचाव करने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं. इसी प्रकार से निर्धारण कार्यवाही के दौरान की गई कुछ अस्वीकृतियों के बारे में निर्धारण वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के संबंध में कंपनी अपील करनेवाली है हालांकि विभाग द्वारा कोई मांग नहीं की गई है. प्रबंध को विश्वास है कि अपीलीय प्राधिकारियों के समक्ष विचाराधीन अपीलों में उसके पक्ष को बरकरार रखा जाएगा और कंपनी पर कोई देयता नहीं आएगी.

In respect of Assessment Years 2006-07 and 2008-09, the Income Tax Dept. has gone in appeal before High Court pertaining to some of the expenses allowed to the Company in appellate proceedings. However there were no tax demands on the Company due to adjustment of carried forward losses/admitted tax under MAT. In respect of Assessment Year 2012-13 (Financial Year 2011-12), Dept. has filed an appeal in High Court against the order of ITAT. This appeal before the High Court is in lodgment stage only as on March 31, 2020 and Company has taken necessary steps to defend its position. Similarly Company is in appeal in respect of Assessment Years 2016-17, 2017-18 and 2018-19 relating to certain disallowances made during the assessment proceedings though there have been no demands raised by the Dept. for the respective assessment years. The management is confident that its position is likely to be upheld in the appeals pending before appellate authorities and no liability could arise on the Company.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

3. विवादित सेवा कर मामले. / Disputed Service Tax Matters.

विभाग द्वारा की गई सेवा कर लेखापरीक्षा के दौरान पाये गए निष्कर्ष के आधार पर निम्नलिखित वित्तीय वर्षों के लिए सेवा कर विभाग द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी किया है

Show cause notices have been raised by the Service Tax Dept. for following financial years based on the finding during the Service Tax Audit conducted by the Department.

(₹ करोड़ में) (₹ In crore)

वित्तीय वर्ष Financial Year	विवादित सेवा कर राशि Disputed Service Tax Amount	
	चालू वर्ष Current year	पिछला वर्ष Previous Year
2012-13	1.59	1.59
2013-14	1.74	1.74
2014-15	1.78	1.78
2015-16	1.58	1.58
2016-17	0.33	0.33
2017-18	0.11	-

कंपनी ने सभी कारण बताओ नोटिस पर प्रतिवाद किया है और यह संबंधित प्राधिकारियों के पास लंबित हैं और विभाग द्वारा कंपनी से कोई मांग नहीं की गई है।

All the show cause notice have been contested by the Company and are pending before the respective authorities and no demands have been raised on the Company by the Dept.

आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेस लि. के मामले में / In case of IDBI Trusteeship Services Ltd

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण / Particulars	2019-20	2018-19
कंपनी के विरुद्ध ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए दावे: Claims against the Company not acknowledged as debt :		
i) कर-निर्धारण वर्ष 2007-08 के लिए आयकर मांग (विटको) [कंपनी ने सीआईटी (अपील) के समक्ष अपील की है] Income Tax demand for the AY 2007 - 08 (WITECO) (Company is in appeal before the CIT (Appeal))	0.06	0.06
ii) प्रतिभूतिकरण लेन-देनों पर विथहोल्डिंग करों के भुगतान में विलंब होने पर विभिन्न प्रतिभूतिकरण न्यासों, जहां आईटीएसएल इसके लिए प्रतिभूतीकरण न्यासी के रूप में कार्यरत है, पर ₹ 1.61 करोड़ (लगभग) तक की राशि का ब्याज उत्पन्न हो सकता है There may arise interest on delayed payment of withholding taxes on securitization transactions amounting to ₹ 1.61 crore (approximately) on various Securitization Trusts, where ITSL is acting as Securitization Trustee for the same.		

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

आईडीबीआई फेडरल लाइफ इन्शोरेंस कंपनी लि. के मामले में आकस्मिक देयताएं निम्नानुसार हैं:

In case of IDBI Federal Life Insurance Company Ltd., Contingent Liabilities are as follows:

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

विवरण / Particulars	यथा 31 मार्च 2020 As At March 31, 2020	यथा 31 मार्च 2019 As At March 31, 2019
अंशतः प्रदत्त निवेश / Partly paid-up investments	शून्य / Nil	शून्य / Nil
बकाया हामीदारी वचनबद्धताएं (शेयरों और प्रतिभूतियों के संबंध में) Underwriting commitments outstanding (in respect of shares and securities)	शून्य / Nil	शून्य / Nil
कंपनी द्वारा ऋण के रूप में स्वीकार न किए गए दावे, पॉलिसियों के अंतर्गत दावों को छोड़कर- विवादों के लिए कर्मचारियों द्वारा किए गए दावे laim, other than those under policies, not acknowledged as debts by the Company - Claims made by employees for disputes	शून्य / Nil	शून्य / Nil
कंपनी द्वारा अथवा कंपनी की ओर से दी गई गारंटियां Guarantees given by or on behalf of the Company	शून्य / Nil	शून्य / Nil
विवादित सांविधिक मांग/ देयताएं, जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया* Statutory demands/liabilities in dispute, not provided for *		
- आयकर / Income Tax	17.60	16.88
- सेवा कर (कंपनी द्वारा लिए गए कतिपय रुखों पर सेवा कर आयुक्त III का कार्यालय, मुंबई द्वारा उठाई गई आपत्तियों के बाबत) Service Tax (on account of objections raised by the Office of the Commissioner of Service Tax III, Mumbai on certain positions taken by the Company)	6.91	7.59
उस सीमा तक पुनर्बीमा दायित्व जिसका लेखों में प्रावधान नहीं किया गया Reinsurance obligations to the extent not provided for in accounts	शून्य / Nil	शून्य / Nil
मुकदमे के अंतर्गत पॉलिसी संबंधी दावे Policy related claims under litigation	7.05	5.77

* इन मांग/ देयताओं के लिए विभिन्न अधिनिर्णयन और प्रबंधन स्तर पर प्रतिवाद किए जा रहे हैं साथ ही विशेषज्ञों की राय है कि ये वहनीय नहीं हैं और तदनुसार प्रबंधन का मानना है कि इन कार्यवाहियों के अनंतिम फैसलों से कंपनी की वित्तीय स्थिति और परिचालनगत परिणामों पर कोई भारी विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा.

* These demands/liabilities are being contested at various adjudicating levels and management including its experts is of the view that the same shall not be sustainable and accordingly the management believes that the ultimate outcome of these proceedings will not have any material adverse effect on the Company's financial position and results of operations.

आईडीबीआई इंटेक लि. के मामले में,

In case of IDBI Intech Ltd.,

i. कंपनी ने अपनी आईटी परियोजनाओं के लिए ग्राहकों को ₹ 3.95 करोड़ की बैंक गारंटी जारी की है. यथा 31 मार्च 2020 को इन गारंटियों के अंतर्गत आकस्मिक देयताएं ₹ 3.95 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 2.49 करोड़) रहीं.
The Company has provided bank guarantee of ₹ 3.95 crore to customers for its IT Projects. As at March 31, 2020, the contingent liabilities under these guarantees amounted to ₹ 3.95 crore (previous year ₹ 2.49 crore).

ii. पूर्ववर्ती ओबीएसटी वर्टिकल के एक पूर्व कर्मचारी को ₹ 0.04 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.04 करोड़) की प्रतिकर राशि अदा करने के जयपुर उच्च न्यायालय के आदेश के प्रति कंपनी ने प्रतिवाद किया है और उच्च पीठ में अपील दायर की है और अनुकूल निर्णय की आशा करती है. कंपनी ने अनुमानित सांविधिक बकायों सहित अनुमानित आधार पर प्रावधान किया है. तथापि, उक्त ओबीएसटी वर्टिकल के दूसरे पूर्व-कर्मचारियों को किसी अन्य मुआवजे का भुगतान करने के परिणाम का पता नहीं लगाया जा सकता है और इसलिए सेवानिवृत्ति लाभों को छोड़कर कोई अलग प्रावधान नहीं किया गया है.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

The Company has contested and has appealed at higher bench against an order passed by the Jaipur High Court for a claim to pay compensation amounting to ₹ 0.04 crore (previous year ₹ 0.04 crore) to one of the ex-employee of the erstwhile OBST vertical and expects favorable outcome. The Company has made provision on estimated basis including the possible statutory dues. However the outcome to pay any further compensation to other ex-employees of the said OBST vertical cannot be ascertained and hence no separate provision, except the retiring benefits, has been made.

iii. आय पर करों के लिए दावे : / Claims for taxes on income:

जहाँ कंपनी अपील की प्रक्रिया में है: / Where the Company is in appeal:

क. आय कर प्राधिकारियों की कुछ अस्वीकृतियों से उत्पन्न लेखा वर्ष 2013-14 तथा 2014-15 के संबंध में पूर्ण किए गए निर्धारण के संबंध में आय कर विभाग ने ₹ 0.05 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.05 करोड़) की मांग की है. कंपनी ने उक्त आदेशों खिलाफ अपील दायर की है तथा मामले के गुणों के आधार पर कंपनी अनुकूल निर्णय की आशा करती है. अतः ऐसी मांग के लिए किसी प्रकार का प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया है.

a. Income Tax demands of ₹ 0.05 crore (previous year ₹ 0.05 crore) have been raised in respect of assessment completed with respect to AY 2013-14 and AY 2014-15, arising from certain disallowances by the Income Tax authorities. The Company has appealed against the orders and based on merit, expects favorable outcome. Hence no provision against such demand is considered necessary.

ख. सेवा कर प्राधिकरण में वित्तीय वर्ष 2012-13 से वित्तीय वर्ष 2017-18 की अवधि के संबंध कंपनी द्वारा सेवा कर लेखा परीक्षा के दौरान प्राप्त किए गए कुछ सेनवेट क्रेडिट को अस्वीकार करते हुए ब्याज तथा दंड सहित ₹ 0.84 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.84 करोड़) की मांग की है. केंद्रीय कर आयुक्त (अपील) ने इस मांग को घटाकर ₹ 0.78 करोड़ कर दिया है. कंपनी ने उक्त आदेशों खिलाफ सीईएसटीएटी को अपील की है तथा मामले के गुणों के आधार पर कंपनी अनुकूल निर्णय की आशा करती है. अतः ऐसी मांग के लिए किसी प्रकार का प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया है. तथापि कंपनी ने ₹ 0.51 करोड़ रुपये सविरोध भुगतान कर दिये हैं जिसे अन्य गैर-चालू आस्तियों के अंतर्गत दर्शाया गया है.

b. Service tax authority put a demand of ₹ 0.84 crore (previous year ₹ 0.84 crore) including interest and penalty by disallowing certain CENVAT credit availed by the Company during the Service Tax audit in respect of period from FY 2012-13 to FY 2017-18. This demand was reduced to ₹ 0.78 crore by Commissioner of Central Tax (Appeal). The Company has appealed to CESTAT against the orders and based on merit, expects favorable outcome. Hence no provision against such demand is considered necessary. However the Company had paid ₹ 0.51 crore under protest, which is reflected under other non-current assets.

ग. वित्तीय वर्ष 2010-11 से वित्तीय वर्ष 2015-16 की अवधि के लिए बिक्री कर प्राधिकरण द्वारा ₹ 0.26 करोड़ (पिछले वर्ष ₹ 0.26 करोड़) की मांग की गई है जिसका प्रतिवाद किया गया है और बिक्री कर उपायुक्त के समक्ष अपील दायर की गई है. मामले के गुणों के आधार पर कंपनी अनुकूल निर्णय की आशा करती है. अतः ऐसी मांग के लिए किसी प्रकार का प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया है.

c. Demand of VAT made by Sales Tax Authority amounting to ₹ 0.26 crore (previous year ₹ 0.26 crore) for the period from FY 2010-11 to FY 2015-16 has been contested and appeal to Deputy Commissioner of Sales Tax. Based on merit, the Company expects a favorable outcome on the same. Hence no provision against such demand is considered necessary.

* मात्रात्मक प्रकटन के लिए अनुसूची 12 आकस्मिक देयताएं देखें.
* Refer Schedule 12 Contingent Liabilities for quantitative disclosure.

11. आरबीआई के 'कोविद -19 विनियामक पैकेज - आस्ति वर्गीकरण और प्रावधान' विषयक दिनांक 17 अप्रैल 2020 के परिपत्र के अनुसार प्रकटीकरण:

<u>Disclosure as per RBI circular dated April 17, 2020 on Covid-19 Regulatory Package - Asset classification and provisioning:</u>

एसएआरएस कोव 2 वायरस के चलते कोविद-19 भारत सहित दुनिया भर में फैलता जा रहा है. इससे वैश्विक और भारतीय बाजारों और आर्थिक गतिविधियों में उल्लेखनीय गिरावट आई है. लॉकडाउन के कार्यान्वयन और इसकी अवधि बढ़ाने से व्यवसाय और आम जीवन में व्यवधान उत्पन्न हुआ है. मौजूदा हालात को देखने के बाद यह अनुमान लगाना मुश्किल है कि इसका असर कब तक रहेगा. विभिन्न उद्योग क्षेत्रों में बैंक के उधारकर्ताओं के सामने प्रमुख चुनौतियां नकदी प्रवाह में कमी होना और कार्यशील पूंजी चक्र का लंबा चलना होगी. बैंक इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सभी मोर्चों पर अपनी तैयारी कर रहा है. इन घटनाओं और स्थितियों के बावजूद, भविष्य में बैंक के परिणामों के तात्विक रूप से प्रतिकूल अथवा संबंधित आकलन पर प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है. बैंक के लिए तरलता की स्थिति, ऋण या किसी अन्य प्रतिबद्धता की चुकौती, पूंजी या लाभप्रदता पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा. तथापि बैंक उपरोक्त मापदंडों की स्थिति की लगातार निगरानी कर रहा है.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

The SARS-CoV2 virus responsible for Covid-19 continues to spread across the globe and India. This has resulted in a significant decline and volatility in global and Indian markets and economic activity. Implementation and extension of lockdown have resulted in disruptions of business and common life. With situation still unfolding, it is difficult to predict time horizons to gauge the impact. The major identified challenges for the Bank borrowers across various industry sectors is expected to arise from eroding cash flows and elongated working capital cycles. The Bank is gearing itself on all fronts to meet these challenges. Despite these events and conditions, the Bank's results in future are not expected to be materially adverse or would have an impact on the going concern assumption. The liquidity position, ability to service debt or any other commitments, capital or profitability may not have significant effect for the Bank. However, Bank is constantly monitoring the status of above parameters.

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा 27 मार्च 2020 को घोषित विनियामक पैकेज के अनुसार बैंक ने अपने उधारकर्ताओं के लिए 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 के दौरान सभी बकाया राशियों के भुगतान के लिए ऋण स्थगन का विकल्प प्रदान किया है. रिज़र्व बैंक द्वारा 17 अप्रैल 2020 को जारी किए गए दिशानिर्देशों के अनुसार 29 फरवरी 2020 को मानक के रूप में वर्गीकृत सभी खातों के संबंध में, भले ही वे अतिदेय हो, जहां भी ऋण-स्थगन अवधि मंजूर की गई है, वहाँ देय तारीख के बाद वाले दिनों को आस्ति वर्गीकरण के प्रयोजन से शामिल नहीं किया जाएगा.

In accordance with the regulatory package announced by the Reserve Bank of India on March 27, 2020, the Bank has extended the option of payment moratorium for all dues falling due between March 1, 2020 and August 31, 2020 to its borrowers. In line with the RBI guidelines issued on April 17, 2020, in respect of all accounts classified as standard as on February 29, 2020, even if overdue, the moratorium period, wherever granted, shall be excluded from the number of days past-due for the purpose of asset classification.

(₹ करोड़ में) (₹ in Crore)

एसएमए/ अति देय खातों के संबंध में ऋण स्थगन/ स्थगन Moratorium / deferment extended in respect of SMA/ Overdue accounts	खातों की संख्या No of accounts	बकाया राशि (निधि आधारित) O/s Amount (Fund Based)
एसएमए 0 / SMA 0	39,958	1,487
एसएमए 1 / SMA 1	20,384	2,353
एसएमए 2 / SMA 2	11,097	1,090
कुल / Total	**71,439**	**4,930**

बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के तहत अपने उधारकर्ताओं के लिए ऋण स्थगन विकल्प प्रदान किया है. कुछ ऋण श्रेणियों में उधारकर्ताओं के लिए ऋण स्थगन डिफ़ाल्ट रूप में रखते हुए उन्हें ऋण स्थगन न लेने का विकल्प दिया गया है. जिन मानक उधारकर्ताओं पर दिनांक 29 फरवरी 2020 को देय राशि पर 31 मार्च 2020 तक ऋण स्थगन जारी रहा, उन पर कुल बकाया राशि ₹ 4930 करोड़ रही. इनमें से ₹ 525.62 करोड़ की कुल बकाया राशियों वाले उधारकर्ताओं को रिज़र्व बैंक मानदंडों के तहत 31 मार्च 2020 को आस्ति वर्गीकरण का लाभ दिया गया. 31 मार्च 2020 को बैंक ने कोविद -19 के संबंध में ₹ 247 करोड़ का प्रावधान किया है. बैंक द्वारा किया गया यह प्रावधान रिज़र्व बैंक दिशानिर्देशों द्वारा अपेक्षित न्यूनतम राशि से अधिक है.

The Bank has extended the moratorium option to its borrowers under a Board approved policy. For certain loan categories, moratorium is the default choice with an option to the borrowers to opt-out of the moratorium. At March 31, 2020, the aggregate outstanding of the borrowers to whom moratorium has been extended and which were overdue but standard at February 29, 2020 and continued to be overdue at March 31, 2020, amounted to ₹ 4930 crore. Of these, borrowers with aggregate outstanding of ₹ 525.62 crore were extended asset classification benefit at March 31, 2020 under RBI's norms. At March 31, 2020, the Bank has made Covid -19 related provisions of ₹ 247 crore. The provision made by the Bank is more than minimum required as per RBI guidelines.

संबंधित लेखांकन अवधि के दौरान गिरावट के प्रति समायोजित प्रावधान तथा पैरा 6 के संबंध में बकाया प्रावधानः चालू वर्ष के लिए लागू नहीं

Provisions adjusted during the respective accounting periods against slippages and the residual provisions in terms of paragraph 6. : NA for current year.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

12. अन्य / Others:

i. वर्ष के दौरान भारत सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम को इक्विटी शेयरों का अधिमानी आधार पर निम्नानुसार आबंटन किया गया:
During the year Equity Shares were allotted by the Bank to Government of India and Life Insurance Corporation of India on preferential basis as under:

लाभार्थी Beneficiary	आबंटन का प्रकार Type of allotment	राशि (₹ करोड़ में) Amount (₹ in Crore)	शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रत्येक) No. of Shares (Face value ₹ 10 each)	निर्गम मूल्य (₹ में) Issue Price (in ₹)	शेयर प्रीमियम प्रति शेयर (₹ में) Share premium per share (in ₹)	आबंटन की तारीख Date of Allotment
भारत सरकार Government of India	i. अधिमानी Preferential	4,557.00	1295706568	35.17	25.17	23/10/2019
भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) Life Insurance Corporation of India(LIC)	i. अधिमानी Preferential	4,743.00	1348592550	35.17	25.17	23/10/2019
अन्य / Any other	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL	शून्य / NIL

ii. भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग ने 5 सितंबर 2016 के अपने पत्र के जरिए बैंक को सूचित किया कि वह 2006 में किए गए भारग्रस्त आस्ति स्थिरीकरण निधि (एसएएसएफ़) के आस्ति विनिमय के निवल प्रभाव का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत सरकार को ₹ 1064.27 करोड़ मूल्य की प्रतिभूतियां अभ्यर्पित करें. ये प्रतिभूतियां एसएएसएफ के विरुद्ध सितंबर 2004 में भारत सरकार द्वारा बैंक को जारी की गई ऐसी प्रतिभूतियों की ₹ 9000 करोड़ का भाग का रूप हैं. ये सितंबर 2024 में परिपक्व होने वाली 20 वर्षीय प्रतिभूतियां हैं. भारत सरकार ने 31 जुलाई 2017 के अपने पत्र द्वारा इन प्रतिभूतियों को वित्तीय वर्ष 2016-17 की वित्तीय तिमाही से प्रारंभ करते हुए 11 तिमाहियों में अभ्यर्पित करने हेतु अनुमोदन प्रदान किया है. 31 मार्च 2019 को एसएएसएफ़ खाते से बट्टे खाते में डाली गयी कुल प्रतिभूतियों की राशि ₹ 1064.27 करोड़ है. इस प्रकार से बट्टे खाते में डाली गयी संपूर्ण राशि को पूरा कर लिया गया है. तथापि, भारत सरकार की अधिसूचना के विचाराधीन होने के कारण इन बट्टे खाते में डाली गयी इन प्रतिभूतियों को यथा 31 मार्च 2020 को एसजीएल खाते में दर्शाया गया है. जिसके परिणामस्वरूप एसजीएल खाते में समान राशि का अंतर आया है.
The Government of India (GoI), Ministry of Finance, Department of Financial Services vide its letter dated September 5, 2016, advised the Bank to surrender securities of ₹ 1064.27 crore to the GoI representing net impact of the asset exchange of Stressed Assets Stabilization Fund (SASF) done by the Bank in 2006. These securities form part of ₹ 9,000 crore of such securities issued to the Bank by GoI in September 2004 against SASF. These are 20 years securities maturing in September 2024. As per the approval from GoI vide its letter dated July 27, 2017 to surrender these securities in 11 quarters commencing from quarter II of FY 2016-17. Accordingly as on March 31, 2019, total securities written off from SASF account stands at ₹ 1064.27 crore. Thus the full written off has been completed. However, these written off securities are reflected in SGL account as on 31.03.2020 due to pending Government notification for redemption, which resulted in difference of the same amount in SGL account.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

iii. कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) व्यय के लिए नोट:
Notes to Corporate Social Responsibility (CSR) expenditure:

क. वर्ष के दौरान बैंक द्वारा व्यय की जाने वाली सकल राशि: शून्य (₹ 0.25 करोड़)

a. Gross amount required to be spent by the Bank during the year: Nil (₹ 0.25 crore)

ख. वर्ष के दौरान बैंक द्वारा व्यय की गई राशि:

b. Amount spent by the Bank during the year:

₹ करोड़ में / ₹ Crore

विवरण Particulars	वित्तीय वर्ष 2019-20 FY 2019-20	वित्तीय वर्ष 2018-2019 FY 2018-19
नकद / In cash	शून्य / NIL	0.25
नकद भुगतान किया जाना है / Yet to be paid in cash	शून्य / NIL	शून्य / NIL
कुल / Total	शून्य / NIL	0.25

ग. आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड के मामले में 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) संबंधी कार्यकलापों पर कंपनी द्वारा कुल ₹ 0.89 करोड़ (₹ 0.56 करोड़) की सकल राशि व्यय की जानी अपेक्षित है.

c. In case of IDBI Federal Life Insurance Limited, gross amount required to be spent by the Company on Corporate Social Responsibility (CSR) related activities during the year ended March 31, 2020 is ₹ 0.89 crore (₹ 0.56 crore).

घ. आईडीबीआई इंटेक लि. के मामले में 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) संबंधी कार्यकलापों पर कंपनी द्वारा कुल ₹ 0.26 करोड़ (शून्य) की सकल राशि व्यय की जानी अपेक्षित है.

d. In case of IDBI Intech Limited, gross amount required to be spent by the Company on Corporate Social Responsibility (CSR) related activities during the year ended March 31,2020 is ₹ 0.26 crore (Nil).

iv. आईसीएआई द्वारा जारी सामान्य स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए मूल, सहायक संस्थाओं और संयुक्त उद्यमों के अलग-अलग वित्तीय विवरणों में प्रकट की गई ऐसी अतिरिक्त सांविधिक जानकारी जिसका समेकित वित्तीय विवरणों को सही और उचित रूप से दर्शाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और उन मदों से संबंधित जानकारी जो महत्वपूर्ण नहीं है, का प्रकटन समेकित वित्तीय विवरण में नहीं किया गया है.

Additional statutory information disclosed in separate financial statements of parent, subsidiaries and joint ventures having no bearing on the true and fair view of the consolidated financial statements and also the information pertaining to the items which are not material have not been disclosed in the consolidated financial statement in the view of general clarification issued by ICAI.

v. नेशनल सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लि. (एनएसडीएल) के खातों को आईएनडी एएस के तहत तैयार किया जाता है तथा तदनुसार लाभ के हिस्से का समेकन किया जाता है.

Accounts of National Securities Depositories Limited (NSDL) are prepared under IND AS and accordingly the share of profit is taken into consolidation.

vi. अन्य देयताओं में पूर्ववर्ती भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (पूर्ववर्ती-आईडीबीआई) द्वारा घोषित लाभांश के संबंध में वर्ष 1995 से 2003 तक के लिए देय लाभांश के रूप में ₹ 7.06 करोड़ शामिल है. एसीबी के निर्देशानुसार बैंक द्वारा प्राप्त की गई विधिक राय के अनुपालन में बैंक ने उन शेयरधारकों से संपर्क करने हेतु सभी प्रभावी कदम उठाए हैं जिनके लाभांश अदावी/ अदत्त रहे हैं और इस संबंध में प्राप्त वैध अनुरोधों के आधार पर भुगतान जारी किया है. विधिक राय के अनुपालन में बैंक ने राशि को निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईपीएफ) में अंतरित करने की वैधानिकता के बारे में अभिमत प्राप्त करने हेतु इस मामले को कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय (एमसीए) को और आईईपीएफ प्राधिकरण को भी संदर्भित किया था और एमसीए और आईईपीएफ प्राधिकरण से लगातार अनुवर्तन किया जा रहा है, जिनके उत्तरों की प्रतीक्षा है.

Other Liabilities include ₹ 7.06 crore as dividend payable pertaining to the years 1995 to 2003 in relation to the dividend declared by erstwhile Industrial Development Bank of India (e-IDBI), a Statutory Corporation. In compliance with the Legal Opinion obtained by the Bank as directed by ACB, the Bank has taken all effective steps to reach out to the

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

shareholders whose dividend remained unclaimed/unpaid and has released payment based on valid requests received in this regard. Further, in compliance with the said Legal Opinion, the Bank had also referred the matter to Ministry of Corporate Affairs (MCA) as well as IEPF Authority seeking their advice/ directions about the legality of transferring the said unclaimed dividend amount pertaining to e-IDBI to Investor Education and Protection Fund (IEPF) and has been regularly following up with MCA and IEPF Authority, from whom the response is awaited.

vii. मौजूदा मार्केट मूल्य (सीएमपी) और ₹ 1/- तक के अवलेखन के लिए सूचीबद्ध इक्विटी निवेश के लिए वित्तीय वर्ष 19-20 के दौरान त्वरित प्रावधान का प्रकटनः

Disclosure of Accelerated Provision during FY 19-20 for Listed Equity Investment to Current Market Value (CMP) and written down to ₹ 1/- by Bank:

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्र. सं. Sr. No.	कंपनियों की संख्या No. of Companies	त्वरित प्रावधान राशि (करोड़ रुमें) Accelerated Provision Amount in crore.	बही लागत राशि (करोड़ रुमें) Book Cost Amount in crore.
1	13	306.55	877.67

viii. रिजर्व बैंक के निर्देश- वित्तीय वर्ष 19-20 के अनुसार 10% से अधिक की धारिता वाले आंशिक रूप से बट्टे खाते में डाले गए इक्विटी निवेशों का प्रकटनः

Disclosure of Partially Write off Equity Investments having more than 10% holding of the Bank as per RBI Directions - FY19-20:

(₹ करोड़ में) (₹ in crore)

क्र. सं. Sr. No.	कंपनियों की संख्या No. of Companies	बही लागत राशि की आंशिक रूप से बट्टे खाते में डाली गई राशि Partial Write Off of Book Cost Amount
1	शून्य / Nil	शून्य / Nil

ix. बैंक के बोर्ड ने 1 नवंबर 2017 से निवल एकदिवसीय खुली स्थिति (एनओओपी) के लिए ₹ 400 करोड़ की सीमा अनुमोदित की है. वर्ष के दौरान खुली स्थिति अनुमोदित सीमा के अंदर थी और उपयोग की औसत राशि ₹ 129.08 करोड़ थी. वर्ष के दौरान अधिकतम उपयोग की राशि 22 अप्रैल 2019 को ₹ 304.15 करोड़ थी.

The Bank has Board approved limit for Net Overnight Open Position (NOOP) fixed at ₹ 400 crore w.e.f from November 01, 2017. During the year, the open position was within the approved limit and the average utilization was ₹ 129.08 crore. The maximum utilization during the year was at ₹ 304.15 crore on April 22, 2019.

x. पूँजी खाते (अग्रिमों को घटाकर) निवल तथा जिनके लिए प्रावधान नहीं किए गए हैं पर निष्पादित किए जाने हेतु शेष संविदाओं की अनुमानित राशि ₹ 121.82 करोड़ (₹ 119.97 करोड़) है.

Estimated amount of contracts remaining to be executed on capital account (net of advances) and not provided for is ₹ 121.82 crore (₹ 119.97 crore).

xi. वेतन संशोधन पर उद्योग व्यापी द्विपक्षीय समझौते के लंबित रहने (नवंबर 2017 से देय) को ध्यान में रखते हुए बैंक ने वर्ष के दौरान इस मद के लिए अनुमानित आधार पर ₹ 58 करोड़ की राशि का प्रावधान किया है (यथा 31 मार्च 2020 को संचयी प्रावधान की कुल राशि ₹ 420 करोड़ थी).

Pending industry wide bipartite settlement on wage revision (due with effect from November 2017), a sum of ₹ 58 crore has been provided by the Bank during the year on this account on estimated basis. (Cumulative provision held as on March 31, 2020 was ₹ 420 crore).

xii. संयुक्त उद्यम आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड के मामले में आनुपातिक मूल्यों को हिस्सेदारी के बराबर माना गया है.

In case of the joint venture, IDBI Federal Life Insurance Company Limited, proportionate values have been considered equivalent to the stake.

समेकित वित्तीय विवरणों की अनुसूचियां
Schedules to the Consolidated Financial Statements

xiii. पिछले वर्ष से संबंधित आंकड़े कोष्ठक में दिए गए हैं और उन्हें पुनर्समूहित/ पुनर्व्यवस्थित किया गया है, ताकि चालू वर्ष के आंकड़ों से उनकी तुलना की जा सके.

Figures of the previous year, are disclosed in brackets and are regrouped / rearranged, so as to confirm with the presentation made for the current year.

'1' से '18' लेखा अनुसूचियों के लिए हस्ताक्षर
Signatures to Schedules '1' to '18' of Accounts

बोर्ड के आदेश से
BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा) (Rakesh Sharma) प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Managing Director & Chief Executive Officer (डीआईएन/DIN: 06846594)	(सैम्युअल जोसेफ जेबराज) (Samuel Joseph Jebaraj) उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director (डीआईएन/DIN: 02262530)	(सुरेश खटनहार) (Suresh Khatanhar) उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director (डीआईएन/DIN: 03022106)	(समरेश परिदा) (Samaresh Parida) निदेशक Director (डीआईएन/(DIN: 01853823)	(अजय शर्मा) (Ajay Sharma) कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी Executive Director & Chief Financial Officer	(पवन अग्रवाल) (Pawan Agrawal) कंपनी सचिव Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते के. एस. अय्यर एंड कं. For K. S. Aiyar & Co. सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 100186W	कृते जेएलएन यूएस एंड कं. For JLN US & Co. सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101543W	कृते एम. पी. चितले एंड कं. For M. P. Chitale & Co. सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101851W
सतीश केलकर Satish Kelkar साझेदार (स. सं. 038934)/ Partner (M.No. 038934)	रमाप्रसन्न अग्रवाल Ramaprasanna Agarwal साझेदार (स. सं. 119693)/ Partner (M.No. 119693)	आशुतोष पेडणेकर Ashutosh Pednekar साझेदार (स. सं. 041037)/ Partner (M.No. 041037)

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 30 मई 2020/ Date: May 30, 2020

समेकित नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
Consolidated Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2020

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2020	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2019
अ. परिचालन कार्यकलापों से नकदी प्रवाह **A. CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**		
(1) कर और असाधारण मदों से पूर्व लाभ/ (हानि) **Profit/ (Loss) before tax and extra-ordinary items**	(8896 49 73)	(22691 07 83)
(2) गैर-नकदी मदों के लिए समायोजन **Adjustments for non cash items:**		
- अचल आस्तियों की बिक्री से (लाभ)/हानि (निवल) Profit/ (Loss) on sale of Fixed Assets (Net)	4 74 25	72 71 41
- मूल्यह्रास (पुनर्मूल्यन रिजर्व घटाकर) Depreciation (Net of Revaluation Reserve)	394 37 92	369 94 64
- प्रावधान/ ऋणों को बट्टे खाते डालना / निवेश तथा अन्य प्रावधान Provisions/ Write off of Loans/ Investments and other provisions	13698 65 26	26523 92 49
- निवेशों के पुर्मूल्यन पर लाभ/(हानि) Profit/ (Loss) on revaluation of Investments	(2 90 84)	(1 11 44)
	5198 36 86	**4274 39 27**
(3) परिचालन आस्तियों में (वृद्धि)/ कमी के लिए समायोजन: **Adjustments for (increase)/ decrease in operating assets:**		
- निवेश / Investments	10096 85 62	(2748 74 08)
- अग्रिम / Advances	4895 39 35	944 94 90
- अन्य आस्तियां / Other Assets	(2870 94 55)	2625 31 20
- करों की वापसी / Refund/ (payment) of taxes	(943 88 66)	(970 11 62)
(4) परिचालन देयताओं में वृद्धि / (कमी) के लिए समायोजन: **Adjustments for increase/ (decrease) in operating liabilities:**		
- उधार राशिया / Borrowings	(8538 86 78)	(17897 80 32)
- जमा राशियां \ Deposits	(4976 25 54)	(20586 46 02)
- अन्य देयताएं एवं प्रावधान / Other liabilities and provisions	(2652 18 11)	143 66 99
परिचालन कार्यकलापों में प्रयुक्त / से उत्पन्न निवल नकदी **Net cash used in/generated from Operating activities**	**208 48 19**	**(34214 79 68)**
आ. निवेश कार्यकलापों से नकदी प्रवाह **B. CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**		
अचल आस्तियों की खरीद (बिक्री घटाकर) Purchase (net of sale) of Fixed Assets	(295 97 32)	115 52 74
निवेश कार्यकलापों में प्रयुक्त/ से जुटाई गई निवल नकदी **Net cash used in / raised from Investing activities**	**(295 97 32)**	**115 52 74**

समेकित नकदी प्रवाह विवरण 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए
Consolidated Cash Flow Statement for the year ended March 31, 2020

(₹ '000 में / ₹ in '000)

	31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2020	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष Year ended 31-03-2019
इ. C. वित्तपोषण कार्यकलापों से नकदी प्रवाह CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES		
- इक्विटी शेयरों का निर्गम / Issue of Equity Shares	9300 00 00	21624 14 55
- आबंटन हेतु लंबित शेयर आवेदन राशि Share application money pending allotment	0	0
- प्रदत्त लाभांश तथा लाभांश कर / Dividend and Dividend Tax paid	(21 46 60)	(2 02 80)
वित्तपोषण कार्यकलापों में प्रयुक्त / से जुटाई गई निवल नकदी Net cash used in / raised from Financing activities	**9278 53 40**	**21622 11 75**
नकदी और नकदी समतुल्य में निवल वृद्धि / (कमी) NET INCREASE/ (DECREASE) IN CASH & CASH EQUIVALENTS	9191 04 26	(12477 15 19)
प्रारंभिक नकदी और नकदी समतुल्य OPENING CASH & CASH EQUIVALENTS	21303 92 24	33781 07 43
अंतिम नकदी और नकदी समतुल्य CLOSING CASH & CASH EQUIVALENTS	**30494 96 50**	**21303 92 24**
नकदी प्रवाह विवरण के लिए टिप्पणी / **Note to Cash Flow Statement:**		
नकदी प्रवाह विवरण में शामिल नकदी और नकदी समतुल्य में निम्नलिखित तुलन पत्र मदें शामिल हैं Cash and Cash equivalents included in the Cash Flow Statement comprise the following Balance Sheet items:		
भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी एवं शेष (अनुसूची 6) Cash & Balances with Reserve Bank of India (Schedule 6)	10539 17 27	12731 69 79
बैंकों के पास शेष और मांग तथा अल्प सूचना पर देय राशि (अनुसूची 7) Balances with banks & money at call and short notice (Schedule 7)	19955 79 23	8572 22 45
कुल / TOTAL	**30494 96 50**	**21303 92 24**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां तथा लेखा टिप्पणियां (अनुसूची 17 और 18)
Significant Accounting Policies and Notes to Accounts (Schedule 17 and 18)

उपर्युक्त संदर्भित अनुसूचियां वित्तीय विवरणों के अभिन्न भाग के रूप में हैं/
The Schedules referred to above form an integral part of the Financial Statements.

बोर्ड के आदेश से
BY ORDER OF THE BOARD

(राकेश शर्मा)
(Rakesh Sharma)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Managing Director & Chief Executive Officer
(डीआईएन/DIN: 06846594)

(सैम्युअल जोसेफ जेबराज)
(Samuel Joseph Jebaraj)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
(डीआईएन/DIN: 02262530)

(सुरेश खटनहार)
(Suresh Khatanhar)
उप प्रबंध निदेशक
Dy. Managing Director
(डीआईएन/DIN: 03022106)

(समरेश परिदा)
(Samaresh Parida)
निदेशक
Director
(डीआईएन/(DIN: 01853823)

(अजय शर्मा)
(Ajay Sharma)
कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी
Executive Director & Chief Financial Officer

(पवन अग्रवाल)
(Pawan Agrawal)
कंपनी सचिव
Company Secretary

हमारी सम-दिनांकित रिपोर्ट के अनुसार
As per our report of even date

कृते के. एस. अय्यर एंड कं.
For K. S. Aiyar & Co.
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 100186W

सतीश केलकर
Satish Kelkar
साझेदार (स. सं. 038934)/ Partner (M.No. 038934)

कृते जेएलएन यूएस एंड कं.
For JLN US & Co.
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101543W

रमाप्रसन्न अग्रवाल
Ramaprasanna Agarwal
साझेदार (स. सं. 119693)/ Partner (M.No. 119693)

कृते एम. पी. चितले एंड कं.
For M. P. Chitale & Co.
सनदी लेखाकार/ Chartered Accountants
फर्म पंजीयन संख्या/ FRN : 101851W

आशुतोष पेडणेकर
Ashutosh Pednekar
साझेदार (स. सं. 041037)/ Partner (M.No. 041037)

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 30 मई 2020/ Date: May 30, 2020

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसरण में विवरण
Statement Pursuant to Section 129 of Companies Act, 2013

सहायक संस्थाओं/ सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के वित्तीय विवरण की प्रमुख विशेषताएं

STATEMENT CONTAINING SALIENT FEATURES OF THE FINANCIAL STATEMENT OF SUBSIDIARIES/ASSOCIATE COMPANIES/JOINT VENTURES

भाग "ए" : सहायक संस्थाएं

Part "A": Subsidiaries

(₹ '000 में / ₹ in '000s)

विवरण/ Particulars	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्युरिटीज लि. IDBI Capital Market Securities Ltd.	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. IDBI Trusteeship Services Ltd.	आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. IDBI Asset Management Ltd.	आईडीबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी लि. IDBI Mutual Fund Trustee Company Ltd.	आईडीबीआई इंटेक लि. IDBI Intech Ltd.
यदि सहायक संस्था की रिपोर्टिंग अवधि धारिता कंपनी से भिन्न है, तो उसके लिए रिपोर्टिंग अवधि Reporting period for the subsidiary concerned, if different from the holding company's reporting period	लागू नहीं / Not Applicable				
विदेशी सहायक संस्थाओं के मामले में संबंधित वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को मुद्रा तथा विनिमय दर की रिपोर्टिंग Reporting currency and Exchange rate as on the last date of the relevant Financial year in the case of foreign subsidiaries	लागू नहीं / Not Applicable				
शेयर पूंजी / Share capital	128 10 00	6 03 28	200 00 00	20 00	13 12 82
आरक्षित निधियां एवं अधिशेष Reserves & Surplus	177 14 93	218 36 31	(91 15 20)	1 37 03	49 90 75
कुल आस्तियां / Total Assets	330 24 88	228 92 79	114 15 40	1 64 51	73 69 18
कुल देयताएं (पूंजी और आरक्षित निधियों के अलावा)/ Total Liabilities (excluding capital and reserves)	24 99 95	4 53 20	5 30 60	7 48	10 65 62
निवेश / Investments	84 98 54	135 08 59	88 72 46	1 51 27	-
कुल कारोबार/ Turnover	71 76 75	65 36 77	44 29 02	57 74	99 11 98
कराधान के पहले लाभ Profit before taxation	**(11 46 23)**	**46 76 45**	**12 78 43**	**12 04**	**11 58 55**
कराधान के लिए प्रावधान Provision for taxation	(1 79 86)	11 58 74	12 03 09	1 61	2 51 19
कराधान के बाद लाभ Profit after taxation	(9 66 38)	35 17 71	75 34	10 43	9 07 35

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसरण में विवरण
Statement Pursuant to Section 129 of Companies Act, 2013

(₹ '000 में / ₹ in '000s)

विवरण/ Particulars	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्युरिटीज लि. IDBI Capital Market Securities Ltd.	आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज़ लि. IDBI Trusteeship Services Ltd.	आईडीबीआई असेट मैनेजमेंट लि. IDBI Asset Management Ltd.	आईडीबीआई म्यूचुअल फंड ट्रस्टी कंपनी लि. IDBI Mutual Fund Trustee Company Ltd.	आईडीबीआई इंटेक लि. IDBI Intech Ltd.
प्रस्तावित लाभांश (कॉरपोरेट लाभांश कर सहित)/ Proposed Dividend (including corporate dividend tax)	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil	शून्य / Nil
शेयरधारिता का % % of shareholding	100%	54.70%	*66.67%	100.00%	100.00%

* 33.33% शेष आईडीबीआई कैपिटल मार्केट एंड सिक्युरिटीज लि. द्वारा धारित है.
* Balance holding of 33.33% is held by IDBI Capital Market Securities Ltd.

टिप्पणियां/ Notes:

1. कुल कारोबार से तात्पर्य प्रत्येक संस्था द्वारा उनके वित्तीय विवरणों में दी गई कुल आय की रिपोर्ट से है.
   Turnover is the total income reported by each of the entities in their financial statements.
2. सहायक संस्थाओं के नाम जिन्होंने अभी तक परिचालन शुरू नहीं किया है: कोई नहीं
   Names of subsidiaries which are yet to commence operations: None
3. सहायक संस्थाओं के नाम जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त या विक्रय किया गया हो: कोई नहीं
   Names of subsidiaries which have been liquidated or sold during the year: None

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसरण में विवरण
Statement Pursuant to Section 129 of Companies Act, 2013

भाग ''बी'': सहयोगी कंपनियां तथा संयुक्त उद्यम
Part "B": Associates and Joint Ventures

	सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के नाम/ Name of Associates/ Joint Ventures	बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लिमिटेड/ Biotech Consortium India Limited	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड/ National Securities Depository Limited	पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड/ North Eastern Development Finance Corporation Limited	आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड IDBI Federal Life Insurance Company Limited
1.	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र की तारीख Latest audited Balance Sheet Date	31 मार्च 2020 March 31, 2020	31 दिसंबर 2019 December 31, 2019	31 दिसंबर 2019 December 31, 2019	31 मार्च 2020 March 31, 2020
2.	**वर्ष के अंत में कंपनी द्वारा धारित सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के शेयर Shares of Associate/Joint Ventures held by the company at the year end**				
	इक्विटी शेयरों की संख्या/ Number of equity shares	150 00 04	1044 00 00	2500 00 02	38400 00 00
	सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों में निवेश राशि Amount of Investment in Associates/ Joint Venture	150 00	10 44 00	25 00 00	384 00 00
	धारिता % की मात्रा Extend of Holding %	27.93%	26.10%	25.00%	48.00%

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसरण में विवरण
Statement Pursuant to Section 129 of Companies Act, 2013

	सहयोगी कंपनियों/ संयुक्त उद्यमों के नाम/ Name of Associates/ Joint Ventures	बायोटेक कंसोर्शियम इंडिया लिमिटेड/ Biotech Consortium India Limited	नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड/ National Securities Depository Limited	पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड/ North Eastern Development Finance Corporation Limited	आईडीबीआई फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड IDBI Federal Life Insurance Company Limited
3.	पर्याप्त प्रभाव होने के कारणों का विवरण Description of how there is significant influence	बायोटेक कन्सोर्शियम इंडिया लि. में 27.93% की धारिता को लेखांकन मानक - 23 के अनुसार सहयोगी कंपनी माना जाता है Holding in Biotech Consortium India Ltd being 27.93%, considered as an Associate as per AS-23	एनएसडीएल में 26.10% की धारिता को लेखांकन मानक - 23 के अनुसार सहयोगी कंपनी माना जाता है Holding in NSDL being 26.10%, considered as an Associate as per AS-23	पूर्वोत्तर विकास वित्त कॉरपोरेशन लि. में 25% की धारिता को लेखांकन मानक - 23 के अनुसार सहयोगी कंपनी माना जाता है Holding in North Eastern Development Finance Corporation Ltd being 25%, considered as an Associate as per AS-23	आईडीबीआई फेडरल में 48% की धारिता को लेखांकन मानक-27 के अनुसार संयुक्त उद्यम माना जाता है Holding in IDBI Federal Ltd. being 48%, considered as a Joint Venture as per AS-27
4.	सहयोगी कंपनी/ संयुक्त उद्यमों के समेकित नहीं होने का कारण Reason why the associate/ joint venture is not Consolidated	लागू नहीं / N.A.	लागू नहीं / N.A.	लागू नहीं / N.A.	लागू नहीं / N.A.
5.	अद्यतन लेखापरीक्षित तुलन पत्र के अनुसार शेयरधारिता जन्य निवल मालियत Networth attributable to Shareholding as per latest Audited Balance Sheet	8 19 08	172 90 13	209 22 55	441 19 82
6.	**31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ/ हानि Profit / Loss for the year ended March 31, 2020**				
	i. समेकन में शामिल Considered in Consolidation	35 43	21 02 78	6 71 88	70 95 95
	ii. समेकन में शामिल नहीं Not Considered in Consolidation	0	0	0	0

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अनुसरण में विवरण
Statement Pursuant to Section 129 of Companies Act, 2013

1. उन सहयोगी कंपनियों अथवा संयुक्त उद्यमों के नाम जिनका परिचालन अभी शुरू नहीं हुआ है : कोई नहीं.
   Names of associates or joint ventures which are yet to commence operations: None

2. उन सहयोगी कंपनियों अथवा संयुक्त उद्यमों के नाम, जिन्हें वर्ष के दौरान परिसमाप्त अथवा बेचा गया है:
   Names of associates or joint ventures which have been liquidated or sold during the year

3. बायोटेक कंसॉर्शियम इंडिया लिमिटेड का वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए गैर-लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों के आधार पर एएस-23 के अनुसार समेकन किया गया है और नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड तथा पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड का समेकन यथा 31 दिसंबर 2019 के गैर-लेखापरीक्षित परिणामों पर आधारित है .
   Biotech Consortium India Limited has been consolidated in accordance with AS-23 based on unaudited financials statements for the year 2019-20 and National Securities Depository Limited & North Eastern Development Finance Corporation Limited have based on unaudited results as at December 31,2019.

4. पोंडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एंड इन्वेस्मेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के वित्तीय विवरणों का समेकन वित्तीय विवरण/ वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण नहीं किया गया है. सहयोगी कंपनी में निवेश को अवलेखित कर एक रुपया कर दिया गया है./
   The financials of Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Limited have not been consolidated on account of non receipt of Financial Statements/Annual Report. The investment in the Associate is written down to Rupee one.

5. नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड की मालियत अनुपलब्धता के कारण वित्तीय वर्ष 2019 के अनुसार ली है.
   The networth of National Securities Depository Limited and North Eastern Development Finance Corporaton Limited taken as per FY 2019 due to non availability of the desired information.

(राकेश शर्मा) (Rakesh Sharma	(सैम्युअल जोसेफ जेबराज) (Samuel Joseph Jebaraj)	(सुरेश खटनहार) (Suresh Khatanhar)	(समरेश परिदा) (Samaresh Parida)	(अजय शर्मा) (Ajay Sharma)	(पवन अग्रवाल) (Pawan Agrawal)
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी Managing Director & Chief Executive Officer (डीआईएन/DIN: 06846594)	उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director (डीआईएन/DIN: 02262530)	उप प्रबंध निदेशक Dy. Managing Director (डीआईएन/DIN: 03022106)	निदेशक Director (डीआईएन/(DIN: 01853823)	कार्यपालक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी Executive Director & Chief Financial Officer	कंपनी सचिव Company Secretary

स्थान : मुंबई / Place: Mumbai
दिनांक : 30 मई 2020/ Date: May 30, 2020

पिलर III प्रकटन
Pillar III Disclosures

समेकित पिलर III प्रकटन (31 मार्च 2020)
Consolidated Pillar III Disclosures (March 31, 2020)

भारतीय रिज़र्व बैंक के बासेल III दिशानिर्देशों के अनुसार 31 मार्च 2020 को पिलर III प्रकटन बैंक की वेबसाइट पर 'Regulatory Disclosures Section' >> FY 2019-20 (Basel III)>> March 2020 लिंक पर अलग से रखे गए हैं.

Pillar III disclosures at March 31, 2020 as per Basel III guidelines of RBI have been disclosed separately on the Bank's website under 'Regulatory Disclosures Section' >> FY 2019-20 (Basel III)>> March 2020

नोट / NOTE

नोट / NOTE

नोट / NOTE

नोट / NOTE

जेएनआईबीएफ और बीएफआईएन, नेपाल के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर

मुंबई। आईडीबीआई बैंक लिमिटेड के एक प्रीमियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस (जेएनआईबीएफ), हैदराबाद ने मंगलवार 03 मार्च, 2020 को बैंकिंग फाइनेंस एंड इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ नेपाल लिमिटेड (बीएफआईएन) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता प्रशिक्षण और संबद्ध क्षेत्रों पर संयुक्त सहयोग के लिए किया गया है।

नेपाल के कई सदस्य बैंकों और आईडीबीआई बैंक के अधिकारियों की मौजूदगी में दोनों प्रमुख संस्थानों ने इस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए। जेएनआईबीएफ के निदेशक श्री कुमार नील लोहित और बीएफआईएन के एमडी श्री विनोद आत्रेय ने इस एमओयू पर हस्ताक्षर किए। आईडीबीआई बैंक के ईडी-एचआर और ट्रेनिंग श्री वि नारायणमूर्ति भी इस अवसर पर मौजूद रहे।

व्यापक संदर्भ में इस सहयोग का उद्देश्य भारत और नेपाल दोनों देशों में बीएफएसआई क्षेत्र के पेशेवरों के बीच प्रबंधकीय कौशल विकसित करने के लिए संयुक्त रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना और विभिन्न उभरते क्षेत्रों में सेमिनार, सम्मेलन और कार्यशालाओं का आयोजन करना है।

इस एमओयू ने बीएफआईएन, नेपाल और जेएनआईबीएफ हैदराबाद के बीच संबंधों को और मजबूत किया है।

IDBI Sees Early Synergies with LIC

The bank is targeting ₹500 crore in revenue this fiscal through cross-selling opportunities

Joel.Rebello@timesgroup.com

Mumbai: IDBI Bank is targeting ₹500 crore in revenue this fiscal through cross-selling opportunities and expects to double that in the next financial year, a top executive said, as the purchase of a majority stake earlier this year by Life Insurance Corporation (LIC) shows signs of success, especially on the retail front.

The bank is using its network to sell insurance policies and in turn planning to offer home loans to LIC's customers. In March, IDBI Bank sold 26,116 policies worth ₹160 crore from across 1,800 branches, raising hopes that other retail products of both could be cross-sold to their respective customers.

"We have had a big-bang start in bancassurance. This even surprised LIC and is a kind of a record," said Jorty Chacko, executive director in charge of retail assets and third-party distribution at IDBI. "We have identified over 100 such synergies in corporate and retail segments and will slowly roll them out."

PLANS AHEAD

The bank is using its network to sell insurance policies and in turn planning to offer home loans to LIC's customers

IDBI Bank is already offering a 15 basis point discount to LIC employees on their home loans and plans to offer a 10 basis point discount on home loans for LIC policy holders, said Chacko, who heads a special implementation team created by IDBI to look at synergies with LIC and is also the member of a 12-member task force set up to oversee the execution of that process. IDBI also plans to offer cash management and payroll products to the insurance behemoth. LIC collects ₹1.35 lakh crore in premium and redeems ₹1.24 lakh crore worth policies each year, according to the bank's estimates.

"These large withdrawals and disbursements will give us float money. Then, there are 12 lakh LIC agents and crores of policy holders we can tap, besides the more than one lakh employees," Chacko said. "The synergies are more in retail, which we want to tap to the fullest, but we also can extend our services to the corporate side, like investments and broking." In January, LIC completed the acquisition of a 51% controlling stake in the bank.

BUSINESS STANDARD ANNUAL BANKING FORUM

From left to right: IDFC First Bank MD & CEO V Vaidyanathan, YES Bank MD & CEO Ravneet Gill, Union Bank of India MD & CEO Rajkiran Rai G, Tamal Bandyopadhyay, Consulting Editor, *Business Standard*, Citi India CEO Ashu Khullar, and IDBI Bank MD & CEO Rakesh Sharma at the *Business Standard* Annual Banking Forum in Mumbai on Friday. The Reserve Bank of India is working on a corporate governance structure for banks, in line with the Basel norms, but the Indian version would likely be tougher in terms of recognition of bad loans, said Deputy Governor N S Vishwanathan in his keynote address at the *Business Standard* Annual Banking Forum.

PHOTO: KAMLESH D PEDNEKAR

IDBI Bank launches Web and Mobile Based digitized interface for Savings Account Opening

Mumbai,

IDBI Bank has launched a new mobile and web based Savings Bank Account Opening interface. This will help the customers to open and activate their account by using Aadhaar E-KYC / QR Code mechanism (if they so desire) through a user friendly interface. The advantage of the interface is that it eliminates paper work, activates the account in few minutes and provides a better on-boarding experience to the customer. The turn-around time for activating the account will be reduced drastically. The customer will also receive the Cheque Book and Debit Card across the counter.

IDBI Bank in black after 13 quarters

Makes a strong pitch for exiting PCA restrictions; asset quality improves

SPECIAL CORRESPONDENT
MUMBAI

IDBI Bank has reported a net profit of ₹135 crore for the quarter ended March 31, 2020 compared to with a net loss of ₹4,918 crore in the year-earlier period.

Metrics	Q4 FY20
Net profit (₹ cr.)	135.39
Net NPAs (%)	4.19
Gross NPA (%)	27.53
Capital adequacy ratio (%)	13.31

The lender posted a net profit after a gap of 13 quarters as additions to non-performing assets fell sharply during the quarter.

"First time NPAs reduced to ₹727 crore in Q4-2020 from the ₹1,781 crore in Q4-2019," the bank said.

"The profit would have been higher but for the recoveries which were adversely affected during March due to COVID-19 impact," said Rakesh Sharma, MD & CEO, IDBI Bank in an interaction with the media.

The net NPA ratio improved to 4.19% as on March 31, 2020 against 10.11% as on March 31, 2019 and 5.25% as on December 31, 2019. The gross NPA ratio stood at 27.53% as on March 31, 2020 against 27.47% as on March 31, 2019 and 28.72% as on December 31, 2019.

"All the parameters have shown improvement. Net NPAs have also come down and aging provisions are evenly spread so that there is no extra burden," he said.

Improved CAR

Tier 1 capital and capital adequacy ratio (CAR), which was at 10.57% and 13.31% respectively as on March 31, 2020, have improved as against 9.14% and 11.58% as on March 31, 2019.

"The bank has achieved all PCA parameters for exit, except RoA," the lender said.

While there is an overall write-back in provision of ₹1,511 crore during the quarter compared with the ₹7,233 crore provided during the fourth quarter of the previous year, a ₹247-crore provision was made against standard assets as per Reserve Bank of India (RBI) norms for moratorium accounts which are in default.

While the central bank had allowed the lenders to make the provision in two quarters, IDBI Bank had made the entire provision in the January-March quarter.

IDBI BANK LTD TIES UP WITH MAX BUPA

IDBI Bank Ltd. And Max Bupa, a Standalone Health Insurer (SAHI), signed a Bancassurance corporate agency agreement on 1 June. It is the first time that IDBI Bank has been onboarded as a Corporate Agent for a SAHI partner under Open Architecture.

आईडीबीआई बैंक की ओर से पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सेवाओं का शुभारंभ

मुंबई, कंचन केसरी। आईडीबीआई बैंक ने मुंबई के बांद्रा, ताज लैंड्स एंड में एचएनडब्ल्यू ग्राहकों के लिए पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज (पीएमएस) को लॉन्च किया। बैंक ने बैंक के एचएनडब्ल्यू ग्राहकों को पीएमएस वितरित करने के लिए अपनी सहायक आईडीबीआई कैपिटल के साथ करार किया है। यह पीएमएस 12 शहरों में हमारी शीर्ष 100 शाखाओं की ओर से दिया जाएगा। यह बैंक के वितरण उत्पाद पोर्टफोलियो को बढ़ाएगा। ग्राहकों को वांछनीय निवेश लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए फंड मैनेजर की पेशेवर पीएमएस सेवाएं दिलवाते हुए लाभान्वित किया जाएगा।

IDBI Bank brings paperless account facility for NRIs

NEW DELHI, Apr 16 (PTI)

THE Non-Resident Indians (NRIs) living in nearly 40 countries will now be able to open account in IDBI Bank without submitting paper documents, the lender said on Tuesday.

IDBI Bank has launched 'NRI-Insta-Online' account opening process for NRIs residing in Financial Action Task Force (FATF) member countries, it said in a release. The person will not be required to furnish physical documents as well as KYC proofs for opening an account with the bank. "NRIs desirous of opening account can now access the 'NRI Insta-Online' on the bank's website via web module, upload the supporting documents and choose the branch in which the account needs to be opened," IDBI Bank said.

On successful upload and verification of the scanned documents, the account is instantly opened and an electronic advice is sent to the customer.

The lender said this is a user-friendly initiative that will help NRIs open the account without any need to visit the branch or submit physical documents.

FATF is an inter-governmental body which devices policy and sets standards to promote effective implementation of legal, regulatory and operational measures to combat money laundering, terrorist financing and other related threats to the integrity of the international financial system.

The body has 38 member countries, including the US, the UK, India, Japan, China and France, among others.

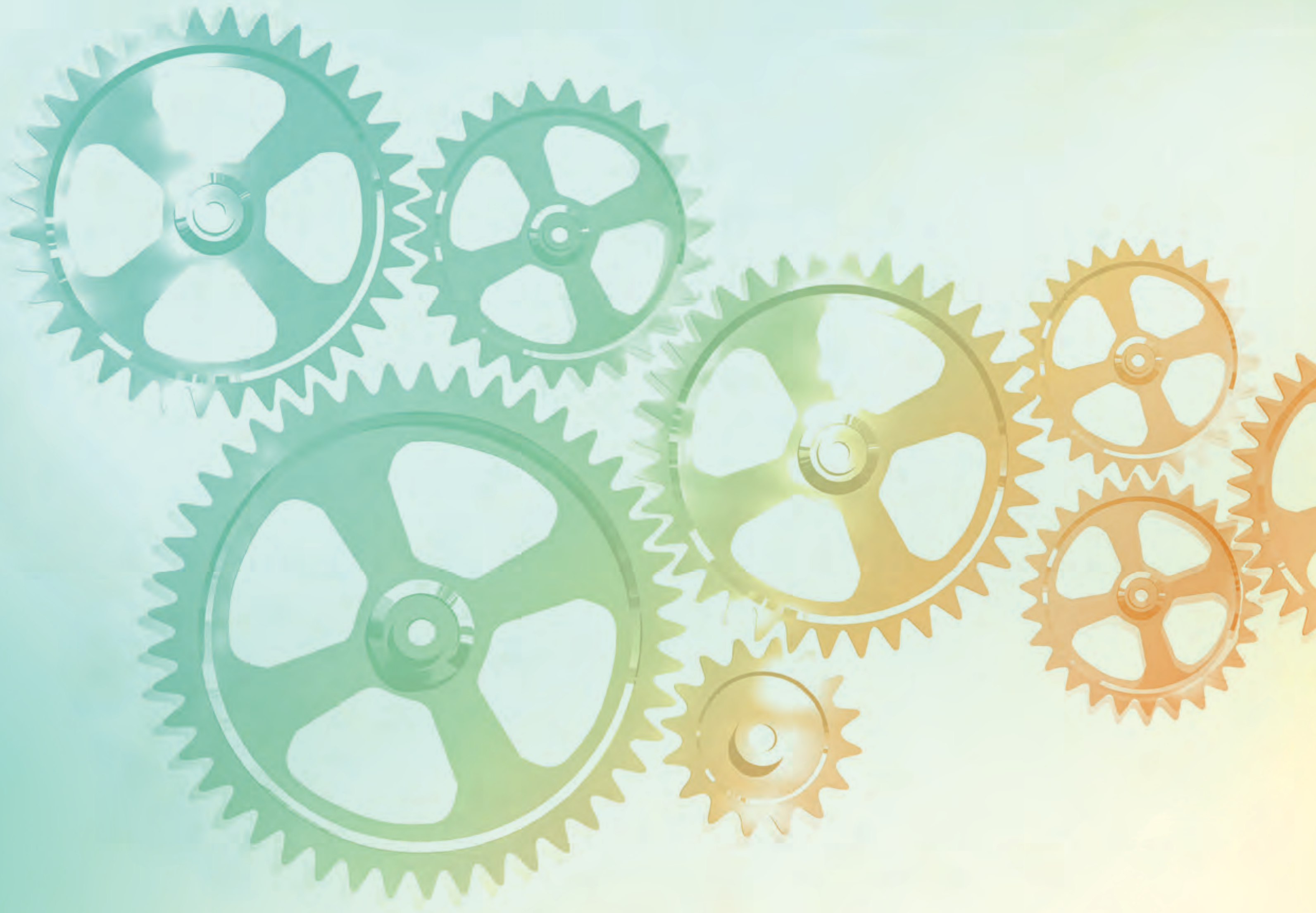

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय:
आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स,
कफ परेड, मुंबई – 400005
टोल फ्री नं.: 1800-209-4324 / 1800-22-1070.
गैर–टोल फ्री नं.: 022-67719100.

IDBI Bank Limited
Regd. Office:
IDBI Tower, WTC Complex,
Cuffe Parade, Mumbai - 400005
Toll Free Nos.: 1800-209-4324 / 1800-22-1070.
Non-Toll Free No.: 022-67719100.

www.idbibank.in @idbi_bank /IDBIBank YouTube /idbibank /idbibank

CIN - L65190MH2004GOI148838

कारोबार दायित्व रिपोर्ट

खंड अ: कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी

1.	कंपनी की कॉरपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)	L65190MH2004GOI148838
2.	कंपनी का नाम	आईडीबीआई बैंक लि.
3.	पंजीकृत पता	आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुंबई - 400005
4.	वेबसाइट	www.idbibank.in
5.	ई-मेल आईडी	idbiequity@idbi.co.in
6.	रिपोर्ट किया गया वित्तीय वर्ष	2019-20
7.	क्षेत्र जिनमें कंपनी कार्यरत है (औद्योगिक कार्यकलाप कोड-वार)	कोड: 64191 आईडीबीआई बैंक, बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा शासित एक बैंकिंग कंपनी है.
8.	तीन प्रमुख उत्पादों/ सेवाओं का उल्लेख करें जिनका कंपनी निर्माण करती है/ जिन्हें प्रदान करती है (तुलनपत्र के अनुसार)	1. खुदरा बैंकिंग; 2. कॉरपोरेट/ थोक बैंकिंग; 3. ट्रेजरी परिचालन
9.	लोकेशनों की कुल संख्या जहां कंपनी द्वारा कारोबार कार्यकलाप किए जाते हैं.	यथा 31 मार्च 2020 को बैंक की 1,892 शाखाएं हैं जिनमें से:
	क. अंतरराष्ट्रीय लोकेशनों की संख्या (प्रमुख 5 के ब्योरे दें)	क. बैंक की विदेश स्थित एक शाखा दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर (डीआईएफसी), दुबई में है तथा एक और अंतरराष्ट्रीय शाखा गुजरात अंतरराष्ट्रीय वित्त टेक-सिटी (जीआईएफटी) गुजरात, भारत में है.
	ख. राष्ट्रीय लोकेशनों की संख्या	ख. बैंक की पूरे भारत में 1,890 देशी शाखाएं परिचालन में थीं.
10.	बाजार जहां कंपनी अपनी सेवाएं देती है. (स्थानीय/ राज्य स्तरीय/ राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय)	बैंक अपनी उपस्थिति वाली सभी लोकेशनों पर ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करता है.

खंड ख: कंपनी के वित्तीय ब्योरे

1.	चुकता पूंजी (₹ करोड़ में)	₹ 10,380.59 करोड़
2.	कुल कारोबार (₹करोड़ में)	₹ 25,295.47 करोड़ (कुल आय = ब्याज आय + अन्य आय)
3.	कर पश्चात् कुल लाभ (₹ करोड़ में)	₹ (12,887.33) करोड़
4.	कर पश्चात् लाभ के प्रतिशत (%) के रूप में कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर कुल व्यय शून्य	
5.	उन कार्यकलापों की सूची जिनमें उपर्युक्त बिन्दु 4 के अंतर्गत व्यय किया गया है:- शून्य	

खंड ग: अन्य विवरण

1.	**क्या कंपनी की कोई सहायक कंपनी/ कंपनियाँ हैं?** हाँ. बैंक की पाँच देशी सहायक कंपनियां अर्थात् आईडीबीआई कैपिटल मार्केट्स एंड सिक्युरिटीज लि., आईडीबीआई एसेट मैनेजमेंट लि., आईडीबीआई एमएफ ट्रस्टी कंपनी लि., आईडीबीआई इंटेक लि. तथा आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लि. हैं.
2.	**क्या सहायक कंपनी/ कंपनियाँ मूल कंपनी के कारोबारी दायित्व पहल-कार्यों में भागीदारी करती हैं? यदि हाँ, तो ऐसी सहायक कंपनी(यों) की संख्या सूचित करें.** नहीं.

3.	**क्या अन्य कोई संस्था/ संस्थाएं (अर्थात् आपूर्तिकर्ता, वितरक आदि) हैं जिनके साथ कंपनी अपने कारोबारी दायित्व पहल-कार्यों में भागीदारी करती है? यदि हाँ, तो उस संस्था/ उन संस्थाओं का प्रतिशत सूचित करें? [30% से कम, 30-60%, 60% से अधिक].** लागू नहीं

खंड घ: कारोबार दायित्व संबंधी जानकारी

1. कारोबारी दायित्व के लिए उत्तरदायी निदेशक / निदेशकों के ब्योरे

क.	**कारोबार दायित्व नीति / नीतियों के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी निदेशक / निदेशकों के ब्योरे**	
	डीआईएन संख्या	03022106
	नाम	श्री सुरेश खटनहार
	पदनाम	उप प्रबंध निदेशक
ख.	**कारोबार दायित्व प्रमुख के ब्योरे**	
	डीआईएन संख्या	0056167
	नाम	डॉ. सौम्य शंकर बॅनर्जी
	पदनाम	कार्यपालक निदेशक
	टेलिफोन नं.	+91-22-22155748
	ई-मेल आईडी	ss.banerjee@idbi.co.in

2. सिद्धांत-वार (एनवीजी के अनुसार) कारोबार दायित्व नीति/ नीतियां

क. अनुपालन ब्योरे (हाँ/ नहीं में उत्तर दें)

क्रम सं.	**प्रश्न**	**पी1**	**पी2**	**पी3**	**पी4**	**पी5**	**पी6**	**पी7**	**पी8**	**पी9**
i.*	क्या आपके पास .... के लिए नीति/ नीतियाँ हैं?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
ii.	क्या यह नीति संबंधित हितधारकों के परामर्श से बनाई गई है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
iii.**	क्या यह नीति राष्ट्रीय/ अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हाँ, तो निर्दिष्ट करें? (50 शब्दों में)	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
iv.	क्या नीति बोर्ड द्वारा अनुमोदित है? यदि हाँ, तो क्या इस पर एमडी/ स्वामी/ सीईओ/ उपयुक्त बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
v.	क्या कंपनी में नीति के कार्यान्वयन के निरीक्षण के लिए बोर्ड/ निदेशक/ अधिकारी की विनिर्दिष्ट समिति है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
vi.	नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक का उल्लेख करें.	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ$	हाँ#
vii.	क्या नीति के बारे में सभी संबंधित आंतरिक तथा बाह्य हितधारकों को औपचारिक रूप से सूचना दी गई है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
viii.	क्या नीति/ नीतियों के कार्यान्वयन के लिए कंपनी के पास आंतरिक संरचना है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
ix.	क्या कंपनी के पास नीति/ नीतियों के संबंध में हितधारकों की शिकायतों को दूर करने के लिए शिकायत निवारण व्यवस्था है?	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	हाँ	नहीं	हाँ	हाँ
x.	क्या कंपनी ने इस नीति के बारे में कार्यों का आंतरिक या बाह्य एजेंसी द्वारा स्वतंत्र लेखापरीक्षण/ मूल्यांकन कराया है?	नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विभिन्न विभागों के प्रमुख उत्तरदायी हैं. अनुपालन विभाग रिजर्व बैंक द्वारा अधिदेशित नीतियों के कार्यान्वयन के अनुपालन की निगरानी करता है.								

नोट:

*** *बैंक की विभिन्न नीतियाँ, जिन्हें औपचारिक रूप से लागू किया जाता है, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बैंक के विभिन्न कार्य को अभिशासित करती हैं.*

**** *बैंक की नीतियाँ विनियामक तथा सांविधिक निकायों द्वारा जारी दिशानिर्देशों के समान हैं और इसलिए राष्ट्रीय मानक के अनुरूप हैं.*

$ *सीएसआर नीति के लिए लिंक - https://www.idbibank.in/pdf/CSR-Policy.pdf*

*बैंक की नीति/यां जैसे ग्राहक अधिकार नीति, शिकायत निवारण नीति, नागरिक चार्टर तथा बीसीएसबीआई कोड ग्राहक शिक्षा के अंतर्गत इस लिंक: https://www.idbibank.in/customer-care-centre.asp के माध्यम से जनता के लिए उपलब्ध है.*

ख. यदि किसी भी सिद्धांत के संबंध में क्रम संख्या 2 का उत्तर 'नहीं' है तो कृपया कारण बताएं: (2 विकल्पों तक टिक करें)

संख्या	प्रश्न	
i.	कंपनी ने सिद्धांतों को नहीं समझा है.	पी7 के लिए नीति नहीं होने का कारण:
ii.	कंपनी ऐसे चरण में नहीं है जिसमें वह स्वयं को विनिर्दिष्ट सिद्धांतों पर नीतियाँ बनाने तथा उन्हें कार्यान्वित करने की स्थिति में पाए.	बैंक में पी7 के लिए कोई दस्तावेजीकृत नीति नहीं है. तथापि, यह हमेशा विनियामकों तथा नीति निर्माताओं के साथ जिम्मेदारीपूर्वक जुड़ा रहा है. बैंक विकास वित्तपोषण के क्षेत्र में अग्रणी रहा है तथा इसने भारत के वित्तीय ढांचे की स्थापना में मुख्य भूमिका निभाई है. इसके अलावा बैंक, बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों, वित्तीय समावेशन आदि के क्षेत्रों में सुधार के लिए नीति निर्माताओं से जुड़ा रहा है.
iii.	कंपनी के पास कार्य को पूरा करने के लिए वित्तीय या श्रमशक्ति संसाधन उपलब्ध नहीं हैं.	
iv.	यह कार्य अगले 6 माह के भीतर करने की योजना है.	
v.	यह कार्य अगले 1 वर्ष के भीतर करने की योजना है.	
vi.	अन्य कोई कारण (कृपया स्पष्ट करें)	

3. कारोबार दायित्व संबंधी अभिशासन

क.	**कंपनी के निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति या सीईओ द्वारा कंपनी के कारोबार दायित्व कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन की बारंबारता का उल्लेख करें. 3 माह के भीतर, 3-6 माह, वार्षिक रूप से, 1 वर्ष से अधिक.**	बैंक का कारोबार दायित्व कार्यनिष्पादन बोर्ड के समक्ष वार्षिक आधार पर प्रस्तुत किया जाता है.
ख.	**क्या कंपनी कारोबार दायित्व या निरंतरता रिपोर्ट प्रकाशित करती है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपरलिंक क्या है? इसे कितने अंतराल पर प्रकाशित किया गया है?**	हाँ. बैंक कारोबार दायित्व रिपोर्ट प्रकाशित करता है. कारोबार दायित्व रिपोर्ट https://www.idbibank.in/business-responsibility-report.asp पर देखी जा सकती है. यह रिपोर्ट बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के एक भाग के रूप में वार्षिक आधार पर प्रकाशित की जा रही है.

खंड ङ: सिद्धांत-वार कार्यनिष्पादन

सिद्धांत 1 : कारोबार का संचालन और प्रबंधन अपने आप में आचार नीति, पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ होना चाहिए

क. क्या आचार नीति, घूसखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल कंपनी को शामिल करती है? हाँ/नहीं. क्या यह समूह/ संयुक्त उद्यमों/ आपूर्तिकर्ताओं/ संविदाकारों/ एनजीओ/ अन्य पर लागू होती है?

आईडीबीआई बैंक घूस, भ्रष्टाचार और अन्य सतर्कता मामलों के संबंध में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा जारी नीति/ दिशानिर्देशों द्वारा प्रशासित है. बैंक के पास भ्रष्टाचार, अनाचार और निधियों के गबन तथा दुर्विनियोजन की जांच के लिए प्रभावी व्यवस्था है. बैंक ने सतर्कता संबंधी मामलों के निपटान के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशानिर्देशों के अनुरूप आंतरिक दिशानिर्देश और प्रक्रियाएं तैयार की हैं. इसके सभी कर्मचारियों की सुविधा के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा सामान्य रूप से सतर्कता मामले के लिए तथा विशिष्ट रूप से बैंकों के लिए जारी अद्यतन परिपत्र/ दिशानिर्देश बैंक के इंट्रानेट पर रखे गए हैं. साथ ही, इन दिशानिर्देशों को बैंक के लिए सतर्कता मैनुअल के रूप में संकलित किया गया है जिसे नियमित आधार पर अद्यतन किया जाता है और बैंक के इंट्रानेट पर रखा जाता है.

बैंक में निवारक सतर्कता को मजबूत बनाने के उद्देश्य से सतर्कता विभाग की वार्षिक कार्य योजना (एएपी) प्रत्येक वित्तीय वर्ष में तैयार की जाती है जिसमें मुख्यत: निवारक सतर्कता पर ध्यान केंद्रित करते हुए अपनाई जानेवाली गतिविधियों का विस्तार से वर्णन रहता है.

सीवीसी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक की पाँच सहायक संस्थाओं में भी सतर्कता व्यवस्था स्थापित की गई है. यह सतर्कता व्यवस्था आईडीबीआई बैंक के मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) को जवाबदेही रिपोर्टिंग सहित संबंधित सहायक संस्था के प्रमुख को सीधे रिपोर्ट करती है.

ख. पिछले वित्तीय वर्ष में हितधारकों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनमें से प्रबंधन द्वारा कितने प्रतिशत का संतोषजनक रूप से समाधान किया गया है? यदि ऐसा है तो करीब 50 शब्दों में उनके ब्योरे दें.

वर्ष 2019-20 के दौरान, सतर्कता विभाग को 96 शिकायतें प्राप्त हुई. इन सभी शिकायतों की जांच/छानबीन विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा सतर्कता की दृष्टि से की गई और सीवीओ की सहमति से 61 शिकायतों का संतोषजनक समाधान किया गया. इस प्रकार वर्ष 2019-20 के दौरान 63.5% प्राप्त शिकायतों का संतोषजनक समाधान किया गया.

वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक ने कुल 20,336 ग्राहक शिकायतों पर कार्रवाई की. इनमें से 20,145 ग्राहक शिकायतें वर्ष 2019-20 के दौरान प्राप्त हुई थीं और 191 शिकायतें वर्ष 2018-19 की थीं. यथा दिनांक 31 मार्च 2020 तक सभी शिकायतों में से 20,134 अर्थात् लगभग 99% शिकायतों का निवारण किया जा चुका था तथा 202 शिकायतें निपटान के लिए लंबित थीं. बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित *'शिकायत निवारण नीति'* लागू की है जो निर्धारित समय-सीमा के भीतर शिकायतों के निवारण के प्रति बैंक के दृष्टिकोण और प्रतिबद्धता को दर्शाती है.

वर्ष 2019-20 के दौरान बैंक को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न के संबंध में 12 (बारह) शिकायतें प्राप्त हुईं जिनका आवश्यक जांच के बाद समाधान कर दिया गया. यथा 31 मार्च 2020 को 5 (पाँच) शिकायतें समाधान के लिए लंबित थी जिनमें से एक 2020 के पहले की थी.

अप्रैल 2019 से मार्च 2020 वर्ष के लिए निवेशक शिकायतों के ब्योरे निम्नानुसार हैं:

क्रम संख्या	विवरण	इक्विटी शेयर	फ्लेक्सी बॉण्ड	कुल
1.	वर्ष के आरंभ में निवेशकों की लंबित शिकायतें	1	1	2
2.	वर्ष के दौरान निवेशकों से प्राप्त शिकायतें	1,699	3,369	5,068
3.	वर्ष के दौरान निपटाई गई निवेशक शिकायतें	1,699	3,369	5,068
4.	निवेशकों की शिकायतें जिनका वर्ष की समाप्ति तक समाधान नहीं हो पाया	1	1	2

सिद्धांत 2 : कारोबार द्वारा ऐसे उत्पाद और सेवाएँ प्रदान की जानी चाहिए जो सुरक्षित हों और अपने संपूर्ण जीवन चक्र के दौरान दीर्घकालिक रूप से फायदेमंद हों

क. आपके 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची दें जिनको तैयार करने में सामाजिक या पर्यावरण सरोकार, जोखिम और/या अवसरों का ध्यान रखा गया है.

एक कर्तव्यनिष्ठ कॉरपोरेट इकाई के रूप में आईडीबीआई बैंक अपने प्रस्तावों के ज़रिये विभिन्न हितधारकों के कल्याण के लिए प्रयास करता है. बैंक द्वारा प्रस्तावित कुछ ऐसी पेशकश निम्न प्रकार हैं:

- 2019-20 में, बैंक ने चक्रवात प्रभावित ओडिशा तथा केरल और कर्नाटक में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में खुदरा ग्राहकों के लिए सद्भावना के रूप में तथा संबंधित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) के दिशा-निर्देशों के अनुसार विभिन्न उपाय किए. कुछ उपाय इस प्रकार हैं:
    - o बैंक ने 1 वर्ष की आवश्यकता-आधारित अधिस्थगन अवधि को बढ़ा दिया और तदनुसार किश्तों का पुनर्निर्धारण किया. बैंक ने प्राथमिक आवास ऋण के मौजूदा ग्राहकों को अपने मकान की मरम्मत व नवीकरण के लिए लोन टू वैल्यु (एलटीवी) मानदंडों के अधीन 25% तक की मार्जिन राशि माफ कर दी.
    - o शिक्षा ऋण के लिए, बैंक ने ऐसी मानक संपत्तियों के मामले में 6 महीने के लिए ऋण स्थगन बढ़ा दिया था, जिनका पुनर्भुगतान शुरूहो गया है और तदनुसार किश्तों को पुनर्निर्धारित किया.
    - o बैंक ने ओडिशा में फानी चक्रवात द्वारा तबाह हुए इलाकों में स्थित अपनी 51 शाखाओं के खाताधारकों के लिए अप्रैल-जून 2019 की अवधि में सावधि जमाओं को अवधि समाप्ति से पहले बंद करने संबंधी प्री-मैच्योर क्लोजर पर न्यूनतम बैलेंस चार्ज और पेनल्टी भी माफ कर दी.
- बैंक नेशनल हैंडिकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (एनएचएफडीसी) के तहत निःशक्त छात्रों को विशेष ब्याज दर पर शिक्षा ऋण प्रदान करता है.
- बैंक अक्षय ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए, आवास ऋणों के अंतर्गत छत पर सौर पीवी लगाने के लिए उपकरण खरीदने की लागत का वित्तपोषण करने के लिए अनुमति देता है.
- बैंक ने अपने ऋण केंद्रों को दिव्यांग आवेदकों, महिलाओं (विधवाओं, सिंगल कामकाजी महिलाओं को वरीयता देते हुए), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) / निम्न आय वर्ग (एलआईजी), अनुसूचित जाति (अजा) / अनुसूचित जनजाति (अजजा) / अन्य पिछड़े वर्ग (अपिव) और ट्रांसजेंडर समुदाय के आवेदकों के लिए आवास ऋण आवेदनों की कार्रवाई में प्राथमिकता देने के लिए आदेश जारी किए.

- बैंक ने आरबीआई कोविद-19 राहत उपायों के मद्देनजर सभी पात्र एसआरए ग्राहकों के लिए समान मासिक किस्त (ईएमआई) ऋण स्थगन राहत प्रदान करने का निर्णय लिया है, सिवाय उन ग्राहकों को छोड़कर जो विशेष रूप से ऋण स्थगन राहत से बाहर निकलने का अनुरोध करते हैं. यह छूट 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 के दौरान ईएमआई के लिए लागू है.
- डिजिटल फंड अभियान को बढ़ावा देने के बैंक के प्रयास के तहत, बैंक ने शाखा चैनल के माध्यम से आरटीजीएस / एनईएफटी लेनदेन के लिए शुल्क को कम कर दिया है और बचत बैंक खाते द्वारा एनईएफटी के माध्यम से ऑनलाइन धन अंतरण के लिए शुल्क से पूरी तरह से छूट दे दी है.
- बैंक ने 'आईडीबीआई कुटुम्ब - परिवार बैंकिंग' की एक अनूठी अवधारणा पेश की है जिसके तहत परिवार का प्रमुख सदस्य पूरे परिवार के खातों की ओर से शेष राशि बनाए रख सकता है, जिससे परिवार के बाकी सदस्यों को अपने-अपने स्तर पर न्यूनतम शेष राशि बनाए रखने की अनिवार्यता से छूट मिल सके.
- बैंक ने 'आईडीबीआई सूर्य शक्ति' नामक एक उत्पाद प्रस्तुत किया है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों में व्यक्तियों, किसानों, एसएचजी, आदि को सौर जल हीटर, सौर प्रकाश प्रणाली और सौर जल पंपों की खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके घरेलू और कृषि बिजली आवश्यकता में नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करना है.
- बैंक आर्थिक रूप से कमजोर और अभावग्रस्त पृष्ठभूमि की महिला उद्यमियों के उत्थान के लिए महिला स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) / संयुक्त देयता समूहों (जेएलजी) के लिए सूक्ष्म ऋण प्रदान करता है. यह ऋण छोटे और सीमांत किसानों, भूमिहीन मजदूरों, कारीगरों, आदि को भी उनकी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए दिया जाता है.
- बैंक निर्माण, गहरी खुदाई, बोरवेलों के नवीनीकरण, तेल इंजन की खरीद, इलेक्ट्रिक मोटर्स / पंप लगाने, स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाने आदि विभिन्न सिंचाई सुविधाओं के लिए वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है. यह उत्पाद निर्धन एवं वंचित किसानों को कम पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में फसलों की खेती करने में मदद करता है ताकि उन्हें कुछ आय हो सके.

ख. प्रत्येक ऐसे उत्पाद के लिए, उत्पादों की इकाई (वैकल्पिक) के अनुसार संसाधन (ऊर्जा, जल, कच्चा माल आदि) उपयोग के संबंध में निम्नलिखित ब्योरे प्रदान करें:

i. मूल्य श्रृंखला तक पिछले वर्ष से प्राप्त किए गए सोर्सिंग/उत्पादन/ वितरण के दौरान प्राप्त गिरावट

ii. पिछले वर्ष से प्राप्त किए गए ग्राहकों (ऊर्जा, जल) द्वारा उपयोग के दौरान गिरावट

लागू नहीं

ग. क्या कंपनी के पास धारणीय स्रोत (परिवहन सहित) हेतु प्रक्रिया है?

i. यदि है तो धारणीय स्रोतों में आपका कितना प्रतिशत था? साथ ही, इस संबंध में 50 शब्दों या अधिक में ब्योरे प्रदान करें.

लागू नहीं

घ. क्या कंपनी ने स्थानीय और छोटे उत्पादकों, कार्यस्थल के आस-पास रहने वाले समुदायों को शामिल करते हुए, से वस्तु तथा सेवाएं खरीदने हेतु कोई कदम उठाए हैं?

i. यदि हां, तो स्थानीय तथा छोटे वेंडरों की क्षमता तथा योग्यता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए?

लागू नहीं

ङ. क्या कंपनी के पास उत्पादों तथा रद्दी को पुन: प्रयोग करने हेतु प्रणाली है? यदि हाँ तो उत्पादों तथा रद्दी के पुन: प्रयोग का क्या प्रतिशत है (अलग से <5%,5-10%,>10%). साथ ही, इस संबंध में 50 शब्दों या अधिक में ब्योरे प्रदान करें.

लागू नहीं

सिद्धांत 3 : कारोबार सभी कर्मचारियों के लिए हितकारी होना चाहिए

क. कृपया कुल कर्मचारियों की संख्या दर्शाएँ (31 मार्च 2020 के अनुसार)

17,723 (इनमें अधिकारी संवर्ग में बैंक में संविदा रोजगार पर 14 कर्मचारी तथा संविदा पर 1,041 एग्जीक्यूटिव शामिल)

ख़. कृपया अस्थाई/ संविदा / अनियत आधार पर काम पर लिए गए कर्मचारियों की कुल संख्या दर्शाएँ (31 मार्च 2020 के अनुसार)

1,055 (इनमें संविदा आधार पर 14 अधिकारी तथा 1,041 एग्जीक्यूटिव शामिल)

ग. कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या दर्शाएँ. (31 मार्च 2020 के अनुसार)

4,658

घ. कृपया दिव्यांग स्थायी कर्मचारियों की संख्या दर्शाएँ (31 मार्च 2020 के अनुसार)

335

ङ क्या आपके पास कर्मचारी संघ है जो प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त है:

आपके बैंक ने तीन कामगार यूनियन को मान्यता दी है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

- ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन - 464
- इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक वर्कर्स यूनियन -186
- आईडीबीआई कर्मचारी संघ - 419

च. इन मान्यताप्राप्त कर्मचारी संघ के सदस्यों में आपके स्थायी कर्मचारियों का कितना प्रतिशत है?

- ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स एम्प्लोयीज़ एसोसिएशन - 38.38%
- इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक वर्कर्स यूनियन -15.38%
- आईडीबीआई कर्मचारी संघ - 34.66%

छ. कृपया पिछले वित्तीय वर्ष में तथा पिछले वित्तीय वर्ष के अंत में लंबित बाल मजदूरी, जबरन मजदूरी, अनैच्छिक मजदूरी, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों की संख्या दर्शाएँ.

क्रम संख्या	श्रेणी	2019-20 के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	2019-20 के अंत तक लंबित पड़ी शिकायतों की संख्या
i.	बाल मजदूरी, जबरन मजदूरी, अनैच्छिक मजदूरी	शून्य	शून्य
ii.	यौन उत्पीड़न	12	5
iii.	भेद-भावपूर्ण रोजगार	शून्य	शून्य

ज. आपके द्वारा नीचे दिये गए कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत को पिछले वर्ष में सुरक्षा तथा कौशल विकास प्रशिक्षण दिया गया?

क्रम संख्या	श्रेणी	कर्मचारियों की संख्या
i.	स्थायी कर्मचारी	67.62%
ii.	स्थायी महिला कर्मचारी	68.93%
iii.	अनियमित/अस्थायी/संविदागत कर्मचारी	79.58%
iv.	शारीरिक रूप से दिव्यांग कर्मचारी	79.68%

सिद्धांत 4: कारोबार को सभी हितधारकों के हितों का ध्यान रखना चाहिए और विशेष रूप से उनके प्रति जवाबदेह होना चाहिए, जो सुविधाहीन, कमजोर तथा हाशिए पर हैं.

क. क्या कंपनी ने अपने आंतरिक और बाह्य हितधारकों को मैप किया है? हाँ/ नहीं

हाँ.

ख. उपर्युक्त में से कंपनी ने सुविधाहीन, कमजोर और हाशिए पर हितधारकों की पहचान की है?

हाँ.

ग. क्या कंपनी ने सुविधाहीन, कमजोर और हाशिए के हितधारकों से संबद्ध कोई विशेष पहल की है? यदि हाँ, तो उनके बारे में करीब 50 शब्दों में ब्योरा दें.

बैंक जहां सभी ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं, बैंक यह भी सुनिश्चित करता है कि निःशक्त ग्राहकों,वरिष्ठ नागरिकों, निरक्षर व्यक्तियों और पेंशनभोगियों जैसे विशेष ग्राहकों की शिकायतों पर प्राथमिकता आधार पर कार्रवाई की जाए. इस पहलू को बैंक की शिकायत निवारण नीति में भी शामिल किया गया है.

भारत सरकार की मौजूदा आरक्षण नीति का बैंक पूरी तरह अनुपालन करता है. बैंक ने अनुसूचित जाति (अजा)/ अनुसूचित जनजाति (अजजा)/ शारीरिक रूप से दिव्यांग (पीडब्ल्यूडी) और अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) कर्मचारियों के लिए महा प्रबंधक और उप महा प्रबंधक रैंक के मुख्य संपर्क अधिकारियों (सीएलओ) और अंचल संपर्क अधिकारियों (जेडएलओ) को नियुक्त किया है, जो आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों से संबंधित विभिन्न दिशानिर्देशों का अनुपालन और उनकी शिकायतों के प्रभावी निवारण को सुनिश्चित करते हैं. भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक पीडब्ल्यूडी के लिए अलग रोस्टर रखता है.

सिद्धांत 5: कारोबार को मानवाधिकारों का सम्मान करना चाहिए तथा उन्हें बढ़ावा देना चाहिए

क. क्या मानवाधिकारों पर कंपनी की नीति केवल कंपनी पर लागू होती है या यह समूह/ संयुक्त उद्यमों/ आपूर्तिकर्ताओं/ संविदाकारों/ एनजीओ/ अन्य पर भी लागू होती है?

बैंक के पास मानवाधिकारों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संरक्षित करने वाली विभिन्न नीतियाँ हैं. यह नीतियाँ केवल बैंक के परिचालन पर लागू होती हैं तथा सहायक संस्थाओं, आपूर्तिकर्ताओं, संविदाकारों, एनजीओ आदि पर लागू नहीं होती हैं.

ख. पिछले वित्तीय वर्ष में कितनी हितधारक शिकायतें प्राप्त हुईं तथा प्रबंधन द्वारा संतोषजनक रूप से निपटाई गई शिकायतों का प्रतिशत कितना रहा?

हितधारकों की शिकायतों के लिए कृपया सिद्धांत 1 के अंतर्गत बिंदु ख का जवाब देखें.

सिद्धांत 6: कारोबार को पर्यावरण का ध्यान रखना चाहिए, इसकी रक्षा करनी चाहिए तथा इसमें सुधार का प्रयास करना चाहिए

क. क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल कंपनी पर लागू होती है या यह समूह/ संयुक्त उद्यमों/ आपूर्तिकर्ताओं/ संविदाकारों/ एनजीओ/ अन्य पर भी लागू होती है?

बैंक ई-अपशिष्ट प्रबंधन, कागजरहित इको-फ्रेंडली तकनीक के प्रयोग, ऊर्जा संरक्षण आदि जैसे उपायों को लागू कर पर्यावरण का ध्यान रखता है, इसकी रक्षा करता है और इसमें सुधार के प्रयास करता है. साथ ही, बैंक पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी और 1 मई 2012 से प्रभावी ई-अपशिष्ट (प्रबंधन तथा निपटान) नियमावली, 2011, का भी पालन कर रहा है. बैंक की ई-वेस्ट प्रबंधन नीति उपर्युक्त सिद्धांत 6 के संबंध में वेंडर पर भी लागू होती है.

ख. क्या कंपनी के पास जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि जैसे वैश्विक पर्यावरण संबंधी मुद्दों के निपटान के लिए रणनीतियाँ/ पहल कार्य हैं? हाँ/ नहीं. यदि हाँ तो कृपया वेबपेज आदि का हाइपर लिंक बताएं.

बैंक ने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कई पहल की हैं. इस संबंध में बैंक द्वारा की गयी कुछ पहल निम्नलिखित हैं:

- **बिजली संरक्षण:** बैंक के मुंबई स्थित प्रधान कार्यालय और सीबीडी-बेलापुर, नवी मुंबई में पारंपरिक बिजली उपकरणों को हटाकर उनकी जगह ऊर्जा कुशल एलईडी लाइट फिक्स्चर / लैंप / ट्यूब लगा दिए गए हैं ताकि बिजली की खपत को कम किया जा सके. बिजली की खपत को युक्तिसंगत बनाने और केबिन लाइटिंग को नियंत्रित करने के लिए ऑक्यूपेंट सेंसर का उपयोग किया गया है. बैंक की शाखाओं में नए साइनेज एलईडी लाइटों से सुसज्जित किए जा रहे हैं. इसके अलावा, सभी नई या पुनर्निर्मित शाखाओं के लिए, पारंपरिक फ्लोरोसेंट / पीएल लैंप के स्थान पर एलईडी रोशनी का उपयोग किया जा रहा है. जवाहरलाल नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस (जेएनआईबीएफ), हैदराबाद में बैंक की नई आवासीय इमारतों में तथा नई दिल्ली में एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड द्वारा विकसित अपने नए कार्यालय भवन और आवासीय फ्लैटों में कॉमन प्रकाश व्यवस्था के लिए सोलर पैनल लगाए गए हैं. इसके अलावा, जेएनआईबीएफ एनेक्सी, हैदराबाद में नए फ्लैटों में एलईडी लाइटें प्रदान की गई हैं.
- **जल संरक्षण के उपाय:** जेएनआईबीएफ एनेक्सी, हैदराबाद में आवासीय परिसर में जल संचयन की सुविधा प्रदान की गई है. मुंबई में बैंक के प्रधान कार्यालय में सभी वाशरूम को जल संरक्षण के लिए सेंसर-आधारित नल और मूत्रालय फ्लश वाल्व लगाने के लिए पुनर्निर्मित किया गया है.
- **अपशिष्ट उपचार:** बैंक ने स्वच्छ भारत पहल के रूप में मेकर कुंदन गार्डेन, जुहू स्थित अपने स्टाफ क्वार्टर में नॉन-हैजर्डस गीला अपशिष्ट के उपचार और निपटान की प्रणाली स्थापित की है. स्थापित नई प्रणाली पर्यावरण के अनुकूल है, जो एक एरोबिक प्रक्रिया के माध्यम से 45 दिनों में प्राकृतिक रूप से गीले कचरे को खाद बनाती है. उपकरण में संग्रह और डिवाटरिंग डिब्बे, अपशिष्ट टम्बलर और गार्डन एक्यूम्युलेटर्स होते हैं. बिजली की खपत प्रति माह 1 केडबल्यूएच से कम है और इसमें 300 वर्ग फुट की जगह लगती है. इससे उत्पन्न खाद का उपयोग परिसर में बगीचे में खाद के रूप में किया जाता है. बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) के अधिकारियों ने इस सुविधा का निरीक्षण करते हुए बैंक के प्रयासों की सराहना की. इस प्रणाली को विभिन्न विश्वविद्यालयों के इंजीनियरिंग छात्रों द्वारा उनकी शैक्षिक परियोजना के रूप में एक केस स्टडी के रूप में भी लिया गया है.
- **कागज़ के प्रयोग में कमी:** बैंक ने अपनी कई कारोबारी प्रक्रियाओं को स्वचालित कर दिया है. बैंक ने अपने अधिकांश स्टाफ संबंधित कार्यों को स्वचालित कर दिया है जिनमें वेतन, लाभ, दावों का भुगतान, उपस्थिति दर्ज करना, कार्यनिष्पादन मूल्यांकन और कई अन्य प्रशिक्षण सामग्री आदि शामिल हैं. इसके अलावा बैंक कागज़ की खपत को हर संभव कम करने के लिए कागज़ रहित बैठकें आयोजित करता है. जहां भी संभव है बैंक आंतरिक संप्रेषण (अनुमोदन, परिपत्र आदि), ग्राहक के साथ बाह्य संप्रेषण (खाते की मासिक विवरणी, ई-मेलर आदि), शेयरधारक (वार्षिक रिपोर्ट), विनियामकों, सरकारों आदि के लिए कागज़ आधारित मीडिया के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग कर रहा है. बैंक ने 'ग्रीन पिन' सुविधा के माध्यम से डेबिट कार्ड पिन जनरेशन की प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है, जिसमें ग्राहक इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पांस (आईवीआर), ऑटोमेटेड टेलर मशीन (एटीएम), मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन या इंटरनेट बैंकिंग सुविधा, एसएमएस और मिस्ड कॉल सुविधा का उपयोग करके अपना पिन जनरेट कर सकते हैं. इसी तरह, बैंक ने खुदरा ग्राहकों के लिए इंटरनेट बैंकिंग के लिए पासवर्ड की छपाई भी बंद कर दी है और अब ग्राहक को पासवर्ड ऑनलाइन जेनरेट करने की अनुमति दी जाती है. इसके अलावा, बैंक डिजिटल प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) को भी बढ़ावा दे रहा है, जहां लेनदेन का प्रमाण डिजिटल रूप से प्रेषित किया जाता है.

- **ई-वेस्ट प्रबंधन:** पुराने आईटी उपकरणों के निपटान से संभावित पर्यावरणीय जोखिम को ध्यान में रखते हुए, बैंक ने बोर्ड-अनुमोदित ई-वेस्ट प्रबंधन नीति का दस्तावेजीकरण किया और उसे लागू किया है और पुराने आईटी उपकरणों के सुरक्षित निपटान हेतु वेंडरों को नियुक्त किया है.
- **सर्वर का आभासीकरण:** डेटा केंद्र में सर्वर के फुटप्रिंट कम करने के लिए बैंक ने सर्वर वर्च्युलाइजेशन मैकेनिज्म लागू किया है जिसके माध्यम से वर्च्युलाइज्ड पर्यावरण में एप्लिकेशन को रख कर कई भौतिक सर्वरों में काफी कमी की गई है. इसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा की खपत और ऊष्मा के उत्सर्जन में कमी हुई है.
- **सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना:** अक्षय ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में सौर ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए, बैंक आवास ऋणों के वित्तपोषण के लिए छतों पर सौर पीवी स्थापित करने के लिए उपकरण खरीदने की लागत को शामिल करने की अनुमति देता है.

बैंक द्वारा की गयी कई पहल बैंक द्वारा प्रकाशित कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट में दर्शाई गयी हैं. कारोबार उत्तरदायित्व रिपोर्ट को https://www.idbibank.in/business-responsibility-report.asp पर देखा जा सकता है.

ग. क्या कंपनी संभाव्य पर्यावरणीय जोखिम की पहचान तथा आकलन करती है? हाँ/ नहीं.

हाँ. पर्यावरणीय जोखिम आकलन बैंक की ऋण मूल्यांकन प्रणाली का एक अभिन्न हिस्सा है. मौजूदा ऋण जोखिम निगरानी नीति मंजूरी पत्र में उपयुक्त शर्तों का निर्धारण कर व्यापक रूप से यह सुनिश्चित करती है कि सभी सहायताप्राप्त ग्राहक स्थायी आधार पर पर्यावरण संबंधी सुरक्षा तथा प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित विनियामकीय दिशानिर्देशों का अनुपालन करें.

हाँ, बैंक के पास सुव्यवस्थित ई-अपशिष्ट प्रबंधन नीति है जिसका कर्तव्यनिष्ठा के साथ पालन किया जाता है.

घ. क्या कंपनी के पास स्वच्छता विकास तंत्र से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हाँ, तो लगभग 50 शब्दों में इसका विवरण दें. साथ ही, यदि हाँ, तो क्या कोई पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है?

बैंक द्वारा वर्ष 2019-20 के दौरान इस संबंध में कोई नई पहल नहीं की गई.

ङ. क्या कंपनी ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि पर कोई अन्य पहल की है? हाँ/नहीं. यदि हाँ, कृपया वेबपेज आदि के लिए हाइपर लिंक प्रदान करें.

बैंक द्वारा की गई पहलों के लिए कृपया सिद्धांत 6 के अंतर्गत बिंदु ख का उत्तर देखें.

च. क्या रिपोर्ट किए जा रहे वित्तीय वर्ष में कंपनी द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन/ अपशिष्ट केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) / राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर हैं?

सेवा क्षेत्र में होने के कारण बैंक के परिचालनों से न्यूनतम उत्सर्जन/ अपशिष्ट उत्सर्जित होता है.

छ. सीपीसीबी/ एसपीसीबी से प्राप्त कारण बताओ/ कानूनी नोटिसों की संख्या जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लंबित (अर्थात् जिनका संतोषजनक समाधान नहीं हुआ है) हैं.

शून्य.

सिद्धांत 7: जब कारोबार जनता और विनियामक नीति को प्रभावित करने में लगे हों, तो उन्हें यह जिम्मेदारी पूर्वक करना चाहिए.

क. क्या आपकी कंपनी किसी व्यापार मंडल (ट्रेड चैम्बर) अथवा संघ की सदस्य है? यदि हाँ, तो केवल वे मुख्य नाम बताएं जिनके साथ आपका कारोबार किया जाता है:

हाँ.

कुछ संस्थाएं/ संघ जिनका आईडीबीआई बैंक सदस्य है, निम्नानुसार हैं:

- भारतीय बैंक संघ (आईबीए)
- भारतीय बैंकिंग और वित्त संस्थान (आईआईबीएफ)
- राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान (एनआईबीएम)

ख. क्या आपने सार्वजनिक प्रगति के लिए अथवा सुधार के लिए उपरोक्त संघों के ज़रिये हिमायत/ लॉबी की है? हाँ/ नहीं; यदि हाँ तो प्रमुख क्षेत्रों का उल्लेख करें (ड्रॉप बॉक्स: अभिशासन तथा प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, धारणीय कारोबार सिद्धांत, आदि)

बैंक, बैंकिंग, वित्तीय समावेशन आदि के क्षेत्रों में सुधार हेतु हमेशा से विनियामकों तथा नीति निर्माताओं और उद्योग निकायों जैसे कि आईबीए के साथ जिम्मेदारीपूर्वक कार्यरत है.

सिद्धांत 8: कारोबार को समावेशी वृद्धि और साम्यिक विकास में सहयोगी होना चाहिए

क. क्या सिद्धांत 8 के संबंध में नीति के अनुसार कंपनी के पास कोई निर्दिष्ट कार्यक्रम/ पहल-कार्य/ परियोजना है. यदि हाँ, तो उनके ब्योरे.

बैंक ने वित्तीय समावेशन के एजेंडा को बढ़ाने के लिए नीति निर्माताओं के साथ सक्रिय रूप से साझेदारी की है. इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बैंक ने कई कदम उठाए हैं जिनमें से कुछ निम्नानुसार हैं:

- प्रधानमंत्री जनधन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत ₹ 282 करोड़ से भी अधिक के जमा आधार के साथ 8.40 लाख से अधिक बेसिक सेविंग्स बैंक जमा खाते (बीएसबीडीए) खोले गए.
- 13.60 लाख से अधिक बैंक खाताधारकों को प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के अंतर्गत नामांकित किया गया.
- 6.55 लाख से अधिक बैंक खाताधारकों को प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के अंतर्गत नामांकित किया गया.
- 2.50 लाख से अधिक बैंक खाताधारकों को अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के अंतर्गत नामांकित किया गया.
- अपनी ग्रामीण पहुँच को बढ़ाने के उद्देश्य से 250 से अधिक ग्रामीण (वित्तीय समावेशन) शाखाओं को बैंक रहित ग्रामीण स्थानों में खोला गया.
- 250 से अधिक बैंक-रहित उप सेवा क्षेत्रों (एसएसए) को आईसीटी- समर्थित कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) मॉडल के जरिये मूलभूत बैंकिंग सेवाएं प्रदान की गईं.
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) के तहत 78,000 से अधिक नए लाभार्थियों को ₹ 1,245 करोड़ के ऋण दिए गए.
- महाराष्ट्र के सातारा जिले में स्थित बैंक की ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्था (आईडीबीआई-आरएसईटीआई) ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को स्व-रोजगार में सशक्त बनाने के लिए रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रमों के लिए निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है.
- बैंक ने संपूर्ण भारत में 192 आधार नामांकन केंद्र स्थापित किए.
- विभिन्न बैंकिंग उत्पादों और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में जागरूकता लाने और प्रसार करने के लिए, बैंक की ग्रामीण शाखाएँ अपने सेवा क्षेत्रों में महीने में कम से कम एक बार आउटडोर वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित करती हैं. 2019-20 के दौरान, 2,000 से अधिक शिविर आयोजित किए गए जिनमें लगभग 29,000 ग्रामीणों ने भाग लिया. बैंक ने अपनी स्थानीय बोलियों में पीएमजेडीवाई, पीएमएसबीवाई, पीएमजेजेबीवाई, एपीवाई आदि के तहत उपलब्ध लाभों के बारे में प्रतिभागियों में जानकारी प्रसारित करने के लिए फरवरी और मार्च 2020 महीने में महाराष्ट्र के लगभग 30 गांवों में उनकी स्थानीय बोलियों में नुक्कड़ नाटक भी किए. कार्यक्रमों में ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए ग्राहकों की पात्रता, पीएमएमवाई, रुपे कार्ड, डिजिटल बैंकिंग, आदि जैसे सामान्य रुचि के विषयों को भी शामिल किया गया.

ख. क्या कार्यक्रम/ परियोजनाएं, आंतरिक टीम/ अपने फाउंडेशन/ बाहरी एनजीओ/ सरकारी संस्थाओं/ अन्य किसी संगठन के माध्यम से चलाये जाते हैं?

आंतरिक टीम द्वारा वित्तीय समावेशन कार्यक्रम चलाये जाते हैं जिनके लिए बाहरी एजेंसियों का सहयोग विशेष रूप से प्रौद्योगिकी के प्रावधान और कारोबार प्रतिनिधि (बीसी) केंद्रों के कार्मिकों के लिए लिया जाता है. बैंक द्वारा आयोजित नुक्कड़ नाटक पेशेवर मंडली अर्थात् मेसर्स रंगधुन कलामंच (नागपुर) के माध्यम से आयोजित किए गए थे.

ग. क्या आपने अपने पहल-कार्यों के प्रभाव का कोई मूल्यांकन किया है?

पीएमजेडीवाय खाते खोलने, जन सुरक्षा योजना के अंतर्गत सूक्ष्म बीमा और पेंशन योजनाएं प्रदान करने और पीएमएमवाई अंतर्गत ऋण प्रदान करने से बैंक और नीति निर्माताओं को वंचित लोगों को औपचारिक रूप से वित्तीय मुख्यधारा में शामिल करने में मदद मिली है. बैंक की ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्था (आईडीबीआई-आरएसईटीआई) ने अपनी शुरुआत से 5,893 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिया है जिनमें से 4,305 अभ्यर्थियों के सुस्थापित होने की रिपोर्ट है. जैसाकि पॉइंट 8(क) में कहा गया है इन पहल-कार्यों ने समवेशी प्रगति और साम्यिक विकास को बढ़ाया है.

घ. सामुदायिक विकास परियोजनाओं में आपकी कंपनी का प्रत्यक्ष योगदान क्या है - भारतीय रुपये में राशि तथा चालू परियोजनाओं का विवरण?

बैंक द्वारा 30 नुक्कड़ नाटकों के आयोजन में ₹ 1.86 लाख खर्च किए गए.

ङ. क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएँ हैं कि समुदाय द्वारा इन सामुदायिक विकास के पहल-कार्यों को सफलतापूर्वक अपना लिया गया है? कृपया लगभग 50 शब्दों में विवरण दें.

बैंक ने स्थानीय बोलियों में सफलतापूर्वक कार्यक्रम आयोजित किए, जिन्हें ग्रामीणों ने उत्साह से देखा और इनका समर्थन किया. सभी कार्यक्रमों में ग्राम प्रधान, पंचायत अधिकारी, आईडीबीआई बैंक की निकटतम शाखाओं के कर्मचारी और एसएसए से जुड़े बीसी शामिल थे. इन कार्यक्रमों में लगभग 1900 ग्रामीणों ने भाग लिया.

सिद्धांत 9: कारोबार को जिम्मेदारीपूर्वक अपने ग्राहकों और उपभोक्ताओं के साथ जुड़ना तथा उनका मूल्यवर्धन करने वाला होना चाहिए.

क. वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर कितनी प्रतिशत ग्राहक शिकायतें/ उपभोक्ता मामले लंबित हैं.

कुल जितनी शिकायतों पर कार्रवाई की गई उनमें से 31 मार्च 2020 तक लगभग 0.99% अर्थात् 202 शिकायतें लंबित थीं.

ख. क्या कंपनी स्थानीय कानून के अनुसार अनिवार्य जानकारी के अलावा, उत्पाद लेबल पर उत्पाद की जानकारी प्रदर्शित करती है? हाँ/ नहीं/ लागू नहीं/ टिप्पणियाँ (अतिरिक्त जानकारी)

लागू नहीं

ग. क्या पिछले पाँच वर्षों के दौरान अनुचित व्यापार परिपाटियों, गैर-जिम्मेदार विज्ञापन और/ या प्रतिस्पर्धा-रोधी व्यवहार के लिए हितधारकों द्वारा कंपनी के विरुद्ध कोई मामला दायर किया गया है जो वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लंबित है. यदि ऐसा है, तो लगभग 50 शब्दों में उनके ब्योरे दें.

शून्य

घ. क्या आपकी कंपनी ने कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण/ उपभोक्ता संतुष्टि रुझान सर्वेक्षण किया है?

बैंक वार्षिक आधार पर ग्राहक संतुष्टि सर्वेक्षण करता है. सर्वेक्षण के निष्कर्षों को बोर्ड की ग्राहक सेवा समिति (सीएससीबी) के समक्ष रखा गया है. इसके अलावा, बैंक शाखा स्तर ग्राहक सेवा समिति (बीएलसीएससी) की मासिक बैठकों के माध्यम से शाखाओं में सेवा की गुणवत्ता पर ग्राहकों से प्रतिक्रिया भी एकत्र करता है, जिस पर समाज के क्रॉस सेक्शन के ग्राहकों को आमंत्रित किया जाता है. प्राप्त अंतर्दृष्टि / प्रतिक्रिया का उपयोग ग्राहकों की संतुष्टि को बढ़ाने के लिए प्रक्रियाओं में सुधार के लिए किया जाता है.

Business Responsibility Report

SECTION A: GENERAL INFORMATION ABOUT THE COMPANY

1.	**Corporate Identity Number (CIN) of the Company**	L65190MH2004GOI148838
2.	**Name of the Company**	IDBI Bank Ltd.
3.	**Registered address**	IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai - 400005
4.	**Website**	www.idbibank.in
5.	**E-mail id**	idbiequity@idbi.co.in
6.	**Financial Year reported**	2019-20
7.	**Sector(s) that the Company is engaged in (industrial activity code-wise)**	Code: 64191 IDBI Bank is a banking company governed by the Banking Regulation Act, 1949.
8.	**List three key products/services that the Company manufactures/provides (as in balance sheet)**	1. Retail Banking; 2. Corporate/ Wholesale Banking; 3. Treasury Operations
9.	**Total number of locations where business activity is undertaken by the Company**	As on March 31, 2020, the Bank had 1,892 branches, out of which:
	a. Number of International Locations (Provide details of major 5)	a. One was an overseas branch located at Dubai International Financial Centre (DIFC), Dubai and one was an international branch located at Gujarat International Finance Tec-City (GIFT), Gujarat, India.
	b. Number of National Locations	b. 1,890 were domestic branches operational pan-India.
10.	**Markets served by the Company – Local/State/National/International**	The Bank serves customers in all locations where it has presence.

SECTION B: FINANCIAL DETAILS OF THE COMPANY

1.	**Paid up Capital (INR)**	₹ 10,380.59 crore
2.	**Total Turnover (INR)**	₹ 25,295.47 crore (Total Income = Interest Income+ Other Income)
3.	**Total profit after taxes (INR)**	₹ (12,887.33) crore
4.	**Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of profit after tax (%)** NIL	
5.	**List of activities in which expenditure in 4 above has been incurred:-** NIL	

SECTION C: OTHER DETAILS

1.	**Does the Company have any Subsidiary Company/ Companies?** Yes. The Bank has five domestic subsidiaries, namely, IDBI Capital Markets & Securities Ltd., IDBI Asset Management Ltd., IDBI MF Trustee Co. Ltd., IDBI Intech Ltd. and IDBI Trusteeship Services Ltd.
2.	**Do the Subsidiary Company/Companies participate in the BR Initiatives of the parent company? If yes, then indicate the number of such subsidiary company(s)** No.

3.	**Do any other entity/entities (e.g. suppliers, distributors etc.) that the Company does business with, participate in the BR initiatives of the Company? If yes, then indicate the percentage of such entity/entities? [Less than 30%, 30-60%, More than 60%]** Not Applicable.

SECTION D: BR INFORMATION

1. Details of Director/Directors responsible for BR

a. Details of the Director/ Director responsible for implementation of the BR policy/ policies

DIN Number	03022106
Name	Shri Suresh Khatanhar
Designation	Deputy Managing Director

b. Details of the BR head

DIN Number	0056167
Name	Dr. Saumya Sankar Banerjee
Designation	Executive Director
Tel. No.	+91-22-22155748
Email ID	ss.banerjee@idbi.co.in

2. Principle-wise (as per NVGs) BR Policy/policies

a. Details of compliance (Reply in Y/N)

No.	Questions	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9
i.*	Do you have a policy/ policies for....	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
ii.	Has the policy been formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
iii.**	Does the policy conform to any national / international standards? If yes, specify? (50 words)	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
iv.	Has the policy been approved by the Board? Is yes, has it been signed by MD/ owner/ CEO/ appropriate Board Director?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
v.	Does the company have a specified committee of the Board/ Director/ Official to oversee the implementation of the policy?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
vi.	Indicate the link for the policy to be viewed online?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y$	Y#
vii.	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
viii.	Does the company have in-house structure to implement the policy/ policies.	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
ix.	Does the Company have a grievance redressal mechanism related to the policy/ policies to address stakeholders' grievances related to the policy/ policies?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
x.	Has the company carried out independent audit/ evaluation of the working of this policy by an internal or external agency?	The heads of various departments are responsible for effective implementation of the policies. The Compliance Department monitors the adherence to implementation of policies mandated by RBI.								

Note:

* *The various policies of the Bank, which are formally put in place, govern different functions of the Bank directly or indirectly.*

** *The policies of the Bank are in conformity with guidelines issued by regulatory and statutory bodies and therefore conform to national standards.*

$ *Link to CSR Policy - https://www.idbibank.in/pdf/CSR-Policy.pdf*

The policies of the Bank viz. Customer Rights Policy, Grievance Redressal Policy, Citizens Charter and the BCSBI codes are available for public viewing under Customer Education through this link: https://www.idbibank.in/customer-care-centre.asp

b. If answer to the question at serial number 1 against any principle, is 'No', please explain why: (Tick up to 2 options)

No.	Questions	
i.	The company has not understood the Principles	*Reason for not having a policy for P7:* The Bank does not have a documented policy for Principle 7. However, it has always been associated with the regulators and policymakers in a responsible manner. The Bank has been a pioneer in the area of development financing and has taken a lead role in setting up the financial architecture of India. Besides, the Bank has been associated with the policymakers for improvement in various areas of banking, financial inclusion etc.
ii.	The company is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles	
iii.	The company does not have financial or manpower resources available for the task	
iv.	It is planned to be done within next 6 months	
v.	It is planned to be done within the next 1 year	
vi.	Any other reason (please specify)	

3. Governance related to BR

a.	**Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO assess the BR performance of the Company. Within 3 months, 3-6 months, Annually, More than 1 year**	The BR performance of the Bank is submitted on an annual basis to the Board.
b.	**Does the Company publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently is it published?**	Yes, the Bank publishes a Business Responsibility Report. The BR Report can be viewed at https://www.idbibank.in/business-responsibility-report.asp. This report is being published annually and is a part of the Bank's Annual Report.

SECTION E: PRINCIPLE-WISE PERFORMANCE

Principle 1: Businesses should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability

a. Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the company? Yes/ No. Does it extend to the Group/Joint Ventures/ Suppliers/Contractors/NGOs /Others?

IDBI Bank is administered by the policy/ guidelines issued by Central Vigilance Commission (CVC) with respect to bribery, corruption and other vigilance matters. The Bank has an effective mechanism in place to check corruption, malpractices, embezzlement and misappropriation of funds. The Bank has framed the internal guidelines and procedures to deal with vigilance matters in conformity with the CVC guidelines. All the latest circulars/guidelines pertaining to vigilance matters in general or specific to banks issued by the CVC are hosted on the Bank's Intranet for the benefit of all its employees. Further, these guidelines have been compiled in the form of a Vigilance Manual for the Bank, which is updated regularly and is also hosted on the Bank's Intranet.

With a view to strengthening preventive vigilance in the Bank, the Annual Action Plan (AAP) for the Vigilance Department of the Bank is prepared every financial year elaborating the gamut of activities to be undertaken, with main focus on preventive vigilance.

In terms of the extant CVC guidelines, vigilance set-up has also been established in the Bank's five subsidiaries. Such set-up has direct reporting to the head of the concerned subsidiary, with dotted line reporting to the Chief Vigilance Officer (CVO) of IDBI Bank.

b. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

During 2019-20, 96 complaints were received by the Bank's Vigilance Department. All these complaints were examined/ investigated for vigilance overtones through various authorities and 61 complaints were resolved satisfactorily with the concurrence of the CVO. Hence, 63.5% of the complaints received during 2019-20 have been satisfactorily resolved.

The Bank handled a total of 20,336 customer complaints in 2019-20. Out of these, 20,145 customer complaints were received during 2019-20 and 191 complaints were brought forward from 2018-19. About 99% i.e. 20,134 complaints out of the total complaints handled were resolved and 202 complaints were pending as on March 31, 2020. The Bank has in place a Board-approved '*Grievance Redressal Policy*' which outlines its approach and commitment to complaint resolution within specified timelines.

During 2019-20, your Bank received 12 (twelve) complaints with regard to sexual harassment of women at workplace, which have been resolved after due enquiry. As on March 31, 2020, 5 (five) complaints were pending for conclusion, out of which 1 (one) complaint was received prior to 2019-20.

Details of Investor Complaints for the year April 2019 to March 2020 are as follows:

S. N.	Particulars	Equity Shares	Flexibonds	Total
1.	No. of investor complaints pending at the beginning of the year	1	1	2
2.	No. of investor complaints received during the year	1,699	3,369	5,068
3.	No. of investor complaints disposed of during the year	1,699	3,369	5,068
4.	No. of investor complaints remaining unresolved at the end of the year	1	1	2

Principle 2: Businesses should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle

a. List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and/ or opportunities.

As a conscientious corporate entity, IDBI Bank strives to ensure welfare of various stakeholders through its offerings. To name a few such offerings, the Bank extended the following:

- In 2019-20, the Bank undertook various measures, as a gesture of goodwill and in line with respective State Level Bankers' Committee (SLBC) guidelines, for retail customers in cyclone-affected Odisha and flood-affected areas in Kerala & Karnataka. Some of the measures are as follows:
  - The Bank extended a need-based moratorium of 1 year and rescheduled instalments accordingly. The Bank also waived off margin for fresh loan for repair, renovation for existing customers up to 25% of their primary home loan, subject to Loan to Value (LTV) norms.
  - For education loan, the Bank extended moratorium for 6 months in case of standard assets whose repayment has commenced and rescheduled instalments accordingly.
  - The Bank also waived off minimum balance charges and penalty on pre-mature closure of fixed deposits in the period April-June 2019 for account holders of its 51 branches located in areas ravaged by Cyclone Fani in Odisha.
- The Bank extends education loan under National Handicapped Finance & Development Corporation (NHFDC) at a special rate of interest to the differently abled students.
- In order to provide impetus to the usage of solar energy as an alternative source of renewable energy, the Bank allows for financing the cost of acquisition of equipment intended to install solar PVs on the rooftops under home loans.
- The Bank issued advisory to its loan centres for giving preference in processing of home loan applications for applicants with disabilities, women (with overriding preference to widows, single working women), applicants belonging to Economically Weaker Section (EWS)/ Low Income Group (LIG), Scheduled Caste (SC)/ Scheduled Tribe (ST)/ Other Backward Classes (OBC) and transgender community.

- The Bank has decided to provide Equated Monthly Instalment (EMI) moratorium relief for all the eligible SRA customers in response to the RBI Covid-19 relief measures, except for the customers who specifically request for opting out of the moratorium relief. The same is applicable for EMIs due between March 1, 2020 to August 31, 2020.
- As part of the Bank's endeavour to promote digital funds movement, the Bank has suitably reduced the charges for RTGS/ NEFT transactions through branch channel and fully waived charges for online funds transfers through NEFT by savings bank account holders.
- The Bank has introduced a unique concept of *'IDBI Kutumb – Family Banking'* under which the primary family member can maintain the balance on behalf of the entire family, thereby freeing the rest of the family members from maintaining individual minimum balance.
- The Bank offers a product, viz. IDBI Surya Shakti, which aims to encourage utilisation of renewable energy in household and farm electricity requirement by extending financial assistance for purchase of solar water heater, solar lighting system & solar water pumps to individuals, farmers, SHGs, etc., in rural, semi-urban and urban areas.
- The Bank extends micro loans to Self-Help Groups (SHGs) / Joint Liability Groups (JLGs) to uplift women entrepreneurs from economically weaker and underprivileged backgrounds. The loans are also extended to small & marginal farmers, landless labourers, artisans, etc. to fulfil their funding needs.
- The Bank also provides financial assistance for creating various irrigation facilities, viz. construction, deepening, renovation of bore wells, purchase of oil engine, installation of electric motors/pumps, installation of sprinkler & drip irrigation systems etc. This product helps the down-trodden farmers to cultivate crops even in low water availability areas and thereby aids in income generation.

b. For each such product, provide the following details in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product(optional):

i. Reduction during sourcing/production/ distribution achieved since the previous year throughout the value chain?

ii. Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since the previous year?

Not Applicable.

c. Does the company have procedures in place for sustainable sourcing (including transportation)?

i. If yes, what percentage of your inputs was sourced sustainably? Also, provide details thereof, in about 50 words or so.

Not Applicable.

d. Has the company taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work?

i. If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?

Not Applicable.

e. Does the company have a mechanism to recycle products and waste? If yes what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5-10%, >10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.

Not Applicable.

Principle 3: Businesses should promote the wellbeing of all employees

a. Please indicate the Total number of employees (as on 31st March 2020)

17,723 (including 14 number of employees on contractual employment with the Bank in Officer cadre and 1,041 Executives on contract basis).

b. Please indicate the Total number of employees hired on temporary/contractual/casual basis (as on 31st March 2020)

1,055 (includes 14 Officers and 1041 Executives on contract basis.)

c. Please indicate the Number of permanent women employees (as on 31st March 2020)

4,658

d. Please indicate the Number of permanent employees with disabilities (as on 31st March 2020)

335

e. Do you have an employee association that is recognised by management?

Your Bank has recognized three workmen union, the details of which are given below:

- All India Industrial Development Bank's Employees Association – 464
- Industrial Development Bank Workers Union -186
- IDBI Karmachari Sangh - 419

f. What percentage of your permanent employees are members of this recognised employee association?

- All India Industrial Development Bank's Employees Association - 38.38 %
- Industrial Development Bank Workers Union -15.38 %
- IDBI Karmachari Sangh - 34.66 %

g. Please indicate the Number of complaints relating to child labour, forced labour, involuntary labour, sexual harassment in the last financial year and pending, as on the end of the financial year.

Sr. No.	Category	No of complaints filed during 2019-20	No of complaints pending as at end of 2019-20
i.	Child labour/ forced labour/ involuntary labour	NIL	NIL
ii.	Sexual harassment	12	5
iii.	Discriminatory employment	NIL	NIL

h. What percentage of your under-mentioned employees were given safety & skill upgradation training in the last year?

Sr. No.	Category	No of Employees
i.	Permanent Employees	67.62%
ii.	Permanent Women Employees	68.93%
iii.	Casual/Temporary/Contractual Employees	79.58%
iv.	Employees with Disabilities	79.68%

Principle 4: Businesses should respect the interests of and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalised.

a. Has the company mapped its internal and external stakeholders? Yes/No

Yes.

b. Out of the above, has the company identified the disadvantaged, vulnerable & marginalised stakeholders?

Yes.

c. Are there any special initiatives taken by the company to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalised stakeholders? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

While the Bank is committed to providing excellent service to all customers, it also ensures that the grievances of special customers like differently abled customers, senior citizens, persons who are not literate and pensioners are dealt with on priority. This aspect has also been incorporated in the Bank's Grievance Redressal Policy.

The Bank is fully compliant with the extant reservation policy of Government of India. The Bank has appointed Chief Liaison Officers (CLOs) and Zonal Liaison officers (ZLOs), in the rank of General Managers and Deputy General Managers, for Scheduled Castes (SCs) / Scheduled tribes (STs)/ Persons with Disabilities (PwDs) and Other Backward Classes (OBCs) employees, who ensure compliance of various guidelines pertaining to reserved category employees and for effective redressal of their grievances. The Bank maintains separate rosters for PwDs, as per the Government of India guidelines.

Principle 5: Businesses should respect and promote human rights

a. Does the policy of the company on human rights cover only the company or extend to the Group/Joint Ventures/ Suppliers/Contractors/NGOs/Others?

The Bank has various policies protecting human rights, directly or indirectly. These policies cover the Bank's operations and do not extend to its subsidiaries, suppliers, contractors, NGOs etc.

b. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?

For stakeholder complaints, please refer response to Point b. under Principle 1.

Principle 6: Business should respect, protect, and make efforts to restore the environment

a. Does the policy related to Principle 6 cover only the company or extends to the Group/Joint Ventures/Suppliers/ Contractors/NGOs/others?

The Bank respects, protects and makes efforts to restore the environment by implementing measures like E-Waste Management, use of paperless eco-friendly technology, conservation of energy, etc. The Bank is also following the E-Waste (Management and Handling) Rules, 2011, effective from May 01, 2012, issued by Ministry of Environment and Forests, Government of India. The E-Waste Management Policy of the Bank also extends to the vendors with regard to Principle no. 6 referred above.

b. Does the company have strategies/ initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc.? Y/N. If yes, please give hyperlink for webpage etc.

The Bank has undertaken several initiatives keeping in view the environmental concerns. Some of the initiatives taken by the Bank in this regard are as follows:

- **Electricity Conservation:** Conventional light fixtures have been replaced with energy-efficient LED light fixtures/lamps/ tubes to save power consumption at the Bank's Head Office in Mumbai and its office at CBD-Belapur, Navi Mumbai. Occupant sensors have been used to control cabin lighting in order to rationalise power consumption. The new signages at the Bank's branches are being fitted with LED lights. Besides, for all new or refurbished branches, LED lights are being used in place of conventional fluorescent/PL lamps. Solar panels have been installed in the Bank's new residential buildings at the Jawaharlal Nehru Institute of Banking and Finance (JNIBF) Annexe, Hyderabad as well as in its new office building & residential flats developed by NBCC (India) Ltd. at New Delhi for common lighting. Besides, LED lights have been provided in the new flats at the JNIBF Annexe, Hyderabad.

- **Water Conservation Measures:** Water harvesting facility has been provided in the residential complex at the JNIBF Annexe, Hyderabad. All the washrooms in the Bank's Head Office in Mumbai have been renovated to put in place sensor-based taps and urinal flush valves for water conservation.

- **Waste Treatment:** The Bank has installed a non-hazardous wet waste treatment and disposal system at its staff quarters at Maker Kundan Gardens, Juhu as a Swachh Bharat initiative. The new system installed is an environment-friendly one, which composts the wet waste naturally in 45 days through an aerobic process. The equipment consists of collection & dewatering bins, waste tumblers and garden accumulators. The power consumption is less than 1 KwH per month and area occupied is 300 sq. ft. The compost so generated is used in the garden in the premises as manure. Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) officials, on inspection of the facility, appreciated the Bank's efforts. The system has also been taken up as a case study by many engineering students of different universities as their educational project.

- **Reduced Usage of Paper:** The Bank has automated many of its business processes. The Bank has automated most of its staff-related functions including payment of salary, benefits, claims, attendance marking, performance appraisal, and various types of training material, etc. Further, the Bank is conducting paperless meetings to the extent possible to reduce consumption of paper. Wherever feasible, the Bank is using electronic media in place of paper-based media for internal communication (approvals, circulars, etc.), external communication with the customers (monthly statement of accounts, e-mailers, etc.), shareholders (Annual Reports), regulators, governments, etc. The Bank has digitalised the process of debit card PIN generation through the 'Green PIN' facility wherein customer can generate their PIN using Interactive Voice Response (IVR), Automated Teller Machines (ATMs), the Bank's mobile banking application or internet banking facility, SMSes and Missed Call facility. Similarly, the Bank has also stopped printing of passwords for internet banking for retail customers and allows the customer to generate the password online. Further, the Bank is also promoting Digital Point-of-Sale (POS) where proof of transaction is digitally transmitted.

- **E-Waste Management:** In view of the potential environmental risks that may arise on disposal of obsolete IT equipment, the Bank has documented and implemented a Board-approved E-Waste Management Policy and has appointed vendors for safe disposal of obsolete IT equipment.
- **Virtualisation of Servers:** To reduce the server footprints in the data centres, the Bank has implemented a Server Virtualisation mechanism through which number of individual physical servers have been reduced considerably by moving the applications to virtualised environment. This has resulted in less consumption of power and reduced heat transmission.
- **Promoting Usage of Solar Energy:** In order to provide impetus to the usage of solar energy as an alternative source of renewable energy, the Bank allows inclusion of the cost of acquisition of equipment intended to install solar PVs on the rooftops for financing home loans.

Various initiatives taken by the Bank are outlined in Business Responsibility (BR) Report published by the Bank. The BR Report can be viewed at https://www.idbibank.in/business-responsibility-report.asp

c. Does the company identify and assess potential environmental risks? Y/N

Yes. The environmental risk assessment forms an integral part of Bank's credit appraisal system. Existing credit risk monitoring policy broadly ensures that all assisted clients continue to comply with the regulatory guidelines relating to sustainable environmental protection and pollution control by stipulating suitable conditions in the sanction letter.

Yes, the Bank has an E-Waste Management Policy in place which is being followed scrupulously.

d. Does the company have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50 words or so. Also, if Yes, whether any environmental compliance report is filed?

No new initiatives were taken by the Bank during 2019-20 in this regard.

e. Has the company undertaken any other initiatives on – clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc. Y/N. If yes, please give hyperlink for web page etc.

For initiatives taken by the Bank, please refer response to Point b. under Principle 6.

f. Are the Emissions/Waste generated by the company within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported?

Being in the services sector, the Bank's operations generate very minimal emissions/ waste.

g. Number of show cause/ legal notices received from CPCB/SPCB which are pending (i.e. not resolved to satisfaction) as on end of Financial Year.

NIL

Principle 7: Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner

a. Is your company a member of any trade chamber or association? If Yes, Name only those major ones that your business deals with:

Yes.

Some of the institutions/ associations where IDBI Bank is a member are as follows:

- Indian Banks Association (IBA)
- The Indian Institute of Banking and Finance (IIBF)
- National Institute of Bank Management (NIBM)

b. Have you advocated/lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? Yes/No; if yes specify the broad areas (drop box: Governance and Administration, Economic Reforms, Inclusive Development Policies, Energy Security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others)

The Bank, being one of the leading banks in the country, has always been engaging with the regulators and policymakers and industry bodies such as IBA, in a responsible manner for improvement in the areas of banking, financial inclusion etc.

Principle 8: Businesses should support inclusive growth and equitable development

a. Does the company have specified programmes/initiatives/projects in pursuit of the policy related to Principle 8? If yes, details thereof.

The Bank has been proactively partnering with the policymakers towards furthering the agenda of financial inclusion. Towards this objective, the Bank has taken several measures, some of which are as follows:

- More than 8.40 lakh Basic Savings Bank Deposit Accounts (BSBDAs) with a deposit base of more than ₹ 282 crore have been opened under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY).
- More than 13.60 lakh bank account holders have been enrolled under Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY).
- More than 6.55 lakh bank account holders have been enrolled under Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY).
- More than 2.50 lakh bank account holders have been enrolled under Atal Pension Yojana (APY).
- More than 250 Rural (Financial Inclusion) branches have been opened in unbanked rural locations with an aim to increase its rural outreach.
- More than 250 unbanked Sub Service Areas (SSAs) have been provided with basic banking services through the ICT-enabled Business Correspondent (BC) Model.
- Loans amounting to ₹ 1,245 crore have been extended to more than 78,000 new beneficiaries under Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY).
- The Bank's Rural Self Employment Training Institute (IDBI-RSETI) located in Satara district in Maharashtra conducts free residential training programme in job-oriented courses for the rural unemployed youth to empower them to be self-employed.
- The Bank has established 192 Aadhaar Enrolment Centres pan-India.
- The Bank's rural branches conduct outdoor financial literacy camps at least once a month in their service areas to bring awareness and spread knowledge about various banking products and social security schemes. During 2019-20, more than 2,000 camps were held which were attended by about 29,000 villagers. The Bank also conducted street plays in about 30 villages of Maharashtra in the months of February and March 2020 to disseminate information to participants about the benefits available under PMJDY, PMSBY, PMJJBY, APY, etc. in their local dialects. The programmes also covered topics of common interest like eligibility of customers for overdraft facility, PMMY, RuPay cards, digital banking, etc.

b. Are the programmes/projects undertaken through in-house team/own foundation/external NGO/government structures/any other organisation?

The Bank's financial inclusion programmes are undertaken by its in-house team with help of an outsourced agency, particularly for provision of technology and personnel manning the Business Correspondent (BC) outlets. The street plays organised by the Bank were conducted through professional troupe, viz. M/s. Rangdhun Kalamanch (Nagpur).

c. Have you done any impact assessment of your initiative?

Opening of PMJDY accounts, extending micro insurance and pension schemes under Jan Suraksha Yojana and loans under PMMY have helped the Bank and policymakers in formally inducting the deprived people into the financial mainstream. The Bank's IDBI-RSETI has trained 5,893 candidates since inception out of which 4,305 candidates have reported settled. The initiatives, as stated in point 8 (a) above, have resulted in enhancing the inclusive growth and equitable development.

d. What is your company's direct contribution to community development projects - Amount in INR and the details of the projects undertaken?

The Bank has incurred an expenditure of ₹ 1.86 lakh in organising 30 street plays.

e. Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so.

The Bank conducted programmes successfully in the local dialects which were enthusiastically viewed and supported by villagers. All the programmes were attended by the Gram Pradhans, Panchayat officials, staff of nearest IDBI Bank branches and BCs associated with SSA. About 1,900 villagers have participated in these programmes.

Principle 9: Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner

a. What percentage of customer complaints/consumer cases are pending as on the end of financial year?

Out of the total complaints handled, about 0.99% i.e. 202 complaints were pending as on March 31, 2020.

b. Does the company display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/No/N.A./Remarks (additional information)

Not Applicable.

c. Is there any case filed by any stakeholder against the company regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behaviour during the last five years and pending as on end of financial year. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

NIL

d. Did your company carry out any consumer survey/ consumer satisfaction trends?

The Bank conducts customer satisfaction survey on an annual basis. The findings of the survey are placed before the Customer Service Committee of the Board (CSCB). In addition to this, the Bank also collects feedback from customers on quality of service at branches through monthly meetings of Branch Level Customer Service Committee (BLCSC), at which customers from cross sections of the society are invited. The insights/feedback received are used towards improvement of processes to enhance customer satisfaction.